उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

—०—

खण्ड १५५

—०—

शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५
से
शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९५५ तक

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, भारत।
१९५६

मूल्य; बिना महसूल ४ आने, महसूल सहित ५ आने।
वार्षिक चन्दा; बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये।

विषय-सूची

शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१–५
प्रश्नोत्तर	५–२५
बलिया जिले में गंगा नदी की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	२५–२६
डाकू मानसिंह के मारे जाने का समाचार (जारी) ..	२६
स्पेशल पावर्स ऐक्ट के अधीन किये गये जुर्मानों की वापसी के संबंध में पूछताछ	२६
डाकू मानसिंह के मारे जाने का समाचार	२६
प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति पर विवाद की मांग ..	२६–२७
विधान सभा से अनुपस्थिति के लिये श्री वीरेन्द्र विक्रमसिंह का प्रार्थना–पत्र (स्वीकृत)	२७
विधान सभा से अनुपस्थिति के लिये श्री वीरेन्द्र वर्मा का प्रार्थना–पत्र (स्वीकृत)	२७–२८
उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४ (३१ दिसम्बर, १९५५ तक जनमत संग्रहार्थ घुमाने का प्रस्ताव––स्वीकृत)	२८–३५
राज्य के राजनीतिक-पीड़ितों के लिये समुचित पेंशन की व्यवस्था करने के संबंध में संकल्प (स्वीकृत)	३५–६६
डाकू मानसिंह के पुत्र सूबेदारसिंह के मारे जाने का समाचार ..	६६
गोवंश के वध पर अन्तरिम प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में संकल्प (विचार जारी)	६६–७०
नत्थियां	७१–८९

सोमवार, ५ सितम्बर, १९५५

उपस्थित सदस्यों की सूची	९१–९४
प्रश्नोत्तर	९५–११८
कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये समय निर्धारण की सूचना	११८
कार्यक्रम में परिवर्तन	११९
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ (विधेयक पर विचार करने के लिये प्रस्ताव पर विवाद जारी)	११९–१६०
नत्थियां	१६१–१८०

मंगलवार, ६ सितम्बर, १९५५

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१८१–१८५
प्रश्नोत्तर	१८५–२०८
माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	२०८
हाईकोर्ट के निर्णय में सदन की कार्यवाही पर टीका–टिप्पणी के विषय में आपत्ति	२०९
कमेटी आन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व कमेटी आफ एश्योरेंसेज के निर्माण की प्रार्थना	२०९
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक ,१९५५ (विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर विवाद- जारी)	२०९–२४९
नत्थियां	२५०–२७६

बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५

उपस्थित सदस्यों की सूची	२७७–२८१
प्रश्नोत्तर	२८१–२९७
हाईकोर्ट के निर्णय में सदन की कार्यवाही पर टीका–टिप्पणी के विषय में आपत्ति (श्री अध्यक्ष का निर्णय स्थगित) ..	२९७–२९८
राज्य आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना (श्री झांरखडे राय ने दी–प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी ।)	२९८–३००
कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये समय–निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	३००–३०२
कमेटी आन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व कमेटी आफ ऐश्योरेंसेज के निर्माण का प्रश्न	३०२–३०४
१९५०–५१ के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांग (प्रस्तुत की गयीं) ..	३०४–३०५
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ (विचार जारी) ..	३०५–३१३
श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) की हत्या का समाचार ..	३१३–३१४
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक ,१९५५ (विचार जारी) ..	३१४–३२९
श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) की हत्या का समाचार (बैठक निश्चित समय से पूर्व स्थगित हो गयी)	३२९
नत्थियां	३३०–३३९

बृहस्पतिवार, ८ सितम्बर, १९५५

विषय	पृष्ठ सं०
उपस्थित सदस्यों की सूची	३४१–३४५
प्रश्नोत्तर	३४५–३६३
कानपुर में एलगिन मिल्स की तालाबन्दी से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (सर्वश्री रामनारायण त्रिपाठी, शांरखंडे राय तथा नारायणदत्त तिवारी ने दी–प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३६३
श्री भगवती प्रसाद शुक्ल की हत्या पर शोकोद्गार ..	३६३–३६६
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक ,१९५५ (विचारोपरान्त पारित)	३६६–३९९
उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५ (विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर विवाद जारी) ..	३९९–४०५
नत्थियां	४०६–४१४

शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९५५

उपस्थित सदस्यों की सूची	४१५–४१९
प्रश्नोत्तर	४१९–४३९
अधिवेशन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूछताछ	४३९
बनारस में मलमास संबंधी नाव दुर्घटना के विषय में पूछताछ ..	४३९
प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड ,उत्तर प्रदेश के निर्वाचन में प्राप्त नाम–निर्देशन-पत्र	४३९
कानपुर में एलिगन मिल्स की तालाबन्दी के सम्बन्ध में श्रम मंत्री का वक्तव्य	४४०–४४१
गोवंश के वध पर अन्तरिम प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में संकल्प (वापस लिया गया)	४४१–४४५
वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प (संशोधित रूप में स्वीकृत)	४४६–४८३
कालपी तथा जालौन में कांस उखाड़ने से संबंधित २२ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न ३०–३१ के विषय पर विवाद ..	४८३–४८८
नत्थियां	४८९–५००

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी

मंत्रि–परिषद

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस०-सी०, विधान सभा–सदस्य, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन एंव गृह मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा–सदस्य, वित्त, वन, सहकारिता, तथा विद्युत् मंत्री।

श्री हुकुमसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, कृषि तथा पुनर्वासन मंत्री।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, विधान–सभा सदस्य, रजिस्ट्रेशन तथा मादक कर मंत्री।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल–एल० बी०, विधान सभा सदस्य, नियोजन, स्वास्थ्य, उद्योग तथा अन्न मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार–ऐट ला, विधान सभा सदस्य, न्याय तथा स्वशासन मंत्री।

श्री चरणसिंह, एम० ए०, बी० एस–सी० एल–एल० बी०, विधान–सभा सदस्य, माल तथा परिवहन मंत्री।

श्री हरगोविन्द सिंह, बी० एस-सी०, एल–एल० बी०, विधान सभा सदस्य, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान सभा सदस्य, सूचना तथा सिंचाई मंत्री।

श्री विचित्र नारायण शर्मा, विधान–सभा सदस्य, निर्माण मंत्री।

आचार्य जुगल किशोर, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, श्रम तथा समाज-कल्याण मंत्री।

उपमंत्री

श्री मंगला प्रसाद, बी० ए०, एल–एल० बी०, विधान–सभा सदस्य, सहकारिता उपमंत्री।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल–एल० बी०, विधान–सभा सदस्य, वन उपमंत्री।

श्री फूलसिंह, बी० ए०, एल–एल० बी०, विधान सभा–सदस्य, नियोजन उपमंत्री।

श्री जगनप्रसाद रावत, बी० एस–सी०, एल–एल० बी०, विधान सभा–सदस्य, पुलिस उपमंत्री।

श्री मुजफ्फर हसन, विधान –सभा सदस्य, कारावास उपमंत्री।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी० ,विधान –सभा सदस्य, सिंचाई उपमंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल–एल० बी०, विधान–सभा सदस्य, माल उप-मंत्री।

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (बिस), पी–एच० डी०, विधान–सभा सदस्य, शिक्षा मंत्री।

श्री कैलाश प्रकाश, विधान–सभा सदस्य, स्वशासन उपमंत्री।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य, विधान–सभा सदस्य, निर्माण उपमंत्री।

सभा–सचिव

मुख्य मंत्री के सभा सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान–सभा सदस्य ।

नियोजन मंत्री के सभा सचिव

१––श्री बलदेव सिंह आर्य, विधान–सभा सदस्य ।
२–– श्री बनारसी दास, विधान–सभा सदस्य ।

कृषि मंत्री के सभा सचिव

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी, एम० ए० ,विधान–सभा सदस्य ।

सूचना मंत्री के सभा सचिव

श्री लक्ष्मीशंकर यादव , विधान–सभा–सदस्य ।

वित्त मंत्री के सभा सचिव

श्री धर्मासिंह, विधान–सभा–सदस्य ।

श्रम मंत्री के सभा सचिव

श्री परमात्मानन्द सिंह, विधान–परिषद्–सदस्य ।

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१	अंसमान सिंह, श्री	..	बस्ती (पूर्व)
२	अक्षयवर सिंह, श्री	..	गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३	अजीज इमाम, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)
४	अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री	..	रुड़की (दक्षिण)
५	अनन्त स्वरूप सिंह, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण)
६	अब्दुल मुईज खां, श्री	..	खलीलाबाद (मध्य)
७	अब्दुल रऊफ खां, श्री	..	फतेहपुर (पूर्व)-खागा (उत्तर)
८	अमरेश चन्द्र पान्डे, श्री	..	मिर्जापुर (उत्तर)
९	अमृत नाथ मिश्र, श्री	..	उतरौला (दक्षिण)
१०	अली जहीर, श्री सैयद	..	लखनऊ नगर (मध्य)
११	अवध शरण वर्मा, श्री	..	फतेहपुर (उत्तर)
१२	अवधेशचन्द्र सिंह,श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)-फर्रुखाबाद (पूर्व)
१३	अवधेश प्रताप सिंह,श्री	..	बीकापुर (पूर्व)
१४	अशरफ अली खां, श्री	..	सादाबाद (पूर्व)
१५	आत्माराम गोविन्द खेर, श्री	..	झांसी (पूर्व)
१६	आर्थर ग्राइस, श्री	..	नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय
१७	आशालता व्यास, श्रीमती	..	फूलपुर (दक्षिण)
१८	इर्तिजा हुसैन, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
१९	इसराहुल हक ,श्री	..	फीरोजाबाद-फतेहाबाद
२०	इस्तफा हुसैन, श्री	..	गोरखपुर (मध्य)
२१	उदय भान सिंह, श्री	..	उलमऊ (पूर्व)
२२	उमाशंकर, श्री	..	सगरी (पश्चिम)
२३	उमाशंकर तिवारी, श्री	..	चंदौली (दक्षिण-पश्चिम)-रामनगर
२४	उमाशंकर मिश्र, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़-रामसनेही घाट
२५	उम्मेद सिंह, श्री	..	उतरौला (उत्तर-पूर्व)
२६	उलफतसिंह चौहान निर्भय, श्री	..	ऐतमादपुर, आगरा (पूर्व)
२७	ऐजाज रसूल, श्री	..	शाहाबाद (पश्चिम)
२८	ओंकार सिंह, श्री	..	दातागंज (उत्तर)-बदायूं
२९	कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
३०	कमलापति त्रिपाठी, श्री	..	चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३१	कमलासिंह ,श्री	..	सैदपुर
३२	कमाल अहमद रिजवी, श्री	..	मोहम्मदी (पूर्व)
३३	करण सिंह यादव, श्री	..	गुन्नौर (उत्तर)
३४	करन सिंह, श्री	..	निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
३५	कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्ननगुरु,श्री	..	इलाहाबाद नगर (मध्य)
३६	कल्याण राय, श्री	..	हजूर मिलक (उत्तर)
३७	कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री	..	चंदौली (उत्तर)
३८	कालिका सिंह, श्री	..	लालगंज (दक्षिण)
३९	कालीचरण हंडन, श्री	..	कन्नौज (उत्तर)

क्रम सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
४०—	काशीप्रसाद पान्डेय, श्री	.. कादीपुर
४१—	किन्दर लाल, श्री	.. हरदोई (पूर्व)
४२—	किशन स्वरूप भटनागर, श्री	.. खुरजा
४३—	कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री	.. सुल्तानपुर (पश्चिम)
४४—	कृपाशंकर, श्री	.. हर्रया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम)
४५—	कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	.. सीतापुर (दक्षिण-पूर्व)
४६—	कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री	.. ललितपुर (दक्षिण)
४७—	कृष्ण शरण आर्य, श्री	.. मिलक (दक्षिण)—शाहाबाद
४८—	केदार नाथ, श्री	.. मुरादाबाद (दक्षिण)
४९—	केवल सिंह, श्री	.. सिकन्दराबाद (पूर्व)
५०—	केशभान राय, श्री	.. बांसगांव (मध्य)
५१—	केशव गुप्त, श्री	.. कैराना (उत्तर)
५२—	केशव पान्डेय, श्री	.. गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
५३—	केशव राम, श्री	.. सहसवान (पूर्व)
५४—	कैलाश प्रकाश, श्री	.. मेरठ नगरपालिका
५५—	खयाली राम, श्री	.. अमरोहा (पूर्व)
५६—	खुशीराम, श्री	.. पिथौरागढ़—चम्पावत
५७—	खूबसिंह, श्री	.. धामपुर (उत्तर-पूर्व)—नगीना (पूर्व)
५८—	गंगाधर जाटव, श्री	.. फीरोजाबाद-फतेहाबाद
५९—	गंगाधर मैठाणी, श्री	.. चमोली (पश्चिम)—पौड़ी (उत्तर)
६०—	गंगाधर शर्मा, श्री	.. मिश्रिख
६१—	गंगा प्रसाद, श्री	.. तरबगंज (दक्षिण-पूर्व) गोंडा (दक्षिण)
६२—	गंगाप्रसाद सिंह, श्री	.. रसरा (पश्चिम)
६३—	गजेन्द्र सिंह, श्री	.. विधूना (पूर्व)
६४—	गज्जूराम, श्री	.. मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम) ललितपुर (उत्तर)
६५—	गणेशचन्द्र काछी, श्री	.. मैनपुरी (उत्तर)-भोगांव (उत्तर)
६६—	गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री	.. इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६७—	गणेश प्रसाद पान्डेय, श्री	.. बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
६८—	गिरजा रमण शुक्ल, श्री	.. पट्टी (दक्षिण)
६९—	गिरधारी लाल, श्री	.. धामपुर (उत्तर-पूर्व)—नगीना (पूर्व)
७०—	गुप्तार सिंह, श्री	.. डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम)
७१—	गुरुप्रसाद पान्डेय, श्री	.. खजुहा (पश्चिम)
७२—	गुरुप्रसाद सिंह, श्री	.. मुसाफिरखाना (दक्षिण)—अमेठी (पश्चिम)
७३—	गुलजार, श्री	.. मुसाफिरखाना (उत्तर) सुल्तानपुर (उत्तर)
७४—	गेंदा सिंह, श्री	.. पंडरौना (पूर्व)
७५—	गोपी नाथ दीक्षित, श्री	.. इटावा (दक्षिण)
७६—	गोवर्धन तिवारी, श्री	.. अल्मोड़ा (दक्षिण)
७७—	गौरी राम, श्री	.. फरेंदा (मध्य)
७८—	घनश्याम दास, श्री	.. नवाबगंज (दक्षिण) हैदरगढ़—रामसनेहीघाट
७९—	घासी राम जाटव, श्री	.. बिधूना (पश्चिम)—भरथना (उत्तर) इटावा (उत्तर)
८०—	चतुर्भुज शर्मा, श्री	.. उरई—जालौन (दक्षिण)

क्रम सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
८१	चन्द्रभानु गुप्त,श्री	लखनऊ नगर (पूर्व)
८२	चन्द्रवती ,श्रीमती	बिजनौर (मध्य)
८३	चन्द्रसिंह रावत, श्री	पौड़ी (दक्षिण) चमोली (पूर्व)
८४	चन्द्रहास ,श्री	हरदोई (पूर्व)
८५	चरण सिंह, श्री	बागपत (पश्चिम)
८६	चित्तर सिंह निरंजन, श्री	कोंच
८७	चिरंजी लाल जाटव, श्री	जलेसर –एटा (उत्तर)
८८	चिरंजीलाल पालीवाल, श्री	छिबरामऊ (दक्षिण)–कन्नौज (दक्षिण)
८९	चुन्नी लाल सगर, श्री	बिसौली –गुन्नौर (पूर्व)
९०	छेदालाल, श्री	शाहाबाद (पूर्व)–हरदोई (उत्तर–पश्चिम)
९१	छेदालाल चौधरी,श्री	लखीमपुर (दक्षिण)
९२	जगत नारायण ,श्री	नवाबगंज (उत्तर)
९३	जगदीश प्रसाद,श्री	हसनपुर (दक्षिण) सम्भल (पश्चिम)
९४	जगदीश शरन, श्री	बरेली नगरपालिका
९५	जगदीश सरन रस्तोगी ,श्री	सम्भल (पूर्व)
९६	जगन प्रसाद रावत, श्री	खैरगढ़
९७	जगन्नाथ प्रसाद, श्री	निधासन–लखीमपुर (उत्तर)
९८	जगन्नाथ बख्श दास, श्री	रामसनेही घाट
९९	जगन्नाथ मल्ल , श्री	पडरौना (उत्तर)
१००	जगन्नाथ सिंह,श्री	बलिया (उत्तर पूर्व)––बांसडीह (दक्षिण–पश्चिम)
१०१	जगपति सिंह, श्री	मऊ–करवी–बबेरू (पूर्व)
१०२	जगमोहन सिंह नेगी , श्री	लन्सडाउन (पश्चिम)
१०३	जटाशंकर शुक्ल, श्री	पुरवा (उत्तर) हसनगंज
१०४	जयपाल सिंह, श्री	रुड़की (पश्चिम) –सहारनपुर (उत्तर)
१०५	जयराम वर्मा, श्री	अकबरपूर (पश्चिम)
१०६	जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	खेन–टेहरी (उत्तर)
१०७	जवाहर लाल, श्री	करछना (उत्तर)–चायल (दक्षिण)
१०८	जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर	कानपुर नगर (पूर्व)
१०९	जुगलकिशोर ,श्री	मथुरा (दक्षिण)
११०	जोरावर वर्मा, श्री	महोबा –कुलपहाड़ –चरखारी
१११	ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री	गोंदा (पश्चिम)
११२	झारखन्डे राय, श्री	घोसी (पश्चिम)
११३	टीकाराम , श्री	संडीला–बिलग्राम (दक्षिण–पूर्व)
११४	डल्लाराम,श्री	मिश्रिख
११५	डालचन्द्र, श्री	माट –सादाबाद (पश्चिम)
११६	ताराचन्द्र माहेश्वरी ,श्री	सिंधौली (पश्चिम)
११७	तिरमल सिंह,श्री	कासगंज (उत्तर)
११८	तुलाराम ,श्री	औरैया –भरथना (दक्षिण)
११९	तुलाराम रावत, श्री	महिलाबाद–बाराबंकी (उत्तर–पश्चिम)
१२०	तेजप्रताप सिंह, श्री	मौदहा (दक्षिण)
१२१	तेज बहादुर ,श्री	लालगंज (उत्तर)
१२२	तेजासिंह,श्री	गाजियाबाद (उत्तर–पश्चिम)

क्रम० सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१२३	—त्रिलोकी नाथ कौल,श्री	.. बहराइच (पश्चिम)
१२४	—दयालदास भगत,श्री	.. घाटमपुर–भोगनीपुर (पूर्व)
१२५	—दर्शन राम,श्री	.. मऊ –करवी —बबेरू (पूर्व)
१२६	—दलबहादुर सिंह, श्री	.. सलोन (दक्षिण)
१२७	—दाऊदयाल खन्ना ,श्री	.. मुरादाबाद (उत्तर)
१२८	—दाताराम, श्री	.. नकुड़ (दक्षिण)
१२९	—दीनदयालु शर्मा, श्री	.. अनूपशहर (उत्तर)
१३०	—दीनदयालु शास्त्री ,श्री	.. रुड़की (पूर्व)
१३१	—दीपनारायण वर्मा,श्री	.. जौनपुर (पश्चिम)
१३२	—सुन्दर दास, श्री दीवान	.. कैसरगंज (उत्तर)
१३३	—देवकी नन्दन विभव ,श्री	आगरा
१३४	—देवदत्त मिश्र ,श्री	.. पुरवा (दक्षिण)
१३५	—देवदत्त शर्मा,श्री	.. बुलन्दशहर (दक्षिण)–अनूपशहर (दक्षिण)
१३६	—देवनन्दन शुक्ल,श्री	.. सलीमपुर (पश्चिम)
१३७	—देवमूर्ति राम,श्री	.. बनारस (पश्चिम)
१३८	—देवराम, श्री	.. सैदपुर
१३९	—देवेन्द्र प्रतापनारायण सिंह,श्री	.. गोरखपुर (पश्चिम)
१४०	—द्वारका प्रसाद मित्तल ,श्री	मुजफ्फरनगर (मध्य)
१४१	—द्वारका प्रसाद मौर्य ,श्री	.. मरियाहूं (उत्तर)
१४२	—द्वारिका प्रसाद पान्डेय ,श्री	.. फरेंदा (दक्षिण)
१४३	—धनुषधारी पान्डेय ,श्री	.. खलीलाबाद (दक्षिण)
१४४	—धर्म सिंह, श्री	.. बुलन्दशहर (दक्षिण) –अनूपशहर (दक्षिण)
१४५	—धर्मदत्त वैद्य ,श्री	बहेड़ी (दक्षिण–पश्चिम) –बरेली (पश्चिम)
१४६	—नत्थू सिंह,श्री	.. आओंला (पूर्व) –फरीदपुर
१४७	—नन्दकुमार देव वाशिष्ठ ,श्री	.. हाथरस
१४८	—नरदेव शास्त्री ,श्री	.. पश्चिमीय दून दक्षिण पूर्वीय दून
१४९	—नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़ –चम्पावत
१५०	—नरोत्तम सिंह,श्री	... दातागंज (दक्षिण)–बदायूं (दक्षिण–पूर्व)
१५१	—नवल किशोर ,श्री	.. आओंला (पश्चिम)
१५२	—नागेश्वर द्विवेदी ,श्री	.. मछलीशहर (उत्तर)
१५३	—नाजिम अली ,श्री	.. मुसाफिरखाना (उत्तर)–सुल्तानपुर(उत्तर)
१५४	—नारायण दत्त तिवारी ,श्री	.. नैनीताल (उत्तर)
१५५	—नारायण दास, श्री	.. फैजाबाद (पूर्व)
१५६	—नारायणदीन,श्री	.. पवायां –शाहजहांपुर (पूर्व)
१५७	—निरंजन सिंह ,श्री	पीलीभीत (पूर्व)—बीसलपुर (पश्चिम)
१५८	—नेकराम शर्मा, श्री	.. सिकन्दराराव (दक्षिण)
१५९	—नेत्रपाल सिंह,श्री	.. .. सिकन्दराराव (उत्तर)–कोइल दक्षिण (पूर्व)
१६०	—नौरंगलाल ,श्री	.. नवाबगंज
१६१	—पद्मनाथ सिंह,श्री	.. मुहम्मदाबाद –गोहना (दक्षिण)
१६२	—परमानन्द सिन्हा ,श्री	.. सोराव (दक्षिण)
१६३	—परमेश्वरी दयाल ,श्री	.. .. केराकट –जौनपुर (दक्षिण)
१६४	—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री	.. महराजगंज (उत्तर)

क्रम० सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१६५	पहलवान सिंह,चौधरी ,श्री	..	बांदा
१६६	पातीराम ,श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६७	पुतूलाल ,श्री		ऐतमादपुर –आगरा (पूर्व)
१६८	पुद्दनराम, श्री	..	बांसी (उत्तर)
१६९	पुलिन विहारी बनर्जी, श्री	..	लखनऊ नगर (पश्चिम)
१७०	प्रकाशवती सूद,श्रीमती	..	हापुड़ (उत्तर)
१७१	प्रतिपाल सिंह,श्री	..	शाहजहांपुर (पश्चिम)—जलालाबाद (पूर्व)
१७२	प्रभाकर शुक्ल, श्री	..	हरैया (उत्तर –पश्चिम)
१७३	प्रभुदयाल ,श्री		बस्ती (पश्चिम)
१७४	प्रेमकिशन खन्ना ,श्री	..	पवायां –शाहजहांपुर (पूर्व)
१७५	फजलुल हक,श्री	..	रामपुर नगर
१७६	फतेह सिंह राणा ,श्री	..	सरधना (पश्चिम)
१७७	फूलसिंह ,श्री	..	देवबन्द
१७८	बद्रीनारायण मिश्र,श्री	..	सलीमपुर (दक्षिण)
१७९	बनारसी दास,श्री	..	बुलन्दशहर (मध्य)
१८०	बलदेव सिंह, श्री	..	बनारस (मध्य)
१८१	बलदेव सिंह, आर्य,श्री		पौड़ी (दक्षिण)–चमोली (पूर्व)
१८२	बलवीर सिंह,श्री		गाजियाबाद (दक्षिण)
१८३	बलभद्र प्रसाद शुक्ल ,श्री	..	उतरौला (उत्तर)
१८४	बलवन्त सिंह, श्री	..	मुज्जफरनगर (पूर्व) –जानसठ (उत्तर)
१८५	बशीरअहमद हकीम,श्री	..	सीतापुर (पूर्व)
१८६	बसन्तलाल,श्री	..	कालपी –जालौन (उत्तर)
१८७	बसन्तलाल शर्मा,श्री	..	नानपारा (उत्तर)
१८८	बाबूनन्दन, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
१८९	बाबूराम गुप्त, श्री	..	कासगंज (पश्चिम)
१९०	बाबूलाल कुसुमेश, श्री	..	रामसनेही घाट
१९१	बाबूलाल मित्तल, श्री	..	आगरा नगर (उत्तर)
१९२	बालेन्दुशाह, महाराजकुमार	..	टेहरी (दक्षिण)—प्रतापनगर
१९३	बिशम्बर सिंह, श्री	..	सरधना (पूर्व)
१९४	बेचन राम, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर –पश्चिम)
१९५	बेचन राम गुप्त, श्री		ज्ञानपुर (पूर्व)
१९६	बेनी सिंह, श्री	..	कानपुर तहसील
१९७	बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री	..	बांसडीह (मध्य)
१९८	बैजूराम, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
१९९	ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	..	कानपुर नगर (दक्षिण)
२००	भगवतीदीन तिवारी, श्री	..	जौनपूर (उत्तर) –शाहगंज (पश्चिम)
२०१	भगवती प्रसाद दुबे, श्री	..	बांसगांव (पूर्व) –गोरखपुर (दक्षिण)
२०२	भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	..	प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०३	भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)
२०४	भगवानदीन वाल्मीकि, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)–खागा(दक्षिण)
२०५	भगवान सहाय, श्री		तिलहर (दक्षिण)
२०६	भीमसेन, श्री	..	खुरजा
२०७	भुवर जी, श्री	..	फूलपुर (पूर्व) –हंडिया (उत्तर –पश्चिम)

क्रम सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
२०८	भूपाल सिंह खाती, श्री	अल्मोड़ा (उत्तर)
२०९	भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	बांसगांव (दक्षिण-पूर्व)
२१०	भोलासिंह यादव, श्री	गाजीपुर (दक्षिण-पश्चिम)
२११	मकसूद आलम खां, श्री	पीलीभीत (पश्चिम)
२१२	मंगला प्रसाद, श्री	मेजा-करछना (दक्षिण)
२१३	मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री	फर्रुखाबाद (पश्चिम)-शिवराजऊ
२१४	मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री	बांसी (उत्तर)
२१५	मदन गोपाल वैद्य, श्री	फैजाबाद (पूर्व)
२१६	मदनमोहन उपाध्याय, श्री	रानीखेत (उत्तर)
२१७	मन्नीलाल गुरुदेव, श्री	महोबा -कुलपहाड़ -नरखारी
२१८	मलखान सिंह, श्री	कोइल (मध्य)
२१९	महमूद अली खां, श्री	सुमर -टांडा -बिलासपुर
२२०	महमूद अली खां, श्री	सहारनपुर (उत्तर -पश्चिम)--नकुड़ (उत्तर)
२२१	महाजन, श्री सी० बी०	आगरा नगर (पश्चिम)
२२२	महादेव प्रसाद, श्री	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
२२३	महाराज सिंह, श्री	शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२४	महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री	हंडिया (दक्षिण)
२२५	महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री	मोहनलालगंज
२२६	महावीर सिंह, श्री	हाटा (उत्तर)-देवरिया
२२७	महीलाल, श्री	बिलारी
२२८	मान्धाता सिंह, श्री	रसरा (पूर्व) -बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
२२९	मिजाजी लाल, श्री	करहल (पूर्व)--भोगांव (दक्षिण)
२३०	मिहरबान सिंह, श्री	बिधूना (पश्चिम)-भरथना (उत्तर) इटावा (उत्तर)
२३१	मुजफ्फर हसन, श्री	चायल (उत्तर)
२३२	मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री	पूरनपुर -बीसलपुर (पूर्व)
२३३	मुन्नू लाल, श्री	बिसवा -सिधौली (पूर्व)
२३४	मुरलीधर कुरील, श्री	बिल्हौर-अकबरपुर
२३५	मुश्ताक अली खां, श्री	सहसवान (पश्चिम)
२३६	मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री	डुमरियागंज (दक्षिण)
२३७	मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री	बजनौर (उत्तर)-नजीबाबाद (पश्चिम)
२३८	मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	बनारस नगर (उत्तर)
२३९	मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज	नगीना (दक्षिण-पश्चिम) -धामपुर (उत्तर पूर्व)
२४०	मुहम्मद तकी हादी, श्री	अमरोहा (पश्चिम)
२४१	मुहम्मद नबी, श्री	बुढाना (पूर्व) -जानसठ (दक्षिण)
२४२	मुहम्मद नसीर, श्री	टांडा
२४३	मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री	देवरिया (उत्तर पूर्व)
२४४	मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री	सहारनपुर नगर
२४५	मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री	मछली शहर (दक्षिण)
२४६	मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री	उतरौला (मध्य)
२४७	मुहम्मद सआदत अली खां, राजा	नानपारा (दक्षिण)

क्रम सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
२४८	मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर पूर्व)–बांसी (पश्चिम)
२४९	मोहन लाल, श्री	..	सफीपुर –उन्नाव (उत्तर)
२५०	मोहनलाल गौतम, श्री	..	खैर –कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२५१	मोहन सिंह,श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर–पूर्व)
२५२	मोहन सिंह शाक्य, श्री	..	अलीगंज (दक्षिण)
२५३	यमुना प्रसाद, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)
२५४	यमुना सिंह, श्री	..	गाजीपुर (मध्य)-मुहम्मदाबाद(उत्तर-पश्चिम)
२५५	यशोदा देवी, श्रीमती	..	बांसगांव (दक्षिण––पश्चिम)
२५६	रघुनाथ प्रसाद, श्री	..	मेजा–करछना (दक्षिण)
२५७	रघुराज सिंह, श्री	..	तरबगंज (पश्चिम)
२५८	रघुवीर सिंह, श्री	..	बागपत (दक्षिण)
२५९	रणंजय सिंह, श्री	..	अमेठी (मध्य)
२६०	रतनलाल जैन, श्री	..	नजीबाबाद (उत्तर)–नगीना (उत्तर)
२६१	रमानाथ खैरा, श्री	..	महरौनी
२६२	रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	..	मरियाहूं (दक्षिण)
२६३	रमेश वर्मा, श्री	..	किराउली
२६४	राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा	..	उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)
२६५	राजकिशोर राव, श्री	..	बहराइच (पूर्व)
२६६	राजकुमार शर्मा, श्री	..	चुनार (उत्तर)
२६७	राजनारायण, श्री	..	बनारस (दक्षिण)
२६८	राजनारायण सिंह, श्री	..	चुनार (दक्षिण)
२६९	राजवंशी, श्री	..	पडरौना (दक्षिण–पश्चिम)–देवरिया (दक्षिण पूर्व)
२७०	राजाराम, श्री	..	अतरौली (दक्षिण)–कोइल (पूर्व)
२७१	राजाराम किसान, श्री	..	प्रतापगढ़ (पश्चिम)–कुन्डा (उत्तर)
२७२	राजाराम मिश्र, श्री	..	फैजाबाद (पश्चिम)
२७३	राजाराम शर्मा, श्री	..	खलीलाबाद (उत्तर)
२७४	राजेन्द्रदत्त, श्री	..	मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
२७५	राजेश्वर सिंह, श्री	..	बदायूं (दक्षिण–पश्चिम)
२७६	राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री	..	बिलग्राम (पूर्व)
२७७	राधामोहन सिंह, श्री	..	बलिया (पूर्व)
२७८	रामअधार तिवारी, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर–पश्चिम)–पट्टी (उत्तर–पश्चिम)
२७९	राम अधीन सिंह यादव, श्री	..	पुरवा (मध्य)
२८०	राम अनन्त पांडेय, श्री	..	बलिया (मध्य)
२८१	राम अवध सिंह, श्री	..	फरेंदा (उत्तर)
२८२	रामकिंकर, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर–पश्चिम)–पट्टी (उत्तर–पश्चिम)
२८३	रामकुमार शास्त्री, श्री	..	बांसी (दक्षिण)
२८४	रामकृष्ण जेसवार, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)
२८५	राम गुलाम सिंह, श्री	..	जलालाबाद (पश्चिम)
२८६	रामचन्द्र विकल, श्री	..	सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८७	रामचरनलाल गंगवार, श्री	..	बरेली (पश्चिम)

क्रम सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
२८८	रामजी लाल सहायक, श्री	.. मवाना
२८९	रामजी सहाय, श्री	.. देवरिया (दक्षिण–पश्चिम) हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
२९०	रामदास आर्य, श्री	.. बुढ़ाना (पूर्व)–जानसठ (दक्षिण)
२९१	रामदास रविदास, श्री	.. अकबरपुर (पश्चिम)
२९२	राम दुलारे मिश्र, श्री	.. अकबरपुर (दक्षिण)
२९३	राम नरेश शुक्ल, श्री	.. कुन्डा (दक्षिण)
२९४	रामनारायण त्रिपाठी, श्री	.. अकबरपुर (पूर्व)
२९५	रामप्रसाद, श्री	.. रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
२९६	रामप्रसाद देशमुख, श्री	.. खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२९७	रामप्रसाद नौटियाल, श्री	.. लैन्सडाउन (पूर्व)
२९८	राम प्रसाद सिंह, श्री	.. महाराजगंज (दक्षिण)
२९९	राम बली मिश्र, श्री	.. सुल्तानपुर (पूर्व)–अमेठी (पूर्व)
३००	रामभजन, श्री	.. मोहम्मदी (पश्चिम)
३०१	राम मूर्ति, श्री	.. बहेड़ी (उत्तर-पूर्व)
३०२	रामरतन प्रसाद, श्री	.. रसरा (पूर्व)–बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
३०३	रामराज शुक्ल, श्री	.. पट्टी (पूर्व)
३०४	रामलखन, श्री	.. चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०५	रामलखन मिश्र, श्री	.. डुमरियागंज (उत्तर-पश्चिम)
३०६	रामलाल, श्री	.. बस्ती (पश्चिम)
३०७	रामवचन यादव, श्री	.. फूलपुर (दक्षिण)
३०८	रामशंकर द्विवेदी, श्री	.. रायबरेली–डलमऊ (उत्तर)
३०९	रामशंकर रविदासी, श्री	.. लखनऊ (मध्य)
३१०	रामसनेही भारतीय, श्री	.. बबेरी (पश्चिम)
३११	रामसहाय शर्मा, श्री	.. गरोधा मोठ (उत्तर)
३१२	रामसुन्दर पांडेय, श्री	.. घोसी (पूर्व)
३१३	रामसुन्दर राम, श्री	.. खलीलाबाद (दक्षिण)
३१४	रामसुभग वर्मा, श्री	.. पडरौना (पश्चिम)
३१५	रामसुमेर, श्री	.. टांडा
३१६	रामस्वरूप, श्री	.. दूधी–राबर्ट्सगंज
३१७	रामस्वरूप गुप्त, श्री	.. भोगनीपुर (पश्चिम)–डेरापुर (दक्षिण)
३१८	रामस्वरूप भारतीय, श्री	कुन्डा (दक्षिण)
३१९	रामस्वरूप मिश्र "विशारद", श्री	.. महाराजगंज (पश्चिम)
३२०	रामहरख यादव, श्री	.. बीकापुर (पश्चिम)
३२१	रामहेत सिंह, श्री	.. छत्ता
३२२	रामेश्वर प्रसाद, श्री	.. महाराजगंज (पश्चिम)
३२३	रामेश्वर लाल, श्री	.. देवरिया (दक्षिण)
३२४	लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री	.. नैनीताल (दक्षिण)
३२५	लक्ष्मण राव कदम, श्री	.. मऊ –मोठ (दक्षिण) –झांसी (पश्चिम) –ललितपुर (उत्तर)
३२६	लक्ष्मीदेवी, श्रीमती	.. संडीला –बिलग्राम (दक्षिण–पूर्व)
३२७	लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	.. माट –सादाबाद (पश्चिम)
३२८	लक्ष्मीशंकर यादव, श्री	.. शाहगंज (पूर्व)

क्रम सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
३२९	लताफत हुसैन ,श्री	.. हसनपुर (उत्तर)
३३०	लालबहादुर सिंह, श्री	.. केराकट –जौनपुर (दक्षिण)
३३१	लालबहादुर सिंह कश्यप ,श्री	.. बनारस (उत्तर)
३३२	लीलाधर अष्ठाना ,श्री	.. उन्नाव (दक्षिण)
३३३	लुत्फअली खां, श्री	.. हापुड़ (दक्षिण)
३३४	लेखराज सिंह ,श्री	.. सम्भल (पूर्व)
३३५	वंशनारायण सिंह, श्री	.. ज्ञानपुर (उत्तर –पश्चिम)
३३६	वंशीदास धनगर,श्री	.. करहल (पश्चिम) –शिकोहाबाद (पूर्व)
३३७	वंशीधर मिश्र,श्री	.. लखीमपुर (दक्षिण)
३३८	वशिष्ठनारायण शर्मा,श्री	.. गाजीपुर (दक्षिण –पूर्व)
३३९	वसी नकवी ,श्री	.. महाराजगंज (पूर्व) –सलोन (उत्तर)
३४०	वासुदेव प्रसाद मिश्र,श्री	.. कानपुर नगर (मध्य –पश्चिम)
३४१	विचित्र नारायण शर्मा,श्री	.. गाजियाबाद (उत्तर –पूर्व)
३४२	विजय शंकर प्रसाद,श्री	.. मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३४३	विद्यावती राठौर ,श्रीमती	.. एटा (पूर्व) –अलीगढ़ (पश्चिम)–– कासगंज (दक्षिण)
३४४	विश्राम राय, श्री	.. सगरी (पूर्व)
३४५	विश्वनाथ सिंह गौतम ,श्री	.. गाजीपुर (पश्चिम)
३४६	विष्णुदयाल वर्मा, श्री	.. जसराना
३४७	विष्णुशरण दुब्लिश ,श्री	.. मवाना
३४८	वीरसेन ,श्री	.. हापुड़ (दक्षिण)
३४९	वीरेन्द्रपति यादव ,श्री	.. मैनपुरी (दक्षिण)
३५०	वीरेन्द्र वर्मा,श्री	.. कैराना (दक्षिण)
३५१	वीरेन्द्र विक्रम सिंह,श्री	.. नानपारा (पूर्व)
३५२	वीरेन्द्रशाह,राजा	.. कालपी –जालौन (उत्तर)
३५३	व्रजभूषण मिश्र,श्री	.. दूधी राबर्ट्सगंज
३५४	व्रजरानी मिश्र ,श्रीमती	.. बिल्हौर –अकबरपुर
३५५	व्रजवासी लाल,श्री	.. बीकापुर (मध्य)
३५६	व्रजविहारी मिश्र ,श्री	.. फूलपुर (उत्तर)
३५७	व्रजविहारी मेहरोत्रा ,श्री	.. घाटमपुर –भोगनीपुर (पूर्व)
३५८	शंकरलाल, श्री	.. कादीपुर (मध्य)
३५९	शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री	.. बाह
३६०	शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	.. चकराता –पश्चिमी दून (उत्तर)
३६१	शिवकुमार मिश्र, श्री	.. तिलहर (उत्तर)
३६२	शिवकुमार शर्मा,श्री	.. बिजनौर (दक्षिण) –धामपुर (दक्षिण–पश्चिम)
३६३	शिवदान सिंह ,श्री	.. इगलास
३६४	शिवनाथ काटजू,श्री	.. फूलपुर (मध्य)
३६५	शिवनारायण, श्री	.. हरैया (पूर्व) ––बस्ती (पश्चिमी)
३६६	शिवपूजन राय,श्री	.. मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व)
३६७	शिवप्रसाद, श्री	.. हाटा (मध्य)
३६८	शिवमंगल सिंह, श्री	.. बांसडीह (पश्चिम)
३६९	शिवमंगल सिंह कपूर ,श्री	.. डुमरियांगंज (पश्चिम)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३७०—	शिवराजवली सिंह, श्री	.. खजूहा (पूर्व)—फतेहपुर (दक्षिण—पश्चिम)
३७१—	शिवराजसिंह यादव, श्री	.. बिसौली गन्नौर (पूर्व)
३७२—	शिवराम पांडेय, श्री	.. डोरापुर (उत्तर)
३७३—	शिवराम राय, श्री	.. सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
३७४—	शिवबक्षसिंह राठौर, श्री	.. करहल (पूर्व)—भोगांव (दक्षिण)
३७५—	शिववचनराव, श्री	.. सलीमपुर (उत्तर)
३७६—	शिवशरन लाल श्रीवास्तव, श्री	.. बहराइच (पूर्व)
३७७—	शिवस्वरूप सिंह, श्री	.. ठाकुर द्वारा
३७८—	शुकदेव प्रसाद, श्री	.. महराजगंज (दक्षिण)
३७९—	शुगनचन्द, श्री	.. रुड़की (पश्चिम)—सहारनपुर (उत्तर)
३८०—	श्याममनोहर मिश्र, श्री	.. मलिहाबाद—बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
३८१—	श्यामलाल, श्री	.. उतरौला (उत्तर)
३८२—	श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री	.. नरैनी
३८३—	श्रीचन्द्र, श्री	.. बुढ़ाना (पश्चिम)
३८४—	श्रीनाथ भार्गव, श्री	.. मथुरा (उत्तर)
३८५—	श्रीनाथ राम, श्री	.. मुहम्मदाबाद (उत्तर-पश्चिम)
३८६—	श्रीनिवास, श्री	.. उतरौली (उत्तर)
३८७—	श्री निवास पण्डित, श्री	.. बदायूं (उत्तर)
३८८—	श्रीपति सहाय, श्री	.. राठ
३८९—	सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती	.. कांसगंज (पूर्व)—अलीगंज (उत्तर)
३९०—	संग्राम सिंह, श्री	.. सोरों (उत्तर—फूलपुर (पश्चिम)
३९१—	सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री	.. सलीमपुर (पूर्व)
३९२—	सज्जनदेवी सहनोत, श्री	.. गोंडा (पूर्व)
३९३—	सत्यनारायण दत्त, श्री	.. औरैया—भरथना (दक्षिण)
३९४—	सत्यसिंह राणा, श्री	.. देवप्रयाग
३९५—	सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती	.. बरेली (पूर्व)
३९६—	सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	.. बनारस नगर (दक्षिण)
३९७—	सहदेव सिंह, श्री	.. जलेसर (एटा) (उत्तर)
३९८—	सालिगराम जयसवाल, श्री	.. सिराथू—मंझनपुर
३९९—	सावित्रीदेवी, श्रीमती	.. मुसाफिरखाना (मध्य)
४००—	सियाराम गंगवार, श्री	.. फर्रुखाबाद (मध्य)—कायमगंज (पूर्व)
४०१—	सियाराम चौधरी, श्री	.. कैसरगंज (मध्य)
४०२—	सीताराम डाक्टर	.. देवरिया (दक्षिण—पश्चिम)—हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
४०३—	सीताराम शुक्ल,श्री	.. हरैया (दक्षिण-पश्चिम)
४०४—	सुखीराम भारतीय, श्री	.. सिराथू—मंझनपुर
४०५—	सुन्दरलाल, श्री	.. आवला (पूर्व)—फरीदपुर
४०६—	सुरजूराम, श्री	.. सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
४०७—	सुरेन्द्रदत्तवाजपेयी, श्री	.. हमीरपुर—मौदहा (उत्तर)
४०८—	सुरेशप्रकाश सिंह, श्री	.. बिसवां—सिधौली (पूर्व)
४०९—	सुल्तान आलम खां, श्री	.. कायमगंज (पश्चिम)
४१०—	सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री	.. कानपुर नगर (उत्तर)
४११—	सूर्य्यबली पांडेय, श्री	.. हाटा (मध्य)
४१२—	सेवाराम, श्री	.. पुरवा (उत्तर)—हसनगंज

क्रम० सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
४१३	—हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री	..	सफ़ीपुर -उन्नाव (उत्तर)
४१४	—हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)
४१५	—हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री	..	शाहजहांपुर (मध्य)
४१६	—हमीद ख़ां, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य-पूर्व)
४१७	—हरखयाल सिंह, श्री	..	बागपत (पूर्व)
४१८	—हरगोविन्द पन्त, श्री	..	रानीखेत (दक्षिण)
४१९	—हरगोविन्द सिंह, श्री	..	जौनपुर (पूर्व)
४२०	—हरदयाल सिंह पिपल , श्री	..	हाथरस
४२१	—हरदेव सिंह, श्री	..	देवबन्द
४२२	—हरसहाय गुप्त, श्री	..	बिलारी
४२३	—हरिप्रसाद, श्री	..	बिसलपुर (मध्य)
४२४	—हरिश्चन्द्र अष्ठाना , श्री	..	सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
४२५	—हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
४२६	—हरिसिंह, श्री	..	हापुड़ (उत्तर)
४२७	—हुकुम सिंह, श्री	..	कैसरगंज (दक्षिण)
४२८	—हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री	..	करछना (उत्तर) – चायल (दक्षिण)
४२९	—होती लाल दास, श्री	..	एटा (दक्षिण)
४३०	—(रिक्त)	..	बिलग्राम (पश्चिम)
४३१	—(रिक्त)	..	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व) गोंडा–(दक्षिण)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाजरसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले
उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री

गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दातारम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाभसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री

फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन , श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
(प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
(बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अथमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री

रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री

श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

तारांकित प्रश्न

लखनऊ में संस्कृत साहित्य परिषद् का भवन निर्माण

*१—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में संस्कृत साहित्य परिषद के भवन निर्माण करने की किसी योजना पर वह विचार कर रही है ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी नहीं ।

संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना

*२—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने में उसे अभी कितना समय लगेगा ?

डाक्टर सीताराम—निश्चित समय तो बताना कठिन है परन्तु शीघ्र स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार संस्कृत शिक्षा परिषद को कोई आर्थिक सहायता देती है, यदि हां, तो क्या ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—कोई रेकरिंग ग्रांट नहीं दी जाती है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने में खर्चे का क्या अनुमान है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इन्हीं सब बातों पर विचार हो रहा है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या उद्देश्य है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जो विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य हुआ करता है वही है और संस्कृत शिक्षा का प्रसार हो ।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---क्या यह सही है कि यह विधेयक ५ साल से स्थगित किया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं ।

हाथरस की सूती मिलों की बन्दी तथा मजदूरों की बेकारी

*३---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार को मालूम है कि हाथरस में तीन सूती मिलें हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उनमें से २ सूती मिलें बन्द पड़ी हैं ?

श्रम मन्त्री (आचार्य जुगलकिशोर)---जी हां ।

*४---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार बतायेगी कि हाथरस में दो सूती मिलें बन्द होने से कितने मजदूर बेकार हो गये हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---लगभग १,३६७ ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह दोनों मिलें क्यों बन्द हुईं और खुलवाने का सरकार ने क्या प्रबन्ध किया और क्या उसका परिणाम हुआ ?

आचार्य जुगलकिशोर---दो मिलों में से एक तो जो लल्लामल हरदेव दास मिल है वह आपसी झगड़े के कारण बन्द करनी पड़ी । इस बात की कोशिश हुई थी कि कंट्रोलर को वहां रखा जाय लेकिन कंट्रोलर की नियुक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला हुआ इसलिये नहीं हो सकी । दूसरी मिल के बारे में रामचन्द्र स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल है, उसमें हानि हुई और वह नहीं चल सकी और इसी कारण से वह अब भी बन्द है, क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं है कि वह उसकी मरम्मत कराके चला सकें ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बेकार मजदूर हैं उनमें से कितनों को काम मिला है और कितने अब भी बेकार हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---इसकी तो मेरे पास सूचना नहीं है कि कितने बेकार हैं या चले गये हैं ।

मिलों में लेबर वेलफेयर अफसर तथा उनकी योग्यता, वेतन और कर्त्तव्य

*५---श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राज्य की कितनी मिलों को लेबर वेलफेयर अफसर रखने का आदेश सरकार द्वारा किया गया है और उन लेबर वेलफेयर अफसरों की क्या योग्यता रखी गई है ?

आचार्य जुगलकिशोर---प्रत्येक फैक्ट्री में जिसमें साधारणतया ५०० या ५०० से अधिक श्रमिक काम करते हैं, लेबर वेलफेयर अफसर नियुक्त करने का विधान है । ऐसी फैक्ट्रियों की संख्या, जहां तक अभी तक ज्ञात हुआ है, १३४ है । वेलफेयर अफसरों की योग्यता यू० पी० फैक्ट्रीज वेलफेयर आफिसर्स रूल्स, १९५५ के नियम ९ में दी गई है ।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन १३४ कारखानों में से कितने सरकारी कारखाने हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---इसकी तो मेरे पास कोई सूचना नहीं है प्रश्न से यही मालूम होता है। प्रश्न से यह नहीं मालूम होता है कि यह सूचना मांगी गयी थी, लेकिन कुल संख्या जो फैक्टरीज में वेलफेयर आफिसर के अप्वाइन्ट करने की है वही यहां पर है ।

श्री गेंदासिंह---क्या जो सरकारी कारखाने हैं उन कारखानों में वेलफेयर अफसर नियुक्त हुये हैं और अगर नियुक्त हुये हैं तो वही सुविधा उनको प्राप्त है जो दूसरे लोगों के कारखानों में प्राप्त है ?

आचार्य जुगलकिशोर---नियम के अनुसार वेलफेयर अफसर सरकारी फैक्ट्रीज में भी नियुक्त किये जाते हैं।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन फैक्ट्रीज के अलावा सरकारी बांधों पर जो मजदूर काम करते हैं उनके कल्याण के लिये भी सरकार ने लेबर अफसर नियुक्त करने की योजना बनायी है या कोई नियुक्त किया है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जो कारखाने फैक्ट्रीज ऐक्ट के अन्तर्गत आते हैं उन्हीं में वेलफेयर अफसर नियुक्त करने का प्रश्न इस समय उठता है। यों तो गवर्नमेंट की कोशिश यह है कि जहां ऐसे लेबरर्स रहते हैं यद्यपि वे फैक्ट्री ऐक्ट के अन्दर नहीं आते हैं उनकी सुविधा के लिये भी कुछ प्रबन्ध किया जाय।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--- क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायें कि लेबर वेलफेयर अफसर की नियुक्ति मिलों में सरकार के द्वारा होती है या मिलमालिकों के द्वारा ?

आचार्य जुगलकिशोर---सरकार द्वारा कुछ नियम निर्धारित हैं लेकिन वे मिलमालिक स्वयं उनको नियुक्त करते हैं ।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि लेबर वेलफेयर की ट्रेनिंग की व्यवस्था सरकार ने अपनी तरफ से की थी और यदि ऐसी है तो कितने ट्रेड किये गये थे ?

आचार्य जुगलकिशोर---कुछ संस्थायें मनोनीत की गयी हैं जिनके द्वारा शिक्षा दी जाती है। काशी विद्यापीठ है और टाटा स्कूल है और लखनऊ युनिवर्सिटी में जो सोशल वेलफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है उसको भी मान्यता दी गयी है। और भी स्कूल ऐसे हैं जिनको योग्यता प्राप्त है और ट्रेनिंग भी प्राप्त है उनको मान्यता दी जाती है। पब्लिक सर्विस कमीशन जब नियुक्ति करता है तो उन मान्यताओं को देखकर ही वह नियुक्त करता है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १३४ फैक्ट्रियों में से क्यों ११७ में ही अभी तक वेलफेयर अफसर की नियुक्ति हुई हैं ?

आचार्य जुगल किशोर---यह सूचना उन फैक्ट्रियों की है जहां पर नियुक्ति हो गयी है। इसके अलावा फैक्ट्रियों को लिखा गया है जहां पर नियुक्ति नहीं हुई है। संभवतः वहां पर नियुक्ति हो चुकी होगी। ऐसी खबर नहीं है कि वहां पर नियुक्ति नहीं की गयी है। यह सूचना नहीं है कि अफसर कितने नियुक्त किये गये हैं और उनकी क्या योग्यता है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय श्रम मंत्री कृपा कर ऐसी सूचना इकट्ठा कराने का कष्ट करेंगे और उसको फिर यहां बतलाने की कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि उन फैक्ट्रियों से भी इसकी सूचना प्राप्त हो जाय और इस सूचना को प्राप्त करने की कोशिश की जायगी।

*६—**श्री गेंदासिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कहां-कहां पर अब तक लेबर वेलफेयर अफसर रखे जा चुके हैं, उनकी योग्यता क्या-क्या है तथा उनका वेतन, उनको दी गई अन्य सुविधायें और उनके कर्त्तव्य क्या हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार ११७ फैक्टरियों में वेलफेयर अफसरों की नियुक्ति हो गई है। इन अफसरों की योग्यतायें, उनको वेतन तथा अन्य सुविधायें तथा उनके कर्त्तव्य यू० पी० फैक्टरीज वेलफेयर आफिसर्स रूल के अनुसार है। उनमें से कुछ अफसरों को कुछ निर्धारित योग्यताओं से नियमानुसार मुक्त भी कर दिया गया है। नियमों की एक प्रतिलिपि मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७१–७५ पर)

मिर्जापुर जिले में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा हरिजनों को आर्थिक सहायता

*७—**श्री रामकृष्ण जैसवार** (जिला मिर्जापुर)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा सन् ५२ से ५४ तक प्रति वर्ष कितनी आर्थिक सहायता हरिजनों को घरेलू उद्योग-धन्धों के लिये दी गई ?

डाक्टर सीताराम—निम्नलिखित आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी गई:

१९५२–५३ में	८०० रु०
१९५३–५४ में	८०० रु०

*८—**श्री रामकृष्ण जैसवार**—क्या सरकार को यह विदित है कि पिछले वर्ष जो आर्थिक सहायता दी गई थी वह हरिजनों को अभी तक नहीं प्राप्त हो सकी ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*९—**श्री रामकृष्ण जैसवार**—यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

डाक्टर सीताराम—अनुदान समय पर सरकारी खजाने से न निकाला जा सका। अनुदान पाने वालों को सन् १९५४–५५ में पुनः ५५० रु० के अनुदान प्रदान किये गये।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि जिन लोगों को ५४–५५ में अनुदान दिया गया था उनको वह अभी तक प्राप्त नहीं हो सका। यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—एक साहब को मिल चुका है, दूसरे की कार्यवाही हो रही है, उसको जल्द ही मिल जायगा।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५२–५३ में जो ८००–८०० रुपया अनुदान का मिला था, उनको नहीं मिला तो यह किन अधिकारियों की लापरवाही के कारण नहीं मिला और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—५२–५३ के खत्म होने के बाद जिन लोगों को नौकरी मिल गई थी और उन्होंने नौकरी कर ली इसलिये उनको नहीं दिया गया।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह अनुदान किन-किन उद्योगों को दिया गया था और सबसे अधिक अनुदान किस उद्योग को दिया गया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—अनुदान दर्जी के काम के लिये, चमड़े के काम के लिये, स्विइंग के काम के लिये और वीविंग के काम के लिये दिये गये हैं।

हमीरपुर में लड़कियों की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध

*१०—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि हमीरपुर नगर में लड़कियां उच्च शिक्षा के लिये राजकीय उच्चतर माध्यमिक पाठशाला में लड़कों के साथ ही पढ़ने के लिये बाध्य हैं? यदि हां, तो क्या सरकार केवल लड़कियों की शिक्षा का कोई अलग प्रबन्ध करने की बात सोच रही है?

डाक्टर सीताराम—नहीं, अभी नहीं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि हमीरपुर नगर में लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिये राजकीय माध्यमिक पाठशाला के सिवाय और कोई लड़कियों के लिये दूसरी उच्च महिला शिक्षा संस्था नहीं है जहां लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें?

श्री हरगोविन्द सिंह—यदि नहीं भी है तो इसका यह अर्थ तो नहीं हो जाता कि लड़कियों को लड़कों के स्कूल में पढ़ने के लिये बाध्य किया जाता है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिये हमीरपुर नगर में कब तक प्रबंध हो जायगा?

श्री हरगोविन्द सिंह—अभी वहां उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या बहुत कम है इसलिये विचार नहीं किया जा सका।

मुख्य मंत्री शिक्षा-कोष

*११—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुख्य मंत्री फंड में अब तक कुल कितना रुपया जमा हो चुका है और उसमें से अब तक कितना किस काम पर व्यय हुआ है?

डाक्टर सीताराम—मुख्य मंत्री-शिक्षा कोष में ३१ मई, सन् १९५५ तक कुल ३०,८६,९८२ रु० ११ आ० ९ पाई० एकत्रित किया गया जिसमें से उपर्युक्त तिथि तक कुल ३,७२,६५५ रु० १३ आ० ९ पा० निम्नलिखित मदों पर व्यय हुआ:

मद	व्यय रु० आ० पा०
१—कृषि औजार	१,९९,६४९–१२–९
२—भूमि सुधार	८२,१६२–१५–९
३—मिश्रित व्यय, बीज, खाद इत्यादि	९०,८४३– १–३
योग ..	३,७२,६५५–१३–९

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन जिलों में जो रुपया वसूल होता है वह रुपया क्या उन्हीं जिलों में खर्च होता है?

श्री हरगोविन्द सिंह—अधिकतर उन्हीं जिलों में खर्च किया जाता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार को पता है कि कृषि शिक्षा के स्कूलों में कोई प्रगति नहीं हुई है?

श्री हरगोविन्द सिंह—संतोषप्रद प्रगति हुई है।

अमान्यता-प्राप्त विद्यालयों पर प्रतिबन्ध

*१२—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयाग ने आगामी हाई स्कूल परीक्षा में कुछ छात्रों को इसलिये सम्मिलित होने से रोक दिया है कि वे किसी अमान्यता-प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी हां ।

*१३—श्री उमाशंकर—यदि हां, तो क्या सरकार अब राज्य में किसी को बिना माध्यमिक शिक्षा परिषद् की पूर्वानुमति के हाई स्कूल खोलने की आज्ञा नहीं देगी ?

डाक्टर सीताराम—हाई स्कूल खोलने की अनुमति सरकार नहीं देती ।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि अमान्यता-प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को प्राइवेट छात्रों की तरह परीक्षा देने की सुविधायें देने में क्या कठिनाई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—प्राइवेट वही होते हैं जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं और यह शिक्षा की दृष्टि से बहुत ठीक नहीं मालूम होता है कि कोचिंग क्लासेज खोले जायं । इसी लिये उस पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

श्री उमाशंकर—इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार कोई उपाय निकालेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, अभी एक सरक्यूलर इश्यू किया गया है कि जो जूनियर हाई स्कूल रिकग्नाइज्ड हैं लेकिन नाईथ, टेंथ या और क्लासेज खोले हुये हैं, वे अगर उन क्लासेज को बन्द नहीं करेंगे तो उनके जूनियर हाई स्कूल का रिकाग्नीशन भी बिदड्रा कर लिया जायगा ।

आजमगढ़ जिले में सहायता प्राप्त वाचनालय तथा पुस्तकालय

*१४—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने वाचनालय और पुस्तकालय हैं और सरकार की ओर से उनमें से किन-किन को १९५४ ई० में सहायता मिली ?

डाक्टर सीताराम—आजमगढ़ जिले में राजकीय तथा सहायता प्राप्त कुल ५१ पुस्तकालय और ८२ वाचनालय हैं । इनमें से केवल १३ सहायता प्राप्त पुस्तकालय हैं जिनको (जैसा कि संलग्न सूची में दिया है ।) ६३२ रु० अनुदान वित्तीय वर्ष १९५४–५५ में दिया गया ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७६ पर)

श्री विश्राम राय—क्या सरकार को मालूम है कि आजमगढ़ में सबसे बड़ा पुस्तकालय मेहता पुस्तकालय है ? और यदि ऐसा है तो क्या सरकार उसको अधिक सहायता सालाना देने को तैयार है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसी कारण से उसको सबसे अधिक सहायता मिलती है २०० रु० की ।

*१५–१६—श्री उमाशंकर—[२३ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

प्रदेश में महिला-मंगल-योजना केंद्र

*१७—श्री राजाराम मिश्र (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस समय प्रदेश भर में महिला-मंगल योजना में कितने केन्द्र खोले जाने वाले हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—महिला मंगल-योजना इस समय प्रदेश भर में २३ जिलों में चालू है। इसके अन्तर्गत हर जिले में १५ केन्द्र खोले जाने वाले हैं, परन्तु शिक्षण प्राप्त ग्राम सेविकाओं के अनुपलब्ध होने के कारण अभी तक केवल ११५ केन्द्र ही खोले जा सके हैं। इस वर्ष यह योजना ७ नये जिलों में और कार्यान्वित की जायगी।

श्री राजाराम मिश्र—जो केन्द्र खुले हैं वे किन-किन जिलों में खुले हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—लखनऊ, रायबरेली, बहराइच, हमीरपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, इटावा, मथुरा, देहरादून, बाराबंकी, बिजनौर, फतेहगढ़, जालौन, जौनपुर, नैनीताल, प्रतापगढ़, पीलीभीत, रामपुर, सीतापुर और उन्नाव में।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये ७ जिले कौन-कौन हैं जिनका उल्लेख अभी माननीय मंत्री जी ने किया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इलाहाबाद, सहारनपुर, कानपुर, बलिया, मिर्जापुर, अल्मोड़ा और झांसी।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि क्या वह पश्चिमी जिलों में भी केन्द्र खोलने की कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—वह तो हमारा सभी जिलों में खोलने का विचार है, इस वक्त तक ३० जिलों को कवर किया गया है, अगले वर्ष सम्भव है कि और जिलों में भी खोले जायंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—सरकार ने जिस तरह ग्राम सेविकाओं की ट्रेनिंग का इंतजाम किया है क्या सरकार उससे बड़े पदों पर काम करने वाली लड़कियों की ट्रेनिंग का भी इंतजाम कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—तीन केन्द्रों में ६ मास की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उनको केन्द्र में रखा जाता है।

श्री राजाराम मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ग्राम सेविकाओं को उचित मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या उपाय सोचा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—उसके लिए ट्रेनिंग सेन्टर खोले गये हैं जहां ट्रेनिंग दी जाती है, अभी तक ३ खोले गए हैं और चौथा खोलने पर विचार हो रहा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस प्रदेश में श्रीमती लीलावती मुन्शी जो महिला संघ चला रही हैं उसका भी इसी योजना से सम्बन्ध है या वह अलग चला रही हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—सम्बन्ध उस हदतक है कि वह सरकार के सुपरविजन में खोला गया है और उसको सरकार धन देती है और उसके इंतजाम में कुछ मेम्बर सरकार की तरफ से उस कमेटी में नामजद किए जाते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर महिला मंगल योजना डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अन्तर्गत काम करेगी या इसके लिये अलग विभाग होगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह योजना तो वेलफेयर डिपार्टमेंट के अन्तर्गत है लेकिन वह प्लानिंग विभाग के सहयोग से काम कर रही है।

श्री अब्दुल मुईद खां (जिला बस्ती)– क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि महिला मंगल विकास की ट्रेनिंग के लिए केन्डीडेट्स पूरे मिल रहे हैं या कम मिल रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—वैसे हर जगह ५० लिए जाते हैं लेकिन कहीं पर ४० और कहीं पर ६० तक संख्या हो जाती है ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि महिला मंगल योजना और विमेन सोशल वेलफेयर में क्या अन्तर है और वह कहां चलाई जाती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—अन्तर इतना ही है कि वह एक सेन्ट्रल वेलफेयर बोर्ड केन्द्रीय सरकार की तरफ से कायम है, पहले यहां पर प्लानिंग विभाग इसको चलाता था और अब वेलफेयर विभाग चलाता है, योजना उसी आधार पर है जिस पर हमारी योजना चल रही है ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि महिला मंगल योजना के अन्तर्गत ट्रेनिंग देने के लिये केम्प्स केवल विकास केन्द्रों में ही खोले जाते हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह आवश्यक नहीं है कि केम्प्स केवल विकास केन्द्रों पर ही खोले जायं, वे प्रायः सभी केन्द्रों में ही खोले जाते हैं लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि वह केवल विकास क्षेत्र में ही हों ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सेविकाओं की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या योग्यता है और क्या उनको तनख्वाह दी जाती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—आठवीं जमाअत पास करना जरूरी है और उनको ४५ रुपये तनख्वाह और ११ रु० भत्ते का दिया जाता है ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस शिक्षण केन्द्रों में किस किस पद के लिये शिक्षा दी जाती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—ग्राम सेविकाओं को शिक्षा दी जाती है । डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर की जो नियुक्ति की जाती है उनको सिर्फ कुछ दिनों के लिये एक कैम्प खोला जाता है और उसमें कुछ ट्रेनिंग दी जाती है लेकिन शिक्षा प्रणाली के आधार पर तो सिर्फ ग्राम सेविकाओं को शिक्षा दी जाती है ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि महिला मंगल योजना के संचालन में जो व्यय होगा वह सब सरकार व्यय करेगी या अन्य किसी साधन से प्राप्त होगा ? यदि होगा तो कहां से और कितना ?

आचार्य जुगलकिशोर—सरकार ही उसको बरदाश्त करेगी ।

आजमगढ़ जिले में ऐतिहासिक औरंगजेबी मस्जिद

*१८—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि बोहरीघाट (जिला आजमगढ़) में घाघरा के कटाव से एक पुरानी ऐतिहासिक औरंगजेबी मस्जिद के बचाने के लिये सरकार के पास वहां के नागरिकों की ओर से कोई आवेदन-पत्र आया है ? अगर हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या निर्णय किया है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न को आधार बनाकर जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यदि इस सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र आये ।

प्रान्तीय तथा क्षेत्रीय समाज कल्याण बोर्ड्स

*१९—**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)—क्या यह सही है कि सरकार कोई प्रान्तीय समाज कल्याण बोर्ड्स बनाने वाली है या बना चुकी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां । राज्य समाज कल्याण बोर्ड बनाने के संबंध में सरकार विचार कर रही है ।

*२०—**श्री महीलाल**—क्या माननीय मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वे क्षेत्रीय समाज कल्याण बोर्ड्स बनाने जा रहे हैं ? यदि हां, तो उसके सदस्यों की नियुक्ति किन-किन सिद्धान्तों के आधार पर होगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—क्षेत्रीय समाज कल्याण बोर्ड्स बनाने का विचार तो अभी नहीं है किन्तु यह विचार किया जा रहा है कि जिलों में समाज कल्याण समितियां बनाई जायं जो विभिन्न क्षेत्रों के समाज कल्याण कार्य का समन्वय करेंगी । किस आधार पर सदस्यों की नियुक्तियां इन समितियों में की जायगी यह भी विचाराधीन है ।

लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस में बहरों तथा गूंगों की शिक्षा पर व्यय

*२१—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस में अलग-अलग बहरों और गूंगों की शिक्षा पर सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितना व्यय किया जाता है ?

आचार्य जुगलकिशोर—गत वर्ष (१९५४–५५) में इन जिलों में सरकार ने गूंगों और बहरों की शिक्षा पर निम्नलिखित धन व्यय किया था:—

		रु०
(१) मूक बधिर विद्यालय, लखनऊ	..	२०,७६४
(२) मूक बधिर प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ	..	१२,०००
(३) मूक बधिर विद्यालय, बनारस	..	२,०००
(४) मूक बधिर विद्यालय, इलाहाबाद	..	१३,०२९

इन स्कूलों पर व्यय प्रति वर्ष घटता बढ़ता रहता है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी गूंगों और बहरों की शिक्षा के लिये पिछले वर्ष की भांति उचित प्राविधान गजट में किया गया है ।

*२२—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहरे और गूंगे की शिक्षा का प्रबन्ध प्रदेश के किन्हीं अन्य नगरों में भी किया जा रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां । उपर्युक्त शहरों के अतिरिक्त बहरे और गूंगों की शिक्षा का प्रबन्ध गवर्नमेंट डेफ एण्ड डम्ब स्कूल, बरेली में भी है । अभी तक केवल गोरखपुर से एक ऐसा स्कूल खोलने की मांग आयी है जिस पर विचार किया जा रहा है । यदि अन्य स्थानों में भी आवश्यकता प्रतीत हुई तो उस पर भी विचार किया जायगा ।

*२३—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय समाज-कल्याण मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी पिछले दिनों विदेश से आई हुई एक महिला जो गूंगी और बहरी थीं उन्होंने हमारे प्रदेश के इन स्कूलों का निरीक्षण किया था और उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये थे ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसकी तो मुझे नोटिस चाहिये । मेरे पास कोई सूचना इस वक्त नहीं है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र(जिला मिर्जापुर) --क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन गूंगे बहरों की शिक्षा कितने वर्ष की होती है और औसतन साल भर में कितने छात्र शिक्षित होकर निकलते हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—मुझे इसकी सूचना पूरे तौर से नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनको शिक्षा तब तक दी जाती है जब तक कि वे इस लायक न हो जायं कि वे स्वावलम्बी बन सकें ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ये बहरों और गूंगों के स्कूल हैं प्राइवेट या सरकारी उनके साथ होस्टल भी अटैच्ड हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—आपके इस सुझाव पर विचार किया जायगा । ज्यादातर जो ऐसे स्कूल हैं उनके साथ होस्टल्स लगे हुए हैं, लेकिन जहां पर नहीं है वहां कोशिश की जा रही है कि होस्टल्स का इन्तजाम हो जाय ।

श्री रामदास (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो गूंगे और बहरे शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं उनको भविष्य में रोजगार देने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

आचार्य जुगलकिशोर—कोई खास योजना तो सरकार की तरफ से नहीं बनी है। जो योजनायें चल रही हैं उनको सरकार ने देख कर समझा कि ठीक है । मेरे खयाल में कोई खास योजना हमारे पास नहीं है जिसको लागू करने के लिये बाध्य करें ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि गूंगों और बहरों को जो तालीम दी जाती है वह किस किस्म की है ? वह मामूली तालीम होती है या टेक्निकल तालीम भी दी जाती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—उनको टेक्निकल तालीम दी जाती है । उद्योग धंधे सिखाये जाते हैं, जिससे कि वे स्वावलम्बी बन सकें ।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार ने इस पर गौर किया है कि एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज को इस बात की हिदायत की जाय कि वे गूंगों और बहरों को जो टेक्नीकल तालीम दी जाती है उनकी नौकरी के लिये भी बन्दोबस्त करें ?

आचार्य जुगलकिशोर—मेरे खयाल में तो कोई रुकावट है नहीं, एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज के लिये ऐसे व्यक्तियों को नियुक्ति दिलाने में लेकिन साधारणतया ऐसे व्यक्ति वहां जाते नहीं ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करने की कृपा करेंगे कि सरकार के यहां कितना बेंत का काम होता है वह सब प्रदेशों में अन्धों और गूंगों को दिलाने का प्रयत्न किया जायगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह तो विचार करने की बात है कि बेंत के काम में उन्हीं को लगाया जाय । जहां-जहां ऐसे केन्द्र शिक्षा के हैं वहां बेंत का काम भी सिखाया जाता है ।

देवरिया जिले में मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

*२४—श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले में शिक्षा विभाग द्वारा १९५१ से अब तक कितने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता दी गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सन् १९५१ से अब तक देवरिया जिले में ९ विद्यालयों को नवीन मान्यता प्रदान की गई ।

*२५—श्री रामजी सहाय (अनुपस्थित)—इन मान्यता प्राप्त किन-किन शिक्षण संस्थाओं को वार्षिक राज्य सहायता प्राप्त होती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—(१) हायर सेकेन्डरी स्कूल, त्रुपट्टी ।

(२) खेतान हायर सेकेन्डरी स्कूल, लक्ष्मीगंज ।

(३) अनन्त आदर्श हायर सेकेन्डरी स्कूल, गनियारी ।

(४) शहीद रामचन्द्र हायर सेकेन्डरी स्कूल, बसन्तपुर ।

झांसी विधवा आश्रम तथा अनाथालय को सहायता

*२६—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी विधवा आश्रम तथा अनाथालय को वह कितनी सहायता देती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—झांसी विधवा आश्रम तथा अनाथालय का संचालन करने वाली दीनहितकारिणी सभा, झांसी को सरकार ने १९५२–५३ और १९५३–५४ में ५०० रु० और १९५४–५५ में १००० रु० की सहायता दी है ।

श्री गज्जूराम—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि झांसी अनाथालय व विधवा आश्रम में कोई कमेटी भी है ? अगर कमेटी है तो उसका चुनाव कब से नहीं हुआ है ?

आचार्य जुगलकिशोर—एक कमेटी बनाने का विचार हो रहा है जिसका जिक्र मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में दिया था कि एक स्टेट लेविल पर एक कमेटी बनाई जाय और दूसरी कमेटी बनाने की योजना अभी नहीं है ।

श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि झांसी अनाथालय में कोई कार्पेंटरी स्कूल भी चल रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह तो मुझे ठीक तौर से मालूम नहीं कि वहां पर कार्पेंटरी की शिक्षा भी है या नहीं ।

जौनपुर जिले के हायर सेकेण्डरी स्कूलों को सहायता

*२७—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में किन-किन हायर सेकेन्डरी स्कूलों को किन-किन मदों में अलग-अलग कितनी-कितनी सरकारी सहायता सन् १९५२, ५३ और १९५४ में दी गई है ?

डाक्टर सीताराम—एक सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७७–८५ पर)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—१३७ हायर सेकेन्डरी स्कूलों की सूची है, इसमें नम्बर ५ पर जो श्री गांधी स्मारक हायर सेकेन्डरी स्कूल, समोधपुर है इसके लिए १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ में भवन का अनुदान साढ़े आठ हजार रुपया दिया गया है, क्या कारण है कि सब स्कूलों से इसको भवन के अनुदान पर अधिक रुपया दिया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसकी आवश्यकता अधिक रही होगी ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार को पता है कि इस हायर सेकेन्डरी स्कूल के मकान की मरम्मत के खर्चे की बाबत आडिटर ने एतराज किया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसकी कोई इत्तिला सरकार को नहीं है ।

आजमगढ़ जिले में मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों को सहायता

*२८—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय हैं ?

डाक्टर सीताराम—५७ विद्यालय ।

*२९—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनमें से प्रत्येक को कितनी-कितनी सहायता मिलती है ?

डाक्टर सीताराम—राज्य सहायता केवल २१ विद्यालयों को मिलती है । सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८६ पर)

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि इस तालिका में दी हुई क्रम-संख्या १,१४,१५ और १६ ऐसे कालेजेज हैं जिनमें संस्कृत की उच्चतम कक्षा तक शिक्षा दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम—हां, दी जाती होगी ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय शिक्षा मंत्री इन विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा को दृष्टि में रखते हुए इन विद्यालयों की आजादी में कुछ विरोध करने के प्रश्न पर विचार करने को तैयार हैं ?

डाक्टर सीताराम—सरकारी अनुदान तो शिक्षा संहिता के अनुच्छेद के अनुसार दिया जाता है जिसमें यह है कि आय और व्यय का अन्तर अथवा व्यय का आधा, इन दोनों में से जो रकम कम हो, डिपार्टमेंट देता है । इसके हिसाब से प्रांट संस्कृत विद्यालयों को दी जाती है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब संस्कृत स्कूलों को सरकार से अनुदान दिया जाता है तो उसमें इस बात का भी विचार होता है कि किन स्कूलों में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, इस पर भी विचार किया जाता है ।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नियुक्त संस्कृत शिक्षा परिषद् ने पिछले तीन वर्षों में जिन पाठशालाओं को अनुदान देने की सिफारिश की थी उनको वह सहायता नहीं मिली ?

श्री हरगोविन्दसिंह—अगर संस्कृत पाठशालाओं के इंस्पेक्टर ने उसके लिये सिफारिश की होगी तो जरूर मिली होगी अगर नहीं की तो नहीं मिली होगी ।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या मंत्री जी इसको नोटिस समझ कर जांच कराने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन साल से ग्रांट नहीं मिली ?

श्री हरगोविन्दसिंह—वह जरा दूसरा सवाल स्पष्ट नहीं है । मैंने कहा था कि समिति द्वारा जिनकी सिफारिश हुई और संस्कृत पाठशालाओं के इन्स्पेक्टर ने उसे मान कर उसकी सिफारिश की, उन सबको अनुदान मिला होगा ।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो सहायता दी जाती है यह कितने दिनों से बराबर ही सहायता दी जा रही है?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसकी तो सूचना चाहिये कि कितने दिनों से दी जा रही है, अगर उनकी वही स्थायी चीज है तो वही उनको अनुदान भी उतना ही मिलेगा।

*३०-३१—**श्री गंगाधर शर्मा** (जिला सीतापुर)—[७ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ३५-३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आगरे में जान्स मिल्स लिमिटेड की बन्दी

*३२—**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)—क्या सरकार को विदित है कि आगरे में जान्स मिल्स लिमिटेड के बन्द हो जाने से मजदूरों में बड़ी बेचैनी है और कुछ मजदूर कलेक्टर की कोठी पर धरना दे रहे हैं?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, श्रमिकों में बेचैनी अवश्य है, परन्तु इस समय कोई श्रमिक कलेक्टर की कोठी पर धरना नहीं दे रहे हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस मिल के बन्द हो जाने से कितने आदमी बेकार हो गये हैं?

आचार्य जुगलकिशोर—उनकी संख्या की इस समय मुझे कोई सूचना नहीं है। मैं मालूम करा सकता हूं कि कितने लोग बेकार हो गये हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस मिल को पुनः चालू कराने के लिये क्या प्रयत्न हो रहे हैं?

आचार्य जुगलकिशोर—इसके संबंध में श्रम विभाग की तरफ से प्रयत्न किया गया है कि इसको चालू किया जाय लेकिन कोर्ट का फैसला जो दिया गया था उसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक अपील दाखिल की गई है और उसके कारण वह फैसला पूरी तरह से लागू नहीं कराया गया।

कानपुर टैक्सटाइल मिल की बन्दी तथा मजदूरों की बेकारी

*३३—**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को विदित है कि कानपुर टैक्सटाइल मिल, दिनांक २५ मार्च, १९५५ ई० से बन्द हो गयी है? यदि हां, तो क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर—यह मिल २५ मार्च सन् १९५५ से बन्द हो गई थी किन्तु २७ जून, १९५५ से फिर खुल गई है। मिल बन्द होने का कारण यह था कि मिल के डोफरों ने कताई विभाग की पुनः संगठन योजना के अनुसार कार्य करने से इंकार कर दिया था। फलस्वरूप बाबिन न मिलने से मिल के अन्य विभागों का चलना असंभव हो गया और मिल मालिकों ने २५ मार्च, १९५५ ई० से समस्त श्रमिकों को बैठकी पर भेज दिया।

*३४—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस मिल के बन्द हो जाने के कारण लगभग २,७०० मजदूर बेकार हो गये हैं जिसके कारण नगर की श्रम स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई है?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। मजदूर जरूर बेकार हो गये थे, परन्तु नगर की श्रम स्थिति पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

*३५—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस संबंध में अभी तक उसने क्या कार्यवाही की है?

आचार्य जुगलकिशोर—सरकार ने दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयत्न किया और अब मिल पुनः चल रही है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सही है कि इस मिल के मजदूरों के प्रति सरकार की उपेक्षा पूर्ण नीति के कारण कानपुर में सभी मिलों में लगभग ३ महीने तक जनरल स्ट्राइक रही?

आचार्य जुगलकिशोर—इसके कारण ही वहां पर हड़ताल हुई यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो मजदूर इस मिल में काम पर गये वह इसी मिल के मजदूरों और मालिकों में समझौता होने के कारण गये या जितनी मिलें हैं उनके मजदूरों और मालिकों में समझौता होने के कारण काम पर गये?

आचार्य जुगलकिशोर—आपस में मिल मालिकों और मजदूरों में समझौता हुआ और उसी के आधार पर वह काम पर वापस गये, जहां तक मैं आपका प्रश्न समझ सका हूं उसके आधार पर यह उत्तर है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय श्रम मंत्री जी, जैसा कि वह कल कह रहे थे, कानपुर में मजदूरों की स्थिति पर कोई स्टेटमेंट देने की मेहरबानी करेंगे?

श्री अध्यक्ष—यह इससे नहीं पैदा होता। आप इस बात को प्रश्नों के समय के बाद पूछ सकते हैं।

*३६–३७—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन्गुरु (जिला इलाहाबाद)—[७ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ३७–३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कानपुर की म्योर तथा स्वदेशी मिलों में रेशनलाइजेशन योजना तथा मजदूरों में बेकारी

*३८—श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या श्रम मंत्री को यह मालूम है कि कानपुर के म्योर और स्वदेशी मिल के मालिकों ने काम बढ़ौती की योजना लागू कर दी है और फलतः सैकड़ों मजदूर इन मिलों में इस योजना का विरोध करने के कारण मुअत्तल कर दिये गये हैं और सैकड़ों मजदूर फालतू हो गये हैं? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है?

आचार्य जुगलकिशोर—म्योर और स्वदेशी काटन मिलों में कोई भी मजदूर रेशनलाइजेशन योजना के संबंध में मुअत्तल नहीं किया गया है और न कोई बेकार हुआ है।

*३९—श्री राजनारायण—क्या श्रम मंत्री को मालूम है कि मुख्य मंत्री यह आश्वासन दे चुके हैं कि रेशनलाइजेशन या काम बढ़ौती की योजनाओं के अन्तर्गत कानपुर के कपड़ा मिलों में कोई मुस्तकिल या एवजीदार मजदूर निकाला नहीं जायेगा? यदि हां, तो उनके इस आश्वासन का उल्लंघन करने पर म्योर और स्वदेशी मिल के मालिकों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

आचार्य जुगलकिशोर—ये प्रश्न नहीं उठते।

*४०—श्री राजनारायण—क्या श्रम मंत्री यह बतायेंगे कि मिलों में जो एवजीदार सन् ५३ और ५४ में २४० दिन से अधिक काम कर चुके हैं उन्हें मुस्तकिल करने के लिये सरकार कोई राजाज्ञा लागू करने जा रही है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं। मिलों के स्थायी आदेशों में सामान्यतः एवजीदारों के लिये हमेशा एवजी में कार्य करने की व्यवस्था होती है।

बाढ़ और सूखा पड़ने के कारण सैदपुर तहसील में बेकारी

*४१—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि गत ५ वर्षों से लगातार बाढ़ और सूखा पड़ने के कारण सैदपुर तहसील में बेकारी बहुत बढ़ गयी है? सरकार बेकारी दूर करने के लिये क्या उपाय कर रही है?

आचार्य जुगलकिशोर—बाढ़ सूखा का और इन वर्षों में कोई विशेष प्रभाव जीविकोपार्जन (employment) पर नहीं पड़ा है। सरकार जो सहायता इस संबंध में साधारणतः दिया करता है, वह इस तहसील में भी दी गई है।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार को मालूम है कि गत ५ वर्षों में लगातार बाढ़ और सूखा से यह तहसील परेशान हो रही है?

आचार्य जुगलकिशोर—बाढ़ और सूखा से जरूर तकलीफ होती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो सहायता दी जाती है वह इसी ख्याल से दी जाती है कि जो उनको असुविधायें और तकलीफें होती हैं वह दूर की जायं।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार को मालूम है कि इस तहसील में कृषि के अलावा कोई उद्योग धंधा लोगों के लिये नहीं है?

आचार्य जुगलकिशोर—इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है कि कोई भी उद्योग धंधा वहां पर नहीं है, यह कहना मुश्किल है।

गयाप्रसाद लाइफ सेविंग फण्ड की मैनेजिंग कमेटी

*४२—**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा** (जिला कानपुर)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि छोटेलाल गयाप्रसाद ट्रस्ट, कानपुर की प्रार्थना पर सन् १९१९ में गयाप्रसाद लाइफ सेविंग फंड की सरकार द्वारा स्थापना हुई थी और उसके फंड द्वारा दूसरों की प्राण-रक्षा करने वालों को पारितोषिक दिये जाया करते थे?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, किन्तु इस फंड की स्थापना १९०९ में हुई थी।

*४३—**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि छोटेलाल गया प्रसाद ट्रस्ट, कानपुर से संबंधित गयाप्रसाद लाइफ सेविंग फंड के कोष के कार्य संचालन हेतु जो कमेटी बना करती थी वह कब से नहीं बनी?

आचार्य जुगलकिशोर—जिलाधीश, कानपुर की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि इस कोष की मैनेजिंग कमेटी का बैठक दिसम्बर, १९४६ के बाद से नहीं हुई है।

*४४—**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस फंड का अपना कितना कोष हो गया है और उसके उपयोग के लिये क्या कार्यवाही हो रही है?

आचार्य जुगलकिशोर—इस फंड में १९९८३ रु० १२ आ० ४ पाई हैं। इसके उपयोग के प्रश्न पर मैनेजिंग कमेटी की अगली बैठक में विचार किया जायगा।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार बतायेगी कि विधान सभा के कौन सदस्य इस समिति के सदस्य निर्वाचित हुये?

आचार्य जुगलकिशोर—मेरे पास कोई सूचना इस समय इस फाइल में नहीं मालूम पड़ती है कि कौन सदस्य नियुक्त हुये हैं, मालूम करके बता सकता हूं।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार को मालूम है इस समिति की बैठकें सन सन् १९३६ से आज तक कभी नहीं हुई?

आचार्य जुगलकिशोर—जहां तक मेरी खबर है सन् १९४६ से नहीं हुई।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार को मालूम है कि इस फंड की स्थापना २० हजार रुपया से हुई थी और ब्याज मिलाकर कुछ अधिक रुपया होना चाहिये जो रकम बतायी गयी है वह कम है?

आचार्य जुगलकिशोर—जिस रकम का मैंने जिक्र किया है गवर्नमेंट की इतिला जहां तक है वहां है। अधिक संग्रह हो तो जांच की जा सकती है।

गाजीपुर की मुहम्मदाबाद तहसील के भीतर हरिजनों के लिये कुएं

*४५—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर के मुहम्मदाबाद तहसील के अन्दर सन् १९५२–१९५३ और १९५४ ई० में हरिजनों के पानी पीने के लिये अलग-अलग वर्ष में कुल कितने कुओं का सरकार ने निर्माण कराया है?

डाक्टर सीताराम—जिला गाजीपुर की मुहम्मदाबाद तहसील में हरिजनों के पानी पीने हेतु निम्नलिखित कुएं प्रतिवर्ष निर्माण कराये गये :

वर्ष	कुओं की संख्या
१९५२–५३ ..	.. २
१९५३–५४ ..	.. ५
१९५४–५५ ..	.. ५
	१२

श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार बतायेगी कि जो १२ कुएं बने हैं वे किन-किन ग्रामों में बने हैं?

डाक्टर सीताराम—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार बतायेगी कि इन कुओं पर कुल मिलाकर कितना रुपया खर्च हुआ है?

डाक्टर सीताराम—इन कुओं पर ५२–५३ में १,५०० रुपया और ५३–५४ में २,२९० रुपया, कुल मिलाकर ३,७९० रुपया खर्च हुआ।

हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजरों तथा शिक्षा सुपरवाइजरों का ग्रेड

*४६—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजरों का क्या ग्रेड रखा गया है और हरिजन शिक्षा सुपरवाइजरों का क्या ग्रेड रखा गया है?

डाक्टर सीताराम—१ अप्रैल, १९५५ से हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजरों तथा हरिजन शिक्षा सुपरवाइजरों दोनों का एक ही ग्रेड कर दिया गया है अर्थात् ५०–४–८० ई० बी० ५–१०० हो गया है।

*४७—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वेलफेयर सुपरवाइजरों की सर्विस स्थायी है या अस्थायी?

डाक्टर सीताराम—हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजरों की पदें अस्थायी हैं।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आजकल कुल कितने हरिजन सुपरवाइजर ग्रेड फर्स्ट के हैं?

डाक्टर सीताराम—आजकल कुल ७२ हैं।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने हरिजन सुपरवाइजर स्थायी हैं और कितने अस्थायी हैं?

डाक्टर सीताराम—२१ स्थायी हैं और ५१ अस्थायी।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजर के काम को कंट्रोल करने के लिये सरकार जिले में हरिजन आफिसर रखने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—गत कई महीनों से यह विचाराधीन है।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजर का क्या काम है, बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—सन् ५२ में जो संचालक का आर्डर है उसको आप पढ़ लें तो उसमें करीब १०० के कार्य हैं, उसको देख सकते हैं।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजर और हरिजन शिक्षा सुपरवाइजर के पदों पर हरिजनों के अलावा और लोग भी रखे जाते हैं ?

डाक्टर सीताराम—ऐसा रखने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजरों के अलग-अलग ग्रेड बनाये गये हैं उनका क्या आधार है, क्वालीफिकेशन आधार है या उनका कार्य ?

डाक्टर सीताराम—क्वालीफिकेशन और कार्य दोनों।

आजमगढ़ जिले में हरिजनों के लिये पक्के कुएं

*४८—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में सन् ५२ से ५४ तक हरिजनों के पानी पीने के लिये अलग-अलग वर्ष में कुल कितने पक्के कुओं का सरकार ने निर्माण कराया है ?

डाक्टर सीताराम—आजमगढ़ जिला की प्रत्येक तहसील में सन् १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में निम्नलिखित पक्के कुओं का निर्माण कराया गया :—

तहसील	१९५२-५३ ई०	१९५३-५४ ई०
(१) सदर ..	७	५
(२) फूलपुर —	..	१०
(३) लालगंज	३	२
(४) मुहम्मदाबाद	६	३
(५) घोसी	—	१०
(६) सगड़ी	३	३
योग ..	१९	३३

इसके अतिरिक्त सन् १९५४-५५ में निम्नलिखित कुओं के निर्माण के लिये अनुदान की स्वीकृति दी गई :

(१) सदर	२३
(२) फूलपुर	२८
(३) लालगंज	१६
(४) मुहम्मदाबाद	१८
(५) घोसी	४३
(६) सगड़ी	३२
योग ..	१६०

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में फूलपुर और घोसी तहसील में हरिजन कुओं का निर्माण क्यों नहीं हुआ?

डाक्टर सीताराम—इसी से तो सन् १९५३-५४ में वहां सब तहसीलों से ज्यादा दस-दस कुएं कर दिये गये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि हरिजन कुओं के निर्माण हेतु जो ग्रान्ट दी जाती है उनको हरिजन अपने यहां तक ले जाने में असमर्थ होते हैं, जिनके कारण हरिजन कुएं काफी तादाद में नहीं बन पाते?

डाक्टर सीताराम—उनको तो सामान ले जाना ही पड़ेगा अगर कुआं बनवाना है तो जिस तरीके से चाहें ले जा सकते हैं।

*४९-५०—श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—[२३ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*५१—श्री बाबूनन्दन—[९ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के छात्रों की फीस मुआफी

*५२—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में प्राइमरी, जूनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के छात्रों की फीस मुआफी के मद में इस वर्ष कुल कितनी सहायता दी गई?

डाक्टर सीताराम—पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाढ़ पीड़ित जिलों के उन विद्यार्थियों को जिनके अभिभावक फीस देने में असमर्थ हैं अगस्त, १९५५ से दिसम्बर, ५५ तक के लिये निःशुल्क करने के आदेश ९ अगस्त, १९५५ को दे दिये गये हैं। इस मद में इस वर्ष कितना व्यय होगा यह अभी बतलाना सम्भव नहीं है।

गत वर्ष इस मद में देवरिया जिले के छात्रों को कुल ५७,९२२ रु० की सहायता प्रदान की गई थी।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष में इस मद में किन-किन स्कूलों को कितना-कितना रुपया दिया गया?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। बहुत लम्बा चौड़ा प्रश्न है।

नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल, कादीपुर, जिला सुल्तानपुर के अध्यापकों का वेतन न पाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*५३—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि कादीपुर नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल, जिला सुल्तानपुर के अध्यापकों ने अपना वेतन न पाने इत्यादि के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र सरकार तथा अधिकारियों को दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

डाक्टर सीताराम—जी हां, नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल, कादीपुर (सुल्तानपुर) के अध्यापकों का प्रार्थना-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ था।

जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्वयं जाकर फरवरी, १९५५ तक का वेतन अध्यापकों को बंटवा दिया है। विद्यालय द्वारा धन का प्रबन्ध किया जा रहा है और आशा है कि निकट भविष्य में समस्त अध्यापकों को जुलाई, १९५५ तक का वेतन दे दिया जायगा।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि विद्यालय किन कारणों से वेतन नहीं दे सका जिसकी वजह से अध्यापकों को दरख्वास्त देने की जरूरत पड़ी?

डाक्टर सीताराम—धनाभाव के कारण।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों ने जो प्रार्थना-पत्र दिया था, क्या किसी मैनेजर या संचालक मंडल के खिलाफ दिया था?

डाक्टर सीताराम—इस सम्बन्ध में तो कोई सूचना नहीं है कि आवेदन-पत्र दिया था।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार को यह पता है कि उस देहात के लोगों ने पिछली लड़ाई के जमाने में जो सरकार को कर्जा दिया था उसका रुपया उस विद्यालय को कितना दिया गया है?

डाक्टर सीताराम—इसके लिये सूचना चाहिये।

*५४-५५—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—[२३ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

हाईस्कूल व इण्टरमीडियेट परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या तथा परीक्षा में नकल आदि रोकने की व्यवस्था

*५६—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस वर्ष हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में कितने परीक्षार्थी बैठे हैं और परीक्षा में गत वर्ष की तरह नकल आदि व्यवस्था रोकने के लिये सरकार ने क्या विशेष रोक-थाम की व्यवस्था की है?

श्री हरगोविन्द सिंह—सन् १९५५ की हाईस्कूल परीक्षा में २,००,६३८ तथा इंटरमीडिएट परीक्षा में ७८,४३२ परीक्षार्थी बैठे थे।

गत वर्ष जिन परीक्षा केन्द्रों पर नकल आदि करने के मामले पाये गये थे उन्हें इस वर्ष परीक्षा केन्द्र नहीं रखा गया। ऐसे केन्द्रों के व्यवस्थापकों तथा संबंधित निरीक्षकों को दो वर्ष के लिए परिषद् के पारिश्रमिक कार्य से बहिष्कृत किया गया। जिन ऐसे विद्यालयों को स्थानाभाव के कारण परीक्षा केन्द्र पुनः बनाना पड़ा, वहां यथासम्भव बाहरी केन्द्र व्यवस्थापक तथा निरीक्षक रक्खे गये और वहां के संस्थागत विद्यार्थियों को अन्य परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा देने के लिए व्यवस्था की गई।

जालौन जिले में सरकार को जागीरदार से प्राप्त तीन पक्की इमारतों की मरम्मत तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी शर्तें

*५७—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या सरकार को मालूम है कि जिला जालौन में तीन पक्की इमारतों (जूनियर हाई स्कूल, जगम्मनपुर, प्राइमरी स्कूल, जगम्मनपुर और प्राइमरी स्कूल, उमरी) की, जिन्हें जागीरदार ने दिया है, १९५२ से आज तक मरम्मत नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों नहीं?

डाक्टर सीताराम—जूनियर हाई स्कूल जगम्मनपुर के भवन की मरम्मत हो रही है, प्राइमरी स्कूल उमरी के भवन की मरम्मत की गई है, परन्तु प्राइमरी स्कूल जगम्मन-पुर के भवन की मरम्मत अभी नहीं की गई है। उसके लिये आदेश दिये जा रहे हैं।

*५८—राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार उन शर्तों को बताने की कृपा करेगी जिन पर यह तीन इमारतें सरकार को दी गई हैं?

डाक्टर सीताराम—राजा साहब जगम्मनपुर ने ५ जनवरी, १९५४ के पत्र में अध्यक्ष जिला बोर्ड जालौन को लिखा था कि उनकी जागीर में जो भवन स्कूलों के लिये निर्धारित हैं उनको वे उन्हीं स्कूलों के लिये दान में देते हैं जिसमें निम्नांकित शर्तें रहेंगी :—

(१) जगम्मनपुर मूनिसपल हाई स्कूल का नाम उनकी पूज्या माता जी के नाम पर होगा और उसमें उनके नाम का पत्थर स्कूल के भवन में लगवा दिया जायगा।

(२) जगम्मनपुर प्राइमरी स्कूल उनके नवजात भ्राता श्री नरेन्द्रशाह के नाम पर होगा और उसमें उनके नाम का पत्थर उनके भवन में लगवा दिया जावेगा।

(३) प्राइमरी स्कूल उमरी का नाम रानी ब्रजेन्द्रकुमारी के नाम पर रहेगा और उनके नाम का पत्थर उसके भवन में लगवा दिया जायगा।

(४) जब कभी ये स्कूल तोड़ दिये जायंगे तो ये भवन उनको बिना खर्च वापस दिये जायें।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार को मालूम है कि जगम्मनपुर के प्राइमरी स्कूल में एक कमरा गिर गया है?

डाक्टर सीताराम—अभी मरम्मत नहीं हुई है, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार को यह भी मालूम है कि मरम्मत करने का तरीका यह है कि मास्टर को रुपया दिया नहीं जाता है और वह अपने पैसे से मरम्मत कराये, उसके बाद रुपया दिया जाता है?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसकी जिम्मेदारी तो, अपने स्कूलों की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हुआ करती है। किस तरह से करते हैं इसकी तो कोई सूचना नहीं है।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि इस तरह की दिक्कत उन मास्टरों को आती है कि रुपया न होने की वजह से स्कूलों की इमारतों की मरम्मत नहीं होती है?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसका तो स्पष्ट सम्बन्ध डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से ही है कि वह अपने स्कूलों की मरम्मत किस प्रकार से कराता है। सरकार द्वारा इसकी जांच की आवश्यकता नहीं मालूम होती है।

कल्याणपुर सेटिलमेंट, जिला कानपुर में कथित लांग क्लाथ का गबन

*५९—श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या यह सही है कि कल्याणपुर सेटिलमेंट, जिला कानपुर के अन्तर्गत लांग क्लाथ के विषय में कोई गबन हुआ है? यदि हां, तो कितने का?

श्री हरगोविन्दसिंह—नहीं।

*६०—श्री शिवनारायण—क्या उसकी जांच हो चुकी है?

श्री हरगोविन्दसिंह—अभी जांच हो रही है।

*६१—श्री शिवनारायण—उस विभाग के काम करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही हुई है?

श्री हरगोविन्दसिंह---सन् १९५० से फरवरी, १९५२ तक जो अफसर थे उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है ।

उत्तर प्रदेशीय तहवीलदार यूनियन की ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्री

*६२---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उत्तर प्रदेशीय तहवीलदार यूनियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या श्रम विभाग द्वारा बनाये गये नियम उक्त कर्मचारियों पर लागू हो गये हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---(क) यू० पी० तहलवीलदार्स यूनियन, पीलीभीत, इन्डियन ट्रेड यूनियन्स ऐक्ट, १९२६, के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो चुकी है ।

(ख) तहवीलदार सरकारी खजांचियों के प्राइवेट कर्मचारी हैं और ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिन पर श्रम विभाग के नियम साधारणतः लागू होते हैं ।

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार की योजना

*६३---श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार के पास विद्यार्थियों में फैली अनुशासनहीनता को रोकने के लिये कोई योजना केन्द्रीय सरकार ने भेजी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं, केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं भेजी है ।

*६४---श्री तेजप्रतापसिंह---यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जिले में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को सहायता

*६५---श्री विश्रामराय---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में १९५४-५५ में किन-किन उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को कितनी-कितनी सहायता सरकार की ओर से दी गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---सदस्य महोदय की मेज पर एक तालिका रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ ८७-८९ पर)

बलिया जिले में गंगा नदी की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री रामनारायण त्रिपाठी ने भेजा है । वह इस प्रकार है :---"

"बलिया में गंगा का पानी संकट बिन्दु पार कर गया है तथा बलिया बैरिया बांध बसारिकापुर के पास दो स्थानों पर टूट गया है जिससे डेढ़ लाख एकड़ भूमि जलमग्न है । इससे उत्पन्न भीषण परिस्थिति पर वाद विवाद के लिये सदन अपना कार्य स्थगित करता है ।"

बाढ़ के सम्बन्ध में यहां पर काफी वाद विवाद हो चुका है और उसमें यह भी प्रश्न सदन के सामने था कि बरसात खत्म नहीं हुई है इसलिये परिस्थिति कहीं-कहीं पुनः गम्भीर हो सकती है । उसके ऊपर भी विचार इस सदन में पूरी तरह से हो चुका था । तो अगर बीच-बीच में ज्यादा बाढ़ आ जाय तो हर वाकये पर फिर से सदन में बहस होना मैं उचित नहीं समझता और इसके लिये मैं अनुमति नहीं देता हूं कि इतना अर्जेन्ट इस वजह से यह प्रश्न हो जाता है । तमाम चीजों के ऊपर इस सदन ने विचार करके कि क्या कार्यवाही करनी चाहिये अपनी राय कायम कर ली थी और सरकार ने भी अपनी राय दे दी थी । तो उस हिसाब से कार्यवाही होगी जब

[श्री अध्यक्ष]

जब बाढ़ आयेगी ऐसा हमें स्वीकार करना चाहिये। इसलिये बार-बार वाद विवाद के लिये मैं इजाजत नहीं दूंगा।

डाकू मानसिंह के मारे जाने का समाचार

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, आज समाचार-पत्रों में डाकू मानसिंह के मारे जाने का समाचार छपा है और इस सम्बन्ध में यह भी छपा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को कुछ विशेष सूचना दी गयी है। चूंकि इस प्रदेश में भी बड़ी चिन्ता इस सम्बन्ध में थी, तो क्या हम माननीय मुख्य मंत्री से कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, किसी की मृत्यु पर खुशी मनाना तो, कोई अच्छी बात नहीं है, परन्तु यह बात सच है कि मानसिंह की मृत्यु हुई है और इससे इस प्रदेश के विंध्य प्रदेश के, मध्यभारत के और राजस्थान के रहनेवालों को बहुत ही राहत मिली है। इतना ही नहीं मैं कह सकता हूं कि जहां तक सूचना की बात है, कल रात को कोई ८, सवा ८ बजे मध्य भारत के गृह मंत्री श्री दीक्षित ने मुझको टेलीफोन से इसकी खबर दी कि भिंड क्षेत्र में पुलिस से मुठभेड़ हुई जिसके फलस्वरूप मान सिंह गोली से मारा गया। बाद को यह खबर भी आयी कि उसके दल का एक खास आदमी रूपा जो मरा नहीं घायल हुआ है वह भी गिरफ्तार हो गया है, इससे और अधिक सूचना हमारे पास नहीं है। मध्य भारत के गृह मंत्री जी वहां जा रहे थे। जाने के पहले ही उन्होंने खुद खबर दी और वह शायद पहुंच गये होंगे और जो ज्वाइंट कमान्डर हैं श्री इसलाम अहमद वे भी उस जगह पहुंच गये होंगे। मैं समझता हूं शायद आज किसी वक्त या कल तक और ज्यादा विशेष सूचना मिल जायगी। इस वक्त तो उसकी मृत्यु के समाचार की पुष्टि करने के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। इससे अधिक सूचना मेरे पास नहीं है।

स्पेशल पावर्स ऐक्ट के अधीन किये गये जुर्मानों की वापसी के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब पहली बैठक चल रही थी तो स्पेशल पावर्स ऐक्ट के अधीन जुर्माने हुये थे। उन्होंने यह कहा था कि वे वापस कर दिये जायेंगे जब सरकार समझेगी कि वह अपील नहीं करेगा। साल भर हो रहा है, हम जानना चाहते हैं कि सरकार वापस करेगी या नहीं?

श्री अध्यक्ष—मैं प्रश्न पूछने की इस वक्त इजाजत नहीं देता हूं। आपको इस सम्बन्ध में प्रश्नों के समय में प्रश्न पूछना चाहिये था।

डाकू मानसिंह के मारे जाने का समाचार (क्रमागत)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि कुछ गलतफहमी है कि यहां की पुलिस इस एनकाउन्टर में शामिल नहीं थी?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—वह तो ज्वाइंट कमांड है। कहीं मध्य भारत की पुलिस रहती है और कहीं हमारी पुलिस रहती है। जहां मुकाबला हुआ है वहां कौन सी पुलिस थी इसका ब्योरा मुझे नहीं मालूम है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति पर विवाद की मांग

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, आपको याद होगा कि विरोधी पार्टी की ओर से हम लोगों ने आपके पास एक पत्र भेजा था, जिसमें हमने प्रार्थना की थी कि इस प्रदेश की प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति पर वाद-विवाद किया जाय। अब यह अंतिम वर्ष है और दो साल पहले एक प्रगति-रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी थी। अब जो अंतिम रिपोर्ट

हैं वह सदन के सामने प्रस्तुत की जाय और कम से कम दो-तीन दिन उसकी प्रगति पर और दूसरी पंचवर्षीय योजना के सिद्धांतों पर विचार हो जाय। क्या आप इस सम्बन्ध में व्यवस्था करेंगे या माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वासन देंगे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में रिपोर्ट आनी चाहिये और वह रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं। अभी योजना समाप्त नहीं हुई है अभी कुछ महीने बाकी हैं। फिर भी हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और तैयार होने पर उसको हम सदन के सामने अवश्य रखेंगे और विचार करने के लिये आप जैसा उचित समझेंगे समय देंगे।

मैं चाहता था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य-मुख्य बातें भी सदन के सामने रख दें, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है कि हमारे पास प्लानिंग कमीशन की तरफ से एक पत्र यह आया है कि जब तक उनकी तरफ से निश्चित रूप से कुछ न हो जाय यानी किस स्टेट के लिये कितना ऐलाटमेंट हो गया है तब तक जो फिगर्स बनायी गयी हैं वह पब्लिश की जायं और वह गोपनीय हैं और अगर फिगर्स न रखें तो फिर कोई चीज रखने की नहीं होती है। अगर वहां से चीज वक्त पर आ गयी तो फिर सदन के सामने रखने की कोशिश करेंगे।

विधान सभा से अनुपस्थिति के लिये श्री वीरेन्द्रविक्रम सिंह का प्रार्थना-पत्र

श्री अध्यक्ष---उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १९१ (२) के अन्तर्गत विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह के प्रार्थना-पत्र पर विचार। उनका प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि:---

पयागपुर राज्य,
अगस्त ८, १९५५।

सेवा में

माननीय अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

प्रिय महोदय,

अपने पूर्व प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में जो गम्भीर बीमारी के कारण छुट्टी के लिये था, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं अब भी बीमार हूं और चलने फिरने से मजबूर हूं। अतः मुझे खेद है कि मैं सभा के वर्तमान अधिवेशन में उपस्थित न हो सकूंगा। मैं अत्यन्त अनुगृहीत होऊंगा यदि आप मुझे सितम्बर के अन्त तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे।

आपका विश्वासपात्र,
(ह०) वीरेन्द्र विक्रम सिंह, एम०एल०ए
राजा पयागपुर।

मैं समझता हूं कि इसको सदन सर्व सम्मति से स्वीकार करेगा।

(प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुआ।)

विधान सभा से अनुपस्थिति के लिये श्री वीरेन्द्र वर्मा का प्रार्थना-पत्र

श्री अध्यक्ष---इसी तरह का दूसरा प्रार्थनापत्र श्री वीरेन्द्र वर्मा का है, वह इस प्रकार है कि:---

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश विधान सभा,
लखनऊ।

[श्री अध्यक्ष]

महोदय,

मैं गत दो मास से बीमार हूं और इसी कारण से काश्मीर जाने का विचार कर रहा हूं। मुझे डाक्टर ने कम से कम दो मास के लिये पूर्ण विश्राम लेने का परामर्श दिया है, और इस कारण से मैं इस अवधि तक विधान सभा अधिवेशन में उपस्थित न हो सकूंगा।

मैं, इसलिये आप से अनुरोध करता हूं कि मुझे दो मास के लिये सभा के अधिवेशन से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान करें।

आपका विश्वासपात्र,
(ह०) वीरेन्द्र वर्मा, एम०एल०ए०,
मुजफ्फरनगर।

दिनांक : १८ अगस्त, १९५५।

मैं समझता हूं कि इसको भी सर्व सम्मति से यह सदन स्वीकार करता है।

(प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुआ।)

† उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब श्री रामसुमेर के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय तथा श्री वीरेन्द्रपति यादव के संशोधन पर कि उक्त विधेयक एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय तथा श्री सीताराम शुक्ल के प्रस्ताव पर कि उक्त विधेयक एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय विवाद जारी रहेगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो आज हमारे सदन के सामने उपस्थित है मैं उस पर पिछली बार बोल रहा था। उसमें हमारा निवेदन यह है और सरकार से हमारा यह सवाल है कि सरकार ने हमारी सर्विसेज का हिस्सा १८ परसेंट कर दिया। मैं आपकी इजाजत से सरकार के सामने एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ज्योग्राफी का एक सिद्धांत है कि गर्म हवा ठंडी हवा की तरफ चलती है और हवा खुश्की की तरफ से सर्दी की तरफ आती है। उसी के रूप में आज समाज में जो विकृत अवस्था हमारी इस देश के अन्दर है उसमें हमारी दशा पर विचार करना आवश्यक है। किसी भी डेमोक्रेटिक देश में अगर देश को ऊपर लाना है और समाज को ऊंचा करना है तो हम को नीचे से आना है और नीचे के लोगों को ऊपर उठाना है। इसमें केवल हमारा ही लाभ नहीं है, बल्कि उन लोगों का भी लाभ है जो ऊंचे हैं। अगर नीचे की ईंट मजबूत है तो ऊपर की दीवार चमकेगी और सफल होगी। मैं किसी प्रतिशोध की भावना से यह बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हमारा यह परम कर्तव्य है और अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार जितना भी मैंने समझा है कि हमारे अधिकार क्या हैं समाज के प्रति और देश के प्रति, हमको क्या करना है, हमारी क्या ड्यूटी है उसको मद्देनजर रखकर मैं गवर्नमेंट से यह निवेदन करना चाहता हूं कि, आज हमने देखा कि जितनी रिपोर्ट है उनसे मालूम होता है कि हमारे आदमी गवर्नमेंट सर्विसेज में ३ परसेंट से ज्यादा नहीं है। मीनियल स्टाफ में भी हमारे आदमियों को नहीं रखा जाता है। चौकीदार और खपरासियों में हमारे आदमी रखे जाते हैं, लेकिन कम रखे जाते हैं, उनको वहां से निकाल दिया जाता है। पुलिस में भी रखे जाते हैं, वे भी निकाल दिये जाते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि मैंने उनसे एक केस के सिलसिले में कहा था, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और कहा बिलकुल सही है। जब कोई चमार फंसता है तो ठाकुर, ब्राह्मण उसको फांस देते हैं और उनकी मदद नहीं करते हैं। मैं उनका अहसानमन्द हूं कि यह बात उनके दिमाग में है। इस तरह के बहुत से केसेज प्रान्त में पाये जाते हैं और यह सही नक्शा है। आज भी मुझको एक पोस्टकार्ड मिला है। पिछले वर्ष माननीय पंत जी से एक लड़के के विषय में मैंने प्रार्थना की थी और सरकार के उप मंत्री ने भी उसके विषय में सिफारिश की थी। मैंने उनसे निवेदन किया था

† २२ अक्तूबर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

कि उस लड़के के पास खाने को नहीं है, लेकिन आज तक उस लड़के को कोई जगह नहीं मिली है। वह लड़का ऐसा बढ़िया है कि प्रोपेगेंडा के लिये बहुत ही फिट है, लेकिन उसको आज तक कोई स्थान नहीं मिला। मैंने गत वर्ष भी कहा और आज भी कहता हूं, लेकिन उसको जगह नहीं मिलती है। इससे हमारा ही नुकसान नहीं है, बल्कि पूरी सरकार का नुकसान है और ऊपर के महान् लोगों का नुकसान है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस चीज को मांगा नहीं था कि हमको १० परसेंट के बजाय १८ परसेन्ट रिजर्व कर दिया जाय। आपने स्वयं उसको दिया। आप अपना लाभ समझते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि डू और डाइ (करो या मरो) तो हमको भी उसी पर चलना है और सरकार को भी उस पर अमल करना चाहिये। इसी सरकार ने मुसलमानों के लिये ५४ परसेंट सर्विस में जगह दी थी, यह चीज भी हमको याद रखनी चाहिये। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब की पुकार है, देश की पुकार है और देश के ऊंचे लोगों की भी पुकार है, जैसा कि आज गोआ के मामले में सब लोगों में यूनिटी हो गई है और जिसके लिये हम आभारी हैं वैसी यूनिटी होनी चाहिये नीचे के स्तर के लोगों को ऊपर उठाने में। आज बाढ़ के बारे में हमारे क्षेत्र कलयारी से सूचना मिली है कि एक मेहतरानी को और एक चमार को सांप ने काट लिया है, क्योंकि उनके पास मकान नहीं था। सरकार हम को इसके लिये रुपया देती है, लेकिन वह लैप्स हो जाता है। उसे अपने अधिकारियों से पूछना चाहिये कि ऐसा क्यों है? आज अंग्रेजी हुकूमत तो है नहीं। यहां आज जवाहर लाल नेहरू और डाक्टर सम्पूर्णानन्द की हुकूमत है। सरकार को चाहिये कि जो लोग लापरवाह हैं उनके साथ रियायत न करे। वह पैसा खर्च करना चाहिये। रुपया मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। जिसका कुआं आपको बनवाना है उसका काम आप कर दीजिये। गांव के लोग यहां तक बड़ी मुश्किल से आते हैं। गांव में हमको बैठने तक को चारपाई नहीं मिलती है। यह कलंक है इस समाज पर और इसे दूर करना चाहिये। मैं आपको देश का भविष्य बताता हूं। अगर यही दशा जातिपांति की रही तो मैं नहीं घबराता हूं चाहे आप हमें कैसे भी रखिये, लेकिन इसमें देश का कल्याण नहीं होगा। अगर ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर का नारा रहा तो मैं बताता हूं कि हमारी संख्या इतनी है कि हम जीत कर रहेंगे।

मैंने गत वर्ष भी कहा था कि उस रिजर्वेशन को आप सलाम कर दीजिये और अगर आप रखने के इच्छुक हैं तो उस पर अमल कीजिये। इससे गवर्नमेंट की और कांग्रेस वालों की डिगनिटी बढ़ेगी। महाभारत का जिक्र है कि जब उन्होंने सुई की नख बराबर भी भूमि नहीं दी तो सारा देश तबाह हो गया था। मैं तो कहता हूं कि आप ठाकुर, ब्राह्मण ये सब छोड़िये, केवल हिन्दुस्तानी शब्द रखिये। कल पब्लिक सर्विस कमीशन के विवाद के सिलसिले में एक बात छूट गयी थी। वहां प्रैक्टिकल और थ्योरीटीकल इम्तहान एक साथ होने चाहियें और दोनों का नतीजा एक साथ निकलना चाहिये। रिजर्वेशन में सरकार का फायदा है। मैं नहीं कहता कि हरिजनों को आप की पोस्ट दीजिये। मैं मातहत ही रहूंगा, लेकिन आप हमें खान, कपड़ा और रहने को मकान तो दीजिये। चाहे आप मुझे असेम्बली में रखिये, चाहे हल जुतवाइये और चाहे फ्रन्ट पर भेज दीजिये, इसकी हमें परवाह नहीं है लेकिन हमको ट्रैक्टर की ट्रेनिंग तो दीजिये। आप हमें खेती का काम सिखलाइये। सब लोग तो कलेक्टर या मिनिस्टर नहीं हो सकते। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ वह कहे, उसे अमल में लावे और इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय, इस बात का मैं समर्थन करता हूं।

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर इस सदन में, जहां तक मुझे याद है, दो दिन विचार हो चुका है और आज तीसरा दिन है। जहां तक बिल के विषय की बात है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है और यह उचित भी है कि इसके ऊपर अनेक दृष्टिकोणों से विचार हो और जो अलग-अलग सम्मतियां हो सकती हैं वह मुख्य प्रस्ताव पर बोलने में या संशोधनों पर बोलने में हमारे सामने आ जावें। मैंने यह उचित समझा कि आपसे यह अनुमति

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

मानूं कि इस विषय में जो मेरी राय है या जिसे गवर्नमेंट की राय कहना चाहिये, उसे भी सदन के सामने रख दूं ।

जहां तक इस प्रस्तावित बिल के सिद्धांत की बात है उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती हैं । कभी दो रायें रही हों, लेकिन आज तो हम उस जमाने से बहुत आगे बढ़ गये हैं और आज कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, जो कि इस सिद्धांत से पूर्णतया सहमत न हो । कोई व्यक्ति हरिजन कहलाये या पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति का कहलाये, कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है उसके कुछ मौलिक अधिकार हैं, जो किसी विशेष कुल में पैदा होने से प्राप्त नहीं हैं, बल्कि भारत के नागरिक होने से हर एक को प्राप्त हैं । यदि कोई भारतीय नागरिक उन अधिकारों से वंचित रहता है या किसी ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जाता है कि उन अपने अधिकारों से काम न ले सके तो यह गलत चीज है और केवल इसी व्यक्ति का या समुदाय का नुकसान नहीं है, बल्कि सारे देश का नुकसान है । हमारे हर भारतवासी को उसकी योग्यता के अनुसार काम करने का अवसर होना चाहिये। यह ठीक है कि सरकारी नौकरी में कुल जन संख्या का ३ या ४ प्रतिशत आती होगी, लेकिन वह अपने कुटुम्ब या जाति-बिरादरी का ही कल्याण करने के लिये नहीं होते, बल्कि हमारे यहां उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है । सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज है । यदि हरिजनों को उसमें नहीं लिया जाता है तो इसके मानी हैं कि समाज उनकी योग्यता से वंचित रहता है । इस देश के उत्थानों में जो उनका हिस्सा होना चाहिये वह प्राप्त नहीं होता और उसका श्रेय उनको नहीं मिलता है तो यह अनुचित बात है । जैसा कि अभी माननीय शिवनारायण जी ने कहा, हमने १० प्रतिशत से बढ़ाकर १८ प्रतिशत किया बगैर किसी के कहे और जहां तक गवर्नमेंट की बात है हम इस बात को चाहते हैं कि जो कुछ संख्या रखी जाय उसका पूरा लिहाज होना चाहिये । मैं समझता हूं कि इसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है । इस बारे में शिकायत की गयी नीचे के अधिकारियों की । कल पब्लिक सर्विस कमीशन के विवाद के सिलसिले में एक बात की ओर श्री वीरेन्द्र यादव ने ध्यान आकर्षित किया था । पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में किसी एक सर्विस के लिये यह चीज आयी कि उन्होंने ६ व्यक्तियों को हरिजन समझ कर चुना, लेकिन बाद में यह पता लगा कि उसमें से एक हरिजन नहीं है । गवर्नमेंट ने लिखा कि ६ आदमी लेने हैं । लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिखा कि नंबर २,३,४,५,६, को ले लीजिये और एक को छोड़ दीजिये और ५ ही ले लीजिये, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर आग्रह किया और कहा कि ६ हरिजन होने चाहिये और उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन की राय को न मान कर उसकी नियुक्ति की ।

अभी पारसाल की बात है । पुलिस के लिये सब इंस्पैक्टर्स का चुनाव होना था । जिस क्रम में नाम आये थे उसमें हरिजनों की संख्या उस प्रतिशत से बहुत कम थी, जो उनके लिये रक्खा गया था । हमने इस पर गौर किया और कई ऐसे लोगों को छोड़कर जो सवर्ण कहे जा सकते थे, हरिजनों को लिया, ताकि उनकी संख्या १८ प्रतिशत हो जाय । इसलिये जहां तक गवर्नमेंट की बात है, उसको जब कभी मौका मिलता है उसकी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि हरिजन लोग नियत प्रतिशत में ले लिये जायं । यह संभव है कि नीचे किन्हीं कारणों से वे उतनी संख्या में न लिये जाते हों ।

इस बिल में २० प्रतिशत रिजर्वेशन की बात कही गयी है । मुझे उसके मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती अगर ऐसा जरूरी हो । उनकी आबादी के जो फिगर्स हैं उनके अनुसार जो भी उचित हो वह संख्या निर्धारित की जा सकती है । लेकिन सबसे महत्व की बात यह है कि वह संख्या १५–२० कुछ भी हो, उसका निर्वाह होना चाहिये, उसको व्यवहार में आना चाहिये । अब प्रश्न यह होता है कि यह व्यवहार में कैसे आये । हो सकता है कि कहीं-कहीं गवर्नमेंट की बात लोगों की समझ में आ जाय और यह भी हो सकता है कि कहीं-कहीं नीचे के अधिकारी कोई गलती कर जायं । अब प्रश्न यह है कि इस चीज का इलाज क्या है ? बिल में

कड़े दंड की भी व्यवस्था की गयी है। परन्तु सामाजिक कार्य केवल दंड से ही नहीं चलते। इसके लिये अच्छा यह होता है कि पब्लिक ओपीनियन क्रियेट की जाय। अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर पब्लिक ओपीनियन को तैयार नहीं किया गया तो जिन लोगों को उस कानून का पालन करना है उन लोगों ने पूर्ण रूप से उसका पालन नहीं किया, ऐसी दशा में उस कानून की कोई कीमत नहीं रह जाती है और अगर उस कानून से उनकी बुद्धि पर कोई असर न पड़ा तो जितने चुनाव करने वाले हैं उन सब पर जुरमाना नहीं किया जा सकता और न सबको जेलखाने ही भेजा जा सकता है। अगर सब लोग उसका पूरी तरह से पालन नहीं करते तो वह कानून रद्दी कागज हो जायगा। इसलिये हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जो भी संख्या हम कानून में निर्धारित करें उसका पूर्णरूपेण पालन किया जाय और यदि आवश्यकता पड़े तो दंड भी दिया जाय। लेकिन दंड के पीछे यह चीज अवश्य होनी चाहिये कि सरकारी अहलकारों की समझ में यह चीज आये। वे यह समझें कि यह चीज जरूरी है और इसको हमें करना है। अतः इस प्रकार हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि लोगों में यह व्यावहारिक बात आ जाय, चाहे हम इसको यहीं पास कर दें अथवा सिलेक्ट कमेटी में भेज कर पास करें।

इसके अतिरिक्त कुछ सर्विसेज ऐसी हैं, जिनमें प्रतिशत की बात पूरी तरह से पालन करनी कठिन भी होती है। जैसे डाक्टर और इंजीनियरों के चुनाव में प्रतिशत के अनुसार लेने में दिक्कत होती है और ऐसे कामों के लिये सैकड़े के अनुसार उन लोगों को लिया जाना जो योग्य नहीं हैं बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि जान तो सभी को प्यारी होती है, चाहे वह हरिजन हो अथवा कोई और। जान का मूल्य कभी भी रुपयों में नहीं आंका जा सकता और इसके लिये किसी ऐसे आदमी को जो योग्य नहीं है लेकर मनुष्यों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। वही बात इंजीनियरों के लिये भी लागू होती है तथा दूसरी ऐसी ही टेक्नीकल पोस्ट्स के लिये।

इसलिये सबसे मुख्य बात यह है कि केवल यहां पर बहस करके इसको पास कर देना ही काफी नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि इसको एक दो माह में जनमत जानने के लिये सर्क्युलेट कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि इस बिल को हम सिलेक्ट कमेटी में भेजें। उसके लिये कोई बहुत लम्बी तारीख नहीं, ३१ दिसम्बर तक की तारीख रख दी जाय। ३१ दिसम्बर तक के लिये बिल सरक्यूलेट हो जायगा तो उसका माने यह होगा कि सबके सामने यह प्रश्न आ जायगा और सम्भव है हमारे सामने ऐसे सुझाव आ जायें जिन सुझावों से यह बिल आसानी से सिद्धांततः कार्यान्वित किया जा सके। मेरा जो सुझाव है उसको जिन माननीय सदस्य ने बिल को पेश किया है अगर वे स्वीकार करें तो मैं समझता हूं कि जो हमारा उद्देश्य है, उनका उद्देश्य है और सबों का उद्देश्य है उसको पूरा करने में ज्यादा सफलता प्राप्त होगी।

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि माननीय सदस्य आपके सुझाव पर अमल करें तो उसके लिये आप एक संशोधन के रूप में अपने सुझाव को उपस्थित कर सकते हैं कि फलां तारीख तक यह सरक्यूलेट किया जाय। यह नियम है, अगर आप उस रूप में पेश कर दें तो मैं उसके ऊपर राय ले लूंगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४ जनमत जानने के लिये ३१ दिसम्बर तक के लिये सरक्यूलेट किया जाय और ३१ दिसम्बर, सन् १९५५ तक जनमत आ जाय।

श्री अध्यक्ष—श्री रामसुमेर जी, आपको यह स्वीकार है?

श्री रामसुमेर (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव जो इस समय सदन के सामने पेश है.....

श्री अध्यक्ष—मैं भाषण देने के लिये आपको नहीं कहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि यह संशोधन जो अभी पेश किया गया है आपको स्वीकार है? क्योंकि आपको उत्तर देने का तो मौका मिलेगा जब सब और लोग बोल लेंगे।

श्री रामसुमेर—मैं जनमत के लिये इसको स्वीकार करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, ३१ दिसम्बर तो मुझे कुछ अधिक समय लगता है। अगर इससे कुछ पहले हो सकता तो ठीक होता।

कुछ सदस्य—ठीक है, यही ठीक है।

श्री अध्यक्ष—श्री रामसुमेर जी, आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री रामसुमेर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव में तीन प्रकार के प्रस्ताव हुये हैं जिसमें एक प्रवर समिति में उपस्थित करने के लिये कहा गया है, दूसरे संयुक्त प्रवर समिति में भेजने को कहा गया है और तीसरे जनमत संग्रह के लिये कहा गया है। मैंने तीसरे को अच्छा समझा है और इसीलिये मैं इसका समर्थन करता हूं। कुछ लोगों ने और भी कई प्रश्न उठाये जिनका उत्तर दे देना मैं आवश्यक समझता हूं। यह तो सब लोगों ने, माननीय सदस्यों में से जिन लोगों ने भाषण दिये वे इस बात से बिलकुल एकमत हैं कि हां, आज इसकी आवश्यकता है, उसके सिद्धांतों की आवश्यकता है। कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने बीच-बीच में ऐसे भी प्रश्न उठाये, जो इस बिल के सम्बन्ध में नहीं उठाना चाहिये था, जैसे माननीय नवलकिशोर जी ने यह प्रश्न उठाया कि आज इस बिल की आवश्यकता नहीं है। माननीय सीताराम शुक्ल जी ने यह प्रश्न उठाया कि इस बिल से साबित होता है कि लीगी मनोवृत्ति है। कुछ लोगों ने यह प्रश्न भी उठाया कि सम्भवतः यह जो रिजर्वेशन की बात कांस्टीट्यूशन में १० वर्ष के लिये है तो १० वर्ष के बाद इस बिल की कैफियत क्या होगी। ये सब ऐसे प्रश्न हैं, जिनका स्पष्टीकरण हो जाय, ताकि जब यह जनमत के लिये जाय तो उसमें थोड़ी सी सहायता मिले। जहां तक १० वर्ष तक के लिये रिजर्वेशन की बात है, जो कांस्टीट्यूशन की संबंधित धारा है, उसमें जो १० वर्ष का बार है, उसमें सर्विसेज के लिये नहीं लिखा हुआ है। यह जो १० वर्ष के लिये रिजर्वेशन का प्रश्न है वह केवल पार्लियामेन्ट और असेम्बली सीट्स के रिजर्वेशन के सम्बन्ध में है। सर्विसेज के लिये किसी भी रूप में नहीं लिखा हुआ है। उसको मैं पढ़कर सुना देना चाहता हूं। श्री बसु की जो "कमेंट्री आन दि कान्स्टीट्यूशन आफ इंडिया" है उसके पेज ७७४ में लिखा हुआ है:—

"Shall cease to have affect on the expiration of a period of 10 years from the commencement of this constitution.

Provided-nothing in this article shall effect any representation in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State until the dissolution of the then existing House or Assembly, as the case may be."

इसका मतलब यह है कि यह पार्लियामेंट और असेम्बलियों के लिये ही है सर्विसेज के लिये नहीं है। श्री नौरंगलाल जी का विचार है कि दस साल के बाद क्या होगा, उस वक्त एक बेकुअम रह जायगा और यह सब बेकार हो जायगा। मैं आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का तो प्रश्न ही नहीं उठता, जब तक अपने संविधान की धारा ३३५, १६–४ और १५–४ मौजूद है तब तक इस बिल की सेंकटिटी रहेगी और इस कानून का अस्तित्व रहेगा, अगर यह धारायें संविधान से हट जायंगी तब उस दिन यह समाप्त हो सकता है। इसलिये इस तरह की आशंका नहीं है, जिसको श्री नौरंगलाल ने प्रकट किया और इसमें कोई अड़चन दस साल के बाद नहीं पड़ सकती। श्री नवलकिशोर जी ने कहा कि इस तरह के विधेयक की कोई आवश्यकता ही नहीं है और कानून से समाज नहीं बदलता और उससे तो हमारे विभाग में उलझन ही होती है। कानून से समाज नहीं बदलता यह तो मैं भी समझता हूं, लेकिन जब हम यहां कानून बनाते हैं तो हमारे सामने केवल एक ही प्रश्न होता है कि आखिर हम यह सब कानून किस चीज के लिये बना रहे हैं रोज कानून क्यों बना रहे हैं। क्या वह कानून एक आदमी के लिये है, दस आदमियों के लिये या १,००० आदमियों के लिये बना रहे हैं। सब का हमें एक ही उत्तर मिलता है कि हम लोग रोजाना समाज के हित के लिये कानून बनाते हैं और हम एक कल्याणकारी

राज्य की स्थापना की बात करते हैं, यह कोई एक आदमी के हित की बात न होकर सारे समाज के हित की बात है और उसका प्रभाव सारे समाज पर पड़ता है। हम कानून के लिये नहीं हो सकते, बल्कि कानून हमारी भलाई के लिये होगा। जब सब से पहले दुनियां में कानून बना होगा तो वह किसी सामाजिक कठिनाई को देखकर ही बना होगा न कि समाज को उलझन में डालने के लिये। क्या हम कह सकते हैं कि अगर यह उलझन है तो किसी कानून के बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी बहुत जरूरत है, एक हिसाब से ही नहीं, बल्कि और भी कारण हैं, जबकि हम रोज देखते हैं कि हर जगह एप्वाइंटमेंट्स होते हैं और यहां सदन में प्रश्न उठाये जाते हैं और लोग कहते हैं कि यह सब सुनने से हमारे कान फट गये हैं और पेट फूल गये हैं और हरिजनों की तरफ से यह प्रश्न क्यों होते हैं। उनकी जो समस्या है और जिस के बारे में माननीय रामनरेश शुक्ल ने कहा था कि वह एक हमारा मूलभूत प्रश्न है। मैं कहता हूं कि क्या कभी इस पर मूल रूप से गौर करने का प्रयत्न हुआ है? हमारी तरफ से जो अभी तक इस समस्या को देखा गया है वह केवल उसी प्रकार से देखा गया है कि जिस तरह से किसी के सिर में दर्द होता है तो उसको कोई दवा देकर सिर दर्द दूर कर दिया जाता है। जरूरत इस बात की होती है कि इसका कारण देखा जाय कि सिर के दर्द की ओरिजिन क्या है, उसका मूलभूत कारण क्या है। इसलिये मूलभूत प्रश्न की उत्पत्ति के बारे में यह मालूम करना जरूरी है कि इस का क्या हल हो और मैंने तो उस हल का केवल एक भाग ही इस बिल के रूप में सदन के सामने रखा है। यह बिल तो एक पार्ट है, एक हिस्सा है उस समस्या का केवल एक अंश है। मैं भी कहता हूं कि इससे पूरे समाज की भलाई नहीं होगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे समाज की आंखें खुलेंगी और उस के बाद समाज मजबूर होकर बाकी चीजें भी करेगा। उन्हीं कारणों से मैंने इसकी आवश्यकता समझी।

अब प्रश्न यह है कि माननीय सीताराम शुक्ल ने कहा है कि यह हमारी लीगी मनोवृत्ति है। मैं आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य से जान सकता हूं कि जब संविधान की ये धारायें बन रही थीं तो क्या उस समय वहां के लोगों के दिमाग में भी लीगी मनोवृत्ति थी? यह साफ है कि उन्होंने इसकी आवश्यकता समझी थी। यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि धारा ३३५ रिकमेंडेटरी तौर पर है और जो १६ (४) और १५ (४) हैं वह आब्लिगेटरी धारायें ह। इनके अन्तर्गत तो आपको रिजर्वेशन देना ही है और ३३५ वीं धारा के अन्दर जहां पर हरिजनों का रिजरवेशन नहीं है वहां पर गवर्नमेंट स्पेशल पावर्स से ऐप्वाइंट करेगी, यानी तीनों धारायें बिलकुल साफ हैं और इतनी साफ हैं कि मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें उलझन क्या है कि इसको स्वीकार नहीं किया जाय। जब कांस्टीट्यूशन इतना साफ कहता है तो इसके मानने में देर सबेर करने से क्या फायदा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि इस प्रकार की भावना से जातिपांति का भेद बढ़ता जा रहा है, जातिपांति की भावना हमारे देश में होती जाती है। हम मानते हैं कि इससे भावना जातिपांति की बढ़ती जा रही है, लेकिन किस रूप में और इसका जिम्मेदार भी कौन है? इसके जिम्मेदार ज्यादातर वही लोग हैं जो अपने को बड़ा कहते हैं। इसके लिये मुझे आपके सामने थोड़े शब्द पुराने जमाने के इतिहास के कहने पड़ेंगे। हमारे हिन्दुस्तान में एक परिपाटी रही है कि छोटे लोग बड़े लोगों के हाथ में अपने को समर्पण करते रहे हैं, जबकि अन्य मुल्कों के लोगों में यह बात नहीं रही है। आयरलैन्ड के इतिहास को यदि आप पढ़ें तो देखेंगे कि दोनों लीडर्स में बातें हुयीं तो बड़े लीडर ने छोटे लीडर से कहा कि तुमको जो सेफगार्ड की जरूरत हो, लेकिन हमारे आयरलैन्ड को यूनिटि प्रदान करो, तो छोटे लीडर ने कहा कि हम सेफगार्ड्स को लानत भेजते हैं लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम हम पर शासन करो। लेकिन हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर कोई ऐसी बात नहीं हुयी। हमारे अन्दर तो शुरू से यह बात है कि जिस काम को हमें एन्ट्रस्ट किया गया उसको हमने बखूबी निभाया और उस निभाने की वजह से हम गरीब हो गये। हम बेघरबार हो गये, हमारे दिमागों को खत्म कर दिया गया, हमारा पढ़ना बन्द कर दिया गया और हमारा अच्छा रहन-सहन बन्द कर दिया गया। हमारे खाने-पहनने के हक छीने गये और यही इस गरीबी का ओरिजिन है। मनुस्मृति के दवें अध्याय से जिसमें

[श्री रामसुमेर]

४२० वें श्लोक के द्वारा क्या हमें बेघरबार नहीं किया गया ? तो इस प्रकार की ओरिजिन बड़े लोगों से हुयी। उस समय मनुस्मृति कानून माना जाता था और उसको सब लोगों ने कानून मानकर राज्य का संचालन किया था। आज वही प्रश्न हमारे सामने खुद है। आज आप लोग चिल्लाते हैं कि कानून से समाज को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन कानून से कम से कम जो जाहिर खराबियां हैं, उनको हटाया जा सकता है। अगर कोई आदमी चोरी करता है तो चाहे वह समाज में कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, चाहे उसके पीछे कितने ही चलने वाले क्यों न हों, लेकिन चोरी चोरी है, जुर्म है और उसके लिये कानून बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार आप कहते हैं कि अछूतपन चाहे किसी भी शक्ल में हो नाजायज है, अपराध है तो उसके बारे में कानून बनाना पड़ेगा इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं और आप कहते हैं कि कानून से इस प्रकार से समाज परिवर्तित नहीं हो सकता तो हम यह मानने लगेंगे कि यह केवल बहाने-बाजी की चीज है। हमारे लोग ८ करोड़ हिन्दुस्तान में रहते हैं उनको आपने अपने से दूर कर रखा है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हममें इस प्रकार की कोई भावना नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि हिन्दू समाज से हम अलग रहें। हमने हमेशा डिक्लेयर किया है कि हिन्दू समाज हमारा है, हम हिन्दू समाज के हैं, हम भी हिन्दू हैं, लेकिन हमें आप ने हमेशा अलग रखना चाहा। एक जमाना था जब आपने हमें मिलाकर अलग किया और फिर एक जमाना आया जब हमें अलग करके आपने अलग किया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जमाने के हिसाब से हमारा एक्सप्लायटेशन भी हुआ और जमाने के हिसाब से हम गरीब बने रहे और यही हमारी गरीबी की ओरिजन है कि एक भी आदमी हममें से अमीर नहीं हुआ, एक भी आदमी हम में से विद्वान् नहीं हुआ। एकाध आदमी हुये भी तो उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल सका, तो ऐसी चीजें इतिहास में भरी पड़ी हैं, जो हमारे साथ कानून के जरिये से हुआ है, और समाज ने किया है, आप लोगों ने किया है। तो इस प्रकार की चीजें हम चाहते हैं कि जो विधेयक में आज हैं उसको मान लेने में कोई दिक्कत न होगी न कानूनी और न सामाजिक दिक्कत होगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम उस चीज को बहुत ही गम्भीरता से विचार करते हैं लेकिन दो चार शिकायतें भी मैं बहुत जोर की कर देना चाहता हूं। वह इसलिये कि जब से हमारी यह सरकार बनी है तब से हमने यह देखा है पेम्फलेट बांटे गये, हरिजनों के बारे में सरकारी विभाग काम कर रहे हैं, हरिजनों में से एक मिनिस्टर भी है और डिप्टी मिनिस्टर भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जितने भी आर्डर सरकार ने दिये हैं आज तक एक भी आर्डर फालो नहीं हुआ, एक भी पूरा नहीं हुआ। और मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जितने एप्वाइटमेंट हुए, जितने भी सर्विसेज के बारे में आर्डर्स हुये उनमें सरकार एक के सम्बन्ध में भी बतला सकती है कि क्या एक भी आर्डर पूरा हुआ ? इस मिनिस्ट्री के आने के बाद एक भी विभाग में पूरा रिजर्वेशन हुआ है ? यह भी अजीब चीज है कि रिपोर्ट सरकारी निकलती है कि हरिजनों के लिये इतना रुपया और बढ़ा दिया गया, इतने लाख रुपये और खर्च किये गये और इतने आफिसर्स और बढ़ा दिये गये। इतने स्टूडेंट्स और बढ़ गये, इतनी फीस माफ कर दी गयी। यह अजीब बात है कि एक तरफ तो यह प्रचार होता है कि इतने लड़के पढ़े-लिखे बढ़े, इतनी एफिशियेंसी बढ़ी, क्योंकि इतना रुपया सरकार खर्च कर रही है लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है कि साहब हमको एफिशियेंट लड़के नहीं मिलते, इसलिये रिजर्वेशन पूरा नहीं होता। कौन सी बात में सही मानूं एफिसियेंसी वाली सही है या रुपये खर्च करने वाली सही है। कौन सी चीज के स्टेटिस्टिकस सही माने जायें। स्वर्गीय सरदार पटेल ने माइनारिटी कमेटी में एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था। कांस्टिट्युएंट असेम्बली आफ इंडिया, जुलाई से अगस्त ४७, से मैं पढ़ रहा हूं, जिसमें उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन आफ सर्विसेज के बारे में राय दी थी—

"After considerable discussion, we have come to the conclusion that the best arrangement would be for the centre and for each of the provinces to appoint a special minority officer whose duty will be to enquire into cases in which it is alleged that rights and safeguards have been infringed and to submit a report to the appropriate legislature.

इस प्रकार की रिपोर्ट जो है, स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इसी हिसाब से शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर एप्वाइन्ट किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का अटेंशन इस तरफ भी डाइवर्ट करता हूं कि अगर उस प्रकार की चीज की जाती तो आज यह समस्या हमारे सम्मुख कभी पैदा नहीं होती। और जितने आर्डर्स होते हैं उसमें खसूसन ५०-६० परसेंट कामयाब हो जाते। लेकिन इसका क्या कारण है कि कोई भी आफिसर्स या कोई भी आदमी आज यह केयर नहीं करता कि गवर्नमेंट आर्डर की क्या वेल्यू है। मैं यह मुनासिब समझता हूं और यह आवश्यक समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यह बिल वास्तव में बहुत ही आवश्यक है और इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुये यह जरूरी मालूम होता है कि जनता इसको जान ले और अपनी राय भी वह इस पर दे दे। लिहाजा इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये अवश्य भेजा जाय और शीघ्र से शीघ्र उसे वह इस रूप में दे दे ताकि समाज का यह कलंक समाप्त हो जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं यह संशोधन सामने रखता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण सेवा विधेयक, १९५४, ३१ दिसम्बर, १९५५ तक जनमत संग्रहार्थ घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राज्य के राजनीतिक पीड़ितों के लिए समुचित पेंशन व्यवस्था करने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दिन से इस विचार में था कि पोलिटिकल सफरर्स की दयनीय दशा की तरफ हाउस का ध्यान आकर्षित करूं। कुछ रोज पहले बजट के सिलसिले में अर्ज भी किया था, लेकिन बजट के वक्त बोलते समय बहुत काम रहता है, इसलिये इस पहलू पर कम रोशनी डाल सका। किन्तु आज मौका मिला है कि अपने विचारों को आप की सेवा में और सदन की सेवा में रख सकूं। अध्यक्ष महोदय, बड़ी मेहनत से, बड़ी तपस्या से और बड़े परिश्रम से स्वराज्य मिला, आजादी मिली। लोगों का ख्याल था कि स्वराज्य नहीं होगा।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—प्रस्ताव तो पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष—हां, पहले प्रस्ताव पढ़ दिया जाय।

श्री सीताराम शुक्ल—"इस सदन का यह निश्चय मत है कि राज्य के राजनीतिक पीड़ितों की एक सूची तैयार की जाय और उन्हें समुचित पेंशन दी जाय ताकि वे आर्थिक कठिनाइयों से निश्चिन्त होकर देश की सेवा कर सकें।"

इसकी एक प्रति हर माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी थी अतएव पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

राजा वीरेन्द्रशाह—रिवाज है।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं अर्ज कर रहा था कि वह दिन देखने को मिल गया कि मुल्क आजाद हो गया। इसमें कोई शुबहा नहीं कि सरकार ने हर तरफ ध्यान दिया, सब की तरक्की की कोशिश की, पोलिटिकल सफरर्स की तरफ भी ध्यान दिया और जहां तक संभव था उनकी सहायता भी की, लेकिन मैं आप से अर्ज करता हूं कि आज हर तरफ जितनी तरक्की हुई, जैसे आप देखें कि एक सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर से एस० पी० और एस० पी० से डी० आई० जी० हो गया। हमारे कांग्रेस के वर्कर्स भी कुछ साधारण वरकर्स से गवर्नमेंट के पदों पर आज पहुंच गये हैं। लेकिन बहुमत है उनका जिन्होंने बड़ी तपस्या की, बहुत काम किया, बहुत त्याग किया। किन्तु आज वे बड़ी-बड़ी कठिनाइयों में हैं, बड़े दुःख की

[श्री सीताराम शुक्ल]

जिन्दगी बसर कर रहे हैं। एक साहब सीतापुर के मेरे पास ठहरे हुये हैं। मेरा उनका साथ जेल में हुआ जब कि गणेश शंकर विद्यार्थी भी १९२१ में थे। एक सज्जन आये थे, दर्जा तो नहीं पास किया है, क्योंकि १९४० से बराबर जेल काट रहे हैं। सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है लेकिन उनके पांडित्य का जल्वा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पांच जबानें जानते हैं। तो बहुत से लोग जो हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम किया करते थे और जिनकी योग्यता, जिनका त्याग, जिनकी सूझ बूझ में कोई कमी नहीं है, उनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पहले जब लोग घर छोड़ कर जेल चले जाते थे तो पब्लिक उनकी इमदाद करती थी। पब्लिक यह देखती थी कि जेल चला गया उस की इमदाद करनी चाहिये। लेकिन अफसोस यह है कि अब न पब्लिक से इमदाद मिलती है और न सरकार से। सरकार कहती है कि अपने आदमी हैं, फिर किस को इगनोर किया जाय। मैंने एक बहुत बड़े आदमी से अर्ज किया कि फलां साहब ने, बड़ा त्याग किया, बड़ी कुर्बानी की, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। तो उन्होंने जवाब दिया जो बड़े वाक्पटु हैं, कि अपने ही आदमी को इगनोर किया जाता है। अब अगर किसी से पैसा मांगते हो, तो कहता है कि तुम्हारी सरकार है, अब पैसे की क्या जरूरत है, अब जो चाहो खर्च कर सकते हो, अगर किसी ने कुछ कहा भी, ठीक है, पैसा चाहिये पैसा हाजिर है जरा ठेका दिलवा दो। तुम्हारे दोस्त मिनिस्टर हैं। तो हुजूरवाला आज कल दलाली करनी पड़ती है। जो देशभक्त सर नहीं झुकाते थे, अंग्रेजों की शक्ति के सामने उनके सामने आजकल सख्त परेशानी है और यह बाजे रहे आपको, एक संस्कृत का श्लोक है :

"वरं वनं व्याघ्रगजादि सेवितं
द्रुमालयं पत्रफलाम्बुभोजनम्।
तृणानि शय्या परिधान वल्कलं
न बन्धुमध्ये धनहीन जीवितम्॥

जंगल में जाकर जानवरों के साथ रहना और पत्ते खा कर पानी पी कर रह जाना अच्छा है, लेकिन अपने भाइयों के सामने गरीबी की जिन्दगी बसर करना अच्छा नहीं है। उनके साथ काम करने वाले कुछ ऊंची जगहों पर हैं। हवाई जहाज पर उड़ते हैं, मोटरों पर चलते हैं, और कुछ लोगों के पैर में जूतियां भी नहीं हैं, यह देख कर सख्त तकलीफ होती है। जिसने पैसा कमाया, धोखे से, धड़ी से, ईमानदारी से, बेईमानी से आज करोड़पति हो गया, आज उससे हर आदमी हाथ मिलाता है। मोटर से बाहर निकला, चपरासी रिसीव करने के लिये दौड़ पड़ते हैं। सीट भी मिल जाती है, टिकट भी मिल जाता है परन्तु जिसने त्याग किया उनमें से अनेक आज भी कष्ट में हैं। सीतापुर की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में ऐसे कुछ वर्कर्स को मेरी आंखों ने देखा जो कि चाय पार्टी को दूर से देख रहे थे। अपना साथी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है और खुद नीचे रह जाता है। तब यहीं मालूम होता है कि त्याग कोई चीज नहीं, कुर्बानी बड़ी चीज नहीं बल्कि पैसा कमाना ही अच्छी चीज है। सर्वेगुणा कांचन माश्रयन्ति, पहले भी था और आज भी है। इसलिये इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिये। जहां तक पब्लिक की राय की बात है, मैं जानता हूं कि जनता चाहती है कि पोलिटिकल सफरर्स की माली इमदाद की जाय। मैं यह भी मानता हूं कि हमारे सदन का हर मेम्बर चाहता है कि उनकी सहायता की जाय। अब सवाल यह हो सकता है कि कहां से दिया जाय? बजट तुम्हारे सामने है। पैसा कहां से लाया जाय? रास्ता बतलाइये। तो मैं अर्ज कर सकता हूं कि बहुत आसानी से चीनी पर एक पैसा फी सेर और ऊनी कपड़ों पर एक पैसा गज टैक्स लगा दिया जाय या और भी अनेक मद हैं जिन पर टैक्स लगाये जा सकते हैं, या जितना बजट आप का है प्रतिशत १ रुपया काट लिया जाय जो कि अस्सी लाख होगा उससे उनकी हेल्प की जा सकती है। यहां एक सवाल पैदा होता है कि मान लीजिये कि पैसा मिल गया, लेकिन पोलिटिकल

सफरर तो बहुत हैं। जो जेल चला गया, जिसने त्याग किया क्या वही पोलिटिकल सफरर हैं ? हमें देखना है कि किसे पोलिटिकल सफरर मानें। मैं सफाई के साथ इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। कुछ लोगों को कांग्रेस ने खुद कहा था कि तुम जेल मत जाओ, तुम बाहर ही रह कर पैसा इकट्ठा कर के मदद करो। वह जेल जाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि तुम बाहर ही रहोगे। वह बाहर रहे लेकिन कुन्जी उनके हाथ में ही थी। वह हेल्प करते रहे। मैं उनको पोलिटिकल सफरर कहूंगा। कुछ सरकारी अफसर कानून के अन्दर नहीं आते थे, बचते थे। परन्तु गैर कानूनी किताबें उनके यहां रहती थीं। जिससे मदद मिलती थी, अपने साथी सरकारी अफसरों से पैसा इकट्ठा करके हमको दे दिया करते थे जब अंग्रेजों को मालूम हुआ तो उनके खिलाफ ऐक्शन लिया गया और डिपार्टमेंटल ऐक्शन लेकर उनको नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उनको पोलिटिकल नहीं बनाया गया। मैं अपनी बात आप से अर्ज करूं। जिस समय मेरे ऊपर केस चलने वाला था उस समय एक सब इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं तो अपने पेट की खातिर आप के खिलाफ गवाही दूंगा। लेकिन आप ने जो किया वह बहुत ठीक है, कृपया अपना बयान कविता में ही दीजिएगा। जिस वक्त वह बयान देने इजलास पर आया उस समय मैंने जो कहा वह आप से अर्ज कर दूं। वह मेरी एक कविता थी जो इस प्रकार है —

जो कुछ कहा हिन्सा रहित निज धर्म के अनुसार ही,
भाषण भ्रमणा कर जित किया उस अभि शान्ति सुहा रही।

पर सामने श्रीमान के इजहार देना व्यर्थ है,
इजलास बिन इंसाफ है निज अर्थ होत अनर्थ है।

कर के स्वतंत्र स्वदेश न्यायालय नये बनवायेंगे,
सम्मुख उन्हीं सरपंच के यह दर्द सर्व सुनायेंगे।

या उस कचहरी में जहां अन्याय होता ही नहीं,
रिशवत, सिफारिश, मित्रता इत्यादि चलता ही नहीं,

मुरली मनोहर मुकटधर मोहन मधुर मुस्कायेंगे,
कर कंज लेंगे लेखनी फिर हम बयान लिखायेंगे।

कविता मेरी थी लेकिन प्रेरणा मुझे मिली पं० रामेश्वर दत्त त्रिपाठी सब इंसपेक्टर से जो अपना बयान देने आया तो उसने मेरी तारीफ कर दी जिसका फल यह हुआ कि उसकी तनज्जुली कर दी गई। तो जेल जाना ही नहीं लेकिन और दूसरी ऐसी सेवाओं के बदले में भी जिसकी हानि हुई उनको सहायता मिलनी चाहिये। जिन अफसरों ने अपनी नौकरियों में रहते हुये हमें मदद की है और उस की वजह से उनको भर्त्सना मिली है, उनकी तनज्जुली हुई है या उनकी तरक्की मारी गयी है ऐसे लोगों को भी हमें पोलिटिकल सफरर मानना चाहिये और उनकी मदद करनी चाहिये। अगर ऐसे अफसर कहीं है तो उनका ध्यान रखा जाय, उनकी तरक्की की जाय और उनकी इमदाद की जाय। क्योंकि लड़ाई खत्म नहीं होती, और आगे आ सकती है। अगर जर्मनी आजाद से गुलाम हो सकता है, जापान गुलाम हो सकता है, तो यहां भी दुर्दिन आ सकता है। इसीलिये पेंशन पाने वाले सिपाहियों को पेंशन दी जाय। गोली शेर को मारती है। लेकिन अगर बन्दूक की बारूद न होती तो गोली चल ही नहीं सकती। इसलिये यह याद रहे कि बृटिश हुकूमत रूपी सिंह का शिकार करने में देश भक्तों ने अगर गोली का काम किया है तो उसके सहायकों ने बारूद का पार्ट अदा किया है। इसलिये हमें उन पर भी उचित ध्यान देना चाहिये। क्या जरूरत है कि जो सिपाही मर गया है उस के परिवार को पेंशन दी जाय। वह इसलिये दी जाती है ऐसे बहादुर आदमियों की संख्या बढ़े और नये त्यागी आदमी हमको मिल सकें। इसलिये मेरी गुजारिश है कि उनके साथ रियायत की जाय। मैं प्रार्थना करता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि फौज के

[श्री सीताराम शुक्ल]

सिपाही को शिकमी देने का अख्तियार है जो तनख्वाह ले कर लड़ता है, लेकिन यह पोलिटिकल सफरर अगर अपने खेत को शिकमी दे दे तो वह जब्त हो जायगा। अभी तक वह गल्ले पर, शिकमी पर अपना खेत दे दिया करता था और फिर पब्लिक का काम करता था, लेकिन यह कानून ऐसा बन गया है कि अगर उसने अपने खेत को शिकमी पर दे दिया तो वह चला जायगा, जब्त हो जायगा। बहुत से पब्लिक का काम करने वालों ने काम करना छोड़ दिया और खेती करना शुरू कर दिया। आपने भूमि दी है कुछ लोगों को किछा में और उनका मकान है बलिया में, बस्ती में, या देवरिया में। वह है पोलिटिकल माइन्ड। उनकी खेती हो रही है लेकिन जब बाढ़ आती है तो क्या आप समझते हैं कि पोलिटिकल माइन्डेड आदमी किछा में बैठ कर अपने खेतों में काम करेगा। जिसने अपनी जिन्दगी की परवाह नहीं की देश के लिये, मुल्क की आजादी के लिये, तो क्या आप समझते हैं कि वह बाढ़ के जमाने में अपने खेतों को देखने जायगा।

वे भाग करके वहां पहुंच जाया करेंगे बाढ़ वालों की सहायता करने के लिये। खेती खराब हो जायगी। तो न उसको खेती हो होती है और न बाढ़ का काम कर पाता है, ऐसी परेशानी हो जाती है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जो आपने खेत दे रखे हैं, उनमें खेती सरकार कराये, अपना सुपरिन्टेन्डेन्ट रखिये, ताकि पैदावार अच्छी हो और जो मुनाफा हो खर्चा काटने के बाद वह उनको बांट दीजिये। पोलिटिकल आदमी खेती नहीं कर सकता है। वह तो परोपकारी होता है उस की आदत है, दूसरों की सेवा करना। आप कितना भी आराम दें परन्तु उसको पोलिटिकल काम छोड़ कर दूसरे कामों में शांति नहीं मिल सकती, वह उसे पसन्द नहीं है। इसलिये मेरी गुजारिश है कि सरकार खुद खेती करे और आमदनी का हिसाब लगा करके मुनाफा बांट दे।

यहां एक सवाल पैदा होता है कि पोलिटिकल सफरर्स जो हैं वे केवल कांग्रेस में ही नहीं हैं, सोशलिस्ट्स में हैं, कम्युनिस्ट में हैं, हिन्दू महासभा में हैं, तथा और कई जगहों में हैं, और कई कैम्पों में है। तब उन्हें पैसा दे कर के सरकार के खिलाफ काम करवाना क्या बुद्धिमानी है? सवाल यह पैदा हो सकता है, इसमें दो रायें नहीं। मेरी गुजारिश है कि पोलिटिकल सफरर्स को जो आप इनाम देंगे वह इस वक्त के काम का नहीं बल्कि उन सेवाओं का है जो कि पहले वे कर चुके हैं। उन्हीं की मेहरबानी से आज हर हिन्दुस्तानी सर ऊंचा कर के चल रहे हैं। आप सरकार की कुर्सी पर बैठे हुये हैं। माननीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल जी देश से बाहर गये थे कितना इस्तकबाल हुआ दुनिया में, लोगों ने सिनेमा में देखा होगा और पढ़ा भी होगा। दुनिया में न भूतो न भविष्यति ऐसा किसी भी प्रधान मंत्री का इस्तकबाल नहीं हुआ। हमारे पंडित जी आज दुनिया में सुलह करा रहे हैं इसमें पोलिटिकल सफरर्स का भी हाथ है उन्होंने कुर्बानियां की हैं तो जो झंडा तिरंगा सारे संसार में चमक रहा है वह राजनीतिक पीढ़ियों की वह पुरानी सेवाओं का फल है। इसे मत भूल जाइये।

हुजूरवाला आप गौर फरमायें कि अगर सरकारी अफसर पेंशन पाने के बावजद दूसरी पार्टी में जा सकता है तो अगर एक पोलिटिकल सफरर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उस की क्या खता है। एक चीज में आप से अर्ज कर दूं कि पेन्शन दे कर आप घाटे में नहीं रहेंगे। "बुभुक्षितः किन्न करोति पापम्" जब अधिक परेशानी हो जाती है। तो सोचने की शक्ति घट जाती है। यहीं लखनऊ में शाम तक कांग्रेसी टोपी और सुबह लाल टोपी हो गई और इसका उल्टा भी हुआ है, तो कुछ परेशानियां हैं अगर आप हिम्मत कर के पैसा देंगे और उनकी आर्थिक कठिनाइयां जाती रहेंगी तो मैं आप से कहता हूं कि यह हो सकता है कि जिन्होंने गलतियां की हैं वे अपनी गलतियों को भूल जायं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी विद्वान हैं, मैं एक श्लोक सुनाता हूं।

"तानिन्द्रियाण्यविकलानि तदैव सा बुद्धिरप्रति हता वचनं तदेव।
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः सएव, अन्यक्षणे न भवतीति विचित्रमेतत् ।।"

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि बहुत आप की कवितायें और श्लोक हो गये हैं, मैं बार-बार कविताओं के पढ़ने के लिये आपको इजाजत नहीं दूंगा। आप विषय पर भाषण दें।

श्री सीताराम शुक्ल––आज्ञा मानना श्रीमन्, आपकी मेरा फर्ज है। वही सब इन्द्रियां अच्छी हालत में और वही नाम वही उत्तम बुद्धि तथा वही वचन किन्तु जब पैसे की गर्मी नहीं रहती तब एक ही क्षण में आदमी क्या से क्या हो जाता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अगर इनकी मदद करेगी सरकार और आर्थिक कठिनाई से वे निश्चिन्त हो जायेंगे तो सरकार को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस सरकार ही अच्छी है। क्या अमरीका पागल है, जो बिला शर्त आप को इमदाद देता है, क्या उस का दिमाग खराब है कदापि नहीं। मगर फिर भी वहां से घी आ रहा है और चीजें आ रही हैं। रूस हमारी इमदाद क्यों कर रहा है इसकी वजह यह है कि इंसान का बड़ा भारी असर पड़ता है मूक प्रोपेगेंडा का बड़ा प्रभाव होता है,। इसलिये अगर आप सहायता करेंगे तो इनके सोचने की शक्ति बढ़ जायगी और वे आपके साथ में आयेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अध्यक्ष महोदय, इतनी दलील तो मैंने दी इस प्रस्ताव के पक्ष में। अब इसके विपक्ष में भी थोड़ी सी बात है उसे छिपाना नहीं चाहता उसे भी कहे देता हूं। वह यह कि जब यह प्रस्ताव मैंने पेश किया और इत्तफाक से लाटरी में निकल आया तो प्रस्ताव के निकलने के बाद ही हमारे तेज, होशियार मुख्य मंत्री ने उस पर, ऐक्शन ले लिया। अदालत में दरख्वास्त दी गयी लेकिन बहस की जरूरत नहीं पड़ी और डिग्री हो गयी। हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने एलान कर दिया वर्कर्स को मीटिंग में कि हम एक आफिसर मुकर्रर कर रहे हैं जो राजनीतिक पीड़ितों की यथा सम्भव सहायता करेगा। मेरी बातचीत भी उनसे हुई और मैं उम्मीद करता हूं कि यह काम अब समुचितरूप से सम्पन्न होगा। इसलिये तेज चलने वाले को और तेज नहीं चलाया जा सकता। अतः अब इस प्रस्ताव पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष––क्या आप प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री सीताराम शुक्ल––जी हां।

श्री अध्यक्ष––क्या सदन की अनुमति है कि प्रस्ताव वापस लिया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––तो यह वापस नहीं हुआ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)––माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दुर्भाग्य है हमारे देश का कि उन राजनीतिक पीड़ितों की जो कि आजादी के सिपाही रहे और जिनकी कुर्बानी की वजह से हमारा देश आजाद हुआ और सारे देश में एक पार्टी की सरकार बनी, लेकिन उनकी अवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार उस तरह की भी सहायता देने के लिये तैयार नहीं है जिस तरह की अंग्रेजी राज्य में यहां के सिपाहियों को दी जाती रही। अध्यक्ष महोदय, यह मानी हुई बात है कि....

श्री अध्यक्ष––मैं जानना चाहता हूं कि आप प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं?

श्री रामसुन्दर पांडेय—समर्थन कर रहा हूं।

सरकार को सबसे पहले यह ध्यान देना चाहिये था कि आजादी के सैनिक जो रहे हैं उन सैनिकों की सहायता किस प्रकार की जाय लेकिन अफसोस है कि सरकार अब तक उस में नाकामयाब रही। हमारे प्रदेश में तो श्रीमन्, मुझे जहां जानकारी है और आजादी का एक सैनिक होने के नाते जो अनुभव है, हमारे साथ में जो सैकड़ों आदमी सन् ४० से लेकर सन् ४२ तक जेलखाने के सीखचों में सड़ते रहे और यही नहीं जो सैकड़ों की तादाद में जेलखाने में उस की परेशानी और बेंत की मार से दम घुट कर मर गये, उनके परिवार की ओर जब ध्यान जाता है तो एक बार यही इच्छा होती है कि सरकार ने उन शहीदों की माताओं, भाइयों और बच्चों के साथ ऐसा जो व्यवहार किया है उसे दुर्व्यवहार कहें, उसे उपेक्षापूर्ण कहें और यह कहें कि कोई भी सरकार इस तरह से अपने सैनिकों की उपेक्षा नहीं कर सकती है जो इस सरकार ने किया है। प्रसन्नता होती है जरा सी कि माननीय वर्तमान मुख्य मन्त्री जी ने इस प्रकार का एक आदेश जारी किया है, और ऐसा एक विभाग खोला है जिससे शायद कुछ लोगों को डूबते को तिनके का सहारा हो सके, । लेकिन श्रीमन्, उस में भी बहुत अटकल बाजियां हो रही हैं और साधिकारपूर्ण कहा नहीं जा सकता है कि वह अटकलबाजियां सही होंगी या गलत होंगी। लेकिन सन्देह होता है जो परिपत्र जारी हुआ है विशेषाधिकार सहायक अफसर की ओर से, वह विधान सभा के सदस्यों और जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के पास भेजा गया है। हमें इच्छा हुई कि माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखें कि क्या जिला कांग्रेस कमेटी को ही इन राजनीतिक पीड़ितों की जानकारी है, और पार्टियों और राजनीतिक दलों को नहीं है? सरकार और मुख्य मंत्री जी को खुद चाहिये था कि इस प्रकार का आदेश जारी करते कि इस देश में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं और किन लोगों का देश की आजादी के साथ सम्बन्ध रहा है, सभी प्रकार के राजनीतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में जानकारी सरकार को करावें। लेकिन मेरा ख्याल है कि सरकार ऐसा करने में हिचकती है। सरकार बनने के बाद कुछ फरमान जारी हुए, कुछ काम, कुछ नौकरियां, कुछ रोजगार, कुछ खेती-बाड़ी के साधन देने की बात सरकार की ओर से हुई। पहले पहल राजनीतिक पीड़ितों को कुछ पेंशनें दी गयीं, कुछ को खेती करने के लिये भूमि दी गयी, कुछ को कुछ सहायता दी गयी। लेकिन कुछ राजनीतिक पीड़ितों को जो सहायता दी गयी उस के बारे में क्या कहूं कि उनकी हालत क्या है। मेरे पास कल ही रजिस्टर्ड दरख्वास्तें ५ राजनीतिक पीड़ितों की आई हैं। उन में लिखा है कि १६३३ रुपये की कुर्की उन के घर पर गयी है। जबसे उन को ट्रक की परमिट मिली तब से शायद अब तक उन को इतनी सहायता भी नहीं मिली होगी जितनी कि कुर्की उनके पास गयी है। एक दो बार नहीं इसी सदन के नोटिस आफिस में हमारे जिले के बहुत पुराने कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ता जो कि मेरे मुकाबले में कांग्रेस की ओर से खड़े हुये थे, सहदेवराम जी, उन की चिट्ठी डाक से आई हुई थी और मुख्य मंत्री जी के नाम थी। ३३ सौ रुपये की उन के नाम कुर्की थी। इस प्रकार से मैं समझता हूं एक दो नहीं, हजारों प्रमाण इस प्रदेश में हैं कि सरकार ने जिन को मोटर ट्रक की परमिट दी है। अब टैक्स की वसूली उन की जायदाद कुर्क करके वसूल की जायेगी। सरकार को इस पर गम्भीरता पूर्वक सोचकर कोई रास्ता निकालना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—अब सवा बज गया। आप भाषण बाद में जारी रखेंगे।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जो परिपाटी अब तक पेंशन देने की है राजनीतिक पीड़ितों को वह बड़ी अव्यवस्थित रही है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने सर्कुलर जारी किया और राजनीतिक पीड़ित विभाग खोला है उस

परिपत्र को जब पढ़ा गया तो उससे भी सन्देह उत्पन्न हुआ। श्रीमन्, वह फ़ार्म मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है लेकिन मुझे पूरा याद है। उसमें साफ लिखा है, "प्रमाणित कौन करेगा"। प्रमाणित करने वालों में जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य या और दो प्रतिष्ठित नागरिकों के प्रमाण-पत्र लिये जायंगे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का भी प्रमाण-पत्र देने के बाद सरकार के उस कार्यालय में वह आवेदन-पत्र आयेगा। इसमें जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी का नाम रखने से हम लोगों का शुबहा और पुख्ट हो जाता है। श्रीमन्, जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी एक राजनीतिक दल है, उसका संगठन है। यह बात सही है कि इस संगठन से सरकार का भी संगठन है लेकिन राजनीतिक पार्टी और सरकार में अन्तर होता है। उस अन्तर को सरकार को बड़ी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिये। लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार उस अन्तर को निभाने में बिल्कुल असमर्थ होती चली जा रही है। यह परिपत्र ही साबित करता है कि जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी की सिफारिश होगी तो शायद उस व्यक्ति को पेन्शन मिले। श्रीमन्, यह बात सही है कि यह शुबहा गलत हो सकता है, लेकिन यह शुबहा सही भी हो सकता है। यह मानी हुई बात है कि जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के अलावा इस प्रदेश और देश में और भी राजनीतिक दल हैं और उनकी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के कार्यकर्त्ता देश की आजादी की लड़ाई में शामिल भी रहे हैं और आज भी जिम्मेदारी के पद पर हैं और जिम्मेदार हैं। ऐसे लोगों से और ऐसे दल से यदि प्रमाण-पत्र न लिया जाय और केवल एक दल विशेष से जो सत्ताधारी दल है उससे प्रमाणित कराना ही यह साबित करता है कि शहर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तरों से जो प्रार्थना-पत्र आयेगा उस पर ही विशेष ख्याल किया जायेगा। अन्त में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रत्येक राजनीतिक पीड़ित को जो, अपाहिज, असमर्थ या हर प्रकार से रोजी मुक्त हैं, मासिक पेंशन या एक मुश्त रकम अवश्य मिलनी चाहिये। मैं जोरदार शब्दों में फार्म के इस खंड का विरोध करता हूं और मैं आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि इसमें प्रमाणित करने की विधि जिला कांग्रेस कमेटी या शहर कांग्रेस कमेटी है उस को निकाल दिया जाय। श्रीमन्, मैंने पहले ही कहा था कि विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों के पास केवल एक-एक फार्म्स भेजे गये थे और विशेष अधिकारी श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा की ओर से चिट्ठी गयी थी कि दस राजनैतिक पीड़ितों की सूची प्रमाणित कर के भेजें। श्रीमन्, मैं तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का एक सिपाही हूं लेकिन मैं समझता हूं और सदन भी जानता है कि विधान सभा और विधान परिषद् में हमारी पार्टी के लोग कितने हैं? जो विरोधी पार्टी है उसके केवल ३६ सदस्य हैं और जिला कांग्रेस कमेटीज में अनगिनत फार्म्स गये हैं, उस की कोई कल्पना नहीं है, उस की कोई गिनती नहीं है।

श्रीमन्, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिस देहात में रहता हूं नाम लेना उचित नहीं कांग्रेस के एक कार्यकर्त्ता हैं, उनसे हमारी पार्टी के एक कार्यकर्त्ता ने एक फार्म मांगा और एक मर्तबा नहीं दस मर्तबा मांगा लेकिन उन्होंने उस को फार्म नहीं दिया, जब कि जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में अनगिनत फार्म्स जाते हैं और कहा जाता है कि सभी लोग फार्म भर कर भेजें। श्रीमन्, इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस सरकार ने इस तरह से कांग्रेस कमेटीज के पास अनगिनत फार्म्स भेज कर लोगों में भ्रम पैदा कर दिया है। लोगों को अपनी ओर खींचने के साधन दे दिये हैं, इनसे तो भ्रम होगा ही और सही माने में जो प्रमाण-पत्र तथा प्रार्थना-पत्र जिन लोगों के आने चाहिये उनके अतिरिक्त ऐसे लोगों के भी प्रार्थनापत्र आ गये हैं और आ रहे हैं जिनको कि पेंशन नहीं मिलनी चाहिये।

श्रीमन्, मैं तो रोजाना देखा करता हूं और इस सदन में बीसियों बार कहा गया है। अपने जिले की बात कहूं कि कई एम० एल० एज० हैं, राज सभा के सदस्य हैं, उनके घर पर पचासों बीघे जमीन हैं, एम० पी० हैं, इन लोगों की जमीन परती पड़ी है और उनके गुजारे

[श्री रघुसुन्दर पांडेय]

के लिये नैनीताल में जमीन दी गई है। ऐसे लोग जो स्वस्थ हैं, उनकी सैकड़ों की आमदनी है ऐसे लोगों को भी पेंशनें दी गयी हैं। अभी मेरे साथी श्री शिवपूजन राय जो गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं उन्होंने बतलाया कि ऐसे लोगों के प्रमाण-पत्र आये हैं जिनके घर के लोग वकील हैं।

श्रीमन्, मुझे शुबहा होता है। अब तक जो प्रमाणित करने की जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी, की परिपाटी रही है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है तो सरकार ऐसे लोगों को पेंशन न दे जो वाकई में जरूरतमन्द हों और ऐसे लोगों को दे दे जिनको देने की आवश्यकता न हो। हमें एक और शुबहा है और मेरी पार्टी के मंत्री श्री नारायण दत्त जी तिवारी ने कहा है कि हमारे जिला नैनीताल में तो यह अफवाह है और कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं का कहना है कि अच्छे-अच्छे, दस-दस आदमी मुकर्रर कर लिये जायं जिससे कांग्रेस का संगठन मजबूत किया जा सके। मैं सरकार से कहना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार शायद चेते और जो पेंशन दे रही है और जो सरक्यूलर जारी किया है उस में संशोधन करेगी।

श्रीमन्, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जब १९४६ में कांग्रेस सरकार बनी थी और राजनीतिक पीड़ितों को सहायता देने की बात सोची गई उस समय सरकार की ओर से एक जी० ओ० गया था। जी० ओ० में उल्लेख है कि राजनीतिक पीड़ित वही हैं जिसे कम से कम ६ महीने की सजा हुई हो। मैं आप से निवेदन करूंगा कि राजनीतिक पीड़ितों की तादाद तो ज्यादा है। उस में २ महीने, ३ महीने, और १५ दिन की सजा पाये हुये आदमी भी राजनीतिक पीड़ित कहे जा सकते हैं। जिनको बेत लगाये गये हैं, जिनके घरों को जलाया गया है उनकी सहायता सरकार ने की है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि राजनीतिक पीड़ितों की एक सूची तैयार की जाय जिससे उनको भी कुछ सहायता मिल सके। आज तो इस जी० ओ० के मुताबिक जिसने ६ महीने की सजा पायी हो उस को ही सहायता मिल सकती है लेकिन कम सजा पाने वाले बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो असमर्थ हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास रोजी का कोई जरिया नहीं है, जो असमर्थ हैं, जो अपाहिज हैं और जिनकी अवस्था ५० वर्ष से ज्यादा है उन लोगों को सहायता मिलनी चाहिये सम्प्रति जो फार्म भेजा गया है उसके साथ-साथ विशेष अधिकारी का जो आदेश गया है उस में कहा गया है कि ५० वर्ष से ज्यादा जिनकी अवस्था होगी उनको ही मासिक पेंशन मिलेगी। कुछ लोगों को मासिक सहायता मिलती भी है। मासिक पेंशन की सहायता के लिये ५० वर्ष की अवस्था का प्रमाण-पत्र आवश्यक है जिसे सिविल सर्जन से लेना है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे बहुत से लोगों को बड़ी रेपशानी होती है तथा होगी क्योंकि यह सिविल सर्जन के पास नहीं जा सकते हैं। आजमगढ़ शहर में गावों से आना बड़ा मुश्किल है और फिर उनको सिविल सर्जन को १६ रुपया फीस देना भी कठिन है जिस को लेकर वह ५० वर्ष से ज्यादा अपनी उमर का सर्टीफिकेट लें। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार को कोई समझ कर कदम रखना चाहिये जिससे कि प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की असुविधा दूर हो जाय। कलेक्टर का प्रमाण-पत्र लेने में भी बड़ी असुविधा होती है, इसके लिये भी कोई तदबीर निकालें। मैं आप से निवेदन करूंगा कि जो लोग अपाहिज हैं, अस्वस्थ हैं उनको सरकार पेंशन दे।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है वे इसके अधिकारी हैं कि उनकी यह सरकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
यता करे, जैसा कि जो फौज में लड़ते हैं और सैनिक होते हैं उनकी सदैव सरकार मदद
ती है, जो कि भिन्न प्रकार की होती है। अगर वे लड़ाई में मर जाते हैं तो उनके घरों को
न दी जाती है, जो आदमी जख्मी हो जाते हैं उनको भी पेंशन दी जाती है और थोड़े

समय के बाद जब वे रिटायर होते हैं तब भी उनको पेंशन दी जाती है। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया हो और फिर उन्होंने अपने पास से व्यय किया हो और कुछ भी किसी से नहीं लिया हो तो वे इस बात के मुस्तहक़ हैं कि यह शासन जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थापित हुआ है उनकी पूरी सहायता करे।

जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में हिस्सा लिया है उसकी भिन्न परिस्थियां हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, वे कभी नहीं चाहते हैं कि वे लोग सरकार से कोई सहायता लें। इसलिये उनका प्रश्न नहीं उठता है। केवल उनका प्रश्न उठता है जिनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। इस सरकार ने यह तो अच्छा किया कि जो अपाहिज हो गये थे और काम योग्य नहीं रह गये थे और जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी उनके लिये शासन ने दरवाजा खोला। एक अफसर उनके लिये इस कार्य के लिये नियुक्त किया गया है। जो ५० वर्ष से ऊपर हैं और जिनकी शारीरिक अवस्था अच्छी नहीं है, जो काम करने के योग्य नहीं हैं उनकी सहायता की जायगी। मगर मेरी इत्तिला में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं कि जो अपाहिज भी नहीं हैं और जिनकी उमर भी ५० वर्ष से ज्यादा नहीं हुई है, परन्तु उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गयी है। इस स्वतंत्रता के संग्राम में जिन्होंने हिस्सा लिया है और जब सत्याग्रह नहीं होता था तब राजनीतिक कार्यों में लगे रहने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गयी है और वे उस मद में आते भी नहीं है। वे इस बात के मुस्तहक हैं और इस बात के अधिकारी हैं कि उनकी सहायता की जाय। उनकी सहायता दो प्रकार से हो सकती है—अगर वह शारीरिक कार्य के योग्य हैं और अगर वे इंडस्ट्री में कोई उद्योग करें और उसके लिये रुपये की मदद चाहें तो सबसिडी के रूप में उनको सहायता दी जाय या उनको ऋण दिया जाय। जो व्यक्ति जिसके योग्य हो, जिस प्रकार की सहायता वह चाहे उस प्रकार की सहायता उसको दी जाय, चाहे वह ऋण के रूप में हो या सब्सिडी के रूप में। अगर वह काम करने के योग्य न हो तो उसको पेन्शन दी जाय। जो भी इस प्रस्ताव में है उसमें इसको संशोधन समझा जाय यानी उसको इस रूप में लिया जाय कि जिन व्यक्तियों का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, जो कार्य करने के योग्य हैं, जो उद्योग धंधा करना चाहते हैं और जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे इस रोजगार को कर सकें तो उनको उस रोजगार के करने के लिये पैसा मिलना चाहिये। इन विचारों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

† **श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी** (जिला गोंडा)—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो रिजोल्यूशन आज हमारे सामने है वह अपनी जगह पर काफी अहमियत रखता है। यह भी सही है और जहां तक कि हमारी गवर्नमेंट की बुनियाद का सवाल है वह जिस चीज पर कायम है, हम समझते हैं कि वह चीज इस देश के रहने वालों की सेक्री-फाइस और कुरबानियों पर है, जो उन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने में कीं। लेकिन यह भी दावे के साथ कह सकता हूं और इस सूबे के लिये खास तौर पर कि जहां तक हुकूमत की मशीनरी का ताल्लुक है, उनको पोलिटिकल सफरर्स से कतअन कोई हमदर्दी नहीं है। जहां तक पार्टीज का ताल्लुक है कांग्रेस पार्टी और उसकी मुखालिफ पार्टीज में इस के मुताल्लिक कोई इख्तिलाफ नहीं है। इस बारे में इस हाउस के अन्दर इसके बाहर भी सब मुत्तफिक हैं। सब चाहते हैं कि उन लोगों को सहायता दी जाय। एक कायदा यह बनाया गया कि जो-जो इस बात का सर्टीफिकेट हासिल करना चाहें कि वे पोलिटिकल सफरर हैं तो वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का दरवाजा खटखटायें। पोलिटिकल सफरर्स में बहुत से ऐसे गैरतमंद है जो सर्टीफिकेट के लिये वहां जाना पसन्द नहीं करते और आपके इस कानून से

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

उनका दिल कुचला जाता है, जब वे हाथ फैलाकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां जाते हैं जिनमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी यू० पी० के अन्दर मजालिम किये हैं और आज उन्हीं के सामने हाथ फैलाकर जाने के लिये कहा जाता है और उनसे यह सर्टीफिकेट हासिल करने को कहा जाता है कि हम पोलिटिकल सफरर हैं। मैं समझता हूं कि यह सूरतेहाल ज्यादा दिन तक बरदाश्त नहीं की जा सकती। जहां तक गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडे का सवाल है, लीडरों के तकरीरों और उनके बयानात का ताल्लुक है. मोअज्जिज मिनिस्टर साहबान का बयानात का ताल्लुक है, सब ने इस चीज को सराहा है और कहा है कि सरकार पोलिटिकल सफरर के साथ हमदर्दी रखती है। लेकिन जब मैं अमल में देखता हूं तो वही हालत मालूम पड़ती है जो आज से १० साल पहले दिखायी देती थी। बल्कि आज जिन आफीसरान के पास हम और आप उनको भेजते हैं, उनके सामने पहले से ज्यादा उनको जलील किया जाता है। ऐसी सूरत में हमारे मोअज्जिज मिनिस्टर साहब जो यहां मौजूद हैं, आप के जरिये से उनको मुतवज्जह करता हूं, कि वे पूरे केबीनेट के साथ इस मसले पर गौर करें और इस बात को तय करें कि आया वे इस बात की जरूरत समझते हैं या नहीं कि उन लोगों की सहायता की जाय, जिन्होंने कुछ कुरबानी की है और मुल्क के लिये अपना फ़र्ज़ अदा किया है। यह मैं मानता हूं कि उन्होंने कोई अहसान नहीं किया अपने फ़र्ज़ को अदा किया है, लेकिन अब यह भी जरूरी है कि उस के साथ आप भी अपने फ़र्ज को अदा करें। जो आदमी किसी जगह पर आ जाता है तो उस जगह पर बैठ कर दूसरे को नसीहत करता है कि उस जगह के लिये कोशिश न करो। लेकिन हमने अक्सर मौकों पर देखा है, जब पुलिस सब-इंस्पेक्टर की भर्ती की जा रही थी तो उस वक्त पोलिटिकिल सफरर्स की भी दरख्वास्तें वहां थीं और मैंने अपने इन कानों से बड़े बड़े जिम्मेदार उच्च आफिशियल को कहते सुना है कि इन पोलिटिकल सफरर्स की वजह से हमारा सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब हो रहा है। इसलिये उनको परेशानी होती है कि चाहे प्रजा पार्टी हो, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो उन सब की सिम्पैथी पोलिटिकल सफरर्स के साथ होती है।

हमारे प्रदेश में पोलिटिकल सफरर्स रखे जाते हैं या नहीं, लेकिन उनका नाम होता है, उनकी इमदाद का भी नाम होता है लेकिन हमने देखा है कि उनको मुलाजिमत में या कहीं पर भी पनपने का मौका नहीं दिया जाता है। इसलिये कि ऊपर के आफिशियल उनसे घबड़ाते हैं। इसलिये जो तजवीज रखी गयी है मैं अपने उन साथियों से कहूंगा, उन मुअज्जिज मेम्बरान से भी आप के जरिये कहूंगा कि आप पूरी ताकत के साथ इस काम को कीजिये ताकि जैसा कि मुख्तलिफ कागजों की तरह इसे भी रद्दी की टोकरी में न फेंक दिया जाय। हमको चाहिये कि पूरी ताकत के साथ जितना कि बाहर कहते हैं पोलिटिकल सफरर्स के लिये जो कुछ कर सकें करें, ताकि कोई ऐसी चीज नहीं हो जिससे वे किसी पार्टी के मोहताज हों, किसी पार्टी पोलिटिक्स के मोहताज हों, पूरा हाउस इस बात में मुत्तफिक है तो फिर कैबिनट को इससे जरा भी इख्तलाफ होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिर मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि जब पोलिटिकल सफरर्स के लिये आपके ही दिल में शक हो, आप के दिमाग में शक हो तो फिर दूसरे के लिये तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। इसलिये मेरा कहना है कि ऐसे पोलिटिकल सफरर्स जो इमदाद के ख्वाहिशमन्द हों, जो वाकई में इमदाद लेना पसन्द करें उनको इमदाद दी जाय, उनको तिजारत का मौका दिया जाय, कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायी जायं और उनमें उनका एक खासा दखल रखा जाय।

जनाबवाला, मैंने यह देखा है कि सन् ३०, ३२ और ४२ में ऐसे लोग जो जेल के अन्दर गये, जो पुलिस के द्वारा पीटे गये, उनके बच्चे दूध को कौन कहे भात के पीस पर पाले गये। अगर आनरेबिल मिनिस्टर साहब चाहेंगे तो मैं उनके नाम भी बतला सकता हूं।

आज उनके बच्चे जो इस तरह से पुलिस द्वारा पीट-पीट कर जेलखानों के अन्दर बन्द किये गये वे पोलिटिकल सफरर्स इमदाद के मुश्तहक़ और उनके बच्चे और ज्यादा मुश्तहक हैं। इसलिये उनकी औलाद के लिये जहां तक हो सके करना चाहिये। हम लोग तो ऐसे हैं जो अपनी जिन्दगी को किसी न किसी तरह से गुजार चुके हैं, एलाउंस भी पाते हैं, डेली एलाउंस भी पाते हैं, तनख्वाह भी लेते हैं, लेकिन उन लोगों को एक पैसे की भी राहत नहीं मिली है। में अदब के साथ आप के जरिये अर्ज करना चाहता हूं कि इससे यह साबित होता है कि हमारे अंदर ही कहीं सुस्ती है, मैं जाती तौर पर कह रहा हूं कि जिन्होंने आजादी के जंग में हिस्सा लिया और उससे नुक्सान उठाया उनकी इमदाद करना हमारा अवल्लिन फर्ज है, हमारा सयासी फर्ज है, हमारा अखलाक़ी फर्ज है और मैं तो यहां तक जाने के लिये तैयार हूं कि हमारा मजहबी फर्ज भी है। जनाबवाला, मुझे भी कई ऐसे मौके अपने अजीज़ों के लिये तिजारत और मुलाजमात के लिये कोशिश करने के मिले हैं, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि उसके अन्दर पोलिटिकल सफरर्स हैं तो फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अपने अजीजों के लिये कुछ कह सकूं या कुछ करा सकूं, जिन लोगों ने मुल्क की आजादी में हिस्सा लिया है उनको राहत दिलाना हमारा फर्ज है। माननीय मिनिस्टर ठाकुर साहब भी मौजूद हैं, उनके बहराइच की बात ही मैं कहता हूं, अगर कोई गलत बात हो तो वे उस की तरदीद कर देंगे। खुद वे उस छोटे से जिले से जहां से नुमाइन्दा हो कर आये हैं उनको मुख्तलिफ मौकों पर वहां के उन्हीं लोगों से इमदाद मिली है। अब उन्हीं की मदद से, उन्हीं के भरोसे से, खुदा के भरोसे को हम दुनिया के लोगों के सामने यहां आ कर खड़े हुये, जिनकी कोशिशों से, जिनकी दुआओं से उन हजारों इन्सानों की राय हमें हासिल हुई। जिन्होंने इन्सानियत के नाते हमें इस काबिल बनाया कि आज हम यहां इन कुर्सियों पर बैठे हैं, जिन्होंने मुल्क के लिये और हमारे लिये कुरबानी की, जिनकी कोशिशों से हम अवाम की राय पा कर फायदा उठा रहे हैं और गद्दियों पर बैठे हैं लेकिन हम अपने में एक बड़ी कमी पाते हैं जब हम उनकी तरफ देखते हैं जिन्होंने हमें इतना बड़ा फायदा पहुंचाया। हमारी बहुत ज्यादती होगी अगर हम उनके वास्ते अदब से अपने सिर को न झुका सकें और अगर उनके लिये हमारा सिर नहीं झुकता, उनकी कुरबानी के लिये हमारी गर्दन नहीं झुकती तो मैं इसको दुनिया में भी और मरने के बाद भी अपने लिये एक गुनाह समझूंगा। मैं समझता हूं कि यह चीज जो पेश है वह हमारी बेंचेज की तरफ से ही नहीं बल्कि उस तरफ से भी ताईद की मुस्तहक है और जो-जो मोहतरिम हस्तियां यहां बैठी हैं और जो खुद आजादी हासिल करने में तकलीफात उठा चुकी हैं वह भी इसकी ताईद करेंगी और अमली ताईद करेंगी और मुल्क के लिये उनकी खिदमत का पूरा एहतराम किया जायगा कि जिन्होंने कुरबानी की और हम लोगों को इस काबिल बनाया कि हम आज यहां बैठे हैं और जिनकी तरफ से इस कुर्सी पर आ कर बैठे हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो प्रस्ताव माननीय शुक्ल जी ने पेश किया था वह काफी महत्व रखता है, लेकिन जब उन्होंने उस को वापस ले लिया तो थोड़ी देर के लिये मुझे उनकी बुद्धि के दिवालिएपन पर बड़ा दुख हुआ। यह एक ऐसा प्रश्न था कि जिसके विषय में हमारे दिल में बहुत दिनों से उफान उठ रही थी जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि इन बहादुरों के बलिदान और त्याग के कारण ही आज हमारे देश की सूरत बदल गयी है और संसार में आज भारतवर्ष यदि थोड़े ही दिनों में एक प्रथम कोटि का राष्ट्र माना जाना लगे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं मालूम होती। महात्मा गांधी की कृपा से यहां त्याग और बलिदान के लिए ऐसी बड़ी सेना तैयार हुई कि राष्ट्र और समाज से एक पैसा भी न लेकर उसने जहां तक हो सका मर मिट कर देश के स्वाभिमान को जगाया और ऊंचा किया। ऐसे लोगों के प्रश्न को हमें जरूर हल करना है। उनके दिलों में आज भी देश के लिये आग मौजूद है, देश के लिये आतिश मौजूद है, उन्होंने देश को जीवन दिया, स्वतंत्र कराया, वह आग अभी उनके दिलों से

[श्री ब्रजभूषण मिश्र]

बुझी नहीं है यद्यपि वह आज भी दरिद्रता और निर्धनता के शिकार हो रहे हैं ! आर्थिक कठिनाई में हैं, सयानी लड़कियां शादी के लिये बैठी हैं, दाने दाने को मोहताज हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, फीस देने को पैसा नहीं है और नाना प्रकार की मुसीबतों में हैं लेकिन फिर भी उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिनमें देश को उठाने की मातृ भूमि की भक्ति की आग आज भी वैसी ही जल रही है ! जब हम उनको देखते हैं तो सम्मान से हमारा उनके सामने मस्तक नत हो जाता है लेकिन जब हम देखते हैं कि उनकी कोई मदद नहीं कर सकते या कर सकें, तो हमें लज्जा भी आती है और शर्म से सिर झुक जाता है। यह हमारे सामने एक मौलिक प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं यह भी कहने का साहस करता हूं कि यदि उनकी हालत नहीं सुधारी गयी और उनकी तकलीफों को नहीं समझा गया तो वह बहादुर जिन्होंने अब तक तकलीफें भुगती हैं, उनकी आवाजें दब जायंगी और वह इस देश के भाग्य को पलटने में जो पार्ट अदा कर सकते हैं और जिन्होंने अपना पार्ट स्वराज्य प्राप्ति में अदा किया है वह आगे शायद इतने उत्साह से काम न कर सकेंगे। मैं जानता हूं कि यह सवाल पेचीदा भी है, चाहे इसमें हमारी भावुकता ही हो लेकिन यह प्रश्न गम्भीर अवश्य है और इसमें डिटेल में जाने पर बड़ी-बड़ी पेचीदगी भी आ सकती हैं, जब हम राजनीतिक पीड़ितों की व्याख्या करने चलते हैं तो उसकी व्याख्या करना कठिन मालूम पड़ता है, कोई सीधी रेखा नहीं खींची जा सकती। यह कहना बड़ा कठिन है कि कौन राजनीतिक पीड़ित है और कौन नहीं है। जैसी समाज की अवस्था है, उस में बेजा लाभ उठाने वाले भी हो सकते हैं और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो यथार्थ में पात्र हैं लेकिन वे लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसी बातें राजनीतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में भी घटती हैं। देखा गया है कि जो लोग इस्तिफाकिया उस समय गिरफ्तार हो गये, पकड़ लिये गये, जिनका कृत्य संदेह से परे नहीं थे, उन्होंने बाद को चलाकी से अपना नाम प्रथम लिखा लिया और फायदा उठाया। साथ ही कितने ऐसे भी हैं, जिन्होंने सचमुच बलिदान किया जिन्होंने कष्ट उठाया, जिनके बाल बच्चे भूखों मरे और वह सीधे-साधे देहात के रहने वाले लोग ऐप्रोच नहीं कर सके, देहात से बाहर नहीं निकल सके और वे बेचारे कोई भी सहायता नहीं प्राप्त कर सके। मुझे ऐसे दृष्टान्त मालूम हैं जो ४–४ वर्ष जेल में रहे और वह राजनीतिक पीड़ित हैं लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। कोई न कोई परिभाषा तो खैर राजनीतिक पीड़ितों को माननी ही पड़ेगी। छः महीने सजा वाली जो परिभाषा बनी है उस सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जो परिभाषा में हो आते हैं किन्तु हैं वे जेनुईन केसेज। परन्तु वे इस परिभाषा के कारण फायदा नहीं उठा सकते और जो सुविधायें सरकार ने दे रखी हैं उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके हैं। जब मिर्जापुर में व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन चल रहा था उस समय एक साल की कैद और पांच सौ रुपया जुर्माना होता था चाहे उस में राजा हो चाहे झिंगई पनिका क्यों न हो। बल्कि इसके लिये एक कविता भी बन गयी थी—

"सुनिये, विचारपति फैसला तुम्हारा, पर मेरा सब जाना है।
करते हैं न्याय का बहाना आप क्यों, एक साल कैद पांच सौ जुर्माना है।।"

ऐसे बहुत से काम करने वाले जो पकड़े गये और जेल खाने में डाले गये पर दो-तीन महीने के बाद ही जेनरल ऐमनेस्टी में वह छोड़ दिये गये, वह इस परिभाषा में नहीं आते हैं तो यह भी एक कठिनाई है। ऐसी-ऐसी व्यावहारिक कठिनाइयां हैं जिनको हमें राजनीतिक पीड़ितों की सूची पास करते समय हल करना होगा। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिये एक अलग से विभाग खोल दिया है और एक बहुत ही सुयोग्य और दक्ष पुरुष, यह नहीं कि "जाके पैर फटी न बिवाई, सो का जानै पीर पराई।" इसके लिये रखा है और उनको इस काम का चार्ज दिया है जो इसके स्वयं भुक्तभोगी हैं और जिन्होंने बहुत से कष्ट स्वयं उठाये हैं। इस सुन्दर सेलेक्शन के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि कोई ऐसी परिभाषा

करेंगे राजनीतिक पीड़ितों की जो उचित होगी। क्योंकि उनके पास आवेदन पत्र आ रहे हैं जिसमें सब प्रकार के लोग हैं। मैं उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हम लोगों के पास सरकुलर्स गये हैं प्रत्येक एम० एल० ए० के पास, जिला कांग्रेस कमेटी के पास कि आप लोग अपने जिले के १० ऐसे लोगों के नाम भेज दें। अब उन लोगों ने अलग-अलग नाम भेज दिये। जिला कांग्रेस कमेटी ने भेजें, एम० एल० एज० ने भेजे और कुछ लोगों ने सीधे भेज दिये और इस तरह से मैं समझता हूं कि सूबे भर के लाखों नहीं तो करीब एक लाख के नाम जरूर पहुंचे होंगे। मैं नहीं समझता हूं कि सरकार कैसे पेन्शन देगी, क्या करेगी लेकिन उस में बहुत सी प्रार्थनायें की गई हैं। बहुत ने पेन्शन के लिये कहा है, बहुत ने कहा है कि उनको व्यवसाय के लिये रुपया दिया जाय क्योंकि हम मर कर नहीं, जिन्दा रह कर पुरुषार्थ कर के खाना चाहते हैं तो इस समय मैं नहीं बतला सकता कि सरकार को उन पर क्या करना चाहिये, लेकिन जो समस्या हमारी है उस को मैं संक्षेप में सरकार के सामने रखता हूं कि कई प्रकार की प्रार्थनायें आयी हैं। बहुत से लोग जो अशक्त हो गये हैं, निर्बल हो गये हैं, बूढ़े हो गये हैं वह चाहते हैं कि उनको पेंशन दे दी जाय। लेकिन बहुत से केसेज ऐसे भी हैं जो हाथ पैर चला सकते हैं लेकिन वह कोई व्यवसाय धनाभाव के कारण नहीं चला सकते वह चाहते हैं कि सरकार उनको थोड़ी सी सहायता दे दे जिससे अगर वे खेतिहर हैं तो वे खेती में मदद पहुंचा कर अपने जीवन का निर्वाह कर सकें और व्यवसायी हैं तो व्यवसाय कर के। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी भी सहायता मांगी है जैसे उनको लड़की की शादी करनी है या बच्चों को पढ़ाना है। मैं नहीं कह सकता कि कितनी दरख्वास्तें हैं और आगे कैसे विचार होगा, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर आप ने यह कदम उठाया है तो बहुत बारीकियों के साथ, छानबीन के साथ केसेज को देखा जाय और कुछ न कुछ प्रत्येक जेनुइन केस में सहायता अवश्य दें। अगर ऐसा न कर सकेंगे तो दिक्कत यह होगी कि जो आप ने आवेदन-पत्र मांगे हैं और सबों ने भेजे हैं, बहुतों ने नकली और बहुतों ने असली तो ऐसा काम न किया जाय जिसमें श्रेय तो बहुत कम लोगों से मिले और गालियां बहुतों से और वह अप्रियता का कारण बन जाय। इसलिये जो कदम उठाया है इसमें दूसरी मदों से पैसा काट कर जो आपकी सेना है, जिसने बहादुरी के साथ स्वराज्य प्राप्त किया, अपना जीवन अर्पित किया ऐसे बहादुर सिपाहियों की आप अवश्य मदद करें और जैसी आपकी भावना है, जहां तक मुमकिन हो सके कुछ न कुछ सहायता हर जेनुइन केस में अवश्य दी जाय।

मैं अनुभव के आधार पर कहता हूं कि सरकार ने राजनीतिक पीड़ितों के बालकों के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था की लेकिन मुझे मालूम हुआ कि हर जिले से दरख्वास्तें आईं लेकिन उनमें मेरा ख्याल है कि १० फीसदी को छात्रवृत्ति मिल सकी और ९० फीसदी लोगों को वह छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी। सरकार के सामने भी कठिनाइयां हैं। सरकार भी एक सीमित कोष को रख कर काम करती है, इस वास्ते हर केस में नहीं दे सकती लेकिन नतीजा यह होता है कि जो कमजोर लोग हैं वे फायदा नहीं उठा सकते और फिर जा कर वे सरकार की बदनामी करते हैं। इसलिये मेरा इस प्रसंग पर यही निवेदन है कि बहुत जागरुक हो कर सब केसेज को अच्छी तरह से देख कर ऐसी व्यवस्था करें जिसमें कुछ न कुछ सहायता सब लोगों को प्राप्त हो सके। रामचन्द्र जी जब रावण को मारते हैं तो पहला काम यह करते हैं कि विभीषण से कहा कि हवाई जहाज पर मणि और अम्बर भर कर बरसा दो और सब को दे दो। रामचन्द्र जी को दूसरे का माल मिला था और उन्होंने उसे लुटा दिया, लेकिन हमारी सरकार तो एक ट्रस्टी है देश के धन की और उसे वह रामचन्द्र जी की तरह लुटा नहीं सकती। लेकिन सहायता देते समय हम ऐसा न करें कि जिसका विज्ञापन हो जाय, जिसकी सिफारिश हो जाय उस को मिल जाय।

इतना ही कह कर अन्त में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि जो कदम उन्होंने उठाया है उसको वे पूरा करें और ईश्वर से प्रार्थना है कि उसमें उन्हें सफलता प्राप्त हो।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सामने एक ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ है जिस पर कि विचार करने की इच्छा मेरी भी हुई है। जहां तक कि आजादी के सिपाहियों का इतिहास है, उनकी कुर्बानियों की बातें हैं किसी भी देश में उस आजादी के सिपाहियों की जो इज्जत होती है उसे हम लोग कभी भी पूरा नहीं कर सकते। हम चाहते तो यह थे कि जो इस आजादी की लड़ाई में रहे, जिन्होंने देश को आजाद करवाने में अपने जीवन की बाजी लगाई, जिन्होंने कारावास में रह कर देश की सेवा की या और तरह से देश की सेवा की उन सब की सेवाओं का हम कुछ पुरस्कार दे सकते। लेकिन आजादी के सिपाहियों के लिये सब से बड़ा पुरस्कार तो यह है कि आज हमारा देश आजाद हो गया। उनको हम क्या दे सकते हैं? हमारे बच्चे हमारे आगे की संतानें हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे माता पिताओं ने हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाया। लेकिन उस की भी कोई व्यवस्था आज हमारे सामने नहीं है। अगर आज हमारे देश की आर्थिक हालत अच्छी हो गयी होती तो हमारे सामने आज यह प्रश्न न होता। आज एक छोटी सी बात के लिये हमारे राजनीतिक पीड़ित-राजनीतिक पीड़ित कहते हुए हमें दुःख होता है कि हम अपने को पोलिटिकल सफरर कहें- हमारा फर्ज था, हमें इस देश को आजाद करना था, विदेशियों के चंगुल से देश को छुड़ाना था। हम उस आग में कूद गये, क्यों कि हमारा फर्ज था। पर आज परिस्थिति ऐसी है कि न गरीबी दूर हुई, न बेकारी दूर हुई। और वही राजनीतिक लोग जो लड़ाई में लड़े थे और जनता से कहते थे कि स्वराज्य होने के बाद दूध की नदियां बहेंगी बेकारी और गरीबी दूर होगी, वही जब आज गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आज तुम्हारा ही क्या हाल है, तुम स्वराज्य लड़े थे, लेकिन आज तुम्हारी क्या हालत हो गयी है? ऐसी परिस्थिति को देख कर दुःख अवश्य होता है। पर पेंशन दी जाय, उनको कुछ दान दिया जाय, इंडस्ट्री के लिये कुछ रुपया दे दिया जाय, कुछ अनुदान दे दिया जाय यह इतनी छोटी चीजें हैं कि मांगते हुये शर्म मालूम होती है। मैं यह अवश्य समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव सामने है, जहां तक उसका पहला हिस्सा सूची तैयार करने के सम्बन्ध में है मैं समझता हूं कि उस में कोई एतराज न होगा और एक कमेटी शायद बनी है। आचार्य नरेन्द्रदेव जी उस के चेयरमैन हैं। हमारी आजादी का इतिहास लिखा जा रहा है। वह यहां से कंपाइल हो रहा है और भी मैं चाहता था कि जो हमारे देश की आजादी में लड़े हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है वे सिर्फ पेंशनों के लिये न रहें, आज धारा सभा की तमाम दीवारों पर जो औरों की तस्वीरें लगी रहती थीं, आज हमारे प्रदेश के जितने भी इस आजादी की लड़ाई में लड़े थे, उनकी तस्वीरें इस सदन के अन्दर टंगी हुई होतीं, फाटकों पर सड़कों पर होतीं। हमारे जिलों के अन्दर जितने पार्क्स हैं, सड़कें हैं, उन सब पर अगर नाम लिख दिया गया होता उनका जो आजादी की लड़ाई में खत्म हो चुके, तब भी ठीक था। लेकिन आज एक छोटी सी चीज के लिये, पेंशनें मुकर्रर कर दी जायं, यह प्रस्ताव रखा है! मैं शुक्ल जी की भावनाओं के साथ हूं और यह एक ईश्यू ऐसा है जो बिल्कुल नान पार्टी बेसिस पर चल सकता है। जिलों में हम जो भी राजनीतिक लोग हों, जो कि आजादी की लड़ाई में जेल गये थे, कम से कम इसके लिये इकट्ठे हो कर बैठ सकते हैं। जिनकी हालत खराब हो, उनकी सहायता करने की कोशिश करें। उसमें भी हम इकट्ठा नहीं हो सकते। उस में भी राजनीतिक पार्टीबन्दी की बू झलकती है। अभी रामसुन्दर पान्डे जी ने कहा कि राजनीतिक पीड़ितों के लिये जो फार्म छपा है उसमें लिखा है कि कांग्रेस कमेटी का सर्टिफिकेट हो तो अच्छा है। वह भी चीज क्यों सामने आये? मैं मान सकता हूं कि एम० एल० एज के लिये कहा जा सकता है कि वह सभी से प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन दूसरे लोग इस बात की शिकायत कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रमाण पत्र लेने का क्यों प्रश्न उठाया गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि तमाम कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हुये हैं और इस बात को सोचते हैं, इसमें झूठ बात नहीं है, पोलिटिकल बेसिस पर इसे नहीं चलना चाहिये था, बल्कि जिनको सहायता पहुंचाने की जरूरत है उनको सहायता पहुंचाने की बात होनी चाहिये थी। आज यह हो रहा है, अभी नारायण दत्त तिवारी जी

बता रहे थे कि उनके जिले में यह हो रहा है कि दस बीस आदमी ऐसे इकट्ठा कर लें जो हमारे पड़ोसी हो जायं उनको पेंशन दिलवा दें। फिर वह बराबर काम करते रहेंगे। अगर यह मंशा है, अगर यह नियत है किसी प्रकार की तो मैं समझता हूं कि वह गलत है। यह एक ऐसा ईश्यू है जिसमें किसी पार्टी का प्रश्न हमारे सामने नहीं होना चाहिये और मैं इसकी भी मुखालिफत करता हूं कि जो लोग कमा सकते हैं, जो हट्टे-कट्टे हैं, जिनके हाथ पांव हैं और जो काम कर सकते हैं उनकी मदद की जाय, वह काम करें। लेकिन वह लोग जो गरीब हैं, जिनकी हालत खराब है, बेवायें हैं, या जिनकी ५५ साल से ज्यादा उमर हो चुकी है और ऐसे हैं कि जिनको हम सड़क पर भीख मांगते नहीं देखना चाहते, तो उनके लिये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि उनकी सहायता हम सब को मिल कर करनी चाहिये।

अनुदान की भी बात हुई। अगर मेरा गवर्नमेंट में कुछ ज्यादा इंफ्ल्यूयेंस है तो मैं कुछ ज्यादा ले सकता हूं। पोलिटिकल सफरर हूं इस बहाने पर मुझे मिल सकता है, लेकिन इसके दुरुपयोग होने का आज एक बहुत बड़ा डर है। बहुत से लोग आज प्रेस खोले बैठे हैं। पोलिटिकल सफरर हैं, उनको ग्राण्ट मिल गयी और उन्होंने छापाखाना खोल दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राजनीतिक पीड़ितों का सवाल है कौन ऐसा होगा कि जो उनकी सहायता न करना चाहेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी कितना ही न चाहें, लेकिन जब उनका एक साथी जो उनके साथ जेल गया है, जिसने साथ-साथ मुसीबत झेली है और अगर उस की हालत खराब है, वह जब आता है तो वे उस की मदद करेंगे ही। तो मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी इस बात के आदेश दें कि हर जिले के अन्दर ऐसी कांफ्रेंसेज हों कि जिनमें हम सब बैठ कर, उस में एम० एल० एज० भी होते हैं और वे भी होते हैं कि जो जेल गये हैं, वे सब बैठ कर एक ऐसा सल्यूशन निकालें कि जिले के अन्दर जो उद्योग धंधे खुलें उनमें उन राजनीतिक पीड़ितों को, जिनको जरूरत है, हम कुछ मदद कर सकें। जहां तक हमारे विद्यार्थियों के पढ़ने का सवाल है और उन पोलिटिकल सफरर्स की, जो जेल गये हैं, फीस माफ करने का सवाल है, जिसके आदेश हमारी हुकूमत से निकल गये हैं, उनकी फीस अवश्य माफ होनी चाहिये। जो गरीब हैं उनके बच्चों को स्कालरशिप अवश्य मिलनी चाहिये। मुझे सुन कर आश्चर्य हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने ५२ जिलों में कुल २० स्टाइपेंड रखे हैं इंटरमीडियेट क्लासेज तक मैंने रामेश्वर सहाय जी से पूछा तो पता लगा कि इंटरमीडियेट क्लास तक २० स्कालरशिप दी जायंगी, हर दर्जे में फीस माफ करने के बाद। अगर इसकी माननीय मंत्री जी सफाई कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। जहां तक फीस माफ होने का सवाल है, वह जरूर माफ होनी चाहिये और यह स्टाइपेंडस् बढ़ाये जाने चाहिये। इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, जो डिसएबिल्ड हैं, जो विधवायें हैं और जिनको जरूरत है, ऐसा न हो कि जो एक डिसएबिल हैं, लेकिन अमीर हैं और उस को पैसे की आवश्यकता नहीं है उस को भी मिल जाय, तो ऐसे लोगों को जिनको जरूरत है उस की बात भी हमको विचारनी चाहिये। मैं तो कहूंगा कि अगर इसमें कुछ पैसा खर्च होता है तो वह हमें खर्च करना चाहिये। हमारे यहां हर प्रसाद जी कहते थे कि पीलीभीत में २ आदमी ऐसे हैं कि जो ५० रुपया पेंशन पा रहे हैं और कभी जेल नहीं गये। तो इसके दुरुपयोग होने की भी बहुत बड़ी आशंका है और मैं समझता हूं कि अगर हम सब मिल कर नानपार्टी बेसिस पर इकट्ठे हो कर काम करें तो इन राजनीतिक पीड़ितों की हम काफी सेवा कर सकते हैं।

अब प्रश्न आता है कि पोलिटिकल सफरर है कौन? जो डेफिनीशन सरकार ने निर्धारित की है कि जो ६ महीने के लिये जेल गया हो वह पोलिटिकल सफरर माना जायगा, ठीक ही है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो ६ महीने के लिये जेल गया है उससे ज्यादा मुसीबत उसने झेली है कि जितने जेल में २० कोड़े खाये हैं। हमारे प्रायः सभी सदस्य ऐसे होंगे कि जिन्होंने सरकारी अफसरों को व्हिपिंग करते देखा होगा। उस दृश्य को आप अपने सामने रख कर अगर सोचिये तो मैं समझता हूं ६ महीने जेल काट जाने के बनिस्बत वह २०

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

कोड़े ज्यादा तकलीफ देह हैं। जो पोलिटिकल सफरर की व्याख्या हुई है उस में यह कोड़े वाले पोलिटिकल सफरर नहीं माने जाते। तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने कोड़े खाये हैं उनको भी पोलिटिकल सफरर माना जाना चाहिये। इसमें कुछ उदारता होनी चाहिये।

अब मैं एक बात और कहूंगा यद्यपि वह प्रस्ताव में नहीं है लेकिन बहुत से साथियों ने चर्चा उठायी कि कुछ लोगों को हमारी सरकारी नौकरियों में रियायत मिल जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय,इसमें दो रायें हो सकती हैं और मेरी इसमें पक्की राय है कि पोलिटिकल सफरर्स को ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर कोई स्थान नहीं देना चाहिये। इससे हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन इतना खराब हो गया है कि वह चल नहीं सकता। हम बदनाम भी हो रहे हैं। आज जो पेंशन की बात आयी है कल अखबारों में आयेगी। सब लोग यही पूछते हैं कि अरे साहब जमीन तो तुमको ही मिलेगी क्योंकि जेल तुम ही गये, सर्विसेज भी तुम्हीं को मिलेंगी और कहीं ऐडमिनिस्ट्रेशन में जरा भी खराबी हो, सरकारी अफसरान कहते हैं कि हम क्या करें पोलिटिकल सफरर्स हैं। कभी कोई एम०एल०ए० साहब आते हैं और कहते हैं कि इनका ट्रांसफर न कीजिये। तो सारा अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब होता है तो पोलिटिकल सफरर्स का नाम रख करके बदनाम किया जाता है। हमारे ही जिले में कई ऐसे आदमी इंस्पेक्टर्स आफ पंचायत राज हो गये, मैं किसी की शिकायत नहीं करना चाहता, किसी पार्टी की, आप अगर उनका कैरेक्टर रोल मंगाकर देखिये तो उनका ऐसा कैरेक्टर रोल खराब है कि एक भी आफिसर ने नहीं लिखा है कि ठीक है। लेकिन जब कभी उन्हें ट्रांसफर पर दूसरी जगह भेजते हैं तो हम ही लोग कहते हैं कि इनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिये। तो यह हमारी बदकिस्मती है, मैं किसी का नाम नहीं लेकर कह रहा हूं। तो इसलिये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। हो सकता है कि दूसरे लोग कहें कि उनको रियायतें मिल जानी चाहियें लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूं जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है वे न रखे जायं। उनकी हम इज्जत जरूर करते हैं लेकिन उनको किसी किस्म की सहायता जहां तक देने का प्रश्न है हम माननीय सीताराम शुक्ल तथा और भी जितने भी सदस्य हैं, उन सबों के साथ हैं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी आर्गनाइजेशन हो, किसी जिले के अन्दर बैठकर इस समस्या को हल करना चाहिये जिले में आर्गनाइजेशन होनी चाहिये, स्टेट आर्गनाइजेशन होनी चाहिये और एक घरेलू मामले को खुद हल करना चाहिये और फिर अगर आप इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से किसी किस्म की सहायता मांगेंगे तो मुझे पक्की उम्मीद है कि सरकार उसे देगी।

मैं बहुत ज्यादा न कह करके, जैसा मैंने पहले कहा था कि बाहर के लोगों का यह इम्प्रेशन न होने पावे कि यह लोग जेल गये थे तो इनाम मांग रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह इम्प्रेशन भी बाहर क्रिएट न हो, मैं यह चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रश्न पर कुछ फैसला किया है, एक स्पेशल आफिसर बना रखा है, अगर उसमें ऐसे दुरुपयोग होने का डर हो जैसा राम सुन्दर पांडे तथा नारायणदत्त जी ने कहा, तो मुझे उम्मीद है कि पेंशन उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो डिसएबिल्ड हों। हमारे जिले में कई हट्टे-कट्टे लोग हैं जो अगर लड़ें तो हमको हरा सकते हैं, उनको पेंशन मिली हुयी है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन जिनको जरूरत है, जो विधवायें वगैरह हैं उनको हर तरह से मदद मिलनी चाहिये और मैं आशा करता हूं कि और हमारे माननीय सदस्य भी मुझसे इस पर समहत होंगे।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सम्मुख एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्री सीता राम शुक्ल जी द्वारा उपस्थित किया गया है। मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज उन राजनीतिक पीड़ितों की दशा पर अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, हमारी सरकार

राजनीतिक पीड़तों के लिये विभिन्न प्रकार की सहायता कर भी चुकी है लेकिन कुछ सहायता सरकार द्वारा जो की गयी वह इस प्रकार की है कि वे राजनीतिक पीड़ित बेचारे उस नाम पर और अधिक पीड़ित हो गये। अभी बहुत लोगों ने चर्चा की कि मोटर के परमिट दिये गये। मेरी भी जानकारी में है, मोटर के परमिट के नाम पर बेचारे गरीब इधर उधर से किसी तरह पैसे ला-ला कर और दुखी हो गये और यही हाल आज उन राजनैतिक पीड़ितों का बना हुआ है जो सरकार तक, लखनऊ तक आने जाने में काफी ज्यादा रुपया खर्चा आये दिन कर रहे हैं। सरकार का ध्यान सर्विसेज में कुछ राजनैतिक पीड़ितों को नौकरी देने की ओर भी है मगर हम यह देखते हैं कि राजनीतिक पीड़ित कितने इन नौकरियों में जा सके हैं। हर विभाग में उनकी संख्या आज नहीं के बराबर है, वे बेचारे काफी परेशान होते हैं, मगर वे नौकरियों में बहुत थोड़े अनुपात में आ सके हैं। तो इन राजनीतिक पीड़ितों की सरकार उस भावना से नहीं कि हम बहुत भारी कोई एहसान उनकी तरफ कर रहे हैं, या उन्होंने उस समय देश की आजादी की भावना में स्वयं अपने को बलिदान किया था इसलिये उनकी मदद करें, बल्कि इसलिये कि जब हम इस प्रदेश की आर्थिक दृष्टि से गरीबी मिटाने के लिये प्रयत्नशील हैं और अपने देश के अन्दर एक सोशलिस्टिक पैटर्न का नारा बुलन्द कर रहे हैं, तो कोई वजह नहीं नजर आती कि उन गरीब राजनीतिक पीड़ितों को हर प्रकार से सहायता न पहुंचायी जाय। हमने उस समय में भी देखा जब कि वे बेचारे जेल जाते थे, उन दिनों उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके बच्चों की देखरेख, जनता के लोग मुक्त-हस्त से किया करते थे, मगर आज जब यह अपनी सरकार इस प्रदेश और सारे देश में राज्य-शासन का काम सम्हाले हुये है और सरकार कितना ही धन आज कितनी ही ऐसी योजनाओं पर जो बिल्कुल अच्छी योजनायें नहीं होती हैं और असफल होती हैं, उन पर खर्च कर रही है तो हम नहीं जान पाते कि इन राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों की सहायता करने में सरकार को क्या कठिनाई है ? एक बहुत ही आसान सवाल है। सरकार इन राजनीतिक पीड़ितों की एक सूची आज तैयार करा रही है, सूची सही तैयार हो इसमें किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं। गलत आदमियों को राजनीतिक पीड़ित होने की सहायता प्राप्त न हो। यह सरकार अगर निःशुल्क शिक्षा राजनीतिक पीड़ितों के लिये घोषित करे जैसे कि माननीय मुख्य मंत्री जी, जो आज हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, प्रदेश में उन्होंने जब से मुख्य मंत्री पद को सम्हाला है, तब से कई ऐसी योजनायें उन्होंने चलायी हैं, जिनका जनता ने हृदय से स्वागत किया है। तो अगर वह यह घोषणा करते हैं कि राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जायगी तो इससे उन बेचारों में बड़ा ढाढ़स आयेगा।

मैंने तो यहां तक राजनीतिक पीड़ितों को देखा है कि जब जिलों में माननीय मंत्रियों का दौरा होता है तो उनको अनेक जगह पार्टी खाने के लिये जाने और अनेक जगह कुछ बड़े आदमियों से मिलने का तो हमेशा समय रहता है, लेकिन जब कोई गरीब राजनीतिक कार्यकर्त्ता इस भावना से ओतप्रोत होकर दौड़ा हुआ आता है कि जेल में हम साथ रहे हैं, चलकर उनसे अपनी तकलीफ और अपना दुख सुनायेंगे तो उससे मिलने का समय उनको नहीं मिलता। मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी और यह सरकार यह एलान करे और यह कहे कि जब किसी मन्त्री, उपमन्त्री या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का दौरा हो तो एक विशेष समय उनके प्रोग्राम में राजनीतिक पीड़ितों से मिलने का रहेगा। बहुत से राजनीतिक पीड़ित तो ऐसे हैं, और उनकी बहुत सी बातें तो ऐसी हैं कि दिल से उनसे बात करने से भी उनको सान्त्वना मिल सकती है। वह बेचारे गरीब इस भावना से दौड़े हुये आते हैं और जब चाहे कोई भी मंत्री हो उनसे मिलने के लिये समय नहीं निकाल पाता तो वे बेचारे अपनी तकलीफ कहने के बजाय, जिसके लिये वह आते हैं एक दूसरी तकलीफ लेकर जाते हैं और आये दिन यह कहा जाता है कि ये तो मोटरों में फर-फर करके उड़ जाते हैं और हमसे बात करने के लिये भी इनके पास समय नहीं है। तो यह एक बड़ी सान्त्वना की बात उनके लिये होगी कि उनकी बातें तो कम से कम सुन ली जाया करें। मैं शुक्ल जी की इस भावना से सहमत नहीं हूं कि उनको सहायता

[श्री रामचन्द्र विकल]

दी जाय जिससे वे सरकार की या कांग्रेस की सहायता करेंगे। मैं तो यह देखता हूं कि रुपये के तौर पर जहां थोड़ा सा उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है वहां पर हम यह भी देख पाते हैं कि रुपये के नाम पर तो हमेशा बड़े आदमी आगे बढ़ा करते हैं। हम थोड़े से रुपये से उनकी सहायता भी करना चाहें तो यह उनके स्वाभिमान के लिये और कांग्रेस के स्वाभिमान के लिये ज्यादा अच्छी चीज नहीं होगी, क्योंकि काफी मालदार लोग हैं जो पैसे के बल पर आगे आ जाते हैं। तो इस भावना से हरगिज उनको न दिया जाय कि वे कांग्रेस या सरकार को सहायता देंगे इसलिये पेंशन देंगे। हम इसलिये देना चाहते हैं, और इसलिये उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहते हैं कि वे बेचारे गरीब हैं, अपना सारा धन और जन देश की आजादी में भेंट कर चुके हैं। हां, मैं यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि जो विधान सभा के सदस्य हों, किसी खास पोस्ट पर हों, मिनिस्टर बन गये हों या अच्छी आर्थिक अवस्था उनकी हो तो हरगिज उनको सहायता न दी जाय, लेकिन जो गरीब हैं, जिनकी हालत बहुत खराब है और यह सरकार इस प्रदेश से गरीबी को मिटाना चाहती है। जहां वह हरिजनों को, पिछड़ी जातियों को वजीफे और नौकरियों में सुविधा देना चाहती है तो कोई वजह नहीं है कि इन राजनीतिक पीड़ितों को, जो कि गरीब हैं, उनके बच्चों को नौकरियों में विशेष रिआयत न दी जाय, निःशुल्क शिक्षा न दी जाय। अगर उद्योग धंधों के लिये सहायता दे और जिनको ठीक समझे कि उद्योग धंधे कर सकेंगे और करते हैं तो उनको मुक्त-हस्त से सहायता करनी चाहिये और फिर कैसे और कहां से धन आय यह सरकार के विचार का प्रश्न नहीं होता, सरकार तो स्वयं देखती है कि आज बाढ़ का एक दैवी प्रकोप हमारे प्रदेश भर में आया हुआ है और इस प्रदेश की आधे से अधिक जन संख्या कितने संकट में है। सरकार ने उनके लिये फौरी सहायता का प्रबंध किया और उसके लिये धन आया। यह सरकार का फर्ज भी है। तो राजनीतिक पीड़ित जो पहले पीड़ित हुये और हमेशा रहे हैं उनको भी सरकार को उसी प्रकार से धन देना चाहिये जिस प्रकार बाढ़ पीड़ितों के लिये सरकार देती है या अन्य किसी प्रकार के दैवी प्रकोपों से पीड़ित लोगों के लिये सरकार सहायता देती है।

इस बार सरकार ने यह किया है कि राजनीतिक पीड़ितों से दरख्वास्तें मंगवाई जा रही हैं। हमें पहले भी जो हुआ, उसका पता है। हमें मोटर की परमिटों का हाल मालूम है और जो उनको पेंशनें दी गयीं वह भी मालूम है। अब दोबारा फार्म भरवाये गये हैं। मैं जानता हूं कि फार्म भरने के बाद उनकी दुगनी तिगुनी भूख की ज्वाला और बढ़ जायगी और जैसा कि हुआ है दूसरे मामलों में कि और लोग ले जायं तो ले जायं लेकिन उनको निराश होना पड़ा। तो जो लोग निराश होकर बैठ गये थे आज फिर उनकी दरख्वास्तें आयी हैं। फिर उसमें एक भावना आयी है। कांग्रेस और गैर कांग्रेस का एक ऐसा प्रश्न है कि हम लोग बड़ी परेशानी में हैं कि कैसे छटनी की जाय, बहुत दरख्वास्तें मंगवाई गयी हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिनको उचित समझा जाय कि वे सहायता के पात्र हैं, सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिये। इसलिये कि सरकार हमारे यहां सोशलिस्टिक पैटर्न स्थापित करना चाहती है और गरीबी अमीरी के भेद को इस प्रदेश से मिटाना चाहती है। तब तो वे समझ सकेंगे कि इस देश में आजादी आयी, नहीं तो काफी लोग उनमें से हैं जो घर में बैठ कर क्या कहते हैं वह यहां कहना मैं उचित नहीं समझता। वह दुखी हैं और इस वजह से और भी दुखी हैं कि उनकी बात को सुनने का समय मंत्री लोगों के पास नहीं है। इससे उनको कितनी तकलीफ होती है? तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस सदन से आशा करता हूं कि इस प्रस्ताव को जो महत्वपूर्ण है, पास करेगा और पास करने के बाद सरकार पर इस बात के लिये जोर देगा कि राजनैतिक पीड़ितों की सहायता के लिये सरकार समुचित कदम उठाये।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रस्ताव हमारे समक्ष उपस्थित है जो कि सारे सदन का प्रस्ताव है। जिन माननीय सदस्य ने उसको प्रस्तुत किया था, उन्होंने तो वापस ले लिया, लेकिन मैं विकल भाई को बताना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव सारे सदन का है। चाहे कोई सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, चाहे जो हो। हम लोग इस गवर्नमेंट में बैठे हैं, सब ने हां के बजाय नहीं कह करके इस प्रस्ताव को रखवाया। यह ४३१

मेम्बरों का प्रस्ताव है और मैं विकल भाई से भी कहता हूं कि उनको तो बधाई देनी चाहिये मुख्य मंत्री जी को, उसके बजाय वह अपने मंत्रियों के ऊपर छींटा-कशी करने लगे कि वे राजनैतिक पीड़ितों की बात नहीं सुनते हैं, उनसे नहीं मिलते हैं। मैं जानना चाहता हूं वह कौन मंत्री है, जो नहीं मिलते हैं या कांग्रेस वालों से नहीं मिलते हैं? कांग्रेस मंत्री तो सब से मिलता है, विरोधी पार्टियों से भी मिलता है। यह गलत बात उनको नहीं कहनी चाहिये। आज शिकवा शिकायत का मौका नहीं है। जले भुने दिन, जो मुसीबत के दिन हमने अंग्रेज के जमाने में गुजारे उनका स्मरण मंत्रियों को दिलाना चाहिये, ताकि प्राचीन बातें उनको याद हों। सन् ४२ के डंडे उनको याद दिलाने चाहिये, जबकि हमारे बच्चों को लखनऊ की सड़कों पर गोलियां मारी गयीं, यह बात उन्हें याद दिलानी चाहिये थी, ताकि उनको प्रेरणा मिले, जिससे उनकी रगों में फिर से खून उबले और वह याद हो कि हां, वाकई में हमारे बच्चे, हमारे भाई त्रस्त थे जिन्होंने डंडे खाये, जिनकी पढ़ाई छूटी, जो अध-कच्चे रह गये, पूर्ण ग्रेजुएट नहीं हो सके।

आज मैं विकल भाई से निहायत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ठंढे दिल से सोचना चाहिये और वाकई मिनिस्ट्री और मुख्य मंत्री की तारीफ करनी चाहिये कि जो चीज बन्द हो गयी थी कि अब पोलिटिकल सफरर्स को कोई मदद नहीं मिलेगी उसको पुनः चालू किया और रामेश्वर सहाय ऐसे आदमी के हाथ में उसको दिया, जो स्वयं एक पोलिटिकल सफरर हैं, जो उस मंजिल से गुजर चुके हैं।

आज मैं मुख्य मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि मैं शाहजहांपुर गया था एलेक्शन के सिलसिले में। वहां मैंने राम प्रसाद बिस्मिल की बूढ़ी मां को देखा। उनसे मैं मिला और उनके पैर छुए और तब आया मैदान में स्पीच देने के लिये। आज भी वह शेरनी की तरह गरजती हैं और समझती है कि हमने एक लाल पैदा किया था। "गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है" यह नारा था भगत सिंह का, यह नारा था राम प्रसाद बिस्मिल का। जो पोलिटिकल सफरर हैं, जो गरीब हैं उनकी मदद करने में ही इस सरकार की इज्जत है, इस देश की इज्जत है और सारे राष्ट्र की मान मर्यादा है। पंडित नेहरू की इतनी मान मर्यादा विदेशों में क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने इस देश में नान-वायलेंस की लड़ाई लड़ी थी। इंगलैन्ड और जर्मनी की लड़ाई में और हमारी लड़ाई में फर्क था। मैं सारे हाउस को बताना चाहता हूं कि इंगलैन्ड वालों ने जर्मनी वालों को गोली मारी और जर्मनी वालों ने इंगलैन्ड वालों को गोली मारी लेकिन हमने इंगलैन्ड वालों को गोली नहीं मारी यह फर्क था। और संसार के सामने यही शांति का मिशन लेकर पंडित नेहरू चीन गये, रूस गये, इंगलैन्ड गये और कहां-कहां गये। इसीलिये आज उनकी दुनियां भर में इतनी इज्जत है। हमें सरकार को बताना चाहिये कि हमारे साथ उन सिपाहियों ने, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में मार्च किया था, उनकी झोपड़ियों की हमें खबर लेनी चाहिये और लेनिन की तरह हमें उनकी झोपड़ियों में जाना चाहिये। और मैं मंत्रियों को उत्तेजित करना चाहता हूं कि आज वे सोचें कि वाकई में विकल भाई का जवाब देना है और गरीब से गरीब झोपड़ियों में उन्हें जरूर जाना चाहिये।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)---बुलाते ही नहीं हैं।

श्री शिवनारायण---हमारे मंत्री साहब कहते हैं कि बुलाते नहीं हैं और यह शिकायत यहां करते हैं, हमें बुलायें तो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री १०० वर्ष जियें ताकि हमारे राष्ट्र को अच्छी लीड मिल सके। उन्होंने हमारे देश को सोशलिस्टिक पैटर्न प्रदान किया है। आज हमें गर्व है कि सोशलिस्टिक पैटर्न का चलाने वाला सेनानी हमारा मुख्य मंत्री है। आज उनके हाथ से उन पोलिटिकल सफरर्स, उन गरीबों का कल्याण होगा, जो झोपड़ियों में बसने वाले हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि आज उन झोपड़ियों की तरफ आपकी नजर गयी है, हम आपके एहसानों को नहीं भुला सकते और अगर भुलायेंगे तो हम एहसान फरामोश कहलायेंगे। भारतीय संस्कृति बतलाती है कि रंच भर जिसने

[श्री शिवनारायण]

एहसान किया उसका हर भारतीय एहसान मानता है, चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे चमार हो। यह हमारी परम्परा रही है, यह हमारी संस्कृति रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कोई पहाड़ी हो, चाहे कोई मैदान का हो, चाहे कोई लाल टोपी पहने हो, लेकिन ये जितने आजादी के सिपाही हैं १९०६ में जब मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन के खिलाफ कुछ बात कही थी तब हमारे देश के लीडरों ने कहा था कि "Those who will join hands we will join hands with them otherwise we will march" आज वही बात पंडित नेहरू ने सीतापुर में कह दी। मैंने सुना, उन्होंने कहा कि लालटोपी और पीली टोपी के झगड़े में मैं नहीं पड़ता, वे रटते रहेंगे और हम भारत को बनाते रहेंगे। हमने जमींदारी का नाश किया, ट्रांसपोर्ट को नैशनलाइज किया, गरीबों की मदद की और मैं सरकार के बाजू मजबूत करना चाहता हूं और ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जो आज पोलिटीकल सफरर्स गांवों में हैं वह हमारे साथ हैं। एक बात मैं अपने बंधुओं से यानी एम० एल० एज० से गुजारिश करना चाहता हूं कि आज आप लोग खास तौर से देखें कि आज हमें एक बड़ा सुन्दर अवसर प्राप्त हुआ है। आप पोलिटिकल सफरर्स को सही बात बतला दें तो वह आपके साथ होंगे और वह आपका तिरंगा झंडा लेकर गांव-गांव में घूमेंगे। हमें फाल्स चीज नहीं कहनी चाहिये, आप लोग मेरी गुस्ताखी माफ करेंगे और हमको आज ईमानदारी से काम करना चाहिये जिससे हमारी और आप की प्रेस्टिज बनी रहे। अगर आप कहीं भूल गये तो आपकी आने वाली संतान आपको बुरी तरह से कोसेगी। अगर आपने गलत आदमी को प्रमाण-पत्र दे दिया तो आप पर छींटेकशी जरूर होगी। मदन जी ने कहा कि सर्विसेज में...(हंसी) उनको तो शिकायत नहीं है, मेरे दोस्त को शिकायत है। यह तो दुलार की बात, प्रेम की बात है कि मैंने आधा नाम ले दिया 'मदन'।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि पोलिटीकल सफरर्स वाकई हैं जो बुरी तरह से सफर कर रहे हैं। हमारे जिले में रामसेवक सिंह जी हैं जो एंग्लो हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापक हैं, जिन्होंने हजारों नौजवान देश के लिये तैयार किये थे। आज मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनके केस को जरूर देखें। यह हमारा कहना नहीं बल्कि विनम्र निवेदन है कि उनके केस को देखा जाय और उनके केस को कंसीडर किया जाय। वह हमारे गुरू रहे हैं और यह कहावत है कि:—

"गुरू से कपट, साह से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी।"

अपने गुरू की बात को हमें निभाना है। उन्होंने हमें सच्ची शिक्षा दी थी, जिसके फल-स्वरूप हम आज इस लायक हुये कि देश सेवा में अग्रसर हैं, देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में अग्रसर रहे। उन्हीं का आशिर्वाद था, उन्हीं का बरदान था, जिसके बदौलत हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आज वह ५५ साल के हो गये हैं, रिटायर हो गये हैं, उनको साढ़े तीन साल वाली वह चीज कर दी जायगी तो उनको बड़ी आसानी होगी, क्योंकि आज उनके दो बच्चियां हैं। उनकी शादी हो जायगी और यश मिलेगा और वह तथा उनका परिवार आपको जीवन भर धन्यवाद देगा।

कुछ आफिसर्स हैं जो पोलिटिकल सफरर्स के लिये काम कर रहे हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिला है। हमारे मित्र मदन जी ने इसकी शिकायत भी की है, हमारे जो पुराने आफिसर्स हैं वह कहते हैं कि यह गट्टे पार्चे का बबुआ कहां आ गया है। वह इसलिये ऐसा कहते हैं कि आज उनका रहस्य जो खुलता है इसलिये वह घबराते हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमें इस पुरानी गवर्नमेंट को ही रिशफिल कर देना चाहिये था। यदि हम ऐसा कर देते तो आज हमें गालियां सुनने को न मिलतीं। मेरे भाई गनेशी जी ने बतलाया कि श्रमदान के सिलसिले में फर्रुखाबाद के कलेक्टर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने तो हमें भंगी बना दिया। उन्होंने ऐसा जुम्ला कहा था कि मैं उसको कहना नहीं चाहता हूं। यह कैरेक्टर है हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट का कि उसने इनके साथ दया का बर्ताव किया, लीनियेंसी का बर्ताव किया, इसके बाद भी हमें इन लोगों से गालियां सुनने को मिलती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी अफसरान कान खोल कर सुनें, मैं सरकारी अफसरान को सचेत करना चाहता हूं कि यदि

उन्होंने समय के साथ मार्च नहीं किया तो याद रखें कि जब गवर्नमेंट बदलेगी तो तुम भी बदले जाओगे। अगर कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आई, यह नई पार्टी तुमको बख्शेगी नहीं। हमने नान वायलेंस की नीति को अपनाया है, यह हमारा बड़प्पन है जैसे कि:—

"क्षमा बड़न को चाहिये छोटन को उत्पात"

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कर दिखाया और नेहरू जी ने भी दिखा दिया कि जिन्होंने हमारे डंडे मारे थे उनको हमने इनाम दिया। हमारी ऐसी दया की नीति है ऊंचे दर्जे की नीति है, जिसके कारण सन् १९३७ से लेकर आज तक कांग्रेस गवर्नमेंट अपने देश में सफलता पूर्वक चल रही है। आज तक हमारे यहां की गवर्नमेंट नहीं बदली जब कि दुनिया में बहुत सी गवर्नमेंट बनी और बिगड़ीं। हिटलर मिट गया और मुसोलिनी मिट गया, लेकिन हमारे देश में कांग्रेस गवर्नमेंट वैसे ही चल रही है। हमारा आदर्श का आईना कुछ ऐसा है कि जो हमेशा झलका करता है। हम ईमानदारी से काम करते हैं और किसी के साथ हमने कोई बदगुमानी नहीं की है। हमने उनको क्षमा किया जिन्होंने हमारे साथ ज्यादतियां की थीं। इसलिये मैं हर मेम्बर साहब से निवेदन करूंगा कि आप हर जिले में जाकर देखें, कि जो हमारे भाई दुखियां हैं, जो पोलिटिकल सफरर हैं उनकी सिफारिश की जाय। मैं रामेश्वर सहाय जी से भी निवेदन करूंगा कि जितनी दरख्वास्त आयें उन सब पर विचार किया जाय। आप स्वयं भी किसी जिले में जाकर गुप्त रूप से पता लगायें कि यह बात सही है या गलत, क्यों आप इन चीजों से डरते हैं? आप तो ऐसे वीर सिपाही रहे हैं कि दिन रात बिगुल बजाकर और चना-चबा चबा कर जिले जिले में घूमते रहे हैं। माननीय कृपा शंकर जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि जिस समय वह झंडा लेकर किसी गांव में गये तो वहां पर लोगों ने कहा था कि ये तिरंगे झंडे वाले क्या स्वराज्य लेंगे। तो उन रामेश्वर सहाय जी पर यह जुमले कसे जाते थे। लेकिन सब लोगों ने मुट्ठी मुट्ठी देकर चाहे वह कांग्रेस वाले हों या गांव वाले हों सब ने मिलकर इसको आजाद किया है। मैं स्वयं एक रोज गोरखपुर से आ रहा था। एक सज्जन जो हमारी कांग्रेस में रहे हैं उन्होंने बड़ा ही सुन्दर सजेश्चन दिया और यह कहा कि देश ने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है वह केवल कांग्रेस वालों की नहीं है वह तो समस्त देश की है। उस यज्ञ में किसी ने जौ दिया, किसी ने घी दिया, किसी ने लकड़ी दी और किसी ने कुछ दिया और किसी ने विरोध भी किया और कहीं अंग्रेजी सरकार से जाकर लोगों ने कहा कि यह लोग वह काम कर रहे हैं और यह काम कर रहे हैं। गर्ज के सब ने मिलकर इस काम को किया है और इस यज्ञ को पूरा किया। अगर राम रावण न होते तो ऐसी दशा नहीं हो सकती थी। अंग्रेजों ने हमारे साथ रावण जैसा व्यवहार किया था। मैं कहना चाहता हूं कि देश में गरीब और अमीर छोटे और बड़े सब भाइयों ने मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। महात्मा गान्धी के 'डू आर डाइ' के नारे पर सब लोगों ने जान की बाजी लगा दी और अंग्रेजों ने बहुत से हमारे लीडरों को जेल में बन्द कर दिया। सुभाषचन्द्र बोस ने देश के बाहर जाकर आई० एन० ए० का निर्माण किया और उस आई० एन० ए० ने देश के लिये जबरदस्त कुरबानी की मगर आज वही आई० एन० ए० के सिपाही गांव गांव में मारे मारे फिरते हैं। उनको आज कोई पूछनेवाला नहीं है। आज गांवों में आपने जो रक्षा दल बनाया है अगर उसमें इन लोगों को रख दिया जाय तो इन लोगों को खाने को मिल सकता है और इनका निर्वाह भी हो सकता है। उनको वहां रखकर उनसे काम लिया जाय। मैं जानता हूं कि वह वेल डिसिप्लिन्ड हैं और उस पुरानी नौकरशाही के नौकरों से कहीं अच्छे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि उन गरीबों की मदद की जाय।

अन्त में मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं और समस्त मंत्रिमंडल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह सुन्दर सुझाव यहां पर पेश किया है जिससे हमारी इज्जत ऊंची हो सकती है। अन्त में मैं फिर सरकार को बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि जो सही लोग हैं और जो मदद के काबिल हैं उन लोगों को पेंशन दी जाय।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—डिप्टी स्पीकर साहब, जो प्रस्ताव शुक्ल जी ने पेश किया है उसके मुताल्लिक कोई दो राय नहीं हो सकतीं। हम सब शुक्ल जी के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने बहुत ही उम्दा और अहम मसले पर विचार करने का इस हाउस को मौका दिया। जैसा कि उन्होंने इस रेजोल्यूशन को वापस करने का इरादा किया था अगर यह वापस हो जाता तो यह हाउस के साथ एक जुल्म होता। इस मसले पर गौर करने से यह हाउस महरूम रह जाता। जनाबवाला, इस मसले के मुताल्लिक किसी को दो रायें नहीं हो सकतीं कि पोलिटिकल सफरर का मामला हमारे मुल्क और हमारी कौम के लिये एक बहुत ही अहम मामला है। मेरी समझ में पोलिटिकल सफरर का दर्जा इस मुल्क में शायद अगर किसी से कम माना जाय तो वह शरणार्थियों का मसला हो सकता है, इसलिये कि शरणार्थी भाई हमारे इस मुल्क में आकर आबाद हुये। वह हैसियत एक ऊंचा मुकाम रखती है, क्योंकि उनका इस मुल्क में आना और मुल्क की तकसीम के बाद तकलीफ उठाकर यहां आबाद हो जाना वह भी एक बहुत अहम मामला है, जिसको हमारी कौम और हमारा मुल्क भूल नहीं सकता। इस ऐतबार से अगर आज हम उन लोगों को हकीकत पेश करें तो यह कोई गैरकानूनी बात नहीं है। इस प्रस्ताव के जरिये हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और शायद इससे भी ज्यादा यह हुकूमत पोलीटिकल सफरर्स के लिये कर रही है। ४,५ महीनों में हमारे मौजूदा मुख्य मंत्री ने और हमारी मौजूदा सरकार ने इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया है जो हम सब लोगों को मालूम है और इसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं यह सोचता था कि अब तक जितना भी यह मसला हल किया गया वह सब गैरसरकारी एजेंसीज के जरिये किया गया है और बाज दोस्तों ने यह भी कहा कि शायद इसके जरिये कांग्रेस पार्टी के लोगों को ही नफा पहुंचाया जाता है। मैं समझता हूं कि इसके मुताल्लिक कुछ राय देना भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इतना कह दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है कि हुकूमत ने जिस तरह से इसे हल किया है वह बिलकुल बगैर पार्टी का मामला है। फर्रुखाबाद का मुझे मालूम है कि जितने पोलीटिकल सफरर्स को वहां पेंशनें और जमीन वगैरह दी गयी उनमें कांग्रेस के और दूसरे लोग भी शामिल थे। लेकिन मैं समझता हूं कि बेहतर यह होगा कि पोलीटिकल सफरर्स के लिये एक कानून बन जाय और एक एजेंसी कायम की जाय जो इस बात की छानबीन करे कि कौन लोग पोलीटीकल सफरर हो सकते हैं और उनको किस तरह की इमदाद की जरूरत है। अक्सर यह दिक्कत पैदा होती है कि पोलीटिकल सफरर की कोई डेफिनीशन नहीं है। यह सही है कि पोलीटिकल सफरर्स का मामला अब तक जितना भी हल किया जाता रहा वह सब एक्जीक्यूटिव आर्डर्स से ही किया जाता रहा है। अगर इस मामले को मुस्तकिल तौर पर हल करना है तो हमको इसकी जरूरत पड़ेगी कि हम एक बिल इस सदन के सामने लावें, जिसमें पोलीटीकल सफरर की डेफीनीशन हो और उनको रिलीफ देने के लिये एक एजेंसी कायम हो, जिसमें सरकारी और गैरसरकारी आदमी भी हों।

जनाबवाला, यह सही है और कांग्रेस यह फख्र के साथ कह सकती है कि वह इस मुल्क के अन्दर एक सोशलिस्ट पैटर्न की सोसायटी कायम करना चाहती है और वह एक क्लासलेस सोसायटी बनावेगी। इस सिलसिले में पिछले ८ साल में यहां जो काम हुआ है वह किसी तरीके से भी ऐसा नहीं है जिसे हम नजरअंदाज कर सकें। बहुत कुछ काम हुआ और हो रहा है। इसमें जरूरत इस बात की है कि पोलीटिकल सफरर्स के मसले को हल करने के लिये हम एक कानून बनावें। मैं यह भी चाहता हूं कि इस काम में, उन्हें सहायता देने में, जितना भी खर्चा हो वह हमें करना चाहिये, क्योंकि उनका मुल्क के ऊपर बहुत एहसान है। वे मुल्क के लिये बहुत बड़ी दौलत हैं। अभी एक सज्जन ने कहा था कि अगर पोलिटिकल सफरर्स को पेंशनें दी जावें तो शायद उनकी संख्या १ लाख होगी। अगर १ लाख भी तादाद हो जाय और ३-४ करोड़ रुपया भी अगर हर साल दिया जाय तो वह देना चाहिये। यह कोई ज्यादा रकम ऐसे अहम काम के लिये नहीं है। पोलीटीकल सफरर्स और शरणार्थियों ने अपने ऊपर इस मुल्क को आजाद करने में मुसीबतें उठायी हैं और कुरबानियां की हैं। उनके सामने हम सिर झुकाते हैं और झुकाते रहेंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात मैं यह कहना जरूरी समझता हूं कि पोलीटिकल सफरर्स यह आकर कहें कि चूंकि वे पोलिटिकल सफरर्स हैं, इसलिये उन्हें सरकारी नौकरी दी जाय, इससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं। पोलीटिकल सफरर होने की हैसियत से अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में या लेजिस्लेचर में या म्युनिसिपैलिटीज में सीट चाहता है तो यह नहीं होना चाहिये। यहां उनके साथ वही सलूक होना चाहिये जो औरों के साथ होता है। पोलीटिकिल सफरर्स को हम जमीन दें और उन्हें दूसरे काम में लगावें, यह सही है। लेकिन जहां पब्लिक सर्विसेज का मामला हो वहां उनको स्पेशल कन्सीडरेशन नहीं मिलना चाहिये। कल ही हम सुन रहे थे कि पब्लिक सर्विसेज का मियार गिर रहा है। हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में काफी दिक्कत होगी, क्योंकि हम लोग उसे शायद उतना ऊंचा नहीं उठा सकेंगे जितना हम उठाना चाहते हैं। हो सकता है कि मेरी इस राय के मुताल्लिक दो रायें हों कि पोलीटिकल सफरर को वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिये, सर्विसेज और लेजिस्लेचर वगैरह में जो औरों को मिलता है, लेकिन इस बात में यह सदन शायद मुत्तफिक होगा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ढील नहीं होनी चाहिये। उसे अच्छे से अच्छा होना चाहिये और कहीं ढील नहीं हो। उसका डिस्पिलिन अच्छा हो बिलखुसूस ऐसी सूरत में जब हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पर चल रहा है और एक पंचवर्षीय योजना खत्म हुयी है और दूसरी शुरू होने वाली है और न मालूम अभी मुल्क को दूसरे मुमालिक के बराबर लाने में कितनी पंचवर्षीय योजनायें बनानी होंगी। इसलिये हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होना चाहिये।

इन मुख्तसर अलफाज के साथ मैं एक मर्तबा फिर इस प्रस्ताव की तहेदिल से ताईद करता हूं जो शुक्ल जी ने पेश किया है।

*श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने राजपीड़ितों के सम्बन्ध में वादविवाद सुबह से चल रहा है। यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिसमें सभी की राय होगी कि राजपीड़ितों की सहायता करनी चाहिये। मेरे विचार से हर जिले में एक लिस्ट तैयार कर ली जाय तो अच्छा है, क्योंकि प्रत्येक जिले में जो भाई राजनीतिक पीड़ित हैं उनको सब जानते हैं और अच्छी तरह से वह लिस्ट बन कर हमारे सामने आ सकती है। और इसमें अगर ३–४ महीने या इससे भी ज्यादा समय लग जाय तो कोई हर्ज की बात नहीं है। जिस वक्त यह लिस्ट बन कर हमारे सामने आ जायगी और वह लिस्ट हर एक जिले में भी मौजूद होगी तथा उनसे यह मालूम हो सकेगा कि कौन कौन से भाई राजनीतिक पीड़ितों की श्रेणी में आते हैं, तो जो आजकल राजनीतिक पीड़ितों की बाढ़ सी आ गयी है वह न रहेगी और उसका संकलन हो जायगा तथा जो आजकल सहायतार्थ घूमते हैं वे भी आसानी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि राजनीतिक पीड़ितों को कई श्रेणियों में बांट दिया जाय, जैसे विद्यार्थीगण, महिलाएं तथा ऐसे लोग जो कमाने खाने में असमर्थ हैं। अगर यह श्रेणी बन जायगी तो उसमें उसी के अनुसार लोगों को सहायता भी दी जा सकेगी। विद्यार्थीगण के लिये हम उसी दृष्टिकोण से विचार करें, जिससे कमाने खाने में असमर्थ लोगों का विचार किया जाता है। इन श्रेणियों के बन जाने से एक स्पष्ट नक्शा हमारे सामने आ जायगा तथा हमारे सामने जो एक महत्वपूर्ण समस्या है उसको अच्छी तरह से पूरा कर सकेंगे।

अभी माननीय सदन के सामने माननीय शिवनारायण ने एक बड़ा भावावेश–पूर्ण वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, जिसको मैं समझती हूं कि आप भी उपयुक्त न समझेंगे और जिस भाव में उन्होंने उस शब्द का उच्चारण किया, यहां पर उस भाव में वह गलत है और वह उनकी मानमर्यादा और सदन की मानमर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने कहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती चन्द्रवती]

कि "मैं अपने मंत्रिगण को उत्तेजित" करता हूं, उत्तेजित शब्द को यदि डिक्शनरी में देखा जाय तो दूसरे ही मानी निकलते हैं। अगर वे उत्तेजित करने के बजाय "प्रेरित करना" शब्द इस्तेमाल करते तो अधिक उपयुक्त होता। अतः मैं उनसे प्रार्थना करती हूं कि सदन में वे कम से कम थोड़ी सभ्यता का ध्यान रक्खें और सदन की मान-मर्यादा को सामने रख कर बोलें और यह भी ध्यान रखें कि उनको सदन में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिये। वे भावावेश में दिमाग का संतुलन बिगाड़ बैठते हैं और वक्ता न होकर एक डैमेंटिस्ट लगने लगते जो कुछ हैं, उन्होंने राजनीतिक पीड़ितों की सहायतार्थ वक्तव्य दिया वह प्रशंसनीय है, उसमें कोई दो बातें हो ही नहीं सकतीं। मेरे ख्याल से उनकी सहायतार्थ एक ऐसा नक्शा बनाना चाहिये, जिससे हर एक राजनीतिक पीड़ित को जिसने देश की सेवा की है, त्याग करके और अपना सब कुछ खोकर देश की सेवा की है, उससे लाभ पहुंच जाय। इस श्रेणी में उन लोगों को भी रखना चाहिये जो देश के लिये शहीद हो गये हैं और उनके परिवार वालों को, भाई बन्धुओं को, जो उन पर आश्रित थे उनको भी सहायता करनी चाहिये। आज हम प्रदेश में प्रति वर्ष बाढ़ के लिये पर्याप्त मात्रा में पैसा खर्च करते हैं, यह सही है, लेकिन राजनीतिक पीड़ितों की तो एक ऐसी समस्या है कि यह प्रति वर्ष न तो घट सकती है और न बढ़ सकती है। उनकी जो एक संख्या निर्धारित होगी वह हमको प्रति वर्ष देखनी चाहिये। इस प्रकार से देखा गया है कि आज जिलों में बहुत से तो इसका एक गलत उपयोग करते हैं। जरा सा कोई बहाना ढूंढ़कर कोई रिश्तेदार का रिश्तेदार है उससे फायदा उठाकर राजनीतिक पीड़ित बन जाते हैं और उससे वे फायदा उठाना चाहते हैं। मेरा यहां पर सिर्फ संकेत मात्र है कि जो सही राजनीतिक पीड़ित हैं उनको ही सहायता अच्छी से अच्छी प्रकार की मिलनी चाहिये और जो इस प्रकार से आड़ लेकर सहायता प्राप्त करना चाहते हैं उन भाइयों को इससे वंचित होना चाहिये। बस, मुझे केवल इतना निवेदन करना था।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कुछ बहुत अधिक निवेदन नहीं करना है, किन्तु मैं यह देख रहा हूं कि ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैं समझता हूं निर्विवाद है, उस पर विचार करने के लिये यहां प्रस्तुत किया गया तो बहुत देर तक हमारे सदन में कोरम भी नहीं पूरा हुआ। तो जो प्रश्न यहां पर उपस्थित किया गया है कि राजनीतिक पीड़ितों के लिये उनकी सूची तैयार की जाय और उनको समुचित पेंशन दी जाय, ताकि वे निश्चित होकर देश सेवा कर सकें, मैं इस चीज का समर्थन करता हूं। साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिक पीड़ितों की जो सूची बने वह बहुत ही ध्यानपूर्वक बनायी जाय क्योंकि मैं देखता हूं कि प्रायः ऐसा होता है कि जब कभी कहीं कोई पद रिक्त हुआ, कोई स्थान रिक्त हुआ तो उस स्थान के लिये सैकड़ों प्रार्थना-पत्र आ जाते हैं और उसके लिये बहुत से लोग दौड़ पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं। और वहां बहुत से लोग ऐसे ऐसे झूठे प्रमाण पत्र बनाकर पहुंच जाते हैं कि जो कि पहली सरकार के समय में उसके साथ थे, जो कि उसके चाटुकारों में से थे, आज भी वे चाहते हैं कि जिस प्रकार से हो कुछ काम लेकर पैसा बनावें। मैं सरकार की बहुत प्रशंसा करता हूं कि राजनीतिक पीड़ितों के संबंध में वह कुछ उठा नहीं रख रही है और वह चाहती है कि उनकी सहायता की जाय, उनकी रक्षा की जाय, जिन्होंने देश के लिये त्याग किया, और जो देश के लिए बलिदान हुए। इनकी सहायता करने से आगे की पीढ़ी पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। मैं तो समझता हूं कि राजनीतिक पीड़ितों की सूची जो बनानी चाहिये वह उस समय से बनानी चाहिये जब कि सन् १८५७ ई० में पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और उस समय से अब तक जिन लोगों ने इस लड़ाई में भाग लिया उनका नाम भी आना चाहिये तथा उनके वंशज जो इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं उनकी भी मदद करनी चाहिये। अभी थोड़े ही दिन हुए हमारे यहां नाना धुंधू पन्त पेशवा के पौत्र श्री बाजीराव पेशवा जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था पहुंचे थे। मैंने कहा कि यह हमारे

लिये आज एक बड़ा शुभ अवसर है कि यहां पर सन् १९५७ के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत बड़े नेता के पौत्र पहुंचे हुएहैं। लेकिन उनकी दशा देखकर हमें बहुत दुखा हुआ कि आज ऐसे लोग हमारे देश के अन्दर मौजूद हैं जिनके पूर्वज अंग्रेजों के जमाने में कभी नेपाल में कभी कहीं, कभी कहीं जंगलों में मारे मारे फिरते रहे, लेकिन अंग्रेजों की अधीनता नहीं स्वीकार की और जीवन भर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े, उनकी हालत अच्छी नहीं है। सरकार को चाहिये कि राजनीतिक पीड़तों की सूची बनाते समय इस बात का ध्यान रखे कि जो वास्तव में पीड़ित हैं उन्हीं को उस सूची में स्थान दिया जाय तथा उनकी सहायता के लिए सरकार को हर तरह से आगे बढ़ना चाहिये। इस सम्बन्ध में सरकार जो कुछ कार्य कर रही है इसमें संदेह नहीं है कि वह ठीक कार्य कर रही है और इसके लिये मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूं, लेकिन इस ओर ध्यान दिलाना हमारा कर्त्तव्य है कि जब यह मानी हुई बात है कि आजकल बहुत से लोग किसी भी नौकरी के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पहुंच तो जाते हैं और उनसे कुछ पूछा जाता है तब उत्तर कुछ देते हैं और उनमें ऐसी योग्यता नहीं होती। इसलिए इसका भी डर है कि लोग अनेक प्रकार से राजनैतिक पीड़ित बन कर न टूट पड़ें और ऐसे लोगों के नाम सूची में न आने चाहिये और उनके वास्तविक पीड़ित होने का पूरा पता रखना चाहिये। इस के अतिरिक्त जैसा कि माननीय उपाध्याय जी ने कहा उत्तरदायित्वपूर्ण स्थान ऐसे रियायती लोगों को न देना चाहिए, क्योंकि उन पदों की जिम्मेदारी होती है और अगर कभी ऐसा अवसर आया कि काम उनका ठीक नहीं हो रहा है और फिर यह बात हो कि वह रियायती लोग हैं उनके साथ रियायत होनी चाहिये। मेरे विचार में ऐसा न होना चाहिए।

(इस समय ४ बज कर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

हर पदार्थ का विरतण हर मनुष्य के लिए उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार सर्वत्र होना चाहिए। अगर रियायती आदमी रखे जायंगे तो वह अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकेंगे इसमें सन्देह है और वह प्रायः उत्तरदायित्व को पूरा न कर सकेंगे। इसी तरह से मैं देखता हूं यहां बहुत से भाषण हुए और यह भी कहा गया कि जो लोग हट्टे कट्टे हैं उनको सहायता न देनी चाहिए। मैं मोटा हूं इसलिए नहीं कहता, लेकिन मेरा मतलब यह है कि जो वास्तव में पीड़ित हैं और अगर किसी कारण से मोटा या हट्टा कट्टा है तो उसको सहायता या राजनैतिक पीड़ित मानने से वंचित न करना चाहिए। जो धन से हट्टा कट्टा हो और मालदार हो उसकी बात दूसरी है, लेकिन जो गरीब है और स्वास्थ्य उसका ठीक है उसको सहायता देनी उचित ही है। गरीब भी मोटा हो सकता है और पीड़ित भी मोटा हो सकता है।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर इस विषय में काफी वादविवाद हो चुका है और मैं भी सदन का अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन मेरी भी यही इच्छा अवश्य है कि यह प्रश्न जल्दी ही हल हो जाना चाहिए और आगे न बढ़ाया जाय। अभी मंत्री जी अपने विचार प्रगट करेंगे और बहुत जल्द ही घोषणा इस विषय में होनी चाहिए, क्योंकि इस विषय में कोई दूसरा मत नहीं हो सकता, इसमें अधिक समय न लिया जाय और दूसरे काम भी उस हालत में आ सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं श्री सीताराम शुक्ल जी के संकल्प का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन और सरकार इसको स्वीकार करेगी।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर यह बात कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह देश के सभी राजनीतिक दलों से सर्वसम्मत संकल्प है जो इस भवन में पेश हुआ है। सच पूछिए तो मैं और सब हृदय से अनुभव करते हैं कि राजनीतिक पीड़ितों को जितनी सहायता और जितनी प्रतिष्ठा हमें करनी चाहिए वह इस देश में उनको प्राप्त नहीं है। आप विचार करें कि जब अंग्रेजों ने अपने दो युद्ध, साम्राज्यवादी किए थे तो अपने सिपाहियों के लिए उन्होंने जिले जिले में सोलजर्स बोर्ड स्थापित किए थे। जो युद्ध में शामिल हुए उनके लिए एम्लायमेंट एक्सचेंज खुलवाए और यह

[श्री रामस्वरूप गुप्त]

दोनों संस्थाएं बड़े पैमाने पर स्थापित की गईं और वह सब उन सैनिकों के लिए स्थापित कीं कि जो वेतन भोगी सैनिक थे और जो त्याग, सत्य और बलिदान के लिए लड़ने वाले नहीं थे, बल्कि उससे नीचे स्तर के सैनिक थे। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो सैनिक थे और जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में योग दिया और जिन्होंने बड़े ऊंचे स्तर पर, बड़े ऊंचे नैतिक स्तर पर योग दिया, उस प्रकार के त्याग और बलिदान का नमूना संसार के किसी संग्राम में नहीं मिलता। स्वाभावतः ऐसे सैनिकों की प्रतिष्ठा न केवल हमारे देश में अपितु सारे संसार में बहुत ऊंची होना चाहिये और संसार में तो है भी। प्रश्न यह है कि क्या अपने देश में हमने उनकी उतनी प्रतिष्ठा की है। संकल्प का आशय न केवल इस प्रकार की आर्थिक सहायता का है, मैं तो कहता हूं कि आर्थिक सहायता से भी अधिक हमें अपने सैनिकों की प्रतिष्ठा और सम्मान करने का कुछ रूप देना चाहिये। उसके सुझाव के तौर पर मैं कुछ बातें पेश करता हूं। आज हमारे जिले जिले में पंचायत घर बने हुये हैं, गांधी चबूतरे बने हुये हैं, क्या यह उपयुक्त स्थान नहीं है जिनमें कि उस गांव या उस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के नाम लिखे जायं, जिससे उन गांधी चबूतरों पर या उन पंचायत घरों पर उनके स्थायी स्मारक रहें ? क्या यह उचित नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के नाम पर कोई प्रति वर्ष सम्मेलन हो, जिसमें हमारे ऊंचे से ऊंचे कार्यकर्ता सम्मिलित हों और उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करें ? उसमें हमारे मंत्रि गण भी जायं और ऊंचे नेता भी जायं और कार्य कर्ता भी जायं। रही बात आर्थिक सहायता की। मेरा खयाल यह है कि आर्थिक सहायता बहुत कुछ रुपये पैसे के अलावा व्यवस्था से भी हो सकती है। हमें कोई इस प्रकार का प्लान बनाना चाहिये था। कोई ऐसी व्यवस्था बांधनी चाहिये थी, जिससे उन लोगों को जो दुखी हैं, पीड़ित हैं जो असमर्थ हैं ऐसे लोगों को सहायता पहुंच सकती। कुछ अभाव रहा। हमें इस प्रकार की व्यवस्था सोचनी है जिस तरह से हमने अपने शरणार्थी भाइयों के लिये यहां अपने प्रांत में कुछ किया। कम से कम उसी प्रकार का कुछ स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के लिये भी करना उचित था। शरणार्थी भाइयों के लिये यदि कोई उचित व्यवस्था सोची होती तो बजाय इसके कि वह शहरों में आकर एकत्रित हो गये। वह कस्बों और गांवों में जा सकते थे और जनसंख्या का कुछ अच्छा वितरण हो सकता था और हमारे छोटे गांव और कस्बे कुछ बढ़ सकते थे, लेकिन उनके बारे में भी हम चूक गये, इसी प्रकार से हम इसमें भी चूक गये। जिस समय खाली भूमि का बटवारा हम कर रहे थे तो प्राथमिकता हमें देनी चाहिये थी उन असमर्थ सैनिकों को, उन निर्धन सैनिकों को जिनका कोई सहारा नहीं था, लेकिन भूमि वितरण के समय भी इस बात का ध्यान हमें नहीं रहा। विनोबा जी ने भूमिहीनों को तो भूमि देने की बात बाद में उठायी। हमारे यहां गांव समाज की स्थापना के समय जमींदारी उन्मूलन के समय यह समस्या आयी थी कि गांव की खाली भूमि किसको उठायी जाय और उस समय पहला हक हमें अवश्य देना चाहिये था स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को। हमने किया यह कि तराई और भाबर की जो जमीनें बांटी, उनमें कुछ हमारे वह भाई गये, लेकिन पूर्व वक्ता ने बतलाया है कि वहां जाकर तो उन्होंने अपना रुपया खोया ही है। किसी प्रकार की सहायता प्राप्त होने के बजाय वे और कठिनाइयों में पड़ गये। इस प्रकार की कठिनाइयों में पड़ गये हैं कि उन भाइयों का कोई पेशा न होते हुए भी, धन न होते हुए भी उनको कुछ परमिट्स दे दिये गये। अभी हमने जो सहायता का रूप सुझाया वह असल में सहायता नहीं हुई और हमारे भाई आज भी बड़ी कठिनाई में पड़े हुए हैं। यह हम सब अपने अपने स्थान के अनुभव से जानते हैं। जो इस समय पुनः हमने आवेदन पत्र मांगे हैं राजनीतिक पीड़ितों के सहायता के लिये उसमें एक दफा हमने आशा बहुत ऊंची उठा दी है। आज प्रान्त में लगभग १३,००० से ज्यादा आवेदन पत्र पहुंच चुके हैं, जब कि सचमुच ऐसे लोगों की संख्या जो इस समय बड़ी कठिनाई में पड़े हुए हैं बहुत अधिक है। आप उन १३,००० में ५००–७०० को शायद सहायता दे देंगे तो यह भी एक गलती हो रही है। हमने आशा पैदा की। लोग दौड़े धूपें, परिश्रम करें और फिर

सारे के सारे निराश हो जायं। मेरा सुझाव यह है कि इतनी बड़ी तादाद में एक संभावना और आशा पैदा करके बड़ी तादाद में हमें सहायता पहुंचानी चाहिये। यह सिद्धान्त बिलकुल सर्व-मान्य है कि सहायता दी जाय, केवल उन्हीं को जो असमर्थ हैं, निःसहाय हैं, वृद्ध हैं, हीन दीन हैं। समर्थ को सहायता देने की आवश्यकता नहीं। हमारे अधिकांश भाई उसकी आशा भी नहीं रखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी जो असमर्थ और असहाय हैं जिले में १० से तो अधिक ही हैं।

प्रत्येक जिले में कहा गया १०,१० को सहायता दे देंगे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या तो अधिक है और जब हम सहायता देने की बात सोचते रहे हैं तो फिर उसको साहस करके, उदार हृदय से ऐसे सब लोगों को सहायता पहुंचानी चाहिये जो सहायता के पात्र हैं और जो वास्तविक रूप से असमर्थ हैं और असहाय हैं। अभी हमारे भाई उपाध्याय जी ने कहा कि उनके जिले में कुछ ऐसे लोग पेंशन पा गये जो हट्टे कट्टे हैं, किसी प्रकार की सहायता के पात्र नहीं है। मुझे नहीं मालूम ऐसा कहीं कोई उदाहरण हो गया हो, लेकिन मैंने कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखा। अभी तक यही उदाहरण देखे हैं कि कोई अन्धा था, कोई वृद्ध था, रोगी था या असहाय था, उनको ही सहायता मिली है और इस समय भी जो उस पर कार्य हो रहा है मुझे मालूम है कि पूरे तौर से छानबीन करके कार्य हो रहा है। जिस अधिकारी के सुपुर्द आपने यह काम किया है, वह अपने कार्य को जानते हैं, उनके हृदय में दर्द है और ऐसे लोगों को छांट रहे हैं जो सचमुच उसके अधिकारी हैं और पात्र हैं। कोई अंदेशा मुझको ऐसा नहीं मालूम होता कि गलत लोगों को सहायता मिल जायेगी। अंदेशा तो इस बात का है कि जो सहायता के पात्र हैं उनमें बहुत से लोग वंचित रह जायेंगे और उसमें हमको यह सावधानी रखनी चाहिये कि वह वंचित न हों। केवल एक प्रश्न और। हमारे कई भाइयों ने यहां प्रश्न उठाया है कि जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है उसमें किसी प्रकार का कंसीडरेशन राजनीतिक पीड़ितों या किसी अन्य के लिए नहीं होना चाहिए। ऐडमिनिस्ट्रेशन में योग्यता और अनुभव का प्रमुख ख्याल होना चाहिए। लेकिन साथ में जहां हमारे भाई ऐसे हैं, संग्राम के सैनिकों में जिनमें योग्यता भी है, कार्यक्षमता भी है और एक विशेष प्रकार का अनुभव भी है अगर उनको हम उन स्थानों पर बिठा सकें तो सचमुच ही हमारे शासन का स्तर ऊंचा उठ सकता है और जिस प्रकार का कार्य हम करना चाहते हैं शासन के द्वारा, उसमें अधिक सफलता मिल सकती है। हमारा शासन किस प्रकार का काम करना चाहता है, उसकी निष्ठाएं और मान्यताएं कुछ हैं। लेकिन वह इसलिए सफल नहीं होता कि उसके काम करने वाले अधिकारी इस प्रकार के नहीं मिलते। अगर आप ऐसे आदमियों को जो योग्य और अनुभवी थे उन स्थानों पर बिठा सकते तो सचमुच आपकी नीति ज्यादा सफल हो सकती थी। एक उदाहरण की बात मैं कहता हूं। हमारे मुख्य-मंत्री पंत जी ने एक अपील जारी की थी सेक्रेटेरिएट में कि वह आशा करते हैं कि जिस अर्थनीति को हमारा देश मान रहा है उस अर्थनीति के प्रतीक स्वरूप हमारे देश के अधिकारी भी खादी को अपनायेंगे। कोई आदेश नहीं दिया था, लेकिन एक अपील थी। आज कितने अधिकारी ऐसे हैं जिनको वह अपील सम्बोधित की गई थी उस पर अमल किया। कारण यह है कि उनकी मान्यताएं, उनकी निष्ठाएं वह नहीं हैं। इसलिए जो नीति का कार्यक्रम आप चलाना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप व्यवस्थाएं रखना चाहते हैं अपने शासन के द्वारा, वे सफल नहीं हो पाती। यह सबसे बड़ी दलील है कि अगर कुछ स्थानों पर आपके आदमी होते जिनकी निष्ठाएं, जिनकी मान्यताएं वही होतीं और जिनमें योग्यता भी होती तो निश्चित रूप से आपकी नीति सफल हो सकती।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—मेरा प्रस्ताव यह है कि इस प्रस्ताव पर साढ़े चार बजे बहस समाप्त कर दी जाय।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—मेरा प्रस्ताव है कि इसमें टाइम बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। सुन लिया।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, जिस भावना से प्रेरित हो कर माननीय शुक्ल जी ने इस प्रस्ताव को सदन के सामने रखा है उसकी मैं कद्र करता हूं और मैं ही क्या इस तरफ और उस तरफ जो भी ऐसे भाई हैं जिनका कि हमारे पिछले आन्दोलनों से किसी प्रकार सम्बन्ध रहा है, वह सभी कद्र करते होंगे। लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि यह प्रस्ताव पेश न होता तो अच्छा था। इस विषय पर हम लोग अच्छा था कि आपस में इनफार्मली बात कर लेते। यह मैं इसलिए कहता हूं कि यद्यपि कई माननीय सदस्यों ने ऐसा कहा कि इस प्रस्ताव का समर्थन प्रत्येक व्यक्ति करता है परन्तु दुर्भाग्य से इस देश में ऐसा है नहीं। हम जानते हैं कि ऐसे भी दल हैं जहां जिनका यह कहना है कि देश को जो स्वाधीनता प्राप्त हुई वह कांग्रेस जनों के परिश्रम से जो १९२१ से ले कर १९४२ तक के आन्दोलनों में शरीक हुए थे, हासिल नहीं हुई। मैंने खुद एक अखबार देखा है, अंग्रेजी का। सुनता हूं कि वह बहुत लोकप्रिय है क्योंकि उसकी कई हजार प्रतियां बिकती हैं। मैंने करीब करीब हर बड़े स्टेशन पर उसको बिकते देखा है। मैं उसका नाम नहीं लेता, व्यर्थ है। उसमें मैंने यह लिखा देखा है कि इस देश का सबसे बड़ा अपमान यह है कि एक मरे हुए बुड्ढे को इस देश का राष्ट्र पिता कहना, एक डेड ओल्ड मैन, उसको फादर आफ दि नेशन कहना और उन्होंने लिखा है कि इससे बढ़ कर झूठी बात हो नहीं सकती कि जो आन्दोलन चले १९२१ से १९४२ तक और जिनका नेतृत्व कांग्रेस ने किया उनकी वजह से देश को स्वाधीनता मिली। उसमें लिखा है कि अंग्रेजों को किसी कारण से इस देश में शासन करने का शौक नहीं रहा, वह जाना चाहते थे और चले गये। भिखमंगों की तरह समुद्र के किनारे कुछ कांग्रेस वाले खड़े थे, उन्होंने कुंजी फेंक दी और उनके हाथ लग गई। तो यहां ऐसे अखबार और उनके पढ़ने वाले कई हजार लोग हैं और मैं सुनता हूं कि उस अखबार में एक बार नहीं अनेक बार ऐसी चीजें निकला करती हैं। तो मैं समझता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रश्न यहां लाना बेकार हो जाता है। ऐसा करने से ऐसे लोगों को यह कहने का मौका मिल जाता है कि अंधा रेवड़ी बांटता है और बार बार अपने घर वालों को ही बांट लेता है। यहां यह लोग बैठे हैं और अपना विचार खुदही कर लेते हैं। जहां तक भावना की बात है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती जिसके लिये यह प्रस्ताव रखा गया है। जिन लोगों ने आन्दोलनों में हिस्सा लिया उनकी देश भक्ति या उनके त्याग कोई मूल्य नहीं हो सकता। किसी इनाम की आशा से उन्होंने इस नाव पर पांव नहीं रखा था और हम चाहे जो कुछ भी करें उनके त्याग को, उनके बलिदान को हम कभी चुका नहीं सकते, कभी उनके अहसान से हम उऋण नहीं हो सकते। जो कुछ हम करते या करने की कोशिश करते हैं वह तो केवल थोड़ा सा जो हमारा कर्त्तव्य है या उनके प्रति उस कर्त्तव्य को पालन करने का एक हल्का सा, थोड़ा सा प्रयत्न है और कुछ नहीं।

इस प्रस्ताव में लिखा गया है कि जो सहायता उनको दी जाय वह इसलिये कि वह निश्चिन्त होकर लोक सेवा, देश सेवा कर सकें। करें, यह उनकी उदारता है लेकिन हम इसलिये सहायता नहीं देते हैं कि वह देश सेवा में लगें और यह तो कभी भूल कर हमारा ख्याल नहीं है कि किसी को कुछ सहायता दी जाय और उसका परिणाम यह हो कि वह कांग्रेस गवर्नमेंट का या कांग्रेस का भक्त हो जाय। बहैसियत कांग्रेस जन के शायद मुझे खुशी हो, लेकिन कांग्रेस जन आगे चलकर कोई रहे या नहीं कांग्रेस गवर्नमेंट के प्रति उसकी भक्ति रहे या नहीं, लेकिन अगर हमारे साथ वह स्वतंत्रता संग्राम का एक सैनिक रहा है तो उसके प्रति जो हमारा कर्त्तव्य है, जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को व्यक्त करने का एक हल्का सा साधन हमारे पास है। उससे काम लें और हम जो कुछ करते हैं उसमें हमारा यही भाव है।

इसमें दो बातें कही गई हैं। एक तो सूची बनाने की बात जो है यह तो ऐसा लगता है कि सचमुच जैसा कि कुछ और मित्रों ने और उपाध्याय जी ने भी कहा कि हमसे गलती हुई

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और देशों में जहां स्वाधीनता का आन्दोलन तलवार के बल पर चला, वहां जिनके पूर्वज इन आन्दोलनों में शरीक हुये थे उनमें किसी के पास उनकी तलवार रक्खी है, किसी के पास बंदूक रक्खी है या और कोई हथियार है। तो उनके पास पुश्त दर पुश्त के लिये एक चीज है जो उनको स्प्रिट देती है और यह याद दिलाती है कि अमुक अमुक व्यक्ति लड़ाई में शरीक हुआ था। हमारा आन्दोलन जो हुआ उसके संबंध में किसी के पास एक पर्चा भी नहीं मिलेगा कि किसी घर का कोई आदमी शरीक हुआ था। मैंने पढ़ा था यूनाइटेड स्टेट्स में, जब उनका ४ जुलाई को स्वाधीनता उत्सव होता है तो वहां के सन्स आफ दी रिवोल्यूशन और डाटर्स आफ रिवोल्यूशन के वंशज आज भी एक उत्सव मनाते हैं, पार्टी देते हैं। लेकिन हमारे यहां जो उत्सव होगा, उसमें किसी के पास कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो उनको स्प्रिट दे सके। गलती हो गई, लेकिन हो गई और मैं नहीं जानता कि अब इस तरह की कोई सूची बनाना संभव है या नहीं और गवर्नमेंट के लिये तो यह काम बहुत कठिन है।

जो अपने खुद के रिकार्ड्स गवर्नमेंट के हैं वे बहुत ही अधूरे हैं। जो जेल के पुराने कागज होते हैं वे वीड आउट हो जाते हैं, इतने दिन नहीं रह सकते। कोशिश हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि राजनीतिक संस्थायें इसमें ज्यादा सफल हो सकती हैं। और भी कुछ कारण हैं। जैसे कुछ मित्रों ने कहा कि कुछ लोग ऐसे थे आन्दोलन के जमाने में जिनसे कहा गया कि आप आन्दोलन में मत आइये, आप पीछे रह कर काम कीजिये, फिर कुछ अन्डर ग्राउन्ड काम करने वाले थे, तो उनका कैसे पता गवर्नमेंट लगा सकती है। बहरहाल जो कोशिश करें, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टीज कोशिश करें तो अब भी बहुत कुछ सूची बन सकती है। हमारे यहां तो उन वीर पुरुषों की कोई यादगार ही नहीं। हमने एक बात तय की है उत्तर प्रदेश में कि जब से हमारे प्रदेश में अंग्रेजी राज्य कायम हुआ तब से जो लड़ाइयां हुई हैं उनकी कुछ प्रतीक स्वरूप जो चीजें हुई हैं उनकी यादगार बनायी जायं, यानी सन् १८५७ के पहले चेत सिंह, सन् १८५७ में रानी लक्ष्मी बाई और नाना साहब और तांतिया टोपे, सन् १८५७ की यादगार हैं और सन् १९२१ से लेकर सन् १९४२ तक की यादगार बनाने का हमने तय कर लिया है, इसमें कुछ कार्य हो रहा है, कुछ कलाकार कार्य कर रहे हैं उसका एक ठिकाने का रूप जब बन जायगा तो सदन के सम्मुख आ जायगा।

अब सवाल आता है सहायता का। सहायता के संबंध में एक जरूर मुश्किल प्रश्न होता है कि किसको राजनीतिक पीड़ित कहा जाय। मैं भी मानता हूं, मैं माननीय उपाध्याय जी से इस बात में सहमत हूं कि पोलिटिकल सफरर बहुत अच्छा शब्द नहीं है। काम चलाने के लिये एक व्यावहारिक ढंग से तो ऐसा मान लिया गया था जो आन्दोलन के सिलसिले में ६ महीने के लिये जेल गये हों। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इधर हमने इस व्याख्या को बहुत कुछ चौड़ा कर दिया है, यहां तक कि जो लोग कि खास तौर से इस सिलसिले में जेल नहीं गये थे जैसे मैनपुरी केस के लोग, उनके घर वालों को भी हमने शरीक कर लिया है, इतना मैं और कह देना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि हमने केवल कांग्रेस वालों के लिये किया हो यह हमारा एक क्षण के लिये भी इरादा नहीं था। इस बात की तरफ ध्यान दिलाया गया कि फौर्म में कांग्रेस पार्टी का जिक्र है। वह केवल सुविधा की बात थी और वह इसलिये थी कि जो लोग पोलिटिकल सफ़रर हैं उनमें से अधिकांश लोग कांग्रेस में हैं, लेकिन बहुत से लोग और दलों में हैं। इसके लिये माननीय सदस्य देखेंगे कि उसमें यह बातें भी लिखी थीं कि कांग्रेस कमेटी का सर्टिफिकेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट हो या कोई दो सज्जन जो उसके साथ जेल में रहे हों या किसी एक प्रतिष्ठित आदमी के दस्तखत हों। केवल कांग्रेस कमेटी के सर्टिफिकेट की उसमें शर्त नहीं है। अब कितनी पार्टियां हैं इस वक्त यह कहना मुश्किल है। हम सब जानते हैं कल तक प्रजा समाजवादी पार्टी थी अब एक पार्टी उसमें से और बन गई, जिसको माननीय राजनारायण जी सुशोभित करते हैं। तो इसलिये हमने कहा कि ऐसा कर देना चाहिये कि किसी आदमी का

[डाक्टर सम्पूर्णानंद]

काम इस वजह से न रुक जाय कि वह कांग्रेस कमेटी का किसी कारण से सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर सकता ।

दूसरी बात यह है कि कितने आदमियों को सहायता दी जाय । यह बिलकुल सही है यह एक ऐसा काम है जिसको हमने उठाया । हम जानते थे कि बहुत कुछ बदनामी इसमें हो सकती है, लेकिन इसका इतिहास मालूम है सबको । जब यह गवर्नमेंट आयी तभी इस काम को लिया गया कुछ तारीख तय कर दी गई कि फलां तारीख तक जो लोग सर्टिफिकेट भेज देंगे उनको पेंशन दी जायगी, दी भी गई । बहुत से लोग ऐसे भी थे, जिनके आत्मसम्मान ने इस बात को बरदाश्त नहीं किया, अब हमने देखा कि कई लोग कष्ट में हैं । और तारीख बीत गई । अब उनकी समझ में बात नहीं आती कि हम क्या करें । तो फिर हमने यह उचित समझा कि हम इस काम को लें । माननीय शुक्ल जी का यह ख्याल है कि उनका प्रस्ताव आने के बाद, उनके प्रस्ताव की वजह से हमने इस काम को शुरू किया, बहरहाल यही बात सही । तो हमने इस काम को अपने हाथ में लिया और एक विशेषाधिकारी नियुक्त किया, जिनकी बाबत कि सभी लोग तारीफ करते हैं कि वह इस काम को ठीक से कर सकते हैं । अब तक दस हजार दरख्वास्तें आ चुकी हैं । इनमें से दस हजार में से शायद छानबीन करने के बाद बहुत कुछ सहायता के पात्र न रह जायं । इसमें हमने रुपये पैसे की कोई शर्त नहीं रखी है । इस वक्त ३ लाख रुपये से यह काम हो रहा है । लेकिन अगर इसका दुगुना, तिगुना या चारगुना भी खर्च हो जायगा तो भी प्रहम रुकने वाले नहीं हैं । दरख्वास्तों की छानबीन करने में समय लगता है, उसमें न यरिटी देने में भी समय लगता है । हमने इस वक्त यह तरीका रखा है । मसलन मई जून के महीने में शादियां बहुत हुईं, ज्योतिषियों ने कुछ ऐसा कह दिया कि अगले साल, डेढ़ साल क शादियों की लगन नहीं है, इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत शादियां इस साल हुई, हमने यह किया कि जहां लड़की की शादी की दरख्वास्त आयी, हमने उनको सबको फौरन रुपया दिया । दो तीन दिन पहले भी शादी से, जिनकी दरख्वास्त आयी उनके लिये भी जिला मैजिस्ट्रेट को या वहां के किसी बड़े आदमी को फोन करके कहा कि तुम इनको इस वक्त रुपया दे दो । बाद को इनका रुपया भेज दिया जायगा । जो दरख्वास्तें बच गई हैं, उनमें हमने निश्चय किया है कि सबसे पहले उन लोगों की दरख्वास्तों को लेना चाहिये और दस आदमी का कागज इसीलिये माननीय सदस्यों के पास आया कि हर एक जिले में जो सबसे अधिक डिजर्विंग केस हैं, उनको तो दे ही दी जाय । कुछ लोगों की दरख्वास्तें तो ऐसी हैं कि अच्छी खासी रकम वह चाहते हैं रोजगार के लिये, ऐसे लोगों की दरख्वास्तों को हम पीछे लेंगे । मैं नाम नहीं लूंगा, एक जिले से एक दरख्वास्त यह आयी है कि उन्होंने एक लाख रुपये की मांग की है । तो वह तो खैर, हमारे सामर्थ्य की बात नहीं है । लेकिन ऐसी दरख्वास्तों को हमने सबसे पीछे डाल रखा है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि कितनी रकम हम उनको दे सकेंगे । थोड़े में जो सहायता देने का क्रम है उसे मैं सदन के सामने रखता हूं । एक चीज का जिक्र आता है । लड़कों की पढ़ाई लिखाई के लिये स्कालरशिप का । यह माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि आज से कई वर्ष पहले यह चीज शुरू हुई थी । उस वक्त तो हमने एक थोड़ी सी रकम रखी थी परीक्षा के तौर पर । वह बराबर बढ़ती आयी है इस वक्त तक । लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह रकम अपर्याप्त है । इस प्रश्न पर भी माननीय शिक्षा मंत्री जी विचार कर रहे हैं कि जो पोलिटिकल सफरर्स के घरों के लड़के हैं उनको क्या, फ्री किया जा सकता है ? इसमें कुछ देर लग सकती है, लेकिन यह फैसला हमने कर लिया है कि जो रकम रखी गई है उसको डबल तो हम किये ही देते हैं, उससे अच्छे खासे लोगों की हम सहायता कर सकेंगे और मुझे विश्वास है कि इस काम के लिये सप्लीमेंट्री डिमांड्स के साथ में, जब हम इस सदन के सामने आवेंगे तो यह सदन उसे उदारता के साथ स्वीकार करेगा । इससे कुछ थोड़ा सा अन्दाज हो जायगा कि हम किस दिशा में चलना चाहते हैं और क्या हमारे विचार हैं । जहां तक प्रस्ताव की बात है, उससे कोई विरोध तो है नहीं, उसका हम समर्थन करते हैं और मैं आशा

करता हूं कि गवर्नमेंट जिस तरीके से इस काम को करना चाहती है, सदन हर प्रकार से उसको स्वीकार करेगा ।

श्री सीताराम शुक्ल---माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका ख्याल था, जो अरमान थे, जो विचार थे, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना वक्तव्य देकर उससे हम लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब उसके बाद में बोलने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हमारे उपाध्याय जी ने एकाध बात कही थी, कुछ माननीय विकल जी ने भी कही थी, उन पर कुछ रोशनी डाल देना अनावश्यक न होगा। आपने फरमाया था कि कोई पोलिटिकल सफरर पेंशन नहीं लेना चाहता। यह उसकी शान के खिलाफ है। उसे काम दिया जाय। पेंशन उसको नहीं चाहिये। ठीक है मैं जानता हूं कि आजादी की लड़ाई में जो गये थे, वह क्या यह सोचकर गये थे कि हम आजादी ले लेंगे । वह तो यह सोचकर गये थे कि गोली मार दी जायगी, हम मर जायेंगे। वह तो इसलिये गये थे कि वहां हम बंदूक की गोली के शिकार होंगे तब हमारे नाती और पोतों को स्वराज्य मिलेगा ।

"न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं ना पुनर्भवम् ।
कामये दुःखतप्तानां प्रणिनामार्त्ति नाशनम् ।।

न स्वर्ग चाहिये, न मोक्ष चाहिये, न राज्य चाहिये। सिर्फ दुखियों के दुखों को दूर करना चाहते थे किन्तु उन्होंने अपनी आंखों से स्वराज्य देख लिया यही क्या कम है। इसलिये वह नहीं चाहते कि वे पैसे की मदद मांगें। यह तो हुई उनकी बात। मगर सरकार का क्या फर्ज है ? और जैसा हमारे मुख्य मंत्री महाराज ने फरमाया, बहुतों ने दरख्वास्त नहीं दी, गरीबों की जिन्दगी बसर कर रहे हैं, सिफारिश नहीं करवाना चाहते हैं, उनके बच्चों की फीस लग रही है। वे कहते हैं कि यह क्या कम है कि हमने आजादी देख ली। एक पहलू यह है। दूसरा पहलू है आपका क्या फर्ज है, पब्लिक का क्या फर्ज है। जब वे जेल जाते थे तो पब्लिक चुपके से चन्दा करके उनके घर दे आया करती थी। लेकिन अब आपका फर्ज है कि इमदाद कीजिये। हमारे विकल जी ने फरमाया कि इस वजह से हम नहीं देना चाहते हैं कि उन पर एहसान होगा। ठीक है, लेकिन हर चीज का पहलू होता है। एक पहलू यह है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिये। दूसरा पहलू यह है कि वे हमारे भाई हैं। तीसरा पहलू यह है कि खिदमत कभी बेकार नहीं होती, बहुत से विरोधी दोस्त हो जाया करते हैं। हमारे पंडित मोतीलाल जी ने एक नेता से कहा कि वेल, मिस्टर रंगा, सिगरेट लो। सिगरेट पिला दी, वह उधर से इधर हो गये। हां, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पोलिटिकल सफरर फर्जी बन गये हैं। एक मिनट भी जेल नहीं गये, उन्हें जमीनें मिल गयी हैं। जरा इसकी भी जांच पड़ताल कीजिये। जहां मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि उनकी इमदाद कीजिये, वहां मैं यह भी कह रहा हूं कि खूब जांच पड़ताल भी कीजिये, क्योंकि चार सौ बीसिये हर जगह पहुंच जाया करते हैं। उनसे बचना चाहिये।

तीसरी बात पोलिटिकल शायरों के बारे में है। आपसे अर्ज करता हूं कि जिन्होंने कवितायें लिखी हैं। जेल नहीं गये मगर शायरी लिखकर आजादी की लड़ाई में मदद की है। एक पोलिटिकल शायर सादिक अली साहब रायबरेली के हैं। वे उस वक्त शायरी करके आन्दोलन में बल दिया करते थे। आज उनको एक लीगी ने अपने मकान से निकाल दिया, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे भी आपके साथी हैं जिन्होंने लिख कर, शायरी करके, गाना गाकर हमें मदद पहुंचाई है। तो ऐसे लोगों का भी सरकार को ख्याल करना चाहिये।

हां, एक साहब ने कहा था कि पोलिटिकल सफरर्स काम कुछ नहीं करते, सरकारी नौकरी दी जाती है तो काम ठीक नहीं करते, बात सही है। वह बंधन में रहने के आदी नहीं हैं, उन्होंने हुक्म मानना नहीं सीखा, वे कैसे कहना मान जायं ? इसलिये मेरी गुजारिश है कि उनको सिर्फ इंफारमेशन डिपार्टमेंट दे दिया जाय। जिन्दगी भर प्रचार करते आये हैं इसलिये वे प्रचार कार्य अच्छा कर सकते हैं। ऊपर से नीचे तक उन्हीं के आदमी रखिये। यह वाजह रहे कि अगर

[श्री सीताराम शुक्ल]

पोलिटिकल सफरर कहीं हो जाता है तो नीचे के भी अफसर और ऊपर के भी अफसर यह चाहते हैं कि वह न रहने पाये वहां। इसलिये मेरी गुजारिश है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब पोलिटिकल सफरर्स ही इन्फारमेशन डिपार्टमेंट में रहें। अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हूं कि वे भी कामयाब होंगे और आपको भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। बस, अगर आपने इस तरह से सहायता की तो उनको भी आराम मिलेगा, आप भी आराम से रहेंगे, मुल्क भी आराम से रहेगा और संसार को भी आराम पहुंचेगा।

श्री अध्यक्ष—इस पर राय लेनी है।

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि राज्य के राजनीतिक पीड़ितों की एक सूची तैयार की जाय और उन्हें समुचित पेंशन दी जाय ताकि वे आर्थिक कठिनाइयों से निश्चित होकर देश सेवा कर सकें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाकू मानसिंह के पुत्र सूबेदार सिंह के मारे जाने का समाचार

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता था। कल सुबह मानसिंह के संबंध में प्रश्न पूछा गया था कि और खबर क्या है? खबर आई है और मालूम हुआ कि जो लाशें मिली हैं उनमें मानसिंह के लड़के सूबेदारसिंह की लाश भी है। वह भी मारा गया।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, सुबह जो अखबार में निकला था वह ठीक है कि मानसिंह मारा गया?

श्री अध्यक्ष—मानसिंह का लड़का सूबेदार सिंह भी मारा गया यह बात कह रहे हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—मानसिंह के बारे में जो अखबार में निकला है कि जो मानसिंह मारा गया है क्या वह वही मानसिंह है या नहीं, इस संबंध में क्या खबर है?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा था कि मानसिंह ही मारा गया।

गोवंश के वध पर अन्तरिम प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में संकल्प

श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प यहां पर प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि गोवंश के वध पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये गोसंवर्द्धन जांच समिति के प्रतिवेदन पर अतिशीघ्र विचार करके तदर्थ अधिनियम बना दिया जाय और जब तक उक्त अधिनियम लागू न हो तब तक के लिये अभी से गोवंश के वध पर अन्तरिम प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।"

श्रीमन्, यह गोसंवर्द्धन जांच समिति की जो स्थापना की गयी थी, इस सदन में १२ दिसम्बर, १९५२ को यह आश्वासन दिया गया था और उसके बाद जब जांच की गयी थी, इसके संबंध में दौरा किया गया। लगभग २५,००० रुपये व्यय हुये और यह सब करने के बाद गोसंवर्द्धन जांच समिति की जो रिपोर्ट निकली, उस प्रतिवेदन के ऊपर भी विचार करने के लिये तभी से प्रयत्न किया गया। अब आवश्यकता यह है कि सरकार इस बात पर विचार करे कि जब तक वह अधिनियम गोरक्षा वाला न बन जाय तब तक गोवंशवध अर्थात् गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय। मेरा यह पक्का विचार था और मैंने अन्य भाषणों में इस बात पर जोर दिया है कि यदि हमारी ये गोमातायें, यह लोक हितकारी गाय जो हैं उसका तथा उसके जो वंशज हैं उनका विनाश जारी रहेगा और अधिनियम बनने में समय लगेगा तो कठिनता यह होगी कि तब तक पता नहीं कि कितनी गायें कट जायं। मैं यह जानता हूं कि गोवध पर अनेक म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट

बोर्डों में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, फिर भी अब भी कुछ ऐसे अनेक स्थान हैं जहां गोवध होता है। इसलिये इसकी अनिवार्य आवश्यकता समझ कर मैंने यह संकल्प निर्मित किया और प्रयत्नशील रहा कि किसी न किसी प्रकार से गोवध बन्द हो। मैं यह भी जानता हूं कि अब हमारे यहां सदन में गोवध बन्दी के लिये गोवध निवारण विधेयक उपस्थित किया जा रहा है और मैं सदन से अपना यही विचार रखता हूं और मेरा यह हार्दिक विचार है कि गोवंश की रक्षा हो और उससे देश और संसार का कल्याण होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी दलबन्दी या किसी और कारणवश यहां बात नहीं रखता हूं। मैंने जब-जब यहां उनके लिये संकल्प भेजा, कई बार आया, कुछ ऐसे कारण हुये कि यहां पर प्रस्तुत न हो सका। इस बार मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहां इसका अवसर आ सका, लेकिन मैं यह जानता हूं कि शीघ्र ही गोवध निवारण विधेयक आयेगा। मैंने २९ जनवरी, १९५५ को जो गोवंश संवर्द्धक विधेयक शलाका में भेजा था और जो कि यहां पर ११ फरवरी को कार्यसूची में आया, उसके संबंध में मुझसे यह पूछा गया कि ऐसी स्थिति में जब कि सरकार स्वयं गोवध निवारण विधेयक ला रही है, इस की आवश्यकता होगी या नहीं? इसको वापस लेंगे? तब मैंने विचार किया और निश्चित किया कि उचित यही है कि जब सरकार की ओर से विधेयक आ गया है और मैंने यह सोचा कि मैं इसमें इस बात का अधिकार रखता हूं कि संशोधन दूं तो मैंने यह उत्तर दिया कि मैं अपने संशोधन दूंगा और मैं समझूंगा कि इसमें संशोधन पर्याप्त होगा तो मैं इसको वापस कर लूंगा और इसके लिये आग्रह नहीं करूंगा। मुझे हर्ष है कि गोवध निवारण विधेयक विचारार्थ आने वाला है और मैंने अपने संशोधन भेज दिये हैं। ऐसे समय में मैंने उसको आवश्यक नहीं समझा और इसके नोटिस को वापस ले लिया। लेकिन गोवध को रोकने के लिये कोई अंतरिम प्रतिबन्ध लगना चाहिये। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाय क्योंकि विधेयक बनने में तो काफी समय लग सकता है।

लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे इस बात की भी चिन्ता है कि जब एक विधेयक उपस्थित हो गया है तो फिर कोई अध्यादेश उस संबंध में बन सकता है या नहीं, इसमें कोई कानूनी अड़चन तो नहीं पड़ेगी। मैं प्रार्थना करूंगा कि यदि यह संभव हो और अनियमित न हो तो ऐसा अवश्य किया जाय क्योंकि मेरा संकल्प २९ जनवरी, १९५५ का था और ११ फरवरी, १९५५ को आता, जब कि सरकारी विधेयक तैयार नहीं हुआ था और उस दिन सरकारी दिन हो गया इसके पश्चात् आज यह असरकारी दिन मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। असरकारी दिन का बहुत महत्व होना चाहिये क्योंकि सरकारी सदस्यों की अपेक्षा असरकारी सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है। मैंने एक बार तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री पंत जी से निवेदन किया था कि नाम तो इसका असरकारी दिन है, लेकिन इसका कुछ असर नहीं पड़ता और महीने में केवल दो दिन रखे गये हैं। अब सदस्यों की संख्या भी बढ़ गई है इसलिये असरकारी दिनों की संख्या बढ़नी चाहिये, लेकिन नहीं बढ़ी। मैं समझता हूं कि असरकारी दिन का महत्व बहुत अधिक होना चाहिये, क्योंकि प्रदेश के इतनी-इतनी दूर से लोग आते हैं तो उनको अपने विचार रखने का अवसर मिलना चाहिये।

इस असरकारी दिन को केवल चार संकल्प और दो विधेयक ही रखे जा सकते हैं। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि इन पर विचार करते समय बहुत समय लग जाता है। आज बड़े दिनों के बाद मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरी बारी आई। यह शलाका में भी आया। अब मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने विचार प्रकट करें कि यह हो सकता है या नहीं हो सकता। इसको वह स्वीकार कर सकते हैं या नहीं, यह नियमित है या नहीं। यदि अध्यादेश नहीं बन सकेगा तो ऐसी दशा में मैं आग्रह नहीं करूंगा। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय हो कि गोवध बन्द करने का कुछ प्रबन्ध किया जाय। यदि सरकार कोई प्रबन्ध कर सकी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और मुझको ही नहीं, बल्कि सभी को प्रसन्नता होगी और मैं सरकार को हृदय से धन्यवाद दूंगा। लेकिन यदि सरकार विवश हो, कोई कानूनी अड़चन पड़ती हो तो मुझे आग्रह नहीं होगा।

इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस मामले पर पहले विचार हो जाय कि अध्यादेश बन सकता है? बिना इसके निश्चित हुये सदन का समय लेना उचित नहीं है। अगर ऐसा हो

[श्री रणंजयसिंह]

सकता हो और सरकार प्रबन्ध कर सके तो मैं प्रार्थना करूंगा कि अधिक वादविवाद न हो और यदि यह नियमित न हो तो मैं आग्रह नहीं करूंगा। सरकार विचार करके ऐसा प्रबन्ध करे जिससे यह संकल्प कार्यान्वित हो सके। मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार ऐसा प्रतिबन्ध लगा दे जिस से गोवध तत्काल एकदम से बन्द कर दिया जाय, मैं समझता हूं कि इसकी अति आवश्यकता है। परन्तु मैं इतना अवश्य जानना चाहता हूं कि यह नियमित है या नहीं और अब अध्यादेश बन सकता है या नहीं ?

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो रणंजय सिंह जी का संकल्प है मैं इसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे देश के लिये गोवंश की जितनी उपयोगिता समझी गयी है, और.....

***श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, एक निवेदन है और वह यह है कि इस विवाद में कमी हो सकती है। आपकी आज्ञा से मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय रणंजयसिंह जी ने यह कहा कि यदि सरकार के सामने ऐसी आपत्ति हो कि जिससे अन्तरिम व्यवस्था न हो सके तो सरकार और माननीय मंत्री जी की राय जान ली जाय। उसके बाद वह तैयार भी हैं कि अगर सरकार को कोई कठिनाई हो तो वह इसको वापस लेने के लिये तैयार हैं। मैं समझता हूं कि पहले माननीय मंत्री जी की राय जान ली जाय और तब अन्य सदस्यों को मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने इसको पेश कर दिया है। तो अगर यह वापस भी होगा तो वह सदन की राय से ही होगा। अब तो मैं श्री बसन्तलाल जी को अवसर दे चुका हूं। मैं समझता हूं वह अपनी बात को ५ मिनट में ही खत्म कर देंगे।

श्री बसन्तलाल शर्मा—अध्यक्ष महोदय मैंने बारबार पहले भी इस बात के लिये कहा है कि मेरे नाम के आगे शर्मा जोड़ दिया जाय। ऐसा न होने की वजह से कभी-कभी मुझको मेरी स्पीच भी नहीं मिलती है।

श्री अध्यक्ष—यहां तो आप स्वयं मौजूद हैं तो यहां पर भ्रम नहीं होगा।

श्री बसन्तलाल शर्मा—मैं यह कह रहा था कि हमारे देश के लिये गऊ की जो उपयोगिता आर्थिक दृष्टिकोण से समझी जाती है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे इस वर्ष का जो सत्र आरम्भ हुआ था, राज्यपाल महोदय ने इस बात की घोषणा की थी कि गोवंश की रक्षा के लिये सरकार कदम उठाने जा रही है। उस समय उचित होता कि यह घोषणा भी कर दी गयी होती कि वह तुरन्त प्रतिबन्ध लगाने जा रही है तो यह और भी सुन्दर होता।

आज इसके आने में इतना बिलम्ब हो गया। गोसंवर्द्धन समिति की रिपोर्ट भी सदस्यों के पास पहुंच चुकी है। उसको देखने के बाद हमारी सरकार ने इस संबंध में एक बिल प्रस्तुत कर दिया है जो कि हमारे वर्तमान एजेंडे पर चढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में यह बहुत जरूरी है और हमारे देश के लिये लाभकर है। यदि हमारे राष्ट्र की किसी प्रकार से हानि हो तो हमारा यह कर्त्तव्य है कि अविलम्ब हम उसकी रक्षा करें और बचायें। यह संकल्प जो रणंजय सिंह जी ने पेश किया इसको मान लिया जाय तो इससे राष्ट्र की बहुत बड़ी बचत होगी। इस संकल्प के समर्थन में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र इस संकल्प को स्वीकार कर लिया जाय।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस सदन में अभी पेश किया गया है, उस संबंध में मैं इस मौके पर ज्यादा बात नहीं कहना चाहता। मेरी यह हार्दिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इच्छा है कि इस सदन के माननीय सदस्यों की राय हम सुन लें और उसके बाद फिर कोई मुस्तकिल राय मैं कायम करूंगा। उस वक्त मैं पूरे तौर पर जो कुछ भी कहना होगा कहूंगा।

*श्रीमती सफिया अब्दुल वाजिद (जिला बरेली)—आज जो यह प्रस्ताव आया है, मैं उसकी मुखालफत करने के लिये खड़ी हुई हूं। मैं यह जानती हूं कि यह प्रस्ताव मैजारिटी पार्टी के सेंटीमेंट के मुताबिक है। मुझे इससे पूरी हमदरदी है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह समझते हों कि मजहब ऐसी चीज है जिसको आदमी छोड़ सकता है।

इस वक्त हमारे सामने बड़ा सवाल यह है कि हमारे सेंटिमेंट और इंसाफ में झगड़ा पड़ता है। मैंने माना कि ज्यादातर लोगों के ख्याल पुरानी बुनयादों पर या पुराने सेंटीमेंट्स की बिना पर जरूर यह है कि गाय को बन्द कर दिया जाय।

श्री रणंजयसिंह—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव गाय को बन्द करने का नहीं है।

श्रीमती सफिया अब्दुल वाजिद—मेरा मंशा गाय को जिबह करने से ही है। इस मुल्क को हम सेक्युलर स्टेट कहते हैं, तो हमारे दिल में यह जजबात पैदा होते हैं और लोगों के दिल में यह ख्याल आता है कि सैक्युलर होने से यह वह मुल्क है, वहां हर कौम के आदमी को, हर मजहब के आदमी को पूरी मजहबी आजादी है। ख्वाह वह ईसाई हो, हिन्दू हो या वह मुसलमान हो या और किसी मजहब का हो हर शख्स को पूरी आजादी है कि अपने मजहब का पालन करे। मुसलमान या कुछ और ऐसे मजहब हैं जिनके यहां गाय का गोश्त जायज है। अगर आप कानून से इस चीज को रोकेंगे तो आप दुनिया में यह साबित कर देंगे कि कुछ मजहब के लोगों के जजबात का आपको अहसास नहीं है। उनके सेंटीमेंट्स की आप रेसपेक्ट नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि एक मौका ऐसा आया जबकि नौशेरवां को बुढ़िया की बात माननी पड़ी। बुढ़िया ने कहा कि वह अपनी झोपड़ी को नहीं छोड़ेगी हालांकि उसका शाही दस्तरख्वान से खाना भी मिलना तय हो गया था। उस इंसाफ पसन्द बादशाह ने उस बुढ़िया के जजबात की कद्र की और उसकी बात को कायम रखा। हम इस बारे में कानून बनाकर दुनिया के सामने यह जाहिर कर देंगे कि अखलाकी मामलों में हम कमजोर हैं। दूसरों के सेंटीमेंट्स को आप इस तरह से कानून बन कर न कुचलें। बल्कि उनसे मुहब्बत का बरताव कीजिये और दरख्वास्त कीजिये तो मुमकिन है कि वे इससे खुदबखुद दस्तबरदार हो जावें।

*श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—मैं रणंजय सिंह जी के संकल्प के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस बात से असहमत बहुत ही कम लोग होंगे कि गोवध बन्द न किया जाय। इस संबंध में तरह-तरह के आन्दोलन भी हुए और तरह तरह से जनता की भावनाओं को समझने की कोशिश की गई है। इस बारे में हमारे सदन में भी कई बार प्रश्न उठाये गये हैं जिनके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसने इस सवाल की जांच की। सारे प्रांत से कुछ आंकड़े जमा किये गये और उसके आधार पर उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट के आधार पर एक बिल बनकर हमारे सामने पेश है। हमारा देश कृषिप्रधान देश है और खेती का सारा कारबार बैलों से ही होता है। यह गोवंश से ही है। ऐसी हालत में खेती की उन्नति की दृष्टि से और दूध वगैरह की दृष्टि से हमें इस पर अधिक ध्यान देना चाहिये कि हमारा गोवंश क्षीण न हो और हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरे। कुछ दिनों से हमारे देश में गो की ओर कम ध्यान दिया गया, जिसके कारण कृषि और गोवंश की हालत क्षीण होती चली गई। जो रिपोर्ट गोसंवर्द्धन समिति ने पेश की है उसे देखने से मालूम होता है कि १८९९ में जब से ये आंकड़े पशुओं के जमा किये जाने लगे हैं तब से अब तक के पूरे आंकड़े देखने से पता चलता है कि गोवंश की वृद्धि नहीं हुई है। जबकि मनुष्यों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। उतने ही समय में गोवंश की संख्या में संभवतः ४० लाख की कमी हुई है और यह इस हमारी उपेक्षा के कारण से ही हुई है। गोवंश के ह्रास का नतीजा यह हुआ है कि हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ गयी है। हमारा देश कृषि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

प्रधान देश है। इसमें ज्यादा लोग खेती पर निर्भर करते हैं और अधिकतर लोग बैलों से ही खेती का काम लेते हैं और गाय के दूध पर ही उनका सारा जीवन निर्भर करता है। लोगों का तो यह मत है कि जितना गाय का दूध उपयोगी होता है उतना किसी दूसरे पशु का दूध उपयोगी नहीं होता। इतना ही नहीं गाय का गोबर और उसकी हड्डियां भी हमारे काम में आती हैं। जैसा कि अभी माननीय सदस्या ने कहा कि हम इसको एक धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं लेकिन जब हम उसको केवल आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि जिस चीज से हमारे देशवासियों को इतना लाभ होता है उसके विकास और उसकी उन्नति के लिये हमें जितना कुछ करना चाहिये, वह करना चाहिये। इसके प्रकाश में माननीय सदस्या ने जो कुछ कहा वह मुझे बिलकुल नहीं जंचा। उन्होंने कहा कि एक दूसरे संप्रदाय का भी ख्याल रखा जाय और उसका ख्याल करते हुए गोवध पर प्रतिबन्ध न लगाया जाय। उनका यह ख्याल निर्मूल है। गोवध बन्दी से किसी भी संप्रदाय को चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख या इसाई हो, किसी को भी हानि या नुकसान होने वाला नहीं है इस देश के सभी रहने वालों का उससे लाभ ही होगा।

श्री अध्यक्ष—अभी तो आप और अधिक समय लेंगे ?

श्री नागेश्वर द्विवेदी—जी हां।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता।

(श्री नागेश्वर द्विवेदी से) आपका भाषण अगले असरकारी दिन जारी रहेगा। अब हम उठते हैं और सोमवार, ५ सितम्बर, १९५५ को फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, ५ सितम्बर, १९५५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२६ अगस्त, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर)

उत्तर प्रदेशीय सरकार

श्रम (ख) विभाग

संख्या १६१६ (अ)/३६ (बी)—४०० (अ)-५०

लखनऊ, २० अप्रैल, १६५५

विज्ञप्ति

विविध

फैक्ट्रीज ऐक्ट, १६४८ ई० (१६४८ की ऐक्ट संख्या ६३) की धारा ४६, ५० तथा ११२ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके तथा फैक्ट्रीज वेलफेयर आफिसर्स रूल्स, १६४६, को अधिक्रान्त करके राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं जो उक्त ऐक्ट की धारा ११५ के अधीन २६ मार्च, १६५४ ई० की सरकारी विज्ञप्ति सं० ३४३६ (एल-एल)/३६ (बी) ४०० (एल-एल)/५० के साथ पहिले प्रकाशित किये गये थे :

RULES

1. **Short title**—These rules may be called the U. P. Factories Welfare Officers Rules, 1955.

2. **Commencement**—These rules shall come into force from the date of publication in the official *Gazette*.

3. **Appointment, grades and emoluments of Welfare Officers**—(1) The occupier of every factory wherein 500 or more workers are ordinarily employed shall appoint a Welfare Officer of the grade as hereinafter specified :

Grade I—For factories ordinarily employing 2,500 or more workers per day, in the scale of pay of Rs.500—50—1,000—E.B.—50—1,200 p.m. as basic pay.

Grade II—For factories ordinarily employing from 1,000 to 2,499 workers per day, in the scale of pay of 250—25—400—E. B.—30—700— E. B.—50—850 p.m. as basic pay.

Grade III—For factories ordinarily employing from 500 to 999 workers per day, in the scale of pay of Rs.200—10—250—E.B.—15—400 p.m. as basic pay.

4. The occupier of a factory, in which 2,500 or more workers are employed, shall, in addition to the Welfare Officer provided in rule 3, appoint an additional Welfare Officer of grade III.

5. The Appointment, when made, shall be intimated by the occupier to the State Labour Commissioner, giving full particulars about the officer appointed, including his qualifications.

6. Notwithstanding anything contained in rule 3, the grade of a Welfare Officer may be revised and his pay refixed in the appropriate grade by the State Government whenever there is such increase or decrease in the number of workers of the factory as to justify a revision of the grade.

7. **Subordination**—The Welfare Officer shall be subordinate to the General Manager of the factory and work under his direct control. An additional Welfare Officer shall work under the Welfare Officer.

8. **Status**—The Welfare Officer shall have the status of an officer of the factory and shall be governed by the same rules in regard to dearness allowance, bonus, provident fund, leave, housing, medical and other facilities as are applicable to officers of similar status and grade in the factory.

9. **Age and qualifications**—No person may be appointed as a Welfare Officer unless—

(*a*) he is domiciled in U. P.;

(*b*) he is not less than 25 years and not more than 35 years of age ;

(*c*) he has a thorough knowledge of Hindi in Devnagri script ;

(*d*) he possesses a degree in Economics or Sociology of a University established by law ; and

(*e*) possesses—

(i) a diploma of the Labour Training Course, or
(ii) a diploma of the Social Sciences Class, or
(iii) a degree of Master of Applied Sociology, or

} Of Sri Kashi Vidya pith Banaras.

(iv) a diploma in Social Services, or
(v) a diploma in Social Technique/Social Work, or
(vi) a degree of Master of Social Technique/ Master of Social Work, or

} Of the J.K. Institute of Sociology and Human relations, Lucknow University, Lucknow

(vii) a diploma of Social Science of the Calcutta University, or

(viii) a diploma in Social Service Administration of the Tata Institute of Social Services, Bombay, or

(ix) a diploma of the Long Term Course of the Institute of Labour Welfare Workers, Bombay, or

(x) a diploma of Social Service at Faizabad, or

(xi) a diploma or degree of any other institution of repute in India, approved by the State Government, or

(xii) a diploma or degree in Social Science, Personnel Management, Industrial Psychology and/or Labour Welfare of any foreign institution of repute approved by the State Government :

Provided, firstly that in the case of a person, who has worked as a Welfare Officer under these rules, or the Factories Welfare Officers Rules, 1949, the upper age-limit may be relaxed by the State Government up to a period during which he worked as such officer :

Provided, secondly, that no person shall be appointed, under these rules as a Welfare Officer of grade I or grade II, unless, in addition to the qualifications specified above, he possesses, not less than five years' in the case of grade I and three years' in the case of grade II, Practical experience of working as a Welfare Officer in a factory employing not less than 500 workers.

10. **Probation**—Appointments shall be made on a permanent basis, but candidates will initially be placed on one year's probation. The period of probation, including any extension thereof, shall count for the purposes of increment in the time-scale.

11. Extension of period of probation,etc.—If it appears at any time during or at the end of the period of probation that a Welfare Officer has not made sufficient use of his opportunities, or if he has otherwise failed to give satisfaction, the occupier may dispense with his services after giving one month's notice or pay in lieu of such notice, or in case he held previously a post under the factory, revert him to that post :

Provided, firstly, that the services of a Welfare Officer shall not be dispensed with nor shall he be reverted as aforesaid, without the written concurrence of the Labour Commissioner, who shall record his reasons therefor :

Provided, secondly, that the occupier, may, in special cases, extend the period of probation up to one year with the written concurrence of the Labour Commissioner, who shall record his reasons therefor. The order sanctioning such extension of probation shall specify the exact date up to which the extension is granted.

12. Confirmation—A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of his period of probation, or at the end of the extended period of probation—

(*a*) if the occupier is satisfied that he is fit for confirmation ; or

(*b*) if the Labour Commissioner refuses to concur in the proposal of the employer to dispense with the services of the Welfare Officer, or revert him to his original post, as the case may be, under rule 11.

13. Exemption—The State Government may exempt any person from all or any of the qualifications prescribed in rule 9, if such person—

(i) is a graduate of a University established by law ; and

(ii) has had about three years' experience of work concerning or relating to the welfare of labour.

14. Notwithstanding anything contained in these rules, any person appointed as a Welfare Officer, or exempted from any of the qualifications prescribed for appointment as a Welfare Officer, under the Factories Welfare Officers Rules, 1949, shall be deemed to have been appointed or exempted, under these rules.

15. Punishments—(1) The management may impose any one or more of the following punishments on a Welfare Officer :

(i) Censure,

(ii) Withholding of increments, including stoppage at any efficiency bar,

(iii) Reduction to a lower stage in the time-scale,

(iv) Suspension, and

(v) Dismissal, or termination of service in any other manner.

Provided that no punishment shall be inflicted unless the Welfare Officer has first been informed of the grounds on which it is proposed to take action and has been afforded an adequate opportunity of defending himself :

Provided further that the management shall not impose any punishment, other than censure, except with the previous concurrence of the Labour Commissioner.

(2) The Labour Commissioner shall give the Welfare Officer an opportunity to explain the circumstances appearing against him and, if necessary, of being heard in person, when a refernce is made under sub-rule (1).

16. (1) A Welfare Officer, who is subjected to punishment under clause (v) of sub-rule (1) of rule 15, may appeal to the State Government against the order of punishment made by the management with the concurrence of the Labour Commissioner, within 30 days from the receipt of the order by him. The decision of the State Government shall be final and binding.

(2) The State Government may pass such interim orders as may be necessary, pending the decision of an appeal filed under sub-rule (1).

17. Duties—The duties of a Welfare Officer shall be—

(*a*) to promote harmonious relations, and act as a liaison officer between the workers and the management ;

(*b*) to get the grievances and complaints of workers with regard to their working conditions redressed as expeditiously as possible;

(*c*) to bring the breaches of labour laws and orders and statutory obligations concerning the health, safety and welfare of the workers to the notice of the manager or occupier, and to take suitable steps for the provision of amenities, such as canteens, shelters for rest, creches, adequate latrine facilities, drinking water, etc.;

(*d*) to study the temper of the workers by friendly contact with them (inside and outside the precincts of the establishment) and bring the cases of discontent likely to result in dispute or strained relations,to the notice of the management, with a view to maintaining harmonious relations ;

(*e*) to encourage the formation of Joint Production Works Committees, Works Committtees,Co-operatives and Safety-First Committees, and/or Welfare Committees, and to assist the management in the proper maintenance of discipline, and in the promotion of all measures designed to improve the lot of workers ;

(*f*) to organize and supervise labour welfare work, and to see that statutory requirements with regard to working conditions are enforced;

(*g*) to advise the management in matters requiring special knowledge of labour conditions and labour welfare and to take suitable steps to improve the living conditions of workers ;

(*h*) to maintain a neutral attitude during legal strikes or lock-outs ;

(*i*) to exercise a restraining influence over workers in going on illegal strikes and over management in declaring illegal lock-outs, to help in preventing sabotage and other illegal activities ;

(*j*) to detect and check bribery and corruption and to bring such cases to the notice of the management of the factory ; and

(*k*) to make representations to the authorities concerned in regard to conditions of roads, bridges, etc., used by labour in proceeding to, and from, their work.

18. No Welfare Officer shall be allowed to perform any other duties except those mentioned in rule 17,or to hold any other office or post, without the previous written sanction of the Labour Commissioner or the State Government.

19. If a Welfare Officer proceeds on leave for a period exceeding one month, the occupier shall appoint another Welfare Officer for the period of the leave :

Provided that if the vacancy is for less than three months, the occupier may with the previous approval in writing of the Labour Commissioner, appoint a person not qualified under rule 9, to work as Welfare Officer for that period.

20. The factories under the control of the Central Government,situated in the State of Uttar Pardesh, which are governed by the Labour Officers' (Central Pool) Recruitment and Conditions of Service Rules, 1951, are exempted under section 50 (*a*) of the Factories Act, 1948, from compliance with the provisions of section 49 of the Act and these rules.

21. Retirement—The age of superannuation of a Welfare Officer shall be 55 years. Extension of service in deserving cases may, however, be granted, with the approval of the Labour Commissioner, for a period of one year at a time, but not for a period beyond the age of 60 years.

By order,
K. N. SINGH,
Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर)

सहायता प्राप्त पुस्तकालयों की सूची १९५४–५५

		रु०
१—वीर पुस्तकालय, ग्राम भोजपुर, पो० बहुआ कलां	..	३६
२—ग्राम सुधार पुस्तकालय, ग्राम सिपाह, पो० दोहरी घाट	..	३६
३—सुभाष पुस्तकालय, ग्राम ठाकुर गांव, पो० दोहरी घाट	.	३६
४—जनता पुस्तकालय सोसवां, पो० करहा	.	३६
५—श्री कुबेर पुस्तकालय, ग्राम देवराडीह	..	३६
६—राजाराम पुस्तकालय, पिपरहा, पो० बिलरियागंज	..	३६
७—श्री तिलक पुस्तकालय, तिलसडा, पो० मेहनगर	..	३६
८—श्री जनता पुस्तकालय, ग्राम महुवापार, पो० मेहनाजपुर	..	३६
९—श्री ग्राम पुस्तकालय, बऊआपार ढेकमा	..	३६
१०—श्री नवयुवक संघ पुस्तकालय, ग्राम रामपुर, धनौली	..	३६
११—श्री गांधी पुस्तकालय, ग्राम इब्राहीमपुर	..	३६
१२—लोकमान्य पंचायती पुस्तकालय, बीबीपुर, आजमगढ़	..	३६
१३—मेहता पुस्तकालय, आजमगढ़ ..	..	२००
योग	..	६३२

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर)

जौनपुर जिला के हायर सेकेंडरी स्कूलों को गत वर्ष १९५२–५३ में दिये गये अनुदानों की सूची

क्रम-संख्या	संस्था का नाम	आवर्त्तक				अनावर्त्तक				
		अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	इन्टर कक्षाओं में शुल्क छूट सम्बन्धी अनुदान	पूरक अनुपालन अनुदान	अनावर्त्तक अनुपालन अनुदान	भवन अनुदान	सज्जा तथा उपस्कार अनुदान	पुन-संगठन अनुदान
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
	साहाय्यिक विद्यालय									
१	तिलकधारी सिंह क्षत्रिय, हा० से० स्कूल ..	२२,७४०	१८८०	२५२०	३,८२४	..	..	१,०००	..	२,०००
२	राजा एस० के० दत्तएण्ड जौनपुर राज पी० एन० जी० हायर सेकेंडरी स्कूल ..	२०,८८०	४८०	१,८३६	१,२१६	..	..	..	..	..
३	आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल, रेहारी ..	२,५५६	६६०	..	..	..	..	..	..	..
४	राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल, सुजानगंज ..	३,१८०	७४०	..	३५६	..	..	..	..	..
५	श्री गांधी स्मारक हायर सेकेंडरी स्कूल, समोधपुर	४,०५६	७८०	..	..	..	..	..	..	..
६	पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, केराकत ..	३,३४८	९६०	..	३२९	..	..	१,०००	५००	५००
७	मुहम्मद हसन हायर सेकेंडरी स्कूल ..	७,७१६	६००	४८०	३१९	..	..	..	..	..
८	राजा हरपाल सिंह ए० वी० हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगरामऊ ..	१२,५७६	७८० २२८	९२४	१२४३	..	..	..	१००	..
९	आर्य विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, आर्यनगर लेदुका	५०	..	..	..	२५०	..	..	१००	५००

क्रम-संख्या	संस्था का नाम	आवर्त्तक				अनावर्त्तक				
		अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	इन्टर कक्षाओं में १) शुल्क छूट सम्बन्धी अनुदान	पूरक अनुपालन अनुदान	अनावर्त्तक अनुपालन अनुदान	भवन अनुदान	सज्जा तथा उपस्कार अनुदान	पुनर्संगठन अनुदान
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१०—	गनेशराय हायर सेकेंडरी स्कूल, डोभी ..	६,२२८	५४०	..	७६२	..	..	..	..	..
११—	हिन्दू हायर सेकेंडरी स्कूल, मोगरा बादशाहपुर. .	१०,९८०	६६०	१३२	५२५	..	..	..	..	..
१२—	सेंट टामस हायर सेकेंडरी स्कूल, शाहगंज ..	७,५४८	३९०	२६४	३७९	..	..	..	..	..
१३—	बयालसी इंगलिश हायर सेकेंडरी स्कूल, जलालपुर	३,८४०	५५०	..	६०१	..	..	..	..	..
१४—	पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, शाहगंज ..	६,३१२	८४०	४८०	६७८	..	..	..	..	..
१५—	वी० एम० बी० इंगलिश हायर सेकेंडरी स्कूल, मड़ियाहूं	५,९८८	६००	..	४६२	..	..	..	..	..
१६—	वंशीधर राष्ट्रीय पाठशाला हायर सेकेंडरी स्कूल	१५,३९६	१,१४०	१,०२०	२,४१७	..	..	..	१००	..
१७—	जयहिन्द हायर सेकेंडरी स्कूल, तेजी बाजार ..	३,८४०	७००	..	४२३	..	..	..	५००	..
१८—	के० ए० आर० विद्यालय हा० से० स्कूल, प्रतापगंज	५,९४०	७९०	..	३४१	३,०००	..	१,०००	५००	..
									१००	
१९—	नागरिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जंघई ..	५,७८४	१,०२०	..	९६६	..	..	..	..	..
२०—	रजा डी० एम० हायर सेकेंडरी स्कूल ..	८,८५६	६६०	६९६	१८०	३,०००	..	..	..	..
२१—	गांधी स्मारक हायर सेकेंडरी स्कूल, काजगांव ..	१,८६०	४८०	..	..	..	..	..	१००	..
			६३							
२२—	मछलीशहर हायर सेकेंडरी स्कूल ..	३,४२०	५८०	..	..	..	..	..	..	..
			१८३							
२३—	नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल, पट्टी नरेन्द्रपुर ..	२,५८०	५७०	..	२२५	..	..	..	..	..

असाहाय्यिक विद्यालय

२४—एस० आर० जे० दिनकर हा० से० स्कूल, जमालपुर	..	..	..	..	..	..	५००	..	१००	..
२५—सहकारी हा० सें० स्कूल, महरांवा	..	..	..	..	..	..	..	..	१००	..
२६—हायर सेकेंडरी स्कूल, नेवारीहा	..	..	..	..	..	..	५००	..	२००	..
२७—जनता हायर सेकेंडरी स्कूल, रतनपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	१००	..
२८—शिया हायर सेकेंडरी स्कूल,	..	..	..	..	..	..	..	..	..	५००
२९—जनता हायर सेकेंडरी स्कूल, चन्दबक	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३०—हा० से० स्कूल, सराय हारथू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३१—वी० हायर सेकेंडरी स्कूल, सुभाषपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३२—आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल, शम्भूगंज	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३३—जनता हायर सेकेंडरी स्कूल, बरसाठी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३४—सर्वोदय हायर सेकेंडरी स्कूल, हदौली खेतासराय	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३५—हारिल राव हायर सेकेंडरी स्कूल, कुंवरपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
२६—पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, सराय हरखू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

जौनपुर जिला हायर सेकेंडरी स्कूलों को गत वर्ष १९५३–५४ में दिये गए अनुदानों की सूची

क्रम-संख्या	संस्था का नाम	आवर्त्तक					अनावर्त्तक				
		अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	विशेष वृद्धि अनुदान	वेतन इन्टर कक्षाओं में १) शुल्क छूट घाटे की पूर्ति सम्बन्धी अनुदान	पूरक अनुपालन अनुदान	अनावर्त्तक अनुपालन अनुदान	भवन अनुदान	सज्जा तथा उपस्कार अनुदान	पुनर्संगठन अनुदान	योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्लानिंग अनुदान
	साहाय्यिक विद्यालय	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१	तिलकधारीसिंह क्षत्रिय हा० से० स्कूल	२४,०९६	१,३२०	२,५२०	३,९२३	४,५००	..	२,०००	..	..	..
२	राजा एस० के० दत्त एण्ड जौनपुर राज पी० एन० जी० हायर सेकेंडरी स्कूल	२२,२१२	६००	१,६५६	१,८४५	३,३००	..	..	७५	..	..
३	आदर्श हायर से० स्कूल, रेहारी ..	३,६३६	६२०	..	..	..	..	..	..	..	..
४	राष्ट्रीय हा० से० स्कूल, सुजानगंज	४,०५६	५४०	..	८६५	..	..	..	..	..	..
५	श्री गांधी स्मारक हा० से० स्कूल, समोधर	५,०४०	७८०	..	..	३,०००	..	३,०००	..	..	..
६	पब्लिक हा० से० स्कूल, केराकत ..	४,०८०	७८०	..	९०५	..	..	..	..	..	..
७	मुहम्मद हसन हा० से० स्कूल ..	९,६६०	७८०	४८०	३३९	१,५००	..	..	..	..	..
८	राजा हरपाल सिंह ए० वी० हा० से० स्कूल, सिंगरामऊ ..	१३,३२०	७९० २६२	८७६	१,२९२	१,०००	..	..	..	..	..
९	आर्य विद्यालय हा० से० स्कूल, आर्यनगर, लेदुका ..	२,५२०	..	..	..	..	..	..	..	..	..

१०	गनेशराज हा० से० स्कूल, डोभी ..	६,८०४	६६०	..	१,८२९	३,०००	..	२,०००	..	..	९,९ ०	
११	हिन्दू हा० से० स्कूल, मोगरा बादशाहपुर	११,५०८	५४०	२७६	..	..	..	..	..	..	..	
१२	सेंट टामस हा० से० स्कूल, शाहगंज ..	७,९६८	४२०	२६४	६०६	..	..	..	..	..	..	
१३	बयालसी इंग्लिश हा० से० स्कूल, जलालपुर	४,३९२	६२०	..	८७५	..	..	..	..	..	..	
१४	पब्लिक हा० से० स्कूल, शाहगंज ..	६,८५२	७२०	४८०	१,४५३	..	..	..	..	..	..	
१५	बी० एन० वी० इंगलिश हा० से० स्कूल, मड़ियाहू ..	६,९१८	६००	..	१,३२३	..	..	१,०००	..	..	..	
१६	वंशीधर राष्ट्रीय पाठशाला हा० से० स्कूल	१५,९००	१,०८०	१,०९२	२,३४८	..	..	२,०००	..	..	..	
१७	जयहिन्द हा० से० स्कूल, तेजी बाजार	६,०३६	६६० ५०	..	७९९	३,०००	..	२,०००	..	..	..	
१८	के० ए० आर० विद्यालय हा० से० स्कूल, प्रतापगंज ..	६,५८८	५७६	..	८०९	३,०००	..	..	..	..	..	
१९	नागरिक हा० से० स्कूल, जंघई ..	६,२८८	९६०	२४०	८५६	..	..	..	..	..	..	
२०	रजा डी० एम० हा० से० स्कूल ..	११,४२४	६००	६९६	१६६	४,५००	..	१,०००	..	..	..	
२१	गांधी स्मारक हा० से० स्कूल, काजगांव	२,२२०	४४०	..	..	..	..	२,०००	..	..	..	
२२	मछलीशहर हा० से० स्कूल ..	३,६६०	९२५	..	३३२	..	..	१,०००	७५		..	
२३	नेशनल हा० से० स्कूल पट्टी नरेन्द्रपुर	३,७५६	६३०	..	२४६	..	..	..	१००	..	..	
	असाहाय्यिक विद्यालय											
२४	एस० आर० जे० दिनकर हा० से० स्कूल, जमालपुर ..	..	..	..	..	..	१,०००	..	७५	..	..	
२५	सहकारी हा० से० स्कूल, महरांवा ..	..	..	..	..	..	१,०००	..	..	..	..	
२६	हायर सेकेंडरी स्कूल, नेवारीहा ..	..	..	..	..	..	१,०००	..	..	..	..	
२७	जनता हायर सेकेंडरी स्कूल, रतनूपुर	..	..	..	..	..	१,०००	..	..	..	..	
२८	शिया हायर सेकेंडरी स्कूल ..	..	..	..	..	..	..	..	१,०००	..	..	
२९	जनता हा० से० स्कूल, चन्दबक ..	..	..	..	..	..	..	..	७५	..	..	
३०	हायर सेकेंडरी स्कूल, सराय हारथू ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	

जौनपुर जिला हायर सेकेंडरी स्कूलों को गत वर्ष १९५३-५४ में दिये गए अनुदानों की सची

क्रम-संख्या	संस्था का नाम	आवर्त्तक					अनावर्त्तक				
		अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	इंटर कक्षाओं में १) शुल्क छूट घाटे की पूर्ति सम्बन्धी अनुदान	पूरक अनुपालन अनुदान	अनावर्त्तक अनुपालन अनुदान	भवन अनुदान	सज्जा तथा उपस्कार अनुदान	पुनर्संगठन अनुदान	योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्लानिंग अनुदान
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
३१	वी० हा० से० स्कूल, सुभाषपुर ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३२	आदर्श हा० से० स्कूल, शम्भूगंज ..	..	..	..	..	..	१,०००	..	..	..	..
३३	जनता हा० से० स्कूल, बरसाठी ..	..	..	..	..	..	१,०००	..	..	..	..
३४	सर्वोदय हा० से० स्कूल, खुदाली खेता सराय ..		..	..	..	..	१,०००	..	..	..	..
३५	हारिल राव हा० से० स्कूल, कुंवर पुर ..		..	..	..	..	१,०००	..	..	..	..
३६	पब्लिक हा० से० स्कूल, सराय हरखू ..		..	..	..	..	१,०००	..	..	..	..

जौनपुर जिला के हायर सेकेंडरी स्कूलों को वर्ष १९५४–५५ में दिये गए अनुदानों की सूची

क्रम-संख्या	संस्था का नाम	आवर्त्तक					अनावर्त्तक				
		अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	इन्टर कक्षाओं में १) शुल्क छूट घाटे की पूर्ति सम्बन्धी अनुदान	अतिरिक्त अनुपालन अनुदान शासन द्वारा स्वीकृत	अतिरिक्त अनुपालन अनुदान	भवन अनुदान	सज्जा तथा उपस्कार अनुदान	पुनर्संगठन अनुदान	योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्लानिंग अनुदान
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
	साहाय्यिक विद्यालय										
१	तिलकधारी सिंह क्षत्रिय हा० से० स्कूल	२४,४५६	१,२६० १७	२,३७६	३,९०८	१,४४६	३,९४०	१,०००	..	..	..
२	राजा एस० के० दत्त एंड जौनपुर राज पी० एन० जी० हा० से० स्कूल ..	२२,५४८	४५० १५६	१,३५६	२,७९१	२,७००	३,६००	..	..	..	..
३	आदर्श हा० से० स्कूल, रेहारी ..	३,६२४	४०८	..	..	६१३	७२०	..	..	..	..
४	राष्ट्रीय हा० से० स्कूल, सुजानगंज ..	४,०१६	५४०	..	८५९	..	..	..	..	..	..
५	श्री गांधी स्मारक हा० से० स्कूल, समोधपुर	५,१२४	८४०	..	९१६	५,०००	१,०२०	१,५००	..	..	..
६	पब्लिक हा० से० स्कूल, केराकत ..	४,२६०	७२०	..	१,७४५	४,०००	..	..	..	..	..
७	मुहम्मद हसन हा० से० स्कूल. ..	९,९८४	४८०	४८०	२६१	३,५६५ २,१४५	५५० १,४००	..	..	..	..

जौनपुर जिला के हायर सेकेंडरी स्कूलों को वर्ष १९५४–५५ में दिये गए अनुदानों की सूची

क्रम-संख्या	संस्था का नाम	आवर्त्तक				अनावर्त्तक					
		अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	इन्टर कक्षाओं में १) शुल्क छूट घाटे की पूर्ति सम्बन्धी अनुदान	अतिरिक्त अनुपालन अनुदान शासन द्वारा स्वीकृत	अतिरिक्त अनुपालन अनुदान	भवन अनुदान	सज्जा तथा उपस्कार अनुदान	पुनर्संगठन अनुदान	योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्लानिंग अनुदान
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
८	राजा हरपाल सिंह ए० बी० हा० से० स्कूल, सिंगरामऊ ..	१३,४८८	९०० २७७	७५६	२,१३१	४,०५६	२,२५०	..	१००	..	..
९	आर्य विद्यालय हा० से० स्कूल, आर्यनगर, लेदुका ..	३,०२४	४८०	..	..	..	..	..	..	..	..
१०	गनेश राय हा० से० स्कूल, डोभी ..	७,१४०	४२० ५५	..	२,२४५	३,५२८	१,४३०	..	..	..	..
११	हिन्दू हा० से० स्कूल, मोगरा बादशाहपुर	११,६४०	५४०	६०	..	..	..	..	..	..	..
१२	सेंट टामस हा० से० स्कूल, शाहगंज	८,१२४	३६०	२६४	६२९	..	३०० १,३२०			..	..
१३	बयालसी इंगलिश हा० से० स्कूल, जलालपुर	४,६२०	६६०	..	१,५६८	३,९००	१२०	..	..	..	..
१४	पब्लिक हा० से० स्कूल, शाहगंज ..	७,१८८	७८०	४८०	१,४८४	..	१८०	..	१००	..	..
१५	बी० एन० बी० हा० से० स्कूल, मड़ियाहूं	७,१५२	५४०	..	२,१४०	..	१८०	..	१००	..	..
१६	वंशीधर राष्ट्रीय पाठशाला हा० से० स्कूल	१६,२४८	९६०	१,०९२	..	७०७	२,७००	..	१००	..	..
१७	जयहिन्द हा० से० स्कूल, तेजी बाजार	६,०७२	६००	..	६४७	४,६६१	१,२१०	१,०००	..	..	..

१८	क० ए० आर० विद्यालय हा० से० स्कूल, प्रतापगंज	६,८४०	४५०	..	५५५	४००	१,३७०	१,००० ३,०००	..	..	..
१९	नागरिक हा० से० स्कूल, जंघई ..	६,५६४	६००	२४०	१,०५७	५,०००	१६०	..	१००	..	..
२०	रजा डी० एम० हा० से० स्कूल ..	१२,०७२	६००	६९६	१२६	९८६	२,७००	..	..	..	..
२१	गांधी स्मारक हा० से० स्कूल, काजगांव	२,४७२	५४०	..	..	..	..	२,०००	..	..	..
२२	मछली शहर हा० से० स्कूल ..	३,९७२	८४०	..	४५१	५०१	३०० ४९०	..	..	..	..
२३	नेशनल हा० से० स्कूल, पट्टी नरेन्द्रपुर	३,७२०	८५० ११६	..	४४३	४,०००	७४०	१,०००	..	..	..
	असाहाय्यिक विद्यालय										
२४	एस० आर० जे० दिनकर हा० से० स्कूल, जमालपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
२५	सहकारी हा० से० स्कूल, नेहरावा ..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..
२६	हा० से० स्कूल, नेवारीहा ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
२७	जनता हायर सेकेंडरी स्कूल, रतनपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
२८	शिया हायर सेकेंडरी स्कूल ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
२९	जनता हायर सेकेंडरी स्कूल चन्दबक	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३०	हायर सेकेंडरी स्कूल, सराय हारथू	..	..	..	..	..	..	..	१००	..	..
३१	वी० हा० से० स्कूल, सुभाषपुर ..	..	..	..	..	..	..	..	१००	..	..
३२	आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल शम्भूगंज	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३३	जनता हायर सेकेंडरी स्कूल, बसीठी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३४	सर्वोदय हायर सेकेंडरी स्कूल, खुदाली, खेतासराय ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३५	होरिल राव हा० से० स्कूल, कुंवरपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३६	पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, सराय हरखू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

१९५४–५५ के वर्ष में उत्तर प्रदेश के प्रान्तीय राजस्व से अनुदान प्राप्त

संस्कृत पाठशालाओं की तालिका

जिला आजमगढ़

क्रम-संख्या	पाठशाला का नाम		वार्षिक अनुदान रु०
१	सनातन धर्म संस्कृत कालेज, आजमगढ़	..	२,४७२
२	सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला, रटनगंज, अहरौला	..	९८४
३	महेश्वर संस्कृत पाठशाला, रसूलपुर, गोमाडीह	..	१,०४४
४	संस्कृत पाठशाला सिपाह, डोहरी घाट	..	९२४
५	हिन्दी संस्कृत पाठशाला, मैरोजी महराजगंज	..	१,९९२
६	विद्या रत्न संस्कृत पाठशाला, कनेरी, फूलपुर	..	७९२
७	सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला, हिराज पट्टी, मधुबन	..	२,१८४
८	संस्कृत पाठशाला, मऊनाथ भंजन	..	२,३०४
९	महरानी बन देवी संस्कृत पाठशाला, कहिनोर	..	१,००८
१०	संस्कृत पाठशाला, रानी की सराय ..	..	६३६
११	गांधी गुरुकुल भवरनाथ ..	..	८६४
१२	संस्कृत पाठशाला गुरादरी, करहां ..	..	६४८
१३	सन्यासी संस्कृत पाठशाला रेजादेपुर, सगरी	..	१,१०४
१४	दुर्गा संस्कृत विद्यालय, चन्डेसर ..	..	१,००८
१५	सांगवेद विद्यालय, हनुमानगढ़ी ..	..	३,३००
१६	ज्ञानोदय संस्कृत पाठशाला, कमलसागर, रामपुर	..	१,०३२
१७	वैष्णव हरी विद्यालय, सैरपुर, चिरइया कोट	..	९२४
१८	राम सुन्दर संस्कृत पाठशाला सरवा कोपागंज	..	५५२
१९	सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला, खरगीपुर, बरदह	..	८७६
२०	ब्रह्मविद्या संस्कृत पाठशाला, परशुपुर तिनहरी, बेला	..	५४०
२१	हिन्दू महासभा संस्कृत पाठशाला, पल्थी	..	९३६

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर)

वर्ष १९५४–५५ में दी गई सहायता

क्रम-संख्या	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नाम (जिला आजमगढ़)	आवर्त्तक अनुदान					अनावर्त्तक अनुदान					
		अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	इन्टर कक्षाओं में १/ शुल्क छूट घाटे की पूर्ति सम्बन्धी अनुदान	शासन द्वारा राजाज्ञा सं० ए१०७८।१५–३००७–१०–५४, दि० मार्च १८, ५५ के अन्तर्गत स्वीकृत अनावर्त्तक अनुदान	अतिरिक्त अनावर्त्तक अनुपालन अनुदान	भवन अनुदान	सज्जा तथा उपस्कार अनुदान	पुनर्संगठन अनुदान	प्लानिंग योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान
		रु०	रु० आ०	रु०	रु० आ०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१	शिबली नेशनल ..	१७,७४८	६०० ०	१,१८०	..	२२६	२,९५०	..	..	..	..
२	श्रीकृष्ण पाठशाला ..	९,०७२	६९४ १	१,५३६	४,५०१ ०	६७०	१,८१०	..	१००	..	..
३	वेसले ..	१५,८७६	७८० ०	५८४	३,४२४ ०	५,०००	२,६४०	..	१००	..	..
४	स्मिथ, अजमतगढ़ ..	९,८२८	८२५ ६	६४८	१,२८२ ०	..	१,९७०	..	..	..	..
५	डी० ए० वी० ..	१२,३३६	४८० ०	१,५९६	२,६३३ ८	८००	३१०	..	१००	..	..
६	बिन्देश्वरी, तुलसीनगर	४,३८०	६०० ०	..	४३५ ८	१,५००	८८०	..	..	..	..
७	महराजगंज, महाराजगंज..	५,३४०	४८० ०	..	४४५ ८	२,८१६	१,०७०	१,०००	..	..	..
८	चौराबेलहा, तरवा ..	३,६८४	३६० ०	..	१,३७२ ०	..	८००	..	..	..	१५,०००
९	जीवनराम, मऊनाथ भंजन	९,२८८	३५९ ०	१९२	..	१,११९	२३०	१,०००	..	..	..
१०	बापू, कोपागंज ..	३,९७२	३६० ०	..	२१६ ०	२६०	७९०	..	१००	..	..

क्रम-संख्या	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नाम (जिला आजमगढ़)	आवर्त्तक अनुदान						अनावर्त्तक अनुदान			
		अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	इंटर कक्षाओं में १) शुल्क छूट घाटे की पूर्ति सम्बन्धी अनुदान	शासन द्वारा राजाज्ञा सं० ए१०७८/१५/३००७—१०—५४ दि० १८, मार्च ५५ के अन्तर्गत स्वीकृत अनावर्त्तक अनुदान	अतिरिक्त अनावर्त्तक अनुपालन अनुदान	भवन अनुदान	सज्जा तथा उपस्कार अनुदान	पुनर्संगठन अनुदान	प्लानिंग योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान
		रु०	रु० आ०	रु०	रु० आ०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
११	मुस्लिम, मऊनाथभंजन ..	४,९९२	३६० ० ११५ ० (वर्ष ५१–५२ के लिये दिया गया)	१४४	..	१,६३६	१२०	..	..	..	..
१२	गांधी विद्यालय, मारूफपुर	४,४०४	६३० ०	..	..	..	८८०	..	..	१,०००	..
१३	श्री दुर्गाजी, चन्देसर ..	११,५२०	६०० ०	७२	१,३९६ ८	२,३१३	१,९५०	८६८	..	१,०००	..
१४	डी० ए० वी०, मऊनाथ भंजन	७,२६०	४८० ०	६०	२,१८३ ८	२,७९९	१८०	..	..	..	..
१५	नेशनल, भरौली ..	५,७७२	५०७ ०	..	३८२ ०	..	१,१५०	..	..	..	..
१६	विक्टरी, दोहरीघाट ..	७,४५२	६२५ १२	..	९११ ८	१,२३३	१,४९०	..	१००	..	..
१७	गयादीन जयसवाल, जयसवाल नगर	७,२२४	५४० ०	७२	७०० ०	..	१८०	..	..	..	..
१८	श्री शहीद, मधुबन ..	६,६८४	५९७ ८	..	१,३४१ ०	८८९	१,३४०	..	..	..	..

१९	गांधी कूबा, महनाजपुर ..	५,७९६	७२०	०	..	४९८	८	२,०१३	१,१६०	..	..	..	..	
२०	तेरही, कैप्टनगंज ..	१,९९२	५५०	०	..	..		..	४००	..	..	..	..	
२१	श्री कृष्णगीता, लालगंज ..	२,९७६	५३६	७	..	..		१,०४०	..	..	..	..	..	
२२	एस० एस० बी०, अमिला	३,९८४	३६०	०	..	..		३३०	८००	१,०००	१००	..	..	
२३	गांधी, मलटारी ..	२,६६४	४८०	०	..	..		१,०४०	५३०	..	..	..	..	
२४	जनता शिक्षानिकेतन, दुबारी	३,२१६	४२०	०	..	..		..	..	..	..	..	..	
२५	सुभाष, करखिया ..	१,८००	३६०	०	..	..		२६०	..	५००	..	..	..	
२६	श्री अग्रसेन आर्य कन्या ..	४,९८०	१,०४३	०	..	..		४००	१,०००	१,०००	३००	१,०००	..	
२७	सुखनन्दन, मोहम्मदपुर मठ	..	..		..	..		५,०००	..	१,०००	..	..	..	
२८	पंचायत, गौरा मेहनगर ..	..	..		..	..		८००	..	१,०००	..	..	..	
२९	ग्रामसमाज, जयनगर ..	..	..		..	..		८००	..	..	..	..	..	
३०	जनता रानीपुर ..	..	..		..	..		१,०००	..	..	१००	..	..	
३१	शंकर, डीहा ..	..	..		..	..		२२८	..	..	..	..	..	
३२	पटेल मेमोरियल, अतरौली	..	..		..	..		१,०००	..	..	..	..	..	
३३	श्री शंकर जी, पुष्पनगर	..	..		..	..		१,०००	..	..	..	..	..	
३४	टाउन, मोहम्मदाबाद ..	..	..		..	..		३,१८०	..	..	..	..	..	

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ६० एल० ए०—१९५५—७९६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ५ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३१)

अक्षयवरसिंह, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पाखीवाल, श्री
छेदालाल, श्री

छेदालाल चौधरी , श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
ड्डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, ी
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाभसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री

भुवर जी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीश्रीवास्तव,
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री

रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराय, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ५ सितम्बर, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

हरिजन औद्योगिक शिक्षण केन्द्र, नैनीताल का कार्यारम्भ

१-- **श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)--क्या सरकार को ज्ञात है कि हरिजन औद्योगिक शिक्षण केन्द्र नैनीताल की ओवरसियर्स कोर्स की कक्षायें मध्य अगस्त, १९५५ तक प्रारम्भ होने को थीं, लेकिन वहां पर अब तक अध्यापकों तक का कोई प्रबन्ध नहीं है। यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--जी हां, कक्षाएं २० अगस्त तक प्रारम्भ होने को थीं। अध्यापकों की नियुक्तियां हो चुकी हैं किन्तु उनमें से अधिकांश ने नैनीताल पहुंच कर अभी तक पद ग्रहण नहीं किया है।

२--श्री पुत्तूलाल**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष औद्योगिक शिक्षण केन्द्र नैनीताल में ओरवरसियर्स कोर्स की कक्षा के लिये कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया और उनमें से कितने विद्यार्थी शिक्षण केन्द्र पर अब तक शिक्षा पाने-हेतु पहुंचे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--२५ छात्रों को प्रवेश की स्वीकृति दी गई थी। २७-८-१९५५ तक १७ छात्र केन्द्र पर पहुंचे हैं।

३ -श्री पुत्तूलाल**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो छात्र औद्योगिक शिक्षण केन्द्र नैनीताल के लिये चुने गये हैं उनको वह शिक्षण-काल में क्या-क्या सुविधाएं देगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--प्रत्येक छात्र को निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त होंगी--

१--३५ रु० माहवार की छात्रवृत्ति
२--निःशुल्क छात्रावास
३--निःशुल्क चिकित्सा
४--मुफ्त कारखाने की वर्दी
५--पुस्तकालय तथा खेलकूद

श्री पुत्तूलाल--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन अध्यापकों की नियुक्ति की गई है, उनके पदग्रहण की अन्तिम तारीख कौन-सी निर्धारित की गयी थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--उनको १५ जुलाई, सन् १९५५ को लिखा गया था कि वे जल्द से जल्द वहां ज्वाइन कर लें।

श्री पुत्तूलाल--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है, उन्होंने २० अगस्त तक अपना पद ग्रहण क्यों नहीं किया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--अब वे लोग पहुंच रहे हैं, उनसे एक्सप्लेनेशन तो नहीं पूछा गया है कि आपने निश्चित समय के अन्दर क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस औद्योगिक केन्द्र में भर्ती होने के लिये क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---ओवरसियर्स ट्रेनिंग के लिये हाई स्कूल रखा गया है ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस केन्द्र में शिक्षा प्राप्त ओवरसियर को वही ग्रेड मिलेगा जो कि रुड़की वाले को प्राप्त होता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---ग्रेड के सम्बन्ध में तो कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस केन्द्र के लिये जो प्रिंसिपल होने वाले थे उनकी नियुक्ति हो गयी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---जी हां ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या यह बात सही है कि उसके लिये जो प्रिंसिपल साहब नियुक्त हुए हैं वे हमारी इस गवर्नमेंट के एक रिटायर्ड अफसर हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---जी हां ।

श्री पुत्तूलाल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जब २० अगस्त तक वहां अध्यापकों का प्रबन्ध नहीं था तो २० अगस्त को छात्रों को क्यों बुला लिया गया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह---यह समझा जाता था कि सब तब हो जायगा, इसलिये बुला लिया गया था ।

तारांकित प्रश्न

बरेली, मिर्जापुर और बाराबंकी जिलों में खेती के नये फार्म

*१---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली, मिर्जापुर और बाराबंकी में सन् १९५० और सन् १९५४ ई० के बीच में ५० एकड़ से अधिक के अलग-अलग कुल कितने खेती के नये फार्म स्थापित हुये ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)---जिला बरेली, मिर्जापुर और बाराबंकी में सन् १९५० से सन् १९५४ के बीच में ५० एकड़ से अधिक के निम्नलिखित खेती के नये फार्म स्थापित हुये हैं---

बरेली	.. ..	.. ७९ फार्म
मिर्जापुर	.. ..	.. ७ फार्म
बाराबंकी	.. ..	.. ६ फार्म

*२---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार एक ऐसा विवरण मेज पर रखने की कृपा करेगी कि जिससे यह पता चले कि ये फार्म किसके नाम से हैं, कितने-कितने एकड़ के हैं और उनकी सरकारी मालगुजारी क्या है ?

श्री हुकुमसिंह---आवश्यक सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गयी है ।

(देखिये सत्री "क" आगे पृष्ठ १६१-१६९ पर)

*३--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्ष गेहूं, धान, आलू, ज्वार और गन्ने की एक एकड़ में अधिकतम पैदावार कितनी हुई ?

श्री हुकुमसिंह--प्रान्तीय फसल प्रतियोगिता के अन्तर्गत सन् १९५३-५४ में गेहूं, धान, आलू, ज्वार और गन्ने की एक एकड़ में सबसे अधिक पैदावार निम्नप्रकार थी---

	मन	सेर	छटांक	तोला
गेहूं	६४	११	७	४ १/२
धान	५७	३५	३/५	
आलू	६१२	१२	११	
ज्वार	५४	३	३१/३	
गन्ना	१६२०	०	०	

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यह जिला मिर्जापुर में जो ४०७९ एकड़ के फार्म की ८२५ रु० मालगुजारी निर्धारित की गई है, यह सरकार द्वारा किस प्रकार से निर्धारित की गई है ?

श्री हुकुमसिंह---यह सरकार की तरफ से ही तय हुई होगी, सरकार ही तय करती है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---यह जो नये फार्म हैं एक आना, दो आना और ३ रुपए फी एकड़ मालगुजारी पर हैं, क्या इनकी मालगुजारी का फिर से रिवीजन करने का सरकार का इरादा है ?

श्री हुकुमसिंह--ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐक्ट में है कि ४० साल तक कोई इजाफा नहीं हो सकेगा ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---यह जो फार्म हैं, क्या सरकार का ऐसा इरादा है कि उनकी उच्चतम सीमा निर्धारित करके, बाकी जमीन उन लोगों को दी जाय जिनके पास जमीन कम है या बिलकुल नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह---यह सवाल कई बार सदन के सामने आचुका है और इस सम्बन्ध में सरकार की नीति स्पष्ट रूप से बताई जा चुकी है कि ऐसा कोई ख्याल अभी नहीं है ।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह ४००० एकड़ के फार्म की ८२५ रुपया मालगुजारी सर्किल रेट के हिसाब से है या स्पेशल रेट से है ?

श्री हुकुमसिंह---कयास यही है कि स्पेशल नहीं है ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें जो अनाज दिये हुए हैं उनकी औसत पैदावार क्या है ?

श्री अध्यक्ष---प्रश्न स्पष्ट नहीं है, होल्डिंग के बारे में जिक्र नहीं है ।

श्री रतनलाल जैन---जहां पर अधिकतम पैदावार इतनी है, मैं पूछना चाहता हूं कि औसत पैदावार हमारे प्रान्त में कितनी है ?

श्री हुकुमसिंह---नोटिस पाने पर जरूर बतलाऊंगा ।

श्री भगवानसहाय---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह ४,००० एकड़ का जो फार्म है वह किसके नाम है और किसको दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह---संलग्न पत्र में नाम दर्ज है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इन अधिकतम पैदावार वालों को कोई पुरस्कार दिया गया है, यदि हां, तो किनको कितना-कितना ?

श्री हुकुमसिंह--इनाम जरूर दिया गया है, तफसील नहीं बता सकता।

गंगा की बाढ़ से विशुनपुर और कुंडी ग्रामों को क्षति

*४--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--क्या ज्वालापुर परगने के विशुनपुर और कुंडी नाम के दो गांव गंगा की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गये हैं ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--गत वर्ष गंगा की बाढ़ से विशुनपुर और कुंडी ग्रामों को क्षति पहुंची थी।

*५--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाढ़ से इन दोनों गांवों की कितनी एकड़ जमीन बह गई है ?

श्री चरणसिंह--बाढ़ के कारण ग्राम विशुनपुर की ८० एकड़ तथा ग्राम कुंडी की ४० एकड़ भूमि बह गई थी।

*६--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार इन दोनों गांवों के निवासियों को कहीं और बसाने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक और कहां ?

श्री चरणसिंह--गांव के निवासी पथरी जंगल में बसने की इच्छा रखते हैं, परन्तु पथरी जंगल में बहुत सी भूमि अन्य कार्य के लिये वृक्ष हीन की जा चुकी है, इसे और अधिक वृक्ष हीन करना भूमि कटाव में सहायक होगा ; अतः पथरी जंगल में भूमि का प्रबन्ध नहीं किया जा सकेगा। परन्तु इस बात की जांच की जा रही है कि कोई अन्य भूमि खंड इस कार्य के लिये उपलब्ध किया जा सकता है या नहीं। ग्रामवासियों को इस वर्ष के वर्षाकाल में आवश्यकतानुसार सुरक्षित स्थान पर हटाने की व्यवस्था कर दी गई है।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि इस वर्षा में उस गांव के रहने वाले कहां रहे ?

श्री चरणसिंह--कलेक्टर ने इस वर्षा के आने से पहले इन सवालों का जवाब हमारे पास भेजा था और उन्होंने यह कहा था कि पास के जो गांव हैं उनमें स्त्रियों को, बूढ़े पुरुषों को और बच्चों को पहले से भेज देने की व्यवस्था कर रहे हैं और पशुओं के लिये पथरी फारेस्ट में चराने का इंतजाम करने की तजवीज है और चरवाहों के लिये २० झोपड़ियां भी डालने की तजवीज है। अब उस तजवीज पर कितना अमल हुआ अगर यह जानना चाहते हैं तो उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार को ज्ञात है कि यह प्रश्न पिछले साल दिया गया था तब से गंगा की धारा इतनी चौड़ी हो गई है कि सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिलों के ६० गांव खतरे में पड़ गये हैं ?

श्री चरणसिंह--कितने गांव खतरे में पड़ गये हैं यह तो मैं इस समय नहीं बता सकता लेकिन इतना जरूर जाहिर होता है कि गंगा पिछले साल से सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के कुछ गांवों को काट रही है। पिछले साल कुछ काटे और इस साल भी कुछ काटे हैं।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार उस धारा पर बांध बनाने का विचार रखती है, ताकि गांवों की रक्षा हो सके ?

श्री चरणसिंह--अभी तो फिलहाल किसी बांध बनाने के मसले पर गौर नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस पर गौर किया जा सकता है।

अल्मोड़ा जिले के भूमिहीनों को खेती के लिये भूमि

*७--**श्री गोवर्धन तिवारी** (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, ५३ से मार्च, ५४ तक अल्मोड़ा जिले के कितने भूमिहीनों ने खेती करने के लिये तराई में भूमि देने की प्रार्थना सरकार से की है ?

श्री चरणसिंह--जनवरी, १९५३ ई० से मार्च, १९५४ ई० तक अल्मोड़ा जिले के ५९६ भूमिहीनों ने खेती करने के लिये तराई में भूमि देने की प्रार्थना की थी।

*८--**श्री गोवर्धन तिवारी**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त कितने प्रार्थियों को तराई में कितनी एकड़ भूमि किस स्थान में अब तक प्रदान की गई ?

श्री चरणसिंह--उपर्युक्त प्रार्थियों में से ११ को तराई के निम्नलिखित स्थानों में कुल ४१२ बीघा ९ बिस्वा भूमि प्रदान की गई--

तहसील	भूमि पाने वालों की संख्या	क्षेत्रफल
१--बाजपुर	५	२६६ बीघा १६ बिस्वा
२--खटेमा (टनकपुर)	५	१३८ बीघा १९ बिस्वा
३--सितारगंज	१	६ बीघा १४ बिस्वा
योग	११	४१२ बीघा ९ बिस्वा

श्री गोवर्धन तिवारी--इन भूमिहीनों को अभी तक जमीन नहीं मिली। क्या सरकार उनको भूमि देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह--जैसा मैंने कुछ दिन हुये एक सवाल के जवाब में बताया था कि गवर्नमेंट बहुत से भूमिहीनों को जमीन देने का विचार रखती है और अभी एक योजना पर हुक्म भी जारी हो चुका है और उसकी तकसीम के लिये भी अफसरान को लिखा जा चुका है। लेकिन जिन लोगों ने यहां जमीन की दरख्वास्त दी थी या इनको वहां मिली या नहीं, इसके लिये पहले से नहीं कहा जा सकता।

श्री गोवर्धन तिवारी--जिन ११ व्यक्तियों को भूमि दी गई उनमें से कितने लोग वहां बसे ?

श्री चरणसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर माननीय मित्र को इसमें शक है तो फिर गवर्नमेंट को विचार करना होगा कि किसी को जमीन दी जाय या न दी जाय ?

श्री गोवर्धन तिवारी--इसमें शक की कोई बात नहीं है। मैं तो अध्यक्ष महोदय, केवल यह जानना चाह रहा हूं कि उनमें से कितने लोग वहां बस सके ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं। न यह सवाल था और न इस तरह की इत्तिला हासिल की गई।

*९-१०--**श्री रणंजयसिंह** (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)---[१२ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

नैनीताल तराई-भावर किच्छा में पोलिटिकल सफरर, शरणार्थी और सैनिकों को खेती की सुविधायें

*११--श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल तराई-भावर किच्छा में कितने पोलिटिकल सफरर, रिफ्यूजी तथा सैनिक खेती कर रहे हैं और कितने वहां पर आबाद हैं ?

श्री चरणसिंह--नैनीताल तराई भावर किच्छा में ६७० पोलिटिकल सफरर, २,७३७ रिफ्यूजी तथा १८० सैनिक खेती कर रहे हैं और उनमें से ५३४ पोलिटिकल सफरर २,६८१ रिफ्यूजी तथा १६३ सैनिक वहां पर आबाद हैं।

*१२--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार को मालूम है कि उन लोगों के जिम्मे कुल कितना कर्जा लगान तथा बीज के रूप में अब तक बाकी है और उन बाकी रकमों की वसूली के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री चरणसिंह--इन लोगों के जिम्मे ३,७६,३११ रुपया लगान के रूप में और २,५३,७३१ रुपया बीज के रूप में बाकी है। इस सभी धनराशि की वसूली के लिये अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं।

लगान की वसूली के लिये यह भी व्यवस्था की गई है कि जिन काश्तकारों पर सन् १३५७-१३५८ फसली का लगान बाकी है वह प्रति वर्ष दुगुना लगान अदा करें जब तक कि सब बकाया चुकता न हो जाय। बाकी के काश्तकार चालू साल का पूरा लगान तथा एक साल का आधा लगान पिछले वर्षों की बकाया के मद में अदा करेंगे जब तक कि कुल बकाया लगान साफ नहीं हो जाता है। इस प्रकार ४ वर्ष में पूरा लगान वसूल हो जाने की आशा है।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाकी लोगों के आबाद न होने का कारण क्या है ?

श्री चरणसिंह--अब कारण तो उनके निजी अपने अलग-अलग हैं, लेकिन खेती उनकी तरफ से कोई न कोई कर रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय माल मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन लोगों के जिम्मे जो कर्जा, लगान और बीज की कीमत बाकी है उसका क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह--अधिकतर नावेहन्दी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय माल मंत्री ऐसी कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो नहीं दे सकने के लायक हैं उनका देय धन माफ किया जा सके ?

श्री चरणसिंह--मालगुजारी की माफी के लिये कुछ नियम लैंड रेवेन्यू मैनुअल में दिये हुए हैं। उनके अधीन कोई केस आता है तो माफी हो जाती है। इसके अलावा कोई बकाया ज्यादा कर ले और न दे तो कभी माफी नहीं हो सकती और न माफी दी जायगी।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वहां जो ट्यूबवेल लगाये गये हैं, उनसे पानी लेने की अलग से कीमत नहीं लेती है ?

श्री चरणसिंह--कीमत लेती है फिर भी वह सुविधा में गिना जाता है। इसलिये सभी जगह किसान चाहता है कि उसके यहां नहर और ट्यूबवेल हो जायं। और जब चाहता है तो वह जानता है कि आबपाशी की दर देनी पड़ेगी।

कोलोनाईजेशन विभाग के अधीन ग्रामों की लगान की दरों में अन्तर

*१३--**श्री रामसुभग वर्मा**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल तराई भावर किच्छा में नये और पुराने निशासियों के खेत का लगान सर्किल रेट से नहीं है और दोनों के लगान में अन्तर है ? यदि हां, तो कितने का और क्यों ?

श्री चरणसिंह--नैनीताल जिले की तराई तहसील किच्छा के गांवों में जो सुपरिन्टेंडेंट तराई भावर गवर्नमेंट स्टेट के अधीन है, नये और पुराने दोनों प्रकार के कृषकों से लगान सर्किल रेट के अनुसार लिया जाता है और इस लगान में कोई अन्तर नहीं है परन्तु उन ग्रामों में जो कोलोनाइजेशन विभाग के अधीन हैं पुराने कृषकों से सर्किल रेट के अनुसार २) से ३।।) तक प्रति एकड़ की दर से लिया जाता है और नये कृषकों से ५) से ७) प्रति एकड़ तक लिया जाता है। इस अन्तर का कारण यह है कि नये काश्तकारों को भूमि साफ करके और ट्रैक्टर से तोड़ कर प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त उनको अन्य सुविधायें जैसे, सड़क, अस्पताल, स्कूल, अन्टीमलेरिया उपकरण, ट्यूबवेल्स इत्यादि की भी दी गई है।

नगरों में रोडवेज की गाड़ियां तथा उन पर आय व व्यय

*१४--**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)--क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन शहरों में अलग-अलग कितनी-कितनी रोडवेज की गाड़ियां चल रही हैं ?

श्री चरणसिंह--उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में रोडवेज की गाड़ियां रोजाना चलती हैं। गाड़ियों की संख्या प्रत्येक शहर के सामने अलग-अलग दर्ज है:--

(१)	इलाहाबाद	६
(२)	बनारस	१२
(३)	बरेली	४
(४)	लखनऊ	३६

*१५--**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (अनुपस्थित)--सरकार को उनसे १९५३-५४ में अलग-अलग क्या आय हुई और उन पर अलग-अलग क्या व्यय करना पड़ा ?

श्री चरणसिंह--रोडवेज के प्रत्येक सिटी सर्विस के आय-व्यय के आंकड़े निम्न प्रकार हैं --

सिटी बस सर्विस	आय	व्यय
	रु०	रु०
(१) इलाहाबाद	२,४३,४००	२,३२,८०१
(२) बनारस	२,२७,०९१	२,३९,७९९
(३) बरेली	८३,९३४	८०,१६७
(४) लखनऊ	९,७८,०६७	९,७४,०१०

माधुरी कुंड फार्म पर क्वार्टरों की लागत और किराया

*१६--**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माधुरी कुंड फार्म पर वर्कशाप फोरमैन और लेबर क्वार्टर्स कब और किस विभाग के प्रबन्ध में बने और उन पर अलग-अलग क्या लागत आई ?

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या १४-१५ श्री रामदास आर्य ने पूछे।

श्री हुकुमसिंह—यह इमारतें १९४९–५० में बनना शुरू हुई थीं और १९५१–५२ में पूर्ण हुई। यह भूतपूर्व कृषि इंजीनियरिंग विभाग के प्रबन्ध में बनाई गयी थीं। इनकी अलग-अलग लागत इस प्रकार है—

	रु०
(१) एक इमारत वर्कशाप इस लागत में ४११ रु० बाउन्डरी केन्सिंग का शामिल है	१९,१८२
(२) एक चार्जमैन क्वार्टर	९,७६५
(३) चार मैकेनिक क्वार्टर	१४,५९६
(४) ६ वर्कमैन क्वार्टर	११,०६४
योग ..	५४,६०७

*१७—**श्री श्रीचन्द्र**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन क्वार्टर्स का मासिक किराया क्या है और यह किराया किस आधार पर लगाया गया है?

श्री हुकुमसिंह—इन क्वार्टर्स के स्टैन्डर्ड मासिक किराये, जो निर्माण की लागत के आधार पर निश्चित किये जाते हैं इस प्रकार हैं—

	रु०	आ०	पा०
एक चार्जमैन क्वार्टर	४८	१३	०
एक वर्कमैन क्वार्टर	९	४	०
एक मैकेनिक क्वार्टर	१८	४	०

परन्तु कर्मचारियों से केवल उनके वेतन का १० प्रतिशत ही किराये के तौर पर लिया जाता है जो स्टैन्डर्ड रेंट से कम है। जो किराया इस समय लिया जाता है उसका ब्योरा माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत अनुसूची में दिया है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ १७० पर)

*१८—**श्री श्रीचन्द्र**—क्या सरकार को ज्ञात है कि क्वार्टर्स में अभी तक सब जगह पर प्लास्टर इत्यादि नहीं हुआ है?

श्री हुकुमसिंह—इन सब क्वार्टर्स का प्लास्टर हो चुका है और फर्श पक्के हैं।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन क्वार्टर्स में प्लास्टर और फर्श १९५०–५१ और ५२ में ही समाप्त कर दिये गये थे या बाद में?

श्री हुकुमसिंह—नहीं। इस साल रिपेयर के सिलसिले में समाप्त हुआ है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मकानों के बनाने का ठेका किसी ठेकेदार को दिया गया था या कृषि इंजीनियरिंग विभाग ने स्वयं ही ये क्वार्टर्स बनाये थे?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

रामपुर जिले के जिलेदारों द्वारा गबन तथा पाकिस्तान पलायन

*१९—**श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)**—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले से दो जिलेदार सरकारी रुपये का गबन कर के पाकिस्तान को भाग गये हैं?

श्री चरणसिंह—जी हां। रामपुर जिले से ३ जिलेदार सरकारी रुपये का गबन करके पाकिस्तान भाग गये हैं।

*२०--श्री कृष्णशरण आर्य--यदि हां, तो कब, उनके क्या नाम हैं तथा कितना-कितना रुपया लेकर भागे ?

श्री चरणसिंह--(१) जिलेदार श्री अख्तर अली खां नवम्बर, १९५२ में २,१०५ रु० १५ आने लेकर,

(२) श्री खुरशीद अली खां जुलाई, १९५४ में १३,७५० रुपये ६ पाई लेकर तथा,

(३) श्री नफीस अहमद खां अक्तूबर, १९५४ में १०,२०० रुपये १ आना ६ पाई लेकर भाग गये।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन जिलेदारों से जमानत कितनी ली जाती है और इनको अनुमानतः कितना लगान वसूल करना पड़ता है ?

श्री चरणसिंह--जमानत की कितनी रकम ली जाती है मैं यह नहीं कह सकता। लेकिन अनुमानतः २७ हजार रुपया लगान का उनको वसूल करना पड़ता है।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वे जितनी रकम ले कर भागे हैं वह एक ही फसल की वसूलयाबी की है या कई फसलों से लगातार बाकी चली आ रही थी ?

श्री चरणसिंह--मैं समझता हूं कि एक ही फसल की होगी क्योंकि १५-१५ दिन के अन्दर अपना हिसाब देना पड़ता है और इस कारण किसी बकाया रकम का प्रश्न साधारणतया नहीं उठता है।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या यह सत्य नहीं है कि यह रकम जो १०,००० या १३,००० की है, यह कई सालों से बाकी चली आ रही थी।

श्री चरणसिंह--मैंने कहा कि नियम के अनुसार कई फसलों का बकाया उनके पास नहीं होना चाहिये, लेकिन जो माननीय मित्र कहते हैं उनकी बात को असत्य कहने के लिये तैयार नहीं हूं, अगर वह चाहेंगे तो मैं इसकी तहकीकात करवा लूंगा।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो लोग रुपया लेकर भागे हैं उसकी कोई प्रापर्टी हमारे देश में है या नहीं ?

श्री चरणसिंह--डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो पत्र लिखा है उससे तो ऐसा मालूम होता है कि कुछ की तो अपनी ही जायदाद मकफूम थी, मारगेज थी। इससे जाहिर होता है कि जमीन थी। और अगर उनके पास न होगी तो जो श्योरिटीज थे उनके पास जायदाद होगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह लोग अकेले ही भागे हैं या परिवार के साथ ?

श्री चरणसिंह--यह मैंने तहकीकात नहीं की।

श्री कृष्णशरण आर्य--इस बात का क्या प्रमाण है कि यह लोग पाकिस्तान भाग गये या रामपुर में ही छिपे हुये हैं ?

श्री चरणसिंह--अगर माननीय दोस्त से उनका कुछ ताल्लुक हो तो सुराग दे सकते हैं। वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इत्तला कर दें, लेकिन उसकी इत्तला यही है।

*२१--श्री कृष्णशरण आर्य--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले में कुल कितने जिलेदार हैं तथा उन सब के नाम क्या-क्या हैं ?

श्री चरणसिंह--रामपुर जिले में कुल ७५ जिलेदार हैं, जिनके नाम संलग्न सूची में हैं।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ १७१-१७२ पर)

श्री कृष्णशरण आर्य---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इनमें से जो कुछ मुअत्तल हैं यह किन कारणों से मुअत्तल किये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष---उसी के लिये इतनी बड़ी लिस्ट आपने मालूम की है सबकी मुअत्तिली के कारणों के लिये अलग सवाल करना पड़ेगा।

झांसी जिले में सरकारी ट्रैक्टरों द्वारा जुताई

*२२---**श्री रमानाथ खैरा** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महरौनी तहसील, जिला झांसी में सरकारी ट्रैक्टरों द्वारा भूमि जुताई कार्य के संबंध में उन्होंने ट्रैक्टर अधिकारियों को आदेश दिया था कि केवल उन्हीं किसानों की भूमि जोती जाय जो स्वीकृति दें ?

श्री हुकुमसिंह---जी हां।

*२३---**श्री रमानाथ खैरा** (अनुपस्थित)---क्या सरकार को मालूम है कि संबंधित अधिकारियों ने अधिकांश किसानों की भूमि उनके लिखित व मौखिक विरोध के बावजूद भी जोती ?

श्री हुकुमसिंह---जी नहीं।

झांसी जिले के भूमिहीनों को दी गई परती जमीन

*२४---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में कुल कितनी परती जमीन है और उसमें से कितनी जमीन भूमिहीनों को दी गई है ?

श्री चरणसिंह---झांसी जिला में स्थित गांव समाजों में कुल ७,७५,१४१ एकड़ परती भूमि निहित है जिसमें से १६ अगस्त सन् १९५५ तक कुल ९,७०७ एकड़ भूमि भूमिहीन मजदूरों को और ५,५४० एकड़ अन्य व्यक्तियों को दी गई है।

श्री गज्जूराम---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो जमीन परती पड़ी हुई है उसको वह भूमिहीन किसानों को दिलाने का विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह---श्रीमन्, इस संबंध में जमींदारी उन्मूलन और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १९८ है जिसके अधीन गांव समाज की जमीन दूसरे लोगों को दे देने का अख्तियार है, ऐक्ट बना हुआ है। उनको अख्तियार तमीजी है, डिस्क्रिशन है। चाहे दें या न दें। कोई यहां से आदेश या डाइरेक्टिव भेजने का सवाल नहीं उठता।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माल मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रत्येक भूमिहीन परिवार को कितने एकड़ जमीन दी गई है ?

श्री चरणसिंह---ऐक्ट के मातहत सवा छः एकड़ से ज्यादा किसी को नहीं दी जा सकती। अब यहां कितनी कितनी दी गई हैं यह नहीं मालूम। सवा छः एकड़ या उससे कम दी गई होगी।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को कुछ इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि प्रधानों ने स्वयं पट्टे कर लिये हैं या अपने रिश्तेदारों को कर दिये हैं ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, झांसी जिले के संबंध में जहां तक मुझको याद है अब तक कोई शिकायत ऐसी नहीं मिली। और अगर प्रधानों ने अपने रिश्तेदारों को जमीन दे दी है तो उनको दे सकते थे अगर वे भूमिहीनों में आते थे, उनका रिश्तेदार हो जाना कोई कसूर नहीं है।

खितवांस, जिला झांसी में शरणार्थियों से बची हुई जमीन

*२५--**श्री गज्जूराम**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम खितवांस, तहसील ललितपुर, जिला झांसी में ट्रैक्टर द्वारा जो जमीन जोती गई है वह कितनी है ?

श्री हुकुमसिंह--खितवांस, तहसील ललितपुर, जिला झांसी में ट्रैक्टर द्वारा ५११ एकड़ भूमि जोती गई।

*२६--**श्री गज्जूराम**--क्या सरकार को ज्ञात है कि वह जमीन शरणार्थियों के लिये थी और उसमें काश्त हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह--हां, यह भूमि ३३ शरणार्थी परिवारों के लिये दी गई थी, चूंकि अब केवल ६ परिवार रह गये हैं जो कि १२५ एकड़ पर कृषि करते हैं और शेष भूमि अन्य परिवारों के भाग जाने के कारण, काश्त रहित हो गई है।

श्री गज्जूराम--क्या सरकार जो ३८६ एकड़ जमीन खाली पड़ी है वहां के भूमिहीन किसानों को देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह--अभी यह सवाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ग्राम पुरा, जिला मुरादाबाद के निवासियों की तकावी के लिये प्रार्थना

*२७--**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पुरा, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद के कितने व्यक्तियों ने वर्ष १९५४ ई० की फसल रबी के ओलों व वर्षा द्वारा खराब होने के कारण तकावी चाही थी और उनमें से कितने व्यक्तियों को तकावी दी गई है ?

श्री चरणसिंह--१९५४ ई० में रबी फसल के ओलों तथा वर्षा से नष्ट हो जाने पर ग्राम पुरा, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद के ७३ व्यक्तियों ने तकावी के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे। उन व्यक्तियों ने या तो गलत कारण बता कर या बिना कारण बताये हुये तकावी लेनी चाही थी। इसलिये उनकी दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं और उन्हें तकावी नहीं दी गई।

बाढ़ग्रस्त जिलों में ग्राम सभाओं द्वारा नाव निर्माण

*२८--**श्री रामसुभग वर्मा**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष बाढ़-ग्रस्त जिलों में कितनी गांव सभाओं ने सरकारी सहायता लेकर कितनी नावें तैयार कराईं ?

श्री चरणसिंह--गत वर्ष बाढ़-ग्रस्त जिलों में ८० ग्राम सभाओं ने सरकारी सहायता से ८९ नावें बनवाईं।

*२९--**श्री रामसुभग वर्मा**--क्या यह सही है कि कुछ ग्राम सभाओं ने सरकारी सहायता प्राप्त होने पर भी नावें नहीं बनवाईं ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं। परन्तु कुछ ग्राम सभाओं को सरकारी सहायता नहीं दी जा सकी क्योंकि ये ग्राम सभायें नावों का आधा मूल्य और बाकी उनके रख-रखाव का खर्च करने पर तैयार नहीं हुईं।

*३०--**श्री रामसुभग वर्मा**--क्या यह सत्य है कि कुछ ग्राम सभाओं ने नावें बनवाईं, लेकिन उनको सरकारी सहायता मांग करने पर भी नहीं दी गई ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किन-किन जिलों में कितनी-कितनी नावें बनवाई गईं ?

श्री चरणसिंह--जी आजमगढ़ में १४, गाजीपुर में १, सीतापुर में २२, गोरखपुर में ५, बलिया में २४, देवरिया में १९, फर्रुखाबाद में २ और गोंडा में २।

श्री रामसुन्दर पान्डेय--क्या माल मंत्री बतायेंगे कि जो नावें बनवाई गईं उनमें सरकार की कितनी सहायता मिली है और गांव सभाओं ने कितना दिया है ?

श्री चरणसिंह--एक नाव अनुमानतः ८०० रुपये में बन जाती है। चार सौ रुपया गांव सभाओं को पेशगी जमा करना होता है और यह जिम्मेदारी लेनी होती है कि वह इन नावों की मालिक हो जायेगी तथा उसका रख-रखाव वही करेगी और आधा रुपया सरकार देती है। पिछले साल बजट में ५० हजार रुपया रखा गया, बजट ३१ मार्च को मंजूर हुआ और ५ अप्रैल को आर्डर जारी हुये। १२५ नावें बन सकती थीं, उनमें से ७९ बन गईं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--चूंकि ग्राम सभाओं के पास रुपये की कमी है तो क्या सरकार इधर पिछले तजुरबे के आधार पर अपने धन के अंश में कुछ परिवर्तन करने का विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह--१२५ के लिये रुपया रखा गया था जिसमें से ७९ नावें बन गईं। तो मैं नहीं समझता कि इस पर कोई विशेष विचार करने की जरूरत है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार को मालूम है कि पड़रौना केन कोआपरेटिव सोसाइटी ने तीन गांव सभाओं के लिये रुपया दे कर नावें बनवाने का प्रस्ताव पास किया था लेकिन तहसीलदार ने उसको रिजेक्ट कर दिया ?

श्री चरणसिंह--इतनी तफसील तो मुझे नहीं मालूम है।

हमीरपुर और सुमेरपुर के बीच बस दुर्घटना

*३१--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार को मालूम है कि १९ मार्च सन् १९५५ को हमीरपुर के निकट कानपुर क्षेत्र की एक बस दुर्घटना के कारण ३ व्यक्तियों की तत्काल घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और २७ अन्य मुसाफिर सख्त घायल हो गये हैं, जिनकी हालत अत्यन्त चिन्ताजनक है ?

श्री चरणसिंह--१९ मार्च, १९५५ को ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई।

*३२--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार इस दुर्घटना के कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह--प्रश्न ही नहीं उठता।

*३३--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार इन तीनों मृतक व्यक्तियों और अन्य घायल मुसाफिरों का परिचय-पत्र मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह--प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९ तारीख या उसके आस-पास हमीरपुर और सुमेरपुर के बीच में इस प्रकार की कोई दुर्घटना हुई जिसमें ३ आदमियों की तुरन्त मृत्यु हो गई है और २७ व्यक्ति घायल हो गये हैं ?

श्री चरणसिंह--जी, सवाल में १९ मार्च था। १९ मार्च को नहीं हुई, आस-पास जरूर दुर्घटना हुई और उसमें यह बात ठीक है कि ४ आदमी मर गये।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय यातायात मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आदमी उस दुर्घटना में मर गये उनके परिवार वालों को कुछ मुआविजा दिया गया ?

श्री चरणसिंह––मुआविजा देने का सवाल विचाराधीन है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कोई गलती ड्राइवर की इस दुर्घटना में थी या नहीं वह मुआविजा के मुस्तहक अन्त में करार दिये जायेंगे या नहीं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)––क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९ मार्च के आस-पास जो दुर्घटना हुई उसका कारण क्या था?

श्री चरणसिंह––सामने से एक साइकिल वाला गलत दिशा में आ रहा था, गाड़ी के ड्राइवर ने बचाने की कोशिश की, उसमें दुर्घटना हो गयी।

श्री जोरावर वर्मा––क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात की कोई इंक्वायरी की है कि उस समय ड्राइवर मैक्जिमम स्पीड से ज्यादा स्पीड पर चला रहा था?

श्री चरणसिंह––इस सिलसिले में पूरी इंक्वायरी हुई है, स्पीड वगैरह भी उस इंक्वायरी के अन्दर शामिल होगी लेकिन आया कितनी स्पीड उसकी थी या नहीं, इस वक्त नहीं कह सकता। इस सिलसिले में विस्तार से नियम बने हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक सब-इन्सपेक्टर या उससे ऊंचे पुलिस अधिकारी को और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आदमी को अपने साथ या किसी मैजिस्ट्रेट के साथ शामिल करके इन्क्वायरी कराते हैं।

बदायूं जिले में तकावी की वसूली की रीति

*३४––**श्री शिवराजसिंह यादव** (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)––क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि १९४९ में कुयें बनाने तथा कृषि हेतु दी गई तकावियों को एक किस्त में मार्च, १९५५ में वसूल करने का प्रयास जिला बदायूं में किया जा रहा है?

श्री चरणसिंह––१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ६(ङ) के अधीन जमींदारी उन्मूलन के पूर्व की तकावी की एक ही किस्त में वसूली के आदेश सब जिलों को जारी किये गये थे। मार्च, १९५५ में जिला बदायूं में भी उक्त धारा के अधीन १९४९ में कुयें बनाने तथा कृषि हेतु दी गई तकावी की वसूली का प्रयास एक ही किस्त में किया गया। परन्तु भूतपूर्व मध्यवर्तियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने ३० मार्च, १९५५ को एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार भूमि-व्यवस्था कमिश्नर ने समस्त जिलाधीशों को यह आदेश दिया कि भूतपूर्व मध्यवर्तियों के तकावी के करजे की वसूली जो जमींदारी उन्मूलन के पूर्व के हैं आवश्यकतानुसार किस्तों द्वारा की जाय।

*३५––**श्री शिवराजसिंह यादव** (अनुपस्थित)––क्या संबंधित जिला अधिकारियों के पास उक्त तकावियों के संबंध में इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र आये हैं कि प्रार्थियों ने कोई तकावी नहीं ली और सरकारी लेखा इस संबंध में अशुद्ध है?

श्री चरणसिंह––यह सही है कि उक्त तकावियों के संबंध में कुछ प्रार्थना-पत्र इस आशय के आये हैं कि प्रार्थियों ने तकावी नहीं ली है पर जिन प्रार्थियों ने ऐसे प्रार्थना-पत्र दिये हैं उनसे वसूली स्थगित कर दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। ऐसी तकावियों का संबंध कृषि इंजीनियरिंग विभाग से था।

*३६––**श्री शिवराजसिंह यादव** (अनुपस्थित)––क्या सरकार उक्त तकावियों को नियमानुसार छोटी-छोटी इन्स्टालमेंट में लेने की कृपा करेगी?

श्री चरणसिंह––प्रश्न ३४ के उत्तर से स्पष्ट है कि उक्त तकावियों की वसूली आवश्यकतानुसार किस्तों में ही की जायगी।

हमीरपुर जिले में ओला वृष्टि से क्षतिग्रस्त ग्रामों को सहायता

*३७—श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अभी हाल ही में हमीरपुर जिले में हुई ओला वृष्टि से वहां की फसल की भीषण हानि हुई है ?

श्री चरणसिंह—जिला हमीरपुर की तहसील राठ के कुछ भाग में १६ मार्च, १९५५ को ओला पड़ा था और जो फसल खेतों में कटने से बच रही थी उसको क्षति पहुंची ।

*३८—श्री तेजप्रतापसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह हानि कितने गांवों में और कितनी हुई है ?

श्री चरणसिंह—कुल २३ गांवों में ओला गिरने की सूचना मिली थी जिनमें से ११ गांवों में हानि नगण्य रही। शेष १२ गांवों में हानि का विवरण इस प्रकार है:—

प्रभावित गांवों की संख्या			हानि की मात्रा
६	..	..	रुपये में ६ आना
४	..	..	रुपये में ८ आना
२	..	..	रुपये में १२ आना या अधिक

*३९—श्री तेजप्रतापसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इससे क्षतिग्रस्त लोगों की सहायतार्थ सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह—जिन गांवों में हानि की मात्रा रुपये में ६ आने या उससे अधिक है उनकी मालगुजारी की वसूली स्थगित है। इसको माफ कर देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो ११ गांव बतलाये गये हैं, जिनमें हानि नगण्य रही है उनमें कुछ काश्तकारों की फसल पूरी की पूरी चौपट हो गयी है, उनको कोई माफी देने पर विचार करेगी सरकार ?

श्री चरणसिंह— जी, मैंने नगण्य कहा है, तो उसका मतलब यह नहीं है कि सारे गांव के पड़ते पर वह नगण्य नुकसान बैठता है। नियम यह है कि खातेवार नुकसान आंका जाता है। तो वहां ११ गांवों में किसी काश्तकार का ६ आने या उससे अधिक नुकसान नहीं हुआ।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो माफी कर देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है इस पर कब तक विचार हो जायगा ?

श्री चरणसिंह—जब नुकसान हुआ उस समय मालगुजारी वसूल नहीं की जा रही थी। मालगुजारी वसूल होती है अप्रैल और मई में। १९ मई को आर्डर जारी हो गया है कि मालगुजारी स्थगित कर दी गयी, वसूली अभी चल रही है। एक दफा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आती है, फिर फाइनल रिपोर्ट आती है। अब फाइनल रिपोर्ट भी आ गयी है और ५०५ रु० कुल मालगुजारी बैठती है।

इलाहाबाद नैनी इंडस्ट्री एरिया

*४०—श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार इलाहाबाद के नैनी इंडस्ट्री एरिया को बन्द करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह—जी नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ४० श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछा।

मथुरा जिले में रेगिस्तान निरोधक कार्य

*४१—श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में रेगिस्तान को रोकने तथा ऊसर को खत्म करने के लिये कोई कार्य किये गये हैं? यदि हां, तो क्या क्या?

श्री हुकुमसिंह—मथुरा जिले में रेगिस्तान को रोकने के लिये तीन विभागों द्वारा पेड़ लगाने का कार्य किया गया है।

१—वन विभाग
२—उद्यान विभाग
३—पंचायत विभाग

१—वन विभाग ने निम्नलिखित स्थानों में पेड़ लगाये हैं:—

			एकड़
(१) बृन्दाबन	..	१९५३	४९९
(२) फरह	..	१९५४	२१५
(३) वाद	..	१९५४	८२
(४) नन्दगांव	..	१९५४	८०
(५) कोकलाबन	..	१९५४	१००
(६) कोटवन	..	१९५४	१५०
(७) गोवर्द्धन	..	१९५३–५४	३००
			१,४२६

सड़कों के किनारे लगाये गये पेड़ निम्नलिखित हैं:—

(१) मथुरा-आगरा सड़क	..	१७ मील १ फर्लांग
(२) मथुरा-बृन्दाबन सड़क	..	४ मील ४ फर्लांग
(३) गोवर्द्धन से बरसाना सड़क	..	१२ मील २ फर्लांग
		३३ मील ७ फर्लांग

इसके अतिरिक्त मथुरा-गोवर्द्धन सड़क पर १३ मील, मथुरा-देहली सड़क पर १० मील में आगामी वर्ष में पेड़ लगाये जायंगे।

२—उद्यान विभाग की ओर से निम्नलिखित कार्य हुये हैं:—

(१) नजूल ब्लाक मथुरा	१९५३–५४	६० एकड़	९,३१९ पेड़
	१९५४–५५	९५ एकड़	
(२) चांदमारी ब्लाक मथुरा	१९५४	४० एकड़	२,९१३
(३) औरंगाबाद ..	१९५४	६५ एकड़	४,६११ पेड़
		२६० एकड़	१६,८४३ पेड़
(४) गोवर्द्धन ब्लाक			
१—गोवर्द्धन ..	१९५४–५५	१७ एकड़	६७२ पेड़
२—आन्योर ..	१९५३–५४	२० एकड़	१,४९६ पेड़
	१९५४–५५	१३ एकड़	
३—गोविन्द कुंड ..	१९५३–५४	५ एकड़	२४६ पेड़
४—पूंछरी ..	१९५३–५४	४० एकड़	१,६४६ पेड़
		९५ एकड़	४,०६० पेड़

५—गोचर भूमि ब्लाक बृन्दावन १९५३–५४ २० एकड़ } २,०२३ पेड़
१९५४–५५ २३ एकड़ }

६—दौताना ब्लाक १९५३–५४ ८ एकड़ ३०८ पेड़

कुल ४०६ एकड़ भूमि में २३,२३४ पेड़ लगे और इस वर्ष माधुरी कुन्ड से २४० एकड़ में पेड़ लगाने की योजना है।

३—पंचायतों द्वारा १९५४–५५ में १,१०७·४८ एकड़ भूमि में श्रमदान द्वारा पेड़ लगे जिसमें १७,९०२ फलदार एवं ९६,४३१ पेड़ जलाने की एवं इमारती लकड़ी के हैं। कुल वृक्ष १,१४,३३३ हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जितने पेड़ लगाने की बात की गयी है उतने बीज बोये गये या पेड़ लगाये गये ?

श्री हुकुमसिंह—बीज बोने की बात मैंने कही नहीं, मैंने तो पेड़ लगाने की बात कही।

श्री रामहेतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पेड़ लगाने की स्कीम है वह पूरी तरह से सफल हो सके उसके लिये पानी को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह—अगर मथुरा जिले में पानी नहीं है तो उसका भी प्रबन्ध करेंगे ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पेड़ लगाये गये हैं हजारों यह किसी नरसरी से लाकर लगाये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह—मुख्तलिफ नरसरियों से लगाये गये हैं और बहुत सी जगह नरसरी तैयार की गई।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो पेड़ लगाये गये हैं यह कितने मूल्य के हैं यानी कितना खर्चा हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह—काफी खर्चा हुआ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो पेड़ लगाये गये इनमें कितने पनपे और कितने सूख गये ?

श्री हुकुमसिंह—काफी तादाद में पनपे।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने इस बात की जांच कराई है कि इन पेड़ लगाने से रेगिस्तना के प्रसार में कितनी रुकावट हुई है ?

श्री हुकुमसिंह—बढ़ नहीं पाया है अभी तक।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मंत्री जी गत साल बरसाना प्लांटेशन देखने गये थे लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो एक भी पेड़ उनको वहां नहीं मिला ?

श्री चरणसिंह—जी हां, यह बात दुरुस्त है। १९५१ में मैं बरसाने गया था वहां एक छोटे से प्लाट में पेड़ लगाये गये, बाद में मैं पहुंचा तो पेड़ नहीं थे। इनके बाद उनको सख्त सजा

दी गई, डिसमिसल भी हुआ एक दो का और भी सजायें दी गईं, रिटायरमेंट वगैरह भी हुये। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो माननीय मित्र सवाल कर रहे हैं तो मालूम होगा कि वहां पर सारी स्कीम में काफी कामयाबी हुई है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पेड़ पंचायतों द्वारा लगाये गये हैं उनकी रक्षा का क्या प्रबंध है?

श्री हुकुमसिंह—गांव पंचायतें करती हैं? फेंसिंग वगैरह उन्होंने लगवा रखा है हमने जा कर देखा था।

आजमगढ़ जिले के लोहरा आदि ग्रामों में सूखे के कारण छूट

*४२—**श्री ब्रजविहारी मिश्र** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले के फूलपुर उत्तरी क्षेत्र में ग्राम लोहरा के आस-पास करीब १०-१५ गांवों में इस वर्ष सूखे के कारण खरीफ की कोई फसल नहीं हुई?

श्री चरणसिंह—आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के उत्तरी क्षेत्र में ग्राम लोहरा तथा समीपस्थ १४ गांवों में खरीफ १३६२ फसली की केवल अगहनी धान की फसल अल्प-वृष्टि के कारण नहीं हुई, शेष फसलों को कोई हानि नहीं हुई।

*४३—**श्री ब्रजविहारी मिश्र** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त क्षेत्र के निवासियों ने अपने क्षेत्र के सदस्य, विधान सभा द्वारा जिलाधीश के यहां लगान की छूट के सम्बन्ध में मांग प्रस्तुत की थी?

श्री चरणसिंह—केवल ग्राम कनेला के निवासियों का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें सूखा से हुई क्षति के कारण भूमि कर में छूट देने के लिये प्रार्थना की गई थी।

*४४—**श्री ब्रजविहारी मिश्र** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त क्षेत्र में लगान में कितनी छूट दी गई है?

श्री चरणसिंह—उक्त क्षेत्र के १५ गांवों में खरीफ १३६२ फसली में १४९० रु० १० आ० की मालगुजारी में छूट दी गई।

इटावा जिले में पशु-चिकित्सालय व कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

*४५—**श्री मिहरबानसिंह** (जिला इटावा)—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्तर्गत भर्थना कस्बे में जो पशु-चिकित्सालय भवन बना है उसे क्या वे स्टाफ देकर चालू करने का विचार कर रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह—पहली अगस्त, १९५५ से चिकित्सालय चालू किया जा चुका है।

*४६—**श्री मिहरबानसिंह**—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह कसबा भर्थना में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र भी खुलवाने का विचार कर रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह—जी नहीं।

श्री मिहरबानसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में कितने कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र हैं और कहां-कहां पर हैं?

श्री हुकुमसिंह—एक सेंटर महेवा में है और उसका सब-सेंटर इटावा है और एक औरैया में है। इस तरह से तीन हैं।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ४२-४४ श्री झारखंडे राय ने पूछे।

श्री मिहरबानसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनमें कितने प्रतिशत कामयाबी हासिल हुई है ?

श्री हुकुमसिंह—५० प्रतिशत से ऊपर ।

गोरखपुर रोडवेज द्वारा कन्डक्टरी की ट्रेनिंग

*४७—श्री राजवंशी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर रोडवेज की तरफ से सन् १९५३–५४ में कितने आदमियों को कन्डेक्टरी की ट्रेनिंग दी गई और उनमें से कितने को काम पर ले लिया गया ?

श्री चरणसिंह—१४९ आदमियों को कन्डक्टरी की ट्रेनिंग दी गई और उनमें से ९५ को काम पर ले लिया गया ।

*४८—श्री राजवंशी (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह मालूम है कि जिनको पहले ट्रेनिंग दी गई उनको अभी तक काम नहीं मिला और जिन्होंने बाद में ट्रेनिंग पाई उन्हें काम पर ले लिया गया ?

श्री चरणसिंह—जी हां । जो आदमी अपनी बारी पर काम पर न लिये गये वे या तो चुनाव के समय उपस्थित न हो सके या जब बुलाये गये तब उपस्थित न हुये ।

बनारस तहसील म भूमिधरी सनदें

*४९—श्री लालबहादुरसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बनारस तहसील में अब तक दसगुना जमा किये हुये कितने खातों की भूमिधरी सनद अब तक नहीं मिली है ?

श्री चरणसिंह—तहसील बनारस में २१९ खाते ऐसे हैं जिनमें दसा गुना जमा बतलाये जाने के बावजूद भी भूमिधरी सनदें नहीं दी गई ।

श्री लालबहादुरसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो १९ खाते बतलाये गये हैं कि अभी तक इनके लोगों को सनद नहीं मिली है तो यह किस तारीख तक के आकड़े हैं ?

श्री चरणसिंह—अगर मैं इस सवाल को सही समझा तो माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कब यह रुपया जमा हुआ था । यह तो मैंने जवाब में बतलाया कि जिनकी बाबत कहा जाता है कि रुपया जमा हुआ, एक्चुअली रुपया जमा हुआ या नहीं, यह तो अभी डिस्प्यूट में है । अगर रुपया जमा हुआ होगा तो वह सन् १९५० तक दी हुआ होगा । श्रीमन्, वहां तहसील में कुछ हिसाब में गड़बड़ी पायी गई । उसमें एक तहसीलदार को सस्पेंड किया गया और एक तहवीलदार और मुन्सरिम पर मुकदमा फौजदारी चल रहा है । इन २१९ आदमियों में ८५ ऐसे किसान हैं जिनकी आंशिक रकम जमा हुई है । कुछ रुपये के गबन होने की जानकारी के बाद इन तीन अधिकारियों पर मुकदमा चल रहा है । अगर यह साबित हो जायगा कि किसी किसान ने रुपया जमा किया है तो उसको सनद दे दी जायगी और उनकी मालगुजारी जिस रोज सनद जारी होनी थी उस रोज से लेकर अब तक मुजरा दी जायगी ।

श्री लालबहादुरसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो गबन हुआ है उसके अलावा भी जो रुपया जमा हुआ है उसकी सनद नहीं दी गयी है या सिर्फ जो गबन हुआ है उसी की बाकी है ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ४७–४८ श्री रामसुभग वर्मा ने पूछे ।

श्री चरणसिंह—यह तो नहीं कहा जा सकता कि २१९ आदमियों ने जो सनद के मुताल्लिक रुपया जमा किया बकाया भी उनकी तरफ से आया या नहीं। गवनमेंट की तरफ से कलेक्टर को कहा जायगा कि वह फिर तहकीकात करायें और जिनकी बाबत उनकी अपनी तसल्ली हो जाय तो वह उनको सनद जारी कर दें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार इसकी जांच माल विभाग के अलावा किसी दूसरे अधिकारी से कराने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—जो कोई गबन होता है तो उसकी तहकीकात पुलिस ही करती है और पुलिस ही मुकदमा चलाती है। यहां पर भी पुलिस की तरफ से मुकदमा चल रहा है।

श्री हरदयालसिंह सिंह (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में जो तहसीलदार सस्पेंड किया गया है क्या वह अभी तक सस्पेंड है या उसको बहाल कर दिया गया है ?

श्री चरणसिंह—वह अभी तक सस्पेंड है। मुकदमा चल रहा है।

तमकुही तथा तरयासुजान केन यूनियनों की गन्ना बाहर भेजने की प्रार्थना

*५०—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि तमकुही (सेवरही) तथा तरया सुजान, जिला देवरिया की केन यूनियनों ने अपना गन्ना बाहर भेजने को केन कमिश्नर से प्रार्थना की परन्तु उनकी प्रार्थना मंजूर नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह—हां, तरयासुजान तथा तमकुही (सेवरही) केन यूनियनों की प्रार्थना पर केन कमिश्नर द्वारा पूर्णरूपेण विचार किया गया था। गन्ने की मात्रा जो यूनियनों ने आंकी थी उसके सम्बन्ध में सेवरही मिल ने विरोध प्रकट किया और जांच के पश्चात् यह प्रतीत हुआ कि सेवरही मिल स्वयं ही अपने क्षेत्र का गन्ना मध्य अप्रैल तक पेरने में समर्थ हो सकेगी। इसलिये किसी अन्य मिल को उक्त क्षेत्रों से गन्ना भेजने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

*५१-५२—श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—[८ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या १०-११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गोरखपुर जिले के बीजगोदाम

*५३—श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में कुल कितने और कहां-कहां बीज गोदाम हैं और उनमें किस-किस वैरायटी के बीज हैं ?

श्री हुकुमसिंह—आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १७३-१७८ पर।)

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नौतनवां और बजमनगंज में जो बीजगोदाम हैं उनमें आवश्यकतानुसार धान देने में कमी पड़ जाती है ?

श्री हुकुमसिंह—ऐसी रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं आयी है।

पूरनपुर, जिला पीलीभीत के मकान बेचने व खरीदने वालों की बेदखली

*५४—श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश जरे चहारम एबोलीशन ऐक्ट, १९५१ के पास होने के बाद भी जिला पीलीभीत में पुरनपुर कस्बे के मकान बेचने व खरीदने वालों को जमींदार के हक में बेदखल किया गया ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ५० श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछा।

श्री चरणसिंह—जिला पीलीभीत के पूरनपुर कस्बे में मकान बेचने व खरीदने वालों को जमींदारों के हक में बेदखल किये जाने की सूचना सरकार को अवश्य मिली, परन्तु इन बेदखलियों का कोई सम्बन्ध उत्तर प्रदेश जरे चहारुम उत्पादन अधिनियम, १९५१ से नहीं है।

*५५—श्री मुनीन्द्रपालसिंह—क्या सरकार ने उक्त कस्बे के निवासियों को अपनी चिट्ठी नं० ११-पी/१—ए, तारीख १२ नवम्बर, १९५२, रेवेन्यू (ए) डिपार्टमेंट द्वारा आश्वासन दिया था कि यह ऐक्ट पूर्णरूपेण उनके अधिकारों की रक्षा करता है ?

श्री चरणसिंह—जी हां।

श्री मुनीन्द्रपालसिंह—क्या सरकार इन लोगों को कंपेन्सेट कराने का विचार रखती है जिनके अधिकारों की रक्षा नहीं हुई ?

श्री चरणसिंह—अब इसका मैं क्या जवाब दूं। गवर्नमेंट की तरफ से कम्पेन्सेशन देने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उनकी बेदखली के कौन-कौन कारण हैं ?

श्री चरणसिंह—बेदखली के कारण यह है कि एक आदमी जमींदार से जमीन लेकर मकान बनाता है और एग्रीमेंट डीड में हक इन्तकाल नहीं लेता है और फिर भी उसको मुन्तकिल कर देता है तो उसको कानूनन जमींदार को बेदखल कराने का हक हासिल है।

श्री मुनीन्द्रपालसिंह—सवाल ५५ के जवाब में जो जी० ओ० है उसके सिलसिले में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरणसिंह—यह जी० ओ० १२ नवम्बर, सन् ५२ को प्रेम प्रकाश आदि पूरनपुर निवासियों के खत के जवाब में ज़ारी हुआ था उसमें लिखा गया था कि जो सवाल आपने पूछा है उसके सिलसिले में कानून बना हुआ है और कानून की मंशा यह है। इस प्रकार से उसमें कानून की ताबीर की गयी थी। सन् ५१ में कानून बनाया गया था और उसके बारे में ५२ में कहा गया ऐसा कानून बना है।

गाजीपुर जिले में सूखे के कारण लगान में छूट

*५६—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गाजीपुर जिले में सूखे के कारण किसानों को खरीफ १९५४ के लगान में कितनी छूट दी गई है ?

श्री चरणसिंह—गाजीपुर जिले में खरीफ १३६२ फसली में सूखे के कारण २,२८,०९१ रु० ६ आ० की छूट मालगुजारी में दी गई।

फैजाबाद जिले के कुछ गांवों को आजमगढ़ जिले में मिलाने की प्रार्थना

*५७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार के पास फैजाबाद जिले की टांडा तहसील के कुछ गांवों के निवासियों ने अपने गांव को आजमगढ़ जिले में मिला देने के लिये आवेदन-पत्र दिया था ?

श्री चरणसिंह—जी हां।

*५८—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—सरकार ने उस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ५५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बांसी तहसील में सूखे के कारण लगान में छूट की आवश्यकता

*५९—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष अनावृष्टि के कारण बस्ती जिले की बांसी तहसील के परगना विनायकपुर के गांवों की जड़हन की फसल एकदम सूख गई है?

श्री चरणसिंह—बस्ती जिला के बांसी तहसील के परगना विनायकपुर के किसी भी गांव में जड़हन की फसल खरीफ १३६२ फसली में अनावृष्टि के कारण नहीं सूखी है।

*६०—श्री मथुराप्रसाद पांडेय—यदि हां, तो क्या सरकार उस क्षेत्र की जनता को लगान आदि की छूट देने व समुचित सहायता करने का विचार रखती है?

श्री चरणसिंह—यह प्रश्न नहीं उठता।

रोडवेज स्टेशनों पर कंडक्टरों से क्लर्कों का काम लेना

*६१—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को पता है कि रोडवेज स्टेशनों पर कन्डक्टरों से भी क्लर्क का काम लिया जाता है? यदि हां, तो कितने कन्डक्टर्स इस सहयोग में कहां-कहां लगे हैं?

श्री चरणसिंह—जी हां। निम्नांकित कन्डक्टर तथा क्लीनर कन्डक्टर निम्नलिखित प्रदेशों में क्लर्क के पद पर कार्य कर रहे हैं:

(१) आगरा	.. ..	१८
(२) कानपुर	.. ..	१३
(३) इलाहाबाद	.. ..	७१
(४) लखनऊ	.. ..	४७
(५) बरेली	.. ..	५५
(६) गोरखपुर	.. ..	१९
योग	..	२२३

*६२—श्री केशवपांडेय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इन कन्डक्टर्स को क्लर्क का काम करते कई वर्ष हो गये हैं परन्तु उन्हें क्लर्क का वेतन नहीं दिया जाता? क्या उनके प्रमोशन की व्यवस्था सरकार करेगी?

श्री चरणसिंह—सरकार ने इस सिलसिले में उच्च पदें अप्रैल १, १९५५ से स्वीकार की है, जिससे कि कर्मचारियों को जिस पद पर वे काम कर रहे हैं उसी का वेतन मिले। भविष्य के लिये भी उचित आदेश जारी कर दिये गये हैं।

मुरादाबाद जिले में गांव समाज के बंजर तथा झील तोड़ने की शिकायतें

*६३—श्री महीलाल—क्या माल मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सोंधा मानकपुर, सुनवारी और मिलक सीकरी, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद के भूमि प्रबन्धक समिति के चेयरमैनों तथा अन्य सदस्यों ने कुछ लोगों द्वारा गांव समाज के बंजर तथा झील तोड़ने की शिकायतें परगनाधीश बिलारी से सन् १९५३–५४ ई० में की थीं?

श्री चरणसिंह— जी हां।

*६४—श्री महीलाल—क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि उक्त शिकायतों की जांच की गई थी? यदि हां, तो क्या फल निकला?

श्री चरणसिंह—कुछ मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों की रजामन्दी से उनका कब्जा समाप्त कर दिया गया तथा दूसरों में जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि-व्यवस्था नियम, १९५२ के नियम ११५-डी के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये।

जौनपुर जिले के बाढ़पीड़ितों की सहायतार्थ धन का वितरण

*६५—श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जौनपुर जिले के बाढ़पीड़ितों की सहायतार्थ जो २,५०० रु० सन् १९५३ में शिक्षा मंत्री को दिये थे उसका वितरण कब और किसके द्वारा किया गया?

श्री चरणसिंह—मुख्य मंत्री जी ने अपनी व्यक्तिगत सहायता निधि से जो २,५००रु० जौनपुर जिले के बाढ़पीड़ितों की सहायता के लिये सन् १९५३ में दिया था, उसका वितरण जौनपुर जिला कांग्रेस कमेटी के सभापति ने विधान सभा के स्थानीय सदस्यों द्वारा किया था। सरकार इससे अधिक तफसील में जाना उचित नहीं समझती क्योंकि यह रुपया गवर्नमेंट फंड का नहीं था।

बुन्देलखंड में मृत जानवरों को दफनाने से राष्ट्र सम्पत्ति की हानि

*६६—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि चर्मकार लोगों द्वारा बुंदेलखंड व अन्य जिलों में मरे हुये जानवरों को उठाना बन्द कर दिये जाने के कारण उनके दफनाने से राष्ट्र की सम्पत्ति का बड़ा नुकसान हो रहा है तथा बीमारियां फैलने का अंदेशा है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री हुकुमसिंह—जी हां। बुन्देलखंड में कुछ समय पहले स्थानीय चर्मकारों ने मरे हुये जानवरों का उठाना बन्द कर दिया था। जिला अधिकारियों के प्रयत्न के द्वारा चर्मकारों की एक पार्टी जिला गोरखपुर से जालौन जिले में बुलाई गई जो काम कर रही है और धीरे-धीरे स्थानीय चर्मकारों ने भी चमड़ा उतारने का काम फिर से आरम्भ कर दिया है। संक्रामक रोगों से मरे हुए जानवरों को यथासंभव जमीन में गाड़ दिया जाता है।

कर्मचन्दा पुरवा, जिला जालौन में भूदान यज्ञ

*६७—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या यह सही है कि ग्राम कर्मचन्दा-पुरवा, तहसील कालपी (जालौन) में भूमि-दान यज्ञ में जमीन दी गई है, जिसका प्रबन्ध गांधी उद्योग ट्रस्ट, कालपी द्वारा किया जाता है?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री कमलासिंह—(जिला गाजीपुर)—[६ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

रायबरेली जिले के भितरी ग्राम निवासियों का खलियान भूमि के लिये प्रार्थना-पत्र

२—श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम भितरी, पोस्ट सेमरी, जिला रायबरेली के किसानों का कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास खलियान के लिये भूमि सम्बन्धी आया है? यदि हां, तो कब तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री चरणसिंह---जी हां, प्रश्नकर्ता (सदन के तत्कालीन विरोधी नेता), से ही ऐसे दो प्रार्थना-पत्र मार्च, १९५५ में सरकार को मिले। सर्वश्री चौहरजा सिंह, रामबली व संकठा प्रसाद, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई थी, जमींदारी विनाश से पहले ही खलिहान भूमि के काश्तकार दर्ज हैं। लेकिन गांव में कोई दूसरी खलियान भूमि न होने के कारण गांव समाज ने १२ मई, १९५५ तक एस० डी० ओ०, डलमऊ की अदालत में जमींदारी विनाश व भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २१२-अ के अन्तर्गत मुकदमा दायर कर दिया था जो कि विचाराधीन है।

अनुत्तीर्ण लेखपालों को दुबारा परीक्षा में बैठने की अनुमति

३---**श्री रामनारायण त्रिपाठी**---क्या मालमंत्री लेखपालों की परीक्षा में अनुत्तीर्ण लेखपालों को दुबारा परीक्षा का अवसर देने आदि के बारे में सरकार ने जिलाधीशों के नाम जो राज्यादेश भेजा है उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री चरणसिंह---सरकार ने उन लेखपालों को जो कि पहली लेखपाल परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए थे सप्लीमेंटरी परीक्षा जो कि जनवरी, १९५६ ई० में होने जा रही है बैठने की अनुमति प्रदान कर दी है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने ऐसे अस्थायी लेखपालों को जिन्होंने साल भर काम किया था और जिन्होंने तीन महीने का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था और उन उम्मीदवारों को जो कि दो साल से अस्थायी पद पर काम कर रहे हैं परन्तु कोई प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है---इस सप्लीमेंटरी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है।

इस सम्बन्ध में भूमि व्यवस्था कमिश्नर ने जो परिपत्र जिलाधीशों को भेजे हैं उनका उद्धरण साथ में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १७९ पर)

राजकीय डेरी फार्म, गजरिया

४---**श्री राजाराम किसान** (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय डेरी फार्म, गजरिया में अन्य रंग की (कोह कलर की) कितनी बछियां बांटी गईं और कहां-कहां?

श्री हुकुमसिंह---राजकीय डेरी फार्म, गजरिया में अन्य रंग की (कोह कलर की) कोई बछिया नहीं बांटी गई है।

मुरादाबाद जिले की बिलारी तहसील की भूमि के खाते

५---**श्री महीलाल**---क्या मालमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद में कुल कितनी भूमि है और उसमें से कितनी जोत में है?

श्री चरणसिंह---इस तहसील में कुल २,११,५२५ एकड़ भूमि है जिसमें से १,९८,०८४ एकड़ जोत में है।

६---**श्री महीलाल**---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उक्त तहसील में कुल कितने खाते ३० एकड़ से बड़े हैं तथा कितने ३ एकड़ से छोटे हैं?

श्री चरणसिंह---उक्त तहसील में १०९ खाते ३० एकड़ से बड़े हैं तथा ६४,५९१ खाते ३ एकड़ से छोटे हैं।

बस्ती जिले के गन्ना विभाग द्वारा स्थानीय प्रेसों से छपाई के टेण्डरों की मांग

७—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला का गन्ना विभाग स्थानीय प्रेसों से छपाई के लिये टेंडर मांगता है या नहीं?

श्री हुकुमसिंह—जी हां। जिला बस्ती का गन्ना विभाग स्थानीय प्रेसों से छपाई के लिये टेंडर मांगता है।

आजमगढ़ जिले में चकबन्दी विभाग के कर्मचारी

८—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने कर्मचारी चकबन्दी विभाग में नियुक्त किये गये हैं?

श्री चरणसिंह—आजमगढ़ जिले की तहसील सदर में ४०४ कर्मचारी चकबन्दी विभाग में नियुक्त किये गये हैं, जिनका ब्योरा संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १८० पर।)

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में पशु-चिकित्सालय का आयोजन

९—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि आजमगढ़ जिले कीसगड़ी तहसील में किस स्थान पर पशु-चिकित्सालय खोलने का आयोजन हो रहा है और उसके भवन-निर्माण का कार्य कब से आरम्भ होगा?

श्री हुकुमसिंह—तहसील सगड़ी में पशु-चिकित्सालय खोलना निश्चित हो गया है परन्तु अभी स्थान निश्चित नहीं हुआ है। तहसील के अन्तर्गत किसी ऐसे स्थान पर खोला जावेगा जो सेंट्रल (Central) जगह हो और चिकित्सालय के लिये उपयुक्त मकान किराये पर मिल सके।

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये समय निर्धारण की सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को निम्न सूचना देता हूं :—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य परामर्शदात्री समिति ने २६ अगस्त, १९५५ की अपनी सायंकाल की बैठक में यह निश्चय किया कि निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के प्रस्तावों के लिये उनके सामने लिखा समय निर्धारित किया जाय—

१—उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ ..	साढ़े तीन दिन
२—उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५	आधा दिन।"

इस पर माननीय जगन्नाथ मल्ल प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ और उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५ के लिये कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा जो समय निर्धारण किया गया है, उससे सहमत है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह सर्वसम्मति से स्वीकृत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-क्रम में परिवर्तन

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एजेंडा के हिसाब से आइटम नंबर ३ जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली पर विवाद होना था लेकिन श्री गेंदासिंह जी, जो यहां मौजूद नहीं हैं उन्होंने हमसे यह निवेदन करने के लिये कहा है कि वह आज न लिया जाय। हम लोगों की यह राय है कि आइटम नंबर ९ उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—वे चाहते हैं कि गोवध निवारण विधेयक पहले ले लिया जाय और जब यह खत्म हो जाय तब दूसरा आइटम लिया जाय।

श्री हुकुमसिंह—मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५—(क्रमागत)

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ पर विचार करने का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं। इस संबंध में मुझे कोई लम्बी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है। गौ का प्रश्न हमारे इस खेतिहर देश के लिये कितना आवश्यक और जरूरी है यह हमारे इस माननीय सदन के सभी माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से विदित है। यह गो धन हमारे उस जमाने से महत्व रखता है जब कि हिस्टरी भी नहीं शुरू हुई थी। प्री हिस्टोरिक एज में इसका महत्व था, वैदिक पीरियड में भी गो वंश का बड़ा माहात्म्य था। पुराने इतिहास से भी यह बखूबी जाहिर है कि हमारे देश में गोधन एक मुख्य स्थान रखता था और इसका विशेष कारण यह है कि यह हमारा देश जो खेतिहर देश है, जहां के ८० फीसदी लोग खेती पर ही अपनी जिन्दगी बसर करते हैं हमारे देश का मुख्य उद्यम खेती है। खेती और मवेशी का ऐसा आपस में चोली दामन का साथ है कि अगर खेती से गो धन को अलग कर दिया जाय तो खेती का कोई माने नहीं रह जाता। भले ही कुछ लोग ट्रैक्टर वगैरह मंगा कर अपनी खेती का काम चला लें लेकिन अधिकांश लोग हमारे देश में छोटे छोटे काश्तकार हैं जो ट्रैक्टर वगैरह का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं उनके लिये बैलों का होना अनिवार्य है और हर तरह से आवश्यक है। लिहाजा अगर हमारे मवेशियों का सवाल खेती से अलग कर दिया जाता है और सारा उद्योग और प्रयत्न जो खेती को बढ़ाने का किया जाता है उसके साथ-साथ गोधन को बढाने का तिरस्कार किया जाता है या उस तरफ तवज्जह नहीं की जाती है तो हमारे खेती के काम में सफलता नहीं हो सकती। मवेशियों का होना, अच्छे अच्छे बैलों का होना, अच्छी-अच्छी गायों का होना हमारे लिये बहुत जरूरी है।

यह प्रश्न बहुत अरसे से, हमेशा से हमारे देश के सामने था और हर शख्स इस तरफ बड़े ध्यान से सोचता था कि हमारे देश का यह प्रश्न कैसे हल हो। गौ कोई राजनीति नहीं जानती है। गौ के मामले में कोई पालिटिक्स नहीं है और न होनी चाहिये। हमारे गांवों की आर्थिक व्यवस्था में गायों का मुख्य स्थान है और जिस वक्त हम अपने देश के गांवों की आर्थिक व्यवस्था की उन्नति के बारे में सोचते हैं तो हमारे लिये लाजिमी हो जाता है कि हम इस गौ के प्रश्न को भी साथ ही साथ सोचें और इसी ख्याल को लेकर यह बड़ा जटिल प्रश्न और मुश्किल सवाल था जिसके साथ-साथ तरह-तरह की भावनायें लोग जाहिर करते आये हैं। बहुत सी राजनीतिक पार्टियां भी इसको राजनीति का एक अखाड़ा बना कर उसके जरिये लड़ाई लड़ने का समारोह करती रहती हैं। लेकिन जैसा कि हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने कहा था उस अवसर पर जब कि यहां एक प्रस्ताव या बिल इस संबंध में पेश था "काऊ नोज नो पोलिटिक्स" लिहाजा उनका एप्रोच, सरकार का एप्रोच इस प्रश्न की तरफ आर्थिक दृष्टिकोण से होना चाहिये। बड़ी उजलत लोगों ने दिखलाई, लेकिन सरकार इस प्रश्न की गम्भीरता को बखूबी जानती थी और इसी लिये उसने बड़ी सावधानी से इस मसले को उठाया, उस ने पहले इस कार्य के लिये

[श्री हुकुमसिंह]

एक कमेटी नियुक्त की जिसमें हमारे देश के खास खास आदमी, हर मजहब मिल्लत के लोग और हर राजनीतिक विचार के आदमी उसमें रखे गये और इस सारे प्रश्न को चार पांच भागों में विभाजित करके उस कमेटी के हवाले किया गया और उससे प्रार्थना की गई कि वह इन तमाम प्रश्नों पर विचार करे और अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश करे। मैं श्रीमान् जी की आज्ञा से उन माननीय सदस्यों की सूची सदन में पढ़ना चाहता हूं जो कि उस कमेटी में थे। डाक्टर सीताराम, चेयरमैन; श्री अहमद सईद खां, नवाब छत्तारी; श्री बजरंग बहादुर सिंह, एम० एल० सी०; श्री अख्तर हुसैन, एम० पी०; श्री बी० एन० लहिरी रिटायर्ड, आई० जी० पुलिस; श्री रणंजय सिंह, एम० एल० ए०; श्री सुरेश प्रकाश सिंह, एम० एल० ए०; श्री अक्षय करण, गांधी आश्रम, सेवापुरी बनारस, श्री गोपाल शास्त्री, बनारस, श्री मलखान सिंह, एम० एल० ए०, श्री राजाराम शास्त्री, एम० एल० सी०; श्री लीलाधर अष्ठाना, एम० एल० ए०; श्री बाबू लाल मित्तल, एम० एल० ए०; श्री एम० जे० मुकर्जी, एम० एल० सी०; श्री स्वामी भास्करानन्द, रामकृष्ण मिशन, होम आफ सर्विस, बनारस; श्री मोहम्मद हबीब, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़; श्री रामनरेश शुक्ल, एम० एल० ए०; श्री विष्णु शरण दुबलिश, एम० एल० ए०; श्री दीनदयालु एम० एल० ए०; श्री वीरेंद्र वर्मा, एम० एल० ए०, श्री एच० बी० शाही, एनिमल हस्बेन्डरी कमिश्नर, विधान भवन, लखनऊ।

इन तमाम माननीय सदस्यों ने मिलकर इस कमेटी को कांस्टीट्यूट किया था। इस कमेटी ने बड़े परिश्रम और ध्यान के साथ इस मसले के हर पहलू पर विचार किया और मुख्तलिफ मुकामात पर उसने अपनी मीटिंग्ज कीं और जो लोग इस प्रश्न के संबंध में जानकारी रखते थे या दिलचस्पी रखते थे उन सब के बयानात लिये और उनको कलमबन्द किया और हर तरह की जितनी भी शहादतें उनको मिल सकती थीं उन सबको इकठ्ठा कर के उन पर विचार किया और उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने भेजी। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस रिपोर्ट को मंजूर किया और खास कर गोवध के संबंध में सब ने इत्तफाक राय हो कर सरकार को सुझाव दिया कि यहां गौ और उसकी सन्तान का कतई वध न किया जाय और इस वध को टोटल बैन किया जाय। यह रिपोर्ट सर्वसम्मति से समिति ने हमें दी। सरकार ने सारी रिपोर्ट पर विचार किया। इस प्रश्न के बहुत से पहलू हैं और इसके साथ ही हमें कई और सवाल भी हल करने पड़ेंगे। उन तमाम बातों पर सरकार ने गौर किया और कमेटी की सिफारिशों को सरकार ने बजिन्सहू मान कर एक बिल तैयार किया और वह सदन के सामने प्रस्तुत किया गया। आज मैंने सदन के विचार के लिये इसको उपस्थित किया है और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इसको किसी राजनीतिक भावना से न लाकर हम केवल आर्थिक दृष्टि से देखेंगे और सारे मसले पर विचार करेंगे। हमारे देश के लिये गोरक्षा निहायत जरूरी है जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था, खेती के लिये गौ की जरूरत है, इसीलिये हम उसको गोमाता भी कहते हैं। हमारे देश में जब तक गौ जिन्दा रहती है हर तरह की मदद हमें उससे मिलती है, वह हम को दूध देती है उसका गोबर खाद की शक्ल में खेती के काम आता है। उससे अनाज की पैदावार में भी इजाफा होता है, वह बछड़े भी देती है जो बैल की शक्ल में हमारी और आपकी खेती में पूरी पूरी मदद करते हैं और इतना ही नहीं जब बेचारी मरती है तब भी अपने चमड़े से हमारे आपके जूते का काम करती है। इसलिये गोधन ऐसा धन है जो जीने और मरने दोनों में हमेशा इन्सान की सहायता करता रहता है। हम गायों को यदि आदमी का बैनिफैक्टर कहें तो अत्युक्ति की बात नहीं है। जो जानवर हमारे देश के लिये इतना महत्व रखता हो, इतना उपयोगी हो उसकी रक्षा करना हमारा आपका कर्त्तव्य है।

रिपोर्ट में यह भी है कि सन् १९०४ में जब मवेशीशुमारी हुई थी उस समय २ करोड़ ३९ लाख गायें थीं लेकिन उसके बाद १९५१ में १ करोड़ ९९ लाख रह गयीं यानी ४० लाख की कमी हो गयी। तो अगर हम इससे कुछ सबक सीखें तो यही कि हमको आपको इस तरफ तवज्जह करनी है। अगर यह धन हमारा यों ही ह्रास होता रहेगा यानी हम ने अगर इसी तरह से पचास

साल में ४० लाख तो खो दिया और अगर इस तरह से खोते जायेंगे तो फिर क्या भविष्य होगा वह हम आप सोच सकते हैं कहने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि लड़ाई के जमाने में खाने की चीजों की कितनी कमी थी, लेकिन हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में आपने, हमने, देश के सभी भाइयों ने और सरकार ने भी सबने मिलकर पैदावार को भरसक बढ़ाने की कोशिश की। हमने इंटेसिव और एक्सटेंसिव कल्टीवेशन किया और उसी के फलस्वरूप अब बाहर से गल्ला मंगाने की जरूरत नहीं है अब अगर हमारे बैल इस मसरफ के न हों जो हमारी खेती में पूरी पूरी सहायता दे सकें तो फिर हमारे खेतों की पैदावार में भारी कमी होगी और उस कमी को हम कैसे पूरा कर सकेंगे यह भगवान जानता है। खानेवालों की तादाद तो रोज बढ़ती है उसमें कोई रुकावट नहीं हो सकती और अगर पैदावार में इजाफा न हो कम्प्लेसेंसी में बैठे रहें और इस तरफ तवज्जह न करें तो फिर वही प्रश्न जटिल से जटिल रूप में हमारे सामने उपस्थित हो सकता है। इसलिये सरकार एनीमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट खोलकर इन मवेशियों की नस्लों को ठीक ठीक रखने का पूरा पूरा प्रयत्न कर रही है और करोड़ों रुपया हर साल यह सदन इस कार्य के लिये मंजूर करता है और वह खर्च किया जा रहा है। इसका तात्पर्य सिर्फ यह है कि हमारे देश में अच्छी से अच्छी नस्ल गायों बैलों और अन्य जानवरों की हों। लोग कहते हैं कि यहां तो घी दूध की नदियां नहीं बहतीं। मैं कहता हूं, गायें नहीं होंगी तो घी दूध की नदियां बहायेगा कौन ? बिना अच्छी गायों के दूध की नदियां नहीं बह सकतीं। दूध की इतनी कमी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको दूध पीने को कौन कहे देखने को नहीं मिलता। तो इसलिये यह जरूरी है कि दुधारू गायें रखी जायं, उनकी ब्रीड बढ़ाई जाय तो हमारे दूध का इजाफा हो सकता है और काफी लोगों को दूध मिल सकता है। जैसा मैंने कहा कि एनीमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट इस तरफ अपना पूरा-पूरा कदम उठाकर हर तरह की तरक्की करना चाहता है। एन० ई० एस० ब्लाक्स और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में अच्छी-अच्छी नस्लों की बछिया और बुल हैं उनको अपने मिकेनाइज्ड फार्म में उपयोग करने का प्रयत्न किया है, हमने कम्युनिटी प्रोजेक्ट की एरिया में लोगों को तकावी भी दी ताकि लोगों को रुझान हो और अच्छी गायों की और बैलों की नस्लों को लोग बढ़ायें। ये इस तरह के उद्योग किये जा रहे हैं, लेकिन यदि यह सारे उद्योग हम करते रहें और इनकी रक्षा करने के बारे में प्रयत्न न करें यदि वह मरती रहें और कटती रहें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही हमको पीछे खींच लिया जायगा। इसलिये यह रक्खा गया है कि हम गऊ के वध को कतई तौर से रोक सकें और यह सरकार की निश्चित राय है जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन इस सदन में स्वर्णाक्षरों से लिखा जायगा। आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन रखना चाहता हूं कि यह विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

इस विधेयक के साथ माननीय मंत्री जी भी हमेशा याद रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज इस विधेयक से सदन का कोई भी माननीय सदस्य अपनी असहमति प्रकट नहीं कर सकता है, बल्कि प्रत्येक सदस्य यही कहेगा कि इस विधेयक को स्वतंत्रता के आते ही इस सदन में आ जाना चाहिये था और गो वंश के लिये मैं समझता हूं कि जब से स्वतंत्रता मिली तब से अब तक के दिन बड़े संकट के रहे। अगर माननीय मंत्री जी या यह सरकार इस विधेयक को पहले लाती तो गोरक्षा के लिये जो एक पार्टी ने सत्याग्रह प्रारम्भ किया था और जिसके विरुद्ध हमारी सरकार को भी कड़ा कदम उठाना पड़ा, वह मौका न आता, लेकिन हमारी सरकार तभी सचेष्ट होती है चाहे कोई भी अच्छा कार्य क्यों न हो, जब तक सरकार को गोड न किया जाय, सत्याग्रह न किया जाय वह ऐसे कार्यों के लिये अग्रसर नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक रक्खा गया है वैसे तो सरकार की तरफ से सभी प्राविजन्स गो-रक्षा के सम्बन्ध में रख दिये गये, लेकिन मंत्री जी ने अपने उद्देश्य में संविधान की जिस धारा का उद्धरण दिया है, उसमें सिर्फ गाय का ही विषय नहीं है, बल्कि उसमें दुधारू जानवर रखा गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह इस विधेयक की बहुत बड़ी कमी है। यदि यह विधेयक संविधान के मंतव्य के अनुसार ही तैयार किया जाता तो अच्छा होता। आपकी आज्ञा से मैं उस धारा को पढ़ देना चाहता हूं। वह संविधान की धारा ४८ इस प्रकार से है—

"राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषतः गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरों की नस्ल के परिरक्षण और सुधारने के लिये तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिये अग्रसर होगा।"

मंत्री जी ने जैसा बताया गाय को हिन्दू धर्म में बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है और उसकी महत्ता के कारण भारतवासी उसको गोमाता कहते हैं। लेकिन इस सदन में इस विधेयक का आज उपस्थित होना ही, इस बात का परिचायक है कि हम भारतवासी गोवंश की रक्षा के लिये कितने उदासीन रहे हैं जिस गोवंश के लिये भगवान् कृष्ण उसकी रक्षा के कारण गोपाल कहलाये, उसकी रक्षा और पालन के लिये उन्हें स्वयं कष्ट करके उसे चराने का काम करना पड़ा। इसके विपरीत आज परिस्थिति कुछ दूसरी है। जो लोग गोपालन करते हैं। गो की रक्षा करने के लिये गो को चराते हैं आज उन्हें गंवार और देहाती कहा जाता है। आज उनकी अवहेलना की जाती है। उनके लिये कोई आदर और सत्कार समाज में प्राप्त नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि जब यह विधेयक सदन में प्रस्तुत है तो उन लोगों को पूर्ण श्रेय मिलना चाहिये। उन लोगों के प्रति समाज का पूर्ण आदर होना चाहिये जो लोग गो सम्वर्द्धन में लगे हुये हैं। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, आज जो समाज की परिपाटी है वह और भी विचित्र है। गोमाता कहने वाले और जीवन भर उसका दूध पीने वाले और उसके बछड़ों से खेती करने वाले, जिस समय गाय मर जाती है, उसके साथ क्या व्यवहार होता है यह सदन का प्रत्येक सदस्य जानता है। जो लोग उस गो-माता के अंतिम संस्कार को करते हैं उसको यह समाज क्या आदर देता है। इससे भी सदन परिचित है। खास तौर से गाय के उस अंतिम संस्कार को करने वाले लोग 'चमार' कहलाते हैं। आज चमारों के प्रति, जो उस गोमाता का अंतिम संस्कार करते हैं, सदन इस बात को जानता है कि समाज में उसकी कितनी बुरी हालत है। इसलिये मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का विधेयक तभी सार्थक हो सकता है जबकि गोरक्षा से संबंधित व्यक्ति समाज में आदर के पात्र होंगे। जो लोग गो-रक्षा में अड़चन डालते हैं और गो-रक्षा में सहायक नहीं होते हैं उनके लिये उपयुक्त दंड की व्यवस्था की जाय। जैसा मैंने बताया इस विधेयक में सबसे बड़ी कमी मेरी समझ में यह है कि इसमें सिर्फ गाय और गाय के वंशज की रक्षा की व्यवस्था की गयी है जबकि हमारा संविधान इस बात के लिये संकेत करता है कि दुधारू और जो खेती के काम में आने वाले

पशु हैं उन सब की रक्षा की जाय। इस सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा सदन को यह बता देना चाहता हूं और सभी सदस्य इस बात को जानते भी हैं कि गो का समाज में आदर तो अवश्य है, लेकिन उपयोगिता भैंस की कम नहीं है। कम से कम दूध के मामले में भैंस की जो उपयोगिता है, अगर हमारा यह विधेयक पास हो जाता है तो इसका अर्थ खुले आम यही होगा कि भैंस और भैंस के वंशज पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। भैंस जो कि समाज की अपने दूध के द्वारा बहुत बड़ी सेवा करती है उसके लिये इस विधान सभा को संभवतः आगे चल कर कोई इसी तरह का सप्लीमेंटरी विधेयक इस सदन में लाना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि इस बिल में दुधारू जानवरों की रक्षा की पूर्ण व्यवस्था नहीं की गयी है। इसका परिणाम यह होगा कि जो 'घासलेट' और 'दालदा' हमारे प्रदेश में चल रहा है उसको पूर्ण प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे मंत्री जी जिस उद्देश्य से यह बिल लाये हैं कि गाय की रक्षा होने से हमारा समाज बलिष्ठ होगा, खेती को लाभ होगा, उनका यह विश्वास और उद्देश्य कुछ ही दिनों में उड़ जायगा। आज तक हमारी सरकार इतने बड़े बड़े साइन्टिस्टों के होते हुये भी इस बात का प्रबंध नहीं कर सकती कि 'घासलेट' के लिये एक रंग तो तैयार करा सकती, ताकि पहचान हो सके कि असली घी कौन है और घासलेट मिला कौन है।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में मेरी समझ में तो एक बहुत बड़ी खामी और भी है और वह यह है कि जो खंड २ के (घ) में दिया हुआ है कि जो गोवध की परिभाषा दी हुई है वह यह है कि जो गोवध करे या उसमें सहयोगी हो वह आदमी उसमें शामिल समझा जायेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इतने से ही इसका काम नहीं चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो गाय को मारना चाहता हो वह उसे बाड़े में बंद कर दे, या एक जगह बांध दे और उससे गोवंश की हानि हो सकती है और उससे हमारी सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता।

इसके अतिरिक्त धारा २ के प्रथम खंड में गोमांस की परिभाषा दी हुई है। वह परिभाषा इस बात को एलाऊ करती है कि कोई भी व्यक्ति हवाई जहाज से पीपों में गोमांस मंगा सकता है और उस पर यह विधेयक लागू नहीं होगा। मैं समझता हूं कि ऐसी बात रखने से जो दशा मद्यनिषेध की हुई है वही इस विधेयक की भी हो जायगी। मद्यनिषेध का आज यह हाल है कि जहां शराबबंदी है वहां उन स्थानों के मुकाबिले में कि जहां नशाबंदी नहीं है, ज्यादा शराब मिलती है और इस्तेमाल होती है। तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक से इस धारा को हटाया जाना चाहिये। यह होना चाहिये कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले गोमांस का उपयोग किसी तरह से नहीं कर सकते और जो उसका उपयोग करना चाहते हैं उनको आवश्यक होगा कि वह इस प्रदेश को छोड़ दें। यदि ऐसा नहीं होता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि नाजायज ढंग से बराबर गोवध होता रहेगा और हमारी सरकार इस कानून को पूरी तरह पर सफल बना नहीं पायेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार के इसमें और अनेक लूपहोल्स हैं, जिनके कारण जो लोग गोवंश में प्रेम रखते हैं या गोमांस से जिनको रुचि है वह अनेक प्रकार से गोवध कर सकते हैं, करा सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इसका दूसरा खंड इस विधेयक से निकल जाना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि इसमें जो पनिशमेंट की परिभाषा दी हुई है उसमें २ वर्ष की कड़ी कैद या १००० रुपया जुर्माना है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सूबे की बात नहीं कह सकता किन्तु मुझे बुंदेलखंड की बात मालूम है कि गोवंश का नाश करने से किसी को वही पाप लगता है जो कि एक मनुष्य को मार डालने से होता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—प्वाइंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय आपका प्रस्ताव है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। तो मैं क्या माननीय सदस्य से प्रार्थना कर सकता हूं कि अपने प्रस्ताव की बात के पक्ष में वह आर्गूमेंट दें और वह यह बतायें कि इसको क्यों सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

श्री अध्यक्ष—वही कह रहे हैं। इसमें चूंकि इतने व्यंग हैं इसलिये वह बातें बता रहे हैं।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इसमें जो पनिशमेंट की व्यवस्था है वह बहुत ही कम है। हमारे यहां जो इस प्रकार का गोवध करता है, चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों न हो उसको मनुष्य की तरह हत्या का पाप लगता है, उसको भी उसी रूप से माना जाता है और उसको गंगा जी के स्नान तथा समाज के तमाम प्रकार के दंडों का उपभोग करना पड़ता है तब वह मनुष्य शुद्ध समझा जाता है। इसलिये गोवध का जो दंड रखा गया है वह बहुत ही कम है। इस प्रकार के दंडों से हमारा जो गोवध विधेयक है वह सफल नहीं हो सकता।

इसके बाद जैसा मंत्री जी ने कहा था कि गोसम्वर्द्धन समिति इन्क्वायरी कमेटी जो बैठी थी उसकी बहुत सी रिकमन्डेशन्स ऐसी हैं, जिनका इस बिल में कोई भी जिक्र या समावेश नहीं है। यह विधेयक पास करने के बाद हमारी सरकार गोसम्वर्धन के लिये क्या करेगी इसमें इस प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया है। हां, अवश्य इस बात की ओर संकेत किया गया है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार की आज्ञा से लोकल अथारिटीज जो हैं गोसदन या इस प्रकार की संस्थायें स्थापित करने के लिये राज्य सरकार से इजाजत मांग सकती हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये थी बल्कि राज्य सरकार के लिये जैसा इस कमेटी ने रिकमेंड किया है कि जब यह विधेयक पास होगा तो कम से कम गवर्नमेंट के लिये यह लाजिमी होगा कि इस प्रकार की वह एक धारा इसमें रखेगी कि गोसम्वर्धन के लिये व्यवस्था करेगी। आपकी आज्ञा से जो समिति की रिपोर्ट है पेज ५० पर इसे पढ़ना चाहता हूं—

"There is an urgent need for enacting legislation in regard to the registration and licensing of the Gaushalas improvement in their working, proper supervision and management."

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। गोसम्बर्धन समिति की रिपोर्ट हिन्दी में भी है तो आनरेबिल मेम्बर अंग्रेजी की क्यों पढ़ रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके हिन्दी में पढ़ें।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मुझे रिपोर्ट हिन्दी में नहीं मिली अंग्रेजी में ही मिली है इसलिये उसको पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—तो आपको अनुवाद करना होगा।

श्री हुकुमसिंह—मैं दे दूं। उसको पढ़ दें।

श्री जोरावर वर्मा—जी हां, मैं उसका हिन्दी में अनुवाद कर रहा हूं। "गौशालाओं की रजिस्ट्री, लाइसेंस, उनकी कार्यप्रणाली में सुधार, उनका निरीक्षण तथा समुचित प्रबन्ध आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार को कानून बनाना नितांत आवश्यक है।"

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कमेटी ने कई सुझाव दिये हैं जिनकी ओर इस विधेयक में कुछ नहीं किया गया। मुझे माननीय मंत्री और सदन के कई सदस्यों द्वारा इस प्रकार की सलाह दी गयी है कि ऐक्ट जल्दी पास हो जाना चाहिये इसलिये मैं उन तमाम कारणों और सुझावों पर प्रकाश नहीं डालूंगा और चाहूंगा कि गोरक्षा का यह बिल जितनी जल्दी सदन में पास हो जाय उतना ही अच्छा है। इसलिये इन शब्दों के साथ में अपना सुझाव वापस लेता हूं, क्योंकि इस प्रकार के संशोधनों से हो सकता है कि इस विधेयक में कुछ देर हो जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई कि माननीय जोरावर वर्मा जी ने अपने संशोधन को वापस ले लिया, क्योंकि हम लोग खुद यह चाहते थे कि उनके संशोधन का विरोध करें.....

श्री अध्यक्ष––मैं जरा इसको पूछ ही लूं तो अच्छा होगा।

क्या सदन की अनुमति है कि श्री जोरावर वर्मा का संशोधन वापस हो ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय––माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल आज इस सदन में आया है इसको पास करवाने के लिये हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि हमारे सारे देश में कुछ जो कम्युनल आर्गेनाइजेशन्स थे उन्होंने इसका बहुत कुछ नाजायज़ फायदा उठाया। मैं समझता हूं कि यह बिल ऐसा था जो बहुत दिन पहले ही इस सदन में आ जाता तो कम से कम इस प्रकार की कम्युनल आर्गेनाइजेशन्स को यह मौका न मिलता कि वे हिन्दुस्तान के अन्दर गोवध को बन्द करवाने का नारा लगातीं। जब हमारा विधान बना, उस समय भी इस प्रश्न पर बहुत विचार हुआ और किसी मजहब के नाते से नहीं, एक आर्थिक दृष्टि से इस प्रश्न पर विधान बनाते समय विचार किया गया और विधान के अनुच्छेद ४८ में यह लिखा हुआ है:––

"राज्य कृषि और गोपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करने का प्रयत्न करेगा तथा विशेषतः नस्लों के परिरक्षण और गोसंवर्द्धन तथा गायों, बछड़ों और अन्य परिवाहक पशुओं की हत्या का निषेध करेगा।"

जब हमारा विधान बना, अध्यक्ष महोदय, उसी समय यह फैसला हो गया था कि जब तक हम गायों की रक्षा नहीं करेंगे, जब तक हम गायों की नस्ल को नहीं सुधारेंगे, हमारा देश जो एक कृषि प्रधान देश है वह आगे तरक्की नहीं कर सकता है। इस भारतवर्ष के अन्दर जो हमारे बैल हैं, बछड़े हैं, जो गाड़ियों पर लगाये जाते हैं जहां पर मोटरें नहीं पहुंच सकती हैं वहां गाड़ियों पर बैल लगाये जाते हैं और जो खाद हमारे देश को इन गायों और बछड़ों से प्राप्त हो सकती वह नहीं हो सकती थी यदि हम गोवध बन्द न करें। इसलिये यह आवश्यक है कि हम अपने देश के अन्दर इस गोवध को बन्द करें। यदि हम ऐसा न करते तो यह हमारे लिये एक बड़े दुःख की बात थी। इतिहास भी यह कहता है कि जब देश के अन्दर हमारे मुसलमान बादशाह लोग आये, उन लोगों ने गोवध को कानूनी तरीके से बन्द किया। वह भी यह चाहते थे कि इस देश की आर्थिक हालत भी सुधर सकती है जब कि हमारी गायों की रक्षा की जाय। लेकिन आज यह हमारी बदकिस्मती है कि इसको कम्युनल रूप में दिया जाता है, एक धार्मिक रूप दिया जाता है। लोग यह समझते हैं कि हमारे बहुत से भाई जिन्होंने बाहर इसलिये सत्याग्रह किया उन्हें एक मौका नहीं मिला, मौका मिला इस बात का प्रचार करने के लिये कि हिन्दुस्तान के लोग स्वराज्य मिलने के बाद उस गोमाता की हत्या कर रहे हैं। धर्म के नाम पर उन्होंने उसका प्रचार किया। इसी सदन का कौन ऐसा सदस्य होगा चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिक्ख हो, कोई भी हो जो यह चाहता हो कि हिन्दुस्तान में हमारी गौवें किसी तरह से वध की जायं ? पर जो इसका विरोध करते थे और कहते थे कि गोवध बन्द होना चाहिये, हमें अफसोस है अध्यक्ष महोदय, कि उन्होंने कभी उन गांवों में जाकर उन लोगों के बीच में प्रचार नहीं किया और उनमें से हम लोग हैं जो अपनी बुढ़िया गायों वगैरह को कसाइयों वगैरह के हाथ बेंच देते हैं, उनके बीच में कभी प्रचार नहीं किया। आज भी कानून आपका बन जायगा, जैसा जोरावर वर्मा जी ने कहा कि उसका प्रयोग नहीं होगा जब तक इस देश के अन्दर धार्मिक रूप से नहीं, आर्थिक रूप से हम लोगों को यह समझा सकें कि गो की रक्षा करना हमारा फर्ज है और इसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये। इस उद्देश्य को लेकर इसमें कोई पोलिटिकल एक्सप्लायटेशन नहीं होना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि हम लोगों ने किसी राजनीतिक दृष्टि से इस बात को नहीं किया, तो इसकी उन्हें चर्चा भी नहीं करनी चाहिये थी। बल्कि यह कह कर एक खतरे की बात उन्होंने खुद डाल दी। इसमें राजनीति का क्या सवाल है ?

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

यह तो एक आर्थिक सवाल है। अपने देश की उन्नति और उसके विकास का सवाल है और इसमें मजहब का मामला सामने नहीं आता है। इसी लिये हम चाहते थे कि कम्युनल आर्गेनाइजेशंस को ऐसा मोका न मिले कि वह ऐसा प्रचार करें और कहें कि उनके प्रचार से सरकार मजबूर हो गयी इस गोवध को बन्द करने के लिये। इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि उन्हें देखना चाहिये कि जब विधान बना उसी वक्त इस बात का फैसला हो गया कि गोवध जो हिन्दुस्तान में हो रहा है वह बन्द हो जाना चाहिये और हमारी सरकार ने अवश्य इसमें थोड़ी देर की। अगर वह पहले कर दिये होती तो यह समस्या भी हमारे सामने नहीं खड़ी होती। इतने से ही काम नहीं बन जायगा कि हमने गोवध बन्द कर दिया। जैसा कि हमारे मित्र माननीय जोरावर वर्मा जी ने कहा कि कुछ क्लाजेज इससे हटा दिये जायं, वह बात मेरी समझ में नहीं आयी। अगर वह इसको एक धार्मिक टिन्ज देना चाहते हैं तब तो वह यह कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई इसको छुए नहीं। इसमें जो एक्सेप्शन हैं क्लाज ६ में कि हवाई जहाज में जो केटरिंग करते हैं या रेलों के अन्दर जो केटरिंग करते हैं, रेलें तो हमारे प्रदेश के बाहर देश के हर कोने में जाती हैं, बम्बई की गाड़ी लखनऊ में आती है, यहां की गाड़ी कलकत्ता जाती है, यह कानून तो हमारे प्रदेश के लिये है, न कि सारे देश के लिये। तो उसके लिये अगर मजहब की बात कहे तो बड़ा गड़बड़ हो जायगा। मैं उसे कम्युनल टिन्ज किसी हालत में देने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं तो केवल आर्थिक दृष्टि से यह चाहता हूं कि हमारी गऊ की रक्षा हो। इस बिल में मैं थोड़ी सी कमी जरूर पा रहा हूं। आखिर जो हमारी गायें होंगी जिनका हम दूध पीते हैं उनके लिये जो व्यवस्था का प्रश्न इसमें रखा गया है वह जरा ज्यादा ठीक नहीं मालूम होता है। उनकी कुछ व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। उनका भार हमारी सरकार म्युनिसिपैलिटीज को सौंप रही है। यह बात हमारी समझ में नहीं आयी। सरकार के लिये, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा हम करोड़ों रुपये एनिमल हस्बैंडरी के डेवलपमेंट के लिये दे रहे हैं और सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि जिन जानवरों की वह रक्षा करना चाहती है जीवन भर उनसे काम ले कर बुढ़ापे में अगर आप उनका कोई इन्तजाम नहीं करते हैं तो यह ठीक नहीं होगा।

श्री हुकुमसिंह—पैसा दीजिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—हम पैसा देने के लिये तैयार हैं आप मांगते ही नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, यह तो देश की उन्नति का सवाल है। कौन ऐसा होगा जो देश की उन्नति के लिये पैसा देने को तैयार न हो। लेकिन जो रुपया हम दें वह उसमें खर्च न होकर जब सरकारी अफसरों की तनख्वाहों और भत्तों में खर्च होता है तो वह हमें बर्दाश्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात जोरावर वर्मा जी ने और कही कि इसमें गाय का नाम रखा गया है औरों का नाम ही नहीं है, सब होने चाहिये थे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं उनका ध्यान, अगर माननीय मंत्री जी ने न दिलाया हो तो मैं ही दिला दूं कि गाय की जो परिभाषा बिल के अन्दर रखी गयी है उसमें लिखा है—"Cow" include a bull, bullock, heifer or calf. बैल भी है। तो 'गाय' का तो सिर्फ नाम ही रखा गया है। यह हो सकता है कि सरकार का पोलिटिकल मूव हो लेकिन इसमें गाय के अलावा और भी हैं। फिर श्रीमन्, जब कांस्टीट्यूशन की धारा ४८ के अन्दर यह लिखा है कि नस्ल सुधारी जाय, अच्छे प्रकार के बैल और गाय का प्रचार किया जाय। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिये वह क्या कर रहे हैं। क्या अच्छी अच्छी नस्ल की गायें वह गांवों में दे रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह—हां, दे रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय मंत्री जी ने खाली हवा की बात कह दी कि हां दे रहे हैं। हमारी तरफ ऐसे ऐसे बैल सरकार ने दिये हैं जिनको देखकर डर लगता

है कि कब वे मर जायं। क्या गाय की नस्ल नहीं सुधारी जायगी? मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आर्टीफिशियल इन्सेमिनेशन भी आर्थिक चीज है, क्योंकि गाय और बैलों की नस्ल सुधारने के लिये आप इसको कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी नस्ल की गाय और बैल पैदा किये जायं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय। सिर्फ कम्युनल नारे से डर कर ध्यान न दें ऐसा नहीं होना चाहिये। गाय की रक्षा के साथ-साथ नस्ल भी सुधारी जानी चाहिये।

मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा इस पर कहने की आवश्यकता भी नहीं है। हम चाहते हैं कि यह बिल जल्द से जल्द पास हो जाय। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन का एक एक माननीय सदस्य इस बिल के साथ है और इसे जल्द से जल्द पास हो जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि जहां जहां हमारे चरागाह थे वहां जमींदारों ने खेती कर डाली है, तो आप गायों को कहां रखेंगे, जंगल में तो ले जायेंगे नहीं। इसलिये सरकार को चरागाह का प्रबन्ध गांव के पास ही कहीं करना चाहिये। जो यह बिल पेश हुआ है इन चन्द शब्दों के साथ इसका समर्थन करता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बधाई देता हूं, विशेषतया मंत्रिमंडल के मुख्य मंत्री को और अपने कृषि मंत्री को कि इससे सुन्दर बिल आज तक वह अपने समय में इस सदन में नहीं लाये हैं। इसमें जो कुछ सरकार कर रही है वह बहुत ही सुन्दर कर रही है। परन्तु उपाध्याय जी ने बार-बार इस बात को दुहराया कि धार्मिक संस्थायें यह कहेंगी, वह कहेंगी। आदमी जब से जन्म लेता है मरता नहीं है बल्कि मरने के पश्चात् और पैदा होने के पहले भी, उसके कुछ धार्मिक संस्कार हो जाते हैं, वह छूटते नहीं हैं। यह उपाध्याय जी उपाध्याय जी हैं, उनको गोदान लेने में कोई उज्र नहीं होगा, इसलिये पहाड़ों पर अच्छी गाय भेजी जायं और वह प्रबन्ध कर देंगे। मैं आपको यह बतलाऊंगा कि धर्म का नाम लेना पाप नहीं है और खास कर हिन्दू धर्म का नाम लेना, मैंने इसके पूर्व सदन में बताया है कि हिन्दू धर्म ऐसा है जैसा कि कृष्ण भगवान् ने बतलाया है कि "निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव।" हे अर्जुन, जो सब प्राणियों को निर्वैर भाव से देखेगा वह मुझे पायेगा। मैं कहूंगा कि मेरा आशय है कि दुनियां का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इससे बच जाय। हर प्राणी के लिये कहा है—

"ईश्वरः सर्वभूतानाम् हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।
भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥"

ईश्वर तो हर प्राणी मात्र के अन्दर बैठा हुआ है। हर प्राणी, स्त्री, शूद्र, म्लेच्छ या ब्राह्मण सब के अन्दर वह विद्यमान है। इसलिये धर्म तो हमारे लिये विशेषकर लाभकारी है। मुझे याद पड़ता है कि जब हमारे डाक्टर राधा.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कहीं धर्म के ऊपर लम्बा डिस्कोर्स न हो जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा—श्रीमन्, ३, ४ मर्तबा उपाध्याय जी ने लांछन लगाये। इसलिये मुझको भी कुछ जिकर करना पड़ा। इस आदरणीय सदन में ४३१ माननीय सदस्यों में से मैं ही अकेला हिन्दू सभा का लेविल लगा कर यहां पर बैठा हूं। तो फिर मेरा यह धर्म हो जाता है कि मैं उनकी बातों का जवाब दूं। परन्तु आपकी आज्ञा हर तरह से मानने योग्य है। तो अब मैं धर्म के विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा, बल्कि गऊ माता के विषय में कुछ कहूंगा।

इस देश में जो खेती होती है वह बैलों द्वारा होती है। भैंसों से खेती यहां पर नहीं होती है और अगर कोई कहे कि इनसे होती है तो यह कोई भी मानने के लिये तैयार न होगा। गाय का बच्चा ही बैल कहलाता है। इसलिये गऊ वंश की रक्षा के लिये यह बिल है। दूध के लिये हमारे वर्मा जी ने यह कहा कि भैंस का दूध बड़ा

[श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा]

उपयोगी होता है। वह कहते हैं कि दालदा के विषय में उन्होंने कहा था। दालदा को भी गऊ के दूध के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। दालदा को तो सभी बुरा कहते हैं केवल थोड़े लोग हैं जो इससे फायदा उठाते हैं और जिनको नेता लोग मदद करते हैं। इसी वजह से दालदा के अन्दर अभी तक कोई रंग नहीं मिलाया गया है। शिकोहाबाद में सन् १९५० में एक कान्फ्रेन्स हुई थी जिसमें मैं भी डेलीगेट हो कर गया था। मुझे मालूम है कि उससे पहले भी कई मर्तबा कहा गया है कि इसमें रंग मिला दिया जाय, ताकि वह चीज़ घी से बिल्कुल पृथक हो जाय। पैट्रोल में तो रंग मिला दिया जाता है, लेकिन दालदा के लिये अभी तक कोई रंग नहीं मिला है।

जहां तक गऊ का सवाल है उससे हमको दूध, घी और दही मिलता है। रामराज्य की स्थापना की बात कही जाती है और कृष्ण भगवान् के जमाने की बात कही जाती है तो वह सब उसी में आ सकता है। कृष्ण भगवान् तो स्वयं गोपाल ही कहलाते थे। उन्होंने गऊ की सेवा हर प्रकार से की। उन्होंने यह भी कहा कि :

"अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव :।
यज्ञाद् भवति पर्जन्य : यज्ञ: कर्म समुद्भव:।।"

अन्न से प्राणी जीते हैं। हमारा सब का जो जीवन है वह अन्न से होता है। अगर अन्न पैदा करना है तो इसके लिये सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि आप के पास बैल हों। अगर खेतों को न जोता जायगा तो फिर अन्न कैसे पैदा होगा। इसलिये बैलों की आवश्यकता अन्न के लिये सब से अधिक है। इसके अलावा गऊ से हमको दूध, दही और घी भी मिलता है। हमारे जीवन के लिये यह सब से अधिक उपयोगी है। मैं एक बात यह भी कह दूं कि ज़बान से चाहे जो कुछ आदमी कहे लेकिन जो इस देश का पैदा हुआ आदमी है चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान या ईसाई वह सब इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं कि यह बहुत उपयोगी है। पैदा होने से लेकर मरने के समय तक गऊ लाभकारी है। हिन्दुओं के यहां तो मरने के समय गऊ दान में दी जाती है और वह इसलिये कि यह गोदान वैतरणी को पार करेगा। गाय ऐसा जानवर है जो जीने से मरने तक और हर समय हमारे काम में आता है। नेतागण मुझे क्षमा करेंगे अगर मैं यह कहूं कि नैतिक उत्थान और चरित्र निर्माण के बिना किसी देश का उत्थान नहीं हो सकता। लेकिन जब तक धर्म का सहारा नहीं लिया जायगा तब तक चरित्र और नैतिक उत्थान किसी तरह से भी नहीं हो सकता है। इस लिये गोवध को रोकने के लिये सब से बड़ी चीज धार्मिक व्यूप्वाइन्ट है। इसी के साथ में आर्थिक भी है। धर्म, काम और मोक्ष सब एक दूसरे से मिले हुये हैं और अगर एक की ओर किसी का रुझान होगा तो दूसरे की ओर भी होगा। इतने से शब्द कह कर मैं बैठ जाता हूं।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उस समिति का एक सदस्य था जिसकी रिपोर्ट पर यह बिल आधारित है। उस ने अपनी चार उपसमितियां बनाई थीं और उनमें एक का जिसने यह सिफारिश की थी कि गोवध बन्द होना चाहिये। मैं अध्यक्ष था जिस समय वह समिति सारे सूबे में घूम रही थी हमने गोवध की समस्या को असली रूप में देखा। उसने यह निश्चय किया कि बिना गोवध बन्द किये गोवंश की नस्ल सुधारना कठिन है। कठिन ही नहीं, वरन् असम्भव है। कमेटी ने अपने दौरे में ऐसे भी विचार देखे जो इस सदन को जानना चाहियें। हमारी सरकार १९४७ से यह कहती रही थी कि क्योंकि म्युनिसिपल बोर्डों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने एक तरह से गोवध बन्द कर रखा है इसलिये सरकार को कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भी ऐसा ही मानते थे लेकिन जिस समय हम लोग मुरादाबाद, रामपुर आदि में गये वहां हमें पता चला कि इन बोर्डों

की पाबन्दी होते हुये भी वहां पर सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में गायें काटी जाती हैं। हम लोग पीपलसाना में पहुंचे। वहां न जाने किस प्रकार लोगों को हमारे जाने का पता लग गया। वहां हमने एक बाड़े में देखा कि १२ बैल एक बाड़े में खड़े किये गये थे। उनको हमारे सामने ही २, ३ आदमियों ने इकट्ठा ही मार दिया था और उस नजारे को देखने के बाद हमारे सदस्यों ने यह समझा कि इसकी पाबन्दी का क़ानून प्रान्तीय सरकार से बनना चाहिये। हमारी कमेटी २ बजे की गाड़ी से रात के रामपुर गई थी। हमने यह सोचा था कि सवेरे ४ बजे हम लोग उन जगहों पर पहुंचेंगे जहां यह काम होता है। लेकिन हमे आश्चर्य हुआ कि जिस समय ५ बजे से पहले हम लोग वहां पहुंचे तब तक कई जगह यह कार्य समाप्त हो चुका था। वहां किसी को पता नहीं चलता था कि गोवध हुआ था लेकिन नालियों में खून भरा था। एक मकान में हमारी कमेटी के सदस्य गये तो खून बहता मिला लेकिन गोवध का कोई निशान नहीं था। एक जगह नई हड्डियां, नई पसलियां और नई खाल मिली जिससे हमने यह समझा कि वहां निरन्तर गोवध किया जाता है। मथुरा और प्रयाग ऐसे शहरों में बैलों का वध जारी था। इसलिये हमने यह नतीजा निकाला कि म्युनिसिपल बोर्डों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के बाई लाज से यह काम नहीं हो सकता और इसके लिये क़ानून की आवश्यकता है। गोरखपुर में एक शिखाधारी सरपन्च ने हमसे यह कहा कि मैं गोवध पर पाबन्दी नहीं चाहता हूं। उसने कहा कि यह इन्सान और हैवान में मुक़ाबले का सवाल है। या तो इन्सान खाना खाले या हैवान खा ले। चूंकि लोगों को खाना नहीं मिलता है इसलिये मैं चाहता हूं कि गोवध पर पाबन्दी न लगाई जाय। शहरों में लोग गोवध करने में सफल रहते हैं। शहरों के लोग अपनी गाय से दूध लेने के बाद उसे छोड़ देते हैं और वह हलवाई के पत्तों को या दूसरी गन्दी चीज़ों को खा कर अपना पेट पालती है। हमारी कमेटी ने देखा कि एक दृष्टिकोण यह भी है कि इन्सान और हैवान में किसकी रक्षा होनी चाहिये। हमने गाय और इन्सान के मुकाबले को नापा और अन्त में यह समझा कि हमको गोवध पर पाबन्दी लगानी चाहिये। हमारे प्रदेश में दूध की बहुत बड़ी समस्या है। जब से सन् १९४७–४८ से गोवध एक प्रकार से बन्द किया गया है और तब से आप देखेंगे कि हमारे भैंसों का वध की ओर लोगों का झुकाव ज्यादा हो गया है। किसान लोग बैल के लिये गाय पालते हैं लेकिन दूध के लिये भैंस पालते हैं। किसान दोनों चीजों को एक साथ नहीं पाल सकता है। उस पर दो बोझ पड़ जाते हैं। हमने समझा कि जिससे उसे बैल मिलता है अगर हम उसकी रक्षा कर सकें तो उससे उसे दूध भी मिलेगा। इसलिये हमने भैंस के मुकाबले में गाय को तरजीह दी। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि भैंस के वध पर भी पाबन्दी होनी चाहिये। मैं तो उन लोगों में से हूं जो यह कहते हैं कि किसी पशु का भी वध नहीं होना चाहिये। हमारी कमेटी की एक सिफारिश पर यह बिल आधारित है। मुझे यह बिल देख कर प्रसन्नता है। जो हमारी सिफारिशें थीं उन पर सरकार चली है और हम चाहते हैं कि यह बिल कानून बन कर सफल हो और सारा देश इससे लाभ उठावे।

लेकिन केवल निषेधात्मक कार्य करने से ही हम सफल नहीं हो सकते हैं। निषेधात्मक कार्यवाही के साथ रचनात्मक कार्यवाही भी आवश्यक है। जहां आप इस विधेयक द्वारा गोवध पर पाबन्दी लगाते हैं वहां एक विधेयक ला कर गोवध से उत्पन्न जो समस्यायें हैं उन पर भी विचार करना होगा। मुझे कभी कभी यह ख्याल होता है कि यदि हम बिना किसी विधेयक या आधार के गोवंश की रक्षा चाहते हैं तो यह सम्भव भी होगा या नहीं। मगर हमारा गोवध निषेध का आधार क्या है? जब गाय में दूध देने की शक्ति नहीं रहती है या वह दूध देने के लायक नहीं रहती है तो हम क्या करें उस समय वह लोग भी जो गो रक्षा करना धार्मिक दृष्टि से अच्छा समझते हैं उस वक्त गो को अपने यहां से हटा देने की कोशिश करते हैं। मुझे कभी-कभी यह लगता है कि गोवध बन्द होने के बाद इस समस्या का क्या हल होगा कि जब हमारी गो बूढ़ी हो जायंगी, दूध न देंगी। ऐसी गो लाखों की संख्या में आज भी हैं जो दूध नहीं देतीं, आज भी शहरों में खाली गो की समस्या

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

है, ऐसी समस्या का भी कुछ हल अवश्य होना चाहिये। इस समस्या का हल सरकार निकालेगी ऐसा मुझे निश्चय है क्योंकि उन्होंने हमारी सिफारिशों को स्वीकार करने की कृपा की है और उससे हमारा उत्साह बढ़ाया है। जब उसने इस सिफारिश को स्वीकार किया है तो वह अगली सिफारिशों को भी उचित रूप देगी ऐसा मेरा निश्चय है। इन शब्दों के साथ में सरकार को बधाई दूंगा कि हमारे प्रदेश के सामने जो एक समस्या थी उस को हल करने का प्रयत्न उसने किया है तथा आशा है कि दूसरी समस्याओं पर भी जल्दी ही उचित रूप से ध्यान देने की कोशिश करेगी।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गो रक्षा के सम्बन्ध में जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं और मैं यह समझता हूं कि कल्याणकारी राज्य का जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करने के लिये पहला कदम तो जमींदारी प्रथा का अन्त करके उठाया गया था और दूसरा कदम गो-रक्षा कर के उठाया जा रहा है।

हमारे शास्त्रों के अनुसार गौ के सम्बन्ध में ऐसा कहा जाता है—

"मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुखप्रदाः।"

यानी गौएं सब प्राणियों की मातायें हैं, वे सब को सुख पहुंचाने वाली हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में गौ को माता माना गया है और गौ की रक्षा को माता की रक्षा समझा गया है। जो उत्तर प्रदेश हमारे भारतवर्ष के अन्दर अच्छे कामों में हमेशा अग्रणी एवं पथ-प्रदर्शक रहा है, उस ने इस विधेयक को पेश कर के अपना मस्तक ऊंचा किया है। यह उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश है जहां पर राम और कृष्ण जैसों ने अवतार लिया। भगवान् कृष्ण ने ही गौ की रक्षा, गौ के पालन, और गौ संवर्धन का महत्व भारतवर्ष के अन्दर बताया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि गौ को ही हम माता क्यों मानते हैं और अन्य पशुओं को क्यों नहीं मानते? उस का कारण यह है कि गौ से हमें दूध, बैल और गोबर मिलता है। इसके अतिरिक्त गौ के दूध के अन्दर जो विशेषता है वह अन्य पशुओं के दूध में नहीं है। गौ के गर्भाधान संस्कार मनुष्य के संस्कारों से मिलते हैं। हम ३ चीजों को माता की संज्ञा देते हैं—गो माता, पृथ्वी माता और गंगा माता। जिन चीजों से मनुष्यों का शरीर पुष्ट होता है, जिनसे उसका पालन पोषण होता है उन चीजों में सब से पहली चीज दूध आती है उसके बाद अन्न और पानी आता है। इन तीनों समस्याओं की पूर्ति गौ से सर्वांगरूपेण होती है। इस विषय में मेरी जो कुछ जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि गौ के दूध के अन्दर सब चीजों से ज्यादा विटामिन होते हैं तथा ऐसे अंश उस में पाये जाते हैं जो शरीर को पौष्टिक बनाते हैं। गाय का दूध पचने में हल्का, सौम्य और रेचक होता है। उसमें सात्विकता का अंश अधिक होता है, शरीर को उससे पौष्टिकता प्राप्त होती है, विचार सात्विक होते हैं तथा आत्मबल बढ़ता है, तेजोबल बढ़ता है, इसलिये गौ का दूध अधिक अच्छा माना जाता है। अन्य दूधों में ये गुण इतने नहीं होते।

आयुर्वेद के अनुसार गौ का दूध, दही, घृत, छाछ, मूत्र और गोबर प्रत्येक के अन्दर उनके पृथक्-पृथक् मौलिक गुण होते हैं। भारतवर्ष में गो-रक्षा का महत्व इसलिये था कि उससे आयु बल और आरोग्य मिलता है। यही उसका खास कारण था। आज जो ऐलोपैथिक चिकित्सा इतना जोर पकड़े हुये है और जिसका कि इतना प्रचार हो रहा है तिस पर भी एलोपैथिक डाक्टरों के इन्कार करने के बाद, रोग को असाध्य बतला देने के बाद कल्प करने से रोग ठीक होते देखे जाते हैं। गाय के दूध, दही, गोबर और मूत्र से जो औषधियां बनती हैं उनके सेवन करने से उनका उपचार होता है और जीवन की रक्षा होती है। मैं तो स्वयं इसका भुक्तभोगी हूं। एक बार मुझे संग्रहणी की बीमारी हो गई थी और डाक्टरों के इन्कार कर देने पर मैंने अपने एक पूज्य वैद्य जी के कहे अनुसार गाय के दूध, दही आदि से

साढ़े तीन महीने तक कल्प किया और आज सात वर्ष हो गये मैं आप के सामने जीता जागता खड़ा हूं। तो मेरा ऐसा अनुभव है कि गाय के दूध के अन्दर कोई ऐसी विशेषता है जो आरोग्यवर्द्धक है। इसके साथ ही साथ गाय का स्थान जहां पर होता है, वहां पर जो गोमूत्र होता है उस के अन्दर भी कुछ ऐसी शक्ति होती है जिसकी वजह से जो रोग उत्पन्न करने वाले कृमि होते हैं उनका नाश हो जाता है। साधारणतया बदहजमी, अजीर्ण, पेट फूलना आदि के लिये तीन तोला गोमूत्र में थोड़ा सा नमक मिला कर सेवन करने से वह ठीक हो जाता है। मेरा ऐसा अपना अनभव है। मैं समझता हूं कि ये जो चीजें हैं वे सब कुछ विशेषता रखती हैं। इनके अन्दर वैज्ञानिकता भरी हुई है। गौ के प्रति माता शब्द का प्रयोग करते वक्त हमारे अन्दर एक तरह की भावना पैदा होती है। क्योंकि यहां का जलवायु ही ऐसा है। मैं कह सकता हूं कि हिन्दू धर्म की प्रत्येक बात केवल अन्ध-विश्वास के ऊपर ही नहीं लिखी गयी है बल्कि उनके अन्दर बहुत से ऊंचे विज्ञान भरे हुये हैं, उनके अन्दर बहुत ऊंची साइंस भरी हुई है। हम वैज्ञानिकता के जरिये भी गौ को माता कहते हैं क्योंकि गाय के दूध, दही, गोबर और उसके मूत्र से हमको लाभ होता है जब कि वह जीवित रहती है और उसके मरने के बाद भी उसकी हड्डियों और चमड़े से हमको लाभ पहुंचता है। गाय के जरिये जो बैल व बछड़े होते हैं जिनके जरिये हमारे देश में अन्न पैदा होता है, बैल हल जोतने, बोझ ढोने और गाड़ियां खींचने के काम में भी लाये जाते हैं। हमारा भारतवर्ष ऐसा देश है जो उष्ण कटिबन्ध पर स्थित है। यहां का जलवायु उष्ण है जहां उष्णता ११८ डिग्री फारेनहाइट तक हो जाती है। हमारे देश में अन्न उत्पन्न करने के लिये खाद की बहुत आवश्यकता होती है और इस तरह से गाय तथा बैलों के गोबर से जो खाद तैयार होती है उससे बहुत बड़ा लाभ होता है।

श्री अध्यक्ष—अभी आप अपना भाषण जारी रखेंगे, तो हम उठते हैं और सवा दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बसन्तलाल शर्मा—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि "मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः" सर्व प्राणियों की गौ माता है और उसकी रक्षा कर के हम अपनी माता की रक्षा कर रहे हैं और जिस हेतु हम यह बिल बना रहे हैं। मैं यह बता रहा था कि गौ हमारी माता क्यों है और दूसरे दूध देने वाले पशुओं को हम माता क्यों नहीं कहते। इस सम्बन्ध में मैं यह कह रहा था कि गौ के प्रत्येक अंश से मानव जाति का कल्याण होता है, वह हमें दूध देती है, उसकी छाछ से, घी से, मूत्र से और गोबर से हमें लाभ होता है और यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी उसके सींग, चमड़े और हड्डियों से हमें लाभ पहुंचता है और उसकी सन्तान जो उस से उत्पन्न होती है जो आगे बछड़े और बैल हमें मिलते हैं उनसे भी हमें खेती आदि में हर तरह का लाभ मिलता है, वही हमारी खेती करते हैं हल चलाते हैं, सिंचाई करते हैं और गाड़ी आदि खींचने के काम में आते हैं और वही धानी आदि भी चलाते हैं। यद्यपि आजकल मेकेनिक युग है और खेती के अनेक साधन ट्रैक्टर आदि चल गये हैं जिनसे जुताई का काम हो जाता है और कम समय में अधिक जुताई हो जाती है लेकिन भारत की जैसी जलवायु है और जिस तरह का हमारा धरातल है एवं उसकी रचना है उसके अनुसार जितने लाभकर हमारे लिये बैल हैं उतनी कोई शक्ति नहीं है, उनके गोबर से हमें साथ ही खाद भी मिल जाती है जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। हमारे देश में जमीन के ऊंचे नीचे खेतों के टुकड़े हैं नदियों के कछार हैं या पहाड़ी जगहें हैं जहां ट्रैक्टर आदि काम नहीं दे सकते वहां साधारणतः बैल ही काम देते हैं वहां और यंत्र बेकार साबित होते हैं। इसलिये उससे जो बैल का लाभ है वह सर्वोत्तम लाभ है।

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

दूसरी बात यह है कि गो से मनुष्य के ऐसे जातक संस्कार मिलते हैं कि और पशुओं को माता न कह कर हम केवल उसी को माता कहते हैं और इसलिये हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को धर्म के नाम से कहते हैं हमारा धर्म विज्ञान से भरा है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही हम उसको माता कहते हैं। गौ का जो हमें दूध मिलता है वह हमारे शरीर के लिये उतना ही पौष्टिक होता है जितना कि माता का दूध, वह पचने में हल्का होता है। अगर किसी बच्चे का दूध छूट जाता है या किसी कारणवश माता बीमार हो गयी या उसकी मृत्यु हो गयी या माता दूध नहीं पिलाना चाहती है तो इन अवस्थाओं में गौ का ही दूध काम देता है। बकरी का भी दूध काम देता है वह भी गौ के समान ही माना जाता है लेकिन बकरी से उतना लाभ नहीं होता जितना गौ द्वारा होता है। गौ के मूत्र और गोबर आदि तक बहुत से रोगों को नष्ट कर देते हैं और उनके सेवन से स्वास्थ्य सुन्दर बन जाता है।

दूसरी बात यह भी है कि जब गर्भाधान होता है तो ९ मास के बाद गर्भ परिपक्व होकर बच्चा पैदा होता है और गौ के भी गर्भाधान होने के बाद गर्भ परिपक्व होने में पहली बार दस मास लगते हैं और उसके बाद ९ या साढ़े ९ मास में बच्चा पैदा हो जाता है। भैंस का भी बच्चा पैदा होने में लगभग इतना ही समय लगता है लेकिन उसमें कुछ अधिक समय लगता है। पहला बच्चा तो ११ महीने में पैदा होता है और दूसरे बच्चे दस से साढ़े दस महीने लेते हैं। यह बात केवल गौ में ही है कि उसके जातक संस्कार मनुष्यों के संस्कारों से मिलते हैं। गाय के दूध में सात्विकता पायी जाती है। उससे आत्मबल और तेजोबल बढ़ता है। यह सब बातें हैं जिनको विचार पूर्वक देखा गया है और उसके बाद ही उसकी यह उपयोगिता बतायी गयी है और उसको यह उपाधि दी गयी कि हम गौ को माता कहें।

गौ की रक्षा के सम्बन्ध में एकाध बार यहां जिक्र आया तो एक आध भाइयों के मुंह से सुना गया था कि गौ की रक्षा धार्मिक दृष्टिकोण से हो रही है। मैं तो यह कहता हूं कि हमारा धर्म वही है जिससे मानव जाति का लाभ हो, उसका कल्याण हो इस लोक में और परलोक में भी सुख हो वही हमारा धर्म है। ऐसी शिक्षा जिसमें हमें मिले वही हमारी धार्मिक शिक्षा है। हमारे देश में रहने वाली वैसे तो बहुत सी छोटी बड़ी जातियां हैं लेकिन दो सम्प्रदाय मुख्यरूप से हैं। पहला सम्प्रदाय तो हिन्दू है और दूसरा मुसलिम सम्प्रदाय है। मैं मुसलिम सम्प्रदाय के विषय में अधिक तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं अरबी और फारसी का ज्ञाता नहीं हूं लेकिन मैं ऐसी जगह का रहनेवाला हूं कि जो हमारे अवध के इलाके में मुसलमानों के गढ़ समझे जाते थे जैसे महमूदाबाद और नानपारा आदि। मैं नानपारा का रहनेवाला हूं और अक्सर मुसलमानों के मौलाद शरीफ में, मजलिसों आदि में जाने का मौका मुझे मिला करता है और मेरे बहुत से मुसलमान दोस्त भी हैं जिनसे अकसर सोहबत होती रहती है और जो उनके यहां उपदेश वगैरह सुनने से मेरी जानकारी है उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि 'इस्लाम' शब्द अरबी भाषा की "सलम" धातु से निकला है और "सलम" का अर्थ है किसी को दुख न देना। तो इस्लाम सिखलाता है कि किसी को दुख न पहुंचाया जाय और आज जो कुरबानी का जिक्र जगह जगह पर किया जाता है मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कहां किसी पर धार्मिक आक्षेप होता है? इसमें कोई धार्मिक आक्षेप नहीं है क्योंकि कुरबानी की जो प्रथा है वह जब से वह धर्म है तभी से चली आती है। जब सीरिया पहाड़ पर हजरत इब्राहीम अपनी तपस्या को सिद्ध करने के लिये अपने बेटे को कुरबानी के लिये आगे लाये थे....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य विधेयक के विषय से दूर जा रहे हैं। यदि इस विधेयक के सम्बन्ध में ही कहें तो अधिक उचित है।

श्री बसन्तलाल शर्मा—तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है कि गौ को ही मारना लाजिमी है। तो इसमें धार्मिक आपत्ति तो नहीं हो सकती है। हमारा जो विधेयक है, जिसपर हम विचार करने जा रहे हैं इसमें कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो हमारे यहां "गौ" शब्द की व्युत्पत्ति जो है उसको देखा जाय तो "गच्छतीति गोः" यानी जो गतिशील है वही गौ है और इस प्रकार से सारा विश्व गतिशील है जो गौ कहा जा

सकता है। इस तरीके पर हम किसी भी प्रकार की गौ का वध नहीं कर सकते। लेकिन इस विधेयक की धारा ४ के अन्दर ऐसा है कि ऐसी गायें जिनसे कोई संक्रामक रोग फैलने की आशंका हो अथवा जिनपर अन्वेषण करने की आवश्यकता हो उनका वध हो सकता है। यदि धार्मिक दृष्टिकोण से बिल लाया गया होता तो किसी भी प्रकार की गौ का वध कर सकने की बात नहीं आ पाती। मेरा यह कहना है कि यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है यह हमारे राज्य के लिये, हमारे देश की जनता के लिये और हमारे देश के लिये एक महान् कल्याणकारी विधेयक है। गौ की रक्षा द्वारा ही हमारा देश समृद्धिशाली, शक्तिशाली और बलशाली हो सकता है और हमारी बृद्धि का विकास हो सकता है। जब अरोग्यता हमारे यहां रहेगी, जब स्वास्थ्य सुन्दर रहेगा तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी को पुनः बधाई देता हुआ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री राधामोहनसिंह (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि किन शब्दों में इस अपनी सरकार को और कृषि मंत्री महोदय का मैं अभिवादन करूं ऐसे महत्त्वपूर्ण और उपयोगी प्रस्ताव को लाने के लिये। आज उत्तर प्रदेश राज्य की तमाम जनता चाहे वह किसी भी धर्म की हो, या किसी भी तबके की हो आज इस विधेयक के समाचार को सुन कर वह प्रसन्न और प्रफुल्ल है। मैं समझता हूं कि इस सदन के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रस्ताव पास हुये होंगे और अच्छे-अच्छे विधेयक भी पास हुये होंगे लेकिन यह जो विधेयक लाया गया है उससे मानव-समाज के प्रति और इस समाज के निर्माण में जनता का जो कल्याण होगा उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि यह प्रश्न आज तक टाला जाता रहा है। कुछ हमारे अन्दर एक बहुत कमजोरी रही कि हम इसको धार्मिक दृष्टिकोण से देखते रहे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह गोवध के निवारण का जो प्रश्न है यह कदापि धार्मिक नहीं है। इस प्रश्न को जब और भी गौर से देखें तो वास्तव में न तो यह धार्मिक है, न सामाजिक है और न किसी एक खास तबके का है यह तो एक तरह से मानव सम्बन्धी प्रश्न है। जब से मानव का इस धरती पर आविर्भाव हुआ और जब से मानव अपने कल्याण के लिये अभिवृद्धि और विकास के लिये प्रयत्न करने लगा उस समय से उसने समझा कि उसका विकास गोवंश में ही निहित है। आज भी हम देखते हैं कि चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, चाहे ईसाई हो या पारसी, चाहे पश्चिम का रहने वाला हो या पूर्व का, मानव समाज के कल्याण के लिये हर जगह हम देखेंगे कि अपने शरीर को अगर किसी को निरोग रखना है तो हम उसे गाय के दूध को पीता देखेंगे, गाय के घी का और गाय के गोबर का उपयोग करते देखेंगे। कोई भी कार नहीं कर सकता चाहे आज हम भले ही कह लें कि यह यंत्रों का युग है लेकिन इसके बाद भी जितना उपयोग और आवश्यकता गोवंश की है आज उतनी कभी नहीं रही। कुछ दिनों के बाद समझ पायेंगे कि मानव-समाज का कल्याण जब कभी होगा तो इसी के जरिये से हो सकता है।

हमको माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का बहुत दुःख है कि यह विधेयक बहुत देर में यहां आया लेकिन फिर भी इस बात का विश्वास है कि सदन का ही नहीं, इस राज्य का ही नहीं बल्कि तमाम राष्ट्र का समर्थन इसको प्राप्त होगा। मैं तो कहूंगा कि कभी भी इसको हिन्दू या मुसलमान किसी खास धर्म से जोड़ना इस प्रश्न के साथ-साथ अन्याय करना है। जहां कि हम हमेशा इसकी पूजा करते रहे वहां अब तक गांव की अवश्यमेव उपेक्षा होती रही है लेकिन और मुल्कों में जहां मनुष्य अपने कल्याण के लिये प्रयत्न करता रहा है वहां आज भी गाय की पूजा है, गाय की सबसे अधिक प्रतिष्ठा है और गाय के कल्याण का वे समर्थन करते हैं और उसके बारे में प्रयत्न करते हैं। अगर आप इस प्रश्न का इतिहास देखें तो आपको मालूम होगा कि इतिहास में जब हम गुलाम नहीं थे, मुस्लिम राज्य था तो गाय की प्रतिष्ठा थी। जो वर्तमान युग इस प्रश्न का हो गया है वह तो तब हुआ जब हम दोनों गुलाम हुए और गुलामी की अवस्था से ही इस प्रश्न को हम आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधामोहन सिंह]

भी उलझा हुआ देख रहे हैं। लेकिन बहुत से स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्रों में गोवध का निषेध है और मुझे इसमें भी संदेह नहीं कि मुस्लिम प्रधान देश पाकिस्तान में भी इस तरह का विधेयक बहुत शीघ्र पास होगा। उन्हें इस तरह का प्रस्ताव पास करना होगा। मैं तो यह चाहता हूं कि इस गोवंश के प्रश्न को, जिसका कि सम्बन्ध मानव-समाज के कल्याण से है, उसे हम इस दृष्टिकोण से देखें तभी हम इसको ठीक समझ पायेंगे। जो हम अन्याय करते आये हैं वह नहीं करेंगे और तभी हम इस प्रश्न को ठीक समझ पायेंगे और हल कर पायेंगे। आज इस बात की प्रसन्नता है कि सदन में ही नहीं बल्कि राज्य में कहीं भी इसका विरोध नहीं है। आज हम कुछ न कुछ समझने लगे हैं। जो पक्के कांग्रेसी हैं वह भी इस प्रश्न को इस प्रकार देखने से डरते हैं। वह यह समझते हैं कि यह धार्मिक प्रश्न है। हम इसमें क्यों दखल दें? और कुछ धर्मान्ध हिन्दू मुसलमान भी इस प्रश्न को इस प्रकार देखने में अपने को कमजोर पाते हैं। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हम अपने राष्ट्र को बतला देना चाहते हैं कि वह दृष्टिकोण अब बदल रहा है। इस प्रश्न के ऊपर हम धीरे-धीरे लेकिन दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते जाते हैं और एक सही दृष्टिकोण बनाते जा रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक को अविलम्ब पास करना चाहिये। मैं तो जो प्रस्ताव इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का आया है उसका विरोध करता हूं।

श्री दीनदयालु शास्त्री—कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री राधामोहन सिंह—अब इस विधेयक में विलम्ब न किया जाय। बल्कि जल्दी से जल्दी पास किया जाय। इस विधेयक में कुछ त्रुटियां अवश्य हैं और हर विधेयक में हुआ करती हैं। लेकिन वह त्रुटियां ऐसी बुनियादी नहीं हैं कि हम उनका यहां पर सुधार न कर सकें। मैं समझता हूं कि हमारे विधायक भाई यहां मौजूद हैं जिस बात को बदलने की आवश्यकता होगी हम बदल देंगे और उसमें मुनासिब तरमीम कर दी जायगी। लेकिन छोटी-मोटी तरमीमों के लिये इस विधेयक को कुछ दिनों के लिये डाल रखना मुनासिब नहीं है। इसलिये मैं यह समझता हूं और इस सदन के बहुत से भाई समझते होंगे कि इस विधेयक को अविलम्ब हमें पास करना चाहिये और जो इसकी उपयोगिता और उपादेयता है, उसके मिलने में देर नहीं करनी चाहिये। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य की तमाम जनता इस विधेयक का स्वागत करती है और एक बहुत बड़ा प्रश्न था जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, उसको हम अब हल करने जा रहे हैं इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक को यह सदन जल्द से जल्द पास करेगा।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक के इस सदन में प्रस्तुत करने के लिये माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। माननीय महोदय, इस सदन में यह विधेयक आया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यह गोवंश रक्षा के लिये प्रस्तुत हुआ है। यह गो रक्षा किस लिये की जाती है? यह हमारे प्राचीन बड़े-बड़े ऋषियों-मुनियों ने, बड़े-बड़े ज्ञानियों ने मानव-समाज के कल्याण के साधनों में इस गोरक्षा को प्राथमिकता दी है। इसका महत्व देखते हुये और यह देखते हुये कि यह मानव-समाज के उपकार का साधन है इसका नाम 'गोमाता' रखा गया है। माननीय महोदय, इस बीच में कुछ ऐसा समय आया जबकि इस गोवंश की रक्षा की महत्ता को न जानने वाले लोगों ने इसकी हत्या की और उसके जानने वाले लोगों में उस समय कुछ कमजोरी थी, वह उसकी महत्ता को समझा न सके। इस कारण कुछ दिनों तक गोवध होता रहा। आज हमारे इस प्रजातंत्र युग में इस सरकार के आधार पर आधारित हो कर कुछ महानुभावों ने इस सरकार को याद दिलाया, उनको इस कार्य के लिये धन्यवाद देते हुये मैं इस आदरणीय सदन से कहूंगा कि यह जो विधेयक आपके सामने प्रस्तुत है इसको पास करने में कुछ भी विलम्ब न हो क्योंकि इसकी महत्ता सब जान ही चुके हैं। इस गोवंश की रक्षा से इसके दूध, घी, दही और गोबर से जो संसार का उपकार हुआ और हो रहा है वह मेरे पूर्व वक्ता भली-भांति दरशा चुके हैं। इसलिये मैं अब अधिक समय न लेते हुये सदन से यही प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र निःसंकोच पारित कर दीजिये। मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं।

श्री हरदेवसिंह (जिला सहारनपुर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय तथा मंत्री जी, जो विधेयक आज सदन के सम्मुख आया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक यहां के रहने वालों का सम्बन्ध है, चाहे वह हिन्दू हों या मुसलमान या किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के मानने वाले हों वह सब गौ को माता मानते हैं। माता हमें पैदा करती है लेकिन वह गौ का दूध पीकर उसके बछड़ों द्वारा पैदा किया हुआ अन्न खाकर और वस्त्र पहन कर ही हमें पैदा करती है। अगर गऊ के बछड़े अन्न पैदा न करें तो हमारी माता हमें कैसे पैदा कर सकती है। इसलिये गौ माता सारे देश के रहने वालों की माता समझी जाती है। गो के दूध के अन्दर कितने गुण हैं यह आपको मालूम है। जिस समय कोई भी आदमी हिन्दू या मुसलमान बीमार पड़ जाता है तो वैद्य या हकीम उसको किसी और का दूध पीने को नहीं बतलाते बल्कि सिर्फ गौ का दूध बतलाते हैं। कितनी ही बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ गौ के दूध से ही दूर होती हैं। जिस समय आदमी कमजोर हो जाता है तो उस समय गौ का घृत और दूसरी चीजें उसको दी जाती हैं इसलिये कि आपको मालूम है कि उसके घृत के अन्दर और मक्खन के अन्दर कितने गुण हैं। आपको यह भी मालूम है कि जिस समय हमारे देश की जनसंख्या ३२ करोड़ थी उस समय हमारे यहां गायें भी ३२ करोड़ थीं और हमारे यहां के रहने वाले केवल अन्न पर ही आश्रित नहीं थे बल्कि वह गाय के दूध और घी को खा कर भी अपनी जिन्दगी व्यतीत करते थे। अन्न वह बहुत कम खाया करते थे और उस समय हमारे देश में बहुत बड़े-बड़े विद्वान् और बलवान हुये हैं यह आपको मालूम है श्रीकृष्ण जैसे बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्होंने कि गीता जैसी पुस्तक बनाई और आज दुनिया भर में कोई पुस्तक ऐसी नहीं है जो गीता के बराबर हो भी गाय का दूध और घी खाते थे। आपको मालूम होना चाहिये कि हमारे देश में बड़े-बड़े विद्वान् और बली राम, भीम, सहदेव, नकुल जैसे व्यक्ति उसी जमाने में निकले। उस समय हमारे देश में ३२ करोड़ गायें थीं और उतने ही आदमी थे। उस समय आदमी घी और दूध खाते थे और इतने बलवान होते थे। उस समय हम भूमि में लात मार कर पानी निकाल देते थे। वह हमारे देश की पोजीशन थी। आज यह एक विधेयक हमारे सामने है। यह बहुत अच्छा है और मैं आपके सामने ज्यादा न कहता हुआ आपसे यह कहना चाहूंगा कि अब इस विधेयक को पास करने में कोई विलंब न होना चाहिये। बल्कि सदन से प्रार्थना है कि इसको अच्छे प्रकार से जल्दी ही पास करें। मैं अन्त में आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको आप जल्दी ही पास करें और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसको सदन के सामने रखा।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, जो बिल इस वक्त हमारे सामने पेश है मैं उसकी दिली ताईद करता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि जो बिल इस वक्त हमारे सामने आया है उसकी इकोनामिक हैसियत से एक बड़ी जरूरत थी, लेकिन मैं तो इसको इस से भी ज्यादा इस नुक्तेनजर से देखता हूं कि अगर हिन्दुस्तान में बसने वालों में आपस में किसी चीज से इत्तिहाद और इत्तिफाक हो सकता है तो वह इसी तरीके पर हो सकता है जैसे यह बिल इस हाउस में लाया गया और मेरा यह ख्याल है कि अगर वह लोग जो कि गाय को इतना मुकद्दस नहीं समझते हैं, जिनका कि एक दूसरा फिरका हमारे हिन्दुस्तान में, मुल्क में मौजूद है, तब भी उन लोगों को महज इस ख्याल से गऊ की कुर्बानी और गऊ का खाना बन्द कर देना चाहिये कि इस तरह हिन्दुस्तान में मुख्तलिफ फिरकों में दोस्ती रहे और दोस्ती तभी हो सकती है कि इस इत्तेहाद और इस इत्तफाक को हासिल करने के लिये अगर इस बिल को इस हाउस के अन्दर पास कर दें और इत्तफाक राय से पास कर दें तो मैं समझता हूं कि यह इसके लिये बहुत थोड़ी सी कीमत है जो हम अदा करेंगे।

जनाबवाला, इसमें शक नहीं कि हमारी गवर्नमेंट मुस्तहक मुबारकबाद है कि उसने इस मसले की तरफ तवज्जह की और इस सिलसिले में एक कमेटी बैठायी जो डा० सर सीताराम की कयादत में बैठी और उसमें इस सूबे के मुख्तलिफ ख्याल के लोग और वे लोग जो इस सूबे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

की राय आम्मा पर काफी असर रखते हैं, उन्होंने काम किया और उस कमेटी ने एक साल से ऊपर काम किया और बहुत से लोगों की शहादतें लीं और बहुत सा डाटा इकट्ठा किया और उसके बाद एक रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने पेश की जिसके जरिये से उसने इस बात की सिफारिश की और मुत्तफिक तौर पर सिफारिश की। इस सूबे के अन्दर हम लोगों को पायनीयर बनना चाहिये कि हम गऊ रक्षा करें और गाय की कुर्बानी इस सूबे के अन्दर कतई बन्द कर दें। यह बिना थी जिसको मान कर गवर्नमेंट ने यह बिल बनाया जो कि हमारे सामने पेश है। मैं यह देखता हूं कि इस बिल में वाकई चन्द ऐसी बातें हैं जिनके मुताल्लिक प्रेस में पढ़ा और किसी हद तक लोगों में एतराज है।

लेकिन जैसा अभी मेरे एक दोस्त ने अपनी तकरीर में बताया है कि हम इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में या ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के सामने भेजने वाले हैं और हमें यकीन है कि उसके अन्दर बैठकर जब हम लोग सर जोड़कर बात करेंगे तो हम उन तमाम कमियों को, जो इस बिल के अन्दर रह गयी हैं, अच्छी तरह से पूरा कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं दफा २ की तरफ इसमें (a) में लिखा हुआ है :

2(a) "beef" means flesh of cow but does not include flesh of cow contained in sealed containers and imported into Uttar Pardesh ;

मेरी जाती तौर पर राय यह है कि अगर इस किस्म के लूप होल्स न रखें तो ज्यादा बेहतर हो। किसी भी सूरत में अगर यहां गाय का गोश्त आता है तो हम उसको डिसकरेज करें। इसलिये कि हमने एक बार यह जब बिलकुल तय कर दिया कि हमारी मंशा और मकसद यह है हम इस सूबे के अन्दर, मुल्क के अन्दर एक ऐसा कानून बनायें जिसके मातहत गाय की कुर्बानी बिलकुल बन्द कर दी जाय।

जनाबवाला, एक दूसरी दफा ५ में एक्सेप्शन है, जिसमें लिखा है—

"Exeeption—A person may sell and serve or cause to be sold and served beef or beef-products for consumption by a bonafide passenger in an air-carft or railway train."

मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि यह एक्सेप्शन भी अगर न होता तो ज्यादा बेहतर होता। जनाबवाला, अब मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह कि यह रिपोर्ट गोसम्वर्धन कमेटी की जो काफी जखीम है और जिसके तकरीबन १३६ सफे हैं यह हमारे सामने आ गयी है और इसके एक हिस्से को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है और इस तरह पर इम्प्लीमेंट किया है उसने, यह बिल हमारे सामने पेश किया है और हम इस पर इसी तरह इत्तफाक करेंगे जैसे यह रिपोर्ट आयी है। मगर मैं यह चाहता हूं कि इसके अन्दर गऊ रक्षा के सिलसिले में जो बातें और कही गयीं उनकी तरफ भी हमारी तवज्जह हो तो ज्यादा अच्छा है। हम यह जानते हैं कि गाय की नस्ल हमारे इस सूबे के लिये बहुत ही मुफीद है और इसके जरिये से हमारी एग्रीकल्चरल इकोनामी चलती है।

लेकिन यह वाकया है कि अगर हम गौर से देखें जितनी गाय हम अपने सूबे में रखते हैं उनको हम उस तरीके से नहीं रख पाते जैसे कि रखनी चाहिये। गवर्नमेंट ने कोशिश की है और कुछ गौ सदन खोले गये हैं और उनमें जानवर रखने की तरफ तवज्जह की गयी लेकिन इस तरह के गवर्नमेंट की तरफ से कितने गौ सदन खोले जा सकते हैं जिनमें गायों के रखने का इंतजाम होगा ? इसके लिये पब्लिक ओपीनियन को आगे बढ़ना चाहिये, हम सब को आगे बढ़ना चाहिये, हम उसके जरिये से कुछ ऐसा इंतजाम करें जिससे वे गायें जो बेकार हैं उनके रहने-सहने का इंतजाम करें। यह एक बहुत बड़ा मसला है, हमारी एग्रीकल्चरल इकोनोमी का है कि हमारे मवेशी किस किस्म के हों और उनका किस तरह से पालन किया जाय।

हम जानते हैं दूसरे मुल्कों के अन्दर अगर हम जा कर देखें तो वहां की गाय और भैंस जितना दूध देती हैं हमारे यहां की उसका एक हिस्सा भी नहीं देती। अगर डेनमार्क और यूरोप के दूसरे मुल्कों में देखें तो मालूम होगा कि वहां की गायें दस गुना, पन्द्रह गुना दूध देती हैं। हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, हमारे यहां ३६ करोड़ की आबादी है और इस आबादी को सही तरीके पर रखने के लिये जिस्मानी सेहत को ठीक रखने के लिये, हमें बहुत घी, दूध की जरूरत है। लेकिन चूंकि हमारे यहां के जानवर इस हालत में नहीं रह सकते कि जिससे वह ज्यादा से ज्यादा मिकदार में दही दे सकें, घी दे सकें, दूध दे सकें, जिसकी वजह से मुल्क में इनका तोड़ा है, इनका कहत है और यही वजह है, जनाब वाला—अगर आप इजाजत दें और मैं अपने मौजूअ से दूर न जाता हूं—तो कह सकता हूं कि जो आज तरह-तरह की बीमारियां फैल रही हैं, एडल्ट्रेशन होता है और एडल्ट्रेशन के जरिये से बुरे किस्म का घी और डालडा हमारे सामने आता है और उससे सबकी सेहत खराब होती है उसकी यही वजह है कि हम सही तरीके पर पशुपालन नहीं कर पाते, अपने यहां के मवेशियों की दाश्त नहीं कर सकते। इसका नतीजा यह हो रहा है कि उनकी नस्लें कमजोर होती जा रही हैं, खराब होती जा रही हैं। वह दूध कम देने लगे हैं, घी कम देने लगे हैं और उनकी तादाद घटती जा रही है। पिछली मर्दुमशुमारी जो सन् ५१ में हुई और जोकि यहां हमारे सूबे में हुई तो उससे यह जाहिर है कि हमारे सूबे की आबादी काफी बढ़ गयी है, साढ़े छः करोड़ तक पहुंच गयी, लेकिन पिछली मर्दुमशुमारी जो मवेशियों की सन् ५१ में हुयी है उसमें आप लोग देखेंगे कि गो मवेशियों की तादाद बड़ी हद तक कम नहीं हुयी लेकिन उसके अन्दर कमी हो गयी, तकरीबन ४० लाख मवेशी कम होगये हमारे सूबे में। और अगर इसी रफ्तार से इनकी कमी इस सूबे में जारी रही तो मैं समझता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब हम लोग घी या दूध के लिये मोहताज हो जायेंगे और वह हमें बिलकुल नहीं मिल सकेगा। मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह जो गोसम्बर्द्धन कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आयी है और जिसके लिये हम बड़े मशकूर हैं उन लोगों के जिन्होंने यह रिपोर्ट मेहनत करके तैयार की है, हमारा यह फर्ज है कि हम इसकी तरफ भी तवज्जह करें और तवज्जह करने के बाद जो कमेटी ने सिफारिशें की हैं गो रक्षा के लिये, मवेशियों को बेहतर बनाने के लिये, उनकी ब्रीड अच्छी बनाने के लिये, उनकी तरफ भी तवज्जह करें और सरकार से कहें कि इन सिफारिशों के आधार पर भी दूसरे जो जरूरी बिल हों वह जल्द से जल्द इस हाउस के सामने आयें ताकि वह यहां से पास हो सकें और सही माने में हमारे सूबे के अन्दर गोरक्षा हो सके और सही माने में हमारी ऐग्रीकल्चरल इकोनामी ठीक हो सके, हम लोगों को घी मिल सके, दूध अच्छा मिल सके और वह तवक्कोआत पूरी हो सकें जो एक अर्से से लगी हुयी थीं और जिनके मातहत हम यह चाहते थे कि इस सूबे के अन्दर एक ऐसा बिल आये जिसके जरिये से गोरक्षा हो सके।

मैं और ज्यादा न कह कर इतना ही अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में मुबारकबाद की मुस्तहक है कि उसने एक ऐसा बिल पेश किया जिसके लिये यहां की जनता एक अर्से से ख्वाहिशमन्द थी, लेकिन उसके साथ मैं यह अर्ज करूंगा कि गोसंवर्धन कमेटी की रिपोर्ट को हम कोल्ड स्टोरेज में रख दें ऐसा न हो, बल्कि ऐसा ही ध्यान देना चाहियें जैसा कि इस बिल के आने के पहले देते थे। उसकी जो मुख्तलिफ सब-कमेटियां बनायी गयी थीं और उन सब-कमेटियों ने जो मुख्तलिफ रिपोर्टें दी हैं उन पर ध्यान दे कर इस बात की कोशिश करें कि वैसे मुख्तलिफ बिल इस हाउस में जल्द आयें, उनको प्रायर्टी दी जाय ताकि यह मसला सही सूरत में और मुकम्मिल तौर पर हल हो सके।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो बिल मंत्री जी ने पेश किया है मैं हृदय से उस का स्वागत करता हूं। मैं ही नहीं और सदन के माननीय सदस्य ही नहीं, बल्कि बाहर के लोग भी इस बिल का स्वागत करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को तो पहले आना चाहिये था परन्तु यह पहले नहीं आया और सभी लोग इसकी प्रतीक्षा में थे कि सरकार ऐसा कोई कानून बनाये जिससे गायों की रक्षा हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के राज्य में जब जमींदारी

[श्री राम सुभग वर्मा]

थी उस समय देहातों में बहुत सी ऐसी परतियां थीं जिनमें हमारे यहां की गौवें चरा करती थीं। लोग बतलाते हैं कि इस हिन्दुस्तान में दूध और दही की नदियां बहती थीं, लेकिन ज्यों ज्यों हम लोग गौवों की सुधार के स्थिति में आते गये, उनका ह्रास होता गया। हमें जहां तक अनुभव है, मैं अपनी जानकारी की बात बतला रहा हूं कि अपने यहां गायें कुछ दिनों के लिये जंगलों में जाती थीं और वहां से आने के बाद काफ़ी परतियां लोग रखते थे, उनमें चार महीने बरसात में उनको चराते थे। इस तरह से गायों की इतनी अधिकता थी और इतना अधिक दूध, दही लोगों को खाने को मिलता था और मवेशियां बहुत ही हृष्ट पुष्ट होती थीं। लेकिन जब हमारी सरकार हुई और उसने जमींदारी का खात्मा किया तो उस के पहले ही जमींदारों ने इन जंगलों और परतियों का बन्दोबस्त करना शुरू किया। यही नहीं है और भी संस्थायें जो थीं जैसे हिन्दू महासभा वगैरह, वे जहां एक तरफ "गोवध बन्द हो" के नारे लगाते थे वहां वही लोग इस तरफ अग्रसर हुये कि सारी गोचर जमीनों का बन्दोबस्त कर दिया जाय और इस तरह से बहुत सी परती और जंगलों को खत्म कर दिया जिसके कारण गायों को चरने और रहने के लिये स्थान नहीं मिलता है। इस वजह से लोगों ने धीरे-धीरे गायों को अपने यहां रखना मजबूरन कम कर दिया और आज वे किसी न किसी रूप में बहुत कम हो चुकी हैं। आज देहातों में जिनके यहां दो चार या सौ पचास गायें रहती थीं उनके दरवाजे पर एक गाय नहीं है। कुछ ऐसे लोग जो पेशे वाले हैं वे कुछ गायें पालते हैं जिनको दुह कर, वे खुद नहीं पीते, न उनके बच्चे पीने को पाते हैं वे दूसरों के हाथ दूध बेचते हैं और अपना पेट पालते हैं। लेकिन सारा दूध दुह लेने के कारण उनके बछड़े धीरे-धीरे कमजोर हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को कानून लाने से पहले तो यह चाहिये कि वह उनके खाने का बन्दोबस्त करे।

श्री हुकुमसिंह---क्या मैं इस बिल को वापस ले लूं?

श्री रामसुभग वर्मा---जी, नहीं। शायद मन्त्री जी को सुनाई नहीं दिया। मैंने पहले ही इस बिल का स्वागत किया है। लेकिन मैं बतला रहा हूं कि समय पर कोई कानून बनता है तो जनता उसका स्वागत करती है और उसका पालन करती है लेकिन असामयिक कानून जो बनता है जनता उसको तोड़ती है, उसका पालन नहीं करती है। यह बिल तो इससे पहले आना चाहिये था। जनता इसका पालन करेगी लेकिन यह आवश्यक है कि गायों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार अच्छी नस्लों का इन्तजाम करे। दूसरी चीज आबादी के हिसाब से हर गांव में चरागाह के लिये परती छोड़ी जाय। तीसरे गोवध करने वाले को उचित सजा हो। चौथा बूढ़ी, लूली, लंगड़ी और अंधी गायों के लिये गोशाला खुलवायें जिससे हर तरह से जनता भी मदद करे और सरकार भी मदद करे और अच्छी नस्ल के सांड़ों की व्यवस्था की जाय। इस तरह से व्यवस्था करने से कानून की रक्षा हो सकती है। नहीं तो कानून बना दिया लेकिन चारे वगैरह का कोई बंदोबस्त नहीं है और सारी चीजों की व्यवस्था नहीं है तो गायों की रक्षा नहीं हो सकती है। जैसे आज कल आप ने कानून तो म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ने कानून का रूप दे रखा है, लेकिन कुछ नहीं होता है। कानून के होते हुये भी वैसी ही आज भी गायें कट रही हैं, उनका वध होता रहा है और सारे प्रदेश में सारे लोग चिल्लाते रहे। मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ४-५ सुझाव जो हमने दिये हैं, उनको वह नोट कर लें और कानून बनाते समय इन पर ध्यान देने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के सामने है उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को और सरकार को बधाई देता हूं। यह गाय का जो प्रश्न है बिलकुल आर्थिक प्रश्न है। जितने भी संसार में पशु हैं उन सब में गाय सब से

अधिक हितकारी है। इसके बचपन से लेकर अन्त तक हर एक चीज इसकी काम में आती है। गोबर तक काम में आता है और मरने पर इसकी खाल जूता देती है। इसी कारण से क्योंकि यह हमारे जीवन में सब से ज्यादा उपयोगी है, इसलिये इसको भारतवर्ष में बड़ी प्रधानता दी गई थी और गोमाता कहा था। माता का काम है पोषण करना और गो माता भी हमारा पोषण करती है। इसलिये इसको गोमाता कहा गया था और यह बिलकुल आर्थिक प्रश्न था और अत्यन्त आवश्यक था। इसलिये इस की प्रधानता मानने के लिये इसको धार्मिक रूप दे दिया गया था लेकिन वास्तव में यह बिलकुल आर्थिक प्रश्न था।

इसलिये इस विधेयक का आना जितना जल्दी होता उतना ही अच्छा होता। अब इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक चीज इसमें यह रखी गयी है कि अगर किसी के कोई सांस्पार्शिक सांसर्गिक रोग है, कंटेजियस डिजीज है तो उसको मारा जा सकता है और यह दिया हुआ है कि मारने के १२ घंटे के अन्दर सूचना देनी पड़ेगी। इसके अन्दर लूपहोल है अगर कोई अच्छी गाय मार देता है तो कह देगा कि बीमारी से मुब्तिला थी। इसमें झगड़ा होगा इसलिये मेरे खयाल में यह उचित होगा कि पहले वह अधिकारी से आज्ञा प्राप्त कर ले और फिर मारे। ऐसी दशा में कोई झगड़ा नहीं रहेगा, कोई प्रश्न नहीं रहेगा क्योंकि जब कोई अच्छी गाय होगी तो उसके सम्बन्ध में कोई दरख्वास्त नहीं देगा क्योंकि जब चीज मौजूद है तो इसकी जांच की जा सकती है। इसलिये इस सम्बन्ध में गलत दरख्वास्त देने की सम्भावना बहुत ही कम है। अगर पहले मार देते हैं तब तो वह कहेगा कि वह रोगी थी इसलिये माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं कि इसमें थोड़ा-सा संशोधन कर दिया जाय।

दूसरी बात मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि जब इस विधेयक को सदन पास कर रहा है तो इसकी कई कोरोलरीज हैं। इस पर उचित ध्यान देना होगा। अभी मेरे अन्य दोस्तों ने कहा है कि हमारे यहां चारे के लिये भूमि नहीं है वास्तव में बात यह है कि गांव में जो रास्ते होते हैं, बंजर भूमि पड़ी होती है, सब को किसान तोड़ डालते हैं। ऐसी दशा में चरागाह का प्रश्न आता है। मैं जानता हूं कि यह प्रश्न भी इस सदन में आयेगा और सरकार इसको हल करेगी। किन्तु मेरा उनसे कहना यह है कि हमारे यहां इस समय चकबन्दी चल रही है। इसी समय हर एक गांव में कुछ जमीन चरागाह के लिये छोड़ दी जाय और फिर उस के बाद चकबन्दी हो। अगर हर एक खाते में कुछ कमी कर दी जाय तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। जब चकबन्दी हो जायगी और उसके बाद आप कानून बनायेंगे तो बड़ी परेशानी होगी। इसीलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो प्रश्न हमारे सामने बहुत जल्द उठने वाला है उस प्रश्न को अगर इसी समय जब कि हमारे यहां चकबन्दी चल रही है इसी वक्त उस पर विचार कर ले तो बहुत सुगमता से इसको हल कर सकेंगे। अगर बाद में यह प्रश्न उठेगा तो बड़ा झंझट पड़ेगा। हर एक खाते से थोड़ी जमीन निकालना मुश्किल हो जायगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे यहां चकबन्दी हो रही है उसी वक्त इस बात को भी तय कर ले और हर गांव में कुछ जमीन चरागाह के लिये छोड़ दी जाय तो यह समस्या इस वक्त बड़ी सरलता से हल हो सकती है।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि आज हमारे गांवों में हालत यह है कि जब गाय बेकार हो जाती है और बूढ़ी हो जाती है तो वह किसान जिसने गाय और बैल से जिन्दगी भर काम लिया है वह उन गाय और बैल को एक व्यापारी को दे देता है और बदले में कुछ दूसरे जानवर ले लेता है। यद्यपि वह इस बात को जानता है कि यह गाय और बैल मारे जायेंगे। यह आमतौर पर आज हिन्दुस्तान का किसान कर रहा है। यह एक आम बात है जो हमारे सारे सूबे में प्रचलित है। जब यह गाय मारना बंद होने जा रहा है तो यह भी बिलकुल लाजिमी हो जाता है कि इन बेकार पशु गाय और बैलों का क्या किया जायगा। इस पर विचार किया जाय इसलिये यह बात जरूरी है कि गोसदन खोले जायं। इस विधेयक

[श्री रतनलाल जैन]

में भी इसकी तरफ इशारा है। आप चाहे गोसदन अपने जरिये से खुलवायें या पब्लिक के जरिये से, मेरा निवेदन यह है कि जब आप यह विधेयक पास कर रहे हैं तो आपके लिये यह लाजिमी हो जाता है कि गोसदन आप खोलें। यह भी अच्छा है कि हम जनता से अपील करें कि जैसी हमारी भावना है कि गोशालायें खोली जायं। परन्तु उनके सामने प्रश्न आता है कि उनको जगह नहीं मिलती है। जमीन कहां से लायें। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस तरफ ध्यान देने की कृपा करें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं जिसका जिकर उन्होंने अपने भाषण मे किया है कि हम पशुपालन (एनीमलहस्बेंडरी) से अच्छे जानवर पैदा करना चाहते हैं। यह सब जानते हैं कि हमारे यहां गाय बहुत ही कम दूध देती है। कहीं कहीं तो गाय आधा सेर और सेर भर ही दूध देती है। दूसरे मुल्कों में एक गाय १५ सेर और २० सेर दूध देती है। यह सुझाव उनका बिलकुल ठीक है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ज्यादा तेजी से कदम उठाये ताकि हमारी आगे की नस्ल अच्छी हो जाय। हमारे सूबे में अच्छे गोवंश की तादाद कम है। हमारे यहां ६॥ करोड़ की आबादी है और गोवंश की संख्या २। करोड़ के करीब है। जब हम यह देखते हैं कि दूध कम है, बच्चे कमजोर हैं, तो यह गाय इतना काम नहीं दे सकती है जितना कि उस को देना चाहिये। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि गोवंश को विकसित करने के लिये, अच्छे जानवरों को पैदा करने के लिये वह पूरी-पूरी कोशिश करें। इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को फिर बधाई देता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक आज इस सदन के सामने उपस्थित है। मैं उस का निहायत इत्मीनान के साथ समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं और साथ ही मैं माननीय मंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं। इन माननीय मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा जमींदारी अबालिशन कानून पास हुआ था और आज गोवध बन्द करने का विधेयक पेश हो रहा है। हम लोगों को बड़ी खुशी है कि आज उस महान् व्यक्ति के हाथ से इस प्रान्त में वह काम होने जा रहा है जिसको युग युगान्तर का भारतवर्ष का इतिहास याद करेगा। मैं आप की आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि जो विधेयक आज हमारे सामने मौजूद है उसके सम्बन्ध में जब देश के कोने-कोने में सत्याग्रह चल रहा था और यहां कौंसिल हाउस के सामने सत्याग्रह चल रहा था तो मैंने दूसरे दिन अमीनाबाद में देखा कि एक आदमी मोटे डंडे से एक अच्छी गाय को मार रहा है, एक ने खींच कर डंडा मारा। उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उससे कहा कि यहां तो तुम डंडा मारते हो और वहां सत्याग्रह करते हो। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसका भी अनुभव है कि जब गाय या बैल मर जाता है तो उस को चमार के घर भेज देते हैं। यहां बड़े बड़े ठाकुर और पंडित बैठे हुये हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह यह कानून बनाने जा रहे हैं तो यह जो गो को छू कर ब्राह्मण को दिया जाता है तो आप को एक ब्राह्मण नहीं मिलेगा कि उस की पूंछ छू कर दे दो। आज एक बड़ी भारी प्रसन्नता का विषय है कि इस गवर्नमेंट ने, ठाकुर हुकुम सिंह की गवर्नमेंट ने, उनके नेतृत्व में, उनकी मिनिस्ट्री में, डा० सम्पूर्णानन्द की गवर्नमेंट में और ठाकुर साहब भी उस केबिनेट में मेम्बर हैं यह सुन्दर काम किया है। उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि उनका नाम बड़ी शान के साथ कायम रहेगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज गो वंश की क्या दशा है। जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसको मेरे घर खिसका देते हैं। इसके सिलसिले में एक सज्जन ने उधर से कहा कि गाय जूता देती है। जब कोई घर का मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिये पंडित को दान देते हैं लेकिन जब गाय मर जाती है तो चमार से और एक जूता लिया जाता है, इस महापात्र को एक जूता और अपने पास से देना होता है।

आज इस प्रदेश में गोवध के निरोध का जो कानून बन रहा है यह अति उत्तम है, बहुत सुन्दर है। आज सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि गरीबों और हरिजनों को आप पैसा दीजिये उनको सही माने में वैज्ञानिक ढंग से ट्रेनिंग दीजिये जिससे वे उसका ठीक प्रकार से प्रयोग कर सकें। मैंने इसी रिपोर्ट में पढ़ा कि आज कल लोग बड़ी लापरवाही से चमड़े को निकालते हैं, छीलते हैं। क्यों? क्योंकि उस का कोई सिस्टेमेटिक इंतजाम नहीं है। मैंने फौरेन कंट्रीज में भी देखा ब्रिटिश वैस्ट इंडीज में भी देखा कि वहां अगर कोई गाय मारी जाती है, या मर जाती है तो उस के चमड़े का बहुत सुन्दर इन्तजाम होता है। लेकिन हमारे देश में जहालत भरी हुई है जिस काम को करते हैं उस को करने का सही ढंग हम नहीं जानते हैं। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आज गांवों में पंचायतें हैं, तमाम इंतजाम है लेकिन उस का कोई इन्तजाम नहीं है और इससे सरकार को भी काफी लाभ हो सकता है। हड्डी की सुन्दर खाद होती है लेकिन उसकी हड्डी बेकार फेंक दी जाती है। उस को छोड़ने से जहां १० मन पैदा होता है वहां २० मन पैदा हो जाता है। गोबर की खाद से, मल की खाद दूसरे नम्बर पर है। यहां जो एग्रीकल्चरिस्ट्स बैठे हुये हैं वे सब जानते हैं कि गोबर की खाद बैस्ट होती है। हमारा मुल्क एक गरम मुल्क है और गर्मी की वजह से जमीन जल्दी खराब हो जाती है। उस में ठंडक और नरमी रखने के लिये गोबर की खाद बड़ी वेल्यूएबिल है, लाभदायक है। प्रथम लाभ गाय से यह है कि वह अन्न प्रदान करती है, खाद के जरिये से, मरने के पश्चात् भी वह हमें चर्म देती है, जूता देती है। लेकिन आज हालत यह है कि जब गंदगी होती है, गाय मरती है तो वह चमारों के यहां डाल दी जाती है लेकिन जब पैसा मारने का समय आता है तो सब लोग उसके ठेकेदार हो जाते हैं। बाटा कंपनी और न जाने क्या-क्या कंपनी बन जाती है। हम चाहते हैं कि सारे काम हमारे जिम्मे कर दिये जायं लेकिन यह उचित बात नहीं है कि जब गन्दगी में रहे तो चमार रहे और जब पैसा मारने का वक्त आये तो दूसरे लोग आ जायं। तो सरकार इस बात पर ध्यान दे कि वह सही माने में इस चीज को करे।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतना ही नहीं है कि गाय हमारे यहां पूजनीय है। अगर मोहनजोदड़ों के इतिहास के पन्ने को उलट कर देखा जाय तो उससे पता चलता है कि खुदाई के अन्दर गायों के चित्र भी देखने को मिलते हैं। गाय हमारे देश में प्रचीन काल से लेकर आज तक पूजनीय है। विदेशों में भी प्रत्येक आर्य गायों पर निर्भर करता है। जो आर्य हिन्दुस्तान में आये उन्होंने अपनी पूरी संस्कृति में इसको रखा और उस को अपने धर्म में शामिल कर लिया और जो यूरोप गये वे गाय को पालते थे, गायों को चराते थे और उनका दूध पीते थे। जर्मनी वालों ने कहा कि गाय हमारे लिये सर्व श्रेष्ठ पशु है। संस्कृत भी जर्मनी के घर घर में है। हिटलर ने भी कहा था कि गाय जिन्दगी के लिये बहुत आवश्यक है। इतिहास के पन्ने को देखने से पता चलता है कि फारेन कंट्रीज में भी गायों का महत्व समझा जाता है लेकिन हमारे देशवासियों ने अभी गाय के महत्व को नहीं समझा है। हमारे भाई जो सामने बैठे हैं, जो अपने को ताल्लुकेदार, ठाकुर और ब्राह्मण आदि कहा करते हैं आखिर वे क्यों नहीं गोसदन और गोशालायें बनवाते हैं? इस गोवध निवारण विधेयक के द्वारा ही उनका इम्तहान है। धर्म के नाम पर जो सड़कों पर नारे लगाते फिरते हैं आज उनका भी इम्तहान है। उनको चाहिये कि गायों के लिये गोसदन तथा गोशालायें बनवायें इसमें उनको सरकार की भी मदद मिलेगी। लेकिन केवल सरकार के भरोसे ही यह काम नहीं हो सकता है। जो राजा साहब और ताल्लुकेदार लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी कह दिया है कि नेक्स्ट फाइव इयर्स प्लान के लिये रुपये की कमी पड़ेगी और इसके लिये हमको एक्स्ट्रा टैक्सेशन करना पड़ेगा। तो फिर क्यों न आप लोग पैसा रुपया टैक्स देने के लिये तैयार हो जाते। अगर वाकई में आप गोमाता की रक्षा करना चाहते हैं और देश का भला करना चाहते हैं तो एक पैसा रुपया टैक्स देने के लिये तैयार हो जाइये।

[श्री शिवनारायण]

इससे सारे प्रान्त में ही नहीं बल्कि सारे देश में गोसदन और गोशालायें बन जायेंगी। "नो गवर्नमेंट विदाउट टैक्सेशन"। मैं फिर आप से कहना चाहता हूं कि यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, न तो यहां हिन्दू का प्रश्न है, न मुसलमान का प्रश्न है बल्कि यह तो हर हिन्दुस्तानी का प्रश्न है और इसी के जरिये हम दूध के प्राब्लम को हल कर सकते हैं। "ग्रो मोर फूड कम्पेन" किया जाता है तथा अमेरिका तथा जापान आदि विदेशों से हम अन्न की भीख मांगा करते हैं। रहीम कवि ने कहा है कि—

"रहिमन वे नर मर चुके, जिन कछु मांगन जाहिं। उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहिं"। तो इस प्राब्लम को हमें हल करना है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—"नो गवर्नमेंट विदाउट टैक्सेशन" वाली बात फिर से दोहरा दीजिये।

श्री शिवनारायण—टैक्सेशन के नाम पर श्री मदन मोहन जी जो बहुत पैसे वाले हैं, कैपिटलिस्ट हैं, घबड़ाते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि सरकार हमारे यहां सांड़ भेज दें। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे एक बहुत बड़ा सांड़ उपाध्याय जी के यहां भेज दें क्योंकि उनके इलाके में इसकी बड़ी कमी है। उनके यहां गायें छोटी छोटी हैं लेकिन एक अच्छे सांड़ के चले जाने से वहां के बछड़े बैल आदि अच्छे हो जायंगे तथा उनके यहां दूध की कमी भी नहीं रहेगी।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस प्रोबलम को हल करने के लिये टैक्स लगाये और इसमें पब्लिक भी कोआपरेट करे। सड़कों पर नारा लगाने वालों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जरा वे ठंडे दिल से ईमानदारी से इस पर विचार करें। यह उनके इम्तहान का समय है। यह गवर्नमेंट भी बड़ी मुरही गवर्नमेंट है, यह चूकने वाली नहीं है। जमींदारी अबालीशन के बारे में लाल टोपी वाले भाई कहा करते थे कि यह सरकार जमींदारी एबालिशन नहीं करने वाली है लेकिन हमारी सरकार ने खट से जमींदारी अबालिश कर दी। जनसंघ वाले जो चारों तरफ चिल्लाते फिरते हैं और गांव गांव में प्रचार करते फिरते हैं उनको मैं सचेत कर देना चाहता हूं कि यह कोई पोलिटिकल गेम नहीं है। "डू आर डाई" यह नारा हम ही लोगों ने लगाया था। हम कच्ची गोली खेलने वाले नहीं हैं बल्कि पक्की गोली खेलने वाले हैं इस लिये हम इसमें भी चूकने वाले नहीं है। यह गोवध विधेयक जो इस सदन में उपस्थित किया गया है यह बड़े ही महत्व का विषय है। यह ऐसा विषय है जिसके लिये हमारे पोलिटिकल आपोनेंट श्रेय लेना चाहते थे लेकिन उसका श्रेय हमको ही मिला, आपको नहीं मिला। जो हमारे विरोधी हैं, चाहे वह जनसंघी हों, हिन्दू महासभाई हों, सोशलिस्ट हों या कम्युनिस्ट हों, कोई हों मैं उन सब से कहूंगा कि शेर हम ने मारा है और आप पीछे रह गए। यह भी नारा बहुत से लोगों ने लगाया कि धन धरती बट के रहेंगी लेकिन हम यह गोदान कर के देश की फूड प्राब्लम को हल कर रहे हैं, इसी से आगे हमारे देश में दूध की नदियां जैसे पहले बहती थीं बह सकती हैं, जिसको अन्न भी नहीं मिलेगा वह भी थोड़ा सा मट्ठा खा कर रहा जायगा, बहुत से लोगों ने कहा कि जिनके घर दूध है वह उसी को पीने नहीं पाते। मैं समझता हूं कि वह गलत कहते हैं। मेरी समझ से तो आज वह मट्ठा पीते हैं और मैं जानता हूं कि संग्रहणी के मर्ज में मट्ठे से बढ़िया कोई दवा नहीं है और वह संग्रहणी का नाश करने के लिए एक अमूल्य दवा है। जैसा कि माननीय शर्मा जी ने कहा कि उससे उनको लाभ पहुंचा उसी तरह एक बार मेरे गले में खुश्की पड़ गई और डाक्टरों ने जबाव दे दिया लेकिन मेरे एक बुजुर्ग ने मुझे बताया कि इसके लिए सवेरे एक पाव दूध पी लिया करो। मैंने गो के दूध का दो दिन तक सेवन किया और मेरा गला खुल गया। मैं जानता हूं कि जो लोग गो मांस खाते हैं उनको इस देश में कोढ़ आदि नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं और चर्म रोग तरह तरह के फैलते हैं और वह यहां की जवलायु में किसी को हज्म नहीं हो सकता। आजकल तो बाजार में सेपरेटा मिल्क मिलता है, होटल में भी वही मिलता है

उसका मक्खन निकाल लिया जाता है। ब्रिटिश बेस्ट इंडीज में भी स्टेट वाले साहब लोग मक्खन निकाल लेते थे और सेपरेटा नौकरों को दे देते थे, यहां पैसा बिक रहा है, तुम्हारे दिन अच्छे हैं और अब देश का कल्याण होने वाला है और अब जब गोवध निवारण कानून लागू हो जायगा तो सही मानों में हमें दूध मिलने लगेगा। यहां पर डालडा का जिक्र हुआ। मैं कहता हूं कि वह यहां उस दिन बन्द होगा जब घर-घर यहां गाय होगी। आज ५ छटांक का डालडा बिक रहा है। इस बिल के पास होने से जो डालडा पैदा करने वाले कैपिटलिस्ट हैं उनका गोवध कानून से मुंह बन्द हो जायगा। अगर किसानों में ठीक से प्रचार होगा और गाय भैंस पालने का प्रचार बढ़ेगा तो डालडा अवश्य ही बन्द हो जायगा "go to the masses and train the masses" किसी को इससे शिकायत न होनी चाहिये। यह खुशी की बात है कि यह रिपोर्ट निर्विरोध पास हो कर आई है। जब यह रिपोर्ट बन रही थी उस जमाने में जनसंघियों ने नारे लगाये जब कि हमने इस दिशा में काम शुरू कर दिया था और उसको पूरा करने जा रहे थे उस वक्त नारे लगाना कहां तक मुनासिब था? लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है वह जानती है कि नारे लगाने से यह काम हो रहा है या सरकार की नीति से हो रहा है। हमारे देश में इस समय डेमोक्रेटिक सरकार है, काम हो रहा है, प्रचार से हम आगे बढ़ रहे हैं, पब्लिक ओपीनियन बना कर चला जा रहा है, किसान सरकार की पालिसी को आहिस्ता २ समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या है, कैसे चल रही है। उपाध्याय जी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की परिभाषा जानना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की परिभाषा है "Government of the people, by the people, for the people" यहां सिर्फ चंद आदमियों की सरकार नहीं है या अकेले नेहरू जी की सरकार नहीं है और न यह डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी की ही गवर्नमेंट है यह यहां के करोड़ों रहने वालों की गवर्नमेंट है और उनमें से हर एक उसके लिए जिम्मेदार है। गांव का बच्चा-बच्चा इस चीज को समझता है और उसको इतमिनान है कि हमारे नुमाइन्दे हमारा काम ठीक चला रहे हैं। लेकिन हर काम में समय लगता है "देर आयद दुरुस्त आयद" जो गवर्नमेंट ने किया है बिलकुल दुरुस्त किया है, गलत नहीं किया है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि वह निहायत इतमिनान के साथ यहां चैन की बंसी बजावें और मैं उनको इतमिनान दिलाता हूं कि इस देश में शान्ति स्थापित करने और धनदौलत बढ़ाने के लिये यह बिल सोने में सुहागा होगा और जिस वक्त वह पास हो जायगा और कल ही मैं जानता हूं कि कल सबेरे ही पत्रों में पढ़ने पर इस प्रान्त के तमाम लोगों के दिमाग हरे हो जायेंगे और लोग कहेंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने यह सुन्दर काम किया है, यह प्रचार स्वयं जनता करेगी। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि इस गवर्नमेंट ने सही कदम उठाया है। जो विरोधी दल के हमारे भाई हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई ऐसा ही अहम प्राब्लम हो उस वक्त आज की तरह से उनको हम कंधे से कंधा मिला कर चलना चाहिये। जो गाय का प्रश्न है उसमें देश यूनाइटेड है। गायों का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि गोसदन और गो चारण का प्रश्न जो है उसको जल्दी से जल्दी करना चाहिये। आज सबेरे मैंने चौधरी चरणसिंह जी से इस विषय में कहा तो चौधरी साहब ने कहा कि केवल सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती। कुछ गवर्नमेंट करे और कुछ पब्लिक करे तो देश का कल्याण होगा। किसी देश की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी स्ट्रांग होती है जब पब्लिक स्ट्रांग हो। इंगलैंड की पब्लिक स्ट्रांग है यहां की गवर्नमेंट स्ट्रांग है लेकिन पब्लिक स्ट्रांग नहीं है। पब्लिक की सहायता होनी चाहिये हर काम में अगर गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाना है पब्लिक को स्ट्रांग बनाना है। यह जो बिल यहां पर रखा गया है वह बहुत सुन्दर है। इसमें एक-जगह आया है कि हरिजनों की आर्थिक स्थिति सम्हलेगी। मैं आज बताऊं कि जब हम चमड़ा उठा लेते हैं तो हमें एक जोड़ी जूता देना पड़ता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको जरा प्रान्त भर में कहें कि बाबू लोग जूता हमसे न मांगे और हम लोग सही माने में उसका संस्कार कर दें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अब जरा कुछ धार्मिक चर्चा कीजिये।

श्री शिवनारायण——मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण ने ब्रजभूमि में करील के कुंजों में गऊएं चराई थीं, बन्शी बजा-बजा कर उस वन प्रान्त को गुंजाया था। आज क्या हुआ है मथुरा वालों ने उस करील के कुंजों को साफ कर दिया। मैं आप से कहता हूं कि आइये हम करील के कुंज फिर लगायें, बंशी फिर बजायें, फिर गोपालन करें, फिर नटवर का अवतार हो, तब देश में घी, दूध की नदियां बहें। जब नदियां भी दूध की बहेंगी तब देश का दुख दूर होगा और देश का कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ में अपने कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि जहां तक गो-रक्षा और इस विधेयक का सम्बन्ध है, हम लोग उनके साथ हैं और इस गवर्नमेंट का बाजू मजबूत करने के लिये सदैव तत्पर हैं। मैं इन शब्दों के साथ इसका समर्थन करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)——आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आदिम मानव जाति के इतिहास से आज तक जब से विचारकों के सम्मुख गो का प्रश्न विचाराधीन रहा है और जिन विचारकों ने गायों के सम्बन्ध में विचार किया है तबसे सभी विचारकों ने एक ही तथ्य के विचार दिये हैं कि गायों की महत्ता सर्वोत्तम है। चाणक्य के अर्थ शास्त्र में भी गायों की महत्ता पर विशेष जोर दिया गया है। आज से पांच हजार वर्ष पूर्व जब गायों पर विचार हुआ और भगवान कृष्ण और अर्जुन में संवाद हुआ तो गीता में पहले जो उपदेश दिया था मैं उन्हीं के शब्दों को संस्कृत के बड़े सरल शब्दों में उच्चारण करूंगा जो कि सभी के लिये रुचि कर हो सकता है। उन्होंने बतलाया था:——

"गावः श्रेष्ठाः पवित्राश्च पावनाः जगदुत्तमाः
ऋते दधिघृताभ्यां नो, गृहे यज्ञः प्रवर्तते।
पयसा हविषा दध्ना, शकृत्याप्यथ चर्मणा
अस्थिभिश्चापि कुर्वन्ति, बालैः शृंगैश्च भारत॥"

(महाभारत से)

इसके अन्तिम छंद हैं :——

गोभिस्तुल्यं न पश्यामि धनं किंचिद् इहाच्युत।
मातरः सर्वभूतानाम् गावः लोकसुखप्रदाः॥"

गाय की तुलना में कोई धन इस संसार में नहीं दीखता है और इस कारण से गाय सर्व संसार की माता है। इतना ही नहीं :

मया गवाम् पुरीषं वै स्त्रिया जुष्ठमिति श्रुतम्।

गाय के गोबर में प्रत्यक्ष लक्ष्मी निवास करती हैं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भी इस देश के रहने वाले बहुसंख्यक हिन्दुओं के घरों में सत्यनारायण की कथा होती है और उसमें भगवती लक्ष्मी की मूर्ति गोबर से बनाई जाती है। यह एक अलंकारिक बात है। आर्थिक दृष्टि से इसका बहुत बड़ा उपयोग है। आध्यात्मिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से भी जब-जब गाय पर विचार होता है तब-तब सब लोग एकही परिणाम पर पहुंचते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में तो यहां तक लिखा है कि आयुर्वैघृतम् आयु का दूसरा नाम ही गौघृत है। आयुर्बल का यह पर्यायवाची शब्द है। आयुर्बल में जो लोग स्वस्थ रहने वाले होते हैं इस सूत्र में सम्पूर्ण चीजें भरी हुई हैं। अब इतना ही नहीं अनेक रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता गोबर में है। यह आज के वैज्ञानिकों की समझ में आ गया है। आज भी देहातों में एक त्योहार होता है। देहात का रिवाज है कि नागपंचमी के पूर्व वे सारे घर का लिम्पन गोबर से कर देते हैं जिससे वहां बिजली न गिर सके। इस गोबर में अद्भुत शक्ति है। आज भी खुदाई विभाग ने जहां कहीं भी मानव के अस्थि पंजर, पथराई हड्डियां निकाली हैं वे गायों के झुंड के बीच में मिली हैं। अधिक भाग में संसार के जहां-जहां जब-जब खुदाई हुई है वहां पर मनुष्यों

की हड्डी जहां मिली है उसके निकट में गाय वंश की हड्डियां अधिकतर मिली हैं और इसी कारण से ग्राम शब्द की उत्पत्ति हुई है और अनेक शब्दों की उत्पति हुई है। संसार की अनेक भाषाओं को जो वर्ण मालायें प्राप्त हुई हैं। वे गाय की शक्ल से प्राप्त हुई हैं। यह गाय की पूछ आज भी संसार में एक झंडे का काम करती है।

आधिभौतिक दृष्टि से गाय का उपयोग आपके सामने आया। आध्यात्मिक दृष्टि से भी गाय की इतनी महत्ता है जिस पर हममें से अधिक का ध्यान नहीं गया है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य आज इतना धुंधला और विषम हो गया है कि वह गाय के आध्यात्मिक उपयोग तक पहुंच नहीं पाता। गायों का तापमान मनुष्य के तापमान के निकट होता है। टीका लगाने वाले लोग गोधन से लेते हैं। गायों का जो उपयोग और महत्ता हमारे देश में है उसके सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है वह हजारों, लाखों श्लोकों में दर्शायी गयी है। ऋग्वेद के अन्दर, जिसको संसार प्राचीनतम ग्रन्थ मानता है, इस गाय की महत्ता गाई गयी है। आज गाय के ऊपर बिल ला कर हमारे कृषि मंत्री ने यश कमाया है। मैं पुनः बिना किसी चाटुकारिता की ओर संकेत करते हुए स्वाभाविक रूप से कह सकता हूं कि आज इस गोधन को लेकर हमारे सूबे के अनेक लोगों ने यश कमाया है और सारे देश के अन्दर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है। गायों के सम्बन्ध में जितना भी कहा जाय उतना थोड़ा है। हमने अनेकानेक प्रयत्नों से गोधन से जो लाभ उठाया है उस पर जो संकेत किया गया है, मैं उसे पुनः दोहराना नहीं चाहता, मैं इन शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं और कृषि मंत्री को कोटिशः धन्यवाद देता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक इस सदन में प्रस्तुत है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर हम सदन में विचार करें तो केवल भावात्मक जगत को प्रदर्शित कर हृदय गत जगत को छिपाना वस्तु-स्थिति पर परदा डालना ही होगा। इसलिए इस सम्मानित सदन के सामने जो इस विधेयक के उद्देश्य और कारण हैं और उन उद्देश्यों और कारणों की पूर्ति के लिये जो इस विधेयक का खाका और ढांचा खड़ा किया गया है दोनों को रखूंगा। यदि उद्देश्य और कारणों को पढ़ा जाय तो इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद ४८ के अनुसार राज्य सरकारों का कर्त्तव्य बताया गया है कि वे कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करें तथा विशेषतया गाय और उसके वंश की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उसके वध का प्रतिषेध करने के लिए अग्रसर हों। गोरक्षा के लिए किये गये पहले के सभी प्रयत्न और कुछ श्रेणी के उपयोगी पशुओं के वध का निषेध करने वाली युद्धकालीन विधायनी कार्यवाहियों का कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला। इस अनुभव को ध्यान में रख कर तथा इस विचार से कि गाय और उसके वंश की दूध, बैलों की शक्ति तथा खाद की व्यवस्था करने के लिए रक्षा करना आवश्यक है, गोवध पर पूर्ण रूप से निषेध लगाना आवश्यक हो जाता है।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि जहां तक कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयत्न है इसमें किसी को विरोध नहीं हो सकता। जहां तक गाय के वंश और उसकी नस्लों के परिरक्षण और सुधार की आवश्यकता है इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। जहां तक युद्ध कालीन नियमों और उपनियमों का हवाला दिया गया है कि वे नियम और उप नियम इन उद्देश्यों की पूर्ति में कारगार सिद्ध नहीं हुए, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जिस रूप में यह प्रस्तुत विधेयक है, मुझे संदेह है कि इस पवित्र लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति में वह भी कारगर न होगा। श्रीमन्, लक्ष्य अच्छा है, उद्देश्य पवित्र है। समाज का कल्याण हो सकता है और मैं आपके द्वारा इस सदन को यह भी बताना चाहता हूं क्योंकि इस सम्मानित सदन में जितने सम्मानित सदस्य बोले हैं, सब लोगों ने प्राचीन काल को प्रस्तुत किया है और यह कहा है कि पहले हमारे यहां दूध और घी की नदियां बहती थीं। हमारे माननीय पंडित जी ने प्राचीन श्लोकों को इस सदन में प्रस्तुत कर मनुष्य के जीवन-काल में नाना प्रकार के रोगों का शमन करने के लिए गोमूत्र और गोबर को बहुत बातों में

[श्री राजनारायण]

लिये आवश्यक बताया है। गोबर में जितने गुण हैं उसकी भी यहां चर्चा सुनायी पड़ी। मगर मैं इस सम्मानित सदन के सदस्यों से जानना चाहता हूं कि जब प्राचीन भारत, प्राचीन गौरव, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन परम्परा की दुहाई दी जाती है तो क्या प्राचीन गौरव, प्राचीन परम्परा, प्राचीन गो सभ्यता की रक्षा किसी विधेयक के द्वारा हुई थी क्या ? नहीं हुई थी। विधेयक के द्वारा नहीं हुई थी ....

श्री सुल्तान आलम खां---प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं यह दरियाफ्त करना चाहता था कि आप इसको अपोज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। यह फर्मा देते तो ज्यादा अच्छा था।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजनारायण---आपने उनको यह बता दिया कि यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं था, इसके लिये धन्यवाद। इन्फार्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। मैंने जहां तक इसके उद्देश्य और कारण हैं और जो इसका लक्ष्य बताया गया है वह बहुत ही सफाई के साथ कहा कि उन उद्देश्यों और कारणों की पूर्ति हो यह मैं तहेदिल से चाहता हूं। मगर मैं यह बताना चाहता हूं कि उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जो यह विधेयक प्रस्तुत है इसमें त्रुटियां है, खामियां हैं जिनको कि मैं आपके द्वारा इस सम्मानित सदन के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। क्या वह लक्ष्य पूरा होगा ? श्रीमन्, मैं अपने माननीय मित्र श्री सुल्तान आलम साहब को बताना चाहता हूं कि वह सचेत स्पेशल कमजोरी का परिचय न दें। वह अपनी कमजोरी से अवगत हैं, वह सचेत हैं अपनी कमजोरी के बारे में और जब सचेत कमजोर अपने दुर्बल चित्त को सामने रखता है तो आशा से अधिक भी किसी कमजोर बात की तारीफ कर जाया करता है। इस लिये मैं माननीय मित्र सुल्तान साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो इसकी तारीफ की, ठीक है। उनकी दिक्कतों और कठिनाइयों को समझते हुए, मैं समझता हूं कि किन परिस्थितियों में वे ऐसा कर रहे हैं और उनको करना ही चाहिये। श्रीमन, मैं आपके द्वारा इस विधेयक की दो एक बात पढ़ना चाहता हूं और अपने उन सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जरा गहराई के साथ देखें जो कि प्राचीन श्लोकों को इस सदन में प्रस्तुत करके इस विधेयक का उनसे मेल मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस विधेयक के तीसरे पेज पर अपवाद में लिखा हुआ है कि:

"वायुयान के अथवा रेलवे ट्रेन के वास्तविक यात्री द्वारा उपभोग के लिये कोई भी व्यक्ति गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ बेच सकता है तथा भोजनार्थ प्रस्तुत कर सकता है अथवा बिकवा और भोजनार्थ प्रस्तुत करवा सकता है।"

फिर क्यों धार्मिक कार्य की दुहाई दी जा रही है ? क्यों हिन्दू भावनाओं को इस सदन में प्रस्तुत करके यहां पर एक कलर दिया जा रहा है, रंग दिया जा रहा है.....

श्री शिवनारायण---प्वाइंट आफ आर्डर सर। इस सदन के अन्दर किसी सम्मानित सदस्य ने हिन्दुत्व को उभाड़ने की चेष्टा नहीं की है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी बात सदन में न आये।

श्री उपाध्यक्ष---प्रत्येक सदस्य अपने अनुसार ही इस बात को कहेगा।

श्री सुल्तान आलम खां---कम से कम यह बता दें कि वह सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज ?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि और मैंने पहले भी सम्मानित सदस्यों से निवेदन किया था कि यह एक अहम सवाल है, गंभीर प्रश्न है, शान्ति के साथ सुनें और बैठें और इसको देखें कि आखिर इसका नतीजा क्या निकलता है। मैंने पहले ही बताया कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारण का मैं पूर्णतया समर्थक हूं, लेकिन उसमें खामियां

हैं, इसमें दोष हैं, कमजोरी है और उनकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

जितने उपयोगी पशु हैं, श्रीमन्, उनकी हिफाजत होनी चाहिये । यह कौन कहता है कि गाय की हिफाजत न होनी चाहिये । मैं माननीय मित्र की जानकारी के लिये, क्योंकि कौतूहल बढ़ रहा है, कुछ आकड़ें प्रस्तुत कर दूं तो आपको मालूम हो जायगा । सन् १९४५ से १९५१ तक, अगर आप उन दिनों के पशुओं के आंकड़ों को देखेंगे तो मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में १९४५ के बनिस्बत १९५१ में साढ़े ४ लाख गायें बढ़ी हैं, १३ लाख बैल बढ़े हैं । भेड़ बकरी और घोड़े में आप देखेंगे कि १९४५ की बनिस्बत १९५१ में १ लाख ८० हजार की कमी हुई है, भेड़ों की तादाद में । ८५ हजार की कमी हुई है सन् १९४५ की बनिस्बत सन् १९५१ में बकरी की तादाद में । घोड़े तथा टट्टुओं में १० हजार की कमी हुई है और माननीय कृषि मंत्री जी के शासन काल में....

श्री शिवनारायण—गधों की कितनी वृद्धि हुई है ।

श्री राजनारायण—२ हजार की वृद्धि हुई है । उसको समझने के लिये उसी बुद्धि का उपयोग न करें तो ज्यादा अच्छा है । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा फिर सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब गाय माता है और उसको सारे विश्व की माता की पदवी मिली है तो फिर क्यों आज रेलवे ट्रेन में चलने वालों के लिये, क्यों वायुयानों में उड़ने वालों के लिये गाय मांस के बिकने की व्यवस्था है । क्या सरकार की ओर से इसका समुचित उत्तर मिल सकता है ? इसी अपवाद में लिखा हुआ है । श्रीमन्, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि गोमांस का तात्पर्य दूसरे पेज में गऊ के मांस से है किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में आयात किया हुआ मुहरबन्द पीपों में रखा हुआ गोमांस नहीं है ? अगर हमारे सम्मानित सदस्य सही माने में तहेदिल से दिल और दिमाग को एक करके गो को माता की पदवी में रखते हैं और जिस भाव को यहां प्रदर्शित किया गया, जिसको कहते हैं कि यह तो हमारी जननी है तो जननी के मांस को उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रांतों से क्यों आने देते हैं ? इस विधेयक में ऐसी धाराएं हैं । तो क्या गो हत्या उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर हो ? वह नहीं मानी जायगी, क्या यह विधेयक की असंगतियां नहीं हैं ? क्या जो भावनायें यहां प्रदर्शित की गईं, जो प्राचीन संस्कृति को यहां रखा गया उनके विपरीत यह धाराएं नहीं जातीं ? मैं श्रीमन्, पंडित जी से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने प्राचीन संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके गो के बारे में एक उच्च धारणा को प्रदर्शित किया उनकी सभी कद्र करते हैं । इन बातों को सदन में प्रस्तुत करते हुए मैं यह देख रहा हूं कि सरकार के सामने वह पुरानी धारणायें, वे पुरानी बातें, जो गो माता के रूप में गो को मिली हुई थीं, वह नहीं हैं ।

फिर इस सदन के कुछ सम्मानित सदस्यों ने राजनीति की चर्चा की । राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है । कुछ ने हिन्दू और मुसलमानों की चर्चा की, कुछ ने मुसलमानों को आश्वाशन दिया और यहां तक कहा उनसे कि वे शान्ति के साथ चैन की बंशी बजायें । कहां चैन की बंशी वह नहीं बजाते हैं ? और अगर यह विधेयक पास हो जायगा तो उनकी चैन की वंशी बजने में क्या वृद्धि हो जायगी या जो बजती रहती थी उसमें क्या कमी हो जायगी ? मैं यह जानना चाहता हूं माननीय कृषि मंत्री जी से । इसलिये श्रीमन्, यहां पर जनसंघ द्वारा संचालित जो गोवध विरोध सत्याग्रह चल रहा था उसकी भी चर्चा की गयी और हमारे कुछ ट्रेजरी बेंच के सम्मानित सदस्यों ने यहां तक कहने की हिम्मत की कि इस सरकार के पास वह शक्ति है कि दूसरे लोग चिल्लाते रहते हैं यह सरकार काम कर दिया करती है । ठीक है, सरकार के हाथ में ताकत है, दंड है, साधन है और उसको काम करने के लिये ही दूसरे लोग चिल्लाते हैं, दूसरे लोगों का यह कर्त्तव्य है, वह तमाम बातों को कहें और जो सरकार है, उससे करायें और वह सरकार जब सही बात को न करे तो वहां वह उसका विरोध करें, यह तो विरोधी पक्ष का काम है । मगर श्रीमन्, एक तर्क नैतिक उत्थान के बारे में यहां पर दिया गया कि यह जो विधेयक है इससे नैतिक उत्थान होगा । मैं जानना चाहता

[श्री राजनारायण]

हूं कि नैतिक उत्थान कैसे होगा। इस सदन के सामने अच्छे तरीके से बताना चाहिये था। केवल यह कह देने से कि नैतिक उत्थान होगा मुझे राहत नहीं मिलती। नैतिक उत्थान होता है जब दिल व दिमाग की सफाई होती है, जब कथनी और करनी में एकता होती है। वह आदमी और वह सरकार क्या नैतिकता का उत्थान करेगी जो रात दिन निहत्थे मानवों पर गोली चलाती है, बरबरता के साथ गोली चलाती है और यहां गोवध बन्द कराने का विधेयक लाकर श्रेय लेना चाहती है। एक तरफ शांति चिल्लाती है। तो शांति का काम करो। रात दिन शांति का नाम जपते फिरो और गोली चलाओ और फिर उस गोली को छिपाने के लिये दूसरी प्रकार के नारे लगाओ, यह कहां तक शोभनीय है ?

श्रीमन्, मैं इस सदन से कहना चाहता हूं कि इस सदन में बहुत लोग उठे। बड़ी लम्बी चौड़ी बातें हुई, मारेलिटी की बातें हुई कि हमारी बड़ी नैतिकता है। लेकिन जब हम शांति की बात कहें तो हम निहत्थों पर गोली नहीं चला सकते .....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य विधेयक पर ही कहें। इधर-उधर की बातें न कहें।

श्री राजनारायण—ठीक है, उसको मैं सुधार लेता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं। श्रीमन्, कि अगर सही मानों में हम नैतिकता को बढ़ाना चाहते हैं, हम यह समझते हैं कि यह गोमाता गोमाता है, तो सही माने में गो मांस का बेचना और बनाना वर्जित होना चाहिये। क्या सरकार के पास जवाब है कि गो माता, गो माता नहीं है, जननी नहीं है, इस समाज की, सारे संसार की ? यदि गो जननी है तो अपनी जननी के मांस को बनवाना और बेचवाना, चाहे वह हवाई जहाज हो, या ट्रेन की यात्रा हो, इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर सकता है। अगर करता है तो उसकी कथनी और करनी में विशाल अन्तर है। ऐसी कथनी और करनी वाली सरकार के लिये फिर इससे ज्यादा क्या लज्जा की बात हो सकती है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ सफाई होनी चाहिये। हां, अगर जितने उपयोगी पशु हैं उनको आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने की बात है, उसमें गौवों की भी बात है, उसकी भी सफाई होनी चाहिये। जरूर उनका संगठन होना चाहिये और सरकारी पक्ष के लोगों से मैं निहायत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि वह भावनाओं से खेलने की कोशिश न करें। निश्चित रूप में मैं कह सकता हूं कि यह भावनाओं से खेला जा रहा है। आज जिस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत है, यह एक समुदाय की भावना से खेलना है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी धारायें कुछ दूसरे रूप से बदलतीं, उसमें कुछ तथ्य, वजन और ताकत होती और वह क्या होती। बार-बार मैंने इस सदन में कहा कि गोरक्षा कैसे होगी ? इनसान के खाने के लिये दाने की कमी हो, वह इंसान जो अपने पेट का पालन नहीं कर सकता है तो क्या गौवों की रक्षा करेगा ? वह क्या दूसरे इन्सान की भी रक्षा कर सकता है ? फिर मानव भक्षण की व्यवस्था के स्वरूप को इस प्रदेश में कायम करके गोरक्षा विधेयक लाकर भावनाओं को उभारना कोई शोभनीय बात नहीं होती है। मैं जानना चाहता हूं कि एक विधेयक नहीं ऐसे दस विधेयक आयें, वह इतना काम नहीं कर सकते हैं जैसा समुचित रूप से जमीन का बटवारा करने से हो सकता है, समुचित रूप से भूमि की व्यवस्था कर देने से हो सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक के रचयिताओं से, जो इसके प्रणेता हैं, जो इसके बानी और मुबानी पेश करने वाले हैं कि कितनी गोशालायें प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत बनवाई गयीं, जैसा कि रिपोर्ट में है ? नगण्य है। नहीं बनीं और तिस पर यह कहते हैं कि हम बड़े भारी रक्षक हैं और दूसरे लोग जो सुझाव देते हैं उस पर हंसी और मजाक करते हैं।

फिर श्रीमन्, राज्य सरकार, यह सरकार उस प्रदेश में कितने समय से शासन कर रही है सन् १९४६ से एक तरह से क्रमबद्ध आ रही है। लेकिन अब ५५ हो रहा है, वह भी पूरा होने जा रहा है, बार-बार इस सरकार के सामने गो-रक्षा की बात तथा जितने उपयोगी पशु

हैं उनकी हिफाजत की बात थी। आज भी इस विधेयक की जो धारायें हैं उनमें है कि राज्य सरकार अथवा स्थानिक अधिकारी, जैसी भी दशा हो, संस्थाओं में अलाभकर गायों को रखने के निमित्त ऐसा परिव्यय अथवा शुल्क आदेय कर सकती हैं, जो नियत किया जाय। पहले इसी बात पर सदन में अच्छी तरह से विचार होना चाहिये। भावों को उभाड़ कर कहा जा सकता है कि गो माता की रक्षा के लिये कौन ऐसा नालायक है, जो एक रुपया चन्दा न दे दे। जरूर दिया जाना चाहिये। मैं दावे के साथ कहता हूं, सलाह के रूप में भी कहता हूं कि गो रक्षा के लिये जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास दान करने की शक्ति हो करें। किस को दान करेंगे, कौन टैक्स लगायेगा, किस पर टैक्स लगेगा? उस पर टैक्स लगेगा जो अपने जीवन के साधनों से वंचित है, जिसका जीवन शरीर को पूरा ढक न पा सकने के कारण तड़पते-तड़पते मर जाता है। जो अपने जीवन की रक्षा कर सकने में असमर्थ है उसके ऊपर टैक्स लगेगा? क्या होगी रक्षा उससे? जिस तरह से आपने देखा होगा कि शारदा कानून बन गया है लेकिन उसकी अवहेलना प्रतिदिन होती रहती है। जिस तरह से आपने देखा है कि बेदखली बन्दी का कानून इस उत्तर-प्रदेशीय सरकार द्वारा बना हुआ है मगर प्रतिदिन बेदखली होती चली जा रही है। जैसा कि श्रीमन्, अभी कल ही मिर्जापुर जिले से मैं आया। इस सरकार ने मुझे जवाब दिया था कि वहां मुसाहिर जो लकड़ी काट कर अपना जीवन व्यतीत करते थे उन्हें लकड़ी काटने पर कोई रोक नहीं है। एक फटे हाल मुसाहिर सामने आया और कहा मुझे लकड़ी नहीं काटने दी जाती, मुझे मजबूर किया जाता है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—प्वाइन्ट आफ आर्डर। प्रस्तुत विधेयक के विषय के बाहर की बातें यहां पर हो रही हैं।

श्री राजनारायण—This is the duty of the Chairman.

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य विधेयक के सिलसिले में ही बातें कहें।

श्री राजनारायण—उसी पर आ रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस विधेयक के अन्दर इन खामियों को पूरा नहीं किया जायगा तो यह विधेयक भी कहने के लिए जनता के बीच में कि सरकार तो गो रक्षा करना चाहती है, उसने तो कानून भी बना रखा है मगर पब्लिक नहीं मानती है, पब्लिक की नैतिकता इतने नीचे स्तर की है तो सरकार क्या करे? मैं उनसे कहना चाहता हूं, श्रीमन्, जिन्होंने यह कहा था कि इस विधेयक के द्वारा नैतिकता का उत्थान होगा। मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के जरिये जो इसमें दोष, कमियां और त्रुटियां रह गयी हैं, नैतिकता का पतन होगा और यही सरकार ऐसे लोगों को लायसेंस दिलवायेगी अपने स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा जो इस सरकार की जी हुजूरी करेंगे। उनके द्वारा यह सरकार गो मांस बिकवायेगी। ट्रेनों में यात्रियों के नाम पर, हवाई जहाजों में सर्व (serve) करने के नाम पर। इस बात की इस विधेयक के अन्दर गुन्जाइश है।

फिर इन तमाम बातों के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि रोग से पीड़ित जो गायें हों उनका बध करने की व्यवस्था सरकार ने इस विधेयक में रखी है। मगर उन रोगों को दूर करने की व्यवस्था क्या है? वे रोग दूर कैसे होंगे? श्रीमन्, मैं फिर अपने उस शक व शुबहे को जो बराबर सही साबित हुआ है बताना चाहता हूं कि न मालूम कितनी गायें काटी जायंगी, साधारण तरीके से उनको रोगी की श्रेणी में रखकर। इसी सरकार के अधिकारी बतायेंगे कि हां, वह गऊ फलाने रोग से पीड़ित थी इसलिये उसको काटने की इजाजत दे दी गयी है। श्रीमन्, ये ऐसी-ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर विस्तृत विचार होना चाहिये और फिर अच्छी तरह से, पौष्टिक तरीके से इस सदन में एक ऐसा सुन्दर विधेयक आना चाहिये जिससे कि इस विधेयक के लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद ४८ के मातहत राज्य सरकार का जो कर्त्तव्य है, राज्य सरकार इस विधेयक के जरिये अपने इस कर्त्तव्य का पालन नहीं करा सकती बल्कि वह तो एक दिखावटी ढंग खड़ा करेगी और उसके जरिये सही माने में रक्षा नहीं हो सकेगी बल्कि.....

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

[श्री राजनारायण]

राज्य सरकार जो विभिन्न साधनों को अपने हाथ में लेकर जनता के सुख और समृद्धि को हरण करते हुये जनता की सुरक्षा करती थी वही साधन इस विधेयक के जरिये सरकार के हाथ में चले जायेंगे। इसलिये मैं श्रीमन्, आपके द्वारा निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यदि सरकार सही माने में तहेदिल से उद्देश्य और कारणों को जो यह विधेयक प्रस्तुत करता है, सही माने में पालन कराना चाहती है, पूर्ति कराना चाहती है, तो इस विधेयक को दूसरे रूप में आना पड़ेगा। इसके दूसरे रूप में इसकी पूर्ति की जा सकती है। लेकिन जिस रूप में यह विधेयक है उस रूप में इसकी पूर्ति होना हमारी दृष्टि में नामुमकिन है। इसलिये मैं इन तमाम बातों को माननीय मंत्री जी की सेवा में निवेदन करते हुये अपने सम्मानित साथियों को पुनः प्रार्थना के रूप में निवेदन करते हुये और सुझाव देते हुये कहूंगा कि यह बड़ा गम्भीर विषय है और इस पर गम्भीरता के साथ विवाद होना चाहिये और भावुकता को उभाड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिये और ऐसी बातें नहीं आनी चाहिये जिनसे हिन्दू मुसलमानों की भावना जागे।

आज भी निश्चित रूप में बहुत से मेरे भाई हैं और बाहर भी हैं, जो बराबर डंके की चोट पर कहते हैं कि कौन मुसलमान गो वध कर रहा है? कहां उनकी क्षमता है, कहां उनकी शक्ति है और हर जगह म्युनिसिपेलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्डस हैं, वह भी अपने यहां कानून और कायदे बनाकर इसको रोक रहे हैं वर्जित कर रहे हैं ऐसी बातें हैं। इसलिये यह नहीं कहा जाना चाहिये कि यदि यह विधेयक पास हो जायगा तो मुसलमान सुख सुविधा की अनुभूति करेगा और हिन्दू कर रहा है। ऐसी बात क्यों प्रदर्शित हो क्योंकि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में साफ लिखा हुआ है कि पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करना। इसका कौन मुसलमान विरोधी है, कौन हिन्दू विरोधी है? और फिर इन बातों को यहां रखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है।

मैं श्रीमन्, इस बात को साफ कर देना चाहता हूं ताकि सम्मानित सदस्यों के दिमाग में कोई गलतफहमी या भ्रम न रह जाय कि जो विधेयक है, उनके जो उद्देश्य और कारण हैं उनके हम विरोधी नहीं है, हम तो विधेयक के विरोधी हैं, उसके उद्देश्य और कारणों के तो समर्थक हैं तहेदिल से, और हम कहना चाहते हैं कि इन उद्देश्य और कारणों की पूर्ति के लिये इससे बढ़िया विधेयक मौका मिलने पर सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

दूसरी बात मैं आपके द्वारा यह कह देना चाहता हूं कि सरकार के दत्तचित्त और कर्त्तव्यनिष्ठ होने के बारे में मुझे कोई मुगालता नहीं है, जिस तरह से प्राचीन भारत में गो माता, गो जननी की प्रतिष्ठा थी और गो मूत्र तथा उसके गोबर से दवाइयां तैयार करते थे, वह इज्जत जब हमारी गाय की थी तो आपको मालूम होगा कि उस समय कोई विधेयक नहीं था। मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि अगर हम सही माने में अच्छे तरीके से समाज का निर्माण करें और प्रत्येक प्राणी की सुख सुविधा का ध्यान रखें और प्रत्येक पशु की सुख सुविधा के आगे समाज के सुख को तिलांजलि न दें तो इस विधेयक के बिना भी गो की रक्षा हो सकती है। उनके खाने की व्यवस्था हो, उनके रहने की व्यवस्था हो, उनके रोग दूर करने की व्यवस्था हो और जब मनुष्य के लिये वह हितकारी न रह जाय और लाभकारी न रह जाय तो उस समय भी उनके रहने की व्यवस्था हो तो फिर आप देखेंगे कि कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं होगी और अगर यही विधेयक रहा तो किसी पशु को चारे की कमी होगी और किसी पशु को उसके नाकारा होने पर रहने की कमी होगी। इस विधेयक में जो कमियां हैं, जो इस विधेयक की धारायें हैं कि ट्रेन में चलने वाले और हवाई जहाज पर सफर करने वालों के लिये इसका प्रबन्ध रहेगा और इनके लिये पशु वध होगा और इन धाराओं के अन्दर नियम उपनियम बनाये जायेंगे तो सरकारी कर्मचारी दत्तचित्तता और कर्त्तव्यनिष्ठा तथा कर्मण्यता की हीनता के कारण ऐसा अवसर देते रहेंगे।

इसलिये मैं सरकार से इस बात का निवेदन करूंगा कि यदि यह विधेयक सरकार रखती हो तो रखे और इस विधेयक से जो प्रचार का कार्य हो सरकार वह करे, लेकिन इसके साथ-साथ

मैं सरकार से यह भी कहूंगा कि यह विधेयक कारगर नहीं हो पायेगा अगर जो हमने जमींन के बटवारे की बात, गोशाला खोलने की बात और जो जानवरों के लिये चारे की व्यवस्था करने की बात कहीं, यदि सरकार उसको नहीं मानती है। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से पुनः निवेदन करूंगा कि इस विधेयक में जो संशोधन, परिवर्तन और परिमार्जन करना हो उसको करे तभी यह ठीक होगा। बढ़िया तरीके से परिवर्तन करके इस सदन में वह प्रस्तुत करे, जिससे वांछित उद्देश्य की समुचित पूर्ति हो सके।

श्री नारायणदास (जिला फैजाबाद)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह गोमाता जो है आज से नहीं किन्तु अनादिकाल से हमारे इस भारत भूमि के मनुष्यों के लिये एक आदर्श पशु रही है और यहां के उन ऋषि, मुनियों ने जिनके शब्दों के ऊपर आज संसार चलने की कोशिश कर रहा है, वह इसी गोमाता के दुग्ध को पीकर विचार किया करते थे और अपने जीवन को केवल गो-दुग्ध पर ही पूरा कर देते थे। उन विचारवान पुरुषों ने भारतवर्ष के लिये ही नहीं बल्कि सारे विश्व के लिये जो शब्द कहे हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि—

"मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्। आत्मवत् सर्वभूतेषु.....।'

मानव समाज के लिये यह तीन उसूल उन्होंने रक्खे। एक तो यह कि दूसरों की स्त्रियां अपनी मातायें हैं, दूसरा यह कि दूसरे का धन जो है वह पत्थर के समान है और तीसरा यह कि संसार के जितने भी जीव हैं वह अपनी आत्मा के समान हैं। साथ ही कुछ आदर्श उन्होंने यह भी रखा कि खान-पान में सही व्यवहार मनुष्य के लिये क्या होना चाहिये। उन्होंने कहा कि:—

यक्ष रक्षाः पिशाचान्नम् मद्यं, मांसं सुरा-त्वियम्।
सुरा वय मल मन्नानाम् पाप्मा च मलमुच्यते।।

यह भी उन्होंने बतलाया। वे सत्य और अहिंसा का आश्रय लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारे इस गांधी युग में जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ और पाकिस्तान सहित हुआ, वह सब पूज्य बापू के बतलाये हुये सत्य अहिन्सा के रास्ते पर चलकर ही हमने पाया है। उसी के ऊपर हमारा संविधान बना है। जो श्लोक मैंने बतलाये हैं उनके अन्तर्गत ही हमारा संविधान बना है। आज उस संविधान के अन्दर चाहे स्त्री हो या पुरुष और चाहे गुलाम हो या जिसको अछूत कहते हैं वह, उन सबको समान अधिकार दिये गये हैं। उसके अन्दर हमारी संस्कृति की भावना भरी हुई है। पशु-पक्षियों, जलचर जीवों, कच्छ-मत्स्य, वाराह, महिषासुर, नन्दीश्वर, नरसिंह, गरुड़, जटायु आदि इन सब जीवों को हमारे यहां कितना महत्व दिया गया है यह सब सोचने की बात है। ऐसी स्थिति में ही जो हमारा यह संविधान बना है, उसमें यह धारा ४८ रखी गयी जिसको मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं वह धारा कई बार यहां पढ़ी जा चुकी है। उसके पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री नारायणदास—इसके अन्दर यह साफ लिखा हुआ है कि जितने भी दुधारू जानवर हैं उनके जीवन की रक्षा की जायगी, उनकी उन्नति की जायगी और उनके वध का निषेध किया जायगा। आज मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जो इस धारा के अन्तर्गत पहले पहल गोवंश के वध को निषेध करने के लिये यहां पर विधेयक लाये हैं, लेकिन यह और भी अच्छा होता अगर इसके साथ ठाकुर साहब भैंस वंश वध और उपयोगी पशुवध को भी रोक देते। चाहे वह उसे बाद में लावें, लेकिन हमारा विश्वास है कि जो-जो कदम वे उठाते रहे हैं, चाहे वह जमींदारी अबालीशन का हो, चाहे गोवंश की रक्षा का हो, वे आगे बढ़े हैं और हमें पूरी आशा है कि उन्हीं के हाथ से भैंस वंश के लिये तथा उपयोगी पशुओं के बध को रोकने का बिल पेश होगा। गोवंश केवल हिन्दुओं का ही नहीं बल्कि समस्त संसार का गोधन है। एक समय की बात है कि परशुरामजी के पिता यमदग्नि ऋषि के गोधन का हरण कर लिया गया और परशुराम जी ने उन्हें मरा हुआ पाया। उस समय उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि "पासिन, पशून् पाहि"

[श्री नारायणदास]

पशुओं की रक्षा करो, इस समय यही हमारा धर्म है। नतीजा यह हुआ कि १०० वर्ष तक युद्ध होता रहा और उसमें सहस्त्रार्जुन सेना सहित मारा गया और गोवंश की रक्षा न हुई। कृष्ण और अर्जुन का वैसा ही साथ था जैसा राम और लक्ष्मण का रहा था। अर्जुन ने भी गोवंश की रक्षा के लिये १ वर्ष के लिये वन में जाना स्वीकार किया। मुगलकाल में भी आता है कि अकबर के जमाने में गोवध बन्द किया गया था और यह आईने अकबरी में लिखा है। थोड़े दिन की बात है कि पाकिस्तान के एक बड़े नेता, जिन्हें फीरोजखां नून साहब कहा जाता है, उन्होंने कहा कि ऐ पाकिस्तान के लोगों अगर तुम भैंस और गाय को काटना बन्द नहीं करोगे तो तुम्हारा पतन होगा, क्योंकि तुम्हें दूध नहीं मिलेगा। अगर अब भी कोई यह कहता है कि यह बिल साम्प्रदायिक भावना से लाया गया है तो यह गलत है। इस बिल को पहले ही आ जाना चाहिये था क्योंकि गोवंश हमारा अमूल्य धन है। गोवंश को कांग्रेस पार्टी ने इतना महत्व दिया है कि उसने अपने चुनाव चिन्ह में दो बैलों को रखा है जो किसानों की खेती के लिये सबसे बड़ी महत्व की चीज है। आज हमारे यहां अमरीका से दूध आकर हमारे बच्चों को बांटा जाय, यह हमारे लिये शर्म की बात है। हम कहा करते थे कि भारतवर्ष में दूध की नदियां बहा करती थीं, मगर आज वैसी बात नहीं है। हमें उसी लक्ष्य पर पहुंचना है और यह देखना है कि हमारे देश से बाहर को भी दूध जावे। यह तभी हो सकता है जब पशुओं की रक्षा की जाय और उनकी उन्नति की जाय। मेरे ख्याल में हमारे जो माननीय विधायक गण यहां मौजूद हैं शायद ही कोई उनमें से ऐसा हो जिसे गाय का दूध मिलता हो। नहीं तो ९० फीसदी को भैंस का ही दूध मिलता है। अगर भैंसों का दूध न रोका गया तो यह भी मिलना बन्द हो जायगा। भैंस का बच्चा भी उतना ही काम देता है जितना गाय का, वह भी हल खींचता है और बोझा खींचता है। भैंस गाय से दोगुना दूध देती है। आर्थिक दृष्टि से भैंस वंश भी गोवंश के बराबर ही आता है। डाक्टरों ने इस बात को क़बूल किया है कि भैंस वंश के मांस को खाने से मनुष्य का खून खराब होकर कोढ़ हो जाता है इससे अच्छे मुसलमान लोग कभी गाय या भैंस का मांस नहीं खाते हैं मगर गरीब लोग खाते हैं और उन्हें तरह-तरह की बीमारियां हो जाती हैं। भैंस वंश के वध को रोकना भी बहुत जरूरी है। म चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्यगण इस पर गम्भीरता से विचार करें। यह सही है कि अगर आप गोवंश के वध का निषेध करना चाहते हैं तो बिल के अन्दर कोई ऐसी धारा नहीं रहनी चाहिये, जिसमें कोई यह कह सके कि लूली-लंगड़ी गाय काटी जावेंगी या बाहर से गो मांस आ जायगा। ट्रेन या हवाई जहाजों पर इस्तेमाल में आवेगा यह चीज इतनी अनुपयुक्त है कि इसे निकाल ही देना चाहिये। आज समय भारत के हाथ में है। हमें किसी चीज को भावना में बहकर नहीं करना चाहिये। आज सारा संसार हमारे सत्य और अहिंसा की ओर देखता है। भारत के पास वह नैतिक बल है कि रूस और अमरीका जैसे बड़े-बड़े देशों को लड़ने से रोक रखा है और ये देश हमारी कीर्ति की ओर देखते हैं। हमारा पशुधन इतना महत्व का है कि यह हमें काफी उन्नति दे सकता है और यदि हम इस की रक्षा नहीं करेंगे तो हम भी अपने पशुधन के साथ अवनति की ओर ही जावेंगे। इसलिये हम सबका कर्त्तव्य है कि अपने पशुधन की रक्षा करें और उसे उन्नत करें।

इन शब्दों के साथ मैं फिर अपने मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह बिल लाकर उत्तर प्रदेश की जनता की बहुत बड़ी भावना और इच्छा पूरी की है। मैं चाहता हूं कि आगे भी वह अपना क़दम बढ़ावें। चाहे यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जावे या ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में जावे अगर धारा ४८ वाली बात इसमें आ सकती है तो इससे हमारे देश की जनता बहुत प्रसन्न होगी और संविधान की मान रक्षा होगी।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मुझे यह निवेदन करना है कि माननीय मंत्री जी को मैं बधाई तो नहीं दूंगा, क्योंकि उनको आज इतनी बधाई दे दी गई है कि मंत्री जी के लिये कई दिनों के वास्ते काफी होगी। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन के लिये इस विधेयक को पास करने में इस देश में

और इस प्रदेश में यह इम्प्रेशन नहीं डालना चाहिये कि यह किसी रिलीजस सेंटीमेंट से प्रभावित होकर किया है और मुझे खुशी है कि जो बिल इस सदन के सामने है उसमें इस बात का ख्याल जरूर रखा गया है और किसी भी तरीके से कोई भी इसके लिये यह नहीं कह सकता कि यह बिल किसी रिलीजस सेंटीमेंट से प्रेरित होकर आया है। जो भी हमने रक्खा है वह सब अक्ल के साथ, सोच-विचार कर किया है। इसमें जो सेक्शन ४ है उसके जो सब सेक्शन (क) और (ख) हैं उनसे साफ तौर पर यह प्रतीत होता है कि उसके बनाने में कोई रिलीजस सेंटीमेंट नहीं है। हमारे कांस्टीट्यूशन में यह लिखा हुआ है कि हमारी सरकार एक सेक्यूलर गवर्नमेंट है, इसीलिए यहां जो भी स्पीचेज हों उनसे यह मालूम न होना चाहिये कि हमने यह कानून इसलिये पेश कर दिया कि चूंकि इसके बारे में सत्याग्रह हुआ था और उस सत्याग्रह की रौ में बहकर यह पेश कर दिया, उसी इम्प्रेशन को दूर करने के लिये मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल हमने यहां किसी भी सेंटीमेंट के अधीन होकर पेश नहीं किया है, बल्कि अक्ल और दिमाग के साथ किया है।

लेकिन इसके हाथ ही साथ मैं एक चीज और पेश करना चाहता हूं और वह यह कि यह सही है कि लेजिस्लेटर होने के नाते हम किसी कानून को इस सेंटीमेंट में पेश नहीं कर सकते कि रिलीजस सेंटीमेंट्स के कारण उसको पेश किया जाये। लेकिन यह जरूर सोच सकते हैं कि उसके बारे में जनता के सेंटीमेंट्स क्या हैं और हमें उन सेंटीमेंट्स का ख्याल रखना है। क्योंकि प्रत्येक गवर्नमेंट के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि यह रिआया के सेंटीमेंट्स का ख्याल रक्खे। अगर कोई गवर्नमेंट अपनी रिआया के सेंटिमेंट्स का ख्याल नहीं करती तो वह उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। अब नेशनल फ्लैग को ही ले लीजिये। अगर ऊपर से देखा जाय तो उसमें क्या है। एक कपड़े का टुकड़ा, तीन रंग से रंगा हुआ, बीच में चक्र बना हुआ। एक कपड़ा, तीन रंग, सूत का धागा, बस यही सब कुछ। लेकिन उसको सेंटीमेंट्स के कारण हम इतना महत्व देते हैं कि अगर उसकी तरफ कोई आंख उठा कर भी देखता है तो भारत के निवासी उसको मारने के लिये, उस पर मरने के लिये तैयार हो जाते हैं और सैकड़ों की लाशें गिर जाती हैं। तो सेंटीमेंट्स की बात इतनी तीव्र होती है। अतः हर गवर्नमेंट के लिये यह आवश्यक है कि वह अपनी प्रजा के सेंटीमेंट्स का ख्याल रक्खे। मान लिया जाय कि वह सेंटीमेंट्स ग़लत ही हो, लेकिन अगर वह गवर्नमेंट उसका प्रतिनिधित्व करती है तो उसका उसको ख्याल रखना होगा। यह कहना कि किसी गवर्नमेंट को इन बातों में नहीं पड़ना चाहिये तो उसका जवाब यही है कि वे सेंटीमेंट्स किसी न किसी कारण से तो होते ही हैं, किसी न किसी चीज पर ही निर्धारित होते हैं। एक सेंटीमेंट तो वह होता है जो गलत आधार पर मबनी होता है, लेकिन दूसरा अक्ल और दिमाग पर अवलंबित होता है। एक सेंटीमेंट यह होता है कि पीपल के दरख्त पर भूत रहता है इसलिये उसको नहीं काटना चाहिये। यह भी एक सेंटीमेंट है जो गलत है, लेकिन एक सेंटीमेंट ऐसा होता है जो उसूल पर निर्भर करता है और उसे हमें अवश्य मानना चाहिये। जो सेंटीमेंट गो के प्रति है वह ऐसा ही अक्ल और दिमाग के ऊपर निर्भर है। उसका आधार, बेसिस रिलीजन नहीं है अक्ल और दिमाग ही है। अतः इसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिये। अगर हम इस कानून को पास कर देते हैं और इसके द्वारा गोवध का निषेध कर देते हैं तो हम उसके द्वारा दूध की समस्या को हल कर देते हैं, ऐग्रीकल्चर की समस्या को हल कर देते हैं, दूध और ऐग्रीकल्चर का डेवलेपमेंट करते हैं। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिन पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस सेंटीमेंट के पीछे अक्ल और दिमाग लगा हुआ है इसलिये इसको स्वीकार करना चाहिये। यदि इसके विरुद्ध कोई बात होती तो हम इसको नहीं मानते।

[श्री नौरंगलाल]

इसके पश्चात् मैं माननीय मंत्री जी से दो तीन बातें इस विधेयक के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इस विधेयक के सेक्शन ५ में एक अपवाद दिया हुआ है। उस अपवाद में यह है कि कोई भी शख्स वायुयान पर या रेलवे पर गो मांस बेंच सकता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि यह गलती कैसे रह गयी। आखिर इस अपवाद को इस ऐक्ट के साथ कैसे मिलाया जायगा? एक तरफ तो हम गो मांस पर प्रतिबन्ध लगाते हैं कि कोई गो मांस नहीं बेंच सकता है, न ला सकता है, न ले जा सकता है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि कोई शख्स वायुयान पर या रेलवे पर गो मांस कैसे बेंच सकेगा। गो मांस में डिब्बे वाला मांस नहीं है, केवल वही गो मांस माना जायगा जो काटा जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हवाई जहाज या रेलवे पर गो मांस का बेचना किस तरह से ठीक हो सकता है, क्योंकि रेलवे तो बड़ी चीज है। कोई शख्स कह सकता है कि यह यहां की गाय का मांस नहीं है। हो सकता है कि पाकिस्तान से गाय काट कर उसका मांस हिन्दुस्तान में आवे या अफगानिस्तान से काट कर आवे और इस तरह से बेचने वाला कह सकता है कि यह यहां की गाय का मांस नहीं है, बल्कि बाहर का है इसलिये मैं इसको बेचूंगा। तो ऐसी हालत में यह चीज बड़ी गलत सी मालूम होती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सेक्शन ५ में जो अपवाद रखा हुआ है उसको बिल्कुल ही निकाल दिया जाय, क्योंकि वह इस ऐक्ट के उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत पड़ता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी के नोटिस में इस अपवाद को लाना चाहता हूं तथा उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको निकाल दें। ताकि जो विधेयक का असली मंशा है वह पूरा हो सके। इससे तो एक बड़ी गलत पोजीशन हो जायगी।

इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को पास करने के बाद ही हमको मजबूर होना पड़ेगा कि हम कोई कम्पलिमेंटरी ऐक्ट पास करें, क्योंकि हमारे सामने जो एक समस्या उत्पन्न होगी वह यह कि यह ऐक्ट जो पास किया जा रहा है वह तो सिर्फ मिल्क काउज के लिये ही है, लेकिन जो लूली-लंगड़ी गायें हैं उनको लोग एक प्रकार से मारना शुरू कर देंगे। बहुत से लोग बुड्ढी गायों को या कमजोर गायों को जो दूध नहीं देंगी उनको चारा नहीं देंगे, क्योंकि वे उसको छोड़ नहीं सकेंगे। तो इस तरह से चारे की कमी से वे धीरे-धीरे मर जायेंगी। क्योंकि मृत्यु दो तरह की होती है, एक तो स्लाटरिंग और दूसरी धीरे-धीरे भूखों मारना। ऐक्ट में तलवार व गंडासे से मारने पर रोक है, लेकिन इस तरह से जो लोग धीरे-धीरे गायों को भूखों रख कर, अपने खूंटों पर बांध-बांध कर मारेंगे उनके लिये इस ऐक्ट में कोई इलाज नहीं है। इसलिये हमको इस तरह का कुछ प्रबन्ध करना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो अपनी गायों को अपने खूंटे पर बांध कर भूखे मारते हों वे गोशाला या गोसदन में उनको पहुंचा दें और उनसे पेनाल्टी के तौर पर कुछ ले लिया जाय। अगर उनके लिये कुछ जुर्माना रख दिया जाय तो इससे गोवंश का नाश होना रुक जायगा।

इसके साथ ही साथ दो कैटल और हैं जैसे गोट और भैंस। इनके सम्बन्ध में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनके लिये भी ऐक्ट में कोई न कोई प्रबन्ध होना चाहिये, ताकि उनका कटना रुक जाय। मिल्क काऊ के लिये तो इसमें कहा गया है लेकिन इनके लिये कुछ नहीं किया गया है। इस सारे प्रश्न को जब हम एकनामिक दृष्टि से देखते हैं तो हमें उनको भी इसी ग्राउन्ड पर प्रोटेक्शन देना होगा, उनकी भी रक्षा करनी होगी, जिनसे हमें दूध और मक्खन मिलता है। हमें हर हालत में उनकी हिफाजत करनी है और जो कहीं कहीं अनअथराइज्ड स्लाटर कानून बनने पर भी अगर होता है तो उसके लिये हमें इस कानून में प्रबन्ध करना होगा। अगर हम आज पूरे तौर से इसको रोकने के लिए कानून नहीं लाते हैं तो आज नहीं तो कल

और कल नहीं तो परसों, इसका इन्तजाम हमें करना होगा, क्योंकि अब जब गाय का कटना बन्द होता है तो उनका भी नम्बर आ ही जायगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें देखना चाहिये कि हमारे देश के पशु एक एकनामिक समस्या हैं, यह बैल या गाय की समस्या नहीं है। मेरा ऐसा ख्याल है कि केवल कानून पास करने से ही कोई समस्या हल नहीं होती है। हम कोई कानून पास करते हैं, लेकिन उस कानून को अमल में लाने के लिये जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलती तब तक वह कानून कामयाब नहीं हो सकता। हमारे प्रान्त में बहुत दिन से म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ने इस तरह का बैन गोवध पर लगा रखा था, मेरे ख्याल से सभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसिपल बोर्ड्स में करीब-करीब गोवध पर बैन है परन्तु गायें कटती हैं। अब तक पुलिस वाले गोवध करने वालों को पकड़ नहीं सकते थे, लेकिन अब उनको अधिकार मिलता है कि वह जहां गोवध हो उसको पकड़ सकते हैं। अब यह कागनिजिबिल जुर्म हो गया है। अब देखिये क्या होता है। लेकिन यह कानून होने पर भी और पुलिस को शक्ति देने के बाद भी अगर हम पब्लिक ओपीनियन को जागृत नहीं करते तब तक हम कहीं भी किसी भी कानून को नहीं चला सकते, गांव-गांव में हमें इस सम्बन्ध में पब्लिक ही अधिक सहयोग दे सकती है। इसमें भी हमें कामयाबी तभी मिल सकती है जब हर गांव में पब्लिक में रियल सेन्टीमेंट्स जागृत हों। लेकिन हमें इस सवाल को एकनामिक आस्पेक्ट से ही देखना है कि जो हमारे बूढ़े जानवर होंगे उनके खाने का क्या प्रबन्ध होगा या उनको हम खूंटे पर मर जाने दें, स्लो स्टारवेशन करावें ?

हमारे पास अभी तक ऐसे साधन नहीं हैं कि जिनसे हम जानवरों की रक्षा कर सकें। जानवरों की तो क्या अभी तक हमारे यहां पूअर हाउसेज तक नहीं हैं, आदमी सड़क पर पड़े मर रहे हैं गाय, भैंसों के बारे में तो बाद में ही सोचा जा सकता है। अस्तु हमें त्याग करना है, सेक्रेफाइस करना है, लेकिन अगर हम कोरे किसी सेन्टीमेंट पर ही अपना मकान बनाना चाहते हैं तो वह ढह जायगा, वह टिक नहीं सकता। मेरे कहने का मन्शा यह है कि हमें अपने उपयोगी जानवरों के लिये एक एकनामिक ग्राउन्ड पर प्रोटेक्शन देना है, उनकी हिफाजत करना है।

अब मेरे लिये कोई लम्बी चौड़ी स्पीच देने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं। यह जो गायों का प्रश्न है और जो बैलों का प्रश्न है इसका हमारे प्रदेश में जो खेती की व्यवस्था है उससे बहुत सम्बन्ध है। इस बात को हमें न भुलाना चाहिए। मैंने उस दिन की माननीय चरणसिंह जी की स्पीच को सुना और जो बहस हुई उसको भी सुना कि हम स्माल होल्डिंग्ज में विंग फार्मिंग की बनिस्बत ज्यादा पैदा कर सकते हैं। ऐसा ही चीन में भी हुआ है और मेरी भी यही राय है। मेरे ख्याल से भी देश में स्माल होल्डिंग्स ही ज्यादा लाभ पहुंचा सकती हैं बनिस्बत लार्ज फार्मिंग के और इसी कारण से हमें मेशीन्स और ट्रैक्टर्स की तरफ ज्यादा ध्यान न देना चाहिए, क्योंकि इससे तो हमारे देश का कैपिटल विदेश चला जायगा। हमारे यहां के जो छोटे-छोटे ट्रैक्टर और मशीनें हैं जिनको हम गो बैल करते हैं हमें उन्हीं को उपयोग में लाना है। इसी में हमारा लाभ है। जिस तरह से गांधी जी ने कहा था कि हमें मिलों का कपड़ा प्रयोग करना नहीं है बल्कि हमें हैंड स्पन और हैंड वोवेन का ही इस्तेमाल करना है। इसलिये हमें स्माल होल्डिंग्ज की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए और इस तरीके को अपना कर गोवंश की रक्षा भी हम कर सकेंगे और उनको खाना भी दे सकेंगे और इस तरह से कोई भी कदम जो हम उनकी तरक्की के लिये उठाते हैं उसको हमें खुशामदेह कहना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इतने बड़े महत्वपूर्ण विषय पर उनका ध्यान गया है और आशा है कि जो थोड़ी बहुत कमियां या गलतियां इसमें हैं उनको भी वह आगे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और अगर वह नहीं भी करेंगे तो उनको और सरकार को समय मजबूर कर देगा कि वह सप्लीमेंटरी ऐक्ट इसकेलिए लाएं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, इस बिल के लाने के लिये मैं माननीय मंत्री जी के ऊपर और अधिक बधाइयों का बोझ लादना नहीं चाहता, क्योंकि वह उनको काफी मिल चुकी हैं। यह सर्वमान्य है कि इस वक्त इसकी आवश्यकता थी, मांग थी। यह बिल आया यह बहुत अच्छा हुआ। मैं सब से पहले एक बात निवेदनकरना चाहता हूं कि अगर कोई चीज सही है और हम समझते हैं कि वह सामयिक है, उचित है, लेकिन क्योंकि वह किसी धर्म के अन्तर्गत आ जाती है तो उसके लिये किसी क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं, जैसी इस सदन में प्रस्तुत की गई। अगर जीवदया किसी धर्म में है यानी जो मनुष्येतर प्राणी हैं उनके लिये भी अगर किसी धर्म में दया का समावेश है तो वह उसके लिये गौरव की बात है और दूसरों के लिये अनुकरणीय है। हमको किसी चीज के मेरिट्स के ऊपर विचार करना है और इस दृष्टि से नहीं कि यह किसी धर्म का अंग तो नहीं, जिससे कि सेकुलरिज्म पर आघात हो जाय। इस बिल के सम्बन्ध में मुझे यह अवश्य कहना है, जैसा कि हमारे मित्र नौरंगलाल जी ने भी कहा, कि यह उस सही दिशा में यानी जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम प्रयत्नशील हैं केवल पहला कदम है। जिस वक्त यह बिल पास हो जायगा उस वक्त बहुत बड़ी जटिल समस्या हमारे सामने होगी। मैं समझता था कि जो देर सरकार को इस बिल के लाने में हो रही थी, उसमें भी कुछ यही कारण था कि समस्या का हल ढूंढने में वह लगी हुई थी यानी जो ऐसे पशु होंगे जो कि अलाभकर हों या जो अपंगु हों उनके लिये क्या प्रबन्ध होगा? उस दिशा में कुछ प्रयत्न अवश्य किया गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी बड़ी समस्या है उसको देखते हुये यह नगण्य है और जब तक हम इसका समुचित प्रबन्ध नहीं करते तब तक हम कसाई के दुधारे से शायद गाय की रक्षा भले ही कर लें, लेकिन हम भूख की ज्वाला से उसकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। आज तो देश में यही नहीं कि अलाभकर और अपंगु पशु ही पीड़ित हों, बहुत से ऐसे पशु भी हैं, जो दूध देते हैं, बछड़े भी देते हैं, लेकिन उनके मालिक उनसे सिवाय दूध लेने के और बछड़े लेने के और उनसे कोई सरोकार नहीं रखते। शहरों में लोग गायों को दूध दुहकर यों ही छोड़ देते हैं और उनको अपने भोजन का स्वयं प्रबन्ध करना पड़ता है। जब तक ऐसे व्यक्तियों के लिये दण्ड का प्रबन्ध नहीं किया जाता तब तक हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। यह त्रुटि इस बिल में है। यह हमारे लिये बड़े दुःख की बात है धार्मिक भावना होते हुए भी हममें से बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, जो कि उसको तलवार से न मारकर उसको तिल तिल मारते हैं। इसको रोकने के लिये भी हमें उपाय करना होगा और गोसदनों और गोशालाओं के खोलने के लिये भी हमें वृहद् परिमाण में प्रबन्ध करना होगा।

बहुत से लोगों के यहां गायें बेची नहीं जातीं, परन्तु उसका परिणाम यही होता है कि जो पैसा लगा सकते हैं वह डेयरी इत्यादि में हाथ नहीं डालते, क्योंकि जब गायें दूध देना बन्द कर देती हैं तो वह भार बन जाती हैं। जिसको वजह से हमारे यहां डेयरी की इंडस्ट्री को क्षति पहुंच रही है। उसकी रक्षा के लिये भी गवर्नमेंट को बहुत जल्द ध्यान देना होगा और वह कानून जिनकी गो-संवर्द्धन कमेटी ने सिफारिश की है जल्दी पास करने होंगे और ऐसे गोसदनों की स्थापना करनी होगी, जहां पर अपंगु और अलाभकर पशु रह सकें।

जहां तक गाय की उपयोगिता का सवाल है वह तो एक शाकाहारी या कृषि प्रधान देश के लिये स्वयंसिद्ध है। अगर हमारे यहां ट्रैक्टरों से खेती होती तो हम शायद कभी के बरबाद हो गये होते। मुझे एक वैज्ञानिक ने ही बतलाया कि मनुष्य और उसके विज्ञान ने अब तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई है, जो प्रकृति की मशीन से ज्यादा रिटर्न दे सके यानी जितना चारा, जितनी कैलोरी और जितनी फ्यूल हम किसी लिविंग मशीन में डालते हैं वह जड़ मशीन से ज्यादा पावर हमको देती है। मशीन की उपयोगिता यह है कि वह ५०० या १,००० हार्स पावर को केन्द्रित कर सकती है

लेकिन उसके लिये जितना खर्च करना पड़ता है अगर हिसाब लगाया जाय तो जो प्रकृति की बनाई मशीनें हैं वह ज्यादा एक्नामिक और लाभकर सिद्ध होती हैं। जैसी हमारी कृषि व्यवस्था है उस दृष्टि से हमारे लिये गाय, बैल बहुत उपयोगी हैं। हमको उनकी रक्षा करनी चाहिये।

बिल जो हमारे सामने प्रस्तुत है इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो अच्छी तरह से समझ में नहीं आती। हमने यह तो प्रतिबन्ध लगा दिया कि हमारे यहां गायें न मारी जायं और न उनका मांस बेचा जाय लेकिन इतनी गुंजायश छोड़ दी है कि सीलबन्द पात्रों में जो मांस बाहर से आये वह यहां बिक सकता है और लाया जा सकता है। उसका परिणाम संभवतः यह होगा कि हमारे आस-पास के देशों में जीवित पशुओं का निर्यात होने लगेगा और जैसे पहले कच्चा माल जाता था और मैन्युफेक्चर्ड गुड्स दूसरी शक्ल में चले आते थे उसी तरह जीवित जानवर जायंगे और मांस यहां आयेगा। अगर यह चीज रखनी है तो इससे हमारा आर्थिक नुकसान ही होने वाला है। आज भी बहुत से पशुओं का निर्यात इस प्रदेश से होता है, वह और अधिक बढ़ जायगा। यह तो ऐसा होगा जैसे मद्य निषेध की घोषणा कर दें और कह दें कि देश में शराब नहीं बनेगी लेकिन फारेन लिकर आ सकती है, बिक सकती है और उपयोग में आ सकती है तो इससे हम केवल अपनी आर्थिक क्षति करेंगे। उसी तरह से हम यह कहें कि गोवध तो यहां नहीं होगा लेकिन गोमांस का किसी न किसी रूप में यहां उपयोग किया जायगा, जैसा कि खंड ५ में कहा गया है, कि स्टेशनों पर गोमांस बिकेगा, तो यह अपने उद्देश्य का खंडन ही होगा। कौन इस बात का सर्टिफिकेट देगा और कौन इस बात को जा कर देखेगा कि यह वास्तविक यात्री है या नहीं जो स्टेशन के रेस्टोरेंट में खाने को बैठे हैं। अगर किसीको गोमांस खाना है तो उसे केवल एक स्टेशन से दूसरे का दो आने का टिकट लेकर रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाना है और वह वास्तविक यात्री बन जायगा और गोमांस खा सकेगा। इस मसले पर हमें विचार करना है क्योंकि यह इस तरह की योजना समझ में नहीं आती।

मैं एक बात समझ सकता हूं कि हम अपने विचारों को दूसरों पर लादें और जो विदेशी हैं यानी इस देश का रहने वाला नहीं है, वह आता है और अपने उपभोग के लिये गोमांस लाता है तो हमें उसकी स्वतंत्रता का अपहरण नहीं करना चाहिये, लेकिन यहां खुले आम गोमांस बिके यह इस बिल के विरुद्ध जाता है। जो यात्री बाहर से आया है, अपने साथ लाया है और उसका वह उपयोग करता है क्योंकि वह उसके खाने का आदी है तो हमें उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये, लेकिन जो यहां का रहने वाला है उसे यहां के नियम और कानून को मानना ही पड़ेगा।

जैसा मैंने कहा, यह जो हमारा बिल है यह एक पहला कदम है न केवल गो-रक्षा की दृष्टि से ही बल्कि और भी उद्देश्य से जिस पर कि राजनारायण जी ने व्यंग किया यानी नैतिक उत्थान की दृष्टि से। जीवों के प्रति दया की भावना हमारी जितनी बढ़ती जाय उतना ही अच्छा है। गांधी जी कहते थे कि गऊ दूसरे जीवों की प्रतिनिधि मात्र है। मुझे आशा है कि यही नहीं कि हम गऊ की केवल रक्षा करेंगे, बल्कि हम धीरे-धीरे जो और जीव हैं उनको भी इस तरह की हत्या से बचायेंगे। मुझे कम से कम यह आशा है और भरोसा है कि जो दृश्य मैंने और देशों में देखा है उसे देखने की यहां कभी नौबत नहीं आयेगी। मैंने लन्दन में बड़ी-बड़ी जगहों पर देखा है कि शो रूम्स में बड़े-बड़े शीशों में गायों और दूसरे जानवरों का मांस और उनके भीतर के अंशों का प्रदर्शन किया जाता है। कितनी उससे घृणा होती है और घृणा ही नहीं दिमाग में एक चीज आती है कि यह कैसी सभ्यता है जिसमें हम अपनी क्रूरता का भी प्रदर्शन पाते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारी दया-भावना उत्तरोत्तर बढ़ेगी और अन्य पशुओं की भी हम धीरे-धीरे रक्षा कर सकेंगे, तभी हम अपनी प्राचीन सभ्यता के प्रति वफादार हो सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिलका समर्थन करता हूं।

*श्री रामजीसहाय (जिला देवरिया)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक प्रस्तुत है हम इसे कह सकते हैं कि यह पूर्ण विवेकपूर्ण है। यह सही है कि जब हमारी माता हमें छोड़ देती है तो गोमाता इसके बाद आती है और स्थान ले लेती है। भले ही हमारे अर्थ शास्त्री और वैज्ञानिक लोग इस नतीजे पर पहुंचें कि ये वृद्ध माता पिता की कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्यता इसको कभी बरदाश्त नहीं करेगी।

जहां तक वैज्ञानिक दृष्टि कोण का प्रश्न है जरमनी में ढाई करोड़ गायें जितना दूध देती हैं, भारतवर्ष में २० करोड़ गायें देती हैं। इस तरह से हमें उसका विकास करना पड़ेगा। गायों की जो आज आर्थिक दशा है हमने देखा है कि एक आने में मिट्टी की गाय मिलती है। लेकिन अपने बाढ़ क्षेत्र के मवेशीखाने में मैंने देखा कि दो आने में आठ गायें नीलाम हुईं। आज उनकी दशा यहां तक पहुंच गयी है। अगर हम गायों से दूध और बछड़े दोनों का काम नहीं लेंगे तो सम्भवतः हम उनका उत्थान नहीं कर सकते हैं। बर्बर काल में गायों को क्या मनुष्यों तक को मनुष्य खा लेता था और पुराणों में उसकी बड़ी मनोव्यथा प्रगट की गयी है और विवरण है कि किस तरह से गायें तृण ले कर राजा के सामने उपस्थित हुईं और किस तरह से राजा ने उनको अभय दान दिया। तो किस तरह से गायों का हनन होता था, धीरे-धीरे मनुष्य विकास की ओर बढ़ा। मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि रूस और चीन में जहां साम्प्रदायिकता का कोई प्रश्न नहीं है, निरपेक्ष राष्ट्र हैं, सिर्फ हिन्दुस्तान में कुछ कारणों से कृषि प्रधान देश होने के कारण और अन्य कारणों से प्रभावित हो कर गऊ को इतना ऊंचा स्थान दिया गया। जब भी हमारे हिन्दू मुसलमानों का सवाल आता है तो बार-बार मैं यह देखता हूं कि इस गाय पर ही आकर रुकता है। अगर यह सवाल उठ जाता है तो यह वैमनस्य मिट जाता है, हिन्दू मुसलमान एक दूसरे से मिल-जुल कर रह सकेंगे, जिस तरह से जापान में एक ही घर में हर धर्म के लोग रह सकते हैं, इतनी उदारता हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन किस तरह से हमारी गायों की रक्षा हो सकेगी, केवल भावनाओं से अगर हम उनका संरक्षण करना चाहें तो जिस तरह से खादी है, वह कितनी सफल हो रही है इसी प्रकार जब तक आर्थिक दृष्टिकोण सामने नहीं आ जायेगा तब तक भावनाओं के वश होकर हम उनका संरक्षण नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि गायों को फूंका लगाया जाता है। श्रीमन् जानते होंगे कि कलकत्ता में दुधारू गायों के नलों से फूंका लगा कर एक-एक बूंद दूध का सुखा लिया जाता है और फिर सूखी गायों को कत्लखाने में भेज दिया जाता है। यद्यपि यह विधेयक केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि सारे देश के लिये इसी प्रकार का एक विवेकपूर्ण विधेयक अखिल भारतीय आधार पर आये, यूनियन सरकार प्रस्तुत करे तो और अच्छा है।

इस दृष्टि से मैं गोसदनों के ऊपर आता हूं। गोसदन आज हमारी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जब कि खेतों और परती के बारे में इतनी कंट्रोवर्सी फैल रही है, इतनी भ्रामक बात चल रही है तो एक-एक चप्पा जमीन काश्तकारों ने और लोगों ने जोत ली है। आप जानते हैं कि गायों को घर में खिलाकर और खूंटे में बांध कर आप उससे अच्छा दूध नहीं ले सकते और यह भी शास्त्रियों का मत है कि वह ऐसा करने से बंध्या हो जाती है और बाद में जिसका नतीजा यह होता है कि वह कत्लखानों में भेज दी जाती हैं। तो उनके लिये चरागाह की आज एक समस्या है। किसानों के पास जहां आज आधा एकड़ भूमि पर कैपिटा पड़ रही है, उनकी गायों की गोचर भूमि की एक समस्या है और उसे कैसे हल किया जाय यह भी एक समस्या है। आज किसी तरह वे किसान अपने बैलों को रखे हुए हैं और गायों को उन्होंने खदेड़ दिया है। यदि आप इस तरह के पशुओं के लिये कोई समुचित व्यवस्था नहीं करेंगे तो यह विधेयक कोई ज्यादा लाभप्रद सिद्ध नहीं होगा और जो आप इससे आशा लगाते हैं उसके विपरीत परिणाम निकलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के साथ-साथ सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ गयी है कि वह ऐसे पशुओं के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उचित व्यवस्था करे। यह राज्य का कर्त्तव्य है, व्यक्ति का नहीं। गांधी जी ने भी कहा है कि इस तरह के पशुओं के लालन-पालन का दायित्व सरकार के ऊपर आना चाहिये और जो लोग उनको पाल सकें उनके ऊपर जाना चाहिये। इस तरह से गो सदनों की आवश्यकता आज प्रत्येक जिले में है। तहसील में भी गो सदन होना चाहिये। पूर्वी जिलों में यह चीज नहीं हो सकती इसलिये कि वहां भूमि इतनी कम है। कहीं लोग गायों के सींग तोड़ देते हैं कहीं टांग। मुझे अभी पता चला है कि दो तीन आदमियों ने मिल कर उनके खेत में जो एक गाय घुस आयी थी उसकी जबान खींच ली। उसकी जबान निकल आई और नतीजा यह हुआ कि वह एक महीने के बाद मर गई। तो इस तरह के पशुओं की हम किस तरह से रक्षा कर सकते हैं यह सोचना हम सब का काम है और यह हमारा दायित्व है। हम जानते हैं और जैसा कि हमारे भाइयों ने अपने मनोभाव प्रगट किये कि जो सम्मानित मुस्लिम वर्ग है वह इस तरह के मांस को पसन्द नहीं करता। यह उनकी गरीबी है, वह आबोहवा है जिसमें वह रखे गये हैं और जिसके असर से आज यह परिस्थिति है तो मैं समझता हूं कि बहुत से विवेकपूर्ण व्यक्ति स्वेच्छा से मांस खाना छोड़ देंगे। बहुत से हिन्दू बकरे आदि का मांस खाना उनके लिये छोड़ देंगे और तब आप गो के लिये कुछ त्याग करके, ऐसा मनोभाव रख कर गो को एक संरक्षण देंगे और इस प्रकार आप वास्तविक रूप में उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इस विधेयक को देख नहीं सका था और इसलिये मैं इसके ब्योरे में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैंने संकेत में कहा कि यह विवेकपूर्ण विधेयक है। जहां तक विदेशी यात्रियों का संबंध है और यदि जलवायु की दृष्टि से उनके लिये आवश्यक है तो हमें उसे मानना चाहिये। हम एक निरपेक्ष राज्य की घोषणा करते हैं और हम किसी तरह पर भी एक सीमित और जड़ राज्य की कल्पना नहीं करते हैं कि जिसमें हमारा विकास न हो सके। बुद्धि और हृदय का संतुलन हमेशा होना चाहिये और तभी हमारा देश और संसार उत्थान की ओर जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपना निवेदन प्रस्तुत करता हूं।

* श्री उम्मेदसिंह (जिला गोंडा)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के लिये सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। गाय का क्या महत्व है इस पर कुछ विशेष कहना नहीं रह जाता है। सर सीताराम कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशें मौजूद हैं। उन्होंने गोवंश के महत्वपर प्रकाश डाला है और भारतीयों के लिये, इस देश के रहने वालों के लिये गाय का महत्व समझाना कुछ मेरी समझ में एक बेकार सी बात है। गो वंश और खास कर गो माता यह हमारी उन मान्यताओं में से है कि जिन पर हम लोगों ने पहले भी हजारों वर्षों से प्राण न्योछावर किये हैं। तो इस लिये इस पर अधिक कहना कि इसका महत्व क्या है यह बिलकुल व्यर्थ होगा। यह विधेयक पढ़ने से मालूम होता है कि सरकार ने इस बात की कोशिश की है कि जहां तक हो सके इससे धार्मिक भावनाओं का कोई सम्बन्ध न रहे। यहां तक कि गो मांस की डेफीनीशन में उन्होंने जो बाहर से आवे और पीपों में बन्द हो उसको गो मांस की डेफिनीशन से निकाल दिया और धारा ५ में उन्होंने इससे भी आगे बढ़ने की कोशिश की जो बाहर से गोमांस आता है और पीपों में बन्द है वह तो गो मांस है ही नहीं। मगर धारा ५ की टिप्पणी में गोमांस को भी कह दिया है कि गोमांस रेलवे यात्रियों के लिये और वायुयानों के यात्रियों के लिये इस्तेमाल हो सकता है तो उसका तात्पर्य यह निकला कि, समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है, कि रेलवे यात्रियों के लिये मोहर बन्द पीपों में गो मांस आवेगा मगर वह गोमांस है नहीं। तो हो सकता है इस्तेमाल हो सकता है। इसके माने यह है कि गो कट सकती है। हमने तो यह माने इसके लगाये मगर सही नतीजे पर नहीं पहुंचे। शायद सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी हो तो समझ में आवे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार ने इस विधेयक को डरते-डरते पेश किया, शायद यह झलक न हो जाय कि सेक्युलेरिज्म से प्रेरित हो गई इसलिये नहीं। मालूम यह होता है क्योंकि अच्छा कहा जाय या न कहा जाय, कि धार्मिक भावना से नहीं बल्कि आर्थिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उम्मेदसिंह]

महत्व पर यह विधेयक रख रही है। जैसा माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने कहा है कि हम इसविधेयक का स्वागत इस लिये भी करते हैं कि मुस्लिम और हिन्दूज में इत्तहाद बढ़ावेगा। तो अगर यह लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किये हैं तो साफ जाहिर है कि गोवध का प्रश्न सैकड़ों वर्षों से हिन्दू-मुसलमान की एकता को नष्ट करता रहा है। तो यह बात कही भी गयी है कि अगर ज्यादा लोग, ज्यादा तादाद के लोग इस सूबे के, इस प्रदेश के ऐसे हैं कि जिनकी मान्यताओं पर और जिनकी, मैं धार्मिक शब्द का भी इस्तेमाल करूंगा, धार्मिक भावनाओं पर गोवध होने से प्रभाव पड़ता है तो दूसरे फिरके वाले अगर कोई हैं तो उनको यह चाहिये कि वे खुशी से कहें कि मैं तो धार्मिक भावनाओं की इज्जत करता हूं और गोवध बन्द होना चाहिये। तो मैंने जहां तक सुल्तान आलम खां साहब को समझा उन्होंने तो इस भावना से प्रेरित हो कर कहा कि मैं इस विधेयक का इसलिये स्वागत कर रहा हूं कि जो हिन्दू मुसलमान में डिफरेंसेज हैं वे रफा होंगे और इत्तेहाद बढ़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि डरते-डरते जो इसके नकायस हैं उन पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने यह कह दिया कि बाहर से अगर गोमांस आता है तो वह गोमांस नहीं है, या रेलवे यात्रियों के लिये और वायुयान पर सफर करने वालों के लिये गोमांस इस्तमाल हो सकता है। तो वह गोमांस चाहे बाहर से भी न आया हो इसी प्रदेश में गोवंश या गोवध हुआ हो, वह मांस भी इस्तेमाल हो सकता है और डिजीज्ड, मरीज गौवंश बैल या गौवें मारी जा सकती हैं। इससे भी साफ जाहिर है कि गवर्नमेंट भी डर रही है कि कहीं यह खयाल न हो कि वह धार्मिक भावनाओं से प्रेरित हैं। तो मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा माननीय सुल्तान आलम खां ने कहा, वह यह डर छुड़ा रहे हैं। इस डर को छोड़ करके हिम्मत के साथ गवर्नमेंट ने जहां यह विधेयक पेश किया है कि गोवध बन्द हो, वहां सही मानो में गोवध बन्दी इस प्रदेश में हो जाय और यही मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि वह इन त्रुटियों को जो कि बिल में आ गयी है, उनको दूर करने की कोशिश करे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
५ सितम्बर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६ पर)

सूची ऐसे कृषि फार्मों की जो जिला बरेली, मिर्जापुर तथा बाराबंकी में सन् १६५० से १६५४ ई० तक स्थापित किये गये।

जिला बरेली

नं० शुमार	नाम फार्म होल्डर	रकबा एकड़ में	सरकारी मालगुजारी		
१	२	३	४		
			रु०	आ०	पा०
१	भगवानदास पुत्र नरायनदास, मोहनस्वरूप पुत्र शिम्भूसहाय, मु० धन का कुंवर बेवा वारिस ठाकन लाल जाति कुर्मी निवासी सहोडा	७८	१५२	२	६
२	कुतुबुद्दीन पुत्र वजीरुद्दीन जाति राई निज्गुलडया अता उसैन।	६२	३७०	१२	६
३	बल्देव पुत्र नोनी व अनोखे व जोरा व पुत्र नन्देराम स्पलप पुत्र ज्वालाप्रसाद, रामलाल पुत्र डल्लू टुन्डो, राम प्रसाद पुत्र भोले, मु० लछमा बेवा ज्वालाप्रसाद जाति कुर्मी, निवासी नदेली	६२	२२२	०	६
४	भगवतीप्रसाद पुत्र अम्बाप्रसाद, जाति ब्रह्मण, निवासी बरेली, मोहल्ला साहूकारा	७१	१०५	२	०
५	रामभरोसे लाल पुत्र तोताराम, जाति कुर्मी, नि० चठिया।	६४	२६७	१५	६
६	सरदार वीर विकण सिंह पुत्र सरदार लछमीनरायन, जाति कायस्थ व कैप्टन कृपा राम पुत्र उदयी राम व गोपीराम पुत्र नोनीराम नि० पचपेड़ा.	६१	४३६	१०	६
७	मु० कृष्णाकुवांरी बेवा निर्भान सिंह व देवेंदरसिंह पुत्र नारायणसिंह व मु० रामरती व सरदार सिंह पुत्र फूलसिंह जाति ठाकुर निवासी भोजपुर	६७	४०१	३	६
८	वजीर अहमद पुत्र शफीक अहमद व मु० महबूबा स्त्री शफीक अहमद व मु० सुगरा बेवा जमील अहमद व मु० फुवरा स्त्री मोहम्मद इलयास व अलताफ हुसेन पुत्र अताहुसेन जाति राई निवासी जुनाह जवाहर ..	५०	११६	३	३
६	मरगूब अहमद व मासूम अहमद पुत्र अमीर अहमद व मकबूल अहमद पुत्र महबूब अहमद राई, निवासी मुडया नवी बक्श	१३६	११६	२	६
१०	निरजनसिंह पुत्र ख्याली राम व सोहनसिंह पुत्र जी सुख राम व दर्शनसिंह व रघुबीरसिंह पुत्र भुआसिंह व बाबू ब्रजमोहन सिंह पुत्र धनसिंह व सुन्दर सिंह पुत्र जयवीर सिंह, जाति जाट	३२६	१२११	०	६
११	अगनलाल पुत्र राम बहादुर जाति कायस्थ, नि० बरेली, मोहल्ला भूड	८१	२४४	११	६

नं० शुमार	नाम फार्म होल्डर	रकबा एकड़ में	सरकारी मालगुजारी		
१	२	३	४		
			रु०	आ०	पा०
१२	मु० सुखदेवी पत्नी पदमसिंह व मु० शकुन्तलादेवी पत्नी पदमसिंह व नरेंद्रपालसिंह व पुत्र पदमसिंह व शिम्भूसिंह पुत्र जयबीरसिंह जाति राजपूत, नि० डय्या बोझ	५१	२५४	१२	९
१३	तेजासिंह फिजा दीवानसिंह पुत्र गिनजासिंह व हरजेंद्रसिंह पुत्र देवासिंह व नौनिहालसिंह व रघुपालसिंह व पुत्र ठाकुरसिंह दलीपसिंह व बल्देवसिंह व शोभासिंह पुत्र ईश्वरसिंह व पालासिंह व गंगासिंह व गुलचरन सिंह व कलवंतसिंह पुत्र खजनसिंह व निधानसिंह व पूरनसिंह पुत्र हीरासिंह, जाति जाट, निवासी डय्या बोझ	१०७	४७३	५	९
१४	मोहनस्वरूप पुत्र शिम्भूसहाय जाति कुर्मी निवासी सहोडा	१९४	७२०	०	०
१५	मलसिंह व सोवरनसिंह व करतारसिंह पुत्र इन्द्रसिंह व मक्खनसिंह व बसतीसिंह व विरसासिंह पुत्र पालासिंह व बख्शी सिंह व जड़ैल सिंह पुत्र जोधा सिंह व इकबाल सिंह व भूरासिंह व अमरसिंह व चन्दनसिंह पुत्र भजासिंह व तिलोकसिंह व बूटासिंह बेटा जिदासिंह व जगन्नाथ सिंह पुत्र सरवन्त व नन्दपाल पुत्र मथुरालाल, जाति सिख, निवासी दैय्या बोझ	७०	३०१	२	०
१६	जहूसल हक पुत्र इमामुलहक जुबेरी निवासी मुरेड	१२२	३८८	१४	३
१७	मु० इस्लाम बानो स्त्री सुभान अहमद जुबेरी निवासी कस्वा मरहरा कस्वा एटा	६२	१९५	१३	०
१८	केवलराम पुत्र नन्दराम जाति कुर्मी नि० भरौनी	७३	५४	१४	३
१९	अफसर मोहम्मद खां व सरदार मोहम्मद खां सुल्तान मोहम्मद खां, एजाज मोहम्मद खां, अलताफ मोहम्मद खां, पिसरान ताज मोहम्मद खां, व इमलयाज मोहम्मद खां, पुत्र मुमताज मोहम्मद खां व मु० गौहरताज बेगम जौजा मुम्ताज मोहम्मद खां व मु० इकला मियां बेगम जौजा ताज मोहम्मद खां व मु० सखरी पुत्री निसार मोहम्मद खां निवासी रहमदपुर कलां जिला बुलन्दशहर	३४९	१३०४	११	३
२०	मु० कलसूम बेगम पुत्री मजीदुल्ला खां, नि० पिपरया	६४	२०९	९	३
२१	गुरजीतसिंह पुत्र धनसिंह, जाति शेख निवासी उत्तरसिया मोहलिया	८०	२७४	१४	९
२२	याकूब खां पुत्र वजीर खां, जाति पठान, नि० पिपरया	८०	२९२	२	६

नं० शुमार	नाम फार्म होल्डर	रकबा एकड में	सरकारी मालगुजारी
१	२	३	४
			रु० आ० पा०
२३	मेजर जनरल दीवान मिसरीचन्द पुत्र प्रानलेख दीवान टेकचन्द व दीवान मिसरीचन्द जूनियर पुत्र मेजर जनरल दीवान मिसरीचन्द व श्रीमती राज कुवारी मिसिज मिसरीचन्द स्त्री मेजर जनरल दीवान सिंह, मिसरी चन्द व रानी साहब श्रीमती प्रीतम कुंवर जौजा राजा जुगल कुंवर जाति छत्री निवासी सहसपुर विलारी जिला मुरादाबाद	५४२	१६७५ ६ ३
२४	हरीशचन्द पुत्र लाला होरीलाल व श्रीमती आसालता पत्नी हरीशचन्द्र व गिरीशचन्द व हरीशचन्द पुत्र व मु० सयाकुवारी स्त्री हरीशचन्द व सुरेशचन्द पुत्र लाला होरी लाल व मु० प्रभादेवी पत्नी सुरेशचन्द्र व मु० लक्ष्मीदेवी बेवा लाला होरीलाल व बाबूराम पुत्र रत्नलाल व रमेशचन्द्र पुत्र लाला होरीलाल व मु० वीनारानी जौजा रमेशचन्द्र प्रतापचन्द्र व मु० इन्द्रादेवी पुत्री रमेशचन्द्र निवासी दुनका श्रीराम मूर्ति व कृष्ण पुत्र रायबहादुर श्री लाला मूलचन्द व मु० प्रभामूर्ति जौजा राममूर्ति व कृष्णमूर्ति पुत्री श्रीराम मूर्ति व चेतनमूर्ति पुत्री राममूर्ति नि० पीलीभीत व फजललुरहमान व अख्तर हुसेन व अता हुसेन व हफीजुल रहमान पुत्र गण श्री हाफीज मोहम्मद हुसेन व हाजी अब्दुल सलाम पुत्री अब्दुल रजाक व अजीजुल रहमान पुत्र मोहम्तुलेमान व न्याज अहमद पुत्र अब्दुल गफूर वजहूर अहमद पुत्र कमरुद्दीन व जलील अहमद खां पुत्र रहमत खां नि० जोखनपुर श्री फजल अहमद व मुहम्मद इदरीस व जलील अहमद पिसरान मोहम्मद सुलेमान नि० गिरधरपुर	१७८	७२२ ० ०
२५	श्रीराम कोहली व गुलाबराय कोहली पुत्र हरजसराय कोहली निवासी न्यू देहली व दलीपराम कोहली व फकीर चन्द कोहली पुत्र हरजसराय कोहली, जाति कोहली, निवासी न्यू देहली व श्री हरजसराय कोहली व शंकरदास कोहली जाति छत्री निवासी पिपलया सिलीजागीर, परगना रिछा	२८३	१०३८ ३ ६
२६	श्रीमती लज्जादेवी पत्नी रामस्वरूप व कुमारी विमला गोयल पुत्री श्यामविहारी लाल व लक्ष्मीनरायन पुत्र मोहननरायन व श्री वीरेंद्रवती पुत्री हरीसिंह निवासी बरेली मोहल्ला बिहारीपुर	२१४	७४८ १४ ६
२७	मुहम्मद यासीन पुत्र मोहम्मद लतीफ व मोहम्मद अख्तर पुत्र मोहम्मद यासीन व मोहम्मद लतीफ पुत्र मोहम्मद अलताफ जाति राई निवासी सिली जागीर	५२	२०३ ८ ६

नं० शुमार	नाम फार्म होल्डर	रकबा एकड में	सरकारी मालगुजारी
१	२	३	४
			रु० आ० पा०
२८	विशनस्वरूप तेजपाल पुत्र गण तोताराम व मु० तसीदेवी पुत्री सोहनलाल जाति कुर्मी नि०चठया	८८	३०५ ११ ३
२९	तेजपाल पुत्र तोताराम व मु० रामकुवर पुत्री वेग-चन्द जाति कुर्मी निवासी चठिया	७६	२६७ १० ३
३०	बहादुरसिंह, नरायनपाल सिंह व जगतपालसिंह पुत्र केदारसिंह, शांतीदेवी स्त्री जगतपाल सिंह व बचनसिंह पुत्र जगीसिंह साकिन कुल्छाराज सिंह पुत्र जसवन्त सिंह सा० भगवंत पुर, नरायनसिंह व विशरामसिंह पुत्र गोकुलसिंह ठाकुर निवासी लीलौर शिवरत्नलाल पुत्र अयोध्याप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी पीलीभीत	२२५	५६९ १२ ०
३१	बहादुरसिंह व रामपालसिंह व जगतपाल सिंह पुत्र केदारसिंह शांतीदेवी स्त्री जगतपाल सिंह बचनसिंह पुत्र जगीसिंह निवासी कुल्छा, हरीराजसिंह पुत्र जसवंत सिंह साकिन भगवंतपुर नरायनसिंह बिश्रामसिंह पुत्र गोकुलसिंह जाति ठाकुर निवासी लीलौर रमेशचन्द पुत्र भगवान जाति ब्राह्मण निवासी बरौर	१६२	४३८ ८ ३
३२	अम्बाप्रसाद पुत्र नोनीराम जाति कुर्मी निवासी कठरी	५९	२०५ ११ ३
३३	अम्बाप्रसाद पुत्र नोनीराम झाझराम, मोहनलाल पुत्र नन्दराम व सद्प्रसाद पुत्र नोनीराम, श्यामलाल शिव दयाल पुत्र लालजी जाति कुर्मी निवासी कठरी	१०१	४६८ १० ३
३४	पोथीराम पुत्र पूरनलाल व गनेशीदेवी पत्नी पोथी राम जयरामसिंह, केशरीलाल पुत्र पोथीराम रामकली स्त्री जयराम सिंह, मोहनवती स्त्री केशरी लाल, नेमकुमारी स्त्री जयरामसिंह मु० कौशल्या देवी स्त्री दुलीचन्द व भान कुमारी पुत्री दुली चन्द जाति कुर्मी निवासी कानपुर भगवानदास व सीताराम व रामविलास पुत्र श्यामलाल व मु० कोकलादेवी बेवा श्यामलाल व बिमलादेवी पत्नी भगवानदास व मदनमोहनलाल पुत्र भगवान दास व मजूदेवी पत्नी भगवानदास जाति ब्राह्मण नि० पीलीभीत	११५	४०० ८ ६
३५	शांतीप्रयग्न पुत्र श्री बन्दमहन्त परशुरामजी साकिन ऋषिकेश	८६	३०२ ६ ९
३६	भवनचन्द पुत्र हीरालाल जाति वैश्य नि० हुसका	२४०	९३६ ८ ३
३७	राममूर्ति लाल पुत्र ठाकुरदास वैश्य निवासी धौरा	२३२	८८४ ० ९

नं० शुमार	नाम फार्म होल्डर	रकबा एकड़ में	सरकारी मालगुजारी
१	२	३	४
			रु० आ० पा०
३८	वीरेंद्रमोहन चौधरी व चन्द्रमोहन चौधरी पुत्र श्री श्यामनारायन व वीरेंद्रमोहन व राजेंद्रमोहन व शैलेन्द्र मोहन व भूपेंद्रमोहन पुत्र चन्द्रमोहन देवेंद्रमोहन धर्मेंद्र मोहन राजेंद्रमोहन पुत्र वीरेंद्रमोहन, मु० सुशीला पत्नी वीरेंद्रमोहन निवासी बरेली व महाबीरसहाय पुत्र रामसहाय नि० तिलहर	६२५	२,००० ० ०
३९	पोथीराम पुत्र पूरनलाल व गनेशीदेवी स्त्री पोथी राम जयरामसिंह व केशरीलाल पुत्र पोथीराम व राम कली स्त्री जयराम सिंह व सोहनवती स्त्री केशरीलाल नेमकुमारी स्त्री जयराम सिंह मु० कौशल्या देवी स्त्री दुलीचन्द भानकुमारी पुत्री दुलीचन्द जाति कुर्मी निवासी करनपुर भगवानदास व सीताराम व रामबिलास पुत्र श्यामलाल व मु० कोकला देवी बेवा श्यामलाल व विमला देवी बेवा भगवानदास व मदन मोहन लाल पुत्र भगवान दास व मुजू देवी पुत्री भगवान दास जाति ब्राह्मण निवासी पीलीभीत	७८	२७१ १२ ९
४०	नरेंद्रभान सिंह पुत्र अभयराज सिंह निवासी गुलडया भवानी	१५२	६९९ १० ३
४१	रुद्रराजसिंह पुत्र राम दास सिंह निवासी विद्यौली	१००	४३८ ० ६
४२	रामधारी पांडे व लालजी पांडे पुत्र गण खेश्वरपांडे निवासी जिला देवरिया	६४	१३० ० ०
४३	श्री हेम सिंह पुत्र अचपल सिंह जाति राजपूत नि० नगला कोशी जिला मेरठ वारिदहाल करीमगंज	९६	१९६ ७ ०
४४	श्री कृष्णकुमार पुत्र बल्देवसहाय श्रीवास्तव नि० जिला देवरिया	१२१	३९४ १ ३
४५	कामेश्वरीप्रसाद नरायन सिंह पुत्र कजेश्वरीप्रसाद नरायन सिंह रियासत सलीमगढ़ जिला देवरिया	८७	२२७ १३ ३
४६	देवनरायन पुत्र रामलल जैसवाल निवासी देवरिया	८६	१९९ ९ ६
४७	श्री पोलासिंह व शमशेर सिंह व दीवानसिंह पुत्र मेहरसिंह व जतयनपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह व बलवन्तसिंह व जगवंत सिंह पुत्र नवरंजग सिंह व भरपूर सिंह पुत्र नरायन सिंह इकबालसिंह व अजीत सिंह पुत्र रतनसिंह व भाग पुत्र मेहरसिंह सदाकौर व हरवंस कौर स्त्री भागसिंह नि० वहीपुर ।	५१५	१६६० ० ९

नं० शुमार	नाम फार्म होल्डर	रकबा एकड़ में	सरकारी मालगुजारी
१	२	३	४
			रु० आ० पा०
४८	शिवचरन सिंह व अमरसिंह कपूरसिंह पुत्र सुचीत सिंह व सुचीतसिंह पुत्र भतेसिंह अमरसिंह, पुत्र नरायन सिंह, मुबारिक पुत्र सुचीसिंह जाति सिख	७६	३२८ १ ६
४९	तारासिंह व संतोकसिंह पुत्र बलवन्त सिंह व करतार सिंह पुत्र सोजसिंह जयमल सिंह पुत्र सुधाकर सिंह, प्यारा पुत्र हजारीसिंह ईश्वरसिंह हरवंस सिंह पुत्र हरनाम सिंह व रतन सिंह वचन सिंह व किशन सिंह	१२२	४४६ १५ ३
५०	कुंवर जयपाल सिंह पुत्र कल्यानसिंह जाति ठाकुर हरसू नगला।	२२४	१०८ ८ ३
५१	हरनाम सिंह पुत्र गन्दासिंह व मोहर सिंह व नरायन सिंह सैरनसिंह जाति सिख ग्रामवासी	११२	३५९ ९ ९
५२	दुर्गाप्रसाद व टीकाराम जाति कुर्मी वहीपुर	७४	३६६ १० ६
५३	धरमपाल सिंह पुत्र होरीपाल कुर्मी नि० इख्वा खुशहाल	१०३	४६२ ९ ३
५४	मेजर दारासिंह पुत्र किशनसिंह व बलवीरसिंह पुत्र दारासिंह ब्रजमोहनलाल पुत्र प्यारेलाल सिख साकिन फूलपुर	७६	३३६ ५ ३
५५	अब्दुल रशीद पुत्र अहमद अली व अब्दुल हकीम व अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल गफूर शेख नि० टांडा बहेड़ी	२०८	४१८ ८ ०
५६	मेजर मेलसिंह पुत्र तारासिंह व गोपालसिंह पुत्र जगमल सिंह निवासी जिला लुधियाना	११८	६८१ ६ ०
५७	दीनानाथ पुत्र श्यामलाल व पूरनसिंह पुत्र गोकुल सिंह व साहबसिंह पुत्र भोलासिंह व शेरसिंह पुत्र भोलासिंह गौरीशंकर पुत्र गनेशराय ग्रामवासी	३८०	१५६९ ० ०
५८	पं० बुधसेन पुत्र रामचन्दर जाति ब्राह्मण ग्रामवासी सिरसा।	७०	१९८ ६ ०
५९	दीनानाथ पुत्र श्यामलाल ब्राह्मण निवासी सिरसा	९७	४०७ ० ०
६०	गौरीशंकर पुत्र गनेशराय ब्राह्मण निवासी सिरसा	९७	३८४ ४ ०
६१	पूरनसिंह पुत्र गोकिलसिंह जाति ब्रह्मण निवासी सिरसा	८९	३३८ ० ०
६२	इम्तयाज अहमद पुत्र इरशाद अली जाति राई	७०	२३० १५ ११
६३	फजल मोहम्मद खां पुत्र अब्दुल अऊब खां जाति पठान निवासी ठिणा।	५०	२१२ ७ ११
६४	दलीपसिंह पुत्र जयमलसिंह जाट नि० बरेली	१२१	४२८ ० ०
६५	महेन्द्र सिंह पुत्र पदमसिंह जाट नि० बरेली	१६८	८३७ १३ ०

नं० शुमार	नाम फार्म होल्डर	रकबा एकड़ में	सरकारी मालगुजारी
१	२	३	४
			रु० आ० पा०
६६	परषोत्तम दास मैनेजर कोआपरेटिव फार्म जुगनु नगर।	१४७	२३४ १ ०
६७	दी केसरे सुगर वर्क्स लिमिटेड बहेड़ी	३८८	६४३ १५ ०
६८	शंतोष कुमारी पुत्री मुशट्टीलाल ब्राह्मण ग्राम वासी	६८	२४८ ६ ३
६९	महबूबशाह पुत्र फूलशाह आयु ३ वर्ष	६४	२१३ २ ३
७०	चूरामनसिंह पुत्र तारीफसिंह जाट निवासी डांडी अभयचन्द	९५	३९७ १४ ६
७१	नूर मोहम्मद खां पुत्र अब्दुलरऊफ खां पठान ग्रामवासी व खैरूल निसा पत्नी नूर मोहम्मद खां	९४	३०० ० ०
७२	फजल मोहम्मद खां पुत्र अब्दुल रऊफ खां पठान ग्रामवासी	५१	१९२ १३ ३
७३	प्यारे मियां पुत्र रहीम बख्श शेख निवासी बरेली।	६९	२१० ८ ०
७४	हेमसिंह पुत्र अछपलसिंह जाति ठाकुर निवासी नगला काशी	८७	३६८ ६ ३
७५	मुकटलाल पुत्र मिश्रीलाल ब्राह्मण निवासी गंगोह	६९	२०५ ७ ६
७६	राधेश्याम पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी समाना	५१	२३५ १३ ९
७७	श्रीमती रामदेवी पत्नी श्री लक्ष्मीनरायन जाति ब्राह्मण निवासी हरदुआगंज	२२०	३७८ ९ ९
७८	मुकटबिहारीलाल पुत्र बल्देवप्रसाद अग्रवाल नि० बरेली	२०५	७७६ ७ ९
७९	कुंवर भगवानसहाय पुत्र नरायनदास व मु० मुलीलावती कुंवर दावाधिकारीणी व कुंवरमोहन स्वरूप पुत्र शिम्भूसहाय व मु० धन का कुंवर बेवा वारिस राय बहादुर कुंवर ढाकनलाल कुर्मी ग्रामवासी सहोडा	१९९	३८८ १ ०
८०	कुंवर भगवानसहाय पुत्र नरायनदास व मु० लीलावती दावाधिकारिणी राय बहादुर कुंवर ठाकनलाल नि०सहोडा	१०१	२१४ ३ ०

जिला मिर्जापुर

क्रम संख्या	नाम-फार्म तथा मालिक या नाम ट्रस्ट के	क्षेत्रफल एकड़ में	मालगुजारी रुपया
१—गोपालपुर तहसील मिर्जापुर व	गोपालपुर श्री अभय कुमार इत्यादि कोआपरेटिव फार्म सोसाइटी लि०	४०७९	८२५
२—बंदौली तहसील मिर्जापुर	,,	५६५	२००
३—रामपुर अतरी त० मिर्जापुर	नागरस लिमिटेड कम्पनी गोलागली बनारस मैनेजर जगनमोहन दास	८९०	७०
४—अतरीदातिन त० मिर्जापुर	,,	२३५	१८३-४-०
५—दटिया बिशुनपुर परगना सक्तेशगढ़ तहसील चुनार	श्री बीरबल व प्रकाश बल शर्मा	१८७५	१२००
६—अटारी परगना सफ्तेशगढ़ तहसील चुनार	श्री इन्द्र राम शर्मा	६१९	९१६
७—खट खरिया परगना भगवत तहसील चुनार	श्री प्रेमनाथ व श्री ब्रह्मन्यनाथ तिवारी	६३७	२२९

जिला बाराबंकी

	फार्म कर्ता का नाम	रकबा एकड़	मालगुजारी रु०	आ०	पा०
१	श्री रुपनारायण पुत्र श्री रामकिशुन, हरीराम पुत्र नारायणदास व श्री सत्यप्रेमी जी पुत्र श्री रामलाल मिश्र ग्राम भटेहटा परगना देवा, जिला बाराबंकी	१०३	४६४	१४	६
२	पुश्कल नाबालिग बविलायत मादरेखुद, मुसम्मत कमला पुत्री मदनमोहन निवासी लखनऊ बैजनाथरोड ग्राम पलिया मसूदपुर परगना देवा जिला बाराबंकी,	६२	२७२	१५	९
३	नेबिलेट फार्म जिला बाराबंकी, परगना प्रतापगंज	१३९	११३१	०	१

	फार्म कर्ता का नाम	क्षेत्रफल एकड़ में		मालगुजारी रु०	आ०	पा०
४	पद्मपत सिन्घानिया व कैलाशपतराम व लक्ष्मी पतराम पिसरान कमलापतराम सिंधानिया निवासी कमलाटावर कानपुर व बाबू विशुनदयाल व परकाशचन्द्र व लक्ष्मीकांत पिसरान द्वारिकादास झुनझुन वाला व महाबीरप्रसाद व श्यामसुन्दर व अ्रणकुमार सुत जुथालाल झुनझुनवाला निवासी गुटैइया शहर कानपुर ग्राम गौरीयामऊ परगन। रुदौली जिला बाराबंकी	३०१	४८०	१०	०	
५	ठाकुर लखपतिसिंह पुत्र रामपालसिंह व शिवपरताप. सिंह व गिरजेशप्रतापसिंह नावालिगान पुत्र ठाकुर लखपति सिंह व गिरीशप्रकाश सिंह पुत्र गयाबख्शसिंह साकिन धनकौली परगना डौड़ियाखेर जिला उन्नाव। तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी	२६४	१४१६	७	६	
६	साहेबज़ादा मुहम्मद अमीरहैदर खांपुत्र महाराजा . . मुहम्मद अ्रली मुहम्मद खां साकिन महमूदाबाद जिला सीतापुर, तहसील फतेहपुर जिरा बाराबंकी ।	२३०	२७०	१२	३	

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र १९५५ के ८ में रामनगर के लिये श्री श्रीचन्द द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न १७ के उत्तर में उल्लिखित अनुसूची:

क्रम संख्या	क्वार्टर की श्रेणी	उसमें रहने वाले का पद	मासिक किराया जो लिया जाता है		
			रु०	आ०	पा०
१	चार्जमैन क्वार्टर	फोरमैन मैकेनिक	२४	८	०
२	मैकेनिक क्वार्टर नं० १	ट्रैक्टर आपरेटर	१०	८	०
३	,, २	,,	१०	०	०
४	,, ३	,,	१०	८	०
५	,, ४	,,	८	०	०
६	वर्कमैन क्वार्टर १	स्टाक मैन	५	८	०
७	,, २	,,	५	५	
८	वर्कमैन क्वार्टर ३	*श्रमिक	..		

६

*४ वर्कमैन क्वार्टर श्रमिकों को बिना किराये के रहने के लिये दे दिये गये हैं क्यों कि उपरोक्त फार्म पर श्रमिकों के रहने के लिये स्थान का अभाव है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३ पर)

इलाका खास, रामपुर के जिलेदारों की सूची

१—श्री अनवार हुसेन
२—श्री अता उल्ला खां
३—श्री अमजद हुसेन खां
४—श्री निहाल उद्दीन खां
५—श्री महमूद अली
६—श्री सै० अजीज शाह
७—श्री रामेश्वर दयाल
८—श्री हामिद रजा खां
९—श्री सै० यासीन मियां
१०—श्री नजीब अहमद खां
११—श्री बाबूराम पुत्र श्री हजारीलाल
१२—श्री वाजिद अली खां
१३—श्री सलामत उल्ला खां
१४—श्री अब्दुल वहीद खां
१५—श्री मोहम्मद सिवतेन
१६—श्री जंगबहादुर
१७—श्री रूपनरायण सिंह
१८—श्री मोहब्बत शाह खां
१९—श्री छम्मी खां
२०—श्री मंजूर अहमद खां
२१—श्री नजाकत अली खां
२२—श्री रामस्वरूप सिंह
२३—श्री सै० नजर अली
२४—श्री नादिर शाह खां
२५—श्री लियाकत अली
२६—श्री सरदार दूला खां
२७—श्री फजलउल कादिर
२८—श्री मुश्ताक हुसेन
२९—श्री लियाकत हुसेन
३०—श्री बाबूराम पुत्र श्री हरप्रसाद
३१—श्री मुहम्मद यूनुस
३२—श्री कामताप्रसाद
३३—श्री मुहम्मद हुसेन खां
३४—श्री नजाकत हुसेन खां
३५—श्री सैयद सफदर अली
३६—श्री राधेश्याम।
३७—श्री बनवारी लाल
३८—श्री बाबूराम पुत्र श्री शिवलाल
३९—श्री काजी अनवार हुसैन
४०—श्री अजमत अली खां
४१—श्री अख्तर हुसेन
४२—श्री तेजबहादुर
४३—श्री सैयद अली मीर
४४—श्री जगदीशनरायण
४५—श्री सुल्तान हसन
४६—श्री अब्दुल रऊफ खां
४७—श्री इख्त्यार हुसेन
४८—श्री तवसनुल हुसेन
४९—श्री राजकिशोर
५०—श्री लालबहादुर
५१—श्री दूल्हा खां
५२—श्री बेचा खां
५३—श्री निजावत अली खां
५४—श्री अब्दुल वहाव खां
५५—श्री शफीकुल रहमान खां
५६—श्री साबिर हुसेन
५७—श्री अमीर हुसेन खां
५८—श्री सौकत हुसेन
५९—श्री अब्दुल रहमान खां
६०—श्री कल्बे अली खां

इलाका खास, रामपुर के जिलेदारों की सूची

६१—श्री सलामत अली खां

६२—श्री रामचन्द्रसहाय पुत्र श्री श्यामलाल

६३—श्री अब्दुल हुसेन खां

६४—श्री रोशनलाल

६५—श्री छोटेलाल

६६—श्री भूरा खां

६७—श्री लेखराज

६८—श्री रामभरोसेलाल

६९—श्री फज्ले अहमद खां स्थानापन्न सरवराहकार, परन्तु इनके स्थान पर श्री रामचरणलाल कार्य कर रहे हैं।

७०—श्री नफीस अहमद खां (मुअत्तल हैं) इनके स्थान पर श्री अमानत अली खां कार्य कर रहे हैं।

७१—श्री वाजिद हुसेन (मुअत्तल हैं) इनके स्थान पर श्री त्रिलोकचन्द कार्य कर रहे हैं।

७२—श्री हामिद हुसेन खां (मुअत्तल हैं) इनके स्थान पर श्री लईक अहमद खां कार्य कर रहे हैं।

७३—श्री रामचन्द्रसहाय पुत्र श्री शंकरलाल। इनके स्थान पर श्री अजमत अली खां कार्य कर रहे हैं।

७४—श्री लियाकत उल्ला खां। इनके स्थान पर श्री दीनाचन्द कार्य कर रहे हैं।

७५—श्री मौ० अली खां। इनके स्थान पर श्री ओमप्रकाश कार्य कर रहे हैं।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११३ पर)

बीज की किस्म जो बीज भंडारों में रक्खी गई

क्रम-संख्या	बीज गोदाम के नाम	तहसील	खरीफ				
			धान	गेहूं	जौ	चना	मटर
१	गुलहरिया सहकारी बीज भंडार	सदर	एन २२, टी १००, टी ९, सरया	पी ५२, सी० १३, १६५, ७७५,	..	..	..
२	भतहट सहकारी बीज भंडार ..	,,	एन २२, टी १००, टी ९, सरया	पी ५२, सी० १३, १६५, ७७५,	..	..	..
३	मनीराम सहकारी बीज भंडार. .	,,	एन २२	पी ५२	..	..	..
४	साराहारी सहकारी बीज भंडार	,,	एन २२, सरया, जड़हन, भदई	पी ५२, ७७५	८७, टी २५,	..	..
५	पिपरौली सहकारी बीज भंडार. .	,,	एन २२, सरया, सोन-करछा स्थानीय	पी ५२, ७७५, ७६०	..	स्थानीय	..
६	जगदीशपुर सहकारी बीज भंडार	,,	एन २२, टी १००	पी ५२, सी १३	..	..	..
७	चौरीचौरा सहकारी बीज भंडार	,,	एन २२, सरया	पी ५२, ७७५	..	..	..
८	सहजनवा गन्ना बीज भंडार	,,	एन २२, सरया	पी ५२, ७७५	..	..	..
९	पिपराईच गन्ना बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी १००, टी ९, सरया	पी ५२, सी १३, १६५, ७७५	..	..	..
१०	कुनराघाट कृषि बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी १००	पी ५२, सी १३	..	..	..
११	कुनराघाट कृषि स्कूल में बीज भंडार	,,	एन २२, टी १००	पी ५२, सी १३,	..	..	..
१२	श्याम देवरवा सहकारी बीज भंडार	महाराजगंज	एन २२, टी १००, टी ९, सरया	पी ५२, सी १३, १६५, ७७५	..	..	..

बीज की किस्म जो बीज-भंडार में रखी गयी

क्रम-संख्या	बीज गोदाम के नाम	तहसील	खरीफ				
			धान	गेहूँ	जौ	चना	मटर
१३	परतावल सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	महाराज गंज	एन २२, टी १००, टी ९, सरया	पी ५२, सी १३, १६५, ७७५	..	..	..
१४	देरवा सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी १००, टी ९, सरया	पी ५२, सी १३, १६५, ७७५	..	..	..
१५	भितौली सहकारी बीज भंडार . .	,,	एन २२, सरया, सोन-करछा, टी ३६,	पी ५२, ७७५, ७६०.	२५१	..	..
१६	महाराजगंज कृषि बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी १००, २३	पी ५२, सी १३,	..	..	१६३
१७	घुघली गन्ना भंडार (मुख्य) . .	,,	एन २२, सरया	पी ५२, ७७५	..	..	..
१८	सिसवा गन्ना भंडार (मुख्य) . .	,,	एन २२, सरया,	पी ५२, ७७५	..	..	..
१९	मिथौरा सहकारी भंडार (मुख्य) पथरंगा में	,,	एन २२, सरया, टी २६	पी ५२, ७७५	के १२	..	..
२०	निचलौल सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२	पी ५२	..	..	..
२१	बरहा सहकारी बीज भंडार . .	,,	एन २२, सरया	पी ५२, ७७५	..	..	..
२२	गरौरा सहकारी बीज भंडार . .	,,	एन २२	पी ५२	..	..	..
२३	नौतनवा सहकारी बीज भंडार. .	फरेंदा	एन २२, सरया, टी २६, मनसरा	पी ५२, ७७५,	के १२	टी ५८	..
२४	लक्ष्मीपुर सहकारी बीज भंडार	,,	एन २२, टी ९, सरया, टी ३६, टी २६, टी ५, अरली, लेट	पी ५२, १६५, ७७५	२५१, के १२ स्थानीय	..	..
२५	बृजभानगंज गन्ना बीज भंडार (मुख्य)	,,	..	..	..	..	कल्यान, स्थानीय
२६	कैम्पियरगंज कृषि बीज भंडार . . (मुख्य)	,,	एन २२, टी १००, एन २२ ए०	पी ५२, सी १३,	..	..	जौनपुर

२७	पिपीगंज सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, सरया	पी ५२, ७७५	..	..	..
२८	धरवार में बेलीपार सहकारी बीज भंडार	बसंगांव	एन० २२, सरया	पी ५२, ७७५	..	..	.
२९	धरवार में गगाहा बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, सरया, टी ३६,	पी ५२, ७७५	२५१	..	..
३०	बसंगांव कृषि बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२,	पी ५२,	..	..	..
३१	कोठा, सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, सरया	पी ५२, ७७५	..	..	..
३२	भैंस बाजार सहकारी बीज भंडार (मुख्य)		एन० २२,	पी ५२,	..	..	..
३३	अड़ांव जगदीश सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी १००, सरया, टी ३६	पी ५२, सी १३, ७७५	२५१	..	..
३४	गोला बाजार सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी १००, सरया	पी ५२, सी १३, ७७५	..	..	..

क्रम-संख्या	बीज गोदाम के नाम	तहसील	रबी				
			धान	गेहूं	जौ	चना	मटर
१	गुलहरिया सहकारी बीज भंडार	सदर	एन० २२, सरया, टी ३६, टी २६, जड़हन २३,	पी ५२ ७७५	२५१, के १२	८७	१६३
२	भतहट सहकारी बीज भंडार	,,	एन २२, सरया, सोनकरछा, टी ३६ जड़हन भदई, २३,	पी ५२, ७७५, ७६०,	२५१	८७, टी २५,	१६३
३	मनीराम सहकारी बीज भंडार. .	,,	एन २२, टी १००, टी ३६, जड़हन २३,	पी ५२, सी १३	२५१	८७	१६३
४	साराहारी सहकारी बीज भंडार	,,	एन २२, टी ९, टी ३६, जड़हन, एन २२ए,	पी ५२, १६५	२५१	८७	जौनपुर
५	पिपरौली सहकारी बीज भंडार	,,	एन २२, टी १००, टी ३६, टी ५, जड़हन, स्थानीय	पी ५२, सी १३,	२५१, स्थानीय	८७ स्थानीय	..
६	जगदीशपुर सहकारी बीज भंडार	सदर	एन २२, टी ३६, जड़हन भदई, २३,	पी ५२	२५१	८७, टी २५	१६३
७	चौरी चौरा सहकारी बीज भंडार	,,	एन २२, टी ३६, मनसरा एन २२ ए,	पी ५२	२५१	टी ५८	जौनपुर
८	सहजनवा गन्ना बीज भंडार ..	,,	एन २२, स्थानीय	पी ५२	..	स्थानीय	..
९	पिपराईच गन्ना बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, सरया, सोनकरछा, टी ३६, जड़हन, भदई, स्थानीय, २३,	पी ५२, ७७५, ७६०	२५१	८७, टी २५, स्थानीय	१६३
१०	कुनराघाट कृषि बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी ९, सरया, सोनकरछा, टी ३६ टी २६, जड़हन २३,	पी ५२, १६५, ७७५ ७६०	२५१, के १२	८७	१६७

११	कुनराघाट कृषि स्कूल में बीज भंडार	,,	एन २२, टी ९, सरया, टी ३६, जड़हन, मनसरा, २३ प्रथम	पी ५२, १६५, ७७५	२५१	८७, टी ५८	१६३, कल्यान-पुर	
१२	श्याम देवरा सहकारी बीज भंडार	महाराजगंज	एन २२, टी १००, सरया, टी ३६, टी २६, जड़हन, भदई, २३,	पी ५२, सी १३, ७७५	२५१, के १२	८७, टी २५	१६३	
१३	परतावल सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, सोनकरछा, टी ३६ जड़हन, भदई, २३,	पी ५२, ७६०	२५१	८७, टी २५,	१६३	
१४	देरवा सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, सरया, टी ३६, जड़हन भदई २३,	पी ५२, ७७५	२५१	८७, टी २५	१६३	
१५	भितौली सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी १००, टी ३६, स्थानीय, २३, एन २२, ए	पी ५२, सी १३,	२५१	स्थानीय	१६३जौनपुर	
१६	महाराजगंज कृषि बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी ९, टी ३६, भदई	पी ५२, १६५	२५१	टी २५	..	
१७	घुघली गन्ना भंडार (मुख्य) ..	,,	टी ९	१६५	..	..	..	
१८	सिसवा गन्ना भंडार (मुख्य) ..	,,	एन २२, टी ९,	पी ५२, १६५	..	..	..	
१९	भिथौरा सहकारी भंडार (मुख्य) पथरंगा में	,,	एन २२, टी ५, स्थानीय लेट	पी ५२	स्थानीय,	स्थानीय	स्थानीय	
२०	निचलौल सहकारी बीज भंडार, (मुख्य)	,,	एन २२, टी ९, टी ३६, टी ५, जड़हन, २३,	पी ५२, १६५	२५१, स्थानीय	८७	१६३	
२१	बरहा सहकारी बीज भंडार	,,	एन २२, टी ३६, जड़हन २३,	पी ५२,	२५१	८७	१६३	
२२	गरौरा सहकारी बीज भंडार	,,	एन २२, टी ३६, जड़हन, २३,	पी ५२	२५१	८७	१६३	
२३	नौतनवा सहकारी बीज भंडार	फरेंदा	एन २२, टी ३६, भदई, लेट	पी ५२	२५१	टी २५	स्थानीय	
२४	लक्ष्मीपुर सहकारी बीज भंडार	,,	एन २२, टी ३६, टी ५, स्थानीय	पी ५२	२५१, स्थानीय	स्थानीय	..	

क्रम-संख्या	बीज गोदाम के नाम	तहसील	रबी				
			धान	गेहूं	जौ	चना	मटर
२५	बृजभानगंज गन्ना बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, स्थानीय, लेट	पी ५२	..	स्थानीय	स्थानीय
२६	कैम्पियरगंज कृषि बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी ३६, भदई, २३, एन २२ए	पी ५२	२५१	टी २५,	१६३, जौनपुर
२७	पीपीगंज सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी ९, टी ५, स्थानीय, लेट	पी ५२, १६५	स्थानीय	स्थानीय	स्थानीय
२८	धरवार में बेलीपार सहकारी बीज भंडार	बंसगांव	एन २२, टी ९, टी ३६, टी ५, जड़हन, स्थानीय, लेट	पी ५२, १६५	२५१, स्थानीय	८७ स्थानीय	स्थानीय
२९	धरवार में गगाहा बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी १००, टी ३६, भदई, एन २२ए	पी ५२, सी १३	२५१	टी २५	जौनपुर
३०	बंसगांव कृषि बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी ३६, जड़हन, भदई २३ एन २२ ए	पी ५२	२५१	८७, टी २५	१६३, जौनपुर
३१	कोठा, सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी १००, टी ५, स्थानीय लेट	पी ५२, सी १३	स्थानीय	स्थानीय	स्थानीय
३२	भैंस बाजार, सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी ३६, जड़हन, २३	पी ५२, सी १३,	२५१	८७	१६३
३३	अड़ांव जगदीश सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी १००,टी ५, २२ लेट	पी ५२, सी १३	स्थानीय	..	१६३ स्थानीय
३४	गोलाबाजार सहकारी बीज भंडार (मुख्य)	,,	एन २२, टी १००, टी ३६, टी ५, स्थानीय, लेट	पी ५२, सी १३,	२५१, स्थानीय	स्थानीय	स्थानीय

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११७ पर)

Extract from the Land Reforms Commissioner, U. P.'s letter No. 941-988/(ii) -A-35, dated Lucknow, February 18,1955 to All District Officers in U. P., except Almora, Garhwal & Tehri-Garhwal.

Subject—Recruitment of lekhpals as a result of reorganization of the service of patwaris.

---

* * * * *

(c) In cases, where the work and conduct have been satisfactory but the lekhpal has failed to pass the examination, the period of probation may be extended by you for one year. The lekhpal will be examined again in the month of November, 1955, and if he fails his services will be terminated.

(d) Lekhpals, who have failed in the examination and whose work and conduct have also not been satisfactory, should not be retained in service.

* * * * *

Extract from Land Reforms Commissioner's letter No. 2902-48/ (4)-84-IIA, dated June 10, 1955 to All the District Officers in U. P. except Basti, Almora, Garhwal and Tehri-Garhwal.

Subject—**Recruitment of lekhpals as a result of reorganization of service of patwaris.**

In partial modification of orders contained in para 3 of my circular letter No. 941-988/(4)-II-35, dated February 18, 1955, on the above subject, I am to state that those purely temporary and officiating lekhpals who were ineligible but were due to some misnderstanding given either the whole or a substantial portion of the training in November-December 1954 but were not allowed to take the special lekhpals' examination held in January 1955 and those candidates who did not receive any training but have officiated for two years as lekhpals will be allowed to sit at the supplementary examination which will be held in January 1956. I am, therefore to advise that such lekhpals will continue to work on their posts until further orders unless their retention is considered undesirable for other reasons.

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८ पर)

१—बन्दोवस्त अधिकारी (चकबन्दी)	.. ..	१
२—चकबन्दी अधिकारी	.. ..	३
३—सहायक चकबन्दी अधिकारी	.. ..	१७
४—चकबन्दी कर्ता	.. ..	४८
५—पेशी कानूनगो	.. ..	१
६—लिपिक, ड्राफ्टसमैन तथा ट्रेसर	.. ..	३८
७—चकबन्दी अमीन (लेखपाल)	.. ..	१९७
८—दफ्तरी, चपरासी, चौकीदार, ड्राइवर, मेहतर इत्यादि	..	९९
योग	..	४०४

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—६८ एल० ए०,—१९५५—७९६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ६ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५४)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
रतजा हुसैन, श्री
इम्तियाज हक, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
एजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्रकाछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री

चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल , श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराज कुमार

विशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद, शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री

रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधरमिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री

सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ६ सितम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में व्यय

*१—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष २६ जनवरी का दिवस मनाने में राज्य सरकार का कुल कितना रुपया व्यय हुआ और सन् १९५१-५२ और सन् १९५३ में कितना कितना हुआ था?

सूचना मंत्री के सभा सचिव (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—इस वर्ष ४६,८३७ रु० व्यय हुआ पिछले वर्षों में निम्नलिखित व्यय हुआ था:—

	रु०
१९५१	१२,७६४
१९५२	२१,८२९
१९५३	२५,६५७

*२—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौंसिल हाउस और गवर्नमेंट हाउस को सजाने में अलग-अलग कुल कितना रुपया व्यय किया गया?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—विधान भवन की सजावट व रोशनी में ९१६ रु० ९ आ० ३ पा० व राजभवन की सजावट व रोशनी में १,११४ रु० २ आ० ९ पा० व्यय हुआ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या इस मद में सरकार का इरादा और अधिक खर्चा बढ़ाने का है?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—सजावट में तो अगर कलात्मक प्रवृत्ति जाग्रत हो तो कुछ बढ़ भी सकता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये रकमें बजट के किस मद से खर्च की गई हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसे कार्यों के लिये बजट में मद तो है ही।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही तो जानना चाहता हूं कि वह कौन-सी मद है बजट की जिससे यह खर्च किया जाता है?

†श्री कमलापति त्रिपाठी—स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयन्ती तथा गणतंत्र समारोहों का खर्च बजट की "५७-विविध व्यय-ञ-विविध और अप्रत्याशित व्यय-ञ-दूसरे व्यय ६) स्वतंत्रता दिवस सम्बन्धी उत्सवों पर व्यय" मद से किया जाता है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह खर्च बराबर क्यों बढ़ता जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं समझता यह हूं कि यह खर्च तो और बढ़ना चाहिये । गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश ऐसे बड़े भारी प्रदेश में वह दिवस मनाया जाय । अभी तक जो खर्च होता रहा है वह मेरी राय में ज्यादा नहीं है और अगर कुछ और बढ़े तो मुनासिब ही होगा ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह खर्च स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिये किया गया उसमें वह खर्च भी शामिल है जो कि जिला मैजिस्ट्रेटों के पास जिलों में खर्च करने के लिये दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस प्रश्न में तो केवल यहां के लिये था लेकिन जिला मैजिस्ट्रेटों को भी जो दिया जाता है वह भी खर्च इसमें शामिल है ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि अन्य देशों के मुकाबिले में यह खर्चा बहुत कम है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं सहमत हूं प्रश्नकर्त्ता महोदय की राय से ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रत्येक जिला मैजिस्ट्रेट को बराबर-बराबर धन दिया जाता है इस फंड से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—न प्रत्येक जिला बराबर है न प्रत्येक व्यक्ति ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब यह खर्चा हर साल किया जाता है तो कन्टिन्जेन्सी में से क्यों खर्च किया जाता है, अलग मद क्यों नहीं इसकी बजट में दिखाई जाती है ?

†श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़-आमिला सड़क पर पुल की आवश्यकता

*३—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को पता है कि आजमगढ़-आमिला सड़क हर बरसात में जगह-जगह पानी के बहाव के लिये काटनी पड़ती है । अगर हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि किन किन जगहों पर ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—यह सत्य है कि बाढ़ और बहुत अधिक बरसात के कारण आजमगढ़ से आमिला जाने वाली कच्ची सड़क तेंगना जगदीशपुर, नकटा और नौरंगाबाद ग्रामों के पास तीन स्थानों पर खराब हो जाया करती है ।

*४—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार इन जगहों पर जहां सड़क काटनी पड़ती है, पुल बनाने का विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कष्ट करेंगे कि इस बात को देखते हुये कि सेकिंड फाइव ईयर प्लान में यह पक्की सड़क होने जा रही है तो जहां यह सड़क कट जाया करती है तो वहां पर सरकार पुल बनाने का विचार करेगी ?

---

†२१ अक्तूबर, १९५५ को मंत्री महोदय द्वारा की गयी प्रार्थना पर श्री अध्यक्ष की आज्ञा से संशोधित ।

श्री कैलाशप्रकाश—यदि यह सड़क पक्की की जायगी तो जरूर इस बात की व्यवस्था की जायगी कि उन पर कल्वर्ट्स बनें।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़-अमला नाम की कोई सड़क आजमगढ़ जिले में नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो जबाब दिया जा चुका है, जबाव पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं सवाल पर प्रश्न नहीं कर सकते।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि आजमगढ़-अमला नाम की कोई सड़क आजमगढ़ जिले में नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—वह समझ गये और वह भी समझ गये लेकिन आप नहीं समझे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिला बोर्ड को प्रदेशीय सरकार ने गत वर्ष में ७५,००० रुपया बाढ़-पीड़ितों और सड़कों की मरम्मत के लिये प्रदान किया था। यदि हां, तो क्यों नहीं खर्च किया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह शायद सही है लेकिन कितना रुपया दिया गया और कैसे खर्च किया इसकी इस समय मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

झांसी में मकानों का अभाव

*५—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि झांसी सेन्ट्रल रेलवे का बड़ा भारी केन्द्र होने तथा वहां पर रेलवे के अलावा बहुत से अन्य विभागों के कार्यालय होने के कारण मजदूरों, क्लर्कों, साथ ही पुरुषार्थी लोगों की बहुत ज्यादा आबादी है जिसे मकानों की बहुत कठिनाई वर्षों से प्रतीत हो रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां।

*६—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने कृपा करेगी कि वह इस समस्या को हल करने के लिये क्या विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस वर्ष लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम (Low Income Group Housing Scheme) के अन्तर्गत सरकार कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज (Co-operative Housing Societies) को तथा अन्य व्यक्तियों को भी गृह निर्माण के लिये ऋण देने जा रही है। इससे झांसी के लोग भी लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सब्सीडाइज्ड इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम (Subsidized Industrial Housing Scheme) के अन्तर्गत झांसी में १९५६–५७ में सरकार द्वारा ५०० क्वार्टर्स मिल मजदूरों के लिये बनाने का विचार है। इसके अतिरिक्त सरकार ने ५० दूकानें तथा क्वार्टर्स (दो कमरे वाले क्वार्टर्स) भी विस्थापित व्यक्तियों के लिये बनाये हैं और ३० दूकानें उनके लिये और बनाई जा रही हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत कितना रुपया झांसी में देने वाले हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत कोआपरेटिव सोसायटीज बनायी जा रही हैं और प्रार्थना-पत्र मांगे जा रहे हैं, उनके आने पर रुपये की व्यवस्था की जायगी।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वहां केवल क्वार्टर्स बनाये गये, दुकान एक भी नहीं बनायी गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके विषय में मेरे पास सूचना नहीं है। माननीय सदस्य कहेंगे तो सूचना प्राप्त कर ली जायगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो यह हाउसिंग स्कीम शहरों के अन्दर शुरू होने वाली है उनमें किन लोगों को रुपया दिया जायगा और किस शर्त पर दिया जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—लो हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत लोगों को मकान बनाने के लिये रुपया दिया जा सकता है। यह रुपया उन लोगों को दिया जायगा जिनकी आमदनी ६ हजार रुपये सालाना से कम होगी और जो २५ प्रतिशत रुपया जितना वह उधार लेना चाहते हैं उसको अपने पास से लगाने के लिये तैयार होंगे।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि झांसी में ५०० मकान मिल मजदूरों के लिये जो बनाये जायेंगे उनके लिये सरकार ने कोई जगह निर्धारित कर ली है ?

श्री कैलाशप्रकाश—किस स्कीम के अन्तर्गत ?

श्री गज्जूराम—सरकार ने अभी बताया कि मिल मजदूरों के लिये ५०० मकान बनाये जायेंगे तो क्या उसके लिये कोई जगह निश्चित कर ली है ?

श्री कैलाशप्रकाश—नोटिस की आवश्यकता है। अभी इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार झांसी में पुरुषार्थियों के लिये जो लकड़ी की दुकान बनी हुयी है उनके स्थान पर पक्की दुकान बनाने के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—जब कोई प्रश्न इस किस्म का रक्खा जायगा तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या सरकार इस योजना के अन्तर्गत नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया को भी लेने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह स्कीम जहां अरबन एरिया में कोआपरेटिव सोसाइटी बन जायगी वहां उनको उधार दिया जा सकता है।

कोंच-नन्दीगांव सड़क का निर्माण कार्य

*७—श्री चित्तरसिंह निरंजन (जिला जालौन)—क्या सरकार को विदित है कि तहसील कोंच, जिला जालौन में कोंच-नन्दीगांव सड़क के निर्माण कराने की योजना पंचवर्षीय योजना में थी ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जी हां।

*८—श्री चित्तरसिंह निरंजन—यदि हां, तो उसको कब तक मुकम्मल कराने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—आशा है कि यह सड़क वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के अन्त तक पूरी हो जायगी।

श्री चित्तरसिंह निरंजन—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोंच-नन्दीगांव सड़क का निर्माण प्रारम्भ किस वक्त हुआ था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जहां तक मुझे ज्ञात है सन् १९५४ में इसका आरम्भ हुआ है।

श्री चित्तर सिंह निरंजन—क्या अभी तक इसमें कोई प्रगति हुयी है और क्या कोंच-नन्दीगांव सड़क पर कार्य शुरू हो गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अभी तक उसमें ८ मील सड़क पर मिट्टी का कार्य पूरा हुआ है और ४ मील पर पुल और पुलिया का कार्य पूरा हुआ है।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, इलाहाबाद पर सरकारी ऋण

*९—**श्री देवकीनन्दन विभव**—क्या यह सही है कि कुछ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अपना सरकारी कर्जा अदा करने में असमर्थ हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, केवल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, इलाहाबाद ही एक ऐसा ट्रस्ट है जो कि अपनी आर्थिक स्थिति के ठीक न होने के कारण सरकारी कर्जा नहीं अदा कर पा रहा है।

*१०—**श्री देवकीनन्दन विभव**—क्या स्वशासन मंत्री विशेषज्ञों की एक कमेटी नियत करेंगे जो इस प्रदेश में ट्रस्टों के कार्य का निरीक्षण करें और और उनके खर्चे में कमी करें ?

श्री कैलाशप्रकाश—ऐसी कोई कमेटी नियत करने का प्रश्न सरकार के विचाधीन नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस प्रदेश में प्रत्येक ट्रस्ट को सरकार का कितना रुपया देना बाकी है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—सब कबाल टाउन्स के मुताल्लिक मेरे पास इत्तला नहीं है।

श्री अध्यक्ष—वे सब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री सैयद अली जहीर—सब के बारे में मेरे पास इत्तला नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जिन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स को रुपया दिया गया है क्या सरकार उन पर कोई देखरेख रखती है ?

श्री सैयद अली जहीर—दो वर्ष से जहां जहां इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स हैं वहां वहाँ ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हैं उनके जरिये से सरकार जरूर देखभाल कर रही है ?

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रति वर्ष इन ट्रस्टों को काफी रुपया अनुदान में दिया जाता है फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने का क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर—आर्थिक स्थिति खराब होने का सबब यह है कि उनके अखराजात बहुत ज्यादा हैं। इन शहरों के डेवलपमेंट के लिये जितने रुपये की जरूरत होती है उतना रुपया बावजूद कर्जे के काफी नहीं होता। लेकिन जहां तक आमदनी का ताल्लुक है उसमें कोई खराबी नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पर सरकार का कितना रुपया कर्जा है ?

श्री सैयद अली जहीर—साढ़े बारह लाख रुपया।

अलीगढ़ जिले की कृषि योग्य तथा सिंचित भूमि

*११—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)**—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में कितनी भूमि कृषि योग्य है और उसमें से कितनी भूमि सरकारी सिंचाई के साधनों द्वारा सींची जाती है ?

सिंचाई उपमंत्री(श्री राममूर्ति)—अलीगढ़ जिले की कृषि योग्य तथा सरकारी सिंचाई के साधनों द्वारा सिंचित भूमि के तहसीलवार आंकड़ों की एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५० पर ।)

*१२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सिंचाई मंत्री नये सिरे से सम्पूर्ण सिंचाई क्षेत्र के कमान्ड का पुनः बंटवारा करने का विचार रखते हैं ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई क्षेत्र के कमान्ड का पुनः बंटवारा करने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिले की सम्पूर्ण भूमि क्या हल के नीचे है ?

श्री राममूर्ति—आजकल गल्ले की गरानी के जमाने में गालिबन जरूर होगी ।

आजमगढ़ जिले की अतरौलिया–अहरौला सड़क को पक्का कराने की आवश्यकता

*१३—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार फूलपुर तहसील (आजमगढ़) की अतरौलिया-अहरौला सड़क को पक्का कराने के लिये प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं । यदि जिला नियोजन समिति इस सड़क को अपने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सुझावों में सम्मिलित करें और उसको ऊंची प्राथमिकता दे, तब सरकार इस प्रश्न पर वह योजना बनाते समय विचार करेगी ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि यह सड़क इस क्षेत्र के दो व्यापक स्थानों अतरौला और अहरौला को भी मिलाती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, मिलाती है । लेकिन इस सड़क के पास गौरी और नौपुर गांव भी आते हैं जिनको दूसरी सड़क से मिलाया जा सकता है ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि गौरी और नौपुर जो दो मुख्य स्थान हैं उनको अन्य स्थानों से मिलाने के लिये कोई सड़क का निर्माण होने जा रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अहरौला वाली सड़क से उनका मिलाया जाना सम्भव है ।

पंचायतघरों के निर्माण के लिए जिला पंचायत अधिकारियों को आदेश

*१४—श्री देवदत्त मिश्र—क्या यह सच है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में पक्के तथा कच्च पंचायत घरों के निर्माण का लक्ष्य प्रथम चार वर्ष में केवल १४ प्रतिशत ही पूरा हुआ है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं ।

*१५—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस दिशा में इतनी मन्द प्रगति के क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—पंचायतों के आर्थिक साधनों की कमी ।

*१६—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार सन् १९५६ के अन्त तक १२ हजार पक्के तथा २४ हजार कच्चे पंचायत घरों के निर्माण के लक्ष्य को पूर्ण करने के आवश्यक उपायों पर विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—पंचायतघरों के निर्माण की ओर विशेष ध्यान देने के लिये समस्त जिला पंचायत अधिकारियों को निर्देश भेजे जा चुके हैं।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी निर्माण का औसतन अनुपात बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—लगभग २० प्रतिशत।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि प्रति वर्ष प्रत्येक जिले में इस मद के हजारों रुपये पंचायत विभाग की मन्द गति के कारण लैप्स हो जाते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि य जो आंकड़े सरकार के पास आते हैं उनमें उन पंचायत घरों का भी जिक्र होता है जो अभी तक नामुकम्मल हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—उम्मीद तो यही हैकि जो आंकड़े दिये गये हैं वे उन पंचायत घरों के हैं जो मुकम्मल हो गये हैं, यदि माननीय सदस्य को कोई और सूचना हो तो उसकी जानकारी प्राप्त की जायगी।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि योजना समितियों द्वारा स्वीकृति भाग समय से न मिलने और वर्षान्त में लैप्स हो जाने से कोटा जितना कि पूरा होना चाहिये अधिक से अधिक पूरा नहीं हो रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—साधारणतः यह बात नहीं है, सम्भव है कहीं-कहीं हो, यदि यह चीज सरकार के नोटिस में लायी जायगी तो उसका उपचार किया जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि सकार द्वारा जिला प्लानिंग समेटीज को कोई आदेश जारी किया गया है कि अब पंचायत घरों को सरकार से कोई अनुदान नहीं मिल सकेगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह जरूर लिखा गया है कि अब केवल पंचायत घर न बनाये जायं। पंचायत घर के साथ स्कूल या सीड स्टोर और कोई चीज बनाकर पंचायत घर बनाये जायं।

भरथना टाउन एरिया को सड़कों के निर्माण के लिये धन की आवश्यकता

*१७—श्री मिहरबानसिंह (जिला इटावा)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री भरथना (इटावा) टाउन एरिया को कुछ ग्रान्ट व लोन सड़कों को सुधारने के लिये देने का विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—ऐसा कोई प्रस्ताव तत्काल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री मिहरबानसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष इटावा जिले के टाउन एरियाज को कोई धन लोन या ग्रांट के रूप में दिया गया ? यदि दिया गया तो किन किन को ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं।

श्री मिहरबानसिंह—क्या माननीय मंत्री जी भरथना टाउन एरिया की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए वहां की सड़कों के निर्माण के लिये लोन तथा ग्रान्ट देने पर विचार कर रही हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—सरकार के पास जो धन इस काम के लिये है उसके लिये प्रार्थना-पत्र मांगे गये हैं, उनके आने पर उन पर सरकार विचार करेगी और जिन को देना आवश्यक समझा जायगा धन दिया जायगा।

कानपुर जिले की गांव पंचायतों में ग़बन

*१८—**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)—क्या यह सही है कि कानपुर जिले की गांव पंचायतों के पर्सनल लेजर का रुपया जो जिला प्लानिंग आफिसर के पर्सनल लेजर में जमा था उसमें कई हजार रुपये का गबन है ? अगर हां, तो यह गबन सम्बन्धी शिकायत कब मिली और कितने हजार रुपये का गबन है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या यह सही है कि उपरोक्त मद के हिसाब की गड़बड़ी करने के अभियोग में कोई संबंधित कर्मचारी मुअत्तल किया गया था ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, एक कर्मचारी श्री नमो नारायण निलम्बित किये गये थे ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस की मुअत्तली का क्या कारण है ? क्या सरकार इस पर प्रकाश डालगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—उन को कुछ रुपया वसूल हुआ जिस को उन्होंने पर्सनल लेजर में जमा नहीं किया, इसी अभियोग में उनको निलम्बित किया गया ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कितने रुपये की गड़बड़ी थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—६४४५ रुपया १२ आना के विषय में ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने गबन किया ।

श्री शिवनारायण—इस ६००० रुपये में से अब तक कुछ वसूल हुआ है या नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, उसमें से ४८५० रुपया वसूला जा चुका है ।

श्री शिवनारायण—जो रुपया बाकी रह गया है उस की वसूली के लिये क्या कार्य-वाही की जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—बाकी रुपया वसूल करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ६००० रुपया कितने दिन तक उस कर्मचारी के पास रहा ?

श्री कैलाशप्रकाश—इन ६०००रुपये के गबन का पता एक दम नहीं लगा, वह साल ब साल वसूली करता रहा और किसी को इसका पता नहीं चला, बाद में जब जांच-पड़ताल हुयी तो पता लगा और हिसाब देखा गया तो मालूम हुआ कि पिछले दो-तीन वर्षों से वह रुपया अपने पास रखता रहा ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार इस मुअत्तल किये गये कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्य-वाही करने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि यह जांच डिपार्डमेंटल करायी गयी या पुलिस इन्वेस्टीगेशन हुआ ?

श्री कैलाशप्रकाश—अभी तो विभागीय कार्यवाही हो रही है और विभाग द्वारा ही रुपये की वसूली का प्रयत्न हो रहा है ।

घाघरा तथा बड़ी गंडक नदियों से पूर्वी जिलों को क्षति

*१९—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार को इसकी जानकारी है कि गोरखपुर में घाघरा तथा देवरिया में बड़ी गंडक इस समय भी उपजाऊ भूमि तथा गांव काट रही है ? यदि हां, तो कहां कहां और उसके बचाव के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री राममूर्ति—घाघरा और बड़ी गंडक दोनों नदियों के किनारे पर कटाव के कारण बहुत अधिक हानि होती है। इन नदियों की ऐसी दशा पूर्वी जिलों सीतापुर, लखीपुर, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ व बलिया आदि में होती है ।

इन नदियों को तट काटने से रोकने के लिये और इनको निर्धारित मार्ग पर चलाने के हेतु विस्तृत जांच-पड़ताल की जा रही है ।

*२०—श्री गेंदासिंह—बाढ़ से बचाव के लिये प्रदेश में कहां कहां पर क्या कार्यवाही हो रही है और उस पर कितना व्यय किया जा रहा है तथा अब तक क्या कार्य हो चुका है ?

श्री राममूर्ति—बाढ़ से बचाव के लिये आकस्मिक व अल्पकालीन योजनाओं और दीर्घकालीन साधनों का ब्योरा विवरण सूची अ, ब, स, और द माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २५१–२६२ पर)

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो गांव इस वक्त नदियों के किनारे कट रहे हैं उसकी सूचना सरकार को प्राप्त होती रहती है और अगर हां, तो किन-किन जिलों में कितने गांव कट रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना तो मिलती रहती है लेकिन इस वक्त एक-एक बताना कि कितने जिलों के कितने गांव काटे यह मुमकिन नहीं है । नोटिस मिलने पर यह सूचना दी जा सकती है ।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन नदियों के किनारे कई गांव और कई सौ घर किसानों के कट गये हैं और उनकी फसल भी कट गयी है और इस वक्त वह बे घरबार हो गये हैं और उनके लिये कहीं ठिकाना नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, यह पता है । ऐसे बहुत से गांवों को मैंने स्वयं देखा, इस साल भी देखा। मान्यवर, यह प्रश्न बहुत बड़ा है, यह बहुत व्ययसाध्य भी है और उसकी योजना भी बहुत कठिन है । हजारों मकान हरसाल कटते हैं और लाखों एकड़ जमीन भी कट जाती है । इसी कारण उसकी बड़ी विस्तृत जांच की जा रही है और उसका एस्टीमेट बनाया जा रहा है कि आखिर यह बड़ी नदियां घाघरा, राप्ती और गंगा जो लाखों एकड़ प्रतिवर्ष काट देती हैं उसका नियंत्रण करना, इन फसलों की और गांवों की रक्षा करना क्या सम्भव हो सकता है और अगर हो सकता है तो कितना खर्च होगा ।

श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी जो किसान बे घरबार हो गये हैं उनको जमीन देकर बसाने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बात यह है कि देवरिया, गोरखपुर और बस्ती में तो एक इंच भी जमीन बाकी नहीं है । नाली तक जोत ली गयी हैं रास्ते तक जोत लिये गये फिर भी अगर माननीय सदस्य कोई सुझाव दें तो सरकार उस पर अवश्य विचार करेगी ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जितना रुपया पिछले वर्ष मंजूर किया गया था उससे कम रुपया क्यों इस काम पर खर्च हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यदि सन् १६५४ से तात्पर्य है तो जितना रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन के रूप में फलड कंट्रोल बोर्ड को मिला वह ५४ तक खर्च किया जा चुका है और ५५ के लिये जो एलाटमेंट हुआ है वह चल रहा है उसमें काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद की जाती है कि उस पर पैसा खर्च होगा।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दामोदर और कोसी योजना की भांति ऐसी नदियों के लिये भी किसी योजना को बनाने के लिये राज्य की सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सामने कोई मांग की है। यदि हां, तो क्या ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—घाघरा, राप्ती, गंडक और गंगा इन नदियों को ट्रेन करने और उनसे जो कटाव होता है उसको रोकने के लिये खासी लम्बी योजना उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से बनी है और बनायी जा रही है। जितनी जांच-पड़ताल बाकी है वह हो जाने के बाद वह बन जायगी और वह भारत सरकार के, सेंट्रल फलड कंट्रोल और प्लानिंग कमीशन के सामने पेश होगी।

शारदा, घाघरा आदि नदियों के क्षेत्र के लिये बाढ़ तथा सिंचाई संबंधी योजनायें

*२१—**श्री बशीरअहमद हकीम** (जिला सीतापुर)—क्या जिला खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच और गोंडा की सरहदों के बीच के क्षेत्र को जिसमें शारदा, घाघरा और दूसरी नदियां बहती हैं बाढ़ तथा वर्षा न होने के कारण जो हानि होती रहती है उसकी रोकथाम के लिये किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न में उल्लिखित जिलों में बाढ़ निवारक योजनाओं तथा सिंचाई सम्बन्धी योजनाओं की सूची माननीय सदस्य अपनी मेज पर रक्खी हुयी विवरण पत्रिकाओं में देख सकते हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २६३–२६८ पर)

श्री बशीर अहमद हकीम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस लिस्ट में उस क्षेत्र का कोई हवाला नहीं है जिस क्षेत्र के मुताल्लिक सवाल किया है तो मैं यह समझूं कि वहां कोई काम नहीं हुआ है या आयन्दा होने के लिये भी कोई योजना सरकार ने नहीं बनायी है ?

श्री राममूर्ति—जहां काम नहीं हो रहा है वहां सर्वे हो रहा है और जब सर्वे की रिपोर्ट आ जाती है तो वहां काम करने का इरादा किया जाता है।

श्री बशीर अहमद हकीम—यह जो लिस्ट दी गयी है इसमें आगे के काम को भी दिखाया गया है मगर इस क्षेत्र का कहीं जिक्र नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—किस क्षेत्र से आपका तात्पर्य है। जरा साफ करके सवाल करें। गोल सवाल का तो गोल जवाब ही मिलेगा ?

श्री बशीर अहमद हकीम—शारदा और घाघरा दोनों नदियों के दर्मियान का जो इलाका है जिसकी सरहदें खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच और गोंडा जिलों से मिलती हैं, इस इलाके के मुताल्लिक मेरा सवाल था लेकिन जवाब में कहीं इस इलाके का कोई जिक्र नहीं है।

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य ने जिस क्षेत्र का जिक्र किया था उसमें जिलों का जिक्र किया था, सरहदों का जिक्र नहीं। इसलिये जिलों के बारे में जवाब दिया गया है और जहां जहां का सर्वे हो गया है वहां का जिक्र कर दिया गया है। अगर सरहदों का सवाल किया गया होता तो उसका भी ब्योरा दे दिया गया होता।

(†अ,ब,स,द और य)

इटावा स्टम्प नहर में लगी भूमि

*२२—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नानहूं (अलीगढ़) से एटा तक कोई नहर ऐसी है, जिसका इस्तेमाल कतई नहीं होता ?

श्री राममूर्ति—इटावा स्टम्प नामक एक नहर है जो इस समय सिंचाई के काम में नहीं आती है ।

*२३—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस नहर खारिजा की जमीन के इस्तेमाल की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो क्या और अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—नहर खारिजा की जमीन के इस्तेमाल की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है, इस समय अधिकतर भूमि वन विभाग द्वारा पेड़ लगाने के काम में लायी जा रही है ।

*२४—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस नहर में कुल कितनी जमीन लगी है ?

श्री राममूर्ति—१२९३ एकड़ ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय सिंचाई मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह नहर कब से सिंचाई के काम में नहीं आ रही है और उसके क्या कारण हैं ?

श्री राममूर्ति—गंगा कैनाल जब बन गयी तो उसके बाद से ऊपरी हिस्सा छोड़ दिया गया और कितना इलाका पड़ा हुआ है वह वन विभाग को दे दिया गया और उन्होंने वहां पेड़ लगा लिये हैं ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलायेंगे कि उनके पास वहां की जनता से ऐसी कोई मांग आयी थी कि इस नहर की जमीन को भूमिहीन किसानों में बांट दिया जाय । यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया ?

श्री राममूर्ति—ऐसी मांगें वक्त वक्त पर आयी हैं, लेकिन उस जमीन को ठीक करने में करीब १६ लाख का खर्चा पड़ता है और उससे जो जमीन निकलेगी वह करीब १२००,१३०० एकड़ जमीन निकलेगी । इस तरह से उस पर इतना ज्यादा खर्चा होगा कि जिसकी वजह से उसकी उपयोगिता जाती रहेगी ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे जब वे अलीगढ़ का दौरा करने गये थे तो पब्लिक मीटिंग में कह आये थे कि नहर में जो जमीन लगी हुयी है वह किसानों को बांट दी जायगी और नहर की पटरी पर सड़क बना दी जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं कैसे कहूं कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह गलत है, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि मैंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया था । यह प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हुआ था कि इसको किसानों में बांट दिया जाय और यह सवाल भी पेश हुआ कि सड़क बना दी जाय । मैंने यह जरूर कहा था कि इस विषय पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लेंगे और बाटने में जो दिक्कत और तरदुद्द है उसके सम्बन्ध में उत्तर दिया जा चुका है । सड़क का मामला अवश्य विचाराधीन है ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि किसान वह जमीन स्वयं तोड़ लें तो सरकार को कोई खर्चा नहीं पड़ेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक बात और सोचने की है कि अलीगढ़, इटावा, आगरा और मथुरा के ऐसे जिले हैं जहां रेगिस्तान बढ़ता चला आ रहा है । इस जमीन के ऊपर

जो ३८ मील है करीब ४ लाख के पेड़ लगे हुये हैं। अच्छा खासा जंगल तैयार हो गया है। जहां सरकार की यह नीति हो कि जंगल काटे न जायं वहां ३८ मील में लगा हुआ जंगल कटवा देना मैं समझता हूं कि बहुत मुनासिब न होगा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है, सरकार बताने की कृपा करेगी, कि मंत्री जी जब दौरा करने गये थे तो जनता ने शिकायत की कि जंगल इतना घना हो गया है कि मशहूर डाकुओं के गैंग उसी जंगल में रहते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—डाकू तो भगवान की कृपा से जल्दी-जल्दी मारे जा रहे हैं।

पूर्वी यमुना नहर में कांधला के निकट साइफन चौड़ा करने की आवश्यकता

*२५—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि पूर्वी यमुना नहर में ग्राम फतहपुर पुल (कांधला के पास) के निकट साइफन छोटा होने के कारण बरसाती पानी रुकने से ग्राम फतेहपुर, गूजरपुर, आल्दी इत्यादि की खरीफ की फसलें नष्ट हो जाती हैं ?

श्री राममूर्ति—पूर्वी यमुना नहर में ग्राम फतेहपुर पुल (कांधला के पास) के निकट साइफन से बरसाती पानी के निकलने में कोई रुकावट नहीं होती और उक्त ग्रामों में पानी रुकने से खरीफ की फसलें नष्ट नहीं हुयीं।

*२६—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि वे ग्राम इस आपत्ति से बच सकें ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राममूर्ति—इस ग्राम के बरसात के पानी के निकास का प्रबन्ध विद्यमान है अतः नया नाला बनाने या साइफन को चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है।

*२७—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस-किस नाले का पानी इस साइफन से गुजरता है ?

श्री राममूर्ति—गूजरपुर, मलकपुर और खन्द्रावली नाले साइफन के ऊपर आल्दी नाले में मिलते हैं और इन सब नालों का पानी इस साइफन से गुजरता है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस अधिकारी के द्वारा जांच करायी है कि वहां पानी नहीं रुकता और साइफन काफी बड़ा है ?

श्री राममूर्ति—जांच तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जरिये से होती है। असिस्टेंट इंजीनियर जाते हैं और अगर ज्यादा जरूरत समझी जाती है तो एक्जिक्यूटिव इंजीनियर जाया करते हैं।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न ९ दिनांक २९ दिसम्बर, १९५२ के उत्तर में यह कहा गया था कि इस सम्बन्ध में चीफ इंजीनियर को लिख दिया गया है कि जिलाधीश द्वारा उचित कार्यवाही की जायगी, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति—चीफ इंजीनियर को जरूर लिखा गया था और रिपोर्ट में यही दिया गया है कि उन्होंने उस साइफन को स्लोप पर ऊंचा बना दिया है। १९५४ में सात हजार रुपया खर्च हुआ और अब पानी का बहाव पहले से बहुत अच्छा हो गया है और अब पानी वहां नहीं रुकता।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह साइफन जब दोबारा बनाया गया, तो किस अधिकारी ने जांच की कि यह दोबारा ठीक हो गया है ?

श्री राममूर्ति—अधिकारी का नाम इसमें दर्ज नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया उन सब कामों की देखरेख एक्जीक्यूटिव इंजीनियर किया करते हैं।

राज्य का सिंचित क्षेत्र

*२८—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार जिलेवार एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी कि जिससे यह पता चले कि सन् १६५२ ई० में सिंचाई की भूमि का कितना क्षेत्र था और सन् १६५४ ई० तक वह कितना हो गया ?

*२६—इस सिंचाई के क्षेत्र में कितना क्षेत्र नहर का है और कितना ट्यूब-वेल्स का ?

श्री राममूर्ति—तारांकित प्रश्न संख्या २८,२६ से संबंधित सूचना की एक सूची मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २६६–२७१ पर।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय उप मंत्री महोदय सूची के अन्त में जो योग है उसे पढ़ देने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—१६५१–५२ में ७८ लाख ३ हजार २ सौ ५८ और १६५३–५४ में ६० लाख ६७ हजार ८ सौ ११।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो यह १२ लाख ६४ हजार ५ सौ २३ एकड़ की बढ़ोत्तरी हुयी है इसमें पूर्वी जिलों का हिस्सा केवल ७५ हजार ४ सौ ६८ एकड़ ही क्यों आता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पूर्वी जिलों में काम प्रायः १६५२–५३ से शुरू हुआ है। १६५३–५४ की यह रिपोर्ट है। अगर माननीय सदस्य १६५५–५६ में सवाल करेंगे तो कदाचित पूर्वी जिलों के अधीन बहुत अधिक रकबा उनको मिलेगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर जिलों का कोई जिक्र, किसी एक इंच का भी, इस लिस्ट में क्यों नहीं आया है ?

श्री राममूर्ति—अभी अर्ज किया कि उस जमाने में वहां काम शुरू ही नहीं हुआ था। उसका जिक्र कैसे होता।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि आगरा और मथुरा जिलों में सिंचित एरिया में कोई बृद्धि नहीं हुयी है ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—क्योंकि वहां न तो नहरों का क्षेत्र ही बढ़ा है और न नहरें ही, इसलिये कोई बृद्धि नहीं हुयी है।

रायबरेली जिले में नलकूपों की आवश्यकता

*३०—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज तक रायबरेली जिले में कितने ट्यूबवेल बनवाये गये ?

श्री राममूर्ति—रायबरेली जिले में अभी तक कोई राजकीय नलकूप नहीं बनाये गये हैं।

*३१—श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिला में तहसील डलमऊ के पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र में जहां-जहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं वह ट्यूबवेल बनवाने को सोच रही है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं ।

श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली के अन्तर्गत आज तक कोई नलकूप न बनने का क्या कारण है ? क्या कोई असुविधा है ?

श्री राममूर्ति—रायबरेली में ज्यादातर एरिया को इस वक्त तक कैनाल से पानी मिल रहा है, और गंगा के खादर का जो हिस्सा है उसमें इतने रेविन्स हैं, कि वहां पर कोई इरिगेशन का काम हो नहीं सकता ।

श्री गुप्तार सिंह—क्या सरकार जिन क्षेत्रों में नहरों से सिंचाई नहीं होती और न हो सकने की कोई संभावना है वहां पर ट्यूब वेल बनाने की बात पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसे जिले जहां नहरों की सिंचाई अच्छी है करीब-करीब उनका तीन चौथाई एरिया नहरों से कवर हो जता है, वहां ट्यूबवेल बनाने पर तभी विचार होगा जब ऐसे एरियाज में जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है काम खत्म हो जाय ।

शाहगंज-सुल्तानपुर रोड के उत्तर गंगोली ग्राम में राजकीय नल कूप लगाने का विचार

*३२—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहगंज-सुल्तानपुर रोड के उत्तर सूखाग्रस्त गंगौली ग्राम में जहां पानी का अभाव है वहां नलकूप लगाया जायगा ?

श्री राममूर्ति—जी हां, एक राजकीय नलकूप लगाने का विचार है ।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह विचार कबतक कार्यरूप में परिणत हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—अब वर्षा ऋतु खत्म हो रही है, काम शुरू ही होने वाला है ।

मिर्जापुर शहर में गंगा घाटों को क्षति

*३३—श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर शहर में गंगा जी के किनारे के प्रायः सभी पक्के घाटों की व्यवस्था बहुत शोचनीय हो रही है और वे बराबर टूटते जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—जी हां ।

*३४—श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार मिर्जापुर शहर के गंगा घाटों की सुरक्षा का प्रबंध करके निकट भविष्य में मिर्जापुर नगर को आगे और करने तथा नष्ट होने से बचाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—मिर्जापुर शहर के गंगा घाटों की सुरक्षा और नगर को कटाव से बचाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की ओर प्रकाश डालेंगे ?

श्री राममूर्ति---इस सम्बन्ध में हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसर्च स्टेशन है वहां पर यह प्रश्न दिया गया है और वहां पर ही इसका सर्वे और जांच पड़ताल हो रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि जब कोई रिपोर्ट आयेगी तभी उसके खर्चे का एस्टीमेट लगाया जायगा ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर के घाटों के सम्बन्ध में अभी तक कोई अनुमानित व्यय या आंकड़े बनाये गये हैं ?

श्री राममूर्ति---मैंने अभी निवेदन किया है कि उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आयी है। उसके आने के बाद ही कोई एस्टीमेट खर्चे का बनाया जायगा ।

दुर्घटनाओं से बचने के लिये नलकूप विभाग के कर्मचारियों को आदेश

*३५---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नलकूप विभाग में सन् १९४८ से अब तक कितने सेक्शनल मिस्त्रियों की मृत्यु कूपों पर कार्य करते हुये दुर्घटना से हुयी है, तथा इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के प्रश्न पर क्या विचार किया गया है ?

श्री राममूर्ति---नलकूप विभाग में सन् १९४८ से अब तक ५ सेक्शनल मिस्त्रियों की मृत्यु नलकूपों पर कार्य करते हुये दुर्घटना से हुयी है। इनमें से ४ की मृत्यु बिजली के धक्के से तथा १ की मृत्यु फलोर बोर्ड में गिरने से हुयी थी ।

इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के प्रश्न पर विचार किया गया है, और नलकूप पर काम करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं कि वे बिजली के यंत्रों का उपयोग करते समय सावधानी बरतें । बिजली की मशीनों तथा तारों को उचित रूप से पृथ्वी के सम्पर्क में लाने का भी प्रबंध किया गया है ।

*३६---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या इस विषय पर इलेक्ट्रिक इन्सपेक्टर, उत्तर-प्रदेश, लखनऊ ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिये हैं ?

श्री राममूर्ति---जी हां । इलेक्ट्रिक्क इन्सपेक्टर ने उपरोक्त घटनाओं में से एक के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये । उन सुझावों के आधार पर ट्यूबवेल आपरेटरों तथा उन कर्मचारियों को, जो ट्यूबवेल पर काम करते हैं, आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

*३७---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नलकूप पर जो सरकारी मशीन आदि सामान होता है, उसकी निगरानी का उत्तरदायित्व किस कर्मचारी पर होता है ?

श्री राममूर्ति---ट्यूबवेल की सरकारी मशीन आदि सामान ट्यूबवेल आपरेटर के चार्ज में रहता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जिन पांच मिस्त्रियों की मृत्यु दुर्घटनावश हुयी उनको कोई मुआवजा दिया गया या नहीं ?

श्री राममूर्ति---इस रिपोर्ट में तो नहीं है सूचना मिलने पर मैं आपको बता सकता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर महोदय ने क्या मुख्य सुझाव दिये थे, और वह क्या मुख्य निर्देश किये गये ?

श्री राममूर्ति---उनकी रिपोर्ट में लिखा गया है :--- "इसलिये सिंगल फेज मीटर के एक फेज और जमीन के तार को मिलाकर चलाना उचित नहीं है, तथा रोशनी के लिये जमीन के तार का प्रयोग न्यूट्रल के रूप में करना वर्जित है । इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश ट्यूबवेल आपरेटरों तथा उन कर्मचारियों को जो ट्यूबवेल पर काम करते हैं, दे दिये गये हैं और उनसे प्रतिज्ञा पत्र लिखवाया जाता है कि वे बिजली के यंत्रों तथा तारों में कोई हस्तक्षेप न किया करें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि ट्यूबवेल की मशीन आदि की जिम्मेदारी यानी उसका उत्तरदायित्व सेक्शन मिस्त्रियों आदि पर भी है ?

श्री राममूर्ति—वह आपरेटर के पास रहती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास सेक्शन मिस्त्रियों के एसोसियेशन की ओर से शिकायतें आयी हैं कि कुछ सरकारी कर्मचारियों ने इस आदेश के विरुद्ध सेक्शन मिस्त्रियों पर उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति—कुछ इस वक्त याद नहीं, पर अगर माननीय सदस्य इस बारे में लिख कर दें तो और मालूमात की जा सकती है ।

मिर्जापुर जिले में मृतक पशुओं को उठाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र

*३८—श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)—क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला मिर्जापुर के विधान सभा के सदस्यों की ओर से २४ मार्च, १९५४ तथा २४ सितम्बर, १९५४ई० को मृतक पशुओं के चमारों द्वारा उठाने के अधिकारों के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया गया था ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां ।

*३९—श्री रामस्वरूप—यदि हां, तो अब तक उक्त विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—सरकार ने मृतक पशुओं की खाल उतरवाने और उनको दफनाने का उचित प्रबंध गांव सभाओं द्वारा करने का समुचित और यथासम्भव प्राविधान पंचायत राज नियम संख्या १४५–ए में कर दिया है ।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी ने जो समुचित व्यवस्था की है उस पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—उसमें यह है कि यदि जिस व्यक्ति का पशु मर गया है वह उसको उठाने का कोई प्रबंध न करे, तो वहां की गांव पंचायत उस पशु को उठाने का और उसकी खाल उतरवाने का प्रबंध कर सकती है और उससे उसकी मजदूरी ली जा सकती है ।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर यह बतलायेंगे कि जो प्रार्थना पत्र दिया गया था विधायकों की ओर से, उसमें उनकी ओर से क्या मांग की गयी थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—माननीय अध्यक्ष महोदय ! जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसकी मांगें पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष—पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप मुख्य मांगें पढ़ दें ।

श्री कैलाश प्रकाश—मृतक पशु के चमड़े उठाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों का ही स्वामित्व माना जाय ।

उठाने वाले व्यक्तियों को मृतक पशु उठाने की उचित मजदूरी निर्धारित की जाय ।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि मृतक पशु उठाने वालों के लिये क्या मजदूरी उन्होंने निर्धारित की है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह प्रश्न केवल उस समय उठता है जब ग्राम पंचायत उन से उन पशुओं को उठवावे । जब तक पशु का स्वामी स्वयं उसको उठवाने का प्रबंध करता है उस समय तक यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि विधायकों से जबरदस्ती मृतक पशुओं को उठवाया जाता है और उनसे उलटा जूता लिया जाता है ?

श्री कैलाशप्रकाश—नहीं कोई सूचना ऐसी तो नहीं है और आज मेरे विचार से प्रदेश में कोई काम जबरदस्ती कराया नहीं जा सकता ।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि मिर्जापुर में जबरदस्ती मरे हुए पशुओं को उठवाया जाता है और उनसे जूता लिया जाता है ?

श्री कैलाशप्रकाश—हां, इसकी जांच करायेगी । किन्तु माननीय सदस्य स्वयं भी इसका उपचार कर सकते हैं, क्योंकि जबरदस्ती तो, कोई ऐसा नियम है नहीं कि किसी से कोई काम लिया जा सके ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी उस प्रार्थना पत्र को पुनः देखने की कृपा करेंगे ? उसमें स्वयं इस बात की शिकायत की गयी है कि स्वयं उनसे जूता लिया जाता है ? जो आवेदन पत्र दिया गया है उसमें स्वयं लिखा हुआ है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के अस्थायी इंजीनियर

*४०—**श्री बद्रीनारायण मिश्र**—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० में कितने इंजीनियर टेम्पोरेरी हैं, वह क्यों टेम्पोरेरी रखे गये हैं तथा उन्हें मुस्तकिल करने में सरकार को क्या दिक्कतें हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समय सार्वजनिक निर्माण विभाग में ८५ इंजीनियर टेम्पोरेरी हैं । इनमें से २८ इंजीनियरों को स्थायी करने का प्रश्न विचाराधीन है और वे शीघ्र ही स्थायी कर दिये जायेंगे । इस विभाग का काफी कार्यभार अस्थायी प्रकृति का रहता है और उसके लिये अस्थायी इंजीनियरों का रखा जाना अनिवार्य है । इस बात का ध्यान रखते हुये कि कितना कार्यभार स्थायी रूप का होगा, और उसके लिये कितने स्थायी इंजीनियरों की आवश्यकता होगी, इंजीनियरों के पद स्थायी किये जाते हैं । १ अप्रैल, १९५५ से इंजीनियरों के १३ पद स्थायी किये गये हैं और इस बात की शीघ्र जांच की जायगी कि आगामी वर्ष में कितने पद स्थायी किये जा सकते हैं ।

श्री नवलकिशोर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इंजीनियर्स को परमानेंट करने के लिये उनके पास कोई ऐसा वर्क लोड है, जिसके अनुसार वह उनको परमानेन्ट बनायेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, वर्क लोड के हिसाब से भी इंजीनियर्स को परमानेन्ट किया जाता है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पी०डब्ल्यू०डी० में कितने ऐसे इंजीनियर्स हैं, जो रिटायर हो चुके हैं और फिर वह रिएम्पलाय किये गये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

*४१—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[२० सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४२—**श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय** (जिला गोरखपुर)—[७ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

नोट:—तारांकित प्रश्न ४० के पश्चात प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

आजमगढ़ जिले में सहनूपुर बांध पर व्यय

*४३—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में नदी के किनारे सहनूपुर पर जो बांध बन रहा था उस पर अब तक कुल कितना खर्च हो चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में सहनूपुर पर जो एक मील लम्बा बांध टेस्ट वर्क के तौर पर जिलाधीश द्वारा बनाया गया उस पर १०,९२९ रुपया खर्च हुआ। इसके उपरान्त एक ३० मील लम्बे महीला गढ़वल बन्ध का आयोजन हुआ जिसकी जांच और सर्वे पर ६,००० रुपया व्यय हुआ।

गढ़वाल तथा टेहरी-गढ़वाल जिलों के टाउन तथा नोटीफाइड एरिया

*४४—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल में कितने टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया हैं और प्रत्येक की जन-संख्या और वार्षिक आय क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर—वांछित सूचना की विवरण पत्रिका सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २७२ पर)

*४५—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि श्रीनगर (गढ़वाल) टाउन एरिया कांग्रेस कमेटी का एक डेपुटेशन माननीय स्वशासन मंत्री जी से टाउन एरिया को नोटीफाइड एरिया में परिवर्तित कराने के लिये मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर—तत्काल श्रीनगर को नोटीफाइड एरिया बनाने का प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार नहीं किया।

*४६—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि श्रीनगर गढ़वाल टाउन एरिया के सदस्यों ने त्यागपत्र दिया है ? यदि हां, तो क्यों और कब ?

श्री सैयद अली जहीर—तारीख ५ मार्च, १९५४ के अपने पत्र में कमेटी के सदस्यों ने यह सूचित किया था कि चूंकि सरकार श्रीनगर को नोटीफाइड एरिया घोषित करने में विलम्ब कर रही है, और उसने नगर की बाईपास रोड का निर्माण कमेटी के विरोध करने पर भी स्थगित नहीं किया है, अतः कमेटी के समस्त सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सामूहिक रूप से त्याग पत्र प्रस्तुत करते हैं।

अल्मोड़ा–रामगढ़–भीमताल सड़क के निर्माण की आवश्यकता

*४७—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार अल्मोड़ा नगर को मोटर मार्ग द्वारा ताकुला होते हुये बागेश्वर से और रामगढ़-भीमताल होते हुये काठगोदाम से जोड़ने का इरादा रखती है ?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जी नहीं। अल्मोड़ा–ताल्लुका–बागेश्वर सड़क के निर्माण के प्रश्न पर द्वितीय पंच वर्षीय योजना बनाते समय विचार किया जावेगा। सरकार ने अल्मोड़ा–खैरना सड़क का निर्माण स्वीकार कर लिया है, और उस पर इस साल निर्माण कार्य प्रगति कर रहा है। इस सड़क के निर्माण से अल्मोड़ा काठगोदाम के मोटर मार्ग की लम्बाई करीब ३० मील कम हो जावेगी। अतः अल्मोड़ा–रामगढ़–भीमताल वाली सड़क के निर्माण की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

*४८—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या यह सही है कि पिछली बार जब राज्यपाल महोदय अल्मोड़ा गये थे तो उन्होंने काठगोदाम–भीमताल–रामगढ़–अल्मोड़ा मोटर मार्ग बनाने का सुझाव राज्य सरकार को दिया था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्री राज्यपाल महोदय ने अलमोड़ा को रेलवे स्टेशन के निकट लानेवाली मोटर की सड़क के निर्माण की आवश्यकता प्रकट की थी।

आजमगढ़-बेल्थरा सड़क का निर्माण

*४९—**श्री रामरतनप्रसाद** (जिला बलिया)—क्या सरकार को पता है कि आजमगढ़ से मधुबन होते हुये जो सड़क बेल्थरा रोड स्टेशन के दक्षिण रेलवे लाइन को क्रास करती है, वह कब तक बन जायेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आजमगढ़ से मधुबन होते हुये जो सड़क बेल्थरा की ओर जाती है, वह आजमगढ़ मोहम्मदाबाद, मोहम्बदाबाद घोसी, घोसी मधुबन तथा मधुबन बिल्थरा भागों में बंटी हुयी है। इनमें से आजमगढ़ मोहम्मदाबाद, आजमगढ़ बलिया रोड का भाग है। तथा मोहम्मदाबाद घोसी और घोसी मधुबन क्रमशः ओ०डी०आर तथा एम०डी०आर के रूप में तैयार कर दी गयी है। केवल मधुबन बिल्थरा ओ०डी०आर का जो भाग बलिया जिले में है उस पर काम पूरा होने के करीब है। तथा लेवल क्रासिंग का काम दिसम्बर, १९५५ तक समाप्त हो जाने की आशा है।

नैनीताल जिले की सरगाखेत पहाड़-पानी मोटर सड़क

*५०—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या यह सही है कि नैनीताल जिले की सरगाखेत-पहाड़-पानी मोटर रोड निर्माण हेतु अभी तक काम नहीं शुरू किया गया ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार की सम्मति न मिलने के कारण कार्य आरम्भ न किया जा सका।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में नई रेलवे लाइनें बनाने का विचार

*५१—**श्री कृष्णशरण आर्य** (जिला रामपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या केन्द्रीय सरकार से दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन्हीं नयी रेलवे लाइनों को उत्तर-प्रदेश में बनाये जाने का प्रस्ताव किया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

*५२—**श्री कृष्णशरण आर्य**—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ये रेलवे लाइनें कौन सी हैं तथा किस प्राथमिकता के अनुसार उनकी मांग की गयी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्राथमिकता के अनुसार मांगी गयी रेलवे लाइनों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ—२७३—पर)

पूर्वी नयार नदी पर ग्राम कांडा तथा डुमैला के निकट पुलों के निर्माण पर विचार

*५३—**श्री रामप्रसाद नौटियाल** (जिला गढ़वाल)—क्या यह सत्य है कि जिला गढ़वाल के अन्दर लैन्सडाउन डिवीजन में पूर्वी नयार नदी पर २४ मील की लम्बाई पर चौमासु से मजियाड़ी सेड़ तक कोई पुल न होने के कारण पी० डब्ल्यु० डी० द्वारा स्थान पुछड़ी में पुल बनवाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो यह पुल कब तक बन जायेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—पूर्वी नयार नदी पर ग्राम कांडा तथा डुमैला के निकट पुलों के निर्माण के प्रस्ताव पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है पुछली पर पुल निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बघौच घाट पर पुल-निर्माण की आवश्यकता

*५४—श्री राजवंशी (जिला देवरिया)—बघौच घाट पर जो पुल बनवाने के लिये सरकार ने गत वर्ष सप्लीमेंटरी बजट में ग्रान्ट स्वीकार की थी उस पुल को बनाने की शुरुआत हो गयी है कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं। जुलाई, १९५३ में सरकार ने बघौच घाट के पुल का निर्माण कार्य इस शर्त पर स्वीकृत किया था कि लागत का २/३ भाग जनता तथा जिला बोर्ड वहन करेगा तथा शेष १/३ सरकार प्रदान करेगी। परन्तु डिटेल्ड सर्वे के बाद उक्त पुल की लागत बढ़ गयी थी। जनता तथा जिला बोर्ड द्वारा पूरा भाग प्राप्त न हो सकने के कारण इस पर कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका। इस वर्ष इस पुल के निर्माण का कार्य सरकार ने इस शर्त पर स्वीकृत किया है कि इसकी लागत का आधा भाग जिला बोर्ड तथा जनता वहन करेगी तथा शेष सरकार देगी। उक्त कार्य के लिये जो टेंडर्स मांगे गये थे वे ऊंचे होने के कारण स्वीकार नहीं किये जा सके। टेंडर्स दुबारा मांगे जा रहे हैं।

*५५—श्री राजवंशी—क्या सरकार को मालूम है कि बघौच घाट के आस-पास जरायम पेशा लोग अधिक रहते हैं और यातायात के साधन ठीक न होने के कारण बरसात के दिनों में सरकारी अधिकारी वहां नहीं पहुंच पाते ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रथम भाग—जी हां, बघौच घाट के पास कुछ बदमाश जरूर रहते हैं, परन्तु यह सत्य नहीं है कि आदी जरायम पेशा लोग उसके निकट रहते हैं।

द्वितीय भाग जी हां। सरकारी अधिकारी आसानी से नहीं पहुंच पाते।

म्यूनिसिपल बोर्ड झांसी पर चुंगी का बकाया

*५६—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी के व्यापारियों ने उसके पास इस आशय की शिकायतें भेजी हैं कि वहां के म्युनिसिपल बोर्ड पर उनका कई सालों से जो हजारों रुपया चुंगी की वापसी का बकाया पड़ा है अदा नहीं हो रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

*५७—श्री लक्ष्मणराव कदम—यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त बोर्ड को वापसी का कितना रुपया अदा करना और गत तीन वर्षों में कितनी-कितनी रकम किस-किस वर्ष में बकाया थी ?

श्री सैयद अली जहीर—म्युनिसिपल बोर्ड झांसी को ३१ मार्च, १९५५ तक १,६६,८८७ रु० चुंगी वापसी का अदा करना बाकी है, पिछले तीन वर्षों में नगरपालिका को निम्नलिखित चुंगी वापसी की रकम चुकानी थी—

३१ मार्च, १९५३ . . . . . १,८२,४८५
३१ मार्च, १९५४ . . . . . १,८०,१७२
३१ मार्च, १९५५ . . . . . १,६६,८८७

*५८—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बोर्ड यह रुपया क्यों नहीं अदा कर रहा है और सरकार ने रुपया अदा कराने के लिये उक्त बोर्ड को क्या आदेश दिया है ?

श्री सैयद अली जहीर—वर्तमान म्युनिसिपल बोर्ड झांसी का इस विषय में यह कहना है कि पिछले बोर्ड ने आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण चुंगी वापसी की रकम अन्य मदों में खर्च कर दी, इस वजह से वह इस मद का रुपया अदा करने में असमर्थ रहा। नवीन बोर्ड इस बकाया चुंगी वापसी की रकम को यथासम्भव चुकाने में प्रयत्नशील है जैसा कि प्रश्न संख्या ५७ के उत्तर में दिये आंकड़ों से प्रकट होगा। लेकिन सरकार ने यह समझते हुये कि बोर्ड को इस प्रकार पिछली

चुंगी वापसी की रकम को अदा करने में कहीं अधिक समय न लग जाय। कलेक्टर इन्चार्ज, सांती डिवीजन को यह आदेश दिया है कि वह यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ३५ अन्तर्गत बकाया चुंगी वापसी की रकम को अदा करने के लिये बोर्ड के विरुद्ध कार्यवाही करे। सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि हुन वापसी की बकाया रकम आर्थिक वर्ष १९५६-५७ के अन्त तक अवश्य अदा हो जानी चाहिये।

प्रदेश के विद्युत हीन ट्यूबवेल

*५९—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कुल कितने ऐसे ट्यूबवेल हैं जो बन कर तैयार तो हो गये हैं परन्तु विद्युत के अभाव में उनका उपयोग नहीं हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसे नलकूपों की संख्या जुलाई, १९५५ के अन्त तक लगभग ३२५ थी। इनको शीघ्र बिजली पहुंचाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

*६०—श्री गज्जूराम—[१४ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बस्ती जिले में नहर के पानी की बाढ़ से क्षति ग्रस्त कृषकों को सहायता

*६१—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार को सूचना प्राप्त हुयी है कि बस्ती जिले में दवलहा और उसका थानों के उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी भागों में नहर के पानी की बाढ़ के कारण ६०० बीघा फसल की हानि हुयी है? अगर हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त क्षेत्र में बान गंगा नहर के शिरोभाग (Head-works) के निर्माण के समय जामुवार नदी में बहाये गये पानी से कुछ कृषकों की फसलें नष्ट हो गयी थीं।

क्षति ग्रस्त क्षेत्र की पैमाइश २५२ एकड़ भूमि है। कृषकों को ९,१७८,८० रु० का मुआवजा भी दिया जा चुका है।

नैनीताल जिले में कलसा नदी पर बांध की आवश्यकता

*६२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि तराई-भावर इलाके की सिंचाई हेतु गौला घाटी (नैनीताल) को कलसा नदी में बांध बनाये जाने के हेतु कोई सर्वे हो रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इक्जीक्यूटिव इंजीनियर की प्रारंभिक रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ कि कलसा नदी पर प्रस्तावित जलाशय के निर्माण की योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकती इसलिये विस्तृत जांच पड़ताल (survey) नहीं की गयी।

आजमगढ़ जिले में नलकूपों का निर्माण

*६३—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की सदर और फूलपुर तहसीलों में किन-किन स्थानों पर ट्यूबवेल लगाने की योजना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आजमगढ़ जिले की सदर तहसील में १४ नलकूप बन चुके हैं, तथा २ और नलकूप लगाने की योजना है। फूलपुर तहसील में ७ नलकूप बनाये जा चुके हैं। उपयुक्त स्थान मिलने पर और नलकूप बनाने पर विचार किया जायगा। नलकूप के स्थानों की सूची 'क' संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २७४ पर)

*६४—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि इन तहसीलों में कुछ स्थानों पर ट्यूबवेल की योजना असफल रही ? यदि हां, तो कहां-कहां और वहां सरकार का क्या खर्च पड़ा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन तहसीलों में जिन स्थानों पर ट्यूबवेल असफल रहे हैं उनका ब्योरा संलग्न सूची "ख" में दिया हुआ है ।

इन असफल नलकूपों पर सरकार का लगभग २ लाख ५० हजार रुपया खर्च हुआ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २७५ पर)

*६५—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ शहर में ट्यूबवेल कालोनी बसाने के लिये वह कितना रुपया व्यय करने जा रही है और इस सम्बन्ध में अब तक कौन-कौन से निर्माण-कार्य हो चुके हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आजमगढ़ शहर में ट्यूबवेल कालोनी बनाने के लिये लगभग २ लाख २५ हजार रुपया व्यय होगा । अब तक जो निर्माण-कार्य हुये हैं उनकी सूचना संलग्न सूची "क्ष" में दी हुयी है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ २७६ पर)

गोंडा जिले की बलरामपुर तहसील में सिंचाई के लिये नलकूपों की आवश्यकता

*६६—श्री उम्मेदसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार को मालूम है कि बलरामपुर तहसील (गोंडा) के बड़े भाग में राप्ती नदी से उत्तर पिपरा तक सिंचाई सम्बन्धी कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है ?

*६७—श्री उम्मेदसिंह (जिला गोंडा)—यदि हां, तो सरकार ने उपर्युक्त क्षेत्र में अब तक नलकूप या अन्य सिंचाई सम्बन्धी कोई निर्माण कार्य क्यों नहीं किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तहसील बलरामपुर में राप्ती नदी से उत्तर क्षेत्र की सिंचाई गनेशपुर कोहार गड्डी और बसेहवा बांधों की पुरानी नहरों से होती है । सरकार ने हाल ही में बघेलखंड और मझगवां बांध बनाये हैं, जिनसे सितम्बर, १९५५ से सिंचाई प्रारम्भ हो जायगी। दो और बांध गिरगिटी और खैरवान पर निर्माण कार्य चालू है और एक साल में इन कार्यों के पूरा होने की आशा है । १४ अन्य छोटे जलाशय पर जांच एवं खोज प्रगति पर है । सस्ती विद्युत शक्ति के अभाव में नलकूपों का निर्माण किया जाना उचित नहीं समझा गया ।

*६८-६९—श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—[२१ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या १६-१७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

बनारस जिले में वरुण नदी पर पुल तथा रेगुलेटर बनाने की योजना

१—श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—क्या सिंचाई मन्त्री कृपा करके बतायेंगे कि बनारस जिले में वरुण नदी पर कोनियां ग्राम के पास कोई बांध बनाने की योजना उनके विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बनारस जिले में वरुण नदी पर कोनियां ग्राम के पास एक पुल तथा रेगुलेटर बनाने की योजना सरकार ने मंजूर की है। उक्त पुल इस प्रकार बनाया जायगा कि वह पुल तथा पानी रोकने के लिये बांध का भी काम करेगा ।

आगरा में हीवेट पार्क और विजयनगर कालोनी के बीच एकत्रित राख

२—**श्री देवकी नन्दन विभव**—क्या स्वशासन मंत्री को विदित है कि आगरा के मुख्य उद्यान हीविट पार्क और विजय नगर कोलोनी के बीच में बहुत दूर तक किसी व्यक्ति ने अनधिकार रूप से कोयला और कचरा इकट्ठा कर दिया है, जिससे नगर के स्वास्थ्य को एक विशेष खतरा पैदा हो गया है। यदि हां, तो सरकार उसे दूर करने का क्या प्रयत्न कर रही है?

श्री सैयद अली ज़हीर—हिविट पार्क और विजय नगर कालोनी के बीच में कोयला या कचरा एकत्रित नहीं है, परन्तु पार्क के उत्तर में जमीन के एक टुकड़े पर कोलये की कुछ राख एकत्रित कर रखी गयी है। सरकार को इससे नगर के स्वास्थ्य को कोई हानि पहुंचने की सूचना नहीं है। प्रशासक नगरपालिका इसे हटाने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं।

३—**श्री देवकीनन्दन विभव**—क्या यह जमीन जहां कचरा इकटठा किया गया है सरकारी एक्वीजीशन में है?

श्री सैयद अली ज़हीर— जी नहीं।

जिला बुलन्दशहर में सिल्ट ट्रप का निर्माण

४—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नगर माठ ब्रांच मील नं० ४ मे ग्राम म्यावाली जिला बुलन्दशहर में नशेब को दूर करने के लिये एक डिग्गी बनाई जा रही है। यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होगा उसके लिये किसानों की भूमि किस शर्त पर ली गई है?

श्री कमला पति त्रिपाठी—माठ ब्रांच के दायें किनारे मील ३.२ से ३.६ में ग्राम प्याली रसूल पुर दसना और जैतबापुर परगना दादरी जिला बुलन्द शहर में जलमग्न व ऊसर क्षेत्र को दुर करने के लिए एक सल्ट ट्रप का निर्माण किया जा रहा है। इस पर अनुमानतः ४८,५५२ रु० व्यय होगा। उक्त सिल्ट ट्रप में किसानों की पड़ने वाली भूमि को लेने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और किसानों को उचित हर्जाना दिया जायगा।

गाजीपुर जिले के फेफरा तियरा ग्राम नें नलकूप की आवश्यकता

५—**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार गाजीपुर जिले के फेफरा-तेजपुरा ग्राम में राजकीय नलकूप बनवाने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गाजीपुर जिले के फेफरा व तेजपुरा ग्रामों का रबी क्षेत्र बहुत कम है तथा धान की सिंचाई का प्रबन्ध गोंधनी ड्रेन में रेगुलेटर लगा कर किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त क्षेत्र का भू स्तर भी नलकूप के लिये अनुकूल नहीं है। इसलिये इस समय उक्त ग्रामों में नलकूप बनवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गढ़वाल जिले में गुलाबकोटी—जोशीमठ सड़क के निर्माण पर विचार

६—**श्री चन्द्रसिंह रावत** (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गढ़वाल जिले में जोशीमठ तक मोटर सड़क कब तक तैयार हो जायेंगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—पीपलकोटी तक मोटर मार्ग बन ही चुका है और उस पर मोटर यातायात पिछले कई साल से चल रही है। पीपलकोटी से गुलाब कोटी तक सड़क निर्माण का कार्य चालू है, और आशा है कि यह काम सन् १९५७ के अन्त तक पूरा हो सकेगा।

गुलाबकोटी–जोशीमठ सड़क के निर्माण के लिये सरकार केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी कर रही है और अगर अनुमानित व्यय का प्रबन्ध हो गया तब उस पर भी काम आरम्भ किया जायेगा। यह अनुमान किया जाता है कि कार्य आरम्भ होने के दो साल के अन्दर यह सड़क का हिस्सा भी तैयार हो जायेगा।

उन्नाव जिले में नलकूपों की आवश्यकता

७—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि १९५५-५६ में उन्नाव जिले में कहां-कहां और कितने-कितने नल कूप लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

इलाहाबाद में अवैतनिक मैजिस्ट्रेट

८—श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम मुन्नन गुरु (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की संख्या क्या है ?

श्री सैयद अली ज़हीर—१३।

गाजीपुर जिले में कृषि योग्य तथा सिंचित भूमि

९—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में कितनी भूमि पर खेती होती है और उसमें कितने क्षेत्र पर सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई का प्रबन्ध किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में २,०४,३०० एकड़ भूमि पर खेती होती है। अब तक इस तहसील में १३ नलकूप व दो रेगुलेटर बन चुके हैं, जिनसे १७,००० एकड़ भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध है। इसके अतिरिक्त इस तहसील में ३३ और नलकूप लगाने का प्रस्ताव है। उस समय इस तहसील में लगभग ५४,००० एकड़ कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हो जायगी।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिए, श्री कैलाश प्रकाश द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये, एक सदस्य निर्वाचित करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को निश्चित करे, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिए श्री कैलाश प्रकाश द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

इसके अनुसार मैं निम्न कार्यक्रम निश्चित करता हूं—

नाम-निर्देशन प्राप्त करने की तिथि तथा समय—१३ सितम्बर, १९५५, सायंकाल ४ बजे।

नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय—१४ सितम्बर, १९५५, ३ बजे अपराह्न।

नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि तथा समय—२० सितम्बर, १९५५, सायंकाल ४ बजे।

यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए तिथि तथा समय की सूचना बाद में दी जायगी।

हाई कोर्ट के निर्णय में सदन की कार्यवाही के विषय में आपत्ति

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मुझे आपका ध्यान ३१ अगस्त, को हाई कोर्ट के हुए एक फैसले की ओर दिलाना है, जिसमें यहां विधान सभा में हुए कुछ प्रश्नों की ओर इशारा किया गया है। अमृत बाजार पत्रिका, सितम्बर १.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह एक अचानक प्रश्न आप उपस्थित कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह प्रिवेलेज से संबंध रखता है। नियमों के अनुसार किसी समय मोशन किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—तो वह तत्काल प्रश्नों के बाद ही किया जा सकता है। एक प्रस्ताव अब स्वीकृत हो गया और आगे का कार्यक्रम शुरू हो गया है, इसके बाद यह नहीं आयेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मुझे कुछ थोड़ी सी देर हो गई अखबार.....

श्री अध्यक्ष—आप इसको मेरे कमरे में बता दें।

कमेटी आन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व कमेटी आफ एश्योरेंसेज के निर्माण की प्रार्थना

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, असेम्बली रूल्स रिवाइजिंग कमेटी ने आपसे यह प्रार्थना की है कि कमेटी आन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और कमेटी आफ ऐश्योजरेंसेज जो हां आप आरजी तौर पर उनके नियमों को विधान सभा में बतला दें, ताकि उन पर कार्यवाही हो सके, जैसा आपने कृपा करके ऐडवाइजरी कमेटी के बारे में किया था। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है?

श्री अध्यक्ष—शायद मैंने यह निर्णय कर लिया था लेकिन मैं देर स्वयं कर गया कि सदन से मैं पूछ लूं कि ऐसा करना चाहिये और सदन मुझे अनुमति दे दे। सदन की राय वैसे ही ले लूंगा। तो मैं कल करूंगा प्रश्नों के बाद और सदन अगर इस निश्चय पर पहुंचेगा कि मुझे कर लेना चाहिये तो मैं करूंगा।

*उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—अब माननीय कृषि मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा।

†**श्री रामनरेश शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे प्रथम तो मैं आपको बधाई इस बात के लिये देना चाहता हूं कि आपके सभापतित्व में ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक उपस्थित हुआ है और उसके पश्चात् आपके द्वारा इस सदन को बधाई देता हूं कि इस सदन को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को पास करे और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा, यदि मैं माननीय कृषि मंत्री को इस बात के लिये बधाई न दूं कि उन्होंने ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक सदन के सम्मुख रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे मौजूदा कृषि मंत्री का ही सौभाग्य है कि उन्होंने इस प्रान्त के लिये आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिये दो महत्वपूर्ण विधेयक सदन के सम्मुख उपस्थित किये थे। पहला विधेयक वह था, जिसके द्वारा जमींदारी-उन्मूलन करके इस प्रान्त के किसानों की आर्थिक

---

*३१ मार्च, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

व्यवस्था को एक ऐसी जगह पर पहुंचाया जिससे कि उनके आगे आने वाली सन्तान के लिये एक अच्छा भविष्य हो। दूसरा विधेयक माननीय मौजूदा कृषि मंत्री ने ही रखा। यह भी उनके लिये सौभाग्य की बात है कि जिसके द्वारा आज इस प्रान्त की आर्थिक-व्यवस्था भविष्य में एक निश्चित स्थान पर पहुंचेगी।

मैं इसको माननीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण विधेयक इसलिये कहता हूं कि वह इस भारतवर्ष की आर्थिक व्यवस्था में गो का पालन करना आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है। जिस प्रकार से शरीर की अवस्था और व्यवस्था ठीक नहीं रह सकती यदि शरीर की रीढ़ ठीक न हो, यदि उसका पालन-पोषण ठीक से न किया जाय तो शरीर ठीक से नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार इस देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ जो है वह गाय है, और गाय के पालन-पोषण हा पर इस देश की आर्थिक व्यवस्था रही है। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम भूत काल की तरफ दृष्टि डालें तो भारत तभी बड़ा हुआ है जिस युग और काल में गाय की सेवा इस देश में ठीक से हुई है। वह समय माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश के लिये स्वर्णयुग कहा जाता है, जिसको कि हम कृष्ण का युग कहा करते हैं। कृष्ण के युग में भारत बहुत बड़ा देश था। भारत बड़ा इसलिये था कि उस समय का जो सबसे बड़ा महापुरुष जो सब से बड़ा शासक था वह सबसे बड़ा गो-भक्त और गो-सेवक था और उसके आदर्श पर चल कर के सारा समाज, सारा देश गऊ की सेवा में रत था और चूंकि सारा देश और सारा समाज गऊ की सेवा में रत रहता था, इसलिये अच्छी-अच्छी और सुन्दर-सुन्दर गायें इस देश में थीं और गऊ की नस्लें चूंकि अच्छी थीं इसलिये हमारी आर्थिक व्यवस्था उस समय इतनी अच्छी थी कि यहां पर खाने पीने की चीजों की कमी नहीं थी।

इसके बाद और युगों के इतिहास को यदि हम उठा कर देखें तो यह भी अपनी जगह पर सत्य है कि भारत के शासकों ने ऐसे आदर्श उपस्थित किये हैं, जिनके सहारे पर चलकर उस समय के समाज ने गऊ के आधार ही पर अपनी आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया था। यह एक अवसर के बाहर बात नहीं होगी जब मैं कहूं कि दिलीप और नृग के समय में भी यही व्यवस्था थी, जो कि पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान के समय में थी। इसलिए उस समय की आर्थिक व्यवस्था और जब तक भारत के हाथों में पूर्ण रूप से अधिकार और शासन या समाज चलाने का नियंत्रण था तब तक उन्होंने अपनी इस आर्थिक रीढ़ को कभी छोड़ा नहीं था। यह भारत का दुर्भाग्य है और उस दुर्भाग्य के घटनाचक्र में हमारा देश गुलाम हुआ, दासता की बेड़ियों में जकड़ा और विदेशियों ने आकर, अंग्रेजों ने आकर जब इस देश की सभी चीजों को ध्वंस किया कि उस समय जो देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ थी, जिसके सहारे पर हमारे समाज की व्यवस्था चलती थी, जिसके सहारे पर हमारे सारे समाज का संतुलन था, उस रीढ़ को भी तोड़ने का उन्होंने निश्चय किया और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे यह बात छिपी नहीं है कि अंग्रेजों के शासन काल में खुले तौर पर फौजों के दरमियान जितना गो-बध हुआ करता था उतना शायद सारे समय को जोड़ कर भी फौजों के बाहर जो गो-बध होता था, नहीं होता था। अंग्रेजों ने हमारी आर्थिक व्यवस्था को ध्वंस करने का निश्चय किया और यह भी सत्य है अध्यक्ष महोदय, कि चूंकि जैसा आदर्श शासक समाज में रखता है उसी हिसाब से समाज भी आगे चलता है, और उसी आदर्श के सहारे भारत की इस रीढ़ को तोड़ने का प्रयत्न हुआ और उसी का फल यह हुआ कि इधर डेढ़ दो सौ वर्षों की गुलामी के काल में लाखों, प्रयत्न किये गये, इतिहास इस बात को कह सकता है कि उन्होंने बहुत तरीके से इस देश को मिलाने का प्रयत्न किया, रेलें बनायीं, नहरें बनायीं और मालूम नहीं क्या-क्या किया, लेकिन इस देश की आर्थिक व्यवस्था गिरती गयी। पहले नहरें नहीं थीं इस देश में। अंग्रेजों के आने के पहले सिंचाई के साधन नहीं थे इस देश में उस हद तक जिस हद तक उन्होंने पैदा किये यातायात के साधन अंग्रेजों ने दिये, लेकिन फिर भी यह देश सुखी नहीं हुआ और इसलिये सुखी नहीं हुआ कि अंग्रेजों ने जो यहां का आर्थिक ढांचा था उसको तोड़ने का संकल्प किया था। हमारा देश दुखी हुआ, भूखा हुआ और यही नहीं बल्कि हम आपस में लड़ने

लगे। इस समय पर यह एक बहुत अच्छा अवसर है यद्यपि इस विधेयक को कुछ और पहले आना चाहिये था। आजादी के ७-८ वर्ष के बाद इस रीढ़ की तरफ सरकार ने ध्यान दिया, हमारी उस आर्थिक व्यवस्था की तरफ, हमारी उस नींव की तरफ ख्याल किया जिसके सहारे पर इस देश का समाज आगे जा सकता है।

आज यह हम में से हर एक अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता है। हम इस देश को महान् बनाने का रास्ता भूले हुये थे, देश ने जिस रास्ते को छोड़ दिया था और मैं तो इसे आर्थिक व्यवस्था से भी ज्यादा समझता हूं और आगे जाता हूं। यह कोई धार्मिक प्रश्न नहीं है, इस को मैं मानता हूं और मैं यह भी मानता हूं और आगे जाता हूं कि यह केवल आर्थिक प्रश्न नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो भारत को बड़ा देश बनाने का रास्ता है, भारत को महान् बनाने का रास्ता है, और भारत के समाज को बलिष्ट बनाने का रास्ता है, जिस पर चल कर जैसे कि पहले दिनों में संसार का इस देश ने नेतृत्व किया है उसी प्रकार का नेतृत्व करने का यह मार्ग है। इस मार्ग को खोल कर सरकार ने इस देश के साथ उपकार किया है। यह देश बड़ा होगा, यह देश महान् होगा जब इस देश में पूर्ण रूप से इस प्रकार की भावना पैदा होगी जिस प्रकार से कि योगिराज कृष्ण के युग में गायों के प्रति लोगों की सेवा की भावना थी। यह सही है कि केवल कानून बना देने से गाय की ठीक से सेवा नहीं हो सकती है। लेकिन यह भी एक भारी झंझट था, अध्यक्ष महोदय जिसके हट जाने से सारे समाज के व्यक्ति चाहे जिस क्षेत्र में हों और कमियों को पूरा करने का संकल्प करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि कानून बन जाने के बाद भी बहुत कार्य हैं लेकिन अभी तक पूरा समाज अटका हुआ था कि पहले कानून बन जाय, पहले मारना रोका जाय तब कोई व्यवस्था होगी। अध्यक्ष महोदय मुझे तो बड़ी शर्म आती थी यह देखकर और जानकर कि विदेशों में ऐसी ऐसी गायें और सांड़ हैं जिनके दाम लाखों में है और हमारे देश में यह स्थिति पैदा हो जाय कि मुरदा गायों के दाम ज्यादा और जिन्दा के कम तो इस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे ठहर सकती है। लेकिन इस कानून के पास हो जाने के बाद सरकार की तरफ से तो प्रयत्न हो ही रहे हैं और समाज भी उत्साहित होकर ऐसा कार्य करेगा और इस प्रकार के रास्ते निकालेगा कि यह भारत जो गायों का देश रहा है किसी और देश के पीछे नहीं रह सकता है।

मैं अन्त में अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिये सरकार को बधाई देते हुये आपके द्वारा इस सदन के साथियों का और इस प्रांत के सभी वर्गों का इस कार्य में सहयोग के लिये प्रार्थना करूंगा। यह मैं मानता हूं कि यह प्रश्न धार्मिकता के ऊपर है, आर्थिक व्यवस्था के ऊपर है और यह इस देश को बड़ा बनाने का रास्ता है, महान् बनाने का रास्ता है। हम यह भी सोचते हैं कि यह प्रश्न कुछ हृदयों से भी संबंध रखता है और इस कानून के पास हो जाने के बाद लाखों सहृदयों को संतोष होगा और कुछ हृदयों को सुख और संतोष देने के लिये जिन व्यक्तियों ने त्याग किया है और समाज के जिन वर्गों ने उदारता का परिचय दिया है हम उनके भी आभारी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कानन है, इसमें केवल एक कमी रह गई है, उसको मैं आपके द्वारा सरकार के सामने रखना चाहता हूं। आप यह बहुत अच्छा कानून लाये हैं लेकिन कहां जरूरत थी कि रेल्वे स्टेशन या हवाई जहाज पर बोनाफाइड पैसेंजर्स के लिये व्यवस्था की जायगी, इससे मुझे शुबह है, करप्शन बढ़ेगा, झूठ बोलने की व्यवस्था बढ़ेगी और कानून के पीछे छिपने की आदत इस समाज में घुसेगी। मारने वाला कोई न कोई बहाना ढूंढेगा और पचास तरकीब लगाकर मारेगा और सबूत नहीं मिल सकेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं जानता हूं कि इस समय भी इस प्रकार की बात नहीं होती तो फिर इसको कानून में क्यों रखा गया है, तो फिर इसको कानून में रखकर ऐसा वातारण क्यों पैदा किया गया है जिससे भविष्य में चलकर कठिनाई पैदा हो सकती है?

[श्री रामनरेश शुक्ल]

माननीय अध्यक्ष महोदय. एक चीज की तरफ, एक सुन्दर भविष्य की तरफ हमने कद उठाया है तो उस कदम को मजबूती से उठाना चाहिये और वह हिम्मत के साथ कदम उठाना चाहिये। उसमें इस बात को सोचकर कदम उठाना चाहिये जिससे भविष्य में कोई कम्प्लीकेशन्स पैदा न हों। कोई ऐसा रास्ता छोड़ देना जिससे कि भविष्य में ऐसी बात पैदा हो जिससे मनमुटाव होने की गुंजाइश हो यह उचित नहीं जान पड़ता है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप एक बार नहीं दो बार नहीं, दस बार नहीं बल्कि हजार बार इस बात को सोचें कि यह जो हिस्सा इसके अन्दर रखा गया है उसको आप दूर कर दें ताकि भविष्य में कोई और इस मामले में संकट पैदा न हो। आपके द्वारा मैं सरकार को और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

*श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—जनाब स्पीकर साहब, कल दूसरे वक्त से इस अहम बिल के मुताल्लिक मैंने तकरीरें सुनीं। करीब करीब तमाम मुकर्रिर ने, हमारे साथियों ने इस पर तकरीर करते वक्त इस बिल को अहम कहा है। मैं भी इस बिल को बहुत अहम बिल समझता हूं मेरे और उनके नुक्तेनजर में फर्क हो सकता है कि क्या क्या पहलू इस बिल की अहमियत के हैं। क्यों आप इसको अहम समझते हैं और क्यों मैं समझता हूं? मैं इस बिल से पहले से मुत्तफिक था और हमारी तो ख्वाहिश यह थी कि इस बिल को कानून बनाने के जरिये से जो फायदा हम इस मुल्क के अन्दर हासिल करना चाहते हैं वह अगर बगैर बिल बने हुये हासिल हो जाता और मैं समझता हूं कि ९९ फीसदी हासिल हो गया तो फिर इस कानून को बनाने की मुबारकबादी देने की और इस कानून को यहां पर लाने की कोई जरूरत मैं नहीं समझता था।

जिस वक्त यहां पर गो-जिबह के खिलाफ एजीटेशन हो रहा था उस वक्त हम पर उधर के बैठने वालों की तरफ से यह इल्जाम लगाया गया कि यह एजीटेशन इसलिये शुरू किया गया है, और इसलिये शुरू कराया गया है ताकि इसकी आड़ में बाद को यह बिल यहां पर लायें। ऐसा ख्याल करना हमारे लिये गलत है, उस वक्त यह समझा गया कि यह बिल यहां पर आयेगा। मैं यकीन रखता हूं कि ऐसा अहम बिल जो कि एक तरफ अक्लीयत यहां पर आबाद है उसके ऊपर पूरी तरह से असरअन्दाज होगा और दूसरी तरफ जो मैजारिटी यहां पर है उसके ऊपर भी असर-अन्दाज होगा। दोनों जमात हिन्दू और मुसलमानों का इस बिल से और इस बिल के विषय की बहस से गहरा ताल्लुक है जो कभी टूटने वाला नहीं है।

जनाबवाला, मैं आपकी खिदमत में यह भी अर्ज करूंगा कि जिस सूरत में यह बिल यहां पर लाया गया है और जो इसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट में लिखा गया है उसकी बिना पर दो राय इस सूबे के अन्दर और दुनिया के अन्दर और इस सरजमीन के ऊपर हो सकती हैं। आप इक्तसादी तौर पर और इकानामिक बेसिस पर इस बिल को यहां पर लाये हैं। मैं हरगिज इस राय से मुत्तफिक नहीं हूं कि इससे मुल्क को इक्तसादी फायदा पहुंचेगा। एक तरफ रेलवे स्टेशन पर और हवाई जहाज पर डिब्बों के अन्दर गाय के गोश्त को खाने की आप इजाजत दें और दूसरी तरफ एक्तसादी और इकानामिक सदायें आप बुलन्द करें और उस वक्त इस कानून को लायें जिस वक्त कि ९९ फीसदी जनता गोकशी को छोड़ चुकी है और अगर कहीं कोई कत्ल होता भी है तो वह चोरी छुप्पा होता है। ऐसी हालत में हम समझते थे कि आप अपने इखलाकी असर से इस चीज को बन्द कर देंगे और इस बिल को इस तरह की शक्ल देने की जरूरत नहीं थी। मैं समझता हूं कि शराफत के साथ और इन्सानियत के साथ मुल्क में रहने के सबब से गो-जिबह को रोकने की एक सूरत हो सकती थी जिसमें इस कानून को लाने की जरूरत नहीं पड़ती मगर उस तरह से करने की आपके अन्दर वह जुर्रत नहीं है

मैं इसलिये इस बिल की कद्र करता हूं कि हमारी कौम का एक तबका गाय का अहतराम करता है और उस चीज के सामने हमको झुकना चाहिये था। हम नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहते कि किसी भी मजहब के जजबे को हम चोट पहुंचावें। जिसे आप सैक्यूलर कहते हैं उसे हम भी सैक्यूलर कहते हैं। अगर आप यह कह कर बिल लाये होते कि इकानामिक नहीं बल्कि मजहबी जजबात की वजह से, एक तबके के जजबात की वजह से, उनकी कद्र करने की वजह से यह बिल लाये हैं तो मैं इसका समर्थन करता और तहेदिल से ताईद करता। हर मजहब के हर शख्स को हक हासिल है कि आजादी से अपने मजहब को माने और उसके ऊपर चले और दूसरे के मजहब की कद्र करे। सैकड़ों और हजारों साल से इस बात पर झगड़े होते चाले आये हैं मगर आपने देखा होगा कि जबसे मुल्क आजाद हुआ है तब से ये झगड़े शायद ही कहीं हुये होंगे, गाय के जबिहे पर झगड़ा हुआ हो। जब किसी के अन्दर इस बात के कहने की जुर्रत नहीं थी कि गाय के जबिहे को बन्द किया जाय हमने डंडे खाकर कहा था कि गाय का जबिहा रोका जाय और हिन्दुओं के मजहबी अहतराम की कद्र की जाय। लेकिन आप उस सही बात को न कहकर इकानामिक मसला कह कर बिल को लाये हैं। इससे मैं मुतफ़िक नहीं हूं।

मैंने कांग्रेस की खिदमत में अपनी जिन्दगी बिताई है और बाकी भी शायद बिता सकूं। आपने इस बिल के अन्दर कहीं भी यह नहीं रखा है कि उन गायों का जिनका आपने अनइकानामिक कहकर तजकिरा किया है उनका क्या इलाज होगा। जो गायें आज रास्तों में हमारी मोटरों और साइकिलों को नहीं निकलने देती हैं उनके लिये आपने कुछ नहीं सोचा है। अगर आप गाय का मसला दूध और घी की वजह से लाये हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। अगर गाय के अहतराम से कोई इन्कार करता है तो वह सूरज से इन्कार करता है। हम भी उसका अहतराम करते हैं। जब से हिन्दुस्तान के दो टुकड़े होकर आजाद हुआ और पाकिस्तान बना और उसके बाद दोनों जगह क्या-क्या बलायें आईं यह सबको मालूम है। उसके बाद से जो आपने कानून बनाये, आप हमेशा खुलकर सामने आये जैसा कि आपने जमींदारी अबालीशन में किया था। मैं चाहता हूं कि इस बिल के बारे में भी आप खुलकर कहते कि हिन्दुओं के मजहबी जजबात के अहतराम की वजह से यह बिल लाया गया है और हम इसमें आपके साथ होते। यह बात सैक्युलैरिज्म के खिलाफ नहीं है कि हम एक बड़ी तादाद के मजहबी जजबात के अहतराम पर बहैसियत मुसलमान के यह कहें कि गाय का जबिहा रोका जाय। हम तो वे लोग हैं कि अगर कोई हिन्दू बकरी का भी गोश्त नहीं खाता है तो हम उसके पास बैठकर बकरी का गोश्त भी नहीं खावेंगे। अगर आप इकानामिक बेसिस पर यह बिल लाये होते तो आपको बकरी का जिबहा भी रोकना था और हमें भैंस का भी रोकना था जो गाय से ज्यादा दूध और घी देती है। खुद इलाहाबाद में बैठकर बिरादरी को बिठाकर हमने यह तय किया कि गाय का जिबहा न हो और इस बिल की कोई जरूरत नहीं थी। जब ९९ फीसदी यह चीज बन्द हो गई थी तो इस बिल की क्या जरूरत महसूस की गई, यह समझने से मैं कासिर हूं। आपके अफसरानों ने बकरीद के मौके पर भैंस की कुरबानी को रोका। हमने आपसे फरियाद की कि इसे बन्द कीजिये और हमको बतलाइये कि आखिर इस मुताल्लिक गवर्नमेंट की क्या पालिसी है, यहां हाउस में बतलाइये, पार्टी में बतलाइये या घर पर बतलाइये। बाज-बाज तकरीरों से यह भी जाहिर हुआ कि हमने यह थोड़ा कदम उठाया है और हम दूसरे कदम भी उठायेंगे। मैं इससे इत्तिफ़ाज करूंगा कि जितने भी दूध देने वाले जानवर हैं उनका सबका जबिहा बन्द किया जाय, कानूनन बन्द किया जाय। हालांकि हमारे मिनिस्टर साहेब ने यह साबित करने की कोशिश की कि यह इकानामिक सवाल है मगर फिर भी वह मजहबी जजबात को छिपा न सके। जहां तक अखबारों में आया कुछ न कुछ इसकी झलक आती है कि गाय की अहमियत से सभी वाकिफ हैं। जमाने की तारीख से हमारे मुल्क में गाय को इज्जत की नजरों से देखा जाता है। अगर इससे कोई इन्कार करे तो इसके मानी यह हैं कि वह इन्सान नहीं है। यह माना कि जो इज्जत की नजर से नहीं देखेगा उसे मजबूर किया जायगा इस कानून से कि वह भी इज्जत की नजर से देखे।

अगर आप यूरोपियनों की तरह से हमारे साथ बरतावा करेंगे तो आप हमको मौका दे रहे हैं कि हम आपसे इख्तलाफ करें। मुसलमान मजहबी अहतराम से किसी जानवर को नहीं देखता

[श्री मुहम्मद शाहिद फारूकी]

है। लेकिन यह मानी हुई बात है कि चूंकि हिन्दुओं के यह अहतराम की चीज है तो उन्हें भी इसका अहतराम करना चाहिये। मुसलमान ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हिन्दू भी जो गोश्त खाते हैं इस बिल के खिलाफ बोलेंगे। आप ऐसा इन्तजाम करिये कि सूबे के अन्दर कोई बेकार न हो, तब इकानामिक मसला हो सकता है। आपको किसी का कारोबार नहीं छीनना चाहिये। क्या आपने यह सोचा है कि इस कानून के बाद कसाई लोग जो इस पेशे को करते आये हैं वे क्या करेंगे? मैंने यह भी देखा कि जबाने रुक रही थीं, हालांकि बहुत से लोग कुछ कहना चाहते थे। हमारी पार्टी के बड़े-बड़े लोग शम्भूनाथ जी भी बोले हैं। उन्होंने कहा कि हमको इस तरफ इस तरह से नहीं देखना चाहिये जैसे और चीजों पर मजहबी नजर से देखते हैं। आज दोस्तों ने यह भी कहा है कि और जानवरों को भी तो देखना चाहिये और खासतौर से जोरावर सिंह जी ने भैंस की तरफ ध्यान दिलाया था। वह भी दूध देती है और उसका भी जबिहा बन्द किया जाय। अगर सचमुच इकानोमिक सवाल है तो ऐसा बिल लाइये जिससे सभी दूध देने वाले जानवरों का जबिहा बन्द किया जाय। चाहे उसे सेलेक्ट कमेटी में लेजाइये या ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में ले जाइये और वहां गौर कीजिये कि कानूनी ऐतबार से इसके अन्दर कोई खामी तो नहीं रह गई है। अगर आप सेलेक्ट कमेटी में बैठ कर इस पर तवज्जह करेंगे तो वहां आपको मालूम हो जायगा कि इसके अन्दर क्या-क्या खामियां हैं, लेकिन यह मैं समझता हूं कि बाहर कुछ और ही प्रोपेगेंडा हो रहा है, कोई और बात कही जा रही है। एक तरफ तो कांग्रेस गवर्नमेंट गोवध कराती है और दूसरी तरफ कहा गया कि वह जलूस निकलवाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि वह आज मुसलमानों को कमजोर समझती है कि अब पाकिस्तान बन गया, अब उनका वजन नहीं रह गया इसलिये आप इस कानून को लाये हैं। इसकी दलील में वे यह कहते हैं कि आज से पहले भी उन्हीं की गवर्नमेंट थी लेकिन इससे पहले इस चीज की जरूरत क्यों नहीं हुई और आज वह लाया गया है। अगर यह पहले लाया गया होता तो मैं उसको सबसे पहले पेश करता और कहता कि एक चीज ऐसी है जिससे बड़ी बड़ी चीजें खरीदी जा सकती हैं और उन खरीदने वाली चीजों में मुहब्बत और प्रेम है और इसके जरिये से आप एक बड़ी भारी अक्सरियत का कोआपरेशन खरीद सकते हैं। और फिर यह किसी का फर्ज भी नहीं है कि हर वक्त आदमी बैठा हुआ कमजोर जानवरों को जिबह ही करता रहे।

मुझे आज बड़ी हैरत होती है उन लोगों को देखकर जो अंग्रेजों के जमाने में बड़े और इस तिजारत से उन्होंने फायदा उठाया। उस वक्त मुख्तलिफ मजाहिब के लोगों ने हम लोगों से ज्यादा फायदा उठाया। मैं सोचता था कि इस चीज पर गौर करने के लिये यहां से ज्यादा मुनासिब जगह दूसरी हो सकती थी जिसमें सब पार्टियों जैसे संयुक्त दल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वगैरा सब पार्टियों के लोग मौजूद होते और वहां बैठकर सब अपनी-अपनी बातों को पेश करते। इसके अलावा हमने अपनी पार्टी में ऐसा भी तय किया था कि सदन के सामने कोई भी अहम बिल नहीं आने पायेगा जब तक कि वह पार्टी में डिसकस न हो जाय, लेकिन यकायक कल मैंने इसके बरअक्स देखा। मैं समझता था कि पहले यह पार्टी में आयेगा लेकिन मुझे ताज्जुब है कि यह चीज वहां क्यों नहीं आयी और यकायक हाउस के अन्दर क्यों आ गयी? इसकी मसलहत में नहीं समझ सका। चूंकि बार-बार इस चीज के सिलसिले में मुसलमानों का जिक्र हुआ इसलिये उनकी तरफ से भी कुछ आपसे कहने को मैंने मुनासिब खयाल किया। यह बिलकुल ठीक है कि अगर कोई मुसलमान गलतबयानी करता है तो उसको आप दुरुस्त करें और अगर कोई दूसरा गलतबयानी करता है तो वे उसको करेक्ट कर दें। अगर आप इसके एम्स एन्ड आब्जेक्ट को बदल दें तो एक भी इसका इख्तलाफ करने वाला न होगा और साफ आप कह दें कि जिस मैजारिटी का रूल है, जिसकी इस सूबे में बहुत ज्यादा आबादी है, उसके मजहब के अन्दर हजारों वर्ष पहले से इस जानवर के मुताल्लिक अहतराम मौजूद था, जब इस तरह का झगड़ा भी नहीं था, उससे पहले भी उनके मजहब में ऐसा अहतराम मौजूद था जो हम सब सरेन्डर कर देते, इसको मंजूर करते।

फिर दूसरी बात एक और है। यह ठीक है कि इस कानून के जरिये आप बड़ी हद तक गोवध को रोक लेंगे, लेकिन जैसे ३०२ की दफा है कि अगर कोई कत्ल करेगा तो उसको भी कत्ल कर दिया जायगा लेकिन उसके बावजूद भी कत्ल तो होते ही हैं। आज आप देखिये कि आपकी मशीनरी क्या करती है? होगा यह कि किसी एक शख्स ने किसी गाय को डंडा मार दिया और उससे उसकी मौत वाकै हो गयी तो उसकी वजह से बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया जायगा। तो जहां तक पुलिस की मशीनरी का ताल्लुक है वह गैरजिम्मेदारी का सबूत देती है, चाहे वह इंसानों के बारे में हो या गैर-इन्सानों के बारे में हो। तो आप उसके हाथ में एक ताकत और दे रहे हैं और कोई तहफ्फुज अपने सूबे की पब्लिक को उनके हाथ से बचाने का नहीं किया है, जो कि गलत तरीके से काम कर सकते हैं। एक दफा आपने रखी है कि उन गायों को मारा जा सकेगा जिनके अन्दर कोई ऐसी कंटेजिअस या इनफेक्शस बीमारी हो जो दूसरों को लग सकती हो। मैं कहता हूं कि क्या इसमें भी रिश्वतखोरी नहीं हो सकती है? अभी-अभी ओरई के अन्दर सैकड़ों घरों में घुस-घुस कर लोगों ने बलवे किये लेकिन उसके लिये इज़हारे अफसोस तक नहीं किया गया। फिर पुलिस की दयानतदारी पर इस चीज को छोड़ना कहां तक मुनासिब हो सकता है? इसका नतीजा यह होगा कि जो बेकसूर और बेगुनाह होंगे पकड़े जायेंगे और उनको सजा दी जायगी। गरीबों को पकड़ा जायगा, मारा जायगा, पीटा जायगा और उनका चालान कर दिया जायगा कि इस शख्स ने गाय को मारा है। आपने इस बिल के अन्दर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं रखा है कि जो गलत तरीके से किसी के ऊपर इल्जाम लगायेंगे कि इसने गाय मारी है, फर्ज कीजिये कि एक मुसलमान है जिसके लिये किसी ने कह दिया कि इसने गाय को मारा है, और वाकई में उसने इस काम को नहीं किया, तो उस गलत तरीके से काम करने वाले के लिये चाहे वह आपका कोई आला अफसर ही क्यों न हो कोई सजा होनी चाहिये थी लेकिन आपने यहां पर अपनी आंख बन्द कर ली है। इस तरह से गाय के नाम पर पुलिस वाले नाजायज फायदा उठायेंगे। मैं करीब ६ वर्ष से इलाहाबाद में देख रहा हूं कि वहां की हालत क्या है। जो मुअज्जिज अखबार पढ़ने वाले हैं वे इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह से आप पुलिस वालों के हाथ को और मजबूत करते हैं। इस तरह की गलत कार्यवाही करने वालों के लिये कोई न कोई इन्तजाम आपको करना होगा और तभी आप इस चीज को बन्द कर सकते हैं। फिर आपको दो तीन इंस्टीट्यूशंस भी खोलने पड़ेंगे। मेरी राय है कि अगर आप गाय के जिबहा को बन्द करना चाहते हैं तो इसके लिये आपको चाहिये कि ऐसे-ऐसे इदारे खोले जायं जहां पर कि गायों को रखा जा सके और इस पर काफी रुपया खर्च करें। जो अपने को गाय का भक्त बनने का दावा करते हैं उनसे मैं कहता हूं कि अगर वे वाकई में गाय के प्रेमी हैं, गाय के भक्त हैं तो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उसमें भी लगायें।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—लगायेंगे।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—जब आपने उस आन्दोलन को चलाने में रुपया लगाया है तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें भी रुपया लगायेंगे, खुदा करे कि आप इस नेक काम में अपना धन लगावें और रुपये लगा कर इदारे खोलें और खोलने के बाद उनमें ऐसी गायों को रखें जो इधर-उधर मारी-मारी फिरती हैं। आप अपने खाने में कुछ कमी करें, अपनी चर्बी को कम करें और उसको धूप में सुखावें तब जाकर असलियत का पता लगेगा। गाय भक्त बनने का दावा तो बहुत करते हैं लेकिन जब जेब पर हाथ जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, मुझे भी तकलीफ होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अभी हमारे पहले के भाइयों ने तकरीर करते हुए जिन जज्बात का इजहार किया, मैं उनका अदब के साथ अहतराम करता हूं और कद्र करता हूं और उस कद्र के साथ अपील करता हूं कि हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

कि जहां तक हो सके जिबह को बन्द किया जाय, बन्द हो भी गयी है। खुदा करे कि कानून के जरिये जो एकाध जगह हो रही है वे भी बन्द हो जायं। इसके लिये मैं चाहता हूं कि इस कानून के पास होते ही आप कोई ऐसा रूल हमारे सामने रखें जिसमें इस बात के लिये इन्तजाम हो कि अगर कोई गलत तरीके से किसी के ऊपर इल्जाम लगावे तो उनको भी सजा दी जावे चाहे वह आपकी हुकूमत की मशीनरी का कोई आला पुर्जा ही क्यों न हो। ताकि यह न हो कि पुलिस जब चाहे गोली चला दे, जब चाहे किसी को पकड़ कर बन्द कर दे और उनके ऊपर कोई रोक लगा दे।

जनाबवाला, मैं समझता हूं कि मैंने कुछ चन्द मिनट ज्यादा ले लिये हैं। मैं कल से तकरीर सुन रहा था और आपने इजहारे खयाल करने का मौका मुझे दिया इसके लिये मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं तो चाहता हूं कि वे लोग जो मुख्तलिफ जाविये निगाह के हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मौका दें ताकि वे अपना इजहारे खयाल करें। मेरे अल्फाज से आप नाराज न होवें, फिर भी अगर किसी लफ्ज से नाराज भी हो जायेंगे तो मजबूर होकर मुझे उसे भी फेस करना पड़ेगा और आपकी नाराजगी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन इधर के बैठने वालों से मैं कहता हूं कि खाली अल्फाज से ताईद करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, एक वह लोग हैं जो बाद में बाहर से आकर शामिल हो गये और पहले जब कि वह कम्युनल जमात में थे तो एक भी लफ्ज कहने की जुर्रत नहीं हुई लेकिन आज अन्दर से कुछ भी समझते हों बाहर से यहां की अकसरियत को खुश करने के लिए या दब कर वह हां में हां मिलाते हैं, जो उनका नहीं चाहता लेकिन ऐसा करने के लिये वह मजबूर हैं और उनको सपोर्ट करना चाहिए। वह इकतसादी मसले में आपके साथ नहीं हैं अगर वह आपके साथ होते तो दस वर्ष पहले से होते जब कि हम आपके साथ आजादी की लड़ाई में हर तरह की बातें सुनने को तैयार थे और बरदाश्त करते थे। लेकिन हम इस तरह से किसी को खुश करने के लिये एक लमहे को तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आपको हकीकी मानों में खुश कर यहां की अकसरियत को और अगर आप सीधे रास्ते पर आयें तो मैं जरूर आपको मुबारक बाद दूंगा, अगर रास्ता गलत है तो खुश करना या मुबारकबाद देना बेकार है। मैं चाहता हूं कि आपको सही रास्ते पर लाकर मुबारकबाद दूं। हम भी चाहते हैं कि गाय का जिबहा बन्द किया जाय और आपको खुदा मुबारक करे, यही नहीं इन्सानों का भी जिबहा बन्द किया जाय और इस सूबे में बेहतरीन इन्तजाम किया जाय और गाय की नस्ल को बढ़ाने का भी यहां बेहतरीन इन्तजाम और कोशिश की जाय।

मेरे बाज दोस्तों ने अमरीका, आस्ट्रेलिया और रूस का जिक्र किया कि वहां कैसी कैसी बढ़िया नस्लों के जानवर होते हैं और वहां गौ भक्तों की तादाद की इन्तहा न हो, वहां गो भक्तों के मुल्क में ऐसी निकम्मी गाय हों और अमरीका वगैरा मुमालिक में वही २०-२० सेर और ३०-३० सेर दूध दें, यह हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए शर्म की चीज है। इसलिए हमारे लिए यह लाजमी हो जाता है कि हम एक तहकीकाती इदारा कायम करें कि जो इन जानवरों की नस्ल सुधारने के बारे में डिटेल में जाय और तहकीकात करे कि किस तरह से इन नस्लों को बेहतर बनाया जा सकता है और वह रिसर्च करे कि किस तरह से मजबूत और ज्यादा दूध देने वाले जानवर यहां पैदा किए जायं। अगर आप इस सूबे में इतनी तरक्की कर सकें कि जो गाय आज सौ डेढ़ सौ रुपये में मिलती है वह यहां आसानी से ५०—६० में मिल जाया करे। तो हम समझ सकते हैं कि हकीकी मानों में नस्ल की तरक्की की कोशिश की जा रही है और यह चीज यकीनन मुल्क के लिए फायदेमन्द साबित होगी।

आखिर में मैं एक बात और अर्ज करूंगा और फिर खत्म कर दूंगा क्योंकि उधर के बैठने वाले शक न करें कि मैंने लोगों के दिल को मोह लिया है बल्कि हकीकत में ऐसी जरूरत हैं, वाकयात हैं कि जिनकी बिना पर मैं जरूरी समझता हूं कि हम और आप मुत्तफिक हो जायं कि गाय के अलावा जो दूसरे और जानवर हैं भैंस, बकरियां वगैरा उनकी तरफ भी उसी अन्दाज से तवज्जह करें जिस तरह से गाय की तरफ की जा रही है ताकि हमें दूध ज्यादा मिले और मुल्क की तरक्की हो। मैं कोई किसी जमाअत को खुश करने के लिए नहीं कहता, आप यह कानून शौक से बनावें। अगर हमारे यहां जानवरों की तरक्की होती है तो कोई वजह नहीं है कि हम उसके खिलाफ हों लेकिन मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि हजारों मील रेल गाड़ियों में गोश्त आये और बिके, इसमें बहुत सी बातें पैदा हो सकती हैं। उसके बेचने वालों को और जिबहा करने वालों को पकड़ना मुश्किल होगा और तरह-तरह की बातें पैदा हो सकती हैं। जो वाकई मुजरिम होंगे वह बच सकते हैं और जो उससे ताल्लुक न रखते होंगे वह गिरफ्त में आ सकते हैं। इस चीज पर भी गौर करना लाजमी है।

आपने इस बिल में गाय का जिबहा करने वाले के लिए २ साल की सजा रखी है और १,००० रु० जुर्माना रखा है। बहुतों की राय है कि यह सजा कम है, कुछ साहबान का ख्याल है कि यह सजा ज्यादा है। मुझे २० साल या एक साल की सजा के बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन यह जो १,००० रुपया जुर्माने की सजा है वह मेरे नजदीक ज्यादा है, सजा चाहे कत्ल करने वाले को कत्ल की जो इन्सान के हैं वही रखें उससे कानून की मन्शा पर कोई असर मेरे ख्याल में नहीं है। अगर कोई गलत आदमी पकड़ा जाता है तो आप की अदालत जैसा कि मुमकिन हो सकता है उसका घर बार सब नीलाम करा सकती है, अगर कोई पैसा न होने की वजह से पैरवी नहीं कर सका और जैसा कि रुख अदालतों का चल रहा है अगर कोई सबूत न पहुंचा सका चाहे वाकयात कुछ भी हों, तो फैसला गलत भी हो सकता है और गुस्से से या किसी और वजह से गलत आदमी पकड़ा जाता है तो उसके साथ ज्यादती हो सकती है और असल मुजरिम बच सकता है। बहुत से मौकों पर गलत सजायें अदालत देती हैं जैसा कि बजट के मौकों पर और दूसरे मौकों पर बार-बार शिकायत के तौर पर यहां मेम्बरान कहते हैं, मैं चाहता हूं कि इस चीज पर गवर्नमेंट गौर करे और बकिया और चीजों में मैं यहां के मेजारिटी के साहबों को यकीन दिलाता हूं, अपने मुहतरिम हिन्दू भाइयों को यकीन दिलाता हूं कोई उनसे दब कर नहीं, उनकी खुशामद में नहीं है उनकी अकसरियत से मरऊब होकर नहीं बल्कि दिल से यकीन दिलाता हूं कि मैं उनके मजहबी जजबात का एहतराम करता हूं, उनके जो मजहबी एतकाद हैं उनका एहतराम करता हूं, आज ही नहीं एहतराम करता रहा हूं उस वक्त भी करता रहा जब उनको कहने की जुर्रत नहीं थी उस वक्त भी कहता रहा और आज भी कहता हूं, आगे भी एहतराम करूंगा और मरते वक्त तक एहतराम करूंगा और मेरे दिल में उनके लिए वही एहतराम रहेगा और इसमें मैं अपने दोस्त राजा साहब से बहुत ज्यादा आगे रहूंगा।

श्री शिवमंगलसिंह कपूर (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है। मैं इस बिल को महत्वपूर्ण इसलिये कह रहा हूं कि इस हाउस के सामने वास्तविक रूप में ऐसे दो तीन बिल आये हैं जो इस प्रान्त की ९५ प्रतिशत जनता से सम्बन्धित थे। उनमें जमींदारी उन्मूलन बिल पहला बिल था जो इस प्रदेश की ९९ प्रतिशत जनता से सम्बन्धित था। जो बिल आज पेश है वह भी ९९ प्रतिशत जनता से सम्बन्धित बिल है और इसीलिये यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इस पर बोलने में मैं अपना गौरव समझता हूं। और इसीलिये मैं इस बिल के लिये सरकार को और

[श्री शिवमंगलसिंह कपूर]

माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। इस बिल का आना बहुत जरूरी था और जल्दी ही आना चाहिये था लेकिन इस जैसे महत्वपूर्ण बिल को बनाने में, उसके ऊपर सोच-विचार करने में भी बहुत वक्त लगता है और इसीलिये इस बिल के आने में देर हुई है। हमसे पहले जो मित्र बोले हैं मैंने उनका भाषण बड़े गौर से सुना है और हमारे दोस्त फाखरी साहब जो अभी बोले हैं उनका भी भाषण बड़े गौर से सुना। मैं यह दृढ़ता से कह सकता हूं कि यह बिल किसी धार्मिक भावना के अन्तर्गत नहीं लाया गया है अगर धार्मिक भावना रखते हुये भी यह बिल लाया गया होता तो भी अनुचित नहीं होता, ऐसी मेरी जाती राय है। देश की सरकार सदा इस बात का ध्यान रखती है कि क्या आर्थिक दशा उस प्रदेश की है और इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार यह बिल लायी है। स्वतन्त्रता प्राप्त हुई लेकिन चाहे समाजवादी हों, चाहे साम्यवादी हों, चाहे जनसंघी हों, चाहे हिन्दू सभाई हों सभी पार्टी के सदस्य इस राय के हैं कि आर्थिक और सामाजिक और नैतिक आजादी इस देश को नहीं मिली। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसको देखते हुये यह बिल अत्यन्त आवश्यक है। देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिये, देश की आर्थिक उन्नति के लिये सब से बड़ी जरूरत इस बात की है। आज आर्थिक स्थिति दिन प्रति दिन गिरती जा रही है इसके लिये जरूरी है कि पशुओं की नस्ल ठीक हो और यदि उनकी हालत ठीक हो तो हम खेती भी ठीक से कर सकते हैं।

हमारे पूर्ववक्ता ने यह कहा कि यह बिल धार्मिक भावना से लाया गया है, यह बिलकुल गलत है। मैं उन महानुभाव से पूछना चाहता हूं कि क्या वे बतला सकते हैं कि कुछ मुस्लिम स्टेट्स तक में गौ बध निषेध किया गया है? वहां कौन से हिन्दू हैं? धार्मिक भावना से वहां गौ वध निषेध नहीं हुआ। एकनामिक दृष्टि से वहां गौवध निषेध किया गया है। लेकिन हमारे यहां सेकुलर स्टेट होने के कारण इस बात को मद्देनजर रक्खा गया है कि ऐसी कोई बात न हो जाय जिससे अल्प संख्यकों के दिल में चोट लगे। लेकिन उनकी इस राय से मैं सहमत नहीं हूं जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में बतलाया कि इससे पहले ही हम लोगों में ९० फीसदी लोगों ने गौबध बन्द कर दिया था। जब ऐसी हालत है तो फिर ५ परसेंट के लिये ही जब ऐसा बिल आता है तो उनको इस बात के लिये स्वागत करना चाहिये कि हम तो उस सीढ़ी को पार कर चुके जिसमें हमको जुर्माना होता या पुलिस तंग करती। जब वह चीज हम नहीं करते तो उसके आने में क्या हर्ज है। उसकी वह पुरजोर ताईद करते। मंत्री महोदय का समर्थन करते और धन्यवाद देते, लेकिन वह धन्यवाद देना भूल गये। भूल ही नहीं गये उन्होंने कहा कि यह ऐसी कोई चीज नहीं जिससे वह मंत्री महोदय को या गवर्नमेंट को धन्यवाद देते। इससे यह जाहिर होता है कि मुंह पर कुछ है और दिल में कुछ है। लेकिन एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकतीं। जो भीतर हो उसे ही मुंह से साफ-साफ जाहिर करना चाहिये। सेकुलर स्टेट में तो चाहे कोई मजहब वाला हो, चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, सिक्ख हो या ईसाई सब के धर्म की रक्षा की जाती है। मैं उन नेताओं पर फख्र करता हूं जो चोटी पर बैठे हैं। जवाहरलाल जी की विचारधारा की केवल भारत में नहीं विश्व में प्रशंसा की जाती है, भूरि-भूरि प्रशंसा की जाती है और उनकी छत्र छाया में हर धर्म वाला सुरक्षित रहेगा। अगर गांधी जी की जो नीति है उसको हम सपोर्ट करते चलेंगे तो कांग्रेस जिन्दा रहेगी और हर सम्प्रदाय के आदमी की रक्षा होगी और किसी भी मजहब के आदमी को दिक्कत नहीं होगी।

इसके साथ ही साथ मैं बतलाना चाहता हूं कि वास्तव में आज देश में घी और दूध का कितना अभाव है। भली-भांति हमारा समाज यह जानता है कि गाय से कितने फायदे होते हैं। अगर हिसाब लगाया जाय तो गाय १८, १८ बार ब्याती है। अगर बछिया हो तो उससे फिर औलाद बढ़े। इससे देश का कितना फायदा हो सकता है? अगर इसका हिसाब लगाया जाय तो एक लम्बा चौड़ा खाता, लेखा बन जाता है। इसलिये मेरा यह विचार है और आपसे यह प्रार्थना है और आपके जरिये सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि बिल में जो यह क्लाज रक्खा गया है कि जो अपाहिज गाय हों या रोगी हों उनको मार दिया जाय तो मैं इसके लिये यह मुनासिब समझूंगा कि गोशालायें बनाई जायं जहां पर अपाहिज और बीमार गायें रक्खी जायं और उनको वहां हिफाजत से रक्खा जावे और वे वहां कुदरती मौत से मरें। उनको मारना जुर्म समझा जाय, वर्ना अच्छी से अच्छी गउयें और अच्छे से अच्छे बछड़े इस बहाने से डाक्टरों को पैसा देकर झूठा सर्टिफिकेट लेकर मार दिया जाया करेगा क्योंकि यह भ्रष्टाचार का जमाना है। क्योंकि अच्छे से अच्छी नस्ल के जो बछड़े होते हैं उनके चमड़े से ही कूम लेदर बनता है और जिसके बने हुए जूतों की कीमत १६, १७ रुपये होती है। अगर यह चीज नहीं करियेगा तो फिर जैसा मैंने कहा वह होता रहेगा। इसलिये मैं आपके जरिये से सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि यह क्लाज हटा लिया जाय। गौ किसी हालत में हो, बैल हो या इस किस्म का कोई भी जानवर हो जिससे देश के किसानों, नागरिकों और जनता को फायदा पहुंचता हो उसका वध करना जुर्म करार दिया जाय और उसके लिये सख्त से सख्त सजा दी जाय। मैंने देखा कि इस बिल में जुर्माना काफी है लेकिन सजा बहुत कम है। कम सजा देने के मानी यह हैं कि दिल से भय हटेगा नहीं। 'बिन भय होय न भक्ति', बिना भय के भक्ति नहीं होती। यह समझते हैं कि परमात्मा है, परमात्मा को पूजते हैं तो उसके भय के कारण पूजते हैं। बहुत से नास्तिक लोग दुनिया में मौजूद हैं वह नहीं मानते। लेकिन परमात्मा है परमात्मा न होता तो आज प्रलय हो जाता खैर मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जरूर सजा हो। संशोधन करके बिल में सख्त से सख्त सजा रखी जाय। अगर कोई अपाहिज गाय या किसी तरह की गाय हो उसका कोई वध करता है तो सख्त से सख्त उसको सजा दी जाय।

दूसरी चीज मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो आज बाहर से बीफ टिनों में बन्द होकर आता है अगर वह न रुकेगा तो यह समस्या किसी न किसी रूप में देश में बनी रहेगी। आपको मालूम है और सरकार को मालूम है और मैं चार वर्ष पहले देख कर आया हूं। कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद जिले में जहां मैं बीस वर्ष पहले था वहां गया था। वहां पर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की सीमा है। पाकिस्तान की पुलिस जो २४ रुपया पाती थी और हिन्दुस्तान की पुलिस जो ५० रु० पाती थी उनका क्या रवैया था? पाकिस्तान से सुपारी पचासों मन रोज आती थी और दूसरी चीजें इधर से चली जाती थीं। एक एक पुलिस कांस्टेबिल चार-चार, पांच-पांच सौ रुपया आमदनी करता था। मैं इसको अपनी आंखों से देख कर हैरान हो गया। अगर इस किस्म से वाकया रहा तो चोरी छुपी अमृतसर या बंगाल की सीमा से आयेगा और यह चीज हल होना बहुत मुश्किल हो जायगी। इसलिए सब से बड़ी चीज यह है कि जो विदेश से गोमांस आता है इसको बन्द करना बहुत जरूरी है। हमारे देश में जो दूसरे देशों के लोग आयेंगे, उनको हमारे यहां पवित्र भोजन मिलेगा, यहां का रहन-सहन ऊंचा है, यहां का बर्ताव ऊंचा है। तो कोई वजह नहीं है कि हमारे यहां कोई दस दिन के लिए आये और अपने साथ अपने देश से बीफ लेता आये उस पर भी प्रतिबन्ध होना चाहिए। अगर इस पर प्रतिबन्ध नहीं किया जायगा तो आपको इस विधेयक में सफलता प्राप्त नहीं होगी। जैसे आपने जौनपुर में मद्यनिषेध कर दिया और बनारस में नहीं किया। बनारस में

[श्री शिवमंगलसिंह कपूर]

हजारों बोतल शराब जौनपुर जाती है और बिकती है। क्या पुलिस पकड़ नहीं सकती, पकड़ सकती है लेकिन नहीं होता। मैंने इसके लिए कई बार अनुरोध किया। इसी किस्म का रवैया इस बिल की निस्बत होकर रहेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिबन्ध उस पर भी लगावें जो बाहर से टिन में बन्द हो कर आता है या स्टेशनों और हवाई जहाजों में भी यह चीज बिकने न पाये तभी आप का यह बिल सफलता प्राप्त करेगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

तीसरी चीज यह कही है कि वास्तविक चीज गऊ की हिफाजत है। आज कल की जो समस्या है वह हिन्दू समाज पर बहुत कलंक की चीज है। मैं इसको साफ कर देना चाहता हूं। बहुत सी ऐसी गायें हैं जो घर में जब तक दूध देती हैं उनको अच्छी तरह से भोजन दिया जाता है, लेकिन जहां दूध खत्म हो गया तो यह सोचते हैं कि तीस चालीस रुपये मिल जायं तो यह बला अपने सर से हटाएं। जो उसको ले जाता है वह उसको दस पांच रुपये में बेंच देता है और वह वहां जा कर मारी जाती है। यह चीज बन्द होनी चाहिये, यह प्रचार के जरिए से हो सकता है सरकार को चाहिये कि इसके लिये खास तरीके से प्रचार करे। कानून तो बन जाता है शारदा ऐक्ट बन गया लेकिन आज भी बाल विवाह होता है क्योंकि सरकार ने उसका विचार नहीं किया। रात दिन मैं देखता हूं कि आठ दस वर्ष का बच्चा हुआ बस शादी कर दी। पिछड़ी कौमों में अक्सर ऐसा होता है और सवर्णों में भी ऐसी शादी हो जाती है। इसलिये सब से जरूरी चीज यह है कि सरकार इसके लिये प्रचार करे। वह प्रचार नहीं होता। जब तक समाज उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाता तब तक उस पर असर होना इस लोकतन्त्र युग में बहुत मुश्किल है।

इतने शब्द कहते हुए आप को फिर बधाई देता हूं कि जो आपने मौका दिया और आशा करता हूं कि ऐसे ऐसे मौकों पर मुझको इजाजत देंगे।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस विधेयक पर जिस पर बहस हो रही है इस सरकार ने इस भवन के अन्दर यह विधेयक समय के अनुकूल पेश किया इसको देखते हुये मैं हृदय से अपनी सरकार को और विशेष रूप से मंत्री महोदय को बधाई देती हूं। आज जब मेरी सरकार और देश के रहने वाले निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, देश के उत्थान की तरफ जा रहे हैं तो इस देश का उत्थान और निर्माण उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि इस देश में गाय की रक्षा नहीं की जा सकती। हमारे पूर्वजों ने गाय को गऊ माता कह कर इसलिये पुकारा था कि देश में गाय की रक्षा और पालन किये बिना अपने देश को ऊंचा नहीं उठा सकते थे। मेरे एक भाई ने कहा कि धार्मिक दृष्टि को सामने रखते हुये सरकार ने यह बिल पेश किया है। मुझे दुख होता है कि आज इसको धर्म का रूप दिया जा रहा है। इस गोवध का बन्द करना और रक्षा करना धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुये हमारा देश जो कृषि प्रधान है कभी उन्नति नहीं कर सकता, अगर गाय की रक्षा हम नहीं करेंगे। हमारे प्रदेश के अन्दर योग्य व्यक्तियों की समिति नियुक्त हुई उसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और सिख, सब सदस्य थे उन्होंने सर्व-सम्मति से पूरे आंकड़ों की जांच करते हुये रिपोर्ट दी। उन व्यक्तियों ने यह देखा कि देश का लाभ इसी में है कि गो कशी यहां बन्द हो। विधायक यहां विधेयक पास कर के बहुत थोड़ी सी गायों की रक्षा कर सकते हैं। आंकड़ों के देखने से पता चलता है कि ९०० गायें लीगली आप के प्रदेश में कटती है। इस विधेयक के बनने के बाद आप ९०० गायों की रक्षा करते हैं। लेकिन जिस जिले से मैं आती हूं वहां आस पास के जिलों में इल्लीगली बहुत सी गायें कटती हैं। हम मौरली हिन्दू मुसलमान से अपील करके उन गायों की रक्षा करा सकते हैं। आज धार्मिक रूप देने से मैं पूछती हूं अपने भाइयों से क्या बूढ़ी गाय को हिन्दू कसाई के हाथ में नहीं बेचता? क्या जो गाय दूध देने से हट जाती है उसको चारा न देना पड़े इसलिये कसाई के हाथ में नहीं देते? हमें उन

हिन्दुओं को भी समझाना है जो ऐसा करते हैं। हम उन मुसलमानों में प्रेम से सद्भावना पैदा करेंगे यह दिखा कर कि हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब गऊ को माता समझें। आखिर माता सिर्फ हिन्दुओं की ही नहीं बल्कि हर कौम की है।

अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं इस सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं कि अगर आप प्रदेश की आर्थिक अवस्था पर दृष्टि डालेंगे तो आर्थिक अवस्था तभी सुधर सकती है, क्योंकि हमारा देश किसानों का देश है, किसान तभी खेती-बारी में उन्नति कर सकते हैं जब कि उनके बैल मजबूत हों, हम अपनी गायों को तभी रक्षा कर सकेंगे। अपने प्रदेश में अच्छी गाय की नस्ल तभी पैदा कर सकते हैं जब अपने प्रदेश में गोबध को बन्द करें। इन शब्दों के साथ मैं अपने बहुत से भाइयों से निवेदन करना चाहती हूं कि इन भावनाओं से बहुत से प्रभावित हो कर नहीं हमारी सरकार ने इस विधेयक को इस समय लाने में बहुत सहनशीलता से और बहुत सोच विचार से समय के अनुसार इस समय इस विधेयक को सदन के अन्दर उपस्थित किया है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी सरकार को एक दफ़ा फिर बधाई देती हूं।

श्री मुहम्मद नसीर (जिला फ़ैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक इस सदन के समक्ष उपस्थित हुआ है, यह देखते हुये कि हमारा यह देश कृषि प्रधान देश है, यह देखते हुये कि हमारी आर्थिक दशा बहुत शोचनीय है, यह देखते हुये कि हमारे स्वास्थ्य का जहां तक संबंध है वह दिन प्रति दिन गिरता ही चला जाता है, ऐसे विधेयक की आवश्यकता थी कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिये कुछ सहायक हो सकता, इसकी आवश्यकता थी कि हमारे देश में हमारी गिरती हुई आर्थिक स्थिति को कुछ सुधारने में सहायक होता, क्या ऐसा ही है? एक चीज इस विधेयक पर वाद विवाद करते समय हमें अपने समक्ष और रखनी चाहिये और यह कि हम यहां किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। हम यहां प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं हिन्दुओं का। हम यहां प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं मुसलमानों का। इसलिये कोई ऐसी भावना आज इस विषय पर वाद विवाद करते समय मुसलमान या हिन्दू धर्म की उठायें तो वह इस सदन के सदस्यों के लिये कोई शोभा की बात नहीं होगी। ऐसी सूरत में मैं आपसे सानुरोध कहूंगा और आप के द्वारा तमाम सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वाद विवाद करते समय वह केवल इस दृष्टिकोण को सामने रखें कि विधेयक के द्वारा आया हमारी आर्थिक स्थिति को कुछ सहायता मिलती है या नहीं।

हमारा यह प्रदेश कृषि प्रधान देश है, इसमें ८० प्रतिशत किसान रहते हैं तो उनकी उन्नति के लिये, कृषि की उन्नति के लिये हमको ऐसे विधेयक के लाने की आवश्यकता थी कि जिसके द्वारा हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें। देखना है कि यह विधेयक हमारी इस आशा की पूर्ति में कितनी दूर तक सहायक होता है। यदि हम यह देखें कि हमारे देश में गायों की स्थिति क्या है, बैल कैसे हैं, उनके डील-डौल कितने बड़े हैं, वह हमारे कृषि के काम के लिये कितने उपयुक्त हैं, तो हमारी गर्दन लज्जा से नीची हो जाती है और यही मानना पड़ता है कि हम अपने को इस देश का निवासी कहने के बावजूद भी अपने को ऐसा नहीं बना सके कि हम दुनिया के अन्य देशों का कुछ मुकाबला कर सकते। इस सम्बन्ध में हमें उसकी उन्नति के सिद्धांत पर अवश्य विचार करना ही पड़ेगा। मैंने जैसा कि अभी कहा और यह विधेयक इसीलिये लाया गया है तो मैं बहुत ही शोक के साथ यह स्वीकार करता हूं कि मैं इस बात पर पूरा विश्वास नहीं कर सकता कि यह विधेयक हमारे आशय की पूर्ति में पूरी-पूरी सहायता दे सकेगा और यही कारण है कि मैं माननीय मंत्री जी के लिये कोई बधाई देने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं यह तो समझ सकता हूं कि ऐसे तमाम पशुओं पर जो हमारी खेती के लिये और हमारी कृषि के काम के लिये सहायक होते हैं उनके बध पर निःसन्देह रोक लगनी ही चाहिये और ऐसी गायों के बध पर भी जो हमारे लिये बच्चे पैदा करें, कृषि के काम में हमको सहायता देते हों उनके वध पर प्रतिबन्ध लगाना ही चाहिये। मैं उन लोगों में से हूं जो

[श्री मुहम्मद नसीर]

अपनी अन्तरात्मा की गहराइयों में यह पूरा-पूरा विश्वास रखते हैं। जब तक हम अपने देश के बच्चों के लिये दूध का प्रबन्ध नहीं कर सकेंगे, हम उनके स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर सकेंगे तो हम सुन्दर नागरिक इस देश के लिये पैदा नहीं कर सकेंगे। अन्य देशों को जब हम अपनी निगाह में रखें तो हमें सोचना पड़ेगा कि यह विधेयक कहां तक उस आशय की पूर्ति करता है जिसके लिये इसको सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं।

महोदय, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो इस विधेयक के सम्बन्ध में यह एतराज करें और यह कहें कि इस विधेयक के कारण जिंकि बहुत से उन लोगों का जिकना मुख्य काम गौवों की हत्या के कारोबार से संबंधित कारोबार से है, उनको धक्का लगेगा, जैसा कि मेरे परम मित्र मौलाना शाहिद फाखरी ने कहा। अगर हजार दो हजार, लाख दो लाख कसाइयों के कारोबार को देश की उन्नति के लिये धक्का लगता है तो मुझे उनको धक्का लगने की कोई पर्वाह नहीं है। एक आगे बढ़ने वाले राष्ट्र को, एक आगे बढ़ने वाले देश को इसकी कौन सी पर्वाह हो सकती है कि कितने आदमियों के साधन को देश के आगे बढ़ने में धक्का लग रहा है। क्या हम ही ने जमींदारी विनाश के कानून को स्वीकार नहीं किया ? क्या उस के कारण हमारे प्रदेश के लाखों रहने वालों के जीवन पर जिनके प्रति हम अब भी सद्भावना रखते हैं, धक्का नहीं लगा ? क्या उनके बाल बच्चे एक बहुत बड़ी यातना को सहन नहीं कर रहे हैं ? लेकिन उस समय हमने यह नहीं देखा कि जमींदारी विनाश के कारण कितने आदमियों को धक्का लगेगा ? बल्कि हमने उस समय यह देखा कि उस से हमारे देश के किसानों की कितनी उन्नति हो सकती है। इसी तरह से हम बहुत सी चीजों का राष्ट्रीयकरण करते जा रहे हैं, उससे कितने ही आदमियों को धक्का लगता है। हम यह भी देखते हैं कि हमारे यहां का रोडवेज विभाग अपनी बसें बढ़ाता चला जाता है। उस से बहुत से आदमियों के कारोबार को धक्का लगता है तो अगर कुछ कसाइयों को धक्का लगेगा तो हमें इसकी पर्वाह नहीं करनी चाहिये। परन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या यह विधेयक उस आशय की पूर्ति करता है जिसका इसकी भूमिका में दावा किया गया है ? जब मैं यह देखता हूं तो मेरी गर्दन लज्जा से झुक जाती है। मैं अपने मंत्री महोदय से और उनकी इंटेलिजेन्शिया से यह आशा रखता था कि वे एक ऐसा विधेयक जो हमारे लिये उपयोगी हो इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसमें कहीं भी कोई ऐसा उपाय नहीं बताया गया है कि उन गायों के लिये क्या होगा जो आज हमारे देश के लिए एक बोझा हैं ? जब आप गऊ माता कहते हैं तो आप यह आशा न रखिये कि मैं गऊ को माता कहूंगा। क्या आप भैंस को भी माता कह सकते हैं ? मैं जानता हूं कि गाय मनुष्य के लिये है, मनुष्य गाय के लिये नहीं है। हां, अगर आप के अन्दर कोई छिपी हुई भावना है तो आप नाराज होंगे। लेकिन अगर इस विधेयक के अन्दर आपने ऐसे जानवरों के लिये जो हमारे देश के लिये उपयुक्त नहीं हैं, जिनमें बच्चे देने की योग्यता नहीं है, जो अशक्त हो चुके हैं और जिनके लिये आज हमारी तमाम शक्तियां और जो कुछ भी हमारे पास साधन हैं उनके होते हुये भी आज हम उनको अपने देश के लिये उपयोगी नहीं बना सकते तो क्या कारण है कि आप उनकी रक्षा कर के हमारे देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने की चेष्टा कर रहे हैं ? आपको इस पर विचार करना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि आपकी सनत व हिरफ़त को इस विधेयक से क्या हानि होगी। आपको उन लोगों की रायों को भी इकट्ठा करना होगा कि जो जानते हैं कि मरे हुये जानवरों के चमड़े और जिन्दा जानवरों के चमड़े में क्या अन्तर है ? तो क्या हमारे देश के लिये यह हितकर नहीं होगा कि उन निकम्मे जानवरों को जो हमारे देश के लिये बोझा हैं हम जल्द ही खत्म कर दें और उन गायों को जो हमें दूध दे सकती हैं उन्नति करें। यह एक विशेष महत्व का प्रश्न है, परन्तु मुझे खेद है कि इसका कोई प्रबन्ध इस विधेयक के द्वारा नहीं किया गया है, इसका एक ही परिणाम होगा।

श्री अध्यक्ष—अभी कितने मिनट भाषण आप करेंगे ?

श्री मुहम्मद नसीर—मैं दो मिनट में खत्म करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और भी निवेदन करनी है। जब कोई विधेयक हम इस सदन के समक्ष उपस्थित करें तो हमें एक चीज और विचार करनी पड़ेगी कि हमारा यह देश जिसमें हमने एक विधान स्वीकार किया है उसमें हमने यह चीज मान ली है कि हमारी सरकार कोई धार्मिक सरकार नहीं है। परन्तु इसका आशय यह नहीं है कि इस देश में जो रहने वाले नागरिक हैं उनके धर्मों में हम कोई बाधा डालें। हमने इसका उत्तरदायित्व अपने जिम्मे लिया है कि हर एक का धर्म, हर एक का कल्चर और हर एक की सभ्यता अगर कोई है तो उसकी पूरी-पूरी रक्षा हो। जब सरकार इस रक्षा का उत्तर-दायित्व अपने ऊपर लेती है तो हमें यह देखना है कि कहीं ऐसा न हो कि इस विधेयक केलाने की वजह से किसी धर्म को धक्का तो नहीं लगता है। अगर हम समावेश कर सकते हैं उन चीजों का जिनके जरिये से हम कृषि में उन्नति करें, सब चीजों में उन्नति करें और हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो और आगे बढ़ें और हम आगे जाने वाले अग्रगामी और उन्नति करने वाले देश के नागरिक बनें और देश को आगे बढ़ा सकें और किसी धर्म में रुकावट डालने का संदेह न हो तो मैं समझता हूं कि यह चीज हमारे लिये बड़ी सुन्दर और उपयोगी होगी। अगर निकम्मे जानवरों को जिबह करने के लिये कोई चीज हो सके जो देश के लिये एक बोझा हैं और ऐसे जानवरों को जिबह करने के लिये जो बच्चा पैदा करने और दूध देने में असमर्थ हैं, इंतजाम कर सकें तो मैं समझता हूं कि दोनों का समावेश हो सकेगा और उस दशा में हम गौरव के साथ सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि हम ज्ञान से भरे हुए हैं और दूरदर्शी होने के साथ-साथ देश के लिये हम वह चीज उपस्थित करते हैं, जो हमारे नजदीक देश के लिये हितकर है और सब सन्तुष्ट हो सकते हैं। ऐसी सूरत में मैं आप के द्वारा नम्र निवेदन करूंगा कि इसमें जो त्रुटियां हैं, इस दृष्टिकोण से देख कर अगर वह स्वीकार कर सकें तो यह हमारे देश के लिये, हमारे लिये और हमारी आने वाली नस्ल के लिये बड़ी गौरव की बात होगी। 'जय हिन्द'।

(इस समय १ बज कर १८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो हमारे सामने आज आया है उसको उलट-पलट कर देखने से, जहां तक मेरा खयाल है, यह मालूम होता है कि यह केवल राज्य के गोरक्षा आन्दोलन को दबाने के लिये आया है वर्ना दूसरी इसकी कोई मंशा मालूम नहीं हो रही है, श्रीमन्, हमारी सरकार के मुंह में दो जीभ हैं। उसको कुछ परेशानी हुई तो उसी परेशानी का यह नतीजा निकला है वरना इस बिल के अन्दर कुछ है नहीं। दो जीभ वाला जो जानवर होता है वह बड़ा खतरनाक होता है। सरकार के मन में तो कुछ और रहता है और इस हाउस के अन्दर कुछ और कहती है, भावना उसकी कुछ और रहती है तथा जिन निर्वाचन क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुन कर उधर के लोग आये हैं वह कुछ और सही बातें चाहते हैं। सरकार की यह चालबाजी मैं बिलकुल गलत समझता हूं, यह बात नहीं होनी चाहिये, सही बात होनी चाहिये। हमारे देश के अधिकांश जनता की यह भावना है कि गाय भैंस न मारी जायं। यह बात सत्य है और होनी चाहिये.....।

श्री व्रजभूषण मिश्र—मैं जानना चाहता हूं कि आप पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में?

श्री उमाशंकर—मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता था जो हमारे मित्र श्री जोरावर वर्मा जी की तरफ से आया था परन्तु वह वापस हो गया ह तो भी मैं उस के विषय में कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। मैं यह कह रहा था कि अगर नेकनियती से सरकार इस बिल को ले आना चाहती है तो गोहत्या होना पाप है यह कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये, हमारे व्यक्तिगत विचार कुछ भी हों। मगर जिस चुनाव क्षेत्र से चुन कर हम आये हैं, जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र की जनता की भावना है उसका

[श्री उमाशंकर]

ही हम यहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं, वही बातें हमको यहां कहनी चाहिये बशर्ते कि हम समझते हों कि उस में मानव का कोई अकल्याण न हो। यही बात नहीं कि हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि उनकी भावनाओं की हमको कदर करना चाहिये। सरकार का यह कहना कि केवल आर्थिक दृष्टिकोण से हम यहां पर यह बिल ला रहे हैं, घुमाकर द्रविड़ प्राणायाम करना है, यह बात गलत है।

ऐसा होना चाहिये कि बिल को पढ़ते ही हर आदमी यह समझे कि सरकार उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो यहां की बहुसंख्यक जनता की भावना है और उनको ठीक समझती भी है, यह चीज इसमें साफ होनी चाहिये। मेरी समझ में जो बहुसंख्यक लोग हैं उनकी भावनाओं का आदर किया जाना चाहिये, जब तक अल्प संख्यकों का कोई नुकसान न हो, इस बिल के उद्देश्य और कारणों में यह लिखा हुआ है कि—

"गाय और उसके वंश की, दूध और बैलों की शक्ति तथा खाद की व्यवस्था करने के लिये, रक्षा के काम करना आवश्यक है, अतः गो वध का पूर्णरूप से निषेध करना आवश्यक हो जाता है।"

इसके साथ ही साथ हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिये कि हमारे देश में दूसरे ऐसे जानवर भी हैं जो गाय अगर १०० सेर दूध देती है तो वह जानवर २०० सेर दूध देता है। दुःख है कि उसका नाम इसमें नहीं रक्खा गया है। खाद अगर गाय १०० सेर देती है तो वह २०० सेर देता है, इसलिये उसका नाम भी इसमें होना चाहिये। उसके वंशजों की रक्षा की बात भी इसमें आना चाहिये। यह बात मैं आर्थिक दृष्टिकोण से कह रहा हूं, वह जानवर भैंस है। इसके साथ ही साथ इसी बिल में दूसरी तरफ यह आशय भी लिखा है कि रेलवे स्टेशनों और हवाई जहाज के स्टेशनों पर जो चाहे उसको बेच सकेगा, यह सब क्या है? यह समझ में नहीं आता आपको तो साफ-साफ इस बात को कहना चाहिये कि हमारे देश में गो और भैंस का मांस बिकना निषेध है, अपराध है। लेकिन इस बिल में उसकी ओर कोई संकेत नहीं है। मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। इस बिल की थोड़ी-थोड़ी बातें आपके सामने रख देना चाहता हूं। जहां-जहां इस बिल में गाय और उसके वंशज शब्द आये हैं, वहां-वहां भैंस और उसके वंशज शब्द भी आने चाहिये तो यह बिल बहुत अधिक उपयोगी हो जायगा। हमारे यहां प्रथा है कि गाय को बांध दिया जाय और संयोगवश वह मर गयी तो उसको धर्मशास्त्रों की शरण में जाना पड़ता है। उसको दंड भुगतना होता है। इसी प्रकार से अगर भैंस मर जाती है तो उसको भी उसी प्रकार से दंड का भागी होना पड़ता है। इसलिये गांवों में जो इज्जत गाय की है वही भैंस की है। भैंस किसी प्रकार भी गाय से कम नहीं है, गाय के बराबर ही है। इसलिये हम माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करेंगे कि वह इस बिल को वापस लेकर, यह नहीं कि वह २-३-४ महीने उसमें लगा दें बल्कि उसको उन्हें दो एक दिन में सुधार कर सदन में ले आना चाहिये ताकि गाय-भैंस आदि उपयोगी जानवर मारे न जायं। गाय का बच्चा अगर २०० सेर बोझा ढोता है तो भैंस का बच्चा २५० सेर बोझा ढोता है। क्या इसका आपके पास कोई जवाब है कि भैंस को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? मेरे खयाल में तो यह बिल इस लिये आया है कि कुछ लोग इसके लिये बड़ा शोर-गुल मचा रहे थे और आप चाहते थे कि इस शोर-गुल को किसी तरह से दबाया जाय। बाघ, वन दोनों बचाना चाहते हैं। सांप मर जाय और लाठी भी न टूटे। यह सरकार का काम है, हमारे एक दोस्त नसीर साहब हैं जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि जो बांझ, बीमार और दूध न देने वाली गायें हों.....।

कृषि मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—आपने क्या कहा कि सांप भी मर जाय और लाठी भी टूट जाय।

श्री उमाशंकर—मैंने यह नहीं कहा, मेरा जो मतलब है वह सब जानते हैं। तो इसी तरह से सरकार का काम चलता जाता है। चाहते हैं कि दोनों पहलू खुश रहें। इधर के भी लोग खुश रहें और उधर के लोग भी खुश रहें।

मैं कह रहा था कि मेरे लायक दोस्त ने एक राय दी है कि जो बांझ गाय हो, जो बीमार गाय हो और जो निकम्मी गाय हो उसको मारने की इजाजत दें तो बढ़िया चमड़ा मिलेगा और चारा बचेगा और न जाने क्या-क्या दलीलें दे रखी हैं। अगर सरकार ने इस बात को साफ कर दिया होता कि हमारे प्रदेश की बहुसंख्यक जनता की भावना है कि गायें न मारी जायं तो शायद यह दलीलें सामने आती ही नहीं। इसलिये हम चाहते हैं कि हमारे मंत्री जी को यह सुबुद्धि आवे। वे इस बिल को लाकर जब कहते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह कानून बनाया गया है तो उनको आर्थिक दृष्टिकोण से ही सारी बातें सोचनी चाहिये। किन-किन जानवरों के मारने से हमारा आर्थिक नुकसान होगा जब वे इस बात पर गौर कर लेंगे तो भैंस तथा भैंस के बच्चे दोनों उनकी आंख के सामने जरूर आवेंगे। हम भरोसा करते हैं कि हमारी इस सिफारिश पर वे गौर करेंगे और फिर से इस पर विचार करेंगे।

श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने विचार इस उपस्थित विधेयक के सम्बन्ध में व्यक्त कर सकूं। विधेयक के सम्बन्ध में कल से बातचीत हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि विधेयक इसलिये लाया गया है कि चन्द दिनों पहले कुछ शोरगुल मचा था कि गोमाता की रक्षा की जाय, गोवध न किया जाय। इसलिये सरकार ने डर करके यह विधेयक उपस्थित किया है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि उनका ऐसा विचार है कि केवल आर्थिक दृष्टि से ही यह विधेयक लाया गया है और किन्हीं सदस्यों की कुछ ऐसी भावना है कि आर्थिक दृष्टि की आड़ में यह विधेयक धार्मिक दृष्टि से लाया गया है। यदि तात्विक रूप से इस पर विचार किया जाय तो मैं कह सकता हूं कि इस विधेयक की सार्थकता आज से नहीं है, किन्तु इस विधेयक की सार्थकता हम बहुत पहले से समझते हैं। अंग्रेजी राज्य के पहले मुस्लिम राज्य था और मुस्लिम राज्य के पहले यहां पर हिन्दू राज्य था। हिन्दू राज्य में गायों का वध नहीं होता था। मुस्लिम राज्य में मुमकिन है कहीं पर हुआ हो लेकिन राजाओं ने गोवध करना बन्द किया और जब अंग्रेजी राज्य आया तो उसको मौका मिला कि यहां की जनता के जहां कि हिन्दू मुसलमान दोनों बसते हैं, दिलों को ऐसी ठेस पहुंचायी जाय कि दोनों लड़ा करें और उसका राज्य अक्षुण बना रहे। अगर किसी मुसलमान ने एक गाय कभी काट दी तो हिन्दू मुसलमानों में झगड़े हो जाते थे, लेकिन जैसा कि किसी भाई ने कहा है कि "फौज के लिये तो लाखों गायें प्रति दिन काटी जाया करती थीं उसकी परवाह भी नहीं की जाती थी।" यह काम अंग्रेजों ने इसलिये किया जिससे देश लड़ता रहे, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती रहे और उनकी इच्छा पूर्ण होती रहे। आज से १३० वर्ष पूर्व गुजरात प्रदेश में एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम उस समय मूल शंकर रक्खा गया और जो बाद में स्वामी दयानन्द सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस महापुरुष ने १३० वर्ष पहले इंगलैन्ड की महारानी विक्टोरिया के जमाने में एक आवेदन पत्र पेश किया कि हिन्दुस्तान से गोवध प्रथा हटा दी जाय क्योंकि गोवध से देश की कृषि उन्नति अवरुद्ध होती है, देश का आर्थिक नाश होता है, गोरक्षा से कृषि एवं दूध की वृद्धि होगी। गोवध निवारण कोई आज का सवाल नहीं है। सदन के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे इस पर ध्यान दें कि १३० वर्ष पहले जो आवाज उठी थी उसी आवाज को, उसी गुजरात के एक दूसरे महापुरुष महात्मा गांधी ने जो हमारा राष्ट्रपिता कहलाता है, इन शब्दों में अपने देशवासियों के सामने रक्खा था—"जब लों भारत भूमि से गोवध प्रथा न टारिहों, तब लौं तव पद शपथ मां, ब्रह्म सूत्र नहिं धारिहौं"! और यह कह कर उन्होंने अपने ब्रह्म सूत्र को अपने से अलग किया और कहा कि स्वराज्य से बढ़कर भी हमारे सामने गौ रक्षा का प्रश्न है क्योंकि उन्होंने इसके महत्व को समझा था। अब यदि स्वराज्य मिलने के बाद भी हमारी जनता भूखों मरती रहे, बच्चे छटांक-छटांक दूध के लिये तरसते रहें तो इस स्वराज्य की हमारे लिये क्या सार्थकता रह जाती है? इसलिये हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम देखें कि भारत की जनता, ललनायें और उनके बच्चों को प्रतिदिन उनकी वृद्धि के लिये दूध मिलता रहे, यदि हम इस में सफल होते हैं तभी हम अपने स्वराज्य को सार्थक समझ सकते हैं! यह बचन जो गांधी जी के थे उन्हीं को उनके अनुयायियों ने जिन्होंने स्वराज्य को सफल बनाने के लिये कदम बढ़ाया

[श्री गंगाधर शर्मा]

है, यह बिल लाकर पूरा किया है। यह बिल किसी के नारों के डर से हमारे सामने नहीं आया, यह तो हमारे ऊपर एक कर्जा था, एक ऋण था जिसे हम उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं, हर चीज का एक खास समय होता है जब उसकी सफलता निश्चित होती है। हर बात का हर समय सफल होना सम्भव नहीं हो सकता है।

अब उपयुक्त समय आया है और इसलिये माननीय मंत्री जी ने यह बिल सदन के सामने लाना उचित समझा। अब जब कि यह विधेयक यहां आया है तो उस में कई त्रुटियां बतलायी जाती हैं। कुछ भाई कहते हैं कि आप उसको गऊ माता क्यों कहते हैं? आप इसे धर्म का विषय क्यों यहां बनाते हैं। मैं कोई शास्त्र की बात नहीं कहता लेकिन मैं बता दूं कि धर्म भाव सेवा वैसे ही गौ के अर्थ क्या हैं और क्यों हम इस को गो माता कहते हैं? गो शब्द के माने हैं "इंद्रियों" के "जिह्वा", "सरस्वती" के। हम सरस्वती की पूजा करते हैं, विद्या की पूजा करते हैं। सरस्वती शब्द स्त्रीलिंग है और गौ भी स्त्रीलिंग है और भारतीय संस्कृति में स्त्री जाति को आदर की दृष्टि से, माता की दृष्टि से देखते हैं! इसलिये हम गौ को माता शब्द से पुकारते हैं। इसी से हम गौ को पशु होने पर भी माता कहते हैं, उसको हम अपनी जननी नहीं कहते, माता और जननी में अन्तर है। जो भाई कहते हैं कि गौ हमें नर्क से वैतरणी से, तारने वाली तथा स्वर्ग पहुंचाने वाली माता है उन से मैं कहूंगा कि यदि वह धर्म की बात करते हैं तो यह गौ रूपी वाणी ही हमारी माता है! पशु 'गौ' जिसको माता कहते हैं वह हमारी रक्षक नहीं हो सकती, रक्षक तो वाणी हो सकती है वही हमें दुःखों से तार सकती है! अगर हम किसी को कटु शब्द कहते हैं तो वह तुरन्त हमारे गाल पर चांटा लगायेगा लेकिन यदि हम मधुर वाणी से बात कहते हैं तो हमारा आदर सत्कार करेगा, अगर हम पर कोई तलवार भी उठाना चाहता हो और हम नम्रता से बोलें वह भी रक्षा करेगा इसलिये सरस्वती देवी या वाणी की रक्षा करना आवश्यक है और इसी से स्वर्ग मिल सकता है। सत्य बोलना ही धर्म है, वाणी की पवित्रता से हमें इस दुनिया में सुख मिलता है और मरने के बाद स्वर्ग में वहां भी सुख मिलता है। कौन ऐसा मनुष्य है जो संसार में रहते हुये सुख और मरने के बाद स्वर्ग न चाहता हो? वाणी ही वह चीज है जिससे चाहे सुख उत्पन्न कर लो चाहे स्वर्ग का साधन कर लो या नर्क कर लो। इसलिये गौ माता की रक्षा करना हमारा धर्म है। मैं इसको धार्मिक भावना कहने से हिचकता नहीं, धार्मिक भावना इसमें है, इससे हमारी आत्मा पवित्र बनती है।

अपनी पवित्र अन्तरात्मा के निर्मल आदर्श, शीशे में हम अपने को देखें कि हमारी आत्मा इन कामों से कहां तक पवित्र होती चली जाती है, यही धार्मिक भाव है। और अगर हमारी आत्मा पवित्र है तो संसार में सुख से रहेंगे, मरते समय सुखी रहेंगे और मरने के बाद भी स्वर्ग में जायेंगे यही तात्विक अर्थ धर्म का है! अगर हम किसी वस्तु का निरर्थक नाश करते हैं तो हम पाप करते हैं। गाय तो गाय रही अगर हम एक पत्ता भी व्यर्थ में तोड़ते हैं तो हम अन्याय करते हैं, पाप करते हैं। धर्म शब्द को छोड़ दीजिये, न्याय शब्द को लीजिये, हम सरकार को धार्मिक सरकार न कहें तो क्या न्यायी सरकार भी न कहें? यदि न्यायी सरकार न कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे, अन्यायी सरकार कहेंगे। सरकार अन्याय नहीं करती है न्याय करती है और इसीलिये यदि किसी पशु को तकलीफ हो, किसी ऐसे पशु को जो चोटिहल हो, कमजोर हो, बहुत दुखी हो तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उसको राहत पहुंचावें। फिर ऐसा पशु कि जिसका हम दूध पीते हों, जिसके बच्चे से हम खेती करते हों, तमाम दूसरे फायदे उठाते हों और यहां तक कि मरने के बाद भी उसके चमड़े से हम अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिये अनेक उपयोगी चीजें तैयार करते हों उसकी रक्षा यदि हम करते हैं तो हम न्याय करते हैं, धर्म करते हैं और अगर ऐसा नहीं करते तो हम अन्याय करते हैं, अधर्म करते हैं। इसलिये हर हालत में यह विधेयक बड़े महत्व का है।

अब इसमें जो कुछ त्रुटियां हैं उन पर मैंने भी सोचा है और मैंने उनको लिखकर दिया है। किन्हीं माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें भैंस शब्द का भी समावेश होना

चाहिये। किसी ने बकरी के लिये भी कहा, मैं तो उससे एक पग और आगे बढ़ जाता हूं। भैंस, बकरी और भेड़ को भी लिये लेता हूं। मैंने संशोधन भी दिया है। लेकिन केवल गो वंश की रक्षा करना—यह प्रारंभिक स्टेज है। यदि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को पास करके व्यवहार में लाते हैं तो वह सारे पशु शनैः-शनैः स्वयं सुरक्षित हो जायेंगे। गाय माता है जब गो माता स्वयं मरती है तो वह रक्षा किस की करे यदि गोमाता सुरक्षित हो गयी तो निश्चय मानिये कि वह अन्य सारे पशुओं की भी सुरक्षा कर सकेंगे। राज्य का काम आसान नहीं है। बादशाह के लिये, डिमोक्रेसी में जनता की सरकार के लिये किसी काम को कह देना आसान है लेकिन उस काम को पूर्ण तया निभाना मुश्किल है। आज के अन्तर्राष्ट्रीय जगत में चमड़े का बहुत अधिक प्रचार है। आज वह भाई जो सदन में बैठे हुये हैं या जो "गो हमारी माता है, देश धर्म का नाता है" का नारा लगाते हैं या जो गो माता कहकर पुकारते हैं, उसके चमड़े क्रोम लेदर से बने फीते, जूते और बक्से आदि चीजों को प्रयोग में लाते हैं। आज अनेक मशीनों के पुर्जे और अन्य तमाम चीजें ऐसी हैं जिनमें चमड़े का प्रयोग होता है।

सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने और वैसे ही हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के सामने एक सवाल है उसको हम आर्थिक दृष्टि से देखें या चाहे धार्मिक दृष्टि से कोई भी सरकार पशुवध बन्द कर एकदम चमड़े का प्रयोग करना कैसे बन्द कर सकती है? चमड़े का इतना बढ़ा हुआ प्रयोग कम कैसे किया जाय यह सवाल सरकार के सामने आयेगा। लेकिन वह प्रश्न उठे या न उठे गवादि के प्रति यह अन्याय कैसे दूर होगा यह हमें हल करना है। हम क्रोम लेदर का जूता पहिनना छोड़ें, क्रोम लेदर के बक्से आदि सामान रखना छोड़ें और फिर यही नहीं हमको आश्रित होना पड़ेगा मुरदा गायों के चमड़े पर जो गायें अपने आप मरती हैं उनके ही चमड़े को हम काम में लावें इस बात के लिये हमें अपने आपको संयमित करना पड़ेगा और हमें उन्हीं चीजों को लेना पड़ेगा जो अपने आप मरी हुयी गायों के चमड़े से बनी हों। इसमें आपको त्याग करना पड़ेगा। जो भाई यह कहते हैं कि ऐसी गउयें और ऐसे पशु जो कि कमजोर हैं, लूले, लंगड़े और अलाभकारी हैं उनको अगर बध कर दिया जाय तो सरकार के सामने जो कठिनाइयां हैं वे भी कुछ दूर हो जायंगी। मुमकिन है उनका यह खयाल ठीक हो, लेकिन बहुत से भाइयों का यह कहना है कि ऐसा न किया जाय इसमें बहुत से लूपहोल्स रहेंगे और लोगों को अच्छी अच्छी गौवें मारने का मौका मिलेगा। कोई भी अच्छी से अच्छी बात हो उसमें भी मुखालिफत होती है और कोई बुरी से बुरी बात हो उसके भी कुछ हामी भरने वाले साथी मिल जाते हैं। रात दिन का हमेशा झगड़ा रहता है। भले बुरे दोनों संसार में हैं ऐसी दशा में अगर आप चाहते हैं कि गाय कभी कटे नहीं तो यह आपके लिये बड़ा ही कठिन काम होगा। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में मांस, चमड़ा, आदि की आवश्यकता को देखते हुए संसार के दूसरे लोग चाहे गाय काटें लेकिन आप अपने देश के अन्दर गायें न काटें। ऐसा आपका धर्म बतलाता है, आपकी अर्थनीति बतलाती है, आपका कर्त्तव्य बतलाता है। गोमांसाहारी दूसरे देश वाले पसन्द करते हों, उनको गो मांस अच्छा लगता हो लेकिन हमें वैसा अपने देश में नहीं करना चाहिये। भले ही वह स्टेशन हो, रेल हो या अगर वे हमारे मेहमान हैं तो उनकी खुशी के लिये हम अपना कर्तव्य जो है उसको न करके उनके लिये गोमाँस का प्रबन्ध कर क्या कर्तव्य करने लग जायेंगे? इस विषय में हमारी सरकार और मंत्री महोदय को उचित शब्दों का प्रयोग करके विधेयक में यदि कहीं उलटफेर की आवश्यकता है तो उसे अवश्य करना चाहिये। यह अत्यन्त खुशी की बात होगी और मेरी उनसे प्रार्थना है कि विधेयक को ऐसा बना दिया जाय कि जो ये वास्तव में त्रुटियां दिखायी देती हैं वे न रहें। मैंने लिखा है कि दुधारू शब्द बढ़ा दिया जाय। गाय के पश्चात् मैंने कुछ अन्य दुधारू पशु ये शब्द बढ़ाये हैं। अगर हमारे माननीय मंत्री महोदय यह देखें कि कोई बात इसमें कटुता की नहीं है तो वे इसको रख लें और अगर कुछ कटुता देखें तो न रखें। दुधारू पशु की रक्षा में मैं समझता हूं कि दूध घी की कमी के बारे में सदन में जो विचार व्यक्त किये गये हैं इस सम्बन्ध में जो एतराज हैं वह काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। भैंस, बकरी और भेड़ का दूध काफी तादाद में पहाड़ से लेकर प्लेन्स तक काम में आता है और सबके लिये उपयोगी है, आवश्यक है। इनकी रक्षा से जहां तक कृषि उन्नति का सम्बन्ध है इनके गोबर और लेंड़ी से खाद का प्रश्न भी कुछ हल होता है।

[श्री गंगाधर शर्मा]

मैंने सदन का इतना समय लिया है और अपने विचार मैंने इस मानों में व्यक्त किये हैं कि गोवध निवारण सम्बन्धी जो विधेयक आया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि यह जल्दी से जल्दी पास हो। इसके पास होने से हमारे उत्तर प्रदेश को ही नहीं सारे देश की जनता को जो लाभ और आनन्द मिलेगा वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसमें हमारे देश के सारे भाई चाहे किसी धर्म के हों, किसी मत के मानने वाले हों सब के सब प्रसन्न होंगे। अगर चन्द भाई किसी वजह से, अपनेस्वार्थ की वजह से इस समय अप्रसन्न भी होते हैं तो हम उन्हें धीरे-धीरे प्रसन्न कर लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को और अधिक व्यक्त करना समाप्त करता हूं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्तुत विधयक.....

श्री ब्रजभूषण मिश्र—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि कोई सूची है जिसके आधार पर नाम बुलाये जाते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—जो खड़े हो जाते हैं और सामने आ जाते हैं उनको मैं बुला लेता हूं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—प्रस्तुत विधेयक पर कई दृष्टिकोण से कल से विचार हो रहा है। इन दो दिनों में कई माननीय सदस्यों के भाषण सुनने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है कई प्रश्न भी हमारे सामने उपस्थित किये गये हैं। कुछ लोगों का तो यह कहना है जैसे माननीय उमाशंकर जी ने अपने भाषण में अभी अभी कहा है कि साफ तौर पर कह देना चाहिये कि धार्मिक दृष्टिकोण से ही यह विधेयक उपस्थित किया गया है। कुछ ऐसे भाई भी हैं जिन्होंने इस विधेयक पर बोलते हुए अन्य दृष्टिकोण भी उपस्थित किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री उमाशंकर के खड़े होने पर) क्या कोई प्वाइंट आफ आर्डर है?

श्री उमाशंकर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि मैंने यह कहा कि अधिकतर जनता की यह भावना है।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—जो भावना माननीय उमाशंकर जी ने व्यक्त की है वह धार्मिक भावना ही है। इसलिये मैंने उसका यही अर्थ समझा कि उनका यह कहना था कि बहुसंख्यक लोगों की धार्मिक भावना गोवध के विरुद्ध है इसलिये चाहिये था कि बिल के उद्देश्य और कारणों में इसका साफ साफ उल्लेख किया गया होता, यही उसका अभिप्राय था, जितना मैं समझ सका था। मैं इस सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि धार्मिक प्रश्न को अलग रखते हुए जो इसमें आर्थिक प्रश्न निहित है, जिसके अधीन यह गोवध निवारण विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अनादिकाल से हम मानते आये है, और सारा संसार मानता है कि गाय के मुकाबले में कोई भी जीव, जो खेती के काम में आता है, ऐसा नहीं है, जो इतना लाभदायक हो। माननीय कपूर जी ने अभी बताया कि १८ बियान गाय देती है। अगर हम १८ न मानें कम से कम मान लें तो इतना तो मानना ही पड़ेगा कि प्रत्येक गाय कम से कम दस बच्चे देती है। उसका हिसाब लगा लिया जाय, उस के बाछा, बाछी सब को जोड़ लें तो मालूम हो जावेगा कि कितने प्राणियों की रक्षा एक गाय से होती है। यह तो मामूली अर्थमेटिक का हिसाब होगा जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आर्थिक दृष्टि से भी गाय का बध रोकना आवश्यक है और जैसा कि विधेयक के उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है, हमारे लिये यह एक महान् प्रश्न है। सैकड़ों वर्षों से हम इसको मानते आये हैं कि गाय हमारे लिये परमावश्यक जीव है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है जहां पर ९५ प्रतिशत लोग कृषि से ही अपनी

जीविका चलाते हैं । जो देश कृषि प्रधान होगा वहां गाय को अवश्य महानता मिलनी चाहिये। धार्मिक दृष्टि में भी आर्थिक दृष्टि का समावेश है, इसी हेतु इसमें भी प्रधानता आ गयी है। आर्थिक दृष्टि से ही गाय को पवित्र इस रूप में लिया गया है । बहुत से काम यदि धार्मिक दृष्टि से कहे जाते हैं तो लोग उसके अनुसार ज्यादा चलते हैं। कई सदस्यों की ओर से एतराज हुआ है, माननीय राजनारायण जी ने भी कल यही कहा था, उनका कहना यही था कि सरकार को साफ साफ कहना चाहिये था कि वह धार्मिक दृष्टियों से ही इस विधेयक को प्रस्तुत कर रही है । मैं समझता हूं कि सरकार ने जो इस विधेयक को प्रस्तुत किया है उसमें सब बातों को दृष्टि में रखते हुये प्रधानता आर्थिक प्रश्न को ही दी है। इस प्रश्न का हल परमावश्यक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि इस विधेयक पर बोलने के लिये बहुत से सम्मानित सदस्य उत्सुक हैं। इस विधेयक पर बोलने के लिये जितने भी माननीय सदस्य खड़े हुये हैं चाहे इधर से हों या उधर से, चाहे वे जिस भावना से प्रेरित रहे हों, सब ने इसका समर्थन किया है। किसी ने विरोध नहीं किया। इससे मालूम होता है कि यह परम आवश्यक विधेयक है। और इसको तुरन्त पास होना चाहिये। परन्तु मैं कुछ सुझाव माननीय मंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं।

इस विधेयक में कुछ त्रुटियां रह गई हैं और सब से बड़ी त्रुटि जो है वह इसका खंड ४ है। उस के उपखंड १ के "क" में कहा गया है "(क) जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार विज्ञापित किसी सांस्पर्शिक अथवा सांसर्गिक रोग से पीड़ित हो; अथवा" । कंटेजस अथवा इंफेक्शस डिजीज से पीड़ित हो उस का मतलब यही है। उसमें लिखा है कि अगर कोई पशु कंटेजस अथवा इंफेक्शस डिजीज से पीड़ित हो तो वह मारा जा सकता है और मारने वाले के लिये यह आवश्यक होगा कि वह सब से करीब के थाने में जा कर उसकी इत्तला कर दे। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस धारा के दुरुपयोग होने की संभावना है। कोई भी आदमी गाय या गाय के वंशज को मार सकता है अथवा मरवा सकता है और बाद को जा कर थाने में इत्तला कर सकता है कि यह बछड़ा कंटेजस अथवा इंफेक्शस डिजीज से पीड़ित था इसलिये मार दिया गया। यहां इतना ही कह दिया गया है कि—"वह व्यक्ति जो ऐसी गाय का वध करे अथवा वध करवाये, वध के चौबीस घंटों के भीतर, सन्निकट थाने में अथवा ऐसे अधिकारी अथवा अधिकारिकों के समक्ष जो नियत किया जाय तत्संबंधी सूचना देगा।" अगर यह इसी स्वरूप में पास कर दिया जाता है तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। एक ओर तो आप यह कानून बनाना चाहते हैं कि गाय का वध न किया जाय और दूसरा तरफ आप ऐसा "लूपहोल" इसमें रख रहे हैं इसका नतीजा यह होगा कि गाय का वध रुक नहीं सकेगा और वह होता रहेगा। मैं समझता हूं कि इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है और विचार कर के जब हम लोग पूरे विधेयक पर "क्लाज वाइज" डिस्कशन करें तो उस वक्त इसको इस तरह से संशोधित कर देवें ताकि इस प्रकार की संभावना न रहे।

दूसरी त्रुटि जो इस विधेयक में है वह खंड ५ का अपवाद है। उसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह अपवाद यहां से हटा दिया जावे उसके सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। मैं उन सम्मानित सदस्यों से जिन्होंने इसका विरोध किया है, सहमत हूं। वायुयान के बारे में तो हम कह सकते हैं कि यह बाहर से आता है और उस पर यदि कोई खानेवाला गोमांस रखे हुये हैं तो ठीक है, उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये वह उसे ले कर बाहर ही चला जाता है। अगर यहां तक आप कहते हैं और अपवाद रखते हैं तो ठीक है। आप उनके लिये थोड़ा सा एक्सेप्शन, अपवाद कर सकते हैं लेकिन रेल का क्या प्रश्न है ? रेल तो हमारे प्रदेश में ही चलती है और हम समझते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है किसी स्टेशन पर गोमांस नहीं बिकता। फिर जो चीज नहीं हो रही है उसको आप करने जा रहे हैं इस विधेयक में अपवाद ला कर मैं समझता हूं कि इसको अपवाद में रख कर जहां एक तरफ आप विधेयक ला कर गोवध रोकना चाहते हैं

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

वहां दूसरी तरफ गोवध करने की इजाजत दे रहे हैं। जहां तक मेरी सम्मति है और जितना मैंने इस विधेयक का अध्ययन किया है उस के आधार पर मैं इस अपवाद को इस स्थान पर रखना अनुचित समझता हूं और मेरा यह विनम्र निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार करें।

तीसरी बात यह है कि गोमांस जो टीन में रख कर बेचेगा उसको इजाजत देना भी मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इन त्रुटियों को निकाल कर हम इस विधेयक को शीघ्र ही पास कर देंगे।

*श्री जगदीशसरन (जिला बरेली)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस महत्व-पूर्ण विधेयक पर यह सदन बहस कर रहा है उस के लिये यह सदन ही नहीं सारा प्रान्त उत्सुक था। जब से यह विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ है सरकार को बधाई मिली और माननीय कृषि मंत्री जी को भी जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया मैं समझता हूं कि वे इसके अधिकारी हैं। हमारे सामने जो वार्तालाप हुये उससे हमने यह देखा कि आज इस विधेयक के उद्देश्य के विषय में दो सम्मति दिखाई नहीं पड़तीं और न उनका स्थान है। प्रश्न केवल इतना है कि यह विधेयक किस मात्रा में उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। मेरी सम्मति में हमारे प्रदेश में और हमारे देश में दो तरह का गोवध होता है। एक एक तरह के गोवध का उत्तरदायित्व तो उस कसाई पर है जो अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में गाय का तत्काल वध करके उसकी मुक्ति कर देता है और दूसरे गोवध का दायित्व है जान में या अनजाने में उन व्यक्तियों के ऊपर उन गो सेवा का दावा रखने वालों पर जो एक ओर तो गो सेवा की लम्बी लम्बी बातें करते हैं गोमाता को राजनीति की दलदल में खींचते हैं, उसको अपने स्वार्थ सिद्धि का यन्त्र बनाते हैं, दूसरी ओर अपनी अकर्मण्यता से, अवहेलना से एवं कर्त्तव्य भीरुत से उसे भूखों मरने देता है और शनैः शनैः मरने देता है। मेरा मत है कि यह विधेयक प्रथम श्रेणी के वध से तो गाय का संरक्षण कर सकेगा लेकिन दूसरी श्रेणी से संरक्षण के लिये सरकार को और कुछ सोचना पड़ेगा। हमारा देश पशु प्रधान देश है, हमारे देश की अमूल्य निधि पशु हैं। संसार में जितने पशु हैं उसका एक बटे चार हमारे देश में हैं। फिर भी दुख का विषय है कि इस दिशा में पर्याप्त प्रयत्न नहीं कर पाये हैं। इस पंच-वर्षीय योजना में १ हजार करोड़ रुपये के लगभग खाद्यान्न की उन्नति के आन्दोलन पर व्यय किया गया लेकिन हम पशुओं के संवर्द्धन में पर्याप्त प्रयत्नशील न हो सके। मेरी प्रार्थना है सरकार से इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाय। भारतवर्ष में हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि गाय के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हुये भी अभी हम बहुत पीछे हैं। दूसरे मुल्कों में जब दूध का उत्पादन १४४ आउंस प्रति व्यक्ति तक है, हमारे प्रदेश में केवल ४·७ आऊंस प्रति व्यक्ति है यह बड़ी शोचनीय दशा है। हमारे देश में जो गो वंश है उस की संख्या १ करोड़ से अधिक है और केवल गाय के दूध से तथा उससे बने हुये पदार्थों का मूल्य ३०० करोड़ रुपये के लगभग होता है। इससे यह सिद्ध है कि यह विषय वास्तव में बड़े महत्व का है और गोवंश की समृद्धि से हमारे देश की समृद्धि सन्निद्ध है। अतः इस ओर जितना ध्यान दें उतना थोड़ा होगा। अभी इस सदन में चर्चा हुई कि यह धार्मिक प्रश्न है या आर्थिक। कुछ सदस्यों ने अपने भाषण में इस बात का प्रयत्न किया कि वे सिद्ध करें कि यह धार्मिक प्रश्न नहीं। उनके इस तरह उस जगह से हटने में कुछ लोगों को यह भी अवसर मिला कि उन लोगों ने इसी वजह से इस पर आपत्ति की। मैं कहना चाहता हूं कि यदि यह कहा जाता कि इतने महत्वपूर्ण विषय को हम भावुकता से नहीं सोचेंगे। अगर यह बात कही जाती कि इतने महत्वपूर्ण विषय में हम साम्प्रदायिक दृष्टिकोण नहीं आने देंगे तब तो मैं समझता हूं। लेकिन यह कहना कि इसका धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं तो मैं कहूंगा कि वास्तविकता से परे बात होगी। मेरे विचार से इस प्रश्न का सीधा संबंध धर्म से है और अवश्य है और उससे हमें हटना नहीं चाहिये। मेरा तो यह विचार है कि धर्म के बिना राजनीति उस मृतक शव की तरह है जो केवल

गाड़ने के योग्य है। आज हम जितना ही इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि इस प्रश्न का केवल आर्थिक पहलू ही है, उतना ही हम देखते हैं एक पक्ष का साहस होता है इसको विरोध का यन्त्र बनाने का। तो मैं कहूंगा कि इस तरह माना असंगत होगा। मैं कहता हूं ठीक है कि वास्तव में इसका किसी सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्ध नहीं। आज गोवध निषेध के प्रति सारा समाज एक मत से सहमत हो चुका है। यह गोसंवर्द्धन कमेटी की रिपोर्ट जिसमें सभी वर्ग के सज्जन थे एक मत से हमारे सामने आई वही इसकी प्रतीक है। मैं और भी अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से सदन की सेवा में निवेदन करूंगा कि बरेली में जिस समय वहां की नगरपालिका के अध्यक्ष के मैंने इस गोवध निषेध का नियम प्रस्तुत किया वहां पर आधे मुसलमान, आधे हिन्दू सदस्य थे। लेकिन आपको व इस सदन को यह जान कर हर्ष होगा कि सारे सदस्यों ने एक मत से उसका स्वागत किया और समर्थन किया। आज वास्तविकता यह है कि कोई साम्प्रदायिकता का प्रश्न इसके पीछे रह नहीं गया है। सारे, सम्प्रदाय इसमें साथ देने को तैयार हैं।

यहां पर यह भी कहा गया कि इस कानून के बनाने की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि ९९ फीसदी व्यक्ति गोवध करना स्वयं ही छोड़ चुके हैं। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि एक जनतन्त्रात्मक सरकार का यही कर्तव्य है कि वह एक विधेयक के लाने से पहले उसके पक्ष में जनमत तैयार करे, ऐसा वातावरण पैदा करे जिससे लोग स्वयं गोवध छोड़ दें, और यहां वास्तविकता यह है कि ९९ प्रतिशत लोग गोवध स्वयं छोड़ चुके हैं तो मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि फिर आपको कहां शंका का स्थान है, आपत्ति का स्थान है? जो चीज ९९ प्रतिशत छोड़ चुके, फिर आपत्ति क्या है क्यों आप इतनी आशंकाएं कर रहे हैं। मेरा तो नम्र निवेदन यह है कि आज उसके लिये ठीक वातावरण है। मैं उन लोगों से भी कहूंगा कि जो यह कहते हैं कि सरकार ने इस विधेयक को लाने में बहुत देर की कि ऐसे गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय को लाने के पहले इतना मनन आवश्यक था यदि वह समस्या कानून के द्वारा ही हल होनी थी तो उसके लिये उचित वातावरण प्रस्तुत करने के लिये समय की आवश्यकता थी। यह सरकार का कर्त्तव्य था और ऐसा ही किया गया। कहा जाता है कि यह विधेयक केवल इसी लिये लागू किया जा रहा है कि विरोधी दलों ने आन्दोलन किया और उससे प्रभावित हो कर सरकार बाध्य हो गई कि ऐसा कानून प्रस्तुत करे। मैं ऐसे सज्जनों से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वह गोसंवर्द्धन कमेटी की रिपोर्ट जो सारे सदस्यों की मेज पर है, यदि उस पर ही दृष्टिपात कर लें तो उसका जवाब तो उसी में मिल जायगा। यह सत्याग्रह की बात उस समय हुई थी जब कि कमेटी अपनी सिफारिश इस विषय में कर चुकी थी, जब मालूम हो चुका था कि एक मत से गोवध निषेध के पक्ष में निर्णय दिया गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो आन्दोलन हुआ यह केवल आन्दोलन के लिये था। मेरा तो यह अनुमान है कि इसमें गो से प्रेम इतना निहित नहीं था जितना किसी और लक्ष्य को पूरा करना था। मेरा तो ताजा अनुभव है बरेली का कि एक ओर तो इस सदन में हमारे मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द जी ने घोषणा की थी उस भ्रान्ति को दूर करने के लिये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के भाषण से पैदा हो गई थी और उन्होंने यहां बड़ी निर्भीकता से यह एलान किया था कि हमारी सरकार की निश्चित नीति है कि हम गोवध को बन्द कर के रहेंगे कानून द्वारा। दूसरी ओर उस स्पष्ट घोषणा के बाद बरेली में कुछ लोग यह कह रहे थे, वास्तब में उनकी चुनाव घोषणा थी कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार असेम्बली में जायंगे वह तो गोवध निषेध के पक्ष में समर्थन ही नहीं कर सकेंगे। कैसी अनहोनी बात है कि इतनी स्पष्ट घोषणा के बाद ऐसी बात कही जा सके? मुझे हर्ष है, मैं सरकार का आभारी हूं जिनकी कृपा से मेरे सदन में आने के २० दिन के बाद ही मुझे अवसर मिला कि मैं उस गोवध निषेध का समर्थन कर सकूं और इस प्रकार उन लोगों को उत्तर दे सकूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---आपकी ही बदौलत यह हुआ है।

श्री जगदीशसरन---जी हां। अच्छी बात किसी की वजह से हो, अच्छी होती है। मेरी अन्त में केवल यही प्रार्थना है कि जब हम इतना सारगर्भित और महत्वपूर्ण कदम उठाने

[श्री जगदीश सरन]

जा रहे हैं तो, मैं बड़े आदरपूर्वक कहता हूं, ऐसी नौका मत बनाइये जिसमें आप को अभी इतना बड़ा छिद्र दिखाई देता हो। आप ने जो अपवाद इस विधेयक में रखा है उससे उसके उद्देश्य को बहुत हद तक घात पहुंचता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय किसी भ्रष्टाचार की बात होती है तब हम कहते हैं, क्या करें जनता का नैतिक स्तर ही अभी काफी ऊंचा नहीं है। लेकिन जिस समय सदन में हम नियम बनाते हैं, जिस समय सदन में हम कोई विधेयक पारित करते हैं, हमारा कर्त्तव्य है कि हम देखें कि उसमें कोई ऐसा दरवाजा तो हम नहीं खुला छोड़ रहे हैं जिसके द्वारा भ्रष्टाचार की गुंजाइश हो। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज ऐसा बड़ा दरवाजा जानबूझ कर आप छोड़ रहे हैं जिससे स्थिति बड़ी चिन्ताजनक हो जायगी। आपने इसमें जो अपवाद द्वारा यह छूट दी है कि रेल और वायुयान के जो स्टेशन्स होंगे उन पर गो मांस बिक सकेगा, मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह वह छूट है जिससे बड़ी परेशानियां बढ़ेंगी और समस्या और भी जटिल हो जायगी। अतः इतना महत्वपूर्ण कदम उठाने के बाद इस अपवाद द्वारा उसके अच्छे प्रभाव को नष्ट न करें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं सरकार को और मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि सरकार ने १२ दिसम्बर, १९५२ के प्रस्ताव पर जो आश्वासन इस भवन को दिया था उसको आज कार्य रूप में परिणत करने के लिये यह विधेयक पेश किया है।

श्रीमन्, जैसे कि कल से इसके ऊपर माननीय सदस्यों ने भाषण दिये हैं इसके समर्थन में सभी ओर से इस का स्वागत किया गया और सभी ने सरकार को बधाई दी। श्रीमन्, मुझे यहां आपकी आज्ञा से एक बात अर्ज करनी है कि हमारे माननीय सदस्य श्री फाखरी साहब जिनका मैं बहुत अदब करता हूं और अपने बड़े भाई के समान मानता हूं उनको यह शंका रही कि शायद इस विधेयक की आवश्कता नहीं थी और सरकार ने कुछ जल्दी में काम किया। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि सरकार ने जरूरत से ज्यादा एहतियात बरती, जरूरत से ज्यादा इसमें देरी की और यह सब सिर्फ इसी वजह से कि उनको मुसलमान भाइयों से हमदर्दी है और उनको खुश रखने के लिये। उनको तो सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिये। जो हमारे फाखरी साहब ने कहा है वह सही है कि यहां ९९ फीसदी जनता की भावना यह थी कि गो-वध न हो और जनता की भावना को कोई भी सरकार हो, चाहे वह धर्महीन हो, चाहे वह धर्म के विरुद्ध हो लेकिन जनता की आवाज को कोई ठुकरा नहीं सकता है। आज आप मानें या न मानें कि आंदोलन चला या नहीं चला लेकिन चाहे वह कांग्रेस के हों, चाहे सोशलिस्ट के हों या कम्युनिस्ट के हों, सभी की यह भावना थी कि जो हमारी भारतीय संस्कृति में गो माता के लिये सब लोगों के दिल में श्रद्धा और भक्ति थी और जिसकी वजह से जो हमारा देश पहले सम्पन्न था उसे अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने और जो जो बादशाह बाहर से आये उन्होंने हमारी आर्थिक दशा को गिरा कर इस दशा पर पहुंचा दिया कि आज हम घी दूध के लिये मारे मारे फिरते हैं उस दशा को सुधारने के लिये अगर राज्य ने या कांग्रेस सरकार ने एक कदम उठाया है तो उसका हम स्वागत करते हैं। और उन्होंने सही कदम उठाया है जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिलकुल ठीक है।

अगर आप इतिहास को देखें तो पायेंगे कि जो राजा यहां राज्य करते थे, जैसे श्री कृष्ण जी महाराज, उन्होंने गऊ माता की रक्षा के लिये अपने प्राण तक दिये। उसका नमूना यही है कि जो ज्यादा से ज्यादा हमारी जनता के फायदे की चीज हो उसके लिये राज्य को अपना सर्वस्व स्वाहा कर देना चाहिये। मुझे विश्वास है कि कोई भी तबका हो, चाहे वह गरीब हो या अमीर, चाहे वह बर्बाद हो गया हो लेकिन गऊ माता के लिये और ऐसे काम के लिये जिसमें देश का हित हो तन, मन, धन से इसकी सेवा करने के लिये तैयार रहेगा और मैं सुझाव देता हूं और आइन्दा ऐसे बिल आ रहे हैं जैसे कि मंदिरों की सम्पदा आप लेना चाहते हैं,

उसकी रक्षा करना चाहते हैं, मंदिरों के इंतजाम को सुधारेंगे और हमारे पास इससे धन आयगा तो हम गायों की सेवा कर सकेंगे। हम माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि जब मंदिर का बिल आये तो आप मांग कीजिये तो इसमें इतना धन है कि गायों के लिये कोई कमी नहीं होगी। जितनी कमियां हैं वह बहुत थोड़े समय में ही पूरी हो जायंगी और जो कमियां बतलायी हैं मैं समझता हूं कि मंत्री जी, जब इस पर क्लाजबाईज बहस होगी तो उसको दूर कर देंगे और उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अंत में मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि हम इसको कानून का रूप दे रहे हैं तो मैं अपने सब भाइयों से नम्र निवेदन करूंगा कि वह इसका प्रचार करें और कोशिश करें। यह कह देना कि ६ साल से इलाहाबाद में गौ वध नहीं होता, ठीक नहीं है। इसी किताब में मौजूद है, सरकारी आंकड़े मौजूद हैं और हजारों गाय बैल काटे जाते थे। मैं यह नहीं कहता और लोगों का पेशा है और जब तक उनको दूसरा काम न बतलाया जाय वह करेंगे ही। लेकिन अब वह इसको छोड़ दें और इस तरीके से चलें तो अच्छा है। मैं उनसे रामायण की एक चौपाई कहना चाहता हूं, जिनका यह विचार है और उसके बाद में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा वह इस प्रकार है कि:—

"खलउ करें भलि पाई सुसंगू, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगू।"

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में गाय का जो स्थान है और जो आदर है, उसको देखते हुये इस तरह के विषय पर तर्कपूर्ण विचार करना काफी कठिन हो जाता है। हिन्दुओं में जो मान्यता गाय की है वह शायद सब से ऊंची है। ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को न माननेवाला हिन्दू हो सकता है। वेदों को मानने वाला न मानने वाला हिन्दू हो सकता है, शायद मुश्किल से कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जिनके लिये यह कहा जा सके कि उनको जो न मानने वाला है वह हिन्दू नहीं होगा। लेकिन गाय एक ऐसी चीज है जिसका आदर सब हिन्दू करते हैं और हर हिन्दू यह कहता है कि गाय की रक्षा होनी चाहिये। लेकिन आज या आज से पहले काफी संख्या में गो हत्या होती रही है। क्या कारण है इसका, कौन इसका जिम्मेदार है। मुसलमान गाय पालते नहीं हैं, बहुत कम पालते हैं। जितनी गायें पाली जाती हैं वह हिन्दू ही पालते हैं और हिन्दू इसको माता कहते हैं, पूजते हैं, इसकी रक्षा करना चाहते हैं और फिर भी गोवध होता है। किस के घर से बिकती हैं, हिन्दुओं के घरों से ही, असल में यह प्रश्न है जिस पर गम्भीरता से विचार किये बिना यह मसला हल नहीं हो सकता।

यह कहना कि गाय जो पालते हैं और जो बेचते हैं और जानकर बेचते हैं कि कसाई लिये जा रहा है तो वह गाय की इज्जत नहीं करते। यह कहना गलत होगा, जो बेचते हैं वह भी इज्जत करते हैं और उसकी रक्षा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। वास्तविकता यह है, क्यों, यह प्रश्न है जिस पर विचार कर के और उसका हल निकालकर ही गाय की रक्षा हो सकती है, उसके बिना गाय की रक्षा नहीं हो सकती। जो यह विधेयक है मेरी राय में यह बहुत नाकाफी है। इससे यह मसला हल नहीं होता और इन बातों का इलाज नहीं होता जिनकी वजह से गोहत्या हो रही है। कानून से गोवध बन्द कर देना क्या काफी है? जरा इस पर भी आप विचार करें। क्या गाय के लिये हमने इतना चारा पैदा कर लिया है जिससे जितनी गायें हैं उनको वह चारा काफी हो सकता है। अगर नहीं तो तब गाय सूख जायंगी। जो गाय बछड़ा देने वाली नहीं है, जो दूध नहीं देती है उस समय उस गाय को किसान कसाई के हाथ बेच देता है लेकिन जब वह उसको नहीं बेचेगा तो क्या उस गाय को वह घर पर रखकर चारा खिला सकेगा। उसके पास इतना चारा नहीं है। १,२ गायें जो दूध देती हैं वह चारा उन दोनों के लिये ही है। तो फिर वह चारा उनको देगा जो दूध देती हैं या उनको देगा जो दूध नहीं देती हैं? मैं अपने तजुर्बे से जो मुझे गांव में रहने का है और जानवर रखने का कह सकता हूं कि कोई घर की स्त्री और कोई घर का आदमी पेट भर चारा उस गाय को नहीं देता है जो दूध नहीं देती है। जितना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

चारा वह दूध देने वाली गाय को देता है वह उतना चारा दूध न देने वाली को नहीं देता है क्योंकि उसके पास इतना चारा नहीं है । तो फिर क्या होगा । ऐसी गायें सूख जायेंगी और फिर वह बच्चा देने लायक नहीं रहेंगी । उस वक्त किसान क्या करेगा ? क्या उस समय किसान बराबर उसको घरमें रखकर चारा दे सकेगा ? उतना उसके पास चारा नहीं है । चरागाह हमारे पास नहीं हैं, जानवर के लिये चारा नहीं है तो फिर क्या करेंगे ? बेच वह सकेंगे नहीं क्योंकि खरीदार हैं नहीं तो क्या करेंगे । अगर वह उसको घर पर रखता है तो इंच-इंच भर सूख कर वह मरेगी और साल दो साल में मर जायेगी । वह इतनी मुसीबत में मरेगी कि जिसको सोचकर और जिसका अनुमान करके आदमी थर्रायेगा या उस गाय को वह २,४ कोस जाकर छोड़ आयेगा उस वक्त जिसके खेत में वह चरेगी वह डंडे मारकर उसको लंगड़ी कर देगा और तब वह खेत में जाने के लायक भी नहीं रहेगी तब वह सिसिक सिसिक कर मरेगी । जब तक इन बातों का इंतजाम नहीं होगा तब तक गोवध को रोकने के जो जजबात हैं उनको पूरा कर सकेंगे या जो इज्जत गाय की हमारे दिल में है उस इज्जत को कायम रख सकेंगे इसमें मुझे शक है । इसलिये मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस बिल को और गहराई से सोचे और इसको वापस लेले । इन बातों का इन्तजाम सोचे कि इस तरह से एक क्लाज या दो क्लाज के बिल से कोई उपाय नहीं हो सकता है । जो इज्जत हम करना चाहते हैं और जो गाय का स्थान है उसकी अगर हम इज्जत करना चाहते हैं तो वह काफी नहीं है जब तक कि हर पहलू पर विचार करके उसका हल न निकाला जाय तब तक यह १ या २ क्लाज का बिल उसके लिये काफी नहीं है । प्रियम्बिल में ऐम्स ऐण्ड आबजेक्ट में यह कहा गया है कि यह दफा ४८ संविधान की सामने रखकर यह किया गया है । अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस दफा को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं । उसमें यह है कि—

"The State shall endeavour to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle."

इसमें सिर्फ एक चीज को पूरा किया गया है । इस बिल को अगर इस दफा के मुताबिक करना था तो यह ज्यादा अच्छा होता कि जो इसके अन्दर और चीजें हैं उनको भी इसमें जोड़ दिया जाता क्योंकि बिल बराबर नहीं बनता है । इसके साथ में उन चीजों के होने से वकीलों को भी समझने में आसानी होती । इसलिये इस बिल में इन दूसरी चीजों को भी शामिल किया जाय तो मेरे खयाल में बहुत अच्छा हो ।

अब यहां पर इसके सम्बन्ध में इकनामिक प्वाइंट आफ व्यू के बारे में कहा गया । मैं समझता हूं कि जो जजबात ह उनमें इकनामिक कंसीडरेशन भी है । हमारे देश में जो कृषि प्रधान है गाय का बहुत ऊंचा स्थान है । अगर सरकार उसे इकानामिक बेसिस पर करना चाहती है तो क्यों नहीं इस प्रश्न को प्लानिंग कमीशन के पास उपस्थित किया जाय जो आल इंडिया बेसिस पर इसके बारे में प्लान करे । शाहिद फाखरी साहब चूंकि इस प्रदेश में रहते है इसलिये गाय का मांस नहीं खा सकते लेकिन अगर कोई उनका रिश्तेदार दिल्ली से चला आवे तो स्टेशन पर उसे गौमांस दिया जा सकता है । या शाहिद फाखरी साहब ही दिल्ली से कलकत्ते का टिकट ले लें तो वह लखनऊ स्टेशन पर आकर गोमांस खा सकते हैं, यह चीज कुछ जुड़ती नहीं है । जैसा बजबिहारी जी ने कहा था, अब तक शायद ही स्टेशनों पर गोमांस बिकता हो क्योंकि अब तो वहां हिन्दू और मुसलमान के हिसाब से रेस्ट्रां खत्म हो चुके हैं और शाकाहारी और नानवैजीटेरियन के हिसाब से हैं, तो कोई हिन्दू इस बात को सहन नहीं करेगा नानवैजीटेरियन रेस्ट्रां में गोमांस बिके और वहां हिन्दू भी बहुत जाते हैं । इसलिये इस चीज का इस बिल में अपवाद करके रख देना ठीक नहीं है ।

दूसरे देश भी हैं जहां बहुत अच्छी नस्ल की गायें होती हैं । हमने तो उतनी बढ़िया नस्ल की गायें हिन्दुस्तान में नहीं देखीं । जितनी बढ़िया और अधिक दूध देनेवाली गायें हालैन्ड और डेनमार्क में होती हैं यहां मुश्किल से ही दिखायी देती हैं । उन्होंने अपनी गायों को अच्छी

तरह से पाला है, और उसकी नस्ल को अच्छा बनाया है और उनसे पूरा फायदा उठाया है। उन्होंने अपने बच्चों को ज्यादा अच्छा दूध पिलाया है बनिस्बत हम लोगों के जो गाय को पूजते हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इसका रास्ता जनता को बतलावे। इसलिये जब तक आप काफी चारे का इन्तजाम नहीं करेंगे, जब तक दूध देनेवाली गायों का अच्छा प्रबंध नहीं करेंगे और इस बोझ को किसान के सिर से उठाकर सरकार अपने सिर पर नहीं लेगी तब तक इस तरह का कानून गाय को ज्यादा दुखी कर सकता है और उसे ज्यादा तकलीफ के साथ मारेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन तमाम बातों को सोचकर उसके अनुसार काम करना चाहिये। अगर इकानामिक सवाल होता तो यह ज्यादा अच्छा बिल होता। यह बिल केवल जज्बाती है। अगर यह इकनामीक होता तो गऊसदन, गोचर भूमि और किसानों की गायों को लेने का भी कुछ प्रबंध आप रखते। इसलिये मैं कहता हूं कि इस बिल को वापस लेकर फिर से ड्राफ्ट करना चाहिये क्योंकि यह नाकाफी है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के प्रस्तुत करने पर माननीय मंत्री महोदय को बधाई देने की बात सोच ही रहा था कि आज के विवाद में मैंने जो बातें सुनीं उनसे कुछ से मुझे दुख हुआ क्योंकि वह इस बिल से असंगत थीं। जो जज्बात दिखाये गये उनसे मुझे तकलीफ हुई। गऊ का प्रश्न इकानामिक है या धार्मिक, मैं तो इसमें कोई अन्तर नहीं समझता क्योंकि मेरा खयाल है कि कोई भी धार्मिक सिद्धांत अवश्य ही आर्थिक सिद्धांत से भिन्न नहीं हुआ करता। हमारे यहां कहा है कि धार्यते इति धर्मः जो समाज की व्यवस्था करे वह धार्मिक है। मैं समझता हूं कि दुनियां के जितने भी मजहब हैं उनमें जहां बहुत सी बातें और कारणों से उत्पन्न हुई हों वहां एक कारण आर्थिक भी रहा होगा। हमारे धर्म में हमारे पूर्वजों ने अनेक वे बातें हमारे लिये रखीं जो कि समाज के लिये बहुत आवश्यक थीं। बहुत से लोगों ने कहा कि भैंस अधिक दूध देती है उसकी भी रक्षा होनी चाहिये। अगर आप देखेंगे तो भारतवर्ष का सारा आर्थिक संगठन कृषि पर निर्भर है और हमारी कृषि बैलों पर अवलम्बित है। आप जानते हैं कि अमरीका में बैलों को मारना शुभ समझा जाता है उत्सव के समय क्योंकि वहां खेती तो उससे होती नहीं, है, वह तो ट्रैक्टर से होती है या उसके पहले घोड़ों से होती थी। वहां के समाज में बैल का कोई उपयोग नहीं था। उन्होंने बैल को बलि के लिये उपयुक्त समझा परन्तु यहां की जनता का सारा कृषि का और आर्थिक तानाबाना केवल गोवन्श और बैलों पर ही अवलम्बित है। हमें उसकी रक्षा करनी होगी।

कुछ लोगों ने कहा कि कुछ आंदोलन या हल्लागुल्ला यहां हुआ और उसे शांत करने को सरकार ने यह बिल रखा है। जैसा कि गौतम जी ने आपको अभी अंग्रेजी में पढ़कर सुनाया मैं उसी आर्टिकल ४८ को आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि उससे आंदोलन का तर्क समाप्त हो जायगा। उसमें यह बताया गया है और जहां एक ओर इस बात पर आग्रह किया गया है कि वैज्ञानिक तौर पर उसके सारे साधनों को संगठन करके हम देश में गोवंश की वृद्धि करें वहां दूसरे अंग में उसका निरोध करने का' गो हत्या को बंद करने का अंश रखा गया है। यह संविधान तो बहुत पहले ही बन गया था। उस समय ऐसा किसी पार्टी का आंदोलन न था इसलिये इस समय यह कहना कि सरकार ने केवल यह इसलिये प्रस्तुत किया कि उसके विरुद्ध कुछ उत्पातियों ने आवाज उठायी थी मेरे खयाल से यह बात बिलकुल गलत है।

जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है उसमें दो तीन बातें कही गयी हैं एक तो गौ की हत्या करने और उसको मारने का निरोध किया गया है और उसके लिए सजा की व्यवस्था की है। दूसरी बात गो मांस बेचने के सम्बन्ध में है। गो मांस बेचने का भी निरोध किया गया है। तीसरी बात उसमें यह है कि ऐसी संस्थायें खोली जायं। जो अनइकोनोमिक कैटिल को वहां रखें। तो मेरे खयाल से इसमें तीन पूरे क्लासेज हैं। यह हो सकता है कि उसमें किन्हीं जगहों पर मतभेद हो। मेरा खयाल यह है कि लोगों का इसमें कहीं कहीं मतभेद हो सकता है लेकिन मैं उसका जिक्र इस समय नहीं करना चाहता हूं। मैं उनका जिक्र आगे जब बिल के क्लासेज

[श्री देवकीनन्दन विभव]

आयेंगे उस समय मैं अपना मत व्यक्त करूंगा। यह जो बिल हमारे सामने है तो उसमें जिस समस्या पर विचार किया गया है उस पर हमें काफी अहमियत से विचार करना है। एक समस्या उसमें यह है कि आखिर जो अनुत्पादक कैटिल हैं उसके मारने पर जब रोक लग जायगी तो उनके चारे का प्रबंध कैसे होगा। उसके लिये बिल में कहा गया है कि गो सदन स्थापित किये जायेंगे जहां ऐसी कैटिल को रक्खा जायगा। मैं इस बात से बिलकुल सहमत हूं जैसा कि माननीय गौतम जी ने कहा और जिस ओर उन्होंने हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया, उन अनुत्पादक कैटिल्स का चाहे वह शहरों में हों, गांवों में हों या किसी व्यक्ति के हों गवर्नमेंट को उनके प्रबंध करने का ध्यान है और उसके लिये वह उपाय सोच रही है और उसके बारे में शायद कोई ऐक्ट या व्यवस्था या विधि इस सदन के सामने रखी जायगी। अगर इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जायगी तो परिस्थिति वही हो जायगी जो आज गांवों में है, मेरी कांस्टीट्यून्सी में भी है कि वहां बंदरों की संख्या इतनी बढ़ गयी है कि वह फसल को रहने नहीं देती, चट कर जाती है। इस समस्या पर हमें अवश्य विचार करना है। इसके उद्देश्य और कारणों में इकोनामिक होना चाहिये था या मजहबी कारण दिखाना चाहिये था, मेरे खयाल में इस पर ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है और न यह कहने की आवश्यकता थी कि हमारे भाई हैं, हमें उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिये और इसीलिये हम उस को स्वीकार करते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। आर्थिक सवाल जो कुछ लोगों के लिये है वही दूसरे लोगों के लिये भी है। गो रक्षा का प्रश्न सारे हिन्दुस्तान के लिये चाहे किसी भी सम्प्रदाय का हो, मजहब का हो, एक रूप से लागू होता है और एक ही रूप से सबको लाभ होने वाला है। तो मेरा खयाल तो यह है कि यह जो विधेयक मेरे सामने आया है, चाहे उतना सम्पूर्ण न हो जितना कि हम और आप चाहते हैं लेकिन जिस रूप में भी आया है, मेरे खयाल से एक बहुत बड़ा कदम है जो हमारी सरकार ने उठाया और साथ ही उसमें यह भी आवश्यक समझता हूं कि चाहे वह इस विधेयक में आवे, चाहे इसके बाद कोई दूसरा विधेयक बने जिससे हम इस कर्त्तव्य की ओर आकर्षित हों और हमें प्रेरित किया जाय कि देश के पशुधन के प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिये।

हम गाय रक्षा की बात बहुत कहते हैं, बहुत नारा लगाते हैं लेकिन उनके व्यवहार को अगर देखें तो मुझे मालूम है, आप भी जानते हैं कि शहरों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गायें रखते हैं। वे सुबह गाय का दूध निकाल लेते हैं और उसके बाद गाय को शहर में छोड़ देते हैं। वह जगह-जगह जा कर मुंह मारती है और लाठी खाती है। तो कहने के लिये तो कहते हैं कि गो माता है लेकिन इसका कोई रास्ता नहीं है। हमारा कर्त्तव्य ऐसा होना चाहिये कि जो हमारी भावना है, जो आधारभूत भावना है उसका वास्तविक आदर करें और उसका उपयोग करें। आज जब हम दूसरे देशों को देखते हैं, डेनमार्क और हालैंड को देखते हैं और वहां की बात सोचते हैं कि किस तरह से वहां गायों का पालन होता है, वे चाहे गाय के रक्षक न हों, उनकी संस्कृति में चाहे गाय का उतना स्थान न हो लेकिन जिस तरह से वहां गायों की रक्षा की जाती है, जिस तरह से वहां गायों का पालन होता है, यदि मैं उनकी बातें आप को बतलाऊं तो मैं समझता हूं कि इस सदन का अधिक समय लेना होगा। आज हमारे देश में प्रति गाय जितना दूध का उत्पादन है उसके मुकाबले में वहां मन, डेढ़ मन और दो-दो मन दूध देने वाली गायें काफी तादाद में हुआ करती हैं। तो मैं समझता हूं कि गाय की रक्षा करना हमारे देश वासियों का कर्त्तव्य है और यदि वे गाय की रक्षा असली तात्विक समझते हैं तो गाय की रक्षा केवल विधान के जरिये ही नहीं होगी बल्कि गाय की रक्षा को व्यावहारिक रूप में लाकर उसको उसी स्तर पर लाया जाना चाहिये जिस स्तर पर एक दूसरे देशों की गायें होती हैं। गायों की संख्या हमारे देश में काफी है, और भी बढ़ जाय तो वह कोई ज्यादा नहीं होगी। परन्तु हमें, अपनी क्वालिटी को, उनका जो उत्पादन है उसको बढ़ाना चाहिये और एक तरफ जहां गाय के निरोध के लिये हम प्रस्ताव पास करें उसी समय हमारे लिये यह आवश्यक हो जाता है, देशवासियों के लिये और सरकार के लिये भी कि वह

इक उपाय सोचे और फिर व्यवहार काम में लावे जिससे गाय की नस्ल बढ़े। मुझे खुशी है हमारे प्रदेश की सरकार ने इस तरफ कुछ कदम आगे बढ़ाया है और उसने कुछ काम किया है। मैं यह नहीं कह सकता कि उसने कुछ काम नहीं किया है। मथुरा में जो कालेज खुला है उस में हमारे दूसरे सारे काम हो रहे हैं और उससे काफी हमारे काम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस रूप में और जिस क्वान्टिटी में और जिस गति के साथ इस समस्या के हल करने के लिये आगे बढ़ना चाहिये, मुझे खेद है कि अभी उस रूप में नहीं बढ़ा जा रहा है। मैं इस सदन में और कोई विषय नहीं लाना चाहता, मुझे विश्वास है कि यह सदन इस विधेयक का पूरी तरह से स्वागत करेगा और सरकार के आगे उन उपायों को सोचेगा जिससे इस विधेयक के सिद्धान्तों की रक्षा की जा सके।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक आज इस सदन के सामने उपस्थित है उसके लिये मैं युक्त प्रान्त की सरकार को बधाई देता हूं। यह कहना कि यह विधेयक किसी दबाव के कारण या किसी दल के सत्याग्रह के कारण उपस्थित किया गया है यह तो एक घटनाचक्र को भूल जाना है। मुझसे पूर्व के वक्ता, हमारे बरेली के नवनिर्वाचित सदस्य ने अपनी मेडेन स्पीच में साबित किया है कि यह बिल, जिस तरह से हमारे प्रदेश की सरकार इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, गौ रक्षा के प्रश्न पर विचार कर रही है, उसका एक आवश्यक और पूरक अंग था। गो संवर्धन कमेटी जो इस सूबे में कायम की गयी थी उसने जितनी पूरी और जितनी अच्छी रिपोर्ट इस सम्बन्ध में उपस्थित की है वैसी शायद इस देश के किसी प्रदेश में अभी तक तैयार नहीं हुई है। उन्होंने गो रक्षा के लिये दोनों ही बातें बराबर जरूरी बताई हैं, एक तो गो वध का निषेध और दूसरे वह तमाम योजनायें कि जिन से गौ के पालन पोषण और संवर्धन में सुवधा हो सके। उसी रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने यह योजना यहां रखी है और उसे बिल के रूप में उपस्थित किया है। इस से पहले भी सदन के माननीय सदस्य कुंवर रणंजय सिंह ने एक गैर सरकारी प्रस्ताव इस विषय का रखा था और सरकार ने उसको अपना समर्थन दिया था जिसमें उन्होंने गोवध निषेध की बात कही थी, यह शायद सन् १९५२ की बात है। इसलिये हमारे प्रदेश की सरकार तो उसी रास्ते पर चल रही है, किसी दल या किसी दबाव से ऐसा नहीं किया जा रहा है।

अब प्रश्न यह है कि यह आर्थिक प्रश्न है या धार्मिक। मैं तो इस बात को मानता हूं कि ऐसा भेद करना ही गलत है। धार्मिक या आर्थिक यह कोई दो अलग अलग टुकड़े नहीं हैं और न वह एक दूसरे से विभाजित ही हो सकते हैं। हमारे यहां जो धर्म का अर्थ है वह अर्थ से अलग नहीं है, धर्म में अर्थ शामिल है, काम शामिल है। यह बात वह लोग अच्छी तरह से जानते हैं जिन्होंने धर्म का अर्थ समझा है। कहा भी है कि "यतोऽभ्युदय निःश्रेयस् सिद्धि : सधर्म :" जिससे इस लोक में आनन्द हो और मनुष्य का आत्मिक कल्याण भी हो, जिससे दोनों बातें सधें वह धर्म है गो का मसला धार्मिक मसला मुख्यकर इस अर्थ में है कि इससे हमारे देश की आर्थिक नीति की पूर्ति होती है। आज हम वहां पहुंच गए हैं कि हमारे देश की आर्थिक नीति क्या हो और हम सब सहमत हैं कि हमारी विकेन्द्रित आर्थिक नीति होनी चाहिये हम अपनी इतनी बड़ी ३० करोड़ की जन संख्या को यदि काम देना चाहते हैं तो वह हम केन्द्रित अर्थ नीति से नहीं दे सकते, डिसेन्ट्रेलाइज्ड एकोनामी से ही दे सकते हैं। गो संवर्धन का प्रश्न भी उसी डिसेन्ट्रेलाइज्ड एकोनामी, विकेन्द्रित अर्थ नीति का ही एक रूप है। हमारे यहां क्लेक्टिव फार्मिंग के विषय पर काफी बहस हो चुकी है और हम इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि व्यक्तिगत खेती से जो लाभ है वह कलेक्टिव फार्मिंग से नहीं है। किसान की जमीन, उसी के साधन, उसी की खेती। इसी रूप में इस देश की अर्थ नीति चलाई जा सकती है और उसी में गौ और गौ के वंश बैल बछड़ों का मुख्य स्थान हो जाता है। इस कारण से यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आर्थिक दृष्टि से है इसमें कोई संदेह नहीं है। आप दूसरे देशों के अंकों को ले तो जहां दूसरे देशों में प्रति मनुष्य पीछे अमेरिका में १७ छटांक दूध की उत्पत्ति होती है, हालैंड और बेलिजियम में जहां पशुपालन अधिक है

[श्री रामस्वरूप गुप्त]

वहां २० छंटाक फी मनुष्य उत्पत्ति होती है, वहां अपने देश में केवल २ छटांक दूध की उत्पत्ति होती है। जहां इतनी गिरी हुई स्थिति है वहां इस प्रश्न का कितना आर्थिक महत्व है उस को ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि हमारी जो योजनायें बन रही हैं द्वितीय पंच-वर्षीय योजना बनने वाली है उसमें इन प्रश्नों को जितना स्थान मिलना चाहिये वह अभी हमारी कल्पना में नहीं है और वही हम गलती कर रहे हैं। हमारे देश के गावों में रहने वाले लाखों किसान तो तभी सुखी होंगे जब हम उनको अच्छी तरह से घी और दूध खाने के लिये दे सकें, जब उनकी खेती के लिये अच्छे बैल और बछड़े मिलने लगेंगे। आप की जो बिजली आदि की योजनायें हैं मैं नहीं कहता कि उनकी उपयोगिता नहीं है उनकी उपयोगिता है बड़े-बड़े उद्योग-धंधों के लिये और कुछ छोटे-छोटे उद्योग-धंधों के लिये लेकिन गाय बैल की उपयोगिता और उनसे जो पदार्थ हमें मिलते हैं उन को सब से प्राथमिक आवश्यकता जीवन के लिये है। इसलिये आर्थिक दृष्टि से हमें इस को अधिक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिये। एक दूसरे दृष्टिकोण से विचार करें। हमें यह देखना चाहिये कि प्रजातंत्र में लोगों की इच्छा क्या है और लोगों का लाभ किसमें है। इन दोनों दृष्टियों से विचार करें तो गोसंवर्द्धन और गोवध निषेध दोनों आवश्यक हो जाता है। मैं भी यह महसूस करता हूं कि इस बिल में कुछ बातें ऐसी आ गयी हैं जिनसे बिल के उद्देश्यों की पूर्ति में बहुत बड़ी बाधा पड़ेगी ऐसी संभावना है। कोई कानून अच्छा है या बुरा इसकी पहली कसौटी यह है कि कानून ऐसा होना चाहिये जिसके उल्लंघन की गुंजायश न हो वही कानून अच्छा कानून कहा जा सकता है। इस कानून की दफा ४ और ५ में जो छूटें दी गई हैं उसमें इतने (loopholes) हैं जिनसे कानून का उद्देश्य बिलकुल खत्म हो जायगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है क्योंकि पिछला अनुभव भी यही बतलाता है। अंग्रेजी सरकार ने लड़ाई के जमाने में एक आर्डर पास किया था कि गाय को इतनी उम्र के नीचे और उसके बछड़े को नहीं मारा जायगा लेकिन उसका पालन कहीं नहीं हुआ। कोई इंस्पेक्टर इसकी तसदीक नहीं करता कि कसाई ने अबध्य गाय मार डाली। इसी तरह से आप ने जो अपवाद कर दिया है कि जो संक्रामक रोगों से पीड़ित होंगी उनको मारा जा सकता है तो इस सम्बन्ध में कितने अच्छे गाय और बैल भी मारे जायेंगे। अगर आप यह भी कर दें कि सरकारी चिकित्सक या कोई वेटरीनरी इंस्पेक्टर प्रमाणित कर दे कि वह संक्रामक रोग से पीड़ित थी तो भी वह काफी नहीं होगा। इसमें रिश्वत भी बढ़ जायगी और आप के कानून की रक्षा नहीं होगी। तो आप को यह करना है कि किसी वेटेरीनरी डाक्टर से उसका सर्टीफिकेशन भी हो और साथ ही यह भी लाजिमी होगा कि उस को मारने के बाद कहीं उस को गाड़ दिया जाय। अगर इतना आप करेंगे तब भी शायद कोई बचत हो जाय और अच्छे पशु अच्छी गाय और बैल मरने से बच जायं। इसी तरह खंड ५ का भी उल्लंघन आसानी से हो सकेगा। उसको हटाने की जरूरत है। उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। भाई सुल्तान आलम खां ने बहुत ठीक सुझाव दिया कि उस की कहां आवश्यकता होती है आप निषेध करते हैं तो पूरे तौर से करें। अगर अधूरा निषेध करते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे कुछ सदस्यों ने संदेह प्रकट किया है और हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि गो वध निषेध के बाद अपाहिज गायों का होगा क्या? उनके लिये चारे का क्या प्रबन्ध होगा? उन्हें कहां रक्खा जायगा? मैं जानता हूं कि हमारे पास साधन हैं और हम अपने साधनों का ठीक उपयोग नहीं कर पाते।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

आपने इस प्रान्त में केवल दो गोसदन स्थापित किये हैं जब कि प्रान्त में काफी जंगल हैं। उनका उपयोग करें और उन्हें चारे के लायक बनायें जिससे बहुत से गोसदन स्थापित हो सकते हैं और वे अपाहिज और बूढ़े पशु वहां भेजे जा सकते हैं। पंजाब में मैंने देखा है कि प्रत्येक किसान अपनी खेती के साथ बीघा आधा बीघा चारे की खेती करता है लेकिन हमारे प्रदेश में उसका चलन ही नहीं है। हमारे प्रदेश में हरे चारे की खेती बहुत कम होती है। हरे चारे की खेती बढ़ाने से आपको पशुओं के लिये चारा मिल जायगा। हमारे

इस देश में आज भी लगभग ९ करोड़ गायें हैं और २ करोड़ गायें हमारे प्रदेश में हैं। यह किसान की बुद्धिमानी है कि मिक्स्ड फार्मिंग की वजह से आज भी इतने पशु जीवित हैं। जो खेती होती है उस में अन्न भी उत्पन्न होता है और चारा भी उत्पन्न होता है। उस की बुद्धिमानी यह है कि आप चाहे जहां देख सकते हैं आज भी हमारे प्रदेश में गायों की संख्या अधिक है, भैंसों के बनिस्बत। जहां दो करोड़ संख्या गायों और बैलों की है वहां भैंसों की संख्या करीब ५०, ६० लाख के है। किसान अपनी अर्थनीति को जानता है, वह जानता है कि उसको अधिक लाभ गायों से है अगर अधिक लाभ होता तो भैंसों को अधिक पालने लगता। हमारी खेती बछड़े पर है। गाय कम दूध देती है लेकिन बछड़ा तो देती है और उसकी खेती का दारोमदार बछड़े पर है। यही वजह है कि गायों की संख्या किसान के पास भैंसों के मुकाबले में तीन गुनी, चार गुनी ज्यादा है। अगर कोशिश की जाय तो इस प्रदेश की गायों का दूध भी बढ़ सकता है और उस अवस्था में गाय का रखना एक एकानामिक प्रोपोजीशन हो जायगा और यह न होगा कि गाय के अपाहिज होने पर वह कसाई के हाथ बेच दी जाय या भूखी रख कर मारी जाय। हमारे भाई गौतम जी ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है, तो यह बात इस विधेयक में सम्मिलित की जा सकती है या उसके लिये दूसरा विधेयक आ सकता है। यहां जो एनिमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट है और कृषि विभाग दोनों मिल कर इसके लिये प्रयत्न करें, तो अपाहिज गायों की रक्षा के लिये अच्छे साधन मुहइया हो सकते हैं।

एक बात और है जो हमारी समस्या का अंग है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि गाय की रक्षा के ऊपर इतना जोर देते हैं तो भैंस और बकरी पर क्यों नहीं देते। भैंस बकरी भी इस विधेयक में शामिल कर लिये जायं। मैं मानता हूं कि पशु जितने हैं वे उपयोगी हैं और दूध देने वाले पशु खास तरीके से उपयोगी हैं। लेकिन यह प्रश्न आप किसान से पूछिये और उसका उचित उत्तर वह देगा। क्या वह बकरी या भैंस से उतना ही लाभ समझता है जितना गाय से? नहीं समझता वह उनसे तो केवल आपको दूध मिलता है लेकिन खेती नहीं चलती। बकरी से तो खेती चलती नहीं और भैंसों की खेती कोई खेती नहीं है। खेती बैलों पर मुनहसिर है। ट्रांसपोर्ट का काम जो आज किसान करता है वह बैलों पर है। इसलिये भैंस की रक्षा पर उतना जोर देने की आवश्यकता नहीं है और मैं यहां पर यह कह दूं कि महात्मा गांधी ने जो इस विषय की विवेचना की, पूरा अध्ययन कर के उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर हम भैंस की ओर उतना ध्यान देने लगेंगे तो भैंस, गाय को खा जायगी। जिस तरीके से महात्मा जी ने खादी पर जोर दिया। इसलिये कि खादी से न केवल कपड़े की पूर्ति होती है बल्कि उससे लाखों और हजारों कतिनों को काम मिलता है। इसी तरीके से दूध तो उससे मिल जायगा लेकिन खेती का काम उससे नहीं चलेगा। इसलिये इस संबंध में हमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिये। गाय की रक्षा का प्रश्न बहुत महत्व का है और भैंस और बकरी की रक्षा का महत्व अधिक नहीं है। वैसे मैं मानता हूं कि पशुमात्र की जितनी हम रक्षा कर सकें, करें। लेकिन गाय की रक्षा महात्मा जी के शब्दों में प्रतीक है। मूक प्राणीमात्र की रक्षा की जब हमने धार्मिक विचारों की ऊंची कल्पना इस सम्बन्ध में उठायी थी तो उसका प्रतीक यही था कि गाय की रक्षा को हमने अपनाया। वैसे मनुष्य मनुष्य सब भाई हैं। सब धर्मों ने इसको माना है। लेकिन हिन्दू धर्म ने इस दायरे को और आगे बढ़ाया और वह दायरा पशु तक जाता है और उनमें सब से उपयोगी गाय है। इसलिये गाय की रक्षा का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है। हमारे बुद्धिमानों ने उसको संकुचित रूप नहीं दिया। यह नहीं कि किसी शास्त्र में लिखा है इसलिये ऐसा करना चाहिये। यह संकुचित रूप नहीं दिया। उसको मुख्यरूप से उपयोगिता और धर्म की विस्तृत कल्पना का रूप दिया। वैसे ही आज यह प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है। उसका नाम चाहे हुमिनिटेरियनइज्म दे दिया जाय, मारेलिटी दे दिया जाय, लेकिन उसके अन्दर वह ऊंचा तत्व मौजूद है, आध्यात्मिक तत्व मौजूद है और ऊंची आर्थिक नीति से इस प्रश्न का सम्बन्ध है। इन तमाम बातों की वजह से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार को बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश ने इससे अपना गौरव बढ़ाया है और देश को एक रास्ता दिखाया है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को देखता हूं और इसके भीतर के जो खंड हैं उनको देखता हूं तो दोनों में काफी अन्तर पाता हूं। उद्देश्य और कारण का यह हिस्सा, इस अनुभव को ध्यान में रख कर तथा इस विचार से कि गाय और उसके वंश की दूध, बैलों की शक्ति तथा खाद की व्यवस्था करने के लिये रक्षा करना आवश्यक है, गोवध पर पूर्णरूप से निषेध लगाना आवश्यक हो जाता है।

दो बातों पर यह विधेयक खास तौर से निर्भर करता है और वे ये हैं। दूध और बैलों की शक्ति, खेती की व्यवस्था करने के लिये इनकी रक्षा करना आवश्यक है। मैंने इन दस खंडों को बहुत गौर से देखा लेकिन इन दस खंडों में जो इस विधेयक में हैं कहां इसकी गुंजायश है कि दूध की उत्पत्ति बढ़े अथवा बैलों की शक्ति इन दोनों चीजों की गुंजायश मैं नहीं देखता। मैं यह भी कहूंगा कि बड़ा कठिन होता है किसी किसान के घर से किसी ऐसे पशु का बेचा जाना जो दूध देने वाला हो। और वह भी काटने के लिये, कोई उसकी हत्या कर ने के लिये ले जाय? अगर उससे थोड़ा भी दूध किसी किसान को मिलता है या किसी आदमी को मिलता है तो वह उस को बेच नहीं सकता है। श्रीमन्, मैं कृषि मंत्री जी के भाषण को तो सुन नहीं सका लेकिन इस विधेयक को देख कर मुझे ऐसा लगता है कि इस विधेयक का जो मंशा है वह ऐसा लिखा गया है कि जिससे बड़ा भारी भ्रम पैदा हो जायगा और वह मंशा पूरा नहीं हो पायेगा। बड़ी कोशिश के बाद मैंने देखा कि उस में जो खंड ६ है उसमें जरूर लिखा हुआ है कि—

> "राज्य सरकार अथवा जब भी राज्य सरकार ऐसा आदेश दे, कोई स्थानिक आधिकारिकी अलाभकर गायों की देखभाल के लिये आवश्यकतानुसार संस्थायें स्थापित कर सकता है।"

यह भी नहीं कि उसको करना ही होगा। वह कर सकता है यह लिखा हुआ है। तो जब हम कोई पाबन्दी किसी के ऊपर नहीं डालते और न सरकार उसकी पाबन्दी को अपने ऊपर लेने को तैयार है तो जो अलाभकर पशु हैं उनका क्या होगा? वह अलाभकर पशु किसान छोड़ दें और वह सारे देश की खेती बरबाद करें और वह दूसरे लोग जिनके कि वह पशु नहीं हैं वह उन्हें पकड़े और उन्हें पकड़ कर जिसके हाथ चाहें बेचें, अगर इन सारी बातों की कोई व्यवस्था नहीं है, किसान के लिये इस बात की व्यवस्था नहीं है कि ऐसे अलाभकर जो पशु हैं वह उनको किस प्रकार रखे और उनको मेन्टेन कैसे कर सके तो कम से कम इस विधेयक को ऐसा नहीं करना चाहिये कि वह ऐसे पशुओं की रक्षा के लिये या बैलों की शक्ति बढ़ाने के लिये या दूध की पैदावार बढ़ाने के लिये इसे प्रस्तुत कर रही है। मैं तो शिकायत इस बात की नहीं करूंगा और न मुझे कोई शिकायत है कि अगर जनता की इच्छाओं की कद्र सरकार करे। अगर सरकार ऐसा करती है तो वह शिकायत की पात्र हो ऐसी कोई बात नहीं है और खास तौर से उस वक्त जब कि इस तरह के सेंन्टीमेंट्स को, इस तरह की भावनाओं को कुछ दूसरे लोग पोषण कर के सरकार को एक दूसरे ढंग की बनाने की कोशिश कर रहे हों। तो ऐसे समय में अगर सरकार या दूसरे समझदार लोग इस बात को सोचें और समझें और ऐसे कानून बनायें तो मैं उसमें कोई शिकायत नहीं करता। मैं उन साहबान से भी यह दरख्वास्त करना चाहूंगा और मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि मैं ही इस बात को जानता हूं, वह खुद भी इस बात को जानते हैं कि आखिर देश में गाय की रक्षा के नाम पर, या मजहब और धर्म के नाम पर जितने भी आंदोलन चलाये गये हैं, क्या उनका उद्देश्य जो बात कही गई वही था? उनका उद्देश्य शायद राजनीतिक था। सरकार पर काबू पाना उद्देश्य था, अपने हाथ में शासन लेकर अपने ढंग से अपनी इच्छा के अनुसार चलाना उद्देश्य था। लेकिन उन्होंने कहा यह कि जो देश के बहुमत के हृदय की बात छूती हो और देश के बहुमत को अपने साथ ले जाने की समर्थ्य रखती हो, इस तरह

की बात, इस तरह का नारा उन्होंने लगाया। जनता की इच्छा के बारे में मुझे भ्रम नहीं है कि अगर आज सारे भारतवर्ष में इस बात को पूछा जाय कि गायों के ऊपर जो सख्ती होती है, जो उनका वध होता है उसको रोका जाय तो उसमें कोई बहुमत सरकार के साथ होगा और वह यह कहेगा कि गायों के वध को रोका जाना चाहिये। तो सरकार ने इस प्रकार तो जनता के बहुमत की इच्छाओं की कदर की है, लेकिन मैं गौतम जी की कुछ दलीलों से इत्तफाक करता हूं और समझता हूं कि यह विधेयक बहुत ही अधूरा है। क्या इस विधेयक से जो हमारे सामने समस्या है उसका कोई हल हो सकेगा? इस विधेयक के बारे में जिसको सरकार बहुत अच्छे इरादे से लाई उसके बारे में कोई ऐसी बात कह देना तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन इस मौके पर सत्य बात न कहने से भी बड़ा अनर्थ हो जाता है। मैं बहुत अदब के साथ कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनका चाहे जितना पवित्र इरादा हो, न इससे बैलों की शक्ति बढ़ने वाली है, न खाद बढ़ने वाली है, न दूध बढ़ने वाला है। हां, मुकदमेबाजी कुछ बढ़ सकती है और उन्हीं की बैठायी हुयी कमेटी बतलाती है कि सिर्फ २७ सौ या २८ सौ के करीब पशु अब मारे जाते हैं ये सन् ५१-५२ के अंक हैं। जबकि सन् ३७-३८ में एक लाख, बयालीस या चौबीस हजार पशु मारे जाते थे, वह अब संख्या घट कर २७ सौ या २८ सौ सन् १९५१-५२ में रह गयी। सम्भव है कि सरकार उन पशुओं को बचाने में समर्थ हो जाय, लेकिन जो पशु घुल-घुल के रोज मरते हैं उनके सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है और सरकार का जो कुछ भी कदम है वह एक रत्ती भी उनकी रक्षा नहीं करता और ऐसे पशु कोई थोड़े नहीं हैं, वह लाखों की तादाद में प्रतिवर्ष मरते हैं। सरकार को पता है, गोसम्वर्धन इन्क्वायरी कमेटी ने तो स्पष्ट इस बात को कहा कि जो ३ करोड़ १२ लाख या तीन करोड़ से कुछ ज्यादा पशु हमारे देश में हैं उन में से अगर कम से कम जो संतुलित भोजन उन्हें दिया जा सकता है मिले तो केवल १ करोड़ ६० लाख को मिलेगा।

श्री हुकुमसिंह—तो आप देते क्यों नहीं अपने बैलों को?

श्री गेंदासिंह—यहां तो अपना पेट पालना मुश्किल है, बैलों का कैसे पाला जाय। कृषि मंत्री जी तो अपने मोटे होने और अपने बैलों को खिलाने की कोशिश में हैं, हमें कहां से आये? तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बजाय इस तरह के विधेयक को लाने के विधेयक ऐसा लाया जाय जिसमें हम बहुत ही संजीदगी के साथ विचार करें कि इन ३ करोड़ १२ लाख पशुओं को जो हमारे सूबे में हैं, संतुलित भोजन कैसे मिले। अध्यक्ष महोदय, मामला बड़ा सीधा है, अगर इन को संतुलित भोजन दिया जाने लगे तो फिर मारने वाली बात तो एक दम समाप्त हो जाय, जहनियत से निकल जायगी। जिन लोगों को हम समझते हैं कुछ एतराज भी होता है उनके यहां भी गाय और बैल पाले जाते हैं और वह भी उनको उसी आर्थिक नुक्ते निगाह से देखते हैं उस वक्त उनको देवता की तरह से पूजते हैं—हम नहीं पूजते। आज जैसा कि माननीय सिंचाई मंत्री जी ने बताया किसी जिले के बारे में जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि एक इंच भूमि तो अब बाकी नहीं रह गयी चरागाह के लिये। आखिर इस चरागाह को मोहइया करने की जिम्मेदारी किसकी है। अगर माननीय कृषि मंत्री यह जिम्मेदारी हमारे ऊपर, एक सदस्य के ऊपर डालें तो यह शोभा की बात नहीं है। १९०४ में जो संख्या गाय बैलों की हमारे देश में थी सन् १९५१ में उसमें चार लाख की कमी हुयी। १८७२ में आदमियों की संख्या इस प्रदेश में चार करोड़ कुछ लाख थी जो १९५१ में ६ करोड़ ३२ लाख हो गयी। लेकिन पशुओं की संख्या घटी क्यों और खास तौर से उस जमाने में घट रही है जब कि ऐसी सरकार है कि जिसका पशुओं और आदमी दोनों के भोजन की तरफ उसका ध्यान जाना चाहिये और दोनों के भोजन की तरफ अगर उसका ध्यान जाय तो कभी-कभी जो सरकार को यह सुनना पड़ता है कि फलां की भूख से मृत्यू हो गयी वह सुनने को न मिले और फिर मैं समझता हूं कि इस तरह का पशुओं के वध को रोकने के लिये विधेयक लाने की जरूरत भी न पड़े। मैं श्री मोहन लाल जी की उन दलीलों से इत्तफाक करता हूं कि ऐसा कानून सारे देश के लिये बनना चाहिये न कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार बनावे। और जो उन्होंने बताया कि एक साहब

[श्री गेंदासिंह]

मध्य प्रदेश से कुछ ऐसा सामान लेकर चल रहे हैं जो इलाहाबाद में आकर यू० पी० के कानून के मुताबिक आपत्तिजनक है तो क्यों न इस तरह का कानून बनाया जाय और क्यों न उत्तर प्रदेश की सरकार भारत की सरकार के ऊपर जोर डाले, भारत की सरकार को समझाये कि वह इस प्रकार का कानून लाये जो सारे भारतवर्ष में लागू हो सके। ऐसा कानून बन सकता है और मैं समझता हूं कि सरकार अगर इसके लिये प्रयत्नशील हो तो वह इसमें सफल हो सकती है और ऐसा ही कानून बनना चाहिये जिससे इस तरह के झंझट न खड़े हों जिसमें मुकदमेबाजी बढ़े और उसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़े। अध्यक्ष महोदय, मैं भी जल्दी से इस विधेयक को पास कराना चाहता हूं लेकिन इसके सारे पहलुओं पर विचार तो कर लिया जाय।

श्री शिवनारायण—विचार किया जा रहा है।

श्री गेंदासिंह—माननीय शिवनारायण जी बार-बार कहते हैं कि विचार किया जा रहा है। मुझे मालूम नहीं है कि अब वह गाय बैल रखते हैं या नहीं। अगर वह गाय बैल रखते तो शायद इस तरह की बात नहीं कहते। हम तो गाय बैल रखने वाले हैं और गाय बैल बेचने वालों को भी मैंने देखा है। गाय बैल जो रखने वाले हैं, जो रक्षा के नाम पर सब कुछ करने को तैयार हैं अगर वे यह तय कर लें कि हम अपने गाय बैल कटने के लिये नहीं देंगे तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि उनका कटना रुक जायगा। हम बेचते हैं और हम देते हैं उनके हाथ में। और हम किस कारण से देते हैं उस पर काफी रोशनी पड़ चुकी है। हम मजबूर हैं। जो अलाभकर पशु हैं हमारी हैसियत ऐसी नहीं है कि उनको खिला सकें। बम्बई में हमने देखा है कि सारे दूध बेचने वाले जो हैं वे कोई दूसरे वर्ण के नहीं हैं, वे सब हम लोगों के ही भाई बन्धु हैं, लेकिन जितने बछड़े उनके हैं उनको वे नहीं चाहते कि वे जिन्दा रहें और उनको जिन्दा रखने की कोशिश नहीं की जाती है। मैंने देखा है सैकड़ों और हजारों भैंसें वहां पर पाली जाती हैं लेकिन बगैर बच्चे के वे दुही जाती हैं। तो हमारी आर्थिक अवस्था ऐसी है कि जो हम नहीं चाहते हैं वह भी करने के लिये हम मजबूर हो जाते हैं। मैं सरकार से यह दरखवास्त करूंगा और माननीय शिवनारायण जी से भी दरखवास्त करूंगा कि बार-बार वह इशारा कर रहे हैं तो इस १० खंडों के विधेयक को पास करके और पशुओं को घुल-घुल कर मरने को हम रोक नहीं पायेंगे।

श्री शिवनारायण—क्या मैं समझ सकता हूं कि आप विरोध कर रहे हैं या समर्थन।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं किसी की समझदारी को चैलेंज कैसे करूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप बार-बार इशारा कर रहे हैं उनकी तरफ इसलिये गड़बड़ी हो रही है।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, शिवनारायण जी की मूर्ति ही ऐसी है कि उनको देखने के बाद बड़ी उत्सुकता हो जाती है और कुछ इशारा भी करते हैं। वह मंत्री जी को कुछ सुनवाना चाहते हैं, मैं उतना सुना नहीं पाता हूं। जितना वह सुनाते। मैं यह कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा इस पर विचार किया जाय और ऐसा उपाय सोचा जाय जिससे जो अपने देश में पशु वध होता है वह रुक सके। इसको रोकने के लिये एक बात की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा इस विधेयक में। हम लोग बिहार में रांची गये थे, वहां घूमघाम कर देखा और चर्चा हुयी तो हमने कहा था कि यदि नस्ल का सुधार हो जाय तो दूध देने वाली गाय भैंस बढ़ें और जो बंधया हो जाती हैं वह कम हों। सांडों की सारे देश में बहुत कमी है और जो सांड हैं वह इस तरह के हैं कि जो उनसे नस्ल पैदा होती है वह दूध देने वाली नहीं होती है और काम करने में भी इंफीरियर होती है। इसलिये इस चीज को हम हटाना चाहते हैं। मैं यह सोच रहा हूं कि इस तरह से इक्का दुक्का सांड भेजने से काम नहीं चल सकता है हमारे प्रदेश में एक लाख गांव हैं और मैं चाहता हूं कि चार गांव के पीछे एक सांड होना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह---हर साल ४०० भेजते हैं ।

श्री गेंदासिंह---मैं कहता हूं कि २५ हजार सांडों की आवश्यकता है और ४०० प्रतिवर्ष भेजते हैं तो इस हिसाब से ५० साल से अधिक लगेंगे और शायद उस समय तक हम और वह दोनों इस संसार में नहीं रहेंगे ।

श्री हुकुमसिंह---४०० जायेंगे वह भी तो पैदा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि उनको भाषण करने दिया जाय ।

श्री गेंदासिंह---मैं चाहता हूं कि एक पूरी व्यवस्था की जाय और चार गांव पर एक सांड छोड़ा जाय । हमारे फाखरी साहब की शिकायत भी दूर हो सकती है क्योंकि उन्होंने कहा कि गोश्त खानेवालों की शिकायत दूर होनी चाहिये, इसके लिये हमें बकरी ज्यादा पैदा करनी चाहिये क्योंकि हम दोनों बकरी पर ही अपनी जबान तेज करते हैं तो उनकी शिकायत भी दूर हो जायगी । सिर्फ यह इटावा में ही मिलते हैं । मैंने बार-बार कहा है कि यह सांड बहराइच में भी भेजे जायं । मंत्री जी को कोई शिकायत इटावा से हो सकती है । तो दूसरी जगह से भेजे जायं । अगर देवरिया में कोई ऐसा सांड हो जो बहराइच में काम कर सके तो मैं उसके लिये भी कहूंगा और मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा । अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह बड़ी गंभीर समस्या है और नस्ल सुधारने से हम सब कमियों को पूरी कर सकते हैं और इसके लिये सांडों की आवश्यकता है ।

चारे के लिये मैं कहता हूं कि सरकारी कानून बनाया जाय । जितनी कमी चारे की हो गयी है उसको पूरा किया जाय । खाने पीने वाली बात है तो जब चरागाह नहीं हैं तब किसान भूसा वगैरह खिलाकर पालना चाहता है । जब वह उनको नहीं पालते हैं तो वह उनको छोड़ देते हैं । ऐसे पशु हमारे जिले में हजारों छोड़ दिये गये । छोड़ देने के बाद उन पशुओं का पता नहीं लगा कि उनका क्या हुआ । वह उसका पता ही नहीं करते हैं कि आया वह मार दिये जाते हैं या कोई-कोई उनको पकड़ कर पालता है । वह खुद ही उनको छोड़ देते हैं । अगर चरागाह का प्रबन्ध हो तो यह व्यवस्था पैदा ही न हो । चरागाह का प्रबंध करने के लिये सरकार कुछ करना नहीं चाहती मैं फिर सरकार से इस बात को कहूंगा कि चरागाह के लिये जमीन की व्यवस्था करे । जमीन की व्यवस्था की जा सकती है अगर सरकार उसको करना चाहे तो वह हो सकता है । सरकार इस प्रश्न पर विचार करे । जब यह बात स्पष्ट है कि ३ करोड़ १२ लाख जानवरों में से केवल १ करोड़ ६० लाख जानवरों को ही हम खाने को दे सकते हैं और बाकी के लिये हम सन्तुलित भोजन नहीं दे सकते हैं तो उनको भी सन्तुलित भोजन देने की व्यवस्था की जाय । यदि यह नहीं होता तो पशुओं के लिये पशु सेवा केन्द्र बनाये जायं । पंजाब में १३,१४ फीसदी पशु सेवा केन्द्र हैं । हमारे सूबे में वह केवल ५ फीसदी हैं । हां, इतना मैं जरूर चाहता हूं कि अगर यह सेवा केन्द्र अस्पताल बढ़ा दिये जायं तो जो बीमार पड़कर पशु बरबाद हो जाते हैं वह बरबादी न हो । वह बीमार को छोड़ देते हैं क्योंकि वह उनको अच्छा नहीं कर सकता है । जब वह अलाभकर हो जाते हैं तो वह उनको छोड़ देते हैं जिनका कि जाकर वध होता है । इस लिये इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है ।

यह जो गोसदन की बात कही जाती है वह कितने गोसदन सरकार की तरफ से खुले सरकार को भी यह सोचना चाहिये कि वह गोसदन भी खोले । यह जो विधेयक है इसमें सारा बोझ उन लोगों पर ही सरकार छोड़ देना चाहती है । कहीं इस बात की गुंजाइश नहीं है कि सरकार कुछ कर रही है । सरकार सब जगह बचना चाहती है । मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस विधेयक में सरकार ने भी कुछ हिस्सा लिया है कि जिससे गोवध न होसके और पशुवध रोका जा सके और सरकार अपने पास से भी कुछ खर्च करने का इरादा रखती है ? सरकार इसमें क्या करना चाहती है जरा माननीय मंत्री जी जब बोलें तब इस पर भी रोशनी डाल दें । मैं भी उस पर गौर करूंगा । तो मैं इन सब बातों के कहते हुये सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह विधेयक जो है वह ऐसा है कि जो अपूर्ण है और इससे काम नहीं चल सकता ।

[श्री गेंदासिंह]

है। मैं यह भी कहूंगा कि इसको बहुत सोच समझ कर नहीं रखा गया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पशुओं से जो बाहर से हमारी तिजारत होती है उस चमड़े की तरफभी हमारा ध्यान है। हमारा ध्यान उस तरफ भी है कि हम इस बात से दूसरे देश के व्यापार से न पिछड़ें लेकिन इसके साथ-साथ हम अपने देश की जनता की इच्छा का भी खयाल रखें। और जीवित पशुओं के चमड़े का व्यापार हमारा मन्तव्य नहीं अगर उसकी इच्छा को एकदम छोड़ दिया जायगा तो हमारा काम चल नहीं सकेगा। उन आंदोलन करने वाले लोगों की तरफ ध्यान जाना चाहिये। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम खतरे में पड़ जायेंगे। मैं इस बात को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हम खतरा उठाने के लिये तैयार नहीं है। मैं अपने मुल्क में उनका स्वागत करने के लिये तैयार नहीं हूं जो वह देश में अधिक बुराई का वक्त लाने का इरादा रखते हैं। मैं समझता हूं कि कुछ को थोड़ा दर्द हुआ तो उनसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कभी-कभी आदमी को ऐसी बात भी बरदाश्त करनी पड़ती है जिसके लिये कोई रीजन नहीं होता है उसके लिये भावना होती है। तो उनको इस उत्तर प्रदेश की जनता की भावना की कदर करनी चाहिये और उस भावना के साथ-साथ दूसरा नकशा भी हमारे सामने है उस नकशे को भी देखते रहें। अगर उस नकशे को नहीं देखा जायगा तो यह एक खतरे की बात हो सकती है।

मैं समझता हूं कि हमारे जो दूसरे साथी हैं जिनके लिये ऐसा कहा जा सकता है कि उनके ऊपर धर्म सवार है, वह इन भावनाओं से प्रेरित हैं। जो सेंट्रल कमेटी गो सम्वर्धन की कायम हुयी थी, मैं भूलता नहीं हूं तो रफी साहब उसके प्रधान थे और हमें उन पर विश्वास है कि वे इसको देश की तरक्की का अंग समझते थे। इसलिये सबसे बड़ी चीज यही है और हमें इसको इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिये। हमें इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिये कि यह किसी के अधिकारों को छीनने के लिये किया जा रहा है। यह बात भी समझ में आ जानी चाहिये कि यह विधेयक अगर किसी भी माइनोरिटी के अधिकारों को छीनने वाला होता तो अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं कर सकता था। अतः हमें आशा है कि सब लोगों का समर्थन इसको प्राप्त है क्योंकि उसका विरोध किसी ने नहीं किया। मैं सरकार को फिर उन बातों की तरफ ध्यान दिलाने को कहूंगा और प्रार्थना करूंगा कि अगर सरकार पसंद करे तो इस विधेयक की कमी को पूरा करने के लिये वह इसको वापस ले ले और जल्द से जल्द दूसरा विधेयक जिसमें चरागाह, अलाभकर पशुओं के लिये गौसदनों और पशु सेवा केन्द्रों का प्रबंध हो, उसके लिये विधेयक लाया जाय और उसका स्वागत यह सदन बहुत ज्यादा करेगा।

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन से निरन्तर उत्तर प्रदेश गो वध निवारण विधेयक पर इस सदन के सामने वादविवाद चला और बहुत से माननीय सदस्यों को अपने मत प्रकट करने का अवसर मिला। और मुझे भी इन विविध मतों के सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परन्तु मैं भाग्यहीन हूं कि कुछ माननीय भाइयों की बातों को मैं नहीं सुन पाया किन्तु जिन माननीय सदस्यों की बात इस सदन के समक्ष आयी और जिन्हें मैं सुन पाया, उनमें से विरोधीदल के भूतपूर्व नेता—माननीय राजनारायण जी, आज के नेता—माननीय गेंदा सिंह जी, सुल्तान आलम खां साहब, शाहिद फाखरी साहब तथा और कुछ दूसरे भाइयों की बातें थीं।

माननीय राजनारायण जी के सम्बन्ध में तो मैं अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरा खयाल है कि उनकी बातों में खुद ही बहुत कुछ विरोध है। लेकिन मैं इस माननीय सदन के सदस्यों के सामने यह कहना चाहता हूं कि यदि उन्होंने उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुना होगा तो वे भी इस बात को समझ पाये होंगे कि वे स्वयं विरोधाभास में थे। अतः मैं केवल दो शब्दों में इतना सा कह देना चाहता हूं कि यदि उन्होंने ईमानदारी से उन बातों को कहा तो मुझे उनसे सहानुभूति है लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण से उन्होंने उन बातों को कहा तो मैं सदन के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि उन्हें क्षमा कर दें। उनका यह दृष्टिकोण ऐसा है जिसको यह सदन जानता है और स्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि समुदाय विशेष की भावनाओं को उभारने के लिये

और शायद एक समुदाय विशेष को प्रसन्न करने के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ दूसरी ओर वे यह भी कहने लगे कि यह विधेयक अधूरा है। इसमें खंड २ (क) जिसमें गो मांस की परिभाषा की है, उस परिभाषा में उस मांस को नहीं रक्खा गया जो बाहर से इस प्रदेश में आयेगा। इसलिये उन्होंने कहा कि यह विधेयक अधूरा है। आपने उसमें यह भी कह दिया कि जिन गउओं अथवा जिन पशुओं को परीक्षार्थ या किसी रोग विशेष में आ जाने के कारण आपने मारे जाने की अनुमति दे दी है वह निश्चित रूप से इस प्रदेश के सारे पशुधन और गो धन को नाश कर देगा। उन्होंने यह भी कहा कि रेल में या हवाई जहाज में लोग गोमांस का क्रय या विक्रय कर सकेंगे इसलिये भी यह विधेयक अधूरा है। यह बात कैसी विचित्र है। इसके लिये मैं केवल इतना सा कह सकता हूं कि सम्भवतः वह यह नहीं जानते कि इस विधेयक को नियम के अन्तर्गत ही इस सदन के सामने रखा जा सकता था। शायद वह विधान की उन धाराओं से परिचित हैं जिन्हें फ्री ट्रेड के बारे में कहा गया है। उनके अनुसार बहुत सी चीजों पर बाहर से लाने पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता है। यदि यह नहीं रोका जा सकता है तो रेल और हवाई जहाज में उसका प्रयोग कैसे रोका जा सकता है? विधान के अन्तर्गत कैसे यह सरकार गोमांस को रेल या हवाई जहाज में ले जाया जाना रोक सकेगी, यह मेरी समझ में नहीं आया। जैसा गेंदासिंह जी ने कहा और उन्होंने माननीय गौतम जी का भी नाम लिया कि अगर यह सार्वदेशिक विधेयक होता तो वह इसे पसन्द करते। उसमें कुछ विधि और विधान की बातें हैं जिनको गेंदा सिंह जी जानते हैं। तो इन सीमाओं में घिरे होकर हम यह एक ऐसा कदम उठायें जिससे हम अधिक से अधिक गोवंश के वध को रोक सकें, तो इस प्रयत्न के लिये आनेवाली संतति हमको राजनारायण जी के शब्दों में क्या वह सरकार कहेगी जो दिनदहाड़े गाय की हत्या को नहीं रोक सकती है? इस विधेयक में टिन्ड बीफ का प्रयोग रेल और हवाई जहाज के यात्रियों के लिये हम किसी भी प्रकार अवैधानिक नहीं कर सकते। तो स्पष्ट है कि केवल उसी बीफ का प्रयोग हो सकेगा जो बाहर से आवेगा क्योंकि इस प्रदेश में तो गौवध होगा नहीं। आपने कहा कि रोगी गऊओं के बारे में सरकार जो विज्ञापन निकालेगी उसके जरिये गोहत्या होती रहेगी। मैं कैसे इस सम्बन्ध में कुछ कहूं। बहुत से कानून होते हैं जैसे नरहत्या का ही है जो मानव ने आदिकाल से बनाया है लेकिन वह सारे विश्व में रोका नहीं जा सका है। यदि कुछ हत्यायें होती भी रहें तो उसके लिये हम विधेयक को फाड़ कर तो नहीं फेंक सकते हैं और न ही विधेयक को दोष दे सकेंगे। फाखरी साहब मेरे अनन्य मित्रों में से हैं और उनके प्रति मेरे हृदय में बड़ा प्रेम और श्रद्धा है और जो बातें उन्होंने आज यहां स्पष्ट कहीं उनको सुनकर मेरे दिल में वह श्रद्धा और बढ़ी है। मैं उनको गलत नहीं समझा क्योंकि उन्होंने एक स्पष्ट बात कही और सदन के सामने स्पष्ट रूप से रखने की चेष्टा की। उन्होंने कहा कि मैं इसको पसन्द नहीं करता कि आप इसको आर्थिक रूप में इस सदन के सामने लावें। आप इसको धार्मिक रूप दीजिये और यह कहिये कि इस देश के बहुत से लोगों की यह इच्छा है, उनकी यह धार्मिक भावना है कि इस देश में गो हत्या न हो और इसलिये आप इस विधेयक को लाये हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं तो यह चाहता हूं कि यह विधेयक लाया जाय, मैं तो यह कहता हूं कि यहां के बहुत बड़े मानव समाज की इच्छा और उसकी भावना की कद्र की जाय और इस देश में गोहत्या न की जाय। मेरी खयाल है कि शायद उन्होंने अपने दिल की सही बात कही और उन्होंने इसको एक दूसरे रूप में रखा। शायद उन्होंने यह कहा कि चूंकि इस समय हिन्दू समाज की यह भावना है कि गोहत्या न हो, गोवन्श की हत्या न हो, मैं उसकी कद्र करता हूं कि इस देश में गोहत्या न हो। मैं तहेदिल से उनकी इस भावना के लिये उनका शुक्रिया अदा करता हूं लेकिन अपनी तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि मेरा सम्मान यह स्वीकार नहीं कर सकता है कि धर्म के नाम पर इस देश में गोहत्या रोकी जाय। मैं अपनी ओर से यह कहूंगा कि कृपा करके आप धर्म का नाम न लीजिये गो हत्या के सम्बन्ध में कृपा करके धर्म को छेड़ने की चेष्टा न कीजिये, कृपा करके हमारी नीयत पर हमला न कीजिये। मैं और आगे बढ़ कर उनसे कहूंगा कि इसमें आप संस्कृति को जोड़ दें तो मैं उसे पसन्द करूंगा। यह वह संस्कृति है जिसने अकबर के दीन-ए-इलाही का आविर्भाव किया, वह संस्कृति, जिसने भगवान बुद्ध की वाणी को प्रेरणा प्रदान की, वह संस्कृति जिससे मूल पशुलोक का दिल दयार्द्र हुआ,

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

वह संस्कृति जिसमें मानव प्रकृति के मूक अंग के प्रति दया के दो आंसू ढुलकाये, आज यदि उस संस्कृति की आवाज सुन कर यह सदन कोई विधेयक बनावे तो युग युग तक इस सदन का नाम इस देश में अमर रहेगा। मैं आगे बढ़ कर यह भी कहूंगा कि कृपा करके आप भावना में जाने की चेष्टा न कीजिये और कृपा करके दूसरे अंगों पर भी विचार कीजिये। एक कृषि प्रधान देश जिसमें गायें और उसकी संतति की इतनी उपादेयता है और इतनी उपयोगिता है उसको आप निश्चित रूप से स्वीकार करें। जिस देश में आदि काल से और माननीय शिवनारायण जी ने उसका जिक्र भी कर दिया कि जहां गोपालन संस्कृति के रूप में है, उस गोपालन को अपनी भावना का अंग बना कर उस संस्कृति के दूसरे पहलू को भी भूलने की चेष्टा न कीजिये। यह निश्चत है और मैं इसको स्पष्ट रूप से इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि संस्कृति हमारी आर्थिक व्यवस्था और कृषि प्रधान व्यवस्था है और कृषि में गाय का ज्यादा उपयोग है। मेरे मित्र मुझे क्षमा करेंगे, मेरे वे मित्र जो कहते हैं कि भैंस का भी वही उपयोग है, मैं उनसे और भी आगे बढ़ कर कहना चाहता हूं कि नहीं, भैंस का उतना उपयोग नहीं है जितना कि गाय का है। यूरोप के देशों में भी केवल गाय के दूध का ही प्रयोग होता है, भैंस के दूध का नहीं प्रयोग होता। शायद वे यह भी जानते होंगे कि गो दूध की उपयोगिता के सामने भैंस का दूध निकृष्ट माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी उस दूध को अच्छा नहीं समझा जाता। मेरे एक मित्र ने कहा कि आखिर गायें ही नहीं बल्कि भैंसें भी दूध देती हैं। मैं इस सदन के समने दूसरे अंग को भी रखना चाहता हूं। यदि गाय को इस देश से निकाल दिया जाय और भैंस ही पालने दिया जाय तो मेरे एक मित्र ने कहा कि भैंस भी तो मां हो सकती है क्योंकि वह भी दूध देती है लेकिन मेरे मित्र ने बकरी को मा कहने की चेष्टा नहीं की। मैं उनके ज्ञान के प्रति नतमस्तक हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि भैंस तो मां हो या न हो, भैंस दूध देती है इसको मैं स्वीकार करता हूं लेकिन गाय को इस देश की आर्थिक व्यवस्था से निकाल दिया जाय और सारी गायों को समाप्त प्राय कर दिया जाय तो क्या यह देश कृषि प्रधान देश रह सकता है और क्या इस देश की आर्थिक व्यवस्था समाप्त प्राय नहीं होगी? क्या इस देश की आर्थिक परिस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? मेरे मित्र इस पर भी कृपा करके विचार कर लें।

बहुत सी दूसरी बातों का भी जिक्र हुआ। एक बात मैं और सदन के सामने रखना चाहता हूं। हमारे एक मित्र ने कहा कि हम गो को मां नहीं मानेंगे, मैं कहता हूं कि न मानिए और क्या कहूं इसके अलावा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि गौ को मां मानिये या न मानिये लेकिन वह आपका एक उपयोगी पशु है इतना तो आप मानिये ही और अगर आप उपयोगी पशु उसको मानते हैं तो उसकी रक्षा इसी नाते कीजिये। आपने यह भी कहा कि वह जो अनुपयोगी गौ होंगी जो अपाहिज होंगी या दूध न देने वाली होंगी उनका वध या उनको समाप्त क्यों न किया जाय और उन का प्रयोग क्यों न किया जाय। उन्होंने कहा कि जूतों को चमड़ा मिलेगा, हड्डी का भी जिक्र उन्होंने किया और कुछ मित्रों ने यह भी कहा कि हम ऐसे पशुओं के रखने में विश्वास नहीं करते। कुछ लोगों ने सदन में इसी बात को दबे तौर पर कहा लेकिन हम तो चाहते हैं कि अगर ऐसी बात किसी के हृदय में है तो वह स्पष्ट रूप से आये। हमने इस विषय पर बहुत गम्भीरता के साथ विचार किया कि उस अनुपयुक्त पशु का क्या होगा माननीय गेंदा सिंह जी ने भी जिक्र किया और कहा कि जब तक इन उपयोगी पशुओं के लिये बिल में कोई स्थान नहीं निकाला जाता जब तक हम नहीं विचारते कि उनका क्या होगा, जब तक गोसदन आदि की व्यवस्था नहीं होती, जब तक म्युनिसिपैलिटी की सड़कों पर नजर आती हैं तब तक सफलता नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि भूखों मरने वाली पशुओं की संतति के लिये सरकार क्या करना चाहती है? मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को तर्क की कसौटी पर उतारना चाहिये, अगर हम स्वीकार करें कि अनुपयुक्त गौओं को समाप्त कर दिया जाय तो यह सही है कि उस से हमें भौतिक लाभ होगा। और अनुपयुक्त पशु पाये जायेंगे और हमें उन को चारा न देना पड़ेगा और चमड़ा और दूसरी सामग्री भी मिलेगी। मैं कोई भावना का जिक्र नहीं करता मैं एक दूसरी बात का जिक्र करता हूं। यदि भावना हो तो हो सकता है कि इतने अनुपयोगी पशुओं को क्यों मां कह कर पुकारें। मैं

जानना चाहता हूं कि क्या हमारे कितने ही मित्रों के मस्तिष्क में उस समय यह भाव जागा है कि जब क्षीणकाय, दुर्बल पुराने पशुओं के दल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, मैंने वह दृश्य देखा है और मेरे मन में यह भाव जागा है कि अगर हमारे जो अनुपयोगी व्यक्ति हैं उनको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसी तरह से ले जाया जाय तो हमारा हृदय उसको कहां तक सराहेगा। अगर हमारी विचारधारा ऐसी रहती है तो विज्ञान के युग में कल हम यह न कहें कि हमारे जो अनुपयोगी वृद्ध व्यक्ति हैं और जो दरवाजे पर पड़े पड़े खांसते हैं, जो दुर्बल हैं और भार हैं वह भी न रखे जायं लेकिन मैं समझता हूं कि इस तदात्म्य को बहुत से व्यक्ति समझना पसन्द न करें और शायद हम विज्ञान के युग में इन चीजों की ज्यादा चर्चा न कर सकें। क्या यह सही नहीं है कि हमने केवल अपने कर्मों के द्वारा, अपने दुर्दशा ग्रस्त जीवन के द्वारा और वह काम न कर के जो हम को करना चाहिये था उसके द्वारा हमने अपने पशुधन को स्वयं अनुपयोगी बना दिया है ? क्या यह सही नहीं है कि जिन पशुओं को हम अनुपयोगी बनाकर वध स्थान पर ले जाना चाहते हैं, यदि कल हम उनको उस वध स्थल पर ले जाने से रोकें तो उन्हीं का बहुत बड़ा हिस्सा उपयोगी बनाया जा सकता है ? क्या यह सही नहीं है कि जिसका हम दूध पीते हैं और जिस दिन ही वह दूध देना बन्द कर देती है उसी दिन हम उसको अनुपयोगी कह कर उनके न जाने कितने बड़े हिस्से को वधस्थल पर भेजते हैं ? मैं चाहूंगा कि केवल आप इतने तथ्य को समझ लें। इसलिये यह स्पष्ट है कि जो पशु वधस्थल को जाते हैं उनके साथ बहुत बड़ा हिस्सा उपयोगी पशुओं का भी जाता है। क्या इसी सदन के माननीय सदस्य यह नहीं जानते कि बहुत से व्यावसायिक नगरों में, कलकत्ता, बम्बई में जहां पशु बाहर के प्रदेशों से लाये जाते है। हरियाना या देश के पश्चिमी भाग से जो पशु लाये जाते हैं उनसे कुछ बार दूध लेने के बाद उनको लाजमी तौर से वध स्थल पर भेजा जाता है, क्योंकि उसका जिन दिनों कि वह दूध नहीं देती और अनुपयोगी कहलाती है उन दिनों उसका मूल्य वध स्थल में अधिक मिलता है। क्या इस आदरणीय सदन के सदस्य नहीं जानते, कलकत्ते के सम्बन्ध में तो मैं जानता हूं कि वहां पर नियम है कि कोई भी पशु है जो पंगु नहीं है उसका वध नहीं किया जाता, क्या यह सही नहीं है कि केवल उसको पंगु बनाने के लिये उसकी टांग तोड़ी जाती है, उसको वध स्थल में बेचने के लिये। यदि हम सारे पशुओं को अनुपयोगी कहकर वधस्थल की सामग्री बनावें। तो निश्चय रूप से न जाने कितने निरीह उपयोगी पशु वधस्थल पर जाते रहेंगे और हम बैठे बैठे वादविवाद करते रहेंगे।

और भी आगे बढ़ूं तो मैं कहना चाहूंगा कि आज आप अनुपयोगी पशुओं को जिनके सम्बन्ध में हमारे हृदय की भावना है, हम उस भावना की भी रक्षा नहीं कर सकेंगे। यद्यपि हम कह सकते हैं कि वह भावना भी धार्मिक भावना नहीं है। दूसरे सम्मानित सदस्य धार्मिक भावना को इस वादविवाद में लाने की चेष्टा करें लेकिन कम से कम मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो सब से पहले कहूंगा कि कृपा करके मुझ से न कहिये कि गाय कोई धार्मिक वस्तु है। मैं कहता हूं यह गलत है। मैं उसको धार्मिक वस्तु के रूप में नहीं स्वीकार करता यह गंगा का पानी, जिस गंगा के पानी में कवि कल्पना ने धर्म का प्लावन देखा, इन्सान के लिये उसकी उपादेयता में कवियों ने भगवान का स्वरूप देखा हो लेकिन ऐसी बात नहीं है उसकी उपादेयता है इसलिये हम उसको माता कहते हैं, इसी प्रकार से गाय एक उपयोगी वस्तु है और इसीलिये इस देश ने उसको माता कहा और मैं भी उसको स्वीकार करता हूं। इस देश ने उसको माता कहा तो ठीक कहा। मैं गाय को माता कहता हूं और और आगे भी जाऊंगा तो मैं श्रीमन्, शाहिद फाखरी साहब से कहना चाहूंगा कि कृपा कर हमारी ईमानदारी पर विश्वास करें। हम निश्चय रूप से इसमें धर्म को नहीं घसीटना चाहते और कोई भी धर्म जो छिछली बातों में जाता होगा उस धर्म को मैं धर्म के रूप में नहीं स्वीकार करूंगा, वह बिडम्बना है, कोरा ढोंग है और मैं उन साहबों से कहना चाहूंगा कि जहां तक हमारे अनुपयोगी पशुओं का सम्बन्ध है आज हम अपने अनुपयोगी पशुओं को निश्चय रूप से उपयोगी बना सकते हैं यदि हम उसका उपयोग कर सकें तो न जाने कितनी गायें जिनको हम अनुपयोगी कहते हैं उनको हम अपने खेतों में भेज सकेंगे। उससे हल जुतवा सकेंगे, जिस दिन दूध नहीं पैदा होगा, जिनको हमने तृण न दे कर जान बूझ कर दुर्बल किया है वे भी इतनी जल्दी

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

अनुपयोगी नहीं बनाये जा सकते, वे भी इस देश के लिये उपयोगी रहेंगे। यदि आज हम इस परिपाटी को स्वीकार करें तो निश्चय रूप से पशुधन समुन्नत होगा और इस देश का मस्तक ऊंचा होगा।

माननीय गेंदा सिंह जी ने और कुछ और भाइयों ने कुछ और बातों का जिक्र किया और माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि यह विधेयक अपूर्ण है। कृपा कर गायों के चारे के लिये कुछ लाइये, कृपा करके गो-सदनों के लिये कुछ लाइये, कृपा करके गो और गोवंश की नस्ल को सुधारने के लिये कुछ लाइये। मैं समझता हूं कि वह सच्चे अर्थों में हमारे सच्चे साथी हैं और जो कुछ वह सोचते हैं सही सोचते हैं, यदि वह यह कहते हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उनकी बातों का और इस विधेयक का कोई तारतम्य नहीं है, यह दोनों विषय अलहदा-अलहदा हैं। १६ अगस्त, १९४७ ई० को हमारे स्वराज्य के दूसरे दिन लिखा हुआ बापू का लेख हम आज स्मरण करते हैं इस सदन के सामने जिसमें उन्होंने लिखा था कि गाय की समस्या स्वराज्य पाने से ज्यादा जटिल है। उन्होंने यह भी लिखा कि यदि स्वराज्य और गाय की रक्षा इन दोनों को दो पलड़ों में रख कर मुझसे कहा जाता है कि एक को चुन लो तो मैं गाय की रक्षा के पलड़े को चुन लेता और स्वराज्य को ठुकरा देता। आज हम उसका स्मरण करते हैं श्रीमन्, जब कि हम यहां इस सदन के सामने इस विवाद में पड़े।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—८ साल बाद याद आयी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी ने ठीक कहा। उनको ८ साल बाद ही इस सम्बन्ध में याद आयी, इस सरकार को तो उसी दिन से याद है। मैं जैसा इस सदन के सामने रख रहा था गेंदा सिंह जी की बात बिलकुल दूसरी है। गाय की समस्या को सुलझाने के लिये यह विधेयक एक बहुत छोटा सा हिस्सा है उस महान् समस्या का। कौन नहीं जानता कि इस देश में क्रमिक रूप से गाय का ह्रास हुआ, कौन नहीं जानता कि इस देश में गाय का २ छटांक दूध रह गया और कौन नहीं जानता कि इस देश के बहुत से हिस्से की गायों को दाना नहीं मिलता? इस देश में गाय को चारा देने की प्रथा नहीं, चारा दिया नहीं जाता। यह भी सही है कि इस देश में गाय की नस्ल को सैकड़ों वर्षों से ज्यादा ह्रास की ओर ले जाया गया। आज तो दुर्दशा यह है कि जीवित गाय का मूल्य ४० रुपया और मरी हुयी, मरी हुयी नहीं मारी हुयी गाय का मूल्य ८० या १०० रुपया। यह भी कौन नहीं जानता जैसा कि अभी भाई मदनमोहन जी के बीच में बोलने का उत्तर मैंने दिया सरकार इसके लिये चिंतित है निरन्तर? यदि मदन मोहन उपाध्याय उसे निष्पक्ष रूप से देखना चाहें तो वे देखेंगे कि इस सरकार ने कुछ गौसदन खोलने की चेष्टा की, इस सरकार ने यह प्रयत्न किया कि चारे की उन्नति हो और इसको खेती की उन्नति के साथ-साथ कुछ बढ़ावा देने की चर्चा की और उसके विकास के लिये चारे के सम्बन्ध में अनुसंधान किया और बहुत से स्थानों पर गायों को चारा देने की आदत डालने की चेष्टा की और इस सरकार ने गायों की नस्ल सुधारने का भी प्रयास किया। मैं यह स्वीकार करता हूं कि केवल इस विधेयक से शायद गाय की समस्या का अन्त होगा नहीं, गाय की उन्नति होगी यह मैं स्वीकार करता नहीं क्योंकि मेरा खयाल है कि यह केवल थोड़ा सा मार्ग है, थोड़ा सा साधन है जिसके द्वारा एक महान् समस्या को हल करने की हम चेष्टा कर रहे हैं। हमको अच्छा और वैज्ञानिक चारा गाय को देना है, हमको निश्चित रूप से गाय को आगे बढ़ाने के लिये उसकी नस्ल को सुधारना है और जब कभी इस देश के किसान पर हमला किया जाता है तो यह कहा जाता है कि उसने गाय की नस्ल को बिगाड़ लिया या उसने यहां के चारे को बिगाड़ दिया तो मुझ को बार बार दुख होता है। शायद हम समझते नहीं कि चारा और गाय की नस्ल ये दोनों दुरावस्था में बिगड़ गये। इस देश में इस देश के दुख, दारिद्रय, दुर्दशा, इस देश की मायूसी और विवशता ने मनुष्य की नस्ल को बिगाड़ दिया, गाय की नस्ल तो दूर रही।

श्री अध्यक्ष—अभी आप जारी रखेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
मंगलवार, ६ सितम्बर, १९५५ ।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९० पर)

अलीगढ़ जिले की कृषि योग्य भूमि तथा सरकारी साधनों द्वारा सिंचित भूमि एकड़ों में निम्नांकित है :

तहसील		कृषि योग्य भूमि	सरकारी साधनों द्वारा सिंचित भूमि
खैर	..	२३१,३८७	६७,०२३
इगलास	..	१२७,९९४	२९,२८२
हाथरस	..	१६९,३९९	४९,१५०
अतरौली	..	१९८,६५८	१०३,५१९
कोयल	..	१८४,५५४	८६,२३८
सःराव	..	१६२,९९०	८८,६७९
	योग ..	१,०७५,१२२	४२३,८९१

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ १६३ पर)

आकस्मिक व अल्प कालीन कार्य

चित्र (अ) कार्य जिन पर निर्माण आरम्भ हो चुका है:—

क्रम सं०	नदी का नाम	संबंधित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	खर्च जो हो चुका है	१९५५–५६ के लिये धनराशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र एकड़ों में	कार्य की प्रगति का संक्षिप्त विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९
				रु०	रु०	रु०	एकड़	
१	छोटी सरजू	गाजीपुर	गोशालपुर बन्ध का निर्माण	२,२९,०००	५०,०००	१,७९,०००	४,४८०	तीन मील लम्बाई का कार्य प्रगति पर है। ७४ लाख घन फीट अनुमानित कार्य में से २५ लाख घन फीट मिट्टी का कार्य समाप्त हो गया है।
२	गंगा	बलिया	बलिया बारिया बंध का निर्माण	१४,८०,०००	१,००,०००	१०,००,०००	६०,८००	कुल ३·६६ करोड़ घनफीट करीब मिट्टी के कार्य में से करीब ६० प्रतिशत कार्य समाप्त हो चुका है। यमको रेगुलेटर्स का निर्माण प्रगति में है।

क्रम सं०	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	खर्च जो हो चुका है	१९५५-५६ के लिये धन-राशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र एकड़ों में	कार्य की प्रगति का संक्षिप्त विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९
३	छोटी सरजू	गाजीपुर	असावर बन्ध का निर्माण	१,८२,०००	५०,०००	१,३२,०००	५,७६१	एक मील की लम्बाई में कार्य प्रगति पर है। कुल अनुमानित ६० लाख घन फीट मिट्टी के कार्य में से १·५ लाख घन फीट कार्य हो चुका है।
४	घाघरा	आजमगढ़	हाहानाला बन्ध का निर्माण	४,५०,०००	१,००,०००	३,००,०००	२२,४००	एक मील की लम्बाई में कार्य प्रगति पर है। कुल अनुमानित १.२ करोड़ घनफीट मिट्टी के कार्य में से १५ लाख घन फीट कार्य हो चुका है।
५	गंडक	देवरिया	चितौनी बन्द का निर्माण	२७,००,०००	८,००,०००	१४,००,०००	१,२१,६००	मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है व कटाव से बचाव के लिये सामान कार्य के स्थान पर लाया जा रहा है प्रीएम्बिल स्पर्स के लिये सामान एकत्रित किया जा रहा है।

६ स्थानीय डुबाव	गोरखपुर	गोरखपुर जिले में ४ नालियां तथा रेगुलेटर्स का निर्माण करके बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का बचाव ।	१५,८२०	१०,०००	५,८२०	८४०	९० प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है पानी से परिपूर्ण ८०४ एकड़ क्षेत्र के बचाव के लिये नालियां बन चुकी हैं।
७ स्थानीय डुबाव	बलिया, बस्ती बहराइच, फैजाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, हमीरपुर, गोंडा, इलाहाबाद व फर्रूखाबाद ।	११ जिलों में पी० डब्लू० डी० की सड़कों की पुलियों पर जल मार्गों का विकास ।	७,६२,८००	६०,०००	७,०८,८००	..	मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य चालू कर दिया गया है।
८ ..	गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, सीतापुर, तथा खीरी ।	५ जिलों में पी० डब्लू० डी० सड़कों की पुलियों पर जल मार्गों का विकास ।	६,९९,४५०	१०,०००	६,८९,४५०	..	
९ रोहिन	गोरखपुर	माधोपुर बन्ध का निर्माण	७७,०००	५०,०००	२७,०००	३००	कार्य पूर्णरूप से चालू है। कुल ३० लाख घनफीट मिट्टी के कार्य में से १२ लाख घन फीट कार्य हो चुका है।

क्रम सं०	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	खर्च जो हो चुका है	१९५५–५६ के लिये धन-राशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र एकड़ों में	कार्य की प्रगति का संक्षिप्त विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९
				रु०	रु०	रु०	एकड़	
१०	राप्ती बेसिन	बस्ती, गोरखपुर और देवरिया।	बस्ती, गोरखपुर और देवरिया जिले में जल मग्न ग्रामों की रक्षा	६०,००,०००	९,२०,०००	१८,००,०००	३०० ग्राम	३९१ ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। गोरखपुर १००, बस्ती २८३। देवरिया ८; मूल तखमीने में कुल ३०० ग्रामों का आयोजन था। परन्तु प्रति ग्राम व्यय कम हो रहा है। क्योंकि ग्रामीण सहायता दे रहे हैं। इसी लिये ३०० से अधिक ग्रामों पर काम चालू है।
११	छोटी सरजू	गाजीपुर	गोविन्दपुर बन्ध का निर्माण	१,९९,६०५	५०,०००	१,४९,६००	६,२१०	एक मील की लम्बाई में कार्य प्रगति पर है। कुल अनुमानित ६७ लाख घनफीट मिट्टी के कार्य में से १५ लाख घनफीट कार्य हो चुका है।

१२	टोन्स	बलिया	मुस्तफाबाद खूंटी पृथ्वीपुर बन्ध का निर्माण।	२,८२,०९६	५०,०००	२,३२,१००	१०,०००	कार्य चालू हो गया है। बाहरी रेखाओं प्रोफाइल्स का निर्माण हो रहा है।
१३	सरजू	बहराइच	विलहा बेहरा बन्ध का निर्माण	५,८०,०००	४०,०००	४,४०,०००	५०,०००	.. ..
१४	..	बनारस-आजमगढ़ तथा मिर्जापुर	नालियों के छोटे छोटे तख़्तीने	६,२२,८११	३,६३,५००	२,५९,३००	१०,८००	२६ कार्य में से ३ पूर्ण हो चुके हैं १५ समाप्ति पर हैं। बाक़ी ८ कार्य शुरू किये जा रहे हैं।
१५	गंगा	बनारस	बनारस घाटों की रक्षा	४५,००,०००	५,००,०००	४०,००,०००	बनारस शहर मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्य करा रहे हैं।	

टिप्पणी—खर्च जो हो चुका है खाने के अन्तर्गत जो रक़में लिखी गयी हैं वे वास्तव में एलाटमेन्ट की रक़में हैं क्योंकि जो रकमें इस समय तक खर्च की गयी हैं उसका पूर्ण विवरण इस कार्यालय में अभी नहीं आ पाया है।

लखनऊ,
दिनांक २६ मार्च, १९५५।

राजेन्द्र कुमार जैन,
व्यक्तिगत सहायक (बाढ़),
कृते मुख्य अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

आकस्मिक व अल्पकालीन कार्य

चित्र (व) कार्य जिनकी जांच पड़ताल हो चुकी है तथा तखमीने बन चुके हैं या बनाये जा रहे हैं और निर्माण सरकार की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त आरम्भ होगा।

क्रम सं०	नदी का नाम	संबंधित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	१९५५-५६ के लिये धनराशि	जिलवार लाभान्वित क्षेत्र (एकड़ में)	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७	८
				रु०	रु०	एकड़	
१	घाघरा	बहराइच . .	बोंदी वहरौसी बन्ध का निर्माण।	१६,५०,०००	१०,००,०००	१,५०,०००	तखमीना स्वीकृत हो चुका है। यदि केंद्रीय सरकार से रुपया मिल गया तो कार्य अप्रैल, १९५५ में शुरू किया जायगा।
२	गंगा	बलिया . .	बलिया जिले में गंगा नदी के किनारे के जल-मग्न ग्रामों की रक्षा।	१४,३४,०००	३,५०,०००	१२० ग्राम	. .
३	घाघरा	बहराइच	बहराइच जिले में घाघरा नदी के किनारे के जल मग्न ग्रामों की रक्षा।	१६,२०,०००	४,००,०००	१५० ग्राम	. .

४	राप्ती	गोरखपुर	मंलाव बन्ध का निर्माण।	२,१६,७८३	२,१६,८००	१,३००	
५	कुवानो	गोरखपुर	धानपारा से वनकट तक कुवानो नदी पर बन्ध का निर्माण।	२,३२,६००	२,००,०००	२,००८	
६	क्वानो	बस्ती ..	मुसलिसपुर से बहेड़ा तक क्वानो नदी के किनारे बन्ध का निर्माण।	४,६२,०००	३,००,०००	६,०१५	तख़मीना स्वीकृत हो चुका है यदि केन्द्रीय सरकार से रूपया मिल गया तो कार्य अप्रैल, १९५५ में शुरू किया जायगा।
७	..	..	लैवहिया कलां से छतिया तक क्वानो नदी के किनारे बांध का निर्माण।	४,८९,०००	२,८९,०००	८,०४०	
८	घोगी और कुमरा	..	घोगी नदी के दाहिने तरफ तथा कुमरा नदी के बांये तरफ बन्ध का निर्माण।	७,६३,०००	५,००,०००	२०,०००	
९	घाघरा	बलिया तथा आजमगढ़	बलिया और आजमगढ़ जिले के घाघरा नदी के किनारे के जल मग्न ग्रामों की रक्षा।	९,९१,०५०	२,५०,०००	५४ ग्राम बलिया जिले में तथा ५१ आजमगढ़ में।	

राजेन्द्र कुमार जैन,
व्यक्तिगत सहायक (बाढ़),
कृते मुख्य अभियन्ता,
सिचाई विभाग।

आकस्मिक व अल्पकालीन कार्य

चित्र (स) कार्य जो जांच पड़ताल के अन्तर्गत हैं और जिनके तखमीने बनाये जा रहे हैं।

क्रम सं०	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	१९५५-५६ के लिये धनराशि (यदि है तो)	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र (एकड़ों में)	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७	८
				रु०	रु०		
१	घाघरा	बलिया	तुरतीपुर श्रीनगर बंध का निर्माण।	३०,५०,०००	१५,००,०००	८९,०००	
२	..	आजमगढ़	महौला गरवल बन्ध का निर्माण।	३०,००,०००	१५,००,०००	८८,१६४	
३	राप्ती	गोरखपुर और देवरिया	गौरा स्पिल का बन्ध करना।	८२,००,०००	३०,००,०००	६०,०००	
४	घाघरा	बहराइच	बेहरा वौन्दी बान्ध का निर्माण।	१५,००,०००	८,००,०००		
५	..	गोंडा ..	परसपुर धौरा बन्ध का निर्माण।	१२,००,०००	६,००,०००		

६	गंगा ..	बलिया ..	बैरिया भकूला बन्ध का निर्माण।	१२,००,०००	६,००,०००	टिप्पणी
७	घाघरा	बस्ती ..	मंझा बन्ध का निर्माण।	१४,००,०००	७,००,०००	
८	रोहिन	गोरखपुर	मखना बन्ध का निर्माण।	४,००,०००	३,००,०००	
९	..	..	वौरहा बन्ध का निर्माण।	७,००,०००	४,००,०००	
१०	गन्डक	देवरिया ..	नरायनी गन्थेवा बन्ध का निर्माण।	८,००,०००	४,००,०००	अनुसन्धान हो रहा है।
११	..	नैपाल पट्टी	नैपाल पट्टी में गन्डक नदी के किनारे बन्ध का निर्माण।	१५,९०,०००	७,००,०००	
१२	यमुना	सहारनपुर	ताजेवाला के करीब यमुना नदी के किनारे मारजीनल बन्ध का निर्माण।	१८,००,०००	९,००,०००	

राजेन्द्र कुमार जैन,
व्यक्तिगत सहायक, (बाढ़)
मुख्य अभियन्ता,
सिंचाई विभाग।

दीर्घ कालीन कार्य

चित्र (द) दीर्घ कालीन कार्य { (१) जिन पर जांच पड़ताल हो चुकी है और निर्माण में हैं। (२) जिन पर जांच पड़ताल हो रही है। (३) जिन पर जांच पड़ताल आरम्भ होनी है।

क्रम सं०	नदी का नाम	संबंधित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत खर्च जो हो चुका है	१९५५–५६ के लिये धन-राशि	जिलेवार लाभांवित क्षेत्र (एकड़ों में)	अब तक किये गये कार्य का विवरण तथा भविष्य का प्रोग्राम १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९	
१	२	३	४	५	६	७	८	९
			(२) वे कार्य जिन पर जांच पड़ताल हो रही है। राप्ती की सहायक नदियों पर रिटेन्शा रिजर्वायर्स					
१	राप्ती	बहराइच	रनियापुर जलाशय	१७,६७,०००	६,००,०००	ये जलाशय राप्ती नदी के कैचमेंट्स को काटेंगे और अति अधिक बाढ़ की तेजी को कम करेंगे।	११,६७,०००	हर अग्रिम साल में २ करोड़ रु०।
	...	गोंडा	भगवानपुर जलाशय	२०,००,०००	९,००,०००		११,००,०००	
	...	गोंडा	नवानगर	४४,२७,०००	२०,००,०००		२४,२७,०००	
	...	गोंडा	नावलाढ़ बन्ध	१३,८०,०००	५,००,०००		८,८०,०००	
	...	बस्ती	मैगलपुर सरोवर	३८,३०,०००	१५,००,०००		२३,३०,०००	
	...	गोरखपुर	प्यारा	८४,३०,०००	२५,००,०००		४०,००,०००	

	...	बहराइच गोंडा बस्ती गोरखपुर	राप्ती की सहायक नदियों पर अन्य छोटे छोटे जलाशय संख्या २०	३,००,००,०००	२०,००,०००	यह जलाशय राप्ती नदी के कैचमेंट्स को काटेंगे और अति अधिक बाढ़ की तेजी को बहराइच गोंडा बस्ती गोरखपुर जिलों में कम करेंगे	१,००,००,०००	हर अग्रिम साल में २ करोड़ रु० ।
२	...	नैपाल पट्टी	नैपाल में राप्ती नदी पर बाढ़ नियंत्रण जलाशय	४,००,००,०००			५०,००,०००	
३	...	बस्ती तथा गोरखपुर	बस्ती तथा गोरखपुर जिलों में वर्तमान झीलों पर बाढ़ निरोधक जलाशय	१,००,००,०००	१०,००,०००	अनुसंधान हो रहा है ।	५०,००,०००	
४	देहा	पीलीभीत	पीलीभीत जिले में देहा नदी पर बाढ़ निरोधक जलाशय नानक भाता जलाशय	२,००,००,०००	५०,००,०००	अनुसंधान हो रहा है ।	५०,००,०००	हर अग्रिम साल में २ करोड़ रु० ।
५	धौरा	"	धोरा नदी पर बाढ़ निरोधक जलाशय	२०,००,०००	१०,००,०००		१०,००,०००	
६	गंगा	मिरजापुर बलिया	मिरजापुर तथा बलिया शहरों की रक्षा	१,००,००,०००	२०,००,०००		२०,००,०००	हर अग्रिम साल में २० लाख रु० ।

क्रम सं०	नदी का नाम	संबंधित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत खर्च जो हो चुका है	१९५५-५६ के लिये धन-राशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र (एकड़ों में)	अब तक किये गये कार्य का विवरण तथा भविष्य का प्रोग्राम
१	२	३	४	५	६	७	८ ९
७	...	बनारस	कटाव से बनारस की रक्षा।	६०,००,०००	२०,००,०००	बनारस शहर २०,००,०००	१९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ व्यय का बटवारा नहीं किया गया है धनराशि की प्राप्ति पर आगामी प्रगति निर्भर है।
८	घाघरा	फैजाबाद, आजमगढ़, बस्ती, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा,	अयोध्या से बिहार सीमा तक घाघरा नदी के किनारे की खेतीहर जमीन को कटाव से रक्षा।	१,००,००,००,०००			
९	राम गंगा	गढ़वाल	रामगंगा बंध योजना।	२७,००,००,०००	५०,००,०००	४०,००,००० मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद और, कानपुर जिले में।	६,००,००,०००

राजेन्द्र कुमार जैन,
व्यक्तिगत सहायक (बाढ़),
मुख्य अभियन्ता,
सिंचाई विभाग

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९४ पर)

चित्र (अ)

आकस्मिक व अल्पकालीन कार्य

कार्य, जिन पर निर्माण आरम्भ हो चुका है।

क्रम सं०	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	खर्च जो हो चुका है	१९५५–५६ के लिये धनराशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र (एकड़ों में)	कार्य की प्रगति का संक्षिप्त विवरण
१	..	खीरी	पी० डब्लू० डी० की सड़कों की पुलियों पर जलमार्गों का विकास।	३९,४५०	..	..	..	मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य चालू कर दिया गया है।
२	..	सीतापुर	..	१,०९,०००	..	..	..	..
३	..	गोंडा	..	८७,०००	..	..	..	..
४	..	बहराइच	..	१,५९,५००	..	..	..	..
५	सरजू	..	बिलहा बेहरा बन्ध का निर्माण।	५,८०,०००	४०,०००	४,४०,०००	५०,०००	कार्य चालू हो गया है। बाहरी रेखाओं (प्रोफाइल्स) का निर्माण हो रहा है।

रान्जेद्र कुमार जैन,
व्यक्तिगत सहायक (बाढ़),
मुख्य अभियन्ता,
सिंचाई विभाग।

आकस्मिक व अल्प कालीन कार्य

चित्र (ब) कार्य, जिनकी जांच पड़ताल हो चुकी है तथा तखमीने बन चुके हैं या बनाये जा रहे हैं और निर्माण सरकार की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त आरम्भ होगा।

क्रम सं०	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	१९५५-५६ के लिये धनराशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र एकड़ों में	टिप्पणी
१	..	खीरी	..	..	..	..	..
२	..	सीतापुर	..	..	..	..	..
३	..	बाराबंकी	..	..	..	..	..
४	घाघरा	बहराइच	बोंदी बहरोली बन्ध का निर्माण।	१६,५०,०००	१०,००,०००	१,५०,०००	तखमीना स्वीकृत हो चुका है यदि केन्द्रीय सरकार से रुपया मिल गया तो कार्य अप्रैल, १९५५ में शुरू किया जायेगा।
५	..	..	बहराइच जिले में घाघरा नदी के किनारे के जल मग्न ग्रामों की रक्षा।	१६,२०,०००	४,००,०००	१५० ग्राम	..
६	..	गोंडा	..	..	..	..	..

राजेन्द्र कुमार जैन,
व्यक्तिगत सहायक (बाढ़)
मुख्य अभियन्ता,
सिंचाई विभाग।

आकस्मिक व अल्पकालीन कार्य

चित्र (स) कार्य जो जांच पड़ताल के अन्तर्गत है और जिनके तखमीने बनाये जा रहे हैं।

क्रम सं०	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	१९५५–५६ के लिये धनराशि (यदि है तो)	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र एकड़ों में	टिप्पणी
१	..	खीरी	..	..	..	..	..
२	..	सीतापुर	..	..	..	..	..
३	..	बाराबंकी	..	..	..	..	..
४	घाघरा	बहराइच	बेहरा बौंदी बन्ध का निर्माण।	१५,००,०००	८,००,०००	अनुसन्धान हो रहा है।	..
५	..	गोंडा	परसपुर धौरा बन्ध का निर्माण।	१२,००,०००	६,००,०००	..	..

दीर्घ कालीन कार्य

चित्र (द) राजेन्द्रकुमार जैन व्यक्तिगत सहायक (बाढ़) कृते मुख्य अभियन्ता सिंचन विभाग।

(१) जिन पर जांच पड़ताल हो चुकी है और निर्माण में है।
(२) जिन पर जांच पड़ताल हो रही है।
(३) जिन पर जांच पड़ताल आरम्भ होनी है।

क्रम सं०	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	खर्च जो हो चुका है	१९५५–५६ के लिये धनराशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र एकड़ों में	अब तक किये गये कार्य का विवरण तथा भविष्य का प्रोग्राम

(२) वे कार्य जिन पर जांच पड़ताल हो रही है।

५६–५७, ५७–५८, ५८–५९ और ५९–६०

राप्ती की सहायक नदियों पर रिटैन्शन जलाशय

१	..	खीरी	
२	..	सीतापुर	

क्रम-संख्या	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	खर्च जो हो चुका है	१९५५-५६ के लिये धनराशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र एकड़ों में	अब तक किये गये कार्य का विवरण तथा भविष्य का प्रोग्राम
३	..	बाराबंकी	..	..	..	..		
४	रान्ती	बहराइच	रनियापुर जलाशय	१७,६७,०००	..	६,००,०००	..	ये जलाशय रान्ती नदी के कैचमेंटस को काटेंगे और अति अधिक बाढ़ की तेजी को बहराइच व गोंडा जिले में कम करेंगे।
५	..	..	रान्ती की सहायक नदियों पर अन्य छोटे-छोटे जलाशय	अभी नहीं निकली है	..	अभी नहीं निकली	११,६७,०००	
६	..	गोंडा	..	..	..	..		
७	..	..	भगवानपुर जलाशय	२०,००,०००	..	९,००,०००	..	
८	..	..	नवालगढ़	४४,२७,०००	..	२०,००,०००	११,००,०००	
९	..	..	नावलगढ़ बन्ध	१३,८०,०००	..	५,००,०००	२४,२७,०००	
१०	घाघरा	..	अयोध्या से बिहार सीमा तक घाघरा नदी के किनारे की खेतिहर जमीन को कटाव से रक्षा	अभी नहीं निकली है	..	..	५,८०,०००	व्यय का बटवारा नहीं किया गया है।

राजेन्द्र कुमार जैन,
व्यक्तिगत सहायक (बाढ़),
कृते मुख्य अभियन्ता,
सिंचाई विभाग।
२६-३-५५
बूजवर्स सहाय
२६-३-५५

सिंचाई संबंधी सुविधायें

प्रश्न के अन्तर्गत

जिलों में सिंचाई संबंधी सुविधायें प्रथम वर्षीय योजना में दी गई हैं या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दी जायेंगी निम्नलिखित हैं :--

खीरी

१--४४० नलकूपों की योजना के अन्तर्गत १४८ नलकूप बनाये गये जो कि चालू हैं। इन नलकूपों से ६२,६०० एकड़ वार्षिक सिंचाई होगी।

२--१०६२ मील शारदा नहर विस्तार योजना के अन्तर्गत जल वितरण करने वाली नालियों सम्भवतः ८०० एकड़ खीरी जिले में सिंचाई करेंगी।

३--द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १,५०० नलकूप योजना के अन्तर्गत ७० नलकूप बनेंगे।

सीतापुर

१--४४० नलकूप योजना के अन्तर्गत ४७ नलकूप बन चुके हैं और चालू हैं। इन नलकूपों से २०,००० एकड़ वार्षिक सिंचाई होगी।

२--नालियां जो निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत हैं :--

(अ) ८०३ मील शारदा नहर का विस्तार

(ब) ट्रांसकल्यानी योजना (दरियाबाद शाखा) यह भी करीब १४,८६० एकड़ भूमि सींचने की सुविधा प्रदान करेगी (१०,२४०-४,६२०)

३--द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १,५०० नलकूपों की योजना के अन्तर्गत ३० नलकूप बनाये जायेंगे।

बाराबंकी

१--इस जिले को निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत नालियों से सिंचाई सुविधायें प्राप्त होंगी :--

(अ) ८०३ मील शारदा नहर का विस्तार	२८,८४२ एकड़
(ब) १,०६२	.. १४० ,,
(स) ट्रांस कल्यानी योजना ..	.. ५५,३८० ,,

२--द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई प्रस्ताव नहीं है।

बहराइच

१--इस जिले के लिये ६५ नलकूप निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये हैं:--

(१) पूर्वी जिलों के २०० नलकूप--३०

(२) जी० एम० एफ० प्रोग्राम १६५४ के अन्तर्गत--१५, ३७० नलकूप

(३) छोटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत--५० नानापारा तहसील के ५० नलकूप।

२--द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १५०० नलकूप योजना के अन्तर्गत १०० नलकूप बनेंगे।

३--संलग्न स्टेटमेन्ट जो क्रम सं० २(फ्लैग) (प) पर है। व० घोगवा और भपुर सरोवर आइटम ३ और ५ के अन्तर्गत ५,००० एकड़ वार्षिक सिंचाई होगी।

गोंडा

१--४४० नलकूपों की योजना के अन्तर्गत ३० नलकूप बने हैं यह सब नलकूप चालू हैं। ३७० नलकूपों की योजना में ५० और नलकूप इस जिले के लिये निर्धारित हैं। इस योजना पर कार्य इसी वर्ष आरम्भ हुआ है।

२--मझगवां और बघेल खंड बांधों से भी इस जिले में प्रतिवर्ष ५,२६४ एकड़ की सिंचाई होगी। इन बांधों पर कार्य पूरा हो चुका है।

३--गिरगिटी और खैरामन सरोवर से भी जिन पर काम चालू है बाढ़ से रक्षा करने के अतिरिक्त लगभग १३,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

४--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १५०० नलकूपों में से ७० नलकूप इस जिले में बनाने का प्रस्ताव है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनायें अभी नहीं बनी हैं और यह सम्भव है कि इससे उपर्युक्त जिलों को भी लाभ पहुंचे।

१--उत्तर प्रदेश के मैदान में छोटी सिंचाई की योजनाएं।

२--सिंचाई की नहरों नलियों व गूलों की लाइनिंग।

राजेन्द्र कुमार जैन,
व्यक्तिगत सहायक (बाढ़),
कृते मुख्य अभियन्ता,
सिंचाई विभाग।

नत्थी "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न २८–२९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९७ पर)

तारांकित प्रश्न संख्या २८, २९ से सम्बन्धित सूचना की सूची

जिला	सन् १९५१–५२			सन् १९५३–५४		
	नहर का क्षेत्र	नलकूपों का क्षेत्र	कुल	नहर का क्षेत्र	नलकूपों का क्षेत्र	कुल
	१	२	३	४	५	६
	एकड़	एकड़	एकड़	एकड़	एकड़	एकड़
सहारनपुर ..	२,३२,४१५	४,९७६	२,३७,३९१	२,३६,७७४	६,०८०	२४२,८५४
मुजफ्फर नगर ..	४,०४,९९१	८२,३३१	४,८७,३२२	४,१२,७८०	९१,४४४	५,०४,२२४
मेरठ ..	६,००,६४२	१,८३,५१०	७,८४,१५२	६,०७,१००	२,०८,४६३	८,१५,५६३
बुलन्द शहर ..	३,६१,३९२	१,७३,८५१	५,३५,२४३	३,७७,७२६	१,७७,९४३	५,५५,६६९
अलीगढ़ ..	३,२५,३८५	१,१०,०५६	४,३५,४४१	३,३८,६०९	१,५४,१३०	४,९२,७३९
मथुरा ..	३,४३,७४१	—	३,४३,७४१	३,४९,३६७	—	३,४९,३६७
आगरा ..	१,९३,३५३	—	१,९३,३५३	२,०१,३०६	—	२,०१,३०६
एटा ..	२,३०,४१४	१९,७३३	२,५०,१४७	३,१४,५१६	२२,०५४	३,३६,५७०
मैनपुरी ..	२,५१,४३२	—	२,५१,४३२	३,१८,८४३	—	३,१८,८४३
फर्रुखाबाद ..	१,१९,६२४	—	१,१९,६२४	१,९८,०३९	—	१,९८,०३९
इटावा ..	३,०७,४००	—	३,०७,४००	४,०८,९६५	—	४,०८,९६५
कानपुर ..	४,१८,६००	—	४,१८,६००	४,७५,९८३	—	४,७५,९८३
फतेहपुर ..	१,९५,४५१	—	१,९५,४५१	२,६३,९००	—	२,६३,९००
इलाहाबाद ..	८९,५०५	—	८९,५०५	९०,१०२	—	९०,१०२
दिल्ली ..	१,५८६	—	१,५८६	१,८७७	—	१,८७७
गुरगांव ..	१,०३,४५५	—	१,०३,४५५	१,०३,४५५	—	१,०३,४५५
देहरादून ..	२४,५४२	—	२४,५४२	२४,५४२	—	२४,५४२

तारांकित प्रश्न संख्या २८, २९ से सम्बन्धित सूचना की सूची

जिला	सन् १९५१–५२			सन १९५३–५४		
	नहर का क्षेत्र	नलकूपों का क्षेत्र	कुल	नहर का क्षेत्र	नलकूपों का क्षेत्र	कुल
	१	२	३	४	५	६
बिजनौर	३६,७२१	७६,४४०	१,१३,१६१	३६,७२१	१,०७,५१९	१,४४,२४०
मुरादाबाद	२५,६०५	२,३३,०३६	२,५८,६४१	२५,६०५	२,४३,७७३	२,६९,३७८
बदायूं	—	१,५६,२२५	१,५६,२२५	—	१,७४,८१८	१,७४,८१८
नैनीताल	११,५८८	—	११,५८८	११,५८८	—	११,५८८
पीलीभीत	१,०५,१६३	—	१,०५,१६३	१,२१,०३२	—	१,२१,०३२
बरेली	२,४६,४०३	१७,९९०	२,६४,३९३	२,६३,७६७	१७,९९०	२,८१,७५७
रामपुर	४३,७७४	१२,७२२	५६,४९६	४४,६६०	१४,२२१	५८,८८१
शाहजहांपुर	१,५९,३१४	—	१,५९,३१४	१,५९,३१४	५९,५६५	२,१८,८७९
हरदोई	१,९०,५०४	—	१,९०,५०४	२,७१,५२२	—	२,७१,५२२
खीरी	७६,०२०	—	७६,०२०	७६,०२०	१,५६,४००	२,३२,४२०
सीतापुर	१,७७,९८१	—	१,७७,९८१	१,७७,९८१	४२,९००	२,२०,८८१
उन्नाव	२,१६,५८६	—	२,१६,५८६	२,१६,५८६	—	२,१६,५८६
रायबरेली	१,८९,८१४	—	१,८९,८१४	१,९१,७२५	—	१,९१,७२५
बाराबंकी	१,७६,७८७	—	१,७६,७८७	२,२२,६६९	८३३	२,२३,५०२
सुल्तानपुर	३३,६९२	—	३३,६९२	३३,६९२	—	३३,६९२
प्रतापगढ़	५४,११५	—	५४,११५	५४,११५	—	५४,११५
लखनऊ	१,२७,०६९	—	१,२७,०६९	१,२७,०६९	—	१,२७,०६९
फैजाबाद	४३,०७२	—	४३,०७२	४३,०७२	३०,२६१	७३,३३३
झांसी	४६,९६४	—	४६,९६४	४८,०४४	—	४८,०४४
जालौन	१,७८,७२८	—	१,७८,७२८	१,७८,७२८	—	१,७८,७२८

गोंडा	—	—	—	२०,२२१	—	२०,२२१
हमीरपुर	८६,३०३	—	८६,३०३	१,२२,७८६	—	१,२२,७८६
बांदा	१,६६,३७८	—	१,६६,३७८	१,६६,३७८	—	१,६६,३७८
मिर्जापुर	५६,०००	—	५६,०००	१,१२,१७८	—	१,१२,१७८
बनारस	—	—	—	५५,२८३	—	५५,२८३
गोरखपुर	६,२७२	११,२१०	२०,४८२	६,२७२	१७,०१६	२६,२६१
देवरिया	—	१४,०६६	१४,०६६	—	२३,६४१	२३,६४१
बस्ती	—	२५,८७८	२५,८८७	—	३०,६६६	३०,६६६
राज्य (स्टेट्स)	१२,४५३	—	१२,४५३	३,८७३	—	३,८७३
	६६,८०,२३४	११,२२,०२४	७८,०३,२५८	७५,१७,७८८	१५,८०,०२३	६०,६७,८११

नत्थी "क्ष"

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०२ पर)

वर्तमान सत्र के आठवें मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ४४ में मांगी गई सूचना का विवरण पत्रिका

जिला	नाम टाउन एरिया कमेटी	नाम नोटीफाइड एरिया कमेटी	जनसंख्या	आय १९५३-५४
				रु०
गढ़वाल	श्रीनगर		२,३८७	६,३३३
		पौड़ी	५,२४३	३५,४३१
		दुगड्डा	९,२४१	३२,१४४
		कोटद्वार	४,६५३	६५,७१३
टेहरी-गढ़वाल	उत्तर काशी		१,२०७	७,८४१
	सुनी की रेती		५,२३	३,२३४
	कीर्तिनगर		२३१	१,८८३
		देवप्रयाग	१,०४०	४३,७६९
		टेहरी	२,७६९	३७,०६०
		नरेन्द्रनगर	१,२८२	३३,५५५

नत्थी "च"

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०३ पर)

प्राथमिकता के अनुसार मांगी गई रेलवे लाइनों की सूची

कहां से	कहां तक
	पुनर्निर्माण
१—अकबरपुर	टांडा
२—माधोगंज	औहादपुर
३—डलमऊ	दरयापुर
	नूतन
१—(१) कासगंज	एटा
(२) एटा	जलेसर होकर जलेसर रोड
२—रामपुर	लालकुआं होकर काठगोदाम
३—रुद्रपुर	देवरिया पडरौना और खड्डा होकर नौतनवां
४—काशीपुर	ठाकुरद्वारा, जसपुर और अफजलगढ़ होकर कालागढ़
५—भिगा	बहराइच और कैसरगंज होकर जरवल रोड
६—शाहगंज	खुथान, पीलकिच्चा और मछलीशहर होकर इलाहाबाद
७—लखीमपुर खीरी	शाहजहांपुर
८—गोरखपुर	महराजगंज होकर थुथीबारी और निचलौल से सिसवां बाजार तक लूप लाइन के साथ महराजगंज से निचलौल और सिसवां बाजार तक उसका विस्तार
९—शाहजहांपुर	पोवायां होकर मैलानी
१०—सुमेरपुर	पनवारी, राथ, मुसकारा, घुटई और नोगांग होकर छतरपुर
११—बलरामपुर	उतरौला, सेहरी, बोमरियागंज पथरा बाजार, बेसी और मेंहदावल होकर खलीलाबाद या सहजनवां
१२—बरहानी	खांड़सारी पथरा बाजार और रुधौली होकर बस्ती
१३—अतरी	बबेरू होकर किसनपुर
१४—रानी की सराय	मोहम्मदपुर, गूमडहि, लालगंज और चांदबक होकर बनारस
१५—आजमगढ़	मुबारकपुर और अजमतगढ़ होकर दोहरीघाट
१६—आजमगढ़	कप्टेनगंज, अतरौलिया और मखदूमपुर होकर टांडा
१७—घोसी	मधुवन होकर बिलथरा रोड
१८—सहजनवां	बरहालगंज
१९—गोला गोकरननाथ	माहोली होकर नीमसार (नैमिषारण्य)
२०—रोजागंज	नौगवां और मोहम्मदी होकर रोजा
२१—इटावा	शिकोहाबाद होकर शाहजहांपुर
२२—फर्रुखाबाद	शाहजहांपुर
२३—ललितपुर	ननरौम और टिकमगढ़ होकर मऊरानीपुर
२४—मऊरानीपुर	मरौल खास होकर ऐत

नत्थी "छ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ२०५पर)

सूची 'क'

सदर तथा फुलपुर तहसीलों में जो नलकूप बन चुके हैं उनका ब्योरा।

सदर तहसील	फूलपुर तहसील
१—सरफुद्दीनपुर	१—बढ़नपुर
२—गिलवारा	२—अतरौलिया
३—नीबी	३—चक दाऊदमाह
४—चक खैरुल्लनह	४—निलवई
५—बेलना डीह	५—छज्जपटी
६—बयासी	६—माहे राजा
७—बाजुरा	७—अमहारी
८—मलनापुर	
९—फरिया	
१०—शेखपुर	
११—रानीपुर रजमा	
१२—चक इनामी	
१३—हैदराबाद	
१४—बलरामपुर	

सदर तथा फूलपुर तहसीलों में जो नलकूप बनाये जायेंगे उनका ब्योरा।

सदर तहसील	फूलपुर तहसील	
१—बादोपुर गांव में	१—नलकूप	उपयुक्त स्थान मिलने
२—करीमुद्दीनपुर गांव में	१—नलकूप	पर विचार किया जायगा।

नत्थी "ज"

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०६ पर)

सूची 'ख'

सदर (आजमगढ़) तहसील	फूलपुर तहसील
१—देवखान	१—चक घोघारी
२—नामदारपुर	२—सुनमाडीह
३—चंडी	३—सत्तरपुर
४—परनपुर	४—गौसपुर
५—सिथवाल	५—टयुंगा
६—चकसिथवला	६—इटकोहिया
७—हसनपुर	७—रामोपुर
८—कोटिला	८—गदोपुर
९—रावन	
१०—नन्दपुर	
११—संजरपुर	
१२—सुरिया	
१३—गंभीरपुर	
१४—पवहदपुर	
१५—जगदीशपुर	
१६—सिखान	
१७—बस्ती	

परिशिष्ट "झ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०६ पर)

सूची 'न'

	संख्या
(१) डिवीजनल आफिस बिना आउट हाउस के	१
(२) इक्जीक्युटिव इंजीनियर का निवास स्थान (बिना आउट हाउस के)	१
(३) असिस्टेंट इंजीनियर का निवास स्थान तथा दफ्तर	३
(४) ओवरसियर क्वार्टर	१
(५) सुपरवाइजर क्वार्टर	१
(६) जिलेदारी दफ्तर तथा अमीन क्वार्टर	१
(७) वर्कशाप व क्वार्टर	१
(८) गोदाम	१

पी० ए स० मू० पी०—ए० पी० ६६ एल० ए०—१९५५—७९६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५७)

अंसमानसिंह, श्री
अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुलतारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री

चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्तवैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुतुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार

विशम्भरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मूलूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलखन, श्री

रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री

सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

फर्रुखाबाद में ब्लाक मेकिंग और कपड़े की छपाई

*१—**श्री झारखंडे राय** (जिला आज़मगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि फर्रुखाबाद जिले और शहर में ब्लाक मेकिंग (Block making) और कपड़े पर छपाई के काम में कुल कितने मज़दूर काम करते हैं ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसीदास)—छपाई के काम में लगभग ३,२०० मजदूर हैं, जिनमें से लगभग २,२०० हाथ से काम करते हैं। अन्य १,००० अधिकतर कारखानेदार हैं। ब्लाक मेकिंग में लगभग ४५० कारीगर हैं।

*२—**श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार को पता है कि इस उद्योग की दशा इधर कुछ दिनों से लगातार गिरती जा रही है ?

श्री बनारसीदास—कुछ समय पूर्व इस उद्योग में मन्दी आ गई थी।

*३—**श्री झारखंडे राय**—अगर हां, तो कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है, जिससे जिले के इस प्रमुख उद्योग को पूर्ण विनाश से बचाया जा सके ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी रूपरेखा बताने का कष्ट करेगी ?

श्री बनारसीदास—सरकार ने उस उद्योग की उन्नति के लिये क्वालिटी मार्किंग योजना चालू की है, जिसके अन्तर्गत निर्धारित स्तर का माल तैयार कराया जाता है। शिक्षित टेक्निकल व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है तथा माल की परीक्षा करने के लिये फर्रुखाबाद में एक निरीक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। नियुक्त कर्मचारिगण उत्पादनों की विभिन्न अवस्था का निरीक्षण करते हैं तथा पूर्णतया तैयार हो जाने पर निर्धारित स्तर से मिलाकर उन पर गुण चिह्न अंकित करते हैं। भारत सरकार के आदेशानुसार फर्रुखाबाद से वही छपे हुए वस्त्र निर्यात किये जा सकते हैं जिन पर इस सरकार की गुण चिह्न अंकित हों।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो व्यक्तिगत कारखानेदार हैं उनको भी सरकार की ओर से कोई सहायता दी जाती है, यदि हां, तो क्या ?

श्री बनारसीदास—प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि वह क्वालिटी मार्किंग योजना के अन्दर शामिल हो और उसका लाभ उठाये।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस क्वालिटी मार्किंग योजना में सरकार का क्या व्यय होता है ?

श्री अध्यक्ष---यह किस प्रश्न से संबंधित है।

श्री झारखंडे राय---प्रश्न नं० ३ से।

श्री अध्यक्ष---इसी के लिये आप चाहते हैं या सब क्वालिटी मार्किंग के लिये चाहते हैं?

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार की ओर से जो क्वालिटी मार्किंग की योजना चल रही है उसमें कुल कितना व्यय होता है?

श्री अध्यक्ष---मैं पूरे के लिये इजाजत नहीं दूंगा। यह इसी के लिये प्रश्न पूछें तो ठीक है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि छपे हुये कपड़े का निर्यात कहां-कहां पर होता है और कितना?

श्री बनारसीदास---यहां से बाहर के देश अमरीका आदि में निर्यात होता है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने मूल्य का कपड़ा निर्यात होता है?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---करीब १६ लाख रुपये का कपड़ा पिछले साल में निर्यात हुआ था।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है कि मंदी आने से छपाई कम हुई तो इसके क्या-क्या कारण खास हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसका मुख्य कारण तो यह है कि जो लोग यह माल तैयार करते थे वह बहुत घटिया किस्म का माल तैयार करते थे, कच्चा रंग लगाते थे, इसका नतीजा यह हुआ कि विदेशी लोग जो माल मंगाते थे उन्होंने माल मंगाना बन्द कर दिया। जब से क्वालिटी मार्किंग का काम शुरू हुआ है सिवाय एक साल के उत्तरोत्तर इस रोजगार में वृद्धि होती रही है।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो लोग क्वालिटी मार्किंग में शामिल होते हैं, उनसे क्या फीस ली जाती है और क्या क्या प्रतिबन्ध हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---फीस की जानकारी मुझे इस समय नहीं है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है वैसे शायद फीस कोई पड़ती नहीं है।

श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो निरीक्षण केन्द्र खोला गया है, उसने क्या रिपोर्ट दी है?

श्री बनारसीदास---निरीक्षण के अन्दर जो स्पैसीफिकेशन्स मुकर्रर किये गये हैं उसके मुताबिक कैसा रंग है, कितनी साइज है, इसके मुताबिक कार्य होता है और जितना कपड़ा तैयार होता है उस सबका निरीक्षण होता है।

हमीरपुर जिले की मंडियों में ज्वार की खरीद

*४---श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि हमीरपुर जिले की किन-किन गल्ला मंडियों में इस वर्ष किन तारीखों को ज्वार खरीदने के लिये सरकार की ओर से प्रबन्ध किया गया?

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या ४ श्री जोरवार वर्मा ने पूछे।

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)--हमीरपुर जिले की निम्नलिखित मंडियों में, उनके विपरीत अंकित की गई तारीखों से ज्वार खरीदने की व्यवस्था की गई--

(१) मौदहा	..	.. ७ मई, सन् १९५५
(२) भरवा सुमेरपुर	..	.. १३ मई, सन् १९५५
(३) महोबा	..	.. १४ मई, सन् १९५५

*५--**श्री तेजप्रतापसिंह** (अनुपस्थित)--यह प्रबन्ध (ज्वार खरीद) किस तारीख से किस तारीख तक रहा और प्रत्येक सेन्टर पर कितनी ज्वार किस भाव पर खरीदी गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--संलग्न सूची में अभीष्ट सूचना दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३३० पर)

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह खरीद किसी प्राइवेट अधिकारी के द्वारा हुई या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यह खरीद एजेन्टों के द्वारा हुई जिनको सरकार ने नियुक्त किया।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हमीरपुर कृषकों की तरफ से कोई इस प्रकार की शिकायत की गयी है कि जो भाव सरकार ने निर्धारित किये थे उन भावों पर कृषकों की ज्वार नहीं खरीदी गयी, बल्कि दूकानदारों से खरीदी गयी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी नहीं, सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत वहां के किसानों की ओर से नहीं पहुंची है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी सम्बन्धित अधिकारियों से इस बात को पूछेंगे कि उनके पास इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र आये हैं ? यदि हां, तो वे उस पर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यदि माननीय सदस्य ऐसी कोई शिकायत लिखकर देंगे तो उस पर अवश्य कार्यवाही करायी जायगी।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार की खरीद में और मंडी के भाव में कोई अन्तर था ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, अन्तर होने की वजह से ही सरकार ने खरीद शुरू की। जब भाव नीचे गिरने लगा तो भाव को स्थिर करने के लिये ही यह ज्वार खरीदनी पड़ी।

आजमगढ़ शहर में भयंकर अग्निकांड

*६--**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ शहर में हाल में जिला विकास प्रदर्शिनी के अवसर पर भयंकर अग्निकांड हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उसमें कितने की क्षति हुई और क्या वह क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करने का विचार कर रही है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)--दो कपड़े की दूकानों में बिजली की खराबी की वजह से आग लग गई थी। नुकसान लगभग ३,००० रु० से ३,५०० रु० के बीच आंका जाता है। क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को नेशनल केलेमिटीज रिलीफ फंड से सहायता देने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ५ श्री जोरावरवर्मा ने पूछे।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह अग्निकांड किस तारीख को किस महीने में हुआ था ?

श्री फूलसिंह---फरवरी के महीने में गालिबन ६ तारीख को हुआ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस दूकान में आग लगी थी उनके मालिकों के भी क्षति की जांच में बयान लिये गये थे ?

श्री फूलसिंह---मैं नहीं कह सकता, जरूर लिया गया होगा।

फलोपयोगी विभाग के मुख्य कार्य, उसके कर्मचारी तथा फल विकास योजना के प्रशिक्षण केन्द्र

*७---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि Fruit Utilization (फ्रूट यूटिलिजेशन) विभाग की ओर से अब तक क्या क्या मुख्य मुख्य कार्य किये गये हैं ?

श्री बनारसीदास---फलोपयोगी (Fruit Utilization) विभाग द्वारा अब तक निम्नलिखित मुख्य मुख्य कार्य किये हैं---

१---१४४१ एकड़ भूमि पर १,४४,१६० फलों के पेड़ लगाये गये।

२---९६८ किसानों के उद्यानों में ८६१ एकड़ भूमि में उद्यान सुधार का काम किया गया।

३---फसलों की हानिकारक कीटाणुओं से रक्षा करने के लिये २९५ ग्रामों में ९९२ एकड़ भूमि पर फसलों का उपचार किया गया।

४---२०० मन से अधिक टिड्डियों को नष्ट किया गया।

५---१३२८ व्यक्तियों को कृषि रक्षा संबंधी वैज्ञानिक विधियों की शिक्षा दी गई।

६---लखनऊ व रामगढ़, जिला नैनीताल में फ्रूट प्रोसेसिंग एन्ड कैनिंग इंस्टीट्यूट (Fruit Processing and Canning Institute) स्थापित किये गये और उनके द्वारा ३९६३ पौंड फल इत्यादि डिब्बों में बन्द किया गया।

७---रामगढ़, जिला नैनीताल में एक फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री (Fruit Processing Factory) स्थापित की गई, वह फैक्ट्री २८ मई, १९५५ से चालू हुई और अब तक उसने १००० मन पल्प तैयार किया है।

८---मोबाइल ट्यूशनल क्लासेज (Mobile Tutional Classes) द्वारा ६१८ व्यक्तियों को शिक्षा दी गई तथा २१९३ पौंड माल डिब्बों में बन्द किया गया।

*८---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि Fruit Utilizaition (फ्रूट यूटिलिजेशन) विभाग में इस समय कितने कर्मचारी हैं और वे कहां कहां कार्य कर रहे हैं ?

श्री बनारसीदास---फलोपयोगी (Fruit Utilization) विभाग में इस समय कुल ४४७ कर्मचारी हैं और वे निम्नलिखित स्थानों में कार्य कर रहे हैं---

रानीखेत	६७
रामगढ़	५२
चौबटिया	१९८
टेहरी-गढ़वाल	३८
पौड़ी-गढ़वाल	३१

अल्मोड़ा	.. .. ..	२६
नैनीताल	.. ..	३
लखनऊ ..	.. ..	३०
मैसूर (ट्रेनिंग)	.. ..	३
	योग	४४७

*९--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार फल विकास योजना के शिक्षण के लिये कुछ प्रशिक्षण केंद्र खोल रही है? अगर हां, तो क्या सरकार इस संबंध में सम्पूर्ण योजना को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास--जी हां, फल तथा सब्जी को बरबादी से बचा कर भविष्य में उपयोग में लाने और जनता को फल संरक्षण संबंधी घरेलू उद्योग की जानकारी कराने के लिये हर शहर में एक कम्यूनिटी कैनिंग सेंटर (Community Canning Centre) खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है। आरम्भ में इस योजना के अन्तर्गत ५ केंद्र स्थापित करने का विचार है। इन केंद्रों का अनुमानित व्यय ५००० रु० प्रति केंद्र होगा। ये केंद्र अव्यवसायिक रूप से काम करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति एक परिमित मात्रा में ही, जो १० पौंड से अधिक न होगा, घरेलू उपयोग के लिये फल इत्यादि डिब्बों में बन्द करा सकेगा और उसके लिये अन्य खर्चों के अतिरिक्त १ आना प्रति पौंड की दर से नाम मात्र शुल्क लिया जावेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि रामगढ़ में फल फैक्ट्री जो स्थापित की गई है तो फल उत्पादकों के लिये जो डाइरेक्टर महोदय ने दाम तय किये थे, उनके नियमों के अनुसार पेमेंट नहीं हो रहा है ?

श्री बनारसीदास--इस तरह की कोई सूचना नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त जब हम लोग गये थे तो मालूम हुआ था कि जितने पहले दाम मिलते थे अब उससे कहीं अधिक मिलते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि सरकार के पास अनेक शिकायतें फल-उत्पादकों की ओर से आयी हैं कि जो दाम डाइरेक्टर महोदय ने निर्धारित किये थे उन दामों को दोबारा कम करके दाम दिये जा रहे हैं ?

श्री बनारसीदास--इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आयी ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो फैक्ट्री इस वक्त रामगढ़ में लगायी गयी है वह साल में कितने दिन काम करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जब तक फल मिलेंगे तब तक काम करेगी। जब नहीं मिलेंगे तो नहीं काम करेगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जहां पर यह फैक्ट्री लगायी गयी है वहां पर फल सिर्फ दो महीने जुलाई और अगस्त के महीनों में ही मिलते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। अभी तो कुछ ऐसी व्यवस्था है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन छः सौ से अधिक ट्रेनीज को ट्रेनिंग दी गयी है उनको भविष्य में कार्य देने के लिये क्या तरीका बनाया गया है ?

श्री बनारसीदास--ट्रेनीज जिनको शिक्षा दी गयी है ज्यादातर वे जाकर ग्राम सभाओं में फलों के रोपण का कार्य करें और उसका विकास करें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी जवाब में कहा गया है कि २ सौ मन टिड्डियां नष्ट की गयीं, ये टिड्डियां कहां तोली गयीं?

श्री बनारसीदास—वह तो जहां पर मारी गयीं वहीं पर।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—क्या सरकार को ज्ञात है कि लगभग साढ़े चार हजार वर्ग मील के टेहरी-गढ़वाल जिलें में ३८ व्यक्तियों की मोबाइल टीम अपूर्ण पायी जा रही है और यदि ऐसा है तो इस टीम की संख्या बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस ओर अधिक धन की व्यवस्था करने की योजना तैयार की गई है। उसमें अधिक व्यक्तियों को इस कार्य में लगाने की योजना बनाई गई है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह योजना प्रदेश के किन जिलों में इस समय लागू है और क्या कुछ और जिलों में निकट भविष्य में लागू करने का विचार है?

श्री बनारसीदास—जी हां। इस वक्त अल्मोड़ा नैनीताल, गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल, यहां सब जगह लागू है।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार का कोई ऐसा भी विचार है कि इस योजना को मैदानी जिलों में भी लागू किया जाय?

श्री बनारसीदास—अब भी लागू है।

आगरा सदर तहसील के विभिन्न ग्रामों में चिकित्सालयों का अभाव

*१०—**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)—क्या स्वास्थ्य मंत्री को मालूम है कि आगरा सदर तहसील के अरनौनी, लखीमपुर, मुहम्मदपुर, जासआकटरा आदि बड़े बड़े ग्रामों में कोई अस्पताल नहीं है? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय वहां चिकित्सा की कोई समुचित व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैं?

श्री बनारसी दास—जी हां। जिन स्थानों पर चिकित्सालय खोलने की सिफारिश जिला परामर्शदात्री समिति ने की है उनमें यह स्थान नहीं है। जनता का भी कोई प्रस्ताव इन स्थानों के लिये सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव आने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी इसे सूचना समझ कर यहां समुचित व्यवस्था करने पर विचार करेंगे?

श्री बनारसीदास—जी हां। यह सूचना तो हो ही गयी। इसके लिये जिला परामर्शदात्री समिति से रिपोर्ट मांगी जायगी और जिला परामर्शदात्री समिति में लगभग जिले के सभी प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

प्रशिक्षण केन्द्रों में अफसरों का प्रशिक्षण

*११—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ट्रेनिंग-कम-एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स में अफसरों को ट्रेनिंग देने के क्या नियम है?

श्री फूलसिंह---प्रशिक्षण केंद्रों में अफसरों को प्रशिक्षण देने के कोई विशेष नियम नहीं हैं, सरकार की निर्धारित नीतिके अनुसार उन्हें इन केंद्रों में प्रसार कार्यों की पृष्ठभूमि का आभास दिया जाता है एवं उन विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराया जाता है जिनसे वे विकास कार्यों से संबंधित विभागों से समुचित रूप से सहयोग प्राप्त कर सकें एवं ग्राम वासियों में उनकी प्रगति के लिये सामूहिक चेतना पैदा कर सकें।

*१२---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या यह सही है कि बख्शी तालाब, लखनऊ में जो प्रोजेक्ट है उनमें अफसरों को ट्रेनिंग देने की जो अवधि मुकर्रर है उससे कम अवधि में ही वह ट्रेनिंग समाप्त कर दी जाती है? यदि हां, तो क्यों?

श्री फूलसिंह---जी नहीं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के प्रशिक्षण केंद्रों में जो ट्रेनिंग दी जाती है वह क्या कम्युनिटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिस्क्राइब्ड कोर्स के निर्धारित किये हुये हिस्से से ही दी जाती है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री फूलसिंह---भिन्न भिन्न केंद्रों में भिन्न भिन्न श्रेणियों के लिये अलग अलग नियम हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने इस एडमिनिस्ट्रेशन की योजना को पूरे तौर से नहीं माना है?

श्री फूलसिंह---किस योजना को? सब योजना को मान कर अमल किया है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डी० एस० ओ० और टी० आर० ओ० को जो शिक्षा बख्शी तालाब में दी गई थी वह एक महीने में समाप्त कर दी गई? यदि हां, तो क्यों?

श्री फूलसिंह---जिलों के कार्यकर्त्ताओं को आम तौर से महीने और दो महीने के अन्दर ट्रेनिंग दी जाती है और जैसी आवश्यकता होती है बाद में, जल्दी ही खत्म करनी पड़ती है।

प्रदेश में राष्ट्रीय विकास सेवा केन्द्र

*१३---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ से इस प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय विकास सेवा केंद्र आरम्भ होने जा रहे हैं? क्या सरकार उनकी सूची मेज पर रखेगी?

श्री फूलसिंह---जनवरी, १९५५ में ३८ ब्लाक खोले जा चुके हैं और नये ब्लाक खोलने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

*१४---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नवीन सामूहिक विकास योजना केन्द्र १९५५ में किन किन जिलों में खुलने जा रहे हैं?

श्री फूलसिंह---यह प्रश्न भी अभी विचाराधीन है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या सरकार इस वर्ष एन० ई० एस० ब्लाक्स को कम्युनिटी प्रोजेक्ट में बदलने का विचार करती है?

श्री फूलसिंह---जी हां, कुछ ब्लाक्स को।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ में इस योजना के आधार पर कौन सा स्थान चुना गया है जहां पर कि ये खोले जायेंगे?

श्री फूलसिंह—यह तो जैसा कि कहा गया है कि यह प्रश्न विचाराधीन है। उन ब्लाक्स को जिनका काम अच्छा रहा है और जहां पब्लिक का कंट्रीब्यूशन भी बहुत माकूल रहा है उन स्थानों को छांटा जायगा।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने सारे प्रान्त में राष्ट्रीय सेवा विकास केंद्र खोलने के लिये कोई अवधि निर्धारित की है?

श्री फूलसिंह—अगली पंचसाला योजना के अन्त तक ऐसा करने की कोशिश की जायगी।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष कुछ प्लानिंग कमेटीज ने अपने यहां एन० ई० एस० ब्लाक खोलने की मंजूरी दी थी, वे अब तक क्यों नहीं खोले जा रहे हैं?

श्री फूलसिंह—वह तो कुछ ३८ ब्लाक्स खोलने थे, सभी प्लानिंग कमेटीज ने सिफारिशें की थीं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो एन० ई० एस० ब्लाक्स खोले जाते हैं या खोले जा रहे हैं, क्या वे इधर के जो सदस्य रहने वाले हैं, उनके इलाके में भी वे खोले जायेंगे या नहीं?

श्री फूलसिंह—कोशिश यह की जायगी कि जिन जिलों में केवल दो ब्लाक्स अभी तक हैं या एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट और एक एन० ई० एस० ब्लाक हैं तो उनमें तीसरा ब्लाक खोला जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मेरा प्रश्न यह है कि आज जो कई ब्लाक्स जिले के अन्दर खोले जा रहे हैं तो उसमें इस बात की भी कोशिश की जायगी कि विरोधी पक्ष के लोग जिस इलाके से आते हैं उनके इलाके में भी कोई ब्लाक खोला जाय?

श्री फूलसिंह—विरोधी पक्ष के सदस्य किसी ऐसे जिले से आये हैं जहां तीन ब्लाक्स हैं तब तो वहां नहीं खोला जायगा, लेकिन यदि दो हैं तो जरूर खुलेगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश में कोई ऐसा सर्वे कराने का विचार रखते हैं कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं और उन पिछड़े क्षेत्रों को विशेषता देने की सरकार कृपा करेगी?

श्री फूलसिंह—जिले स्तर पर यह निश्चय प्लानिंग कमेटीज करती हैं कि कहां खोला जाय और माननीय सदस्यगण अपने अपने जिले की प्लानिंग कमेटी के मेम्बर हैं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—क्या माननीय मंत्री जी ब्लाक्स खोलने के अवसर पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि टेहरी गढ़वाल में एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट और एक एन० ई० एस० ब्लाक है?

श्री फूलसिंह—जी हां।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी उन्नाव जिले की तहसील पुरवा के सुमेरपुर ब्लाक को भी खोलने जा रहे हैं?

श्री फूल सिंह—मैं जबानी तो नहीं कह सकता, लेकिन जिन जिलों में दो ब्लाक्स हैं उनका नाम जरूर उस लिस्ट में होगा।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उन्होंने जिला प्लानिंग कमेटियों को कोई आदेश दिया है कि वे अपने जिलों के उन क्षेत्रों की सूची बनायें जिनको इस काम के लिये प्रिफरेंस दिया जाय?

श्री फूलसिंह---प्रायः अब तो जिला कमेटियों से सिफारिशें आ भी चुकी हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सन् ५५ में यह राष्ट्रीय विकास सेवा केंद्र कितने और कहां कहां खोले गये हैं ?

श्री फूलसिंह---३८ खोले गये हैं, जिलों की सूची मेरे पास नहीं है ।

*१५---१६---**श्री तेजप्रतापसिंह**---[२८ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थानान्तरित किये गये ।]

*१७-१९---**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)---[५ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

फतेहपुर जिले में तीसरा राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र

*२०---**श्री अनन्तस्वरूपसिंह** (जिला फतेहपुर)---क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में तीसरा राष्ट्रीय प्रसार सेवा केंद्र कहां और कब तक खुलेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---फतेहपुर जिले में तीसरा ब्लाक खोलने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ?

*२१---**श्री अनन्तस्वरूपसिंह**---क्या नियोजन मंत्री को विदित है कि जिला फतेहपुर की ३ तहसीलों में से अभी तक १ तहसील (खागा) में एक भी राष्ट्रीय प्रसार सेवा केंद्र नहीं खुल पाया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां ।

नियुक्त एजेण्टों द्वारा गेहूं की सरकारी खरीदारी

*२२---**श्री अनन्तस्वरूपसिंह**---क्या अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष सरकार द्वारा गेहूं की खरीदारी जो की गई है वह खुले बाजार में किसानों से की गई है या गेहूं के स्टाकिस्ट (Stockist) व्यापारियों से की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मूल्य संरक्षण योजना (Price Support Scheme) के अन्तर्गत गेहूं की खरीदारी किसानों से सरकार द्वारा नियुक्त एजेंट्स के माध्यम से की गई है ।

कम्युनिटी प्रोजेक्ट क्षेत्रों में कुटीर उद्योग धन्धों के पाइलट प्रोजेक्ट

*२३---**श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी**---क्या यह सही है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट के क्षेत्रों में सरकार कुटीर उद्योग धंधों के कुछ पाइलेट प्रोजेक्ट प्रारम्भ कर रही है ? यदि हां, तो किन किन क्षेत्रों में और उसकी रूप रेखा क्या होगी ?

श्री फूलसिंह---जी हां । एक ऐसा पाइलेट प्रोजेक्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भारत सरकार ने देवबन्द कम्युनिटी प्रोजेक्ट, जिला सहारनपुर में दिया है । इस स्कीम के अनुसार प्रोजेक्ट में ३०० ग्राम शामिल किये जायेंगे । प्रोजेक्ट को लगभग बीस बीस गांव के १५ हिस्सों में बांटा जायेगा और हर हिस्से के लिये एक कमेटी बनाई जायेगी जो खादी और दूसरे उद्योग धंधों की उन्नति के लिये योजना बनाने में सहायता देगी । इसी कार्य के लिये पूरे प्रोजेक्ट के लिये भी एक कमेटी बनाई जायेगी जिस में माहिरों और दूसरे नुमाइन्दों को शामिल किया जायेगा ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इतने बड़े प्रदेश में केवल एक ही पाइलट प्रोजेक्ट योजना क्यों भारत सरकार ने दी है ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा । भारत सरकार के बारे में आप पूछ रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इतने बड़े प्रदेश में केवल एक ही पाइलट प्रोजेक्ट योजना क्यों चालू की गई ?

श्री फूलसिंह---जो सूची भारत सरकार से मिली है, उसमें प्रायः हर प्रांत में एक एक प्रोजेक्ट है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देवबन्ध में जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना प्रारम्भ हुई है उसमें कितने लोगों को वार्षिक कार्य मिल सकेगा ?

श्री फूलसिंह---अभी तो पूरी योजना बन कर भी नहीं आई।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस कुटीर उद्योग पाइलट प्रोजेक्ट का अनुमानित व्यय क्या है ?

श्री फूलसिंह---अभी यह भी निश्चित नहीं है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह कुटीर उद्योग धंधों की पाइलट स्कीम किसी राष्ट्रीय विस्तार योजना में भी शुरू की जायगी ?

श्री फूलसिंह---यह तो योजना केंद्रीय सरकार से आयी है और एक ही जगह के लिये हुई है।

*२४---**श्री विश्राम राय**---[हटा दिया गया।]

नये गृह उद्योग धंधों को जारी करने की योजना

*२५---**श्री विश्राम राय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में कौन से नये गृह उद्योग किन-किन स्थानों पर जारी करने की योजना कार्यान्वित होने वाली है ?

श्री बनारसीदास---आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ३३१-३३२ पर)

श्री विश्रामराय---क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि जो नये गृह उद्योग और उनके चलाने के जो स्थान निश्चित किये गये हैं या चुने गये हैं उनके बारे में जिला प्लानिंग कमेटियों से भी राय ली जाती है और क्या इस चीज को चालू करने के पहले सूबे भर का सर्वे किया गया है ?

श्री बनारसीदास---जहां तक उद्योगधंधों का सवाल है वहां सर्वे करने के आदेश तो जारी हो गये, लेकिन जहां पर केंद्र कायम किये गये वहां की आवश्यकताओं को और उपयोगिता को ध्यान में रख करके ऐसा किया गया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो यह नये गृह उद्योग खोले जायेंगे यह सरकार की ओर से खोले जायंगे या कोआपरेटिव सोसाइटीज को सरकार मदद करेगी और मदद करेगी तो किस प्रकार से ?

श्री बनारसीदास---जैसा कि इसी जवाब के अन्दर कहा गया ज्यादातर जो उद्योग शुरू किये गये हैं वे सरकार की तरफ से हैं और कहीं कोआपरेटिव सोसाइटीज की तरफ से भी। जहां पर कि उत्पादन वगैरह के केंद्र होंगे वहां सरकार ऋण से या ग्रांट इन एड से मदद करेगी।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन नये गृह उद्योगों की चर्चा इस प्रश्न में है उसमें गुड़ उद्योग और ऊन उद्योग भी शामिल हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---गृह उद्योग में गुड़ और ताड़ सभी सम्मिलित है।

श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार कृपा करके उस सूची में जो दिया गया है उसकी मुख्य-मुख्य बातें बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास--जी हां। इसके अन्दर विशेष रूप से हस्त कर्घा उद्योग के उत्पादन केंद्र और बहुत सी जगह सेल्स डिपो कायम किये जायेंगे और २५ डाई हाउसेज कायम किये जायेंगे और २ मीडियम साइज के डाई हाउसेज कायम किये जायेंगे, इसके अलावा शिक्षण और उत्पादन केंद्र कायम किये जायेंगे। लकड़ी की रंगाई, सिलाई, दरी बुनाई, कम्बल बुनाई के केंद्र खोले जायेंगे। चर्म कला केंद्र, काष्ठ कला केंद्र, धातु कला केंद्र आदि भी खोले जायेंगे। मूंज, टोकरी, एग्रीकल्चर आदि के भी खोले जायेंगे। चर्म विकास योजना के अन्तर्गत चर्म शोधन केंद्र खोलने का विचार है। इसके अतिरिक्त कम्युनिटी प्रोजेक्ट एरियाज के अन्दर भी क्लासेज कायम किये जायेंगे। २६ केंद्र स्त्रियों को दरजीगीरी व कढ़ाई आदि सिखाने के लिये खोलने का आयोजन है। ऊन योजना के अन्तर्गत हिन्द तिब्बतीय क्षेत्र में बुनाई तथा कताई केंद्र खोले जायेंगे जिनमें अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी, गढ़वाल है। और क्वालिटी मार्किंग योजना में कानपुर में चमड़े के उद्योग और आगरे में दरियों के उद्योग भी शामिल होंगे। इसके अलावा खादी योजना के अन्तर्गत बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में ६० केंद्र कताई के कायम किये जायेंगे।

*२६-२८--श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--[५ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

छोटे उद्योग धंधों को चलाने के हेतु खेतिहर मजदूरों को ऋण देने के लिए सहकारी समितियां

*२९--श्री विश्रामराय--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश में खेतिहर मजदूरों को छोटे-छोटे उद्योग धंधे चलाने के लिये ऋण देने के लिये सहकारी समितियां स्थापित होने जा रही है ?

श्री बनारसीदास--जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर में जो कहा गया कि सरकारी समितियां नहीं कायम करेंगी, इसका क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास--उद्योग विभाग की तरफ से कोआपरेटिव सोसाइटीज काम करती हैं और इसमें यह हो सकता है कि जो लोग खेतिहर मजदूर हैं वह भी इन समितियों के अन्दर शरीक हों तो इसके लिये कोई विशेष योजना नहीं है। यदि कहीं पर कोई औद्योगिक समिति बनायी जाय, जिसमें मजदूर भी शामिल हों तो नियमों के अनुसार मजदूर सरकार से ऋण मांग सकते हैं और १५००० तक ऋण और १० हजार तक ग्रांट इन एड दी जा सकती है। खेतिहर मजदूर भी उससे लाभ उठा सकते हैं।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार को यह पता है कि प्रदेश की खेती में ट्रैक्टर, नहर, नल कूप और अन्य औजारों के इस्तेमाल से खेतिहर लोग परेशान हैं ? यदि हां, तो सरकार उसके लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री अध्यक्ष--इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा। यदि आप सीधा प्रश्न करें तो अच्छा है। आप एक स्टेटमेंट के साथ प्रश्न दे रहे हैं कि स्टेटमेंट भी कबूल कर ले सरकार। वह चीज तो नहीं होगी।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि जो नये-नये तरह-तरह के औजार खेती में इस्तेमाल किये जा रहे हैं उसकी वजह से परेशानी खेतिहरों को बढ़ गयी है ?

श्री अध्यक्ष--मैं इस आरगूमेंट की इजाजत नहीं देता। आप तो सवाल कीजिये कि सरकार क्या करना चाहती है ?

श्री उमाशंकर—सरकार खेतिहर मजदूरों की बेकारी को दूर करने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री बनारसीदास—यह तो अभी बतलाया गया है कि खेतिहर मजदूर इन चीजों से लाभ उठा सकते हैं, जो कि देहातों में ग्रामोद्योग और दूसरे उद्योग धंधे स्थापित किये जा रहे हैं। कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायी जाती हैं, और उनको सरकार ऋण और ग्रांट देने के लिये तैयार है।

गोरखपुर जिले में मखनहा तथा अकटहवा बांध के लिए अनुदान

*३०—श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा गोरखपुर जिले के मखनहा और अकटहवा बांध के लिये अलग से कितना रुपया दिया गया था और वह कब दिया गया था और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री फूलसिंह—अकटहवा बांध के निर्माण तथा मरम्मत आदि के लिये २,००० रु० सन् १६५४–५५ के वित्तीय वर्ष में दिया गया था। एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर (बाढ़) गोरखपुर की राय इस बांध के बनाने के पक्ष में न थी क्योंकि बांध की दूरी नदी से डेढ़ फर्लांग कम थी। अतः स्वीकृत अनुदान सरकार को वापस कर दिया गया था। मखनहा बांध के लिये कोई शासकीय अनुदान नहीं दिया गया।

श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय—क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि फरवरी, ५४ को रुपया दिया गया और २६ जुलाई, १६५४ को बांध टूट गया। तो क्या उस समय बाढ़ विभाग गोरखपुर में था ?

श्री फूलसिंह—यह रुपया फरवरी में नहीं, जून, १६५४ में दिया गया था।

श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय—क्या यह सही है कि बाढ़ विभाग ही ने उस बांध की मरम्मत करायी है ?

श्री फूल सिंह—जो रिपोर्ट आयी है उससे तो मालूम होता है कि इंजीनियर ने कहा कि इसकी मरम्मत कराना ठीक नहीं है।

श्री केशव पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि एग्जिक्यूटिव इंजीनियर ने उस बांध को न बनाने की बात कही तो कौन सा बांध बनाने के लिये उन्होंने सलाह दी थी ?

श्री फूलसिंह—इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार मखनहा और अकटहवा बांध को अगले वर्ष तक पक्का कर देगी कि जिस से गोरखपुर बाढ़ से बच सके ?

श्री फूलसिंह—इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री केशव पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी उस राहिन नदी पर सर्वे करायेंगे कि यह कहां बांधा जा सकता है, क्योंकि यह गत दो बार टूट चुका है ?

श्री फूलसिंह—इस पर विचार किया जायगा।

जौनपुर जिले में नीरा तथा ताड़ गुड़ विकास योजना

*३१—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में नीरा तथा ताड़ गुड़ विकास योजना के सम्बन्ध में अब तक क्या किया गया ?

श्री बनारसीदास—ताड़ गुड़ योजना अभी तक इस जिले में नहीं चलाई गई है। नीरा बनाने और बेचने के निमित्त लाइसेंस लेने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में ताड़ गुड़ योजना कब से चालू की जायगी ?

श्री बनारसीदास—जी हां, आगामी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जौनपुर में भी इस योजना को चालू करने के लिए यत्न किया जायगा।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नीरा बनाने और बेचने के निमित्त लाइसेन्स व्यक्तिगत रुप से दिया जाता है या सोसाइटी बनाने के बाद सोसाइटी की मारफत दिया जाता है ?

श्री बनारसीदास—व्यक्तिगत रूप से भी दिया जाता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जौनपुर में ताड़ का रस जो निकलता है उसकी खपत कहां होती है और उस पर कोई प्रतिबन्ध है या नहीं ?

श्री बनारसीदास—इसकी सूचना तो माननीय मौर्य जी को स्वयं होगी, सरकार की ओर से तो वहां कोई योजना है नहीं। जो ताड़ के दरख्त हैं लोग जरूर उनका इस्तेमाल करते होंगे।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अपने प्रान्त में ताड़ गुड़ बनाने के लिये कौन-कौन जिलों को सरकार ने प्रमुखता दी है और क्यों ?

श्री बनारसीदास—इस समय ताड़ गुड़ बनाने की योजना हमारे प्रदेश में उन्नाव, कानपुर, फर्रुखाबाद, बदायूं, बिजनौर, मेरठ, नैनीताल और अल्मोड़ा में है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जौनपुर तथा अन्य स्थानों को भी शरीक करना चाहते हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां-जहां मद्य निषेध है, क्या वहां वहां ताड़ की नीरा बनाने की योजना पहले नहीं ली जाने की जरूरत है ?

श्री बनारसीदास—जैसा उत्तर दिया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम प्रदेश के काफी हिस्सों को लेना चाहते हैं। इस वक्त तो जहां-जहां योजना चालू हैं उन्हीं जिलों को लिया गया है।

जौनपुर जिले में करघा योजना के अन्तर्गत प्रोडक्शन सोसाइटीज

*३२—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में करघा उद्योग का कोई केन्द्र खोला गया है ?

श्री बनारसीदास—जौनपुर जिले में करघा योजना के अन्तर्गत दो प्रोडक्शन सोसाइटीज खोली गई हैं।

*३३—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—यदि हां, तो कहां और कब से ?

श्री बनारसीदास—एक सोसाइटी जौनपुर में जून, १९५४ में खोली गई तथा दूसरी शेरपुर में मई, १९५५ में।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में पहले यह कहा था कि मड़ियाहूं तहसील में भी इस योजना को चालू करने पर सरकार विचार कर रही है। तो वहां कोई ऐसी योजना खोली जायगी या नहीं और खोली जायगी तो कब तक ?

श्री बनारसीदास—अभी तो जौनपुर और शेरपुर के अन्दर चालू है। जहां तक मड़ियाहूं का सवाल है इस के लिये अभी कोई निश्चित फैसला नहीं हुआ है।

असिस्टेंट ब्लाक डेवलपमेंट अफसरों की योग्यता तथा नियुक्ति

*३४—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष कितने असिस्टेण्ट ब्लाक डेवलपमेण्ट आफिसर्स लिये गये हैं और उनके लिये निर्धारित योग्यता क्या थी ?

श्री फूलसिंह—१०३ असिस्टेण्ट डेवलपमेण्ट आफिसर्स लिये गये। इनके लिये निर्धारित योग्यता दूसरी श्रेणी के ग्रेजुएट की डिग्री थी। हरिजन और सामाजिक कार्य कर्त्ताओं के लिये तीसरी श्रेणी में पास ग्रेजुएट की थी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन १०३ असिस्टेंट डेवलपमेण्ट आफिसर्स में से कितने उम्मीदवार फर्स्ट डिवीजन के थे, कितने सेकंड डिवीजन के थे और कितने थर्ड डिवीजन के थे ?

श्री फूलसिंह—सूचना की आवश्यकता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतला सकती है कि थर्ड जिवीजन में कितने हरिजन लिये गये और कितने सामाजकि कार्यकर्त्ता।

श्री फूलसिंह—गालिबन ६ हरिजन लिये गये हैं और ५ बैकवर्ड क्लासेज के लिये गये हैं।

श्री परमेश्वरीदयाल (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन अपनी संरक्षणता के विरुद्ध क्यों कम लिये गये ?

श्री फूलसिंह—बहुत रियायत करने पर भी योग्य व्यक्ति नहीं मिले।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि असिस्टेण्ट ब्लाक डेवलपमेण्ट आफिसर्स जो मुकर्रर किये गये हैं यह किसके द्वारा नियुक्त होते हैं। किसी कमेटी के द्वारा नियुक्त होते हैं या कोई विशेष अफसर इनकी नियुक्ति करता है ?

श्री फूलसिंह—इनके लिये एक कमेटी बनायी जाती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कमेटी के मेम्बरान कौन-कौन हैं ?

श्री फूलसिंह—वह तो हर मतबा बदलती रहती है। इस मर्तबा भी उसने ही लोगों को छांटा था। २, ३ कमेटी हैं उनमें एक प्रिलिमिनरी कमेटी है उसमें से छांटकर एक फाइनल कमेटी बनायी जाती है वही उनका चुनाव करती है और हर कमेटी में एक अफसर भी रहता है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजनों के कुछ आवेदन पत्र-खारिज भी किये गये थे ?

श्री फूलसिंह—हरिजनों की कुल १३ दरख्वास्तें थीं।

श्री परमेश्वरीदयाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि हरिजन ग्रेजुएटों की दरख्वास्तें अब भी उनके पास भेजी जायं तो क्या वे उनका भी चुनाव करने की कृपा करेंगे ?

श्री फूलसिंह--हरिजन ग्रेजुएट जब भी अप्लाई करेंगे यदि जगह होगी तो उनको मौका दिया जायगा ।

लखनऊ के निकट कुष्ठालय खोलने का आयोजन

*३५--श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)--क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में कतिपय कुष्ठी भिखारी यत्र-तत्र सड़कों, पुलों आदि स्थानों पर वर्षों से रह रहे हैं ?

श्री बनारसीदास--जी हां ।

*३६--श्री गंगाधर शर्मा--यदि हां, तो क्या सरकार शहर के परे किसी उचित स्थान पर कोई कुष्ठीगृह खोल कर उसमें सब कुष्ठी भिखारियों को रखने तथा उनकी दवा-दारू व भोजन वस्त्र का प्रबन्ध करने का विचार कर रही है ?

श्री बनारसीदास--जी हां, लखनऊ नगरपालिका की ओर से शहर में १०-११ मील दूर पर एक कुष्ठालय खोलने का प्रबन्ध हो रहा है, जिसे सरकार की ओर से २०,००० रु० का अनावर्तक अनुदान दिया जाना निश्चय हुआ है ।

श्री गंगाधर शर्मा--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह १०, ११ मील की दूरी पर किस स्थान पर कुष्ठीगृह खोला जायगा और कब तक खोला जायगा ?

श्री बनारसीदास--यह लखनऊ, कानपुर रोड पर कायम किया जायगा। सरकार की ओर से २० हजार रुपया दिया जा चुका है लेकिन अनुमानित व्यय ४०,२०० रुपया है। इसमें सहायता म्युनिसिपैलिटी भी देती है । आशा है यह जल्दी ही कायम हो जायगा ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि हमारे प्रान्त में भिखारियों की संख्या क्या है ?

श्री बनारसीदास--संख्या का तो इस समय ठीक पता नहीं है ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भिखारी इसी शहर के या जिले भर के या इसमें अन्य जिलों के भी सम्मिलित हो सकेंगे ?

श्री बनारसीदास--जब यहां पर रोगियों के लिये आश्रम कायम होगा तो यहां के रोगी भी उसमें रह सकेंगे और बाहर के भी उसमें आ सकेंगे । कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा ।

श्री रतनलाल जैन--क्या माननीय मंत्री कृपाकर बतायेंगे कि सरकार इस तरह के कुष्ठीगृह अन्य जिलों में भी खोलने का विचार रखती है ?

श्री बनारसीदास--बहुत सी जगह आजकल भी कायम हैं और जहां-जहां भी इस तरह की सोसाइटीज नानआफिशियल बन जाती हैं वह सरकार से मांग करती हैं और सरकार सब जगह उनको सहायता देने के लिये तैयार रहती है ।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस आश्रम में कितने रोगियों के लिये प्रबन्ध हो सकेगा ?

श्री बनारसीदास--यह तो अभी नहीं कहा जा सकता। यहां पर उनका इलाज भी होगा । साथ-साथ में उनके बसाने की भी व्यवस्था होगी, जिससे वह उद्योग धन्धा कर सकें ।

नैनी कोढ़ी अस्पताल का वार्षिक व्यय

*३७—श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के (नैनी) कोढ़ी अस्पताल में प्रत्येक वर्ष कितना व्यय होता है ?

श्री बनारसीदास—पिछले तीन वर्षों में इस अस्पताल का व्यय निम्न रहा है—

	रु०
१९५२–५३	.. १,०५,५४३
१९५३–५४	.. १,०४,४०५
१९५४–५५	.. ९५,६९४

*३८—श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू—क्या सरकार नैनी के कोढ़ीखाने की इमारत को मरम्मत कराने का विचार कर रही है ?

श्री बनारसीदास—ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि नैनी कोढ़ी खाने के लिये अमेरिकन मिशनरी से भी सहायता मिलती है, यदि हां, तो क्या ?

श्री बनारसीदास—जी हां, यह आश्रम तो चलता ही मिशनरियों की तरफ से है सरकार तो केवल उनको सहायता देती है, १२ रुपया प्रति रोगी के हिसाब से।

श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो खर्चा मन्त्री महोदय ने बतलाया उसमें से कितना रुपया दवाइयों में व्यय होता है और कितना रुपया भोजन में ?

श्री बनारसीदास—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। अलग-अलग सूचना मेरे पास नहीं है। सरकार तो १२ रुपया प्रति व्यक्ति खाने और दवाओं के लिये देती है। आमतौर से ४०–४५ रुपया माहवार खाने-पीने, दवाओं और इस्टैब्लिशमेंट पर खर्च होता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगर के रहने वाले कोढ़ियों को इस कोढ़ीखाने में जाने के लिय बाध्य करेंगे ?

श्री बनारसीदास—इस वक्त ऐसा कोई नियम नहीं है। जब ऐसा नियम बन जायगा तो सब इलाहाबाद के कोढ़ियों को कोढ़ीखाने में जाने के लिये मजबूर किया जायगा।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ५२–५३ के बजाय ५४ में यह ग्राण्ट सरकार की तरफ से कम क्यों दी गयी ? इसका क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—यह संख्या के ऊपर निर्भर करता है। जैसा मैंने पहले बतलाया कि प्रति रोगी १२ रुपया मासिक के हिसाब से दिया जाता है। अगर ज्यादा रोगी होंगे तो ज्यादा रुपया दिया जायगा और कम होंगे तो सहायता भी कम मिलेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार कृपा करके बतायगी कि नैनी कोढ़ीखाने की इमारत की मरम्मत न कराने का क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—इसका उत्तर इसमें दिया हुआ है कि इस संस्था का प्रबन्ध सरकार के हाथ में नहीं है और मरम्मत के लिये सरकार से किसी प्रकार की कोई मांग भी नहीं की गयी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जो व्यय बतलाया गया है वह कितने-कितने रोगियों पर व्यय हुआ है ?

श्री बनारसीदास--वैसे वहां ३०० रोगियों के रहने की व्यवस्था है। माननीय मौर्य जी जो ग्रांट दी गयी है उस पर स्वयं हिसाब लगाकर देख लें कि कितनी संख्या है लेकिन जहां तक मेरा खयाल है वह ३०० से नीचे ही है।

अतारांकित प्रश्न

प्लानिंग विभाग में अफसरों के विशेष वेतन पर व्यय

१--**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्लानिंग विभाग में अफसरों को जो विशेष वेतन दिया जाता है उस पर सालाना कुल कितना व्यय होता है और कितने अफसरों को दिया जाता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--१,०६,८०० रुपया सालाना विशेष वेतन ९० अफसरों को दिया जाता है जिसकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३३३ पर)

२--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** [९ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिला झांसी के विकास केन्द्र मऊ और मोठ द्वारा श्रमदान से सड़कों का निर्माण

३--**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि विकास केंद्र मऊ और मोठ तहसील, जिला झांसी द्वारा श्रमदान से कितनी सड़कें बनाई जा चुकी हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३३४ पर)

जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में श्रमदान कार्य

४--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में १९५४-५५ में श्रमदान द्वारा कहां-कहां कितना काम हुआ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३३५-३३९ पर)

हाईकोर्ट के निर्णय में सदन की कार्यवाही पर टीका टिप्पणी के विषय मे आपत्ति

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने आप की सेवा में ३० तारीख की अमृत बाजार पत्रिका की प्रति भेजी थी, जिसमें हाईकोर्ट का एक फैसला छपा है, उसमें विधान सभा के किसी प्रश्नोत्तर का जिक्र है। जिस ढंग से वह छपा है उस से प्रतीत होता है कि वह कोई सुल्तानपुर का मामला है और उसम सदन के किसी सदस्य पर आक्षेप है कि एतराज करने वाले ने इन्वेस्टीगेशन से पहले सवाल कराया, दूसरे उस में यह है कि असेम्बली प्रोसीडिंग जो हैं वे कोई प्रभावोत्पादक नहीं हैं। ऐसा जो कहा गया है अब सवाल यह है कि इस तरह से यहां की प्रोसीडिंग्ज कहां तक काम में आ सकती हैं और यहां की प्रोसीडिंग्ज के संबंध में कोर्टस कहां तक फैसला दे सकते हैं कि वह प्रभावोत्पादक हैं या नहीं हैं। इसलिये श्रीमान्, विचार करें कि यह कहां तक उचित है और हाईकोर्ट का फैसला मंगा कर कोई मुनासिब फैसला करने का निश्चय करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—मैंने इस संबंध में अमृतबाजार पत्रिका का वह अंक देखा और पढ़ा। उसके पहले हिस्से में जो मोटे अक्षरों में कुछ वाक्यात दिये जाते हैं, उसमें इस तरह का जरूर कुछ थोड़ा सा जिक्र आया है लेकिन जजमेंट का ब्योरा जो नीचे दिया है उस में ऐसा जिक्र नहीं है कि इस सदन में प्रश्न उठाया गया या क्या बात हुई। अभी मुझे शंका है कि उसका मतलब क्या हो इसलिये जबतक हमारे सामने पूरा फैसला नहीं आ जाता तब तक उसका कोई ऐसा मतलब नहीं लगाया जा सकता इसीलिये मैंने आज्ञा दे दी है कि फैसले की प्रतिलिपि मंगाई जाय और उसको देखने के बाद में निश्चय कर सकूंगा कि ऐसी कोई चीज वाकई फैसले में है या केवल अखबारी रिपोर्टिन्ग से ऐसा आभास सा प्रतीत होता है। अभी ठीक कहा नहीं जा सकता इसलिये फैसला देखने के बाद मैं इस संबंध में अपना निर्णय दूंगा।

राज्य आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री झारखंडे राय ने भेजा है जो इस प्रकार है "गत २४ अगस्त से राज्य आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ में चलने वाली पूर्ण हड़ताल से, जिसके कारण कालेज के बन्द होने की आशंका है, हेल्थ मिनिस्टर तथा उपकुलपति के निवास स्थानों पर धरना हो रहा है, उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह हड़ताल २४ अगस्त से आरम्भ हुई, यह इसमें दिया हुआ है और आज ७ तारीख है, ५ तारीख से यह सदन दुबारा बैठ रहा है उस दिन भी माननीय सदस्य ने यह प्रश्न नहीं उठाया इसी से यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य ने इसको अरजेंट नहीं समझा, वरना वह इस को उसी दिन उठा देते। इसलिये मैं इसको अरजेंट नहीं समझता। माननीय स्वास्थ्य मंत्री अगर कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हों या कुछ इस संबंध में प्रकाश डालना चाहते हों तो मैं उनको आज या किसी और दिन समय दे सकता हूं क्योंकि प्रश्न जो लोगों के दिमाग में तकलीफ देते हैं वह वैसे ही न पड़े रहने चाहिये उनके संबंध में सदन को जानकारी मिलनी चाहिये ऐसी मेरी धारणा रहती है। परन्तु मैं इस कामरोको प्रस्ताव को उपस्थित करने की अनुमति नहीं देता हूं।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि राज्य आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थी कई दिवसों से, मुझे तारीख तो ठीक नहीं याद है, कालेज नहीं जा रहे हैं, वह क्लासेज में हाजिरी नहीं देते हैं। जहां तक उनकी मांग का विषय है, उसका अधिक संबंध सरकार से तो है नहीं, अधिक संबंध तो लखनऊ विश्वविद्यालय से है।

सदन के सदस्यगण यह अच्छी तरह से जानते हैं कि आयुर्वेद के प्रसार के लिये सरकार ने इस नगरी में इस राज्य आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना की है और उसमें उन विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है, जो आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और उसके द्वारा आयुर्वेद की सेवा करना चाहते हैं। आयुर्वेदिक कालेज में किस प्रकार की शिक्षा हो, क्या-क्या कोरसेज विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिये रखे जायं, इसका निर्णय लखनऊ विश्वविद्यालय करती है। लखनऊ विश्वविद्यालय की ऐकेडेमिक कौंसिल विश्वविद्यालय की आयुर्वेद फैकल्टी और विशेषज्ञ इस बात का निर्णय करते हैं कि विद्यार्थियों को आयुर्वेद की शिक्षा देने के लिये क्या-क्या पढ़ना चाहिये। जहां तक कोरसेज के निर्णय करने का संबंध है उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है।

इस आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थी अब यह चाहते हैं कि वे एम० बी० बी० एस० की शिक्षा लखनऊ मेडिकल कालेज में प्राप्त करें और आयुर्वेदिक कालेज में जो शिक्षा विश्वविद्यालय ने निर्धारित की है और जिसके कोरसेज इत्यादि विश्वविद्यालय की तरफ से तय किये गये हैं वे उन पर थोपे न जायं। जहां तक सरकार का संबंध है, जैसा मैंने कहा, उसने आयुर्वेद कालेज की स्थापना आयुर्वेद के प्रसार और उसकी शिक्षा प्रदान करने के लिये की है। जो विद्यार्थी एम० बी० बी० एस० की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें प्रिमेडिकल टेस्ट में बैठने का

अवसर प्रदान किया जाता है और वे जो उस प्रिमेडिकल टेस्ट में उत्तीर्ण होते हैं एम०बी०बी०एस० की शिक्षा मेडिकल कालेज में पाते हैं। प्रत्येक वर्ष क्या कोर्स लड़कों को पढ़ाये जायेंगे और उन्हें किन-किन चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा, इस सबके संबंध में प्रारम्भ में ही जब विश्वविद्यालय खुलता है तो वह एक प्रास्पेक्टस छपाता है और उसमें इस बात की घोषणा करता है कि अमुक विद्यार्थी को अमुक साल में अमुक कोर्स का अध्ययन करना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश इस वर्ष विश्वविद्यालय की तरफ से जो प्रास्पेक्टस छपा उसमें कुछ भूल सी रह गई। उसमें जो आर्डिनेंस यहां के संबंध में छपा कदाचित वह तीन चार वर्ष पहले का आर्डिनेंस छप गया, जिसके तहत में पहले जिन्होंने आयुर्वेदिक कलेज में सम्मिलित होना मंजूर किया था, उनको एम० बी० बी० एस० में मर्ज (merge) होने की इजाजत दी गई थी। उस आर्डिनेंस के छप जाने की वजह से जो लड़के आयुर्वेदिक कालेज के द्वितीय वर्ष में पढ़ रहे थे, उन्होंने विश्वविद्यालय से यह आपत्ति की कि उन्हें एम० बी० बी० एस० में मर्ज होने का अधिकार प्रदान किया जाय, जैसा कि उनसे पूर्व के विद्यार्थियों को जब कि आयुर्वेदिक कालेज मेडिकल कालेज में ही स्थापित था, इजाजत दी गई थी। जहां तक लड़कों की मांग के कानूनी दृष्टिकोण का सवाल था, विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी ने और उसके विशेषज्ञों ने इस बात के ऊपर विचार किया और यह बताया कि चूंकि प्रास्पेक्टस में यह गल्ती हो गई है इसलिये द्वितीय वर्ष के आयुर्वेद कालेज के विद्यार्थियों को एम० बी० बी० एस० के फर्स्ट ईयर में सम्मिलित होने की इजाजत दे दी जाय। जो लड़के द्वितीय वर्ष में पढ़ रहे थे उनका भी आग्रह यही था कि उन्हें एम० बी० बी० एस० कालेज के प्रथम वर्ष में सम्मिलित होने का अधिकार दे दिया जाय, चूंकि विश्वविद्यालय की तरफ से यह गल्ती हो गई थी उसने इन विद्यार्थियों को एम० बी० बी० एस० में सम्मिलित होने की इजाजत दे दी। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने इस वर्ष आयुर्वेदिक कालेज में सम्मिलित होना मंजूर किया है वे विश्वविद्यालय से कोई इस प्रकार की आपत्ति उठा नहीं सकते कि उन्हें भी वही अधिकार दे दिया जाय जो कि विश्वविद्यालय ने प्रास्पेक्टस में कुछ आर्डिनेंस के हिस्से न छपने के कारण द्वितीय वर्ष के आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों को दे दिया था। विश्वविद्यालय ने यह कहा कि प्रथम वर्ष में जो आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थी सम्मिलित हुये हैं, जहां तक उनका संबंध है, उन्हें इस बात की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अच्छी तरह से देखभाल कर और विश्वविद्यालय के कोरसेज का अध्ययन करके यह निर्णय किया है कि वे आयुर्वेद कालेज में सम्मिलित हों। इसलिये विश्वविद्यालय ने उनकी मांग को मंजूर नहीं किया और सरकार भी यही समझती है कि जहां तक प्रथम वर्ष के आयुर्वेद कालेज के विद्यार्थियों का संबंध है, उनकी मांग निराधार है, अनुचित है।

सरकार ने आयुर्वेद कालेज की स्थापना, जैसा कि मैंने शुरू में बतलाया, आयुर्वेद का प्रचार और उसकी शिक्षा के लिये किया है। जो लड़के उस विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ाने के लिये सरकार प्रत्येक प्रकार का प्रबन्ध करती है, अच्छे से अच्छा अध्यापक रखने की कोशिश करती है। इस विद्यालय को सरकार समुचित और ऊंचा स्तर प्रदान करना चाहती है। इसलिये जो विद्यार्थी समझ-बूझ कर विद्यालय में सम्मिलित होते हैं, उन्हें इस प्रकार की कोई मांग नहीं करनी चाहिये कि वे सारे विद्यार्थी एम० बी० बी० एस० में सम्मिलित किये जाने चाहिये और यह विद्यालय जो आयुर्वेद के प्रसार के लिये खोला गया है बन्द कर दिया जाय। मेरे पास प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों में जब मैं दिल्ली से परसों रात्रि में लौट कर आया यह मांग उपस्थित की। इससे पूर्व भी वे मुझ से मिल गये थे। मैंने जो विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण था और मेरा स्वयं जो दृष्टिकोण था उसको उनके समक्ष रख दिया और उनसे यह आग्रह किया कि उन्हें आयुर्वेद कालेज के विद्यालय में ही पढ़ना चाहिये क्योंकि इस विद्यालय में पढ़ने के लिये ही वे आये हैं। मैं यह भी सदन को बता देना चाहता हूं कि इन विद्यार्थियों में से करीब-करीब सब विद्यार्थी एम० बी० बी० एस० के प्रीमेडिकल टेस्ट में बैठे थे और सफल नहीं हुये थे। इसके बाद उन्होंने आयुर्वेद कालेज में सम्मिलित होना पसन्द किया था। ऐसी दशा में विद्यार्थियों का यह आग्रह कि वे एम० बी० बी० एस० में ले लिये जायं

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

बेजा मालूम होता है और साथ ही में सरकार को एक नाजायज मांग प्रतीत होती है। एम० बी० बी० एस० की शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक विद्यार्थी को प्रिमेडिकल टेस्ट में बैठना पड़ता है और जो उसमें सफल होते हैं वही एम० बी० बी० एस० की शिक्षा प्राप्त करते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि खाली स्टेटमेंट आफ फैक्ट्स होना चाहिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त— इसलिये सरकार ने उन विद्यार्थियों से यह कह दिया है कि जो उनकी मांग एम० बी० बी० एस० में दाखिल होने की है उसके विषय में विश्वविद्यालय का जो फैसला है वह सही है और विद्यार्थियों से सरकार की तरफ से यह कहना है कि उन्हें इस प्रकार का कोई आग्रह नहीं करना चाहिये।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—एक सवाल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—इसमें सवाल का प्रश्न नहीं है।

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना देना चाहता हूं, यह कार्य परामर्शदात्री समिति ने निश्चय किया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य परामर्शदात्री समिति ने अपनी ६ सितम्बर, १९५५ की बैठक में यह निश्चय किया कि निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के प्रस्तावों के लिये उनके सामने लिखा समय निर्धारित किया जाय—

(१) उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५ डेढ़ दिन,
(२) उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५ आधा दिन,
(३) उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह व्यवस्था विधेयक, १९५४ साढ़े तीन दिन,
(४) कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५५ आधा दिन।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि "यह सदन उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५, उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५, उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह व्यवस्था विधेयक, १९५४ कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५५ के संबंध में कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तुत समय निर्धारण से सहमत है।"

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, यह जो प्रस्ताव प्रस्तुत है इस संबंध में हम को निवेदन करना है कि उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, इसमें महज आधा दिन रखा गया है और यदि आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत महत्वपूर्ण क्लाज में परिवर्तन हो रहा है। अतः मैं प्रस्तावक महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जो यह आधा दिन रखा हुआ है इसको कम से कम एक दिन अवश्य रखें। और जो उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक है जहां तक मैं देखता हूं इसके लिये पूरे दो दिन होने चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री भी हमारे सुझाव से सहमत होंगे क्योंकि यह भी जो भांडार अधिग्रहण विधेयक है यह भी इंसान की जिन्दगी की जो बुनियादी बात है उससे संबंधित है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लिये भी कम से कम एक दिन का समय होना चाहिये। उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह व्यवस्था विधेयक पर जो साढ़े तीन दिन रखे गये हैं उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप यह चाहते हैं नियम में यह दिया है कि संशोधन इसी शक्ल में आयेगा कि इस प्रश्न को फिर से पुनर्विचार के लिये समिति के पास भेजा जाय। इस शक्ल में संशोधन आता है। तो आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, के लिये दो रोज,

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक के लिये एक दिन और कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर विधेयक के लिये एक दिन। इस तरह का आप विचार रख कर फिर से समिति के पास पुनर्विचार के लिये भेजने को प्रस्ताव कर दें।

श्री राजनारायण—जी हां, मैं यह प्रस्ताव करता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, टाउन एरियाज विधेयक शायद सेलेक्ट कमेटी के पास जाय। लेकिन माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने के लिये समय कुछ मिलना चाहिये। आधा दिन कम है। मैं भी इसी एक दिन का समर्थन करता हूं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, हालांकि मेरे दल की ओर से भी इस परामर्शदात्री समिति में हैं मैं आपके द्वारा यह विचार प्रकट करना चाहता हूं कि कोई भी विधेयक हमारे द्वारा आधे दिन में पारित होना इस सदन की शोभा के खिलाफ बात है। हम कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन नहीं हैं कि एक बिल आया और परामर्शदात्री समिति ने कहा कि यह आधे दिन में पास हो जाय तो वह पास कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि हर एक विधेयक के लिये कम से कम एक दिन रहे और जो महत्वपूर्ण विधेयक हों उनमें समय एक दिन से ज्यादा हो।

श्री अध्यक्ष—इसके सम्बन्ध में जो आपने विचार जाहिर किये हैं उसमें कोई शान की बात नहीं है। अगर एक ही क्लाज का कोई बिल है या कोई तीन क्लाज का बिल है तो उस को थोड़े समय में ही पास करने में शान बढ़ती है कि हमने कभी सदन का समय व्यर्थ नहीं गंवाया। इन सब बातों पर परामर्शदात्री समिति विचार कर लेती है। तो इसमें शान का सवाल नहीं औचित्य का सवाल है।

इसके ऊपर तीन रायें दिखलाई देती हैं—एक तो श्रीमती सज्जनदेवी महनोत की। उन्होंने कहा कि जो समय निर्धारण परामर्शदात्री समिति ने किया है उसको स्वीकार कर लेना चाहिये। दूसरा राजनारायण जी का प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५५ के लिये समय ठीक है, लेकिन बाकी तीनों विधेयक परामर्श-दात्री समिति के पास पुनर्विचार के लिये वापस कर दिये जायं और तीसरे द्वारकाप्रसाद मौर्य जी का कहना यह है कि तीन विधेयकों के लिये समय ठीक है सिर्फ उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५ के लिये समय कम है। तो मैं एक-एक करके संशोधन राय के लिये लेता हूं। पहले संशोधन ले लेता हूं और बाद में मूल प्रस्ताव पर विचार हो जायगा।

प्रश्न यह है कि कार्य परामर्शदात्री समिति ने जो समय टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक के लिये निर्धारित किया है उसको पुनर्विचार करने के लिये कार्य परामर्शदात्री समिति के पास यह प्रश्न भेजा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२
विपक्ष में—२०२)

श्री अध्यक्ष—अब मैं दूसरा संशोधन श्री राजनारायण जी का सदन के सामने संशोधित रूप में रखे देता हूं क्योंकि पहला तो टाउन एरियाज वाला गिरही गया।

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य परामर्शदात्री समिति में जो समय का विभाजन कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर तथा उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक

[श्री अध्यक्ष]

के सम्बन्ध में किया गया, उसको पुनर्विचार करने के लिये उस समिति के पास भेजा जाय"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५, उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५, उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह व्यवस्था विधेयक, १९५४, कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५५ के सम्बन्ध में कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तुत समय निर्धारण से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५ के लिये जो डेढ़ दिन का समय निश्चित किया गया है यह बहुत ज्यादा है जब कि विधेयक बहुत छोटा सा है.....।

श्री अध्यक्ष—आप बहुत पिछड़ गये। अब ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता।

कमेटी आन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व कमेटी आफ ऐश्योरेंसेज के निर्माण का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—मैं एक चीज के बारे में सदन की राय लेना चाहता हूं। जो नियम संशोधन करने के सम्बन्ध में समिति बनी हुई है उसने यह सिफारिश की है कि एक कमेटी आन गवर्नमेंट ऐश्योरेन्सेज, जो वायदे सरकार करती है इस सदन में उसकी छानबीन करके, उसको फिर से याद दिहाई कराने के लिये और उसके ऊपर निरीक्षण रखने के लिये इस सदन की ऐसी होनी चाहिये, यह नियम में वे ला रहे हैं।

दूसरी एक कमेटी समिति ऐसी चाहती है जो नियम वगैरह बनते हैं किसी अधिनियम के मातहत सरकार को जो अधिकार दिये जाते हैं उस के मातहत सरकार जो नियम बनाती है वह नियम अधिनियम के हिसाब से कैसे संगत हैं और वैधानिक होते हैं इसके ऊपर भी नजर रखे। तो यह दो समितियां बनाने का उन्होंने निश्चय किया है और नियम में वे लाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि नियम बनने में देर लगेगी इसलिये उन्होंने सिफारिश इस बात की की है कि अध्यक्ष सदन की अनुमति लेकर इस समितियों को फिलहाल बना दे जिससे वे कार्य करना शुरू करें। मैंने इस प्रश्न को सदन के नेता के पास एक दफ़ा विचार करने के लिये भेजा था और उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों बाद में अपनी राय प्रकट करुंगा और चूंकि कई दिन हो गये और कल यह प्रश्न सदन में आ गया था और मुझसे पूछा गया था और मैंने आज का वायदा किया था तो मैं आज इसको सदन में रखता हूं और नेता सदन भी यहां मौजूद हैं। इस वक्त अगर वे इसके ऊपर अपनी कुछ राय प्रकट करना चाहें तो कर सकते हैं और अन्य सदस्य भी अगर राय देना चाहेंगे तो मैं कुछ सदस्यों को इजाजत दूंगा, वैसे बाकायदा प्रस्ताव इस पर नहीं आयेगा लेकिन जिसको सेंस आफ दी हाउस कहते हैं वह मैं ले लूंगा और उसके अनुसार कार्य होगा।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि उस समिति की बात है जो कि ऐश्योरेंसेज के सम्बन्ध में विचार करेगी, उसकी बाबत तो मुझको कुछ कहना नहीं है।आप उचित समझें तो ऐसी कमेटी नियुक्त कर दें, नियम बन जायंगे। लेकिन जो दूसरी समिति है जो कि अधिनियमों के अनुसार जो नियम गवर्नमेंट बनाती है उनके विषय में विचार करेगी उस की बाबत अभी पूरे तौर से हम कोई निश्चय नहीं कर सकते हैं। उसके कानूनी पहलुओं को भी देखना होगा। कुछ नियम ऐसे भी बनते हैं जो सदन के सामने विचार करने के लिये आते हैं, उस कमेटी में विचार होने के बाद उनकी क्या व्यवस्था और मत होगा, और दूसरी जगह क्या प्रोसीजर है, इसको स्टडी नहीं कर सके हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह था कि यदि आप उस प्रश्न को अभी न लें तो शायद अच्छा होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, जो नियम परामर्श-दात्री समिति ने जो ये सिफारिशें आप के सामने की थीं ये इसी दृष्टिकोण से की थीं कि ये कमेटियां इस सदन के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये आवश्यक हैं। लोक सभा के नियमों में इन दोनों कमेटियों की व्यवस्था है, एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी, दूसरी गवर्नमेंट ऐश्योरेंसेज कमेटी। तो मैं यह सुझाव दूंगा कि लोक सभा में भी इस सम्बन्ध में पद्धति निर्धारित है और वहां पर भी, जैसा कि अभी नेता सदन ने बतलाया कि वहां पर भी नियम आते होंगे, तो यहां भी जो लोक सभा की परिपाटी है वही निर्धारित कर ली जाय। इस सम्बन्ध में मैं नेता सदन से यह निवेदन करूंगा कि वह लोक सभा की परिपाटी को स्वीकार करें और इस कमेटी के अस्तित्व को भी स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर इस सदन में कई बार प्रश्न उठ चुका है और हम लोगों की तो यह राय रही है कि जो सरकार की तरफ से वायदे किये जाते हैं उस के लिये भी एक कमेटी मुकर्रर होनी चाहिये। वह वक्त-वक्त पर उस की देख-भाल किया करे कि वह वादे कितने पूरे होते हैं और कितने नहीं पूरे होते हैं। दूसरी कमेटी जो बनाने का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में मैं आप से निवेदन करूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ उसमें अपनी कठिनाई बतलायी, लेकिन मैं उनका ध्यान इंगलैण्ड की पार्लियामेंट के नियमों की तरफ भी दिलाऊंगा कि वहां भी इस तरह की कमेटी बनी हुई है कि जो अधिनियम बनते हैं उनके मुताबिक ही नियम बनते हैं कि नहीं, इस पर वह कमेटी देख भाल किया करे। मैं समझता हूं कि लोक सभा में तो है ही, लेकिन हमारे यहां तो यह स्पष्ट है कि जहां पर कोई नियम इस पार्लियामेंटरी पद्धति के सम्बन्ध में अपने यहां न हो तो उसमें हमारे लिये आदर्श इंगलैण्ड की पार्लियामेंट का है। तो वैसी हालत में मैं समझता हूं कि उस में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये और इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार करने से यह भी लाभ होगा कि जो समय इस सदन में बहुत सा लग जाता है नियमों के बहस मुबाहिसे में, सम्भव है कि उतना समय न लगे, इसलिये मैं फिर उस प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री जी से विचार करने के लिये कहूंगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जैसी कि पहली बात थी उस में तो काफी विलम्ब हो चुका है। वह कमेटी तो आप को निर्धारित कर ही देना चाहिये, मगर अधिनियमों के अन्तर्गत जो नियमों की जांच और परीक्षा के लिये कमेटी बनाने की बात है यह सदन के सामने स्पष्ट है कि वह सदन के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेगी। कमेटी को अधिकार है कि वह नियमों की जांच और परीक्षा करे और उसके बाद सदन को भी पूरा अवसर रहेगा उस छान बीन के बाद अपनी सम्मति देने के लिये। तो माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके बारे में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। तो मैं आप से निवेदन करूंगा कि उनसे सम्मति लेने की आवश्यकता नहीं है, न यह आवश्यक है। आप अपनी ओर से इन दोनों कमेटियों को बना दें।

श्री अध्यक्ष—तो अभी जो इस विषय में नेता सदन ने अपनी राय प्रकट की और और लोगों ने भी प्रकट की उससे एक बात तो स्पष्ट है कि जो एक कमेटी, वादे जो इस सदन में गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं उनके सम्बन्ध में सदन की राय है कि वह होनी चाहिये। उसके लिये सदन में सर्वसम्मति है कि यह कमेटी बना दी जाय। दूसरी के बारे में नेता सदन ने कहा है कि वह विचार करेंगे। अभी उन्होंने "नहीं" नहीं कहा। मैं समझता हूं कि जब नेता सदन कुछ थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं तो यह अनुचित न होगा मेरे लिये यदि मैं उस के ऊपर आज सदन की राय न लूं बल्कि उनको जो उस में कानूनी पेंच उत्पन्न होते हैं उस का अध्ययन करने का और जो सुझाव माननीय गेंदासिंह जी ने, राजनारायण जी ने और नारायणदत्त जी ने दिये हैं और बताया है कि इंगलैण्ड में भी क्या होता है और हमारे यहां लोक सभा में भी क्या होता है? इन सब बातों का भी अध्ययन करने का उन्हें समय दूं और कोई

[श्री अध्यक्ष]

अड़चन न हो तो किसी दूसरे रोज इस प्रश्न को मैं सदन के सामने ले आऊंगा और इसके ऊपर विचार हो जायगा । क्योंकि जब तक नियम न बनें तब तक मैं यह उचित नहीं समझता कि सदन की बहुमत की राय लेकर ही कोई फ़ैसला करूं। जब तक सर्वसम्मति नहीं होती तब तक नियम के अनुसार जो कार्य आगे होने वाला है उसको मैं स्वयं अपनी ओर से प्रारम्भ कर दूं यह उचित न होगा। इसलिये अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गयी कि एक कमेटी बन जानी चाहिये , वह बना दूंगा। दूसरी कमेटी के सम्बन्ध में सदन की राय लेने के लिये अन्य समय निर्धारित करूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, गवर्नमेंट ऐश्योरेन्सेज़ कमेटी के नियम भी बनाने का आप ही को अधिकार रहेगा ?

श्री अध्यक्ष—जी हां, वह समिति के सुझाव में दिया हुआ है।

१९५०–५१ के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांग

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेशीय सरकार के वित्तीय वर्ष १९५०–५१ के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांग प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, जो यह अतिरिक्त अनुदानों के सम्बन्ध में आज मांग प्रस्तुत की गयी है इसके सम्बन्ध में नियम १५७ के अधीन हम लोग वाद-विवाद कर सकते हैं। नियम १५७ में पूरा प्रोसीज्योर भी निश्चित किया गया है जिसके आधार पर आप इस सदन में विवाद के लिये तिथि निश्चित कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं इस प्रक्रिया के पैरा ३ की अन्तिम पंक्ति की तरफ़ आप का विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं, इसमें लिखा हुआ है—

> "चूंकि अतिरिक्त अनुदानों के लिये इन मांगों को संविधान के अनुसार सदन के समक्ष पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है इसलिये भारत सरकार के परामर्श से इस सम्बन्ध में अनुसरण किये जाने वाली प्रक्रिया के निर्धारण में भी कुछ समय लगा है।"

इस अंतिम पंक्ति से मुझे कुछ भ्रम सा हुआ है, इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। इससे यह मालूम होता है कि प्रदेशीय सरकार ने भारत सरकार के परामर्श से कोई विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया है जो प्रक्रिया विधान के अन्दर तो है, लेकिन हमारी प्रक्रिया नियमावली में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—इसके ऊपर तो बहस आज हो नहीं रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं प्रक्रिया क्या है वह जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—यह सदन के प्रोसीज्योर से सम्बन्धित नहीं है। यह प्रश्न कि क्या प्रोसीज्योर होना चाहिये उस के लिये वह कहते हैं कि हमको समय लगा और वह समय बीत चुका, अब आगे लगने वाला नहीं है। तो उसके लिये तो जिस रोज यह पेश होगा या इसके ऊपर बहस होगी उस वक्त आप बहस उठा सकते हैं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—बहस कब होगी, श्रीमन् ?

श्री अध्यक्ष—१२ तारीख को विचार होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन दो दिन रखे जायं, एक आम बहस का और दूसरा वैसे। मैं नियम १५१ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें यह दिया हुआ है कि—

"Stages of budget debate. The budget shall be dealt with by the Assembly in two stages namely:—

(i) a general disscussion, and

(ii) the voting of demands for grants.",

तो एक दिन जनरल डिस्कशन के लिये रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—१२ तारीख को ही इस प्रश्न को उठावें। आज नहीं यह उठ सकता।

श्री राजनारायण—१२ तारीख को बदल कर आप १३ तारीख नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—यह तय हो चुका है। नियमानुसार यह तारीख मुकर्रर होती है। यह तारीख गवर्नर मुकर्रर करते हैं। दूसरे दिन डिस्कशन भी नियम में जैसा दिया हुआ है वह फिक्स हो चुका है।

*उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब माननीय कृषि मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, इस बिल के लिये साढ़े तीन दिन निश्चित किये गये थे। यह आधा घंटा जो दूसरे काम में ले लिया गया है तो यह समय उस में बढ़ा दिया जायगा?

श्री अध्यक्ष—आधा घंटा तो कम ज्यादा हो ही सकता है। समय समाप्त होने के समय हम इसको सोच लेंगे शायद पहले ही खत्म हो जाय।

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—श्रीमन्, कल मैंने इस सदन का पर्याप्त समय इस विधेयक के सम्बन्ध में चर्चा करने में लिया। अभी माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य ने यह शिकायत की थी कि आधा घंटा जो यहां दूसरी चर्चा में लगा वह उनको मिलना चाहिये। इस दृष्टि से स्वयं मैं भी बहुत संक्षेप में कुछ चीज और इस सदन के सामने रखना चहूंगा। श्रीमन्, कल जो चर्चा मैं सदन के सामने कर रहा था वह माननीय गेंदा सिंह जी की इस चर्चा के विषय में थी कि माननीय गेंदा सिंह जी यह चाहते थे कि गाय के संरक्षण का इस विधेयक के द्वारा कुछ उपाय किया जाना चाहिये। मैंने उस समय जिक्र किया था कि गाय का संरक्षण का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है और बापू जी कहते थे कि यह प्रश्न स्वराज्य से अधिक बड़ा और जटिल है। इसके विषय में कुछ समस्या की ओर भी इस सदन का ध्यान मैंने आकर्षित किया था। मैं केवल इस सम्बन्ध में यह निवेदन और करूंगा कि ऐतिहासिक काल से इस देश में पशुपालन और विशेष रूप से गोपालन की पद्धति रही है। पशु प्रजनन की विधियां, पशु विकास की पद्धतियां, और पशु-विकास के ज्ञान विज्ञान की पद्धतियों में बहुत उन्नत ज्ञान इस देश का रहा है। मोहनजदारों के समय के जो हमको सभ्यता के विशिष्ट चिह्न आज मिलते हैं उनसे हम इसी बात की साक्षी पाते हैं कि करोड़ों पशु इस देश में विशिष्ट रूप से पलते थे। ३। करोड़ पशु के इस प्रदेश में जिसमें ७। करोड़ एकड़ भूमि पर केवल खेती होती है। आज हम जानते हैं कि ३.६ प्रतिशत भूमि

*३१ मार्च, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

पर पशु के चारे का कुछ प्रबन्ध किया जाता है और इसके बहुत से कारण हैं। कल मैंने इसका जिक्र किया था कि चारे की कमी के कारण और सन्तुलित चारा न होने के कारण गोसम्पदा का और भी ह्रास हुआ है। आज भी स्पष्ट रूप से यह स्वीकार कर सकता हूं कि न जाने पिछले कितने वर्षों से इस देश की गो सम्पदा का ह्रास हुआ है। यदि स्पष्ट रूप से यह कहूं कि सारी पशु सम्पदा का ह्रास हुआ तो उस के बहुत से कारण हैं। सन्तुलित चारे का न होना और गोचर भूमि का कृषि में उपयोग और इसके अतिरिक्त बहुत सी व्यवस्थाओं के कारण और सम्भवतः सब के ऊपर हमारी दासता और दरिद्र दुख रहे हैं। उन सब से इस देश में मनुष्य और पशु का ह्रास हुआ है। मनुष्य की औसत आयु केवल २३ वर्ष रह गयी है यह कोई अद्भुत बात नहीं है। आज यदि इस विधेयक के द्वारा हम थोड़ी सी प्रगति करना चाहते हैं तो इसमें क्या गलती है? मैं यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहता हूं कि कल इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इस विधेयक की आखिर आवश्यकता क्या थी और उन्होंने कहना चाहा कि आप तो यह कहा करते थे कि गोवध रोकने के लिये किसी कानून की आवश्यकता ही नहीं है। आज आप आखिर यह विधेयक क्यों लाते हैं, यह कुछ माननीय सदस्यों ने कहा। मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने यह विश्वास किया कि शायद इस विधेयक के द्वारा गो के वध का निवारण उतना न हो सके जितना और दूसरे उपायों से किया जा सके। हमारा यह विधेयक बहुत बड़ी समस्या का एक छोटा सा उपाय है। मैं स्वीकार करता हूं कि केवल इस विधेयक के जरिये गोवध निवारण नहीं हो सकेगा। उसके लिये हमें गोवंश की उन्नति करनी होगी। हमें निश्चित रूप से पत्ता और घास और दूसरी जंगल की चीजों में परिवर्तन करना होगा और उसे प्रोटीन देना होगा। दुर्भाग्यवश इस देश में पशु की नस्ल का जो कुछ हुआ उसे यह सदन भली भांति जानता है। यहां के लोगों के लिये यह असम्भव हो गया कि पशु प्रजनन के लिये अच्छे सांड़ रख सकें। इसके बारे में विदेशी राजाओं ने भी कुछ नहीं किया। ऐसे दुर्बल से दुर्बल सांड़ इस कार्य के लिये छोड़े गये जिनका कोई मूल्य बाजार में नहीं मिलता था। इसका परिणाम यह हुआ कि क्रमिक रूप में गोवंश का ह्रास हुआ और आज ऐसी दुर्बल गायें हमको देखने को मिलती हैं कि उन्हें देख कर लज्जा आती है। इस विधेयक के द्वारा हम इन सब बातों का अन्त कर सकेंगे, यह कहना गलत होगा।

यह भी कहा गया कि सरकार दब कर यह विधेयक लायी है। मैं नहीं कहना चाहता कि यहां के कुछ राजनीतिक दलों ने इसका जो विवाद उपस्थित किया था उस के पीछे कोई गोवंश की उन्नति की भावना थी। मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि केवल राजनीतिक कारणों से गऊ को एक झंडे के पीछे बांधा गया है। चाहे यह विधेयक पास हो या न हो, आप अपने नियोजन के द्वारा चाहे गोवंश की उन्नति करें या न करें, यह हमारे मित्र जिन्होंने कल गऊ को झंडे के पीछे बांधा था वह कल गाय को छोड़ कर किसी दूसरी चीज को बांधेंगे। उनको तो अपने राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति करनी है। उन लोगों की आवाज पर यह विधेयक नहीं लाया गया है। उनकी आवाज को केवल हमने इसलिये सुना कि हम समझते थे कि वह एक राजनीतिक आवाज है। उससे आगे हमने उसे कोई महत्व नहीं दिया। इस विधेयक की दूसरी ही भावना है। मैं आपके द्वारा क्षमा चाहूंगा यह कहने के लिये कि दाक्षिण्य, दया, करुणा, अहिंसा, सत्य और प्रेम ये किसी धर्म विशेष की सम्पत्ति नहीं हैं। आज शायद मानव ने इसे मानव धर्म में स्वीकार कर लिया है और सभी धर्मों ने इसे माना है। आज मानवता हिंसा से मुंह मोड़ चुकी है और वह जानती है कि हिंसा ने एटम बम और हाई-ड्रोजन बम को जन्म दिया है। चौराहे पर खड़ी हो कर आज मानवता निराशा की दृष्टि से देखती है। अन्त में मानवता के सामने हमारे पूज्य बापू का हंसता हुआ चेहरा नजर आता है। यदि आज हम अपने अहिंसा, प्रेम और सत्य के आदर्श को यदि पशु की ओर भी ले जाना चाहें तो यह किसी के दबाव के कारण नहीं है किन्तु क्रांति के केवल पहले पहलू

को आगे बढ़ाने के लिये है। मानवता के कारण करुण चीत्कार को मानव के हृदय तक ले जाने के लिये यह बिल लाया गया है, तो इसके लिये किसी दल विशेष को गौरवान्वित करने की आवश्यकता नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आखिर इस विधेयक के लिये मैं बधाई किस को दूं। शायद वह यह कहेंगे कि यह कर्त्तव्यपालन स्पष्ट रूप से उस बल के द्वारा किया गया है, जिसने अपना चुनाव-चिह्न जूवेदार बैलों की जोड़ी रखा है। अगर मुझे बधाई देनी ही है तो मैं इस सदन के सारे सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि जिनके कार्यकाल में यह विधेयक उपस्थित हुआ है।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाई लक्ष्मीरमण आचार्य का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने ऐसा सुन्दर व्याख्यान देकर हमारे कुछ मित्रों ने जो शंकायें इस विधेयक के सम्बन्ध जाहिर की थीं, उनका पूरा-पूरा जवाब दिया है। उसकी वजह से मेरे काम में बड़ी सहूलियत हुयी। इसके सिवाय, मैं अपने अन्य माननीय सदस्यों का भी बहुत आभारी हूं जिन्होंने चारों तरफ से इस बिल का स्वागत किया। दो एक भाइयों ने कुछ दबी जबान से इस बिल की मुखालिफत में बोलने की चेष्टा की, लेकिन फिर भी इस बिल के जहां तक सिद्धांत का ताल्लुक है, ध्येय है उससे वह भी मुखालिफत नहीं कर सके। इसलिये भी मेरे काम में बहुत आसानी हुयी। मैं पहले सोचता था कि आचार्य जी के बाद मैं इस सदन का समय न लूं, लेकिन फिर भी मिनिस्टर इन चार्ज होने के नाते मेरा यह कर्त्तव्य है कि जो दो चार बातें इस बिल के बारे में कही गयी हैं उन पर रोशनी डालने का प्रयत्न करूं। मैं तमाम तफसीलों में नहीं जाना चाहता हूं। केवल मुख्य-मुख्य एतराजात के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। एक एतराज यह किया गया कि इसमें धार्मिक पहलू है, आर्थिक पहलू कतई नहीं है। हमारे भाई शाहिद फाखरी साहब ने तो इस हद तक जाने की कोशिश की कि उन्होंने यह कहा कि गवर्नमेंट के पास साहस नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिये था कि वह साफ तौर से यह कहती कि वह धार्मिक दृष्टिकोण से यह विधेयक लायी है। मैं अपने मित्र को जो हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे, यह साफ कह देना चाहता हूं कि यह सरकार वह सरकार है जिसके साहस के बारे में उनको क्वेश्चन करने का कोई हक नहीं है। हम डर कर कोई काम नहीं करते। हम अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हैं, किसी को पसंद आये न आये। इस तरह से हमने बड़े-बड़े काम किये। जमींदारी उन्मूलन का सवाल था, २५ लाख जमींदार थे उनमें से अधिकांश को वह बात कतई पसन्द नहीं थी लेकिन इस सरकार ने बहुत ही हिम्मत और साहस के साथ उस प्रश्न को लेकर जमींदार उन्मूलन किया और उससे जनता का कल्याण हुआ। ऐसे-ऐसे बड़े कामों में भी सरकार ने बुजदिली से काम नहीं लिया। मुझ पर, सरकार पर, और सुल्तान आलम खां साहब पर यह भी दोषारोपण किया गया कि हमारे दिल में कुछ और है और जबान पर कुछ और। उन्होंने यह कहने का साहस किया कि मेरी तकरीर से मेरे दिल की बात जाहिर हो गयी। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि मेरी तकरीर का वह एक भी लफ्ज ऐसा बतायें जिससे साम्प्रदायिकता की भावना टपकती हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मेरे दिल में है वही जबान पर भी है। मेरा जाहिर और बातिल अलग-अलग नहीं है।

जब से यह प्रश्न इस सरकार के सामने आया तो पहले पहल इस सदन में इस सरकार ने एक वायदा किया था। इस सम्बन्ध में उस वायदे की पूर्ति के लिये उसने कदम उठाया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल ४८ है जो इस सदन में कई बार पढ़ा जा चुका है, मैं उसे पढ़ना नहीं चाहता। उस आर्टिकल

[श्री हुकुमसिंह]

में कुछ ऐसी बातें दी गयी हैं जिनका संपन्न करना राज्य सरकार का परम कर्त्तव्य है। उसमें ऐग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन, पशुओं की रक्षा और प्रीजरवेशन के आदेश दिये गये हैं तथा बाद में गो संरक्षण के बारे में भी उसमें बताया गया है। क्या मैं मौलाना फाखरी साहब से पूछ सकता हूं कि क्या यह आर्टिकल साम्प्रदायिकता के आधार पर संविधान में बनाया गया है? नहीं, वे नहीं कह सकते क्योंकि जब यह संविधान बना तो मौलाना साहब ने हमारे साथ कसम खायी थी कि हम अक्षरशः उसका पालन करेंगे। अगर यह साम्प्रदायिक होता तो मौलाना साहब जिनमें बहुत साहस और हिम्मत है वे कभी उसके मुताल्लिक कसम खाने के लिये तैयार न होते और आज जब सरकार उसके बारे में कोई काम कर रही है तो कभी भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह साम्प्रदायिक भावना से प्रेरित होकर कर रही है। उसी आर्टिकिल के अन्तर्गत यह उत्तर प्रदेश की सरकार आज यह विधेयक लायी है। जिस वक्त इस सदन में हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने यह वायदा किया था १२ दिसम्बर, १९५२ को कि हम इस गो के प्रश्न को उसके सारे अंगों पर विचार करने के बाद कुछ निर्णय करेंगे और उस निर्णय के बाद हम एक विधेयक लायेंगे। उस वायदे को कायम करने के लिये ५ अप्रैल, १९५३ को एक प्रस्ताव के द्वारा गो सम्वर्द्धन कमेटी की स्थापना हुयी, वह प्रस्ताव इस प्रकार है। मैं उसको आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं—

"सरकार द्वारा विधान सभा को १२ दिसम्बर, १९५२ को दिये गये वचन के अनुसार सरकार ने भारत के संविधान की धारा ४८ के अनुकूल ऐसे उपायों को निर्धारित और लागू करने की तरफ प्रारंभिक रूप में गो सम्वर्द्धन जांच समिति के नाम से एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे" .... इस प्रस्ताव से भी साफ जाहिर है कि यह सरकार आर्टिकल ४८ में दी हुयी बातों को सम्पन्न करने के लिये कदम उठाना चाहती है। जिस आर्टिकिल में कोई साम्प्रदायिक भावना नहीं और जिसके बारे में कभी शक भी जाहिर नहीं किया गया है, अगर उसके अनुकूल काम करने के लिये यह सरकार कदम उठाती है तो ऐसा कहना कि सरकार साम्प्रदायिक भावना से प्रेरित होकर ऐसा करती है, यह सर्वथा निर्मूल और गलत है। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे इस विधेयक में भी धारा २ के सब-क्लाज (ए) में जहां पर बीफ का डेफिनिशन दिया हुआ है और जिसके मुताल्लिक हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने इसके खिलाफ अपनी राय जाहिर की है, उसके देखने से और धारा ५ का जो एक्सेप्शन दिया हुआ है उसके मुताल्लिक इन दोनों के देखने से और धारा ४ के (क) और (ख) को देखने से यह साफ जाहिर होता है कि साम्प्रदायिक भावना इसके करीब नहीं है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रोविजन के होते हुये यह कहना कि साम्प्रदायिक भावना के आधार पर यह बिल निर्धारित किया गया है सर्वथा गलत है। हमारे मित्र फाखरी साहब से श्री सुल्तान आलम साहब के बारे में कह दिया कि वे पहले कम्युनल थे लिहाजा डर के मारे अब उन्होंने इस बिल का समर्थन किया। क्या बात कही? ऐसी बात इस सदन के किसी माननीय सदस्य के बारे में कहना सर्वथा अनुचित और नामुनासिब है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई कितना ही गुमराह रहा हो, अगर वह राहे रास्त पर आकर ठीक बात कहे तो उस शख्स को हम उस शख्स के मुकाबले में जो राह राह पर रहने का दावा करता हो और गलत बात कहता हो, बहुत ज्यादा पसन्द करते हैं। लिहाजा....

श्री शिवमंगलसिंह कपूर (जिला बस्ती)—मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री हुकुमसिंह—वह तो ११ बजे सवाल पूछा जाता है। (हंसी)

इसके अतिरिक्त एक बात और इस विधेयक के सम्बन्ध में कही गयी कि जनसंघ के सत्याग्रह के खौफ की वजह से यह विधेयक इस सदन में लाया गया है। इसके बारे में भी हमारे मित्र आचार्य जी ने बड़े सुन्दर ढंग से जवाब दिया। आचार्य जी की भाषा में ला नहीं सकता और वह रवानगी भी मेरी जबान में नहीं है और न उस ढंग से मैं अपनी बातों को दर्शा सकता हूं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने १२ दिसम्बर, सन् ५२ को इस सदन के सामने वादा किया था इस प्रश्न पर विचार करने के लिये, और

आंदोलन कब हुआ ? इने गिने कई महीने हुये, लिहाजा इसको उससे जोड़ना, जो कहते हैं वे अपने दिल में खुशी मना लें, लेकिन आम जनता समझती है कि पटवारियों ने भी आंदोलन किया था और सरकरार ने क्या किया यह सब को मालूम है । मुदर्रिसों ने भी आन्दोलन किया था और सरकार ने क्या किया वह भी सब को मालूम है । इन आंदोलनों से सरकार कभी घबड़ाती नहीं है, उन से प्रेरित नहीं होती, जो महत्वपूर्ण और मुश्किल काम हैं उन्हें हमेशा सरकार सावधानी से करना चाहती है । बहुत से मित्रों ने कहा कि इस बिल के लाने में देर हुयी । मुश्किल काम में देर हमेशा हुआ करती है । अब इतने दिन में लाने के बाद भी माननीय गौतम जी ने और श्री गेंदा सिंह जी ने नाता जोड़ा और कहा कि यह बिल बड़ा इनकम्पलीट है और सरकार इसको फिर से रिड्राफ्ट कर के पेश करे । यह एक ऐसा मसला है कि इसमें जितना ही सोचिये उस में उतना ही मजा आयेगा, इसमें काफी गौर और वक्त लगना जरूरी ही था, ऐसे कामों में वक्त लगता है, कुछ दिन में कोई चीज मुकम्मिल नहीं होती, अगर मुकम्मिल हो जाय तो जिन्दगी का लुत्फ ही जाता रहेगा, "लिव एन्ड लव" का मामला है । इसलिये यह कहना भी गलत है कि किसी आंदोलन के फलस्वरूप यह आया है । सरकार इसको उचित समझती है कि हमारे संविधान में जो आदेश है उसका पालन किया जाय, आर्टिकल ३७ अगर पढ़ा जाय तो उसमें साफ लिखा है कि यह राज्य सरकार की ड्यूटी है कि वह डायरेक्टिसव प्रिंसिपल्स पर अमल करें । लिहाजा उस कर्त्तव्य का पालन करने के लिये हमने ऐसा किया है, कोई अपने मन से नहीं किया है । उसी डायरेक्टिव को पूरा करने के लिये हम इस बिल को लाये हैं न कि किसी आंदोलन के खौफ खतरे की वजह से, यह मैं साफ कर देना चाहता हूं ।

जहां तक इसमें साम्प्रदायिक भावना की बात है, हमारे भाई गौतम जी ने भी इस मामले में जनाब शाहिद फाखरी साहब से नाता मिला लिया और कहा कि इसमें रिलीजस टिन्ज जरूर है, जैसा कि आज के पायनियर में रिपोर्टिंग है, उसमें यह दिया है कि ऐसी बात उन्होंने कही, इस बारे में मैं ज्यादा सफाई नहीं देना चाहता, केवल इतना कहूंगा कि जो असलियत है वही हम ने किया और इस सरकार ने किया । एक तुलसीदास जी की चौपाई यहां कहना चाहता हूं कि "जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी"। इस चौपाई के बाद आप जो चाहें कहें और समझें ।

सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से जो किया वही वह कहती है, कोई छिपाने की बात नहीं है । जो हम समझते हैं वही करते और कहते हैं । इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह गो सम्वर्धन कमेटी कायम हुयी उसमें नवाब छतारी साहब भी मौजूद थे, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब साहब भी थे, मोहम्मद अखतर साहब जो पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, वे भी थे । सब जानते हैं कि नवाब साहब उस जमाअत के थे, जिनके साथ मुसलिम्स का बहुमत था, अगर इसमें जरा भी कम्युनल भावना होती तो यह रिपोर्ट कभी यूनानिमस तरीके से न आती, उन्होंने बड़ी दानिशमंदी से और निहायत सोच समझकर, ऐग्रीकल्चरल मुल्क की जरूरत को समझकर अपनी सलाह दी और इस मुल्क से गौबध के हटाने को अनिवार्य और आवश्यक समझा और उन्होंने सर्वसम्मति से गोबध के विरुद्ध राय दी और साम्प्रदायिक भावना को इसके करीब भी न आने दिया । नवाब साहब की तरफ से किसी को ऐसा भ्रम भी नहीं हो सकता कि उन्होंने किसी ओहदे की ख्वाहिश से ऐसा किया, क्योंकि कौन सा ऐसा ओहदा है जिस पर वह नहीं रहे या न रह सकते हों । फाखरी साहब ने भी कहा कि मुझे किसी को न खुश करना है न मुझे किसी ओहदे की ख्वाहिश है, ख्वाहिश तो बहुत माननीय सदस्यों को नहीं है, लेकिन उनमें वजादारी है वह ऐसी ख्वाहिश का जिक्र नहीं करते, लेकिन वह जिक्र करते हैं उनको अख्तियार है, करें ।

इसके बाद एक बात टिन्ड बीफ के डेफनीशन के बारे में और ऐयरक्रैफ्ट और रेलवे पर बिकने के बारे में एतराज किया गया । मैंने भी इसको सब पहलू से देखा और हर पहलू से विचार किया । यह मसला बड़ा टेढ़ा है । हमने कानूनी मशविरा भी इसके लिये और बड़े बड़े कानूनी माहरीन से परामर्श किया । सभी से यह सलाह मिली कि वैधानिक आपत्तियों को बचाने के लिये इसको रखना निहायत जरूरी है । इसलिये मैंने इसको रखा है वरना मैं इसको कोई जरूरी

[श्री हुकुम सिंह]

नहीं समझता था कि इसको रखा जाय। लेकिन हम किसी वैधानिक बात की जद में नहीं आना चाहते। यह ऐसा अहम मसला है, ऐसा अहम विधेयक है जिसकी पूर्ति करके हम जल्द अज जल्द लागू करना चाहते हैं, ताकि हमारे काम को आगे बढ़ाने में जितनी ही देर होती है उतना ही तेजी से देश का नुकसान होता है इस नुक्ते ख्याल से रखा गया है वरना जैसा कि माननीय सदस्यों ने एतराज किया मैंने उस पर और भी ध्यान दिया और दोबारा सहबारा फिर भी मशविरा किया। लेकिन फिर भी मैं उसी जगह पर हूं जहां पर था। तो इस तरह से हमारे रास्ते में दिक्कतें हैं, इसलिये ऐसी बातें रखी गयी हैं।

इसके अलावा हमारे गेंदासिंह जी ने और गौतम जी ने एक बात और कही कि साहब यह इतने महत्व का प्रश्न है और इसको प्लानिंग कमीशन को रेफर कर दिया जाय। अगर एकनामिक ग्राउन्डस हैं तो प्लानिंग कमीशन को भेजा जाय और वह सेंट्रल गवर्नमेंट को परामर्श दे कि ऐसा गोबध बन्दी विधेयक वह लाये जो सारे हिन्दुस्तान के लिये एकसां लागू हो। क्या बात कही? मैं यह तो कह नहीं सकता कि संविधान उन्होंने नहीं पढ़ा। यह कहने का साहस मुझमें नहीं है और सब बातें कहने का साहस है अगर संविधान की धारा ४८ को ही पढ़ लेते तब भी उससे साफ जाहिर हो जाता कि यह आर्टिकल राज्य सरकार को हिदायत देता है कि ऐसा करे। केन्द्रीय सरकार को हिदायत नहीं करता राज्य सरकार को करता है। आर्टिकल ३७ में भी राज्य सरकार का कर्त्तव्य होता है कि ऐसा करें। इसकी लिस्ट 'बी' जो संविधान के साथ लगी है उसमें स्टेट लिस्ट जो है उसके आइटम १५ में भी दिया है कि इस सम्बन्ध में कानून बनायेगी तो राज्य सरकार बनायेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट नम्बर १ में इसका जरा भी जिक्र नहीं है। ऐसी सूरत में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिफर करने से क्या फायदा जिसको कानून बनाने का अख्तियार न हो। तो इस तरह की बात कहना कि वहाँ भेज दिया जाय, इससे क्या मतलब है? प्लानिंग कमीशन का इससे क्या ताल्लुक। अब मैं ऐसी-ऐसी बातों का क्या जवाब दूं। हमारे माननीय राजनारायण जी परसों बोलते-बोलते मुझसे उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या इस स्टेट के बाहर गोकशी गोकशी नहीं है। इसका जवाब हां है गोकशी, लेकिन हमको वहां क्या अख्तियार कि बिहार में ऐसा कोई कानून बनायें, वेस्ट बंगाल के लिये कानून बनायें, इस स्टेट को केवल अपने क्षेत्र के अन्दर अधिकार है कि हम ऐसे कानून बनावें, अगर बाहर होता है तो मुझे अफसोस है, होगा लेकिन मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लिहाजा इस तरह के सवाल उठा करके सेंटीमेंट से प्ले करना जब ऐसा महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने हो, उचित नहीं प्रतीत होता। मैं तो कहूंगा कि जब तक सब स्टेट अपने यहां ऐसा कानून नहीं बना लेतीं तब तक गोबध सारे हिन्दुस्तान में नहीं बन्द हो सकता। जो स्टेट बना चुकी हैं या बनाने वाली हैं उनके यहां बन्द हो जायगा। बाहर के लिये रोकथाम नहीं कर सकते और यही एक दिक्कत हमारे लिये है। कलकत्ते से कोई हवाई जहाज पर चले और लेकर चले या कोई शख्स ऐसा हो जो सप्लाई करता हो बोनाफाइड पसेंजर्स को तो हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। रेल में अगर कोई लेकर चले तो हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। ऐसी दिक्कतें हैं, लेकिन जिस वक्त सब स्टेट्स में ऐसा कानून बन जायगा तो खुद ही सब बातें रुक जायेंगी, जरा भी कोई चिन्ता करने की जरूरत नहीं। हमारे मित्र राजनारायण जी ने एक बात और कही। एक भूखा था। उससे कहा एक और एक। उसने कहा दो रोटी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से वह फायदा नहीं हो सकता जिस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैन्ड से। कहां रिडिस्ट्रिब्यूशन आफ लैन्ड और कहां गोबध निवारण विधेयक। कहां से कहां मिलाया। क्या बतलाऊं कहां से कहां चले गये। उनके मिलाने की कोई हद बाकी रह गयी? मुझे कोई ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ लेकिन ऐसी बात है। इस तरह की परेशानियां हैं।

हमारे भाई गेंदा सिंह ने क्या बात कही। कहने लगे कि हर ५ गांव के पीछे एक सांड़ होना चाहिये। पहले गौ की रक्षा करो, फिर अच्छे सांड़ पैदा करो, लेकिन बिना गौ की रक्षा किये अच्छे सांड़ कहां से पैदा हो जायेंगे।

एक बात और कही गयी कि चारे का कहीं प्रबंध नहीं है। एक बात यह भी कही गयी कि साहब इन अलाभदायक पशुओं का क्या होगा। इस विधेयक में कहीं जरा भी उसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अगर वे धारा ६,७ पढ़ लेते तो उनको साक्षात् मालूम हो जाता कि जिक्र है या नहीं। धाराओं में पूरी तफसील नहीं लिखी जाती। धाराओं में जो मंशा होती है नियम बना कर उस मंशा की पूर्ति की जाती है। ६ और ७ में इसका जिक्र है। ८ में भी जिक्र है। राजनारायण जी ने इसमें "टु लेवी" की भी मुखालिफत की है। इससे मालूम होता है "कैट इज आउट आफ दी बैग" बिना पैसे के कोई काम दुनिया में हो नहीं सकता। इसकी मुखालिफत करने के मानी यह हैं कि विधेयक को रद्दी कर दें और गो रक्षा बिल्कुल हो नहीं। अलाभदायक के लिये हमारे मित्र मौलाना नसीर साहब ने एक बात ऐसी कह दी, जिसके लिये मैं उनका बड़ा आभारी हूं। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं रही। फाखरी साहब ने कहा कि लीजिये गो बध तो बन्द किये देते हैं, लेकिन बूचर्स के रोजगार का कोई इन्तजाम नहीं और जब जमींदारी २५ लाख आदमियों की खत्म हुयी तो हमारे मित्र ने कभी कोई आवाज नहीं उठायी कि रोको यह बिल, आगे न बढ़ो पहले २५ लाख के खाने पीने का इन्तजाम कर दो। कभी ऐसी बात नहीं कही। इससे पता चलता है कि उनके दिल की भावना क्या है। जबान पर तो कहते हैं कि इस बिल के साथ हैं, लेकिन तकरीर से इसके बिलकुल खिलाफ, इसी तरह मौलाना नसीर साहब ने इस बिल के लिये कहा कि गोबध रोकना तो बहुत जरूरी था, लेकिन एक बात उन्होंने कही और वह यह कि अलाभदायक पशुओं को बध करने की इजाजत होनी चाहिये। एक बात उन्होंने कही, मैं उससे इतफाक करूं या न करूं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं बड़े नम्र शब्दों में कि बुड्ढों और बेकारों को खत्म करने का उसूल वे रायज न करें। इसके रायज हो जाने पर बड़े खतरात हैं और वे उस खतरे के नजदीक जा रहे हैं। ऐसे उसूल को कायम करना हर तरह से नामुमकिन है, अनुचित है, इस वजह से मैं कहता हूं कि उनके लिये हम प्रबंध करेंगे और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि हमारे राजा साहब जगम्मनपुर ने जैसे बड़े साफ लफ्जों में कहा है कि तन, मन, धन से मदद करने को तैयार हैं, मुझे हर माननीय सदस्य से आशा है, यह एक ऐसा प्रश्न है और हम फाखरी साहब से भी पूरी पूरी उम्मीद करते हैं कि वह भी हमारी पूरी पूरी सहायता करेंगे। अलाभकर पशुओं का जो प्रश्न है उसको हल करने की हम भरसक चेष्टा करेंगे और सब मिलजुल कर करेंगे। तो नामुमकिन है कि कामयाबी न हो।

गेंदा सिंह जी ने कहा और भाई हमारे गौतम जी ने भी कहा कि पहले चरागाह का इंतजाम कर लो तब गोबध बन्द करो। तब तक मरने दो। फिर हम से पूछेंगे कि गउओं की तादाद में कमी क्यों हो गयी, हल जोतने के लिये बैल क्यों नहीं मिलते हैं। फिर कहा कि इस विधेयक में चारे का, ब्रीडिंग का, वेटरिनरी, ऐनिमल हस्बेंडरी आदि का कहीं जिक्र नहीं। सारी बातें इस विधेयक में आ जायं। ऐनिमल हस्बेंडरी, ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग काम कर रहे ह। उनको जो इस दिशा में करना है वह कर रहे हैं। मैं अभी तफसील के साथ बताऊंगा। इस विधेयक में लाने की क्या जरूरत? इस विधेयक में लाकर फिर चार रोज और बहस करवायें। जो काम आज चल रहा है उसमें भी रुकावट डालें। हर चीज हर कानून में नहीं होती। पशुचर का कहां तक ताल्लुक है। अगर धारा १४ कंसालिडेशन आफ होल्डिंगज अमेंडमेंट ऐक्ट पढ़ लें तो उसमें भी लिखा है कि जब कंसालिडेशन होगा तो एक प्रतिशत गांव की जमीन को अलग किया जायगा पशुचर के लिये। इसके माने यह हैं कि हर गांव में पशुचर रहेगा। मेल खाता हो या न खाता हो, ऐसा कानून बनाने का तरीका नहीं है। इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार गाफिल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अभी आप कुछ समय लेंगे?

श्री हुकुमसिंह—पांच, छः मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—फिर अभी चलने दीजिये।

श्री हुकुमसिंह—ऐनिमल हस्बेंडरी के सिलसिले में हमारे प्रदेश में १४ स्टेट मैकनाइज्ड फार्म्स हैं। वहां हमने गाय की हरियाना, साहिवाल, सिंधी, गंगातीरी आदि जितनी अच्छी अच्छी नस्लें हैं उनको रख कर के ब्रीड की नस्ल बनाना चाहते हैं। वहां से हम गउएं और अच्छे अच्छे

[श्री हुकुमसिंह]

सांड़ कम्युनिटी और एन०ई० एस० ब्लाक्स में देते हैं और करीब तीन हजार से अधिक हम गउएं दे चुके हैं और तीन हजार से अधिक सांड़ भी दे चुके हैं। हमारा सूबा बहुत विस्तृत है और लम्बा चौड़ा है। काम भी बहुत है। लिहाजा यह कहना कि सब एक ही दिन हो जाय और उसको मुकम्मिल कर लें तब इसको लायें तो 'रोम वाज नाट बिल्ट इन एडे।' उसमें काफी समय लगेगा। तब तक यह विधेयक स्थगित रहे। मैं इससे सहमत नहीं। हमने ४७ की ब्लाक कायम किये हैं। उनमें नैचुरल और आर्टिफिशल इंसिमिनेशन का प्रबंध है और दवादारू का भी प्रबंध है। धीरे धीरे हम सारे सूबे में बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारे जानवरों की नस्लें बढ़ें। चारे के सिलसिले में भी हमारे कई फार्म हैं जहां पर रिसर्च का कार्य हो रहा है। जहां तक पश्चिमी जिलों का ताल्लुक है हमारे बहुत से माननीय सदस्य वहां से आये हैं वहां तो इस बात का रिवाज है कि चारा बोते हैं बरसीम बोते, नेपियर बोते, लूसम बोते, मोथा बोते, चरी बोते हैं। यह देवरिया ऐसे जिलों में नहीं बोया जाता। तो एक देवरिया की वजह से सारे सूबे को कंडेम कर दिया जाय। मैं यह किसी तरह से ठीक नहीं समझता। मैं चाहता हूं कि देवरिया जिले में भी और पूर्वी जिलों में भी जहां ऐसा दस्तूर नहीं है यह बात फैलायी जाय और उसमें हमारे गेंदा सिंह जी हम से सहयोग करें ताकि हम काफी प्रचार करके लोगों को आकर्षित कर सकें और वह चारा काफी तादाद में ग्रो करें। वह चारा ग्रो करना चाहते ही नहीं तो उनके मवेशी अच्छी कैसे हों? हम मदद करने के लिये तैयार हैं, हर तरह से सहायता करने को तैयार हैं, सरकार भी सहायता देगी, लेकिन लोगों में एक रुझान जरूर पैदा होनी चाहिये। हम जो अच्छे अच्छे बुल तैयार करेंगे उनको सब्सीडी देने के लिये निश्चय किया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम एन० ई० एस० ब्लाक और बढ़ाना चाहते हैं, गोसदन भी बढ़ाये जायेंगे और हम गोशाला वगैरह की मदद भी बढ़ाने जा रहे हैं। वेटेरीनरी हास्पिटल जो हमारे ५२ हैं उनको भी हम बढ़ाने जा रहे हैं और प्रदर्शन वगैरह करके लोगों की इस तरफ तवज्जह दिलाना चाहते हैं।

हमारा मथुरा कालेज इसी विचार से खोला गया कि हम वहां असिस्टेंट वेटरीनरी सर्जन पैदा करके तमाम सूबे में अस्पताल खोल दें और वहां उनको तैनात कर दें, ताकि वह पशुओं की सेवा कर सकें। जैसा कि मैंने कहा स्टाकमैन की भी ट्रेनिंग होती है और १०० आदमियों को लाइव स्टाक सुपरवाइजर की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और इस तरह से हम उन रोगों से लड़ने का इंतजाम कर रहे हैं जो हमारे पशुओं में फैले हुये हैं। हमारे यहां रिसर्च भी हो रही है वैक्सीन वगैरह की और वैक्सीन प्रोडेक्शन भी बादशाह बाग में हो रहा है। ७१ लाख यूनिट १९५२-५३ में हुआ था, १९५३-५४ में और ज्यादा पैदा किया गया है। अभी आजमगढ़ के बारे में सवाल हुआ था कि ४० मांगा था, कम क्यों भेजा गया। तो उसको हम सैलाबी इलाके में पहुंचा रहे हैं। रेंडर पेस्ट एक ऐसी बीमारी है कि जिससे जानवरों को काफी नुकसान पहुंचाता है। उसकी भी हम रोकथाम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ५२ अस्पताल हमारे हैं उनके बाद हम १२ और नये अस्पताल खोलने जा रहे हैं और हमने ३० अस्पतालों में इक्वीपमेंट और दवाइयां ३० हजार रुपये की देकर उनको बढ़ाया है। इसी तरह से चारों तरफ ऐनीमल हस्बेंडरी में और दूसरी जगह, चरागाहों को, नस्लों को, दवादारू में उन्नति करके हमारा विभाग काम कर रहा है। लिहाजा इस विधेयक में इन सब को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन विधेयक से और इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं। जहां जहां जिस चीज की जरूरत थी वह सब इस विधेयक में रखी गयी है और इसी वजह से यह सूक्ष्म और छोटा विधेयक मालूम होता है और इसलिये मैं इसको बढ़ाने के लिये तैयार नहीं हूं। लिहाजा मैं समझता हूं कि हमारे मित्र और यह सदन मेरे इस प्रस्ताव को कि इस विधेयक पर विचार किया जाय स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बज कर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

खंड २

परिभाषायें

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में:—

(क) "गोमांस (beef)" का तात्पर्य गाय के मांस से है, किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में आयात किया गया (imported) मुहरबन्द पीपों (Containers) में रखा हुआ गोमांस नहीं है ;

(ख) "गाय" के अन्तर्गत सांड, बैल, बछिया अथवा बछड़ा (bull, bullock, heifer, or calf) है,

(ग) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है ;

(घ) "वध (slaughter)" का तात्पर्य किसी भी रीति से मारण (killing) से है तथा इसके अन्तर्गत इस प्रकार से अंगहीन करना (maiming) तथा शारीरिक आघात पहुंचाना भी है जिससे सामान्य रूप में (in the ordinary course) मृत्यु हो जाय ;

(ङ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ; तथा

(च) "अलाभकर गाय (uneconomic cow)" के अन्तर्गत भटकती हुई, अरक्षित, दुर्बल, अक्षम, रुग्ण अथवा वंध्या (stray, unprotected, infirm, disabled, diseased or barren) गाय है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

"खंड २ के उपखंड (क) को निम्न रूप में परिवर्तित कर दिया जाय—

(क) गोमांस (beef) का तात्पर्य गाय के मांस से है किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में किसी विदेशी यात्री द्वारा अपने अपने ही उपभोग के लिये मोहरबंद पीपों (Containers) में लाया हुआ मांस नहीं है।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि "पीपों" के बजाय "पात्रों" ज्यादा उपयुक्त शब्द होगा।

मैंने इस वजह से यह संशोधन उपस्थित किया है, क्योंकि यहां पर जो बाहर से लोग आते हैं और जो इस प्रकार के गोमांस खाने के आदी हैं उनके ऊपर हम किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगावें और जो .....

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) की हत्या का समाचार

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय भगवतीप्रसाद जी शुक्ल का स्वर्गवास हो गया है और जिन सदस्य महोदय ने बताया है वे खुद अपनी आंख से देख कर आ रहे हैं, उन्हें गोली मार दी गई।

श्री उपाध्यक्ष—यह सुना है लेकिन इसके कनफ़र्म होने की आवश्यकता है। शायद कल इस पर कुछ हो।

श्री सीताराम शुक्ल—वह आनरेबिल मेम्बर यहां मौजूद हैं जिन्होंने देखा है। मेरा प्रस्ताव है कि आज की कार्यवाही बन्द कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—कार्यवाही तो बन्द नहीं हुआ करती है, शोक प्रस्ताव हो सकता है मगर तभी होगा जब पूरे तौर पर इसकी पुष्टि हो जायगी।

माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ खण्ड २ (क्रमागत)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—मैं कह रहा था कि मैंने यह संशोधन इसलिये रखा है कि गो मांस की परिभाषा में जो (Execption) है वह केवल यहीं तक सीमित रहे कि जो बाहर से यात्री आते हैं और गो मांस के खाने के आदी हैं वे अपने उपभोग के लिये उसे साथ में मुहर बंद पात्रों में ला सकें, । बाकी और लोगों द्वारा व्यवसाय के लिये गोमांस आयात करने पर प्रतिबन्ध रहे। इतना ही इस संशोधन का तात्पर्य है। मैं समझता हूं कि यहां के लोगों को इससे कोई ऐसी असुविधा नहीं होगी। जो सवाल रेस्ट्रां और ऐरोप्लेन्स का आता है वहां भी सिर्फ इतना ही करना होगा कि वे जिस वक्त यू० पी० की हद से गुजरें, उस वक्त होटल वाले या रेस्ट्रां वाले या जो कि एरोप्लेन में सर्विस करते हैं उसको सर्व नहीं करेंगे। जो स्वयं उसे लाये हैं वह उस को किसी वक्त भी खा सकते हैं। लेकिन दूसरे लोग उसको खाने के लिये प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि यह कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है, जिसके ऊपर आपत्ति हो सके। इसलिये यह संशोधन उपस्थित किया है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत किये हुये संशोधन का समर्थन करता हूं। समर्थन का कारण यह है कि मैंने इस विधेयक को बड़े गौर से पढ़ा और कई ऐसी बातें इस गोमांस की परिभाषा में आती हैं कि जिसके कारण अगर यह परिभाषा में कुछ सुधार नहीं हुआ तो उसके नतायज ऐसे होंगे जो वांछित नहीं होंगे। यह परिभाषा गोमांस की जो दी गई है उसमें मुहरबन्द पीपों में जो गोमांस आयेगा वह गोमांस नहीं समझा जायगा यानी जब तक वह मुहरबंद रहेगा तब तक गोमांस नहीं है। लेकिन ज्योंहीं, वह खुलेगा त्योंही गोमांस की परिभाषा में आ जायेगा। वध तो हमने रोक दिया। यहां का पशु अगर कोई मारा जायगा तो वध करने में भी सजा हो सकती है और वह गोमांस जो यहां कोई रखेगा अपने पास या गोमांस खुला पाया जायगा तो वह गोमांस के अन्दर आ जायगा, लेकिन जो मुहरबन्द आयेगा, वह गोमांस नहीं है। खुलने पर गोमांस हो जायगा। ऐसा इस परिभाषा से अर्थ निकलता है। तो वह जो मुहरबन्द होगा वह केवल वायुयान के यात्री या ट्रेन के यात्री के हाथ बिकेगा। तो इसका यह अर्थ निकलता है कि वह मुहरबन्द पीपे केवल स्टेशन पर या वायुयान जहां होगा वहीं खोले जा सकेंगे और कहीं नहीं खोले जा सकेंगे, क्योंकि और कहीं अगर खोला जाता है तो फिर गोमांस हो जाता है। यह लिखा है विधेयक में कि कोई गोमांस न बेचेगा न विकवायेगा। तो जब कोई बेचेगा नहीं और विकवायेगा नहीं तो इसका मतलब यह है कि वह मांस वाले पीपे जहां वह चाहेबाजार में बिके, गली में बिके, शहर में बिके, लेकिन खुला नहीं बिक सकता। लेकिन एक जो बड़ी कमी है और मैं बहुत नम्रतापूर्वक माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसमें यह कहीं नहीं कहा कि न कोई भोजन करेगा। यानी वायुयान और रेल का तो आप ने प्रबन्ध कर दिया, लेकिन अगर ऐसा ही रखा जाता है विधेयक तो फिर हर जगह कोई आदमी कंटेनर मंगा कर उस को खोल कर खा सकता है, खिला सकता है, दावत दे सकता है।

श्री हुकुमसिंह—कैसे ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—वह मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिये पढ़ देना चाहता हूं धारा ५—यहां पर दिये गये अपवाद को छोड़ कर तथा समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, कोई भी व्यक्ति सिवाय ऐसे

चिकित्सकीय प्रयोजनों के निमित्त जो नियत किये जायं, किसी भी रूप में गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ न बेचेगा और न बेचने के लिये प्रस्तुत करेगा और न विकवायेगा।

यानी न बेच सकता है, न विकवा सकता है। लेकिन यह कहां कहा गया है कि वह गोमांस रख नहीं सकता या भोजन के लिये प्रस्तुत नहीं कर सकता या भोजन के लिये प्रस्तुत नहीं करा सकता। जब अपवाद में आप ने लिखा कि वायुयान के अथवा रेलवे ट्रेन के वास्तविक यात्री द्वारा उपभोग के लिये कोई भी व्यक्ति गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ बेच सकता है तथा भोजनार्थ प्रस्तुत कर सकता है अथवा बिकवा और भोजनार्थ प्रस्तुत करवा सकता है, तो आपने वायुयान के लिये रखा कि वहां भोजन के लिये प्रस्तुत कर सकता है अथवा करवा सकता है, लेकिन आप ने इसमें जो धारा ५ मूल है इसमें केवल यह कहा कि न बेच सकता है और न विकवा सकता है। तो कानून का अर्थ शब्दों पर हुआ करता है। हमारे दिल में क्या है, हमारी क्या भावनायें हैं, इससे नहीं काम चलता। कोई भी व्यक्ति आसानी से छूट सकता है गोमांस की दावत दे कर, गोमांस अपने घर में रख कर, पीपे में गोमांस रख कर वह कोई जुर्म नहीं करता। खुद खाता है और छोटे छोटे कंटेनर में मुहर-बन्द पीपों में यह गलियों में बिके, सब उस पीपे को खरीद करके उसे अपने घर में खोलकर खा सकते हैं। इसलिये यह कहना कि न बेचेगा और न बिकवायेगा। अगर बेचता है तो जुर्म होता है, अगर नहीं बेचता तो कोई जुर्म नहीं है। तो कंटेनर्स में ले जाकर के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। मैं बड़े अदब से कहूंगा कि अगर यह शुद्ध नहीं किया गया तो फिर नतीजा यह होगा कि अगर कहीं भैंसे का बध हुआ तो उसमें गाय का मांस मिलायेंगे कंटेनर्स में से खोल कर। मैं नहीं जानता कि जो इसके माहिर हैं, जानकार हैं वह परीक्षा में गोमांस और भैंस के मांस का अलग अलग निपटारा करेंगे। भैंसे के मांस में कोई गोमांस मिला दे या गोमांस के टिन को खोल दे जब कि भैंसे का मांस बेच रहे हैं दूकान में तो कैसे इसकी रुकावट हो सकेगी? स्पष्ट होना चाहिये कि गोमांस को रखना जुर्म है। स्पष्ट होना चाहिये कि गोमांस का भोजनार्थ प्रस्तुत करना या कराना जुर्म है। जब तक यह चीज नहीं होगी तब तक इसके नतायज बुरे होंगे।

मुझे तो शंका इस बात की है कि हमारे इस उत्तर प्रदेश की बाउंडरीज में जो सीमा के जिले हैं वहां बड़ी बड़ी फैक्टरियां खुलेंगी जब कि दूसरे सूबों में प्रतिबन्ध नहीं होगा। यहां से हमारे जानवर किनारे सरहद के पास ले जाये जायेंगे, यहां के लोगों द्वारा गोवध होने के बजाय उनका उसी सरहद पर वध होगा बड़ी धूम से और जब काफी मात्रा में गोमांस आने के लिये रास्ता खुलेगा तो नतायज इसके यही होंगे कि यहां के जो मारने वाले कसाई हैं वे बोर्डर के जिलों में जायंगे और वहां से कंटेनर्स में उन जानवरों का मांस लाया जायगा और यह रोजगार चालू होगा। यहां का जो चमड़े का कारोबार है वह नष्ट होगा, यहां के लोगों की जीविका नष्ट होगी और पड़ोसी के जिलों की जीविका बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेंगे और इस तरह से टिनों में भर कर के चारों तरफ गोमांस आयेगा। जहां तक रेलवे के गोमांस का सवाल है उसके बारे में मालूम नहीं। इरादा तो यह जान पड़ता है कि जो लोग बड़े बड़े सफर करने वाले हैं वह आयेंगे, बहुत से विदेशी होंगे और वैसे भी जिनको इस्तेमाल करना है जो रेलवे यात्री हों, वह इस्तेमाल करें, क्योंकि बाहर से वह कंटेनर्स में आयेगा। इसलिये रेल यात्री या वायुयान यात्री के लिये सुविधा दी गयी। रेल में मुसाफिर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाते हैं और लोग रोज के चेहरियों में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो स्टेशन पर इन कंटेनर्स का एक बड़ा अंबार लग सकता है और जिनको गोमांस खाने में एतराज नहीं है वे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाते हुए उसे खरीदेंगे और ले जायंगे। इस पर प्रतिबन्ध कैसे होगा। कैसे इस की रुकावट होगी, यह मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन यह तो माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा कि संविधान की रक्षा के लिये गोमांस का निषेध कंटेनर में बाहर से अगर किया जायगा तो कठिनाई होगी। मैं इसे स्वीकार करता हूं। कंटेनर्स में गोमांस आये, यह संविधान की रक्षा के लिये आवश्यक है, मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन प्रतिबन्ध कितना होना

[श्री द्वारिकाप्रसाद मौर्य]

चाहिये किस पर हो ताकि उसका दुरुपयोग न हो, यह तो बहुत ही गम्भीरता स विचारने की बात है ।

एक चीज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि और भी लोगों ने कहा है, दोहराने की बात नहीं है, लेकिन इन स्टेशनों को और अपने इसी उत्तर प्रदेश के स्टेशनों को गोमांस का एक बहुत बड़ा अम्बार बनाया जाय बाहर के कंटेनर्स का, यह शोभाजनक बात नहीं होगी। ये जो भोजनालय वहां हैं वे हिन्दू मुसलमान के अलग अलग भोजनालय यह जायं तब भी हमारे लिये शोभाजनक नहीं है । जब हमने हिन्दू और मुसलमान का पानी और रेस्टरां, सब का भेद मिटा दिया तो ऐसी दशा में यह लाजिमी है कि गो मांस के कंटेनर्स पृथक रेस्टरां बनाने में सहायक होंगे । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसमें संशोधन होना चाहिये और जो मौजूदा संशोधन है इससे बहुत हद तक यह बुराई दूर हो जायगी । जो विधान की बात है, अगर कोई व्यक्ति खाना चाहता है तो उसके लिये इस संशोधन से कोई रुकावट नहीं होती । इसमें विदेशी यात्री की बात है और विदेश के लोग गोमांस से परहेज नहीं करते हैं और हमारे यहां भी कुछ मजहब वाले परहेज नहीं करते हैं । तो यह आपत्ति हो सकती है कि विदेशी ही क्यों कोई भी व्यक्ति जो आये अपने साथ ला सकता है । तो जहां यात्री अपने साथ लाये वह तो एक हद तक ठीक बात मालूम होती है, लेकिन जो परिभाषा में दिया है कि प्रस्तुत किया जा सकता है भोजनार्थ गोमांस तो उसमें तो यह बात होगी कि वह खुले आम रेलवे स्टेशनों पर और वायुयानों पर बिकेगा । वायुयान पर तो यह आशंका नहीं हो सकती कि बहुत बड़ी तादाद में बिक गा, लेकिन रेलवे स्टेशनों पर ये कंटेनर्स धड़ाके से बिकेंगे और खुल कर बिकेंगे। वैसे तो ये कंटेनर्स बाजारों में बहुत बड़ी तादाद में बिक सकते हैं । इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो यह कठिनाई दूर हो जायगी। अगर माननीय मन्त्री इस बात से सहमत हुये हों कि धारा ५ में भोजन करने, कराने, प्रस्तुत करना या रखना भी गोमांस का जुर्म समझा जाय तो मैं उस प्रकार का संशोधन दे दूंगा और उसे वे स्वीकार कर लें तो बहुत हद तक इसमें सुधार हो जायगा ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चतुर्वेदी जी ने जो तरमीम पेश की है मैं उसकी ताईद करता हूं । मेरे ताईद करने का दृष्टिकोण यह है कि जिस मकसद और उद्देश्यसे सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है वह इस तरमीम के मान लेने से ही पूरा होता है । जैसा कि मौर्य जी ने बतलाया है, अगर सरकार यह चाहती है कि हमारे प्रदेश में गोवंश की रक्षा हो, बैल सस्ते मिलें, दूध हमारे प्रदेश के रहने वालों को पर्याप्त मात्रा में मिले, तो गोवंश की रक्षा अवश्य होनी चाहिये, लेकिन इसके पहले आम बहस में एक प्रश्न उठाया गया था कि जो अलाभकर पशु होंगे उनका क्या होगा ? व्यावहारिक रूप मेंइस तरमीम के न मानने से यह नतीजा होगा कि जितने अलाभकर पशु होंगे वे हमारे प्रदेश से सटे हुये सूबों के पास के जिलों में जायंगे, वहां पर वे कटेंगे और फिर इस कानून के मातहत गोमांस पीपों में बंद कर के हमारे प्रदेश में आयेगा और लोग उसको इस्तेमाल करेंगे । अगर सचमुच माननीय मंत्री जी का और उनकी सरकार का यह मतलब नहीं है कि इस विधेयक को पेश कर के कुछ लोगों को तुष्ट भी किया जाय और कुछ लोगों का काम भी न रुके या एक तीर से दो शिकार मारने का मतलब नहीं है तब इस तरमीम को मान लेना चाहिये अन्यथा जिस उद्देश्य से यह विधेयक पेश किया गया है और जिसकी घोषणा बड़े जोरदार शब्दों में माननीय मंत्री जी ने सदन में की है वह हर्गिज पूरा नहीं होगा । तब उस बड़े पैमाने पर गोमांस का आयात रोकने के लिये फिर एक नया विधेयक पेश करना होगा और उस के लिये बहुत भारी मशीनरी तैयार करनी होगी जो हमारे प्रदेश के तमाम सीमान्त हिस्सों में रखवाली का काम करेगी जो सरकार के लिये और जनता के लिये एक बोझा का विषय हो जायगा । इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस तरमीम को ठंढे दिमाग से सोचकर स्वीकार करना चाहिये । जब कि

अखिल भारतीय पैमाने पर कोई ऐसा विधेयक नहीं बन रहा है और जैसा कि यहां के इस विधेयक की चर्चा सुन कर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जो हमारे देश की सरकार के प्रधान मंत्री हैं, अपने भाव प्रकट किये थे जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, उसको देखते हुये अन्य प्रान्तों में इस तरह का विधेयक तो जल्दी आने की जरा भी कोई आशा नहीं है। तो फिर एक प्रान्त में इस विधेयक को पास करने से मैं समझता हूं कि कोई मतलब हल नहीं होगा। यह तो उसी प्रकार से होगा जैसे एक आध जिले में शराबबन्दी कर दी जाय और बाक़ी में न हो तो उसका नतीजा यही होता है कि स्मगलिंग बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है। इन चीज़ों को देखते हुये माननीय मंत्री जी इस पर गौर करें। मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी का उद्देश्य यही है कि गो वंश की रक्षा हो और हमारे देश में पशुधन बढ़े। हमारे यहां पशुधन किसानों को सस्ता प्राप्त हो सके और दूध प्राप्त हो और दूध से बनने वाली चीजें सस्ती और आसानी से प्राप्त हों तो इस तरमीम पर गौर करना चाहिये। जहां तक विदेशियों का प्रश्न है, जो गाय-मांस खाते हैं, चाहे इसलिये कि सस्ता मिलता है या इसलिये कि उसमें चर्बी अधिक होती है, उतके लिये जरूर अपवाद स्वरूप यह चीज रखी जानी चाहिये और वह संशोधन में रखी गयी है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरमीम को मान लेने से विधेयक का असली मकसद पूरा होगा।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी ने रखा है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इस धारा के ऊपर जो संशोधन आया यदि उसको पढ़ा जाय तो यह मतलब निकलता है कि गो मांस का तात्पर्य गाय के मांस से है, किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में किसी यात्री द्वारा केवल अपने ही उपयोग के लिये मुहरबंद पीपों (Containers) में लाया हुआ मांस नहीं है। श्रीमन्, जहां तक मैंने और प्रदेशों जहां कि गोवध बंद है, जैसे कि राजस्थान में, तो जो सरकार ने यहां पर स्पष्टीकरण रखा है यह न भी रखा जाय तो कोई हर्ज नहीं होगा। अगर मंत्री जी देखें तो मालूम होगा कि जिन प्रदेशों में गोवध बंद हुआ है वहां वह इतने डिटेल्स में नहीं गये हैं कि बाहर से वह कैसे इम्पोर्टेड होता है और इसकी आवश्यकता नहीं थी। मैं समझता हूं कि मंत्री जी या तो पूरे खंड २ (क) को निकाल दें या जो संशोधन रखा है उसको मान लें इससे उनका तात्पर्य पूरा हो जायगा। बाहर से यात्री लोग आते हैं या एम्बेसी आते हैं तो उनके लिये यह संशोधन स्वीकार कर लें, अन्यथा मैं तो कहूंगा कि अगर वह कतई न रखें तो कोई हर्ज नहीं होगा।

श्री राजाराम मिश्र (जिला फैजाबाद)—श्रीमान, उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। जिस प्रकार से धारा २ का (क) खंड इस समय है उसमें गाय-मांस की जो परिभाषा दी गयी है वह इस प्रकार है कि "गोमांस का तात्पर्य गाय के मांस से है, किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में आयात किया गया (इम्पोर्टेड) मोहरबन्द पीपों में (कंटेनर्स) में रखा हुआ गोमांस नहीं है।" अर्थात् जैसी इस समय गोमांस की परिभाषा है उसमें इस प्रदेश में बाहर से मोहरबंद पीपों में मंगाया गया गाय मांस शामिल नहीं है। धारा ५ में गाय के मांस के बेचने पर तो प्रतिबन्ध है जैसा कि इस विधेयक की धारा का तात्पर्य है। उसमें यह हो सकता है कि गाय मांस का बेचना बन्द कर दिया जाय, परन्तु जो बाहर से पीपों में भरा मुहरबंद मांस आता है उसका यहां पर आना कई गुना बढ़ जाय और जितना इस समय बाहर से गाय का मांस आता है वह कई गुना बढ़ सकता है। उस हालत में हमारे प्रदेश के वे लोग जो इस विधेयक के प्रतिकूल हैं, जो इस समय गाय के मांस का उपयोग करते हैं, वह मुहरबन्द पीपों के जरिये कर सकते हैं और इस प्रकार से इस विधेयक की अवहेलना हो सकती है। इस संशोधन में रखा गया है कि गोमांस की परिभाषा के अन्दर केवल वही गाय-मांस जो मुहरबंद पीपों में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजाराम मिश्र]

किसी विदेशी यात्री द्वारा केवल उसके उपभोग के लिये लाया गया हो, शामिल न किया जाय। मैं समझता हूं कि विदेशी यात्री जो इस देश में आये हुये हैं और जो कि शायद दूसरी प्रकार से न रह सकें, वह मुहरबंद पीपों (कन्टेनर्स) में लाया गया गोमांस इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिये यहां पर एक्सेप्शन किया जा सकता है। मैं यह समझता हूं कि जो संशोधन किया गया है वह आवश्यक है। मैं सरकार से और माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब इस संशोधन को देखा जाता है और इस विधेयक की धारा २ खंड (क) को देखा जाता है तो उसको देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि इस विधेयक के पास होने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं यह कहता हूं कि यह कहावत की तरह से होगा कि "खोदा पहाड़ निकली चुहिया" ऐसा कहूं तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। श्रीमन्, यह कहना भी गलत है कि और प्रदेशों ने गोबध पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। मैं कल श्री लक्ष्मीरमण आचार्य जी का भाषण बहुत ध्यान से सुन रहा था और आज भी कई सदस्यों ने कहा कि यह पहला प्रदेश है, जहां पर गोबध पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। माननीय सदस्य अगर गो सम्वर्धन समिति की रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो उनको मालूम होगा कि ऐसी बात नहीं है, जिसकी कि माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने बहुत तारीफ की है और कहा है कि गांधी जी के वाक्य पर अमल किया जा रहा है, जिसको गांधी जी ने कहा था कि मैं स्वराज्य को छोड़ दूंगा और गोबध की रोक को पसन्द करूंगा। मैं आपके जरिये से माननीय सदस्यों से कहूंगा कि माननीय सदस्य पेज ६४ को देखें तो मालूम होगा कि उसमें लगभग १० प्रदेश ऐसे हैं जहां पर इस तरह के अधिनियम बने हुये हैं। मध्यभारत और बरार में भेड़ बकरी के बध पर भी रोक लगी हुयी है। श्रीमन् यही नहीं माननीय सदस्य को जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें यह भी लिखा हुआ है कि मुगल शासन काल में भी काफी समय तक इस प्रकार का नियम था कि गोबध न हो और हाल की परिस्थितियों से विवश होकर सिंध और पश्चिम बंगाल की सरकार ने गोबध पर प्रतिबन्ध लगाना जरूरी समझा। जब सिंध की सरकार तथा पश्चिमी बंगाल की सरकार इस पर प्रतिबन्ध लगा सकती है तो फिर इस सरकार को बधाई देने की जो नौबत आती है तो मैं हैरत में पड़ जाता हूं कि सरकार को कैसे लोग बधाई देते हैं। श्रीमन्, मैं इस बात को कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाता हूं कि यह विधेयक जो लाया गया है वह डर के मारे लाया गया है, नहीं तो बहुत पहले इस विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिये था। यह संशोधन लक्ष्य की पूर्ति तो पूर्ण रूप से नहीं करता है, लेकिन यह बात सही है कि जो असली विधेयक की धारा २ के उपखंड (क) के मुंह पर ताला बन्द करता है। मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि जब श्री चतुर्वेदी जैसे सज्जन एवं सरकारी पक्ष के संशोधन लाये हों तो इसको माननीय कृषि मंत्री को स्वीकार करना ही चाहिये और इतना सदन का समय जो व्यय किया जा रहा है मैं नहीं समझता कि वह क्यों किया जा रहा है। अभी जब मैंने माननीय कृषि मंत्री जी के भाषण को सुना और बहुत से माननीय सदस्यों के भाषणों की उसमें टीका टिप्पणी की गयीं तो मैं कहता हूं कि क्या वे ही टीका टिप्पणी कृषि मंत्री पर भी लागू नहीं हैं। मैं समझता हूं कि वही बात माननीय कृषि मंत्री जी पर भी लागू है और सही मानों में अगर वे गो मांस की उन्नति चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि गोवंश की उन्नति से उनका देश और प्रदेश भी समुन्नत होगा और अगर आप यह भी ख्याल करते हैं कि इससे किसी के डर या बहुत बड़ी आबादी वाली जाति या धर्म को ठेस पहुंचने वाली नहीं है तो मैं यही कहूंगा कि वे शंभूनाथ चतुर्वेदी जी के संशोधन को स्वीकार कर लें। ऐसे लोग जो बाहर से आते हैं, जिनके खाने पीने, रहन-सहन पर हम कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते, इसका हमको अधिकार भी नहीं है, लेकिन अपने प्रदेश के रहने वालों पर तो प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। जब आपकी और संविधान की यह सदिच्छा है कि इस तरह की रुकावट डाली जाय तो माननीय कृषि मंत्री जी को सहर्ष संशोधन स्वीकार करना चाहिये।

*श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री शंभूनाथ जी चतुर्वेदी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि विदेशी शब्द से मतलब यह है कि जो दूसरे देश से आये हों, लेकिन भारत का रहने वाला कोई भी आदमी विदेशी नहीं है चाहे वह गोआ में बसता हो या पाकिस्तान में बसता हो, वह भारतवासी है। मैं समझता हूं कि भारतवासी कोई भी विदेशी नहीं है। मेरा मतलब इससे यह है कि अरब से आया हुआ या किसी और देश से आया हुआ अगर कोई आदमी हो तो वह विदेशी शब्द के अन्तर्गत आ सकता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी के संशोधन का समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस हाउस के मत को जान गये होंगे और इसको जान कर वे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। हम समझते हैं कि माननीय मंत्री जी को इसके मानने से कोई हर्ज नहीं होगा।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, इन संशोधनों को जो २ पर आये हैं, देखने से पता चलता है कि १ से लेकर १४ (ख) तक बहुत से संशोधन इस खंड पर आये हैं। कुछ संशोधन ऐसे हैं, जो साफ तौर से "किन्तु" के बाद आने वाले शब्दों को रखने से मना करते हैं। वे कहते हैं उनको निकाल दिया जाय और कुछ संशोधन ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि कंटेनर में जो मांस बाहर से आता है उसको निकाल दिया जाय। मैं समझता हूं कि गो मांस की जब हम डैफनीशन करते हैं, तारीफ करते हैं, तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि गो मांस क्या चीज है और क्या प्रतिबन्ध उसके ऊपर हमें लगा देना चाहिये। अगर हम इसको विचारपूर्वक देखें तो हमें पता लगेगा कि जिस उद्देश्य से हमने इस बिल को बनाया है, अगर हम "किन्तु" के बाद का वाक्यांश रखते हैं तो उससे हमारे इस बिल को बनाने का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। अगर आप कंटेनर्स में आये हुये विदेश के मांस को गो मांस से अलग कर देते हैं तो उसका नतीजा हम यह समझते हैं कि उससे हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति पर बड़ा भारी असर पड़ेगा और हमारे यहां विदेश से एक दूसरे प्रान्त से किसी न किसी रूप में बहुत सा गो मांस आयेगा। और जो हमारा उद्देश्य है गोवध को अपने प्रान्त में खतम करने का, अगर हम गोमांस को अपने यहां आने की इजाजत दे देते हैं तो इसका एक नतीजा जो मैं समझता हूं बड़ा खराब है हमारे सामने आ रहा है। हमारे आस पास के जितने प्रान्त हैं जिसमें हम नहीं कह सकते कि गोवध निषेध होगा या नहीं होगा या जिनमें कुछ समय लग जायगा, इसका नतीजा यह होगा कि जो हमारी अच्छी अच्छी गायें हैं वे दूसरे प्रान्तों में जा कर कटने लगेंगी जो असली बिल में रखा गया है कि बाहर से उत्तर प्रदेश में आयात किया हुआ, जो गोमांस है वह गोमांस की तारीफ में नहीं आता, मैं समझता हूं कि वह तो बहुत ही हानिकारक है और हमारे प्रान्त और आसपास के दूसरे प्रान्तों में मिले हुये जो जिले हैं उनके ऊपर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा अधिक पड़ने वाला है और वह प्रभाव ऐसा होगा, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। अभी भी हम यह देखते हैं कि जो जिले दूसरे प्रांत से मिले हुये हैं, वहां से अच्छी अच्छी गायें और अच्छे अच्छे बैल और बछिया वगैरह दूसरे प्रान्तों में चली जाती है और उसका एक कुप्रभाव हमारे उन इलाकों पर यह पड़ता है कि हमारे यहां अच्छी अच्छी नस्ल की गायें या अच्छे अच्छे नस्ल के बैल नहीं रह पाते। तो अगर हम अपने प्रान्त में दूसरे प्रान्त से आये हुये चाहे वह कंटेनर सीलबन्द हों या किसी भी प्रकार का गोमांस हो, अगर हम अपने यहां उसकी आज्ञा देते हैं तो उसका कुप्रभाव हमारे आसपास के जिलों में जो दूसरे प्रान्तों से मिले हुये हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा पड़ने वाला है। मैं मान सकता हूं कि ऐसे जिले जो हमारे अपने सूबे के बीच में पड़ते हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव उतना अधिक न पड़े, लेकिन जो ऐडज्वायनिंग डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं, जो आस पास मिले हुये जिले हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। रही बात यह कि एक विदेशी आदमी हमारे यहां आवे और बाहर से गोमांस लावे और उसका इस्तेमाल करे उसके लिये यह है कि अगर कोई यात्री बाहर से आवे और उसके देश में उसका कोई सोशल कस्टम या कानून ऐसा हो जो हमारे प्रान्त में न हो तो जब वह हमारे प्रान्त में या हमारे देश में आवे तो उसको यहां के कानून को मानना होगा। हम यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवन्तसिंह]

जानते हैं कि संसार में बहुत से ऐसे देश हैं जहां भिन्न भिन्न प्रकार के कानून हैं। अगर हम उसकी आज्ञा उसके लिये अपने देश में देते हैं तो मैं समझता हूं कि वह हमारे देश में गैरकानूनी है और यह अवांछनीय भी है। इसलिये अगर कोई विदेशी यात्री यहां आवे और अगर वह हमारे देश के कानून के खिलाफ बर्ताव करना चाहे तो हम अपने देश के अन्दर इस प्रकार की आज्ञा नहीं दे सकते हैं। इसलिये यह जो रखा गया है, बाहर से आने वाले यात्रियों के लिये रखा गया है कि वे बाहर से लाये हुये गोमांस का इस्तेमाल करें, मैं समझता हूं कि यह हर प्रकार से अनुचित है और हम इस बात को मानने के लिये हरगिज भी तैयार नहीं हो सकते कि जो हमारे देश के बनाये हुये कानून हैं उनका ठीक से पालन न हो। हम चाहते हैं कि जो यात्री बाहर से हमारे प्रान्त में आवें वे यहां के बनाये हुये कानून का पूर्णतया पालन करें वरना ऐसे यात्रियों को हम अपने देश या प्रान्त में आने की कोई आज्ञा नहीं दे सकते। इसलिये जो विदेशी यात्री यहां आवें और अपने साथ मुहरबन्द पीपे का गोमांस लावें तो अगर हम उनको इसकी आज्ञा दे देते हैं तो मैं समझता हूं कि यह हमारी एक कमजोरी की बात होगी और यह किसी भी प्रकार से वांछनीय नहीं होगा। किसी भी प्रकार से इस बात की आज्ञा नहीं देनी चाहिये। तो इसलिये मैं सदन के सामने विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमें साफ तौर पर यह तय करना चाहिये कि गोमांस गोमांस है चाहे वह पीपे में बाहर से मंगाया जाय, चाहे अपने प्रान्त में हो या कहीं और का हो, और उनको अपने प्रान्त में लाने की किसी भी प्रकार से इजाजत नहीं देनी चाहिये। इसका एक और कुप्रभाव हो सकता है। जिस तरह से आजकल इल्लिसिट शराब इस्तेमाल करना कानून के खिलाफ है, उसी तरह से इसमें भी इल्लिसिट गोमांस चलेगा और मुकद्दमेबाजी बढ़ेगी। आजकल इस प्रकार से बड़ी मुकद्दमेबाजी होती है कि यह शराब इल्लिसिट है या यह शराब असली शराब है। तो इसलिये अब इस बात का सवाल पड़ेगा कि अगर कंटेनर में भरा गो मांस आता है तो वह एक बार में ही सारा पीपा इस्तेमाल नहीं हो जाता, उसका थोड़ा बहुत हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है और हो सकता है कि बाकी जो हिस्सा पीपे में रह जाय वह किसी के पास रह जाय तो इस तरह के बहुत से मुकद्दमेबाजी के सवाल पैदा हो सकते हैं कि वह जो बचा हुआ मांस है वह सीलबन्द कनटेनर का है या यहीं की मारी हुयी गौ का है। इसलिये जब हम ने यह तै किया है कि हमारे यहां गौ वध नहीं होगा और न गौ का मांस इस्तेमाल हो सकेगा तो हम को साफ तौर से आना चाहिये और किसी भ्रम में न पड़ना चाहिये और किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाना चाहिये। हमारा भाव किसी को या किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने का नहीं है। हम जानते हैं कि किसी के धर्म में गाय को या किसी भी जानवर के मांस को खाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जहां-जहां जिस-जिस देश में वहां की परिस्थितियां होती हैं उन्हीं के अनुसार किसी देश में जानवरों को मारना या गोश्त खाना प्रचलित हो जाता है। अगर हम कहीं की एकनामिक स्थिति के हिसाब से समझते हैं कि इस देश में या प्रदेश में अमुक जानवर को मारना अहितकर है तो हम इस प्रकार का कानून लाने का अधिकार रखते हैं। आज गाय इस देश के लिये इतनी उपयोगी है कि हमें उसका वध न करना चाहिये। इसलिए हमें साफ तौर से तय करना चाहिये कि कोई गोश्त चाहे हमारे प्रान्त में मार कर बनाया गया हो या कहीं बाहर से लाया गया हो यहां इस्तेमाल नहीं हो सकता और न हमें उसकी आज्ञा ही देनी चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना गैर मुनासिब है और हमें कतई तौर से और साफ तौर से तय करना है कि गो मांस, चाहे वह गाय का, बैल या बछड़े–बछिया का गोश्त हो, चाहे वह यहां तैयार हुआ हो या कनटेनर में कहीं से लाया गया हो वह नाजायज होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो प्रतिबन्ध "किन्तु" से आगे है वह सब ही निकाल दिया जाय। इसलिये मैं इस खंड का जो प्रतिबन्ध है उसका भी और जो हमारे भाई साहब का संशोधन है दोनों का ही विरोध करता हूं।

*श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बलवंत सिंह के इस विचार से सहमत हूं कि इस खंड का पिछला अंश जो "किन्तु" से आगे है वह हटा दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय। अगर सरकार इसको स्वीकार नहीं करती तो संशोधन में और जो मूल धारा है उसमें कोई अन्तर नहीं रह जाता। अगर आप गौसम्वर्धन कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो उस से ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो दूसरे प्रदेश हैं उनमें गोवध पर पहले से ही पाबन्दी है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में भी बन्द किया जा रहा है। ऐसी अवस्था में जब उसका यहां आयात हो ही नहीं सकता तो वह आयेगा तो केवल उन्हीं प्रदेशों से आयेगा जहां पाबन्दी नहीं है या विदेशों से आयेगा या कहीं दूर के प्रदेशों या देशों से आयेगा, तो ऐसी हालत में इस संशोधन की मूल धारा से विरोध नहीं पड़ता है। इसलिये अच्छा हो कि "किन्तु" के बाद के सारे वाक्यांश को ही हटा दिया जाय।

श्री हुकुमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय दीन दयालु जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने सदन को बताया कि इस प्रदेश की सीमा पर जो दूसरे प्रदेश हैं वहां पर गौवध पर प्रतिबन्ध लग चुका है। इसके होते हुये हमारे मित्र मौर्य जी की जो बहस थी और जो उनके खतरात थे वह नजर के सामने दिखायी नहीं पड़ते। मैंने अपने दूसरे मित्रों की भी तकरीरें सुनीं और श्री बलवन्त सिंह जी की तकरीर को खास तौर से बड़े गौर से सुना, इसलिये कि उन्होंने सबसे ज्यादा वक्त लिया, लेकिन उनकी तकरीर का जो उद्देश्य था वह यह था कि गोमांस के मांसाहारियों को मांस खाने से रोक दिया जाय। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य गोवध रोकना है, मांसाहारियों को शाकाहारी बनाना नहीं है। ऐसी सूरत में हमारे मित्र की जो सारी तकरीर है वह निशाने से बिलकुल दूर और जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों का संकेत मैंने अभी अपनी तकरीर में भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो चाहते हैं कि तरमीम स्वीकार की जाय। स्वीकार करने में हमारा यह विधेयक जरूर खतरे में पड़ जायगा। मैं समझता हूं कि हर कानूनी मसले पर दो रायें हो सकती हैं और अगर ऐसा न हो तो एक मुकदमे में दो वकील दोनों तरफ से बहस न कर सकें और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने दोस्त भाई बलवन्त सिंह जी को समझाने के लिये कह रहा हूं। खुशकिस्मती से वह भी वकील हैं और मैं भी वकील था और हमारी बात को समझने में उनको आसानी होगी और मुझे भी उनको समझाने में आसानी होगी। ऐसा कोई काम करना ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक के लिये जिससे वह विधेयक ही खुद खतरे में पड़ जाय, कहां तक बुद्धिमत्ता की बात होगी। जो संशोधन है वह यह है कि विदेशी यात्रियों के लिये कर दिया जाय और जो इस देश में रहते हैं मांस खाने के आदी हैं उन पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना संविधान के कहां तक मुआफिक होगा यह तो साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन होगा कि किसी के लिये एक कानून बनाते हैं और किसी के लिये दूसरा कानून बनाते हैं? यहां के रहने वालों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं, विदेशियों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाते हैं। यह डिस्क्रिमिनेशन है और यह फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। लिहाजा ऐसी शक्ल में इस तरमीम की आवश्यकता नहीं है और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर एजेंडा देखा जाय तो हमारे भाई जी को एक दिक्कत है कि कंटेनर में आयेगा, घर घर जायेगा, स्टेशनों पर ढेर लगेगा और लोगों के सामने परस दिया जायगा और सब खाते रहेंगे, लेकिन मैंने एक तरमीम दी है जो ४९ वें आइटम पर दर्ज है और उसमें ट्रान्सपोर्ट तक मना है एक्सेप्ट फार मेडिसिनल परपेजेज टु बि स्पेसीफाइड। वह आफिशियल अमेंडमेंट है। उसमें हम ट्रांसपोर्ट भी बन्द किये देते हैं। तो अब ऐसी सूरत में इस तरमीम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो खतरा था वह रफा हो जायगा। मैं कोई जिद नहीं करता कि नहीं मानूंगा मैंने ठान लिया है, कुछ वजहात हैं जिनको संक्षेप में मैंने कह दिया। तो ऐसी सूरत में ऐसी तरमीम लाकर मेरे हाथ को बांध दिया जाय और सारे कानून को खतरे में डाल दिया जाय यह कहां तक ठीक होगा। इसलिये मैं अपने भाई शम्भूनाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि वे मेरी बातों पर फिर सोच लें और सोच कर इस तरमीम को वापस लें। मैं आशा करता हूं कि मेरी इस दरख्वास्त को अवश्य स्वीकार करेंगे और सदन भी वापस लेने की इजाजत दे देगा।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मंशा कतई नहीं है कि मेरी किसी तरमीम से यह बिल खतरे में पड़ जाय। मैंने इस विधेयक को अच्छी तरह से समझा है और उसमें

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

जो संशोधन लाया उसका एक तात्पर्य था। मैं यह समझता हूं कि इस विधेयक में यह गुंजाइश है कि कोई आदमी अपने इस्तेमाल के लिये गौमांस भी ला सकता है और खा भी सकता है। कोई प्रतिबन्ध इस विधेयक में इसके लिये नहीं है। यह ठीक ही है लेकिन मुहरबंद पीपों में आया हुआ मांस बाजार में बिक भी सकेगा। उसका खरीदा जाना और बेचा जाना उस वक्त तक होता रहेगा जब तक मुहर लगी है और घर ले जाकर उसे खाया जा सकता है। मैंने इस संशोधन द्वारा इस चीज को रोकने की कोशिश की है। शास्त्री जी ने जो बात कही वह सही है। इसमें सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। इसको दूसरे ढंग से इसमें रक्खा जाय यानी पीपों वाला क्लाज निकाल दिया जाय जैसा माननीय रणंजय सिंह का या दूसरों का संशोधन है तो उसमें वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ शब्दों की बात है। जो संशोधन मैंने ५ वें क्लाज में दिया है जो नं० ४० पर अंकित है उसे रखने से सब बातें पूरी हो जाती हैं और जो हमारे माननीय मंत्री जी के ध्यान में हैं, लेकिन अगर फिर भी दिक्कतें हों जिससे बिल खतरे में पड़ जाय तो एक बड़े आब्जेक्टिव के लिये मुझे इस संशोधन के वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात पर अवश्य विचार कर लें। यह डेफिनीशन जो है यह पंचु सी मालूम होती है। इससे शायद कुछ और थोड़ी दिक्कतें आयें. इसलिये अगर इस गौ मांस की डेफिनीशन को वैसे ही रहने दिया जाय और आगे जो संशोधन खुद लाने वाले हैं उसके द्वारा इसको परिवर्तित किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री उम्मेदसिंह (जिला गोंडा)—आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ का उपखंड (क) निम्नरूप में रख दिया जाय:—

"गोमांस का तात्पर्य हर प्रकार के गोवंश के मांस से है और इसके अन्तर्गत मुहरबंद पीपों में उत्तर प्रदेश में लाया हुआ मांस भी है।"

उपाध्यक्ष महोदय, गोमांस गोमांस है चाहे वह मुहरबन्द पीपों में हो चाहे जिस तरीके से हो। लिहाजा गोमांस की परिभाषा में इस प्रकार रखना इससे कोई संविधान की रक्षा नहीं होती। संविधान की रक्षा होनी चाहिये। मैं भी इससे सहमत हूं। संविधान के खिलाफ कोई भी बात नहीं होनी चाहिये। लेकिन डेफिनिशन में इस तरह से तोड़मरोड़ करना यह मेरी समझ में नहीं आता कि इससे संविधान की कैसे रक्षा होती है। मैंने जो यह संशोधन पेश किया, उसकी मंशा हमारी यह थी कि हमारे प्रदेश में गोवध बिल्कुल बन्द किया जाय। तो अगर मुहरबन्द पीपों में गोमांस आने की इजाजत है तो उससे बहुत सी खराबियां पैदा होती हैं, बहुत सी करप्ट प्रैक्टिसेज हो सकती हैं। यहीं पर बहुत से शरारती लोग या बहुत से ऐसे लोग जो गोवध करना चाहते हैं वह छिपे छिपे गोवंश या गाय को बध कर के पीपों में सील करके बन्द कर सकते हैं। अगर सरकार की यह मंशा है कि हमारे प्रदेश में गोवध कतई बन्द किया जाय जिस तरीके से सीताराम कमेटी की सिफारिश है। तो इस परिभाषा से वह मतलब हल नहीं होता। इस डेफनीशन से छिपे छिपे लोग गोहत्या करेंगे और मुहरबन्द पीपों में बन्द करके उसकी तिजारत करेंगे। इस प्रदेश के अन्दर सब को गोमांस खाने की छूट है। जो चाहे गोमांस खा सकता है। शाकाहारी बनाने का उद्देश्य नहीं है। बल्कि सरकार का उद्देश्य गोरक्षा करना है। उस उद्देश्य की पूर्ति इस परिभाषा से नहीं होती। छूट जरूर देनी चाहिये। लेकिन गोमांस की इस तरह से परिभाषा करना, तोड़मरोड़ से इससे न संविधान की रक्षा होती है और न गोरक्षा होती है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुमसिंह--इस तरमीम के खिलाफ भी मेरी वही उक्तियां हैं जो कि श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी के तरमीम के सम्बन्ध में कहीं। इसलिये मैं और ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उम्मेदसिंह--मैं वापस लेने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री हुकुमसिंह--मैंने कहा भी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ का उपखंड (क) निम्नरूप में रख दिया जाय--

"गोमांस का तात्पर्य हर प्रकार के गोवंश के मांस से है और उसके अन्तर्गत मुहरबन्द पीपों में उत्तर प्रदेश में लाया हुआ मांस भी है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस समय जो यहां पर संशोधन रखना चाहता हूं वह यह है--

खंड २ के उपखंड (क) की पंक्ति १ के शब्द "के" तथा "मांस" के बीच में शब्द "और उस के वंश के" रख दिये जायं।

यदि माननीय श्रीचन्द्र जी उस समय उपस्थित होते जब कि उनका नाम . . .

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--ग्रान ए प्वाइंट आफ आर्डर। यह संशोधन आ नहीं सकता। गाय की परिभाषा में वंश तो आ ही जाता है।

श्री रणंजयसिंह--यदि श्रीचन्द्र जी का संशोधन आ गया होता तो (क), (ख) बदल जाने से स्पष्ट हो जाता। लेकिन जहां पर गाय की परिभाषा की गयी है कि गाय के अन्तर्गत सांड इत्यादि सब आ जाते हैं वह (ख) में है और यह (क) में है। इससे पहले आया हुआ है इसलिये आवश्यकता इस बात की पड़ती है कि इसमें वह शब्द जोड़ दिये जायं। "ख" जो है उस पर भी आगे विचार होगा। यदि "क" "ख" हो गया होता और "ख" "क" हो गया होता तो इसकी आवश्कयता नहीं थी, लेकिन परिभाषा गाय के वंशज की आगे की गई है और इसलिये मैंने यह प्रश्न उठाया है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर विचार करते समय भवन में शान्ति होनी चाहिये। यहां पर इतनी बातचीत हो रही है कि यहां पर ठीक सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर परिभाषा पहले आ गई होती तो इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर यह शब्द जोड़ दिये जायं तो स्पष्ट हो जायगा और इसी उद्देश्य से मैं यह संशोधन लाया हूं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय रणंजय सिंह जी ने रखा है, मैं उसको अनावश्यक समझता हूं और इसलिये उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अगर इस विधेयक को देखा जाय तो माननीय रणंजय सिंह जी का मंशा केवल यह है कि गोमांस के तात्पर्य में गाय के वंशजों को भी रख दिया जाय। लेकिन जहां पर गाय की परिभाषा की गयी है वहां पर यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि गाय का क्या अर्थ होगा। आप देखेंगे कि खंड २ के (ख) में गाय के अन्तर्गत सांड, बैल, बछिया अथवा बछड़ा सब आ जाते हैं। इस तरह से यह अर्थ साफ हो जाता है कि जिन वंशजों की ओर उसका संकेत है वह उसमें आ जाते हैं और इसलिये मैं इस संशोधन की आवश्यकता नहीं समझता और इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इसे वापस ले लें।

श्री हुकुमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मित्र जरा खंड २ की पहली पंक्ति को पढ़ें, "विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में" फलां लफ्ज लव्ज के यह माने होंगे। तो गाय की जो डेफिनीशन दी है उसमें गाय के अन्तर्गत सांड, बैल, बछिया, अथवा बछड़ा (bull,bullock, heifer or calf) है। तो जहां जहां गाय शब्द का प्रयोग होगा उसका मतलब इन सब से हो जायगा। कानून के यह माने हैं। तो ऐसी सूरत में इन लव्जों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है और मैं उम्मेद करता हूं कि हमारे मित्र अपने इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री रणंजयसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह स्वभाव रहा है कि जो कुछ उचित प्रतीत होता हो उसे मान लिया जाय। मैं कभी आग्रह नहीं करता।.....

श्री हुकुमसिंह—तभी मैंने आप से कहा, भाई उम्मेद सिंह जी से नहीं कहा।

श्री रणंजयसिंह—मैंने यह संशोधन जिस अभिप्राय से रखा था उसे आपके सामने स्पष्ट कर दिया। और अगर वह मतलब पूरा हो जाता है तो मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसे वापस किया जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रणंजयसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन यहां पर रखता हूं कि "खंड २ के उपखंड (क) की पंक्ति १ के शब्द "है" तथा शब्द "किन्तु" के बीच का अर्ध विराम हटा कर उस के स्थान पर पूर्ण विराम रख दिया जाय और उस के बाद का वाक्यांश निकाल दिया जाय।"

श्रीमन् जी, "किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में आयात किया गया मुहरबन्द पीपों में रखा हुआ गोमांस नहीं है।" इसको मैं निकालना चाहता हूं। यदि पीपों में रखा हुआ मांस गोवंश का मांस न होता तो दूसरी बात थी, लेकिन गोमांस तो चाहे पीपों में रखा हुआ हो अथवा खुला हुआ उसका अर्थ गोमांस से ही होता है। तो इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे मुझे इस संशोध को वापस लेने की आज्ञा न दें। क्योंकि गोमांस से यह अभिप्राय नहीं होता कि पीपों में बंद गोमांस, गोमास नहीं है।

इसलिये मैं यह समझता हूं कि कुछ थोड़ा सा परिवर्तन कर दें तो ठीक है। इन शब्दों के साथ में चाहता हूं कि यह शब्द ठीक नहीं हैं।

श्री हुकुमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी हमें दिक्कत है, वही सब दिक्कतें हैं, क्योंकि आगे जो हमने विधेयक में खंड रखे हैं उन खंडों को फिर इसी लाइट में बदलना पड़ेगा और उनकी तरमीम संविधान के खिलाफ पड़ेगी। इसलिये मैं मंजूर नहीं करता।

राजा वीरेन्द्रशाह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी के उत्तर से संतोष नहीं हुआ कि उनको चूंकि और खंड बदलने पड़ेंगे इस वजह से यह ठीक नहीं होगा। मुझे यह कहना है कि जिन २ साहबों ने संशोधन पर वक्तव्य दिया है "किन्तु" के बाद जितने शब्द हैं वे व्यर्थ हैं उससे सिवाय एक जटिल समस्या पैदा होने के और कोई चीज हानिकारक नहीं होगी न यह होगा कि जिससे आप को यह कहने का मौका मिले कि यह संविधान के खिलाफ़ पड़ेगा। सिर्फ जो हम लोगों का भ्रम है वह दूर हो जाता है और विधेयक का कुछ नुक्सान नहीं होता। मैं समझता हूं कि मंत्री जी को इसको स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसी आशय का एक संशोधन दिया है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो कठिनाइयां संविधान की बतायी हैं उन कठिनाइयों को देखते हुये यह तो नहीं कहा जा सकता कि मुहरबन्द पीपों में जो बाहर से आये वह आना भी बन्द कर दिया जाय। यह जरूर दिक्कत मंत्री जी ने बतायी

वह सही मालूम होती है। लेकिन मैं फिर इस संशोधन की रोशनी में उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मुहरबन्द पीपों में आया हुआ गोमांस नहीं है तो मुहरबन्द जब तक है तब तक उसे जहां भी चाहे कोई ले जा सकता है, जहां भी चाहे उसे बेच सकता है क्योंकि गोमांस की परिभाषा में नहीं है। मुहरबन्द पीपे केवल खोल कर स्टेशन पर ही बेचे जा सकते हैं और जगह खोलकर नहीं बेचे जा सकते हैं। यह बात हर एक जो माननीय सदस्य कानून के जानने वाले खास तौर पर और वैसे भी होंगे वे इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं वे मुहरबन्द पीपे गोमांस की परिभाषा में नहीं है। इसलिये गोमांस की बिक्री तो माननीय मंत्री जी बन्द करना चाहते हैं गोमांस खाने की इजाजत आप केवल स्टेशन पर और वायुयान पर देना चाहते हैं। लेकिन मैं मंत्री जी से अदब से पूछता हूं कि वायुयान और स्टेशन के अतिरिक्त अगर बाजार में गोमांस खाया जाय तो उसे रोकने का कहां विधेयक में प्रतिबन्ध है? मारने के लिये तो दंडनीय है, गोमांस का बेचना दंडनीय नहीं है। आप अपवाद कर के स्टेशन और वायुयान के लिये कहते हैं। मैं कहता हूं कि मूल धारा ५ जो है उसमें अपवाद की कोई जरूरत ही नहीं रहती। वह तो वायुयान पर खा सकता है, रेलवे स्टेशन पर खा सकता है, हर रेल और हर बाजार में खा सकता है, क्योंकि कोई रोक है ही नहीं खाने की। खोलकर के बेचा नहीं जा सकता। खोल कर हर जगह जा सकता है। खोल कर जो प्रस्तुत किया जाता है कोई कानूनी जुर्म नहीं है। मुझे माननीय मंत्री जी बतला दें कि इस विधेयक की किस धारा में वह अपराध होगा, दंडनीय होगा। अगर कोई व्यक्ति गोमांस को कहीं खाये अथवा वायुयान और स्टेशन से भी परिवहन करना गोमांस का जुर्म हो जायगा वह जैसा संशोधन आगे आने वाला है, बेचना गोमांस का जुर्म हो जायगा, लेकिन कंटेनर में से खोल करके कहीं भी खाया जा सकता है इसमें आपने कहीं भी रुकावट नहीं डाली है। खोल कर के दावत दी जाय, वह कहां दंडनीय अपराध होगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस गोमांस की जो परिभाषा है तो वह तो अगर माननीय मन्त्री जी यह रखना चाहते हैं संविधान के कारण कि बाहर से आया हुआ कंटेनर वाला गोमांस, गोमांस नहीं है, तो मैं अपने उस संशोधन को तो नहीं प्रस्तुत करूंगा। लेकिन यह प्रतिबन्ध मैं चाहता हूं कि जरूर होना चाहिए कि हर जगह जो यह चीज होगी, वह रोकी जाय। आप चाहते हैं कि स्टेशन पर या वायुयान पर इसे आप रखें कि वहां कोई खोल सकता है और खा सकता है, लेकिन हरजगह, हर गली बाजार में जो यह खोला जायगा, इस्तेमाल किया जायगा, उसकी रुकावट करने का कोई तरीका आप सोचें और वह रखें। वध करना दंडनीय है, गोमांस बेचना दंडनीय है, परिवहन भी दंडनीय है, लेकिन गोमांस का खाना कहीं भी यह दंडनीय नहीं होगा। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि केवल स्टेशन और वायुयान पर ही गोमांस भोजनार्थ प्रस्तुत किया जाना जायज हो, माननीय मंत्री जी यह नहीं चाहते कि हर जगह गोमांस खोला जाय, लेकिन विधेयक में कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। इसलिये इसको जरा एक बार फिर गौर से देख लें और अपने संशोधन के जरिये या किसी भी तरीके से इसका इन्तजाम कर दें वरना जो मंशा है वह पूरी नहीं होगी। संशोधन को तो, चूंकि संविधान के अनुसार उससे दिक्कत पड़ेगी इसलिये मैं चाहूंगा कि वह वापस ले लिया जाय, तो अच्छा है, लेकिन जो मैंने कहा है उसका प्राविजन अवश्य होना चाहिये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—यह जो संशोधन उपस्थित किया गया है उसकी तरफ फिर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा और इस कारण करूंगा, मैं मौर्य जी से इस बात में तो सहमत नहीं हूं कि गोमांस खाने के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाय, लेकिन यह जो इसमें क्लाज डाला गया है कि बाहर से आयात किया हुआ मुहरबन्द पीपों में जो मांस है वह मांस नहीं है तो इससे सब प्रतिबन्ध ढीले पड़ जाते हैं। वह चारों तरफ से लाया जा सकता है, उसका परिवहन भी किया जा सकता है उसको बेचा भी जा सकता है और खाने के वक्त खोल लिया जा सकता है। इस तरह से वह सभी होटलों में भी बिक सकेगा, और दूसरी जगहों पर भी बिक सकेगा, ले जाया जा सकेगा, कोई उस पर प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं कि जो गोमांस खाने के आदी हैं, वह अपने लिये कहीं से मंगावें लेकिन यह जरूर आपत्ति है इसका

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

व्यवसाय वैसा ही चलता रहे, जैसा कि पहले चलता था। इस दृष्टि से मैं फिर माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार कर लें, क्योंकि मेरा संशोधन जो ४० पर अंकित है उसको आप देखें और इस संशोधन को स्वीकार कर लें तो मैं समझता हूं कि यह बात तब भी रह जायगी कि अपने उपभोग के लिये कहीं से भी मांस मंगाया जा सकता है, लेकिन उसके बाजार-बाजार में बिकने पर प्रतिबन्ध लग जायगा। इतना ही मैं समझता हूं कि इस सदन की भी इच्छा है कि बिकने की संभावना निकल जाय और संविधान का भी किसी तरह से हनन न हो, तो बहुत अच्छी बात होगी और अगर यह रही तो जितने भी संशोधन आये हैं उनसे कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब मुहरबन्द पीपों में रखा मांस, गोमांस है ही नहीं, तो फिर वह बिकेगा भी, और खाने के वक्त खोला जायगा। इस वजह से मैं फिर अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार कर लें, क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण बात है और यह जो इसमें एक्सेप्शन लगा हुआ है इससे तो इस बिल का परपज ही डिफीट हो जायगा। इसलिये मैंने यह धृष्टता की है कि मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पुनः इस ओर आकर्षित करूं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—मैं माननीय मंत्री महोदय की कठिनाई को भली-भांति समझता हूं, उनसे कई मर्तबा बात भी इस पर की, परन्तु मैं माननीय मंत्री महोदय के अनुरोध को मानने से मजबूर हूं। मैं समझता हूं कि जो संविधान माननीय रणंजय सिंह जी ने उपस्थित किया है बिलकुल ठीक है और संविधान की बात जो माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि यदि उपखंड (क) इस तरह नहीं रखा जाता है जैसा विधेयक में है तो संविधान हमारे रास्ते में आ जायगा, मैं समझता हूं कि संविधान कोई अड़ंगा इसमें नहीं लगा सकता है। जो संशोधन माननीय रणंजय सिंह जी ने प्रस्तुत किया है उसका अर्थ यह हुआ कि "किन्तु" के बाद का सब वाक्यांश निकाल दिया जाय। मेरी राय है कि उनका संशोधन बिलकुल उचित है, इस पर ज्यादा समय में नहीं लेना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध अवश्य करना चाहता हूं कि यह क्लाज रिडंडेंट है, अनेसेसरी है। यही नहीं, बल्कि भविष्य के लिये, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है, यह एक समस्या हमारे सामने उपस्थित कर रहा है। मैं समझता हूं कि इस वाक्यांश को अवश्य निकाल देना चाहिये।

एक बात और है। मौर्य जी के तर्क से तो मैं सहमत नहीं हूं उनका यह कहना है कि वह यह मानते हैं कि पीपा परिवहन किया जा सकता है अगर टिन मुहरबन्द हो, लेकिन खाने के लिये हर एक जगह प्रस्तुत किया जा सकता है और जो चाहे खा सकता है कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अव्वलन तो यह सही है, जैसा कि चतुर्वेदी जी ने कहा कि इसकी मंशा खाने के ऊपर तो रोक लगाने की है नहीं, जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने भी किया था कि हम तो गोवध रोकना चाहते हैं, अगर कोई बाहर से लाकर मांस खा ले तो उसका तो प्रश्न नहीं है, हमारा तो उद्देश्य इस विधेयक को प्रस्तुत करने से यह है कि गोवध रुक जाय। लेकिन माननीय मौर्य जी ने जो कहा कि गोमांस खोल कर खायेंगे और बाजारों में खरीदेंगे, मैं उनकी इस राय से सहमत नहीं हूं। गोमांस जब तक कि उस टिन में, कंटेनर में बन्द रहेगा तभी तक गोमांस नहीं रहेगा, जिस वक्त खोलते हैं उस वक्त वह गोमांस हो जायगा। इसलिये जो तर्क माननीय मौर्य जी का है वह ठीक नहीं जंचता है। उपखंड में लिखा हुआ है कि गोमांस का तात्पर्य गोमांस से है किन्तु जब तक कंटेनर में है तब तक गोमांस नहीं है। जिस वक्त खोला जायगा, वह गोमांस हो जायेगा। तो जो शंका माननीय मौर्य जी को है वह निर्मूल और निराधार है। लेकिन दूसरा तर्क है। इसमें मैं प्रस्तुत करता हूं कि संविधान हमारे रास्ते में अड़ंगा नहीं लगाता है। मैंने इस पर बहुत गौर किया है और मैं अपना कर्त्तव्य समझता था कि इसको माननीय सदन के समक्ष उपस्थित कर दूं। माननीय रणंजय सिंह जी का जो संशोधन है उसको माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे, उनसे यही मेरी प्रार्थना है।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रणंजय सिंह जी ने एक बड़ा महत्व का प्रस्ताव सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया है और इस प्रस्ताव से संबंधित कुछ विषयों पर सदन ने कुछ विचार भी किया है। कल से इस प्रस्ताव पर पूरी तरह बहस हुयी है और एक मत से सभी लोगों ने यह माना है कि यदि सारे भारत वर्ष भर में हमारी प्रान्तीय सरकार का अनुकरण कर इसी तरह के विधेयक आये होते, तो हमारे लिये काम बड़ा आसान हो गया होता। जब हम एक तरफ यह महसूस करते हैं कि सारे हिन्दुस्तान में ऐसा विधेयक आया होता और गोवध निषेध हुआ होता तो हमारा काम आसान हुआ होता, तो हम क्यों न ऐसी प्रेरणा लें, उपाय सोचें और गौर करें जिससे सारे हिन्दुस्तान में रहने वाले, जो विभिन्न राज्यों में लोग रहते हैं, इन्हें प्रेरणा मिले। मैं यह समझता हूं कि मुहरबंद टिनों में अपने प्रान्त में बाहर से मांस आने देना, यह साफ छूट है कि दूसरे प्रान्तों और देशों में गोवध प्रचलित रहे। श्रीमन्, मुझे एक उक्ति याद आती है। आपको मालूम होगा कि अंग्रेजों की हुकूमत काल में हिन्दुस्तान में अफीम की खेती हुआ करती थी और यहां की अफीम चीन के बाजारों में अंग्रेजों द्वारा वितरित और बेची जाती थी और श्रीमन्, शायद आपको यह भी मालूम होगा कि चीन में उस मिकदार में अफीम की खेती करने की छूट नहीं थी जितनी हिन्दुस्तान में। मतलब यह था कि हिन्दुस्तान में ज्यादा अफीम पैदा करके चीन में भेजी जाय और उनको अफीम के नशे में डुबा कर ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाय। मैं तो श्रीमन्, जब इस विधेयक को देखता हूं तो मैं प्रांतीय सरकार का या माननीय मंत्री महोदय का वही रूप देखता हूं जो ब्रिटिश हुकूमत ने चीन में अफीम खिला कर लोगों को बेहोश करने की बात की थी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के गोमांस पर प्रतिबन्ध होना चाहिये, जिससे कि अगल-बगल के और प्रान्त हमारा अनुकरण करें और सारे हिन्दुस्तान में केन्द्रीय सरकार से एक बार मांग कर सकें कि एक ऐसा विधेयक केन्द्रीय सरकार में पारित हो जिससे सारे हिन्दुस्तान में गोवध निषेध हो जाय।

श्रीमन्, गोवध रोकने के लिये जो इस विधेयक का प्रयोजन है उसको हमने पढ़ा है। उसमें है दूध की वृद्धि हो, कृषि को लाभ हो। यह तो बड़ा अच्छा काम है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं कि खेती-बाड़ी की समृद्धि के लिये, दूध की पैदावार के लिये गो कि हमारे प्रयत्न बहुत कम हैं फिर भी इसकी पूर्ति के लिये गोवध निषेध कानून हम बनाना चाहते हैं, तो क्या यह सही है कि हमारे माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि दूध की वृद्धि, खेती-बाड़ी की वृद्धि गोवंश की वृद्धि सिर्फ इसी प्रान्त में हो जहां हमारे कृषि मंत्री जी हैं? क्या वह यह नहीं चाहते कि इस देश के अन्य प्रान्तों में भी जो कृषि प्रधान प्रान्त हैं उनमें भी दूध की वृद्धि हो, गो-सम्वर्धन हो, खेती-बाड़ी की वृद्धि हो? यदि यह इच्छा है कि ऐसे कानून हमारे देश के अन्य प्रान्तों में भी बनें तो मैं यह कहूंगा कि यह न्यायसंगत बात है कि माननीय मंत्री जी दूसरे प्रान्तों को अपना अनुकरणी बनाने के लिये माननीय रणंजय सिंह के संशोधन को स्वीकार कर लें। श्रीमन्, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि चोरी, डकैती या ऐसे अन्य जुर्म जो क्राइम में आते हैं उनका हमारी सरकार ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कानून बनाकर निषेध कर दिया है और यह माना है कि इस तरह का जुर्म करने वाले लोग सजा के भागी हैं। क्या मैं माननीय कृषि मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि वह हमारे गृह मंत्री जी को इस तरह की सलाह देंगे कि इस प्रान्त में जो बसने वाले लोग हैं वे बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि में चोरी, डकैती करके वहां से धन, सम्पत्ति ला सकें तो लायें और इस राज्य में आने के बाद उनको छूट रहेगी। मैं समझता हूं कि यह जुर्म है और हमने परम्परा से यह माना है कि यह पाप है। तो फिर हम यह समझते हैं कि जब दूध की वृद्धि के लिये गाय की वृद्धि के लिये, खेती की वृद्धि के लिये और हमारी आर्थिक उन्नति के लिये गोवध निषेध आवश्यक है तो यह न्यायसंगत है कि हम सारे हिन्दुस्तान में इस तरह की आवाज उठाने के लिये लोगों को प्रेरणा दें और हम अगर अगुआ बनने का दावा करते हैं हांलाकि हम हैं नहीं, चूंकि मैसूर आदि प्रांतों में पहले से ही गोवध निषेध है तो मैं समझता हूं कि ऐसा काम किया जाय जिससे यहां भी पूर्णतया गोवध निषेध हो और दूसरे प्रान्तों में भी हो।

श्रीमन्, खंड ५ में कुछ व्यवस्था है। अगर आप इसको देखें तो मालूम होगा और मैं उसकी आपकी इजाजत से आखरी लाइन पढ़ देना चाहता हूं कि "अथवा तजन्य पदार्थ न बेचेगा

[श्री रामेश्वरलाल]

और न बेचने के लिये प्रस्तुत करेगा और न विकवायेगा।" तो इसमें अगर बांटे या बटवाने के लिये प्रस्तुत करे तो उसके लिये इस विधेयक में इसमें कुछ व्यवस्था नहीं है। एक आदमी पाकिस्तान से या देश के किसी ऐसे प्रान्त से या सूबे के किसी ऐसे जिले से जहां गोवध निषेध नहीं है फिर वह मुहरबंद पीप में मांस लाता है तो पहले तो यह फैसला होना चाहिये कि पीपे क्या चीज है, इसकी परिभाषा होनी चाहिये। लेकिन मुहरबंद पीपों में चलता है, लेकिन वह बेच नहीं सकता है। वह कानपुर जाकर खोलता है और वहां लोगों को अर्पित करता है और फिर मुहरबंद करके आगे जाता है। अगर ऐसी प्रक्रिया है तो इसकी परिभाषा होनी चाहिये कि मुहरबंद क्या है? क्या वह बांट सकता है, बंटवा सकता है।

माननीय मंत्री जी को धारा ५ की व्यवस्था पर बहुत नाज है, लेकिन इसमें बांट सकता है या नहीं या साफ है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह भी रणंजय सिंह जी के संशोधन को मान लें। हम समझते हैं कि मंत्री जी की इच्छा है कि गोवध बंद हो। मंत्री जी ने चाहा कि मद्य निषेध हो, लेकिन लोग लखनऊ से शराब ले जाते हैं और कानपुर में जाकर पीते हैं। वही हाल इसका होगा और जो बोर्डर के इलाके में वहां पर कसाईखाने खुलेंगे और यहां की गाय वहां जाकर कटेंगी। बिहार और मध्य प्रदेश के लोग इस प्रान्त में आकर गाय खरीद कर ले जायेंगे और बूचड़खाने चलेंगे। श्रीमन्, यह भी कानून बनना चाहिये था कि सूबे में रहने वाले लोगों से बाहर के लोग गाय नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बिहार, सी०पी० वगैरा के लोग यहां से ले जायेंगे और वहां बूचड़खाने खुलेंगे और यहां से गायें जायंगी और वहां कत्ल होंगी और मुहरबंद पीपों में मांस आयगा और मंत्री जी को धारा ५ पर नाज है, लेकिन इसके बेचने की प्रक्रिया को रोक नहीं सकेंगे।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के लिये यह मुमकिन नहीं है कि कोई ऐसा कानून बना सकें कि यहां की गाय बाहर के लोग न ले जा सकें तो मुमकिन है कि बाहर बूचड़खाने खुलें और मोहरबंद पीपों में मांस आये। बाजार में न भी बिके तो भी बंटेगा तो इसको मंत्री जी रोक नहीं सकते हैं। श्रीमन्, मैं एक बात इस संशोधन से संबंधित माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और वह यह कि मंत्री जी प्रान्त में गोवध निषेध की कल्पना करते हैं और कुछ धाराओं को छोड़ कर कुछ धारायें ऐसी हैं जिन पर आगे संशोधनों के सिलसिले में विचार होगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि सचमुच में यह प्रान्त अगुआ हो, इस प्रान्त के लोग सारे हिन्दुस्तान में रहने वाले लोगों की नुमायन्दगी करें। वैज्ञानिक असर देना है तो फिर इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय रणंजय सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस संशोधन में जो माननीय रणंजय सिंह जी ने रक्खा है उसमें यह कहा गया है कि खंड २ के (क) में "किन्तु" से लेकर "गो मांस नहीं है" तक यह वाक्यांश निकाल दिया जाय। मैं समझता हूं कि अगर यह वाक्यांश इसमें बना रहता है तो एक बात के लिये बड़ा भारी भ्रम पैदा हो जायगा। कुछ लोगों ने कहा है कि गोमांस बेचने के लिये धारा ५ में निषेध कर दिया गया है। जब हम खंड ५ को पढ़ते हैं तो उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि गोमांस अथवा तजन्य पदार्थ न बेचेगा न बेचने के लिये प्रस्तुत करेगा और न बिकवायेगा। लेकिन जहां गोमांस की परिभाषा की गयी है उसमें ऐसे गोमांस को गोमांस नहीं माना गया है जो मुहरबन्द पीपों में लाया गया हो। मुहरबन्द पीपे की परिभाषा इसमें नहीं है। उसमें बड़ा भी पीपा हो सकता है और छोटा भी पीपा हो सकता है। उसके खरीदने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। चाहे वह एक पाव का हो या एक छटांक का हो अथवा दो छटांक हो। तो इस तरह का छोटा पीपा हो सकता है और ऐसे पीपे के खरीदने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। ऐसी हालत में एक बात की आशंका हो सकती है और वह यह कि हमारे प्रान्त में ऐसा होगा कि हमारे प्रान्त से गाय बाहर निर्यात होंगी और वहां गोमांस पीपों में बन्द होकर हमारे प्रान्त को आयात होगा। इस तरह से एक बड़ा भारी व्यापार चल जायगा और गोवध बन्दी की सरकार की मंशा पूरी नहीं

हो पायेगी। ऐसी हालत में इस पर माननीय मंत्री जी विचार कर लें कि यह कठिनाई कैसे दूर होगी और इस तरह से जो दोष आने वाला है वह कैसे दूर किया जा सकता है। अगर इस पर विचार करके माननीय मंत्री कोई उपाय निकाल लें तब तो हो सकता है कि इस संशोधन को न माना जाय अन्यथा इस संशोधन को मान लेने से यह त्रुटि दूर हो सकती है। इस सम्बन्ध में इस संशोधन के लिये मैं श्री रणंजय सिंह जी से वापस लेने को कहूं इस से पूर्व मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसका स्पष्टीकरण करने की कृपा करें।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)—श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रणंजय सिंह जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। निवेदन यह है कि जब किसी ऐक्ट में कोई शब्द की परिभाषा की जाती है उसकी परिभाषा इस तरह से रखी जाती है कि हर एक व्यक्ति उसको अच्छी तरह से समझ सके। इस बिल के अन्दर जो गोमांस की परिभाषा रखी गयी है वह इतनी ही हर एक व्यक्ति समझ सकता है कि गोमांस गाय के मांस को कहते हैं। बाकी शब्द जो उसके आगे "किन्तु" से लेकर आखिर तक रखे हुये हैं वह निरर्थक जान पड़ते हैं।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

यह परिभाषा जो इस बिल में दी हुयी है वह उसी प्रकार से है जैसे हम यह कहें कि आम उसे कहते हैं जो आम के वृक्ष से पैदा होता है, परन्तु अगर आम टीन में रख दिया जाय तो वह आम नहीं है। अमरूद उसे कहते हैं जो अमरूद के वृक्ष से पैदा होता है, मगर यदि उसको टीन में रख दिया जाय तो वह अमरूद नहीं है .....

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) की हत्या का समाचार

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप इस समय अपना भाषण स्थगित कर दें। मेरे पास जो एक खबर आयी है उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी अपना संक्षेप में वाकयात पर बयान देंगे।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—श्रीमन्, अभी यह खबर आयी है कि पंडित भगवती प्रसाद शुक्ल, एम० एल० ए० (बाराबंकी) को कुछ लोगों ने बल्लम और लाठियों से बाराबंकी में मार डाला है। अभी पूरी डिटेल हमारे पास नहीं है। केवल इतनी ही खबर आयी है। मैं अध्यक्ष महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि आज यह सदन बरखास्त कर दिया जाय और कल जब पूरे वाकयात मालूम हो जावेंगे तो इस सदन में रेफ्रेंस किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय भगवतीप्रसाद जी, ऐसा मालूम होता है कि आज यहां उपस्थित थे और यहां से अपनी हाजिरी देकर तत्काल कोई केस था या क्या था, इसलिये वह चले गये, क्योंकि रजिस्टर में हाजिरी के उनके दस्तखत हैं। ऐसी अवस्था में यदि सदन का ऐसी प्रथा स्वीकार करने का विचार है कि अगर सदन के चलते हुये किसी माननीय सदस्य की हत्या की खबर प्राप्त हो जाय तो उस दिन सदन उठ जाय और कार्य स्थगन कर दे और दूसरे दिन पूरी बात मालूम हो जाने के बाद उसके सम्बन्ध में रेफ्रेंस हो जाय, तो मैं समझता हूं कि किसी को आपत्ति नहीं होगी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, जो आपकी इच्छा। मैं समझता हूं कि वैसा ही करना चाहिये। हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—हम अपना कार्य-स्थगन करते हैं और कल जब मालूमात हो जावें तो उसके ऊपर रेफ्रेंस वगैरह और अन्य कार्यवाही की बात होगी।

(इसके बाद सदन ४ बजकर २ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
७ सितम्बर, १९५५।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८३ पर)

सूची

क्रम संख्या	मंडियों के नाम	खरीदारी लागू रहने की अवधि	खरीदी गई ज्वार के आंकड़े (मनों में)	भाव प्रति मन
१	मौदहा	७ मई, १९५५ से १६ जून, १९५५ तक	७५,८५३	५ रु० ८ आना
२	भरवा सुमेरपुर	१३ मई, १९५५ से १६ जून, १९५५ तक	१६,३९३	५ रु० ८ आना
३	महोबा	१४ मई, १९५५ से १६ जून, १९५५ तक	२०,४५३	५ रु० ८ आना

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९० पर)

सूची

चालू वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित उद्योग उनके आगे लिखे हुये स्थानों में चालू करने का विचार है अथवा चालू हो गये हैं—

१—हस्त कर्घा योजना के अन्तर्गत ३ सेल्स-डिपो उन्नाव, शाहजहांनपुर और लखीमपुर में खोले गये हैं तथा ३२ अन्य स्थानों में खोले जाने का विचार है। स्थान अभी निश्चित नहीं किये गये हैं। २५ डाई हाउस खोले जाने का आयोजन है जिनके लिये स्थानों का चुनाव अभी नहीं हुआ है। ६५ उत्पादन समितियां खोलने का लक्ष्य है जिनमें से १४ समितियां छत्तरपुर, (आजमगढ़), नोरानीपुर(गाजीपुर), अमरोहा, हापुड़, शहारतगढ़ (बस्ती), बन्सधि (बलिया), शेरपुर (जौनपुर), पुरेना (बस्ती), बनारस, फुलपुर, (आजमगढ़), जसवंतनगर (इटावा,) इटावा, फर्रुखाबाद में खोली जा चुकी हैं। अन्य समितियां खोलने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है। २ मीडियम डाई हाउस राज्य के पश्चिमी तथा पूर्वी भाग में खोलने का आयोजन है।

२—निम्नलिखित स्थानों पर नये शिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र खोलने का आयोजन है—

१—लकड़ी पर रंगाई का केन्द्र, नगीना।
२—सिलाई केन्द्र, आगरा।
३—दरी बुनाई केन्द्र, फतेहपुर सीकरी।
४—कम्बल बुनाई केन्द्र, मिर्जापुर (इंस्टीट्यूट औरतों के लिये)
५—सिलाई केन्द्र, कानपुर।
६—चर्मकला केन्द्र, उरई।
७—काष्ठ कला केन्द्र, कायमगंज।
८—सिलाई केन्द्र, गोरखपुर।
९—धातु कला केन्द्र, इलाहाबाद।
१०—कालीन केन्द्र, अल्मोड़ा (इसका विस्तार किया जा रहा है।)
११—मूंज टोकरी केन्द्र, महेवा (इलाहाबाद)।

३—ऐग्रीकल्चर (Agriculture) के लिये सुआर (रामपुर) तथा हल्दवानी क्षेत्रों में केन्द्र खोले जा रहे हैं।

४—चर्म विकास योजना के अन्तर्गत मऊ और सरायमीर जिला आजमगढ़ में चर्म शोधन केन्द्र खोले जाने का विचार है। यदि सम्भव होगा तो और केन्द्र भी खोले जाने पर विचार किया जायगा।

५—सामुदायिक योजना के अन्तर्गत ३४ शिक्षा एवं उत्पादन केन्द्र भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिये खोले जाने का प्रश्न विचाराधीन है। २६ केन्द्र स्त्रियों को दर्जीगीरी व कढ़ाई आदि सिखाने के लिये आयोजन है।

६—ऊन योजना के अन्तर्गत हिन्द तिब्बतीय क्षेत्र में निम्नलिखित प्रकार से बुनाई तथा कताई केन्द्र खोले जायेंगे—

स्थान			बुनाई केन्द्र	कताई केन्द्र
अल्मोड़ा	..	..	३	१२
पौढ़ी गढ़वाल	..	..	२	८
टेहरी गढ़वाल	..	..	२	८

इसके अतिरिक्त ललितपुर (झांसी) में एक प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र खोला जायगा ।

७—गुण चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत कानपुर में चर्म सम्बन्धी सामान के लिये तथा आगरा में दरियों के लिये केन्द्र खोले जाने का आयोजन है ।

८—खादी योजना के अन्तर्गत बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में ६० खादी केन्द्र खोले जाने का आयोजन है ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९७ पर)

अफसरों की सूची जिनको विशेष वेतन दिया जाता है—

नाम	संख्या		
(१) अतिरिक्त विकास आयुक्त	१	२५० रुपया प्रतिमास	प्रति व्यक्ति
(२) उप विकास आयुक्त (जोनल)	४	१५० रुपया प्रतिमास	,,
(३) उप विकास आयुक्त (जनरल)	१	२०० रुपया प्रतिमास	,,
(४) सहायक विकास आयुक्त	११	१०० रुपया प्रतिमास	,,
(५) सहायक विकास आयुक्त (जनरल)	१	१५० रुपया प्रतिमास	,,
(६) डी० पी० ओ०/पी० ई० ओ०	३०	१०० रुपया प्रतिमास	,,
(७) जिला नियोजन अधिकारी	२०	७५ रुपया प्रतिमास	,,
(८) डिप्टी पी० ओ०	२६	७५ रुपया प्रतिमास	,,
(९) प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऐग्रीकल्चर स्कूल तथा ट्रेनिंग सेंटर	३	५० रुपया प्रतिमास	,,
कुल ..	९०		

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९७ पर)

सूची

	तहसील मोरानीपुर	मोड़
१ सड़कें—		
(क) कच्ची	७ मील १ फ०	४० मील
(ख) पक्की	१/२ मील	४ मील

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९७ पर)

तहसील मड़ियाहूं में श्रमदान द्वारा किये गये कार्य का विवरण

क्रम-संख्या	कार्य का विवरण	नाम ग्राम जहां कार्य किया गया	कार्य जो किया गया		
			मील	फ०	ग०
१	सड़क निर्माण (कच्ची)				
		गोठाम ..	—	६	—
		पाली ..	—	६	—
		सरसराखास ..	—	—	३०
		हरबुआरी ..	—	४	—
		कान्हबशीरपुर ..	१	—	—
		निगोह ..	—	—	५००
		चतुर्भुजपुर ..	—	४	—
		पारियत ..	—	४	—
		आदमपुर ..	—	४	—
		आशापुर ..	१	३	—
		सोतीपुर ..	—	—	२५०
		बनीडीह ..	२	—	—
		परानपुर ..	१	४	—
		भिउरी ..	१	—	—
		पचौली ..	—	२	—
		असवा ..	—	२	—
		बिजोगिरि ..	३	—	—
		गौरी पट्टी ..	—	२	—
		निजामुद्दीनपुर ..	—	५	—
		कसनहो ..	—	५	—
		मलाई ..	—	४	—
		चकमलहि ..	—	२	—
		दीनापुर ..	—	२	—
		कसा ..	—	४	—
		मैलसिल ..	३	—	—
		कुरेसवा ..	१	—	—
		बनकट ..	४	३	१५०
		रखवा ..	—	४	—
		महमूदपुर ..	१	—	—
		बीकापुर ..	—	४	—
		तरती ..	१	—	—
		सदुलहा ..	—	३	—
		बराह ..	—	४	—
		करौंदी ..	—	२	—

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	नाम ग्राम जहां कार्य किया गया।	कार्य जो किया गया		
			मी०	फ०	म०
१	सड़क निर्माण (कच्ची) (क्रमशः)				
		कसेरू ..	१	–	–
		बहूरी ..	–	३	–
		बल्लीपुर ..	–	२	–
		गुलालपुर ..	–	२	–
		सुरेरी ..	–	६	–
		राईपुर ..	–	४	–
		जगदीशपुर ..	–	३	–
		मलेथ ..	–	६	–
		हीरोपट्टी ..	–	–	२२०
		हथिया डीह ..	–	२	–
		पाली ..	–	६	–
		उत्तर पट्टी ..	–	२	–
		हरिहरपुर ..	–	२	–
		बेनीपुर ..	१	–	–
		सकरा ..	२	–	–
		सरायडीह ..	–	२	–
		योग ..	४२	४	४०
२	सड़क मरम्मत (कच्ची)	सुरैया ..	–	४	–
		नेवादा ..	–	३	–
		तरतोइटायें ..	४	–	–
		गद्दीपुर ..	१	४	–
		मुस्तफाबाद ..	–	४	–
		कनावा बिजुरगा ..	२	–	–
		जोगीपुर			
		पड़राव ..	–	४	–
		अहिरौली ..	–	४	–
		रानीपुर ..	–	४	–
		चकिया करखा ..	१	–	–
		सराय कालीदास ..	–	२	–
		चकबढ़बल ..	–	३	–
		भरसर्थ ..	–	३	–
		फत्तूपुर ..	–	३	–
		रानीपुर ..	–	४	–
		बरसट्टी ..	–	२	–
		कुम्भ ..	–	४	–
		भागीरथपुर ..	१	–	–

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	नाम ग्राम जहां कार्य किया गया	कार्य जो किया गया		
			मी०	फ०	ग०
२	सड़क मरम्मत (कच्ची)	(क्रमशः)			
		चौधी ..	—	४	—
		कटघरा ..	१	—	—
		सेउर ..	—	२	—
		बारीगांव ..	१	—	—
		रसूलपुर ..	१	—	—
		मौकलपुर ..	२	—	—
		कुतुबपुर ..	१	—	—
		ताजुद्दीनपुर ..	—	२	—
		महमूदपुर ..	—	२	—
		अहिरोली ..	—	४	—
		गनापुर ..	—	२	—
		भरथीपुर ..	१	१	—
		रघुनाथपुर ..	—	४	—
		भवानीपुर ..	—	२	—
		टेकारडीह ..	—	४	—
		रामपुर निस्फी ..	—	३	—
		भानपुर ..	—	४	—
		भदखिने ..	—	३	—
		घोरहा ..	—	—	१००
		शुदनीपुर ..	—	१	—
		उत्तरपट्टी ..	—	६	—
		करमौलोकसा ..	—	६	—
		रसुलहा ..	—	४	—
		बनवरा ..	—	३	—
		तिऊरान ..	—	३	—
		राधोराम पट्टी ..	१	—	—
		कोचारी ..	—	४	—
		पाली ..	—	—	२००
		जेसिहपुर ..	—	४	—
		बल्ली पुर ..	—	२	—
		काजीहद ..	—	४	—
		हथेरा ..	—	२	—
		नोनापारी ..	१	—	—
		कमरुद्दीनपुर ..	—	४	—
		पृथ्वीपुर ..	१	४	—
		नरपुर ..	१	—	—
		हरिहरपुर ..	१	—	—
		अड़ियार ..	१	४	—
		जोगापुर ..	—	२	—
		नोनरा ..	—	४	—

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	नाम ग्राम जहां कार्य किया गया	कार्य जो किया गया		
			मील०	फ०	ग०
२	सड़क मरम्मत (कच्ची) (क्रमशः)				
		पट्टीजियाराम ..	—	४	—
		भर्गेसरा ..	—	४	—
		गोपालापुर ..	१	—	—
		भानीपुर ..	—	३	—
		बसहरी ..	—	६	—
		भन्नोर ..	—	४	—
		धनीपुर ..	—	२	—
		रसुलहा ..	१	४	—
		परियत ..	—	२	—
		फतुही कला ..	—	२	—
		शाहीपुर ..	—	१	—
		फजलहा ..	१	—	—
		रसुलहा ..	—	४	—
		घनुहा ..	—	४	—
		दताव ..	—	४	—
		खुडरी ..	—	४	—
		बाराबंकी ..	—	४	—
		सपही ..	—	६	—
		आलमगंज ..	—	४	—
		बाजिदपुर ..	—	४	—
		निजामपुर ..	४००	—	—
		बढ़ा ..	—	६	—
		दसरथपुर ..	—	६	—
		बधनरी ..	—	—	२९०
		भदराव ..	—	१	—
		मलाई ..	—	—	७०
		जमनीपुर ..	—	२	—
		मीठे पुर ..	—	४	—
		गनापुर ..	—	४	—
		जमालापुर ..	—	२	—
		जगदीशपुर ..	१	३	—
		मनापुर ..	—	२	—
		गनेशपुर ..	—	२	—
		अजरा ..	—	२	—
		पपराबन ..	१	—	—
		कटवार ..	—	३	—
		रामपुर ..	—	३	—
		पोहा ..	१	—	—
		बेलवा ..	१	—	—

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	नाम ग्राम जहां कार्य किया गया		कार्य जो किया गया		
				मी०	फ०	ग०
२	सड़क मरम्मत (कच्ची) (क्रमशः)	साहीपट्टी	..	—	—	५००
		पट्टी	..	—	४	—
		पल्टेपुर	.	२	—	—
		गहलोई	..	—	—	१६०
		योग	..	६५	५	२१०
३	नाली निर्माण	बनोडीह	..	—	—	२२०
४	बांध मरम्मत	गन्धौनी	..	१५०	—	—
५	तालाब जो गहरे किये गये	बल्लीपुर	..	—	—	१
		घरमपुर	..	—	—	१
		कनाबा	..	—	—	१
		बनोडीह	..	—	—	२
		सेहरा	..	—	—	१
		पिलेसवा	..	—	—	१
		खुड़री	..	—	—	२
		योग	..	—	—	६
६	तालाब मरम्मत	औरइया	..	—	—	१
७	घूरे के गड्ढे	बनी डीह	..	—	—	२०
		असवा	..	—	—	१०
		योग	..	—	—	३१
८	वृक्षारोपण के थाले	परानपुर	..	—	—	२५
		फुननफेर	..	—	—	१०
		लेखाब	..	—	—	२०
		मधुईपुर	..	—	—	१०
		सरैया	..	—	—	५
		जमुआ	..	—	—	५
		योग	.. ..	—	—	७५

पी० एस० यू० पी०—ए०-पी०-७० एल० ए०—१६५५—७६६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ८ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभामण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५२)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्र साद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
त जप्रतापसिंह, श्री
त जबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री

बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाजन, श्री सी० बी०
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महवीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री

रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री

हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ८ सितम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में धवाय मानपुर केस के राजनीतिक बन्दी

*१—**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल में धवाय मानपुर (जिला बस्ती) केस के राजनीतिक बन्दीगण में से कोई क्षय रोग से पीड़ित है ? अगर हां, तो क्या सरकार ऐसे राजबन्दियों को किसी स्वास्थ्यप्रद स्थान पर भेजने का विचार कर रही है ?

कारावास उप-मंत्री (श्री मुजफ्फरहसन)—धवाय मानपुर केस के बन्दियों में जो बन्दी फतेहगढ़ जेल में हैं उनमें कोई भी क्षय रोग से पीड़ित नहीं है। आगे का प्रश्न नहीं उठता।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उनको इस बात की सूचना है कि जब यह प्रश्न किया गया था उस समय धवाय मानपुर केस का एक बन्दी क्षय रोग का फतेहगढ़ जेल में बन्द था और बाद में उसका ट्रांसफर किसी अन्य जेल में कर दिया गया। तो क्या सरकार उसका पता लगाकर उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—मेरे पास पहले से इसकी कोई सूचना नहीं है। सिर्फ एक बन्दी के बारे में मेरे पास यह इत्तिला है कि एक शख्स, जिसका नाम गोमती प्रसाद है उसके सीने में दर्द होता है लेकिन उसके अन्दर क्षय रोग की अलामत नहीं पायी गयी।

फैजाबाद जेल में कम्युनिस्ट राजबंदी

*२—**श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद जेल में कुल कितने कम्युनिस्ट राजबन्दी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—कोई नहीं है।

आमिला, जिला आजमगढ़, टाउन एरिया को बिजली की आवश्यकता

*३—**श्री झारखंडे राय**—क्या आमिला, जिला आजमगढ़, टाउन एरिया को मऊ पावर हाउस से बिजली देने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

वित्त मंत्री के सचिव सभा (श्री धर्म सिंह)—जी नहीं।

रिहन्द बांध के निर्माण में अधिगत भूमि का मुआवजा

*४—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि रिहन्द बांध के तैयार हो जाने पर मिर्जापुर जिले के सिंगरौली परगने के १०८ गांवों के लगभग ४४ हजार ग्रामीण अपनी सारी भूमि और मकान से रहित हो जायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जी हां।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार उनको बसाने और उनके जीविकोपार्जन के प्रश्न से सम्बन्धित किसी योजना पर विचार कर रही है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां।

*६—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (अनुपस्थित)—यदि हां, तो वह कौन सी योजना है और वह कब तक अमल में लाई जायेगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह योजना तैयार की जा रही है। इसमें ग्रसित ग्रामीणों को उनकी स्थायी सम्पत्ति के बदले मुआवजा तथा कृषि योग्य भूमि के बदले उन्हें मुआवजा या अच्छी कृषि योग्य भूमि देने आदि की व्यवस्था होगी। यह योजना उन क्षेत्रों के डूबने के पूर्व ही कार्यान्वित की जायगी।

सचिवालय की पुरानी खस टट्टियों में आकस्मिक आग

*७—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि सचिवालय के टाट के गोदाम में शुक्रवार १-४-५५ ई० को आग लग गई थी?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानंद)—जी नहीं। आग २२-३-५५ को कुछ पुरानी बेकार खस की टट्टियों में लगी थी जो गोदाम के बाहर एक जगह जमा थीं।

*८—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि इस अग्निकांड से कितने रुपये का टाट जल गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उन जली हुई खस की टट्टियों का मूल्य अधिक से अधिक २० रु० रहा होगा।

*९—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार गोदाम में आग लगने के कारणों पर प्रकाश डालेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह आग आकस्मिक थी।

गोरखपुर जिले में आम के वृक्ष काटने के लिये परमिट

*१०—श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील में एस० डी० एम० द्वारा आम का हरा बाग और महुवा के हरे पेड़ काटने के लिये गत वर्ष से अब तक कितने परमिट दिये गये?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील में एस० डी० एम० द्वारा अप्रैल, १९५४ से अब तक २ परमिट पुराने बिना फलदार आम के पेड़ों को काटने के लिये दिये गये। महुआ के पेड़ काटने के लिये कोई परमिट नहीं दिया गया।

*११—श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन-जिन व्यक्तियों को हरे बाग या हरे महुआ के पेड़ काटने की आज्ञा दी गई वह पेड़ों की संख्या में दी गई है या रकबे में?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इन दो परमिटों में से प्रथम परमिट श्री आदित्यप्रसाद सिंह को पेड़ों की संख्या में तथा द्वितीय परमिट श्री डब्लू होल्स वर्थ को रकबे में दिया गया।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय---क्या क्षेत्रीय एम० एल० ए० ने एस० डी० एम० को इस बात की शिकायत की थी कि बिना जांच किये हुए यह बाग काटने की इजाजत न दी जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसकी कोई सूचना सरकार को नहीं है।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय--- श्री डब्लू० होल्स वर्थ को जो परमिट दिये गये थे वे कितने रकबे के लिये दिये गये थे और उससे कहां-कहां कितने जाति के पेड़ काटे गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसका रकबा ३.१० एकड़ है और तारीख १०-५-५४ को परगनाधीश ने पेड़ काटने का आदेश इस सेक्टर के लिये दिया।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय---मैंने प्रश्न यह किया था कि किस-किस जाति के वृक्ष काटने की इजाजत दी गई थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सिर्फ आम ही की थी, शायद एक आध कटहल के पेड़ भी हों। लेकिन दूसरी बात यह है कि उन्होंने लिखा था कि यहां पर बन्दर बहुत नुक्सान पहुंचाते हैं, ऐसा उनके प्रार्थना-पत्र में था और जो आम थे वह भी फल नहीं देते थे। इसलिये यह हुआ कि बगीचे के बजाय वहां खेती अच्छी हो सकती है, इसलिये क्षेत्रफल के हिसाब से दिया गया था।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार का आदेश है कि हरे आम के पेड़ या महुवे के पेड़ जो फल देते हैं वह न काटे जायं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इस तरह का आदेश है कि न काटे जायं, लेकिन जहां आवश्यकता होती है सरकार ने यह अधिकार कुछ हद तक ग्राम समाजों को दे रखा है और उनके ऊपर जिलाधीशों को भी अधिकार है, और कुछ हद तक गवर्नमेंट भी देख लिया करती है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या यह सही है कि इन वृक्षों को न काटने का लोगों ने अनुरोध किया था लेकिन फिर भी वह काटे गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सरकार को इसकी इत्तला नहीं है अगर आप चाहेंगे तो जांच करा ली जायगी।

शारदा तथा पथरी बिजली घरों से एडिशनल बिजली का वितरण

*१२---**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शारदा और पथरी बिजली घरों से जो एडिशनल बिजली प्राप्त होने वाली है, उसको नगरों में पहुंचाने के लिये प्राइवेट पार्टीज अथवा लोकल बाडीज को लाइसेंस देने के लिये प्रार्थना-पत्र मांगे जायेंगे ?

श्री धर्मसिंह---सरकार आमतौर पर लाइसेन्स देने के लिये प्रार्थना-पत्र नहीं मांगती। जनता प्रार्थना-पत्र द्वारा इसकी शुरुआत करती है और सरकार उस पर विचार करती है। अगर कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त होगा तो उस पर विचार किया जायगा।

*१३---**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**---यदि हां, तो यह प्रार्थना-पत्र किन शर्तों पर मांगे जायेंगे ?

श्री धर्मसिंह---यह सवाल ही नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या यह सही है कि सन ५०-५१ में सरकारी विज्ञप्ति द्वारा शहरों में बिजली वितरण के लिये प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे। यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह---उस ५१ में सरकार की ओर से एक प्रेस नोट इशू हुआ था, और मैं इतना और बता दूं कि सरकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि वह ऐसे प्रार्थना-पत्र मांग नहीं सकती।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन क्षेत्रों में पथरी और शारदा से बिजली प्राप्त होगी वहां लोकल बाडीज को लाइसेंस क्यों नहीं दिये जाते ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---कोई भी कारण नहीं है, जो भी म्युनिसिपल बोर्ड दरख्वास्त दें और लाइसेंस लेना चाहें, उन पर कंसिडरेशन होगा और लाइसेंस दिये जा सकते हैं।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बतायेगी कि यदि कोई गांव बिजली लेना चाहता है तो उसके प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जायगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं यह समझा कि गांव में अगर कोई बिजली लेना चाहे, तो जिस गांव में कोई बिजली लेना चाहेगा उस पर जरूर विचार किया जायगा।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार पथरी बिजलीघर के पास के गांवों को बिजली देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---पथरी पावर हाउस के करीब के जो गांव हैं उनको जरूर दी जा सकती है अगर कोई लेगा।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---क्या शारदा बिजली घर से उन्नाव के देहाती क्षेत्रों को भी बिजली दी जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह मैं यहां पहले ही बतला चुका हूं, अभी थोड़े ही दिन हुये कि उन्नाव में बिजली कानपुर के पावर हाउस से दी जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि शारदा और पथरी बिजलीघरों से यह ऐडीशनल बिजली कब से मिलने लगेगी अर्थात् इनका उद्घाटन कब हो जायगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---ऐडीशनल बिजली प्राप्त होने लगी है, और सन् १९५५ के दिसम्बर में बिलकुल पूरी हो जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि शारदा और पथरी बिजलीघर क्रमशः कब उद्घाटित हो जायेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैंने पहले सुना नहीं। लौट कर सवाल हुआ। दिसम्बर में होगा जैसा मैंने कहा।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पथरी-शारदा पावर हाउस से अब तक गांवों को बिजली दी गई है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---गांवों को अभी बिजली दी गई हो या नहीं, लेकिन लाइन बन रही होगी।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ के लोग शारदा पावर हाउस से बिजली पाने की आशा कर सकते हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं तो अवश्य यही अर्ज कर सकता हूं कि वे बराबर इसकी आशा करें।

*१४—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—[१९ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

झांसी इलेक्ट्रिक पावर हाउस का अव्यवस्थित प्रबन्ध व रेजीडेण्ट इंजीनियर का अभाव

*१५—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि झांसी इलेक्ट्रिक पावर हाउस बगैर रेजीडेंट इंजीनियर के लगभग दो साल चल रहा है?

श्री धर्मसिंह—१३ जनवरी, १९५४ से झांसी पावर हाउस में रेजिडेंट इंजीनियर के बजाय एक इंजीनियर इनचार्ज काम कर रहा है और एक क्वालिफाइड आदमी को रेजिडेंट इंजीनियर की हैसियत में रखाने के लिये कोशिश की जा रही है।

*१६—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि मेरे अल्पसूचक तारांकित प्रश्न नं० १, दिनांक ३१ अगस्त, १९५४ से संबंधित पूरक प्रश्नों के उत्तर में उसके यह आश्वासन देने के बावजूद कि दो-तीन महीने में प्रबन्ध ठीक हो जायेगा, बिजली की सप्लाई अभी तक बदस्तूर नहीं हुई?

श्री धर्मसिंह—२९ जून, १९५५ से एक दूसरा डीजेल सेट चालू हो चुका है और बिजली की सप्लाई पहले की तरह फिर बदस्तूर शुरू हो गई है और साथ ही साथ वहां पर बिजली पर से कंट्रोल भी हटा दिया गया है।

*१७—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस दरमियान में दीवाली पर व्यापारियों व आम जनता के मुस्तकिल कनेक्शनों में करेंट न दिये जाने व आजकल शादियों में आम लोगों को बिजली न मिलने तथा शहर के काफी हिस्से में बदस्तूर अंधेरा रहने के कारण जनता को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिये उसने क्या कार्यवाही की?

श्री धर्मसिंह—दीवाली की रात को लोड बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से बड़ा बाजार व सिपरी बाजार के फीडरों को थोड़े से समय के लिये मजबूरन काट देना पड़ा था, क्योंकि पावर हाउस इतनी बिजली नहीं दे सकता था। हालांकि पिछले साल जून में पावर हाउस के ३५० के० डब्लू० डीजेल सेट के अचानक खराब होने से नार्मल बिजली सप्लाई में कमी करनी पड़ी थी। जहां तक सरकार को मालूम है यह ठीक है कि शहर के काफी भाग में बदस्तूर अंधेरा रहा और शादियों वगैरह के लिये बिजली नहीं दी गई। अब नया डीजल सेट चालू हो गया है और उपभोक्ताओं पर से रुकावटें उठा ली गई हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पावर हाउस में कब से रेजीडेंट इंजीनियर नहीं है?

श्री धर्मसिंह—यह प्रश्न में बतलाया गया है कि १३ जनवरी, १९५४ से नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे रेजीडेंट इंजीनियर, जिसके बारे में कोशिश हो रही है नियुक्त करने में कब तक सफल हो जायेंगे?

श्री धर्मसिंह—कम्पनी से पत्र-व्यवहार हो रहा है और प्रार्थना-पत्र मंगाये गये हैं और आशा की जाती है कि अधिक समय नहीं लगेगा। प्रार्थना-पत्र आने पर उन पर कार्यवाही की जायगी।

श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्वालिफाइड इंजीनियर के लिये एडवरटाइजमेंट कराया गया था या नहीं, और अगर नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मसिंह---कम्पनी से लिखा पढ़ी हो रही है कि वह क्वालिफाइड इंजीनियर का इन्तजाम करे। उन्होंने एडवरटाइजमेंट किया है और उसके आधार पर प्रार्थना-पत्र भी आये हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रश्न १६ के अन्तर्गत वह आश्वासनों की पूर्ति करती है ?

श्री धर्मसिंह---जो प्रश्न का उत्तर दिया गया था तो उसमें यह कहा गया माननीय मंत्री की तरफ से कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि दो-तीन महीने में ठीक हो जायगा। लेकिन चीजें चूंकि बाहर से आती हैं जिससे मुमकिन है वक्त ज्यादा लग जाय।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)---क्या यह सही है कि झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी जो झांसी पावर हाउस को मैनेज करती है उसकी आर्थिक दशा बहुत खराब है, और सरकार ने उसको ऋण भी दिया है ? इसके बावजूद वह काम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। अगर ऐसा है तो क्या सरकार ऋण वापस लेने की कोशिश करेगी ?

श्री अध्यक्ष---कई सवाल आप एक साथ कर रहे हैं। एक सवाल कीजिये।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या यह सही है कि झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी जो झांसी पावर-हाउस को मैनेज करती है, उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---बहुत की तो खबर नहीं। हां, पहले से खराब जरूर है।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या यह सही है कि झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी जिसने गवर्नमेंट को करजा दिया है, उसकी हालत खराब होने की वजह से जहां-जहां यह कम्पनी मैनेज करती है वहां से इस कम्पनी के खिलाफ शिकायतें आई हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---अब दो वर्ष से तो कोई शिकायत आई नहीं।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या यह सही है कि झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के खिलाफ गोरखपुर की पब्लिक और वहां के म्युनिसिपल बोर्ड ने सरकार के पास दरख्वास्तें इस बात की दी हैं कि उनको रोशनी जो सप्लाई होती है वह बहुत खराब है और दाम भी ज्यादा लिये जाते हैं, लिहाजा उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाय ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जहां तक दाम ज्यादा होने की शिकायत है वह तो गोरखपुर से क्या सभी जगह से आती है। एक आम शिकायत दामों की है। दूसरे किसी वक्त में वोल्टेज उसका कम हो गया था। उसकी शिकायत आई थी। वह ठीक करा दिया गया।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी रेलवे को बिजली देती है। यदि हां, तो कब से ?

श्री धर्मसिंह---इस तरह की कोई खबर नहीं है कि रेलवे को भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी बिजली देती है।

श्री गज्जूराम---क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी और बिजली कम्पनी से मालूम करेगी कि बिजली दे दी है रेलवे को या नहीं ?

श्री धर्मसिंह---जी हां। जांच करायी जायगी, उसके बाद बताया जायगा कि बिजली दी जाती है या नहीं।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उसने उक्त कम्पनी को कितना रुपया कर्ज दिया है ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर के पद की समाप्ति की योजना

*१८—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस प्रांत में कितने सर्किल इन्सपेक्टर (पुलिस) रहे हैं और उनका पद समाप्त कर देने पर सरकार को क्या लाभ हुआ ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—इस प्रदेश में पुलिस के १६२ सर्किल इन्सपेक्टर हैं। इनके पद अभी समाप्त नहीं किये गये हैं।

श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पुलिस सर्किल इन्सपेक्टर के पद समाप्त करने की योजना उसके विचाराधीन है ? यदि है, तो कब तक कार्यान्वित की जायगी और क्यों कार्यान्वित की जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—पुलिस सर्किल इन्सपेक्टर के पद को समाप्त करने की योजना सरकार के विचाराधीन है और इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये अभी हम थोड़ा प्रयोग कर रहे हैं। अगर उसको सफलता मिली तो उसको हम आगे बढ़ायेंगे। इस योजना को कार्यान्वित करने का कारण यह है कि जो सर्किल इन्सपेक्टर्स के कार्य होते हैं उनमें हमने देखा वह पूरे तौर से ठीक नहीं हो पाते। उसके स्थान पर कोई अधिक उपयोगी और कारामद योजना सरकार चलाना चाहती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—किस जिले में यह योजना प्रयोग के रूप में लायी जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अभी तक तो शुरू नहीं हुई। शुरू करने का विचार है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सर्किल इन्सपेक्टर अलग किये जायंगे उनका काम किस पुलिस कर्मचारी को दिया जायगा और उनको कौन सा स्थान मिलेगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो सारी बातें उसी योजना के विचाराधीन हैं।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार उस योजना की रूपरेखा इस सदन के सामने रखने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—अभी आप चाहते हैं या बाद में ?

श्री बलवन्तसिंह—जो यह सर्किल इन्सपेक्टरों को समाप्त करने और उनसे दूसरा काम लेने की योजना है, क्या सरकार उस योजना की रूपरेखा इस सदन के सामने रखने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। इसको उन्होंने बताया कि विचाराधीन है।

श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना पूरे सूबे में लागू होगी या चन्द जिलों में ?

श्री अध्यक्ष—इसका भी जवाब दिया जा चुका है।

फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से जाली आदेश पर बंदियों की रिहाई

*१९—श्री अनन्तस्वरूपसिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से १२ बन्दी जाली आदेशों पर रिहा हो गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*२०—श्री अनन्तस्वरूपसिंह (अनुपस्थित)—अगर हां, तो क्या सरकार उक्त बंदियों का विवरण बताने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इनका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ ४०६–४०७ पर)

कुमायूं विकास बोर्ड निर्माण की आवश्यकता

*२१—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि कुमायूं विकास बोर्ड का निर्माण हो गया है? अगर हां, तो इसका विधान क्या होगा?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रश्न के पहले भाग का उत्तर "जी नहीं" है। दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि यह कुमायूं विकास बोर्ड से संबंधित प्रश्नों का संबंध वन विभाग से क्या है?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इससे नहीं उठता है। सरकार तो एक है। यह तो आप जानते ही हैं। पूरक प्रश्न में किस विभाग से क्या संबंध है आप इसका सवाल नहीं कर सकते?

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि कुमायूं विकास बोर्ड बनाने का निश्चय सरकार ने कर लिया है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसका तो मैं उत्तर दे चुका था कि अभी यह कुछ तय नहीं हुआ है, और चूंकि कुमायूं के विकास संबंधी मामलों पर मैंने एक कमेटी में जिसमें कि सब ही सरकारी अधिकारी विभागाध्यक्ष और कुछ सचिव थे और कोई गैर सरकारी सदस्य नहीं था वहां कुमायूं की विकास योजना को तैयार किया और इस कार्य को पूर्ण किया। इसका उत्तर फारेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, लेकिन चूंकि मैं उक्त कमेटी का संचालन कर रहा था और यह काम मेरे सुपुर्द किया गया था जिसको पूरा कर दिया गया इसलिये मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। अभी ऐसा कोई बोर्ड नहीं बना है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जी ने सरकारी तौर पर यह विचार प्रकट किया है कि कुमायूं या कुमायूं जैसे अन्य रीजनल क्षेत्रों के लिये विकास बोर्ड बनाये जाने की आवश्यकता है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां।

आनरेरी पेरोल मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति

*२२—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हर जिले में आनरेरी पेरोल मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं? यदि हां, तो नियुक्ति व कार्य संबंधी नियम सदन की मेज पर रखने की सरकार कृपा करेगी?

श्री मुजफ्फर हसन—आनरेरी पेरोल मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हर एक कमिश्नर के केवल एक जिले में की गई है। उनकी नियुक्ति के संबंध में यह आदेश जारी किया गया था कि वे प्रभावशाली समाज सेवक एवं शिक्षित हों तथा उनकी समाज में प्रतिष्ठा हो। तालिका में लिखित कार्य उन्हें दिया गया है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ४०८ पर)

*२३—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले में इनमें से कितने हरिजन लिये गये हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—कानपुर जिले में पेरोल मैजिस्ट्रेट नहीं नियुक्त किये गये हैं। अतः वहां हरिजनों की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर कुरील—प्रत्येक कमिश्नरी के वह कौन-कौन से जिले हैं जहां पर यह नियुक्तियां हुई हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह तालिका तो आपके पास होगी।

श्री मुरलीधर कुरील—तालिका में जिले नहीं दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष —आपके पास नहीं है ?

श्री मुरलीधर कुरील—मिले नहीं।

श्री मुजफ्फर हसन—इसमें बनारस, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बिजनौर, नैनीताल, इलाहाबाद और फैजाबाद है।

श्री मुरलीधर कुरील—प्रांत के अन्य जिलों में कब तक यह नियुक्तियां की जायंगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—अगर इनमें कामयाबी होगी तो दूसरे जिले भी लिये जायेंगे।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन नियमों का जो कि तालिका में दिये गये हैं, सारांश क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—नियमों का तो मैंने कोई जिक्र नहीं किया, किन नियमों को आप कह रहे हैं ?

श्री रतनलाल जैन—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन पैरोल मैजिस्ट्रेटों का कार्य क्या होगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—इनके सुपुर्द तीन-चार काम हैं। एक तो जिले के जो मुक्त कैदी हैं उनकी देखरेख करना और उनको फिर से बसाने में सहायता करना। दूसरे जहां आवश्यकता हो वहां यू० पी० प्रिजिनर्स रिलीज प्रोबेशन ऐक्ट तथा टिकट आफ लीव रूल्स के अन्तर्गत छोड़े गये कैदियों के संरक्षण का कार्य करना। तीसरे उपर्युक्त कैदियों के लिये योग्य संरक्षक तजवीज करना और चौथे जिलाधीशों को तजवीज किये गये संरक्षकों की उपयुक्तता के बारे में सलाह देना।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जिन जिलों में इन पैरोल मैजिस्ट्रेटों की नियुक्तियां हुई हैं उनका चुनाव किस आधार पर हुआ, किनकी सिफारिशों पर नियुक्तियां की गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सिफारिश पर जो कि कमिश्नर के मारफत आई।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन मैजिस्ट्रेटों के शिक्षित होने से उनका क्या अभिप्राय है ? किस कक्षा तक उनको शिक्षित होना चाहिये ?

श्री मुजफ्फर हसन— शिक्षा के लिये कोई स्टैंडर्ड मुकर्रर नहीं हुआ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने कृपा करेंगे कि म्युनिसिपल बोर्डों के सदस्य भी पैरोल मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—यदि कोई ऐसा सवाल आयेगा तो उस पर विचार होगा।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन पैरोल मैजिस्ट्रेटों का स्टेट्स जुडिशियरी होगा या ऐक्जीक्यूटिव ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, न इनका स्टेट्स जुडिशियरी है और न ऐक्जीक्यूटिव। मैं आपकी इजाजत से एक मिनट के अन्दर समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या है? हमारे यहां कई प्रोबेशन आफिसर्स हैं वे जिले के हैडक्वार्टर में रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि शहरी जो कैदी होते हैं उन के छूटने में तो आसानी होती है, पैरोल में आसानी होती है। लेकिन जो देहातों के रहने वाले कैदी होते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, और आमतौर से यह रिपोर्ट आती है कि उनका कोई गारंजियन नहीं होता तो कैसे छोड़ा जाय? तो हर जगह स्टाइपेंड़ी तनख्वाह देकर इतने आदमी रखना मुश्किल है। तो जिले में कुछ जो जिम्मेदारी थोड़ी अपने ऊपर लें कि हम इन कैदियों की देखभाल करेंगे तो इस बात का प्रयोग देहात में भी किया जा सके। शहर में तो प्रोबेशन आफिसर कहे जाते हैं। हमने बहुत गौर किया तो लोगों ने कहा कि देहातों में नाम के आगे "मैजिस्ट्रेट" लगा दिया जाय तो बहुत से लोग इस काम को लेने को तैयार हो जायेंगे। इतनी ही बात है और कुछ नहीं।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो स्कीम यह चलाई गई है इसमें कुछ सफलता के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—अभी तो शुरू की गई है। थोड़ा मौका मिले तो कुछ कहा जाय।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतायेगी कि जिन जिलों के नाम बताये गये हैं उनमें किसी हरिजन को आपने सेलेक्ट किया है?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। हर जिले में हरिजन मैजिस्ट्रेट रखे गये हैं।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि जो अफसर आनरेरी प्रोबेशन मैजिस्ट्रेट के नाम से रखे गये हैं इसमें कामयाबी हो रही है और लोग सामने आ रहे हैं कि वे अपने आपको मैजिस्ट्रेट बनवायें?

श्री मुजफ्फर हसन—वह तो जवाब में दे चुका हूं हर जगह लोग नियुक्त हो गये हैं। लोगों ने अपने को पेश किया तभी तो उनको किया गया।

बस्ती जिले के बखिरा बाजार स्थित बीजगोदाम के लिये पक्के मकान की आवश्यकता

*२४—**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बखिरा बाजार, जिला बस्ती के सहकारी संघ बीजगोदाम के पास निज का मकान है?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—जी नहीं। बीज भंडार एक किराये के मकान में स्थित है।

*२५—**श्री राजाराम शर्मा**—क्या बीजगोदाम के कच्चे मकान में सीलन के कारण गत वर्ष कुछ बीज खराब हो गया था?

श्री मंगलाप्रसाद—जी नहीं।

*२६—**श्री राजाराम शर्मा**—क्या उक्त गोदाम के भवन के लिये प्लानिंग विभाग से कुछ रुपया मंजूर हुआ था? यदि हां, तो मकान क्यों नहीं बना?

श्री मंगलाप्रसाद—जिला नियोजन समिति ने बीज भंडार के निर्माण के लिये केवल २,८०० रु० का ही अनुदान स्वीकृत किया था जब कि बीज भंडार के निर्माण कार्य में कम से कम ८,८५० रु० व्यय होने का अनुमान था। सहकारी संघ बरिबरा के पास निजी कोष की कमी तथा अन्य संस्थाओं से ऋण की सामयिक व्यवस्था न हो सकने के कारण निर्माण-कार्य अभी शुरू नहीं हो पाया है।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार यह बतायेगी कि इन बीज गोदामों के निर्माण का काम बरसात के बाद शुरू हो जायगा ?

श्री मंगलाप्रसाद—बिल्कुल समय बताना तो मुश्किल है। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि दो साल के अन्दर जितने भी हमारे बीज भंडार हैं सूबे में वे सब पुख्ता हो जायेंगे।

श्री राजाराम शर्मा—क्या यह सही नहीं है कि प्लानिंग विभाग से पांच हजार रुपया मंजूर हुआ था ?

श्री मंगलाप्रसाद—जितना मंजूर हुआ था वह तो बता दिया कि २,८०० मंजूर हुआ था और खर्च होने वाला था ८,५००, इसीलिये नहीं हो सका।

सरकारी कर्मचारियों के शिक्षा संस्थाओं की परीक्षाओं में बैठने पर प्रतिबन्ध

*२७—**श्री भगवानसहाय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने कोई गश्ती चिट्ठी इस आशय की निकाली है कि सरकारी कर्मचारी अब से यूनिवर्सिटी तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं के इम्तहानों में नहीं बैठ सकेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*२८—**श्री भगवानसहाय**—क्या सरकार उस गश्ती चिट्ठी की एक नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गश्ती राजाज्ञा सं० २०५६। २ बी। १९५४, दिनांक जुलाई १९,१९५४ मेज पर रखी गयी है जिसका खंड ७ इस प्रश्न से संबंध रखता है।

('देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ ४०९-४१४ पर")

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी छोटे दर्जे के कर्मचारियों की तरक्की की बात को ध्यान में रखते हुये ऐसी कोई तजवीज करने की बात पर विचार करेंगे कि जो आदमी इम्तहान देना चाहता है उसको छुट्टी दे दी जाय ताकि वह छुट्टी लेकर इम्तहान दे सके।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—छुट्टी का सवाल तो खासतौर से सामने आया नहीं लेकिन, जहां तक तरक्की की बात है तो शिक्षा विभाग तो जरूर ऐसा विभाग है कि जिसमें जो लोग काम करते होंगे उनकी तरक्की आगे चलकर नयी डिग्री हासिल करने पर होती है, और शिक्षा विभाग में तो आम तौर से लोगों को इजाजत रहती भी है। लेकिन बाकी और विभागों में जो लोग काम करते हैं उनकी तरक्की प्रायः निर्भर भी नहीं करती इस बात पर कि वह कोई नयी डिग्री हासिल कर लें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से ऐसा आदेश सरकार को जारी करना पड़ा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दो तीन कारण हैं। एक तो यह कि इस बात का प्रबन्ध करना बहुत मुश्किल है कि जिन लोगों को लेक्चर वगैरह किसी कालेज या यूनिवर्सिटी में अटेंड करने हों, वह ऐसे वक्त में लगते हों कि जिस वक्त में उनके दफ्तर का काम न हो, इससे दफ्तर के काम में हर्ज होता है। दूसरे जिस आदमी को पढ़ना-लिखना है वह पूरे तौर से अपना समय यों भी नहीं दे सकता क्योंकि प्रायः उसका ध्यान दूसरी तरफ रहता है और वह ऐसा सोचता रहता है कि यहां से उठकर कब दूसरी जगह जाय। तीसरी बात यह भी है कि एक शख्स सरकारी दफ्तर में काम करता है, बहुत से किस्म के कागज पत्र उसके सामने आते रहते हैं और वह एक स्टूडेंट होकर दूसरों के बीच जाता है तो यह कहना कठिन है कि जितनी बातें उसके सामने आती हैं या उसको दफ्तर में जिन बातों को डील करना पड़ता है, उन बातों को वह उस तरह से गोपनीय रख सकेगा जिस तरह कि वह आदमी जो कि केवल दफ्तर में काम करता है ?

श्री बलवन्तसिंह—क्या इस चिट्ठी का असर लोकल बाडीज या एडेड संस्थाओं, जैसे स्कूल वगैरह हैं, उनके कर्मचारियों पर भी पड़ता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मैं जानता हूं नहीं पड़ता।

श्री भगवानसहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जहां पर नाइट स्कूल्स होते हैं या दर्जे सुबह को होते हैं, वहां पर उन जगहों के सरकारी कर्मचारियों को इम्तहानों में बैठने की आज्ञा वह प्रदान करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आज्ञा तो एक जनरल रूप में ही निकाली जा सकती है और जहां नाइट स्कूल्स हों भी, लेकिन जो दो तीन कारण मैंने बताये। नाइट स्कूल्स अगर हुये भी तो एक ही कारण का जवाब हो सकता है, बाकी और कारण तो रह ही जायेंगे।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी सरकारी कर्मचारियों की हिन्दी की योग्यता की आवश्यकता को देखते हुये इस कानून को हिन्दी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिये छूट देंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका तो कोई सवाल पैदा नहीं हुआ। सवाल तो आमतौर पर पैदा हुआ जो कि बी० ए० और एम० ए० की डिग्री लेना चाहते हैं।

*२९–३१—**श्री श्रीचन्द्र**—[२२ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*३२—**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)—[२२ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

सचिवालय के चपरासियों के लिये सरकारी क्वार्टरों की आवश्यकता

*३३—**श्री उमाशंकर**—क्या सरकार बता सकती है कि कितने चपरासियों को सरकार की ओर से रहने की जगह नहीं मिल सकी है ?

श्री धर्मसिंह—सचिवालय के ५०४ चपरासियों को सरकार की ओर से रहने की जगह नहीं मिल सकी है।

*३४—**श्री उमाशंकर**—क्या सरकार चपरासियों के निवास का कोई प्रबन्ध करने का विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—इस समय तो सचिवालय के चपरासियों के लिए निवास का प्रबन्ध करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी यह बता सकेंगे कि इस सचिवालय के कितने चपरासियों को जगह दी जा सकी है रहने की ?

श्री धर्मसिंह—२३८ चपरासियों को जगह दी जा सकी है।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपाकर यह बतायेंगे कि जिन ५०४ चपरासियों को रहने की जगह नहीं दी जा सकी है उनको कोई मकान का अलाउन्स दिया जाता है ?

श्री धर्मसिंह—जी, ऐलाउंस तो नहीं दिया जाता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार प्रदेश के चपरासियों को कोई हाउस अलाउन्स देने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—इस समय तो कोई इस तरह का प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो नयी हाउसिंग स्कीम्स शहरों में लागू होने वाली है उसका फायदा सेक्रेटेरियट के चपरासी उठा सकेंगे ?

श्री धर्मसिंह—अगर उस नियम मे आते होंगे तो उठा सकेंगे, अन्यथा नहीं ।

श्री रामदास आर्य—माननीय मंत्री जी उन चपरासियों को जिनको सरकारी तौर से स्थान नहीं मिला रहने के लिए, जब तक उनको सरकारी स्थान मिले उस वक्त तक उनको हाउस अलाउंस देने का विचार रखती है ?

श्री धर्मसिंह—इसका तो उत्तर दिया जा चुका है कि इस तरह का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर यह बतायेंगे कि जिस तरह से काउंसिलर्स रेजिडेंस बनाया गया है उसी तरह से कोई चपरासियों के लिए रेजीडेंस बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं, यह उठता नहीं है । जवाब देने की तबियत हो तो आप दे दें ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—बराये नजरे करम यह फरमायेंगे कि उतना रुपया गवर्नमेंट को दिलायें तो जरूर बनाये जायेंगे ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चपरासियों के मकान में कम खर्चे का ध्यान रखते हुए सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि उनके रहने के लिए मकान बनाये जायगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैंने तो अर्ज किया कि इस सरकार को रुपये की जरूरत है । हाउस रुपया देगा, जरूर बनाये जायेंगे । जो सूरत पेश करूंगा रुपये की उसे मंजूर किया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि नैनीताल जाने वाले सचिवालय के चपरासियों के लिये वहां कोई निवास का इन्तजाम नहीं है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यहां भी नहीं, वहां भी नहीं ।

लखनऊ तथा कानपुर में कत्ल

*३५—**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ तथा कानपुर में १९५५ में कितने कत्ल हुये उनमें कितने केस चालान हुये तथा कितने सजायाब हुये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस वर्ष जितने कत्ल हुये उनमें से लखनऊ में १७ केस और कानपुर में १६ केस चालान हुये । इनमें से केवल लखनऊ के एक केस में फैसला हुआ है जिसमें अभियुक्त बरी हो गया है । अन्य सब लखनऊ के मुकदमें व कानपुर के तमाम मुकदमें अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि १९५५ में लखनऊ में और कानपुर में कुल कितने कत्ल हुये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सन् १९५५ में लखनऊ में २८ कत्ल हुये और कानपुर में २८ हुये ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो २८ कत्ल कानपुर में हुये हैं उनमें जूही हत्याकांड भी शामिल है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां, जूही का भी कत्ल शामिल है ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस हत्याकांड में कितने स्त्री और पुरुष मारे गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मेरे पास जो सूचना है वह कत्ल की तादाद की है कि कितने केस आये । आप किसी विशेष केस का अगर कुछ हवाला दें तो मैं बतला सकता हूं कि उसमें कितने मरे ।

श्री नेकराम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, जितने मर्डर केसेज हुये उनमें जूही मार्डर केस बहुत महत्वपूर्ण हुआ है और माननीय मंत्री खुद भी कानपुर हो आये हैं....

श्री अध्यक्ष—आप मुझसे क्यों अपील कर रहे हैं, आप प्रश्न करिये ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जूही में जैन हत्याकांड हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उसमें कितने स्त्री और पुरुष मारे गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कानपुर में जो श्री जैन के यहां हत्याकांड हुआ उसमें दो लड़कियों और एक लड़के की हत्या हुई ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि इस कत्ल में कानपुर के एक पूंजीपति का हाथ था ?

श्री अध्यक्ष—यह इससे उत्पन्न नहीं होता है । मुकदमा जब चल रहा है तो इस तरह के प्रश्न की मैं इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि लखनऊ और कानपुर में इतने अधिक कत्ल हुये हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता, हर एक के अलग-अलग कारण होंगे ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जूही हत्याकांड में कुछ लोग गिरफ्तार भी हुये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि स्वदेशी काटन मिल की एक कार इस सम्बन्ध में पकड़ी गयी है ?

श्री अध्यक्ष—जब मुकदमा अदालत में है तो उसके बारे में डिटेल्स आप नहीं पूछ सकते हैं ।

श्री नेकराम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, अभी जांच हो रही है, अभी चालान नहीं हुआ है और एक उद्योगपति की मोटर भी पकड़ी गयी है ।

श्री अध्यक्ष—आप इन्फार्मेशन न दें, सवाल पूछें । माननीय गृह मंत्री कृपया इस प्रश्न का उत्तर दे दें ।

श्री जगनप्रसाद रावत—एक मोटर पकड़ी गयी है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि वह मोटर किसकी है और इस सारे केस में क्या कोई सी० आई० डी० नियुक्ति की गई है, जांच करने के लिये? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट आयी है?

श्री जगनप्रसाद रावत—जो मोटर पकड़ी गयी है वह तो स्वदेशी काटन मिल के प्रोप्राइटर की बताई जाती है। जांच तो अभी पूरी नहीं हुई है इसलिये उसके सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

अलीगढ़ जिले में कत्ल

*३६—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में सन् १९५४ तथा ५५ में जो कत्ल हुये उनमें से कितने चालान किये गये तथा कितने सजायाब हुये?

श्री जगनप्रसाद रावत—जिला अलीगढ़ में १९५४ में जो कत्ल हुए उनमें से २७, व सन् १९५५ में जो कत्ल हुये उनमें से १६ केस अभी तक चालान किये गये हैं। सन् १९५४ के ७ मुकदमों में और सन् १९५५ के दो मुकदमों में अभियुक्त इस समय तक दंडित हो चुके हैं।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि सन् १९५५ में कुल कितने केस कत्ल के हुये?

श्री जगनप्रसाद रावत—१९५५ में कुल ३२ केस कत्ल के हुये।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि बाकी केसेज का चालान क्यों नहीं हो सका?

श्री जगनप्रसाद रावत—बाकी केसेज में १३ की जांच हो रही है और तीन मामलों में पूरा सबूत न मिलने की वजह से उन पर अभी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जांच कितने दिनों से हो रही है और कब तक समाप्त हो जायगी?

श्री जगनप्रसाद रावत—कत्ल के मुकदमें की जांच जब तक कातिल जिन्दा रहता है की जाती है, चाहे उसमें कितने ही वर्ष लगें।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या यह सही है कि बाकी के जितने मर्डर केसेज हैं, पुलिस उनको ट्रेस आउट नहीं कर सकी?

श्री जगनप्रसाद रावत—जिस वक्त ट्रेस आउट कर लेगी उस वक्त वह अदालत के सामने पेश कर देगी।

अलीगढ़ जिले के फरार डाकू

*३७—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में कितने डाकू फरार हैं और कब से?

श्री जगनप्रसाद रावत—डाके से सम्बन्धित कुल १० अभियुक्त फरार हैं। सन् १९४९ से २, सन् १९५० से १, सन् १९५१ से १, सन् १९५३ से १, सन् १९५४ से ३ तथा सन् १९५५ से २।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९४९/१९५५ में जो दो डाकू फरार हुये हैं उनके नाम क्या है और किस तहसील के रहने वाले हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—१९४९ में जो अभियुक्त फरार हुये हैं उनके नाम हैं भीमा और मित्तरसिंह, और १९५५ में रामगोपाल और हरप्रसाद ।

श्री अध्यक्ष—वह पूछना चाहते हैं किस जिले के हैं, अलीगढ़ के या आगरे के ।

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो अलीगढ़ जिले के ही हैं ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि राम गोपाल जो फरार हुआ है उसके माता-पिता और बादी सब कांग्रेस के आन्दोलन में जेल गये थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सम्भव है माननीय सदस्य की सूचना सही हो ।

कानपुर टेक्सटाइल मजदूरों की हड़ताल में गिरफ्तारियां

*३८—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर के टेक्सटाइल मजदूरों की हड़ताल में कितने मजदूर तथा मजदूर कार्यकर्त्ता गिरफ्तार किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—५८४ मजदूर और ६० मजदूर कार्यकर्त्ता गिरफ्तार किये गये थे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मजदूर और मजदूर कार्यकर्त्ताओं में से अभी तक कितने जेल में बन्द हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१८ ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह १८ मजदूर या मजदूर कार्यकर्त्ता कब तक रिहा कर दिये जायंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब उनकी सजा की मियाद खत्म हो जायगी । उनमें १३ आदमी तो ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं उनकी बाबत मैं नहीं कह सकता, बाकी ५ आदमी मियाद खत्म होने पर छूट जायेंगे ।

श्री गेंदासिंह—उन लोगों को जिनको सजा हो चुकी है उनको सरकार माफ करने, या जो अंडर ट्रायल हैं उनपर मुकदमा न चलाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसे बहुत से मामलों पर विचार किया गया और जो छोटे-छोटे महज टैक्नीकल अपराध थे, जैसे १४४ का तोड़ना तो उनमें मुकदमे चलाने का हमारा ख्याल नहीं था । लेकिन जिन केसेज में वायलेंस हुआ है और उनमें सरकारी नियमों की ही पाबन्दी नहीं हुई है बल्कि दूसरों को नुक्सान पहुंचा है जैसे किसी पर तेजाब डाल दिया गया, उसमें हमारा खयाल ऐसा है कि रियायत करना ज्यादा मुनासिब नहीं होगा ?

श्री जगन्नाथमल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो अंडर ट्रायल हैं उन पर कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं ?

श्री अध्यक्ष—इसमें बहुत से आदमी हैं, मैं ब्योरे से पूछने की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जितने मजदूर कार्यकर्त्ता और मजदूर गिरफ्तार किये गये उन गिरफ्तार किये गये मजदूर और मजदूर कार्यकर्त्ता में कितने के ऊपर मुकदमा चलाया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इस वक्त ठीक नहीं बतला सकता ।

गोरखपुर सरकारी पावर हाउस की बिजली का वितरण

*३६—**श्री इस्तफा हुसैन**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर में सरकारी बिजली बनाने का जो पावर हाउस है उसमें कुल कितनी बिजली इस समय तैयार होती है ? और उसमें से कितनी नलकूपों के चलाने में लगती है, कितनी रेलवे को दी जाती है और कितनी खलीलाबाद और चौरी चौरा वगैरह में रोशनी देने में लगती है ?

श्री धर्मसिंह—गोरखपुर सरकारी पावर हाउस से इस समय कुल ३६५० किलोवाट बिजली तैयार होती है। उसमें से २१६६ किलोवाट नलकूपों के चलाने लगती है। ३६४ किलोवाट रेलवे, और ६०० किलोवाट खलीलाबाद और चौरी चौरा वगैरह को रोशनी के लिये दी जाती है।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या यह सही है कि एन० ई० रेलवे, गोरखपुर के पास एक पावर हाउस मौजूद है तो क्या उस सूरत में रेलवे को यह ३६४ किलोवाट बिजली न देकर गोरखपुर म्युनिसिपल बोर्ड और बस्ती म्युनिसिपल बोर्ड को वह रोशनी दी जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—रेलवे के पास चूंकि शार्टेज था इसलिये उन्होंने बिजली ली। अभी तो उनका पावर हाउस नहीं बना है जब वह बना लेंगे तो यह बिजली रिलीज हो जायगी।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह ७६० किलोवाट बिजली जो शेष रह जाती है, उससे क्या सरकार गोरखपुर शहर वालों के लिये रोशनी का इन्तजाम करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कानपुर शहर में इस वक्त एक लाइसेन्सी है जिसकी बिजली वहां बन कर बटती है। जब तक वह लाइसेन्स खत्म नहीं होता तब तक गवर्नमेंट को खुद अपनी तरफ से वहां बिजली बेचने का अपने आप बना कर कानूनन हक नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एन० ई० रेलवे को जो बिजली सप्लाई की जाती है वह बल्क में सप्लाई की जाती है, और वह किस रेट से सप्लाई की जाती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस वक्त में रेट तो नहीं बतला सकता, लेकिन इतनी मिकदार में जो बिजली दी जाती है वह बल्क सप्लाई कहलाती है।

श्री शिवनारायण—क्या यह सही है कि इस पावर हाउस से बस्ती को भी बिजली सप्लाई की जाती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह तो जबाव में लिखा हुआ है और उसको यहां पर पढ़ा गया है।

श्री शुकदेवप्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बाकी बिजली शहरों को न देकर देहात और कस्बों को दी जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस बिजली को देने या न देने का सवाल इसमें नहीं है। तमाम उस एरिया के लिये बिजली का पावर हाउस बनाया जा रहा है, २-२॥ साल में वह तैयार हो जायगा तो फिर सब को मिल जायगी।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा करके बतायेंगी कि यह पावर हाउस जब ५६ के आखिर तक तैयार हो जायगा तो गोरखपुर स्टेशन के पास, जो पावर स्टेशन है वह और देवरिया का पावर स्टेशन तोड़ दिया जायगा या रखा जायगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर जरूरत पड़ने पर यह लाया जा सकता है ।

गोरखपुर में बिजलीघर का निर्माण

*४०--श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जो steam engine वाला पावर हाउस गोरखपुर में बन रहा है उसमें कब तक बिजली तैयार होने की आशा है, और वह बिजली क्या गोरखपुर शहर वगैरह में रोशनी देने में भी लगेगी ?

श्री धर्मसिंह--गोरखपुर का जो बिजली घर बन रहा है १९५६ के अन्त तक तैयार हो जायेगा । इस बिजली घर से जो बिजली पैदा होगी उसमें गोरखपुर, देवरिया और बस्ती के जिलों में रोशनी वगैरह के लिये बिजली दी जावेगी ।

प्रतापगढ़ जिले के पुलिस कर्मचारियों पर पुलिस ऐक्ट की कार्यवाही

*४१--श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल --क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जिले में सन् १९५४ तथा जुलाई, १९५५ तक कितने पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ धारा ७ पुलिस रेगुलेशन की कार्यवाहियां की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--३३ पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ धारा ७ पुलिस ऐक्ट की कार्यवाहियां की गईं ।

अतारांकित प्रश्न

फर्रुखाबाद जिले के छिबरामऊ कस्बे को मैनपुरी शक्ति-गृह से बिजली देने पर विचार

१--श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कसबा छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद को विद्युत-शक्ति देने का विचार वह रखती है ? यदि हां, तो कब तक और कहां से ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां । छिबरामऊ नगर जिला फर्रुखाबाद का विद्युतीकरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत "ग्रामीण नगरों का विद्युतीकरण योजना" में करने का विचार है, और विद्युत-शक्ति मैनपुरी शक्ति-गृह से उपलब्ध होगी ।

देहाती क्षेत्रों को बिजली देने की शर्तें

२--श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देहाती क्षेत्रों में प्रकाश के लिये बिजली देने के सम्बन्ध में क्या-क्या शर्तें और नियम सरकार ने बनाये हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--देहाती क्षेत्रों में रोशनी के लिये बिजली दे दी जाती है यदि कन्ज्यूमर लाइन की पूरी लागत दे दे या हर साल उतनी बिजली खर्च करने की गारन्टी दे जितनी कि लाइन के लागत के ५० प्रतिशत के बराबर होती है ।

माताटीला विद्युत्-गृह से उत्पन्न बिजली की दर

३--श्री गज्जूराम--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माताटीला बांध पर विद्युत उत्पादन का कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

नोट:--तारांकित प्रश्न ४० के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—माताटीला बांध व विद्युत उत्पादन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल है और अभी भारत सरकार के विचाराधीन है। कार्य शुरू होने पर विद्युत उत्पादन में करीब तीन साल लगेंगे ?

४—**श्री गज्जूराम**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माताटीला से उत्पन्न विद्युत का उपभोग कितने क्षेत्र में होगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—माताटीला विद्युत-गृह से उत्पन्न होने वाली विद्युत-शक्ति का उपयोग झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा जिलों में होगा।

५—**श्री गज्जूराम**—क्या सरकार बतायेगी कि माताटीला से उत्पन्न बिजली की अनुमानित दर जन-साधारण के लिये क्या होगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अनुमान किया जाता है कि जन-साधारण को बिजली गंगा ग्रिड में लागू दर पर दी जावेगी।

कानपुर मे एल्गिन मिल्स की तालाबन्दी से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कामरोको प्रस्ताव श्री रामनारायण त्रिपाठी, श्री झारखंडे राय और श्री नारायणदत्त तिवारी ने भेजे है। उनका एक ही विषय है। मैं एक पढ़ देता हूं, श्री रामनारायण त्रिपाठी का, चूंकि वह पहले आया है।

"कानपुर में संकुचित अभिनवीकरण योजना के विरुद्ध चलने वाली ८० दिन की प्रसिद्ध हड़ताल की शान्तिपूर्ण समाप्ति के बाद मिल मालिकों द्वारा लगातार भंग किये जाने वाले वादों के प्रति लगातार ध्यान दिलाये जाने के बावजूद सरकार की उपेक्षा के कारण कल कानपुर की एलगिन मिल्स के मालिकों ने तालाबन्दी कर दी, जिससे ६,००० मजदूर बेकार हो गये हैं। इसका प्रभाव अन्य मिलों के मजदूरों पर भी पड़ने वाला है।

इस तालाबन्दी से उत्पन्न परिस्थिति पर वाद विवाद के लिये सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसके साथ-साथ मेरे पास कोई कागजात नहीं भेजे जिससे निश्चित हो सकता कि यह बात ऐसी हुई। मैं समझता हूं कि यह शायद अखबारी खबर के ऊपर ही इस प्रकार का प्रस्ताव भेजा गया है, नहीं तो कुछ कागज कानपुर से कोई आया होता या कोई चाराजोई सरकार से की गयी होती। सरकार से इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है यह भी स्पष्ट होना आवश्यक है, जो स्पष्ट नहीं होता। ऐसी अवस्था में वाकयात की अनिश्चितता के कारण और सरकार से इसका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध है या नहीं है यह भी अनिश्चित होने के कारण मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। हां, यह प्रश्न महत्व का प्रश्न हो सकता है, अगर यह वाकया सही हो। ऐसी अवस्था में माननीय श्रम मंत्री जी कोई वक्तव्य देना चाहें तो आज या कल दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि कल दें तो उचित होगा। क्योंकि आज एक दूसरा भी दुखद विषय सदन के सामने आने वाला है। तो वे कल वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल की हत्या पर शोकोद्गार

†**मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सदस्य श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल की नृशंस हत्या का समाचार इस माननीय सदन को कल ही मिल चुका है। शुक्ल जी के सम्बन्ध में मैं क्या निवेदन करूं, जवान आदमी थे, अपने जिले के बहुत ही अच्छे कार्यकर्त्ता थे, इस समय भी जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री थे। सन् १९४२ के स्वतन्त्रता आन्दोलन में जेल भी जा चुके थे और कई सार्वजनिक संस्थाओं से उनका

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

सम्बन्ध था, एक अच्छे वकील थे। इस सदन के पेनल आफ चेयरमैन के सदस्य की हैसियत से आपकी अनुपस्थिति में कई बार वे इस कुर्सी पर बैठ चुके हैं, और मेरा ऐसा विश्वास है कि उन्होंने जिस योग्यता के साथ उन अवसरों पर अपने कार्यों का सम्पादन किया, उसके कायल इस सदन के सभी माननीय सदस्य रहे हैं। इस समय उनके वृद्ध पिता जीवित हैं, पत्नी है और चार बच्चे हैं। ऐसी अवस्था में मैं इसके सिवा और क्या कह सकता हूं कि हम सब को इस बात का घोर दुःख है, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब की सहानुभूति उनके कुटुम्ब तक पहुंचा दें, और परमात्मा से भी हम प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्गति प्राप्त हो।

मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय सदस्य यह भी जानना चाहते होंगे कि उनकी हत्या के सम्बन्ध में अब तक हमको क्या सूचना है? बहुत ज्यादा सूचना तो नहीं है, जो अखबार में सूचना आ चुकी है उससे अधिक मैं शायद ही कोई बात बतला सकता हूं। ११ बजे का समय था, वे अपने मकान से कचहरी के लिये जा रहे थे। मैंने वह जगह देखी तो नहीं है लेकिन ऐसा मालूम होता है कि उनके मकान और कचहरी के बीच में एक सुनसान सा मैदान पड़ता है जहां कोई मकान नहीं है, खाली मैदान पड़ा है। वहां दो व्यक्तियों ने जो बाइसिकल पर सवार थे, एक देशी पिस्तौल से उनके ऊपर गोली चलाई। तीन घाव उनके लगे, रान में और पेट में, थोड़ी ही देर में उनकी मृत्यु हो गई और डाक्टर भी वक्त से वहां नहीं पहुंच सके। जिन लोगों ने उन पर आक्रमण किया वह भाग गये लेकिन साइकिल उनकी वहां छूट गई। जो साइकिल मिली वह पहचानी गई, वह है श्री गौरीशंकर मिश्र की जो पास के ही देहात के रहने वाले हैं, वह गिरफ्तार हैं। उन्होंने बताया है कि वह साइकिल उन्होंने पास के गांव बटेटा के रहने वाले प्रयागबख्शसिंह को दे दी थी। प्रयागबख्शसिंह की तलाशी ली गई लेकिन वह और उनके साथी अभयराजसिंह दोनों फरार हैं। उनके रिश्तेदारियों में भी तलाश किया गया लेकिन वहां भी वह नहीं मिले। प्रयाग बख्श सिंह पहले से हिस्ट्रीशीटर भी हैं। इस वक्त तक की जांच पड़ताल का जो नतीजा है वह मैंने बता दिया, इससे ज्यादा सूचना देने में मैं असमर्थ हूं। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने निवेदन किया मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोगों का शोक और समवेदना उनके व्यथित परिवार तक पहुंचा दें।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भगवती प्रसाद शुक्ल के सम्बन्ध में शायद यह माननीय सदन या मैं सुनने को भी तैयार नहीं था कि उनकी इस तरह से नृशंस हत्या होगी। जब हमें यह समाचार सुनने को मिला मैं अचम्भे में पड़ गया और विचलित भी हुआ, मैं स्वयं वहां गया और मैंने जो अवस्था उनकी देखी, जिस समय उनका पोस्टमार्टम हो रहा था उस समय मैंने वहां जाकर उनके शरीर के हालत को देखा। मैं बहुत ही परेशान और विचलित हुआ। इस तरह की हत्या और इतनी निर्दयता के साथ कोई ऐसे हंसमुख और मिलनसार आदमी को भी मार देगा, ऐसा जल्दी विश्वास नहीं होता। हमारा पिछले ३–४ वर्षों से उनसे सम्बन्ध रहा है, जहां तक उनके व्यवहार और मिलने-जुलने का सम्बन्ध है सभी उनके विषय में बहुत अच्छे विचार रखते हैं। वह जितने राजनैतिक कार्यकर्ता थे उससे कहीं अधिक लोगों का मित्र बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त था। हम भी ऐसा समझते थे कि वह हमारे मित्र हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनके विषय में जो प्रस्ताव किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं और मैं भी आपसे अपने और अपने सब साथियों की तरफ से आग्रह करता हूं कि आप उनके परिवार के लोगों को सम्वेदना भेज दें। मुझे उनके परिवार के लोगों की याद आती है। कल मुझे लोगों ने बताया कि उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक साले थे जो रो रहे थे, पहले मैं नहीं जानता था बाद में लोगों ने मुझे बताया ? मैंने उनको धीरज बंधाया। हमने पूछा कि उनके परिवार में कौन-कौन लोग हैं ? मुझे बताया गया कि उनकी धर्मपत्नी हैं, चार-पांच बच्चे हैं जो बहुत छोटे-छोटे हैं और वही परिवार के अर्निंग मेम्बर थे। अब उन बच्चों की और उनकी धर्मपत्नी की किस तरह से गुजर हो सकेगी, यह बहुत पेचीदा प्रश्न है। ऐसी दशा में जो हमारी समवेदना है उसको हम शब्दों में नहीं रख सकते, और हम इस समय केवल इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि उनके परिवार के लोगों को हमारी तरफ से सम्वेदना भेजने की कृपा करें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो माननीय भगवतीप्रसाद शुक्ल की अकस्मात और दुखित तरीके से हत्या हुई उसके विषय में जो शोक प्रस्ताव सदन के सामने रखा है उसका मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं। शुक्ल जी से जान पहचान करने का अवसर मुझे यहां इस सदन के सदस्य बनने के बाद ही प्राप्त हुआ और विशेषकर पिछले वर्ष जब वह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सदस्य थे, उस अवसर पर उनसे विशेष परिचय प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस वर्ष भी इस सदन की जो रूल्स अमेंडिंग कमेटी है उसके भी वे सदस्य थे। वहां उनसे विशेष बातें करने का और विचार विमर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर बहुत कुछ कहना कठिन है। इतना ही कह कर मैं बैठता हूं कि हमारी तरफ से शुक्ल जी के परिवार को हमारी पूरी-पूरी हमदर्दी है और आप से प्रार्थना है कि आप उसको उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

***श्री उमाशंकर मिश्र** (जिला बाराबंकी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिले बाराबंकी के सम्मानित नेता श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल जी को लगभग १५ वर्ष से जानता हूं। उन्होंने १९४० से कांग्रेस में पूर्णरूपेण भाग लिया था। जिस समय सत्याग्रह आन्दोलन चल रहा था, मैं अपने जिले के सत्याग्रह का संचालक था। उन्होंने उस जमाने में बहुत काफी सहयोग दिया। यहां तक कि उन्होंने गुप्त रूप से अपना पूरा मकान उस सत्याग्रह में काम करने के लिये मेरे लिये छोड़ दिया था। उसके पश्चात् १९४२ के आन्दोलन में वे मेरे साथ बाराबंकी जेल में थे। गत वर्ष वे जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान मंत्री रहे। उनका जन्म बाराबंकी जिले के रामनगर ग्राम में श्री रामसेवक जी शुक्ल के यहां हुआ था। उनके दो छोटे भ्राता हैं। एक तो कानपुर में मुलाजिम हैं और दूसरे बाराबंकी में यूनियन के मंत्री हैं। उनकी धर्मपत्नी हैं और तीन छोटे लड़के हैं, और दो छोटी-छोटी लड़कियां हैं। श्रीमान् जी, यह इतनी दुखद अघटित घटना हुई है जो कभी न सुनी न देखी, वह देखने और सुनने में आयी। वही व्यथा उस समय की याद आती है जिस समय जनकपुर के दूत चित्रकूट में पहुंचे और उनसे कुशल प्रश्न पूछा जाने लगा तो उन्होंने कहा :—

"नाहिं तो कोशलनाथ के साथ कुशल गई नाथ।
मिथिला अवध विशेष के सब जग भयो अनाथ॥"

तो इस जगह भी वही परिस्थिति देखी !

कल जब यहां सवा बजे सदन का अवकाश का समय था मैं कांग्रेस पार्टी के आफिस की ओर चला गया था। वहां से जब वापिस आ रहा था तब रास्ते में सम्मानित नेता श्री सीताराम जी शुक्ल ने कहा कि "आपने कुछ सुना, आपके जिले के पंडित भगवतीप्रसाद जी शुक्ल को गोली मार दी गई" ! सुनते ही स्तम्भित हो गया। गुप्ता जी से पता लगाया तो मालूम हुआ कि फोन मिलाया जा रहा है और फोन अभी मिला नहीं है। उसके पश्चात् माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी से मिलने गया, वे घर पर नहीं थे चले गये थे। इसके पश्चात् मैं उपाध्यक्ष महोदय से मिला, उस समय तक कुछ नहीं मालूम हुआ। लेकिन तब तक श्री बाबू जगतनारायण जी मिले और उन्होंने बताया कि मैं अभी देख कर आ रहा हूं। वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उमाशंकर मिश्र]

११ बजे अपने मकान से कचहरी जा रहे थे। रास्ते में दो आदमी उनके पीछे-पीछे चले आ रहे थे। उन दोनों आदमियों ने पीछे से गोली मारी और जब वह गिर पड़े तब उन दोनों आदमियों ने उनके शरीर पर बहुत घोर आघात पहुंचाये। यहां तक कि उनका कान उचड़ सा गया था और उनका कान आधा कट गया था, उस जगह काफी खून बहा था। यह दुखद घटना है। इस सम्बन्ध में अधिक न कह कर आपके द्वारा यह चाहूंगा कि उनके परिवार के प्रति हमारी और सदन के सब सम्माननीय सदस्यों की सम्वेदना पहुंचाई जाय। उनके परिवार के प्रति जो कुछ भी सरकार कर सके उसमें कोई कसर न रखी जाय। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शान्ति मिले।

श्री अध्यक्ष—श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल जी की नृशंस हत्या के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने जो अभी अपने विचार प्रकट किये और अन्य दलों के नेताओं ने इस सदन की ओर से, तथा जिले के माननीय सदस्य उमाशंकर जी ने भी जो भावनाएं व्यक्त कीं उन सबके साथ में अपने को भी सम्बद्ध करता हूं। जब मैंने कल यह खबर सुनी मुझे अचानक ऐसा धक्का लगा कि शाम तक मुझे याद है कि मैं अपने दिल में एक कमजोरी सी महसूस करता रहा। मेरे दिल में कई भावनाएं उठीं, एक तो यह थी कि वे नवयुवक थे, देश भक्त थे, इतने मिलनसार थे और बड़े लोकप्रिय थे। ऐसे सज्जन की ऐसी नृशंस हत्या होना यह एक साधारण घटना नहीं है! और भी हमारे कुछ कार्यकर्ताओं पर इस बीच में आक्रमण हुए हैं लेकिन उनके लिये कुछ उनके स्वभाव को तीव्रता के बारे में कहा जा सकता था। किसी का स्वभाव तीव्र था या किसी के साथ कुछ झगड़ा था, किन्तु एक निरुपद्रवी, लोकप्रिय, मिलनसार और हमेशा हंसते हुए रहने का जिनका स्वभाव था—ऐसे सज्जन पुरुष की हत्या हो जाना उससे किसी भी व्यक्ति को बड़ा धक्का लग सकता है। समाज किस तरफ जा रहा है यह मेरे ध्यान में आया? जो समाज को सही रास्ते पर चलाना चाहते हैं, मैंने यह सोचा कि जिन पर समाज की जिम्मेदारी है उन सब को इस बात पर विचार करना है कि एक ऐसी घटना हो जाना कोई साधारण बात नहीं है। समाज अवश्य इससे अस्वस्थ प्रतीत होता है और उसकी नैतिकता कुछ अधिक गिर रही है, यह भी मुझे इससे प्रतीत हुआ। इससे मेरे दिल पर ज्यादा धक्का लगा कि हम अवनति की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे सज्जन पुरुष की हत्या पर किसको शोक और दुःख न होगा, और किसको अपने समाज की अवस्था देख कर लज्जित न होना पड़ेगा। तो ऐसी घटना के ऊपर हम सब लोगों को शोक करना स्वाभाविक है और मैं इस सदन की ओर से अपनी हार्दिक सम्वेदना उनके कुटुम्बियों के प्रति भेजूंगा ही और मैं आशा करता हूं कि उनके कुटुम्बियों को जो कुछ सहायता होनी उचित होगी उसे जिनकी जिम्मेदारी होगी वे मुझे विश्वास है कि उनको सहायता देंगे। और मैं आशा करता हूं कि जनता भी ऐसे लोकप्रिय पुरुष के कुटुम्बियों के प्रति सहायता देकर अपनी संवेदना कार्यरूप में परिणित करेगी। मैं इस सदन की ओर से सम्वेदना को उनके कुटुम्बियों के पास भेज दूंगा। अब मैं सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि दो मिनट के लिये वे खड़े हो जायं और हम उनकी आत्मा को शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

†उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ खंड २* (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब गोवध निवारण विधेयक, १९५५ पर विचार जारी रहेगा।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, मैं कल श्री रणंजय सिंह के संशोधन के समर्थन में बोल रहा था और मैंने निवेदन किया कि इसी विधेयक में किसी चीज की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे आम व्यक्ति आसानी से उसे समझ सकें।

† ३१ मार्च, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

* ७ सितम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

इस चीज को दृष्टि में रख कर अगर गो-मांस की परिभाषा देखी जाय तो उससे साफ़ मालूम होता है कि उसका वह हिस्सा जो "किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में आयात किया गया (इम्पोर्टेड) मोहरबन्द पीपों (कंटेनर्स) में रखा हुआ गोमांस नहीं है।" यह बिल्कुल निरर्थक मालूम होता है। कोई इसकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। केवल इतना ही कह देना कि गोमांस का तात्पर्य गो के मांस से है यह काफी है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि मोहरबन्द पीपों में रखा हुआ गोमांस यदि गोमांस नहीं है तो क्या चीज है ? इस प्रकार की परिभाषा बिल्कुल रिडंडेंट है। इस वास्ते मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि "किन्तु" से लेकर "गोमांस नहीं है" जैसा कि माननीय रणंजयसिंह ने अपने प्रस्ताव में पेश किया है निकाल दिया जाय। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इसके रहने से इसका असर बहुत खराब पड़ेगा। मैंने देखा है कि रेलवे स्टेशनों पर जहां यूरोपियन ढंग का खाना दिया जाता है वहां आजकल सब जगह यह लिखा हुआ है "नो बीफ"। उसके माने यह होते हैं कि यहां पर गोमांस किसी को नहीं दिया जाता है। और अगर यह परिभाषा गोमांस की जैसी कि विधेयक में दी हुई है कायम रही तो मुझे आशंका है कि वे व्यापारी जो कि रेस्टारेंट स्टेशनों पर खोले हुए हैं उस अपनी नोटिस को निकाल देंगे और गोमांस की बिक्री पहले से और अधिक शुरू हो जायगी। तो अन्ततः और भी खराब अर्थ इससे निकलेगा और जो माननीय मंत्री जी की आशंका है कि यह संविधान की कुछ धाराओं के प्रतिरोध में है, उससे उसमें कुछ अड़चन पड़ रही है तो मैं यह समझता हूं कि अगर आखीर का हिस्सा निकाल दिया जाय तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय रणंजयसिंह के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि चूंकि समय कम है इस वजह से माननीय सदस्य थोड़ा समय लें तो अच्छा है। इसको आज समाप्त करना है।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमान्, श्री रणंजयसिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है मेरी राय में वह ठीक मालूम होता है। मैं उसके लिये यह तर्क पेश करता हूं कि यदि परिभाषा को सुन्दर बनाना हो और संविधान बाधक न हो तो परिभाषा सुन्दर ही होनी चाहिये। आपने जो गोमांस की व्याख्या के लिये परिभाषा बनायी है उसमें "किन्तु" लगा कर उस परिभाषा को सुन्दरता से हीन कर दिया है। यदि आप यह कहें कि संविधान की दृष्टि से वह शब्द परिभाषा में आवश्यक है तो आगे जो अपवाद हैं वह बने रह सकते हैं। संविधान के कारण जो कमी है या संविधान की दृष्टि से इसको आवश्यक मानते हैं तो वह अपवादों के रहने से काम चल सकता है। इसलिये मेरी राय में ये शब्द निकाल दिये जायं और आगे अपवादों को बना रहने दिया जाय तो भी संविधान का कार्यक्रम पूरा हो सकता है।

श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन यहां पर प्रस्तुत किया है इसके ऊपर यहां पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। मुझे वास्तव में वही बात खटकती है जैसा लिखा हुआ है कि गोमांस का तात्पर्य केवल उसी से है जो टिन के डिब्बों में बन्द न हो। तो इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि मुहरबन्द पीपों में रखे हुये गो मांस को भी गो मांस ही समझा जाय। जैसा कि माननीय बेचनराम गुप्त जी ने कहा कि यदि वह गोमांस नहीं रहता तो वह रहता ही क्या है ? यदि टिन में बन्द होने से वह गोमांस नहीं रहता तो वह क्या रहता है ? इसलिये मुझे इस शब्द पर अधिक आपत्ति है और मैं चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी इस पर पुनः विचार करें और विचार करके मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लें। जैसा कि माननीय दीनदयालु जी शास्त्री ने कहा है कि यदि कोई संविधान का झगड़ा पड़ता है तो मैं सोचता हूं कि इन शब्दों को मान लेने से भी कोई कठिनता नहीं पड़ती। मैंने जब पहले पहल इस गोरक्षा के प्रश्न को यहां उठाया था, और जब मुझे आश्वासन दिया गया था तो उस समय मैंने कृषि और जन स्वास्थ्य की बात को लेकर ही गोरक्षा का प्रश्न उठाया था। यह बिल जो बनाया गया है वह गो संवर्द्धन समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया है और उस आश्वासन के आधार पर है कि जो मुझे १९५२ में दिया गया था। उस समिति के प्रतिवेदन

[श्री रणंजयसिंह]

में यह कहीं भी नहीं आता कि गो मांस की बिक्री किसी तरह भी होगी। और मैं यह भी जानता हूं कि यह बिल जो बनाया गया है वह उस प्रतिवेदन के केवल एक अंश को लेकर ही बनाया गया है उसमें केवल गोवध निवारण की बात को लेकर यह बिल बनाया गया है। दूसरी बातें दूसरे विभागों के द्वारा और दूसरे ऐक्टों के द्वारा अमल में लाई जा रही हैं। मैंने इन सब बातों को सोचा है, मैंने बहुत विचार किया। अगर कोई मामूली बात होती और अधिक आग्रह करने की आवश्यकता न होती तो मैं इसको वापस ले लेता, लेकिन इसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, जैसे मद्य के लिये निषेध है कानपुर में। वहां पर हवाई जहाज से कितने ही विदेशी आते होंगे, वह मद्य लिये रहते हैं या नहीं लिये रहते इसके लिये न तो मद्य निषेध अधिनियम में कोई बात आई होगी और न वहां कोई जांच होती होगी और इसलिये मैं इसको अधिक आवश्यक नहीं समझता कि यह शब्द यहां रखे जायं। स्पष्ट है कि यहां पर गोवध निवारण करना है और जब वह किया जायगा तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब गोवध हीं नहीं होगा तो गोमांस कहां से आयेगा? आपने अपने प्रांत में अभी गोवध पर निषेध लगाया है लेकिन दूसरे प्रांतों में जहां गोवध निषेध नहीं है वहां से वह आ सकता है और यह शब्द रखने से दूसरे प्रांतों से आकर यहां गोमांस बिकेगा और उससे खाने वालों की रुचि में वृद्धि होगी और वह हिंसा करेंगे। इसके लिये उनकी प्रवृत्ति होगी और वह छिप कर हिंसा करेंगे। यह तो इतना सुन्दर विचार है कि यदि इस पर किसी को आपत्ति हो तो मैं समझता हूं कि यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। तो ऐसी सूरत में मैं सदन का अधिक समय न लेता हुआ केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि माननीय कृषि मंत्री जी इस बात पर विचार कर लें और इन शब्दों को निकाल दें। मेरे और दूसरे मित्रों ने भी इस पर आपत्ति की है और कहा है कि इनको निकल जाना चाहिये तभी ठीक होगा। यदि यह होता कि मुहरबन्द पीपों वाले गोमांस को वर्जित न समझा जायगा तब भी कुछ बात होती, लेकिन इसमें तो यह है कि "आयात किया गया मुहरबन्द पीपों में रखा हुआ गो मांस नहीं है"। और मैं समझता हूं कि यह जरूर खटकता है और इसलिये मैं अन्त में अधिक समय न लेकर यही निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी सदन को यह सुझाव दें कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरमीम के संबंध में जितने महानुभावों ने और माननीय सदस्यों ने व्याख्यान दिये मैंने उन सबको समझने की कोशिश की, और हमारे मित्र दीनदयालु शास्त्री जी ने भी जो बात कही उस पर भी मैंने ध्यान पूर्वक विचार किया। उन्होंने शायद यह कहा है कि अगर यह निकाल दिया जाय तथा अपवाद दफा ५ का जो है वह रखा जाय तब भी कोई अड़चन पड़ती नहीं है। लिहाजा यह निकाल दें और तरमीम मान ली जाय। इसमें मैं यह यह समझता हूं कि शास्त्री जी तथा अन्य सदस्यों ने अपवाद के प्रिन्सिपल को रिकग्नाइज किया है। यानी एयर क्राफ्ट और रेलवे के जो बोनाफाइड पैसेंजर्स हैं उनके लिये अलाऊ किया जाय।

श्री दीनदयालु शास्त्री—संविधान के खातिर?

श्री हुकुमसिंह—जी हां, और मेरी गरज से थोड़े ही? और अभी कल हमारे भाई शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी ने एक ऐसी ही तरमीम पेश की थी। उन्होंने लिखा था कि फारेन यात्रियों के लिये अलाऊ किया जाय और बहुत से माननीय सदस्यों ने उस तरमीम की ताईद की भी थी, काफी ताईद की थी। तो उससे मुझ पर यह इम्प्रेशन हुआ कि उस सिद्धांत को भी सदन मान रहा है, और जब मैंने यह कहा कि खाली बाहरी यात्रियों के लिये किया जायगा तो डिस्क्रिमिनेशन होगा लिहाजा वह तरमीम वापस ली जाय, लिहाजा चतुर्वेदी जी ने वापस ली। इन बाकयात से मेरे ऊपर यह इम्प्रेशन है और सही है कि एयर क्राफ्ट और रेलवे के जो बोनाफाइड पैसेंजर्स हैं उनके लिये जो प्रतिबन्ध रखा गया है उससे यह सदन सहमत है या बहुत से सदस्य सहमत मालूम होते हैं। अगर यह सिद्धांत ठीक है, और जैसा शास्त्री जी ने कहा कि अपवाद

रखा जाय लेकिन यह निकाल दिया जाय तो मैं यह कहता हूं कि अगर यह टिन वाला किस्सा निकाल दिया जाय तो उन्हें सप्लाई करने के लिये क्या आप इस बात को पसन्द करेंगे कि खुला हुआ गौ मांस ऐरोड्रोम पर और रेलवे स्टेशन पर जाय ? मैं समझता हूं कि इसको कोई पसन्द नहीं करेगा, यह दिक्कत सामने पड़ेगी। तो ऐसी सूरत में जब इस सिद्धांत को मानेंगे तो इस डेफिनिशन में भी टिन कर रखना निहायत ही जरूरी है वरना फिर हमको खुले आम बेचने की इजाजत देनी पड़ेगी।

श्री दीनदयालु शास्त्री—उस अपवाद में बन्द पीपे कर दिया जाय।

श्री हुकुमसिंह—तो फिर उसमें यह होगा कि टिन से निकले तब गो मांस होगा जब तक नहीं निकलेगा तब तक गोमांस नहीं होगा, इसलिये इस डेफिनिशन की जरूरत है। इसलिये मैं कहता हूं कि कुंवर साहब की तरमीम बहुत घातक होगी और इस विधेयक के आबजेक्ट्स को बहुत हद तक हानि पहुंचाने वाली तरमीम है। इसलिये जैसा कल भी कुंवर साहब ने कहा कि जो मुनासिब बात होती है उसे मैं मानता हूं, और वे हमेशा मानते भी हैं माकूल बात को। इसलिये मुझे फिर भी उनसे यह कहने के लिये साहस होता है कि कृपा करके ऐसी तरमीम को वापस ले लें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि धारा ५ में ४९ वें नम्बर पर एक तरमीम है कि ट्रांसपोर्ट की सिवा मेडिसिनल परपजेज के लिये इजाजत दी जाय अन्यथा किसी को कहीं भी ट्रांसपोर्ट की इजाजत नहीं दी जायगी। तो ऐसी सूरत में जब ट्रांसपोर्ट भी बन्द है और वह अपवाद रहना अनिवार्य है तो यह डेफिनिशन, टिन का रखना भी अनिवार्य मुझे प्रतीत होता है इसलिये मैं कहता हूं कि कुंवर साहब कृपा करके अपनी तरमीम को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—(श्री रणंजयसिंह को संबोधित करते हुये) क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री रणंजयसिंह—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि "खंड २ के उपखंड (क) की पंक्ति १ के शब्द "है" तथा शब्द "किन्तु" के बीच का अर्ध विराम हटा कर उसके स्थान पर पूर्ण विराम रख दिया जाय और उसके बाद का वाक्यांश निकाल दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (क) की पंक्ति २ में शब्द "उत्तर प्रदेश" से लेकर पंक्ति ४ के शब्द "नहीं है" तक निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "ऐसे गोमांस नहीं हैं जो मुहरबन्द पीपों (containers) में बन्द किया हुआ उत्तर प्रदेश में आयात किया जाय" रख दिये जायं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इस पर ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत हो। यह जो इस वक्त मौजूदा परिभाषा है वह ऐसे ही शब्दों में रही तो इसका अर्थ यह होगा कि मांस आयात कर लिया जाय और उसके बाद यहां मुहरबन्द कर लिया जायगा। अगर मेरा संशोधन मान लिया जाय तो मुहरबन्द पीपों का आयात करना उसका अर्थ होगा और मांस का आयात करना नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस तरीके से ठीक होगा और माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुमसिंह—मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे मैं सहमत नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष—आप संशोधन के बारे में कह रहे हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां। संशोधन के बारे में जो संशोधन किया गया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। कारण यह है कि इन्टरप्रिटेशन जब कानून का होता है तो इंटरप्रिटेशन ऐसा ही होना चाहिये जो कि यह सदन चाहता है या जो माननीय मंत्री जी चाहते हैं। जहां तक मैं समझता हूं सरकार इस विधेयक के द्वारा यह चाहती है कि इस प्रदेश के बाहर से जो गो मांस टिन के अन्दर बन्द होकर के मुहरबन्द हो कर के आये, वह गो मांस नहीं माना जायगा। तो ऐसा अनुमान कल की बहस से निकलता था कि जब तक वह बन्द है तब तक वह गोमांस नहीं है जब वह खुलेगा तो गोमांस हो जायगा। यही बात आज माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में भी कही कि जब तक वह बन्द है तब तक गोमांस नहीं है, खुलने पर गो मांस हो जायगा। जब तक वह बन्द है उस अवस्था में तो जहां भी चाहे ले जाया जा सकता है लेकिन खुलने पर तो वह वायुयान और ट्रेन पर ही उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे भोजनार्थ प्रस्तुत करना हो, चाहे बेचना हो। इस परिभाषा में मुझे शंका यह है कि जब यह लिखा जायगा कि 'ऐसा गोमांस गोमांस नहीं है जो मुहरबन्द पीपों में बन्द किया हुआ उत्तर प्रदेश में आयात किया जाय' तो जो गोमांस मुहरबन्द पीपों में आयात किया जायगा वह गोमांस है ही नहीं, अब वह खुल जायगा तब भी गोमांस नहीं होगा। इसका इन्टरप्रिटेशन माननीय अध्यक्ष महोदय, यही हुआ कि ऐसा गोमांस नहीं है जो मुहरबन्द पीपों में बन्द किया हुआ उत्तर प्रदेश में आयात किया जाय अर्थात् जो भी मुहरबन्द पीपों में आयात किया जायगा वह गोमांस नहीं होगा। बिलकुल साफ मतलब यही इससे निकलता है कि वह गोमांस जो मुहरबन्द पीपे में आया है वह गोमांस है ही नहीं। यह नहीं कि जब तक वह बन्द है तभी तक नहीं है बल्कि वह खुलने के बाद भी गोमांस नहीं रहता है, क्योंकि वह मुहरबन्द पीपे में आयात किया गया है। इसलिये जब वह खुल जायगा तब भी गो मांस नहीं रहेगा। यानी स्पष्ट है कि ऐसा गोमांस गोमांस नहीं है जो मुहरबन्द पीपे में बन्द किया हुआ उत्तर प्रदेश में आयात किया जाय। पहली परिभाषा में यह था कि "किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में आयात किये गये मुहरबन्द पीपों में रखा हुआ गोमांस नहीं है"। इसका इंटरप्रिटेशन तो यह निकलता था कि जब तक कि वह मुहरबन्द है तब तक गोमांस नहीं है। हालांकि इसमें भी मुझे शंका थी, मैंने माननीय सदस्यों से बात की कि कहीं मैजिस्ट्रेट इसका यह इंटरप्रिटेशन न लगाने लगें कि मुहरबन्द पीपे में आया है तो गोमांस नहीं है, तो खुलने पर भी नहीं है। लेकिन फिर भी उसमें यह बचत थी कि इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में आयात किये मुहरबन्द बन्द पीपों में रखा हुआ गोमांस नहीं है, तो मुहरबन्द पीपे से निकला नहीं कि हो गया! लेकिन इस संशोधन से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा गोमांस नहीं है जो मुहरबन्द पीपों में आयात किया जाय। तो जो आयात किया जाय वह गोमांस नहीं है, वह चाहे खुला रहे चाहे वैसे ही रखा जाय। तो बन्द रहे तभी तक गोमांस नहीं है, यह भाव बिलकुल नष्ट हो जाता है ....

श्री अध्यक्ष—आपने बहुत स्पष्ट कर दिया।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—तो इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह संशोधन जो वास्तविक हमारी इच्छा है, जो विधेयक की इच्छा है उसके बिलकुल बरअक्स पड़ता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसे स्वीकार करना उचित नहीं मलूम पड़ता है।

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र की बात सुनी और मैं कोई जिद करके कोई बात करना नहीं चाहता। अगर यह संशोधन स्थगित कर दिया जाय तो इस पर मैं लीगल डिपार्टमेंट की ऐडवाइस ले लूं।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि जब तक वह बन्द रहेंगे तब तक गोमांस नहीं कहलायेगा और खुलने पर हो जायगा। यह चीज़ रहेगी अगर इसे स्वीकार किया जाय।

श्री हुकुमसिंह—हमारा खयाल तो यही है लेकिन फिर भी मैं लीगल डिपार्टमेंट से कंसल्ट करने के बाद कहूंगा।

श्री दीनदयालु शास्त्री—श्रीमन्, इसमें भाषा की गलती है "ऐसे गोमांस से नहीं है" ऐसा होना चाहिये। पहले बहुवचन है, पीछे एक वचन दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष—वह गलती से हो गया है। "ऐसे गोमांस से नहीं है" यही होना चाहिये इसको फिलहाल स्थगित किया जाता है।

श्री रणंजयसिंह—श्रीमान् जी, एक प्रार्थना करूंगा कि यहां पर एक दुखद दुर्घटना हो गयी जिसके कारण सदन का समय कल एक घंटे कम हो गया, आज भी प्रातःकाल आधा घंटा इसमें और कम हो गया। अपने इस विधेयक के लिये साढ़े तीन दिन निश्चित किये थे, उसके विचार के लिये ?

श्री अध्यक्ष—तो इसके लिये मैं निर्णय देता हूं इस विषय में क्योंकि आधा दिन दो घंटे होते हैं यानी ४ घंटे का दिन माना जाता है। हिसाब से डेढ़ घंटा जो हमारा कुल मिलाकर जाया हो चुका है इसलिये जब कि यह विधेयक पहिले ३ बजे समाप्त होता, उसके बजाय साढ़े चार बजे इसको हम समाप्त करेंगे और साढ़े चार बजे समाप्त करने के लिये यह तजवीज है कि साढे तीन बजे तक तो बहस इसके ऊपर चलेगी, फिर जो संशोधन रह जायंगे उन्हें देख लूंगा। अगर आधे घंटे में समाप्त हो सकते हों तो ४ बजे तक बहस हो जायगी, लेकिन अगर देखूंगा ज्यादा है तो साढ़े तीन बजे समाप्त करके बाकी जितने संशोधन रह जायेंगे उनके ऊपर सिर्फ राय ले लूंगा और इस तरह से कार्य समाप्त होगा।

साढ़े चार बजे यह समाप्त हो जायगा उसके बाद आधा घंटा रहेगा उसमें दूसरा विधेयक ले लिया जायगा। वह अगर आज समाप्त हो जाय तो ठीक है वरना उसके लिये बाद में थोड़ा समय किसी दूसरे रोज दे दिया जायगा।

तो "क" के संबंध में यह संशोधन समाप्त कर दिये जाते हैं। अब उपखंड "ख" के संबंध में हैं।

(श्री उमाशंकर के खड़े होने पर)

आप १४—ख पेश करना चाहते हैं ?

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—जी हां। मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) की पंक्ति १ में शब्द "गाय" तथा शब्द "के" के बीच में शब्द "भैंस" बढ़ा दिया जाय।

श्रीमन्, मंत्री जी का यह जो पाणिनि का सूत्र है इसको कल ही से देख रहा हूं, मगर अफसोस यह है कि इस सूत्र का भाष्य हाई कोर्ट करती है, माननीय मंत्री जी के हाथ में भाष्य करना नहीं है। जो उद्देश्य है विधेयक का उसमें मंत्री जी ने बताया है कि यह बिलकुल आर्थिक उद्देश्य है। उन्होंने कहा है कि गायों के मारने से बैलों की कमी होती है, खाद की कमी होती है, दूध की कमी होती है। हम जब इस विधेयक के उद्देश्यों पर गौर करते हैं तो ईमानदारी यह तकाजा करती है कि इन प्रश्नों पर पूरा विचार किया जाय कि दूध की कमी, खाद की कमी और दूसरे जानवर जो खेती में काम करने वाले हैं उनकी कमी कैसे पूरी होगी, तब बलात भैंस की ओर ध्यान चला जाता है। आज जितना दूध गायें दे रही हैं वह मुल्क की आवश्यकता के लिये बहुत थोड़ा है। भैंस जो दूध दे रही है उससे भी कमी पूरी नहीं हो रही है, जरूरत और ज्यादा है। गो संवर्द्धन कमेटी ने भी इसको महसूस किया है कि दुधारू मवेशियों की अभी बहुत ज्यादा देश में कमी है क्योंकि सब जवान मर्द और औरतें अगर दूध पीना बन्द कर दें, केवल बच्चों को ही दिया जाय तो पाव भर के हिसाब से भी हर बच्चे को दूध नहीं मिल सकता है।

श्री अध्यक्ष—जो संशोधन आपने दिया है उसका अर्थ तो यह हो जायगा कि गाय और भैंस के अन्तर्गत सांड़, बैल, बछिया तथा बछड़ा हो। तो आप "गाय" और "के" के बीच में अगर "भैंस" जोड़ेंगे तो यह निरर्थक हो जाता है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं इस शक्ल में। या तो आप इसकी शक्ल बदलिये या इसको वापस लीजिये।

श्री उमाशंकर--तो मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उमशंकर--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हुं कि खंड २ के उपखंड (ख) की पंक्ति १ के शब्द "बछड़ा" के बाद शब्द "भैंस तथा भैंस का बच्चा" बढ़ा दिये जायं। तो उद्देश्य की पूर्ति महज गाय के बध को बचाने से नहीं हो रही है। इसलिये मैं इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह स्वतंत्र होकर विचार करे जब कि विधेयक का उद्देश्य है खेती में ज्यादा पैदावार हो, खेत में काम करने वाले मवेशी पैदा हों और दूध खास तौर से ज्यादा पैदा हो, तब तो भैंस को हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, और हम वहीं पहुंच जाते हैं कि हमारे पास दूध देने वाले जानवर कितने हैं। मैंने तो बहुत दब कर यह संशोधन रखा है बल्कि हमें तो यह रखना चाहिये था कि दुधारू मवेशियों का वध न किया जाय, लेकिन हमने केवल भैंस को ही रखा है। क्योंकि यही जानवर हमारे प्रान्त में दूध देने वालों में खास स्थान रखता है, इसके बाद दूसरा स्थान गाय का है। चाहे जमुनापारी और गंगातीरी गाय ज्यादा दूध देती हो लेकिन यदि सारे सूबे में आप देखें तो मालूम होगा कि भैंस का स्थान दूध देने वालों में सबसे प्रधान है, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में भैंस का नाम जरूर रखा जाय। भैंस के मारने से भी उतना ही प्रतिबन्ध होना चाहिये जितना प्रतिबन्ध गाय के मारने में है। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संशोधन पेश हों और माननीय सदस्यों को विचार प्रकट करने का मौका मिले। एक बार फिर मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर सच्चे दिल से उनकी राय है कि दूध बढ़े और खेती में काम करने वाले जानवरों की बढ़ोत्तरी हो तो भैंस और उसके वंशज को बध होने से जरूर रोका जाय।

श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र को बतलाना चाहता हूं कि जो बात मैं कहता हूं सच्चे दिल से कहता हूं और वही करता हूं। यह दूसरी बात है कि मेरी राय उनसे न मिलती हो। जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है यह विधेयक के स्कोप के बाहर है। यह विधेयक गोरक्षा की नीयत से रखा गया है। इसको मैं कई बार दुहरा भी चुका हूं और इस जानिब पहला प्रयास है। इसमें मैं भैंस और उसके बच्चों को जोड़ना नहीं चाहता हूं इसलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उमाशंकर जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इसके जवाब में जो मंत्री जी ने दिया है उसको सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई क्योंकि उन्होंने कहा कि इसलिये इसको पेश किया गया है कि गाय के वंश का नाश न हो! लेकिन जो विधेयक पेश किया गया है उसके उद्देश्य पर यदि मंत्री जी ध्यान देंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि दूध की कमी को पूरा करने के लिये और उसके साथ साथ खेती बारी के काम को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने के लिये और उसको क्षति न होने देने के लिये इस विधेयक को आवश्यक समझा गया, इसलिये इसको प्रस्तुत किया गया है।

श्रीमन्, इस सिलसिले में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और उससे उनकी जानकारी भी है। आज अपने देश की जो हालत है उसको देखते हुये हम महसूस करते हैं कि अपने प्रान्त में मवेशियों की संख्या बहुत कम है और उपयोगी मवेशियों की तो बहुत ही कम है। आज हमारे देश में एक आदमी के लिये औसत दो छटांक दूध का पड़ता है। आज हमारे देश में यदि १९५१ की गणना के अनुसार हिसाब लगाया जाय तो ५० आदमियों पर एक मवेशी पड़ता है। आज हमारे देश में, जो खेतिहर प्रसिद्ध देश है इसमें हल चलाने वाले मवेशियों की संख्या करीब डेढ़ करोड़ है। श्रीमन्, इन परिस्थितियों को देखते हुये

आज यह महसूस हो रहा है कि ऐसे मवेशी जो खेती के काम आ सकते हैं या दूध में बढ़ोत्तरी कर सकें उनको आगे बढ़ायें और उनकी नस्ल का सुधार करें।

श्रीमन्, हमारे इस पूरे देश में ५१ की गणना के अनुसार भैंसों की संख्या ४३५ लाख के करीब है जो कि अपने प्रदेश में करीब ५६ पर एक मवेशी पड़ता है। उनकी तादाद उनके बच्चों को मिला कर, करीब आधा करोड़ के आती है। तो फिर अपने प्रान्त में अगर भैंसों की संख्या को बढ़ाना है और भैंस के जो मेल हैं उनको खेती बाड़ी के काम में लगाना है और उनको बढ़ाना है तो यह मैं आवश्यक समझता हूं कि हम भैंस को गोवंश के अनुरूप ही देखने का प्रबन्ध करें।

जहां तक दुनिया के देशों का सम्बन्ध है दुनिया के मवेशी औसतन १० सेर दूध देते हैं और हमारे यहां १०।। छटांक से अधिक मवेशी दूध नहीं देते हैं। अगर सारे हिन्दुस्तान से दूध प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय तो हम करीब ५० साल में पूर्ण हो सकते हैं। ५० वर्ष में बहुत रुपया खर्च करके हम दुनिया के बाजारों से कम्पीट कर सकेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आखिर हमारी भी स्टेट है और आखिर क्या हम नहीं जानते कि दुनिया के बाजारों से हमको दूध लेना पड़ता है? जब हम अपने देश के लिये विदेशों से दूध लेने को मजबूर हैं तो यह हमारे लिये लाजिमी है कि विदेशों से जो दूध यहां पर आता है उसका कुछ प्रबन्ध करने के लिये भैंस की उपयोगिता की रक्षा का भार हम अपने उपर लें। जब कि हमारे यहां भारत सरकार एक भैंस पर दो पैसा खर्च करती है दुनिया की और सरकारें एक भैंस या मवेशी पर एक रुपया खर्च करती हैं। जब हम अपने यहां समूचे देश में मवेशियों का खर्च देखते हैं तो हम यह मानने के लिये तैयार हैं कि हम बहुत दिनों में मवेशियों की नस्ल का सुधार कर सकेंगे। इसलिये आज इस बात की जरूरत है कि ऐसे मवेशी जो हमको दूध देते हैं उनको भी हम गऊ के समान ही समझें। हमारे संविधान में कहा गया है कि दूध देने वाले जानवर की रक्षा करें। इन सब बातों को देखते हुये हम क्यों न गाय के साथ भी भैंस को बराबरी का दर्जा दें, क्योंकि हमारे देश में भैंस को बराबरी का दर्जा पहले से ही दिया हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं उमाशंकर जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री दीनदयालु शास्त्री—श्रीमन्, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। गो संवर्द्धन समिति के सामने भी यह विषय आया था। यह जरूर है कि गाय दूध कम देती है और भैंस दूध ज्यादा देती है। आज कल किसान को दुगुना बोझ उठाना पड़ता है। वह बैल के लिये तो गाय को पालता है और दूध के लिये भैंस को पालता है। किन्तु इसके साथ ही हम यह भी सोचें कि जब हम भैंस पर प्रतिबन्ध लगाते हैं तो हम गोवध पर प्रतिबन्ध लगा कर जो गोवंश की तरक्की चाहते हैं वह नहीं हो सकती है।

और देशों की मिसाल भी वक्ता महोदय ने दी है कि उतना दूध हमारे यहां उत्पन्न नहीं होता है। वहां पर भैंस के दूध का उत्पादन नहीं होता है। वहां गाय की नस्ल को इतना बढ़ाया गया है कि वह दूध की कमी को पूरा कर देती है और इस प्रकार भैंस के दूध से भी अधिक दूध उनको मिलता है। इसलिये गोवंश की रक्षा जो हम चाहते हैं उससे ज्यादा दूध का भी हम उत्पादन करना चाहते हैं। हमको इस तरह का प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये जिससे गोवंश की रक्षा में बाधा पड़े। इसके साथ साथ मैं दूसरी दलील भी यह देना चाहता हूं कि जब गोवध पर हम प्रतिबन्ध लगाते हैं तो हम यह भी देख लें कि जिन लोगों पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं जो उस तरह के खाने के आदी हैं, उनको सब तरह के साधनों से वंचित नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं उमाशंकर जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं कल नेता विरोधी दल के कमरे में बैठा हुआ था। मेरे जिले के एक मुसलमान साहब जिनको मैं जानता न था, श्री विश्रामराय जी से बातें कर रहे थे कि जिस प्रकार से गोवध रोका जा रहा है उसी प्रकार से भैंस वध को भी रोका जाना चाहिये खास कर जो दूध देने वाली भैंसें हैं। श्रीमन् मैं शास्त्री जी की दलील का समर्थन नहीं कर सकता कि गो संवर्द्धन समिति ने भी इसका विरोध किया था और इसलिये मैं भी विरोध कर रहा हूं। भैंस का भी संशोधन स्वीकार कर लिया जायगा तो गोवंश की उन्नति न होगी। श्रीमन्, गोवंश की उन्नति भैंस वध से नहीं हो सकती, गोवंश की उन्नति केवल इससे नहीं हो सकती। उसके लिये तो आपको और साधन भी जुटाने होंगे। चारे का प्रबन्ध करना होगा, अच्छी नस्ल की गायों का प्रबन्ध करना होगा, रोगों का निवारण करना होगा और गो सदनों का प्रबन्ध करना होगा। व्यापार को बढ़ाने के लिये बाजार चाहिये, हाट चाहिये, उसी प्रकार से गोवंश को बढ़ाने के अन्य साधनों की व्यवस्था हो जायगी। तब मैं कह सकता हूं कि गो वंश की उन्नति बहुत ज्यादा होगी। श्रीमन्, यह सरकार हम लोगों के सामने यह कहा करती है कि हमारे देश में जब अधिक सामान पैदा होगा तो विदेश से कम आयेगा, लेकिन जिसको हम पैदा नहीं कर सकते हैं वह हमें विदेश से मंगाना होगा। अभी जैसा कि माननीय रामेश्वरलाल जी ने इशारा किया कि हमें आज दूध, मक्खन, घी सब विदेश से मंगाना पड़ता है और कितना रुपया उसमें खाने वालों का खर्च होता है उसका कोई अनुमान नहीं है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि इससे गोवंश की उन्नति होगी तो इसको मैं एक थोथी दलील समझता हूं। यदि गो संवर्द्धन समिति की रिपोर्ट को शास्त्री जी पढ़ें तो उनको मालूम होगा कि यह पहला ही प्रदेश है श्रीमन्, जिसमें केवल गोवध पर रोक लगाई जा रही है जब कि दूसरे प्रदेशों में गो, भैंस, भेंड़, बकरी के वध पर भी पाबन्दी लगायी गयी है। इस प्रकार उन्होंने सारे दुधारू पशुओं के वध पर पाबन्दी लगायी है।

यह मैं मानता हूं कि गाय का दूध बहुत पवित्र होता है, गाय को हम माता मानते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी जानता हूं कि केवल गाय के घी और दूध से हमारा काम नहीं चल सकता। गाय का दूध और घी हमें नहीं मिल पाता, यह तो आज हमारी मजबूरी है। और फिर केन्द्रीय सरकार और इस प्रदेश की सरकार ने जो रवैया डाल्डा के प्रति अपनाया है उस रवैये में यदि भैंस हमारे बीच में न रहे तो सारा देश डाल्डा से भर जायगा। देहात में भी बड़ी मुश्किल से घी मिलता है और वह भी भैंस का मिलता है, गाय का दूध और घी तो मिलता ही नहीं। अगर कहीं किसी बीमारी के लिये अथवा आंख में लगाने को गाय के घी की आवश्यकता पड़ जाय तो गाय का घी बड़ी कठिनाई से सुलभ होतल है। केवल भैंस ही ऐसा पशु है कि जिसके दूध से गुजर होती है। मैं देहात का रहने वाला हूं, वहां के लोगों को जानता हूं कि अधिकतर किसानों की जिन्दगी भैंस के घी, दूध और मट्ठे को बेचकर होती है। शहरों में भी गाय का दूध का नाम लेकर जो दूध दिया जाता है उसमें अधिक से अधिक पानी मिलाया जाता है वह भी भैंस ही का होता है। अभी शास्त्री जी ने कहा कि सेलेक्ट कमेटी ने इस प्रकार से उसका विरोध किया लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे उस सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के पेज नम्बर ६४ को देखने का कष्ट करें। उस सफे पर कहा गया है—बम्बई पशु सुधार अधिनियम, १९३३; बम्बई पशु संरक्षण अधिनियम, १९४८; मध्य प्रदेश तथा बरार पशु, भेड़, बकरी नियंत्रण अधिनियम, १९४७; मध्य प्रदेश तथा बरार पशु संरक्षण अधिनियम, १९४०; मध्य प्रदेश पशु संरक्षण अधिनियम, १९५३; मध्य प्रदेश पशु सुधार अधिनियम १९५०, मध्य प्रदेश पशु रोग अधिनियम १९३४, बम्बई आवश्यक वस्तुयें और पशु नियंत्रण अधिनियम १९४३ और मद्रास पशु सुधार अधिनियम, १९४८ हैं। यह इस तरह से और कई प्रदेश हैं हमारे देश में जिन्होंने पशुओं के सुधार के अधिनियम बनाये हैं। यह हमारी सरकार की बहुत कम ख्याली है कि वह भैंस

और उसके बछड़े पर रोक नहीं लगाती है। यह ठीक है कि गाय का बछड़ा खेती के काम आता है लेकिन यह भी ठीक है कि भैंस का बच्चा भी खेती के काम में बड़े बड़े किसान लेते हैं और शहरों में म्यूनिसिपैलिटियां भी उनको काम में लेती हैं। यह बात सही है कि गोवध निवारण का यह विधेयक है लेकिन यह बात भी सही है कि इसमें अगर माननीय कृषि मंत्री जी चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं। भैंस की पाबन्दी इस विधेयक की मंशा के विपरीत नहीं जायगी। इसलिये मुझे आशा है कि यह संशोधन स्वीकार होगा।

श्री उमाशंकर—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय दीनदयालु जी शास्त्री की जो इस गोसंवर्धन समिति के सदस्य रह चुके हैं, उक्ति का खंडन गोसंवर्धन समिति की रिपोर्ट पढ़ कर करना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में यह सिफारिस की गयी है कि इसका सूक्ष्म विश्लेषण करने पर विदित होता है कि वर्तमान पशु संख्या का कम से कम तीन गुना करने पर दूध की निम्नतम मांग पूरी की जा सकती है। श्रीमन्, हमारी सरकार ने इस पर जोर दिया है कि वह राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिये प्रस्तुत विधेयक लाई है। इसलिये गोसंवर्द्धन समिति की रिपोर्ट हमारे संशोधन का समर्थन करती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार आंखें खोल कर जिनको बन्द करके यह विधेयक लिखा है, पढ़े और विचार करे, तब संभवतः बुद्धि आ जाय। मैं जानता हूं कि चाहे मैं सोने की बात कहूं लेकिन जब तक हाई कोर्ट उनकी धज्जियां नहीं उड़ा देगी तब तक हमारी सरकार नहीं मानेगी। लेकिन मुझे उचित सलाह देने से चूकना नहीं चाहिये।

श्री हुकुमसिंह—मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ख) की पंक्ति १ के शब्द "बछड़ा" के बाद शब्द "भैंस तथा भैंस का बच्चा" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बसन्तलाल शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं जो मेरा संशोधन स्थगित किया गया था उसके स्थान पर आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (क) की पंक्ति २ में शब्द "उत्तर प्रदेश" से लेकर पंक्ति ४ के शब्द "नहीं है" तक निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "ऐसा गोमांस नहीं है जो सीलबन्द डिब्बों (sealed containers) में उत्तर प्रदेश में आयात किया जाय और उसी दशा में उनमें बन्द रहे" रख दिये जावें।

श्री हुकुमसिंह—मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (क) की पंक्ति २ में शब्द "उत्तर प्रदेश" से लेकर पंक्ति ४ के शब्द "नहीं है" तक निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "ऐसा गोमांस नहीं है जो सीलबन्द डिब्बों (sealed containers) में उत्तर प्रदेश में आयात किया जाय और उसी दशा में उनमें बन्द रहे" रख दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वरलाल—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति १ के शब्द "तात्पर्य" और शब्द "किसी" के बीच में शब्द "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष" बढ़ा दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—अब सवा बज चुके हैं, आप अपना भाषण लंच के बाद जारी रखेंगे।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामेश्वरलाल---श्रीमन्, लंच से पूर्व मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति १ के शब्द "तात्पर्य" और शब्द "किसी" के बीच में शब्द "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष" बढ़ा दिये जायं। इसके मान लेने से जो २ (घ) है वह इस प्रकार हो जायेगा "वध का तात्पर्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी रीति से मारण से है तथा इसके अन्तर्गत इस प्रकार से अंगहीन तथा शारीरिक आघात पहुंचाना भी है जिससे सामान्य रूप में मृत्यु हो जाय"।

श्रीमन्, मैंने यह संशोधन इस लिए उपस्थित किया है कि इस बिल में कहीं भी इसकी गुंजाइश नहीं है कि प्रत्यक्ष चोट पहुंचा कर, या किसी भी हत्यारे अथवा हत्या करने वाले के द्वारा अगर गाय को मारने की शाजिश हो तो उसके लिये बिल में कोई व्यवस्था साफ तौर से नहीं रखी गयी है। गांवों में भी सरकार की ओर से और सार्वजनिक लोगों की तरफ से भी सार्वजनिक काम के लिए सांड़ छोड़े जाते हैं, लेकिन उनके पालन के लिये कोई व्यवस्था नहीं है और वह सांड़ गांवों में खेतिहरों के खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं और वहां गांवों में इन सांड़ों को लोग बांध देते हैं और उनके खाने आदि का कोई प्रबन्ध नहीं होता है, और चन्द दिनों में ही वह मरीज हो जाते हैं और मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि जो पेशेवर लोग गउओं को पालते हैं वह उन गउओं से दूध लेने के बाद, जब उनसे दूध मिलना समाप्त हो जाता है और प्राप्त नहीं होता तो वह उनको शहर में भटकने के लिये छोड़ देते हैं। अगर आप यहां लखनऊ में भी देखें तो वह गलियों में भटकती हुई नजर आवेंगी। कभी कभी देखने में आता है कि जो छोटे छोटे सब्जी की खेती करने वाले हैं वह उनको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और साथ ही साथ वह छोटे छोटे दूकानदारों के सामान को भी खाने का प्रयास करते हैं और जब दूकान दार या जिनका वह नुकसान करते हैं उन पर आक्रमण करते हैं और उनके चोटें लगती हैं और कभी कभी वह मौत का भी शिकार हो जाती हैं। इस लिए जो लोग उनको निर्दयता से मार देते हैं उनके लिए सजा की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो लोग दूध का लाभ उठाने के बाद गौ को भटकने के लिए छोड़ देते हैं और जो चोट खाने के बाद मृत्यु का शिकार हो जाती हैं उनके मारने वाले भी उसी सजा के भागी होने चाहिए जितनी कि प्रत्यक्ष रुप से मारने वालों के लिए रखी जाती है। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है।

श्रीमन्, इसका और भी एक अर्थ है। गांव में जो खेतिहार लोग हैं हमारे सम्माननीय सदस्य जानते हैं कि जो लोग हजारों एकड़ खेती किया करते थे और जिनकी जमींदारी के अन्दर जंगल और परती की जमीन थी उन्होंने जमींदारी अबालिशन के कानून को देख कर उसके पहले से उसको अपने कब्जे में करके उन्होंने उन खेतों को जोत लिया, और उन गायों को जो उनमें चर कर अपनी जीविका चलाती थीं उनको उनसे वंचित कर दिया है। इसका नतीजा देहातों पर पड़ा है। श्रीमन्, मैंने अपने जिले में देखा है, कि वह लोग जो खेती पर आश्रित नहीं हैं और जिनकी जीविका का एक मात्र साधन पशुपालन है और जो दूध बेच कर अपनी जीविका चलाते हैं आज गाय कम रखने लगे हैं। श्रीमन्, पूर्वी जिलों में, और-और जगह भी जहां पर परती वगैरह बड़े लोगों से जोत लिये गये हैं वहां जो पहले से जीविकोपार्जन के हेतु मवेशी रखते थे कम हो गये और उनकी जीविका चलना कठिन हो गया। तो हम यह समझते हैं कि वह आदमी जो गोवंश को चोट पहुंचाते हैं वे जितने गो हत्या के दोषी हैं उससे कम पापी वे नहीं है जो जंगल और परती जोत कर उनको खेत बना कर मवेशियों को चरने से रोकते हैं। इस लिये मैंने यह संशोधन रखा है। इसके अतिरिक्त जो गाय के बछड़े को दूध के लालच में दूध पिलाना बन्द कर देते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं, उसकी सीधी हत्या न करके उसको दूध पिलाने से वंचित कर दिया जाता है और उसको जिन्दगी से महरूम कर दिया जाता है उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था हो इस लिये हम ऐसा संशोधन रखते हैं कि जो गो हत्या करता है वह तो प्रत्यक्ष आक्रमण करता है और वह सजा का भागी है लेकिन जो काटने को प्रस्तुत करता है वह आदमी भी उसी दोष का भागी है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री (जिला गोंडा)---आपका संशोधन क्या है जरा पढ़ दीजिये ?

श्री रामेश्वरलाल––मैंने अपने संशोधन को पढ़ दिया है फिर भी पढ़ता हूं। "वध (slaughter) का तात्पर्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी रीति से मारण (killing) से है तथा इसके अन्तर्गत इस प्रकार से अंगहीन करना (maiming) तथा शारीरिक आघात पहुंचाना भी है जिससे सामान्य रूप में (in the ordinary course) मृत्यु हो जाय।"

मैं चाहता हूं कि "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष" बढ़ा दिया जाय। कहने का मतलब यह है कि जो प्रत्यक्ष हत्या करता है वह दोष का भागी है लेकिन जो अप्रत्यक्ष रुप से काटने के लिये देता है वह भी हत्या का भागी है। अगर इसमें यह व्यवस्था होती कि जो काटने के लिये प्रस्तुत करेगा वह भी उतना ही दोष का भागी होगा तो मैं शायद संशोधन पेश नहीं करता। लेकिन इसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस लिये इस संशोधन के पास होने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन की उपादेयता को देखते हुये इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुमसिंह––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, २ (घ) में "वध" का तात्पर्य किसी भी रीति से मारण से है तथा इसके अन्तर्गत इस प्रकार से अंगहीन करना तथा शारीरिक आघात पहुंचाना भी है जिससे सामान्य रुप से मृत्यु हो जाय।

मैं समझता हूं कि "किसी भी रीति" इतना व्यापक है जिसमें "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष" सभी बातें आ जाती हैं। लिहाजा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लगा कर उसके विस्तार को संकुचित करना नुकसानदेह है बजाय फायदा पहुंचाने के। इस वजह से मैं चाहता हूं कि इस संशोधन को हमारे मित्र वापस ले लें।

श्री उमाशंकर––अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी रामेश्वरलाल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। रामेश्वरलाल जी का संशोधन अगर मान लिया जाता है तो किसी भी बहाने से गोवध करने की गुंजाइस नहीं निकल सकती है। जो तरीका इस विधेयक में है उससे गोवध बन्द नहीं हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मवेशीखानों में जो मवेशी बिना चारा के रखे जाते हैं, वहां घुला-घुला कर मारे जाते हैं, उससे भी वे बीमार हो जा सकते हैं और बध करके पुलिस में रिपोर्ट करवा दी जा सकती है, ये सब बातें होती रहेंगी। जिस मवेशी को खाना नहीं मिलेगा वह कमजोर हो ही जायगा और बीमार भी हो जायगा। उसके बाद रिपोर्ट होगी कि यह गाय मार दी गई, उसके चमड़े को निकाल लिया जायगा। जैसा कि एक सम्मानित सदस्य ने इस सदन में बतलाया कि जिन्दा चमड़ा ज्यादा काम का होता है। जिन्दा चमड़ा निकलाने की कोशिश की जायगी। इससे जिन्दा चमड़े का जूता, काफलेदर का जूता बनाने का लालच बढ़ता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लेंगे तो उनकी मंशा अच्छी तरह पूरी हो जायगी। इस लिये मैं सिफारिश करूंगा कि इसको मान लिया जाय।

श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो रामेश्वर लाल जी का संशोधन है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। खंड २ (घ) में यह दिया हुआ है कि "वध" का तात्पर्य किसी भी रीति से मारण से है तथा इसके अन्तर्गत इस प्रकार से अंगहीन करना तथा शारीरिक आघात पहुंचाना भी है जिससे सामान्य रूप से मृत्यु हो जाय।

श्रीमन्, जहां तक किसी पशु के मारने से मतलब है वहां तक तो इस विधेयक के अन्दर आ जाता है। अब जो हमारे रामेश्वरलाल जी ने संशोधन रखा है उसका मतलब है कि किसी के यहां जानवर भूखा रह कर दुर्बल हो जाय और मर जाय तो उसको सजा दे दी जाय मेरे ख्याल से यह ठीक नहीं है। हर मवेशी पालने वाला यह नहीं चाहता कि उसका जानवर घुल घुल कर मरे, उसके सामने कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। मान लीजिये कि सैलाब आ गया है और उन क्षेत्रों में चारा नहीं रह गया है, अगर उनके यहां मवेशी मर जायं तो

[श्री सियाराम चौधरी]

उनको सजा दे दी जाय ! इस लिये मैं चाहता हूं कि इस कानून के अन्दर जो भी चीज है उसी तरह से रहने दिया जाय और श्री रामेश्वरलाल का संशोधन नामंजूर कर दिया जाय।

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है शायद इसका मतलब सही समझ कर भी उत्तर देने में जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कुछ त्रुटि की। श्रीमन्, उनका मतलब बिल्कुल सही है। मैं इस संशोधन के द्वारा चाहता हूं कि देहात के वे लोग जो जानवर पालते हैं, गाय बैल पालते हैं और उन्हें खिलाते नहीं और मरने पर मजबूर कर देते हैं वह भी सजा पायें। श्रीमन्, यदि माननीय मंत्री जी को इसकी सूचना न हो तो मैं सूचना के तौर पर इस सदन में कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो आदमी काम कम करता है वह बड़ा आदमी कहा जाता है। और शहरों के अलावा देहातों में जो बड़े आदमी कहे जाते हैं वे अपने जानवरों के लिये अपने हाथ से कुट्टी नहीं काट सकते, चारा नहीं खिला सकते। मेरा दावा आज सरकार के बन जाने के बाद, और मजदूर जो देहातों में कम मिलते हैं उसके कारण बड़े लोग हैं जिनकी आदत रही है कि वह काम कम करें उनके यहां आज मवेशी मर रहे हैं। श्रीमन्, मैं अपने जिले के दो चार आदमियों के नाम गिना सकता हूं लेकिन चूंकि नाम लेना उचित नहीं होगा इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा। हजारों खेती करने वाले लोगों के यहां हर साल मवेशी खरीदे जाते हैं और हर साल मर जाते हैं इस लिए कि उन्हें आदमी उपयुक्त नहीं मिलते, और खेती नाम मात्र को करते हैं और मवेशियों को चारा नहीं चला सकते। गोबर, चारे और नाज में हाथ डालना उनके लिये पाप है ! मैं समझता हूं कि ऐसे लोग पापी हैं, और वे लोग जो खेती के नाम पर मवेशी के नाम पर सरकार से छूट पाये हुए हैं, वे अपने मवेशियों को उचित चारा नहीं देते, वे लोग अगर कोई इस तरह का काम करते हैं जिससे मवेशी मरते हैं तो सचमुच मेरे इस संशोधन के मान लेने के बाद यह व्यवस्था उनके लिए हो जायगी कि वह भी सजा के भागी होंगे। आखिर एक आदमी जो किसी गाय को मारता है वह पाप का भागी है और वह सजा पाता है। एक साल की सजा और एक हजार रुपया जुरमाना होता है, लेकिन एक बड़ा आदमी जो दस दस, बीस बीस, पचीस पचीस गाय बैल पालता है और अपने मवेशियों को एक साल से ज्यादा जिन्दा नहीं रख सकता, और मौत के घाट उतार देता है मैं चाहता हूं कि उसको भी सजा मिले। इसी लिए मैंने यह संशोधन खुले दिल से प्रस्तुत किया है। अगर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष बढ़ा दिया तो किसी तरह से इस विधेयक की मंशा को चोट नहीं पहुंचती। लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं है मैं चाहता था कि मान लेते। लेकिन अगर नहीं मानते तो मजबूरी है, मैं तर्क ही उपस्थित कर सकता हूं।

श्री हुकुमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अपत्ति थी वह मैंने पहले ही अर्ज कर दी थी। हमारे मित्र ने एक बात कही कि उनके जिले में कुछ बड़े आदमी हैं जो कि मवेशी काफी पाले हैं लेकिन उनको चारा नहीं देते और घुल-घुल कर वे मवेशी मरे जाते हैं। सब बड़े आदमी ऐसे ही हैं मैं इससे सहमत नहीं। मैं भी एक छोटा आदमी हूं बड़ा तो हूं नहीं। लेकिन मैं रामेश्वर लाल जी को निमंत्रण देता हूं मेरे घर पर आ जायं। मैं भी मवेशी पाले हूं, गाय, बैल.....

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—यहीं हैं ?

श्री हुकुमसिंह—यही हैं, और मैं उपाध्याय जी को भी निमंत्रण देता हूं। मेरे यहां आकर चाय भी पीजिये और देखिये भी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—दूध पिलाइये।

श्री हुकुमसिंह—दूध पीने की आपकी उम्र गुजर गयी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बात बिलकुल गलत है। इस तरह से अगर कानून बनाया जाय तो इस तरह से कोई बच ही नहीं सकता। जो इंटेंशनल मारता है तभी वह जुर्म होता है, और जैसा कि चौधरी

सियाराम जी ने कहा वाकयी बहुत से ऐसे जिले हैं, देवरिया ऐसा ही जिला है, हर साल सैलाब का प्रकोप होता है, चारे की दिक्कत रहती है और भी बहुत से जिले ऐसे हैं। देवरिया उनमें से एक है। तो जब ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं, इंसान भरसक प्रयत्न भी करता है लेकिन यह असम्भव सी बात है कि हर एक जानवर के लिए पर्याप्त मात्रा में इन इलाकों में चारा मिल जाय। तो भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो मजबूरी हो जाती है। ऐसी अवस्था में अगर कोई जानवर भूख से या पीड़ित होने की वजह से मर जाय तो उसके लिये उसके मालिक को मुजरिम करार दिया जाय, हालांकि उसकी दिली इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि वह मर जाय, तो मैं समझता हूं कि कानून ऐसा नहीं बनाना चाहिये। इस कानून का ध्येय यह है कि दीदा व दानिस्ता, जानबूझ कर अगर कोई गाय मारता है तो वह मुजरिम है, लेकिन चारे के अभाव से, कोई आक्समात घटना हो जाने की वजह से, सैलाब आने से, आग लग जाने से या सारा चारा जल जाने की वजह से अगर कोई ऐसी बात यहां होती है तो उसको मुजरिम करार देना कानून का मंशा नहीं है। ऐसी सूरत में आगे भी एक तरमीम इसी तरह की है और मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे मित्र उसे पेश न करें तो अच्छा है। विजिबिल या इनविजिबिल से कोई खास मतलब हल नहीं होता और कानून का जो मंशा है, इसको रख देने से लोग उसकी गिरफ्त में आ सकते हैं, वह पूरा नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति १ के शब्द "तात्पर्य" और शब्द "किसी" के बीच में शब्द "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष " बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री प्रतिपालसिंह (जिला शाहजहांपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति १ के शब्द "किसी" से ले कर पंक्ति २ के शब्द "है" तक निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "किसी प्रकार के ऐसे आघात द्वारा मारण से है जो जानबूझ कर मारण के निमित्त किया गया हो" रख दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने "किसी" और "प्रकार" के बीच में जो शब्द "एक" है वह नहीं पढ़ा है। यह गलत छप गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस प्रस्ताव को पेश करने से केवल मात्र यह अभिप्राय है कि वह व्यक्ति या कोई समुदाय जो गाय को "माता" के आदरसूचक शब्द से संबोधित करता है और गाय और उसके वंश को अपने परिवार का एक सदस्य समझ कर उसका आदर और संरक्षण करता है, उसको इस धारा के इन कुछ शब्दों द्वारा आघात न पहुंचाया जा सके। हमारा जो दंड विधान है उसमें भी इस प्रकार का संरक्षण दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने शत्रु तक को यह समझ कर आघात नहीं पहुंचाता है कि उससे उसका मरण हो जायगा तो उसको मारण की जो सजा है वह नहीं मिलती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह स्पष्ट कर देना उचित समझता हूं कि इस सदन में जो दो विचारधारायें गाय के रक्षण के सम्बन्ध में व्यक्त की गई हैं उनमें मैं उस दृष्टिकोण का पक्षपाती हूं कि जो गाय का वध निरोध करना आर्थिक दृष्टिकोण से उचित समझते हैं। किन्तु इस देश की आबादी प्रधानतया हिन्दू है और हिन्दू समाज में गाय को मारने और वध करने को रोकने के लिये एक सामाजिक व्यवस्था है। कोई भी हिन्दू यदि गाय की या गोवंश की जाने या अनजाने में हत्या करता है तो उसको सामाजिक दंड अवश्य भुगतना पड़ता है।

यदि यह भाषा यहां पर साफ़ न की गई तो मुझे भय है, और यह भय सही है कि उसके विपरीत इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसको हानि पहुंचाई जा सकती है। अधिक न कह कर मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे कृपया यदि मेरे संशोधन को न मानें तो इसकी भाषा अवश्य ही साफ़ कर दें ताकि इसके द्वारा अदालत में हिन्दू समुदाय को दोहरी सजा भुगतने का कोई मौका किसी तरह का न पहुंचाया जा सके।

श्री हुकुमसिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वाकई मैं इस बात की कोशिश कर रहा था कि मैं इसे समझूं लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। और जो बात समझ में न आये उसे मन्जूर करना नामुनासिब है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि "खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति १ के शब्द "किसी" से लेकर पंक्ति २ के शब्द "है" तक निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "किसी एक प्रकार के ऐसे आघात द्वारा मारण से है जो जानबूझ कर मारण के निमित्त किया गया हो" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिस संशोधन का नोटिस दिया है मैं इसके स्थान पर यह संशोधन आपकी आज्ञा से रखना चाहता हूं कि खंड २ के उपखंड (घ) के अन्त में निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं :---

"या मृत्यु होने की संभावना हो।"

श्रीमान्, उपाध्यक्ष महोदय, जो खंड २ का भाग (घ) दिया हुआ है इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि यदि गोवंश को किसी प्रकार से कोई आघात पहुंचाता है, या अंगहीन होता है और उसकी मृत्यु हो जाय यह स्पष्ट नहीं कि उसी समय या आगे चल कर? यह शब्द दिये हुये हैं कि "आघात पहुंचाना भी है जिससे सामान्य रूप से मृत्यु हो जाय"। इसके तो दोनों अर्थ होते हैं उसी समय भी मृत्यु हो सकती है और कुछ समय आगे चल कर भी मृत्यु हो सकती है, या सम्भवतः उस समय मृत्यु न हो। तो मैं यह शब्द रखना चाहता हूं "या मृत्यु होने की संभावना हो"। मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार के शब्द रखने से जो गऊ को या उसके वंशज को कष्ट पहुंचायेगा या मृत्यु होगी तो आगे चल कर भी यह इस बिल के लिये सहायक शब्द होंगे और इन शब्दों के मानने में मैं समझता हूं कि कोई हानि नहीं है, यह स्पष्ट हो जायगा।

दूसरी बात यह भी है कि अगर कोई आघात इस प्रकार का पहुंचाये और उसी समय मृत्यु हो गई तो ठीक है वह दंडनीय होगा। पर चोट तो लग गयी और उस चोट के कारण आगे चल कर कुछ समय के पश्चात् मृत्यु हो गई तो यह हो सकता है कि उस आघात के कारण मृत्यु नहीं हुई तो वह दंडनीय न हो बल्कि और किसी कारण से हो। और यह अक्सर देखा भी जाता है कि वह आघात, चोट ऐसी भी हो सकती है कि कुछ समय के पश्चात् २, ४ या १० दिन के बाद उसकी मृत्यु हो। तो इस प्रकार से आघात का शब्द रखने से स्लाटर (वध) का जो शब्द है उसकी परिभाषा में यह दंडनीय माना गया है, यह आ जाता है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसलिये यह शब्द जोड़ दिये जायं "या मृत्यु होने की संभावना हो" तो इन शब्दों से कोई संविधान की या दूसरी और किसी प्रकार से इस बिल में रुकावट पैदा भी नहीं होती बल्कि इस बिल के अन्दर एक सहायता पहुंचाता है।

श्री हुकुमसिंह---जो तरमीम २० पर दी है उसके बजाय कोई दूसरा संशोधन किया गया है, मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि मेरे पास कोई कापी नहीं है। जो लफ्ज उसमें दिये हैं उनकी जरूरत है कि नहीं क्योंकि जब कोई प्रासीक्यूशन होगा ..... ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि संशोधन तो उनका केवल इतना ही है कि इस खंड के अन्त में यह शब्द जोड़े जायं। जो पहले दिये थे वे नहीं बल्कि केवल इतना ही "या मृत्यु होने की संभावना हो"।

श्री हुकुमसिंह---इसकी भी जरूरत नहीं क्योंकि जब मर जायगा तभी प्रासीक्यूशन होगा उसका, पहले नहीं होता। और जब प्रौजीक्यूशन शुरू किया जायगा तो मेडिकल एवीडेंस जरूर दिया जायगा बिना उसके प्रासीक्यूशन हो नहीं सकता। तो ऐसी

सूरत में मेडिकल ऐवीडेंस के होते हुये "या सम्भावना" की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक मरेगा नहीं तब तक प्रासीक्यूशन हो नहीं सकता। अगर यह जोड़ दें तो मरने के पहले ही प्रासीक्यूशन करना पड़ेगा। तो यह तात्पर्य इस विधेयक का नहीं है, मर जाने पर प्रासीक्यूशन होना चाहिये और अगर आपके लफ्ज जोड़ देते हैं तो सम्भव है तभी प्रासीक्यूट कर दिया जाय ! तो ऐसी सूरत में इसकी जरूरत नहीं है।

श्री श्रीचन्द्र—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि जिस समय आघात पहुंचता है उसी समय मरने के पहले ही प्रासीक्यूशन हो जाय। परन्तु मैं इसको फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मान लीजिये चोट लगी, और चोट लगते ही वह जानवर मर गया तो वह दंडनीय होगा ! लेकिन दूसरी दशा यह हो सकती है कि चोट लगने के पश्चात्, आठ रोज बाद या दस रोज बाद वह जानवर मरा तो उस दशा में क्या होगा ? क्या उस दशा में भी जब कि चार रोज या आठ रोज या दस रोज बाद वह मरता है, तब भी वह "वध" शब्द की सीमा में आता है ? यह दंडनीय होगा या नहीं ? केवल मैं इतना स्पष्टीकरण चाहता हूं इसका। और यदि यह है कि चोट लगते ही यदि मर जाय तो प्रासीक्यूशन होगा, तो यह ठीक नहीं है। लेकिन चार रोज या आठ रोज बाद जानवर मरता है तो क्या उस समय भी यह बात मानी जायगी या नहीं ? यदि उस समय भी मानी जायगी तो यह शब्द रखने में कोई हर्ज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय कृषि मंत्री क्या कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री हुकुमसिंह—जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (घ) के अन्त में निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं—

"या मृत्यु होने की संभावना हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रणंजयसिंह—मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता श्रीमन्, क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसी तरह से यह बिल आज पास हो जाय। मेरा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि गोवध बंद हो। इसमें जो शब्द मैं रखना चाहता हूं वह यह है कि खंड २ के उपखंड (च) की पंक्ति १ में से "अलाभकर" हटा कर उस के स्थान पर शब्द "अल्पलाभकर" रख दिया जाय और कोष्ठक में से शब्द "uneconomic" हटा कर उस के स्थान पर शब्द "less economic" रख दिया जाय। इससे अभिप्राय मेरा यह है कि गाय जो है उसे मैं अलाभकर मानता ही नहीं। वह इतने उपकार करती है कि उसे अलाभकर कहना उचित नहीं है। उससे हमको इतने लाभ होते हैं कि वह जब तक जीवित रहेगी, पहले तो उसके बच्चे होंगे, फिर वह दूध देगी, उसके गोबर तथा मूत्र से लाभ होगा, तत्पश्चात् जब वह दूध देना बन्द कर देगी तो यह कहना कि वह लाभ कर नहीं अलाभकर हो जायगी मैं इससे सहमत नहीं हूं। यह अलाभकर जो विशेषण है वह गाय के लिये ठीक नहीं है। जब तक वह जीवित रहेगी वृद्ध होने पर भी उसके गोमूत्र से, गोबर से और उसके मरने के बाद उसके चमड़े से जो सेवा हमारी होती है वह तो बराबर होती ही रहेगी। तो इस स्थान पर अलाभकर के स्थान पर कम लाभकर रखना ठीक होगा। गो संवर्धन जांच समिति की रिपोर्ट में यह दिया हुआ है—गाय के गोबर की खाद विशेष उपयोगी है। डाक्टर वीलकर ने गाय के गोबर का विश्लेषण किया और उन्होंने एक टन सूखे गाय के गोबर की खाद सम्बन्धी उपयोगिता १५५ पौंड सल्फ़ेट आफ़ अमोनिया के बराबर पायी।

इस प्रकार उसके गोबर में बड़ी शक्ति है, उससे बड़ी अच्छी खाद बनती है। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ यहां यह संशोधन उपस्थित करता हूं।

श्री हकुमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी तक दो लफ्ज जानता था, "इकानामिक" और "अनइकानामिक"। "लेस इकानामिक" पहले पहल सुना, इसको कौन तय करेगा? हमारे नुक्ते ख्याल से दो सेर दूध देने वाली इकानामिक है और कुंवर साहब के ख्याल से २० सेर जब तक न दे तब तक इकानामिक नहीं है, २ सेर वाली लेस इकानामिक हो सकती है। तो इकानामिक और लेस इकानामिक का फर्क निकालना बड़ा मुश्किल हो जायगा। तो मैं समझता हूं कि कुंवर साहब मेरी बात की माकूलियत को समझ गये होंगे। कुंवर साहब उसे पेश कर चुके हैं तो वापस भी ले लेंगे।

श्री रणंजयसिंह—श्रीमन्, मुझे इसका आग्रह तो नहीं है, लेकिन मेरी समझ में तो यही है कि जब वह दूध देना बन्द कर देगी तो कम लाभ होगा। उतना लाभ तो नहीं होगा, लेकिन कम होगा। अब जैसा सदन चाहे वह करे।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य से मालूम करना है कि वह विथड्रा करना चाहते हैं या नहीं?

श्री रणंजयसिंह—राय ले ली जाय सदन की, जो कुछ हो।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (च) की पंक्ति १ में से शब्द "अलाभकर" हटा कर उस के स्थान पर शब्द "अल्पलाभकर" रख दिया जाय और कोष्ठक में से शब्द "uneconomic" हटा कर उस के स्थान पर शब्द "(less economic)" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री प्रतिपालसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (च) की पंक्ति २ के शब्द "अरक्षित" के बाद "अथवा वह गायें जो स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अलाभकर घोषित कर दी जायं" रख कर बाद के शब्द निकाल दिये जायं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय ने यह कह कर मंजूर नहीं किया कि वह उनकी समझ में नहीं आया। मैं यद्यपि ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन कानूनी भाषा की जो शिथिलता है उसके सम्बन्ध में मैंने उस समय भी जोर दिया था और इस पर भी जोर देना आवश्यक समझता हूं। कानून की भाषा बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिये नहीं तो प्रायः यह देखा जाता है कि उसके अर्थों की खींचातानी में जो व्यक्ति मुकदमें इत्यादि में फंसते हैं उन्हें काफी नुक्सान हो जाता है। तो इसमें जो ये शब्द हैं "इनफर्म", "डिस्एबिल्ड", "डिज़ीज्ड" और "बैरन" जिनके अर्थ दुर्बल, अक्षम, रुग्ण अथवा बंध्या रखे गये हैं, तो यह बहुत ही वेग शब्द है। "अक्षम", "डिस्एबिल्ड" का तर्जुमा किया गया है वह भी साफ़ नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि इस प्रकार के जानवरों को एक जगह बन्द करने अथवा अन्य प्रकार की कोई व्यवस्था सरकार करे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को यदि अपना कोई इनफर्म, दुर्बल या अक्षम जानवर देना पसन्द न हुआ और प्रेस्क्राइब्ड आथारटी इत्यादि ने यह समझा कि इनको बन्द किया जाना आवश्यक है तो एक बड़ी समस्या पैदा होगी। यह बात कोई माने या न माने, इनफर्म को, दुर्बल इत्यादि का बन्द किया जाना या उनका उपयोग ठीक है अथवा नहीं, किन्तु यदि ऐसी स्थिति पैदा हुई कि उस व्यक्ति के दरमियान जिसकी दुर्बल गाय है और उस कोर्ट या प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के दरमियान ऐसा झगड़ा हुआ तो इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जायगा। इसलिये मेरा यह अभिप्राय है कि इस खंड को भी साफ़ कर दिया जाय और यदि मेरा यह प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय को अधिक स्पष्ट न जंचे तो फिर वह इसको संशोधित कर के मंजूर कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अपना संशोधन फिर एक बार बतला दें तो अच्छा होगा।

श्री प्रतिपालसिंह—मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

खंड २ के उपखंड (च) की पंक्ति २ के शब्द "अरक्षित" के बाद "अथवा वह गायें जो स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अलाभकर घोषित कर दी जायं" रख कर बाद के शब्द निकाल दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अपना संशोधन लिख कर भेज दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री हुकुमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अल्फाज तो मेरी समझ में अब भी नहीं आये लेकिन तकरीर जो मैंने सुनी उससे हमारे मित्र का आशय यह मालूम होता है कि अक्षम या इन्फ़र्म के बारे में उनका शायद यह ख्याल है कि अगर किसी के पास कोई दुर्बल जानवर है और वह उसको रखना चाहता है तो "दुर्बल" का लफ्ज अनडिफ़ाइन्ड है, लिहाजा अगर सरकारी अधिकारी उस को लेने के लिये कहें और वह देने के लिये तैयार नहीं तो उसमें दिक्कत हो सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई कम्पल्शन नहीं है। सरकार किसी को मजबूर नहीं करेगी। अगर किसी का अलाभकर जानवर है और वह उसे सरकारी गोसदनों या प्राइवेट गोसदनों में नहीं भेजता है तो वह खुशी से उसे अपने घर रख सकता है। लेकिन जो लोग देना चाहेंगे बिला किसी मजबूरी या दबाव के वे दे सकते हैं। लिहाजा ऐसी कोई झगड़े की संभावना ही नहीं होती है। लिहाजा ऐसी सूरत में जो खतरा हमारे मित्र ने देखा उसकी कोई संभावना मालूम नहीं होती। यह ऐसे ही रहना चाहिये, कोई तरमीम की आवश्यकता नहीं। और जो नियम बनेंगे वे भी किसी को मजबूर नहीं करेंगे। हर शख्स स्वतंत्र होगा वह चाहे तो दे और न चाहे तो न दे।

श्री प्रतिपालसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री के इस आश्वासन के बाद कि नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था वह अवश्य कर देंगे जिससे किसी को इस प्रकार के जानवर देने के लिये मजबूर नहीं किया जायगा, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री नारायणदास (जिला फ़ैजाबाद)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमन् की आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड २ का उपखंड (च) निकाल दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस विधेयक को लाने वाले हमारे ठाकुर साहब हैं और यह उस वंश के हैं जिनका कि दिलीप और नंदिनी का इतिहास हमारे सामने है। आपने श्रीमन्, अभी यह भी फरमाया कि संसार में लाभकर और अलाभकर दो बातें हुआ करती हैं और बड़ी खुशी हुई जवाब सुनकर। लेकिन ठाकुर साहब हमेशा इस पर कायम रहें। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं जानता हूं, मैं छोटी बुद्धि का आदमी हूं लेकिन मैं समझता हूं कि जितना मानव समाज इस पृथ्वी पर है और खास तौर से भारत ने तीन मातायें मानी हैं एक तो अपनी माता, दूसरी पृथ्वी माता और तीसरी गोमाता, और मेरा ख्याल है कि यह हमेशा लाभकर मानी गयी हैं, अलाभकर कभी नहीं मानी गई हैं। जिसमें गाय का तो मूत्र और गोबर से ले कर हड्डी और चमड़ा तक लाभ कर है।

आज हमारे सामने कुछ कठिनाइयां हैं। इस "अलाभकर" वाले शब्द की परिधि में जो ऐसी तमाम बातें आई हैं कि जो दुर्बल हो, रूग्ण, अक्षम हो, अरक्षित या बांझ हो उनके लिये हमारी सरकार यह करेगी कि म्युनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को आज्ञा व इजाजत दे देगी कि वह उनके देखभाल व पालने का इन्तजाम करे और जो वहां अलाभकर गाय भर्ती कराना चाहें उन पर टैक्स बांध दिया जायगा कि इतनी फीस वह देगें। श्रीमन्, एक चीज यह भी देखनी है कि गाय के साथ बैल भी आता है। यह हमारे मानव

[श्री नारायण दास]

समाज का स्वार्थ है कि जितने बैल होते हैं उनमें ९९ प्रतिशत बधिया कर दिये जाते हैं, और वह निर्बल हो जाते हैं और बधिया वह वैसे ही हो गये। गाय दुर्बल इसलिये हो जाती है कि उसकी इंद्री में दूध अधिक प्राप्त करने के लिये फूंका मार देते हैं। श्रीमन्, हम मानव प्राणी हैं, हमें पशुओं पर क्या अत्याचार करना है, हमें तो अपने इस विधान को देखना है। हम यह सुझाव देंगे कि जिस तरह अबला, अनाथ महिला आश्रम खुले हुये हैं उसी तरह से अबला गोसदन या अबला गाय आश्रम जिले-जिले में खोल दिये जायं तो ज्यादा लाभ होगा बनिस्बत म्युनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को देने के। क्योंकि मैं जानता हूं और अपनी म्युनिसिपैलिटी, फैजाबाद की बात बतला रहा हूं। वह म्युनिसिपैलिटी ऐसी है कि जितने हिन्दू-मुसलमान सदस्य थे उन्होंने इस झगड़े को मिटाने के लिये प्रस्ताव पास कर दिया था कि गाय-भैंस सभी को मारना बंद कर दिया जाय। यह पहली म्युनिसिपैलिटी थी जहां ऐसी बात हुई। हमारे यहां म्युनिसिपैलिटी में यह है कि गोशाला को ४०० / ५०० रुपये दे दिये जाते हैं। इसलिये कि हमारे यहां जो म्युनिसिपैलिटी के अन्दर ऐसी निर्बल गाय मवेशीखाने में आती है, उन्हें मवेशीखाने में रखते हैं। जब गाय नीलाम के करीब आती है तो वह गोशाला को दे दी जाती है परन्तु गोशाला में वह बुरी हालत होने वाली है और जो दशा है वह भी आप जानते हैं। और म्युनिसिपैलिटी के जो मवेशीखाने हैं उसकी मिसाल हमारे एक माननीय सदस्य ने दी कि दो-दो आने की गायें बिकती हैं! तो ऐसी दशा में मैं यह चाहता हूं कि अगर यह "अलाभकर" वाला शब्द गोवंश के ऊपर न रखा जाय तो अच्छा है। इससे बूढ़ी निर्बल गायों की सेवा का भार उन्हीं पर होगा जिन्होंने दूध, घी आदि से लाभ उठाया। साथ ही इससे ६, ७ धारा निकल जाती है। मैं ठाकुर साहब से निवेदन करूंगा कि वह इसको वापस ले लें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो धारा ४ है इसमें अलाभकर के अन्तर्गत बहुत तरह की गाय को रखा गया है। दुर्बल, अक्षम, रोग ग्रस्त, क्षीण और निःसहाय इस तरह के शब्दों को जो रखा गया है वह हमारी सरकार ने रखा है। मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि वह जो गाय के रक्षक होने का नारा लगाते हैं वह नहीं हैं। सही तो यह है कि हमारी सरकार गोवंश की रक्षा के लिये इन्तजाम कर रही है। यह कानून लाकर सरकार ने उसकी रक्षा का प्रबंध किया है। जो निर्बल, दुर्बल और निःसहाय गाय होंगी उनको जैसा कि आपने कहा म्युनिसिपैलिटी डंडे मार कर खदेड़ देती है यह बिलकुल सही है। मैंने इसी लखनऊ शहर में देखा है कि एक मोटी-ताजी गाय को डंडे मार कर खदेड़ दिया गया। मैंने उस आदमी का हाथ पकड़ा और कहा क्यों जी, वहां जाकर तो सत्याग्रह करते हो और यहां गाय को डंडे मारते हो? यह सब उन गायों के लिये इंतजाम किया जा रहा है जो निस्सहाय और निर्बल गायें होंगी और उनको गोसदन में स्थान दिया जायगा। यह सरकार गायों की रक्षक है भक्षक नहीं है। मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि आज सरकार उन लोगों की भी सहायता कर रही है और उनकी भी इज्जत रखने की कोशिश कर रही है जो सिर्फ नारा लगाते हैं और काम कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ गाल बजाते हैं। मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि आप मुहल्लों में जाकर देखिये और बनियों की सोसाइटी में जाकर देखिये कि वे दूध दुहकर गाय को मारकर निकाल देते हैं। उनसे जाकर आप कहिये कि इन गायों की आप भी रक्षा कीजिये। जनरल डिबेट के समय मैंने कहा था कि सरकार को चाहिये कि वह एक रुपये पीछे एक पैसा जनरल टैक्स कंपलसरी कर दे, जिससे हम इन पशुओं की रक्षा कर सकें। मैं अपने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार से टैक्स का प्रबंध इस बिल के अन्दर कर दें कि एक रुपये पर एक पैसा टैक्स लिया जाय। जिसकी आमदनी जितने रुपये की हो उसको उतने पैसे टैक्स देना जरूरी हो जाय। तब हम देखेंगे कि आप कितने हमदर्द हैं। यह गवर्नमेंट गोवंश की रक्षक है। हम भी रक्षक हैं और आपको भी रक्षक बनाना चाहते हैं। आप जाइये और जनता से कहिये कि वह एक पैसा टैक्स दे। आज जो यह बड़ी-बड़ी धर्मशालाएं

[श्री शिवनारायण]

बन रही हैं उनके लोगों से जाकर कहिये कि इन जानवरों की रक्षा के लिये पैसा दीजिये। हम तो गोवंश की रक्षा करना चाहते हैं और इसके साथ ही मुसलमानों की भी रक्षा करना चाहते हैं।

मैं ठाकुर साहब से कहूंगा कि जिस प्रकार से आपने जमींदारी अबालिशन करके समाज में क्रांति उत्पन्न की है उसी प्रकार से इन पशुओं की रक्षा में भी क्रांति लायें। हमारे ठाकुर साहब आज इसी तरह से करने जा रहे हैं। आप किस चक्कर में हैं? गवर्नमेंट मुनासिब बात कर रही है कोई अनुचित बात नहीं कर रही है। हमारे ठाकुर साहब पक्के हिन्दू हैं, वह लंगड़े-लूले, अपाहिज, असहाय सब पशुओं की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले रहे हैं। वे दिलीप के खानदान के हैं। वह इस काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। मैं आज पुनः कहना चाहता हूं कि यह जो बिल रखा गया है यह बहुत सुन्दर है और मैं नारायणदास जी से कहता हूं कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री हुकुमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हमारे मित्र नारायणदास जी का संशोधन है कि खंड २ के उपखंड (च) को निकाल दिया जाय तो इसके निकाल देने से एक दिक्कत होगी, नहीं तो मैं जरूर इसको मान लेता। हमने आगे खंड ६ और ७ में रक्खा है कि जो अलाभकर गायें होंगी उनके लिये इंस्टीट्यूशन्स अथवा गो सदन खोले जायेंगे। इस प्रकार से खंड ६ और ७ में आगे चलकर इस 'अलाभकर' शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसलिये यदि वह डेफीनीशन से निकाल दिया जाता है तो जो आगे चलकर अलाभकर शब्द रखा गया है उससे क्या तात्पर्य होगा, उसमें कौन-कौन शामिल होगा, यह समझ में नहीं आयेगा? इसलिये यहां यह आवश्यक है। इसलिये यहां जो पर्यायवाची शब्द रक्खे गये हैं वे किसी मतलब से रक्खे गये हैं। इसलिये इस खंड-(च) का बदस्तूर रहना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि हमारे मित्र नारायणदास जी की भी यही इच्छा है और माननीय सभी सदस्यों की भी यही इच्छा है कि जो अलाभकर जानवर हों उनका भी इन्तजाम होना आवश्यक है और जब इन्तजाम होना आवश्यक है तो अलाभकर शब्द की डेफीनीशन भी आवश्यक है क्योंकि उसका आगे चल कर इस्तेमाल हुआ है। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे मित्र इसको वापस ले लें।

श्री नारायणदास—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, शिवनारायण जी जो हमारे साथी हैं, यद्यपि यह ठीक है कि उन्होंने मुर्दे पशुओं का मांस खाना छोड़ दिया है, लेकिन और साथी हमारे हैं उनको उन पशुओं का जो मरते हैं, चमड़ा मिल जाता है, और इस प्रकार से उनकी एक आर्थिक समस्या हल होती है। और अगर पशु शहरी मवेशीखाना अधिकारिकी में चले जायेंगे तो उनका आर्थिक रूप से बहुत नुकसान होगा। लेकिन फिर भी वे हमें सलाह देते हैं तो वे हमारे अगुआ हैं, हम उनकी सलाह मान लेते हैं और माननीय मंत्री जी ने भी यह आश्वासन दिया कि गोशालाएं खोली जायेंगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि कानून में कोई दिक्कत पैदा न हो, इसलिये मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

प्रतिवेध।

३—समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि (law) में किसी बात के अथवा किसी विपरीत उपचार या आचार (usage or custom) के होते हुये भी, कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के किसी भी स्थान में किसी गाय का न तो वध करेगा और न वध करवायेगा अथवा उसे वध के लिये न प्रस्तुत (offer) करेगा, न प्रस्तुत करवायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

धारा ३ भयंकर रोगों (dangerous diseases) क्षत विक्षत (injured) अथवा दुर्बल गायों पर प्रवृत्त न होगी।

४—(१) धारा ३ की कोई भी बात किसी ऐसी गाय के वध पर प्रवृत्त न होगी—

(क) जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार विज्ञप्ति किसी सांस्पर्शिक (contagious) अथवा सांसर्गिक (infectious) रोग से पीड़ित हो; अथवा

(ख) जो चिकित्सकीय अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी गवेषण (research) के हित में प्रयोगाधीन हो।

(२) जब उपधारा (१) के खंड (क) में वर्णित कारणवश किसी गाय का वध किया जाय तो वह व्यक्ति जो ऐसी गाय का वध करे अथवा वध करवाये, वध के चौबीस घंटों के भीतर, सन्निकट थाने में अथवा ऐसे अधिकारी अथवा आधिकारिकी (authority) के समक्ष जो नियत किया जाय तत्सम्बन्धी सूचना देगा।

(३) उस गाय का शव (carcass) जिसका उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन वध किया गया हो ऐसी रीति से दफ़नाया अथवा निस्तारित किया जायगा जो नियत की जाय।

श्री उमाशंकर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इस खंड ४ में यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"४—(१) राज्य सरकार बीमार गायों, भैंसों तथा उनके वंशजों के लिये मवेशी अस्पतालों में भर्ती करके उनका विधिवत् उपचार अपने खर्चे पर करेगी, और उन पर चिकित्सकीय अन्वेषण करायेगी।

राजा वीरेन्द्रशाह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइंट ऑफ़ आर्डर रेज करता हूं। श्रीमन् इस संशोधन में जहां तक भैंस का सवाल है, जब एक बार सदन भैंस वाले संशोधन को रिजेक्ट कर चुका है लिहाजा इसको हटा दिया जाय।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, वह पढ़ना भी नहीं चाहते थे, गलती से उन्होंने पढ़ दिया।

श्री उमाशंकर—श्रीमन्, वह संशोधन अपनी जगह पर था और यह अपनी जगह पर है, लिहाज़ा इसको रखा जा सकता है। यह जो मतलब रखता है इसको आप खुद देख लीजिये, मैं गलती में नहीं हूं, गलत तो उस पार्टी के लोग पढ़ते हैं—

"(२) जब उपधारा (१) में लिखी गयी, मवेशियां मर जायं तो उनके शवों को ऐसी रीति से दफ़नाया जायगा जो राज्य सरकार नियत करेगी।"

श्रीमन्, विधेयक में रखा गया है कि वध के २४ घंटे के भीतर उपधारा (१) के अनुसार पुलिस स्टेशन को बतलाया जायगा कि हमने एक गाय जो फलां रोग से पीड़ित थी उसको मार दिया। इसका क्या मतलब होता है? अब मैं नहीं समझ रहा हूं कि गायों को न मारने के लिये तो यह विधेयक बन रहा है और उसमें गाय-वध के तमाम दरवाजे खोले जा रहे हैं? इस दरवाजे से, उस दरवाजे से वध किया जायगा तो कोई हर्ज नहीं है। इस सदन के तमाम लोगों का वक्त फ़ज़ूल खर्च किया जा रहा है और जनता का पैसा बेकार खर्च किया जा रहा है, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी! इसलिये मैंने संशोधन में साफ-साफ कहा है। अब आप अगर गाय और उसके वंशजों को नहीं मारना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि गोवंश की रक्षा हो तो इस संशोधन को मान लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। इसमें मैंने यह भी जोड़ दिया है कि अगर मवेशियों की दवा की आप खोज कराना चाहते हैं तो बीमारी के ऊपर ही तो प्रयोग होगा, फिर बीमार मवेशियों को अस्पताल में भर्ती करके आप खोज कराइए। म आपसे प्रार्थना करता

हूं कि आप इस पर जरा ध्यान दें। इस सदन के सामने माननीय सदस्यों ने बयान दिया है सिवा श्री शिव नारायण जी के, उनके बयान से यह साफ-साफ मालूम हो रहा है कि वे कुछ लोगों को खुश रखने की ओर ज्यादा रुजू हैं, बाकी इधर या उधर के सभी सम्मानित सदस्य इस विचार के हैं कि प्राण देकर भी गोरक्षा की जाय।

श्री शिवनारायण—आन ए प्वाइंट आफ् आर्डर सर। माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर आक्षेप किया है इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि वे अपने शब्दों को वापस ले लें।

श्री उमाशंकर—इस सदन के सदस्यों की भावना गोवंश की रक्षा से ओतप्रोत है। यहां का हर आदमी चाहे यहां बैठा हो या बाहर बैठा हो चाहता है .....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य बतलाने की कृपा करें कि कौन-सा शब्द अपमानजनक है?

श्री शिवनारायण—उन्होंने कहा कि 'मैं श्री शिवनारायण की बातों की कोई कीमत नहीं समझता।' मैं इस हाउस का एक आनरेबिल मेम्बर हूं। क्या कोई सदस्य किसी मेम्बर के लिये ऐसी बात कह सकता है? मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहता हूं। दिस इज् ए क्वेश्चन आफ् डिगनिटी, यह हाउस की डिगनिटी का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री उमाशंकर से) क्या आपने कहा कि मैं माननीय सदस्य की बातों की कोई कीमत नहीं समझता? क्या आपने उनके लिये कोई अपमानजनक शब्द कहा?

श्री उमाशंकर—मैंने कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य विश्वास दिलाते हैं कि उन्होंने आपके लिये कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहा है। (श्री उमाशंकर से) आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री उमाशंकर—मैं कह रहा था कि इस सदन के बाहर के लोग जिनके चन्द वोटों के लिये सरकार लालायित रहती है वे भी कहते हैं, और बहुत से माननीय सदस्य भी कहते हैं .....

श्री हुकुमसिंह—क्या ये बातें होश-हवाश की हैं? संशोधन के साथ वोट की बात लाने की क्या जरूरत है?

श्री उमाशंकर—मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें देर न करे .....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य संशोधन पर ही बोलें।

श्री उमाशंकर—मैं कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि जिस तरह से भी हो सके गायों की रक्षा की जाय। अपनी जिन्दगी देकर अगर रक्षा की जा सके तो भी की जाय और इस में तो और दरवाजा हत्या का खोल दिया गया है। हमारा संशोधन पूर्णरूप से गौ की रक्षा करता है इसलिये उसे मानना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आवेश में आकर कोई बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे तो यह देखना है कि कानून ठीक रूप से बनता है या नहीं, उसमें कोई अनुचित बात तो नहीं रह जाती। (कुछ बाधा होने पर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस तरफ ऐसी बातें होती हैं कि मैं क्या कहूं कुछ सुना ही नहीं जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष—सदन में शांति ही रहनी चाहिये।

श्री हुकुमसिंह—अपोजीशन के माननीय सदस्यों को हक है कि वह अपनी तकरीरों की तरफ मिनिस्टरों की तवज्जह दिला सकें, लेकिन जब मैं बोलूं तो हमारा भी यह हक है कि वह हमारी बात को तवज्जह से और शांति से सुनें। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय उमाशंकर जी की बात मान लेता, लेकिन इस तरमीम में लफ्ज "भैंस" है "भैंसा" भी शायद हो, और इस तरह से

[श्री हुकुमसिंह]

उस में पड़िया, ओसर वगैरा सब आ जायेंगे। लेकिन धारा २ में जो परिभाषाएं हैं उनमें "गो" गोमांस, अलाभकर आदि की डेफीनिशंस हैं, लेकिन "भैंस" धारा २ में नहीं है और न उसकी डेफीनीशन है। (एक आवाज---समझ में नहीं आ रहा है।) कानून की बात जरा मुश्किल से समझ में आती है, मैं मजबूर हूं समझा सकता हूं, लेकिन समझने के लिये अक्ल नहीं दे सकता।

मैं यह कह रहा था कि जब हमने धारा २ में डेफीनीशन में यह चीज नहीं दी है तो हम यहां या किसी भी धारा में उनका प्रयोग नहीं कर सकते और अगर करते हैं तो वह बेमानी होगा। इसलिये भैंस और उसके वंश का यहां जिक्र नहीं आ सकता। सदन ने धारा २ जैसी थी वैसी ही स्वीकार कर ली है और अब उसमें हम कोई शब्द घटा बढ़ा नहीं सकते। ऐसी सूरत में अगर हम इस संशोधन को मान लेते हैं तो उसमें कानूनी अड़चनें पड़ेंगी जिनको वह समझें या न समझें और समझने की कोशिश करें या न करें यह उनको हक है। इसलिये मैं इस तरमीम को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मेरे मित्र ने बहुत सी बातें कहीं और कहा कि इस बिल को लाकर गौ हत्या के बड़े दरवाजे खोल दिये गये हैं। जब हमने असली फाटक को बन्द कर दिया तो मेरे ख्याल से ऐसा कहना बिलकुल गलत है। उन्होंने कहा कि यह बिल गौ हत्या में इजाफा करने के लिये लाया गया है, मैं समझता हूं कि उनका यह कहना सर्वथा असत्य है और कतई निर्मूल है। उन्होंने यह भी कहा कि वोट लेने की गरज से यह बिल सरकार ने पेश किया है। कल ही मैंने बहुत सफाई के साथ प्रत्यक्ष रूप से माननीय सदस्यों के सामने कहा था कि आर्थिक दृष्टि से हमारे देश के लिये गोवध निवारण अनिवार्य था, और जैसा कि हमारे कांस्टीट्यूशन में भी है उसी को फालो करते हुये हम गोवध बन्द कर रहे हैं। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह बिल लाया गया है, और ५ अप्रैल सन् ५१ को ही यहां गोवध के सम्बन्ध में एक गोसम्वर्धन कमेटी नियुक्त की गयी थी और उसने बड़ी मेहनत से सारे प्रदेश में जाकर और जगह जगह जांच पड़ताल कर के एक राय हो कर गोवध को बन्द करने की सिफारिश की और उसी के आधार पर सरकार ने विचार करके उस कमेटी के यूनैनानिमस फैसले को मंजूर किया और उसी नतीजे पर आज यह बिल सदन के सामने आर्थिक दृष्टिकोण से पेश किया गया है। इसमें कोई वोट लेने का कारण नहीं हो सकता, वोट तो हम को वैसे ही बहुत मिलते हैं और मिलेंगे, क्योंकि यह वह सरकार है जिसने जनता की सेवा हमेशा से की है। जनता की सेवा इस सरकार ने की है और आइंदा करने का इरादा रखती है, नहीं तो हमारे प्रदेश की जनता इतने बहुमत में कांग्रेस पार्टी को इस सदन के अन्दर न भेजती। लिहाजा अगर घबराहट हो सकती है तो उमाशंकर जी को हो सकती है। तो इसमें इस तरफ बैठने वालों को जरा घबराहट नहीं है क्योंकि उसी पार्टी में तोड़ मरोड़ हो रही है, क्योंकि दिन ब दिन जो इधर बैठनेवाले हैं उन्हीं की तादाद में बढ़ती हो रही है। लिहाजा खतरा उन्हीं को है। हम तो जनहित की बात करते रहे हैं, करते रहेंगे, वोट मिले या न मिले जनता की सेवा करना, देश की सेवा करना, इस गवर्नमेंट का परम कर्तव्य है। इसी दृष्टिकोण से हम बिल लाये हैं। किसी एलेक्शन के डर से, किसी दबाव से न हम विधेयक लाते हैं, न लाये हैं और न लायेंगे। उमाशंकर जी जब खड़े होंगे, तो सरकार के मोटिव पर शक करेंगे, यह कहां तक मुनासिब है और बजा है? इस सरकार ने जो काम किये हैं वे खुल्लमखुल्ला डंके की चोट पर किया है किसी परदे की आड़ में नहीं किया है न करेंगे। कांग्रेस सरकार जो कुछ भी करती है उसमें किसी छिपाव की कोई गुन्जायश नहीं है। हमारे कांग्रेस के सिद्धांतों में यह नहीं, हमने किसी आंदोलन तक में कोई काम छिपाकर नहीं किया। हमेशा नोटिस निकालकर, परचे निकालकर कांग्रेस ने काम किया। लिहाजा यह सरकार भी उसी तरह से खुल्लमखुल्ला काम करती है। मैं ईमानदारी के साथ समझता हूं कि सरकार यह विधेयक जनहित के लिये, कल्याण के लिये ला रही है। अब मैं खत्म करता हूं और इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह---आधा घंटा समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---वह तय हो चुका है।

श्री उमाशंकर---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया.....

श्री हुकुमसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने यह निश्चित कर दिया था कि साढ़े तीन बजे विवाद बन्द हो जायगा और उसके बाद गिलोटिन होगा, और अब साढ़े तीन बजे हैं लिहाजा कोई भाषण नहीं हो सकता ।

श्री उमाशंकर---उपाध्यक्ष महोदय, अगर जवाब देने का अधिकार मुझे नहीं दिया जाता तो मेरे साथ अन्याय होगा ।

श्री उपाध्यक्ष---आप दो मिनट में अपनी बात कह दीजिये ।

श्री उमाशंकर---मंत्री जी ने यह बताया कि यह विधेयक आर्थिक दृष्टिकोण से लाया गया है । गोसम्वर्द्धन समिति की रिपोर्ट का हवाला देकर यह बता दिया गया है कि अगर आर्थिक दृष्टिकोण से है तो दूध के लिये, खाद के लिये, खेती के लिये और जानवरों के लिये । और भी जानवर थे उनको भी रखना चाहिये था । दूसरी बात मंत्री जी ने कही कि बिल ने दरवाजा गोवध का बन्द कर दिया है । हमने कहा कि नहीं बन्द किया है, लेकिन असली दरवाजा तो बन्द कर दिया है लेकिन चोर दरवाजा खोल दिया है वोट के लिये ! अगर यह बात नहीं है तो और क्या बात है बताइये ? इसमें क्यों ऐसा है कि वध के २४ घंटे के बाद खबर दी जायगी । तब गो की लाश का पोस्टमार्टम होगा ? उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मुझे इस संशोधन को मान लेने में एतराज नहीं होगा अगर इसमें 'भैंस' का शब्द निकाल दिया जाता । लीजिये मैं 'भैंस' शब्द को वापस लिये ले रहा हूं लेकिन वह मान लें ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ के स्थान पर निम्न लिखित रख दिया जाय---

"४---(१) राज्य सरकार बीमार गायों, भैंसों तथा उनके वंशजों के लिये मवेशी अस्पतालों में भर्ती करके उनका विधिवत् उपचार राज्य सरकार अपने खर्चे पर करेगी और उन पर चिकित्सकीय अन्वेषण करायेगी ।

(२) जब उपधारा (१) में लिखी गयी मवेशियां मर जायं तो उनके शवों को ऐसी रीति से दफनाया जायगा जो राज्य सरकार नियत करेगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (क) की पंक्ति २ के शब्द "रोग से" के बाद के शब्द निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "किसी सरकारी पशु चिकित्सक द्वारा पीड़ित प्रमाणित कर दी गयी हों अथवा" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१४
विपक्ष में---७०)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) का भाग (क) निकाल दिया जाय ।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी ।)

श्री हुकुमसिंह---क्या गिलोटिन में डिवीज़न भी काल किया जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि डिवीजन तो काल कर सकते हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि समय बचाने के लिये घंटी वगैरह बजाने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथज उठाकर विभान होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१६
विपक्ष में---७० ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ के पूर्ण विराम के स्थान पर कामा लगा दिया जाय और उसके पश्चात् निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं —

"जब कि वध उन शर्तों और परिस्थितियों के अनुसार किया जाय जो नियत की जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

"(२) उपधारा (१) के खंड (क) में वर्णित कारणों वश गाय का वध किये जाने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि वध करने अथवा करवाने वाले व्यक्ति नियत अधिकारी से लिखित आज्ञा प्राप्त कर लें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—७९
विपक्ष में—१०)

खंड ५

गोमांस बेचने का प्रतिषेध।

५—यहां पर दिये गये अपवाद को छोड़कर तथा समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, कोई भी व्यक्ति सिवाय ऐसे चिकित्सकीय प्रयोजनों के निमित्त जो नियत किये जायं किसी भी रूप में गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ न बेचेगा और न बेचने के लिये प्रस्तुत करेगा और न बिकवायेगा।

अपवाद—वायुवान के अथवा रेलवे ट्रेन के वास्तविक (bonafide) यात्री द्वारा उपभोग के लिये कोई भी व्यक्ति गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ बेच सकता है तथा भोजनार्थ प्रस्तुत कर सकता है अथवा बिकवा और भोजनार्थ प्रस्तुत करवा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ की पंक्ति १ के शब्द "यहां" से लेकर पंक्ति २ के शब्द "कोई" से पूर्व के शब्द निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ की पंक्ति ४ और ५ के शब्द "न बेचने के लिये प्रस्तुत करेगा और न बिकवायेगा" के स्थान पर शब्द "न परिवहन करेगा न बेचने अथवा परिवहन के लिये प्रस्तुत करगा और न बिकवायेगा अथवा परिवहन करवायेगा" रख दिये जायं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैंने इस संशोधन में एक संशोधन दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—यह थोड़ी देर पहले ही आया है इस पर मैं सदन की अनुमति लेना चाहता हूं। यदि किसी को विरोध नहीं है तो यह ले लिया जायगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--संशोधन में संशोधन हर समय दिया जा सकता है। इसमें अनुमति लेने का कोई सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--वह इस प्रकार है--

श्री बसन्तलाल शर्मा के संशोधन में शब्द "न परिवहन" के पहले शब्द "न रखेगा" जोड़ दिये जायं।

प्रश्न यह है कि उपस्थित संशोधन में शब्द "न परिवहन" के पहले शब्द "न रखेगा" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ की पंक्ति ४ और ५ के शब्द "न बेचने के लिये प्रस्तुत करेगा और न बिकवायेगा" के स्थान पर शब्द "न परिवहन करेगा न बेचने अथवा परिवहन के लिये प्रस्तुत करेगा और न बिकवायेगा अथवा परिवहन करवायेगा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि "खंड ५ का अपवाद निकाल दिया जाय"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

६--राज्य सरकार अथवा जब भी राज्य सरकार ऐसा आदेश दे, कोई संस्थाओं स्थानिक अधिकारिकी (local authority) अलाभकर (uneconomic) की स्थापना। गायों की देखभाल के लिये आवश्यकतानुसार संस्थायें स्थापित कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"६--राज्य सरकार के आदेशानुसार सांस्पर्शिक (contagious) अथवा सांसर्गिक (Infectious) रोग से पीड़ित गायों के लिये विशेष चिकित्सालयों का प्रबन्ध रहेगा तथा उन्हें निरोग होने तक अन्य गायों से अलग रखा जायेगा।

(२) सांस्पर्शिक अथवा सांसर्गिक रोग से मृत गाय का शव (carcass) ऐसी रीति से दफनाया, जलाया अथवा निस्तारित किया जायगा, जो राज्य सरकार द्वारा नियत की जाय"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"६--राज्य सरकार अलाभकर गायों की देखभाल के लिये इस अधिनियम के प्रचलित होते ही प्रत्येक जिले में एक गोसदन स्थापित करेगी और पांच वर्ष के भीतर ही इस प्रकार के गोसदन जिलों की प्रत्येक तहसील में स्थापित करने की भी व्यवस्था करेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१२
विपक्ष में--६९।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"६—राज्य सरकार और राज्य सरकार द्वारा आदेश दिये जाने पर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी (local authority) अलाभकर (uneconomic) गायों की देखभाल के लिये आवश्यकतानुसार संस्थायें स्थापित करेगा"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ६—क

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के बाद नया खंड ६—क निम्न रूप में रख दिया जाय—

"६—क—राज्याधिकारी अलाभकर गायों को जो किसी रोग से पीड़ित नहीं हैं पालन हेतु इच्छुक व्यक्तियों को प्रदान करेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ —

पक्ष में—९

विपक्ष में—६५।)

खण्ड ७

परिव्ययों अथवा शुल्कों का आदेय (levy) किया जाना।

७—राज्य सरकार अथवा स्थानिक आधिकारिकी जैसी भी दशा हो, संस्थाओं में अलाभकर गायों को रखने के निमित्त ऐसा परिव्यय अथवा शुल्क आदेय (levy) कर सकती है जो नियत किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ की पंक्ति १ में शब्द "आधिकारिकी" के स्थान पर शब्द "प्राधिकारी" रख दिया जाय।

श्री हुकुमसिंह—एक बात मैं कह देना चाहता हूं अपने मित्र से कि ६ में वही लफ्ज रखा गया है और ६ में तरमीम नहीं हुयी। तो यहां अगर यह रखा जायगा तो बड़ा भ्रम हो जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मुझको भी बोलने की इजाजत मिलनी चाहिये।

श्री हुकुमसिंह—अच्छा तो जो कुछ मैंने कहा वह मैं वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ की पंक्ति १ में शब्द "आधिकारिकी" के स्थान पर शब्द "प्राधिकारी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ७—क

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के बाद नया खंड "७—क" निम्न रूप में रख दिया जाय—

"७—क—राज्य के सार्वजनिक एवं सामूहिक हित सम्पादनार्थ प्रत्युक्त संस्थाओं को छोड़कर अन्य खोले जाने वाले संस्थाओं के लिये क्षेत्रीय परिव्यय नियत किया जावेगा, जैसी भी दशा एवं आवश्यकता हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

शास्ति (penalty)।

८—(१) जो कोई भी व्यक्ति धारा ३ अथवा ५ के उपबन्धों का उल्लंघन करे अथवा उल्लंघन करने का प्रयास करे अथवा उल्लंघन का प्रवर्तन (abet) करे तो वह ऐसे अपराध का दोषी होगा जो कठिन कारावास के दंड द्वारा जो दो वर्ष तक का हो सकता है अथवा अर्थदंड द्वारा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों द्वारा दंडनीय होगा ।

(२) जो कोई भी व्यक्ति धारा ४ की उपधारा (२) में वर्णित रीति से तथा समय के भीतर सूचना प्रस्तुत न करे तो वह ऐसे अपराध का दोषी होगा जो साधारण कारावास के दंड द्वारा जो एक वर्ष तक का हो सकता है अथवा अर्थदंड द्वारा जो दो सौ रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों द्वारा दंडनीय होगा ।

(३) उपधारा (१) अथवा उपधारा (२) के अधीन दंडनीय अपराधों पर विचार (trial) करते समय इस बात को सिद्ध करने का भार (burden of proving) कि वध की हुयी गाय धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) में निर्दिष्ट वर्ग की थी, अभियुक्त पर होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ के शब्द "जो" और शब्द "वर्ष" के बीच के शब्द "दो" के स्थान पर शब्द "सात" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—३

विपक्ष में—७१ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ के शब्द "अथवा" के स्थान पर शब्द "व" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ के शब्द "एक" के स्थान पर शब्द "तीन" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—अभी एक संशोधन का नोटिस दिया गया है, वह मैं सदन के सदस्यों की राय के लिये जान लेना चाहता हूं कि किसी को एतराज तो नहीं है । वह इस प्रकार है —

"खंड ८ के उपखंड (१) की सतर ४ में शब्द "१००० रुपये" की जगह शब्द "५०० रुपये" रख दिये जायं ।"

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर कांस्टीट्यूशनल आब्जेक्शन यह है कि यह अमेंडमेंट इन टाइम नहीं आया है। यह आउट आफ आर्डर है और हाउस के सामने आ नहीं सकता है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—यह संशोधन किसका है ?

श्री उपाध्यक्ष—यह शाहिद फ़ाख़री साहब का है। तो मैं इसे पेश नहीं कर सकता हूं।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री—मैं इसे पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं, क्योंकि एतराज किया गया है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री—आप राय तो ले लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—राय कैसे लूंगा । कायदा यह है कि २४ घंटे पूर्व संशोधन आना चाहिये। लेकिन आपने अभी बताया है। अगर कोई एतराज नहीं करता तो मैं राय लेता। क्योंकि एतराज हो गया है, इसलिये राय लेने से मजबूर हूं ।

प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति १ के अंक "४" से लेकर पंक्ति ३ के शब्द "कारावास" के बीच के शब्द निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "की अवहेलना करेगा वह कठोर" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ में शब्द "दो" के स्थान पर शब्द "पांच" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ का उपखंड (३) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ९

अपराध हस्तक्षेप्य (cognizable) तथा अप्रतिभाव्य (non-bailable) होंगे ।

९—कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ में किसी बात के होते हुये भी, धारा ८ की उपधारा (१) के अधीन दंडनीय अपराध हस्तक्षेप (cognizable) तथा अप्रतिभाव्य (non-bailable) होंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ की पंक्ति ३ के शब्द "तथा अप्रति भाव्य होंगे" के स्थान पर शब्द "होगा" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—७

विपक्ष में—७४ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १०

नियम बनाने का अधिकार ।

१०—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) पूर्वोक्त अधिकारकी व्याप्ति को न बाधित करते हुये, ऐसे नियम निम्नलिखित: की व्यवस्था कर सकते हैं—

(क) दशायें तथा परिस्थितियां जिनमें धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन गायों का वध किया जायगा,

(ख) रीति जिससे धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन रोग विज्ञापित किये जायेंगे,

(ग) रीति जिससे धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन सूचना प्रस्तुत की जायगी,

(घ) रीति जिससे तथा प्रतिबन्ध (conditions) जिनके अधीन गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ धारा ५ के अधीन बेचे जाएं अथवा बेंचे और भोजनार्थ प्रस्तुत किये जायं,

(ङ) धारा ६ में अभिदिष्ट संस्थाओं के अधिष्ठान (establishment), रखरखाव, प्रबन्ध पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण से सम्बद्ध विषय,

(च) इस अधिनियम के अधीन अधिक्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी अथवा आधिकारिकी के कर्त्तव्य, ऐसे अधिकारी अथवा आधिकारिकी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और

(छ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हैं और नियत किये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (२) का भाग (क) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (२) का भाग (ग) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, इसी खंड में मेरा संशोधन १०२–ख रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष—खंड १० पर तो मैं राय ले चुका हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि आइटम्स १०२–क, १०२–ख और १०२–ग यह खंड १० से सम्बन्ध रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझा इस बात को। लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य खड़े हो जाते तो मैं राय ले लेता। अब खंड १० पास हो चुका है। उस समय एतराज हो सकता था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम ही नहीं लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी कारण से मैंने माननीय सदस्य का नाम भी नहीं लिया तो भी माननीय सदस्य खड़े हो सकते थे और उस पर राय ले ली जाती। लेकिन आप खड़े नहीं हुये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जब मेरा नाम ही नहीं लिया गया तो .....

श्री उपाध्यक्ष—जब किसी वजह से आपका नाम नहीं लिया गया तो आप उस समय खड़े हो सकते थे और राय ले ली जाती।

श्री जगन्नाथ मल्ल—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि अगर टाईपिंग की गल्ती से किसी माननीय सदस्य का संशोधन नहीं लिया जा सका तो क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष---मैं अपनी राय दे चुका हूं। खंड १० पर मैंने राय लेने के लिये मौका दिया और किसी वजह से मैंने किसी माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया तो भी उन्हें अधिकार था और वह खड़े हो सकते थे, लेकिन वह खड़े नहीं हुये। इसलिये यह समझा गया कि वह इसे स्वीकार कर चुके हैं और मैं उस पर रूलिंग भी दे चुका हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इस सदन में यह परम्परा कायम हो चुकी है कि अगर किसी माननीय सदस्य का संशोधन नहीं लिया जा सका तो माननीय मंत्री जी की स्वीकृति से उस पर सदन की राय ली जा सकती है। जमींदारी उन्मूलन विधेयक में माननीय मौर्य जी के इसी तरह के कई संशोधन आये, इसलिये अगर माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करते हैं तो इसको लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य का ध्यान नियम १७८ (२) की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें मेरा डिसक्रीशन था कि मैं पहले संशोधन पेश करता या मूल धारा को। इस नियम के (२) में साफ लिखा है कि "It shall be in the discretion of the Speaker to put first to the vote either the original motion or any of the amendments which may have been brought forward." इसके अनुसार मैं कामकर चुका हूं और मैं समझता हूं कि अब माननीय सदस्य जिद नहीं करेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने बतलाया कि आप इस क्लाज को पास कर चुके हैं तो यह आपके पावर के बाहर की बात है लेकिन यदि माननीय मंत्री जी स्वीकार करें तो इस पर हाउस की राय ली जा सकती है क्योंकि हाउस सुप्रीम है।

श्री उपाध्यक्ष---यह कैसे मालूम हो सकता है कि मंत्री जी इसको स्वीकार करते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---माननीय मंत्री जी की राय जान ली जाय।

श्री हुकुमसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, अब जब कि बात हो गयी तो कोई सवाल नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का सवाल खत्म हो गया होगा।

खंड १

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (१) को निम्नरूप में रख दिया जाय---

"(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गो तथा भैंस वध निवारण अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में गाय तथा गाय के वंश के बध का प्रतिषेध (prohibit) तथा निवारण (prevent) किया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ---

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रस्तावना की पंक्ति २ के शब्द "प्रतिषेध" के पहले शब्द "अविलम्ब" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग मानी जाय।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५

उत्तर प्रदेश में गाय तथा गाय के वंश के वध के प्रतिषेध (prohibit) तथा निवारण (prevent) करने का

विधेयक

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाय।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ पारित किया जाय।

मैं इस सदन के सारे माननीय सदस्यों का जो उस तरफ बैठे हैं और इस तरफ बैठे हैं जिन्होंने इस विधेयक पर बहुत सहानुभूति, सावधानी और शान्ति के साथ विचार किया है और बड़ी गम्भीरता से बातें की हैं और मेरी पूरी तरह से सहायता करके इस विधेयक को पास किया है, मैं उनका बहुत ऋणी हूं और देश की जनता भी आप सबकी इस कुशल कार्य के लिये प्रशंसा करेगी।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह गोवध निवारण विधेयक पास हो रहा है। सदन के माननीय सदस्यों को जिस रूप में इसको पास करना चाहिये था उस रूप में और उस ढंग से यह पास नहीं हुआ। जैसा कि संशोधनों को देखने से मालूम होता है, इसमें १०६ संशोधनों में से २४ संशोधनों पर विचार किया गया और १० खंडों में से ३।। खंडों पर विचार किया गया। तो अभी जिस प्रकार से गोमाता को फांसी दी जाती थी उसी प्रकार से यह गिलोटीन किया गया है। यह हमारे लिये बड़े दुख की बात है। अधिक अच्छा यह होता कि इस बिल पर पूर्णरूप से माननीय सदस्य विचार कर सकते। अधिक विचार करने पर यह बिल अधिक उपयोगी बन सकता था। फिर भी अंग्रेजी में एक कहावत है कि "Something is better than nothing" जिस रूप में यह बिल पास होना चाहिये था, उस ढंग से नहीं हुआ परन्तु फिर भी मुझे आशा है कि गऊ के साथ जो अन्याय अभी तक होता आया है इस बिल से कम से कम उसकी रक्षा हो सकेगी।

दूसरी बात माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि इस बिल से सम्बन्धित जब नियम बनाये जायें तो उनको इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखा जाय, ताकि माननीय सदस्य उन पर विचार कर सकें और गऊ के साथ जो अभी तक व्यवहार होता आया है उसके सम्बन्ध में विचार कर सकें।

(इस समय ४ बज कर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री रणंजयसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल आज किसी प्रकार से पारित हो रहा है इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। मुझे बहुत हर्ष है यद्यपि इसमें विलम्ब कुछ हुआ किन्तु सरकार ने इस पर बहुत विचार किया। इसमें बहुत से संशोधन रखे गये, लेकिन सरकार की जो कठिनाइयां होती हैं उनको भी मैं समझता हूं। अधिक विचार करना अच्छा है और सरकार का इसके लिये हृदय शुद्ध है और सरकार ने जो गोवध प्रतिबन्ध के लिये यह कार्य किया है मैं अन्त में सरकार को पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गोवध निवारण बिल जो इस सदन ने पास किया है और जिसे सरकार ने गोसंवर्धन कमेटी की रिपोर्ट के एक अंश को लेकर प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। एक बात जो सदन में इसकी बहस के दौरान में बिलकुल स्पष्ट रूप में आई वह यह है कि इस सदन के कोई एक भी

[श्री कृष्णशरण आर्य]

माननीय सदस्य इस बात के पक्ष में नहीं थे कि गोवध बन्द न किया जाय यद्यपि यह दूसरी बात है कि उसके रूप में लोगों में मतभेद रहा हो। इसके लिये मैं समझता हूं कि सारा सदन बधाई और धन्यवाद का पात्र है। जिस शुद्ध इच्छा के साथ सरकार ने यह विधेयक पास किया और हम सब ने पास किया मैं समझता हूं कि सारे प्रदेश की जनता भी उसी शुद्ध बुद्धि के साथ इस कानून को सफल बनाने का प्रयास करेगी। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

† श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री---जनाब स्पीकर साहब, आज यह बिल पास हो गया है और बहुत जल्द सारे सूबे में नाफ़िज़ हो जायगा। मैंने गौर से देखा कि २, ३ दिन के अन्दर जिस अन्दाज से इस पर बहस हुई, क़रीब-क़रीब हर मुक़र्रर ने इसके मुताल्लिक़ यह कहा कि यह बहुत अहम बिल है और बहुत ही गम्भीरता पूर्वक इस पर विचार किया जायगा। गो उस गम्भीरता की फिज़ा आख़िर में नहीं रही। हमारे दोस्त बैठे हुये हैं और जिस हंसी, मज़ाक़ और तफ़रीह से यह बिल पास किया गया उसमें गुस्से की कोई फिज़ा न थी, इस बात की मुझे खुशी है। हम समझते हैं कि जो अहम चीजें इस बहस के दौरान में रह गई हैं उन पर दोबारा गौर कर के इसलाही क़दम उठाया जायगा। मैं अपने पुराने साथी और दोस्त आनरेबिल ठाकुर हुकुमसिंह की तकरीर से समझा कि उन्होंने कल अपनी तक़रीर में मुझे मेरे बाज़ दोस्तों से नाम लेकर लड़ाने की कोशिश की, लेकिन आज मुझे खुशी है कि वह फ़िज़ा बाक़ी नहीं रही। अगर वह एक तरफ़ इस बिल को पास कराने में कामयाब हुए तो दूसरी तरफ़ वह कामयाब नहीं हो सके। इसकी मुझे खुशी है। यह ऐसा क़ानून है जिस पर हमें सन्जीदगी के साथ अमल करना है। मैं आप के ज़रिये अपने तमाम दोस्तों से अर्ज़ करूंगा कि आगे चल कर गवर्नमेंट को यह काम करना है कि बाहर जो रिवाज चल रहा है, आपने कितने भी एलानात यहां किये हैं, लेकिन क़ानून के अल्फ़ाज़ पर काम होता है, यहां की स्पीचेज पर नहीं। मैंने चाहा था कि आप चाहे सज़ा और बढ़ा दें, लेकिन जुर्माना ५०० रुपये कर दें और मिनिस्टर साहब ५०० करने को तैयार भी हो गये थे मगर वह चीज़ पास न हो सकी। मुझे यक़ीन है कि अगर आपकी मशीनरी आपकी पुलिस इसका ठीक तौर से इस्तेमाल नहीं करेगी तो आप इसमें बदनाम होंगे। जब आपने एक बड़े तबक़े की तरजुमानी की है तो हम आपसे दरख़्वास्त करेंगे कि यह भी आप का फ़र्ज़ होगा कि आप यह देखें कि कसूर करें एक शख़्स और पकड़े जावें १०, कहीं ऐसा न हो जैसा कि आज से ५, ६ दिन पहले हुआ था। मैं समझता हूं कि आप इस मौजूदा बढ़ती हुई तलखी को, जिसका खतरा इस क़ानून से है रोक सकेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारी मशीनरी जोश से आगे बढ़ने की कोशिश न करे। मैं सोचता था कि कोई जाती तौर से भी तलखी होगी, मगर मुझे खुशी है कि किसी क़िस्म का कोई गुस्सा नहीं था। यह फ़िज़ा क़ानून के हक़ में कुछ मुज़िर हो तो हो, लेकिन आपस के ताल्लुक़ात के सिलसिले में तो अच्छी साबित होगी।

श्रीमती लक्ष्मीदेवी (जिला हरदोई)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना शुभ काम हमने आज किया है ऐसा ही शुभ कार्य हमारे इस सदन में सदैव होता रहे यह कामना है। हमारे हृदय में कष्ट होता रहता था। आज हमने यह गोवध निवारण क़ानून पास करके उसे दूर किया है और उस कलंक से हम मुक्त हुये हैं। आज का दिन खुशी का दिन है। हमारे देश में अहिंसा का प्रचार है और महात्मा जी अहिंसा को लेकर चले थे। हमारे देश का यही गौरव सदा से रहा है कि सर्वजीव रक्षित रहें, लेकिन वह मूक पशु जो अपनी दुःख तकलीफ़ हमसे नहीं कह सकता था वह इस तरह से मारा जाता था कि जिससे हमको तक़लीफ़ होती थी। मैं समझती हूं कि हर तबक़े के लोग इस बात को पसन्द करते हैं कि अपने किसी छोटे से स्वार्थ के लिये ऐसे उपयोगी पशु का वध ठीक नहीं है। यह देश कृषि प्रधान देश है और जो

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूध और घी हमको मिल सकता था हम उससे हाथ धो बैठते थे। जिस देश में घी और दूध की नदियां बहती थीं उसमें हम आज अपने बच्चों को दूध भी नहीं दे सकते और उनके लिये बाहर से दूध आकर बांटा जाता है। हम समझते हैं कि इस क़ानून से हमारे पशुधन की बड़ी तरक्क़ी होगी और वह मूक पशु हृदय से सरकार को आशीर्वाद देंगे। मैं मिनिस्टर साहब को बधाई देती हूं और भगवान से प्रार्थना करती हूं कि वह हमारी सरकार को ऐसी ही सद्बुद्धि दे, ताकि हमारे देश में पशुधन बढ़े, और हमारी कृषि बढ़े और हमारे बच्चे ताक़तवर और विद्वान हों। इतना कह कर मैं अपनी सरकार को और इस सदन को एक बार फिर धन्यवाद देती हूं, जिसने ऐसा विधेयक पास कर के एक बहुत बड़ी कमी को पूरा किया है।

श्री हुकुमसिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र श्री ज़ोरावर जी वर्मा ने एक बात कही कि यह विधेयक ऐसा है, जिसे गिलोटिन कम से कम नहीं करना चाहिये था और हाउस जिस रूप में इसे पास करना चाहता था उस रूप में पास नहीं कर सका। परामर्श दात्री समिति ने साढ़े तीन दिन इस बिल के लिये रखे थे और उस से १ मिनट भी कम इसमें नहीं लागया गया। यदि ज़ोरावर जी केवल ज़रूरत के मुताबिक़ ही हर खंड और संशोधन पर समय लेते तो शायद गिलोटिन की नौबत भी नहीं आती। जब समय का ठीक से उपयोग नहीं किया जाता है तो ऐसा करना ही पड़ता है कि जो समय परामर्शदात्री समिति ने नियत किया है उसके अन्दर बिल को ख़त्म करना लाज़िमी था। इसलिये इसमें न सरकार का और न किसी माननीय सदस्य का क़सूर है। ज़ोरावर जी वर्मा ने अपनी लम्बी तक़रीर दी जो अनावश्यक थी और उसमें अधिक समय लगने से गिलोटिन की नौबत आई। फिर एक बात यह कहना कि हाउस जिस शक्ल में पास करना चाहता था, पास न कर सका। हाउस की सुप्रीम अथोरिटी है उसके सामने सब को सिर झुकाना पड़ता है, इसलिये हाउस जिस शक्ल में पास करना चाहता था उसी शक्ल में उसने पास किया है किसी दूसरी तरह पास नहीं किया है और न किसी को ऐसा करने का अधिकार था। इसलिये यह सोचने की बात है कि यह कहना कहां तक ठीक था कि हाउस यह चाहता था और पास ऐसा हुआ। यह हाउस के ऊपर लांछन है।

मैं अपने दोस्त फाखरी साहब को भी मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने आज बड़ी सावधानी के साथ इस विषय में बातचीत की। उन्होंने एक छींटा तो ज़रूर दिया, लेकिन वह छींटा ऐसा था जिसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आज हाउस ने हंसी खुशी से सब बातों को तय किया है इसलिये उसका जवाब देना आवश्यक नहीं समझता।

मैं इस सदन का फिर आभारी हूं, सदन के सभी माननीय सदस्यों, प्रेस तथा जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है तथा माननीय अध्यक्ष का भी मैं बड़ा आभारी हूं जिन्होंने हमें इस विधेयक को यहां पेश करने का मौक़ा दिया और बहुत ही शांतिमय तरीके से यह विधेयक यहां पास हुआ। अतः मैं इस सदन का बड़ा आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५

† **न्याय मंत्री (श्री सैयद अली ज़हीर)**---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

जैसा माननीय सदस्य देखेंगे इस विधेयक में सिर्फ एक नियम है, उसके जरिये से जो दफा १९१ कांस्टीट्यूशन की है उसके असर को जाया करने की कोशिश की गयी है। दफा १९१ जो कांस्टीट्यूशन की है उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर कोई माननीय सदस्य किसी ऐसी जमाअत का मेम्बर होगा जो आफिस आफ प्राफिट कहलाया जा सके तो वह मेम्बर असेम्बली का नहीं रह सकता, अगर रहेगा तो उसकी वजह से ये-ये नतायज निकलेंगे।

एक ऐक्ट एम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट पास हुआ था उसकी दफा ३ या ४ में यह लिखा हुआ है कि जो एम्प्लाईज स्टेट कार्पोरेशन बनेगा उसके बहुत से मेंम्बरान होंगे और उमूमन उस के मेंम्बरान माननीय सदस्य भी होते हैं। मुमकिन है किसी वक्त यह एतराज हो कि उनके मेम्बर होने की वजह से दफा १९१ में जो मुमानियत है, उसके असर में वह आ जायं और मेंम्बर असेम्बली न रहें। इस वजह से यह जरूरी हुआ कि इस किस्म का कानून यहां पेश कर दिया जाय। मुझे इसके मुताल्लिक़ बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है। एक दफा है जिसमें यह लिखा हुआ है कि एम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस कार्पोरेशन जो एम्पलाईज स्टेट कार्पोरेशन ऐक्ट, १९४८ के मातहत कायम है तो महज मेम्बर होने की वजह से असेम्बली का मेम्बर होने में उसका कोई असर न पड़े और वह मेम्बर भी रह सके, कार्पोरेशन और असेम्बली दोनों का मेम्बर रह सके, यही कानून है। मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य इसको मंजूर करेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल इस समय सदन के सामने पेश किया गया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं, और उसके कुछ कारण हैं। कारण यह है कि एक विधान हमारा बना और संविधान में इस बात के लिये वर्जित किया गया कि जो विधान सभा के मेम्बर्स होंगे वे किसी और सरकारी कमेटीज या सरकारी बोर्ड्स वगैरह में जा कर किसी किस्म की तनख्वाह वगैरह नहीं ले सकें, और विधान में यह लिखा हुआ अवश्य है कि अगर इस किस्म के विधान सभा के मेम्बर किसी कार्पोरेशन या सरकार द्वारा स्थापित किसी और कमेटी के मेम्बर हो जायं तथा उनकी तनख्वाह या डी० ए० वगैरह दिया जाय तो वह आफिस आफ प्राफिट माना जायगा। तो जिस समय यह संविधान बना अध्यक्ष महोदय, जो संविधान को बनाने वाले लोग थे, उन्होंने इस पर काफी विचार किया और अगर इस किस्म की टेंडेंसी रोकी न जाय तो विधान सभा के मेम्बर ही सब जगह जायं चाहे कार्पोरेशन हो या दुनिया भर की जितनी कमेटीज हों उन सब में जाने के लिये विधान सभा के मेम्बर्स की काल्वियत रखते हैं तब तो कांस्टीट्यूशन से इस क्लाज को हटा देने की ही सिफारिश करनी चाहिये। क्योंकि इसके रहने से फायदा ही क्या है? कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल १९१ (१) में लिखा हुआ है—

"If he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder."

तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की सिफारिश होनी चाहिये ताकि कोई भी असेम्बली का सदस्य आफिस आफ प्राफिट के अन्दर न आवे और चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, अगर असेम्बली के मेम्बर खड़े हों तो उसके लिये वे ही हो सकते हैं। क्या जरूरत है इस चीज को रखने की? मेरा तो कहना यह है कि जहां तक विधान सभा के माननीय सदस्य के एक्सपीरिएंस की बात है अगर उसका फायदा कार्पोरेशन वगैरह उठाना चाहते हैं तो वे वहां जाकर उसको एडवाइस दे सकते हैं, उनके ऐडवाइजरी बोर्ड में रह सकते हैं। क्या यह जरूरी है कि विधान सभा के सदस्य अपनी भी तनख्वाह लें और वहां जाकर भी तनख्वाह लें? कोई कार्पोरेशन हो या कोई और कमेटी हो और वहां जाकर भी तनख्वाह तथा डी० ए० व टी० ए० आदि लेने की जो टेंडेंसी है उसको हमें रोकना

चाहिये। ऐसे तो आप की मेजारिटी है, आप जो चाहेंगे वह पास तो कर ही लेंगे और उससे हमको भी फायदा होगा, क्योंकि पैसा सभी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा नहीं लगता है। हम लोग भी विधान सभा के मेम्बर हैं, हो सकता है कि कभी हमारी पार्टी के भी कोई सदस्य उन कमेटीज या कार्पोरेशन में चले जायं, तो वे भी उससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हम तो इस टेंडेंसी को ही चेक करना चाहते हैं कि उसकी रोकथाम करनी चाहिये। हमारे देश के अन्दर और भी बहुत से आदमी हैं जो पढ़े-लिखे हैं, विद्वान हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं जो विधान सभा के मेम्बर नहीं हैं उनको हम उन कार्पोरेशन तथा कमेटीज में भेजने के लिये कह सकते हैं और उनको हर तरह से समझा सकते हैं तथा उनको सहायता दे सकते हैं। अगर हम इसको पास नहीं करते हैं तो जो ऐसी कमेटीज कार्पोरेशन आदि बनेंगे उनमें ऐसे लोग न जा कर ऐसे लोग जायेंगे जो पहले से ही विधान सभा के मेम्बर की हैसियत से तनख्वाह आदि ले रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं इस टेंडेंसी को रोकना चाहता हूं कि हर कमेटीज में विधान सभा के मेम्बरों को ही रहना चाहिये। मुझे आशा है कि इस सदन के माननीय सदस्य इसको स्वीकार नहीं करेंगे।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फ़ैजाबाद)—मान्यवर, मैं प्रस्तुत विधेयक का विरोध करने के हेतु खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आज इस सदन के समक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह यह है कि इस विधान सभा के सदस्य इस कार्पोरेशन में रह कर और भी स्थान ग्रहण करते हुये जो आर्थिक रूप में लाभप्रद हों, वे अपने को डिसक्वालिफाई न करा सकें। मान्यवर, यह वास्तविकता है कि भारतीय संविधान में इस बात के लिये प्रतिबन्ध लगाया गया है कि जो विधान सभा के सदस्य हैं वे अलावा उनकी जो तनख्वाह या एलाउन्सेज इस विधान सभा से मुकर्रर हों, नियत हों और किसी दूसरी तरफ कोई लाभ न उठा सकें। आफिस आफ प्राफिट, यह एक ऐसा विषय है जिसके सम्बन्ध में बहुत से इन्टरप्रिटेशन हो चुके हैं और एक बहुत ही विवादग्रस्त प्रश्न है। इस समय यह सोचना कि हम उनको इस तरह से बचावें और डिसक्वालिफाई होने से रोकें, मैं तो माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर ध्यान दें कि जो काम वह विधान सभा के सदस्यों द्वारा कार्पोरेशन्स, कमेटियों या बोर्ड्स में कराना चाहते हैं वह तो कोई मेम्बर बगैर वेतन लिये भी कर सकता है और ऐसी कौन सी बात सरकार के सामने आ पड़ी है, कौन सी ऐसी मुश्किल या दिक्कत सरकार को है, जिसके कारण इस बिल का लाना उसके लिये अनिवार्य हुआ कि वह बोर्डों या कमेटियों में रहें? तो क्या यह उचित न होगा कि जब एक जगह हम वेतन और भत्ता वगैरह पाते हैं तो सेवा की भावना से कुछ दूसरों के हित के लिये भी अपने में रखें और अगर हमें कुछ न मिले तो हमें उसमें कोई आपत्ति न करना चाहिये, बल्कि हमें ऐसी प्रणाली स्थापित करना चाहिये कि जिससे भविष्य में कोई इसका भयंकर रूप न हो सके और किसी तरह से कानून का दुरुपयोग न हो सके। इसलिये उचित यही है कि माननीय मंत्री जी इसको वापस ले लें।

मुमकिन है कि उनके कुछ माननीय सदस्य अच्छी जगहों पर पहुंच गये हों और वह डरते हों कि अब जब कि वह मेम्बर हैं तो ऐसी हालत में वह डिसक्वालिफाई न हो जायं, उनकी हिफाजत के लिये मंत्री जी ने यह बिल प्रस्तुत किया हो। यह एक पहलू है जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो सकती है, लिहाजा मेरे कहने से वह इसको वापस ले लें। मैं समझता हूं कि इसका कोई असर उन पर न पड़ेगा। मान्यवर, मुझे इस विषय में केवल एक बात और कहनी है और वह यह है कि कहीं लोगों के दिमाग में यह गलतफहमी पैदा न हो, जैसा कि माननीय मदनमोहन जी ने कहा था कि लोग यह समझें कि जब हम असेम्बली में आते हैं तो आमदनी या मुनाफे के खयाल से ज्यादा परेशान रहते हैं बमुकाबिले किसी तरह की खिदमत के। इसलिये मंत्री जी को समझने में कोई दिक्कत न होनी चाहिये और मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह सब चीजें अपनी हद से आगे बढ़ती जायंगी तो हो सकता है कि इस तरह की गलतफ़हमी हमारे बारे में पैदा हो। इन्हीं कारणों से मैं इस बिल का विरोध करता हूं, आशा है मंत्री जी इस पर गौर करेंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मुझे दुख है कि माननीय मदनमोहन जी ने और राजा अवधेशप्रताप सिंह जी ने इसके अर्थ को नहीं समझा और माननीय मदनमोहन जी ने तो कुछ ऐसी बातें कहीं जो मेरे खयाल से सदन की शान के खिलाफ थीं। इस बिल का एक कानूनी पहलू है, आफिस आफ प्राफिट का एक ऐसा मसला है जो अकसर अदालतों में आता रहता है और यह एक जटिल समस्या अकसर बन जाता है कि कोई स्थान आफिस आफ प्राफिट है या नहीं। लेकिन इसके साथ-साथ एक बात मैं और निवेदन करूंगा कि कोई स्थान आफिस आफ प्राफिट है तो उसके लिये यह लाजिमी नहीं है कि उसमें कोई तनख्वाह या रुपये लिये जायं। यदि कोई आफिस आफ प्राफिट है और इस सदन के सदस्य उसमें जाते हैं तो वे रुपया न भी लें तो तब भी वे डिसक्वालिफाई हो जायेंगे और वैधानिक डिस्क्वालिफिकेशन उसी दिन से शुरू हो जायेगी, जिस दिन से उन्होंने पद-ग्रहण किया है और उसका क्या नतीजा होगा वह भी कांस्टीट्यूशन में है। तो यह आवश्यकता हो जाती है कि इस शक को दूर किया जाय। एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंश कार्पोरेशन एक ऐसी चीज है। सम्भव है कि उसमें इस सदन के सदस्य भी होंगे। यह जरूरी नहीं है कि इसको परवरिश का एक सीगा बना दिया जाय जैसा उन्होंने कहा। अगर वह यह समझते हैं कि इस सदन के सदस्य इसी काबिल हैं कि कुछ इधर-उधर के तोहफे उनको मिल जाया करें और वह प्रसन्न हो जाया करें तो मैं कहूंगा इस सदन के सदस्यों का मूल्य उन्होंने बहुत कम आंका है। कहीं-कहीं यह जरूरी हो जाता है कि इन कार्पोरेशनों में इस सदन के सदस्य रहें तो उसके साथ-साथ यह भी आवश्यक हो जाता है कि अगर किसी प्रकार का शक डिस्क्वालिफिकेशन का आता है तो वह यहां विधेयक से दूर कर दिया जाय। जैसा मैंने निवेदन किया कि अगर यह यहां साफ किया जायगा और अगर बाद में यह मामला सामने आया तो सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा कि अमुक सदस्य ने रुपया लिया। अगर किसी कारण से वह आदमी इस सदस्यता में आता है तो उसके आने से ही वह डिस्क्वालिफाई हो जायगा। अगर वह आफिस आफ प्राफिट माना गया। मैं यह निवेदन करूंगा कि उसके साथ अगर कुछ एलाउन्स है या उजरत की शक्ल में कुछ रखा गया है तो वह एक छोटी सी बात है। पहले तो यहां उसी शक को रफा किया जाय और यह सदन इस वक्त इस विधेयक के जरिये से इसी बात पर गौर कर रहा है कि अगर वह शक होता है तो दूर कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। जैसा मेरे मित्र काटजू साहब ने कहा कि यह बहुत छोटा सा बिल है और विशेष वाद-विवाद की बात नहीं है। एक कानूनी प्वाइंट था उसको साफ करने के लिये यह विधेयक जरूरी है। माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि एम०एल०ए० साहबान को कार्पोरेशन वगैरह से दूर रखें तो ज्यादा सुन्दर हो। तो इस बिल में यह नहीं लिखा है कि एम०एल०ए० साहबान मेम्बर बनाये ही जायेंगे। सिर्फ एक एहतियात है कि अगर इत्तिफाक से कोई मेम्बर बन ही जाय तो यह अंदेशा न रहे कि उनकी सदस्यता को आफिस आफ प्राफिट मान लिया जाय इसी शक को दूर करने के लिये यह विधेयक है।

एक साहब ने कहा कि इसमें दलबन्दी की गुंजाइश है। श्रीमन्, एम० एल० एज० तो इस पार्टी के भी हैं और उधर के भी हैं। हो सकता है कि इस कार्पोरेशन के मेम्बर अवधेश-प्रताप सिंह जी ही हो जायं। वह तो हमारी पार्टी के नहीं हैं इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है, न इस पार्टी का न अपोजिट पार्टी का। सिर्फ एक संदेह को दूर करने के लिये यह बिल पेश किया गया है। यूं तो एक नियम ऐसा भी है जिसमें यह लिखा हुआ है कि चेयरमैन और प्रेसीडेंट के पद आफिस आफ प्राफिट नहीं है। तो उसमें सदस्य भी आ जाते हैं। लेकिन शायद उसमें नहीं आवें इस बात पर कानूनी संदेह था उसी को साफ करने के लिये यह विधेयक है। मैं उपाध्याय जी से कहूंगा कि वे जरा अपने साथियों की बाबत कुछ ओपीनीयन को और ज्यादा अच्छी बनावें, यहां के मेम्बर्स अनुभवी हैं, निपुण हैं और उनमें योग्यता भी है। वे किसी भी कमेटी या संस्था के सदस्य हो सकते हैं।

मगर उस सदस्यता के आफिस आफ प्राफिट में आने से डिस्क्वालिफिकेशन का संदेह हो सकता है, उसको साफ अवश्य कर देना चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल इस समय हमारे सामने मौजूद है उसकी मंशा यह है कि भारतवर्ष की सरकार ने स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट बनाया और उसके अन्दर कई प्रान्तों में मजदूरों के लिये कुछ दवाखाने खोले गये और उनके स्वास्थ्य का बीमा किया गया और कुछ उनको सुविधायें दी गयीं। इस ऐक्ट के मातहत तीन तरीकों की चीजें स्थापित हुयीं। एक तो कार्पोरेशन है जिसके मेम्बरों को बोर्ड आफ ट्रस्टी कहा जाता है और अगर मुझे क्षमा किया जाय तो हमारे विरोधी दल के एक मित्र भी श्री राजाराम शास्त्री उसके ही मेम्बर थे, हम लोगों में से कोई नहीं है। दूसरे हर प्राविंस में कुछ एडवाइजरी कमेटीज बनीं, उसमें भी बिमल मेहरोत्रा साहब हैं, हम लोगों में से कोई नहीं है। इसके बाद अब जो होने जा रहा है और जिसकी सूचना सदन को देने का अधिकार मैं नहीं रखता, लेकिन मुझे इत्तिला है कि अब यह कार्पोरेशन हर प्राविंस को अलग-अलग अधिकार दे रहा है और सारी जिम्मेदारियां उस प्राविंस की होंगी और उस प्राविंस का लेबर मिनिस्टर इसका चेयरमैन होगा। इस तरीके से इसका बटवारा हर प्राविंस में हो जायगा यानी इसका विकेन्द्रीयकरण किया जा रहा है। तब जरूरत इस बात की है, चूंकि इस तरह का कार्पोरेशन कुछ विशेषज्ञों का होता है और मुझे इस बात के कहने में गर्व है कि श्रम विभाग एक विशेषज्ञों का विभाग है, यही कारण है कि इसमें कार्य करने वाले बहुत थोड़े हैं और जो हैं वह काफी अपने विषय में जानकारी रखते हैं और उनकी आवश्यकता इसमें होगी। ऐसी दशा में मैं अपने मित्र उपाध्याय जी से प्रार्थना करूंगा कि अब तक किसी दूसरे ने इससे लाभ नहीं उठाया और मैं नहीं जानता कि भविष्य में कौन कितना लाभ उठायेगा। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, जैसे अगर दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश आप लोगों में से कोई बन गया तो वह डिस्क्वालिफाई न हो जाय इसलिये यह बिल पेश किया गया है। इसलिये आपकी जो शंकायें हैं वे दूर हो जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, यह जो आज विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है इस विधेयक की अलग प्रस्तुत किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी संक्षेप में जिन कारणों की तरफ मैं उनका ध्यान दिलाऊंगा उनको देखते हुये इस विधेयक को वापस लेने की चेष्टा करेंगे। श्रीमान्, इस सदन ने पहले सन् ५२ में दो अनर्हता निवारण विधेयक पास किये हैं, एक तो उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ४ और दूसरा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३। जो दूसरा अधिनियम है उसके द्वारा प्रथम अधिनियम में संशोधन किया गया था। मैं नहीं जानता कि आज सरकार को यह तीसरा अधिनियम बिल्कुल अलग केवल एम्प्लाइज इंश्योरेंस ऐक्ट के सम्बन्ध में लाने की क्या आवश्यकता पड़ी अगर सरकार मेम्बर्स के कुछ डिस्क्वालिफिकेशन हटाना चाहती थी या उसको आवश्यक समझती थी और यह सोचती थी कि भविष्य में ऐसी संभावना हो सकती है, तो यह जो पुराना ऐक्ट पास किया है उसमें संशोधन कर देती। जब ऐक्ट पहले से मौजूद है तो नया ऐक्ट अलग से लाने की क्या आवश्यकता थी? मेम्बर्स डिस्क्वालिफिकेशन्स या आफिस आफ प्राफिट के सम्बन्ध में जितनी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, सब इसके द्वारा हटाई गयी हैं तो आज केवल एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट के लिये एक अलग से विधेयक लाने की क्या आवश्यकता है? एक तो यह मैं जानना चाहता हूं।

अगर इसी दलील पर माननीय मंत्री जी चलें कि एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट के लिये अलग से बिल लावें तो न मालूम कितने कार्पोशन्स बनेंगे, जैसे लेबर हाउसिंग कार्पोरेशन और दूसरे कार्पोरेशन। क्या हर एक के लिये अलग अलग ऐक्ट आयेगा और क्या पहले के ऐक्ट में संशोधन नहीं हो सकता है? मिसाल के लिये जो अधिनियम संख्या १३ है उसकी धारा २ पढ़ देना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

"विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में 'प्रतिकर भत्ता' (कम्पेंसेटरी एलाउन्स) का तात्पर्य यात्रिक भत्ता, दैनिक भत्ता, मकान के किराये का भत्ता या परिवहन भत्ता से है और उसमें वह परिवहन भी सम्मिलित है, जिसकी व्यवस्था और रख-रखाव राज्य के व्यय से किया जाय।"

यह परिभाषा प्रतिकर भत्ता की उपरोक्त अधिनियम में मौजूद है। इतना जोड़ने की जरूरत थी जो इसमें उद्देश्य और कारण में लिखा गया है "शुल्क और भत्ता" भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाता। 'शुल्क' शब्द जोड़ दिया जाता सब काम बन जाता, क्योंकि इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट के अनुसार जो कार्पोरेशन बनेगा, स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, मेडिकल बेनिफिट काउन्सिल बनेगी, वह सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटीफिकेशन के अनुसार बनेगी। अधिनियम नंबर ४ की द्वितीय धारा इस प्रकार है —

"एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि राज्य सरकार के अधीन निम्नलिखित पदों के कारण उन पर अध्यासीन व्यक्तियों की उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या रहने के लिये अनर्हता न होगी और न कभी रही समझी जायगी ;

(क) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की आज्ञा के अधीन या उसके द्वारा नियुक्त किसी कमेटी या बोर्ड के, जिनके अन्तर्गत किसी विधायन या नियम के अधीन या उसके द्वारा संघटित या स्थापित कोई कमेटी या बोर्ड है, चेयरमैन या सदस्य का पद जो ऐसी अवधि के लिये अध्यासित रहा हो, जो ३० अप्रैल, १९५२ के बाद की न हो।"

भारत सरकार के नोटीफिकेशन के अधीन कोई कमेटी बनती है तो पहले से ही डिस्क्वालिफिकेशन को आपने हटा रखा है। उसके लिये सिर्फ एक शब्द 'शुल्क' जोड़ने से ही काम बन सकता था। इसलिये माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करें कि आज अलग से यह विधेयक लाने की क्या आवश्यकता पड़ी ? क्या पुराने विधेयक में संशोधन करने से काम नहीं बन सकता था ? क्या वह एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट को इतना महत्व देते हैं कि अलग से बिल लाने की आवश्यकता पड़ी ? क्या भविष्य में भी इसकी देखादेखी जो और कार्पोरेशन बनें उनके लिये भी अलग से बिल लाने की आवश्यकता पड़ेगी ? ये प्रश्न हैं जो कि मैं आपकी आज्ञा से उनके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं।

*श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आफिस आफ प्राफिट का विषय कितना महत्वपूर्ण है यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। जैसा कि माननीय काटजू जी ने कहा कि आफिस आफ प्राफिट अगर शुल्क या वेतन आदि लिया गया हो तभी आफिस आफ प्राफिट नहीं होता, बल्कि मुख्य विषय यह है कि उस पद पर पदासीन व्यक्ति अपने राजनीतिक या अन्य प्रकार के लाभ के लिये दूसरों पर कितना असर डाल सकता है, यह उसमें व्यवस्था है। इसी आधार को लेकर आफिस आफ प्राफिट का विषय विदेशों में भी हाउस आफ प्युपल में भी व और जगहों में भी हुआ। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो उदाहरण आफिस आफ प्राफिट का दिया है वह बहुत ही निन्दनीय रहा है। जो भी प्रजातन्त्रवाद की परम्परायें हैं उन पर एक के बाद दूसरी पर कुठाराघात होता रहा है। आप जानते हैं कि विन्ध्य प्रदेश में पहले-पहल कुछ कंट्रोल ऐडवाइजरी कमेटी के मेम्बरों के बारे में यह प्रश्न उठा। उस समय एलेक्शन कमीशन के सामने मामला गया। एलेक्शन कमीशन ने रिपब्लिक के प्रेसीडेंट, फर्स्ट सिटिजन आफ इंडिया के सामने इस मसले को रखा और उन्होंने तमाम मेम्बरों को डिस्क्वालिफाई कर दिया और वह विन्ध्य प्रदेश विधान सभा के मेम्बर नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी के मेम्बरों की हैसियत से दैनिक भत्ता वसूल किया था और अब विधान की धारा १९१ का मिसयूज करके कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि जिसका हम कानून बना दें वह आफिस आफ प्राफिट नहीं रहेगा। अगर यह परम्परा कायम रही तो आगे चलकर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एस० डी० एम० और पंचायत राज अफसर का पद भी आफिस आफ प्राफिट नहीं होगा क्योंकि धारा १९१ के अधीन सिर्फ कानून बनाने की जरूरत है। अगर यह बिल पास हो गया तो कैसी परम्परा कायम होगी ?

यह तीसरा बिल है। टेरिटोरियल आर्मी के सम्बन्ध में बिल आया तो उस समय भी हमने विरोध किया इस आधार पर कि ४३१ मेम्बर ही सारे गुणों के भंडार नहीं हैं। उनकी कांस्टीट्यूएंसी है और भी काम है। उसमें उनको पूरा काम करना है। माननीय अवस्थी जी के शब्दों में हर जगह विशेज्ञ विधान सभा के सदस्य ही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यह हुआ कि रष्ट्रीय प्रश्न है। अगर दूसरे मुल्क से हमला होगा तो टेरिटोरियल आर्मी में ऐतराज नहीं करना चाहये। वैसे हमने उस वक्त भी आवाज उठायी थी। दूसरा विधेयक विकास योजना के लिये कर्जा लिया जा रहा था। उसमें विधान सभा के मेम्बरों को कमीशन एजेंसी का काम दिया गया। उस समय भी हमने आवाज उठायी कि विधान की धाराओं का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन बूट मैजारिटी के बल पर उसको पास कर दिया गया। मंत्री जी के मुंह से साफ बात निकल गयी। उन्होंने कहा कि विधान की धाराओं के जोर को जाया करने के लिये यह बिल लाये हैं; साफ बात निकल गयी। पुराने खिलाड़ी राजनीतिज्ञ हैं नहीं। एक ईमानदार आदमी की हैसियत से सत्य बात निकल गयी विधान की धाराओं को जाया करने में सरकार फख्र समझती है। उस समय भी हमने कहा था कि यह कर्जा जो ले रहे हैं उसमें अगर पार्टी के लोग कमीशन एजेंसी में काम करेंगे तो पोलिटिकल मैजारिटी का प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन उस समय तो बूट मेजारिटी के बल पर कानून बन गया और १९१ धारा में तो लिखा है कि अगर बहुमत के बल पर पास कर दें तो उसका प्रभाव नहीं रहता। मैंने पहले तो एक उदाहरण दिया। माननीय अवस्थी जी जानते हैं और मैं उनकी कद्र करता हूं। वह मजदूरों के मामलों के विशेषज्ञ हैं। आज हजारों कार्यकर्ता और मजदूर मारे-मारे फिर रहे हैं और उनको खाने का ठिकाना नहीं है। उनके लिये भी कोई व्यवस्था होनी चाहिये। क्या सुर्खाब के पर लगे हैं विधान सभा के सदस्यों में ही कि उनके लिये सारी व्यवस्था हो ?

नारायणदत्त जी के भाषण को सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने बताया कि पहले विधेयक में केवल 'शुल्क' शब्द को जोड़ देने से ही काम चल सकता था। जब उनके उपनेता ने इसका विरोध किया है तो उनको तो इसका विरोध करना ही चाहिये था। 'शुल्क' शब्द तो आनरेरियम है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। वह १० रुपया भी हो सकता है और ५० रुपया भी। एक डिप्टी मिनिस्टर साहब के लिये हजारों रुपया भी 'शुल्क' मुनासिब होगा। अब तक लेजिस्लेचर ने जो विधेयक पास किये हैं उनमें दैनिक भत्ते का सवाल था और यह था कि दैनिक भत्ता या कम्पेंसेटरी एलाउन्स हो तो वह डिस्क्वालिफाइड न माना जाय। यह तो उंगली पकड़ कर पहुंचा पकड़ना है। आज समय नहीं है, लेकिन मैं उस दिन बताऊंगा कि कानपुर में या दूसरी जगह जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, वहां इसका कितना दुरुपयोग किया जा सकता है।

(माननीय सदस्य का भाषण अभी जारी था कि सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
८ सितम्बर, १९५५

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५२ पर)

तालिका

बन्दी का नाम	जुर्म की दफा	सजा	सजा देने की तिथि	सजा देने वाली अदालत का नाम
१ देवीदयाल	३०२।१२० बी २०१ भा०द० वि०।	आजन्म कारावास	८–१०–५३	सिविल तथा सेशन जज, कानपुर।
२ दीपसिंह	३९७ भा०द० वि०	८ साल की सजा	२५–३–५३	ऐडिशनल सेशन जज, मैनपुरी।
३. हरपाल सिंह	३९९।४०२ भा० द० वि० और १९ आर्म्स ऐक्ट।	७ साल की सजा और ४०० रु० जुर्माना, न अदा होने पर ६ महीने की और सजा।	१८–५–५३	सेशन जज, शाहजहांपुर।
	३९१ भा० द० वि०	५ साल की सजा	२७–४–५३	सेशन जज, शाहजहांपुर।
४ दीनदयाल	३९५ भा०द० वि०	५ साल की सजा	२७–४–५३	सेशन जज, शाहजहांपुर।
५ महेन्द्रसिंह	३९५ भा०द० वि०	५ साल की सजा और २५० रु० जुर्माना, न अदा करने पर १ साल की और सजा।	१०–११–५३	सेशन जज, पीलीभीत।
६ करनेलसिंह	३९५ भा० द० वि०	५ साल की सजा और २०० रु०, जुर्माना न अदा होने पर १ साल की और सजा।	१०–११–५३	सेशन जज, पीलीभीत।
७ अब्दुल अजीम	४५७ भा०द०वि०	१ साल की सजा और १०० रु० जुर्माना, न अदा करने पर ३ महीने की और सजा।	३-८-५४	श्री बी० डी० चतुर्वेदी–मजिस्ट्रेट, आगरा।
८ राजकुमार	३०२।१४९।३२३। १४९ भा० द० वि० और १४७ भा० द० वि०।	आजन्म कारावास	६-१२-५४	सेशन जज, हरदोई।

बन्दी का नाम	जुर्म की दफा	सजा	सजा देने की तिथि	सजा देने वाली अदालत का नाम
९ रामकुमार	३२३।१४९।३०२ । १४९।१४८ भा० द० वि०	आजन्म कारावास	६-१२-५४	सेशन जज, हरदोई ।
१० नाथू	३९७ भा०द०वि०	५ साल की सजा	५-१०-५३	सेशन जज, शाहजहांपुर ।
११ भूव देव	३९५ भा०द०वि०	५ साल की सजा और १०० रु० जुर्माना, न अदा होने पर ६ महीने की और सजा ।	२०-५-५३	ऐडिशनल सेशन जज, बदायूं।
१२ लालबहादुर सिंह	३०७ भा०द०वि०	४ साल की सजा	१३-११-५३	ऐडिशनल सेशन जज, इटावा।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५२ पर)

तालिका १

पेरोल मैजिस्ट्रेटों के कार्य सम्बन्धी नियम—

(१) जेल से मुक्त कैदियों की देख-रेख करना तथा उनके पुनर्वासन में सहायता देना;

(२) जहां आवश्यकता हो यू० पी० प्रिज़नर्स रिलीज़ आन प्रोबेशन ऐक्ट तथा टिकट आफ लीव रूल्स के अन्तर्गत छोड़े गये कैदियों के संरक्षक का कार्य करना;

(३) उपर्युक्त कैदियों के लिये योग्य संरक्षक तजवीज करना; तथा

(४) जिलाधीशों को तजवीज़ किये गये संरक्षकों की उपयुक्तता के बारे में सलाह देना।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५५ पर)

No. 2056/II-B—1954

FROM

SRI K. P. BHARGAVA, I. C. S.,
CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT.
UTTAR PRADESH.

TO

ALL HEADS OF DEPARTMENTS,
UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, July 19, 1954

Subject : **Part II of the Report of the Disciplinary Proceedings Inquiry Committee.**

SIR,

I AM directed to say that copies of the complete Report of the Disciplinary Proceedings Inquiry Committee, containing both Parts I and II of the Report, have been already forwarded to you with the State Government's Resolution no. 1319/II-B—54, dated May 11, 1954 and I am now to communicate the following further instructions of the State Government on certain matters contained in Part II of the Report.

2. Procedure for applications, etc.—[Paragraphs 9 and 3(2)*]. Except in respect of matters which cannot be regulated by rigid instructions, the procedure for the receipt and disposal of applications in government offices under the State Government shall, as far as possible, be on the following lines :

(1) In all offices, a definite time and place shall be fixed for receiving applications. Applications shall be made before the officer concerned. When he is on tour, there shall be another officer designated to receive applications in his absence. If the matter is simple, order shall be passed immediately and announced. If no final order is possible immediately, a date shall be fixed and the applicant's signature, or thumb-impression, should be taken.

(2) Action on applications shall, as far as possible, be automatic, and should not require the attendance of members of the public at any stage unless absolutely necessary.

(3) Wherever possible, the procedure for obtaining the final decision should be further simplified so that minimum time is taken at each stage. Time-limits should also, wherever possible, be prescribed for the various stages of dealing with applications or requests from the public. If for any rearon, such time-limits can not be observed, the matter may be brought by the official concerned to the notice of superior authority. In case of delay, the applicant should not *suo motu* contact the official; but apply to the presiding officer. The person responsible for the delay should be taken to task, whenever he is seriously at fault.

*The first number within square brackets in such contexts throughout this G. O. refers to the paragraph of Part II of Report and the second number to the relevant Paragraph of the Government Resolution.

(4) A serial number shall be assigned to every application as soon as it is received. Acknowledgment slips should, if demanded, be given ; provided such slips have been made out and attached to the applications by the applicants.

(5) Where discretion is allowed to a person at any stage in the handling of the applications or requests by the public, the discretion should be exercised so as to promote the public interest.

(6) Where the adoption of routine procedure might result in defeating the object in view, more expeditious measures must be used by the official concerned for obtaining timely decision, e.g. if higher sanction is required in an emergency, it shoud be obtained by the speediest means available.

The rules and instructions finally decided upon by you in this behalf for the offices of your department should be prominently displayed on the notice boards of such offices. Matters excluded from such rules on account of their unsuitability for being cast into provisions of a rigid character, should be reported with reasons to the administrative department concerned, to whom a copy of the final rules should be forwarded. A copy of the final rules should also be forwarded to the Appointment (B) Department.

3. **Office procedure**—[Paragraphs 10 and 3 (3)]. The procedure followed in government offices of the State is to come, in due course, under expert scrutiny for rationalization and streamlining ; but in the meanwhile, the existing procedure should be amended with immediate effect so as to provide that—

(1) all letters received from non-officials are acknowledged ;

(2) answers to queries of a stereotyped nature are sent by issuing printed or cyclostyled replies ;

(3) ordinarily, all letters must be replied to within a month at the outside. A subordinate authority, which does not receive a reply within a month to a letter addressed by it to its superior authority, may issue a reminder. Reminders to Government may, however, be issued after two months;

(4) correspondence between branches of the same office located in the same building should be avoided ;

(5) in every branch of an office, there shall be prepared, on a fixed date, a monthly statement of arrears showing letters not replied to within the prescribed period of one month, the statement shall be regularly submitted to the Head of Office, and he shall closely scrutinize it and record appropriate orders on it.

4. **Office inspections**—[Paragraphs 14 and 3 (7)]. In order that the responsibility for office inspections may be discharged more efficiently by departmental officers, you have to draw up for your department (s) a form/forms on the lines of the questionnaire used for the inspection of treasuries, which is given in Appendix XXI of the Financial Handbook, Volume V, Part II, and obtain the approval of the appropriate department of Government for its/their adoption.

The system of periodical inspections recommended by the Committee for the offices of the Revenue Department shall be duly observed in such offices with immediate effect.

Other administrative departments of the Government are being requested to devise and enforce as early as possible a similar system of periodical inspections in respect of offices with which they are concerned.

5. **Examinations for clerks**—[Paragraphs 20 and 3 (13)]. As early as possible, you have to draw up the syllabus and other details of the examination (s) for clerks under you, and obtain the approval of the administrative department concerned. Uniformity for the proposals will, as far as possible, be secured by the administrative departments concerned by consulting the Appointment (B) Department and the Finance Department. It is hoped that very great care will be exercised in drawing up the details of such examinations, and in ensuring that they will be conducted properly and fairly. The future efficiency of offices will very largely depend on the successful implementation of the system, and persistence of inefficiency after its enforcement will reflect on the capability of officers who are, or have been, at the head of office.

6. **Definition of merit**—[Paragraphs 27 and 3 (20)]. In continuation of the decision already taken by Government on the recommendation, contained in paragraph 25 of Part I of the Report of the Disciplinary Proceedings Inquiry Committee, to base all promotions on merit, it is now laid down that claims of individuals for promotion should be considered by an assessment of merit in the light of the following qualities :

(i) competence,
(ii) efficiency,
(iii) initiative,
(iv) straightforwardness,
(v) dependability,
(vi) integrity,
(vii) missionary zeal,
(viii) effective supervision, and
(ix) efforts to eliminate corruption.

A just appraisal of merit is of vital importance to the morale and contentment of the services, and ultimately of the administration. Government accordingly expect that in making promotions, officers will be duly alive to their responsibility, and always act with conscientious care.

7. **Permission to join classes**—[Paragraphs 29 and 3 (22)]. In the past some government servants sought, and were generally accorded, permission to join academic classes for getting themselves better qualified without being required to take leave for the duration of the courses (cf. G.O.no. 5856/III--134-1950, dated July 20, 1950). Cases also came to notice in which others joined such classes on the sly and even attended lectures during hours when they should have been on duty. Where permission was accorded, it was only on assurances that such study would not interfere with government work; but the assurances were not always fulfilled. It became obvious that the concession caused considerable administrative inconvenience, particularly when the examinations drew near. It was with this background of the matter that the Committee came to the conclusion that such permission is against the public interests, and the Government, agreeing with the Committe, have now decided that no whole-time government servant shall be allowed to join academic classes while he is actively engaged in service.

8. Courtesy – [Paragraphs 31 and 3 (24)]. The importance of courtesy is nowhere greater than in government offices. Courteous behaviour on the part of government servants not only makes things easier and pleasant for the public, who are the real masters in a democracy, but also wins credit for the administration and makes its tasks smoother. It is the duty of government servants to show the utmost courtesy in all their dealings, and Government hope that every one connected with the administration will zealously strive not to be found wanting in courtesy.

9. Punishments to be adequate [Paragraphs 39 and 3(30)]. The Committee have cited influential connexions of the accused, pressure from their friends, legal and procedural difficulties, and fear of counter-allegations as reasons which tend superior officers to inaction, or inadequate action, in disciplinary matters against their subordinates. Government share the view expressed by the Committee that such weakness on the part of superior officers is deleterious to the morale of the public services, and consider that it is also an unmistakable proof of failure in the proper discharge of their duty. It is necessary, therefore, that all officers responsible for disciplinary action should always award adequate punishments, and that, particularly, in cases involving corruption, the punishments should be such as will have a deterrent effect

10. Delegation of powers to impose minor punishments—[Paragraphs 40 and 3 (31)] Your proposals for the delegation of powers to authorities lower in rank than the appointing authorities, to impose minor punishments on their subordinates, should be forwarded as early as possible to the administrative department concerned for the final orders of Government.

11. Speedier conclusion of departmental proceedings—[Paragraphs 46 and 3 (36)]. In view of the imperative necessity of concluding disciplinary proceedings against government servants as early as possible, certain time-limits were prescribed for the different stages of such proceedings in G. O. no. 6405/IIB-1953, dated January 30, 1953. The officers conducting these proceedings should aim at concluding them within the prescribed minimum time-limits. The Governor further directs that the authorities concerned with the conduct of departmental proceedings in a case of corruption, shall accord the highest priority to the case and strive to complete all its stages within a period of three months.

12. Publicity for punishments [Paragraphs 47 and 3 (37)]. In order that the punishments awarded to government servants may have a deterrent effect on the general body of government servants and that the public may also be aware of the action taken by Government against corrupt officials, Government have accepted the Committee's recommendation for the publication of a quarterly report giving information about the action taken in all important cases of corruption. Such information should accordingly be included in the fortnightly demi-official letters from subordinate offices, and the Heads of Departments shall prepare consolidated statements and report the result every quarter to the Chief Secretary for incorporation in the quarterly statement which the latter will finally issue. The form of the statement shall be as follows :

Serial number	Name, designation, etc. of the government servant involved	Particulars of the charge, or charges, in brief	Whether proceedings were taken departmentally or in a court	Punishment awarded
1	2	3	4	5

13. Restrictions on entry into government offices—[Paragraphs 48 and 3 (38)]. Work in government offices must be carried on without consideration of personalities and in an atmosphere which is free from distractions. Neither is possible if members of the public are free to get into government offices at will. The Government have, therefore, accepted the Committee's recommendation that members of the public should not be allowed access into government offices except on business which is specially authorized, e. g. obtaining tender forms, etc. from the offices of the Public Works Department or the Forest Department. All Heads of Offices should accordingly secure effective means to exclude unauthorized members of the public from their offices—in offices where access is permissible, a suitable place shall be set apart for the purpose and, if convenient, counters shall be provided so that business may be transacted across them.

14. Cases of bribery—[Paragraphs 50 and 3 (40)]. It is very important to have beforehand a proper evaluation of evidence in cases of bribery. Government have accepted the recommendation of the Committee in this regard which requires that in every case of bribery, a departmental inquiry shall first decide whether the accused government servant should be criminally prosecuted or not : criminal prosecution shall be launched if there is sufficient evidence for a judicial trial, and in other cases, departmental proceedings should be taken.

15. Embezzlements—[Paragraphs 51 and 3 (41)]. The time and energy spent in the prosecution of cases of embezzlement are often not commensurate with their intrinsic importance or the results achieved. As a rule cases of embezzlement, which do not indicate any systematic procedure to defraud the Government, shall ordinarily be dealt with departmentally, but those cases should be sent to court which are serious and merit punishment under the criminal law.

16. Traps—[Paragraphs 53 and 3 (43)]. The Committee's recommendation regarding traps has been accepted, and accordingly, the laying of traps should continue : but as far as possible, only senior and experienced magistrates should be used for the purpose.

17. Entries regarding withholding of intedgrity certificates—[Paragraph 56]. In regard to the recording of entries or withholding of integrity certificates in character rolls, some doubts were expressed whether such entries required to be stated in any prescribed terms, and I am to make it clear that no set form has been prescribed for the purpose.

18. Social relations among government servants—[Paragraphs 57 and 3 (46)]. In any set-up, it is unavoidable for a particular subordinate officer to come into more frequent contact with his superior officer than others, or there being affinity between the two for other reasons. Unless a resolute stand is taken by the superior officer to put such familiarity or affinity at the proper place, it tends to a softness towards the particular subordinate and to the establishment of special social relations with him—developments neither defensible on ethical grounds nor conducive to good administration. It is hoped that superior officers will take very special care to ensure that their relations with their subordinates are correctly based, and that they do not develop social relations with individual officers which create an impression that some one is being specially favoured.

Yours faithfully,
K. P. BHARGAVA,
Chief Secretary.

No. 2056 (1)/II-B—54

COPY forwarded for information to all Principal Heads of Offices.

No. 2056 (2)/II-B—54

COPY forwarded for information to all the Departments of the Secretariat The Departments having offices under them, except the Revenue Department, are requested to devise a system of inspections for their offices on the lines of the system suggested in paragraph 14 (I) (ii) of Part II of the Report.

No. 2056 (3)/II-B—54

COPY also forwarded for information to the members of the Disciplinary roceedings Inquiry Committee.

By order,

H. K. TANDON,
Deputy Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ७३ एल० ए०—१९५५—७९६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्रीआत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर आचार्य, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयाल शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री

बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्म दत्त दीक्षित, श्री
भगवती दीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महाजन, श्री सी० बी०
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अथमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राज नारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री

रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथभार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री

श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिलाधीश, आजमगढ़ द्वारा पशुओं को टीका लगाने वाली औषधि की मांग

१—श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास १२-८-५५ को आजमगढ़ से पशु-चिकित्सा विभाग के उप-संचालक ने पशुओं को टीका लगाने वाली ५० हजार खुराक औषधि की मांग वायरलेस से की थी?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—४०,००० खुराक औषधि के लिये जिलाधीश, आजमगढ़ का वायरलेस उप-संचालक, बाइयोलाजिकल प्रोडक्ट्स सेक्शन, बादशाह बाग, लखनऊ के पास १३-८-५५ को आया था।

२—श्री रामसुदर पांडेय**—यदि हां, तो १६ अगस्त, १९५५ तक कितने खुराक टीका लगाने वाली औषधि आजमगढ़ जिले को दी गई?

श्री हुकुमसिंह—१३ अगस्त, १९५५ से १६ अगस्त, १९५५ तक एच० एस० वैक्सीन की २१,००० खुराकें आजमगढ़ को भेजी गईं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश के वायरलेस के पहले सरकार के पास कोई और दवाई की मांग करने का प्रार्थना-पत्र आया हुआ था?

श्री हुकुमसिंह--आया था।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थना-पत्र पर क्या फैसला किया गया था?

श्री हुकुमसिंह--भेजने की कोशिश की गयी लेकिन २ अगस्त से १३ अगस्त तक घोसी के लिये कन्साइनमेंट बुकिंग बन्द थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि हाल की भयंकर बाढ़ के कारण आजमगढ़ जिले में पशुओं में बीमारी की अधिकता हो गयी है और जो स्टाफ वहां पर है वह कम है?

श्री हुकुमसिंह--जिले में आज तक ५७ हजार यूनिटें हम भेज चुके हैं और जरूरत होगी फिर भेजेंगे।

मेटल ट्रेडर्स एसोसिएशन, मिर्जापुर का बिक्री कर के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

**३--श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर मेटल ट्रेडर्स एसोसियेशन के सभापति तथा मंत्री एवं सदस्यों की ओर से सरकार की सेवा में एक छपा आवेदन-पत्र आया है, जिसमें बिक्री-कर के कारण वहां के प्रसिद्ध प्राचीन बर्तन उद्योग को, जो गहरा धक्का लगा है उस का उल्लेख है?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)--जी हां।

**४--श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि बिक्री-कर के कारण उक्त उद्योग में लगे हुये लगभग ३० हजार श्रमिक बेकार हो रहे हैं?

श्री धर्मसिंह--सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

**५--श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या उपर्युक्त अवस्था को देखते हुये सरकार उक्त उद्योग पर से बिक्री कर उठाने के पक्ष में शीघ्र ही निर्णय देने का विचार रखती है?

श्री धर्मसिंह--पीतल के बर्तन उद्योग को बिक्री कर से मुक्त करने के सामान्य प्रश्न पर बिक्री कर समिति और यू० पी० स्माल स्केल और काटेज इन्डस्ट्री बोर्ड की उपसमिति विचार कर रही है। इसलिये मिर्जापुर मेटल ट्रेडर्स एसोशियेशन की प्रार्थना पर कोई निर्णय करने से पहिले सरकार इन समितियों की सिफारिशों को भी जानना चाहती है।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बिक्री कर लगने के बाद मजदूरों की जो संख्या घटी है और बर्तन के उत्पादन में जो कमी हुई है उस पर प्रकाश डालेंगे?

श्री धर्मसिंह--इस प्रकार की तो कोई सूचना नहीं है। जैसा बतलाया गया प्रश्न ४ के उत्तर में वहां पर तादाद कम पड़ गई। मजदूरों की इस तरह की कोई सूचना नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी मेरे इस प्रश्न को सूचना समझ कर इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री धर्मसिंह--जी हां। जांच करा ली जायगी।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन दो उपसमितियों के नाम उन्होंने बताये हैं इन दोनों उप-समितियों के सदस्य और अध्यक्ष के नाम क्या हैं?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता। माननीय सदस्य स्वयं जान सकते हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जानने का कोई साधन नहीं है।

श्री अध्यक्ष—कोई साधन नहीं है आप के पास तो माननीय वित्त मंत्री बतादें अगर उनके पास हो।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—नाम तो इस वक्त कोई लिये नहीं बैठा है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि शाहजहांपुर की अदालत ने बर्तन उद्योग को सेल्स टैक्स से फ्री होने के बारे में फ़ैसला लिखा है?

श्री अध्यक्ष—यहां शाहजहांपुर का प्रश्न नहीं है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन उप-समितियों की सिफ़ारिशें सरकार के समक्ष कब तक आ जायंगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मेरा खयाल ऐसा है कि कोई २, ३ महीने में आवेंगी।

तारांकित प्रश्न

हरिजन सहायक विभाग द्वारा १९५०–५१ के आय-व्ययक में स्वीकृत धन के अवशिष्टांश को समर्पित न करना

*१—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या यह सही है कि सन् १९५०–५१ में हरिजन सहायक विभाग द्वारा अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के सुधार तथा उत्थान के लिये जो धन रखा गया था उसमें २,४३,५७१ रु० की बचत हुई जो समर्पित नहीं की गयी? यदि हां, तो क्यों?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी हां। इसकी सूचना शासन को उचित समय पर नहीं मिली थी।

१९५४ में अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों को छात्रवृत्तियां

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि शासन को यह सूचना कब तक मिल जानी चाहिए थी और कब मिली?

डाक्टर सीताराम—इसकी सूचना शासन को ३१ मार्च से एक हफ्ते पहले तक मिल जानी चाहिये थी लेकिन यह सूचना शासन को ३१ मार्च की रात तक भी नहीं मिल पायी थी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह सूचना शासन को कब मिली? क्या सवाल करने पर मिली?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो यह बच रहा, खर्च नहीं हुआ, वह शिड्यूल्ड कास्ट के सम्बन्ध में था या बैकवर्ड क्लासेज के लिये था?

डाक्टर सीताराम—परिगणित जातियों से सम्बन्धित था।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह २,४३,५७१ रुपया जो बच गया था, उसे पुनः विद्यार्थियों को दे देने की कृपा करेगी?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—यह सन् १९५०–५१ का था और अब १९५१–५२, १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ तथा १९५५–५६ के बाद इसका सवाल नहीं उठता।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि १९५१ में कुछ विद्यार्थियों की प्रार्थना सहायता के लिये इसलिये रह गई कि धनाभाव के कारण उन्हें सहायता नहीं दी जा सकी?

डाक्टर सीताराम—ऐसी कोई बात नहीं।

*२—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सन् १९५४ में अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों को अलग-अलग कितने रुपये की कुल छात्रवृत्तियां दी गईं?

डाक्टर सीताराम—१७, ४६, ६३४ रु० की अनुसूचित जातियों को और ८,२९,२६३ रुपये की पिछड़ी जातियों को छात्रवृत्तियां दी गयीं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पिछड़ी जातियों के लिये ८,१९,२६३ रुपया बतलाया गया है इसमें म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ग्रान्ट का रुपया भी शामिल है?

डाक्टर सीताराम—अब प्राइमरी एजूकेशन पर तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड को रुपया दिया ही जाता है, वह भी शामिल है इसमें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह जो छात्रवृत्ति के लिये ग्रान्ट दी जाती है उसके अलावा मिसलेनियस प्रांट का १,२५,३०० रुपया भी शामिल है?

डाक्टर सीताराम—इसके लिये सूचना चाहिये।

आजमगढ़ जिले की मुसहर जाति के उत्थान की आवश्यकता

*३—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को विदित है कि एक अर्द्ध जंगली मुसहर (Mushar) जाति आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में बसी है?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*४—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनकी जीविका उपार्जन के मुख्य साधन क्या हैं?

डाक्टर सीताराम—इनकी जीविका का मुख्य साधन श्रम है। पेड़ों से लकड़ी काटकर तथा पत्तियों से पतरी बना कर बेचना इनके मुख्य धंधे हैं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उनके पास ऐसी सूचना है कि जिले की प्रत्येक तहसील में यह जाति कितनी संख्या में हैं?

डाक्टर सीताराम—पूरे जिले में मुसहर जाति की आबादी ६०३३ है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनको इस बात की सूचना है कि यह जाति पूर्णतया भूमिहीन है, अगर हां, तो ग्राम समाज की जमीन से या और कहीं से जमीन ले कर उन्हें देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, प्रायः यह सत्य है कि इस जाति के लोग अधिकतर भूमि-हीन हैं और जो जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में जो भूमि वितरण का तरीका दिया हुआ है, उसके अनुसार वह भूमि उनको मिल सकती है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुसहर जाति अनुसूचित है या पिछड़ी जाति है या सवर्णों में से है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—अनुसूचित जातियों में से तो नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनको वही सुविधायें दी जाती हैं जो अनुसूचित जातियों के बालकों को मिलती हैं।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि इन मुसहर जाति के अधिकतर लोगों के पास रहने के लिये मकान भी नहीं है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मकान तो शायद ही उनके पास कहीं हो। झोंपड़ियों में रहते हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आमतौर से मुसहर जाति किस वर्ग में मानी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हिन्दू तो माने ही जाते हैं और मेरा अपना ख्याल है कि उनकी अवस्था के अनुसार उनको अनुसूचित जातियों में होना चाहिये, लेकिन अनुसूचित जातियों में उनकी गणना नहीं होती। लिहाजा बैकवर्ड क्लासेज में ही माने जा सकते हैं।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय इन मुसहर जाति के लोगों के लिये मकान बनाने के लिये कुछ सहायता देने के प्रश्न पर विचार करने के लिये प्रस्तुत हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उसके लिये जो मकान बनाने के लिये अनुदान हरिजन सहायक डिपार्टमेंट से दी जाती है वह उनके लिये भी उपलब्ध हो सकती है।

पट्टी तलानागपुर, जिला गढ़वाल में जल कष्ट निवारणार्थ सहायता

*५—**श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार कृपा कर तारीख २४ दिसम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ८२–८३–८४ के उत्तर के सम्बन्ध में एकत्रित सूचना देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—सूचना संलग्न पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४८९ पर।)

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि कुल कितने गांव के प्रार्थना-पत्र पाने के लिये उनके पास आये थे ?

डाक्टर सीताराम—१२ गांव के।

श्री गंगाधर मैठाणी—उनमें से कितने गांवों को कितना कितना रुपया दिया गया।

डाक्टर सीताराम—उसमें से ४ गांव को १०,५८२ रु० और २ गांव को ६०० रु० दिया गया।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि जिन लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे, क्या वह सब परिगणित जाति के लोग हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---उसमें तो सभी लोग रहे होंगे, ऐसा खयाल किया जाता है, लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि परिगणित जाति के थे। गांव के सभी लोगों की तरफ से दरख्वास्त थी।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजन सहायक फंड से रुपया देते समय इस बात का खयाल किया जाता है कि वह परिगणित जाति के हैं या नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---हां, वह तो खयाल किया जाता है कि जो परिगणित जाति के हों अथवा अनुसूचित जाति के हों, उन्हीं को रुपया दिया जाता है।

जिला इंजीनियर, टिहरी-गढ़वाल के नाम जमा धन से ग्राम मोटना, पट्टी रैका में नल तथा डिग्गियों का निर्माण

*६---**श्री सत्यसिंह राणा** (जिला टिहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि सन् १९४८ में विलीन टिहरी राज्य की तत्कालीन सरकार द्वारा ७,१९० रुपये की धनराशि ग्राम मोटना, पट्टी रैका में पीने के पानी के लिये नल प्राप्त करने व फिट करने के हेतु सेविंग एकाउन्ट (Saving accounts) पोस्ट आफिस, नरेन्द्रनगर में जिला इन्जीनियर, टिहरी-गढ़वाल के नाम जमा की गई थी ?

डाक्टर सीताराम---जी हां।

*७---**श्री सत्यसिंह राणा** (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि जिला इन्जीनियर द्वारा अब तक गांव वालों को कोई नल प्राप्त नहीं हुए ? यदि हां, तो क्यों और कब तक इसकी व्यवस्था की जायेगी ?

डाक्टर सीताराम---ग्रामवासियों को ५,७३६ फुट नल दिये जा चुके हैं जो उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। दो डिग्गियों का भी निर्माण हो गया है।

बेरोजगारों की गणना की आवश्यकता

*८---**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये पढ़े व अनपढ़ बेरोजगार लोगों की गणना कराई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)---जी नहीं। ऐसी कोई गणना नहीं हुई है।

*९---**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (अनुपस्थित)---यदि नहीं, तो क्या सरकार जल्दी ही बेरोजगार लोगों की गणना कराने पर विचार करेगी ?

आचार्य जुगल किशोर---बेरोजगारी और उसकी गणना का विषय हमारे संविधान की कांकरेंट (Concurrent) सूची में है। प्लानिंग कमीशन ने संकेत किया है कि इस सम्बन्ध में आंकड़े संग्रह किये जायं। एक ही काम को दो तरफ़ से न किया जाय, इस लिये राज्य सरकार अलग से इस सम्बन्ध में कुछ करना उचित नहीं समझती।

नोट---तारांकित प्रश्न ६-७ महाराजकुमार बालेन्दुशाह ने तथा ८-९ श्री रामदास आर्य ने पूछे।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय श्रम मंत्री जी बतायेंगे कि यह बात सही है कि सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना बनायी गयी है कि कुछ गांवों या किन्हीं शहरों में, प्रयोग स्वरूप बेकारों की गणना करायी जाय?

आचार्य जुगल किशोर--मुझे तो कोई इसकी इत्तला नहीं है इस वक्त।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से इस किस्म से कोई सूची तैयार हो रही है?

आचार्य जुगल किशोर--जी हां। हमें खबर है कि एक सूची तैयार की जा रही है। उसके बारे में इन्क्वायरी की जा रही है और कनेटी नियुक्त की गयी है जो इस तरह की गणना करे।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से जो इस तरह की सूची तैयार की जा रही है उसमें राज्य सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, सरकारी तौर पर राज्य सरकार की तरफ से उसमें कोई सहयोग किया जा रहा है?

आचार्य जुगल किशोर--जिस सहयोग की उनको आवश्यकता होगी वह अवश्य दिया जायगा।

श्री गेंदासिंह--राज्य सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में जो कुछ किया जा रहा है उस पर रोशनी डालने की कृपा श्रम मंत्री जी करेंगे?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने अभी कहा कि जो सहायता मांगी जायगी वह दी जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के जरिये बढ़े रोजगारों की संख्या की गणना करने की योजना पर विचार करने वाली है?

श्री अध्यक्ष--उसका तो जवाब दे दिया गया है।

जांच के पश्चात् हाई स्कूल परीक्षा का प्रतिफल

*१०--**श्री शिववचन राव** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत हाई स्कूल परीक्षा का स्कुटिनी के बाद जो प्रतिफल निकला था वह अभी तक निकला या नहीं? यदि निकला, तो कब और यदि नहीं तो क्यों?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां। निम्नांकित तिथियों को निकाला गया:--

१--२३ अगस्त, १९५४
२--३० अगस्त, १९५४
३--३ सितम्बर, १९५४
४--७ सितम्बर, १९५४
५--२३ सितम्बर, १९५४
६--१ अक्तूबर, १९५४
७--१३ अक्तूबर, १९५४
८--१ नवम्बर, १९५४
९--११ दिसम्बर, १९५४
१०--२१ दिसम्बर, १९५४
११--३० दिसम्बर, १९५४
१२--१३ जनवरी, १९५५

(सूचना १९५४ की परीक्षा के बारे में है।)

कानपुर के सूती मिल मजदूरों की हड़ताल

*११—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को कानपुर के सूती मिल के मजदूरों से यह सूचना मिली है कि उन्होंने दो मई से हड़ताल करने का फैसला किया है? यदि हां, तो क्यों?

आचार्य जुगल किशोर—जी हां, सरकार को हड़ताल का नोटिस मिला था। जहां तक हड़ताल करने के कारण का प्रश्न है, इसका उत्तर तो नोटिस देने वाले ही दे सकते हैं।

*१२—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या सरकार कृपया सदन की मेज पर मजदूरों की मांग की एक सूची रक्खेगी?

आचार्य जुगल किशोर—मांगों की एक प्रति मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४६०–४६२ पर।)

*१३—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—इस हड़ताल को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

आचार्य जुगल किशोर—हड़ताल के समाप्त हो जाने के कारण अब किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले में सचल शिक्षण-शिविर के अध्यापकों का बकाया वेतन

*१४—**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में सचल शिक्षण-शिविर में सन् १६४६ में कितने अध्यापक काम करते थे?

डाक्टर सीताराम—प्रश्न स्पष्ट नहीं है। यदि अध्यापकों से सदस्य का अर्थ सचल शिक्षण-शिविर के इन्सट्रक्टरों से है तो ऐसे तीन इन्सट्रक्टर काम करते थे। यदि उनका आशय राजकीय प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापकों से है तो ५५४ अध्यापक काम करते थे।

*१५—**श्री उमाशंकर**—क्या सरकार बता सकती है कि अगस्त, १६४६ का वेतन कितने अध्यापकों को दिया गया और कितने का बाक़ी है?

डाक्टर सीताराम—इन्सट्रक्टरों में सभी का अगस्त, १६४६ का वेतन दिया जा चुका है। अध्यापकों में ५२२ को वेतन दिया गया है ३२ को देना अभी शेष है।

*१६—**श्री उमाशंकर**—जिन अध्यापकों का वेतन अब तक बाकी है उनका वेतन कब तक दिया जायगा?

डाक्टर सीताराम—इन्सट्रक्टरों के बारे में तो प्रश्न ही नहीं उठता। अध्यापकों का मामला विचाराधीन है।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी बता सकेंगे कि क्या कारण है कि इन ३२ अध्यापकों का वेतन अभी तक रुका हुआ है?

डाक्टर सीताराम—जिन ३२ अध्यापकों को अभी तक वेतन नहीं मिला है इसका कारण यह है कि उनमें से बहुत से ट्रांसफर हो गये थे। एक कारण तो यह था। दूसरा कारण

यह था कि बहुत से लोगों को मनीआर्डर के द्वारा रुपया भेजा गया, लेकिन जहां रुपया भेजा गया वे लोग वहां पर पाये नहीं गये। यही दो कारण हैं जिनकी वजह से उनको अभी तक वेतन नहीं मिला। इन्क्वायरी की जा रही है और उसके बाद उनको रुपया भेज दिया जायगा।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतायेंगे कि उनका वेतन देने के लिये अब किस बात पर विचार हो रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---बात यह है कि बत्तीसों को वेतन उनके निश्चित स्थान पर जो हमारे यहां दर्ज थे मनीआर्डर से भेजा गया लेकिन उसके बाद, जैसा कि भवन के सदस्य जानते होंगे ये राजकीय पाठशालायें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दी गयीं। अब यह पता नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने उन अध्यापकों को कहां पोस्ट किया है। तो उनसे पूछा गया है कि ये ३२ आदमी कहां कहां हैं। वहां से पता आ जाय तो उस पते पर उनको भेज दिया जायगा।

माहेश्वरी देवी जूट मिल के श्रमिकों को बोनस न मिलना

*१७---**श्री राजनारायण** (जिला बनारस)---क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माहेश्वरी देवी जूट मिल के श्रमिकों को सन् १९५१ का बोनस जो उन्हें ता० २९ दिसम्बर, १९५२ के फैसले के अनुसार १,१०,००० रु० मिलना चाहिये था अभी तक क्यों नहीं मिला ?

आचार्य जुगलकिशोर---बोनस का रुपया श्रमिकों को अब तक न मिलने का मुख्य कारण यह है कि २९ दिसम्बर, १९५२ ई० के निर्णय के विरुद्ध मिलमालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है जो अभी विचाराधीन है।

*१८---**श्री राजनारायण**---क्या श्रम मंत्री यह बतायेंगे कि इस प्रकार श्रम सम्बन्धी कानूनों का उल्लंघन करने पर इस मिल के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

आचार्य जुगलकिशोर---जब तक यह अपील सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, तब तक इस मामले में किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही सम्भव नहीं।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बतायेगी कि २९ दिसम्बर, १९५२ के निर्णय के विरुद्ध मिलमालिकों ने अपील कब दायर की ?

आचार्य जुगल किशोर---२३ दिसम्बर, १९५३, जहां तक मुझे कागजों से पता चलता है। यह तारीख थी जबकि उन्होंने इसके खिलाफ अपील दायर की थी।

*१९---**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**---[७ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

हरिजन छात्रावासों के लिये अनावर्तिनी सहायता

*२०---**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)---क्या सरकार प्रदेश में ऐसे हरिजन छात्रावासों की सूची संदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी कि जिनको वर्ष १९५३-५४ ई० में अनावर्त्तक अनुदान प्रदान किये गये थे ? इन अनुदानों की अलग-अलग धनराशि क्या क्या थी ?

डाक्टर सीताराम---सूची संलग्न है। उसी में अनुदानों की धनराशि दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४९३-४९६ पर।)

*२१---**श्री महीलाल**---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त अनुदान किन नियमों के आधार पर दिये गये ?

डाक्टर सीताराम---अनावर्त्तक अनुदान आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थात् चारपाई, मेज, कुर्सी और बर्तन आदि खरीदने के लिये जिला विद्यालय निरीक्षकों की संस्तुति के आधार पर दिये गये थे।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५३--५४ में खुलने वाले छात्रावासों में से परिगणित जाति छात्रावास, मक्कागंज इरादतनगर को दो हजार रुपये और कमला नेहरू हरिजन छात्रावास, सिकन्दराबाद को केवल १०० रुपये क्यों दिये गये और यह अन्तर रखने का क्या कारण था ?

डाक्टर सीताराम---यह तो अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक को दे दिया जाता है और वहां के इंस्पेक्टर ने जैसा रेकमेंड किया होगा उसी के अनुसार रुपया दिया गया होगा।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परिगणित छात्रावास, मक्कागंज के लिये जिला शिक्षा निरीक्षक महोदय ने दो हजार रुपये देने की सिफारिश की थी?

श्री हरगोविन्द सिंह---उनको अनुदान दिया गया होगा तो आवश्यकता के अनुसार उन्होंने यह सिफारिश जरूर की होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि सन् ५३--५४ में जिन हरिजन छात्रावासों को अनावर्त्तक अनुदान दिये गये हैं उनकी संख्या क्या है ?

डाक्टर सीताराम---सन् ५३--५४ में करीब २३ को दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---माननीय मंत्री क्या यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वे किन किन जिलों में हैं ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्य उस लिस्ट को ले लें और देख लें।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे हरिजन छात्रावासों को सरकारी सहायता लड़कों की संख्या के आधार पर दी जाती है या किसी और आधार पर ?

श्री हरगोविन्द सिंह---आवश्यकतानुसार दी जाती है, उसमें सभी बातें आ जाती हैं।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परिगणित जाति का छात्रावास, मक्कागंज किसी प्रबंधकारिणी समिति के प्रबंध में है या जिला शिक्षा अधिकारी के प्रबंध में है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अगर आप एक के लिये ब्योरा पूछें तो अलग सवाल करें तो अच्छा होगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के मक्कागंज के छात्रावास को सरकार ने कितना रुपया दिया है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो वह खुद ही बतला चुके हैं।

*२२--२३---श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)---[२३ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

राजनीतिक-पीड़ित छात्रों को सहायता

*२४---श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५४--५५ ई० में कितने राजनीतिक-पीड़ित छात्रों को कितना रुपया छात्रवृत्ति के रूप में सहायता दी गयी है ? क्या सरकार जिलेवार छात्रों की संख्या और सहायता की लिस्ट मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम---सन् १९५४-५५ ई० में ३१८ राजनीतिक-पीड़ित छात्रों को ६९,५०० रु० की सहायता छात्रवृत्ति के रूप में तथा २७८ छात्रों को १०,५०० रु० की सहायता पुस्तकों इत्यादि के लिये अनावर्तक अनुदान के रूप में प्रदान की गयी। सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ-४९७-४९८ पर।)

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो राजनीतिक-पीड़ितों को छात्रवृत्ति या सहायता दी गयी है वह सभी छात्रों को दी गयी है जिन्होंने एप्लाई किया है या काट छांटकर दी गयी है ?

डाक्टर सीताराम---काट छांटकर मैरिट के आधार पर दी जाती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५४-५५ में आजमगढ़ जिले के कितने छात्रों को सहायता दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो बहुत से जिले हैं, दूसरे सदस्य भी अन्य जिलों के बारे में पूछेंगे इसलिये आप माननीय मंत्री जी से फेहरिस्त ले लें ।

श्री झारखंडे राय---कुछ ऐसे जिले हैं जहां कोई भी सहायता नहीं दी गयी है यदि हां, तो वह कौन कौन से हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---शायद मुमकिन है कुछ ऐसे जिले हों, लेकिन आजमगढ़ उसमें नहीं है ?

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने आवेदन-पत्र आये ?

श्री अध्यक्ष---इसकी भी इजाजत नहीं दूंगा, बात यह है कि बहुत से जिलों का सवाल है तो मंत्री जी इसका जवाब नहीं दे सकते हैं ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितनी छात्रवृत्ति माध्यमिक स्कूल के छात्रों को और कितनी कालेज के छात्रों को दी गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसका अलग-अलग विवरण तो मेरे पास नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजनीतिक-पीड़ितों को जो वजीफे दिये जाते हैं उसके लिये प्रादेशिक स्तर पर कोई कमेटी है या किसी उच्चाधिकारी के द्वारा दिये जाते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---उच्चाधिकारी के द्वारा दिये जाते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक राजनीतिक-पीड़ित छात्र को अधिक से अधिक कितनी सहायता दी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---अलग अलग क्लासेज में अलग अलग दी जाती है । मेरा खयाल यह है कि कालेज में बी० ए० में ५ रुपये से लेकर ३०-४० रुपये तक देते हैं ।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह छात्रवृत्ति जो राजनीतिक-पीड़ितों को दी जाती है उनमें मैरिट का आधार क्या है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन ।

मूक-बधिर विद्यालयों को सहायता

*२५—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार दिनांक २५-३-५५ ई० के प्रश्न संख्या २४-२६ के सम्बन्ध में बतलायेगी कि गूंगे और बहरों के किस स्कूल को सरकार ने क्या सहायता दी? क्या सरकार बतायेगी कि किस स्कूल में किस विषय का प्रशिक्षण होता है और कौन स्कूल किस संस्था के द्वारा संचालित होता है ?

आचार्य जुगल किशोर—१६५४-५५ में सरकार ने निम्नलिखित मूक-बधिर विद्यालयों को उनके समक्ष उल्लिखित सहायता दी—

क्र० सं०	नाम विद्यालय		सहायता रुपयों में
१	मूक-बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ	..	२०,७६४
२	उत्तर प्रदेश मूक-बधिर विद्यालय, इलाहाबाद	..	१३,०२६
३	मूक-बधिर शिक्षणालय, अगस्त्य कुन्ड, बनारस	..	२,०००
४	मूक-बधिर विद्यालय, पीलीभीत	..	३००
५	मूक-बधिर विद्यालय, लखनऊ के साथ सम्बद्ध ट्रेनिंग कालेज	..	१६,३२०

इनके अतिरिक्त बरेली में एक सरकारी मूक-बधिर स्कूल भी है ।

(ब) उपरोक्त विद्यालयों की शिक्षा तथा उनका संचालन किस संस्था द्वारा होता है, इसका विवरण निम्न प्रकार है :

प्रायः सभी विद्यालय को संचालित करने के लिये एक समिति होती है जिसमें स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य होते हैं ।

१—मूक-बधिर विद्यालय, लखनऊ में नार्मल स्कूल का पाठ्यक्रम आवश्यकतानुसार संशोधन करके पढ़ाया जाता है । साथ ही बुनाई, कताई, सिलाई और मिट्टी के खिलौने बनाने का काम सिखाया जाता है । इस वर्ष से प्रिंटिंग प्रेस और बढ़ई का काम सिखाने की भी योजना है ।

२—उत्तर प्रदेश मूक-बधिर विद्यालय, इलाहाबाद में भाषा ज्ञान के अतिरिक्त गणित, इतिहास, भूगोल, ड्राइंग और विज्ञान की शिक्षा दी जाती है । साथ ही बढ़ई और दर्जी का काम भी सिखाया जाता है ।

३—मूक-बधिर शिक्षणालय, बनारस में भाषा ज्ञान के साथ ही मिट्टी और लकड़ी का काम सिखाया जाता है ।

४—पीलीभीत के मूक-बधिर विद्यालय में पढ़ना-लिखना मूक-बधिर प्रणाली के अनुसार तथा मिट्टी और दर्जीगीरी का कार्य सिखाया जाता है ।

५—ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ में मूक-बधिर छात्रों के अध्यापकों को अध्यापन की शिक्षा दी जाती है । इस कालेज का सम्पूर्ण व्यय प्रायः सरकार ही वहन करती है और प्रबन्ध मूक-बधिर विद्यालय, लखनऊ की प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है ।

६—सरकारी मूक-बधिर स्कूल, बरेली में भी अन्य संस्थाओं की भांति मूक-बधिर प्रणाली के अनुसार शिक्षा दी जाती है ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि सरकारी विद्यालयों के अलावा जो ऐसी संस्थाओं के द्वारा यह स्कूल चलते हैं वह संस्थायें रजिस्टर्ड हैं और उनको जो रुपये का अनुदान दिया जाता है उसकी कोई जांच होती है ? यदि होती है, तो किसके द्वारा ?

आचार्य जुगल किशोर--यह जांच तो उनकी होती ही है। कुछ तो एजूकेशन डिपार्टमेंट के जरिये से कराते हैं और कुछ अपने इंस्पेक्टरों से, जो विभाग के हैं उनके जरिये से जांच होती है।

श्री रामेश्वर लाल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन मूक-बधिर विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनकी ट्रेनिंग किसी विशेष शिक्षण केन्द्र में होती है या ऐसे ही आर्डिनरी टीचरों की तरह से शिक्षा होती है ?

आचार्य जुगल किशोर--वह ट्रेन्ड टीचर होते हैं और ट्रेन्ड टीचरों को ही लिया जाता है। उनकी ट्रेनिंग के लिये जैसा कि मैंने बतलाया लखनऊ में भी शिक्षालय है, जहां पर इस तरह के टीचरों को ट्रेनिंग दी जाती है।

श्री रामेश्वर लाल--क्या माननीय मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि क्या निकट भविष्य में विदेशों में भेजकर इस तरह के प्रशिक्षण कला के विशेषज्ञ बनाने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

आचार्य जुगल किशोर--विचार अवश्य हो सकता है। अगर साधन हुये तो उनको भेजा जायगा।

सरकारी सहायता प्राप्त असरकारी समाज कल्याण संस्थाएं

*२६--**श्री विश्राम राय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि समाज कल्याण विभाग की ओर से कितने शिविर कार्यकर्ताओं की शिक्षा के हेतु खोलने की योजना है ?

आचार्य जुगल किशोर--समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत महिला मंगल योजना को कार्यान्वित करने के लिये ग्राम सेवकाओं का प्रशिक्षण इस समय तीन केन्द्रों में होता है, जो सहारनपुर, नरवल (कानपुर) तथा ज्योलीकोट (नैनीताल) में है। मथुरा में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण के लिये दो अल्पकालीन शिविर लखनऊ व इटावा में संगठित किये गये। इस प्रकार के शिविर बलिया तथा अन्य स्थानों में भी खोलने का विचार किया जा रहा है।

*२७--**श्री विश्राम राय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त कितनी गैर-सरकारी संस्थायें हैं जो समाज कल्याण का काम कर रही हैं ?

आचार्य जुगल किशोर--उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थायें जो समाज-कल्याण का कार्य कर रही हैं ६४ हैं।

*२८--**श्री विश्राम राय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इनमें से किन किन को कितनी सहायता सरकार की ओर से इस वर्ष दी गई ?

आचार्य जुगल किशोर--इस वर्ष अब तक निम्न संस्थाओं को सरकार की ओर से सहायता दी गयी है। जो धनराशि दी गई वह प्रत्येक संस्था के सामने अंकित है और अन्य संस्थाओं के संबंध में सरकार विचार कर रही है :--

	रु०
१--वाई० डब्लू० सी० ए०	१,२००
२--वाई० एम० सी० ए०	८००
३--सेवा समिति, इलाहाबाद	१७,०००
४--काशी सेवा समिति, बनारस	३,०००
५--मूक-बधिर विद्यालय, लखनऊ	२,०००

रु०

६—इमामबाड़ा, बरेली	..	..	२००
७—अंध विद्यालय, भदैनी, बनारस	..	..	१,५००
८—स्ट्रेंजर्स होम, इलाहाबाद	..	..	३,०००
९—स्ट्रेंजर्स होम, लखनऊ	..	..	१,२००
१०—वेनरेवल आर्चडेकन, लखनऊ	..	..	८००

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ६४ गैर सरकारी संस्थायें कौन-कौन जिलों में हैं?

आचार्य जुगल किशोर—इसकी सूची तो बहुत लम्बी है।

श्री अध्यक्ष—केवल जिलों के नाम बता दीजिये।

आचार्य जुगल किशोर—देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, मथुरा, आगरा, बरेली, बिजनौर, बांदा, शाहजहांपुर, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बदायूं, बनारस, गोरखपुर, बस्ती, नैनीताल, अल्मोड़ा, लखनऊ और गोंडा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं को कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है?

आचार्य जुगल किशोर—जिन संस्थाओं के नाम पढ़कर सुनाये हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। अन्य संस्थाओं के बारे में ठीक से नहीं मालूम कि सहायता दी जाती है या नहीं, लेकिन मेरे खयाल से कोई सहायता नहीं दी जाती।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि ग्राम सेविकाओं के ट्रेनिंग सेंटर्स देहातों के बजाय शहरों में क्यों खोले गये हैं?

आचार्य जुगल किशोर—यह तो ट्रेनिंग देने की सुविधा के हिसाब से खोले जाते हैं। अभी तो ज्यादातर सेंटर्स गांवों में ही हैं और यह भी निश्चय है कि आगे भी अधिकतर गांवों में ही रहेंगे। एक सेंटर इस समय शहर में भी है। खास तौर से शहर में खोलने की कोई नीति नहीं है।

श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जिले बाकी रह गये हैं उनमें कब तक खुल जायेंगे?

आचार्य जुगल किशोर—इस तरह के शिविर तो हर जगह खोलने का इरादा नहीं है। कुछ शिविर खोले जा रहे हैं। ग्राम सेविकाओं के केंद्र कुछ जिलों में हैं बाकी में म्युनिसिपैलिटियों की तरफ से केंद्र खोले गये हैं और उनसे करीब करीब सब जिले कवर हो जाते हैं।

श्री दीनदयाल शर्मा—जिन संस्थाओं के नाम बताये गये हैं क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनमें से कितनी रजिस्टर्ड हैं?

आचार्य जुगल किशोर—इसकी सूचना नहीं है।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन गैर-सरकारी संस्थाओं को सरकार की ओर से सहायता दी जाती है वह किन किन सामाजिक कामों के लिये दी जाती है?

आचार्य जुगल किशोर—यह तो अपना सोशल वेलफेयर का काम करती हैं, अपनी अपनी जगह पर सामाजिक सेवा का काम करती हैं, और उसी के आधार पर उनको यह सहायता दी जाती है।

हायर सेकेन्डरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्त कृषि अध्यापकों को ग्रीष्मावकाश न मिलना

*२९—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हायर सेकेंडरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्त कृषि अध्यापकों को ग्रीष्मावकाश क्यों नहीं दिया गया ?

डाक्टर सीताराम—क्योंकि यह Non-Vacation Service घोषित की गई है।

*३०—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों स ग्रीष्म काल में कौन कौन सा कार्य लिया गया है ?

डाक्टर सीताराम—कृषि तथा प्रसार का कार्य।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार को विदित है कि बहुत से स्कूलों में कृषि अध्यापकों के लिये कृषि की शिक्षा के साधन सुलभ नहीं हैं जिसके कारण वे ग्रीष्म काल में कृषि शिक्षा के प्रसार का काम नहीं कर सके हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह चूंकि अभी इस स्कीम की शुरुआत है, ऐसा हो सकता है लेकिन उसका इससे तो कोई संबंध है नहीं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या उन कृषि अध्यापकों की वजह से ही कई जिलों में १५ जून को ही स्कूल खुलवाये गये ? यदि हां, तो किन किन जिलों में ?

श्री हरगोविन्द सिंह—१५ मई से १५ जून तक प्राइमरी, शायद सभी जिलों में।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो ये हायर सेकेन्डरी स्कूल्स और जूनियर हाई स्कूल्स में कृषि अध्यापक नियुक्त किये गये हैं उसमें कितना हिस्सा उनकी तनख्वाह का गवर्नमेंट आफ इंडिया देती है और कितना स्टेट गवर्नमेंट देती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—पहले साल ३/४ गवर्नमेंट आफ इंडिया और १/४ स्टेट गवर्नमेंट, दूसरे साल आधा गवर्नमेंट आफ इंडिया और आधा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरे साल ३/४ स्टेट गवर्नमेंट और १/४ सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बाद पूरा स्टेट गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी।

दूकान कर्मचारी कानून का लागू होना

*३१—**श्री गेंदासिंह**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राज्य के किन किन शहरों में दूकान कर्मचारी कानून लागू हैं और जहां नहीं लागू है उसके कारण क्या हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—(१) यू० पी० शाप्स ऐंड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेंट्स ऐक्ट निम्नलिखित शहरों में लागू है :—

(क) आगरा, इलाहाबाद, बरेली, बनारस, कानपुर, देहरादून, फतेहगढ़, झांसी, लखनऊ, मेरठ, मंसूरी, मथुरा, नैनीताल और रामपुर के म्युनिसिपल व कैन्टूनमेंट क्षेत्रों में।

(ख) अलीगढ़, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, फिरोजाबाद, फैजाबाद, गोरखपुर, हापुड़, हाथरस, कन्नौज, मुरादबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, मिर्जापुर सीतापुर, गोंडा और कायमगंज के म्युनिसिपल क्षेत्रों में।

(ग) उक्त ऐक्ट की धारा १० और १२ निम्नलिखित शहरों के म्युनिसिपल क्षेत्रों में लागू है :—

बदायूं, बुलन्दशहर, उन्नाव, बाराबंकी, बलिया, बांदा, बिजनौर, चंदौसी, देवरिया, गाजीपुर, हरदोई, हरद्वार, जौनपुर, खुरजा, लखीमपुर-खीरी, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रुड़की और शाहजहांपुर।

(२) बाकी स्थानों में यह ऐक्ट अभी तक अर्थाभाव के और शासकीय कारणों से लागू नहीं किया जा सका है।

*३२—श्री गेंदासिंह—देवरिया जिले के किन स्थानों पर यह कानून लागू है?

आचार्य जुगल किशोर—देवरिया जिले के देवरिया शहर में इस कानून की धारा १० और १२ लागू हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कौन सा शासकीय कारण है जिसकी वजह से और बाकी जिलों में यह कानून लागू नहीं किया जाता?

आचार्य जुगल किशोर—स्टाफ नहीं है, इन्स्पेक्टर्स की कमी होने की वजह से वह सब जगह नहीं लागू किया जाता है। जब तक इन्स्पेक्टोरेट न हो तब तक लागू करना व्यर्थ होता है।

श्री गेंदा सिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस तरह के इन्स्पेक्टरों की तालीम के लिये किसी विशेष योग्यता की जरूरत है? अगर हां, तो वैसे इंस्पेक्टर्स तैयार करने के लिये कोई कालेज या ट्रेनिंग स्कूल खोलने का सरकार का विचार है?

आचार्य जुगल किशोर—धन का अभाव है।

श्री गेंदासिंह—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि अगर सारे शहरों में यह ऐक्ट लागू कर दिया जाय तो कितने धन की जरूरत होगी?

आचार्य जुगल किशोर—इसके बारे में मुझे आंकड़े इकट्ठा करना पड़ेगा और यह भी मालूम करना पड़ेगा कि कितने धन की आवश्यकता होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि शेष शहरों में दूकान कर्मचारी कानून लागू करने के संबंध में सरकार ने क्या निश्चय किया है?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब तो हो चुका।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि देवरिया जिले में पडरौना और बरहज म्युनिसिपैलिटी में कब तक यह कानून लागू हो जायगा?

श्री अध्यक्ष—इसका भी जवाब हो चुका।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी कम से कम यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कानून सारे प्रदेश में कब तक लागू हो जायगा?

आचार्य जुगल किशोर—हमारी तो कोशिश है कि वह जल्द से जल्द सब जगह लागू हो जाय लेकिन धनाभाव से इस समय ऐसा करना संभव नहीं मालूम होता।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि यह कानून जिन-जिन जगहों पर लागू है क्या वह वहां कामयाबी के साथ चल रहा है?

आचार्य जुगलकिशोर—जहां तक हमारी इत्तला है वह कामयाबी के साथ चल रहा है, वैसे कुछ न कुछ दोष तो रहते ही हैं, कहीं कहीं इवेजन भी होता ही है, सब जगह अभी इसी कारण से लागू नहीं किया है क्योंकि ऐडमिनिस्ट्रेशन की कुछ दिक्कतें हैं।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि उन्हीं मुकामात पर यह कानून लागू किया जाता है जहां से जनता की मांग आती है ?

आचार्य जुगल किशोर—यह कोई जरूरी नहीं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि क्या वह इस बात पर विचार करेंगे कि यह कानून पडरौना, कठकुइयां, सगड़ी और घोसी वगैरा में भी लागू किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब हो चुका।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन शहरों में यह कानून लागू है वहां उसको लागू करने के लिये कितने इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—मैं उनकी संख्या तो इस वक्त नहीं दे सकता हूं लेकिन मैं इतना जरूर कहता चाहता हूं कि इस साल एक पूल बना है जो इस कानून को भी लागू करने के काम को देखेगा और लेबर फैक्टरीज के काम को भी देखेगा और उसी से दोनों जगह इन्स्पेक्टर भेजे जायेंगे।

गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, फतेहपुर के लिये सरकारी इमारत की आवश्यकता

*३३—श्री अनन्तस्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, फतेहपुर के लिये सरकारी इमारत बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

श्री अनन्त स्वरूप सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि जिस किराये की इमारत में स्कूल चल रहा है वह इमारत स्कूल के लिये बिलकुल ठीक नहीं है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसा कहना तो ठीक नहीं है कि बिलकुल ठीक नहीं है वर्ना उस में इंस्टीट्यूशन कैसे चलता।

*३४—श्री रामचन्द्र विकल—[हटा दिया गया।]

ब्रिटिश इंडियन कारपोरेशन की कूप ऐलन ब्रांच, कानपुर के मजदूरों का शेष बोनस

*३५—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बी० आई० सी० (ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन) की कूपर ऐलन ब्रांच, कानपुर में मजदूरों का कोई बोनस शेष है ? यदि हां, तो कब का और कितना ?

आचार्य जुगल किशोर—जहां तक सरकार को मालूम है ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की कूपर ऐलन ब्रांच को सन् १९५० का अतिरिक्त बोनस तथा १९५४ का बोनस देना है किन्तु चूंकि इन वर्षों का मामला औद्योगिक ट्रिब्यूनल के विचाराधीन है, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि इन वर्षों का बोनस कितना है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मामला औद्योगिक ट्रिब्यूनल के सामने कब से है और कब तक रहेगा ?

आचार्य जुगल किशोर—यह कब तक रहेगा यह कहना तो बड़ा मुश्किल है। कब से है इसके लिये नोटिस दें तो बतला सकता हूं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सही है कि इस बोनस के संबंध में यहां के मजदूरों ने हड़ताल भी की थी ?

आचार्य जुगल किशोर—मुझे तो इस वक्त इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह मुकदमा जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने चल रहा था उसका फैसला हो चुका है?

आचार्य जुगल किशोर—मुझे तो नहीं मालूम है कि उसका फैसला हो चुका है। मैंने जो प्रश्न का उत्तर दिया है उससे मालूम होता है कि फैसला नहीं हुआ है और इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

*३६—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—[७ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*३७-३८—श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—[७ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*३९—श्री नारायणदत्त तिवारी—[७ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

जगदीश शुगर मिल्स, कठकुइयां पर मजदूरों का शेष बोनस

*४०—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या यह सत्य है कि चीनी फैक्टरियों के बोनस की जांच समिति ने यह सिफारिश की थी कि यदि जगदीश शुगर मिल्स लि०, कठकुइयां (देवरिया) के पिछले मैनेजमेंट से सरकार ने रुपया वसूल किया तो उसमें से उस फैक्टरी के मजदूरों को १९५२-५३ सीजन का बोनस दे दिया जायगा ?

आचार्य जुगल किशोर—जी नहीं।

*४१—श्री रामसुभग वर्मा—यदि यह बात सही है, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

आचार्य जुगल किशोर—प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या यह सही है कि जगदीश शुगर मिल्स, कठकुइयां के मजदूरों का बोनस सन् १९५२-५३ का अब तक नहीं मिला है ?

आचार्य जुगल किशोर—ऐसा मालूम पड़ता है कि नहीं मिला है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक उस मिल पर मजदूरों का कितना बोनस बाकी है ?

आचार्य जुगल किशोर—इसके लिये तो मुझे सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या बोनस जांच समिति ने इन जगदीश शुगर मिल्स, कठकुइयां के मजदूरों को जो बोनस नहीं दिया जा रहा है उसके सम्बन्ध में किसी किस्म की कोई सिफारिश की थी ?

आचार्य जुगल किशोर—जांच तो की गई थी लेकिन यह मालूम हुआ कि उनको नुकसान हो रहा है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा में स्त्री शाखा के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का विज्ञापन

*४२---**श्री भगवान सहाय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा में (२५० रु० से ८०० रु० स्केल की) स्त्री शाखा के लिये यू० पी० पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक विज्ञापन अगस्त, सन् १९५४, में नौ जगहों के लिये निकाला था तथा इनका interview भी किया था ?

डाक्टर सीताराम---जी हां, परन्तु वास्तव में वेतन-क्रम २५० रुपये से ८५० रुपये तक है ।

*४३---**श्री भगवान सहाय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन interviews के फलस्वरूप P. S. C. सरकार को कोई सिफारिश की थी ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता है ।

*४४---**श्री भगवान सहाय**---क्या यह बात सही है कि इन्हीं जगहों के लिये P. S. C. ने सन् १९५५ में फिर से विज्ञापन निकाला तथा फिर अपनी सिफारिश सरकार को भेजी ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम---जी हां । कमीशन की सिफारिश केवल एक ही बार प्राप्त हुई । उस पर अभी विचार हो रहा है ।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की तकलीफ फरमायेंगे कि एक दफा पोस्ट्स एडवर्टाइज की गई लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने इन्टरव्यू के बाद फिर दोबारा उनको एडवर्टाइज किया गया साल भर के बाद, इसकी क्या वजह है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसका कारण यह था कि जो योग्यताएं निर्धारित की गई थीं उनमें ट्रेनिंग कालेज के प्रिंसिपल और वाइस-प्रिंसिपल की दरख्वास्तें कमीशन ने लेने से इंकार कर दिया था बावजूद इसके कि वे एम० ए० हैं । ये योग्यताएं निर्धारित थीं:---

(1) First or second class post graduate degree.
(2) L. T. Diploma of the Education department or a Degree or Diploma in Education of a recognized University.
(3) At least three years, experience as Head of a Higher Secondary School or as assistant mistress of an Inter College.

जब ट्रेनिंग कालेज की महिलाओं ने एप्लाई किया तो कमीशन ने यह कह कर चूंकि इंटरमीडियेट कालेज की हेडमिस्ट्रेस का जिक्र है, उनकी दरख्वास्तों को नहीं लिया । शासन को जब यह मालूम हुआ तो उसने कमीशन को लिखा कि ट्रेनिंग कालेज की जो मिस्ट्रेसेज हैं जो इन क्वालिफिकेशन को पूरा करती हैं उनकी दरख्वास्तों को लेकर उनको भी कंसीडर किया जाय । इस लिये देरी हुई ।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो ९ जगहें हैं उनके लिये सरकार आफिशियेटिंग अरेंजमेन्ट क्या कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---मैंने पहले ही कह दिया है कि वह लिस्ट आ गई है । उस पर शायद विचार हो रहा है या विचार हो गया होगा और उनकी पोस्टिंग होगई होगी । अब तक जो नेक्स्ट लोग होते होंगे वे आफिशियेट करते होंगे जब तक कि पब्लिक सर्विस कमीशन से रिकमेंडेशन न आ जायं ।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने इंटरव्यू कब हुआ और उनकी सिफारिश सरकार के सामने कब आई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—कमीशन ने अपना शासकीय नोट १९ मई, १९५५, को भेजा है। किस रोज कमीशन ने इंटरव्यू किया यह इसमें नहीं है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशों पर सरकार कब तक कार्यवाही कर देगी निश्चित रूप से ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वह आ गई है। उनका एप्वाइंटमेंट भी गवर्नमेंट ने एप्रूव कर दिया है लेकिन उनके एंटिसिडेंट्स के बारे में जो इन्क्वायरी होती है वह की जा रही है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने कैंडिडेट्स का एप्रूवल कमीशन ने भेजा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—पब्लिक सर्विस कमीशन से ९ जगहों के लिये कहा गया था और उन्होंने ९ जगहों के लिये भेजे हैं। कितने नाम भेजे हैं यह शायद बतलाना ठीक न होगा।

राज्य के आदिवासी

*४५—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आदिवासी उत्तर प्रदेश में किन-किन जिलों में पाये जाते हैं और उनकी जातियां क्या हैं ?

डाक्टर सीताराम—सदस्य महोदय ने जो सूचना मांगी है वह ५१ जिलों में से मंगानी पड़ेगी। कुछ जिलों से सूचना आ गई है और कुछ से एकत्रित की जा रही है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन जिलों से सूचना आ गई है ?

डाक्टर सीताराम—२८ जिले हैं। रामपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, हमीरपुर, बादां, मिर्जापुर, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, अल्मोड़ा, लखनऊ, राय बरेली, सीतापुर, हरदोई, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, झांसी, पीलीभीत, गोरखपुर, खीरी, बदायूं और गढ़वाल।

श्री बाबूनन्दन—जिन जिलों से सूचना नहीं आई है उसको कब तक मंगाने की माननीय मंत्री कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—सूचना मंगाई गई है और उम्मीद है कि शीघ्रातिशीघ्र वह आ जायगी।

अतारांकित प्रश्न

ननीताल हरिजन उद्योगशाला के कर्मचारी

१—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल हरिजन उद्योगशाला में कौन-कौन से कर्मचारी, किस-किस वर्ग के हैं, उनकी शिक्षा की योग्यता तथा उनका वेतन क्या-क्या है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—नैनीताल उद्योगशाला के कर्मचारियों का विवरण संलग्न पत्र में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४९९–५०० पर।)

अधिवेशन के कार्य-क्रम के सम्बन्ध में पूंछतांछ

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर हैं। क्या मैं आपके जरिये यह पूछ सकता हूं कि हमारा जो अधिवेशन है इसका क्या प्रोग्राम होने वाला है। आज नहीं तो सोमवार तक बतला सकते हैं कि कब तक हम बैठेंगे ताकि आगे के हमारे प्रोग्राम उसी के मुताबिक बन सकेंगे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, ज्यादा व्योरे के साथ मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो बिजिनेस हमारे सामने है उससे अनुमान होता है कि कम से कम १९, २० अक्तूबर तक हम जरूर बैठेंगे।

बनारस में मलमास सम्बन्धी नाव दुर्घटना के सम्बन्ध में पूंछतांछ

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बनारस में इस समय मलमास के सिलसिले में काफी भीड़ है और वहां नाव दुर्घटना हुई है। कई जानें गईं और लाशें अभी भी मिल रही हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई आफिशियल रिपोर्ट है कि कितनी जानें गईं और वहां क्या प्रबन्ध हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में आज तो मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा लेकिन अगर मुख्य मंत्री जी कुछ सदन को मालूमात देना चाहते हैं तो वह सोमवार के रोज दें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी, अच्छा।

प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन में प्राप्त नाम-निर्देशन–पत्र

श्री अध्यक्ष—प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड के ५ सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति के लिये ६ सितम्बर, १९५५ के सायंकाल ४ बजे तक का जो समय नियत किया गया था उसके अंदर निम्नलिखित सदस्यों के पक्ष में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे :—

१—डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी	कानपुर
२—श्री श्री नाथ भार्गव	मथुरा
३—श्री धर्मदत्त वैद्य	बरेली
४—श्री हबीबुर्रहमान	आजमगढ़
५—श्री सालिग राम जायसवाल	इलाहाबाद
६—श्री व्रजभूषण मिश्र	मिर्जापुर

श्री व्रजभूषण मिश्र का नामांकन पत्र अनियमित पाया गया और वह रद्द कर दिया गया।

यदि शेष ५ नामों में से कोई नाम १२ सितम्बर तक वापस न लिया गया तो इन अभ्यर्थियों को विधिवत निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा।

कानपुर में एल्गिन मिल्स की तालाबंदी के संबंध में श्रम मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—माननीय श्रम मंत्री जी ने कल यह विचार प्रगट किया था कि वे अपना एक वक्तव्य कानपुर के प्लेआफ के संबंध में देंगे। तो आज कृपा कर के अगर वह तैयार हों तो अपना वक्तव्य दें।

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—जी हां, मैंने एक वक्तव्य तैयार किया है और उसे आपकी आज्ञानुसार पढ़े देता हूं।

मेसर्स एल्गिन मिल्स कं० लि०, कानपुर के प्रबन्धकों ने हड़ताल के काल में अपने तिरासल विभाग का अभिनवीकरण कर दिया था। हड़ताल के पूर्व एक पाली में १२९ डौफर कार्य करते थे जबकि अभिनवीकरण की योजना को लागू करने के उपरान्त केवल १०० डौफरों की आवश्यकता रह गई थी।

हड़ताल के उपरान्त १२८ हड़ताली डौफर कार्य पर आये जिनमें से कुछ को विभागों में समान कार्य दिया गया तथा कुछ को डौफर ब्वाय का कार्य दिया गया जो कि इनके पहले काम से मिलता जुलता था। सूती मिल मजदूर सभा के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया तथा श्रमिकों ने नियमित और सुचारु रूप से कार्य करना बन्द कर दिया, जिसके फलस्वरूप प्रबन्धकों ने ९८ श्रमिकों (डौफरों) को २५ अगस्त, ५५ को मुअत्तिल कर दिया।

श्रम विभाग के अधिकारियों के हस्तक्षेप करने पर मुअत्तिली दूसरे दिन समाप्त कर दी गई और मजदूर सभा के प्रतिनिधियों ने इस विवाद को श्रम कमिश्नर के निर्णय पर छोड़ देने का निश्चय किया। तदुपरान्त श्रमिकों ने अपना कार्य सुचारु रूप से करना प्रारम्भ कर दिया।

फलतः सर्वश्री संतसिंह युसुफ, सभापति सूती मिल मजदूर सभा, हरीश तिवारी, कोषाध्यक्ष तथा अमूल्य रत्न तिवारी, सभा के प्रधान मंत्री श्रम कमिश्नर से २६-८-५५ को मिले और मिल मालिकों के इस सुझाव को स्वीकार किया कि यदि अभिनवीकरण किये गये फ्रेमों की संख्या में लगभग एक-चौथाई की कमी कर दी जाये तो समस्या हल हो जायेगी, परन्तु साथ ही साथ उन्होंने यह प्रार्थना की कि इस हल को कार्य रूप में उस समय परिणित किया जाय जब कि श्रमिकों से वे बात कर लें। इसके बाद स्मरण दिलाने पर भी उन्होंने श्रमिकों से अपने बातचीत की कोई सूचना श्रम कमिश्नर को नहीं दी। उनकी इस खामोशी के कारण यह समझौता अभी तक कार्यरूप में परिणित नहीं किया जा सका। प्रबन्धक इसको अब भी कार्यरूप में लाने को तैयार हैं।

दिनांक ५ सितम्बर, ५५ को एकाएक पहली पाली के डौफरों ने अपना नियमित पूरा कार्य करने से इनकार कर दिया जिससे कि सब रिंग फ्रे धीरे धीरे बन्द हो गये क्योंकि तिरासल विभाग से आगे सूत जाना रुक गया और उसके पीछे के विभागों में माल जमा हो गया। सूती मिल मजदूर सभा की कार्यकारिणी के एक प्रतिनिधि श्री श्यामलाल जो कि उसी मिल के श्रमिक हैं के समझाने पर भी श्रमिक कार्य पुनः शुरू करने को राजी नहीं हुये। पाली के खतम हो जाने के बाद उस दिन मिल के अन्दर अधिकतर डौफर रुक गये और रात्रि की पाली के श्रमिकों को भी काम करने से मना किया। रीजनल कंसीलियेशन अफसर के समझाने पर भी श्रमिकों ने कोई ध्यान न दिया और बराबर काम करने से इन्कार किया। दूसरे दिन भी डौफरों ने कार्य नहीं किया जिसके फल स्वरूप दूसरे विभागों में भी कार्य रुका रहा। सर्वश्री सन्त सिंह यूसुफ तथा हरीश तिवारी ने प्रबन्धकों से यह इच्छा प्रगट की कि यदि उनको मिल के अन्दर जाकर श्रमिकों से सम्पर्क का अवसर दिया जाय तो वे श्रमिकों को समझा बुझा कर काम चालू करा देंगे। प्रबन्धकों ने इसे स्वीकार कर लिया और वे रात्रि के दस बजे तक श्रमिकों से बात करते रहे लेकिन श्रमिक मजदूर सभा के इन प्रतिनिधियों की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि उन्हें और समय दिया जाय तो वे दोबारा प्रयत्न करें। फल

स्वरूप ७-९-५५ को भी प्रातःकाल सर्वश्री हरीश तिवारी, राम आसरे और मकबूल अहमद खां ने मजदूर सभा की ओर से मिल के अन्दर जाकर श्रमिकों को समझाया कि उनका यह कार्य अनुचित है और उन्हें ठीक से अपना कार्य आरम्भ कर देना चाहिये। परन्तु श्रमिकों ने इस बार भी मजदूर सभा के प्रतिनिधियों की सलाह नहीं मानी। मिल के प्रायः कुछ विभागों में काम ६ तारीख के सुबह से ही बन्द हो गया था, फिर भी प्रबन्धकों ने मिल खुली रख कर श्रमिकों को बिना कोई काम किये वेतन दिया कि शायद इन नेताओं के समझाने से वे मान जायं और काम शुरू हो जाय परन्तु यह आशा पूरी नहीं हुई। ऐसी दशा में मिल के प्रबन्धकों को श्रमिकों की बैठकी कर देने के लिये विवश होना पड़ा।

मिल के अन्दर बैठकी के समय लगभग १,५०० मजदूर रुक गये थे। इनमें से ८०० मजदूर अब भी बैठे हुये हैं और बाहर जाने से इनकार करते हैं। श्रमिकों का यह कार्य स्पष्टतः अवैध है और किसी भी भांति जनहित के अनुकूल नहीं है। जिन विभागों में इस हड़ताल के बावजूद भी काम है वहां के लगभग ५८५ श्रमिकों ने कल भी अपना काम किया। यदि शीघ्र ही यह हड़ताल वापस नहीं ली गयी तो इन ५८५ श्रमिकों को भी शायद बैठकी पर आना पड़े।

इस मिल की तीनों पालियों में ५,४३७ मजदूर हैं जिनमें से ३०० डौफर हड़ताल पर हैं और करीब ४,५५२ कारीगर इस हड़ताल के कारण अब तक बैठकी पर भेज दिये गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं, श्रीमन्, कि यह प्ले आफ जो हुआ है यह हमारे श्रम विभाग की रजामन्दी से हुआ है या नहीं।

आचार्य जुगुल किशोर—मैं समझता हूं कि प्ले आफ करने से पहले लेबर कमिश्नर से जरूर पूछ लेते हैं कि ऐसी हालत में हम क्या करें। इसलिये मैं समझता हूं कि उनसे पूछ करके ही किया गया होगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री नारायण दत्त तिवारी के उठने पर) अब इसके लिये ज्यादा समय नहीं है। आप बाद में इन्फार्मेशन ले लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—नहीं। आप बाद में मंत्री जी के दफ्तर से पूछ सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं, श्रीमन्, वह यह कि जिस तरह से लोक सभा में एक व्यवस्था है कि जो स्टेटमेंट कोई एडजोर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में मिनिस्टर देता है तो वहां के नियम के अनुसार जानकारी के लिये सवाल हो सकते हैं। यह विचार भी हमारे यहां की रूल्स कमेटी के सामने है कि क्या इस प्रकार की व्यवस्था की जाय जिसमें मिनिस्टर अपनी ओर से स्टेटमेंट दे सके और मेम्बरान उस पर छोटे क्वेश्चन कर सकें। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब तक रूल्स कमेटी की पूरी सिफारिशें न आ जायं तब तक इस सम्बन्ध में अगर मैं आपको एक नियम दूं तो आप हाउस की राय लेने की कृपा करें ताकि मिनिस्टर्स जो स्टेटमेंट्स दें तो हम लोग उस पर सवाल पूछ सकें।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप मेरे कमरे में आ जायं और मुझसे इस बारे में चर्चा पहले कर लें तो उचित होगा।

गोवंश के वध पर अन्तरिम प्रतिबंध लगाने के संबंध में संकल्प—(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—अब श्री रणंजय सिंह के संकल्प पर जो २६ अगस्त, १९५५, को उपस्थित किया जा चुका है, विवाद जारी होगा।

---

†२६ अगस्त १९५५ की कार्यवाही से क्रमागत।

[श्री अध्यक्ष]

लेकिन इसके साथ-साथ मैं सदन से यह पूछना चाहता हूं क्योंकि और भी बहुत से प्रस्ताव हैं और खास तौर से श्री रणंजय सिंह के इस प्रस्ताव में अधिनियम बनाने का जो कार्य था वह आधा समाप्त हो गया। कम से कम इस सदन से जो सम्बन्ध था उतना तो कार्य हो गया है। तो क्या इसे आप जारी रखना चाहते हैं, इस प्रस्ताव को ?

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहता हूं कि इसमें कई ऐसे प्रश्न हैं कि थोड़ा और विचार हो जाय तो अधिक अच्छा होगा क्योंकि इसमें अन्तरिम प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में कोई आवश्यकता है या नहीं है, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है.....।

श्रीमन्, प्रार्थना है कि जरा शान्ति रहनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—जरा कृपा करके आप लोग शान्त रहें क्योंकि आपस में बहुत बातें हो रही हैं और जोर से हो रही हैं। मैं समझता हूं कि शान्ति सदन में रखना लाजिमी है।

श्री रणंजय सिंह—मेरी प्रार्थना है कि इसके लिये कुछ समय मिल जाय तो थोड़ा विचार हो जाय। अगर सदन चाहता है तो यह समाप्त कर दिया जायगा अन्यथा थोड़ी देर चलने दिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, काफी विचार पिछले मर्तबा इस पर हो भी चुका है और इसके बाद विधेयक भी पास हो चुका है जैसा आपने स्वयं भी कहा कि आधे से ज्यादा काम पूरा हो गया। तो जब तक अन्तरिम कानून बनेगा उसी में न जाने कितना समय लग जायगा और तब तक यह कानून भी बन कर तैयार हो जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि सदन का समय अगले विधेयक पर जो माननीय सदस्य का ही है डालडावाला, उस पर लगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—तो आपका वापस लेने का इरादा नहीं है ?

श्री रणंजय सिंह—थोड़ा विचार हो जाय, श्रीमन्, तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—माननीय नागेश्वर द्विवेदी भाषण दे रहे थे। लेकिन यह मैं कहूंगा कि भाषण अब सीमित रहेगा अन्तरिम कार्यवाही पर क्योंकि विधेयक बन चुका है और उस पर अब बहस नहीं होगी।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब यह संकल्प प्रस्तुत हुआ था उस समय अपना विचार इस पर प्रगट कर रहा था लेकिन आज की स्थिति में कुछ परिवर्तन हो गया है। जब यह संकल्प प्रस्तुत किया गया था उस समय हमारे सदन के सामने विधेयक आ चुका था लेकिन पारित नहीं हुआ था। कल यह विधेयक पारित हो गया। तो ऐसी हालत में अब उतनी आवश्यकता को जैसा आपने स्वयं स्वीकार किया है नहीं रह गई थी कि यह संकल्प पारित किया जाता। इसका जो दूसरा अंश है और जिस पर हो सकता है लोगों में मतभेद भी हो, उस पर विचार करना आवश्यक है। विधेयक पारित हो गया, अभी यह कौंसिल में जायगा। फिर वहां से आने के बाद हस्ताक्षर करने में, इसकी स्वीकृति लेने में काफी समय लग सकता है। हो सकता है कि इस बीच में कुछ कानूनी अड़चनें भी आ जायं जिसकी वजह से कुछ और वक्त लग जाय और ऐसी हालत में जबकि हम सभी लोग इस सदन में स्वीकार कर चुके हैं और एक मत से गोसंवर्द्धन जांच समिति ने इसके महत्व को माना है और ऐसे कानून का बनाना आवश्यक समझा है तो इस सम्बन्ध में हम जितनी जल्दी कोई प्रतिबन्ध लगा सकें उतना ही अच्छा है। इसलिए इस संकल्प के दूसरे भाग में जहां पर यहतो कहा गया है कि न्तरिम काल के लिएव्यवस्था कर दी जाय, तुरन्त व्यवथा कर दी जाय, तो यह आवश्यक हो गया है कि ऐसी व्यवस्था की जाय। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी

कह रहे हैं कि यह कैसे किया जाय, इसको भी बतलाया जाय। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर उपाय सोचेंगे तो खुद निकाल लेंगे। उसके लिए किसी दूसरे को सहायता देने की आवश्यकता नहीं रहती है।

श्री अध्यक्ष—क्या आपका सुझाव है कि पुलिस मन्त्री की सहायता लेकर काम करें?

श्री नागेश्वर द्विवेदी—इस सम्बन्ध में अगर कोई रास्ता निकल सकता हो, कुछ कर सकते हों, तो करें, यदि नहीं कर सकते हों, तो जिस तरह से चल रहे हैं, उसी तरह से चलेंगे। फिर इस संकल्प के पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं। और मैं माननीय रणंजय सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि इसको वह वापस ले लेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रणंजय सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिस समय गोवध निवारण का प्रश्न इस विधान सभा में मैंने उपस्थित किया था तब से आज तक इतने वर्ष व्यतीत हुए। सरकार ने भी आश्वासन दिया, गोसंवर्धन जांच समिति स्थापित हुई, ३२ सहस्र रुपया उसमें लगा और उसका प्रतिवेदन आया। राज्यपाल महोदय ने भी यहां पर आकर अपने संबोधन में घोषणा की कि अब शीघ्र उस प्रतिवेदन के अनुरूप यहां पर एक विधेयक ले आया जायगा। विधेयक आया, वह पारित हो गया और इससे पहले मैंने उस दिन, २६ अगस्त को यह निवेदन किया था कि मैं चाहता हूं कि मेरा संकल्प है, यह पहले का है, विधेयक तो आ गया है लेकिन इस पर भी विचार करना आवश्यक है। यदि अन्तरिम प्रतिबन्ध लग सकता हो तो अवश्य ही लगे। न मालूम अभी कितने महीने और लग जायं, इसलिए मैंने इसको उपस्थित करना आवश्यक समझा। आश्चर्य यह हो रहा है कि जब विधेयक यहां पर रखा गया तो दो तीन दिन इधर से और उधर से बहुत सी बातें कही गयीं और पारित हुआ, लेकिन अब इस प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन में शान्ति भी नहीं दिखलाई पड़ रही है कि इसको माना जाय या न माना जाय। मैं श्रीमन् जी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदा निष्पक्ष भाव से जो उचित जान पड़ता है मैं उसके अनुसार अपने विचार रखने का प्रयत्न करता हूं, किसी दलबन्दी से प्रेरित होकर नहीं रखता। इसलिए मैंने सदन का समय लेना आवश्यक समझा था कि उस दिन बहुत सी बातें कही गयीं, उनका उत्तर न दूं और चुपचाप बैठ जाउं तो उचित नहीं मालूम होता, लेकिन इतना सुनने के लिए इस समय यहां बड़ी अशान्ति हो रही है मुझे सन्देह है कि इस लाउड स्पीकर के होते हुए भी मैं अपनी बात माननीय सदस्यों को सुना सकूं।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य जरा शान्ति कायम रखें।

श्री रणंजय सिंह—मैं कोई और बात नहीं करूंगा। मैं तो एक प्रार्थना कर रहा हूं। क्योंकि अभी यह विधेयक जो यहां पर स्वीकार हुआ है वह परिषद् में जायगा। परिषद् के बाद स्वीकृति के लिए जायगा, इसमें कुछ समय लगेगा। इसके लिए यदि कोई उपाय निकल सके तो अच्छा है। मैंने उस दिन कृषि मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि म्युनिसिपल बोर्ड हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, जहां प्रतिबन्ध न लगा हो वहां आदेश भेज दिया जाय कि ऐसा हमने निर्णय किया है और ऐसा पहले भी गोसंवर्द्धन जांच समिति का प्रतिवेदन भी प्रकाशित हुआ है जिसमें सरकार से प्रार्थना की थी कि जितने अवैध वधालय हैं, जो इल्लीगल चल रहे हैं उनको तो तत्काल ही गोवंश

[श्री रणंजय सिंह]

की रक्षा के लिए बन्द करने के आदेश निकाल दिये जायं। गो वंश की रक्षा के लिए यहां पर विधेयक पारित करके प्रेम सब ने दिखलाया, अब अंतरिम प्रतिबन्ध के लिए भी यदि उचित हो और रास्ता निकल सके, कोई उपाय निकल सके तो मेरी प्रार्थना है कि यह अवश्य लगना चाहिये, और अगर वास्तव में विवशता है तो फिर कोई बात ही नहीं है।

कुछ बातें इस सदन में इस संकल्प के सम्बन्ध में कही गयीं, उनसे भी मैं आश्चर्य-चकित हो रहा हूं। एक तो यहां पर एक बेगम साहिबा थीं, उनका नाम याद नहीं। उन्होंने जो कहा, उसके लिए मुझे दुःख है। कोई मजहबी बात इसमें नहीं है। गोवध बन्द किया जाता है तो वह प्रतिबन्ध किसी को दुःख देने के लिए या सताने के लिए नहीं बल्कि जो सतायी जाती हैं उनके हित में है और उनके वध को रोका जाता है। उन्होंने बड़े उत्तेजनापूर्ण शब्द कहे। यही नहीं कि वह स्वयं उत्तेजित हुई हों, बल्कि अन्य लोगों को भी उत्तेजित कर रही थीं। तो यहां पर यह प्रश्न इसी लिए उठाया गया है कि कृषि एवं जन-स्वास्थ्य के लिए यह परम आवश्यक है। सरकार ने भी आर्थिक दृष्टि से इस पर विचार करके विधेयक पेश किया था। लेकिन गोरक्षा का प्रश्न आने पर इस कृषि प्रधान देश में इतनी उत्तेजना उत्पन्न करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न अब सामने रहा नहीं। उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। अन्तरिम कार्यवाही के लिये सवाल आप कर सकते हैं और कुछ नहीं। यह तो विधेयक सम्बन्धी बहस आप दोहरा रहे हैं। जब विधेयक पास हो चुका तो उसमें सब बहसें हो गईं।

श्री रणंजय सिंह—श्रीमन्, मेरा अभिप्राय केवल इतना था कि सन् १९१९ में जब अमृतसर में मुस्लिम लीग का उत्सव हुआ था तब यह प्रस्ताव पास हो गया था कि गोवध बन्द होना चाहिये। इसमें कोई मजहबी बात नहीं है। गोरक्षा के सम्बन्ध में तो कोई मतभेद नहीं है, विधेयक भी बन गया है। यह मैं मानता हूं कि जब बिल केवल प्रस्तुत ही नहीं हुआ है अपितु इस माननीय सदन में स्वीकृत भी हो चुका है तो अध्यादेश इसके लिये बन नहीं सकता है किन्तु सरकार बहुत से अपने इस तरह के आदेश निकालती है कि यह मन्शा है उसकी, तो यदि इस सम्बन्ध में भी वह ऐसा कोई आदेश निकाल सके तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी क्योंकि यह मानी हुई बात है कि यहां से विधेयक पास हुआ है, अभी वह परिषद् में जायगा, वहां सम्भव है कि कोई ऐसा संशोधन स्वीकार हो जाय जिसके कारण उसे यहां फिर आना पड़े और फिर यहां विचार हो और फिर स्वीकृति के लिये जाय तो उसमें भी काफी समय लग जायगा। तो इस तरह से काफी समय लग सकता है क्योंकि सन् ५२ में उठाया गया प्रश्न ५५ में येनकेन प्रकारेण पूरा हुआ, लगभग पौने तीन वर्ष लग गये। और यदि गोवध पर अन्तरिम प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायगा तो तब तक हमारे कितने ही अच्छे-अच्छे सांड़, अच्छी-अच्छी गायें, अच्छे अच्छे बछड़े मार डाले जायंगे। अतः मेरी यही प्रार्थना है कि इस बात पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिये। यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जैसे कल माननीय शाहिद फाख़री ने कहा कि हंसी दिल्लगी हो रही है। ठीक है जब खुशी होती है तो हंसी आती ही है। गो रक्षा का प्रश्न बहुत ही गम्भीर है और ऐसे गम्भीर प्रश्न पर विचार करने के लिये समय भी न निकाला जाय तो बड़े आश्चर्य की बात है। इस पर कोई बहुत दलीलें देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह मानी हुई बात है कि अभी अधिनियम बनने में कुछ समय लगेगा और उसके बाद अधिनियम लागू होने में भी कुछ समय लगेगा तो उस बीच के लिये यदि कोई उपाय हो सके तो बहुत अच्छा हो।

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संकल्प के प्रथम भाग का जहां तक सम्बन्ध है वह तो काम पूरा हो चुका। यह कहा गया था कि गो संवर्धन समिति की जो रिपोर्ट है उस पर जल्द अज जल्द विचार करके एक विधेयक बना दिया जाय। उसकी तामील इस सदन के सामने हो चुकी। दूसरा हिस्सा इस संकल्प का है कि जब तक वह कानून लागू न हो तब तक कोई ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाय कि गायों का वध होना बन्द हो जाय। मैंने इस सम्बन्ध में जितने महानुभावों ने इसकी ताईद में तकरीरें कीं, उनके समझने की कोशिश की और मेरी यह आशा थी और खास कर प्रस्तावक महोदय से मुझे पूर्ण आशा थी कि वह कोई ऐसा सुझाव देंगे कि किस तरह से अन्तरिम आदेश जारी किये जायं जिससे कि गोवध में रुकावट पैदा कर दी जाय। लेकिन मेरी आशा बिल्कुल आशा ही रह गयी और किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया। मैंने खुद, जब से यह प्रस्ताव इस सदन के सामने आया और गत तिथि पर जब इस पर बहस मुबाहिसा हो रहा था उसके बाद भी, इस सम्बन्ध में कोई रास्ता निकालने की चेष्टा की कि कोई ऐसा कानून या सहारा निकाला जाय कि उसके आधार पर कोई आर्डर जारी कर सकें लेकिन मुझे न तो कोई मिला और न प्रस्तावक महोदय ने ही बतलाया। उन्होंने अगर और मगर लगाकर मुझे सलाह दी, कि सम्भव हो तो हो न हो तो न हो, इससे काम नहीं चल सकता है। दो तरीके हो सकते हैं कि या तो आर्डिनेंस जारी किया जाय या फिर कानून बनाया जाय, तब कहीं जाकर ऐसे आर्डर्स जारी किये जा सकते हैं, क्योंकि हमारा सदन सेशन में है इसलिये आर्डिनेंस जारी किया नहीं जा सकता है, आर्डिनेंस जारी करना कायदे के खिलाफ बात होगी। अब बात रही यह कि दूसरा ऐसा कोई कानून नहीं है और न मैं पा सका और न हमारे माननीय दोस्त ने बतलाया।

हमारे सामने एक ही चारा है कि दूसरा विधेयक ले आयें टेम्पोरेरी इस हद तक रोक करने के लिये कि जब तक कल वाला कानून लागू न हो जाय तब तक ऐसा विधेयक बना कर सदन के सामने रखें और श्री जोरावर वर्मा कह दें कि इसे प्रवर समिति के सामने रख दिया जाय या और सज्जन कहें कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय और हर क्लाज पर बहस होगी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संशोधन आयेंगे तो बहुत समय लगेगा और फिर वह भी असेंट के लिये जायगा और सम्भव है कि इसमें अड़चन हो। तो हम समझते हैं कि इससे हमारा मतलब पूरा नहीं हो सकता है और कम से कम मैं पूरा नहीं कर सकता हूं क्योंकि कानून के बिना मैं कोई हुक्म जारी कर दूं तो इसकी न तो सदन ही इजाजत देगा और न कुंवर साहब ही इसकी इजाजत देना पसन्द करेंगे और न कोई माननीय सदस्य मुझसे ऐसी बात कराने के लिये तैयार होंगे जो नियम के विरुद्ध हो। लिहाजा मैं समझता हूं कि अब यह प्रस्ताव बेकार हो गया। जब नोटिस दिया गया था उस समय यह बाकार था लेकिन कल के बाद बेकार साबित हो गया और दूसरा हिस्सा तो इसका पहले से ही बेकार था लेकिन जो इसका काम था, जो कुंवर साहब का काम था वह पूरा हो चुका है। अब मैं समझता हूं कि इसमें कोई अर्थ नहीं रहा और न रस ही रहा और अगर वह मुनासिब समझें तो वापस लें, अगर वापस नहीं लें तो मैं इसकी मुखालफत करता हूं।

श्री रणंजय सिंह—श्रीमान् जी, अगर विवशता है तो वापस ही लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संकल्प वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।)

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि "डाल्डा" के स्थान पर "वनस्पति घृत" कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप अपने प्रस्ताव को बदल कर पढ़ दीजिये।

श्री रणंजय सिंह—श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि "वनस्पति घृत" से वास्तविक घृत का भ्रम होता है और वनस्पति घृत स्वास्थ्य के लिये वास्तविक घृत के समान गुणकारी नहीं है, अपितु वह हानिकारक है। अतः जब तक वनस्पति घृत का रंग न बदल दिया जाय, समस्त राज्य में वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।"

श्रीमान् जी,....

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य) अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना है...

श्री अध्यक्ष—आपको वैधानिक आपत्ति है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां, आपके नोटिस में मुझे इस चीज को लाना है कि ऐसे प्रस्ताव जब सदन के सामने प्रस्तुत होते हैं तो उसकी बाकायदा सूचना विभाग को देनी चाहिये ताकि विभाग उसके अनुसार तैयार हो सके। इसकी कोई सूचना अभी तक हमको नहीं है। इसलिये मैं इस चीज को आपके नोटिस में लाना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—मुझे तो यह सूचना मिली है कि यह सूचना कल सरकार को भेज दी गयी थी। साथ ही यह भी मुझको बतलाया गया है कि इस प्रस्ताव पर सरकार ने विचार भी कर लिया है।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—वाक़या तो यह है कि आज एजेन्डे पर जितने रेज्योलूशन्स रखे हुये हैं इनमें किसी पर भी गवर्नमेंट को विचार करने का मौका इसलिये नहीं मिला कि यह गवर्नमेंट के इल्म में नहीं आया, मिन्जुमला इसके कि किसी डिपार्टमेंट के पास इत्तिला पहुंची हो उसकी बाबत में नहीं कह सकता। लेकिन तरीका जो है वह यह है कि जब यहां से कोई रेज़ोल्यूशन किसी डिपार्टमेंट के पास पहुंचता है तो वह उसको कैबिनेट में भेज देता है और कैबिनेट उसके ऊपर विचार करके यह फैसला करती है कि इस रेज्योलूशन के मुताल्लिक गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जाय, आया उस पर बहस की जाय या उसकी मुखालिफत की जाय। इसलिये कोई राय इनके मुताल्लिक कायम नहीं हो सकी है। बहरहाल, यह रेज्योल्यूशन पेश हो गया है तो इसके ऊपर बहस हो जाय। गवर्नमेंट को कोई ऐतराज नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से जो जवाब देना होगा वह दे दिया जायगा। मेरे दोस्त अगर इसको मंजूर करते हैं तो इसके ऊपर बहस हो जाय और गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर जवाब दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—इसमें देर अवश्य हुई। मेरे दफ्तर से कल यह सब प्रस्ताव भेजे गये क्योंकि वे छप कर नहीं आये थे और कुछ कानूनी राय लेने में भी दिन लगे। इसलिये जब वे कल शाम को छप कर आये तो भेजे गये। इस कारण सरकार को उन पर विचार करने का मौका नहीं मिला। लेकिन सरकार को इस प्रस्ताव के उपस्थित करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो अब इसके ऊपर बहस जारी रहे।

श्री रणंजय सिंह—श्रीमान् जी को धन्यवाद है। मैं यहां पर वनस्पति घी के सम्बन्ध में यह संकल्प लाया हूं। इससे असली घी का भ्रम होता है। इससे मेरा अभिप्राय यह है कि हमारे देश में जब हम देखते हैं कि नवयुवकों के लिये बड़े-बड़े आन्दोलन होते हैं। जब हम इस बात को चाहते हैं कि हमारे यहां के नवयुवक बलवान हों, वीर हों और देशभक्त हों और उनके लिये नाना प्रकार की बात कही जाती है, किन्तु उधर कुछ सिनेमाघरों में अश्लील चित्र इस प्रकार के दिखाये जाते हैं जिससे नवयुवकों के चरित्र पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह से डालडा के लिये प्रचार किया जा रहा है जो हमारे नवयुवकों के लिये स्वास्थ्यनाशक हो रहा है। जब हम इस बात को इस वीर भूमि में देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। हमारे यहां नवयुवकों को हृष्ट-पुष्ट होना चाहिये और उनका स्वास्थ्य सुन्दर होना चाहिये जो उनके चेहरों को देखने से यह मालूम हो कि यह वीरों की सन्तान हैं। भीम और अर्जुन जैसी सन्तान यहां पर होनी चाहिये। हमारे यहां हनुमान जैसे वीर बलिष्ठ हो चुके हैं। आज हमको इस तरह की सन्तान दिखायी पड़ती है कि जिनकी आंखें अन्दर को धंसी हुई हैं और गाल पिचके हुये हैं। इसीलिये इस प्रस्ताव को लाया गया है कि सरकार इसके लिये कोई उपाय करे। पहले यहां पर डालडा का प्रचार नहीं था और तब यहां पर घी और तेल शुद्ध मिलते थे और शुद्ध घी खाकर लोग पलते थे, लेकिन आज तो डालडा वाले स्थान-स्थान पर प्रचार करने के लिये पहुंच गये हैं और दौड़-दौड़ कर बतलाते हैं कि यह बहुत लाभकारी है और उससे भी लाभकर है और उससे भी यह सुन्दर है। देश भर में इसका प्रचार किया जा रहा है। देखने से यह जान पड़ता है कि यह कोई नई वस्तु है और अब से पहले कभी नहीं देखी गयी और इसको उन्होंने अपूर्व वस्तु बना दिया है। जो पहले संसार में नहीं थी। दुनिया में एटम बम बनाया गया और हाइड्रोजन बम बनाया गया, लेकिन यह उससे भी अपूर्व चीज है जो अब बनायी गयी है...

श्री अध्यक्ष—मैं देखता हूं कि अब भी सदन में काफी आवाज़ आ रही है। माननीय सदस्य थोड़ा शान्त रहें तो अच्छा है।

श्री रणंजय सिंह—कहने के लिये तो बड़ी दुनिया भर की बातें कही जाती हैं परन्तु वास्तविकता की बातें सुनाने के लिये शान्ति भी नहीं मिलती है। हमारा भोजन सात्विक होना चाहिये। अब यह भी कहा जाता है कि नकली चावल और दूध इत्यादि सब बनेंगे तो इस नक़लबाजी को दूर करने की आवश्यकता है। तमाम देश और प्रदेश के सुधार के लिये बड़ी-बड़ी योजनायें बन रही हैं। किन्तु भविष्य के चरित्र के सुधार के लिये और हमारे नवयुवकों को उत्थान की ओर ले जाने के लिये कोई वैसी योजना नहीं है। मनुष्य के पास पैसा हो और पैसे के पीछे कितनी बरबादी और खून होते हैं। पैसे के लिये लोग वनस्पति घी बना कर दूसरों को खिलाते हैं। अब तो गांवों में भी यह चीज जारी हो गई है। सब से अधिक प्रचार डालडा का या वनस्पति तैल का हो रहा है और उसे बन्द करना चाहिये। मैं बाहर भी इसके खिलाफ प्रचार चाहता हूं। मैं इसका व्यापार नहीं करता हूं और न मैं शुद्ध घी का ही व्यापार करता हूं। अगर इसके लिये रंग बना दें तो किसी को धोखा तो नहीं लगेगा। किसी भोजनालय में आप जाइये वहां सिवाय डालडा के और कुछ अर्थात् देशी शुद्ध घृत मिलेगा ही नहीं। लखनऊ में इटावा और एटा आदि से अच्छा घी आता है तो उसे भी लोग सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। मनुष्य रोगों से जब इतना रुग्ण रहेगा तो कैसे उसका मस्तिष्क ठीक काम देगा? लोग कहते हैं कि यहां पहलवानों के दंगल होते हैं, लेकिन वह क्या करेंगे, क्योंकि उनको अच्छा घी तो खाने को मिलता ही नहीं है? कृत्रिमता इतनी फैलती जा रही है कि इससे वास्तविकता का नाश होता जा रहा है। हमारे सभी नवयुवक स्वस्थ होने चाहियें, ताकि वे अपने देश की सेवा ठीक से कर सकें। पैसा लेने के लिये तमाम दल दौड़ धूप करते हैं, चाहे कोई मरे और चाहे कोई जिये। "डालडा" का इतना दुष्प्रभाव पड़ता है

[श्री रणंजय सिंह]

कि उसका यह परिणाम होता है कि जिसकी कल यहां चर्चा की गई थी दुखद घटना की, मैं उसके बारे में अधिक नहीं जानता हूं। मैंने भी बाराबंकी में जाकर देखा कि उनका पोस्ट-मार्टम हो रहा था कि पोस्टमार्टम के लिए एक और बालक का शव आ गया जिसे उसके बाप ने मार डाला था, मुझे बड़ा दुःख हुआ। इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक पहलू पर प्रत्येक दृष्टि से हम लोग विचार करें कि किस प्रकार से सुधार हो, यह हमें सोचना चाहिये। गोसंवर्धन समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में जो संकल्प मैंने वापस लिये, गोसंवर्धन समिति की रिपोर्ट पर मेरा निवेदन था कि एक अधिनियम बनाया जाय। मैं चाहता हूं कि वनस्पति घी की बिक्री कम से कम उस समय तक न हो जब तक उसमें मिलाने के लिये रंग नहीं मिलता है। सुधार का एक आवश्यक अंग समझ कर मैंने यह संकल्प रखा है और मैं यह आशा करता हूं कि इसमें कोई मतभेद नहीं होगा। जिन लोगों को गोरक्षा की इच्छा है उनके लिये आवश्यक है कि मेरे संकल्प का समर्थन करें। आज कल राजनीति इतनी बढ़ी हुई है कि वह कभी-कभी इधर-उधर घूम जाती है। चुनाव वगैरह में लोगों का ज्यादा समय चला जाता है। हमारे देश के पहलवान यूरोप आदि जाया करते थे। पंडित मोतीलाल जी नेहरू उन्हें विदेश ले गये थे। गामा जैसे पहलवान हमारे यहां होते थे। आपको मालूम होगा कि जर्मनी की लड़ाई में जाकर हमारे देश के लोगों ने शत्रु के छक्के छुड़ा दिये थे वरना नहीं मालूम अंग्रेज कितने पिटते और उनका क्या होता। सभी देशों के लोगों ने भारतवासियों की वीरता मानी। हमारे देश के दुर्भाग्य से दूध और घी की कमी हो गई है। विदेशों में आजकल इन चीजों की अधिकता है। मैं युद्धों की अधिक चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारे देशवासियों ने जाकर युद्धों में धूम मचा दी। हम नक़ली चीजें खाकर स्वस्थ नहीं रह सकते। अस्वस्थ रह कर हम देश का गौरव नहीं बढ़ा सकते हैं। हमें गोमाता की रक्षा करनी है, लेकिन जब लोग असली चीजों की ओर ही ध्यान नहीं देंगे तो क्यों गोमाता को पालेंगे। कल भैंस पालने की बात हो रही थी। मैं तो निरामिषहारी हूं, मैं मांस नहीं खाता हूं। मैं सिद्धान्ततः चाहता हूं कि दुनिया में इसका प्रचार हो जाय। जब १९४६ में आन्दोलन हो रहा था उस समय भी इस बात की घोषणा की जाती थी कि तुम वोट दो, यहां पर घी और दूध की नदियां बहेंगी। हमारे देश में किसी समय चीन और दूसरे देशों के यात्री आते थे तो पीने के लिये यदि पानी मांगते थे तो उन्हें दूध दिया जाता था। लेकिन आज वह बात नहीं रह गई है और हम घी और दूध के लिये तरसने लगे हैं। आप बाजार में जाइये आपको बिना डालडा या वनस्पति घी के शुद्ध घृत मिलना ही कठिन हो रहा है। हम नक़ली चीजें खायेंगे तो नक़ली बनेंगे असली चीजें खायेंगे तो असली बनेंगे और अगर असली का प्रयोग नहीं करेंगे तो अपने शरीर को, स्वास्थ्य को और अपने मस्तिष्क को बिगाड़ कर रख देंगे। अगर पैसे के पीछे पड़े रहे तो ये सब चीजें हाथ से चली जायेंगी। श्रीमन्, आवाज बहुत हो रही है.....

श्री अध्यक्ष—कृपा करके आप लोग शांत हो जायं।

श्री रणंजय सिंह—अगर हम कृत्रिम वस्तुओं को काम में लायेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी कृत्रिम होगा और अगर शुद्ध और वास्तविक वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे तो स्वास्थ्य भी वास्तविक होगा। मैं चाहता हूं कि गली-गली में गौओं की रक्षा हो, गो सदन हों, लेकिन यह तभी होगा जब हमारे यहां शुद्ध घी और दूध का मूल्य समझा जायगा और तभी हमारे यहां पशुओं की रक्षा हो सकेगी। यहां पर, इस सदन में भी कई बार यह प्रश्न उठाया गया कि डालडा के रंग को बदल दिया जाय, लेकिन हमारे देश में बड़े-बड़े वैज्ञानिक हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक, होमियोपैथिक डाक्टर और हकीम हैं, लेकिन फिर भी किसी साइंटिस्ट को कोई रंग नहीं मिल पाया है। बड़ी बड़ी चीजें बन जाती हैं, बड़े-बड़े आविष्कार हो जाते हैं, लेकिन इतनी सी बात नहीं हो

पाती। इसका कारण वास्तव में समझ में नहीं आता। मैं वनस्पति घी का इसलिये विरोधी हूं कि वह घी का रूप धारण करके बाजार में आता है और लोगों को धोखा देता है। इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह या तो इसमें कोई रंग मिला दे और अगर कोई रंग इसको रंगने वाला न मिले तो इसको बन्द कर दिया जाय। मुझे विश्वास है कि जिस दिन इसकी बिक्री बन्द की जायगी, कोई न कोई रंग अवश्य मिल जायगा। यह प्रश्न आज प्रस्ताव के रूप में आया है। शलाका में प्रश्नों का आना एक तो वैसे ही कठिन होता है और फिर बड़े भाग्य से ही असरकारी दिन भी मिलता है। तो फिर शलाका और आज के दिन जो बातें हमारे सामने आ गयी हैं उन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। बड़ी-बड़ी योजनायें निकल रही हैं उनको चलाने के लिये स्वस्थ मनुष्यों की आवश्यकता है, लेकिन जब तक अच्छा घी-दूध नहीं मिलेगा तब तक स्वस्थ मनुष्य कैसे मिलेंगे? मैं चाहूंगा कि स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने वाली जितनी बातें हैं उन सब को बन्द किया जाना चाहिये। मैं यह भी जानता हूं कि "रोम वाज नाट बिल्ट इन ए डे"। मैं यह भी जानता हूं कि सरकार के सामने भी कितनी ही कठिनाइयां हैं और उनको कितनी ही सुन्दर बातों पर विचार करना है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो, क्योंकि वह अपनी ही सरकार है, वह सब कुछ कर सकती है। सब लोग स्वस्थ हों, सब लोग देश की सेवा कर सकें तथा अच्छे-अच्छे और बड़े-बड़े काम कर सकें। तो ऐसी दशा में जब कि सब लोगों को देश का काम करना है और देश को जगाना है तथा आगे ले चलना है तथा अपने झंडे की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यहां के नवयुवकों को संसार के सामने एक आदर्श उपस्थित करना है तो फिर क्या हम उनके खाने-पीने की चीजों की तरफ इस तरह से उदासीनता रखें, यह चीज मैं ठीक नहीं समझता। इसलिये हमको एक-एक बात पर जो लोगों के लिये लाभदायक हो, जो अच्छा से अच्छा हो, उन पर विचार करके उनको कार्यान्वित करना चाहिये और उसके लिये कोई विधेयक लाने का उपाय करना चाहिये। जब कहीं विषूचिका फैलती है तो टीका आदि लगाने की बातें तथा और भी बहुत से प्रबन्ध की बातें की जाती हैं तो क्या डालडा वनस्पति घी पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार कोई नियम नहीं बना सकती है? मैं चाहता हूं कि कोई नियम इसके लिये बनाया जाय और मैं समझता हूं कि सरकार के पास इतनी शक्ति है, उसे इस बात के लिये अधिकार है कि यदि देश के लिये कोई वस्तु हानिकारक हो उस पर वह तत्काल, अविलम्ब प्रतिबन्ध लगा दे। उसके बाद और भी बहुत सी चीजें जो देश के लिये हानिकारक हों उन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये और इसी तरह से हम बड़े-बड़े काम संसार के अन्दर कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं कि एजेंडे में तो डालडा छपा हुआ है, तो क्या इसमें कुछ और बढ़ा दिया गया है?

श्री अध्यक्ष—उसके एवज में वनस्पति घृत कर दिया गया है।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके अन्दर अभी एक संशोधन दिया है।

श्री अध्यक्ष—वह ले लिया जायगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिये कोई टाइम फिक्स किया गया है?

श्री अध्यक्ष—प्रथम बोलने वाले के लिये २५ मिनट और १५ मिनट दूसरों के लिये रहता है, यह नियम में है।

*श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय रणंजय सिंह जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मेरे विरोध का कारण भी है। सबसे पहला कारण विरोध करने का यह है कि माननीय रणंजय सिंह जी ने प्रस्ताव में कुछ और रखा है और भाषण कुछ और दिया है। आपका प्रस्ताव है कि डालडा रंग दिया जाय तब तो वह प्रचलित रहे।

श्री रणंजय सिंह---श्रीमन्, मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---कृपा करके आप उनकी बात सुन लीजिये, अभी बैठ जाइये।

श्री रामेश्वर लाल---आपका प्रस्ताव और है और भाषण का जो सारांश मैंने सुना उससे यह प्रतीत होता है कि आप चाहते हैं कि डालडा, वनस्पति घी रंग दिया जाय तब तो प्रचलित रहे और जब तक वह रंगा न जाय तब तक श्री रणंजय सिंह को जो शहर के अन्दर मिठाई देखने में घी के भ्रम में डालडा खाने का अवसर मिलता है, तब तक इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय। मैं समझता हूं कि श्री रणंजय सिंह ऐसे लोग ही जब घी खरीद कर खा सकते हैं उनको इस तरह का आबजेक्शन हो सकता है कि लाल घी जब तक सफेद घी के शकल में रहेगा तो धोखे में पड़ने का डर है और इसी प्रकार के लोग ऐसा प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं। विरोध करने का मेरा पहला कारण तो यह है और दूसरा कारण यह है कि माननीय रणंजय सिंह जी ने यह प्रस्ताव इस सदन में जो राज्य सरकार का सदन है, यानी प्रान्तीय असेम्बली में रखा है। अगर यह सारे हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में आया होता या वहां पास होता तो उसका प्रभाव सारे देश पर पड़ता और हमारी राज्य सरकार या अन्य राज्यों के लिये उपादेयता का कोई काम होता। लेकिन श्री रणंजय सिंह जी ने इस सदन द्वारा ही इस प्रस्ताव को मान कर उत्तर प्रदेश के अन्दर ही प्रतिबन्ध लगाने तथा डालडा को रंगने की बात सोची। तो अन्य प्रदेश जो हैं उनसे हमें घाटा हो सकता है। तीसरी बात यह है कि डालडा या वनस्पति घी मूंगफली, गरी, तिल, अलसी और गडरी आदि के तेलों से तैयार होता है और वैज्ञानिकों की राय है कि यह तेल नुक्सानदेह नहीं है, ऐसा हमने अखबारों में पढ़ा है और यदि वह नुक्सान कर सकता है तो उनको कि जो तेल नहीं खाते या उसके खाने के आदी नहीं हैं, लेकिन जो तेल खाने के आदी हैं उनको वह नुक्सान नहीं कर सकता। इसलिये माननीय रणंजय सिंह जो तेल नहीं खाते और घी खाते हैं उनको वह नुक्सान कर सकता है। लेकिन जो देहाती रोजना इन तेलों को खाते हैं और जो गर्मी तक में इन गडरी सरों का तेल इस्तेमाल करते हैं और उसकी बनी हुई पूरियां खाते हैं वह उनको हानि नहीं करता, वह मेवा पूरी पकवान उसी में बनाते हैं जो उनको मयस्सर है। इस कारण से भी मैंने इस प्रस्ताव का विरोध किया है।

दूसरी बात यह है कि हम देहात से किसानों के प्रतिनिधि हैं और किसान एक केवल लड़के-लड़की की शादी में तो इसको इस्तेमाल करते हैं बाकी वह डालडा कभी इस्तेमाल नहीं करते और जब वह शहर में किसी मैजिस्ट्रेट के बुलाने पर आते हैं तब भी वह अपना लावा, सतुआ और भूजा साथ लाते हैं और उनको शहर की दुकानों पर पूरी मिठाई खाने का अवसर ही नहीं मिलता, उनको तो केवल शादी के वक्त ही डालडा लाने की जरूरत पड़ती है और उसकी संभावना भी इसीलिये होती है कि कुछ हम जैसे लोग उनके मेहमान बन कर चले जाते हैं, जो तेल के इस्तेमाल से हिचकते हैं। इसलिये वह डालडा का कनस्तर ले जाते हैं और घी की सी लगने वाली वनस्पति की पूरियां वह उनके लिये बनवा देते हैं। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि देहातों में वनस्पति की खपत बहुत कम है और वह लोग औसतन साल में दो तीन दिन से अधिक इसका इस्तेमाल नहीं करते। इस लिये इसको बन्द करने से जो बहुसंख्यक हमारे देहाती किसान हैं उनको लाभ नहीं होगा इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक और बात है और वह यह कि माननीय सदस्यों ने श्री रणंजय सिंह का भाषण ध्यान से सुना होगा, उन्होंने कहा कि यह हमारी सन्तानों को खराब कर रहा है और तरह तरह की बुराई उससे पैदा हो रही हैं, सन्तानों को कुसन्तान बना रहा है, वीरों की अवीर सन्तान बनाता है, लेकिन उनको देखना चहिये था कि बहुत सी चीजें उस से भी ज्यादा खराब अभी तक समाज में प्रचलित हैं, जैसी ताड़ी है, शराब है, अफीम है, गांजा है और तमाम तरह की चीजें हैं उनका ध्यान वनस्पति की तरफ तो गया लेकिन सब इन चीजों पर नहीं गया और ध्यान गया तो उस चीज पर जो किसानों की पैदा की हुई प्रोडक्ट के तेलों से तैयार होती हैं। इधर तो ध्यान गया लेकिन मिट्टी के तेल के बने हुए जो बालों के तेल बिक रहे हैं जिनसे जवानी में ही बाल पक जाते हैं और बुढ़ापा आ जाता है, बीड़ी पर उनका ध्यान नहीं गया, जिससे हानि हो रही है और उसके लिये उन्होंने कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया। आप लाये तो किसानों को लाभ पहुंचाने वाली वनस्पति तेलों के व्यवसाय पर लाये .....

श्री रणंजय सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं एक पर्सनल एक्सपलेनेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—वह बैठ नहीं रहे हैं, आप इस समय कृपा करके बैठ जायं।

श्री रामेश्वर लाल—मैंने माननीय रणंजय सिंह जी के वक्तव्य को ध्यान से सुना, लेकिन आप ने बहुत सी ऐसी स्वास्थ्य के लिये हानिकारक चीजों की तरफ सदन का ध्यान नहीं दिलाया जो समाज को नुक्सान पहुंचा रही हैं। उन का ध्यान वनस्पति और डालडा की तरफ गया, मैं समझता हूं कि इसका कारण यह है कि श्री रणंजय सिंह को लखनऊ में अच्छा घी खरीदने को नहीं मिलता और असुविधा होती है। अगर सम्मानित सदस्य बुरा न मानें तो कहूंगा कि लखनऊ में जब आते हैं तो हमें घी के नाम पर सचमुच दूसरी चीजें मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिये कि इसके लिये हम वनस्पति उद्योग का ही विरोध करें। श्रीमन्, वनस्पति घी के उद्योग में इस देश के लाखों आदमी आज काम कर रहे हैं और वनस्पति घी के उद्योग में लाखों मन तिलहन आज किसान पैदा करते हैं उसका उपयोग होता है। यदि वनस्पति घी की उत्पत्ति पर यहां पर पाबन्दी लगा दी जायगी तो फिर हजारों मजदूरों को श्रीमन्, बेरोजगार हो जाना पड़ेगा। मैं डालडा घी पर अपने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये यह अवश्य कहना चाहूंगा कि यदि माननीय रणंजय सिंह जी और उनके ऐसे लोग जो भ्रम में हैं कि डालडा अनुपयोगी वस्तु है तो वैज्ञानिकों की खोज होनी चाहिये यह मेरा सुझाव है और यदि यह सिद्ध हो जैसा अब तक हमारे सामने नहीं आया है कि डालडा के उपयोग से स्वास्थ्य को लाभ नहीं पहुंचता हानि पहुंचती है, तो मैं समझता हूं कि प्रान्तीय सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह अपने प्रान्त में रहने वाले लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के हेतु इस पर पाबन्दी लगा दे और बरबाद कर दे, लेकिन मेरा निश्चय मत है और जैसा कि डालडा के इस्तेमाल करने से मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है और मैं श्रीमन्, अपने को किसी से कम तन्दुरुस्त नहीं समझता, मैं मानता हूं कि हमारे रणंजय सिंह मुझसे वजन में ज्यादा है, लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि डालडा के इस्तेमाल से मेरा पेट खराब हो गया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या आप लड़ने के लिये तैयार हैं।

श्री रामेश्वर लाल—मैं किसी से भी लड़ सकता हूं। मैं उनसे भी लड़ सकता हूं। दूसरी बात श्रीमन्, डालडा के रंगने की है। एक बात माननीय रणंजय सिंह जी की हमारी समझ में अवश्य आयी। आज हमारी प्रान्तीय सरकार का और केन्द्रीय सरकार का यह कहना है कि कोई रंग नहीं मिल पाया इसलिये उनका अपने स्थान पर यह कहना उचित है कि आज के वैज्ञानिक युग में यह काम आसानी से हो सकता है। लेकिन यदि इसके लिये रंग ढूंढ़ा जा सकता है तो कोई ऐसा वैज्ञानिक भी हो सकता है जो ऐसा रंग ढूंढ़ सकता है, जिससे वह रंग भी मिट जाय। यदि एक रंग मान लिया जाय और उससे डालडा को रंग दिया जाय तो विज्ञान ऐसा रंग भी दे सकता है, जिससे वह रंग भी मिट जाय। कोई वैज्ञानिक नहीं ढूंढ़ेगा तो हममें से ही कोई ढूंढ़ लेगा। तो रंगवाली बात माननीय

[श्री रामेश्वर लाल]

रणंजय सिंह को भी समझाने वाली बात नहीं है। इसलिये कि जब तक विज्ञान का प्रसार है रंगों के विषय में हमेशा इधर-उधर हो सकता है। ऐसा वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि डालडा में कुछ गैस दी जाती है बनाने के वक्त और उनका यह कहना है कि यदि यह बन्द कर दिया जाय तो डालडा उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। मैं विशेष जानकार नहीं हूं और माननीय मंत्री जी से विशेष जानकारी के लिये प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे अपने भाषण में इस पर प्रकाश डालें और यदि आवश्यक हो तो इसकी खोज करावेंगे कि जिस प्रकार की गैस दी जाती है डालडा में या वनस्पति घी में उससे स्वास्थ्य को हानि तो नहीं है या होने की संभावना तो नहीं है। तो मैं श्रीमन्, ज्यादा समय इस डालडा के प्रश्न पर नहीं लेना चाहता। देश के इस उपयोग में लगे लोगों की बेकारी, डालडा की उपयोगिता सब को देखते हुये मैं माननीय रणंजय सिंह जी के इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इसका अवश्य विरोध करेगा।

(श्री अध्यक्ष ने श्री बसन्तलाल शर्मा का नाम पुकारा)

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—श्रीमन्, मैंने एक संशोधन दिया है।

श्री अध्यक्ष—मैंने माननीय बसन्तलाल जी को बुलाया है, आपको भी उसके बाद अवसर दूंगा।

श्री बसन्तलाल शर्मा—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से जो डालडा संबंधी संकल्प है उसमें यह संशोधन करना चाहता हूं कि जहां-जहां शब्द "वनस्पति घृत" आया है उसके स्थान पर शब्द "जमाया हुआ मूंगफली व तिल का तेल अर्थात् वनस्पति घी" रख दिया जाय तथा शब्द "अतः" के पश्चात् का वाक्यांश "जब तक वनस्पति घृत का रंग न बदल दिया जाय" निकाल दिया जाय।

यह संशोधन मैं प्रस्तुत करता हूं और अब यह इस प्रकार हो जाता है :—

> "इस सदन का यह निश्चित मत है कि जमाया हुआ मूंगफली और तिल का तेल अर्थात् वनस्पति घी से वास्तविक घृत का भ्रम होता है और जमाया हुआ मूंगफली व तिल का तेल अर्थात् वनस्पति घी स्वास्थ्य के लिये घृत के समान गुणकारी नहीं है, अपितु वह हानिकारक है। अतः समस्त राज्य में जमाये हुए मूंगफली व तिल के तेल अर्थात् वनस्पति घी पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।"

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि किसी भी देश के अन्दर विकास के लिये सुन्दर स्वास्थ्य की आवश्यकता है क्योंकि जब तक मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तब तक वह कोई भी काम ठीक नहीं कर सकता। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये आयुर्वेद या जितनी भी चिकित्सा प्रणालियां हैं उन सब के अनुसार घी और दूध का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे भारतवर्ष के अंदर घी और दूध की एक समय कोई कमी नहीं थी और यह कहावत मशहूर है कि भारतवर्ष के अन्दर घी और दूध की नदियां बहा करती थीं। इसी लिये भारत का सर्वोपरि स्थान विश्व के अन्दर था। इसी वास्ते भारत ने सब से आगे हो कर विश्व का मार्ग प्रदर्शन किया है। जब से हमारे देश में घी और दूध की कमी हुई तभी से बराबर हमारा स्वास्थ्य गिरता चला गया और स्वास्थ्य गिरने के साथ-साथ हमारी बुद्धि का भी ह्रास हुआ और हमारा नैतिक पतन भी हुआ। हमारा स्वास्थ्य ठीक न रहने से हम दिन प्रति दिन अवनति की तरफ झुकते चले जा रहे हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बनस्पति घी जिससे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है उसके बजाय यदि शुद्ध घी मिले तो उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। यद्यपि

स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये और भी बहुत सी चीजें हैं केवल घी ही नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे एक-एक चीज की तरफ ध्यान देते चले जायंगे तो इसमें सन्देह नहीं कि हमें दिन प्रति दिन सफलता मिलती चली जायगी।

एक शंका माननीय रामेश्वर लाल जी ने इस समय हमारे सामने उपस्थित की कि अगर डालडा के ऊपर रोक लगा दी जायगी तो लाखों मजदूर बेकार हो जायेंगे और घी की कमी महसूस होने लगेगी। यह बात सरसरी तौर पर देखने से तो ठीक मालूम पड़ती है लेकिन मैं कह सकता हूं कि किसी भी वस्तु का उत्पादन तभी बढ़ा करता है जब उसकी डिमांड बढ़ा करती है। जब घी की किसी कारण से कमी होने लगी और कृत्रिम घी हमारे यहां बनाया जाने लगा और उसका उपयोग किया जाने लगा तो यह स्वाभाविक था कि पशुपालन की ओर से हमारा ध्यान हट जाय और पशुओं के महत्व को हम भूल बैठे, और यही कारण है कि आज हम पशु पालन का नारा लगाते हैं, पशु पालन को सर्वोपरि महत्व देते हैं क्योंकि भारत वर्ष कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधानता को देखते हुये यह आवश्यक है कि पशुओं का सर्व प्रथम स्थान उस के अन्दर रहे। लेकिन फिर भी यदि हम लोग अपने दिल पर हाथ रख कर देखें तो हममें से कितने ऐसे हैं कि जिनके दरवाजे पर गाय या भैंस मिलती है? एक बात यह कही जाती है कि हमारी आय इतनी कम है कि जिससे हम पशुओं का पालन नहीं कर सकते। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। आज अनेकों दुर्व्यसन फैले हुए हैं। पान बीडी इत्यादि के अन्दर हम तमाम पैसा बहा देते हैं, यदि चाहें तो उसी पैसे को बचा कर एक गाय या भैंस पालने में हम लगा सकते हैं और इस प्रकार आसानी के साथ एक गाय या भैंस का पालन अपने दरवाजे पर कर सकते हैं जिसके द्वारा अच्छा घी और दूध मिल सकता है। इसलिये यह जो दलील है कि बनस्पति घी के न रहने से घी की कमी हो जायगी यह मैं मानने के को तैयार नहीं। बल्कि हमारा ध्यान पशुपालन की तरफ जायगा और पशुओं का महत्व जो हम समझते हैं, उसकी रक्षा हो कर पशु संवर्द्धन हो सकेगा।

सरकार ने कल बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पास किया है गोरक्षा सम्बन्धी। मैं जानता हूं कि इस बिल से बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य होगा। लेकिन फिर भी यदि हम सरकार को सहयोग देना चाहते हैं, यदि जनता सरकार को सहयोग देना चाहती है, यदि देश को हम उन्नतिशील बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक भारतवासी का यानी हमारे देश में प्रत्येक रहने वाले का यह कर्तव्य हो जाता है कि अपने-अपने दरवाजे के ऊपर एक-एक गाय या भैंस जरूर पालें जिससे घी दूध अच्छा मिल सके और जो बछड़े पैदा हों उनकी सेवा कर सकें, तभी हमें अच्छा घी मिल सकता है। घी अच्छा न मिलने के कारण यही है कि वनस्पति घी अधिक फैला हुआ है और जब किसी तरह से कमी महसूस नहीं होती तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यह स्वाभाविक धर्म है। इसलिये मैं समझता हूं कि यदि वनस्पति घी के ऊपर सरकार रोक नहीं लगाती तो यह असम्भव है कि लोगों का ध्यान पशुपालन की ओर अधिक जाय। वनस्पति घी के कारण हमारा नैतिक पतन भी बहुत हो गया है, इसका किस तरह से दुरुपयोग देहात में करते हैं। बाजार से खरीद कर ले जाते हैं और गरम दूध में मिला कर उसका दही जमाते हैं और उस दही का मंथन होने पर बनस्पति घी असली घी के रूप में निकल आता है। इससे हमारी किस तरह से हानि होती है, इसका जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, मैं समझता हूं कि जो संग्रहणी, टी० बी० (राज यक्ष्मा) जैसे राजरोग दिन प्रति दिन भीषणता से बढ़ते जाते हैं, उसका खास कारण यह है कि जो वनस्पति घी हम खाते हैं उससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। यद्यपि तेल के खाने में उतनी हानि नहीं है। यद्यपि मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं तथापि सुनने से पता चलता है कि मूंगफली और तिल के तेल में ऐसी एसिड इत्यादि मिला कर इसको रिफाइन किया जाता है जिससे उसकी गंध गायब हो जाती है और उसमें जमने की शक्ति पैदा हो जाती है। जो एसिड इत्यादि इसमें मिलाये जाते हैं उनके मिलाने से उस तेल के अन्दर दुर्गुण पैदा हो जाते हैं जिससे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यह तो मानी

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

हुई बात है कि हमारी केन्द्रीय सरकार के सामने भी यह प्रश्न आ चुका है और हमारे नेताओं का ध्यान हृदय से इस तरफ जरूर खिचा है कि इसके ऊपर रोक लगायी जाय, कम से कम ऐसा कोई उपाय निकाला जाय जिससे जनता भ्रम में न पड़ सके, घी के खाने वाले धोखा न खा सकें। अगर इसके अन्दर रंग मिला दिया जाय तो इससे लोग सतर्क हो जायंगे। लेकिन यह दुख की बात है कि आज के इस वैज्ञानिक युग के अन्दर जब कि शरीर में एक प्राण-वायु भरने को छोड़ कर बाक़ी हर एक कार्य संभव हो गया है। लेकिन हमारे देश के अन्दर इसका उपाय अभी तक नहीं मिल सका। मेरा ऐसा विचार है कि उसकी तह में कोई जरूर दूसरी चीज है। उसकी तह के अन्दर पूंजीवाद का बहुत बड़ा हाथ है। चूंकि बड़े-बड़े पूंजीपतियों के ऐसे उद्योग धंधे हैं, उनके पास धन की कमी तो है नहीं और धन एक ऐसी चीज है जो सरलतापूर्वक मनुष्य से अनुचित कार्य करवा सकती है।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बसंतलाल शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि इस समय जो समय का प्रतिबन्ध है वह हटा दिया जाता तो अच्छा था। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि इस पर सभी बोलना चाहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—यह संभव नहीं है।

श्री बसंतलाल शर्मा—मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि वनस्पति या जो डालडा चल रहा है आज कल उसमें ऐसी मिलावट की जाती है, यानी ऐसी चीजों का संमिश्रण किया जाता है कि जिनका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और तमाम प्रकार के रोग शरीर के अन्दर उत्पन्न होते हैं। मैंने यह सुना है कि इसके बनाने में कोई एक धातु निकल या एलम्युनियम है कि जिसके ऊपर तिल के तेल को घिसा जाता है और फिर उसमें जमने की शक्ति पैदा होती है, यह स्वास्थ्य के लिये बहुत ही हानिकारक है। मैं यह भी समझता हूं कि जितने इसके निर्माता हैं, बड़े-बड़े पूंजीवादी हैं या जो इसके समर्थक हैं उन लोगों के यहां अगर पता लगाया जाय तो वे स्वयं इसका सेवन नहीं करते बल्कि अपने लिये वे लोग शुद्ध घी ढूंढ़ते हैं और उसको अपने यहां के नौकरों से देहातों से मंगवाते हैं लेकिन दूसरों को जहर पिलाने के लिये इतना एडवर्टाइजमेण्ट करते हैं ताकि अपने पास पैसा इकट्ठा होता चला जाय, भले ही देश और राष्ट्र का स्वास्थ्य नष्ट हो। तो इस चीज को हम लोग कब तक बरदाश्त करते रहेंगे? मैं यह भी जानता हूं कि इसके उत्पादन के कारण ही तिल का तेल और मूंगफली का तेल मंहगा बिकता है। जिन लोगों को उस की आवश्यकता है यदि यह डालडा बनना बन्द हो जाय तो वह उन लोगों को सस्ता मिलने लगे।

जहां तक इसमें उद्योग धंधों का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि प्रत्येक दृष्टिकोण से उद्योग धंधों को इसके बन्द करने से प्रोत्साहन मिलेगा। जो कारखाने वनस्पति घी तैयार करते हैं उनमें मूंगफली का तेल और तिल का तेल तैयार होता रहे। उन कारखानों को बन्द करने की आवश्यकता नहीं है। मूंगफली का तेल और तिल के तेल की काफी आवश्यकता रहती है और साथ ही साथ जब यह वनस्पति बनना बन्द हो जायगा तो गांव के अन्दर जो हमारे ग्रामीण भाई हैं उनका जो घी का उद्योग है उसमें बढ़ोत्तरी होगी और गांव के अन्दर इस उद्योग को पनपने का फिर से मौका मिलेगा। गांव में और छोटे-छोटे कस्बों में भी पशु-पालन की तरफ ध्यान जायगा और इस तरह से लोग घी तैयार करेंगे और उसकी बिक्री करेंगे और उससे उनको लाभ होगा। गांवों में भी बेकारी फैलती जा रही है, क्योंकि खेती की समस्या से हमारी बेकारी दूर नहीं हो सकती।

खेती का तो भूमि के ऊपर वैसे ही दबाव बहुत काफी है, छोटी-छोटी खेती लोगों के पास रह गयी है, परिवारों की संख्या बढ़ गयी है, पपुलेशन बढ़ती जा रही है। ऐसी दशा में केवल खेती से हमारे यहां गांवों के अन्दर जो बेकारी फैल रही है वह दूर नहीं हो सकती। इस लिये उन उद्योग-धंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जो ग्राम-उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। सौभाग्य से हमारे मंत्री स्वास्थ्य के भी मंत्री है और उद्योग के भी। इसलिये उनके दोनों विभागों पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। मैं यह भी जानता हूं कि मूंगफली का तेल खाने के काम में भी लाया जाता है। बंगाल, मद्रास में खाली, मूगफली, तिल और कड़वा-तेल खाने में इस्तेमाल किया जाता है लेकिन कोई बुरा असर नहीं पड़ता, किन्तु इसके अन्दर जो एसिड हानिकारक रसायनिक औषधियां मिलायी जाती हैं उनके द्वारा यह बिल्कुल जहर हो जाता है। हमारी सरकार एक तरफ तो यह मना करती है कि शराब पीने वालों को स्प्रिट में पानी मिला कर नहीं पीना चाहिये क्योंकि वह जहर है। लेकिन यह जहर जो खुले आम बाजार में बिकता है इसको किस प्रकार रोका जा सकता है यह सोचने की बात है। इसलिये मैं पूरी आशा करता हूं कि जो घी, दूध खाता है उससे जो वीर्य तैयार होता है उसका अधिक आनन्द वही मनुष्य ले सकता है जो ब्रह्मचारी रहा हो और हमारे मन्त्री जी सौभाग्य से ब्रह्मचारी भी हैं इसलिये इसका उनको अनुभव भी है। मैं आशा करता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र जो जन कल्याणकारी गोवंश संवर्धन बिल बन कर के स्वीकार हुआ है उसी तरह यह डालडा विरोधक बिल नहीं है बल्कि गोरस संवर्धक संकल्प है यह भी स्वीकार होगा। इसलिये मैं माननीय रणंजय सिंह जी के संकल्प का अपने संशोधन के साथ पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—मुझे जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन दिये हैं उनको मौका देना है। जिस आर्डर में मेरे पास आये हैं उसी हिसाब से दे रहा हूं।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री रणंजय सिंह जी के संकल्प में इस प्रकार का संशोधन देना चाहता हूं और इससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि "बिक्री पर प्रतिबन्ध" यह जो लिखा है इसके आगे "लगा दिया जाय" और बढ़ा दिया जाय। यह मेरा संशोधन है, यानी अब इस प्रकार से हुआ कि इस संकल्प की चौथी पंक्ति में शब्द "की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय" के स्थान पर यह शब्द रख दिये जायं—

"के कारखानों के मालि पर इतना बिक्री कर लगाकों दिया जाय कि बनस्पति घी असली घी से मंहगा पड़ने लगे"। श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, बनस्पति घी के सम्बन्ध में रंग के बारे में, जहां तक मैं भूल नहीं करता, लगभग १७, १८ साल हो गये लेकिन यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि अब तक कोई भी सज्जन ऐसा प्रदेश के अन्दर पैदा नहीं हुआ या इतनी योग्यता नहीं रखता कि जो किसी रंग को निकाल सके और जो त्रुटियां और कमियां हैं जिनसे हमारा प्रदेश ही नहीं बल्कि समस्त देश इसके लिये उतारू है कि बनस्पति घी में और असली घी में कुछ पहचान होनी चाहिये जिससे यह धोखादेही, लूटमार बन्द हो सके। इसके सिवा कोई और इलाज नहीं, कोई और इसका उपचार नहीं कि जिस चीज को समाप्त करना हो और जिससे बचना हो, यह प्रायः परिपाटी भी रही है पहले से भी और अब भी उस वस्तु पर टैक्स या कर लगा दिया जाया करता है। जो चीज हानिकारक हो, जो अपने देश के विरोध में पड़ती हो उस पर टैक्स बढ़ाया जाना चाहिये। अब इसके सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते कि यह प्रत्येक रूप से हानिकारक है। मैं उन ऐलोपैथिक डाक्टरों के सम्बन्ध में तो नहीं कहता जो कि इस बनस्पति घी को हानि-कारक नहीं बताते हैं। प्रायः देखा जाता है कि एक वर्ग ऐसा है जो कि इसके हक में चलता है और यह कहता है कि यह लाभदायक है। मैं नहीं समझता कि ऐसे सज्जन जो विदेशी बातों को पढ़े हैं वह किस प्रकार से ऐसी चीज को हितकर सिद्ध कर सकते हैं। यह बात पूछिये अपने वैद्यों से या हकीमों से वह इस बात को कहते हैं और कह रहे हैं कि बनस्पति घी हर तरह से हमारे देश के लिये

[श्री श्रीचन्द्र]

और सब जो इसके खाने वाले हैं उनके लिये हानिकारक है। दो मर्ज इससे पैदा होते हैं—टी०बी० (दिक का मर्ज) और सांस इत्यादि की जितनी भी बीमारियां हो रही हैं मुख्य कारण उसका यही है। इसके साथ ही जो मिलों की चीनी है, उसका तो यहां पर सम्बन्ध नहीं है लेकिन मैं इसको कहता हूं कि विशेषकर जो फेफड़ों से संबंधित मर्ज होते हैं वह इस बनस्पति घी से उत्पन्न होते हैं। इसके लिये पूरे प्रयत्न किये गये कि इसमें और खाने वाले घी में कोई फर्क हो लेकिन अब तक हम असफल रहे। मेरी समझ में कोई ऐसा उपाय नहीं सूझ पड़ता कि इसको किसी प्रकार से हम रोक सकें। कुछ दोष ऐसे हैं जो इस बनस्पति घी के कारण स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालते हैं। उनमें कुछ ऐसी कमियां हैं कि भ्रष्टाचार सम्बन्धी भी अक्सर जनता में यह बात सुनने में आती है, मैं यह नहीं कह सकता कि कहां तक, किस सीमा तक यह सत्य है, लेकिन जहां जनता के अन्दर यह भावना फैली हो, तो उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमको वह त्रुटियां दूर करनी हैं जिससे जनता आज जो चाहती है, उसके हित के अनुसार यह बात हो। जो सज्जन बनस्पति घी को अच्छा और लाभकर समझते हैं मैं समझता हूं वह वही सज्जन हैं जिनको बचपन से इसके खाने की आदत पड़ी हुयी है और वह ऐसे होंगे जो शहरों के रहने वाले हैं क्योंकि शहरों में गायें-भैंसें नहीं पाली जाती हैं और उनको बचपन से बनस्पति घी खाने की आदत पड़ी हुयी है। जिस प्रकार से कि यदि कोई तम्बाकू पीने लगे जोकि अत्यन्त हानिकारक है मगर फिर भी जब उससे उसको छुड़वाया जाय तो उसको छोड़ने में कठिनाई होगी, उसी तरह से उनका भी हाल है। इसके बजाय जो गांव का रहने वाला है वह कभी बनस्पति घी का प्रयोग नहीं करता। उसको जब कहीं कचौरी या मिठाई बनस्पति घी की बनी हुयी खाने को दी जाय उसको खांसी या और कोई रोग तुरन्त हो जायगा। यही पहिचान है कि यह हानिकारक है। जो प्रायः यह बात बतलाते हैं कि यह हानिकारक नहीं है वह इस चीज को नहीं समझते कि इसके अन्दर, इन बातों के नीचे, इसकी आड़ में अनेक बातें छिपी हुयी हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जो मैंने संशोधन रखा है यह संशोधन अत्यन्त आवश्यक है और जब तक यह लागू नहीं किया जायगा यह दोष कदापि नहीं कम हो सकता है बल्कि बढ़ता ही रहेगा। अभी हाल ही में कल एक अत्यन्त आवश्यक बिल पास किया गया है, मैं समझता हूं कि वह बिल इससे पैदा होने वाली कमी को पूरा करेगा। मेरे मित्र यह समझेंगे यदि बिक्री कर लगा दिया जाय या कारखाने वालों पर भारी टैक्स लगा दिया जाय तो इसके बन्द होने पर काम नहीं चलेगा, कहां से घी आयेगा और किस घी की वह पूरी कचौरी, मिठाई खायेंगे? मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जो बिल कल पास हुआ है उसके अनुसार यदि दृढ़ता से काम किया गया तो अधिक से अधिक पांच वर्ष के अन्दर जितनी भी कमी इससे होगी, वह पूरी हो जायगी और कोई कष्ट किसी को नहीं होगा। यह नहीं है कि यदि हम डालडा को या बनस्पति घी को न खायें तो हमारा जीवन नहीं रह सकता है। इसकी जगह दूसरी और चीजें भी खायी जा सकती हैं। सरसों का तेल है, वह इस बनस्पति घी से कहीं ज्यादा अच्छा है, प्रायः देखने में आता है। मैंने स्वयं इस बनस्पति घी को बनते देखा है और मेरा विश्वास है जो भी सज्जन इसको बनते देखेंगे, उनको बड़ी घृणा हो जायगी इसको देखकर जिस प्रकार से कि यह स्वास्थ्य नाशक चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। जिस प्रकार से यह और चीजें भी मिला कर बनाया जाता है। जब इससे हमारे हृदय और फेफड़े ऐसी कोमल चीजों पर इतना बुरा प्रभाव इसका पड़ता है इससे सिद्ध है कि यह त्यागने के योग्य है। कदाचित् यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी प्रकार से भी इससे लाभ हो, इसलिये मैं श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, आप से यह निवेदन कर देना चाहता हूं, कि इस समय जो बनस्पति के रूप में कहा जाता है कि हमारे देश में उन्नति है और इसके बिना काम नहीं चलेगा, यह तो एक स्वार्थ की बात है और दूसरी चीज यह हो सकती है कि आदत और टेव पड़ गयी है जिसके कारण से यह बात कही जाती है। यदि इन बातों को छोड़ दिया जाय तो फिर असली घी और गौमाता और भैंसों के पालने की ओर अधिक ध्यान होगा और बनस्पति घी हमको मंहगा मिलेगा तो कौन ऐसा सज्जन होगा जो असली और बनस्पति को मिलायेगा और मंहगे होने से स्वयं ही बन्द हो जायगा और इस प्रकार इससे जो बुराइयां हमारे देश में फैली

हुयी हैं वह सब समाप्त हो जायंगी । हमारा चित्त एक ओर रहेगा और गोमाता और भैंस और अन्य दूध देने वाले जानवरों को पालने की ओर ध्यान अधिक होगा जिससे घी-दूध बढ़ेगा और घी की कमी समाप्त हो जायगी । वही दशा हो जायगी कि जिस प्रकार पुराने समय में हमारे यहां घी दूध की कमी नहीं थी हम सबने, मेरे सब मित्रों ने मिल कर इत्तफाक राय से यह सिद्ध कर दिया है कि एक बिल पास करके, सब सहमत ह कि हमारे देश म असली घी की बहुतायत हो और वही दशा हो जाय जैसा कहा जाता है कि हमारे देश में घी दूध की नदियां बहती थीं । उसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति पानी मांगे तो उसके लिये दूध दिया जाता था । अब भी मैं बहुत सी जगह देखता हूं कि यदि पानी मांगा जाता है तो दूध दिया जाता है । इस समय भी ऐसा है जहां गाय भैंसें काफी हैं । तो यही दशा हमारे देश की भी होगी । मैं समझता हूं कि बनस्पति घी के जो कारखाने हैं उनके कारण सब से बड़ी त्रुटि हमारे देश में यह आयी है कि हमारा घी दूध बन्द हो गया ।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करके देश का हित किये जाने की कृपा की जाय ।

श्री रतनलाल जैन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं संशोधन पेश करता हूं कि जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें से जो अन्त के शब्द हैं, आखिरी लाइन में शब्द "की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय" के स्थान पर शब्द "के विक्रेता को लाइसेंस लेना और दुकान पर साइन बोर्ड लगाना होगा एवं वनस्पति घृत विक्रेता वास्तविक घृत को नहीं बेंच सकेगा" रख दिये जायं । अब संशोधित होने पर वह इस प्रकार हो जायगा —

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि बनस्पति घृत से वास्तविक घृत का भ्रम होता है और बनस्पति घृत स्वास्थ्य के लिये घृत के समान गुणकारी नहीं है, अपितु वह हानिकारक है । अतः जब तक बनस्पति घृत का रंग न बदल दिया जाय, समस्त राज्य में बनस्पति घृत के विक्रेता को लाइसेंस लेना और दुकान पर साइनबोर्ड लगाना होगा, उसमें बनस्पति घृत का विक्रेता वास्तविक घृत को नहीं बेच सकेगा" ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो पहले बताया गया है उससे मैं बिलकुल सहमत हूं कि वह जो बनस्पति घी है वह स्वास्थ्य के लिये अच्छा नहीं है । जितने भारतवर्ष के वैद्य तथा हकीम हैं उन्होंने तो इसको बुरा बतलाया ही है । एक मत से उनकी यह राय है कि यह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है । डाक्टरों में इसके सम्बन्ध में भिन्न मत हैं, कुछ अच्छा बताते हैं, कुछ बुरा बताते हैं । बहरहाल, जो भी कुछ हो इस बात को तो सभी पसन्द करेंगे कि घी हमें असली रूप में मिले । आज हमारे देश की यह अवस्था है कि शुद्ध घी का मिलना करीब-करीब असम्भव सा हो गया है । यह यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि यह घी शुद्ध है । गांवों में भी यह हो गया है कि गांव वाले वनस्पति घी को शहर से ले जाते हैं और फिर उसी को दूध में मिला कर पका देते हैं, उससे जो घी निकलता है उसकी पहचान बहुत मुश्किल से हो सकती है । आज देश की परिस्थिति यह हो गयी है कि कोई दवाई में भी अगर शुद्ध घी इस्तेमाल करना चाहे तो वह यकीन के साथ मिलना मुश्किल हो गया है । यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी नैतिक अवस्था इतनी गिरी हुयी है कि हम इस चीज को शुद्ध नहीं बेंच सकते, धोखे से बेंचते हैं । दुकानदार ही नहीं, इसके पैदा करने वाले भी इसमें गड़बड़ करते हैं । जब हम दूसरे देशों को देखते हैं तो वहां पर मिलावट की बात बहुत कम है मगर हमारे देश में यह आम बात हो गयी है । इसलिये इस बात में तो कोई भी दो मत नहीं होंगे कि हर एक चीज शुद्ध दशा में ही मिले, मिलावट न हो । हमारे माननीय सदस्य श्री रामेश्वरलाल जी जो डालडा और बनस्पति घी को ठीक समझते हैं वे भी यह राय नहीं दे सकते कि घी हमें मिश्रित हालत में ही मिले । यह तो हर एक आदमी कहेगा कि घी, घी की हालत में मिले और वनस्पति घी बनस्पति घी की हालत में मिले ।

इसके अलावा मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि, जितने भी बनस्पति घी हैं उन सब में डालडा घी सब से अच्छा बतलाया जाता है । मगर बनस्पति घी में बहुत से ऐसे हैं जो महुये या रेंडी के तेल या ऐसी चीजों से बनाये जाते हैं । उनको कोई भी जहां तक मैं समझता

[श्री रतनलाल जैन]

हूं अच्छा नहीं कहेगा। जो चीज जिस चीज से बनायी जाती है उसका असर तो उसमें रहेगा ही इसलिये यह मुमकिन है कि डालडा घी को वे अच्छा कहते हों मगर जो घटिया मेल के आते हैं उनको तो वे भी अच्छा नहीं कहेंगे। ऐसी सूरत में यह बिलकुल आवश्यक है कि अच्छा घी मिल सके और बनावटी घी से इसका भेद हो। लेकिन आज अगर हम यह कह दें कि इसको एकदम रोक दिया जाय तो उसके माने यह होते हैं कि हम उन मिलों को जो बनस्पति घी पैदा करते हैं बन्द कर दें। यह चीज ज्यादा अच्छी नहीं होगी क्योंकि आज हमारे देश में घी की, चिकनाई की कमी है। आज अगर इन मिलों को बन्द कर देते हैं तो बहुतों को चिकनाई ही नहीं मिलेगी, इसलिये ये भी रहनी चाहिये। मगर जो आदमी शुद्ध घी खाना चाहते हैं उनको शुद्ध घी मिल सके और जो बनस्पति खाना चाहते हों वे बनस्पति लें, इसके लिये रंग का होना जरूरी है। जब तक रंग का मसला तै नहीं होता है तब तक वह भी जारी रहे मगर ऐसा इन्तजाम कर दिया जाय कि मिलावट न हो। इसलिये मैंने संशोधन रखा है कि यह कर दिया जाय कि लायसेंस मुकर्रर कर दिया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा यह अर्ज करूंगा कि बनस्पति घी बेचने के लिये लायसेंस हो। (कुछ आवाजें—लायसेंस है।) अगर है तो ठीक है लेकिन मेरा ख्याल है कि आज कोई भी आदमी बिला लायसेंस के बनस्पति घी बेंच सकता है और इसमें यह बात रख दी जाय कि साइनबोर्ड लगावे और वह असली घी न बेंच सके। आज बहुतसे दुकानदार बिला लायसेंस के बेंच रहे हैं और न उनके यहां साइन बोर्ड लगता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जब तक इसके लिये कोई रंग नहीं मिलता है उस वक्त तक कम से कम ऐसा कर दें कि रोक लगा दें कि वह धोखा न कर सके। यह तो बड़े दुख की बात है और खेद का विषय है कि हमारा देश जो इतना आगे बढ़ा हुआ है और विज्ञान में भी तरक्की कर रहा है, वह आज एक रंग नहीं निकाल सका जो पकने पर या और तरह से इस्तेमाल करने पर गायब न हो और जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक न हो और साथ में पक्का हो और घी में न मिल सके, इसका हमारे देश पर लांछन है। मैं तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसके लिये विशेष प्रयत्न करें कि अपने देश के खास-खास वैज्ञानिकों को ऐसा रंग निकालने के लिये कहें जो अहितकर न हो स्वास्थ्य के लिये और साथ में घी में न मिल सके और रंग पक्का हो। इन शब्दों के साथ मैं यह संशोधन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैं एक बात जानकारी के लिये जानना चाहता हूं कि कब तक अमेंडमेंट्स लिये जायेंगे और कितने आ चुके हैं?

श्री उपाध्यक्ष—अभी तीन-चार अमेंडमेंट्स और हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—अभी भी लिये जा सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—हां, देते रहिये अगर सदन को कोई दूसरा काम न करना हो।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, क्या कोई बिना संशोधन दिये बोल नहीं सकेगा?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसके बाद वाद-विवाद होगा और उसमें सब बोल सकेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि संकल्प की पंक्ति २ व ३ में शब्द "अपितु वह हानिकारक है" निकाल दिये जायं तथा "अतः" के आगे "दिया जाय" तक निकाल दिया जाय और उसके आगे यह जोड़ दिया जाय "भारत सरकार से यह सदन पुरजोर शब्दों में अपील करता है कि बनस्पति घी पर शीघ्रातिशीघ्र रंग चढ़ा दिया जाय"।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मेरा संशोधन इस प्रकार हो जाता है कि:—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि बनस्पति घृत से वास्तविक घृत का भ्रम होता है और बनस्पति घृत स्वास्थ्य के लिये वास्तविक घृत के समान गुणकारी नहीं है। अतः भारत सरकार से यह सदन पुरजोर शब्दों में अपील करता है कि बनस्पति घी पर शीघ्रातिशीघ्र रंग चढ़ा दिया जाय"।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह जो मेरा संशोधन है यह माननीय रणंजय सिंह जी को ही नहीं बल्कि सारे सदन को मान्य होना चाहिये। श्रीमन्, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कि यह कहते हैं कि डालडा फायदा पहुंचाने वाला है बल्कि परेशानी लोगों को यह होती है कि वह असली घी की जगह पर डालडा खरीद लेते हैं और जो लोग नहीं भी खरीदना चाहते हैं वह भ्रम में खरीद लेते हैं और नुक्सान उठाते हैं। असल में उद्देश्य यह होना चाहिये कि डालडा पर रंग चढ़ा दिया जाय और फिर जिसकी इच्छा हो वह खरीदे जिसकी इच्छा न हो वह न खरीदे और जहां तक मेरा ख्याल है कि भारत सरकार भी इससे सहमत है कि डालडा पर रंग चढ़ा दिया जाय। लेकिन किस प्रकार का रंग चढ़ाया जाय यह अभी विवाद का विषय ह। पता नहीं कब तक यह पूरा हो सकेगा? इसलिये सदन से अपील करना चाहता हूं कि डालडा पर रंग चढ़ा दिया जाय। मैं समझता हूं कि शायद यह राज्य सरकार के बूते के बाहर का सवाल हो। इसलिये पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सरकार के बूते के अन्दर है कि इस तरह के प्रस्ताव आयें और सरकार उनको पूरा कर दे।

श्री शिवनारायण—कोई आप रंग सजेस्ट करते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सही है कि डालडा नुक्सानदेह है लेकिन अगर लोगों को घी नहीं मिलता है तो सवाल सबके सामने आना चाहिये कि जब घी नहीं मिलता है तो कैसे घी का उपयोग करें। सब को भैंस गाय का घी मिलता नहीं है। सब को शुद्ध कड़ुवा तेल भी नहीं मिलता है और बहुत से लोग इस प्रदेश में और देश में शुद्ध घी के बदले में बनस्पति घी से अपना काम चलाते हैं। यह बात सही है कि यह घी स्वास्थ्य के लिये हानिकर है लेकिन लोग मजबूर होते हैं। उनको आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिये वह ऐसा करते हैं। आवश्यकता की पूर्ति के लिये मनुष्य बहुत बुरा काम भी करने के लिये तैयार हो जाता है। श्रीमन्, आप जानते हैं कि क़ै किया हुआ खाना किसी को नहीं खाना चाहिये लेकिन क्या सदन इसको नहीं जानता है कि बंगाल में अकाल पड़ा, उस समय लोगों ने क़ै किया हुआ चावल भी खाया। तो यह कहना बिल्कुल भ्रमोत्पादक है कि विवश हो कर आदमी अच्छा ही काम कर सकता है। मैं आप से निवेदन करूंगा इस प्रस्ताव की उस समय आवश्यकता नहीं होगी जिस समय हमारे देश में लोगों के लिये पूरा-पूरा घी पैदा हो सके और मिलने लगे। हमारे देश में आप जानते हैं कि ८ करोड़ के करीब गाय भैंस ह, इन ८ करोड़ गाय भैंस का दूध निकाला जाय और उस का घी तैयार किया जाय तो मैं समझता हूं कि वह दूध और घी भी हमारे देश के लिये बहुत ही कम होगा और वह सारे देश की आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकेगा। ऐसी हालत में यह पाबन्दी लगा देना कि डालडा की बिक्री बन्द कर दी जाय यह मैं अनावश्यक समझता हूं क्योंकि कोई भी बात तथ्यपूर्ण होनी चाहिये और कोई भी संकल्प विचार पूर्ण आना चाहिये जो सर्वमान्य हो। यह सार्वदेशिक सवाल है। तो मैं ज्यादा वक्त न ले कर माननीय नियोजन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारा यह संशोधन है वह सर्वमान्य है और उसको वह कृपा कर स्वीकार करें।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन भी उसी प्रकार का है जैसा कि रामसुन्दर पांडेय जी का है। उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं।

[श्री झारखंडे राय]

दूसरी पंक्ति में जो वाक्यांश है "घी के समान गुणकारी नहीं है" मैं समझता हूं इसमें "है" के बाद एक पूर्ण विराम लगा दिया जाय। उसके बाद के जितने शब्द हैं वे सब निकाल दिये जायं और उनकी जगह पर ये शब्द रखे जायं "इसलिये यह सदन केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करता है कि वह अविलम्ब वैज्ञानिक विशेषज्ञों की एक कमेटी नियुक्त करे जो शीघ्रातिशीघ्र डालडा को कलर्ड करने की व्यवस्था करें।" श्रीमन्, डालडा घी में सब से बड़ा दोष यह है कि जो आदमी घी खरीदना चाहता है वह घी के दाम दे कर डालडा मिश्रित घी या डालडा घी, उस में रंग न होने की वजह से पाता है। इसमें सबसे बड़ी हानि यही है। अगर घी के चाहने वाले को घी ही मिले और डालडा चाहने वाले को डालडा ही मिले तो कोई व्यावहारिक हानि नहीं होती है। किन्तु देश में यदि कोई डालडा को इस्तेमाल करना चाहता है तो उस को उस के इस्तेमाल करने की व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन घी के भ्रम में डालडा जो बाजारों में मिल रहा है उसके लिये रोक होनी चाहिये और उस को रोकना सरकार का कर्तव्य है और यह हमारे सुझाव का मूलविन्दु है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक कोई रंग नहीं निकल सका है जिससे शुद्ध घी में और डालडा में अन्तर किया जा सके। मैं समझता हूं कि दुनियां के आधे भाग में पूंजीवादी व्यवस्था है। और पूंजीवादी व्यवस्था के संचालकों ने उन दिमागों को भी खरीद लिया है जो वैज्ञानिक कहे जाते हैं। ऐसे लोग अपनी पूंजी के बल पर देश का शासन चलाते हैं। वनस्पति घी के विरुद्ध काम करने वालों को इसके कारखानेदार खरीद लेते हैं। यह सब पूंजी के बल पर होता है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार इसके जो वैज्ञानिक विशेषज्ञ हों उनकी एक कमेटी इस विषय में नियुक्त करे जो इस विषय में उस की जांच पड़ताल कर के ऐसे रंग का अन्वेषण करें जिससे घी और डालडा के रंग में फर्क किया जा सके।

जहां तक डालडा के बाजार में बिकने और उससे संबंधित कारबार तथा उसमें लगे हुये मजदूरों का ताल्लुक है, कृषकों के लाभ का प्रश्न है, उस विषय में माननीय रामेश्वर लाल जी ने सब बातें स्पष्ट कर दी हैं कि इसको बन्द कर देने से सचमुच हमारे देश एक प्रमुख उद्योग को हानि होगी। और उसमें लगे हुये हजारों लोग बेकार हो जायेंगे। इसलिये डालडा बनस्पति के खुले रूप में बिकने में मनुष्यों को जो मुख्य एतराज है वह यह है कि उसका और घी का रंग एक सा है। अगर इस चीज को दूर कर दिया जाय तो मुझे तो कोई हानि दीखती नहीं है। इसलिये मैं सदन का अधिक समय न ले कर यह चाहूंगा कि इसको कलर्ड करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सिफारिस की जाय। आशा है माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि मूल प्रस्ताव की दूसरी पंक्ति में "और वनस्पति घृत.....लगा दिया जाय" तक का वाक्यांश निकाल दिया जाय और यह शब्द जोड़ दिये जायं "इसलिये सरकार ऐसे नियम बनाये जिससे बनस्पति केवल लिक्विड रूप में रहे और जमें हुये रूप में न बनाया जा सके।"

अब इसका रूप यह हो जाता है —

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि वनस्पति घृत से वास्तविक घृत का भ्रम होता है इसलिये सरकार ऐसे नियम बनाये कि वह लिक्विड रूप में रहे और जमे हुये रूप में न बनाया जा सके।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में दो बातें हैं एक तो यह कि वनस्पति घी, शुद्ध घी में मिलाया जाता है और उससे भ्रम पैदा होता है। दूसरी बात यह है कि उससे हानि होती है यानी यह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, इसलिए इस को रंग दिया जाय और इसको बेचना बिल्कुल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बंद कर दिया जाय। हालांकि इस प्रस्ताव के जो दो हिस्से हैं उनमें आपस में विरोध है। लेकिन फिर भी जहां तक मूवर की इस बात का ताल्लुक है कि इसको रंग दिया जाय तो वह स्वास्थ्य के लिये अच्छा हो जायगा, इसलिये वह बिक भी सकता है और अगर रंगा न जाय तो वह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होगा, और इस पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण भी दे दिया यह दलील मेरी समझ में नहीं आयी। मैं उनकी इस चीज से सहमत हूं कि बनस्पति घी को शुद्ध घी में मिला कर बेचा जाता है किन्तु कुछ लोग प्रिजुडिस्ड हैं और बनस्पति घी के खिलाफ जो प्रचार किया गया है उसमें जरा साइन्टिफिक अप्रोच की कमी है। जब कि लोग कहते हैं कि वनस्पति घी हानिकारक है लेकिन अगर साइंटिफिक तरीकों से देखा जाय तो हम किसी दूसरे ही नतीजे पर पहुंच सकते हैं। और मंत्री महोदय जो स्वास्थ्य विभाग के हैं अगर वे उसकी जांच करायें तो उस जांच का नतीजा शायद यह निकलेगा कि वनस्पति एक रिफाइंड आइल है। कई तरह के तेलों से यह आइल बनाया जाता है लेकिन इसकी शक्ल तेल की नहीं रह जाती, उसका रंग साफ हो जाता है और वह जमा हुआ होता है। हो सकता है कि जिस तरह से गुड़ में जो गुण है वह डिस्टिल्ड शुगर में कुछ कम हो जाता हो, जिस तरह से कूड आयल यानी घानी के तेल में जो गुण है वह वनस्पति तेल में कुछ कम हो जाता हो। इतनी जानकारी तो मेरी है नहीं, ऐसा हो सकता है लेकिन वह इतना हानिकारक है कि उसका इस्तेमाल बिलकुल बन्द कर दिया जाय, अभी तक इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कम से कम मैं अपनी ऐसी राय देने के लिये तैयार नहीं हूं। एक दिक्कत और भी है, दिक्कत यह है कि अगर आज वनस्पति घी को बिल्कुल बन्द कर दिया जाय सारे हिन्दुस्तान में तो उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि घी उतना काफी नहीं है जितना कि हम चाहते हैं। घी और दूध हमारे देश में बहुत नाकाफी है, बहुत कम है। दूध हमको उतना नहीं मिलता जितना कि हम दूध पीना चाहते हैं या जितना कि हमको पीना चाहिये। घी उतना है नहीं जितना कि हमारे देश को चाहिये। फिर हमारे लिये रास्ता केवल यह रह जाता है कि घी जब न हो तो हम तेल इस्तेमाल करें। तेल इस्तेमाल करने में बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं। मैं नहीं जानता कि सारी फौज के लिये हम शुद्ध घी दे सकेंगे या नहीं, और अगर घी नहीं दे सकते और बनस्पति घी बन्द हो जाय तो क्या हम उनको तेल दे कर सन्तुष्ट रख सकेंगे या नहीं? अगर यह सवाल मेरे सामने आवे तो मैं एकाएक यह कह सकूंगा कि वनस्पति घी इस वक्त बिलकुल बन्द हो जाय या उस का तैयार होना बन्द हो जाय। आज बहुत से गरीब आदमी हैं जो अपने मेहमानों को, जब वे उनके घर आते हैं तो घी तो वे खिला नहीं सकते क्योंकि घी है नहीं और अगर तेल की पूड़ी खिलाते हैं तो इसमें अपनी इज्जत में कमी समझते हैं और इस तरह से वनस्पति घी पर ही वे अपना गुजारा कर लेते हैं और जमाना जिस तरह से चल रहा है उसमें उनकी भी गुजर हो जाती है। कम से कम वे समझते हैं कि उनकी बेइज्जती नहीं हो रही है। आज वनस्पति घी को अगर रंगा जाय और अगर एलान कर के रंगी हुई पूड़ी खिलायी जाय कि हम तुमको रंगी हुई पूड़ी खिला रहे हैं तो बड़ी मुश्किल हो जायगी क्योंकि जो गरीब आदमी हैं वे घी की अदम मौजूदगी में अपने मेहमानों को तेल की पूड़ी खिलाते नहीं है बल्कि वनस्पति घी की पूड़ी खिलाते हैं और उसमें अपनी इज्जत बची हुई समझते हैं। रंगी हुई पूड़ी और रंगी हुई मिठाई खिलाने से कम से कम दिमाग साइकोलाजिकली सेटिस्फाइड नहीं होगा फिर रंग भी ऐसा होना चाहिये जो नुक्सान न दे, यह भी मुश्किल है। फिर जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि अगर रंगा जा सका तो साइंस हमारा इतना पीछे नहीं है कि उसका डिकलराइजेशन न हो, रंग को हटाया जा सकेगा तो इससे सिवा इसके और कुछ नहीं होगा कि आप एक इंसेंटिव और लोगों को बेइमानी करने का मौका दें। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिये मेरा यह संशोधन केवल इसलिये है कि एडल्ट्रेशन को दूर करने की जो बात है वह इस वक्त प्रैक्टिकल प्रपोजीशन नहीं है, वह अमल में नहीं आ सकता है जब तक कि हम बहुत ज्यादा गाय और भैंस पाल कर अधिक घी दूध न पैदा करें। यह एक दो साल का सवाल नहीं है, एक दो पंच वर्षीय योजना तक भी शायद काफी न होगा। जब तक कि वह जमाना न आये, जब

[श्री मोहनलाल गौतम]

तक कि घी दूध काफी न हो तब तक वनस्पति घी का बनना रोका नहीं जाना चाहिये और उसका रंगना गलत होगा। लेकिन इतना जरूर है कि उसको घी में मिलाने का अधिकार न होना चाहिये। चूंकि मैं समझता हूं कि हो सकता है कि कोई और रास्ता निकले लेकिन मेरे संशोधन का मुख्य अंग यह है कि कोई रास्ता ऐसा निकाला जाय कि उसे शुद्ध घी में न मिलाया जाय। जो शुद्ध घी खाना चाहे उसको घी मिले और जो वनस्पति घी खाना चाहे उसको बनस्पति घी मिले। आज हालत यह है कि दाम तो शुद्ध घी का दिया जाता है और खाने को बनस्पति घी मिलता है, यह चीज बहुत गलत है। जो चीज मैं समझ सका हूं वह यह है कि इसका रोकना बहुत मुश्किल है और मुनासिब भी नहीं है। लेकिन इसको लिक्विड फार्म में ही रखा जाय, सालिड फार्म में न बनाया जाय। इससे शायद असली घी में मिलाना मुश्किल होगा और इस तरह से जो घी में एडल्ट्रेशन होता है वह बन्द हो जायगा,। मेरे संशोधन का केवल इतना ही उद्देश्य है। अगर इतना हम कर दें तो मेरे ख्याल से घी शुद्ध मिलेगा और वेजिटेबिल और तेल भी अपनी जगह पर बिकें और जो जिस चीज को खाना चाहे वह खावे। अब रही स्वास्थ्य के लिये लाभ या हानि पहुंचाने की बात, तो यह प्रश्न स्वास्थ्य का ऐसा है कि जिसके लिये मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं केवल एक लेमैन हूं, इस हाउस में शायद दो चार डाक्टर हैं शायद उनको भी इस विषय में ज्ञान है या नहीं यह मैं नहीं कह सकता लेकिन हम इस विषय में कोई राय नहीं दे सकते हैं। यह तो स्वास्थ्य विभाग का काम है कि वह देखे कि जो भी खाने की चीजें बिकती हैं वह ऐसी न हों कि जिनसे नुक्सान हो। मैं समझता हूं कि इस विषय में रिसर्च की जाय और अगर नुक्सान होता है तो उस खराबी को दूर तो होना चाहिये, अगर उस में कोई ऐसी गैस भर दी जाती है कि जिससे नुक्सान पहुंचता है तो उस को भरने की इजाजत मिल मालिकों को न दी जाय, लेकिन बगैर जांच किये ही यह कहना कि वह नुक्सानदेह है, वह हम लोगों के लिये मुनासिब नहीं है। उस के खिलाफ़ कुछ ऐसा प्रिजुडिस है कि लोग उसको बुरा समझते हैं और हमारे दिमाग़ में ऐसी चीज भर गई है। मैं भी बनस्पति घी नहीं खाता, गुप्ता जी भी शायद नहीं खाते हों, वह भी शायद दावत में डलाडा हो तो जाना पसन्द न करें। यह तो अपनी राय है लेकिन उनके बारे में यह कहना कि उसे कोई न खावे, यह एक प्रेक्टिकल प्रोपीजीशन न होगा और उस से बहुत सी दिक्क़तें और कम्पलीकेशन्स पैदा हो सकती हैं। इस वास्ते हमें इसी चीज पर कन्सेन्ट्रेट करना चाहिये कि वह घी में न मिलाया जाय और उस सम्बन्ध में जो उपाय बतायें जायं उन पर सरकार गौर करे, इतना ही मुझे कहना है।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि जो मूल प्रस्ताव है उसकी तीसरी लाइन में शब्द "अतः जब तक..... लगा दिया जाय" निकाल दिये जायं और उन के स्थान पर यह शब्द जोड़ दिये जायं "इसलिये सरकार इसको घी के नाम से न बिकवा कर अन्य तेलों की भांति बिकवाये।"

जैसे कि अन्य माननीय सदस्यों ने बताया इस प्रस्ताव के कई अंग हैं। इस बात पर कि डालडा से असली घी का भ्रम होता है इस सदन में दो रायें नहीं हैं। सब जानते हैं कि आजकल डालडा घी का असली घी में एडलट्रेशन होता है और कहीं कहीं-खुले हुये पीपों में से असली घी के नाम से व्यापारी बेच लेते हैं जिससे आम जनता को बड़ा धोखा और भ्रम होता है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वह यह है कि वह स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद है या नहीं, इस विषय में भी लोगों के भिन्न-भिन्न मत हैं। इस विषय में एक बार केन्द्रीय सरकार ने कुछ डाक्टरों की एक कमेटी बिठाई थी और उस कमेटी की पहली रिपोर्ट में यह था कि डालडा या जो अन्य वेजिटेबिल घी हैं वह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं। इस के बाद कुछ देश के वेस्टेड इन्टेरेस्ट्स के असर से बाद में एक और कमेटी इस काम के लिये बिठाई गई और उस की रिपोर्ट से साबित हुआ कि वेजिटेबिल घी स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं हैं। वह दो भिन्न किस्म की एलोपैथिक डाक्टरों की राये हैं। परन्तु हमारे

वैद्यों और हकीमों का तो यह निश्चित मत है कि वनास्पति घी स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। मैं इस चीज में जाना नहीं चाहता, मैं इसको इस पहलू से देखता हूं कि जहां हमारे प्रदेश में और बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं उनमें से यह भी हमारी एक इंडस्ट्री है। मैं नहीं जानता कि इसको वेजिटेबिल घी नाम किस तरह से मिला। परन्तु अब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि अब इस का नाम बजाय घी के तेल हो गया है, तब तो मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन ही खत्म हो जाता है। अब मैं घी की बात न कह कर यह कहूंगा कि यह हमारी तेल की इंडस्ट्री है और हमारे देश में ऐसे काफी लोग हैं जो तेल खाना पसन्द करते हैं और खाते हैं और कुछ लोगों में तो ऐसे कस्टम्स हैं कि वह तेल ही खाते हैं--जैसे बंगाल में और बिहार में कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति के कारण तेल खाते हैं और उनकी हालत एसी नहीं है कि वह घी खा सकें। और विशेष कर आज के समय में जब कि गाय और भैंसों की स्थिति इस प्रदेश में इतनी खराब है कि घी की उत्पत्ति बहुत कम है और यह क़ीमती बैठता है तो मैं समझता हूं कि लोगों को इसको तेल समझ कर इस्तेमाल करने की इजाजत रहनी चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि हम बाजार में जायें तो घी खरीदने और ५ व ६ रुपया सेर का दाम दें लेकिन उस में मिला हो आधे से अधिक वनस्पति तेल! तो इस सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि यह जो इसका हाइड्रोजिनेशन होता है उसको बन्द कर दिया जाये और इसको लिक्विड फार्म में ही रक्खा जाय तो ऐडल्टरेशन करने में काफी कठिनाई होगी।

एक बात यह कही गयी कि इसकी विक्री पर प्रतिबन्ध हो। मुझे शक है कि इस बात का अधिकार भी इस सरकार को है कि वह वेजिटेबिल घी की विक्री पर कोई प्रतिबन्ध लगाए, क्योंकि संविधान की धारा १०९ ऐसी है जिसमें फ्रीडम आफ ट्रेड है। कुछ साथी शायद यह कहें कि स्टेट गवर्नमेंट्स को यह भी अधिकार दिया गया है कि यदि वह जनहित में चाहे तो कुछ व्यापारों पर प्रेसीडेंट की राय से प्रतिबन्ध लगा सकती है, मगर जहां तक वनस्पति तेल का सम्बन्ध है वह इसमें आता नहीं इसलिये इसका प्रश्न नहीं उठता। इसके साथ साथ हमको यह भी सोचना चाहिये कि इस इंडस्ट्री के अन्दर सकड़ों और हजारों मजदूर काम करते हैं। यदि हम इसको बन्द करते हैं तो हम उनकी बेकारी बढ़ायेंगे। जब तक हम उनके लिये भी कोई प्रबन्ध न करें तब तक इसकी विक्री को बन्द करने की बात सोचना उचित नहीं है।

जहां तक रंग देने की बात है मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों की भी यही नीति है कि जल्द से जल्द यदि कोई प्रादेशिक या देश के वैज्ञानिक रंग दे सकें जो कि बाद में हटाया न जा सके और जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक न हो तो वह चाहते हैं कि इसको रंग दिया जाय ताकि ऐडल्टरेशन न हो। मैं नहीं जानता कि इस वैज्ञानिक युग में ऐसी बात क्यों नहीं हो पा रही है, लेकिन ऐसी अफवाह है कि इस प्रदेश के और देश के उद्योगपतियों का इसमें हाथ है जो इस तरह की बात नहीं होने देना चाहते। मैं समझता हूं कि सरकार का यह फर्ज है कि इस भ्रान्ति को दूर करे कि क्यों सरकार की नीयत अच्छी होते हुए भी उद्योगपतियों की साजिश है जो सरकार की इस नीति को कामयाब नहीं होने देती। सरकार को इस बात को साफ करना चाहिये और कम से कम इस बात का आश्वासन होना चाहिये लोगों को जिससे इस तरह की बात न हो और लोग समझने लगें कि सरकार इस ओर प्रयत्नशील है कि कम से कम ऐसा रंग जल्दी से जल्दी निकाला जाय। अन्त में मैं प्रस्ताव के पहले हिस्से का समर्थन करता हूं कि ऐडल्टरेशन की बात खत्म हो जाय। जो वनस्पति तेल खाना चाहें वे वनस्पति खावें और जो असली घी खाना चाहें वे असली घी खावें लेकिन मैं इसके दूसरे भाग का विरोध करता हूं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि संकल्प की दूसरी पंक्ति में "गुणकारी नहीं है" के पश्चात् का सारा वाक्यांश निकाल कर उस के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:

"अतः यह सदन भारत सरकार से प्रार्थना करता है कि वह जमाये हुए मूंगफली व तिल के तेल का घी से विभेद करने के लिये उस के रंगने के संबंध

[श्री ब्रजभूषण मिश्र]

में शीघ्र कोई ठोस कार्यवाही करे जिससे इस संबंध में कानून बनाया जा सके।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का सीधा सा अर्थ तो यह है कि इस समय जो पेचीदिगियां पैदा हो गयी हैं, उनका कुछ समाधान निकाला जाय। यह कहना कि वनस्पति घी स्वास्थ्य के लिये गुणकारी है दिन को रात बताना है। दुनिया में ७ आश्चर्य थे लेकिन यह ८ वां आश्चर्य है! अगर कोई यह कहे कि डालडा स्वास्थ्य के लिये गुणकारी है, यह कदापि गुणकारी नहीं है, यह बात स्वयं सिद्ध है। जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता ने बतलाया कि जो लोग डालडा बनाते हैं, जो बड़े बड़े कारखाना चलाते हैं वे स्वयं डालडा का इस्तेमाल नहीं करते। वे अपने लिये तो भैंसें रखते हैं और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो डाक्टर साहबान इसकी राय देते हैं कि स्वास्थ्य के लिये यह हानिकारक नहीं है वे स्वयं इसको इस्तेमाल नहीं करते और यदि वे इसका इस्तेमाल करते हैं या स्वास्थ्यवर्धक मानते हैं तो मैं कहूंगा कि यह उन्हीं को मुबारक हो। हमारे देश की जनता को तो इस से बचाया जाय। मैं तो यह मानता हूं कि चाय और डालडा ये दोनों चीजें हिन्दुस्तान की गरीबी और दारिद्रय की निशानी हैं। ये दोनों हमारी गरीबी का खुला विज्ञापन है। ज्यों-ज्यों हिन्दुस्तान में गरीबी बढ़ती चली जाती है त्यों त्यों इसका प्रचार अधिक होता जाता है। लोगों ने कहा कि हम ब्याह शादी में पूड़ी बनाते हैं और उन्हें खिला कर अपनी इज्जत बचाते हैं। जहर खिला कर इज्जत बचाना कोई इज्जत बचाना नहीं है! हमारे एक साथी ने कहा कि इसके कारखानें में लाखों गरीब मजदूरों को रोजगार मिलता है। मैं पूछता हूं कि कुछ लोगों को रोजगार दे कर १०,२०, ५० गुना लोगों को जहर खिलाना यह किसी प्रकार उपयुक्त नहीं हो सकता, मान्य नहीं हो सकता। मुझे तो उधर के भाषण सुन कर कुछ अजीब सी उलझनें पैदा हो गईं। आज माननीय रामेश्वर लाल जी और एक अन्य सदस्य ने जो भाषण किये हैं और डालडा के प्रति जो प्रेम दिखलाया है तो मैं उनसे पूछता हूं कि यह डालडा के प्रति प्रेम उनका है या डालडा के कारखानेदारों के प्रति। मेरी समझ में कुछ बात आई नहीं इसलिये मैं उनसे पूछता हूं कि कृपा कर के वे ही बतलायें कि यह प्रेम उनका किसके प्रति है?

श्री जगन्नाथ मल्ल—वहां के मजदूरों के प्रति।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—मेरी आशंका है कि सम्भव है कि जो इलेक्शन आने वाले हैं उनको दृष्टि में रख कर कारखानेदारों की खुशामद कर के उनको प्रसन्न रखने के लिये उनकी यह भूमिका हो। इस रूप में तो मैं मान सकता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि यह उनके विश्वास की बात नहीं है जो उन्होंने कहा है अगर वह यह मानते हों कि यह शरीर के लिये स्वास्थ्यवर्धक है तो अपने शरीर में तो वे चाहे भले ही स्वास्थ्य वर्धक सिद्ध कर रहे हों पर बुद्धि से तो उन्होंने इसे स्वास्थ्य-वर्धक सिद्ध नहीं किया। इसलिये यह कहना कि डालडा किसी प्रकार के स्वास्थ्य के लिये लाभदायक है दुनियां का ८ वां आश्चर्य ही है! रामेश्वरलाल जी ने यह कहा कि सैकड़ों बुरी चीजें चल रही हैं तो एक इसको भी चलने दिया जाय। मैं इसका यही मतलब समझता हूं कि अगर किसी की एक टांग टूटी हो और एक टांग बची हो तो उसे भी तोड़ दी जाय। एक भी रख कर क्या होगा? एक रुपये में ४ चवन्नी होती हैं, अगर तीन खो गयी और एक बच रही तो एक चवन्नी भी ले कर क्या करोगे, उसे भी फेंक दो, यह कोई दलील नहीं है। १०० चीजें बुरी चल रही हैं लिहाजा यह चीज भी चलने दी जाय यह कोई दलील नहीं है। एक सज्जन ने कहा कि दुर्भिक्ष होने पर लोग कै किये हुये चावल तक खाते हैं। उन्होंने स्वयं अपने तर्क से, दलील से, उदाहरण से यह सिद्ध किया कि वे कितनी दूर तक जा सकते हैं और डालडा को कितना बुरा मानते हैं जबकि उन्होंने कहा कि कहतसाली में मनुष्य कै का चावल भी खाता है, इसलिये डालडा भी खा लेना चाहिये! यह रामसुन्दर पांडेय जी ने कहा था, वह कहते-कहते स्वयं भूल गये और ऐसी बात कह गये जिसने उनकी जमीन को ही गायब कर दिया। इस तरह यह सब तरह से सिद्ध है कि यह

स्वास्थ्य के लिये लाभदायक नहीं है, हानिकारक है । वकील और डाक्टर, उनके प्रति पूरा सम्मान रखते हुये मैं इतना बताना चाहता हूं कि वकीलों ने मुकदमेबाजी और बेईमानी फैलायी और डाक्टरों ने मर्ज और बीमारी फैलायी ! इस वास्ते जो मैंने संशोधन पेश किया है वह इसलिये कि भारत सरकार से प्रार्थना की जाय क्योंकि उसमें बहुत सी कानूनी अड़चनें हैं, हम यह जानते हैं कि हमारी सरकार कहां तक जा सकती है और कहां तक सम्भव हो सकता है । आदर्श की चीजें दूसरी होती हैं लेकिन आदर्श को व्यवहार का जामा पहिनाना पड़ता है । इस वजह से मैंने यह संशोधन रखा है कि भारत सरकार से प्रार्थना की जाय । मैं चाहता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश इस सम्बन्ध में अगुआयी करे और भारत सरकार को राय दे कर जोर डाले कि इसे बन्द करने के लिये जल्द कदम उठाया जाय । डालडा पर रंग चढ़ाने की व्यवस्था की जाय । जब रंग चढ़ाने की व्यवस्था हो जायगी तभी हम को आगे चल कर कानून के जरिये से इसको रोकने का आधार मिलेगा और सुविधा प्राप्त होगी । इस तरह से मैं चाहता हूं कि जो मेरा संशोधन है उसको स्वीकार किया जाय । डालडा के पक्ष में जो यह कहा जाता है कि यह स्वास्थ्य-वर्द्धक है, वह थोथी बातें हैं । इन बातों की भूलभुलइया में नहीं पड़ना चाहिये और ईमानदारी के साथ सामने आना चाहिये । मंत्री हों या डाक्टर हों या कोई हों जो विश्वास करते हों उसे जनता के सामने साफ-साफ कहना चाहिये । उसको मान करके चलना चाहिये और उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को उपस्थित करता हूं ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि संकल्प की पंक्ति ३ व ४ में शब्द "समस्त राज्य" के बजाय "उत्तर प्रदेश" रख दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत से भाषण इस सदन में सुने । माननीय ब्रजभूषण जी को सुन कर तो मुझे यह खयाल आया कि अगर कभी इस सदन के अन्दर कोई किसी मिल के किसी कपड़े की बात कर दे कि वह अच्छा है या बुरा है तो उससे मतलब लगाया जा सकता है कि कुछ मिल मालिकों से एलेक्शन के लिये रुपया लेते हैं । उन्होंने कुछ अभी आक्षेप सा किया । हमारे रामेश्वरलाल जी ने ऐसी बातें कहीं, उसकी तारीफ की, तो किसी मिल वाले से मिल गये या एलेक्शन आगे लड़ने की बात करते हैं । मैं इसके आगे क्या कहूं । 'जाकी रही भावना जैसी' इसके आगे मैं क्या कहूं । लेकिन मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब तब हुआ जबकि गौतम जी का संशोधन आया । समझ में नहीं आया वह क्या कह रहे हैं ! गरमी के दिनों में क्या होगा उसका ? घी भी पिघल जाता है उस वक्त क्या होगा ? तो गर्मियों में न मिलाये जाड़ों में मिलायें जब वह जम जाय । हो सकता है जैसा कि मैंने बोलने के लिये अमेंडमेंट रखा है वैसे माननीय गौतम जी ने भी रखा हो ।

श्री मोहनलाल गौतम—किसी भी अवस्था में अगर डालडा घी में मिला होगा, जब जम न सकेगा तो उसको जमा कर देखा जा सकेगा, घी अलग हो जायगा और लिक्विड अलग हो जायगी ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—इसमें हो सकता है कि कोई आदमी डालडा को अच्छा भी बता सकता है । लेकिन आज इस देश में सारे लोगों की यह राय है कि डालडा हानिकारक है । डालडा से मेरा मतलब नहीं है—डालडा के नाम से सारे बनस्पति तेलों को कहा जाता है । अगर बाजार से बनस्पति घी लाना हुआ तो कहते हैं कि डालडा ले आना । इसलिये यह बनस्पति घी जो है, उसे कोई डालडा के नाम से पुकारता है और कोई किसी नाम से, वह किसानों को, मजदूरों को और आम साधारण जनता को मजबूरी से खाना पड़ता है और सभी समझते हैं कि इसमें कुछ अच्छाई नहीं है, इससे देश का भला होने वाला नहीं है । बहुत से लोग ऐसा भी कह दिया करते हैं कि आज बनस्पति घी से चाहे कोई बुरा असर न पड़ता हो लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि तीसरी संतान

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

जब पैदा होगी, उसके जो बच्चे पैदा होंगे वह अंधे हो जायेंगे ! ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। मेरे गांव में भी लोग ऐसा ही कहते हैं कि आगे की संतान इसके खाने से अंधी हो जायगी,लेकिन मजबूरी इस बात की है कि बाजार में घी भी नहीं है और लोग मजबूरी में अपनी इज्जत रखने के लिये इस बनस्पति घी को खाते और अपना खाना इसमें बनवाते हैं। मैं समझता हूं कि इसका रंगा जाना बहुत आवश्यक है और रंग करके इसको बेचा जाना चाहिये। यह बड़े दुःख की बात है कि जब हमारे बड़े-बड़े साइंटिस्टों ने एक बात शुरू की कि इसका रंग बदलना चाहिये तो वह अभी तक पूरी क्यों नहीं हो पाती। जैसा कि बसन्तलाल जी का कहना है कि उनके पास भी पूंजीपति पहुंच जाते होंगे कि सारा मामला ही चौपट हो जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि कम से कम वह अपनी राय तो दे दें कि यह बुरा है या भला है। अगर वह लोग जनरल तरीके पर यह कह दें कि यह डालडा बुरा है मैं तो समझता हूं कि कोई सरकार भी शायद इसका बनना और बेचा जाना बरदाश्त न कर सके। मजबूरी से जो डालडा खाना चाहता है उसको डालडा खाने दीजिये लेकिन जो असली घी खाना चाहते हैं उन लोगों को आज तो असली घी नहीं मिल पाता है ! असली घी में बनस्पति मिला हुआ रहता है। जब तक कि कोई व्यक्ति अपने घर में गाय या भैंस न रखे तब तक उसको इस बात का इतमीनान नहीं होता कि जो घी हम खा रहे हैं उसमें बनस्पति मिला हुआ नहीं है। तो इस बात को पूरा करने के लिये गाय या भैंस रखने की बात तो है ही लेकिन साथ-साथ मैं यह चाहूंगा कि इसकी कोई रोकथाम हो। एक रोकथाम माननीय रतनलाल जी ने बतायी। उन्हें शायद पता नहीं है कि एडल्ट्रेशन ऐक्ट जो बना हुआ है उसमें साफ लिखा है कि अगर आप डालडा से खाना बनाते हैं तो लिख दीजिये कि यह डालडा का खाना है। आज कल तो सारे दुकानदारों के घी का इंस्पेक्शन किया जाता है। उनके घी का सेम्पल लिया जाता है और अगर उसमें मिलावट निकलती है तो अदालत में जुर्माना होता है। यह तो एडल्ट्रेशन की बात है, मगर मैं चाहता हूं कि घी सचमुच में अच्छा मिले। अगर हम घी खाना चाहते हैं तो घी खायें और बनस्पति खाना चाहते हैं तो बनस्पति खायें। और इसका एक ही तरीका है कि इसके ऊपर आप रंग कर दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको अपना एक तजुर्बा बताऊं कि मैं घी का बड़ा शौकीन था। मैंने अपने यहां एक गांव वाले से कहा कि आप मेरे लिये अच्छा घी ला दीजिये, उसने कहा कि मैं आपको प्योर घी ला दूंगा। हमारे यहां दूर-दूर गांवों में जो हालत है वह मैं आपको बता रहा हूं। उसने कहा कि बहुत अच्छा घी लाऊंगा। कुछ दिन बाद एक दूसरे मेरे दोस्त मुझे मिले और उन्होंने कहा कि तुम उससे घी लेते हो वह तो घी में डालडा मिलाया करता है। और अगर आप तरकीब देखना चाहते हैं तो उसकी गैरहाजिरी में एक दिन उसके घर चलिये, मैं आपको दिखाऊंगा कि यह घी कैसे बनाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दिन जब वह गैरहाजिर था अपने दोस्त के साथ उसके घर गया। वहां जाकर मैंने देखा कि डालडा के टीन रखे हुये हैं, दूध उबल रहा है और दूध में डालडा मिलाया जा रहा है। घी को वह लोग इस तरह से बनाते हैं कि पता नहीं चलता कि यह असली घी है या डालडा। तो मैं कहना चाहता हूं कि आखिर जब यह पब्लिक ओपीनियन है कि यह बुरा है तो इस ओर कोई कदम उठाना जरूर चाहिये। एक रास्ता तो इस सिलसिले में यह है कि जानवर पाले जायं और उनसे हर एक आदमी असली घी प्राप्त करे। लेकिन यह रास्ता तो मुश्किल सा है अगर ऐसा भी हो तो जो मजबूरी में खाना चाहते हैं उन्हें बचाने के लिये एक ही कायदा हो सकता है और वह यह कि इसको रंगा जाय। अब यह रंगने का काम जैसा माननीय राम सुन्दर पांडेय ने कहा कि हमारी जो गवर्नमेंट आफ इंडिया है उससे रिक्वेस्ट करें कि कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे जहां फैक्ट्रीज हैं वहीं पर कोई रंग डाला जाय जिससे डालडा की पहिचान हो जाय, घी और डालडा अलग-अलग पहिचाना जा सके।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अन्दाज नहीं कि किसके रिजोल्यूशन का समर्थन करूं। मेरी तो इच्छा यह है क्योंकि बहुत से अमेंडमेंट ऐसे पेश हुये हैं जो खाली बोलने के लिये हुये हैं, तो जो मेरा अपना अमेंडमेंट है उसको तो मैं वापस लेता हूं, वह तो मैंने बोलने के लिये रखा था

और जो संशोधन माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने रखा है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया को हम ऐप्रोच करें, स्टेट गवर्नमेंट ऐप्रोच करे, और यह बताते हुये कि यह हमारे लिये हानिकर है और उसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिये कोई ऐसा रास्ता निकाला जाय जिससे पता चल सके कि डालडा कौन है और अच्छा घी कौन है ? इन शब्दों के साथ मैं राम सुन्दर पांडेय जी के अमेंडमेंट का समर्थन करता हूं ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---अभी २ अमेंडमेंट्स हैं ।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि संकल्प की अंतिम पंक्ति में "बिक्री" से पूर्व "उत्पत्ति और" शब्द बढ़ा दिये जायं ।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश की जनता सरकार से जिन बातों की तत्काल आशा करती थी उनमें से एक यह भी थी कि जो विलायती घी है इसका भी विलायती सरकार के साथ-साथ मुंह काला हो जायगा । पर आज ८ साल के बाद भी इस सदन को यह विचार करना पड़ रहा है कि इसमें रंग मिलाया जाय तथा इसकी बिक्री और उत्पत्ति पर प्रतिबन्ध लगाया जाय । किसी लोकोक्ति के अनुसार ठीक है कि 'प्रथम सुख निर्मल हो काया' किसी भी स्वतंत्र देश के लिये यह सबसे आवश्यक है कि वहां के निवासियों का स्वास्थ्य अच्छा हो, यह सब से पहली बात आवश्यक है । हमारी सरकार भी हर साल बजट में स्वास्थ्य की रक्षा एवं उन्नति के लिये करोड़ों रुपया खर्च करती है। कहीं ऐन्टी मलेरिया, कहीं ऐन्टी टी० बी०, बी० सी० जी० ड्राइव्ज इत्यादि-इत्यादि मनुष्यों और पशुओं के लिये । तो एक तरफ तो स्वास्थ्य की रक्षा के लिये खर्च हो काफी रुपया और दूसरी ओर ऐसी बातों को प्रचलित रखा जाय जिनसे स्वास्थ्य गिरता हो तो वह खर्च निरर्थक ही रहता है । इसलिये जहां कि माननीय गुप्ता जी जैसे स्वास्थ्य मंत्री हों जो भारतीयता और भारतीय संस्कृति के पुजारी ही न हों बल्कि अपने जीवन में उसे अमल में भी लाते हों वहां स्वास्थ्य के लिये सब प्रकार से हानिकारक बनस्पति घी आदि जो हैं यह प्रचलित रहे यह कुछ बात समझ में नहीं आती । डाक्टर लोग इसके लिये क्या कहते हैं ? अभी मुझसे पहले कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में बताया कि वे चाहे कुछ भी कहते हों लेकिन जो हमारा जनमत है वह यह कहता है कि यह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है । जब यह हानिकारक है तो संविधान के अनुसार हमारी सरकार इसके लिये नियम बना सकती है कि अपने यहां इसकी बिक्री या उत्पत्ति बन्द कर दे । तो क्यों नहीं जब तक केन्द्रीय सरकार इसके लिये रंग मिलाने की बात करे तब तक हम अपने प्रदेश में इसकी बिक्री या उत्पत्ति पर प्रतिबन्ध लगायें । कल ही इस आदरणीय सदन ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण गोवध निवारण विधेयक पास किया है । उसके पास होने के बाद जिस तरह कि वह हमारे देश के प्रत्येक मनुष्य के लिये, पशु और भूमि के लिये, एक उन्नति की बात हुई उसी प्रकार यह हमारे यहां के प्रत्येक प्राणी के लिये, उसके स्वास्थ्य के लिये, आवश्यक है कि इसको पास किया जाय । उत्तर प्रदेश जो सर्वदा अग्रणी रहा है इस तरह की बातों में, मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में भी वह एकरास्ता दिखलायेगा सारे देश के लिये इस घी जैसे अहितकर और अस्वास्थ्यकर वस्तु को अपने यहां से बिलकुल निकाल कर ! जहां तक रंग का सम्बन्ध है कई बार जैसा कि अभी बताया गया पहले कुछ सम्मत्ति आयी और बाद को कुछ सम्मति आयी । मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे पास मैन्चेस्टर से एक विद्यार्थी का जो कि यहीं इसी प्रदेश का रहने वाला है, पत्र आया है जिसमें उन्होंने मुझसे यह पूछा है कि सरकार ने कोई इनाम घोषित किया था ऐसे रंग को निकालने वाले के लिये जो कि बनस्पति घी में मिलाया जा सके, तो क्या सचमुच वह इनाम दिया ही जायगा । उन्होंने लिखा है कि उन्होंने इस पर खोज की है और खोज अभी भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि वह किसी ऐसे रंग को निकाल सकने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे । मैं चाहता हूं यदि माननीय मंत्री जी आवश्यक समझें तो मैं उनको उस विद्यार्थी

[श्री कृष्णशरण आर्य]

का पता दे सकता हूं, वह उनसे मालूम करें कि वह इस रंग को खोज पाये या नहीं। अगर वह ऐसा कोई रंग निकाल पायें तो बड़ा अच्छा है, हमारी सरकार को ही इसका श्रेय मिले कि उत्तर प्रदेश के ही विद्यार्थी ने ऐसा रंग निकाला। इन शब्दों के साथ मैं माननीय रणंजय सिंह जी के संकल्प का जो उन्होंने उपस्थित किया है माननीय बसन्त लाल जी के संशोधन तथा अपने संशोधन के साथ समर्थन करता हूं।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं :—

पंक्ति २ में शब्द "और बनस्पति घृत" से लेकर "हानिकारक है" तक निकाल दिये जायं। पंक्ति ३ में शब्द "वनस्पति घृत" से लेकर "जाय" तक के स्थान पर यह शब्द रख दिये जायं "ऐसा प्रबंध न हो कि यह घृत में मिलाया न जा सके"।

मेरे संशोधन के बाद यह संकल्प इस प्रकार पढ़ा जायगा : इस सदन का यह निश्चित मत है कि बनस्पति घृत से वास्तविक घृत का भ्रम होता है अतः जब तक ऐसा प्रबंध न हो कि यह घृत में मिलाया न जा सके समस्त राज्य में बनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।

इस संकल्प के दो ही अंग थे : एक तो यह दलील थी कि इससे भ्रम होता है और यह घी में मिलाया जा सकता है। जहां तक इसका प्रश्न है मैं समझता हूं कि जितने माननीय सदस्य बोले हैं और अन्य सदस्य भी, जनता भी यह महसूस करती है कि यह मिलाया जाता है घी में और वास्तव में इससे भ्रम उत्पन्न होता है, और इसको रोकना चाहिये। दूसरी इसकी दलील यह है कि यह हानिकारक है, इस पर बहुत वादविवाद हुआ है। माननीय रामेश्वरलाल जी ने एक बात कही और मैं माननीय गौतम जी के विचार से सहमत हूं कि हमारा साइंटिफिक ऐप्रोच कम है, इसके निश्चय करने का अधिकार हमको नहीं है कि अमुक वस्तु हानिकारक है या लाभदायक है, इसके निश्चय करने का अधिकार तो डाक्टर को या साइंटिस्ट्स आदमियों को ही है। अतः मैंने यह संशोधन इसमें रखा है कि इन शब्दों को जिनमें कि यह कहा गया है कि यह हानिकारक है, निकाल दिया जाय। दूसरा अंग इसका यह है कि यह समस्त राज्य में उस समय तक रोक दिया जाय जब तक कि इसमें रंग न मिलाया जाय। रंग मिलाने का एक ही कारण था कि यह घी में न मिलाया जा सके। हानिकारक है या नहीं है यह जो इसका अंग है यह तो एक समस्या है। जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा—एकबार पत्रों में भी निकला था, कि चूहों पर इसका प्रयोग किया गया और यह देखा गया कि तीन पीढ़ी के बाद वह अन्धे हो गये और अपने मां को वह नहीं पहचान सके। दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं—गवर्नमेंट आफ इंडिया के जिम्मेदार आदमियों के ऐलान कि डाक्टरों की यह राय है कि यह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं है। तो ऐसी अवस्था में हमें यह कहना बड़ा कठिन हो जायगा कि यह हानिकारक है या नहीं है। तो इसलिये तो इसमें रंग मिलाने का प्रश्न उपस्थित होता नहीं। यदि अन्त में सिद्ध हो जाय कि हानिकारक है तो मैं माननीय सदन के सामने यह निवेदन करूंगा कि इसको रखना ही निरर्थक होगा। हम तो स्पष्टतया कहेंगे कि इसको बन्द किया जाय और उसका प्रयोग देश के अन्दर बिलकुल न किया जाय। केवल एक ही बात रह जाती है जिसके कारण हम रंग मिलाना चाहते हैं और वह यह है कि उसे दूसरी चीजों में, घी में मिलाया न जा सके।

वादविवाद में यह चीज भी सामने आयी कि कोई रंग ऐसा नहीं निकाला जा सका जो मिलाये जाने पर न निकाला जा सके। गौतम जी ने यह कहा कि इसको लिक्विड फार्म में रक्खा जाय, लेकिन मेरा अपना विचार यह है कि ६–७ महीने तक हमारे प्रदेश में घी भी लिक्विड फार्म में रहता है। यदि यह कहा जाय कि घी जो जमा कर देखा जा सकता है तो कितने स्थान ऐसे होंगे, लखनऊ, इलाहाबाद में भले ही ५, ७, १० व्यक्ति उसको जमा सकें, रेफ्रीजरेटर में लेकिन कितने व्यक्तियों के पास रेफ्रीजरेटर हैं जो उस घी को जो लीक्विड फार्म में है जमा कर देख सकें। तो उसको लिक्विड करना भी व्यर्थ हो जायगा।

मेरे प्रस्ताव के अन्दर सब आ जाता है। लीक्विड करके न मिलाया जा सके और जब तक कोई रंग या खुशबू ऐसी न मिल जाय जो उसमें से निकाली न जा सके तब तक इसकी बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय और कोई ऐसा प्रबन्ध हो जाय तो हम उस प्रतिबन्ध को हटा दें।

अध्यक्ष महोदय, एक चीज से मैं सहमत नहीं हूं, मजाक में जैसी चीज गौतम जी ने कही कि असली घी नहीं मिलता तो गरीब लोग सस्ता घी खिलाकर संतोष कर लेते हैं कि उन्होंने घी खिलाया। वह तो एक सेन्टीमेंट की बात है। मैं समझता हूं कि अगर गरीब है तो ईमानदारी से तेल की पूरी खिलाना बहुत अच्छा होगा बनिस्बत इसके कि धोखा देकर वैसा घी खिलाया जाय।

एक दलील माननीय रामेश्वर लाल ने दी कि बनस्पति से बहुत से आदमियों को रोजगार मिलता है। तो मैं यह कहूंगा कि हमें यह अवश्य देखना होगा कि जिस उत्पादन में उन व्यक्तियों को लगा रहे हैं वह समाज के लिये हानिकारक है या लाभदायक है। हिटलर ने भी द्वितीय पंच वर्षीय योजना में प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार ही नहीं दिया था बल्कि यह सोचना पड़ा कि आबादी कम हो गयी और आज्ञा दी जाय कि प्रत्येक व्यक्ति शादी करे। तो क्या हम भी उसी प्रकार का नियोजन करने जा रहे हैं। यदि आज हम जनता को रोजगार देने जा रहे हैं तो हमें देखना होगा कि वह समाज के लिये लाभकारक है या हानिकारक है। इन सब विचारों से मैं आपके सामने यह संशोधन पेश करता हूं और आशा करता हूं कि मेरा संशोधन माननीय गौतम जी के संशोधन की पूर्ति करता है और माननीय रणंजय सिंह जी के संकल्प को भी पूरा करता है। आशा है कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जायगा।

श्री जगदीश सरन (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि तीसरी पंक्ति में "हानिकारक है" शब्द के आगे के सारे शब्द निकाल कर नीचे लिखे शब्द जोड़ दिये जायं:—

"अतः सरकार पुनः यह यत्न करे कि शीघ्रातिशीघ्र बनस्पति तेल में कोई ऐसा रंग मिल सके या उसका ऐसा रूप रह सके जिस से उसको असली घी में मिलाकर बेचना सम्भव न हो सके।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस संशोधन को प्रस्तुत करते समय इस बात को ध्यान में रखने का यत्न किया है कि क्या होना सम्भव है। हमारी इच्छायें कुछ भी हों, लेकिन वह सम्भव भी हों। इस बात को विचार कर मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। मेरा यह विचार है कि इस संशोधन द्वारा जो मूल प्रस्ताव है उसका उद्देश्य भी किसी अंश में भी परिवर्तित नहीं होता। मूल प्रस्ताव को पढ़ने से हमें पता लगता है कि श्री रणंजय सिंह जी का केवल यह उद्देश्य है कि वे यह चाहते हैं कि डालडा में यदि रंग मिल सके या कोई दूसरा ऐसा सक्रिय साधन निकल सके जिससे उसका मेल असली घी में असम्भव हो जाय तो उनको कोई आपत्ति नहीं होगी और मेरे इस संशोधन से उस उद्देश्य की पूर्ति होती है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह विषय देखने में कितना ही छोटा मालूम पड़े लेकिन वास्तव में इसका बड़ा महत्व है। एक विदेशी सरकार इस बात से उदासीन रह सकती थी कि जनता क्या खाये या किस चीज के खाने से उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़े लेकिन हमारी सरकार न इस विषय में उदासीन है और न रह सकती है। अभी जो सारगर्भित महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस सदन के समक्ष सरकार ने प्रस्तुत किया था जिसमें सदन ने अपने साढ़े तीन अमूल्य दिन लगाये उससे यह साफ हो गया है कि उनकी यह इच्छा है कि हमारे प्रदेश में पौष्टिक पदार्थों की उन्नति हो जिससे हमारी सन्तति की उन्नति हो सके और हमारे स्वास्थ्य की वृद्धि हो सके। आज यह प्रस्ताव जो सदन के समक्ष है उससे भी उस उद्देश्य की पूर्ति में सहायता मिलती है। यदि हम इस प्रस्ताव द्वारा ऐसे साधन प्रस्तुत कर सकें कि हमें असली घी मिलना सम्भव हो जाय तो उस उद्देश्य की बड़ी पूर्ति होगी। यह तो निर्विवाद सत्य है कि आज इस डालडा घी का उत्पादन हमारे देश के

[श्री जगदीश सरन]

पूंजीपतियों के हाथ में है। उनके पास बड़े बड़े साधन हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक उनके नौकर हैं, उनके इशारे, उनकी आज्ञा पर जैसा वे चाहते हैं वे विज्ञापन देते हैं और अपना परामर्श देते हैं। इस सदन के सारे माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि रोज समाचार-पत्रों में नये नये विज्ञापन आते हैं जिनमें हमें यह बताया जाता है कि इस डालडा घी में इतना अधिक बाहुल्य फलों के विटामिन्स का है और उसमें ये गुण हैं। मैंने कल, परसों देखा कि एक पहेली भी निकल रही है डालडा घी वालों की तरफ से और उसमें यह देख कर मुझे आश्चर्य हुआ कि एक ओर तो प्रथम पारितोषिक है २५ हजार रुपये और वहीं पर लिखा था कि इसमें २१ हजार रुपये धर्मार्थ दिये जायेंगे। तो यह तो पूंजीपतियों की रीति है, धर्म और अर्थ साथ साथ चलता है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ श्रीमन्, आज इस सदन के एक माननीय सदस्य की एक बात सुन कर। उन्होंने वह दलील दी जो आज तक उक्त विज्ञापनों में भी देखने को नहीं मिली और वह यह कि उन्होंने कहा कि हमारे देश में यदि हमने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया तो हमारे लाखों कृषक बेकार हो जायेंगे। मुझे और भी आश्चर्य हुआ जबकि यह बात सामने आयी सदन के उस कोने से जहां से इसकी आशा नहीं थी। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे उन माननीय सदस्य ने इस बात पर विचार करने का कष्ट नहीं किया कि यदि यह मान लिया जाय कि यह सम्भव हो सके कि डालडा की उत्पत्ति और उसकी बिक्री पूर्ण रूप में बन्द कर दें तो होगा क्या। आखिर उसके बदले में लोग क्या चीज खायेंगे। क्या घी के एवज में कोई चीज खाना बन्द हो जायगा। उसका प्रत्यक्ष परिणाम तो यही होगा कि या तो असली घी का उत्पादन और प्रयोग बढ़ेगा या अधिक अंशों में हम तेल से गुजारा करेंगे। तब फिर उनकी वह आशंका बिल्कुल निर्मूल हो जाती है। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस सदन के समक्ष यह सुझाव भी दिया गया कि अगर लिक्विड फार्म में इसको रखा जाय तो भी इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। जहां तक मेरा विचार है, यदि इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके तो बड़ी सुन्दर बात है लेकिन व्यक्तिगत रूप में मैं भी थोड़ा सा घी के बारे में जानता हूं और उसी अनुभव से मैं कह सकता हूं कि यह सम्भव नहीं है। लेकिन यदि वैज्ञानिक खोज यह बतला सके तो सम्भव है कि इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है और मैंने जो यह श्रीमन्, संशोधन इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसमें इसके लिये गुंजाइश है। मैंने यह निवेदन किया है कि ऐसा यत्न किया जाय कि बनस्पति तेल में कोई ऐसा रंग मिल सके या वैसे ही उसका ऐसा रूप रह सके जिससे असली घी में मिलाकर बेचना सम्भव न रह सके तो इसमें इस सम्भावना के लिये दरवाजा खुला हुआ है। इसके अतिरिक्त मेरे एक मित्र ने यह भी कहा कि इस डालडा घी के रोकने में एक कठिनाई यह भी होगी कि डालडा द्वारा गरीब किसान, गरीब व्यक्ति अपनी लाज ढक लेता है। यदि उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वह असली घी के से अपने मेहमान का सत्कार कर सके तो इसके द्वारा ही उसकी लाज ढक जाती है। मैं बड़ी नम्रता और आदर के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें बड़ा भारी भ्रम है और ऐसा करके हम अपने मेहमान के प्रति कितना गलत व्यवहार करते हैं। अभी जैसा माननीय गौतम जी ने कहा कि उन्हें डालडा खाने से तकलीफ होती है। मान लीजिये कि मैं उनकी दावत करूं और डालडा के अतिरिक्त असली घी की चीजें खिलाने कि मेरी शक्ति नहीं है तो मैं इस तरह से उनको डालडा खिलाकर धोखे में रखूं तो उनके प्रति कुछ अच्छा कर्त्तव्य नहीं करूंगा।

वास्तव में साफ बात यह है कि या तो असली घी का प्रयोग करें या फिर तेल का प्रयोग करें। लेकिन इसके बाद श्रीमन्, एक बात और यह है कि यह प्रस्ताव जिस रूप में उपस्थित है उसमें सारे दरवाजे खुले हुये ह। कौन कहता है कि डालडा को कतई बंद कर दिया जायगा मुझे ताज्जुब है, आश्चर्य है कि श्री रामेश्वर लाल जी ने यह कहा कि मेरी तन्दुरुस्ती किसी से कम नहीं है यद्यपि मैं डालडा खाता हूं। मैं इस कथन का खंडन नहीं कर सकता हूं और न सदन के समक्ष कोई साधन ही है जिसमें इसकी परीक्षा हो सके। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आदर के साथ कि अगर वह वास्तव में डालडा खाते हुये इतने स्वस्थ हैं तो भगवान को उन्हें धन्यवाद

देना चाहिये। यदि वह डालडा को छोड़कर असली घी खाना शुरू कर दें तो वह और भी अच्छे हो जायेंगे। यदि वह यह समझते हैं कि डालडा खाने से उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा है तो यह उनका भ्रम है।

वैज्ञानिक खोज के आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस दिशा में काफी खोज हो चुकी है। यह ठीक है कि इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित राय नहीं मिल सकी। इसमें हमारा और आपका ही दोष है।

इस युग में जब कि एटम बम का अविष्कार हो सकता है तो क्या ऐसा कोई साधन नहीं निकाल सकते जिसके द्वारा यह समस्या हल कर लें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बरेली में वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वह इस देश में ही नहीं बल्कि एशिया का सब से बड़ा इंस्टीट्यूट है। उसमें कुछ प्रयोग हुये थे और सौभाग्य से मुझे वहां जाने का अवसर मिला और मैंने वहां जाकर देखा कि वह प्रयोग आदमियों पर नहीं, मनुष्यों पर नहीं बल्कि चूहों पर हुआ था और यह बतलाया गया था कि जितने चूहों ने डालडा खाया था वह अंधे हो गये, कमजोर हो गये और जो चूहे असली घी पर रखे गये वह अच्छे रहे। तो यह तो आंखों देखी हुयी प्रत्यक्ष बात है। यह अपने देश का ही इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि एशिया का सब से बड़ा इंस्टीट्यूट है। इसमें संदेह का स्थान नहीं हो सकता है। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि जब सदन का मत है और करीब करीब एक मत है कि डालडा हमारे स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है तो सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इस पर पूरा ध्यान दे।

श्रीमन्, मैं इतना और निवेदन करूंगा कि यहां पर कई मित्रों ने कहा और लोगों का यह खयाल है कि वैज्ञानिक खरीद लिये जाते हैं। मैं इस हद तक तो जाना नहीं चाहता हूं, मैं नहीं जानता कि क्या होता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर किसी तरह से हम संतोषजनक नतीजे पर न आ सकें और जनता को ऐसा भ्रम हो तो वह क्षम्य है। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से माननीय रणंजय सिंह जी के संकल्प में यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि जहां जहां पर "वनस्पति घृत" शब्द आया है वहां वहां "वनस्पति तेल" रख दिया जाय। संकल्प के अन्त में "समस्त राज्य में वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय" इस वाक्यांश के स्थान पर "सर्वाधिक्य टिकाऊ अस्थायी रंग द्वारा रंग दिया जाय" रख दिया जाय।

इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि अगर वास्तव में देश की आवाज सुनी जाय और जनता की आवाज परखी जाय तो यही आवाज सुनाई पड़ेगी कि डालडा के पक्ष में कोई नहीं है। यही सब जगह सुनाई देता है। अधिकांश लोग इसके विरोध में हैं। इस सम्बन्ध में मैं मानता हूं कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से भी और शायद प्रान्तीय सरकार की तरफ से भी खोज की गयी, अनुसन्धान किया गया और हमारे देश के डाक्टरों ने इस पर यह निर्णय दिया कि यह हानिकारक नहीं है। जहां तक उनके निर्णय की बात है इस सम्बन्ध में उस राय को काटने की तो हमारी हिम्मत नहीं है लेकिन हम इस बात के लिये भी तैयार नहीं हैं कि डाक्टरों के इस निर्णय पर हम अपनी जिन्दगी को उनके हवाले कर दें। उनकी यह राय ठीक हो सकती है। इस आधार पर डालडा का जितना उपयोग वह कर सकें अपने दैनिक जीवन में करें लेकिन देश को इस मत के लिये सलाह दें कि यह हानिप्रद नहीं है इसको मैं ठीक नहीं समझता हूं। अगर आप देखेंगे तो सर्व सेवा संघ और गो सेवा संघ ने इस संबंध में कई बार प्रस्ताव पास कर के इसके हानिप्रद होने को दोहराया है और सरकार से बराबर मांग की है कि इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। सर्व सेवा संघ और गोसेवा संघ में हमारे देश के चोटी के लोग शामिल होते हैं। इसमें आचार्य विनोबा भावे जैसे लोग हैं। गो सेवा संघ में महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ऐसे लोगों ने इस सम्बन्ध में कह दिया है और बराबर मांग की है कि डालडा पर प्रतिबन्ध लगाया जाय।

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

आखिर उनकी राय का भी यदि कुछ वजन है तो उसकी भी कुछ क़दर की जाय। गांव के अन्दर न तो साधारणतः डाक्टर रहते हैं और न बड़े-बड़े विद्वान ही रहते हैं। लेकिन गांव वालों का यह अनुभव है और गांव वालों ने इस बात को अनुभव से देखा है कि यह महान हानिप्रद है। भोज के अवसरों पर डालडा का उपयोग करना उन्होंने ठीक नहीं समझा है। जब भी हमारी ओर किसी भोज केअवसर पर डालडा की पूरी बनायी गयी तो लोग भोज से उठ कर चले गये, भोजन नहीं किया। इस तरह गांव वालों का अनुभव है कि जिसने उस डालडा को खाया है या तो उसका पेट फूल गया है या पतली दस्त शुरु हो जाते हैं। इस प्रकार से डालडा के संबन्ध में ग्रामीण जनता को कटु अनुभव रहा है। इसलिये अपने दैनिक जीवन में जिन्होंने इस बात को अनुभव करके देखा है कि वह हानिकारक है और नुक्सान देता है उनसे डाक्टर यह कहें कि वह नुक्सान-देह नहीं है इस बात को कम से कम जिन्होंने स्वयं अनुभव किया है वह तो नहीं मान सकते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि यह नुक्सानदेह है। वह अगर अपनी राय इस सम्बन्ध में इस तरह से रखते हैं तो यह उनके लिये ठीक हो सकता है। एक बात यहां पर यह बतलायी गयी कि यह जो डालडा है यह वनस्पति घी वास्तव में तेल नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर यह घी नहीं है तो शुद्ध तेल भी नहीं है क्योंकि इसमें तेल के अलावा और भी चीजें मिलायी जाती हैं जो कि स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होती हैं अगर तेल में मिलावट की जाती है और फिर तेल के नाम से बिकता है इस मिलावट के आधार पर माननीय मंत्री जी के पास कानून मौजूद है जिसके द्वारा वे इस प्रकार मिलावट करने वालों पर मुकदमा चला सकते हैं।

कुछ लोगों ने कहा कि उद्योग धंधे की दृष्टि से यह लाभकर चीज है और इससे कुछ लोगों को उद्योग मिलता है। यह ठीक है कि इससे कुछ लोगों को उद्योग मिलता है लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमारे स्वास्थ्य की हानि होती है। डालडा ने लोगों को रोगी बनाया जिससे अस्पतालों में रोगियों की संख्या बढ़ी फिर इससे डाक्टरों की संख्या बढ़ानी पड़ी जिसका नतीजा यह हुआ कि डाक्टरों को रोजगार मिल गया, यदि यह कहा जाय तो ऐसे रोजगार से तो हम बेरोजगार ही अच्छे हैं। यह कोई रोजगार नहीं है। इस पर जितनी जल्दी नियंत्रण लगाया जाय उतना अच्छा होगा। यह कहा गया है कि जो लोग इसे घी मान कर खाना चाहें खावें और जो तेल मान कर खाना चाहें खावें। प्रतिबन्ध न लगाया जाय। मैं भी चाहता हूं कि चाहे यह तेल के, चाहे घी के नाम पर बिके लेकिन इसका रुप ऐसा कर देना चाहिये जिससे उन लोगों के सामने धोका देने के लिये यह न आ सके जो शुद्ध घी खाना चाहते हैं। यदि कोई स्थायी रंग इसका नहीं मिलता है तो अस्थायी रंग ही काम में लाया जाय और इसके लिये ही मेरा संशोधन है कि जो रंग अभी तक मालूम हुआ है उसे ही तब तक इस्तेमाल किया जाय जब तक टिकाऊ रंग न मिले। ऐसे चालाक वैज्ञानिक हो सकते हैं जो इस अस्थायी रंग को दूर कर देंगे मगर टीन में तो यह रंगा रहेगा ही और उसी समय दूर किया जा सकेगा जब कि इसे खाने के लिये निकाला जायगा। तो हर जगह तो वैज्ञानिक पहुंच नहीं सकेगा और जब तक प्रत्येक विक्रेता इस बात को जानें तब तक स्थायी रंग भी मिल जायगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय रणंजय सिंह जी मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे और सरकार भी इस संकल्प को मानने की कृपा करेगी।

श्री शिवनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन रखता हूं कि संकल्प की पंक्ति ३ में से शब्द "जब तक वनस्पति घृत का रंग न बदल दिया जाय" निकाल दिये जायं। मेरे संशोधन के बाद संकल्प इस प्रकार हो जायगा कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि बनस्पति घृत से वास्तविक घृत का भ्रम होता है और बनस्पति घृत स्वास्थ्य के लिये घृत के समान गुणकारी नहीं है अपितु वह हानिकारक है, अतः समस्त राज्य में बनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय"।

मैंने कल ११ बजे से लेकर अब ४–६ मिनट तक इसके ऊपर बहुत सी स्पीचेज़ सुनीं और सब ने इनडाइरेक्टली डालडा का समर्थन किया। मैं इसका सख़्त विरोध करता हूं और मैं अपनी सरकार से और भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि डालडा को सलाम कर दिया जाय। मैंने चपरासी से आज ही पता लगाया और उसने कहा कि हम सूखी रोटी खाने के लिये तैयार हैं मगर डालडा की नहीं। हमारे फूड मिनिस्टर साहेब भी कहते हैं कि वह उसे सलाम करते हैं। लोगों ने बताया कि चूहे इससे अन्धे हो गये। अरे, आज हम जितने यहां बैठे हुये हैं सब के सब अन्धे हुये जा रहे हैं। किसी के २० वर्ष से और किसी के ३० वर्ष से चश्मा लगा हुआ है और छोटे छोटे बच्चों और लड़कियों के चश्मा लगा है। इसका कारण ही डालडा है। सिनेमा में देखते हैं कि वहां भी डालडा का चित्र दिखाया जा रहा है। जनता जनार्दन आज इसका विरोध कर रही है। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार भारत सरकार से कहे कि इसे बन्द किया जाय। हम लोग पानी के साथ खा लेंगे, वह ज्यादा अच्छा है। आज चाय की दूकान पर जाइये तो अच्छा दूध भी नहीं मिलता है। वह भी मिलावट का मिलता है। पिछले अगस्त में जब मैं यहां आ रहा था तो मेरी ७०, ८० वर्ष की बुढ़िया मां इतने पानी में जा कर घी लाई मगर वह भी काला निकला। जैसा मदन मोहन ने कहा मैं भी कहता हूं कि क़दम क़दम पर ४२० है और बेईमानी है। इसका एक ही उपाय है कि डालडा को सलाम किया जाय। रामराज्य तभी होगा और तभी हम अभिमन्यु और राम लक्ष्मण जैसे वीर पैदा कर सकेंगे। आज कहीं शुद्ध चीज मिलती ही नहीं है। अमरीका ने हमारे पास मक्खन भेजा है और हम उसे धन्यवाद देते हैं लेकिन यह हम नहीं सोचते कि उसने अपना उतरा हुआ मक्खन हमारे बच्चों के लिये भेजा है। वह रिजेक्टेड मक्खन होता है।

मेरे भाई रामेश्वर लाल ने कहा कि यह अच्छी वस्तु है और इसका समर्थन किया। ह्विप साहेब ने भी कहा कि इससे लोगों को रोजगार मिलता है। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि चलिये सन् ५७ आ रहा है, इसी ईश्यू पर हम और आप इलेक्शन लड़ लें और देखें कि आप लौट कर आते हैं या मैं लौट कर आता हूं। गाल बजाने से या ब्लफ़ करने से काम नहीं चलता है। सही बात कहने की आवश्यकता है। कहा गया कि डाक्टरों ने इसे अच्छा बताया है। मैं कहता हूं कि हमारे इन डाक्टरों की बात का इंग्लैन्ड के उन डाक्टरों की बात से मुक़ाबला कीजिये जिन्होंने खोज कर के यह कहा कि डालडा से चूहे अन्धे हो गये। उन डाक्टरों को मुअत्तल किया जाय। मुझे मालूम है, लखनऊ में एक केस हुआ जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। लोग नाना प्रकार की आवाजें उठाते हैं और हमारी आने वाली जनता के लिये यह नमूना है। यह आदर्श हमारे देश में है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सही मानों में अगर वह देश का कल्याण चाहती हैं, अपनी संतानों को अनुभवी और विद्वान बनाना चाहती हैं तो उसको डालडा खत्म करना चाहिये। दफ्तर के बाबू लोगों ने बताया कि डालडा के कारण उनको चक्कर आते हैं, हमसे काम अच्छी तरह से नहीं होता। हर गवर्नमेंट सर्वेंट कहता है कि उस को शुद्ध घी और दूध नहीं मिलता है। जब उनको शुद्ध घी नहीं मिलता है, दूध शुद्ध नहीं मिलता है और न मकान ही मिलता है तो जब आप उनको शुद्ध खाना पीना भी न दें तो फिर आपको बलिष्ट लोग कहां से मिल सकेंगे। मैं अपने फूड मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि यद्यपि इस पर रोक लगाना हमारे अधिकार में नहीं है लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख तो सकते हैं ताकि वह उस पर उचित कार्यवाही कर सके। हमारा प्रान्त, उत्तर प्रदेश सब अच्छे कामों में अग्रणी रहा है, हमेशा औरों को लीड देता रहा है तो फिर आज भी आप अपना क़दम उठाकर कहिये कि आज हमारे देश की सवा छः करोड़ जनता की यह मांग है। मैं रामेश्वर लाल जी से कहता हूं वे कहते हैं कि वे बलिष्ट हैं लेकिन लोगों के स्वास्थ्य की क्या गति हो रही है। लोग टी० बी० के मरीज हैं, संग्रहणी के मरीज हैं, अन्य अनेक रोगों के मरीज हैं। डा० शर्मा इससे परेशान हैं। कारण क्या है? हमें शुद्ध घी, दूध और तो क्या मट्ठा भी नहीं मिलता। कल ही हमारी सरकार ने यह तय किया है कि गोवध बंद किया जाय लेकिन मैं तो उनसे यह भी कहूंगा कि आप इस डालडा को भी सलाम कीजिये। आज सिनेमों में जो डालडा का एडवर्टिज़मेंट होता

[श्री शिवनारायण]

है वहां मोटे-मोटे गाय और बैलों का ऐडवर्टिजमेंट होना चाहिये। (श्री मदनमोहन उपाध्याय से) आप को भी गाय सप्लाई कर दी जायगी। भैंसे और सांड़ वगैरा आप को भी मिल जायेंगे। मदनमोहन को भी हरियाना वाले सांड भेज दिये जायेंगे ताकि उनको भी शुद्ध दूध मिल जाय। लेकिन उनको तो जो उनका डालडा का बिजनेस है वह कहीं खत्म न हो जाय इसका अन्देशा है। कहा गया है--

"हानि नहीं वित हानि की जो न होय हित हानि"

आज आप सारे देश के हित को देखिये, अपने लाभ को न देखिये, जनता जनार्दन की हानि को देखिये। मैं माननीय फूड मिनिस्टर महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखें कि वे डालडा को बन्द कर दें।

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)--अध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों से हमारे मुल्क में हम लोगों के सामने यह मसला है कि विजिटेबिल आयल से शुद्ध घी को कैसे अलग रक्खा जाय। यह बात सही है कि खाने पीने की चीजों में ही नहीं बल्कि और किसी चीज में भी इंसान कोई एडल्टरेशन नहीं पसन्द करता है। घी में और विजिटेबिल आयल की शक्ल में कोई फर्क नहीं है और वह आसानी से उसमें मिल जाता है इसलिये लोग उसको और भी नापसन्द करते हैं। रेशम में जब गलत आर्टिफिशियल रेशम मिला दी जाती है तो लोग उसको पसन्द नहीं करते। लकड़ी में भी जब गलत आर्टिफीशियल लकड़ी मिला दी जाती है तो लोग उसको भी नापसन्द करते हैं। लेकिन हमारे सामने मसला यह है कि हम एडल्टरेशन को कैसे रोकें। यह जो हमारे यहां बहस हो रही है वह सिद्धांत रूप से इस बात पर हो रही है कि इस मिलावट को कैसे रोका जाय। वेजिटेबिल के रोकने का सवाल इतना नहीं है जितना कि मिलावट को रोकने का सवाल है। पुराने जमाने से हमारा यह देश एक खेतिहर देश रहा है। हमेशा से लोग गांवों के रहने वाले रहे हैं। जमीन की कमी नहीं रही। लोग खूब जानवर पालते थे, भैंस, गाय, बकरियां आदि और घी दूध खूब होता था। लेकिन ज्यों-ज्यों आबादी कम होती गयी, चरागाह कम होते गये और जानवर कम होते गये। नतीजा यह हुआ कि घी दूध की कमी हो गयी और लोगों की तन्दुरुस्ती भी खराब हो गयी। ऐसे मौके में यह एक साधारण सी बात थी जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है "नेसेसिटी इज दि मदर आफ इन्वेंशन" लोगों ने इस बात की कोशिश की कि कोई ऐसी चीज बनायी जाय जो घी की शक्ल की हो। लिहाजा विजिटेबिल आयल हमारे मुल्क में आया। अगर यह देखा जाय कि हमारे मुल्क के अन्दर कितने प्रदेश ऐसे हैं जहां के लोग घी नहीं खाते। जैसे बंगाल में, उड़ीसा में, मद्रास में, बिहार में लोग तेल ही ज्यादा खाते हैं, घी कम खाते हैं। घी खाने का रिवाज तो उत्तर प्रदेश और जितने उत्तर के भाग हैं जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश से मिले हुये जो इलाके हैं, गुजरात आदि में घी खाने का रिवाज है यह एक बड़ी भारी समस्या हमारे सामने है कि घी को कैसे अलग किया जाय जिसमें मिलावट न हो सके। इस मामले में साइंटिस्ट्स का अलग-अलग मत रहा है। बहुत से लोगों ने इस मामले में एक्सपेरिमेंट किया है। कितनों का कहना है कि विजिटेबिल आयल अच्छा है कितनों का कहना है कि बुरा है। बरेली शहर में जैसा कि एक भाई ने कहा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहां पर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ। गिनी पिग्स के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। उनको डालडा खिलाया गया और तीसरे जैनेरेशन में जाकर उन गिनी पिग्स की आंखें अंधी हो गयीं और उनके बाल भी गिर गये। दूसरे ऐसे भी गिनी पिग्स थे जिनको शुद्ध घी खिलाया गया और वे बड़े मोटे ताजे रहे। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें गिनी पिग्स को डालडा खिलाया गया और उसके साथ ही उनको हरी सब्जी भी खिलायी गयी। तो वे गिनी पिग्स भी वैसे ही मोटे ताजे रहे जैसे कि शुद्ध घी खाने वाले थे। इससे यह साबित हुआ कि अगर विजिटेबिल आयल के साथ हरी सब्जी खिलायी जाय तो वह नुक्सानदेह नहीं साबित होगा। मुझे यह कहते हुये खुशी है कि जो ४ हजार फीट या उससे ऊंची जगह पर रहा करते हैं उनके लिये तो यह डालडा या जमाया हुआ बनस्पति तेल बिल्कुल

नुक्सानदेह नहीं होता। इससे तो माननीय मदन मोहन जी और उनके साथियों को खुश होना चाहिये और वे इत्मीनान के साथ उसको खा सकते हैं। इस संबंध में साइंटिस्ट्स के अलग-अलग मत रहे हैं क्योंकि वक्तन फवक्तन उनके मत निकलते रहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक बयान निकाला था कि यह नुक्सानदेह नहीं है। कुछ तो कहते हैं कि डालडा स्वास्थ्य के लिये नुक्सानदेह नहीं है और कुछ कहते हैं कि नुक्सानदेह है। साइंटिस्ट्स के लिये यह कहना मुनासिब नहीं है कि उनको बिजिटेबिल आयल वाले अपने पैसे से खरीद लेते हैं। क्योंकि यह एक रिफ्लेक्शन है उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर। यह भी तो हो सकता है कि कोई साइंटिस्ट ऐसा हो जो उसके लिये रंग निकालता हो लेकिन दूसरा साइंटिस्ट ऐसा हो जो उसको उड़ाने वाली चीज निकाल देता हो। मुल्क के अन्दर कई जमातें ऐसी हैं जिनके अन्दर अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं लेकिन यह कहना बड़ी गलत बात होगी कि साइंटिस्ट्स ईमानदार नहीं हैं। तो यह दिक्कत है, और इसके लिये कोई अधीर होने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर खोज हो रही है और कोई न कोई बेहतर तरीका निकल ही आयेगा। जो चीज अच्छी होती है उसका एक बुरा पहलू भी होता है। जो एटम पर रिसर्च हो रहा है तो जहां तक लोगों के मारने का ताल्लुक है उससे दुनिया को फायदा भी हो सकता है और उसकी बड़ी खतरनाक हालत भी है। जब हम एटम की शक्ति को मनुष्य की तरक्की में लगाते हैं तो उससे बेइन्तहा फायदा भी हो सकता है जो चीज हजार सौ साल में नहीं हो सकती थी वह साल भर के अन्दर हो जायगी, जिस चीज को हम कभी कर ही नहीं सकते थे उसको भी इसके जरिये पूरा कर लेंगे। तो इस नजरिये से हमें इस चीज को देखना चाहिये। इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य इस बात पर जोर देते हैं कि डालडा को इसलिये बन्द कर दिया जाय कि वह मनुष्य की तन्दुरुस्ती के लिये नुक्सानदेह है। इस पर भी बहुत से लोगों ने अपनी अलग-अलग राय दी है। बहुत से कहते हैं कि मैं बराबर डालडा खाता आ रहा हूं और वे इतने हट्टे-कट्टे हैं कि क्या कहा जाय। बाज तो ऐसे मोटे ताजे हैं कि जिनके अन्दर लोहे की सींक भी घुसेड़ी जाय तो उसका कोई असर न हो।

(इस समय ४ बजकर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

बाज ऐसे हैं जैसे हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को डालडा की हवा लग जाय तो परेशान हो जाते हैं और वह उन को नुक्सान पहुंचाता है, बहुत से ऐसे हैं कि जो तेल खाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन को घी भी मुवाफिक नहीं आता। यह सब तो अपने अपने टेम्परामेंट की बात है, इस में कोई जनरल बात नहीं है, अलग अलग आदत की बात है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि हमें यह कोशिश जरूर करनी चाहिये कि हमें घी अपनी असली शक्ल में बाजार में मिले और विजिटेबिल आयल अलग अपनी शक्ल में मिले, जो तेल हो वह तेल की शक्ल मे मिले, यह नहीं होना चाहिये कि लोगों को शुभा बना रहे हैं कि दाम तो घी के दिये हैं पता नहीं कि घी खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ऐसी बात न होनी चाहिये। इस से दिमाग में भी परेशानी होती है। इस चीज को जरूर बन्द होना चाहिये और इससे बहुत नुक्सान होता है और इस से जो एक मेंटल बैकग्राउन्ड बनती है उससे लोगों को नुक्सान पहुंता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है और आगे आने वाली हमारी संतानों पर प्रभाव पड़ता है।

वैसे देश की अवस्था ऐसी है कि हम एक दम से विजिटेबिल आयल को बन्द नहीं कर सकते। या तो हमारे देश में इतना असली घी हो और तेल हो जिससे हम अपनी जरूरत को पूरा कर सकें पर हमारे पशुधन से हमें इतना घी दूध नहीं मिलता कि वह हमारी आवश्यकता को पूरा कर सके। इसलिये हमारे लिये कोई चारा नहीं रह जाता कि हम किस तरह से इस कमी को पूरा करें। अगर हम इस को बन्द करते हैं तो इससे भी हम लोगों को वंचित कर देंगे, असली घी तो उन को मिल नहीं सकेगा। मेरे खयाल से तो हमारे संविधान में भी ऐसी धारा है कि जिस के रहते हुये हम किसी के फ्री ट्रेड को बन्द नहीं कर सकते। हमारे एक भाई कह रहे थे कि उन से किसी चपरासी ने कहा कि हमें अगर पानी मिले तो हम उस को डालडा से अधिक पसन्द करते हैं। अगर पसन्द नहीं करते तो कौन उनको मजबूर करता है, डालडा कोई कूद-कूद कर उनके मुंह में तो चला नहीं जाता, नहीं खाना चाहते न खरीदें, अगर कोई खाना चाहे तो खरीद ले आवे, कोई मजबूर नहीं करता, कोई जबरदस्ती नहीं करता। इसलिये हमें इसको बंद

[श्री राममूर्ति]

नहीं करना चाहिये। हां, यह बहुत जरूरी है कि शुद्ध घी से उस को अलग रखा जाय, हम ऐसा रंग ढूंढें या उपाय निकालें कि जिस के जरिये से शुद्ध घी में डालडा न मिलाया जा सके, उस में और घी में एक तफरीक रहे, भेद रहे। इसका असर यह होगा कि डालडा सस्ता हो जायगा और इसी वजह से लोग इस बात की कोशिश में रहते हैं कि इस की शक्ल न बदली जाय, फिर शायद उस की इतनी मांग न रहे और इतनी खपत न रहे। इस मिलावट के कारण भी यह ज्यादा चल रहा है। यह जरूरी है कि कोई ऐसा तरीका निकले कि जिस से शुद्ध घी और इस में भेद हो सके और कोई रंग वगैरा निकल आये। साथ ही जैसे कि माननीय कृषि मंत्री जी ने अभी एक गो संवर्द्धन के संबंध में बिल पास कराया है इस तरह की कोशिश से पशुधन बढाने की जरूरत है और जो हमारी चकबन्दी चल रही है उसमें हमें गांव गांव में चरागाह कायम करने की आवश्यकता है जिससे हमारा चारा मवेशियों के लिये बढ़े और हम उनसे अधिक दूध और घी प्राप्त कर सकें। जबतक हम पशुधन से दूध घी की जरूरत पूरी नहीं करते तब तक इस को बन्द करने का मसला हल नहीं हो सकता और हो सकता और चिल्लपुकार या एजीटेशन से यह मसला ऐसा है कि पूरा होने वाला नहीं है। यह बात जरूर ध्यान देने की है कि डालडा को हम घी से अलग रखें, ऐसे उपाय निकालें और रंग वगैरा की खोज जारी रखें और घी की वृद्धि के लिये जानवरों की नस्लों का सुधार और चरागाहों आदि का इंतजाम करें जिससे हमारे पशु मोटे ताजे हों और शक्तिशाली हों और अधिक मात्रा में दूध घी की व्यवस्था हमारे लिये हो सके। साथ ही हम अपने साइन्टिस्ट्स से अपील करते रहें कि वह शीघ्र परिश्रम कर के ऐसे साधन और रंग आदि निकालें जिससे घी में वह अगर मिलाया जाय तो जाहिर हो जाय और तफरीक हो सके।

श्री बसंतलाल शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह निश्चय किया गया था कि संकल्प पर जिन के संशोधन होंगे उन को पहले समय दिया जायगा। मैं ने भी संशोधन दिया था लेकिन मुझे संशोधन पेश करने का अवसर नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष—मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि आप का नाम जब पुकारा गया था आप यहां मौजूद नहीं थे।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रणंजय सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इतना आवश्यक है कि इस पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिये था जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था परन्तु मैंने यह देखा कि आज बारम्बार प्रार्थना करने पर भी सदन में शांति न रह सकी जिसके कारण जो बहुत से संशोधन उपस्थित किये गये हैं उनको मैं ठीक से समझ नहीं सका और जब तक वे संशोधन समझ में न आ जायं तब तक उनके संबंध में कोई भी विचार रखना उचित नहीं है। मेरी समझ में वह संशोधन नहीं आये और न लिखे हुये ही हैं। मेरे संकल्प के संबंध में यह कहा गया, श्रीमन्, कि मैं चाहता हूं कि डालडा की बिक्री बनी रहे, वह चलता रहे और उस पर रोक न लगे और केवल यह चाहता हूं कि उसका रंग बदल दिया जाय। श्रीमन्, मेरा यह अभिप्राय कभी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि शुद्ध घी दूध रहे और गाय का या अन्य किसी भी दुधारू जानवर का घी शुद्ध मिले। आज अगर मैं प्रतिबन्ध की बात कहता तो उसमें तमाम आक्षेप होते कि इस सरकार को अधिकार है या नहीं। अनेक प्रश्न सामने आ जाते हैं। लेकिन मैं तो यह नहीं समझता हूं कि प्रांतीय सरकार को यह अधिकार ही नहीं है कि अगर कोई हानिकारक चीज है तो

उस पर प्रतिबन्ध न लगा सके। मैं जानता हूं कि पहले राजस्थान में इस पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था वहां बनस्पति घी नहीं बिक सकता था। अभी उस पर हट गया है लेकिन पहले था। तो यहां क्यों नहीं लग सकता। फिर भी यह कानूनी बात है और इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिये कि ऐसी कोई हानिकारिणी वस्तु है तो क्या उसके लिये उसके रोकने के लिये कोई न कोई उपाय नहीं किया जा सकता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस प्रांत में होती हैं जिसपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं तब काम चलता है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे कामों के लिये मैं यह कैसे समझ लूं कि इस प्रांतीय सरकार के अधिकार में नहीं है और इसके लिये कुछ नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि हानि हो रही है यह प्रत्यक्ष है। इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य ने यह स्वीकार किया है कि बनस्पति तेल घृत के समान गुणकारी नहीं है चाहे हानिकारक हो या नहो, हानिकारी के संबंध में डाक्टरों में मतभेद हो सकता है लेकिन किसी माननीय सदस्य ने कहा कि वैद्य और हकीमों में इस मामले में मतैक्य है कि यह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है और इसके लिये अनेक उदाहरण दिये गये चूहों के, मनुष्यों के, परन्तु मैं तो यह बताता हूं कि हमारे प्रदेश के जो स्वास्थ्य संचालक थे डाक्टर बाजपेयी उनसे मेरी इस संबंध में बात हुयी थी तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कड़ुवा तेल लोग खायें तो इससे अच्छा है। लेकिन यह जो कुछ भी हो जो नकली चीज है वह नकली है और जो असली है वह असली है। एक माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर परसनल अटैक के तौर पर कुछ कहा कि मैं मिठाई आदि खाने का आदी हूं। माननीय सदस्य नहीं जानते कि मेरा खानपान क्या है। मैं तो बिलकुल निरामिष भोगी हूं। पान तक नहीं खाता, चाय नहीं पीता, धूम्रपान नहीं करता। लेकिन उनके कहने से ऐसा मालूम होता था जैसे कि मैं डालडा खाता हूं और यह वह तमाम दुनिया भर की बातें करता हूं। कोई पूछने लगे मैं चोरी करता हूं? चोरी कभी नहीं की थी लेकिन लोगों को शक हो जायगा कि चोरी की होगी। इसलिये ऐसी बातें कही जा रही हैं। इसलिये किसी माननीय सदस्य का इस तरह से किसी का मजाक उड़ाना यह सदन की शोभा के विरुद्ध है। विचार रक्खे जायं और निर्भीकता से रक्खे जायं लेकिन बिना जाने बूझे कोई लांछन लगाना उचित प्रतीत नहीं होता। मैं जानता हूं कि वनस्पिति घी हानिकारक है। गो संवर्द्धन जांच समिति में भी इस बात की जांच हुई और उसकी रिपोर्ट में है कि यह हानिकारक है। अब प्रश्न यह आता है कि रंग मिले या न मिले तो इस संबंध में बड़ा पिष्ट पेषण होगा। श्री अग्रवाल ने और अन्य सदस्यों ने कहा कि एटम बम बन गया लेकिन वैज्ञानिकों को डालडा में रंग मिलाने के लिये कोई रंग नहीं मिला। मैनचेस्टर से एक विद्यार्थी ने लिखा है कि अगर वास्तव में सरकार चाहती हो और पुरस्कार देने को तैयार हो तो रंग भेजा जा सकता है। फिर केंद्रीय सरकार का प्रश्न उठाया जाता है और कहा जाता है कि प्रांतीय सरकार के बूते की बात नहीं है। तो फिर हम केंद्रीय सरकार से इस संबंध में प्रार्थना कर सकते हैं और उसकी स्वीकृति ले सकते हैं। हालांकि मैं यही समझता हूं कि यह हमारे बूते की ही बात है। वर्तमान सरकार में इतनी शक्ति है कि वह डालडा पर अगर चाहे तो प्रतिबन्ध लगाये। उसे अपने प्रांत को ऐसी बुराइयों से अवश्य बचाना चाहिये। मेरी प्रार्थना यह है कि रंग मिलाने से भ्रम दूर हो जायगा। यह तो नहीं होगा कि असली घी में मिला कर डालडा बेचा जा रहा है। मैंने पढ़ा है और डाक्टर बाजपेयी, हेल्थ डायरेक्टर, ने मुझे बतलाया था कि इसमें मछली के तेल की दो बूंद होती हैं। बहुत से वैष्णव मांस मछली नहीं खाते। वे जानते नहीं कि इसमें मछली के तेल की बूंदें होती हैं। फिर यह भी बतलाया गया है कि इससे कई रोग उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं, समय नहीं है, कि मैं विस्तार में इसका उत्तर दे सकूं। माननीय गौतम जी ने कहा कि मूवर साहब को इसके बेचने में कोई एतराज नहीं है। तो बेचने का प्रश्न मैंने स्वयं ही नहीं उठाया कि इसकी बिक्री बन्द कर दी जाय। मुमकिन है अगर यह प्रश्न उठाया होता तो यह यहां आ ही नहीं पाता और इसमें बहुत सी वैधानिक बातें उठ जातीं। उसमें बहुत समय लग जाता। इसीलिये मैंने बिक्री के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं रक्खा है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि वर्तमान अवस्था में यह बहुत हानिकारक है और इस पर कुछ

[श्री रणंजय सिंह]

न कुछ प्रतिबन्ध लगाना चाहिये इस पर हमें विचार करना है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि वे देहात के रहने वाले हैं। मैं भी देहात का ही रहने वाला हूं। मैं भी ग्रामीण हूं देहाती हूं, देहात की जनता का सेवक हूं इसमें मुझे गौरव है। अब भी गांवों में घूमता घामता रहता हूं और जानता हूं कि देहात के लोग भी इससे घृणा करते हैं। बाजार में असली घी मिलता नहीं इसीलिये कि नकली चीज बाजार में आ गई है। इसलिये शुद्ध वस्तुओं की बिक्री बन्द सी हो गई है। मैं देखता हूं कि अच्छी बातों का प्रचार बड़ी कठिनता से होता है सबको मालूम है कि चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है और गिरना आसान। पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होता है, मैं शायद चढ़ न पाऊं लेकिन गिर सकता हूं। बुरी बातों का प्रचार देश में बड़ा व्यापक हो गया है। वनस्पति घी के प्रचार से वास्तविक घी तो कहीं यों मिलता ही नहीं है और बड़ी कठिनता है। इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि माननीय सदस्य इस बात पर विचार करें। न मैं डालडा का व्यापारी हूं और न मैं उसके व्यापारियों का विरोधी हूं। कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। मैं केवल न्याय की पुकार कर रहा हूं ? और मैं चाहता हूं कि जैसे सदन में कई बार प्रश्न आये उन पर विचार किया गया, और जो संशोधन हैं उनके संबंध में मेरा यही विचार है कि यदि मुझे यह संशोधन मिल जाते तो मैं उन पर विशेष रूप से विचार करता। लेकिन अब जैसे संशोधन आते जायेंगे मैं जैसा उचित समझूंगा हां या न कहता जाऊंगा। अन्यथा यह ऐसा प्रश्न है जिसपर गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिये। मुझे यह आश्चर्य है कि यह संशोधन आज के पहले क्यों नहीं आये। अगर पहले संशोधन आ गये होते तो विचार हो जाता। डाक्टरों के पास पूंजीपतियों की थैलियां पहुंच जाती हैं,इससे मुझे कोई मतलब नहीं कि कोई पहुंची या नहीं। लेकिन इस बात की आशंका अवश्य होती है और यह देश का दुर्भाग्य है। मैं देखता हूं कि निष्पक्ष होकर विचार करने वाले लोगों की संख्या कम दिखायी देती है। यह इतना निर्विवाद विषय था उसके ऊपर भी बहस होती है यह है वह है। ऐसा मालूम होता है कि कोई चुनाव में खड़ा हुआ है, चुनाव होने वाला है। ऐसी बातें कही जाती हैं। मैं मानता हूं कि माननीय ब्रजभूषण मिश्र जी ने, माननीय नागेश्वर द्विवेदी जी ने, माननीय बसन्तलाल शर्मा जी ने कई माननीय सदस्यों ने ऐसी बातें कहीं जो विचारणीय ह। लेकिन संशोधनों पर मैं विचार नहीं कर सका। यहां पर जो संशोधन रखे गये हैं उनमें भाषण करते हुये माननीय सदस्यों ने कई तरह की बातें कहीं। माननीय ब्रजभूषण मिश्र जी ने कहा कि कुछ चुनाव की बातें कही गयीं। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। लेकिन ऐसा संभव भी हो सकता है। मैं चाहता हूं कि इस पर निष्पक्ष हो कर विचार किया गया। यह जनता की बात है। जो मेरा मूल संकल्प है में उसको उचित समझता हूं और जो संशोधन हैं विचारणीय हैं लेकिन कहीं करतलध्वनि होती है, कहीं कुछ होता है इसके कारण समझ में नहीं आया। अगर मैं समझूं तो राय दे सकता हूं अन्यथा जो मेरा मूल प्रस्ताव है मैं चाहता हूं कि उस को सदन स्वीकार करे।

*नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रणंजयसिंह जी का तथा सदन के अन्य सदस्यों का अनुगृहीत हूं कि उन्होंने फिर इस सदन का और प्रदेश की सरकार का ध्यान उस विषय की ओर खींचा जो विषय इस सदन के समक्ष १९३८ से बराबर जारी रहा है, यानी बनस्पति तेल में रंग मिलाने का प्रश्न। सदन को इसका भलीभांति ज्ञान होगा कि जब पहली बार कांग्रेस की सरकार १९३६ में यहां आयी थी तो उसके समक्ष कलराइजेशन का प्रश्न उठाया गया और सरकार ने १९३८ में कलराइजेशन बिल सदन के विचारार्थ उपस्थित किया और वह बिल सेलेक्ट कमेटी की स्टेज तक गया और बाद को सेलेक्ट कमेटी ने यह सिफारिश की कि कुछ संशोधन ऐंटी अडल्टेशन ऐक्ट में करके कदाचित हम अपने उस अभिप्राय को पूरा कर लेंगे जिसको हम उस बिल के अन्दर पूरा करना चाहते थे। इस लिये १९३९ में ऐंटी अडल्टेशन ऐक्ट में संशोधन करके फिर एक बिल उपस्थित किया गया इस सदन के विचारार्थ और वह भी सेलेक्ट कमेटी के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुपुर्द कर दिया गया। दुर्भाग्य से १९३९ में कांग्रेस की सरकार हट गयी और एडवाइजरी रिजीम यहां उपस्थित हुई। एडवाइजरी रिजीम ने १९४२ में एक बिल प्रकाशित किया और उस पर वह कोई कार्यवाही न कर सकी। और फिर जब कांग्रेस की सरकार हमारे बीच में आई तो इस प्रश्न की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया गया और हमने १९५० में प्योर फूड ऐक्ट के द्वारा कुछ ऐसे सुझाव और ऐसे परिवर्तन एडल्ट्रेशन ऐक्ट में किये कि जिनकी तहत में हमने यह निर्णय लिया कि किस तरह से हम जहां तक बनस्पति घी में मिलावट और असली घी में मिलावट का संबंध है उसमें रुकावट डालें।

जिन सदस्यों ने प्योर फूड ऐक्ट का अध्ययन किया होगा उन्हें उसकी धारायें देखने से पता चलता होगा कि जहां तक प्रदेशीय सरकार का संबंध है वह इस ओर अग्रसर रही है कि किसी न किसी प्रकार प्रदेश में वैज्ञानिकों की मदद से हम कोई ऐसा रंग निकाल सकें कि जिसके मिला देने से बनस्पति घी के रुप में बेचा न जा सके। अगर हम प्योर फूड ऐक्ट की धारा १९ और १७ की तरफ नजर डालें तो उससे प्रदेशीय सरकार का मंशा और इस सदन का मंशा भलीभांति सदन को मालूम हो जायगा। इससे यह साफ जाहिर हो जायगा कि प्रदेशीय सरकार तो बराबर इस बात का प्रयत्न करती रही है कि हम किसी न किसी प्रकार ऐसा रंग ढूंढ निकालें कि जिसके द्वारा बनस्पति तेल और घी में जो मिलावट की जाती है वह रुक सके। सदन को इस बात का भी ज्ञान होगा कि जब प्योर फूड बिल में सदन में विचारार्थ उपस्थित हुआ था तब हमने प्रदेशीय सरकार की तरफ से यह निश्चिय किया था कि हम उस वैज्ञानिक को जो कि इस प्रकार का रंग ढूंढ़ निकाले इनाम देंगे उस समय हमने १०००० रु० की धनराशि इस कार्य के लिये घोषित की थी। दुर्भाग्य से उस धनराशि को घोषित करने के बावजूद भी हमारे पास कोई ऐसा रंग वैज्ञानिकों के द्वारा नहीं भेजा गया जो कि सुविधा पूर्वक बनस्पति तेल में मिलाया जा सकता हो और जिससे इस कलराइजेशन के प्रश्न को हल किया जा सकता। आपको यह भी पता होगा कि जब प्योर फूट ऐक्ट बिल हमने तैयार किया था उसको इस सदन से पास कराने में भी करीब दो, ढाई साल का अरसा लगा था। उसका कारण यह था कि जब हमारा बिल छपा और जब हमने इस सदन में उस पर विचार किया तो केन्द्र ने उस पर विचार के संबंध में कुछ आपत्ति की और उन्होंने कहा कि हम स्वयं इन प्रश्नों को हल करने के लिये विचार कर रहे हैं और इस लिये यह सदन और प्रदेशीय सरकार इन चीजों पर विचार न करे। परन्तु साल, डेढ़ साल के विचार के बाद केन्द्रीय सरकार ने फिर अपना विचार बदल दिया और उन्होंने कहा कि हमारा जो बिल जिस रुप में सदन में उपस्थित है उसे हम अपने यहां पास करा लें और इस प्रकार से हमने प्योर फूड ऐक्ट को पास कराया। यह सबसे पहला प्रदेश था कि जिसका ध्यान इस एडल्ट्रेशन के प्रश्न के ऊपर और जहां तक इस रंग का प्रश्न है उसके ऊपर गया और जैसा कि मैंने अभी धाराओं के संबंध में कहा कि वह धारायें इस बात का द्योतक हैं कि हम रंग के प्रश्न को किसी न किसी तरह से हल करना चाहते हैं। अब तक हमारे पास तो कोई रंग इस प्रकार का आया नहीं जिसे हम आसानी से बनस्पति तेल में मिला दें और जो ऐसा हो कि अस्वास्थ्यकर भी न हो और स्थायी भी न हो। हमने केन्द्र से भी इस विषय की चर्चा की और अक्सर हमारे सम्मानित मित्र डाक्टर शान्ति स्वरुप भटनागर जो समय समय पर हमारे बीच में आते थे इस ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के सिलसिले में, उनसे में और प्रदेश की सरकार समय समय पर यह निवेदन किया करते थे कि वह कृपा करके हमारे लिये कोई ऐसा साधन मुहैया कर दें कि जिससे इस प्रकार का कोई रंग ढूंढ़ निकाला जा सके।

आप जानते हैं कि डाक्टर शान्ति स्वरुप भटनागर हमारे प्रदेश के उन वैज्ञानिकों में से थे जिनका इस देश में ही नाम नहीं था परन्तु जो वैज्ञानिक संसार में अपना एक स्थान रखते थे। और उनकी कृपा से, आज यद्यपि वे हमारे बीच में नहीं है, संसार से विदा हो गये वे ऐसे वैज्ञानिकों को दे गये हैं, ११ लेबोरेट्रीज की स्थापना करके जो कि विज्ञान की दुनियां में इस देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। उनसे जब जब इस विषय में चर्चा हुई उन्होंने कहा कि हमने तो विभिन्न स्थानों पर इस बात का अनुसंधान कराया है कि बनस्पति घी का इस्तेमाल क्या लोगों

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

की तन्दुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है और उन्होंने हमको इस बात की सूचना भी दी कि चार स्थानों पर, चार वैज्ञानिक केन्द्रों में, यानी बैंगलोर के डेरी इंस्टीट्यूट, बंगलोर के साइंस इंस्टीट्यूट और इज्जतनगर, बरेली के बैटेरिनरी इंस्टीट्यूट और कलकता के कालेज आफ साइंस ऐंड टैक्नोलोजी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किये हैं और उन अनुसंधानों की तहत में वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जहां तक विजिटेबिल आयल के इस्तेमाल का संबंध है बनस्पति के रूप में वह नुकसान करने वाला नहीं है। हमने जैसा कि बताया सन् १९५० में प्योर फूड ऐक्ट बनाया और सन् १९५२ में काउंसिल आफ साइन्टिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, न्यू देहली की ओर से एक पुस्तिका प्रकाशित हुई जिसमें सारे अनुसंधानों का जो इन विभिन्न वैज्ञानिक स्थानों पर किये गये थे उनके निर्णय दिये गये और उन निर्णयों को देख कर हमें यह पता चला कि जो हमारे बीच में यह विचार फैला हुआ है कि बनस्पति का खाना तन्दरुस्ती को नुकसान देता है, यह कदाचित सत्य नहीं अगर हम वैज्ञानिकों की राय को मान कर चलें। मैं उनके अनुभवों को उनके अनुसंधानों के विषय में ४,५ पंक्तियां पढ़ कर सुना देना चाहता हूं और यह पंक्तियां उस पुस्तिका से पढ़ रहा हूं जो काउंसिल आफ साइन्टिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल, रिसर्च न्यू देहली से प्रकाशित हुई है।

"In comparative feeding experiments carried out at 3 different researeh centres on rats for 3 generations with raw groundnut oil, refined groundnut oil and vanaspati of melting points 37°C and 41°C, the results indieate that there is no deleterious effect produced by vanaspati as eompared with raw or refined oil."

फिर वह कहते हैं:

"Human feeding trials carried out at 4 different centres also indicate that vanaspati of melting point 37°C has no harmful effect as compared with raw groundnut oil"

आखिर में उन्होंने कहा:

"Feeding experiments with poor rice diets carried out on rats as well as on human subjects at different centres of research have not shown vanaspati of melting point 37° C to have any deleterious effect as compared with raw and refined groundnut oil. It appears that vanaspati of melting point 41° C. is absorbed to a lesser extent than raw groundnut oil and that it may have an adverse effect on calcium utilization, although definite conclusions cannot be drawn from the limited series of experiments on calcium matebolism. As regards comparative nutritive values of (1) pure ghee, (2) raw groundnut oil,(3) refined groundnut oil, (4) vanaspati of melting point 37°C. and (5) vanaspati of melting point 41°C. , the balance of experimental evidence places ghee as the best; raw groundnut oil, refined groundnut oil and vanaspati of melting point 37° C. fall into one group and are next best to pure ghee; vanaspati of melting point 41°C. comes third in nutritive value."

मैंने यह जो पंक्तियां आपके समक्ष उपस्थित कीं उनसे मेरे कहने का मतलब यह है कि इन वैज्ञानिकों ने यह निर्णय कर दिया कि घी तो सबसे उत्तम पदार्थ है जहां तक न्यूट्रिटिव वैल्यू का सम्बन्ध है और उसके बाद उन्होंने रिफान्ड ग्राउन्डनट आयल और राग्राउन्डनट आयल उनको एक ही पंक्ति में रखा। जब सन् १९५० में प्योर फूड ऐक्ट बन जाने के बाद हमारे सामने यह रिपोर्ट आयी तो हमने यह कहना तो छोड़ दिया कि बनस्पति के खाने से हानि होती है और हमें स्वयं भी ऐसे व्यक्ति मिले जो रोजमर्रा बनस्पति खाते हैं, उनकी तन्दुरुस्ती उन व्यक्तियों से जो कि घी खाते हैं किसी तरह कम नहीं रही है। लेकिन हम उन

व्यक्तियों में से रहे हैं और सरकार का यह मंशा बराबर रहा है और वह यह मानती रही है कि जहां तक घी का सम्बन्ध है उसकी न्युट्रिटिव वैल्यू का तो कोई मुकाबिला कर ही नहीं सकता है ।

तो जहां तक इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि यह हानिकारक चीज है मुझे दुख है कि इन वैज्ञानिकों की राय के बाद यद्यपि मेरी राय कुछ भी हो मैं उस राय को मानने के लिये तैयार नहीं हूं जो कि राय इस प्रस्ताव में प्रकाशित की गयी है । मैं स्वयं उन व्यक्तियों में से हूं जैसा कि कई सदस्यों ने बताया कि मैं बनस्पति घी या तैल को खाता नहीं और जब मैं खाता हूं तो मुझे कुछ तकलीफ हो जाती है । लेकिन ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको नहीं खा सकते, किन्ही को किन्हीं चीजों से इनर्जी पैदा हो जाती है, किन्ही को किन्हीं पदार्थ से इनर्जी पैदा होती है । लेकिन उससे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि वह चीज प्रत्येक व्यक्ति के लिये इनर्जी पैदा कर सकती है । तो मैं इन वैज्ञानिकों की राय के बाद और केन्द्रीय सरकार की जो नीति रही है उसको समझते हुए आज यह कहने के लिए उद्यत नहीं हूं जब तक कि दूसरा कोई अनुसंधान इसके विरोध में हमारे सामने न आये कि विजिटेबुल आयल के खाने से हानि होती है । हां, यह सरकार यह चाहती है और मैं स्वयं इसका पक्षपाती हूं कि हमारे बीच में ऐसा रंग निकलना चाहिये कि जिसको बनस्पति में मिला देने से वह अशुद्धता जो अच्छे घी और शुद्ध घी के प्राप्त करने में हमको देखने में मिलती है, वह किसी न किसी प्रकार से बन्द की जावे ।

मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं मुझे बहुत से ऐसे साथियों से मिलने का अवसर मिला है जो कि विदेशों से होकर आये हैं, वह बताते हैं कि विलायत में तो बटर और मार्गरीन अलग-अलग बिकती है, वहां कोई रंग का प्रश्न उठता नहीं है, क्योंकि वहां वह दोनों उसी रूप में बेची जाती हैं । वहां पर कोई इस प्रकार की अशुद्धता देखने में नहीं आती जिस प्रकार की अशुद्धता यहां के व्यवसायी से ठीक घी के प्राप्त करने में हमें दिखाई पड़ती है । तो मैं इस विषय में यहां यह निवेदन करूंगा कि यदि विलायत में लोग मार्गरीन खा कर तन्दुरुस्त रह सकते हैं, अपनी बर्थ रेट को बढ़ा सकते हैं, और अपनी डेथ रेट को घटा सकते हैं तो यह चीज हानिकारक नहीं हो सकती । इससे यह कह कर कि हानिकारक है हम प्रतिबन्ध लगा दें यह कदाचित् सही नहीं होगा । फिर प्रदेशीय सरकार भी तो कुछ कायदों की तहत में बंधी हुई है, उसे भी कुछ कायदों के नीचे काम करना पड़ता है । यदि हम या यह सदन कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगाना भी चाहे तो नहीं लगा सकेगा । उसे प्रेसीडेंट की आज्ञा लेनी होगी और क्या आप यह समझते हैं कि प्रेसीडेंट इस बात की आज्ञा देंगे जब केन्द्रीय सरकार की यह नीति है कि वह वनस्पति घी के प्रसार में कोई रुकावट नहीं डालना चाहती है । मैं समझता हूं आप सब को विधान की दफा ३०४ का भली-भांति ज्ञान है । वह हमको इस प्रकार की आज्ञा देने का अधिकार नहीं प्रदान करती है । यदि कोई सदन ऐसी आज्ञा देना चाहे तो इसके पहले उसे प्रेसीडेंट महोदय से आज्ञा लेनी पड़ेगी । लेकिन वह आज्ञा मिलने वाली नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सरकार प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहती है । लेकिन मैं उन व्यक्तियों में से हूं और यह सरकार चाहती है कि हमें किसी न किसी प्रकार से रंग खोज कर निकालना चाहिये जिसे कि हम वनस्पति घी में मिला सकें जिससे कि वह फिर शुद्ध घी में मिलाया न जा सके । तो इसका इन्तजाम होना चाहिये । हम यह चाहते हैं । हमने अपने प्रदेश में यह कार्य किया और विभिन्न प्रकार के सुझाव हमारे पास आये थे उनको हमने जंचवाया । लेकिन हमें कोई ऐसा रंग न मिल सका । केन्द्रीय सरकार के पास बहुत से साधन हैं, वह अवश्य इसमें सहायता दे सकते हैं और यह एक ऐसा प्रश्न है, जो आल इंडिया का प्रश्न है, सारे देश का प्रश्न है, जिसके विषय में केन्द्रीय सरकार को कोई न कोई कार्यवाही करनी चाहिये । तो मैं जहां तक हमारे साथी रणंजय सिंह जी के प्रस्ताव का संबंध है इस विषय में तो यह कहना चाहता हूं कि जिस भाषा में वह लिखा हुआ है उसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं । यद्यपि उसके पीछे जो सेंटीमेंट्स हैं उनमें से कई से

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

मैं सहमत हूं और सरकार सहमत है। इसलिये मैं उस प्रस्ताव को उस संशोधन के साथ मानने के लिये तैयार हूं जिसको हमारे व्रजभूषण मिश्र जी ने उपस्थित किया है, जिसमें कहा गया है कि डालडा से वास्तविक घृत का भ्रम होता है और डालडा स्वास्थ्य के लिये घृत के समान गुणकारी नहीं है यहां तक मंजूर करता हूं और आगे जो संशोधन में कहा गया कि केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन किया जाय कि केन्द्रीय सरकार इस तरह के रंग के अनुसंधान के विषय में कार्यवाही करे, ठोस कार्यवाही करे, जिससे प्रदेशीय सरकारें अपने बीच में कोई ऐसा कानून बना सकें जिससे इस प्रकार के रंग के बनाने की व्यवस्था इस व्यवसाय के सम्बन्ध में कर दी जाय। मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेशीय सरकार, जैसा कि मैंने कहा, १५-२० साल से इस तरह का उद्योग कर रही है कि हम इस प्रकार के रंग को निकाल सकें। जो विचार यहां प्रकट किये गये मैं इससे सहमत नहीं हूं कि सारे वैज्ञानिकों को व्यवसायी और इंडस्ट्रियलिस्ट खरीद लेते हैं। ऐसा हमारा कहना उनके प्रति अश्रद्धा प्रकट करना है। उत्तरोत्तर हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में अपनी जगह बनाये जा रहा है और अगर हम अपने वैज्ञानिकों के सम्बन्ध में ऐसी राय दें दे तो यह उनके साथ विश्वासघात करना होगा और साथ में उनको निरुत्साहित करना होगा। यह देश भी उत्तरोत्तर ऐसे वैज्ञानिक पैदा कर रहा है जो कि थोड़े समय में दुनिया के अन्दर अपना स्थान बनाएंगे और हम आशा करते हैं कि जहां वह अपने अनुसंधान के कार्य में लगे हुए हैं वह मेहनत से हमारे बीच में एक ऐसा रंग पैदा करेंगे जिससे हम उस विचारधारा को पैदा कर सकें जो कि बहुत से भाषणों में व्यक्त की गई है।

मैं, इसलिए सदन का अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि समय भी नहीं है, सरकार की तरफ से सदन को आश्वासन दिलाता हूं कि सरकार उत्तरोत्तर इस प्रयास में लगी हुई है कि रंग कोई ढूंढ़ निकाला जाय और इस कार्य के लिए जैसा कि सरकार पूर्व भी घोषित कर चुकी है, फिर घोषणा करती है कि १०,००० के बजाय २५,००० रुपया इनाम दिया जाय उस व्यक्ति को जो इस प्रकार का रंग निकाल कर हमको दे गा। सरकार उसको इस प्रकार का रंग निकालने के लिए २५,००० रुपये का इनाम देगी। इससे मैं समझता हूं कि उस कार्य की पूर्ति हम कर सकेंगे जिसकी विचारधारा सदन के सामने विचारार्थ उपस्थित की गयी है।

मैं, इन शब्दों के साथ माननीय रणंजय सिंह जी के प्रस्ताव को, उस संशोधन के साथ, जिसे मिश्र जी ने पेश किया है, मंजूर करने के लिये तैयार हूं।

श्री रणंजय सिंह—श्रीमान् जी, मुझे संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—अब मैं समझता हूं कि संशोधन बहुत से हैं। अगर बाकी सदस्य वापस लेते हों तो मैं एक ही पेश कर दूं।

कुछ सदस्य—एक ही पेश कर दें।

श्री अध्यक्ष—यह संशोधन व्रजभूषण मिश्र जी का है कि—

संकल्प की दूसरी पंक्ति में "गुणकारी नहीं है" के पश्चात् का सारा वाक्यांश निकाल कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"अतः यह सदन भारत सरकार से प्रार्थना करता है कि वह जमाये हुये मूंगफली व तिल के तेल का घी से विभेद करने के लिये उसके रंगने के सम्बन्ध में शीघ्र कोई ठोस कार्यवाही करे जिससे इस संबंध में कानून बनाया जा सके।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—मैं अब संशोधित संकल्प सदन के सामने रखता हूं, वह इस प्रकार है:—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि जमाये हुये मूंगफली और तिल के तेल से वास्तविक घृत का भ्रम होता है और वह स्वास्थ्य के लिये घृत के समान गुणकारी नहीं है अतः

यह सदन भारत सरकार से प्रार्थना करता है कि वह जमाये हुये मूंगफली और तिल के तेल के घी से विभेद करने के लिये उसके रंगने के संबंध में शीघ्र कोई कार्यवाही करे जिससे इस सम्बन्ध में कानून बनाया जा सके।"

श्री मोहनलाल गौतम—बिनौला से भी वनस्पति बनता है अतः उसे भी जोड़ दिया जाय।

श्री बसन्तलाल शर्मा—अध्यक्ष महोदय, इसमें बिनौला को भी मिला दिया जाय क्योंकि डालडा बिनौला का ही बनता है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अगर सर्वसम्मति हो तो मैं बढ़ा दूं। (जरूर-जरूर की आवाजें) तो यह इस तरह से हो जायगा :

श्री मोहनलाल गौतम—"तथा अन्य" भी जोड़ दिया जाय क्योंकि शायद नारियल के तेल से भी बनता हो या किसी और से हो तो वह काम्प्रीहेन्सिव हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय गौतम जी कृपा करके स्पष्ट कर दें।

श्री मोहनलाल गौतम—मैं यह कह रहा हूं कि अभी जो तीन चीजें रखी गयी हैं उनके अलावा भी शायद वेजिटेबिल आयल किसी और चीज से बनता हो जैसे नारियल का तेल। तो उसमें "तथा अन्य चीजें" रख दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं होगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—"अन्य चीजें नहीं" अन्य तेल कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—तो श्री व्रजभूषण मिश्र के संशोधन के अतिरिक्त जो विभिन्न सुझाव आये हैं उनको सम्मिलित करते हुए तथा भाषा की दृष्टि से उपयुक्त सुधार करने के उपरान्त संकल्प का जो अन्तिम रूप हो जाता है उसे मैं सदन की राय के लिये प्रस्तुत किये देता हूं।

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि वनस्पति तेल जो जमाए हुए बिनौले, मूंगफली और तिल के तेल या अन्य तेल से बनाया जाता है, उससे वास्तविक घृत का भ्रम होता है और वह घृत के समान गुणकारी नहीं है, अतः यह सदन भारत सरकार से प्रार्थना करता है कि वह उक्त तेल का घी से विभेद करने के लिये उसके रंगने के सम्बन्ध में शीघ्र कोई ठोस कार्यवाही करे जिससे इस सम्बन्ध में कानून बनाया जा सके।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कालपी तथा जालौन में कांस उखाड़ने से संबंधित २२ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न ३०-३१ के विषय पर विवाद

श्री अध्यक्ष—अब जिला जालौन में कांस उखाड़ने के लिये भेजे गये ट्रेक्टरों की संख्या तथा परगना कालपी तथा जालौन में कांस उखाड़ने से सम्बन्धित श्री बसन्त लाल द्वारा २२-९-५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न ३० व ३१ के विषय पर नियम ४२ (१) के अन्तर्गत विवाद जारी होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने बताया यह जालौन जिले में कांस उखाड़ने के सम्बन्ध में वादविवाद है। माननीय बसन्तलाल जी ने जो प्रश्न पूछा था उसके सिलसिले में बहुत से अनुपूरक प्रश्न भी पूछे गये थे। मिसाल के तौर पर यह पूछा गया कि फी एकड़ कितना कांस की उखड़वाई ली जाती है तो माननीय मंत्री जी ने संभवतः यह बताया था कि ४० रुपये फी एकड़ ली जाती है जो कि अंशतः सत्य है। इसके अलावा भी लिया जाता है। मैंने अपने एक अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि जो यह खर्चा लिया जाता है किसानों से उसकी एक पाई भी सरकार नहीं बर्दाश्त करती है। तो माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि एक पाई नहीं बहुत अंश में उस खर्चे को सरकार बर्दाश्त करती है।

श्री हुकुम सिंह—क्या कहा था ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—बहुत बड़े अंश में उस खर्चे को बर्दाश्त करती है। वह भी एक भ्रमात्मक चीज है। प्रारम्भ में तो यह योजना किसानों के लाभ के लिये बनाई गई थी लेकिन बाद में यह एक अभिशाप सिद्ध हो रही है। और इसमें जो दिक्कतें किसानों को पड़ती हैं उनको मैं उपस्थित करना चाहता हूं। पहला नियम तो यह है कि १,५०० एकड़ से कम में कांस के उखाड़ने का काम प्रारम्भ नहीं किया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि १,५०० एकड़ का रकबा ले लिया जाता है और बीच में अगर किसी ऐसे किसान का खेत पड़ जाता है जिसका खेत दस एकड़ है और कांस कुल एक एकड़ में है तो उस पर ट्रैक्टर चला दिया जाता है और पूरे दस एकड़ का चार्ज कर लिया जाता है। चाहे कांस आधे हिस्से में हो या एक एकड़ में हो। मंत्री महोदय ने नहीं बतलाया था कि हाल्टिंग और वार्किंग चार्जेज भी लिये जाते हैं किसानों से। जहां ट्रैक्टर रखे जाते हैं और वहां से किसानों के खेत पर जाते हैं तो रास्ते में जो समय लगता है, उसका चार्ज किया जाता है। अगर अध्यक्ष महोदय, वह कहीं रास्ते में फेल हो गये और स्टार्ट नहीं हो सके तो बड़ा असम्भव सा सवाल हो जाता है कि कितनी देर लगेगी और क्या चार्ज होगा। वर्कशाप से चलने का और रास्ते में खराब हो जाने में वह एक घंटा बढ़ा देते हैं।.....

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गई। इस बीच में श्री मोहनलाल गौतम ने खड़े होकर कहा।)

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं। यदि आज कोरम पूरा नहीं हुआ तो यह बहस पोस्टपोन हो जायगी या खत्म हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—मैं यह समझता हूं कि अगर कोरम न रहा हो और बहस शुरू हो गई है तो इसकी कार्यवाही खत्म समझी जायगी। अगर बहस शुरू न हुई होती तो बात दूसरी थी।

(कोरम पूरा होने के उपरान्त)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया था कि अगर ट्रैक्टर पहुंच गया क्योंकि जिन खेतों में ट्रैक्टर चलता है तो न उनकी राय ली जाती है और न उनकी प्रार्थना पर पर गौर ही किया जाता है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर या कलेक्टर वगैरा तय कर देते हैं और वह एरिया घोषित किया जाता है और वहां ट्रैक्टर चालू कर दिये जाते हैं तो ऐसी हालत में वादविवाद होगा और ट्रैक्टर दो घंटे खड़ा रहा तो हाल्टिंग चार्जेज ५५ रुपये घंटे के हिसाब से उनको देने पड़ेंगे और इस क्षेत्र का लगान ढाई रुपये तीन रुपये पड़ता है और ५५ रुपये के हिसाब से ट्रैक्टर के चार्ज कर लिये जायं तो इसके माने हैं कि २०-२० साल का लगान ले लिया जाता है। और यह किसानों की कमर तोड़ देता है और जो कांस की जांच-पड़ताल की जाती है कि कहां कांस है और कहां नहीं है तो वह ऐसे मौसम में की जाती है जब कांस सूख जाती है या हटा दी जाती है। अगर बरसात में शुरू की जाय तो मालूम हो कि कहां है कहां नहीं है। दूसरे कांस बरसात में उखाड़ी जाती है तो एक तरफ से कांस उखाड़ी जाती है और नमी होने की वजह से दूसरी तरफ से उग जाती है। हां, यह जरूर है कि अगर कांस फिर से जम जाए तो फ्री आफ चार्ज उखाड़ी जाती है। लेकिन ऐसी दिक्कतें हैं कि किसी की दस एकड़ जमीन है और एक एकड़ में कांस है तो ९ एकड़ के दाम उसको देने पड़ेंगे ज्यादा अगर अब जमेगी तो एक एकड़ में ही जमेगी

और ९ एकड़ के दाम वह पहले दे चुका है जो लगान का बीस गुना होता है। ऐसी हालत में यह कठिनाई किसान को है और यह भी अध्यक्ष महोदय की अभी हाल में एक बौनी रियासत है उसका एक बावन गांव है, उनका सर्किल रेट से पहले से ही रेट ज्यादा है....

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सवाल से बावनी का क्या संबन्ध है ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—वह तो मैंने रिफरेन्स में कहा। चूंकि लगान में किसानों के साथ ज्यादती होती है इसलिये यह चीज कही।

अध्यक्ष महोदय, किसानों के बहुत शोर मचाने की वजह से सरकार ने अब यह व्यवस्था कर दी है कि ४० रुपया ऐकड़ उनसे लिया जायगा लेकिन हाल्टिंग चार्जेज के बारे में सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि वहां पर एक जगह से ३० रुपया फी एकड़ लिये जाने का फैसला किया गया है। वह उनसे १० साल में वसूल किया जायगा। और वह पहले जो ५५ रुपया एकड़ और ४० रुपया एकड़ लिया गया उसको उनसे ५ साल में वसूल किया जायगा। तो यह भी एक असमानता है, कुछ किसानों से ३० रुपया एकड़ १० वर्ष में वसूल किया जायगा और ५५ और ४० रुपया एकड़ ५ साल में वसूल किया जायगा तो मैं समझता हूं कि जनहित में किसानों के हित में यह असमानता उचित नहीं है। यह छोटा सा इलाका है। केन्द्रीय सरकार का उसमें हाथ है और हमारी सरकार का भी उसमें हाथ है जिनका कि इतना बड़ा बजट है। ऐसी हालत में सचमुच अगर सरकार चाहती है कि काश्तकारों का काम किया जाय तो उनसे आपको बहुत नामिनल चार्ज करना चाहिये ताकि वहां के किसानों का सही मानी में लाभ हो सके।

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने जो इस्तगासा श्रीमान् के पास मेरे खिलाफ भेजा है उसमें उन्होंने हवाला देते हुये यह कहा कि सरकार को कांस निकालने का व्यय कुछ प्रतिशत बर्दाश्त करना चाहिये। जहां तक मेरी जानकारी है यह बात ठीक नहीं है। मैं श्रीमान् से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मित्र का यह कहना उचित नहीं है। जो मैंने जवाब दिया था उसकी कापी मेरे पास है। उसमें मैंने यह जवाब दिया है और उनका प्रश्न यह था कि :—

क्या यह सही है कि कांस निकालने का सारा खर्चा किसान को देना पड़ता है और उत्तर प्रदेश की सरकार एक पाई भी नहीं देती ?

इसका मैंने यह जवाब दिया था कि :—

"सरकार पाई नहीं देती है पैसा खर्च करती है।" मैंने किसी जवाब में नहीं कहा कि इतने प्रतिशत बर्दाश्त करती है। लिहाजा हमारे मित्र की इस्तगासे की बात गलत है। मेरे जवाब से असन्तोष प्रकट करके वह तो विवाद के लिये दरख्वास्त करें लेकिन हमारे मित्र ने जो गलत इस्तगासा दायर किया है उसके बारे में मुझे हक है या नहीं कि मैं भी उनके प्रति अपना असन्तोष प्रकट करूं ? लिहाजा हमारे मित्र ने गलत बात को सदन के सामने रखा। उसके बाद हमारे मित्र श्री मदनमोहन उपाध्याय जी ने भी एक प्रश्न पूछा था कि "कितना सरफा होता है ?" इसका जवाब मैंने दिया था कि "इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। मैं इसको इस समय बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास सामग्री नहीं है।"

जहां तक मेरे जवाब का ताल्लुक है। जवाब इतना उचित है कि चाहे हमारे मित्र इसको अनुचित समझें लेकिन सदन तय करेगा कि यह उचित है या अनुचित है ? पैसा खर्च करते हैं। यह ऐसा मुहावरा है कि जिसको हमारे मित्र जो अवध के रहने वाले हैं

[श्री हुकुम सिंह]

उनको तो उस मुहावरे को समझना चाहिये। यह मकान बहुत अच्छा बना है, इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ है। पैसे से धन का मतलब है वाक़ई पैसे से उसका मतलब नहीं है। तो यह मुहावरा हमारे मित्र की समझ में नहीं आया। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मैंने जो कहा वह बिल्कुल ठीक कहा।

३०, ४० रुपये एकड़ १० वर्ष में अदा होंगे यह बात न मालूम वह कहां से ले आये। सुनी सुनाई बात उन्होंने यहां पर कह दी; अभी तो गवर्नमेंट आफ इंडिया और हमसे खतोकिताबत हो रही है, कोई निश्चित बात तय नहीं हुई है। यह आशा की जाती है कि महज़ ट्रैक्टराइजेशन का रेट ४० तक हो जाय। इसके नीचे हम कोई आशा नहीं रखते हैं। लेकिन मेरे मित्र ने प्रोपेगंडा की शकल में अपनी बात कही। इस सरकार ने ५१ तक करीब ६ लाख रुपये की तकावी दी है। शुरू से लेकर ४७-४८ से ५०-५१ तक जो रेट थे वे ४७-४८, ४८-४९ और ४९-५० में ५५ रुपये था और ५०-५१ में ५२ रुपये। लेकिन चार्ज जो किसान से लिया जाता था वह है ४७-४८ में १२-१२-६, ४८-४९ में २०, ४९-५० में ३६-५ और ५०-५१ में ५२ रुपये। जो कमी होती थी उसे राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ५०-५० बेसिस पर बर्दाश्त करती थीं। इस प्रकार करीब ६,४१,७०५ रुपया राज्य सरकार ने सबसीडी में दिया। इस तरह का राज्य सरकार का एक आर्गेनाइजेशन झांसी में है जो कि जालौन कालपी में भी काम करता है। वहां हमारा आफीसर आन स्पेशल ड्यूटी है। हमारा स्टाफ जमीन की छांट करता है और नोटीफाई करता है और ट्रैक्टर के चार्जेज की वसूलयाबी में मदद करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्गेनाइजेशन के लिये भी हम मकान, दवाई, पानी, सैनीटेशन आदि का प्रबन्ध करते हैं जिसमें हमारा काफी खर्च होता है। ५६ तक के लिये इस सरकार ने करीब १७,८४,६६७ रुपया खर्च किया। टोटल सबसीडी २७,२६,४०२ रुपया इस योजना के सम्पन्न करने में खर्च किया। इस तरह की जो जमीन छांटी जाती है और नोटीफाई की जाती है उसमें रबी की फसल बोने की मनादी हो जाती है। उस वक्त चूंकि काश्तकार की जमीन ली जाती है तो रबी के लिये मुआवजा भी दिया जाता है। गत वर्ष में ६५ हजार रुपया और अबकी साल ८० हजार रुपया मुआवजे के लिये रखा गया है। हमारे मित्र ने व्यंगात्मक प्रश्न किया यह मान कर कि सरकार एक पाई भी उसमें नहीं लगाती है। २७, २८ लाख रुपया यह सरकार खर्च कर चुकी है। हमारे मित्र तो मेरे जवाब से कभी भी सन्तुष्ट हो नहीं सकते। उस समय सन्तुष्ट हो सकते हैं जब हम हाथ जोड़ कर खड़े हो जायं और यह कहें कि राज्य सरकार ने बड़ा भारी कसूर किया है लेकिन माननीय सदस्य यदि मेरी बात को सोचेंगे और समझेंगे तो तय करेंगे कि मेरा जवाब माकूल और सन्तोषजनक था। हमारे मित्र ने कहा कि मैंने ५५ रुपये कहा था और बातें मैंने नहीं बतलाईं। मैं उस सवाल का मतलब यह समझा था कि वह ट्रैक्टराइजेशन का रेट पूछते हैं वाटरिंग और स्टेइन्ग चार्जेज की दूसरी मद हैं। मेरा मंशा कोई बात छिपाने का नहीं था। मेरे मित्र फिर सवाल करते तो मैं जवाब देता अगर मेरे पास सामग्री नहीं होती तो मैं नोटिस मांगता। रेट तो वही ५५ रुपये है लेकिन जालौन कालपी में जो ट्रैक्टराइजेशन हुआ है ५४-५५ में उसमें वाटरिंग चार्जेज का औसत १३ आने पड़ा है। जितनी टोटल आरजी ट्रैक्टराइजेशन की होती है उसको उस रकम से तकसीम किया जाता है जो उस जगह होती है और इस तरह से पर एकड़ खर्चा निकाला जाता है और इस प्रकार हिसाब लगाने पर १३ आना प्रति एकड़ से ज्यादा वर्किंग चार्ज नहीं आये, हार्वेस्टिंग ८ सीजन में १० घंटे का हुआ जब कि ट्रैक्टर्स बेकार रहे। तो ५५ को १० से जरब कर दीजिये तो कुल ५५० रुपया पड़ते हैं और उसकी सारी जमीन पर तकसीम कर दीजिये यह साफ है कि वर्किंग और हार्वेस्टिंग चार्जेज की रकम बहुत ही कम है लिहाजा मेरे दोस्त ने जो इस बात की कोशिश की यह दिखाया

जाय कि ५५ रुपया हार्वेस्टिंग चार्जेज, ५५ रुपया वार्किंग चार्जेज और ५५ रुपया ट्रैक्टराइजेशन चार्जेज हुए और इस प्रकार से प्रति एकड़ १६५ रुपया आया और यह रुपया किसानों से वसूल किया गया। यह बात सत्य से बहुत दूर है। मैं कहना चाहता हूं और मुझे इस बात की शिकायत है कि उन्होंने मेरे जवाब के बिल्कुल खिलाफ ध्यान देकर और श्रीमन् के सामने इस्तगासा दायर किया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में तो २५० ऐसी दफा हैं जिसमें यदि कोई मेलीशसली ग़लत इस्तगासा दायर करता है उसके खिलाफ यह कहा जा सकता है कि इस शख्स ने जान बूझ कर परेशान करने के लिये ऐसा किया है इसलिये इसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। लेकिन यहां वह दफा लागू नहीं होती और उनके लिये कोई ऐसी रुकावट नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने आधा घंटा सदन को बैठा रखा, अध्यक्ष महोदय को बैठा रखा और मुझे भी वहां खड़ा कर दिया। लेकिन बात कुछ न निकली। ऐसा तो अवश्य होना चाहिये कि जो बात सही हो वही कही जाय लेकिन किसी सवाल को डिस्टार्ड करके लाना कहां तक मुनासिब है। मैं समझता हूं कि मैंने जो जवाब दिया था वह उचित था लेकिन माननीय मित्र ने उसको समझा नहीं। वे अवध का भी जो मुहावरा था उसको भी नहीं समझ सके। दिल्ली में बहुत दिन रहे लेकिन कुछ नहीं किया। इन शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय, अपने मित्र से अर्ज करूंगा कि यह बिला वजह का विवाद है और अब विवाद के सिवाय उनके पास कोई काम रहा भी नहीं है क्योंकि दो आदमियों की पार्टी है और कोई काम है भी क्या ?

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर यह बतायेंगे कि कांस उखड़वाने से पहले किसानों से उनकी ज़मीन की सफाई वग़ैरा के लिये कुछ लिया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह—इस वक्त मेरे पास सामग्री नहीं है नहीं तो बता देता।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)— क्या माननीय मंत्री जी यह बता सकेंगे कि कितना ट्रेक्टराइजेशन हो चुका है ?

श्री हुकुम सिंह—उस दिन तो बताया था, आज तो मुझे याद नहीं है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या कृषि मंत्री जी यह बतायेंगे कि सन् ४८ में जो ९ लाख की तकावी दी गयी थी उसमें से कुछ रुपया वसूल हुआ ?

श्री हुकुम सिंह—तकावी नहीं, सब्सीडी दी थी जो किसानों को देकर वापिस नहीं ली जाती।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आज़मगढ़)—प्रति एकड़ कांस जुताने का क्या किराया पड़ता है ?

श्री हुकुम सिंह—सारी रामायण हो गयी, सीता कौन थी और राम कौन थे यह न मालूम हुआ। मैंने कहा कि ५५ रुपया थी, ५२ रुपया थी और ५५–५६ में ४० रुपया होने की सम्भावना है। अभी कतई तय नहीं है। यह ट्रैक्टराइजेशन के चार्जेज हैं ?

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि गल्ले की दर को देखते हुए जो पहले रेट्स ज्यादा थीं, जो रेट पहले वाले किसानों से ली गयीं, उनको भी माफी दी जायगी ?

श्री हुकुम सिंह—माफी का सवाल नहीं है। आगे के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया से मैं किसानों के लिये लड़ रहा हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार से जो सलाह मशविरा रेट को कम करने के लिये हो रहा है वह कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री हुकुम सिंह— जब सरकार तय कर देगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को यह बहुत बुरा लगा है। असल में उनको तो शुक्रगुजार होना चाहिये कि अगर उनके असन्तोष जनक उत्तर से कोई गलतफहमी सदन में पैदा हो गयी तो मैंने उनको मौका दिया कि वे सही बात कह सकें और यही इस विधान सभा में विवाद करने का असली मतलब हुआ करता है लेकिन और बहुत से ऐसे प्रश्न जो हमने उठाये थे उसके ऊपर माननीय मंत्री जी ने अपनी कोई राय नहीं दी। मिसाल के तौर पर १,५०० एकड़ से कम का कोई ब्लाक होता उसका ट्रैक्टराइजेशन नहीं होता और उसमें अगर किसी किसान का १० बीघा खेत हो और उसके बीच में एक बीघा खेत के अन्दर कांस हो तो सरकार उससे पूरे खेत का ट्रैक्टराइजेशन चार्जेज ले लेती है। माननीय मंत्री जी ने इस ज्यादती के बारे में कुछ नहीं कहा। जहां तक सबसिडी का प्रश्न है ट्रैक्टराइजेशन चार्ज, वर्किंग चार्ज और स्टेंडिंग चार्ज के लिये हो सकता है। उन्होंने कहा कि सबसिडी किसी रूप में नहीं होती।

श्री हुकुम सिंह— वह रेसिशन होता है, सबसिडी नहीं होती।

श्री रामनारायण त्रिपाठी— सबसिडी का कोई आधार नहीं मिलता। मैंने यह कहा था कि सरकार का कोष १२ करोड़ से ९१ करोड़ से हो गया है इसलिये रेट को कम करने के बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट से दरख्वास्त करने की कोई बात नहीं है। इस गवर्नमेंट के पास भी इस सूबे से काफी रेवेन्यू आता है और इस सूबे से काफी रेवेन्यू सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाता है। सूबे के पास का ही रेवेन्यू है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उन गरीब किसानों से जो इतना ज्यादा रुपया चार्ज करके उनकी कमर तोड़ने की बात की जाती है इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा।

श्री हुकुम सिंह—सबसिडी के बारे में मैंने कह दिया, इसको माननीय मित्र ने सुना ही नहीं। सन् ४७-४८, ४८-४९, ४९-५० और ५०-५१ में ५५ और ५२ का रेट था और जो उनसे चार्ज किया गया था वह यह है—सन् ४७-४८ में १२ रु० १२ आ० ६ पाई, सन् ४८-४९ में २० रु०, सन् ४९-५० में ३६ रु० ५ आ० और सन् ५०-५१ में ५२ रु०। इसके अन्दर सेंट्रल गवर्नमेंट और यह राज्य सरकार फिफ्टी फिफ्टी के बेसिस पर सबसिडी देती है। जो असल बात थी उसको मैंने कह दिया। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—तो यह समाप्त होता है। अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २९ मिनट पर सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
९ सितम्बर, १९५५ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२३ पर)

२४ दिसम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ८२,८३, ८४ के उत्तर

प्रश्न	उत्तर
८२	जी हां।
८३	जी हां, इनमें से कुछ गांवों से प्रार्थना पत्र जिला नियोजन अधिकारी को प्राप्त हुये हैं।
८४	जांच के पश्चात् नियमानुसार कुछ गांवों को अनुदान दिया गया है।

हरगोविन्द सिंह,
शिक्षा मंत्री।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२६ पर)

SUTI MILL MAZDOOR SABHA,
GWALTOLI, KANPUR.
8th April, 1955.

To,

1. The Elgin Mills Co. Ltd., Kanpur.
2. The New Victoria Mills Co. Ltd., Kanpur.
3. The Muir Mills Co. Ltd., Kanpur.
4. The Cawnpore Woollen Mills, Branch of the B. I. C. Ltd., Kanpur.
5. The Cawnpore Cotton Mills, Branch of the B. I. C. Ltd., Kanpur.
6. The Cawnpore Textiles Ltd., Kanpur.
7. The Swadeshi Cotton Mills Co. Ltd., Kanpur.
8. The Atherton West & Co., Ltd., Kanpur.
9. The J. K. Cotton Spg. & Wvg., Mills Co. Ltd., Kanpur.
10. The J. K. Cotton Manufacturers Ltd., Kanpur.
11. The Laxmi Ratan Cotton Mills Co. Ltd., Kanpur.

DEAR SIRS,

WHEREAS:

1. The General Council of the Suti Mill Mazdoor Sabha is convinced that the U. P. Government and the employers (in the textile industry of the City) are determined to impose intensification of work-load (in Elgin, Muir, Swadeshi, Atherton West, J. K. Cotton, Cawnpore Textiles and Cawnpore Cotton Mills) which must eventually result in the retrenchment of thousands of workmen, will not increase production nor lower sale prices of cloth but would multiply profits for the mill magnates and misery for, both retained and retrenched, workmen.

2. The U. P. Government and the employers are not willing and cannot implement the assurances given at the Tripartite Conference regarding the retention in employment of workmen, permanent, temporary and substitute, consequent on the so-called rationalization measures being implemented.

3. The proposed cent per cent intensification of work-load in Spinning, Weaving and other sections, without introducing any technological improvements whatsoever, is bound to result in diminishing aggregate, loom point and spindle point, production.

4. The proposed schemes of intensification (described by the employers and ill-informed Government spokesmen as rationalization) must inevitably result in break-down in physique, deterioration in industrial efficiency of the worker and plant morale.

5. The proposed increase in basic wages of those retained for intensified work would enhance their total wages only by about 13 per cent for 100 per-cent or bigger increase in work-load and would widen the existing disparity between Kanpur textile worker and workerat Bombay and Ahmedabad for the same quantum of work.

6. The PSEUDO rationalization schemes threatened to be implemented in Kanpur run contrary to the letter and spirit of all collective agreements and recommendations of expert committees concerned with this question in this industry.

7. The U. P. Government and the employers have persistently turned down the labour demand to effect real, comprehensive and desirable rationalization in the financial, managerial and marketing structures of the textile industry at Kanpur in the form of establishment of central pools for purchase of cotton and stores and reduction in managing, selling and purchasing agency commissions which would result in greater saving, without causing unemployment and would be in the interest of nation as a whole.

8. The Labour Department of U. P. Government have persistently rejected and spurned all requests and persuasions of the Suti Mill Mazdoor Sabha for referring to adjudication disputes which are the core of industrial maladies crying for redress, such as Retirement Gratuity, Revision of oppressive and unjust Standing Orders, Irrecoverable Suspension Allowance, stoppage of arbitrary, coercive and vindictive Transfers.

9. Cawnpore Woolen Mills, Branch of the B. I. C. has been running for years for about one week per month to cut down production and attach scarcity value to its produce causing immeasurable misery to its employees and the U. P. Government has chosen to remain an impassionable spectator. And the workers of the J. K. Woollen Mills who have been under continuous play-off for the last 19 months are faced with untold misery.

10. The illegal imposition of nine-hour work on Saturdays and Mondays in the Swadeshi Cotton Mills has continued for about 14 months despite repeated protests from the Suti Mill Mazdoor Sabha and an overwhelming majority of workmen concerned and the Labour Department representative has simply refused to convene the Committee authorized to review the arrangement.

11. The *en masse* suspension of workers in the Muir Mills, Cawnpore Cotton Mills and the Cawnpore Textiles culminating in the total cessation of work in the latter is the studied process of employers to demoralize and subdue workers into accepting their unjust intensification schemes.

12. The three textile mills (New Victoria, Laxmi Ratan and J.K. Cotton Manufacturers) have failed to honour the terms, regarding enhanced wages and technological improvements, guaranteed to workers at the time of imposition of intensified work-load even after prolonged strikes and avalanche of repression, The experience of production in these three units has conclusively proved that PSEUDO rationalization has neither resulted ni increase in production nor cheaper cloth for consumer nor better wages amenities for the workers but only greater profits for the employers. The workers have been tirelessly agitating for the reversion to old work-load.

13. The U. P. Government and the employers have given no consideration to the repeated demand of the Suti Mill Mazdoor Sabha for its recognition as the sole bargaining agent for the textile workers of Kanpur and constitution of Works Committees or Trades Councils which would have been promotive of industrial harmony.

14. Both the former Labour Minister and the Labour Commissioner have repeatedly broken their promises regarding restoration of leave with wages and lakhs of rupees forfeited from earned wages as deductions due to observance of May Day and Shahid Day (January 6).

15. A substantial number of the textile workers have been deprived of annual bonus for over four years. The Sabha has come to the conclusion that workers can never win bonus, except in exceptional circumstances, on the basis of Full Bench Formula of the Labour Appellate Tribunal and the published balance sheets of the employers the Sabha reiterates its demand that the workers be given a consolidated suitable bonus for the past years and for future bonus equivalent to three months basic wages be recognized as a payment due at the close of the year.

16. The Government and the employers have brushed aside the repeated demand of the non-permanent workers to be declared permanent by providing that no permanent post should be left unfilled beyond two months by a permanent hand. This has been so done to leave ample room for the retrenchment of substitutes and the so-called temporaries under the PSEUDO rationalization scheme and confirmations have been withheld for the last several years. No relief is given to a substitute (who is required to report for duty every day) in case he is turned back by the employer.

17. The unanimous recommendations of the Nimbkar Committee regarding Basic wages and Dearness allowances of operatives and clerks have not been implemented even as the wages have been progressively declining for the last few years.

18. The grades and incremental scales for clerks and watch and ward have not been fixed as per recommendations of the Nimbkar Committee,

19. The employers have been relentlessly pursuing the policy of weeding out trade unionists from their respective mills on flimsiest pretexts and the Government have aided them by withholding reference of their cases for adjudication.

20. The Sabha strenuously supports the struggle and shares the grievances of workers in Jute, Leather, Oil and Chemical industries of Kanpur for the fixation of a minimum wage through adjudication,

The Suti Mill Mazdoor Sabha has decided to ask all the workmen employed in the textiles industry to go on a general strike for the immediate removal of the above grievances with effect from the 2nd May, 1955.

Please take notice thereof.

Also please take notice that in case a crisis or deadlock is precipitated by the employers during the notice period the Sabha will allow the workers concerned to report to strike at an earlier date in order to resist the provocative acts.

Yours faithfully,

ARJUN ARORA,
General Secretary.

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२७ पर)

हरिजन छात्रावासों के नाम तथा पते	सन् १९५३-५४ में प्रदत्त की हुई अनावर्तीय सहायता
मेरठ (क्षेत्र प्रथम)	रु०
१—श्री हरिजन धर्म जीवन छात्रावास, मछरा	१२०
२—कुमार आश्रम, लाजपत निवास, गढ़ मुक्तेश्वर	१५०
३—जाटव डी० सी० बोर्डिंग हाउस, गांधीनगर	१२०
४—हरिजन छात्रावास, भवाना	१२०
सहारनपुर	
५—डी० सी० होस्टल, गढ़ी मलूक	१२०
६—डी० सी० होस्टल, रामपुर मनिहारन	१२०
बुलन्दशहर	
७—डी० सी० होस्टल, मेरिस रोड	१२०
८—गांधी जाटव छात्रावास, खुरजा	१२०
देहरादून	
९—डी० सी० होस्टल, १२ आनन्द चौक	१२०
अलीगढ़	
१०—डी० सी० होस्टल, धन्नादेवी	१५०
इटावा	
११—हरिजन होस्टल, दिवपट्टी	१३०
१२—डी० सी० होस्टल गडहई, औरैया	१२०
मथुरा	
१३—दलित छात्रावास, मोहल्ला भाटीथान	१२०
आगरा	
१४—जाटववीर होस्टल, राजामंडी	२००
बरेली (क्षेत्र द्वितीय)	
१५—हरिजन छात्रावास, नेकपुर	१२०
बिजनौर	
१६—हरिजन विद्यार्थी आश्रम	१५०
१७—हरिजन विद्यार्थी आश्रम, धामपुर	१२०
मुरादाबाद	
१८—डी० सी० होस्टल, चन्दौसी	१२०
१९—बापू छात्रावास, सिविल लाइन्स	१५०

हरिजन छात्रावासों के नाम तथा पते	सन् १६५३-५४ में प्रदत्त की हुई अनावर्तीय सहायता
फतेहपुर	रु०
२०—डी० सी० होस्टल, ३८१ मुसवानी मोहल्ला	१२०
बदायूं	
२१—परिगणित छात्रावास, मऊवारी ..	१२०
शाहजहांपुर	
२२—डी० सी० छात्रावास, नाफिज मंजिल	१५०
अल्मोड़ा	
२३—डी० सी० होस्टल ..	१२०
२४—डी० सी० होस्टल, पौड़ी ..	१२०
गढ़वाल	
२५—शिल्पकार छात्रावास, लैंसडाउन ..	१२०
२६—शिल्पकार छात्रावास, कर्ण प्रयाग ..	१२०
इलाहाबाद (क्षेत्र तृतीय)	
२७—डी० सी० होस्टल, १३५ कटरा ..	१२०
२८—डी० सी० होस्टल, राजापुर ..	१५०
२६—श्री गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक डी० सी० होस्टल, ४०-बी बलुआघाट	१२०
३०—ईश्वर शरण यूनिवर्सिटी होस्टल, २६ चैथम लाइन्स ..	२३०
फर्रुखाबाद	
३१—डी० सी० होस्टल, फतेहगढ़ ..	१२०
कानपुर	
३२—अछूत जाति विद्यार्थी छात्रावास, कर्नलगंज ..	१२०
३३—डी० सी० होस्टल, पुखरायां ..	१२०
जालौन	
३४—परिगणित छात्रावास, कौंच ..	१२०
३५—ठक्करबाया हरिजन छात्रावास, राम चबूतरा, कालपी ..	१२०
बनारस (क्षेत्र चतुर्थ)	
३६—बीर आश्रम डी० ६१/१३, सिघगिरीबाग ..	१५०
३७—जगजीवन आश्रम, बी० ५/१५६ अवधगरवी ..	१२०
मिर्जापुर	
३८—डी० सी० होस्टल, पुलिस लाइन ..	२२५
जौनपुर	
३६—डी० सी० होस्टल, ईशारपुर ..	१२०
गाजीपुर	
४०—डी० सी० बोर्डिंग हाउस, चौराहा ..	१५०
आजमगढ़	
४१—डी० सी० होस्टल, सदर ..	१५०

हरिजनों छात्र वासों के नाम तथा पते	सन् १९५३–५४ में प्रदत्त की हुई अनावर्तीय सहायता
	रु०
देवरिया	
४२––आजाद परिगणित जातीय छात्रावास, चन्द्रलोक ..	१५०
४३––परिगणित जातीय छात्रावास, चन्दौलीराज ..	१००
४४––परिगणित जातीय छात्रावास, बरहज बाजार ..	१००
गोरखपुर	
४५––हरिजन छात्रावास, गोलघर	..
लखनऊ (क्षेत्र पंचम)	
४६––महात्मा गांधी छात्रावास, लाटूश रोड ..	१२०
४७––हरिजन छात्रावास, रविदास मंदिर, चांदगंज कलां ..	२००
उन्नाव	
४८––भनवाराम कुरील परिगणित छात्रावास ..	१२०
रायबरेली	
४९––भोमराव परिगणित जातीय छात्रावास, जहानाबाद ..	१२०
सीतापुर	
५०––परिगणित जातीय छात्रावास, दुर्गापुरवा ..	१२०
५१––परिगणित जातीय छात्रावास, खैराबाद ..	१२०
हरदोई	
५२––परिगणित जातीय छात्रावास	१२०
बाराबंकी	
५३––सरस्वती बोर्डिंग हाउस	२००
सन् १९५३–५४ में नये खोले गये छात्रावास	
हरदोई	
५४––परिगणित जातीय छात्रावास, बिलग्राम ..	२००
लखनऊ	
५५––परिगणित जातीय छात्रावास, मवकागंज इरादतनगर ..	२०००
५६––ठक्कर बापा परिगणित जातीय छात्रावास, ४२ ई० सी० रोड ..	४००
बुलन्दशहर	
५७––कमला नेहरू हरिजन कुमार आश्रम, सिकन्दराबाद ..	१००
बरेली	
५८––अछूत जातीय छात्रावास, तहसील फरीदपुर ..	२४०
बरेली	
५९––हरिजन विकास छात्रावास, सेंट एन्ड्यूज बिल्डिंग ..	२५०

हरिजन छात्रावासों के नाम तथा पते	सन् १९५३-५४ में प्रदत्त की हुई अनावर्तीय सहायता
सहारनपुर	रु०
६०—परिगणित जातीय छात्रावास ..	२००
सुल्तानपुर	
६१—वीर जवाहर हरिजन छात्रावास, ८२१ वी, साहगंज ..	३००
बाराबंकी	
६२—श्री जगजीवन छात्रावास ..	२००
प्रतापगढ़	
६३—आचार्य विनोबा हरिजन छात्रावास, १३० स्टेशन रोड ..	२००
बस्ती	
६४—हरिजन छात्रावास	२००
कानपुर	
६५—जगजीवन छात्रावास (बुद्धपुरी)	१००
बलिया	
६६—हरिजन छात्रावास	२००
उन्नाव	
६७—हरिजन छात्रावास, अब्बास पार्क	४००
फतेहपुर	
६८—हरिजन छात्रावास, बिन्दकी	२००
बाराबंकी	
६९—सुभाष छात्रावास	२००
इलाहाबाद	
७०—राष्ट्रीय हरिजन छात्रावास, जंघई	१५०
मेरठ	
७१—श्री रविदास छात्रावास, बरौट	२००
लखनऊ	
७२—हरिजन छात्रावास, पीली कोठी, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग ..	२००
रायबरेली	
७३—मूल भारतीय छात्रावास	२००
हमीरपुर	
७४—परिगणित जातीय छात्रावास	२००
७५—हरिजन छात्रावास तहसील राठ	२००

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२६ पर)

विद्यार्थियों की जिलेवार संख्या, जिनको १६५४–५५ ई० में राजनैतिक पीड़ितों की छात्र-वृत्ति तथा अनावर्तक सहायता प्रदान की गई।

क्रम सं०	जिले का नाम	विद्यार्थियों की संख्या जिनको छात्रवृत्ति प्रदान की गई	छात्रवृतियों का योग	विद्यार्थियों की संख्या जिनको अनावर्त्तक सहायता दी गई	इकमुट्ठ अनावर्त्तक सहायता का योग
			रु० प्रतिमाह		रु०
१	देहरादून	२	५०	४	२००
२	सहारनपुर	१	८	१	४०
३	मेरठ	१०	१६४	६	२३०
४	बरेली	३	७७	—	—
५	बुलन्दशहर	१	३५	७	२२०
६	अलीगढ़	६	१६२	७	२७०
७	मथुरा	५	४६	५	१७०
८	आगरा	६	१४४	७	३७०
६	मैनपुरी	४	५६	७	२५०
१०	एटा	३	४०	—	—
११	बिजनौर	२	१६	१	३०
१२	बदायूं	—	—	२	६०
१३	मुरादाबाद	२	६०	२	७०
१४	रामपुर	—	—	—	—
१५	मुजफ्फरनगर	५	६६	—	—
१६	शाहजहांपुर	३	६२	१	३०
१७	पीलीभीत	—	—	—	—
१८	नैनीताल	६	८२	४	१६०
१६	अल्मोड़ा	८	६०	८	२४०
२०	टेहरी गढ़वाल	—	—	—	—
२१	गढ़वाल	—	—	१	३०
२२	फर्रुखाबाद	१	५	२	६०
२३	इटावा	६	५८	३	११०
२४	कानपुर	१०	१६१	११	६६०
२५	फतेहपुर	—	—	—	—
२६	इलाहाबाद	२२	३८३	३५	१५४०
२७	झांसी	८	१२३	३	१००
२८	जालौन	—	—	३	६०
२६	हमीरपुर	१	१२	२	४०
३०	बांदा	—	—	१	३०

क्रम सं०	जिले का नाम	विद्यार्थियों की संख्या जिनको छात्रवृत्ति दी गई	छात्रवृत्तियों का योग	विद्यार्थियों की संख्या जिनको अनावर्तक सहायता दी गई	इकमुश्त अनावर्तक सहायता का योग
			रु० प्रतिमाह		रु०
३०	बांदा	—	—	१	३०
३१	मिरजापुर	२	१३	२	५०
३२	बनारस	४६	८४१	३७	१७००
३३	गाजीपुर	६	११३	६	२६०
३४	जौनपुर	२१	२६४	६	३००
३५	बलिया	१८	२४३	२५	७७५
३६	गोरखपुर	१	२०	५	२००
३७	देवरिया	५	४६	४	१००
३८	बस्ती	२	२८	२	६०
३६	आजमगढ़	१२	२१४	१०	३४०
४०	लखनऊ	५१	१२२३	२७	१४७०
४१	सीतापुर	३	२१	—	—
४२	हरदोई	४	३८	—	—
४३	खीरी	१	२०	१	५०
४४	उन्नाव	—	—	—	—
४५	रायबरेली	—	—	५	१५०
४६	फैजाबाद	११	१७८	१४	४१५
४७	गोंडा	—	—	—	—
४८	बहराइच	—	—	—	—
४६	सुलतानपुर	२	२०	—	—
५०	बाराबंकी	३	१५	—	—
५१	प्रतापगढ़	—	—	१	४०
					१०,४८०
				वनस्थली	२०
					१०,५००

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३६ पर)

क्रम सं०	सम्मोदित पद एवं संख्या पद	सं०	वेतन क्रम	नियुक्त कर्मचारी का नाम
१	२	३	४	५
१	प्रिंसिपल	१	२५०-२५-४००-द०रो०-३०-७००-द० रो०-५०-८५० रु० प्र०मा०	–
२	प्राक्टर कम हास्टल सुपरिंटेंडेंट	१	२५० रु० प्र० मा० निर्धारित	श्री जी० डी० पांडेय
३	वर्कशाप सुपरिंटेंडेंट	१	२००-१०-३००रु०प्र० मा०	श्री गिरीश चन्द्र तिवारी
४	सीनियर क्रेफ्ट इन्स्ट्रक्टर	३	१२०-८-२००-द० रो०-१० ३००रु०प्र० मा०	१—श्री ब्रजकिशोर सिन्हा २—श्री श्याम लाल ३—श्री जमशेद बहादुर
५	जूनियर क्रैफ्ट्स इंस्ट्रक्टर	३	६०-४-८०-४-१००रु०प्र०मा०	१—श्री काशी प्रसाद २—श्री मो० अकराम कुरेशी
६	आर्टिजन इन्स्ट्रक्टर	३	–	१—श्री कालीप्रसाद श्रीवास्तव २—श्री मारिश विक्टर सिंह ३—श्री छोटे लाल चरण
७	ड्राइंग कम मैथ्स इन्स्ट्रक्टर	१	–	–
८	हेडक्लर्क कम एकाउन्टेंट	१	८०-५-१००-६-१३० रु०	श्री आई० डी० पांडेय
९	क्लर्क कम स्टोर कीपर	१	६०-४-८०-द० रो०-४-१००रु०	श्री के० सी० तिवारी
१०	क्लर्क कम कैशियर	१	६०-३-९०-४-१००रु०प्र०मा	श्री अमर बहादुर सिंह
	निम्न कर्मचारी वर्ग			
	केंद्र के निमित्त			
१	भंगी	१	२७-३३ रु० प्र० मा० या २२-२७ रु० प्र० मा० जैसी परिस्थिति हो	१—श्री हीरा बल्लभ पांडेय
२	चौकीदार	१		२—श्री हरीदत्त पाठक चपरासी
३	वर्कशाप अटेंडेंट	२		३—श्री भोलादत्त पांडेय
४	चपरासी	२		४—श्री नेतराम
५	अर्दली चपरासी	२		५—श्री हरिराय आर्य
	छात्रावास के लिये			
१	भंगी	१	२७–३३ रु० प्र० मा० या २२–२७ रु० प्र० मा० जैसी परिस्थिति हो	–
२	चौकीदार	१		
३	वाटर मैन	१		

हरिजन सहायक विभाग द्वारा संचालित नैनीताल औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में नियुक्त कर्मचारिवर्ग का सम्यक विवरण निम्नलिखित है –

वर्ग	शिक्षा की योग्यता	वर्तमान वेतन	विवरण
६	७	८	९
–	–	–	नियुक्ति विचाराधीन है
ब्राह्मण	गांधी विद्या निकेतन के प्रधानाचार्य	२५० रु०प्र०मा०	–
ब्राह्मण	बी० ई० पिलानी राजपूताना विश्वविद्यालय	२०० ,,	–
कायस्थ	एम० एस० सी० फिजिक्स	१२० ,,	–
कायस्थ	मिडिल परीक्षा एवं कारपेंट्री का विशेष अनुभव	१२० ,,	–
कायस्थ	मिडिल परीक्षा एवं लोहारी का विशेष अनुभव	१२० ,,	–
अनुसूचित मुसलमान	हाई स्कूल एवं १३ वर्ष कार्य का अनुभव हाई स्कूल एवं २ वर्ष कार्य का अनुभव	६० रु० ६० ,,	एक की नियुक्ति विचाराधीन है
कायस्थ	प्रथम वर्ष ओवरसियर कोर्स पास	६० ,,	–
इसाई	हाई स्कूल एवं ११ वर्ष कार्य का अनुभव	६० ,,	–
पिछड़ी जाति	साक्षर एवं विभिन्न फारमों में १२ वर्ष का अनुभव	६० ,,	–
			नियुक्ति विचाराधीन है
ब्राह्मण	हाई स्कूल	८० रु०	–
ब्राह्मण	हाई स्कूल	६० ,,	–
ठाकुर	हाई स्कूल	६० ,,	–
ब्राह्मण	–	२२ रु०	शेष विचाराधीन है
ब्राह्मण	साक्षर	२२ ,,	–
ब्राह्मण	–	२२ ,,	–
अनुसूचित जाति	–	२२ ,,	–
अनुसूचित जाति		२२ ,,	–
			सुपरिंटेंडेंट को अधिकार दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति के लोगों की नियुक्ति कर ले

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ७४ एल० ए० १९५५--७९६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड १५५

अ

अग्निकाण्ड—

प्र० वि० — आजमगढ़ शहर में भंयकर ——— । खं० १५५, पृ० २८३–२८४ ।

अतरौलिया–अहरौला सड़क—

प्र० वि० — आजमगढ़ जिले की ——— को पक्का करने की आवश्यकता । खं० १५५ , पृ० १६० ।

अतिरिक्त अनुदानों—

१६५०–५१ के ——— के लिये मांग । खं० १५५, पृ० ३०४–३०५ ।

अधिगत भूमि—

प्र० वि० — रिहन्द बांध के निर्माण में ———का मुआवजा । खं० १५५, पृ० ३४५–३४६ ।

अधिवेशन—

———के कार्य-क्रम के सम्बन्ध में पूछ-ताछ । खं० १५५, पृ० ४३६ ।

अध्यक्ष, श्री—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १६५५ । खं० १५५, पृ० १२३, १२४, १२५, १२७, १३१, १५१, २०६, २२२, २४२, २४६, ३०५, ३०७, ३११, ३१२, ३६६, ३६७, ३६६, ३७०, ३७१, ३७५, ३६६ ।

उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १६५४ । खं० १५५, पृ० २८, ३१, ३२, ३५ ।

१६५०–५१ के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांग । खं० १५५, पृ० ३०४, ३०५ ।

कमेटी आन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व कमेटी आफ ऐश्योरेंसेज के निर्माण का प्रश्न । खं० १५५, पृ० ३०२, ३०३–३०४ ।

कमेटी आन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व कमेटी आफ ऐश्योरेंसेज के निर्माण की प्रार्थना । खं० १५५, पृ० २०६ ।

कानपुर में एल्गिन मिल्स की तालाबंदी के सम्बन्ध में श्रम मन्त्री का वक्तव्य । खं० १५५, पृ० ४४०–४४१ ।

कानपुर में एल्गिन मिल्स की तालाबन्दी से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं । खं० १५५, पृ० ३६३ ।

कार्यक्रम में परिवर्तन । खं० १५५, पृ० ११६ ।

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये समय निर्धारण की सूचना । खं० १५५, पृ० ११८ ।

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव । खं० १५५, पृ० ३००–३०१–३०२ ।

[अध्यक्ष, श्री]

कालपी तथा जालौन में कांस उखाड़ने से सम्बन्धित २२ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न ३०–३१ के विषय पर विवाद । खं० १५५, पृ० ४८३, ४८४, ४८८ ।

गोवंश के वध पर अन्तरिम प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प । खं० १५५, पृ० ६८, ७०, ४४१–४४२, ४४३, ४४४, ४४५ ।

डाकू मानसिंह के पुत्र सूबेदार सिंह के मारे जाने का समाचार । खं० १५५, पृ० ६६ ।

प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन में प्राप्त नाम-निर्देशन । पत्र । खं० १५५, पृ० ४३९ ।

बनारस में मलमास संबंधी नाव दुर्घटना के सम्बन्ध में पूछताछ । खं० १५५, पृ० ४३९ ।

बलिया जिले में गंगा नदी की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १५५, पृ० २५–२६ ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) की हत्या का समाचार । खं० १५५, पृ० ३२९

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल की हत्या पर शोकोद्गार । खं० १५५, पृ० ३६६ ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव । खं० १५५, पृ० २०८ ।

राज्य आयुर्वेदिक कालेज के हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना । खं० १५५, पृ० २९८, ३०० ।

राज्य के राजनीतिक पीड़ितों के लिये समुचित पेंशन की व्यवस्था करने के संबंध में संकल्प । खं० १५५, पृ० ३५, ३९, ४०, ६२, ६६ ।

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प । खं० १५५, पृ० ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४७६, ४८२–४८३ ।

विधान सभा से अनुपस्थिति के लिये श्री वीरेन्द्र वर्मा का प्रार्थना-पत्र । खं० १५५, पृ० २७–२८ ।

विधान सभा से अनुपस्थिति के लिये श्री वीरेन्द्रविक्रम सिंह का प्रार्थना-पत्र । खं० १५५, पृ० २७ ।

स्पेशल पावर्स ऐक्ट के अधीन किये गये जुर्मानों की वापसी के सम्बन्ध में पूछ-ताछ । खं० १५५, पृ० २६ ।

हाई कोर्ट के निर्णय में सदन की कार्यवाही के विषय में आपत्ति । खं० १५५, पृ० २०९, २९८ ।

अध्यापकों—

प्र० वि० —आजमगढ़ में सचल शिक्षण-शिविर के ——— का बकाया वेतन । खं० १५५, पृ० ४२६–४२७ ।

प्र० वि० — नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल, कादीपुर, जिला सुल्तानपुर के ——— का वेतन न पाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र । खं० १५५, पृ० २२–२३ ।

अनन्तस्वरूप सिंह, श्री—

देखिये, "प्रश्नोत्तर" ।

अनाथालय—

प्र० वि० — झांसी विधवा आश्रम तथा ——— को सहायता । खं० १५५, पृ० १५ ।

अनावर्तिनी सहायता—

प्र० वि० — हरिजन छात्रावासों के लिये ———— । खं० १५५, पृ० ४२७–४२८ ।

अनुदान—

प्र० वि० — गोरखपुर जिले में मखनहा तथा अकटहवा बांध के लिये ———— । खं० १५५, पृ० २९२ ।

अनुपस्थिति—
विधान सभा से ——— के लिये श्री वीरेन्द्र वर्मा का प्रार्थना-पत्र । खं० १५५, पृ० २७-२८ ।
विधान सभा से ——— के लिये श्री वीरेन्द्रविक्रम सिंह का प्रार्थना-पत्र । खं० १५५, पृ० २७ ।

अनुशासनहीनता—
प्र० वि० — विद्यार्थियों में ——— रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार की योजना । खं० १५५, पृ० २५ ।

अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों—
प्र० वि० — १९५४ में ——— को छात्रवृत्तियां । खं० १५५, पृ० ४२१-४२२ ।

अफसरों—
प्र० वि० — प्रशिक्षण केन्द्रों में ———का प्रशिक्षण । खं० १५५, पृ० २८६-२८७ ।
प्र० वि० — प्लानिंग विभाग में ——— के विशेष वेतन पर व्यय । खं० १५५, पृ० २९७ ।

अमान्यता-प्राप्त विद्यालयों—
प्र० वि० ——— पर प्रतिबन्ध । खं० १५५, पृ० १० ।

अल्मोड़ा-रामगढ़-भीमताल सड़क—
प्र० वि० ——— के निर्माण की आवश्यकता । खं० १५५, पृ० २०२-२०३ ।

अवधेश प्रताप सिंह, श्री—

निवारण
उत्तर प्रदेश गोवध विधेयक, १९५५ । खं० १५५, पृ० ३८६ ।
उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५ । खं० १५५, पृ० ४०१ ।

अवैतनिक मैजिस्ट्रेट—
प्र० वि०———इलाहाबाद में ———— । खं० १५५, पृ० २०८ ।

आ

आग—
प्र० वि० — सचिवालय की पुरानी खस टट्टियों में आकस्मिक———। खं०, १५५, पृ० ३४६ ।

आजमगढ़-आमिला सड़क—
प्र० वि० ——— पर पुल की आवश्यकता । खं० १५५, पृ० १८६-१८७ ।

आजमगढ़-बेल्थरा सड़क—
प्र० वि० ——— का निर्माण । खं० १५५, पृ० २०३ ।

आदिवासी—
प्र० वि० ——— राज्य के ——— । खं० १५५, पृ० ४३८ ।

आदेश—
प्र० वि० — दुर्घटनाओं से बचने के लिये नलकूप विभाग के कर्मचारियों को ——— । खं० १५५, पृ० १९९-२०० ।
प्र० वि० — पंचायतों के निर्माण के लिये जिला पंचायत अधिकारियों को ———। खं० १५५, पृ० १९०-१९१ ।

आनरेरी पेरोल मैजिस्ट्रेटों—
प्र० वि० ——— की नियुक्ति । खं० १५५, पृ० ३५२-३५४ ।

आपत्ति—
हाई कोर्ट के निर्णय में सदन की कार्यवाही के विषय में ——— । खं० १५५, पृ० २०९ ।

आम—
प्र० वि० ———गोरखपुर जिले में ——— के वृक्ष काटने के लिये परमिट । खं० १५५, पृ० ३४६-३४७ ।

आय व व्यय—
प्र० वि०———नगरों में रोडवेज की गाड़ियों तथा उन पर ———। खं० १५५, पृ० १०१ ।

आय-व्ययक—

प्र० वि० — हरिजन सहायक विभाग द्वारा १९५०–५१ के ——— में स्वीकृत धन के अवशिष्टांश को समर्पित न करना। खं० १५५, पृ० ४२१।

आयुर्वेदिक कालेज—

राज्य——— के छात्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १५५, पृ० २९८-३००।

आयोजन—

प्र० वि० — लखनऊ के निकट कुष्टालय खोलने का ——— । खं० १५५, पृ० २९५।

इ

इंजीनियर—

प्र० वि० — पी० डब्लू० डी० के अस्थायी ———। खं० १५५, पृ० २०१।

इंटरमिडियेट—

प्र० वि० — हाईस्कूल व ——— परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या तथा परीक्षा में नकल आदि रोकने की व्यवस्था। खं० १५५, पृ० २३।

इंडस्ट्री—

इलाहाबाद नैनी ——— एरिया। खं० १५५, पृ० १०८।

इमारतों—

प्र० वि० — जालौन जिले में सरकार को जागीरदार से प्राप्त तीन पक्की—की मरम्मत तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी शर्तें। खं० १५५, पृ० २३–२४।

इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट—

प्र० वि० ———, इलाहाबाद पर सरकारी ऋण। खं० १५५, पृ० १८९।

इलेक्ट्रिक पावर हाउस—

प्र० वि० — झांसी ——— का अव्यवस्थित प्रबन्ध व रेजीडेण्ट इंजीनियर का अभाव। खं० १५५ पृ० ३४९-३५०।

इस्तफा हुसैन, श्री—

देखिये, "प्रश्नोत्तर"।

उ

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—

प्र० वि० — देवरिया जिले में मान्यता प्राप्त ———। खं० १५५, पृ० १५।

उच्चतर माध्यमिक स्कूलों—

प्र० वि० — आजमगढ़ जिले में ——— ———को सहायता। खं० १५५, पृ० २५।

उत्थान—

प्र० वि० — आजमगढ़ जिले की मुसहर जाति के ——— की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ४२२–४२३।

उपाध्यक्ष, श्री—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० १३२, १४६, १४८, १४९, २२८, ३२३, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८५, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) की हत्या का समाचार। खं० १५५, पृ० ३१३, ३१४।

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४५४, ४५५, ४५८, ४६७।

उमाशंकर, श्री—

देखिये, "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० २२३–२२५, २२८, ३७१, ३७२, ३७५, ३७७, ३८६–३८७, ३८८, ३८९।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल की हत्या पर शोकोद्गार। खं० १५५, पृ० ३६५–३६६।

उम्मेदसिंह, श्री—

देखिये, "प्रश्नोत्तर",

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० १५९–१६०, ३२२, ३२३।

ऋ

ऋण—

प्र० वि० — इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, इलाहाबाद पर सरकारी ——। खं० १५५, पृ० १८९।

प्र० वि० — छोटे उद्योग धंधों को चलाने के हेतु खेतिहर मजदूरों को ——देने के लिये सहकारी समितियां। खं० १५५, पृ० २९१–२९२।

ए

एजेंटों—

प्र० वि० — नियुक्त ——द्वारा गेहूं की सरकारी खरीदारी। खं० १५५, पृ० २८९–२९०।

एलिगन–मिल्स—

कानपुर में —— की तालाबन्दी के सम्बन्ध में श्रम मन्त्री का वक्तव्य। खं० १५५, पृ० ४४० ४४१।

कानपुर में —— की तालाबन्दी से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं। खं० १५५, पृ० ३६३।

एश्योरेंसेज—

कमेटी आन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व कमेटी आफ —— —— के निर्माण की प्रार्थना। खं० १५५, पृ० २०९।

ओ

ओला—

प्र० वि० — हमीरपुर जिले में —— वृष्टि से क्षतिग्रस्त ग्रामों को सहायता। खं० १५५, पृ० १०८।

औ

औद्योगिक शिक्षण केन्द्र—

प्र० वि० — हरिजन ——, नैनीताल का कार्य.रम्भ। खं० १५५, पृ० ९५–९६।

औरंगजेबी मस्जिद—

प्र० वि० — आजमगढ़ जिले में ऐतिहासिक ——। खं० १५५, पृ० १२–१३।

क

कंडक्टरी—

प्र० वि० — गोरखपुर रोडवेज द्वारा ——की ट्रेनिंग। खं० १५५, पृ० ११२।

कंडक्टरों—

प्र० वि० — रोडवेज स्टेशनों पर —— से क्लर्कों का काम लेना। खं० १५५, पृ० ११५।

कत्ल—

प्र० वि० — अलीगढ़ जिले मे ——। खं० १५५, पृ० ३५९।

प्र० वि० — लखनऊ तथा कानपुर में ——। खं० १५५, पृ० ३५७–३५९।

कपड़े की छपाई—

प्र० वि० — फर्रुखाबाद में ब्लाक मेकिंग और ——। खं० १५५, पृ० २८१–२८२।

कमला सिंह, श्री—

देखिये, "प्रश्नोत्तर"।

कमेटी—

——आन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व —— आफ एश्योरेंसेज के निर्माण की प्रार्थना। खं० १५५, पृ० २०६।

कमेटी आन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन—

—— व कमेटी आफ ऐश्योरेंसेज के निर्माण का प्रश्न। खं० १५५, पृ० ३०२–३०४।

कमेटी आफ ऐश्योरेंसेज—

कमेटी आन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व —के निर्माण का प्रश्न। खं० १५५, पृ० ३०२–३०४।

कम्युनिस्ट—

प्र० वि० — फैजाबाद जेल में —— राजबंदी। खं० १५५, पृ० ३४५।

करघा योजना—

प्र० वि० — जौनपुर जिले में ——के अन्तर्गत प्रोडक्शन सोसाइटीज। खं० १५५, पृ० २६३–२६४।

कर्मचारियों—

प्र० वि० — दुर्घटनाओं से बचने के लिये नलकूप विभाग के —— को आदेश। खं० १५५, पृ० १६६–२००।

कर्मचारी—

प्र० वि० — आजमगढ़ जिले में चकबन्दी विभाग के ——। खं० १५५, पृ० ११८।

प्र० वि०—नैनीताल हरिजन उद्योगशाला के ——। खं० १५५, पृ० ४३८–४३६।

प्र० वि० — फलोपयोगी विभाग के मुख्य कार्य, उसके —— तथा फल विकास योजना के प्रशिक्षण केन्द्र। खं० १५५, पृ० २८४–२८६।

कलसा नदी—

प्र० वि० — नैनीताल जिले में —— पर बांध की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० २०५।

कल्याणचन्द मोहिले, उपनाम छुन्नगुरु, श्री— देखिये, "प्रश्नोत्तर"।

कल्याणपुर सेटिलमेन्ट—

प्र० वि० — ——, जिला कानपुर में कथित लांग क्लाथ का गबन। खं० १५५, पृ० २४–२५।

कांस—

कालपी तथा जालौन में —— उखाड़ने से संबंधित २२ अगस्त, १६५५ के तारांकित प्रश्न ३०–३१ के विषय पर विवाद। खं० १५५, पृ० ४८३–४८८।

कानपुर—

—— में एल्गिन मिल्स की तालाबन्दी के सम्बन्ध में श्रम मंत्री का वक्तव्य। खं० १५५, पृ० ४४०–४४१।

——में एल्गिन मिल्स की तालाबन्दी से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें। खं० १५५, पृ० ३६३।

कानपुर टेक्सटायल मिल—

प्र० वि० — —— की बन्दी तथा मजदूरों की बेकारी। खं० १५५, पृ० १७–१८।

कार्यक्रम—

अधिवेशन के —— के सम्बन्ध में पूछ-तांछ। खं० १५५, पृ० ४३६।

—— में परिवर्तन। खं० १५५, पृ० ११६।

कार्यपरामर्शदात्री समिति—

—— द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये समय निर्धारण की सूचना। खं० १५५, पृ० ११८, ३००–३०२।

कार्यवाही—

प्र० वि० — प्रतापगढ़ जिले के पुलिस कर्मचारियों पर पुलिस ऐक्ट की ——। खं० १५५, पृ० ३६२।

हाई कोर्ट के निर्णय में सदन की —— के विषय में आपत्ति। खं० १५५, पृ० २०६।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव—

बलिया जिले में गंगा नदी की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ ——की सूचना। खं० १५५, पृ० २५–२६।

राज्य आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में—— की सूचना। खं० १५५, पृ० २९८–३००।

कार्यस्थगन प्रस्तावों—

कानपुर में एल्गिन मिल्स की तालाबन्दी से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ —— की सूचनाएं। खं० १५५, पृ० ३६३।

कालोनाइजेशन विभाग—

प्र० वि० — —— के अधीन ग्रामों की लगान की दरों में अन्तर। खं० १५५, पृ० १०१।

किराया—

प्र० वि० — माधुरी कुंड फार्म पर क्वार्टरों की लागत और ——। खं० १५५, पृ० १०१–१०२।

कुएं—

प्र० वि० — आजमगढ़ जिले में हरिजनों के लिये पक्के ——। खं० १५५, पृ० २१–२२।

प्र० वि० — गाजीपुर की मुहम्मदाबाद तहसील के भीतर हरिजनों के लिये ——। खं० १५५, पृ० २०।

कुमायूं विकास बोर्ड—

प्र० वि० — —— निर्माण की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ३५२।

कुष्टालय—

प्र० वि० — लखनऊ के निकट —— खोलने का आयोजन। खं० १५५, पृ० २९५।

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र—

प्र० वि० — इटावा जिले में पशु-चिकित्सालय व ——। खं० १५५, पृ० १११–११२।

कृषकों—

प्र० वि० — बस्ती जिले में नहर के पानी की बाढ़ से क्षति ग्रस्त–को सहायता। खं० १५५, पृ० २०५।

कृषि—

प्र० वि० — अलीगढ़ जिले की —— योग्य तथा सिंचित भूमि। खं० १५५, पृ० १८९–१९०।

प्र० वि० — गाजीपुर जिले में —— योग्य तथा सिंचित भूमि। खं० १५५, पृ० २०८।

कृषि अध्यापकों—

प्र० वि० — हायर सेकेन्डरी एवं जूनियर स्कूलों में नियुक्त —— को ग्रीष्मावकाश न मिलना। खं० १५५, पृ० ४३३।

कृष्णशरण आर्य, श्री—

देखिये, "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३९७–३९८।

वनस्पति घृत की विक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४६७–४६८।

केन यूनियनों—

प्र० वि० — तमकुही तथा तरयासुजान —— की गन्ना बाहर भेजने की प्रार्थना। खं० १५५, पृ० ११३।

केन्द्र—

प्र० वि० — प्रदेश में महिला–मंगल-योजना ——। खं० १५५, पृ० १०–१२।

प्र० वि०—हरिजन औद्योगिक शिक्षण ——। नैनीताल का कार्यारम्भ। खं० १५५, पृ० ९५–९६।

केन्द्रीय सरकार—

प्र० वि० —विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता रोकने के लिये ——— की योजना । खं० १५५, पृ० २५ ।

केशव पांडेय, श्री—

देखिये, "प्रश्नोत्तर" ।

कोंच-नंदीगांव सड़क—

प्र० वि० ——— का निर्माण-कार्य । खं० १५५, पृ० १८८–१८९ ।

कोढ़ी अस्पताल—

प्र० वि०— नैनी——— का वार्षिक व्यय । खं० १५५, पृ० २९६–२९७ ।

कोष—

प्र० वि० — मुख्य मंत्री शिक्षा ———। खं० १५५, पृ० ९ ।

क्लर्कों—

प्र० वि० — रोडवेज स्टेशनों पर कंडक्टरों से ——— का काम लेना । खं० १५५, पृ० ११५ ।

क्वार्टरों—

प्र० वि०—माधुरी कुंड फार्म पर ——— की लागत और किराया । खं० १५५, पृ० १०१–१०२ ।

प्र० वि० — सचिवालय के चपरासियों के लिये सरकारी —— की आवश्यकता । खं० १५५, पृ० ३५६–३५७ ।

क्षति—

प्र० वि०—घाघरा तथा बड़ी–गंडक नदियों से पूर्वी जिलों को ——— । खं० १५५, पृ० १९३–१९४ ।

प्र० वि०— मिर्जापुर शहर में गंगा घाटों को———। खं० १५५, पृ० १९८–१९९ ।

क्षतिग्रस्त ग्रामों—

प्र० वि० — हमीरपुर जिले में ओला वृष्टि से———को सहायता । खं० १५५, पृ० १०८ ।

ख

खलियान भूमि—

प्र० वि० — रायबरेली जिले के भितरी ग्राम निवासियों का ——— के लिये प्रार्थना पत्र । खं० १५५, पृ० ११६–११७ ।

खस टट्टियों—

प्र० वि० — सचिवालय की पुरानी ——— में आकस्मिक आग । खं० १५५, पृ० ३४६ ।

खाते—

प्र० वि० — मुरादाबाद जिले की बिलारी तहसील की भूमि के———। खं० १५५, पृ० ११७ ।

खुशीराम, श्री—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ । खं० १५५, पृ० १३४ ।

खेती—

प्र० वि० — अल्मोड़ा जिले के भूमिहीनों को ——— के लिये भूमि । खं० १५५, पृ० ९९ ।

प्र० वि० —नैनीताल तराई–भाबर किच्छा में पालिटिकल शफरर, शरणार्थी और सैनिकों को ——— की सुविधायें । खं० १५५, पृ० १०० ।

खेतिहर मजदूरों—

प्र० वि० — छोटे उद्योग धंधों को चलाने के हेतु ——— को ऋण देने के लिये सहकारी समितियां । खं० १५५, पृ० २९१–२९२ ।

ग

गंगा—

प्र० वि० ——— की बाढ़ से विशुनपुर और कुंडी ग्रामों को क्षति। खं० १५५, पृ० ९८–९९।

बलिया जिले में ——— नदी की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १५५, पृ० २५–२६।

प्र० वि० — मिर्जापुर शहर में ——— घाटों को क्षति। खं० १५५, पृ० १९८–१९९।

गंगाधर मैठाणी, श्री—

देखिये, "प्रश्नोत्तर"।

गंगाधर शर्मा, श्री—

देखिये, "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० २२५–२२८।

गंडक—

प्र० वि० — घाघरा तथा बड़ी ——— नदियों से पूर्वी जिलों को क्षति। खं० १५५, पृ० १९३–१९४।

गज्जूराम, श्री—

देखिये, "प्रश्नोत्तर"।

गणतन्त्र दिवस—

प्र० वि० — ——— के उपलक्ष्य में व्यय। खं० १५५, पृ० १८५–१८६।

गणना—

प्र० वि० — बेरोजगारों की — की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ४२४–४२५।

गन्ना—

प्र० वि० —तमकुही तथा तरयासुजान केन यूनियनों की ——— बाहर भेजने की प्रार्थना। खं० १५५, पृ० ११३।

गन्ना विभाग—

प्र० वि० — बस्ती जिलों के ——— द्वारा स्थानीय प्रेसों से छपाई के टेंडरों की मांग। खं० १५५, पृ० ११८।

गबन—

प्र० वि०— कल्याणपुर सेटिलमेंट, जिला कानपुर में कथित लांग क्लाथ का ———। खं० १५५, पृ० २४–२५।

प्र० वि० — कानपुर जिले की गांव पंचायतों में ———। खं० १५५, पृ० १९२।

प्र० वि० — रामपुर जिले के जिलेदारों द्वारा ——— तथा पाकिस्तान पलायन। खं० १५५, पृ० १०२–१०४।

गयाप्रसाद लाइफ सेविंग फंड—

प्र० वि० ———की मनेजिंग कमेटी। खं० १५५, पृ० १९–२०।

गर्भाधान—

प्र० वि० — इटावा जिले में पशु-चिकित्सालय ——— केन्द्र। खं० १५५, पृ० १११–११२।

गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल—

प्र० वि०—फतेहपुर के लिये सरकारी इमारत की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ४३५।

गांव पंचायतों—

प्र० वि० — कानपुर जिले की ———में गबन। खं० १५५, पृ० १९२।

गांव समाज—

प्र० वि० — मुरादाबाद जिले में ——— के बंजर तथा झील तोड़ने की शिकायतें। खं० १५५, पृ० ११५–११६।

गांवों—

प्र० वि० — फैजाबाद जिले के कुछ ——— को आजमगढ़ जिले में मिलाने की प्रार्थना। खं० १५५, पृ० ११४।

गाड़ियां—

प्र० वि० — नगरों में रोडवेज की ——— तथा उन पर आय व व्यय । खं० १५५, पृ० १०१।

गिरफ्तारियां—

प्र० वि० — कानपुर टैक्सटाइल मजदूरों की हड़ताल में ——— । खं० १५५, पृ० ३६०।

गुड़ विकास योजना—

प्र० वि०—जौनपुर जिले में नीरा तथा——। खं० १५५, पृ० २९२–२९३।

गुप्तारसिंह, श्री—

देखिये, "प्रश्नोत्तर"।

गुलाबकोटी—जोशीमठ सड़क—

प्र० वि० — गढ़वाल जिले में ———के निर्माण पर विचार। खं० १५५, पृ० २०७।

गूंगों—

प्र० वि० — लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस में बहरों तथा ——— की शिक्षा पर व्यय । खं० १५५, पृ० १३–१४।

गृह उद्योग धंधों—

प्र० वि०— नये —को जारी करने की योजना । खं० १५५, पृ० २९०–२९१।

गेंदा सिंह, श्री—

देखिये, "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ । खं० १५५, पृ० २४०–२४४।

कमेटी आन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व कमेटी आफ ऐश्योरेंसेज के निर्माण का प्रश्न। खं० १५५, पृ० ३०३।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) की हत्या का समाचार। खं० १५५, पृ० ३२९।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल की हत्या पर शोकोद्गार । खं० १५५, पृ० ३६४–३६५।

गेहूं—

प्र० वि०— नियुक्त एजेन्टों द्वारा—की सरकारी खरीदारी । खं० १५५, पृ० २८९–२९०।

गोवंश—

——— के वध पर अन्तरिम प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प । खं० १५५, पृ० ६६–७०, ४४१–४४५,

गोवध—

उत्तर प्रदेश ———निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ११९–१६०, २०९–२४९।

गोवध निवारण —

उत्तर प्रदेश——— विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३०५–३१३, ३१४–३२९, ३६६, ३९९।

गोवर्धन तिवारी, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

ग्राम सभाओं—

प्र० वि० — बाढ़ग्रस्त जिलों में ——— द्वारा नाव निर्माण । खं० १५५, पृ० १०५–१०६।

ग्रामों—

प्र० वि० — आगरा सदर तहसील के विभिन्न ——— में चिकित्सालयों का अभाव । खं० १५५, पृ० २८६।

ग्रीष्मावकाश—

प्र० वि० — हायर सेकेन्डरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्त कृषि अध्यापकों को ——— न मिलना । खं० १५५, पृ० ४३३।

ग्रेड—

प्र० वि० — हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजरों तथा शिक्षा सुपरवाइजरों का——। खं० १५५, पृ० २०–२१।

घ

घाघरा—

प्र० वि० — ——— तथा बड़ी गंडक नदियों से पूर्वी जिलों की क्षति। खं० १५५, पृ० १९३–१९४।

प्र० वि० — शारदा ——— आदि नदियों के क्षेत्र के लिये बाढ़ तथा सिंचाई संबंधी योजनायें। खं० १५५, पृ० १९४।

घाटों—

प्र० वि०—मिर्जापुर शहर में गंगा—को क्षति। खं० १५५, पृ० १९८–१९९।

च

चकबन्दी विभाग —

प्र० वि० — आजमगढ़ जिले में ——— के कर्मचारी। खं० १५५, पृ० ११८।

चन्द्रभानु गुप्त, श्री—

राज्य आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १५५, पृ० २९८–३००।

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध संकल्प। खं० १५५, पृ० ४७८–४८२, ४८३।

चन्द्रवती, श्रीमती—

राज्य के राजनैतिक पीड़ितों के लिये समुचित पेंशन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ५७–५८।

चन्द्रसिंह रावत, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

राज्य के राजनैतिक पीड़ितों के लिये समुचित पेंशन की व्यवस्था करने के संबंध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ६१।

चपरासियों—

प्र० वि० — सचिवालय के ——— के लिये सरकारी क्वार्टरों की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ३५६–३५७।

चिकित्सालयों—

प्र० वि० — आगरा सदर तहसील के विभिन्न ग्रामों में ——— का अभाव। खं० १५५, पृ० २८६।

चित्तर सिंह निरंजन, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

चुंगी—

प्र० वि० — म्युनिसिपल बोर्ड, झांसी पर ——— का बकाया। खं० १५५, पृ० २०४–२०५।

छ

छपाई—

प्र० वि० — बस्ती जिले के गन्ना विभाग द्वारा स्थानीय प्रेसों से ——— के टेण्डरों की मांग। खं० १५५, पृ० ११८।

छात्रवृत्तियां—

प्र० वि० — १९५४ में अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों को ———। खं० १५५, पृ० ४२१–४२२।

छात्रों—

प्र० वि० — देवरिया के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के ——— की फीस मुआफी। खं० १५५, पृ० २२।

प्र० वि० — राजनैतिक पीड़ित ———को सहायता। खं० १५५, पृ० ४२८–४२९।

छात्रों की हड़ताल—

राज्य आयुर्वेदिक कालेज के ———के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १५५, पृ० २९८–३००।

छूट—

आजमगढ़ जिले के लोहारा आदि ग्रामों में सूखे के कारण ——। खं० १५५, पृ० १११।

प्र० वि० — गाजीपुर जिले में सूखे के कारण लगान में ——। खं० १५५, पृ० ११४।

प्र० वि० — बांसी तहसील में सूखे के कारण लगान में —— की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ११५।

छोटे उद्योग धंधों—

प्र० वि० — —— को चालान के हेतु खेतिहर मजदूरों को ऋण देने के लिये सरकारी समितियां। खं० १५५, पृ० २९१–२९२।

ज

जगदीश प्रसाद, श्री—

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४६८–४६९।

जगदीश शरन, श्री—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० २३०–२३२।

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४६९–४७१।

जगदीश शुगर मिल्स—

प्र० वि० — ——कठकुइयां, पर मजदूरों का शेष बोनस। खं० १५५, पृ० ४३६।

जगन्नाथ मल्ल, श्री—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३९२, ३९३, ३९५।

कार्यक्रम में परिवर्तन। खं० १५५, पृ० ११९।

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये समय निर्धारण की सूचना। खं० १५५, पृ० ११८।

कालपी तथा जालौन में कांस उखाड़ने से सम्बन्धित २२ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न ३०–३१ के विषय पर विवाद। खं० १५५, पृ० ४८४।

गोवंश के वध पर अन्तरिम प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४४३।

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४५८–४६४।

जमीन—

प्र० वि० — सितबांस, जिला झांसी में शरणार्थियों से बची हुई——। खं० १५५, पृ० १०५।

जलकष्ट—

प्र० वि० — पट्टी तलानागपुर, जिला गढ़वाल में——निवाराणार्थ सहायता। खं० १५५, पृ० ४२३–४२४।

जांच—

प्र० वि० ——— के पश्चात् हाई स्कूल परीक्षा का प्रतिफल। खं० १५५, पृ० ४२५।

जागीरदार—

प्र० वि० — जालौन जिले में सरकार को —— से प्राप्त तीन पक्की इमारतों की मरम्मत तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी शर्तें। खं० १५५, पृ० २३–२४।

जानवरों—

प्र० वि० — बुन्देलखंड में मृत ——को दफनाने से राष्ट्र संपत्ति की हानि। खं० १५५, पृ० ११६।

जान्स मिल्स लिमिटेड—

प्र० वि० — आगरे में ——की बन्दी। खं० १५५, पृ० १७।

जाली आदेश—

प्र० वि० — फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से —— पर बंदियों की रिहाई। खं० १५५, पृ० ३५१–३५२।

जिला इंजीनियर—

प्र० वि० ——— टिहरी गढ़वाल के नाम जमा धन से ग्राम मोटना, पट्टी ईंका में नल तथा डिग्गियों का निर्माण। खं० १५५, पृ० ४२४।

जिलाधीश—

प्र० वि० ———आजमगढ़ द्वारा पशुओं को टीका लगाने वाली औषधि की मांग। खं० १५५, पृ० ४१९–४२०।

जिलेदारों—

प्र० वि० — रामपुर जिले के ——— द्वारा गबन तथा पाकिस्तान पलायन। खं० १५५, पृ० १०२–१०४।

कानपुर में एल्गिन मिल्स की तालाबन्दी के सम्बन्ध में श्रम मन्त्री का वक्तव्य। खं० १५५, पृ० ४४०–४४१।

जुताई—

प्र० वि० —झांसी जिले में सरकारी ट्रैक्टरों द्वारा ———। खं० १५५, पृ० १०४।

जुर्मानों—

स्पेशल पावर्स ऐक्ट के अधीन किये गये ——— की वापसी के सम्बन्ध में पूछ-ताछ। खं० १५५, पृ० २६।

जेल—

प्र० वि० — फैजाबाद ——— में कम्युनिस्ट राजबंदी। खं० १५५, पृ० ३४५।

जोरावर वर्मा, श्री—

देखिये, "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० १२२–१२३, १२४, ३९७।

ज्वार की खरीद—

प्र० वि०—हमीरपुर जिले की मंडियों में ——। खं० १५५, पृ० २८२–२८३।

ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री—

उत्तर प्रदेश गोवध विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० १२७–१२८।

झ

झारखंडे राय, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में सहनूपुर बांध पर व्यय। खं० १५५, पृ० २०२।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३१६–३१७।

प्र० वि०—बस्ती जिले में नहर के पानी की बाढ़ से क्षति ग्रस्त कृषकों को सहायता। खं० १५५, पृ० २०५।

राज्य आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १५५, पृ० ३००।

बनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४५९–४६०।

झील—

प्र० वि०—मुरादाबाद जिले में गांव समाज के बंजर तथा—तोड़ने की शिकायतें। खं० १५५, पृ० ११५–११६।

ट

टाउन एरिया—

प्र० वि०—आमिला, जिला आजमगढ़, ——को बिजली की आवश्यकता। खं० १५५ पृ० ३४५।

प्र० वि०—भरथना———को सड़कों के निर्माण के लिये धन की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० १९१।

टाउन तथा नोटिफाइड एरिया—

प्र० वि०—गढ़वाल तथा टेहरी-गढ़वाल जिलों के—। खं० १५५, पृ० २०२ ।

टीका—

प्र० वि०—जिलाधीश, आजमगढ़ द्वारा पशुओं को—लगाने वाली औषधि की मांग । खं० १५५, पृ० ४१९–४२० ।

टीका टिप्पणी—

हाईकोर्ट के निर्णय में सदन की कार्यवाही पर—के विषय में आपत्ति । खं० १५५, पृ० २९७–२९८ ।

टेन्डरों—

प्र० वि०—बस्ती जिले के गन्ना विभाग द्वारा स्थानीय प्रेसों से छपाई के—की मांग । खं० १५५, पृ० ११८ ।

ट्यूबवेल—

प्र० वि०—प्रदेश के विद्युत्हीन—। खं० १५५, पृ० २०५ ।

ट्रेड यूनियन ऐक्ट—

प्र० वि०—उत्तर प्रदेश तहवीलदार यूनियन की—के अन्तर्गत रजिस्ट्री। खं० १५५, पृ० २५ ।

ट्रेनिंग—

प्र० वि०—गोरखपुर रोडवेज द्वारा कंडक्टरी की—। खं० १५५, पृ० ११२ ।

ट्रैक्टरों—

प्र० वि०—झांसी जिले में सरकारी—द्वारा जुताई। खं० १५५, पृ० १०४ ।

ड

डाकू—

प्र० वि०—अलीगढ़ जिले के फरार—। खं० १५५, पृ० ३५९–३६० ।

—मानसिंह के पुत्र सूबेदार सिंह के मारे जाने का समाचार । खं० १५५, पृ० ६६ ।

—मानसिंह के मारे जाने का समाचार। खं० १५५, पृ० २६ ।

डिग्गियों—

प्र० वि०—जिला इंजीनियर, टिहरी गढ़वाल के नाम जमा धन से ग्राम मोटना, पट्टी रैका में नल तथा—का निर्माण। खं० १५५, पृ० ४२४ ।

डेरीफार्म—

प्र० वि०—राजकीय—गजरिया। खं० १५५, पृ० ११७ ।

डेलीगेटेड लेजिस्लेशन—

कमेटी आन—व कमेटी आफ एश्योरेंसज के निर्माण की प्रार्थना। खं० १५५, पृ० २०९ ।

त

तकावी—

प्र० वि०—ग्रामपुरा, जिला मुरादाबाद निवासियों की—के लिये प्रार्थना। खं० १५५, पृ० १०५ ।

प्र० वि०—बदायूं जिले में—की वसूली की रीति । खं० १५५, पृ० १०७ ।

तराई—भावर—

प्र० वि०—नैनीताल—किच्छा में पोलिटिकल सफरर, शरणार्थी और सैनिकों को खेती की सुविधायें । खं० १५५, पृ० १०० ।

तहवीलदार यूनियन—

प्र०वि०—उत्तर प्रदेशीय—की ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्री। खं० १५५, पृ० २५ ।

तालाबंदी—

कानपुर में एल्गिन मिल्स की—के सम्बन्ध में श्रम मंत्री का वक्तव्य। खं० १५५, पृ० ४४०–४४१ ।

कानपुर में एल्गिन मिल्स की—से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें। खं० १५५, पृ० ३६३ ।

तेज प्रताप सिंह, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

द

दर—

प्र० वि०—माताटीला विद्युत्–गृह से उत्पन्न बिजली की–। खं० १५५, पृ० ३६२–३६३ ।

दरों—

प्र० वि०—कोलोनाइजेशन विभाग के अधीन ग्रामों की लगान की—में अन्तर । खं० १५५, पृ० १०१ ।

दीनदयालु शास्त्री, श्री

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० १२८-१३०, १३४, ३२०–३२१, ३६७, ३६८, ३६९, ३७१ ३७३।

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४५८।

दुर्घटना—

प्र० वि०—हमीरपुर और सुमेरपुर के बीच बस———। खं० १५५, पृ० १०६–१०७ ।

दुर्घटनाओं—

प्र० वि०———से बचने के लिये नलकूप विभाग के कर्मचारियों को आदेश। खं० १५५, पृ० १९९–२००।

दूकान कर्मचारी कानून—

प्र० वि०———का लागू होना। खं० १५५, पृ० ४३३–४३५।

देवकीनन्दन विभव, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० २३५–२३७।

देवदत्त मिश्र, श्री —

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

देहाती क्षेत्रों—

प्र० वि०———को बिजली देने की शर्तें खं १५५, पृ० ३६२।

द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण, विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३०५, ३१४–३१६, ३२३, ३२४–३२५ ३६९, ३७०, ३९०, ३९१।

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये समय निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव। खं० १५५, पृ० ३०१।

गोवंश के वध पर अन्तरिम प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४४२।

राज्य के राजनैतिक पीड़ितों के लिए समुचित पेंशन की व्यवस्था करने के संबंध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ६१।

द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

ध

धन—

प्र० वि०—जौनपुर जिले के बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ ———का वितरण। खं० १५५, पृ० ११६।

प्र० वि०—भरथना टाउन एरिया को सड़कों के निर्माण के लिये——— को आवश्यकता। खं० १५५, पृ० १९१ ।

धवाय मानपुर केस—

प्र० वि०—फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में——— के राजनीतिक बन्दी। खं० १५५, पृ० ३४५।

न

नकल—

प्र० वि०—हाई स्कूल व इंटरमीडियेट परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या तथा परीक्षा में———आदि रोकने की व्यवस्था। खं० १५५, पृ० २३।

नगरों—

प्र० वि०———में रोडवेज की गाड़ियों तथा उन पर आय व व्यय। खं० १५५, पृ० १०१।

नत्थियां—

खं० १५५, पृ० ७१–८६, १६१–१८०, २५०–२७६, ३३०–३३६, ४०६–४१४, ४८६–५००।

नदियों—

प्र० वि०—शारदा, घाघरा आदि ——— के क्षेत्र के लिये बाढ़ तथा सिंचाई संबंधी योजनायें। खं० १५५, पृ० १६४।

नदी—

प्र० वि०—नैनीताल जिले में कलसा ——— पर बांध की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० २०५।

नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

नयार नदी—

प्र० वि०—पूर्वी———पर ग्राम कांडा तथा डमैला के निकट पुलों के निर्माण पर विचार। खं० १५५, पृ० २०३।

नल—

प्र० वि०—जिला इंजीनियर, टिहरी-गढ़वाल के नाम जमा धन से ग्राम मोटना, पट्टी रैका में——— तथा डिग्गियों का निर्माण। खं० १५५, पृ० ४२४।

नलकूल—

प्र० वि०—गाजीपुर जिले के फेफरा तियरा ग्राम में———की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० २०७।

प्र० वि०—शाहगंज–सुल्तानपुर रोड के उत्तर गंगोली ग्राम में राजकीय ——— लगाने का विचार। खं० १५५, पृ० १६८।

नलकूप विभाग—

प्र० वि०—दुर्घटनाओं से बचने के लिये ——— के कर्मचारियों को आदेश। खं० १५५, पृ० १६६–२००।

नलकूपों—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में ——— का निर्माण। खं० १५५, पृ० २०५–२०६।

प्र० वि०—उन्नाव जिले में ——— की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० २०८।

प्र० वि०—गोंडा जिले की बलरामपर तहसील में सिंचाई के लिये ——— की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० २०६।

रायबरेली जिले में———की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० १६७–१६८।

नवल किशोर, श्री—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १६५५। खं० १५५, पृ० ३६३।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १६५५। खं० १५५, पृ० ४०२–४०३।

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में संकल्प। खं० १५५ पृ० ४६२–४६३।

नहर—

प्र० वि०—इटावा स्टम्प——— में लगी भूमि। खं० १५५, पृ० १६५–१६६।

प्र० वि०—पूर्वी यमुना———में कांधला के निकट साइफन चौड़ा करने की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० १६६–१६७।

प्र० वि०—बस्ती जिले में ——— के पानी की बाढ़ से क्षति ग्रस्त कृषकों को सहायता। खं० १५५, पृ० २०५।

नागेश्वर द्विवेदी, श्री—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १६५५। खं० १५५, पृ० ३२३, ३२८–३२६।

गोबंश के बध पर अन्तरिम प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ६९–७०, ४४२–४४३।

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४७१–४७२।

ग्राम-निर्देशन-पत्र—

प्रांतीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन में प्राप्त———। खं० १५५ पृ० ४३९।

नारायण दत्त तिवारी, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३९५, ३९६।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ४०३–४०४।

उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४। खं० १५५, पृ० ३२।

१९५०–५१ के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांग। खं० १५५, पृ० ३०४, ३०५।

कमेटी आन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व कमेटी आफ एश्योरेंसेज के निर्माण का प्रश्न। खं० १५५, पृ० ३०३, ३०४।

कानपुर में एल्गिन मिल्स की तालाबन्दी के संबंध में श्रम मंत्री का वक्तव्य। खं० १५५, पृ० ४४१।

डाकू मान सिंह के मारे जाने का समाचार। खं० १५५, पृ० २६।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति पर विवाद की मांग। खं० १५५, पृ० २६–२७।

हाई कोर्ट के निर्णय में सदन की कार्यवाही के विषय में आपत्ति। खं० १५५, पृ० २०९

हाईकोर्ट के निर्णय में सदन की कार्यवाही पर टीका टिप्पणी के विषय में आपत्ति। खं० १५५, पृ० २९७।

नारायण दास, श्री—

उत्तर प्रदेश गोबध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० १५१-१५२, ३८३–३८४, ३८५।

नाव—

प्र० वि०—बाढ़ग्रस्त जिलों में ग्राम सभाओं द्वारा ——निर्माण। खं० १५५, पृ० १०५–१०६।

नाव दुर्घटना—

बनारस में मलमास संबंधी —— के संबंध में पूछताछ। खं० १५५, पृ० ४३९।

नियुक्ति—

प्र० वि०—असिस्टेंट ब्लाक डेवलपमेंट अफसरों की योग्यता तथा———। खं० १५५, पृ० २९४–२९५।

प्र० वि०—आनरेरी पेरोल मैजिस्ट्रेटों की———। खं० १५५, पृ० ३५२–३५४।

निर्णय—

हाई कोर्ट के——— में सदन की कार्यवाही के विषय में आपत्ति। खं० १५५, पृ० २०९।

निर्माण—

प्र० वि०—कुमायूं विकास बोर्ड ——— की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ३५२।

प्र० वि०—गोरखपुर में बिजलीघर का———। खं० १५५, पृ० ३६२।

प्र० वि०—रिहन्द बांध के ——— में अधिगत भूमि का मुआवजा। खं० १५५, पृ० ३४५–३४६।

निर्माण का प्रश्न—

कमेटी आन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व कमेटी आफ ऐश्योरेंसेज के———। खं० १५५, पृ० ३०२–३०४।

निर्माण कार्य—

प्र० वि०—कौंच-नन्दीगांव सड़क का ——। खं० १५५, पृ० १८८-१८९।

निर्वाचन—

प्रांतीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश के ——— में प्राप्त नाम निर्देशन-पत्र। खं० १५५, पृ० ४३९।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य के—— का प्रस्ताव। खं० १५५, पृ० २०८।

निवासियों—

प्र० वि०—रायबरेली जिले के मितरी ग्राम ——का खलियान भूमि के लिये प्रार्थना-पत्र। खं० १५५, पृ० ११६-११७।

नीरा तथा ताड़—

प्र० वि०—जौनपुर जिले में—— गुड़ विकास योजना। खं १५५, पृ० २९२ २९३।

नेकराम शर्मा, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

डाकू मानसिंह के मारे जाने का समाचार। खं० १५५, पृ० २६।

नेशनल हायर सेकेंड्री स्कूल——

प्र० वि०——, कादीपुर, जिला सुल्तानपुर के अध्यापकों का वेतन न पाने के संबंध में प्रार्थना पत्र। खं० १५५, पृ० २२-२३।

नौरंगलाल, श्री—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण, विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० १५२-१५५।

प

पंचवर्षीय योजना—

प्रथम ——की प्रगति पर विवाद की मांग। खं० १५५, पृ० २६-२७।

पंचायत अधिकारियों—

प्र० वि०—पंचायतघरों के निर्माण के लिये जिला —— को आदेश। खं० १५५, पृ० १९०-१९१।

पंचायतघरों—

प्र० वि०———के निर्माण के लिये जिला पंचायत अधिकारियों को आदेश। खं० १५५, पृ० १९०-१९१।

पथरी—

प्र० वि०—शारदा तथा —— बिजली घरों से एडिशनल बिजली का वितरण। खं० १५५, पृ० ३४७-३४९।

पब्लिक सर्विस कमीशन—

प्र० वि०—उत्तर प्रदेश सेवा में स्त्री शाखा के लिये—— का विज्ञापन। खं० १५५, पृ० ४३७-४३८।

परती जमीन—

प्र० वि०—झांसी जिले के भूमिहीनों को दी गई ——। खं० १५५, पृ० १०४।

परमिट—

प्र० वि०—गोरखपुर जिले में ग्राम के वृक्ष काटने के लिये ——। खं० १५५, पृ० ३४६-३४७।

परिवर्तन—

कार्यक्रम में ——। खं० १५५, पृ० ११९।

परिस्थिति—

कानपुर में एल्गिन मिल्स की तालाबन्दी से उत्पन्न—— पर विचारार्थ कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं। खं० १५५, पृ० ३६३।

परीक्षा—

प्र० वि०—अनुत्तीर्ण लेखपालों को दुबारा —— में बैठने की अनुमति। खं० १५५, पृ० ११७।

प्र० वि०—हाई स्कूल व इंटरमीडियेट परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या तथा—— में नकल आदि रोकने की व्यवस्था। खं० १५५, पृ० २३।

परीक्षाओं—

प्र० वि०—सरकारी कर्मचारियों के शिक्षा संस्थाओं की——— में बैठने पर प्रतिबन्ध। खं० १५५, पृ० ३५५–३५६।

परीक्षार्थियों—

प्र० वि०—हाई स्कूल व इंटरमीडियेट परीक्षा में——— की संख्या तथा परीक्षा में नकल आदि रोकने की व्यवस्था। खं० १५५, पृ०२३।

पलायन—

प्र० वि०—रामपुर जिले के जिलेदारों द्वारा गबन तथा पाकिस्तान———। खं० १५५, पृ० १०२–१०४।

पशुओं—

प्र० वि०—जिलाधीश, आजमगढ़ द्वारा ——— को टीका लगाने वाली औषधि की मांग। खं० १५५, पृ० ४१९–४२०।

पशु–चिकित्सालय—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में———का आयोजन। खं० १५५, पृ० ११८।

प्र० वि०—इटावा जिले में——— व कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र। खं० १५५, पृ० १११–११२।

पानी—

प्र० वि०—बस्ती जिले में नहर के ——— की बाढ़ से क्षति ग्रस्त कृषकों को सहायता। खं० १५५, पृ० २०५।

पावर हाउस—

प्र० वि०—गोरखपुर सरकारी——— की बिजली की वितरण। खं० १५५, पृ० ३६१–३६२।

पी० डब्लू० डी०—

प्र० वि०———के अस्थायी इंजीनियर। खं० १५५, पृ० २०१।

पूत्तूलाल, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

पुल—

प्र० वि०—आजमगढ़–आमिला सड़क पर ——— की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० १८६–१८७।

प्र० वि०—बघौच घाट पर——— निर्माण कीकी आवश्यकता। खं० १५५, पृ० २०४।

प्र० वि०—बनारस जिले में वरुण नदी पर——— तथा रेगुलेटर बनाने की की योजना। खं० १५५, पृ० २०६।

पुलिस—

प्र० वि०———सरकिल इंस्पेक्टर के पद की समाप्ति की योजना। खं० १५५ पृ० ३५१।

पुलिस ऐक्ट—

प्र० वि०—प्रतापगढ़ जिले के पुलिस कर्मचारियों पर——— की कार्यवाही। खं० १५५, पृ० ३६२।

पुलिस कर्मचारियों—

प्र० वि०—प्रतापगढ़ जिले के——— पर पुलिस ऐक्ट की कार्यवाही। खं० १५५, पृ० ३६२।

पुलों—

प्र० वि०—पूर्वी नयार नदी पर ग्राम कांडा तथा बमैला के निकट ——— के निर्माण पर विचार। खं० १५५, पृ० २०३।

पुस्तकालय—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में सहायता प्राप्त वाचनालय तथा———। खं० १५५, पृ० १०।

पूर्वी जिलों—

प्र० वि०—घाघरा तथा बड़ी गंडक नदियों से——— को क्षति। खं० १५५, पृ० १९३–१९४।

पेंशन—

राज्य के राजनीतिक पीड़ितों के लिये समुचित——व्यवस्था करने के संबंध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ३५–६६।

पोलिटिकल सफरर—

प्र० वि०—नैनीताल तराई–भाबर किछा में––शरणार्थी और सैनिकों को खेती की सुविधाएं। खं० १५५, पृ० १००।

प्रकाशवती सूद, श्रीमती—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० २२०–२२१।

प्रतिपाल सिंह, श्री—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३७९, ३८२, ३८३।

प्रतिफल—

प्र० वि०—जांच के पश्चात् हाई स्कूल परीक्षा का —— खं० १५५, पृ० ४२५।

प्रतिबन्ध—

प्र० वि०—अमान्यता प्राप्त विद्यालयों पर ——। खं० १५५, पृ० १०।

गोवंश के बध पर अंतरिम —— लगाने के संबंध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ६६–७०, ४४१–४४५।

वनस्पति घृत की बिक्री पर —— लगाने के संबंध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४४६–४८३।

प्र० वि०—सरकारी कर्मचारियों के शिक्षा संस्थाओं की परिक्षाओं में बैठने पर ——। खं० १५५, पृ० ३५५–३५६।

प्रबन्ध—

प्र० वि०—झांसी इलेक्ट्रिक पावर हाउस का अव्यवस्थित —— व रेजीडेंट इंजीनियर का अभाव। खं० १५५, पृ० ३४९–३५०।

प्रशिक्षण—

प्र० वि०—प्रशिक्षण केंद्रों में अफसरों का——। खं० १५५, पृ० २८६–२८७।

प्रशिक्षण केन्द्र—

प्र० वि०—फलोपयोगी विभाग के मुख्य कार्य, उसके कर्मचारियों तथा फल विकास योजना के——। खं० १५५, पृ० २८४–२८६।

प्रशिक्षण केन्द्रों—

प्र० वि० ——में अफसरों में का प्रशिक्षण। खं० १५५, पृ० २८६–२८७।

प्रश्न—

कालपी तथा जालौन में कांस उखाड़ने से संबंधित २२ अगस्त, १९५५ के तारांकित——३०–३१ के विषय पर विवाद। खं० १५५, पृ० ४८३–४८८।

प्रश्नोत्तर

अनन्त स्वरूप सिंह, श्री—

नियुक्त एजेंटों द्वारा गेहूं की सरकारी खरीदारी। खं० १५५, पृ० २८९–२९०।

फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से जाली आदेश पर बंदियों की रिहाई। खं० १५५, पृ० ३५१–३५२।

फतेहपुर जिले में तीसरा राष्ट्रीय प्रसार सेवा केंद्र। खं० १५५, पृ० २८९।

इस्तफा हुसैन, श्री—

गोरखपुर में बिजलीघर का निर्माण। खं० १५५, पृ० ३६२।

गोरखपुर सरकारी पावर हाउस को बिजली का वितरण। खं० १५५, पृ० ३६१–३६२।

उमाशंकर, श्री—

अमान्यता प्राप्त विद्यालयों पर प्रतिबन्ध। खं० १५५, पृ० १०।

आजमगढ़ जिले में सचल शिक्षण–शिविर के अध्यापकों का बकाया वेतन। खं० १५५, पृ० ४२६–४२७।

नेशनल हायर सेकेंड्री स्कूल, कादीपुर, जिला सुल्तानपुर के अध्यापकों का वेतन न पाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र। खं० १५५, पृ० २२–२३।

सचिवालय के चपरासियों के लिये सरकारी क्वार्टरों की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ३५६–३५७।

दम्मेदसिंह, श्री—

गोंडा जिले की बलरामपुर तहसील में सिंचाई के लिये नलकूपों की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० २०६।

कमला सिंह, श्री—

गाजीपुर जिले में कृषि योग्य तथा सिंचित भूमि। खं० १५५, पृ० २०८।

बाढ़ और सूखा पड़ने के कारण सैदपुर तहसील में बेकारी। खं० १५५, पृ० १८–१९।

कल्याण चन्द्र मोहिले, श्री—

इलाहाबाद नैनी इंडस्ट्री एरिया। खं० १५५, पृ० १०८।

इलाहाबाद में अवैतनिक मैजिस्ट्रेट। खं० १५५, पृ० २०८।

नैनी कोढ़ी अस्पताल का वार्षिक व्यय। खं० १५५, पृ० २९६–२९७।

कृष्णशरण आर्य, श्री—

रामपुर जिले के जिलेदारों द्वारा गबन तथा पाकिस्तान पलायन। खं० १५५। पृ० १०२–१०४।

केशव पांडेय, श्री—

रोडवेज स्टेशनों पर कंडक्टरों से क्लर्कों का काम लेना। खं० १५५, पृ० ११५।

गंगाधर मैठाणी, श्री—

गढ़वाल तथा टेहरी-गढ़वाल जिलों के टाउन तथा नोटीफाइड एरिया। खं० १५५, पृ० २०२।

पट्टी तलानागपुर, जिला गढ़वाल में जल कष्ट निवारणार्थ सहायता। खं० १५५, पृ० ४२३–४२४।

गंगाधर शर्मा, श्री—

लखनऊ के निकट कुष्टालय खोलने का आयोजन। खं० १५५, पृ० २९५।

गज्जूराम, श्री—

खितवांस, जिला झांसी में शरणार्थियों से बची हुई जमीन। खं० १५५, पृ० १०५।

जिला झांसी के विकास केंद्र मऊ और मोठ द्वारा श्रमदान से सड़कों का निर्माण। खं० १५५, पृ० २९७।

झांसी जिले के भूमिहीनों को दी गयी परती जमीन। खं० १५५, पृ० १०४।

झांसी विधवा आश्रम तथा अनाथालय को सहायता। खं० १५५, पृ० १५।

माताटोला विद्युत गृह से उत्पन्न बिजली की दर। खं० १५५, पृ० ३६२–३६३।

गुप्तार सिंह श्री—

रायबरेलीजिले में नलकूपों की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० १९७–१९८।

गेंदा सिंह श्री—

घाघरा तथा बड़ी गंडक नदियों से पूर्वी जिलों को क्षति। खं० १५५, पृ० १९३–१९४।

तमकुही तथा तरयासुजान केन यूनियनों की गन्ना बाहर भेजने की प्रार्थना। खं० १५५, पृ० ११३।

दूकान कर्मचारी कानून का लागू होना। खं० १५५, पृ० ४३३–४३५।

मिलों में लेबर वेलफेयर अफसर तथा उनकी योग्यता, वेतन और कर्त्तव्य। खं० १५५, पृ० ६–८।

प्रश्नोत्तर

गोवर्द्धन तिवारी, श्री—

अल्मोड़ा जिले के भूमिहीनों को खेती के लिये भूमि। खं० १५५, पृ० ९९।

अल्मोड़ा रामगढ़, भीमताल सड़क के निर्माण की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० २०२–२०३।

चन्द्रसिंह रावत, श्री

गढ़वाल जिले में गुलाबकोटी–जोशीमठ सड़क के निर्माण पर विचार। खं० १५५, पृ० २०७।

चित्तरसिंह निरंजन श्री—

कोंच-नन्दीगांव सड़क का निर्माण कार्य। खं० १५५, पृ० १८८–१८९।

जोरावर वर्मा, श्री—

कानपुर टेक्सटाइल मिल की बन्दी तथा मजदूरों की बेकारी। खं० १५५, पृ० १७–१८।

मूक बधिर विद्यालयों को सहायता। खं० १५५, पृ० ४३०–४३१।

राजनीतिक पीड़ित छात्रों को सहायता। खं० १५५, पृ० ४२८–४२९।

सचिवालय की पुरानी खस टट्टियों में आकस्मिक आग। खं० १५५, पृ० ३४६।

हमीरपुर और सुमेरपुर के बीच बस दुर्घटना। खं० १५५, पृ० १०६—१०७।

झारखंडेराय, श्री—

आजमगढ़ आमिला सड़क पर पुल की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० १८६–१८७।

आजमगढ़ जिले की मुसहर जाति के उत्थान की आवश्यकता। खं० १५५ पृ० ४२२–४२३।

आजमगढ़ जिले में ऐतिहासिक औरंगजेबी मस्जिद। खं० १५५, पृ० १२–१३।

आमिला, जिला आजमगढ़ टाउन एरिया को बिजली की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ३४५।

इटावा स्टम्प नहर में लगी भूमि। खं० १५५, पृ० १९५–१९६।

फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में धवाय मानपुर कस के राजनीतिक बन्दी। खं० १५५, पृ० ३४५।

फर्रुखाबाद में ब्लाक मेकिंग और कपड़े की छपाई। खं० १५५, पृ० २८१—२८२।

फैजाबाद जेल में कम्युनिस्ट राजबन्दी। खं० १५५, पृ० ३४५।

हाथरस की सूती मिलों की बन्दी तथा मजदूरों की बेकारी। खं० १५५,पृ० ६

तेजप्रताप सिंह, श्री—

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता रोकने के लिये केंद्रीय सरकार की योजना। खं० १५५, पृ० २५।

हमीरपुर जिले की मंडियों में ज्वार की खरीद। खं० १५५, पृ० २८२-२८३।

हमीरपुर जिले में ओला वृष्टि से क्षतिग्रस्त ग्रामों को सहायता। खं० १५५, पृ० १०८।

दीनदयालु शास्त्री, श्री—

गंगा की बाढ़ से विशुनपुर और कुंडी ग्रामों को क्षति। खं० १५५, पृ० ९८–९९।

देवकीनन्दन विभव, श्री—

आगरा में होवेट पार्क और बिजयनगर कालोनी के बीच एकत्रित राख। खं० १५५, पृ० २०७।

आगरा सदर तहसील के विभिन्न ग्रामों में चिकित्सालयों का अभाव। खं० १५५, पृ० २८६।

आगरे में जान्स मिल्स लिमिटेड की बन्दी। खं० १५५, पृ० १७।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, इलाहाबाद पर सरकारी ऋण। खं० १५५, पृ० १८९।

देवदत्त मिश्र, श्री—

उन्नाव जिले में नलकूपों की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० २०८।

पंचायतघरों के निर्माण के लिये जिला पंचायत अधिकारियों को आदेश। खं० १५५, पृ० १९०–१९१।

द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री—

असिस्टेंट ब्लाक डेवलपमेंट अफसरों की योग्यता तथा नियुक्ति। खं० १५५, पृ० २९४–२९५।

१९५४ में अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों को छात्रवृत्तियों। खं० १५५, पृ० ४२१–४२२।

गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में व्यय। खं० १५५, पृ० १८५–१८६।

जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में श्रमदान कार्य। खं० १५५, पृ० २९७।

जौनपुर जिले के हायर सेकेंड्री स्कूलों को सहायता। खं० १५५, पृ० १५–१६।

जौनपुर जिले में करघा योजना के अन्तर्गत प्रोडक्शन सोसाइटीज। खं० १५५, पृ० २९३–२९४।

नैनीताल हरिजन उद्योगशाला के कर्मचारी। खं० १५५, पृ० ४३८–४३९।

प्रदेश के विद्युत्हीन ट्यूबवेल। खं० १५५, पृ० २०५।

बरेली, मिर्जापुर और बाराबंकी जिलों में खेती, के नये फार्म। खं० १५५, प० ९६–९८।

मुख्य मंत्री शिक्षा कोष। खं० १५५, पृ० ९।

राज्य का सिंचित क्षेत्र। खं० १५५, पृ० १९७।

रिहन्द बांध के निर्माण में अधिगत भूमि का मुआवजा। खं० १५५, पृ० ३४५–३४६।

लखनऊ में संस्कृत साहित्य परिषद का का भवन निर्माण। खं० १५५, पृ० ५।

संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना। खं० १५५, पृ० ५–६।

हरिजन सहायक विभाग द्वारा १९५०–५१ के आयव्ययक में स्वीकृति धन के अवशिष्टांश को समर्पित न करना। खं० १५५, पृ० ४२१।

द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री

गोरखपुर जिले के बीज गोदाम। खं० १५५, पृ० ११३।

गोरखपुर जिले में आम के वृक्ष काटने के लिये परमिट। खं० १५५, पृ० ३४६–३४७।

गोरखपुर जिले में मखनहा तथा अकटहवा बांध के लिये अनुदान। खं० १५५, पृ० २९२।

नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री—

अलीगढ़ जिले की कृषि योग्य तथा सिंचित भूमि। खं० १५५, पृ० १८९–१९०।

प्रदेश में राष्ट्रीय विकास सेवा केंद्र खं० १५५, पृ० २८७–२८९।

नारायणदत्त तिवारी, श्री—

कानपुर टेक्सटाइल मजदूरों की हड़ताल में गिरफ्तारियाँ। खं० १५५, पृ० ३६०।

कुमायूं विकास बोर्ड निर्माण की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ३५२।

दुर्घटनाओं से बचने के लिये नलकूप विभाग के कर्मचारियों को आदेश। खं० १५५, पृ० १९९–२००।

नैनीताल जिले की सरगाखेत पहाड़–पानी मोटर सड़क। खं० १५५, पृ० २०३।

नैनीताल जिले में कलसा नदी पर बांध की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० २०५।

फलोपयोगी विभाग के मुख्य कार्य, उसके कर्मचारी तथा फल विकास योजना के प्रशिक्षण केंद्र। खं० १५५, पृ० २८४–२८६।

प्रश्नोत्तर

नेकराम शर्मा, श्री—

अलीगढ़ जिले के फरार डाकू। खं० १५५, पृ० ३५९–३६०।

अलीगढ़ जिले में कत्ल। खं० १५५, पृ० ३५९।

लखनऊ तथा कानपुर में कत्ल। खं० १५५, पृ० ३५७–३५९।

पुत्तूलाल, श्री—

हरिजन औद्योगिक शिक्षण केंद्र नैनीताल का कार्यारम्भ। खं० १५५, पृ० ९५–९६।

बद्रीनारायण मिश्र, श्री—

पी० डब्लू० डी० के अस्थायी इंजीनियर। खं० १५५, पृ० २०१।

बाबू नन्दन, श्री—

जौनपुर जिले में नीरा तथा ताड़ गुड़ विकास योजना। खं० १५५, पृ० २९२–२९३।

राज्य के आदिवासी। खं० १५५, पृ० ४३८।

शाहगंज-सुल्तानपुर रोड के उत्तर गंगोली ग्राम में राजकीय नल कूल लगाने का विचार। खं० १५५, पृ० १९८।

हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजरों तथा शिक्षा सुपरवाइजरों का ग्रेड। खं० १५५, पृ० २०–२१।

भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री—

प्रतापगढ़ जिले के पुलिस कर्मचारियों पर पुलिस ऐक्ट की कार्यवाही। खं० १५५, पृ० ३६२।

भगवान सहाय, श्री—

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा में स्त्री शाखा के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन का विज्ञापन। खं० १५५, पृ० ४३७–४३८।

सरकारी कर्मचारियों के शिक्षा संस्थाओं की परीक्षाओं में बैठने पर प्रतिबन्ध। खं० १५५, पृ० ३५५–३५६।

मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री—

फर्रुखाबाद जिले के छिबरामऊ कस्बे को मैनपुरी शक्ति-गृह से बिजली देने पर विचार। खं० १५५, पृ० ३६२।

मथुराप्रसाद पांडेय, श्री—

बांसी तहसील में सूखे के कारण लगान में छूट की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ११५।

महीलाल, श्री—

ग्रामपुरा, जिला मुरादाबाद के निवासियों की तकावी के लिये प्रार्थना। खं० १५५, पृ० १०५।

प्रांतीय तथा क्षेत्रीय समाज कल्याण बोर्ड्स। खं० १५५, पृ० १३।

मुरादाबाद जिले की बिलारी तहसील की भूमि के खाते। खं० १५५, पृ० ११७।

मुरादाबाद जिले में गांव समाज के बंजर तथा झील तोड़ने की शिकायतें। खं० १५५, पृ० ११५–११६।

हरिजन छात्रावासों के लिये अनावर्तिनी सहायता। खं० १५५, पृ० ४२७–४२८।

मिहरबान सिंह, श्री—

इटावा जिले में पशु-चिकित्सालय व कृत्रिम गर्भाधान केंद्र। खं० १५५, पृ० १११–११२।

भरथना टाउन एरिया को सड़कों के निर्माण के लिये धन की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० १९१।

मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री—

पूरनपुर, जिला पीलीभीत के मकान बेचने व खरीदने वालों की बेदखली। खं० १५५, पृ० ११३–११४।

मुरलीधर कुरील, श्री—

आनरेरी पेरोल मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति। खं० १५५, पृ० ३५२–३५४।

यमुना सिंह, श्री—

गाजीपुर जिले के फेफरा तियरा ग्राम में नलकूप की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० २०७।

रमानाथ खेरा, श्री—

झांसी जिले में सरकारी ट्रैक्टरों द्वारा जुताई। खं० १५५, पृ० १०४।

राजनारायण, श्री—

कानपुर की म्योर तथा स्वदेशी मिलों में रेशनलाइजेशन योजना तथा मजदूरों में बेकारी। खं० १५५, पृ० १८।

माहेश्वरी देवी जूट मिल के श्रमिकों को बोनस न मिलना। खं० १५५, पृ० ४२७।

रायबरेली जिले की भितरी ग्राम के निवासियों का खलिहान भूमि को लिये प्रार्थनापत्र। खं० १५५, ११६–११७।

राजबंशी, श्री—

गोरखपुर रोडवेज द्वारा कंडक्टरी की ट्रेनिंग। खं० १५५, पृ० ११२।

बघौच घाट पर पुल-निर्माण की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० २०४।

राजाराम किसान, श्री—

राजकीय डेरी फार्म, गजरिया। खं० १५५, पृ० ११७।

राजाराम मिश्र, श्री—

प्रदेश में महिला–मंगल योजना केंद्र। खं० १५५, पृ० १०–१२।

राजाराम शर्मा, श्री—

बस्ती जिले के गन्ना विभाग द्वारा स्थानीय प्रेसों से छपाई के टेंडरों की मांग। खं० १५५, पृ० ११८।

बस्ती जिले के बखिरा बाजार स्थित बीजगोदाम के लिये पक्के मकान की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ३५४–३५५।

रामकृष्ण जैसवार, श्री—

मिर्जापुर जिले में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा हरिजनों को आर्थिक सहायता। खं० १५५, पृ० ८–९।

रामचन्द्र विकल, श्री—

ब्रिटिश इंडियन कारपोरेशन की कूपर ऐलन ब्रांच, कानपुर के मजदूरों का शेष बोनस। खं० १५५, पृ० ४३५–४३६।

रामजी सहाय, श्री—

देवरिया जिले में मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। खं० १५५, पृ० १५।

रामनारायण त्रिपाठी, श्री—

अनुत्तीर्ण लेखपालों को दुबारा परीक्षा में बैठने की अनुमति। खं० १५५, पृ० ११७।

रामप्रसाद नौटियाल, श्री—

पूर्वी नयार नदी पर ग्राम कांडा तथा डमैला के निकट पुलों के निर्माण पर विचार। खं० १५५, पृ० २०३।

रामरतन प्रसाद, श्री—

आजमगढ़ बेल्थरा सड़क का निर्माण। खं० १५५, पृ० २०३।

रामसुन्दर पांडेय, श्री—

आजमगढ़, जिले में हरिजनों के लिये पक्के कुएं। खं० १५५, पृ० २१–२२।

जिलाधीश, आजमगढ़ द्वारा पशुओं को टीका लगाने वाली औषधि की मांग। खं० १५५, पृ० ४१९–४२०।

फैजाबाद जिले के कुछ गांवों को आजमगढ़ जिले में मिलाने की प्रार्थना। खं० १५५, पृ० ११४।

हायर सेकेंड्री एवं जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्ति कृषि अध्यापकों को ग्रीष्मावकाश न मिलना। खं० १५५, पृ० ४३३।

रामसुभग वर्मा, श्री—

कोलोनाइजेशन विभाग के अधीन ग्रामों की लगान की दरों में अन्तर। खं० १५५, पृ० १०१।

प्रश्नोत्तर

रामसुभग वर्मा, श्री—

जगदीश शुगर मिल्स, कठकुइयां पर मजदूरों का शेष बोनस। खं० १५५, पृ० ४३६।

देवरिया के बाढ़-पीड़ितों क्षेत्रों के छात्रों की फीस मुआफी। खं० १५५, पृ० २२।

नैनीताल तराई भावर किच्छा में पोलिटिकल सफरर, शरणार्थी और सैनिकों को खेती की सुविधायें। खं० १५५, पृ० १००।

बाढ़ग्रस्त जिलों में ग्राम सभाओं द्वारा नाव निर्माण। खं० १५५, पृ० १०५–१०६।

रामस्वरूप, श्री—

मिर्जापुर जिले में मृतक पशुओं को उठाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र। खं० १५५, पृ० २००–२०१।

रामहेत सिंह श्री—

मथुरा जिले में रेगिस्तान निरोधक कार्य। खं० १५५, पृ० १०९–१११।

रामेश्वरलाल, श्री—

जौनपुर जिले के बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ धन का वितरण। खं० १५५, पृ० ११६।

लक्ष्मणराव कदम, श्री—

उत्तर प्रदेशीय तहवीलदार यूनियन की ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्री। खं० १५५, पृ० २५।

झांसी इलेक्ट्रिक पावर हाउस का अव्यवस्थित प्रबन्ध व रेजीडेंट इंजीनियर का अभाव। खं० १५५, पृ० ३४९–३५०।

झांसी में मकानों का अभाव। खं० १५५ पृ० १८७–१८८।

बुन्देलखंड में मृत जानवरों को दफनाने से राष्ट्र सम्पत्ति की हानि। खं० १५५, पृ० ११६।

म्युनिसिपल बोर्ड, झांसी पर चुंगी का बकाया। खं० १५५, पृ० २०४–२०५।

लालबहादुर सिंह, श्री—

बनारस जिले में वरुण नदी पर पुल तथा रेगुलेटर बनाने की योजना। खं० १५५, पृ० २०६।

बनारस तहसील में भूमिधरी सनदें। खं० १५५, पृ० ११२–११३।

विश्राम राय, श्री—

आजमगढ़, जिले की सगड़ी तहसील में पशु-चिकित्सालय का आयोजन। खं० १५५, पृ० ११८।

आजमगढ़ जिले में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को सहायता। खं० १५५, पृ० २५।

आजमगढ़ जिले में चकबन्दी विभाग के कर्मचारी। खं० १५५, पृ० ११८।

आजमगढ़ जिले में नलकूपों का निर्माण। खं० १५५, पृ० २०५–२०६।

आजमगढ़ जिले में सहायता प्राप्त वाचनालय तथा पुस्तकालय। खं० १५५, पृ० १०।

आजमगढ़ शहर में भयंकर अग्निकांड खं० १५५, पृ० २८३–२८४।

छोटे उद्योग धंधों को चलाने के हेतु खेतिहर मजदूरों को ऋण देने के लिये सहकारी समितियां। खं० १५५, पृ० २९१–२९२।

नये गृह उद्योग धंधों को जारी करने की योजना। खं० १५५, पृ० २९०–२९१।

पुलिस सर्किल इन्स्पेक्टर के पद की समाप्ति की योजना। खं० १५५, पृ० ३५१।

सरकारी सहायता प्राप्त असरकारी समाज कल्याण संस्थायें। खं० १५५, पृ० ४३१–४३२।

विश्राम राय श्री—

हाई स्कूल व इन्टरमीडियेट परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या तथा परीक्षा में नकल आदि रोकने की व्यवस्था। खं० १५५, पृ० २३।

वीरेंद्र वर्मा, श्री—

नगरों में रोडवेज की गाड़ियां तथा उन पर आय व व्यय। खं० १५५, पृ० १०१।

बेरोजगारों की गणना की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ४२४–४२५।

वीरेंद्रशाह, राजा—

कर्मचन्दा पुरवा, जिला जालौन, में भूदान यज्ञ। खं० १५५, पृ० ११६।

जालौन जिले में सरकार को जागीरदार से प्राप्त तीन पक्की इमारतों की मरम्मत तथा हस्तान्तरण संबंधी शर्तें। खं० १५५, पृ० २३–२४

मिर्जापुर शहर में गंगा घाटों को क्षति। खं० १५५, पृ० १९८–१९९।

मेटल ट्रेडर्स एसोसियेशन मिर्जापुर का बिक्री कर के संबंध में प्रार्थनापत्र। खं० १५५, पृ० ४२०–४२१।

ब्रजबिहारी मिश्र, श्री—

आजमगढ़ जिले के लोहरा आदि ग्रामों में सूखे के कारण छूट। खं० १५५, पृ० १११।

आजमगढ़ जिले में मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों को सहायता खं० १५५, पृ० १६–१७।

ब्रजविहारी मेहरोत्रा श्री—

गयाप्रसाद लाइफ सेविंग फंड की मैनेजिंग कमेटी। खं० १५५, पृ० १९–२०।

शिवकुमार शर्मा, श्री—

देहाती क्षेत्रों को बिजली देने की शर्तें। खं० १५५, पृ० ३६२।

शिवनारायण, श्री—

कल्याणपुर सेटिलमेंट, जिला कानपुर में कथित लांग क्लाथ का गबन। खं० १५५, पृ० २४–२५।

शिवपूजन राय, श्री—

गाजीपुर जिले में सूखे के कारण लगान में छूट। खं० १५५, पृ० ११४।

शिवराज सिंह यादव, श्री—

बदायूं जिले में तकावी की वसूली की रीति। खं० १५५, पृ० १०७।

शिववचन राय, श्री—

जांच के पश्चात् हाई स्कूल परीक्षा का प्रतिफल। खं० १५५, पृ० ४२५।

सत्यसिंह राणा, श्री—

जिला इंजीनियर टिहरी गढ़वाल के नाम जमा धन से ग्राम मोटना, पट्टी रेका में नल तथा डिग्गियों का निर्माण। खं० १५५, पृ० ४२४।

सुरेंद्रदत्त बाजपेयी, श्री—

कानपुर के सूती मिल मजदूरों की हड़ताल। खं० १५५, पृ० ४२६।

प्रशिक्षण केंद्रों में अफसरों का प्रशिक्षण। खं० १५५, पृ० २८६–२८७।

प्लानिंग विभाग में अफसरों के विशेष वेतन पर व्यय। खं० १५५, पृ० २९७।

लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस में बहरों तथा गूंगों की शिक्षा पर व्यय। खं० १५५, पृ० १३–१४।

शारदा तथा पथरी बिजली घरों से एडीशनल बिजली का वितरण। खं० १५५, पृ० ३४७–३४९।

हमीरपुर में लड़कियों की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध। खं० १५५, पृ० ९।

प्रस्ताव—

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये समय निर्धारण के संबंध में ——। खं० १५५, पृ० ३००–३०२।

प्रांतीय स्वास्थ्य बोर्ड—

——उत्तर प्रदेश के निर्वाचन में प्राप्त नाम निर्देशन पत्र। खं० १५५, पृ० ४३९।

प्रार्थनापत्र—

प्र० वि०—नेशनल हायर सेकेंड्री स्कूल, कादीपुर, जिला सुल्तानपुर के अध्यापकों का वेतन न पाने के संबंध में ——— ———। खं० १५५, पृ० २२–२३।

प्र० वि०—मिर्जापुर जिले में मृतक पशुओं उठाने के संबंध में———। खं० १५५, पृ० २००–२०१।

प्र० वि०—मेटल ट्रेडर्स एसोसियेशन, मिर्जापुर का बिक्री कर के संबंध में ———। खं० १५५, पृ० ४२०–४२१।

विधान सभा से अनुपस्थिति के लिये श्री वीरेंद्र वर्मा का—। खं० १५५, पृ० २७–२८।

विधान सभा से अनुपस्थिति के लिये श्री वीरेंद्रविक्रम सिंह का ———। खं० १५५, पृ० २७।

प्रेसों—

प्र० वि०—बस्ती जिले के गन्ना विभाग द्वारा स्थानीय ——— से छपाई के टेंडरों की मांग। खं० १५५, पृ० ११८।

प्रोडक्शन सोसाइटीज—

प्र० वि०—जौनपुर जिले में करघा योजना के अन्तर्गत—। खं० १५५ पृ० २९३–२९४।

प्लानिंग विभाग—

प्र० वि०।———में अफसरों के विशेष वेतन पर व्यय। खं० १५५, पृ० २९७।

फ

फंड—

प्र० वि०—गयाप्रसाद लाइफ सेविंग——— की मैनेजिंग कमेटी। खं० १५५, पृ० १९–२०।

फलोपयोगी विभाग—

प्र० वि०———के मुख्य कार्य, उसके कर्मचारी तथा फल विकास योजना के प्रशिक्षण केन्द्र। खं० १५५, पृ० २८४–२८६।

फार्म—

प्र० वि०—बरेली, मिर्जापुर और बाराबंकी जिलों में खेती के नये ———। खं० १५५, पृ० ९६–९८।

प्र० वि०—माधुरी कुंड——— पर क्वार्टरों की लागत और किराया। खं० १५५, पृ० १०१–१०२।

फीस मुआफी—

प्र० वि०—देवरिया के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के छात्रों की———। खं० १५५, पृ० २२।

ब

बंजर—

प्र० वि०—मुरादाबाद जिले में गांव समाज के———तथा झील तोड़ने की शिकायतें। खं० १५५, पृ० ११५–११६।

बंदियों—

प्र० वि०—फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से जाली आदेश पर———की रिहाई। खं० १५५, पृ० ३५१–३५२।

बंदी—

प्र० वि०—आगरे में जान्स मिल्स लिमिटेड की———। खं० १५५, पृ० १७।

प्र० वि०—कानपुर टेक्सटाइल मिल की ———तथा मजदूरों की बेकारी। खं० १५५, पृ० १७–१८।

प्र० वि०—हाथरस की सूती मिलों की ———तथा मजदूरों की बेकारी। खं० १५५, पृ० ६।

बकाया—

प्र० वि०—म्युनिसिपल बोर्ड, झांसी पर चुंगी का———। खं० १५५, पृ० २०४–२०५।

बकाया वेतन—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में सचल शिक्षण-शिविर के अध्यापकों का——। खं० १५५, पृ० ४२६–२७।

बघौच घाट—

प्र० वि०———पर पुल-निर्माण की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० २०४।

बद्रीनारायण मिश्र, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३१९।

बनारस—

———में मलमास सम्बन्धी नाव दुर्घटना के सम्बन्ध में पूछताछ। खं० १५५, पृ० ४३९।

बलदेव सिंह आर्य, श्री—

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव। खंड २५५, पृ० ३०२।

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४४६।

बलवन्त सिंह, श्री—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३१९–३२०।

बलिया—

———जिले में गंगा नदी की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १५५, पृ० २५–२६।

बशीर अहमद हकीम, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

शारदा, घाघरा आदि नदियों के क्षेत्र के लिए बाढ़ तथा सिंचाई सम्बन्धी योजनाएं। खं० १५५, पृ० १९४।

बसंतलाल शर्मा, श्री—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० १३०–१३३, ३६९, ३७५।

गोवंश के वध पर अन्तरिम प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ६८।

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४४९, ४५२–४५५, ४७६, ४८३।

बस दुर्घटना—

प्र० वि०—हमीरपुर और सुमेरपुर के बीच———। खं० १५५, पृ० १०६–१०७।

बहरों—

लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस में ———तथा गूंगों की शिक्षा पर व्यय। खं० १५५, पृ० १३–१४।

बांध—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में सहनूपुर ———पर व्यय। खं० १५५, पृ० २०२।

प्र० वि०—नैनीताल जिले में कलसा नदी पर———की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० २०५।

बाढ़—

प्र० वि०— ———और सूखा के कारण सैदपुर तहसील में बेकारी। खं० १५५, पृ० १८–१९।

प्र० वि०—गंगा की —— से विशुनपुर और कुंडी ग्रामों को क्षति। खं० १५५, पृ० ९८–९९।

प्र० वि०—जौनपुर जिले के———पीड़ितों की सहायतार्थ धन का वितरण। खं० १५५, पृ० ११६।

बलिया जिले में गंगा नदी की———से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १५५, पृ० २५–२६।

[बाढ़]

बस्ती जिले में नहर के पानी की——— से क्षति ग्रस्त कृषकों को सहायता। खं० १५५, पृ० २०५।

प्र० वि०—शारदा, घाघरा आदि नदियों क क्षेत्र के लिए———तथा सिंचाई सम्बन्धी योजनाएं। खं० १५५, पृ० १९४।

बाढ़ग्रस्त जिलों—

प्र० वि०———में ग्राम सभाओं द्वारा नाव निर्माण। खं० १५५, पृ० १०५–१०६।

बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों—

प्र० वि०—देवरिया के ———के छात्रों की फीस मुआफी। खं० १५५, पृ० २२।

बाबूनन्दन, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

बाराबंकी—

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल———की हत्या का समाचार। खं० १५५, पृ० ३१३– ३१४, ३२९।

बालेन्दुशाह, महाराजकुमार—

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव। खं० १५५, पृ० ३०१।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल की हत्या पर शोकोद्गार। खं० १५५, पृ० ३६५।

बिक्री—

वनस्पति घृत की ———पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४४६–४८३।

बिक्री कर—

प्र० वि०—मेटल ट्रेडर्स एसोसिएशन, मिर्जापुर का———के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र। खंड १५५, पृ० ४२०–४२१।

बिजली—

प्र० वि०—आमिला, जिला आजमगढ़, टाउन एरिया को———की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ३४५।

प्र० वि०—गोरखपुर सरकारी पावर हाउस की ———का वितरण। खं० १५५, पृ० ३६१–६२।

प्र० वि०—देहाती क्षेत्रों को———देने की शर्तें। खं० १५५, पृ० ३६२।

प्र० वि०—फर्रुखाबाद जिले के छिबरामऊ कस्बे को मैनपुरी शक्ति-गृह से ———देने पर विचार। खं० १५५, पृ० ३६२।

माताटीला विद्युत-गृह से उत्पन्न———की दर। खं० १५५, पृ० ३६२–३६३।

बिजली घर—

प्र० वि०—गोरखपुर में———का निर्माण। खं० १५५, पृ० ३६२।

बिजलीघरों—

प्र० वि०—शारदा तथा पथरी——— से एडिशनल बिजली का वितरण। खं० १५५, पृ० ३४७–३४९।

बीजगोदाम —

प्र० वि०—गोरखपुर जिले के———। खं० १५५, पृ० ११३।

प्र० वि०—बस्ती जिले के बखिरा बाजार स्थित ———के लिये पक्के मकान की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ३५४–३५५।

बेकारी—

प्र० वि०—कानपुर की म्योर तथा स्वदेशी मिलों में रेशनलाइजेशन योजना तथा मजदूरों में———। खं० १५५, पृ० १८।

प्र० वि०—कानपुर टेक्सटाइल मिल की बन्दी तथा मजदूरों की———। खं० १५५, पृ० १७–१८।

प्र० वि०—बाढ़ और सूखा पड़ने के कारण सैदपुर तहसील में——। खं० १५५, पृ० १८–१९।

बेचनराम गुप्त, श्री—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३२९, ३६६–३६७।

बेदखली—

पूरनपुर, जिला पीलीभीत के मकान बेचने व खरीदने वालों की——। खं० १५५, पृ० ११३–११४।

बेरोजगारों—

प्र० वि०——की गणना की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ४२४–४२५।

बोनस—

प्र० वि०—जगदीश शुगर मिल्स, कठकुइयां पर मजदूरों का शेष——। खं० १५५, पृ० ४३६।

प्र० वि०—ब्रिटिश इंडियन कारपोरेशन की कूपर ऐलन ब्रांच, कानपुर के मजदूरों का शेष——। खं० १५५, पृ० ४३५–४३६।

प्र० वि०—माहेश्वरी देवी जूट मिल के श्रमिकों को——न मिलना। खं० १५५, पृ० ४२७।

बोर्ड्स—

प्र० वि०—प्रान्तीय तथा क्षेत्रीय समाज कल्याण——। खं० १५५, पृ० १३।

ब्रिटिश इंडियन कारपोरेशन—

प्र० वि०————की कूपर ऐलन ब्रांच, कानपुर के मजदूरों का शेष बोनस। खं० १५५, पृ० ४३५–४३६।

ब्लाक डेवलपमेंट अफसरों—

प्र० वि०— असिस्टेंट——की योग्यता तथा नियुक्ति। खं० १५५, पृ० २९४–२९५।

ब्लाक मौंकिंग—

प्र० वि०—फर्रुखाबाद में——और कपड़े की छपाई। खं० १५५, पृ० २८१–२८२।

भ

भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

——की हत्या का समाचार। खं० १५५, पृ० ३१३–३१४, ३२९।

——की हत्या पर शोकोद्गार। खं० १५५, पृ० ३६३–३६६।

भगवान सहाय, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

भवन—

प्र० वि०—लखनऊ में संस्कृत साहित्य परिषद् का——निर्माण। खं० १५५, पृ० ५।

भूदान यज्ञ—

प्र० वि०—कर्मचन्दा पुरवा, जिला जालौन में——। खं० १५५, पृ० ११६।

भूमि—

प्र० वि०—अलीगढ़ जिले की कृषि योग्य तथा सिंचित——। खं० १५५, पृ० १८९–१९०।

प्र० वि०—अल्मोड़ा जिले के भूमिहीनों को खेती के लिए——। खं० १५५, पृ० ९९।

टावा स्टम्प नहर में लगी——। खं० १५५, पृ० १९५–१९६।

प्र० वि०—मुरादाबाद जिले की बिलगरी तहसील की——के खाते। खं० १५५, पृ० ११७।

भूमिधरी—

प्र० वि०—बनारस तहसील में—सनदें। खं० १५५, पृ० ११२–११३

भूमिहीनों—

प्र० वि०—अल्मोड़ा जिले के——को खेती के लिए भूमि। खं० १५५, पृ० ६६।

प्र० वि०—झांसी जिले के——को दी गयी परती जमीन। खं० १५५, पृ० १०४।

म

मंगल-योजना—

प्र० वि०—प्रदेश में महिला——केन्द्र। खं० १५५, पृ० १०–१२।

मंडियों—

प्र० वि०—हमीरपुर जिले की—— में ज्वार की खरीद। खं० १५५, पृ० २८२–२८३।

मकान—

प्र० वि०—पूरनपुर, जिला पीलीभीत के ——बेचने व खरीदने वालों की बेदखली। खं० १५५, पृ० ११३–११४।

प्र० वि०—बस्ती जिले के बखिरा बाजार स्थित बीजगोदाम के लिये पक्के ——की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ३५४–३५५।

मकानों—

प्र० वि०—झांसी में——का अभाव। खं० १५५, पृ० १८७–१८८।

मखनवा तथा अकरहवा बांध—

प्र० वि०—गोरखपुर जिले में——के लिए अनुदान। खं० १५५, पृ० २६२।

मजदूरों—

प्र० वि०—कानपुर की म्योर तथा स्वदेशी मिलों में रेशनलाइजेशन योजना तथा ——में बेकारी। खं० १५५, पृ० १८।

प्र० वि०—कानपुर के सूती मिल—— की हड़ताल। खं० १५५, पृ० ४२६।

प्र० वि०—कानपुर टेक्सटाइल——की हड़ताल में गिरफ्तारियां। खं० १५५, पृ० ३६०।

प्र० वि०—कानपुर टेक्सटाइल मिल की बन्दी तथा ——की बेकारी। खं० १५५, पृ० १७–१८।

प्र० वि०—जगदीश शुगर मिल्स, कठकुइयां पर——का शेष बोनस। खं० १५५, पृ० ४३६।

प्र० वि०—ब्रिटिश इंडियन कारपोरेशन की कूपर ऐलन ब्रांच, कानपुर के ——का शेष बोनस। खं० १५५, पृ० ४३५–४३६।

प्र० वि०—हाथरस की सूती मिलों की बन्दी तथा——की बेकारी। खं० १५५, पृ० ६।

मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

मदनमोहन उपाध्याय, श्री—

अधिवेशन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूछताछ। खं० १५५, पृ० ४३६।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १६५५। खं० १५५, पृ० १२३, १२४, १२५–१२७, १४२, १४३, २३१, २४८, ३७८।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १६५५। खं० १५५, पृ० ४००–४०१।

राज्य के राजनीतिक पीड़ितों के लिये समुचित पेंशन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४८–५०।

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४६५–४६७।

अलमास—

बनारस में———सम्बन्धी नाव दुर्घटना के सम्बन्ध में पूछताछ। खं० १५५, पृ० ४३९।

मस्जिद—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में ऐतिहासिक औरंगजेबी———। खं० १५५, पृ० १२–१३।

महिला—

प्र० वि०—प्रदेश में———मंगल-योजना केन्द्र। खं० १५५, पृ० १०–१२।

महीलाल, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

माताटीला विद्युतगृह—

———से उत्पन्न बिजली की दर। खं० १५५, पृ० ३६२–३६३।

माधुरी कुण्ड फार्म—

प्र० वि०———पर क्वार्टरों की लागत और किराया। खं० १५५, पृ० १०१–१०२।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्—

———, उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० १५५, पृ० २०८।

मानसिंह—

डाकू———के पुत्र सूबेदार सिंह के मारे जाने का समाचार। खं० १५५, पृ० ६६।

डाकू———के मारे जाने का समाचार। खं० १५५, पृ० २६।

माहेश्वरी देवी जूट मिल—

प्र० वि०— ———के श्रमिकों को बोनस न मिलना। खं० १५५, पृ० ४२७।

मिलों—

प्र० वि०———में लेबर वेलफेयर अफसर तथा उनकी योग्यता, वेतन और कर्तव्य। खं० १५५, पृ० ६–८।

प्र० व०—हाथरस की सूती———की बन्दी तथा मजदूरों की बेकारी। खं० १५५, पृ० ६।

मिहरबान सिंह, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

मुआवजा—

प्र० वि०—रिहन्द बांध के निर्माण में अधिगत भूमि का———। खं० १५५, पृ० ३४५–३४६।

मुख्य मंत्री—

प्र० वि०———शिक्षा कोष। खं० १५५, पृ० ९।

मुख्य मंत्री शिक्षा कोष—

———। खं० १५५, पृ० ९।

मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

मुरलीधर कुरील, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

मुसहर—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले की——— जाति के उत्थान की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ४२२–४२३।

मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज—

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४४६।

मुहम्मद नसीर, श्री—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० २२१–२२३।

मुहम्मद शाहिद फारूकी, श्री—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० २१२–२१७, ३७६, ३९३, ३९४, ३९८।

राज्य के राजनीतिक पीड़ितों के लिए समुचित पेंशन की व्यवस्था करने के सबन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४३–४५।

मूक बधिर विद्यालयों—

प्र० वि०————को सहायता । खं० १५५, पृ० ४३०–४३१ ।

मृतक पशुओं—

प्र० वि०— मिर्जापुर जिले में———— को उठाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र । खं० १५५, पृ० २००–२०१ ।

मृत जानवरों—

प्र० वि०—बुन्देलखंड में————को दफनाने से राष्ट्र सम्पत्ति की हानि । खं० १५५, पृ० ११६ ।

मेटल ट्रेडर्स एसोशियेशन—

प्र० वि०— ———, मिर्जापुर का बिक्री कर के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र । खं० १५५, पृ० ४२०–४२१ ।

मैनपुरी शक्तिगृह—

प्र० वि०—फर्रुखाबाद जिले के छिबरामऊ कस्बे को ————से बिजली देने पर विचार । खं० १५५, पृ० ३६२ ।

मैनेजिंग कमेटी—

प्र० वि०—गयाप्रसाद लाइफ सेविंग फंड की————। खं० १५५, पृ० १९–२० ।

मोटर सड़क—

नैनीताल जिले की सरगाखेत पहाड़-पानी ————। खं० १५५, पृ० २०३ ।

मोहनलाल गौतम, श्री—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ । खं० १५५, पृ० २३३–२३५ ।

कालपी तथा जालौन में कांस उखाड़ने से सम्बन्धित २२ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न ३०–३१ के विषय पर विवाद । खं० १५५, पृ० ४८४ ।

डाकू मानसिंह के पुत्र सूबेदार सिंह के मारे जाने का समाचार । खं० १५५, पृ० ६६ ।

बनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प । खं० १५५, पृ० ४६०–४६२, ४६५, ४८३ ।

म्युनिसिपल बोर्ड—

प्र० वि०— ———, झांसी पर चुंगी का बकाया । खं० १५५, पृ० २०४–२०५ ।

म्योर तथा स्वदेशी मिलों—

प्र० वि०— कानपुर की———— में रेशनलाइजेशन योजना तथा मजदूरों में बेकारी । खं० १५५, पृ० १८ ।

य

यमुना नहर—

प्र० वि०—पूर्वी————में कांधला के निकट साइफन चौड़ा करने की आवश्यकता । खं० १५५, पृ० १९६–१९७ ।

यमुनासिंह, श्री

देखिए "प्रश्नोत्तर" ।

योग्यता—

प्र० वि०—असिस्टेंट ब्लाक डेवलपमेंट अफसरों की———— तथा नियुक्ति । खं० १५५, पृ० २९४–२९५ ।

प्र० वि०—मिलों में लेबर वेलफेयर अफसर तथा उनकी————, वेतन और कर्तव्य । खं० १५५, पृ० ६–८ ।

प्र० वि०—नये गृह उद्योग धंधों को जारी करने की————। ख० १५५, पृ० २९०–२९१ ।

योजना—

प्र० वि०—पुलिस सर्किल इन्सपेक्टर के पद की समाप्ति की————। खं० १५५, पृ० ३५१ ।

प्र० वि०—प्रदेश में महिला–मंगल———— केन्द्र । खं० १५५, पृ० १०–१२ ।

प्र० वि०—विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार की ————। खं० १५५, पृ० २५ ।

योजनाएं--

प्र० वि०--शारदा, घाघरा आदि नदियों के क्षेत्र के लिए बाढ़ तथा सिंचाई सम्बन्धी-----। खं० १५५, पृ० १९४।

र

रजिस्ट्री--

प्र० वि०--उत्तर प्रदेशीय तहवीलदार यूनियन की ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अन्तर्गत---। खं० १५५, पृ० २५।

रणंजय सिंह, श्री--

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३२३, ३२४, ३६७-३६८, ३६९, ३७१, ३८१, ३८२, ३९७।

गोवंश के वध पर अन्तरिम प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ६६-६८, ६९, ४४२, ४४३-४४४, ४४५।

राज्य के राजनीतिक पीड़ितों के लिए समुचित पेंशन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ५८-५९।

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४४६-४४७, ४४९-४५०, ४५१, ४७६-४७८, ४८२।

रतनलाल जैन, श्री--

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० १३८-१४०।

राज्य के राजनीतिक पीड़ितों के लिए समुचित पेंशन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४२-४३।

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४५२, ४५७-४५८।

रमानाथ खैरा, श्री--

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

राख--

प्र० वि०--आगरा में हीवेट पार्क और विजयनगर कालोनी के बीच एकत्रित ----। खं० १५५, पृ० २०७।

राजनारायण, श्री--

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खंड १५५, पृ० १४५-१४९, १४९-१५१।

१९५०-५१ के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांग। खं० १५५, पृ० ३०४, ३०६।

कमेटी आन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व कमेटी आफ ऐश्योरेंसेज के निर्माण का प्रश्न। खं० १५५, पृ० ३०३।

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव। खं० १५५, पृ० ३००-३०१।

बनारस में मलमास सम्बन्धी नाव दुर्घटना के सम्बन्ध में पूछताछ। खं० १५५, पृ० ४३९।

स्पेशल पावर्स ऐक्ट के अधीन किये गये जुर्मानों की वापसी के सम्बन्ध में पूछताछ। खं० १५५, पृ० २६।

राजनीतिक पीड़ित--

प्र० वि०--------छात्रों को सहायता। खं० १५५, पृ० ४२८-४२९।

राजनीतिक पीड़ितों--

राज्य के----के लिए समुचित पेंशन व्यवस्था करने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ३५-६६।

राजनीतिक बन्दी--

प्र० वि०--फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल में बवाय मानपुर कस के----। खं० १५५, पृ० ३४५।

राजबन्दी—
प्र०वि०—फैजाबाद जेल में कम्युनिस्ट ——। खं० १५५, पृ० ३४५।

राजवंशी, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

राजाराम मिश्र, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३१७–३१८।

राजाराम शर्मा, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

राधामोहन सिंह, श्री—
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० १३३–१३४।

रामकृष्ण जैसवार, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

रामचन्द्र विकल, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।
राज्य के राजनीतिक पीड़ितों के लिए समुचित पेंशन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ५०–५२।

रामजी सहाय, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० १५८–१५९।

रामदुलारे मिश्र, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।
कानपुर जिले की गांव पंचायतों में गबन। खं० १५५, पृ० १९२।

रामनरेश शुक्ल, श्री—
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० २०९–२१२।

रामनारायण त्रिपाठी, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३९६।
उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ४०४–४०५।
कमेटी आन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व कमेटी आफ एश्योरेंसेज के निर्माण की प्रार्थना। खं० १५५, पृ० २०९।
कालपी तथा जालौन में कांस उखाड़ने से सम्बन्धित २२ अगस्त १९५५ के तारांकित प्रश्न ३०–३१ के विषय पर विवाद। खं० १५५, पृ० ४८३, ४८४–४८५, ४८८।
गोवंश के वध पर अन्तरिम प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ६८।
वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४४९–४५१।

रामप्रसाद नौटियाल, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

राममूर्ति, श्री—
वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४७४–४७६।

रामरतन प्रसाद, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

रामलखन मिश्र, श्री—
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० १४४–१४५।

रामसुन्दर पांडेय, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३१८, ३७४–३७५।

कालपी तथा जालौन में कांस उखाड़ने से सम्बन्धित २२ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न ३०-३१ के विषय पर विवाद। खं० १५५, पृ० ४८७–४८८।

राज्य के राजनीतिक पीड़ितों के लिए समुचित पेंशन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ३९–४२।

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४५८–४५९।

रामसुभग वर्मा, श्री––

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० १३७–१३८।

रामसुमेर, श्री––

उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४। खं० १५५, पृ० ३१, ३२-३५।

रामस्वरूप, श्री––

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

रामस्वरूप गुप्त, श्री––

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० २३७–२३९।

राज्य के राजनीतिक पीड़ितों के लिए समुचित पेंशन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ५९–६१।

रामहेत सिंह, श्री––

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

रामेश्वरलाल, श्री––

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३२७–३२८, ३७२–३७३, ३७५, ३७६–३७७, ३७८।

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४५०–४५१, ४५१–४५२।

राष्ट्र सम्पत्ति––

प्र० वि०––बुन्देलखंड में मृत जानवरों को दफनाने से––––की हानि। खं० १५५, पृ० ११६।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र ––

प्र० वि०––फतेहपुर जिले में तीसरा ––––। खं० १५५, पृ० २८९।

राष्ट्रीय विकास सेवा केन्द्र––

प्र० वि०––प्रदेश में––––। खं० १५५, पृ० २८७–२८९।

रिक्त स्थान––

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के––––की पूर्ति के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० १५५, पृ० २०८।

रिहन्द बांध––

प्र० वि०––––––के निर्माण में अधिगत भूमि का मुआवजा। खं० १५५ पृ० ३४५–३४६।

रिहाई––

प्र० वि०––फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से जाली आदेश पर बन्दियों की––––। खं० २५५, पृ० ३५१–३५२।

रेगिस्तान––

प्र० वि०––मथुरा जिले में––––निरोधक कार्य। खं० १५५, पृ० १०९–१११।

रेगुलेटर––

प्र० वि०– बनारस जिले में वरुण नदी पर पुल तथा––––बनाने की योजना। खं० १५५, पृ० २०६।

रेजीडेंट इंजीनियर––

प्र० वि०––झांसी इलेक्ट्रिक पावर हाउस का अव्यवस्थित प्रबन्ध व––––का अभाव। खं० १५५, पृ० ३४९–३५०।

रेशनलाइजेशन योजना—

प्र० वि०—कानपुर की म्योर तथा स्वदेशी मिलों में——तथा मजदूरों में बेकारी। खं० १५५, पृ० १८।

रोडवेज—

प्र० वि०—गोरखपुर———द्वारा कंडक्टरी की ट्रेनिंग। खं० १५५, पृ० ११२।

प्र० वि०—नगरों में———की गाड़ियां तथा उन पर आय व व्यय। खं० १५५, पृ० १०१।

रोडवेज स्टेशनों—

प्र० वि०—————पर कंडक्टरों से क्लर्कों का काम लेना। खंड १५५, पृ० ११५।

ल

लक्ष्मण राव कदम, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

लक्ष्मीदेवी, श्रीमती—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३९८–३९९।

लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० २४४–२४९, ३०५–३०७।

लगान—

प्र० वि०—कोलोनाइजेशन विभाग के अधीन ग्रामों की———की दरों में अन्तर। खं० १५५, पृ० १०१।

प्र० वि०—गाजीपुर जिले में सूखे के कारण———में छूट। खं० १५५, पृ० ११४।

प्र० वि०—बांसी तहसील में सूखे के कारण———लगान में छट की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ११५।

लड़कियों—

प्र० वि०—हमीरपुर में———की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध। खं० १५५, पृ० ९।

लांग क्लाथ—

प्र० वि०—कल्यानपुर सेटिलमेंट, जिला कानपुर में कथित———का गबन। खं० १५५, पृ० २४–२५।

लाइफ सेविंग फंड—

प्र० वि०—गयाप्रसाद ———की मैनेजिंग कमेटी। खं० १५५, पृ० १९–२०।

लागत—

प्र० वि०—माधुरी कुंड फार्म पर क्वार्टरों की लागत और किराया। खं० १५५, पृ० १०१–१०२।

लालबहादुर सिंह, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

लेखपालों—

प्र० वि०—अनुत्तीर्ण———को दुबारा परीक्षा में बैठने की अनुमति। १५५, पृ० ११७।

लेबर वेलफेयर अफसर—

प्र० वि०—मिलों में———तथा उनकी योग्यता, वेतन और कर्तव्य। खंड १५५, पृ० ६–८।

व

वक्तव्य—

कानपुर में एल्गिन मिल्स की तालाबन्दी के सम्बन्ध में श्रम मंत्री का———। खं० १५५, पृ० ४४०–४४१।

वध—

गोवंश के———पर अन्तरिम प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ६६–७०, ४४१–४४५।

वनस्पति घृत—

———की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४४६–४८३।

वरुण नदी—

प्र० वि०—बनारस में————पर पुल तथा रेगुलेटर बनाने की योजना। खं० १५५, पृ० २०६।

वसूली—

प्र० वि०—बदायूं जिले में तकावी की ——की रीति। खं० १५५, पृ० १०७।

वाचनालय—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में सहायता प्राप्त———तथा पुस्तकालय। खं० १५५, पृ० १०।

वापसी—

स्पेशल पावर्स ऐक्ट के अधीन किये गये जुर्मानों की———के सम्बन्ध में पूछताछ। खं० १५५, पृ० २६।

वार्षिक व्यय—

प्र० वि०—नैनी कोढ़ी अस्पताल का ——। खं० १५५, पृ० २९६–२९७।

विकास केन्द्र—

प्र० वि०—जिला झांसी के———मऊ और मोठ द्वारा श्रमदान से सड़कों का निर्माण। खं० १५५, पृ० २९७।

विकास बोर्ड—

प्र० वि०—कुमायूं———निर्माण की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ३५२।

विकास योजना—

प्र० वि०—फलोपयोगी विभाग के मुख्य कार्य, उसके कर्मचारी तथा फल ——के प्रशिक्षण केन्द्र। खं० १५५, पृ० २८४–२८६।

विचार—

प्र० वि०—फर्रुखाबाद जिले के छिबरामऊ कस्बे को मैनपुरी शक्तिगृह से बिजली देने पर———। खं० १५५, पृ० ३६२।

विजयनगर कालोनी—

प्र० वि०—आगरा में हीवेट पार्क और ——के बीच एकत्रित राख। खं० १५५, पृ० २०७।

विज्ञापन—

प्र० वि०—उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा में स्त्री शाखा के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का ——। खं० १५५, पृ० ४३७–४३८।

वितरण—

गोरखपुर सरकारी पावर हाउस की बिजली का——। खं० १५५, पृ० ३६१–३६२।

प्र० वि०—जौनपुर जिले के बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ धन का———। खं० १५५, पृ० ११६।

प्र० वि०—शारदा तथा पथरी बिजली घरों से एडिशनल बिजली का———। खं० १५५, पृ० ३४७–३४९।

विद्यार्थियों—

प्र० वि०———अनुशासनहीनता रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार की योजना। खं० १५५, पृ० २५।

विद्यालय—

प्र० वि०—देवरिया जिले में मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक ——। खं० १५५, पृ० १५।

विद्यालयों—

प्र० वि०—अमान्यता-प्राप्त———पर प्रतिबन्ध। खं० १५५, पृ० १०।

विद्युत् गृह—

प्र० वि०—माताटीला———से उत्पन्न बिजली की दर। खं० १५५, पृ० ३६२–३६३।

विद्युत्हीन ट्यूबवेल—

प्र० वि०—प्रदेश के——। खं० १५५, पृ० २०५।

विधवा आश्रम—

प्र वि०— झांसी——तथा अनाथालय को सहायता। खं० १५५, पृ० १५।

विधान मंडल—

उत्तर प्रदेश——सदस्य, (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३९९–४०५।

विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक—

उत्तर प्रदेश——, १९५५। खं० १५५, पृ० ३९९–४०५।

विधेयक—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण——, १९५५ खं० १५५, पृ० ११९–१६०, २०९–२४९, ३०५–३१३, ३१४–३२९, ३६६–३९९।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३९९–४०५।

उत्तर प्रदेश हरिजन (सेवा)——, १९५४। खं० १५५, पृ० २८–३५।

विधेयकों—

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय ——के लिए समय निर्धारण की सूचना। खं० १५५, पृ० ११८।

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय ——के लिये समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव। खं० १५५, पृ० ३००–३०२।

विवाद—

कालपी तथा जालौन में कांस उखाड़ने से सम्बन्धित २२ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न ३०–३१ के विषय पर विवाद——। खं० १५५, पृ० ४८३–४८८।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति पर ——की मांग। खं० १५५, पृ० २६–२७।

विशेष वेतन—

प्र० वि०—प्लानिंग विभाग में अफसरों के——पर व्यय। खं० १५५, पृ० २९७।

विश्राम राय, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

विश्वविद्यालय—

प्र० वि०—संस्कृत——की स्थापना। खं० १५५, पृ० ५–६।

वीरेन्द्र वर्मा, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

विधान सभा से अनुपस्थित के लिए—— का प्रार्थना-पत्र। खं० १५५, पृ० २७–२८।

वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री—

विधान सभा से अनुपस्थित के लिए—— का प्रार्थना-पत्र। खं० १५५, पृ० २७।

वीरेन्द्र शाह राजा—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० २१५ २३२–२३३, ३१७, ३२४, ३८६, ३८८।

कालपी तथा जालौन में कांस उखाड़ने से सम्बन्धित २२ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न ३०–३१ के विषय पर विवाद। खं० १५५, पृ० ४८७।

गोवंश के वध पर अन्तरिम प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ७०।

राज्य के राजनीतिक पीड़ितों के लिए समुचित पेंशन व्यवस्था करने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ३५।

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४६७।

वृक्ष—

प्र० वि०—गोरखपुर जिले में आम के ——काटने के लिये परमिट। खं० १५५, पृ० ३४६–३४७।

वेतन—

प्र० वि०—नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल, कादीपुर , जिला सुल्तानपुर के अध्यापकों का——न पाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र। खं० १५५, पृ० २२–३३।

प्र० वि०—मिलों में लेबर वेलफेयर अफसर तथा उनकी योग्यता,—— और कर्तव्य। खं० १५५, पृ० ६–८।

व्यय—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में सहनूपुर बांध पर——। खं० १५५, पृ० २०२।

प्र० वि०— गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में—। खं० १५५, पृ० १८५–८६।

प्र० वि०—प्लानिंग विभाग में अफसरों के विशेष वेतन पर——। खं० १५५, पृ० २६७।

प्र० वि०—लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस में बहरों तथा गूंगों की शिक्षा पर——। खं० १५५, पृ०१३–१४।

व्रजभूषण मिश्र, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १६५५। खं० १५५, पृ० १४६, २२३–२२८।

कालपी तथा जालौन में कांस उखाड़ने से सम्बन्धित २२ अगस्त, १६५५ के तारांकित प्रश्न ३०–४१ के विषय पर विवाद। खं० १५५, पृ० ४८७।

राज्य के राजनीतिक पीड़ितों के लिए समुचित पेंशन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४५–४७।

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४६३–४६४, ४६४–४६५।

व्रजविहारी मिश्र, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

आजमगढ़ जिले की अतरौलिया–अहरौला सड़क को पक्का करने की आवश्यकता। खं० १५०, पृ० १६०।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १६५५। खं० १५५, पृ० २२८–२३०, ३२६।

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४७६।

व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

श

शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १६५५। खं० १५५, पृ० १५६–१५७, ३१३–३१४, ३२१–३२२, ३२५–३२६।

शरणार्थियों—

प्र० वि०—खितवांस, जिला झांसी में ————से बची हुई जमीन। खं० १५५, पृ० १०५।

शरणार्थी—

प्र० वि०—नैनीताल तराई-भावर किच्छा में पोलिटिकल सफरर——और सैनिकों को खेती की सुविधाएं। खं० १५५, पृ० १००।

शर्तें—

प्र० वि०—जालौन जिले में सरकार को जागीरदार से प्राप्त तीन पक्की इमारतों की मरम्मत तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी————। खं० १५५, पृ० २३–२४।

शर्तें

प्र० वि०—देहाती क्षेत्रों को बिजली देने की———। खं० १५५, पृ० ३६२।

शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री—

उत्तर प्रदेश गोवध विनवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३०७।

शारदा—

प्र० वि०———, घाघरा आदि नदियों के क्षेत्र के लिए बाढ़ तथा सिंचाई सम्बन्धी योजनाएं। खं० १५५, पृ० १९४।

प्र० वि०———तथा पथरी बिजलीघरों से एडिशनल बिजली का वितरण। खं० १५५, पृ० ३४७–३४९।

शाहगंज-सुल्तानपुर रोड—

प्र० वि०— ———के उत्तर गंगोली ग्राम में राजकीय नलकूप लगाने का विचार। खं० १५५, पृ० १९८।

शिक्षा—

प्र० वि०—मुख्य मंत्री———कोष। खं० ११५, पृ० ९।

प्र० वि०—लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस में बहरों तथा गूंगों की——— पर व्यय। खं० १५५, पृ० १३–१४।

प्र० वि०—हमीरपुर में लड़कियों की उच्च———का प्रबन्ध। खं० ११५, पृ० ९।

शिक्षा संस्थाओं—

प्र० वि०—सरकारी कर्मचारियों के ———की परीक्षाओं में बैठने पर प्रतिबन्ध। खं० १५५, पृ० ३५५–३५६।

शिक्षा सुपरवाइजरों—

प्र० वि०——हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजरों तथा———का ग्रेड। खं० १५५, पृ० २०–२१।

शिक्षा सेवा—

प्र० वि०—उत्तर ———— सेवा में स्त्री शाखा के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का विज्ञापन। खं० १५५, पृ० ४३७–४३८।

शिव कुमार शर्मा श्री,—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

शिवनाथ काटजू, श्री—

उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ४०२।

शिव नारायण, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० १४०–१४४, १४६, १४७, २४२, ३८४–३८५, ३८७।

उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४। खं० १५५, पृ० २८–२९।

कालपी तथा जालौन में कांस उखाड़ने से सम्बन्धित २२ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न ३०–३१ के विषय पर विवाद। खं० १५५, पृ० ४८७।

राज्य के राजनीतिक पीड़ितों के लिए समुचित पेंशन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० पृ० ५२–५५।

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४४९, ४५९, ४७२–४७४।

शिवपूजन राय, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

गाजीपुर की मुहम्मदाबाद तहसील के भीतर हरिजनों के लिए कुएं। खं० १५५, पृ० २०।

शिवमंगल सिंह कपूर, श्री--

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० २१७-२२०, ३०८।

शिवराज सिंह यादव, श्री--

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

शिवबचन राव, श्री--

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

शोकोद्गार--

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल की हत्या पर -----। खं० १५५, पृ० ३६३-३६६।

श्रमदान कार्य--

प्र० वि०--जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में-----। खं० १५५, पृ० २९७।

श्रम मंत्री--

कानपुर में एलिग्न मिल्स की तालाबन्दी के सम्बन्ध में-----का वक्तव्य। खं० १५५, पृ० ४४०-४४१।

श्रमिकों--

प्र० वि०--माहेश्वरी देवी जूट मिल के -----को बोनस न मिलना। खं० १५५, पृ०२४७।

श्रीचन्द्र, श्री--

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३८०-३८१।

पूर्वी यमुना नहर में कांधला के निकट साइफन चौड़ा करने की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० १९६-१९७।

माधुरी कुंड फार्म पर क्वार्टरों की लागत और किराया। खं० १५५, पृ० १०१-१०२।

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ४५५-४५७।

स

संकल्प--

गोवंश के वध पर अन्तरिम प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में -----। खं० १५५, पृ० ६६-७०, ४४१-४४५।

राज्य के राजनीतिक पीड़ितों के लिए समुचित पेंशन व्यवस्था करने के संबंध में-----। खं० १५५, पृ० ३५-६६।

वनस्पति घृत की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में-----। खं० १५५, पृ० ४४६-४८३।

संख्या--

प्र० वि०--हाईस्कूल व इंटरमीडियेट परीक्षा में परीक्षार्थियों की----- तथा परीक्षा में नकल आदि रोकने की व्यवस्था। खं० १५५, पृ० २३।

संस्कृत विद्यालयों--

प्र० वि०--आजमगढ़ जिले में मान्यता प्राप्त-----को सहायता। खं० १५५, पृ० १६-१७।

संस्कृत विश्वविद्यालय--

प्र० वि०-------की स्थापना। खं० १५५, पृ० ५-६।

संस्कृत साहित्य परिषद्--

प्र० वि०--लखनऊ में-----का भवन निर्माण। खं० १५५, पृ० ५।

सचल शिक्षण शिविर--

आजमगढ़ जिले में-----के अध्यापकों का बकाया वेतन। खं० १५५, पृ० ४२६-४२७।

सचिवालय--

प्र० वि०-----की पुरानी खस टट्टियों में आकस्मिक आग। खं० १५५, पृ० ३४६।

-----के चपरासियों के लिये सरकारी क्वार्टरों की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ३५६-३५७।

सज्जन देवी महनोत, श्रीमती—

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव । खं० ११५, पृ० ३०० ।

सड़क—

प्र० वि०—अल्मोड़ा-रामगढ़-भीमताल ——के निर्माण की आवश्कता । खं० १५५, पृ० २०२–२०३ ।

प्र० वि०—आजमगढ़-बेल्थरा——का निर्माण । खं० १५५, पृ० २०३ ।

प्र० वि०—जिला झांसी के विकास केन्द्र मऊ और मोठ द्वारा श्रमदान से ——का निर्माण । खं० १५५, पृ० २९७ ।

सड़कों—

प्र० वि०—भरथना टाउन एरिया को ——के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता । खं० १५५, पृ० १९१ ।

सत्य सिंह राणा, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर" ।

सदन—

हाई कोर्ट के निर्णय में——की कार्यवाही के विषय में आपत्ति । खं० १५५, पृ० २०९।

सदन की कार्यवाही—

हाई कोर्ट के निर्णय में——पर टीका-टिप्पणी के विषय में आपत्ति । खं० १५५, पृ० २९७–२९८ ।

सदर तहसील—

प्र० वि०—आगरा——के विभिन्न ग्रामों में चिकित्सालयों का अभाव । खं० १५५, पृ० २८६ ।

सदस्य—

उत्तर प्रदेश विधान मंडल——(अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५, खं० १५५, पृ० ३९९–४०५ ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए एक——के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० १५५, पृ० २०८ ।

सनदें—

प्र० वि०—बनारस तहसील में भूमि-धरी—— । खं० १५५, पृ० ११२–११३ ।

सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती—

गोवंश के वध पर अन्तरिम प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ६९१ ।

समय निर्धारण—

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिए——की सूचना। खं० १५५, पृ० ११८ ।

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये——के सम्बन्ध में प्रस्ताव । खं० १५५, पृ० ३००–३०२ ।

समाचार—

डाकू मानसिंह के मारे जाने का——। खं० १५५, पृ० २६ ।

समाज कल्याण बोर्ड्स—

प्र० वि०—प्रान्तीय तथा क्षेत्रीय बोर्ड्स ——। खं० १५५, पृ० १३ ।

समाज कल्याण संस्थाएं—

प्र० वि०—सरकारी सहायता प्राप्त असरकारी—— । खं० १५५, पृ० ४३१–४३२ ।

समाप्ति—

प्र० वि०—पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर के पद की——की योजना। खं० १५५, पृ० ३५१ ।

समिति—

कार्य परामर्शदात्री——द्वारा कतिपय विधेयकों के लिए समय निर्धारण की सूचना। खं० १५५, पृ० ११८ ।

सम्पूर्णानन्द, डाक्टर—
अधिवेशन के कार्य-क्रम के सम्बन्ध में पूंछ-ताछ। खं० १५५, पृ०४३६।
उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १६५४। खं० १५५, पृ० २६-३१।
१६५०-५१ के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांग। खं० १५५, पृ० ३०४।
कमेटी आन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व कमेटी आफ एशोरेंसेज के निर्माण का प्रश्न। खं० १५५, पृ० ३०२।
डाकू मानसिंह के पुत्र सूबेदार सिंह के मारे जाने का समाचार। खं० १५५, पृ० ६६।
डाकू मानसिंह के मारे जाने का समाचार। खं० १५५, पृ० २६।
प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति पर विवाद की मांग। खं० १५५, पृ० २७।
बनारस में मलमास सम्बन्धी नाव-दुर्घटना के सम्बन्ध में पूंछ-ताछ। खं० १५५, पृ० ४३६।
श्री भगवती प्रसाद शुक्ल की हत्या पर शोकोद्गार। खं० १५५, पृ० ३६३-३६४।
राज्य के राजनीतिक पीड़ितों के लिए समुचित पेंशन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ६२-६५।
सरकारी इमारत—
प्र० वि०—गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल फतेहपुर के लिये——की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ४३५।
सरकारी कर्मचारियों—
प्र० वि०——के शिक्षा संस्थाओं की परीक्षाओं में बैठने पर प्रतिबन्ध। खं० १५५, पृ० ३५५-३५६।
सरकारी खरीदारी—
प्र० वि०—नियुक्त एजेंटों द्वारा गेहूं की——। खं० १५५, पृ० २८६-२६०।
सरगाखेत-पहाड़ पानी मोटर सड़क—
प्र० वि०—नैनीताल जिले की——। खं० १५५, पृ० २०३।
सर्किल इंस्पेक्टर—
प्र० वि०—पुलिस——के पद की समाप्ति की योजना। खं० १५५, पृ० ३५१।
सहकारी समितियां—
प्र० वि०—छोटे उद्योग-धंधों को चलाने के हेतु खेतिहर मजदूरों को ऋण देने के लिए——। खं० १५५, पृ० २६१-२६२।
सहायता—
प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को——। खं० १५५, पृ० २५।
प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों को——। खं० १५५, पृ० १६-१७।
प्र० वि—जौनपुर जिले के हायर सेकेन्डरी स्कूलों को——। खं० १५५, पृ० १५-१६।
प्र० वि०—झांसी विधवा आश्रम तथा अनाथालय को——। खं० १५५, पृ० १५।
प्र० वि०—पट्टी तलानागपुर, जिला गढ़वाल में जल कष्ट निवारणार्थ ——। खं० १५५, पृ० ४२३-४२४।
प्र० वि०—बस्ती जिले में नहर के पानी की बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषकों को——। खं० १५५, पृ० २०५।
प्र० वि०—मिर्जापुर जिले में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा हरिजनों को आर्थिक——। खं० १५५, पृ० ८-६।
प्र० वि०—मूक बधिर विद्यालयों को ——। खं० १५५, पृ० ४३०-४३१।

[सहायता]
प्र० वि०—राजनीतिक पीड़ित छात्रों को———। खं० ११५, पृ० ४२८–४२९।

प्र० वि०—सरकारी———प्राप्त असरकारी समाज कल्याण संस्थाएं। खं० १५५, पृ० ४३१–४३२।

हमीरपुर जिले में ओला वृष्टि से क्षतिग्रस्त ग्रामों को———। खं० १५५, पृ० १०८।

सहायता-प्राप्त वाचनालय—
प्र० वि—आजमगढ़ जिले में——— तथा पुस्तकालय। खं० १५५, पृ० १०।

साइफन—
प्र० वि०—पूर्वी यमुना नहर में कांधला के निकट———चौड़ा करने की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० १९६–१९७।

सिंचाई—
प्र० वि०—गोंडा जिले की बलरामपुर तहसील में———के लिए नलकूपों की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० २०६।

प्र० वि०—शारदा, घाघरा आदि नदियों के क्षेत्र के लिए बाढ़ तथा———संबंधी योजनाएं। खं० १५५, पृ० १९४।

सिंचित क्षेत्र—
प्र० वि०—राज्य का———। खं० १५५, पृ० १९७।

सिंचित भूमि—
प्र० वि०—गाजीपुर जिले में कृषि योग्य तथा———। खं० १५५, पृ० २०८।

सियाराम चौधरी, श्री—
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३७७–३७८।

सिल्ट ट्रैप—
प्र० वि०—जिला बुलन्दशहर में——— निर्माण। खं० १५५, पृ० २०७।

सीताराम शुक्ल, श्री—
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० १२४।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) की हत्या का समाचार। खं० १५५, पृ० ३१३।

राज्य के राजनीतिक पीड़ितों के लिए समुचित पेंशन व्यवस्था करने के संबंध में संकल्प। १५५, पृ० ३५–३९, ६५–६६।

सुपरवाइजरों—
प्र० वि०—हरिजन वेलफेयर——— तथा शिक्षा———का ग्रेड। खं० १५५, पृ० २०–२१।

सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

सुल्तान आलम खां, श्री—
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० १३५–१३७, १४६।

राज्य के राजनीतिक पीड़ितों के लिए समुचित पेंशन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ५६–५७।

सूखा—
प्र० वि०—बाढ़ और———पड़ने के कारण सैदपुर तहसील में बेकारी। खं० १५५, पृ० १८–१९।

सूखे—
प्र० वि०—आजमगढ़ जिले के लोहरा आदि ग्रामों में———के कारण छूट। खं० १५५, पृ० १११।

प्र० वि०—गाजीपुर जिले में———के कारण लगान में छूट। खं० १५५, पृ० ११४।

प्र० वि०—बांसी तहसील में——— के कारण लगान में छूट। खं० १५५, पृ० ११५।

सूचना—
राज्य आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों की हड़ताल के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की———। खं० १५५, पृ० २९८–३००।

सूचनायें—
कानपुर में एलिगन मिल्स की तालाबन्दी उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्यस्थगन प्रस्तावों की——— । खं० १५५, पृ० ३६३ ।

सूती मिल—
प्र० वि०—कानपुर के———मजदूरों की हड़ताल । खं० १५५, पृ० ४२६ ।

सूबेदार सिंह श्री—
डाकू मानसिंह के पुत्र———के मारे जाने का समाचार । खं० १५५, पृ० ६६ ।

सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री—
उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५ । खं० १५५, पृ० ४०३ ।

सेंट्रल जेल—
प्र० वि०—फतेहगढ़———से जाली आदेश पर बंदियों की रिहाई । खं० १५५, पृ० ३५१–३५२ ।

सैनिकों—
प्र० वि०—नैनीताल तराई-भावर किच्छा में पोलिटिकल सफरर शरणार्थी और———को खेती की सुविधाएं । खं० १५५, पृ० १०० ।

सयद अली जहीर, श्री—
उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५ । खं० १५५, पृ० ३९९–४०० ।

स्कूलों—
प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में उच्चतर माध्यमिक———को सहायता । खं० १५५, पृ० २५ ।

प्र० वि०—जौनपुर जिले के हायर सेकेन्डरी———को सहायता । खं० १५५, पृ० १५–१६ ।

स्त्री शाखा—
प्र० वि०—उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा में ———के लिए समुचित सर्विस कमीशन का विज्ञापन । खं० १५५, पृ० ४३७–४३८ ।

स्थानिक प्रश्न

अलीगढ़—
———जिले की कृषि योग्य तथा सिंचित भूमि। खं० १५५, पृ० १८९–१९० ।

———जिले के फरार डाकू । खं० १५५, पृ० ३५९–३६० ।

———जिले में कत्ल । खं० १५५, पृ० ३५९ ।

अल्मोड़ा—
———जिले के भूमिहीनों को खेती के लिए भूमि । खं० १५५, पृ० ९९ ।

आगरा—
———में जान्स मिल्स लिमिटेड की बन्दी । खं० १५५, पृ० १७ ।

प्र० वि०———में हीवेट पाक और विजय नगर कालोनी के बीच एकत्रित राख । खं० १५५, पृ० २०७ ।

———सदर तहसील के विभिन्न ग्रामों में चिकित्सालयों का अभाव । खं० १५५, पृ० २८६ ।

आजमगढ़—
आमिला, जिला———, टाउन एरिया को बिजली की आवश्यकता । खं० १५५, पृ० ३४५ ।

जिलाधीश, ———द्वारा पशुओं को टीका लगाने वाली औषधि की मांग । खं० १५५, पृ० ४१९–४२० ।

———जिले की अतरौलिया-अहरौरा सड़क को पक्का कराने की आवश्यकता । खं० १५५, पृ० १९० ।

[सहायता]
प्र० वि०—राजनीतिक पीड़ित छात्रों को———। खं० ११५, पृ० ४२८–४२९।

प्र० वि०—सरकारी———प्राप्त अर्सरकारी समाज कल्याण संस्थाएं। खं० १५५, पृ० ४३१–४३२।

हमीरपुर जिले में ओला वृष्टि से क्षतिग्रस्त ग्रामों को———। खं० १५५, पृ० १०८।

सहायता-प्राप्त वाचनालय—
प्र० वि—आजमगढ़ जिले में———तथा पुस्तकालय। खं० १५५, पृ० १०।

साइफन—
प्र० वि०—पूर्वी यमुना नहर में कांधला के निकट———चौड़ा करने की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० १९६–१९७।

सिंचाई—
प्र० वि०—गोंडा जिले की बलरामपुर तहसील में———के लिए नलकूपों की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० २०६।

प्र० वि०—शारदा, घाघरा आदि नदियों के क्षेत्र के लिए बाढ़ तथा——संबंधी योजनाएं। खं० १५५, पृ० १९४।

सिंचित क्षेत्र—
प्र० वि०—राज्य का———। खं० १५५, पृ० १९७।

सिंचित भूमि—
प्र० वि०—गाजीपुर जिले में कृषि योग्य तथा———। खं० १५५, पृ० २०८।

सियाराम चौधरी, श्री—
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३७७–३७८।

सिल्ट ट्रैप—
प्र० वि०—जिला बुलन्दशहर में———निर्माण। खं० १५५, पृ० २०७।

सीताराम शुक्ल, श्री—
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० १२४।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) की हत्या का समाचार। खं० १५५, पृ० ३१३।

राज्य के राजनीतिक पीड़ितों के लिए समुचित पेंशन व्यवस्था करने के संबंध में संकल्प। १५५, पृ० ३५–३९, ६५–६६।

सुपरवाइजरों—
प्र० वि०—हरिजन वेलफेयर———तथा शिक्षा———का ग्रेड। खं० १५५, पृ० २०–२१।

सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

सुल्तान आलम खां, श्री—
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० १३५–१३७, १४६।

राज्य के राजनीतिक पीड़ितों के लिए समुचित पेंशन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ५६–५७।

सूखा—
प्र० वि०—बाढ़ और———पड़ने के कारण सैदपुर तहसील में बेकारी। खं० १५५, पृ० १८–१९।

सूखे—
प्र० वि०—आजमगढ़ जिले के लोहरा आदि ग्रामों में———के कारण छूट। खं० १५५, पृ० १११।

प्र० वि०—गाजीपुर जिले में———के कारण लगान में छूट। खं० १५५, पृ० ११४।

प्र० वि०—बांसी तहसील में——— के कारण लगान में छूट। खं० १५५, पृ० ११५।

सूचना—
राज्य आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों की हड़ताल के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की———। खं० १५५, पृ० २९८–३००।

सूचनायें—
कानपुर में एलिगन मिल्स की तालाबन्दी उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्यस्थगन प्रस्तावों की——— । खं० १५५, पृ० ३६३।

सूती मिल—
प्र० वि०—कानपुर के——मजदूरों की हड़ताल। खं० १५५, पृ० ४२६।

सूबेदार सिंह श्री—
डाकू मानसिंह के पुत्र———के मारे जाने का समाचार। खं० १५५, पृ० ६६ ।

सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री—
उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५ । खं० १५५, पृ० ४०३ ।

सेंट्रल जेल—
प्र० वि०—फतेहगढ़———से जाली आदेश पर बंदियों की रिहाई । खं० १५५, पृ० ३५१–३५२ ।

सैनिकों—
प्र० वि०—नैनीताल तराई-भावर किच्छा में पोलिटिकल सफरर शरणार्थी और———को खेती की सुविधाएं । खं० १५५, पृ० १००।

सयद अली जहीर, श्री—
उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ३९९–४००।

स्कूलों—
प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में उच्चतर माध्यमिक———को सहायता । खं० १५५, पृ० २५ ।

प्र० वि०—जौनपुर जिले के हायर सेकेन्डरी———को सहायता । खं० १५५, पृ० १५–१६ ।

स्त्री शाखा—
प्र० वि०—उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा में ———के लिए समुचित सर्विस कमीशन का विज्ञापन । खं० १५५, पृ० ४३७–४३८।

स्थानिक प्रश्न

अलीगढ़—
———जिले की कृषि योग्य तथा सिंचित भूमि। खं० १५५, पृ० १८९–१९० ।
———जिले के फरार डाकू। खं० १५५, पृ० ३५९–३६०।
———जिले में कत्ल। खं० १५५, पृ० ३५९।

अल्मोड़ा—
———जिले के भूमिहीनों को खेती के लिए भूमि । खं० १५५, पृ० ९९।

आगरा—
———में जान्स मिल्स लिमिटेड की बन्दी। खं० १५५, पृ० १७ ।
प्र० वि०———में हीवेट पाक और विजय नगर कालोनी के बीच एकत्रित राख। खं० १५५, पृ० २०७ ।
———सदर तहसील के विभिन्न ग्रामों में चिकित्सालयों का अभाव । खं० १५५, पृ० २८६ ।

आजमगढ़—
आमिला, जिला———, टाउन एरिया को बिजली की आवश्यकता । खं० १५५, पृ० ३४५ ।
जिलाधीश, ———द्वारा पशुओं को टीका लगाने वाली औषधि की मांग। खं० १५५, पृ० ४१९–४२० ।
———जिले की अतरौलिया-अहरौरा सड़क को पक्का कराने की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० १९०।

[स्थानिक प्रश्न]

[आजमगढ़]

——जिले की मुसहर जाति के उत्थान की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ४२२–४२३।

——जिले की सगड़ी तहसील में पशु-चिकित्सालय का आयोजन। खं० १५५, पृ० ११८।

——जिले के लोहरा आदि ग्रामों में सूखे के कारण छूट। खं० १५५, पृ० १११।

——जिले में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को सहायता। खं० १५५, पृ० २५।

——जिले में ऐतिहासिक औरंगजेबी मस्जिद। खं० १५५, पृ०१२–१३।

——जिले में चकबन्दी विभाग के कर्मचारी। खं० १५५, पृ० ११८।

——जिले में नलकूपों का निर्माण। खं० १५५, पृ० २०५–२०६।

——जिले में मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों को सहायता। खं० १५५, पृ० १६–१७।

——जिले में सघन शिक्षण-शिविर के अध्यापकों का बकाया वेतन। खं० १५५, पृ० ४२६–४२७।

——जिले में सहनूपुर बांध पर व्यय। खं० १५५, पृ० २०२।

——जिले में सहायता प्राप्त वाचनालय तथा पुस्तकालय। खं० १५५, पृ० १०।

——जिले में हरिजनों के लिए पक्के कुएं। खं० १५५, पृ० २१–२२।

——फैजाबाद जिले के कुछ गांवों को——जिले में मिलाने की प्रार्थना। खं० १५५, पृ० ११४।

——शहर में भयंकर अग्निकांड। खं० १५५, पृ० २८३–२८४।

आमिला—

——, जिला आजमगढ़ टाउन एरिया को बिजली की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ३४५।

इटावा—

——जिले में पशु-चिकित्सालय व गर्भाधान केन्द्र। खं० १५५, पृ० १११–११२।

——स्टम्प नहर में लगी भूमि। खं० १५५, पृ० १९५–१९६।

इलाहाबाद—

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट——पर सरकारी ऋण। खं० १५५, पृ० १८९।

——नैनी इंडस्ट्री एरिया। खं० १५५, पृ० १०८।

——में अवैतनिक मैजिस्ट्रेट। खं० १५५ पृ० २०८।

लखनऊ, ——और बनारस में बहरों तथा गूंगों की शिक्षा पर व्यय। खं० १५५, पृ० १३–१४।

उन्नाव—

——जिले में नलकूपों की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० २०८।

कठकुइयां—

जगदीश शुगर मिल्स,——पर मजदूरों का शेष बोनस। खं० १५५, पृ० ४३६।

कर्मचन्दा पुरवा—

——, जिला जालौन में भूदान यज्ञ। खं० १५५, पृ० ११६।

कांडा—

पूर्वी नयार नदी पर ग्राम——तथा डुमैला के निकट पुलों के निर्माण पर विचार। खं० १५५, पृ० २०३।

कांधला—

पूर्वी यमुना नहर में—— के निकट साइफन चौड़ा करने की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० १९६–१९७।

कादीपुर—

नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल, ——, जिला सुलतानपुर के अध्यापकों का वेतन न पाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र। खं० १५५, पृ० २२–२३।

कानपुर—

—की म्योर तथा स्वदेशी मिलों में रेशनैलाइजेशन योजना तथा मजदूरों में बेकारी। खं० १५५, पृ० १८।

—के सूती मिल मजदूरों की हड़ताल। खं० १५५, पृ० ४२६।

—जिले की गांव पंचायतों में गबन। खं० १५५, पृ० १९२।

—टेक्सटाइल मजदूरों की हड़ताल में गिरफ्तारियां। खं० १५५, पृ० ३६०।

ब्रिटिश इंडियन कारपोरेशन की कूपर ऐलन ब्रान्च —के मजदूरों का शेष बोनस। खं० १५५, पृ० ४३५–४३६।

लखनऊ तथा कानपुर—में कत्ल। खं० १५५, पृ० ३५७–३५९

कालपी—

— तथा जालौन में कांस उखाड़ने से सम्बन्धित २२ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न ३०–३१ के विषय पर विवाद। खं० १५५, पृ० ४८३–४८८।

किच्छा—

प्र० वि० — नैनीताल तराई-भावर — में पोलिटिकल सरकार, शरणार्थी और सैनिकों को खेती की सुविधायें। खं० १५५, पृ० १००।

कुंडी—

गंगा की बाढ़ से किशुनपुर और — ग्रामों को क्षति। खं० १५५, पृ० ९८–९९।

खितवांस—

—, जिला झांसी में शरणार्थियों से बची हुई जमीन। खं० १५५, पृ० १०५।

गंगोली—

शाहगंज-सुल्तानपुर रोड के उत्तर —ग्राम में राजकीय नलकूप लगाने का विचार। खं० १५५, पृ० १९८।

गजरिया—

राजकीय डेरी फार्म, —। खं० १५५, पृ० ११७।

—जिले में गुलाबकोटी-जोशीमठ सड़क के निर्माण पर विचार। खं० १५५, पृ० २०७।

— तथा टेहरी-गढ़वाल जिलों के टाउन तथा नोटीफाइड एरिया। खं० १५५, पृ० २०२।

पट्टी तल्लानागपुर, जिला—में जल कष्ट निवारणार्थ सहायता। खं० १५५, पृ० ४२३–४२४।

गाजीपुर—

—जिले के फेफरा तियरा ग्राम में नलकूप की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० २०७।

—जिले में कृषि योग्य तथा सिंचित भूमि। खं० १५५, पृ० २०८।

—जिले में सूखे के कारण लगान में छूट। खं० १५५, पृ० ११४।

गोंडा—

—जिले की बलरामपुर तहसील में सिंचाई के लिए नलकूपों की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० २०६।

गोरखपुर—

—जिले के बीज गोदाम। खं० १५५, पृ० ११३।

—जिले में आम के वृक्ष काटने के लिये परमिट। खं० १५५, पृ० ३४६–३४७।

—जिले में मखनहा तथा अकटहवा बांध के लिए अनुदान। खं० १५५, पृ० २९२।

—में बिजली घर का निर्माण। खं० १५५, पृ० ३६३।

—सरकारी पावर हाउस की बिजली का वितरण। खं० १५५, पृ० ३६१–३६२।

[स्थानिक प्रश्न]

छिबरामऊ—

फर्रुखाबाद जिले के ——कस्बे को मैनपुरी शक्ति-गृह से बिजली देने पर विचार। खं० १५५, पृ० ३६२।

जालौन—

कर्मचन्दा पुरवा, जिला—— में भूदान यज्ञ। खं० १५५, पृ० ११६।

कालपी तथा —— में कांस उखाड़ने से सम्बन्धित २२ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न ३०–३१ के विषय पर विवाद। खं० १५५, पृ० ४८३–४८८।

——जिले में सरकार को जागीरदार से प्राप्त तीन पक्की इमारतों की मरम्मत तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी शर्तें। खं० १५५, पृ० २३–२४।

जौनपुर—

——जिले की मड़ियाहूं तहसील में श्रमदान कार्य। खं० १५५, पृ० २९७।

——जिले के बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ धन का वितरण। खं० १५५, पृ० ११६।

——जिले के हायर सेकेन्डरी स्कूलों को सहायता। खं० १५५, पृ० १६।

——जिले में करघा योजना के अन्तर्गत प्रोडक्शन सोसाइटीज। खं० १५५, पृ० २९३–२९४।

——जिले में नीरा तथा गुड़ विकास योजना। खं० १५५, पृ० २९२–२९३।

झांसी—

——इलेक्ट्रिक पावर हाउस का अव्यवस्थित प्रबंध व रेजीडेण्ट इंजीनियर का अभाव। खं० १५५ पृ० ३४९–३५०।

खितवांस, जिला——में शरणार्थियों से बची हुई जमीन। खं० १५५, पृ० १०५।

जिला——के विकास केन्द्र मऊ और मोठ द्वारा श्रमदान से सड़कों का निर्माण। खं० १५५, पृ० २९७।

——जिले के भूमिहीनों को दी गयी परती जमीन। खं० १५५, पृ० १०४।

——जिले में सरकारी ट्रैक्टरों द्वारा जुताई। खं० १५५, पृ० १०४।

——में मकानों का अभाव। खं० १५, पृ० १८७–१८८।

म्युनिसिपल बोर्ड ——पर चुंगी का बकाया। खं० १५५, पृ० २०४–२०५।

विधवा आश्रम तथा अनाथालय——को सहायता। खं० १५५, पृ० १५।

टेहरी-गढ़वाल—

गढ़वाल तथा——जिलों के टाउन तथा नोटीफाइड एरिया। खं० १५५ पृ० २०२।

जिला इंजीनियर——नाम-जमा धन से ग्राम मोटना पट्टी रैका में नल तथा डिग्गियों का निर्माण। खं० १५५, पृ० ४२४।

डुमैला—

पूर्वी नयार नदी पर ग्राम कांडा तथा ——के निकट पुलों के निर्माण पर विचार। खं० १५५ पृ० २०३।

तमकुही—

——तथा तरया सुजान केन यूनियनों की गन्ना बाहर भेजने की प्रार्थना। खं० १५५, पृ० ११२।

तरयासुजान—

तमकुही तथा——केन यूनियनों की गन्ना बाहर भेजने की प्रार्थना। खं० १५५, पृ० ११३।

तलानागपुर—

पट्टी——— जिला गढ़वाल में जल कष्ट निवारणार्थ सहायता। खं० १५५, पृ० ४२३–४२४।

देवरिया—

———के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के फीस की मुआफी। खं० १५५, पृ० २२।

———जिले में मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। खं० १५५, पृ० १५।

नैनी—

इलाहाबाद———इंडस्ट्रीज एरिया खं० १५५, पृ० १०८।

———कोढ़ी अस्पताल का वार्षिक व्यय। खं० १५५ पृ० २९६–२९७।

नैनीताल—

———जिले की सरगाखेत पहाड़-पानी मोटर सड़क। खं० १५५, पृ० २०३।

———जिले में कलसा नदी पर बांध की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० २०५।

———तराई-भावर किच्छा में पोलीटिकल सफरर, शरणार्थी और सैनिकों, को खेती की सुविधाएं। खं० १५५, पृ० १००।

———हरिजन उद्योगशाला के कर्मचारी। खं० १५५, पृ० ४३८–४३९।

हरिजन औद्योगिक शिक्षण केन्द्र, ———का कार्यारम्भ। खं० १५५, पृ० ९५–९६।

पाकिस्तान—

रामपुर जिले के जिलेदारों द्वारा गबन तथा———पलायन। खं० १५५, पृ० १०२–१०४।

पीलीभीत—

पूरनपुर, जिला———के मकान बेचने व खरीदनेवालों की बेदखली। खं० १५५, पृ० ११३–११४।

पुरा—

ग्राम———, जिला मुरादाबाद के निवासियों की तकावी के लिए प्रार्थना। खं० १५५, पृ० १०५।

पूरनपुर—

———, जिला पीलीभीत के मकान बेचने व खरीदने वालों की बेखदली। खं० १५५, पृ० ११३–११४।

प्रतापगढ़—

———जिले के पुलिस कर्मचारियों पर पुलिस ऐक्ट की कार्यवाही। खं० १५५, पृ० ३६२।

फतेहगढ़—

———सेन्ट्रल जेल में धवाय मानपुर केस के राजनीतिक बन्दी। खं० १५५, पृ० ३४५।

———सेंट्रल जेल से जाली आदेश पर बंदियों की रिहाई। खं० १५५, पृ० ३५१–३५२।

फतेहपुर—

गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल,——— के लिये सरकारी इमारत की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ४३५।

———जिले में तीसरा राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र। खं० १५५, पृ० २८९।

———में ब्लाक मेकिंग और कपड़े की छपाई। खं० १५५, पृ० २८१–२८२।

फेफरा तियरा—

गाजीपुर जिले के———ग्राम में नलकूप की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० २०७।

फैजाबाद—

———जिले के कुछ गांवों को आजमगढ़ जिले में मिलाने की प्रार्थना। खं० १५५, पृ० ११४।

———जेल में कम्युनिस्ट राजबंदी। खं० १५५, पृ० ४३५।

बखिरा बाजार—

बस्ती जिले के———स्थिति बीज गोदाम के लिये पक्के मकान की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ३५४–३५५।

बदायूं—

———जिले में तकावी की वसूली की रीति। खं० १५५, पृ० १०७।

[स्थानिक प्रश्न]

बनारस—

——जिले में वरुण नदी पर पुल तथा रेगुलेटर बनाने की योजना। खं० १५५, पृ० २०६।

——तहसील में भूमिधरी सनदें। खं० १५५, पृ० ११२–११३।

लखनऊ, इलाहाबाद और——में बहरों तथा गूंगों की शिक्षा पर व्यय। खं० १५५, पृ० १३–१४।

बरेली—

—— मिर्जापुर और बाराबंकी जिलों में खेती के नये फार्म। खं० १५५, पृ० ९६–९८।

बलरामपुर—

गोंडा जिले की——तहसील में सिंचाई के लिए नलकूप की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० २०६।

बस्ती—

——जिले के गन्ना विभाग द्वारा स्थानीय प्रेसों से छपाई के टेंडरों की मांग। खं० १५५, पृ० ११८।

—जिले के बखिरा बाजार स्थित बीज गोदाम के लिये पक्के मकान की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ३५४–३५५।

——जिले में नहर के पानी की बाढ़ से क्षति ग्रस्त कृषकों को सहायता। खं० १५५, पृ० २०५।

बांसी—

——तहसील में सूखे के कारण लगान में छूट की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० ११५।

बाराबंकी—

बरेली, मिर्जापुर और—— जिलों में खेती के नये फार्म। खं० १५५, पृ० ९६–९८।

बिलारी—

मुरादाबाद जिले की ——तहसील की भूमि के खाते। खं० १५५, पृ० ११७।

बुन्देलखंड—

——में मृत जानवरों को दफनाने से राष्ट्र सम्पति की हानि। खं० १५५, पृ० ११६।

जिला——में सिल्ट ट्रैप का निर्माण। खं० १५५, पृ० २०७।

भरथना—

——टाउन एरिया की सड़कों के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० १९१।

भितरी—

राय बरेली जिले के——ग्राम निवासियों का खलियान भूमि के लिए प्रार्थना-पत्र। खं० १५५, पृ० ११६–११७।

मऊ और मोठ—

जिला झांसी के विकास केन्द्र——द्वारा श्रमदान से सड़कों का निर्माण। खं० १५५, पृ० २९७।

मड़ियाहूं—

जौनपुर जिले की ——तहसील में श्रमदान कार्य। खं० १५५, पृ० २९७।

मथुरा—

——जिले में रेगिस्तान निरोधक कार्य। खं० १५५, पृ० १०९–१११।

मिर्जापुर—

——जिले में मृतक पशुओं को उठाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र। खं० १५५, पृ० २००–२०१।

——जिले में हरिजन-कल्याण विभाग द्वारा हरिजनों को आर्थिक सहायता। खं० १५५, पृ० ८–९।

बरेली, ——और बाराबंकी जिलों में खेती के नये फार्म। खं० १५५, पृ० ९६–९८।

मेटल ट्रेडर्स एशोसियेशन, —— का बिक्री-कर के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र। खं० १५५, पृ० ४२०–४२१।

——शहर में गंगा घाटों को क्षति। खं० १५५, पृ० १९८–१९९।

मुरादाबाद—

ग्रामपुरा, जिला——के निवासियों की तकावी के लिए प्रार्थना। खं० १५५, पृ० १०५।

——जिले की बिलारी तहसील की भूमि के खाते। खं० १५५, पृ० ११७।

——जिले में गांव समाज के बंजर तथा झील तोड़ने की शिकायतें। खं० १५५, पृ० ११५–११६।

मुहम्मदाबाद—

गाजीपुर की——तहसील के भीतर हरिजनों के लिए कुएं। खं० १५५, पृ० २०।

मोटना—

जिला इंजीनियर, टिहरी-गढ़वाल के नाम-जमा धन से ——पट्टी रैंका में नल तथा डिग्गियों का निर्माण। खं० १५५, पृ० ४२४।

रामपुर—

——जिले के जिलेदारों द्वारा गबन तथा पाकिस्तान पलायन। खं० १५५, पृ० १०२–१०४।

रायबरेली—

——जिले के भितरी ग्राम निवासियों का खलियान भूमि के लिए प्रार्थना-पत्र। खं० १५५, पृ० ११६–११७।

——जिले में नलकूपों की आवश्यकता। खं० १५५, पृ० १६७–१६८।

लखनऊ—

——, इलाहाबाद और बनारस में बहरों तथा गूंगों की शिक्षा पर व्यय। खं० १५५, पृ० १३–१४।

——के निकट कुष्ठालय खोलने का आयोजन। खं० १५५, पृ० २६५।

——तथा कानपुर में कत्ल। खं० १५५, पृ० ३५७–३५६।

——में संस्कृत साहित्य परिषद् का भवन-निर्माण। खं० १५५, पृ० ५।

लोहरा—

आजमगढ़ जिले के——आदि ग्रामों में सूखे के कारण छूट। खं० १५५, पृ० १११।

विशुनपुर—

गंगा की बाढ़ से——और कुंडी ग्रामों को क्षति। खं० १५५, पृ० ६८–६६।

सगड़ी—

आजमगढ़ जिले की——तहसील में पशु-चिकित्सालय का आयोजन। खं० १५५, पृ० ११८।

सहनूपुर—

आजमगढ़ जिले में——बांध पर व्यय। खं० १५५, पृ० २०२।

सुमेरपुर—

हमीरपुर और——के बीच बस दुर्घटना। खं० १५५, पृ० १०६–१०७।

सैदपुर—

बाढ़ और सूखा के कारण—— तहसील में बेकारी। खं० १५५, पृ० १८–१६।

हमीरपुर—

——और सुमेरपुर के बीच बस दुर्घटना। खं० १५५, पृ० १०६–१०७।

——जिले की मंडियों में ज्वार की खरीद। खं० १५५, पृ० २८२–२८३।

——जिले में ओला वृष्टि से क्षतिग्रस्त ग्रामों को सहायता। खं० १५५, पृ० १०८।

——में लड़कियों की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध। खं० १५५, पृ० ६।

[स्थानिक प्रश्न]

हाथरस—

——की सूती मिलों की बन्दी की बेकारी। खं० १५५, पृ० ६।

स्पेशल पावर्स ऐक्ट—

——के अधीन किये गये जुर्मानों की वापसी के सम्बन्ध में पूछ-ताछ। खं० १५५, पृ० २६।

हड़ताल—

प्र० वि०—कानपुर के सूती मिल मजदूरों की हड़ताल ——। खं० १५५, पृ० ४२६।

प्र० वि०—कानपुर टेक्सटाइल मजदूरों की————में गिरफ्तारियां। खं० १५५, पृ० ३६०।

हत्या—

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) की——का समाचार। खं० १५५, पृ० ३१३–३१४, ३२६।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल की——पर शोकोद्गार। खं० १५५, पृ० ३६३–३६६।

हरगोविन्द सिंह, श्री—

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० १५५, पृ० २०८।

हरदेव सिंह, श्री—

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० १३५।

हरिजन—

उत्तर प्रदेश——संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४। पृ० २८–३५।

प्र० वि०——औद्योगिक शिक्षण केन्द्र, नैनीताल का कार्यारम्भ। खं० १५५, पृ० ९५–९६।

हरिजन उद्योगशाला—

प्र० वि०—नैनीताल——के कर्मचारी। खं० १५५, पृ० ४३८–४३९।

हरिजन-कल्याण विभाग—

प्र० वि०—मिर्जापुर जिले में——द्वारा हरिजनों को आर्थिक सहायता। खं० १५५, पृ० ८–९।

हरिजन छात्रावासों—

प्र० वि०——के लिये अनावर्तिनी सहायता। खं० १५५, पृ० ४२७–४२८।

हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजरों—

प्र० वि०——तथा शिक्षा सुपरवाइजरों का ग्रेड। खं० १५५, पृ० २०–२१।

हरिजन सहायक विभाग—

प्र० वि०——द्वारा १९५०–५१ के आय-व्ययक में स्वीकृत धन के अवशिष्टांश को समर्पित करना। खं० १५५, पृ० ४२१।

हरिजनों—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में——के लिए पक्के कुएं। खं० १५५, पृ० २१–२२।

प्र० वि०—गाजीपुर की मुहम्मदाबाद तहसील के भीतर—— के लिए कुएं। खं० १५५, पृ० २०।

प्र० वि०—मिर्जापुर जिले में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा ——को आर्थिक सहायता। खं० १५५, पृ० ८–९।

हाईकोर्ट—

——के निर्णय में सदन की कार्यवाही के विषय में आपत्ति। खं० १५५, पृ० २०९।

हाईकोर्ट के निर्णय—

——में सदन की कार्यवाही पर टीका टिप्पणी के विषय में आपत्ति। खं० १५५, पृ० २९७–२९८।

हाई स्कूल—

प्र० वि०——त्र इंटरमीडियेट परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या तथा परीक्षा में नकल रोकने की व्यवस्था। खं० १५५, पृ० २३ ।

हाई स्कूल परीक्षा—

प्र० वि०—जांच के पश्चात् ——का प्रतिफल। खं० १५५, पृ० ४२५ ।

हायर सेकेंडरी एवं जूनियर हाई स्कूलों—

प्र० वि०——में नियुक्त कृषि अध्यापकों को ग्रीष्मावकाश न मिलना। खं० १५५, पृ० ४३३ ।

हायर सेकेंडरी स्कूलों—

प्र० वि०—जौनपुर जिले के——को सहायता। खं० १५५, पृ० १६।

हीवेट पार्क—

प्र० वि०—आगरा में——और विजय नगर कालोनी के बीच एकत्रित राख। खं० १५५, पृ० २०७ ।

हुकुम सिंह, श्री—

उत्तर प्रदेश गो वध निवारण विधेयक, १९५५। खं० १५५, पृ० ११९–१२१, १२४, १२६, १३८, २२४, २४१, २४३, ३०७–३१२, ३१४, ३२१, ३२३, ३२४, ३६८–३६९ ३७०, ३७२, ३७५, ३७७, ३७८–३७९, ३८०–३८१, ३८२, ३८३, ३८५, ३८७–३८८, ३८९, ३९२, ३९६, ३९७, ३९९ ।

कार्यक्रम में परिवर्तन। खं० १५५, पृ० ११९ ।

कालपी तथा जालौन में कांस उखाड़ने से सम्बन्धित २२ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न ३०–३१ के विषय पर विवाद। खं० १५५, पृ० ४८४, ४८५–४८७, ४८८ ।

गोवंश के वध पर अन्तरिम प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में संकल्प। खं० २५५, पृ० ६८–६९, ४४५ ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बराबंकी) की हत्या का समाचार। खं० १५५, पृ० ३२९ ।

राज्य के राजनीतिक पीड़ितों के लिए समुचित पेंशन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० १५५, पृ० ५३ ।